शी व्यापार में २० प्रतिशत की वृद्धि।
यनिक पदार्थों का उत्पादन बढ़ रहा है।
३. दो लाख टन कागज तथा गत्ता तैयार किया
४. लघु उद्योगों की उन्नति के अनेक प्रयत्न।

य तथा उद्योग मन्त्रालय
सरकार, नई दिल्ली
उद्योग भवन, किंग एडवर्ड रोड)
।।) या ५० नये पैसे

सीमेन्ट के कारखाने की भट्ठी जहाँ पत्थर फूँका जाता है।

जून
१९५८

ग्राहकों को सूचना

डाक टिकट न भेजिये

उद्योग व्यापार पत्रिका की फुटकर प्रतियां मंगाने के लिये हमारे कार्यालय में प्रायः ही डाक के टिकट भेज दिये जाते हैं। अपने प्रेमी ग्राहकों से हमारा यह विनम्र निवेदन है कि वे भविष्य में कृपया डाक के टिकट न भेजें। इसके बदले में वे पोस्टल आर्डर अथवा मनी आर्डर से मूल्य भेजा करें। ऐसी दशा में उनका मूल्य कार्यालय में सुरक्षित पहुंच जायगा और प्रतियां भी जल्दी भेजी जा सकेंगी।

इसलिये भविष्य में कोई सज्जन डाक टिकट न भेजें और मूल्य पोस्टल आर्डर अथवा मनी आर्डर द्वारा ही भेजने की कृपा करें।

सम्पादक, उद्योग-व्यापार पत्रिका,
वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय सूची

भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय के प्रकाशन-सम्पादक द्वारा प्रकाशित।

सूचना—इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का सम्बन्ध, जब तक विशेषतः स्पष्ट न लिखा जाय, भारत-सरकार अथवा उसके किसी भी मन्त्रालय से नहीं होगा।

कार्यालय का पता—५४२, उद्योग भवन, किंग एडवर्ड रोड, नयी दिल्ली।

उद्योग-व्यापार पत्रिका

उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बम्बई और जम्मू-काश्मीर
के शिक्षा विभागों द्वारा शिक्षा-संस्थाओं और पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत

वर्ष ५] नयी दिल्ली, जून १९५८ [अङ्क १२

विदेशी व्यापार में २० प्रतिशत की वृद्धि

विगत वर्ष में हुई प्रगति का सिंहावलोकन

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत होने वाले विकास कार्यों के लिए हमें विदेशों से बहुत अधिक माल का आयात करना पड़ रहा है। यद्यपि आयात के साथ निर्यात भी बढ़ रहा है तथापि उसकी गति आयात के समान ही तेज नहीं है। इसके फलस्वरूप १९५७ में व्यापार-सन्तुलन भारत के बहुत अधिक प्रतिकूल रहा है। परन्तु निर्यात में हुई थोड़ी वृद्धि भी यह प्रकट करती है कि हमारी अर्थ व्यवस्था सुधरती जा रही है। प्रस्तुत लेख में हमारे विदेशी व्यापार की गत वर्ष की प्रगति पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। —सम्पादक।

१९५७ में भारत के विदेशी व्यापार में गत वर्ष की अपेक्षा बहुत अधिक, अर्थात् २० प्रतिशत वृद्धि हुई। यह वृद्धि अधिकांश में पूंजीगत वस्तुओं और आवश्यक कच्चे माल के आयात में वृद्धि हो जाने के कारण हुई है। वर्ष के पहले १० महीनों अर्थात् जनवरी से अक्तूबर १९५७ तक आयात अपने चरम स्तर ९३४ करोड़ रुपये पर पहुंच गया। जबकि जनवरी से अक्तूबर १९५६ की अवधि में यह ६६८ करोड़ रु० का हुआ था। जनवरी से अक्तूबर १९५७ की अवधि में निर्यात भी अच्छा हुआ, जिसका योग ५११ करोड़ रुपये (उधार-पट्टा प्रणाली के अन्तर्गत अमरीका को निर्यात की गयी चांदी को छोड़कर) रहा। जबकि १९५६ की इसी अवधि में वह ४८४ करोड़ रुपये रहा था। इतने पर भी व्यापार-संतुलन १९५७ में भारत के बहुत अधिक प्रतिकूल रहा।

भारत का व्यापार-सन्तुलन

(मूल्य लाख रु० में)

	जनवरी-अक्तूबर १९५७	जनवरी-अक्तूबर १९५६	वर्ष में हुआ परिवर्तन
आयात	८३३,९८	६६८,०५	१६५,९३
निर्यात	५११,२५*	४८४,३४	२६,९१
पुनः निर्यात	४,४६	७,७५	३,२९
व्यापार संतुलन	—३२२,७३	—१७६,१६	१४६,५७

* इसमें उधार-पट्टा प्रणाली के अन्तर्गत अमरीका को निर्यात की गयी २६४९ लाख रुपये की चांदी सम्मिलित नहीं है।

१९५७ में आयात में जो वृद्धि हुई है उसका एक कारण यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को अमल में लाने के लिए आवश्यक संयंत्र और मशीनें तथा परिवहन उपकरण अधिक संख्या में मंगाये गये। हमारी बढ़ती जाने वाली आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाहर से अधिक परिमाण में कच्चे माल का भी आयात करना पड़ा। जनवरी से अक्तूबर १९५७ की अवधि में गत वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा १९९ करोड़ रुपये का जो अधिक आयात हुआ है उसमें धातुएं तथा मशीनें प्रत्येक ४८ करोड़ रुपये की, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम-उत्पादन ३२ करोड़ रुपये का, अनाज २२ करोड़ रुपये का और रासायनिक पदार्थ ७ करोड़ रुपये के अधिक मंगाये गये। उपभोग की वस्तुओं और अनेक प्रकार के कच्चे मालों के आयात के कारण कुल आयात में जो कमी हुई थी वह अन्य वस्तुओं के आयात बढ़ जाने के कारण पूरी हो गई। जिन कच्चे मालों का आयात घटा है, वह प्राय अधिक परिमाण में देश में ही तैयार होने लगे हैं।

१९५७ के आयात में हुई वृद्धि की अपेक्षा निर्यात में थोड़ी ही वृद्धि हुई है। परन्तु यह थोड़ी सी वृद्धि भी इस बात का प्रमाण है कि देश की अर्थ-व्यवस्था सुधरती जा रही है और यह हमारी भुगतान सम्बन्धी स्थिति के आशाजनक हो जाने का एक लक्षण है। कोरिया-युद्ध के बाद आई मन्दी के कारण भारत के निर्यात में भी सामान्यतः कुछ मन्दी आ गई और समस्त संसार के निर्यात में उसका अनुपात घट गया। परन्तु १९५७ में निर्यात की स्थिति कुछ अनुकूल परिस्थितियों तथा निर्यात संवर्द्धन के लिये किये गये कुछ उपायों के फलस्वरूप अच्छी हो गई है। जनवरी से अक्तूबर १९५७ की अवधि में चाय के निर्यात में १२ करोड़ रु० और खनिज मैंगनीज के निर्यात में १० करोड़ रुपये की वृद्धि हो गयी है। यह वृद्धि गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में हुई है। इसी अवधि में कपड़े के निर्यात में ९ करोड़ रुपये की और जूट की सुतली तथा अन्य वस्तुओं के निर्यात में ७ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। जिन मुख्य वस्तुओं के निर्यात से हमें विदेशी विनिमय प्राप्त होता है उनमें चाय, कच्ची रुई, और वनस्पति तेलों का आयात १९५७ में घट गया। चाय का निर्यात वर्ष के शुरू में बहुत होने के बावजूद भी घट गया। पहले से निर्यात होती आने वाली वस्तुओं में से तम्बाकू, काजू की गिरी और मसालों का निर्यात सामान्यतः स्थिर रहा।

१९५७ में भी ब्रिटेन के साथ ही हमारा व्यापार मुख्य रूप से हुआ। परन्तु अन्य देशों के साथ जिनमें कि अमरीका और पश्चिमी जर्मनी उल्लेखनीय हैं, हमारा व्यापार असाधारण रूप से बढ़ा है। जनवरी से सितम्बर १९५६ की अवधि में ब्रिटेन से जहां १५८ करोड़ रुपये का माल आयात किया गया था, वहां १९५७ की इसी अवधि में १७८ करोड़ रुपये का आयात किया गया। भारत से ब्रिटेन को हुआ निर्यात इन अवधियों में १३१ करोड़ रु० से घट कर ११६ करोड़ रुपये रह गया। इस प्रकार जहां भारत के कुल निर्यात में १९५७ की अवधि में वृद्धि हुई है, वहां भारत के पुराने खरीदार ब्रिटेन को हुआ निर्यात घट गया है। दूसरी ओर भारत से अमरीका को हुआ निर्यात जनवरी से सितम्बर १९५६ की अवधि में ६३ करोड़ रुपये से बढ़कर १९५७ की इसी अवधि में ७४ करोड़ रुपये (चांदी छोड़कर) हो गया। इन्हीं अवधियों में अमरीका से भारत को हुआ आयात ६८ करोड़ रुपये से बढ़कर ११३ करोड़ रु० और पश्चिमी जर्मनी से भारत को हुआ आयात ५७ करोड़ रुपये से बढ़ कर ८६ करोड़ रुपये हो गया। जिन देशों के साथ व्यापार करार हुए हैं, उनके साथ भी भारत का व्यापार बढ़ा है, परन्तु यह वृद्धि कुल व्यापार में हुई वृद्धि के अनुपात में ही हुई है। रूस को १९५५ में जहां कुल ३ करोड़ रु० का माल भेजा गया था, वहां १९५६ में साढ़े ग्यारह करोड़ रुपये का भेजा गया और १९५७ के पहले ९ महीनों में १३ करोड़ रुपये से अधिक का भेजा गया। इस हिसाब से वार्षिक निर्यात की राशि लगभग १७॥ करोड़ रुपये आती है। चीन, चैकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड, रूमानिया और युगोस्लाविया को हुए निर्यात में भी काफी वृद्धि हुई है।

आयात नियन्त्रण नीति

अब तक लाइसेन्स देने की नीति की घोषणा प्रति कलैण्डर वर्ष में दो बार की जाती थी। इसके अनुसार जनवरी से जून १९५७ तक की छमाही की नीति दिसम्बर १९५६ में घोषित की गई। अब इस प्रणाली में परिवर्तन कर दिया गया है, जिसके अनुसार छमाही लाइसेन्स देने की अवधि वित्तीय वर्ष की २ छमाहियों के अनुसार रखी जाती है। इसलिए जुलाई १९५७ में घोषित की गई नीति केवल ३ महीने अर्थात् जुलाई से सितम्बर १९५७ तक के लिए थी और फिर बाद में नियमित छमाही की नीति अक्तूबर १९५७ से लेकर मार्च १९५८ तक के लिए सितम्बर १९५७ में घोषित की गई।

विदेशी विनिमय की गिरी हुई स्थिति को ध्यान में रखकर आयात नीति पर प्रतिबन्ध लगाने के क्रम को और कड़ा कर देना पड़ा। सामान्य और सुलभ मुद्रा क्षेत्र के जो खुले सामान्य लाइसेन्स ३० जून १९५७ को समाप्त हो गए, उन्हें फिर से नया नहीं किया गया। जुलाई से सितम्बर १९५७ की अवधि में कुछ ऐसी आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर जिन्हें खुली सामान्य लाइसेन्स सूची से हटा दिया गया था, पुराने आयातकों को कोई भी लाइसेंस देने की व्यवस्था नहीं की गई। स्वयं उपयोग करने वालों और लघु उद्योगों को केवल सीमित परिमाण में ही लाइसेंस देना जारी रहा। फलतः पुर्जों की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन में बाधा न पड़ने पाये इसलिए विशाल परिमाण में निर्माण करने वाले और ऐसे सोल विक्रेताओं एजेंटों को भी लाइसेंस देने की व्यवस्था की गई जिनके पास माल सप्लाई करने के लिए बड़े आर्डर पड़े हुए थे। जुलाई से सितम्बर १९५७ तक की अवधि में जिन पुराने आयातकों को कोटा नहीं दिया गया था, उन्हें अपने मौजूदा वैध लाइसेंसों को आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए

बदलवा लेने की अनुमति दी गई। जनवरी से जून १९५७ तक के ऐसे समस्त कोटे लाइसेन्सों को भी अतिरिक्त ३ महीनों के लिए वैध कर दिया गया है, जो कि पहले ६ महीनों के लिए वैध था। इस प्रकार काम में कोई गड़बड़ हुए बिना अधिक से अधिक बचत की गई।

सितम्बर १९५७ में समाप्त होने वाली तिमाही में जो विलम्ब किया गया था उसके कारण बहुत सहायता मिली और नई अवधियों की छमाहियां चालू करने में बहुत सुविधा हुई। लेकिन इस प्रकार से किफायत करने की आवश्यकता यथावत् बनी रही। मार्च १९५८ में समाप्त होने वाली छमाही की आयात नीति निर्धारित करते समय उपभोग की बहुत सी वस्तुओं, जैसे कि तम्बाकू से बनी चीजें, ऊनी कपड़े, साइकिल, घड़ियां, फाउण्टेन पेन, चीनी के बरतन, कांच के बरतन, छुरी, कांटे-चम्मच, इत्यादि के आयात पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक समझा गया। अधिक आवश्यक वस्तुएं जैसे बच्चों के लिए दुग्ध खाद्य अथवा नमकीन दुग्ध खाद्य या मसालों इत्यादि के कोटों में भारी कमी कर दी गई। व्यापार में अधिक लचीलापन और अधिक विविधता लाने के उद्देश्य से पारस्परिक सम्बद्ध वस्तुओं के लाइसेन्सों को परस्पर बदलने देने की भी व्यवस्था की गई। स्वयं उपयोग करने वालों को लाइसेन्स देने में भी मितव्ययता करने की कोशिश की गई। कारखानों को लाइसेन्स देते समय उनके पास प्रस्तुत कच्चे माल के स्टाक पर विचार कर लिया गया। निर्यात अथवा मितव्ययता में योग देने वाले उद्योगों की आवश्यकताओं को यद्यपि प्राथमिकता देना जारी रहा तथापि अन्य उद्योगों को इस बात के लिए प्रस्तुत किया गया कि वे देश में पैदा होने वाली वस्तुओं को ही काम में लाने का प्रयत्न करें। इस प्रकार उपलब्ध विदेशी विनिमय का अच्छे से अच्छा प्रयोग करने की कोशिश की गई परन्तु साथ ही यह ध्यान रखा गया कि औद्योगिक उत्पादनों को हानि न पहुँचे। देश देश से इंजीनियरी उत्पादन जैसी निर्मित वस्तुओं को अधिकाधिक परिमाण में निर्यात करने के उद्देश्य से पूरक लाइसेन्स देने की विशेष व्यवस्था की गई। परिवर्तित परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए असीमित परिमाण में पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिये अनुमति पत्र देते रहना सम्भव नहीं हुआ। आर्थिक व्यवस्था को यथोचित रूप से चलाते रहने के लिये आवश्यक वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाती रही। औद्योगिक मशीनों के आयात-कर में भारी कटौती कर दी गई। नये कारखानों के लिए तथा पुराने कारखानों के विस्तार के लिए औद्योगिक उपकरणों का आयात करने के उद्देश्य से जो आवेदन-पत्र दिये गये थे, उनकी बड़ी सख्ती के साथ जांच की गई। यह जांच "पूंजीगत वस्तुओं तथा भारी वैद्युत संयन्त्र समिति" नामक विशेष समिति करती है।

निर्यात नियन्त्रण

निर्यात नियन्त्रण में क्रमशः ढिलाई करते जाने की नीति १९५७ के वर्ष में भी सामान्यतः जारी रही। बहुत सी वस्तुएं लाइसेन्स प्राप्त वस्तुओं की सूची में सम्मिलित कर ली गईं। कण्ड्यूट पाइप ... अन्य सामान, शोधित ग्लीसरीन, रद्दी रेशम, हाथ से बुनी जाने वाली ऊन, ऐसबैस्टस के रेशे, कैशीन फलों के रद्दी रेशे, चिट्टा और ... का शीरा, ऐलूमिनियम की दोहरी हो जाने वाली नलियां, लोहे और इस्पात से बनी कुछ वस्तुएं, रेशम की चादरें इत्यादि इनमें उल्लेखनीय हैं। तम्बाकू के बीज की खली, सीसल की दरियां; फरनीचर लकड़ी की पेटियां, सन्दूकों आदि पर से नियन्त्रण हटा दिया गया है सन की रस्सियों के टुकड़े, रबड़, बैटरी रखने के लिए रबड़ के खोल सूती कालीन और दरियां, सूत तथा जूट की मिली जुली दरियां इत्यादि खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत रख दिये गये हैं। चीनी, धान की भूसी, तांबे की चादरें, पत्तियां और प्लेटें, सूखी हुई लाल मिरच इत्यादि के लिए कोटा निर्धारित किया गया है।

आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा रहा। खाद्यान्न, चावल, ज्वार, दालें और गेहूँ से बनी चीजों को बाहर भेजना वर्जित रहा। खाद्य तेलों के मूल्य ऊंचे रहने और देश में उनकी मांग अधिक होने के कारण मूंगफली के तेल, अरण्डी के तेल और अलसी के तेल के निर्यात पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

जब कभी निर्यात को पूरी तौर से चालू रखने की आवश्यकता हुई तो निर्यात शुल्क में संशोधन किया गया। नाइगर के तेल, करडी के तेल, बिनौले की खली, अलसी की खली, मूंगफली की खली का पूरी तौर से तेल निकाले हुए मूंगफली के चूरे पर से निर्यात शुल्क हटा दिया गया।

निर्यात संवर्द्धन

निर्यात नियन्त्रण के बदले अब निर्यात संवर्द्धन पर जोर दिया जाने लगा है। निर्यात को बढ़ाने और विविध प्रकार का करने के प्रयत्न का एकीकरण और निदेशन करने के उद्देश्य से विदेश व्यापार बोर्ड का पुनः संगठन किया गया। इसके अध्यक्ष विदेश व्यापार के डायरेक्टर जनरल रखे गये तथा इसकी प्रादेशिक शाखाओं, बगीचा उद्योग, कपड़ा उद्योग और राज्य व्यापार निगम के संयुक्त सचिव इसके सदस्य बनाये गये। निर्यात संवर्द्धन के डायरेक्टर को निर्यात संवर्द्धन कार्य में डायरेक्टर जनरल की सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया है। इस डायरेक्टरेट का मुख्य कार्य उद्योगों तथा व्यापार के क्षेत्रों से सम्पर्क स्थापित करना है जिससे कि उनकी कठिनाइयों का ठीक ठीक पता चल सके और उन्हें दूर करने के उपाय खोजे जा सकें। निर्यात संवर्द्धन के कार्य के लिये जो डायरेक्टरेट बनाई गयी है, उसके प्रत्येक कार्य के लिये २ डिप्टी डायरेक्टरों को रखा गया है। डायरेक्टरेट का काम बढ़ जाने के कारण बन्दरगाहों में फील्ड आफिस खोलने पर विचार हो रहा है।

निर्यात संवर्द्धन परिषदें स्थापित करने के लिये अब तक जिस नीति का अवलम्बन किया जा रहा था, वह आलोच्य अवधि में भी

जारी रही। जून १९५७ में चमड़े के लिए एक निर्यात संवर्द्धन परिषद् स्थापित की गई। व्यापारिक जानकारी तथा अंक संकलन के डायरेक्टर जनरल इसके अध्यक्ष नियुक्त किये गये और इसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता में रखा गया। इस परिषद् के बन जाने के बाद निर्यात संवर्द्धन परिषदों की कुल संख्या ६ हो गई है। तेल के सामान तथा रसायनिक पदार्थों और सम्बद्ध उत्पादनों के लिए निर्यात संवर्द्धन परिषदें बनाने का प्रारम्भिक कार्य समाप्त हो गया है और आशा है, आगामी कुछ सप्ताहों में ही ये परिषदें भी स्थापित हो जायेंगी।

इन परिषदों से अपने साधारण कार्य क्रम के अतिरिक्त निर्यात व्यापार में भी सहायता करने को कहा गया। इसके द्वारा किये जाने वाले नीचे लिखे कुछ महत्वपूर्ण कार्य विशेषतः उल्लेखनीय हैं।—

(क) *सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद्*:—इस परिषद् के सचिव ने सरकारी व्यापार शिष्ट मण्डल के एक सदस्य के नाते पश्चिमी जर्मनी का दौरा करने के बाद मध्य यूरोप तथा स्कैंडिनेविया के देशों का दौरा किया और भारतीय सूती कपड़े के बाजार वहां खोज निकालने के लिये सर्वेक्षण किया। इस दौरे में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर सूती कपड़े के छोटे छोटे प्रदर्शनों का भी आयोजन किया।

आस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, न्यूजीलैंड और पूर्वी अफ्रीका में सूती कपड़े के बाजार विषयक जानकारी तैयार करके भारतीय कपड़ा निर्माताओं और निर्यातकों को बांटी गई।

(ख) *रेशम तथा रेयन कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद्*:—इस परिषद् ने भारतीय प्रतिमान शाला और रेशम तथा नकली रेशम मिल्स गवेषणा संघ के सहयोग से रेयन के मुख्य मुख्य किस्म के कपड़ों के अस्थायी प्रतिमान निर्धारित किये हैं। परिषद् ने तथ्यों की जांच करने के लिए एक योजना बनाई है, जो सूती कपड़ा कोष समिति की सहायता से चालू की जायगी।

(ग) *इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद्*:—इस परिषद् ने अगस्त-सितम्बर १९५७ में पश्चिमी एशिया के कुछ देशों को एक व्यापारिक शिष्ट मण्डल भेजा जो अफगानिस्तान, ईरान, कुवैत, बहरीन, इराक, लेबनान, जार्डन तथा मिस्र गया। परिषद् ने देश के विविध इंजीनियरी उद्योगों का सर्वेक्षण करने का जो कार्यक्रम बनाया है उसके अनुसार आलोच्य अवधि में १० उद्योगों का सर्वेक्षण समाप्त किया गया। अनेक इंजीनियरिंग उत्पादनों के प्रतिमान निर्धारित करने में भी परिषद् ने भारतीय प्रतिमान शाला को सहायता प्रदान की है।

इंजीनियरिंग उत्पादनों के लिये ईरान, इथोपिया, थाइलैण्ड, सीरिया, मिस्र, लेबनान, कुवैत और बहरीन में बाजार खोज निकालने के लिये सर्वेक्षण किये गये। परिषद् ने मोम्बासा और रंगून में भी कार्यालय खोले हैं जिससे इन क्षेत्रों में इंजीनियरी सामान के निर्यात की देखभाल की सके।

(घ) *प्लास्टिक निर्यात संवर्द्धन परिषद्*—अदन और घाना में प्लास्टिक का सामान खपाने के उद्देश्य से बाजारों का सर्वेक्षण समाप्त हो गया है। इस प्रकार प्राप्त हुई जानकारी परिषद् के सदस्यों को दी जा चुकी है।

निर्यात को उत्तेजन

व्यापार को प्रत्यक्ष उत्तेजन देने की कोई योजना तैयार करना सम्भव नहीं हुआ है। परन्तु उसे हतोत्साहित करने वाले कारणों को दूर करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं जिससे निर्यातक विदेशों में अपनी वस्तुओं के लिए बाजार बना सकें। कच्चे माल पर लिये गये आयात शुल्क की वापसी के नियम सरल कर दिये गये हैं और ३३ वस्तुओं के विषय में ये नियम प्रकाशित कर दिये गये हैं। अन्य ४४ वस्तुओं के बारे में भी नियम तैयार किये जा रहे हैं। छुरियों, तकियों के गिलाफों, चादरों, शेलों, कढ़ाई की हुई वस्तुओं, मिठाइयों, बिस्कुट इत्यादि में प्रयुक्त हुए कच्चे माल के उत्पादन शुल्क में छूट देने की प्रणाली भी निर्धारित कर दी गई है। इसी प्रकार उन वस्तुओं के बारे में भी आयात शुल्क की वापसी तथा उत्पादन शुल्क की छूट सम्बन्धी नियम जारी किये जा चुके हैं जिनमें आयात किये हुए हिस्से भी लगाने हैं तथा ऐसी देशी वस्तुएं भी जिन पर उत्पादन शुल्क भी दिया जा चुका है। इस प्रकार अब आयात तथा उत्पादन शुल्क देश में बनी हुई वस्तुओं का निर्यात करने में बाधक सिद्ध नहीं होंगे।

निर्माताओं को लोहा तथा इस्पात जैसे ये कच्चे माल सरलता से उपलब्ध कराने के लिए बनाई जाने वाली वस्तुएं तैयार करते हैं। लोहा और इस्पात कण्ट्रोलर एक ऐसी योजना चला रहे हैं जिसके द्वारा इंजीनियरी उद्योगों के लोहा तथा इस्पात सम्बन्धी कोटों का माल समाप्त होते ही अतिरिक्त माल दे दिया जाता है। नकली रेशम के धागे, रेयन तथा अन्य ऐसी ही वस्तुओं के लिए भी निर्यात संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत आयात लाइसेंस जारी किये जा रहे हैं। रेशम बोर्ड की मार्फत कच्चा रेशम प्रदान करने का भी प्रबन्ध किया गया है।

निर्यात संवर्द्धन डाइरेक्टरेट

निर्यात संवर्द्धन डाइरेक्टरेट निर्यातकों को उनके पूरे डिब्बे भर माल को देश के भीतरी स्थानों से बन्दरगाहों तक पहुंचाने में सहायता करता है। इस सम्बन्ध में रेल महसूल ठीक करने के निवेदन विचाराधीन हैं। परन्तु निर्यात के माल का विशेष महसूल लेना सम्भव नहीं हुआ है। निर्यातकों की शिकायत है कि उन्हें अपना माल भेजने लिये अभी जहाजों में काफी स्थान नहीं मिलता और महसूल भी अधिक लिया जाता है। बम्बई में एक विशेष अफसर के अधीन एक सम्पर्क कार्यालय खोला गया है जो निर्यातकों की कठिनाइयों पर विचार करता है तथा उनकी ओर से जहाजी कम्पनियों से बातचीत करता है जिससे कोई ऐसा हल निकल आये जो निर्यातकों तथा जहाज मालिकों दोनों के ही लिये ठीक हो।

फरवरी १९५७ में निर्यात संवर्द्धन के सभी अंगों का व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए एक निर्यात संवर्द्धन समिति बनाई गई थी। प्रो० डी० सोजा इस समिति के अध्यक्ष थे। समिति ने बन्दरगाहों तथा निर्यात केन्द्रों का दौरा किया और ३१ अगस्त १९५७ को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की कई सिफारिशें अमल में ले आई गई हैं और शेष पर विचार हो रहा है।

निर्यात संवर्द्धन सलाहकार समिति

बन्दरगाहों में निर्यात संवर्द्धन सलाहकार समितियां बना दी गई हैं। इनमें अनुभवी व्यापारी रखे गये हैं और बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास स्थित आयात तथा निर्यात के ज्वाइन्ट चीफ कण्ट्रोलर इन समितियों के अध्यक्ष हैं। ये समितियां अपने क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्यात होने वाली वस्तुओं का अध्ययन करती हैं और देश के भीतरी भागों में तैयार की जाने वाली उन वस्तुओं के निर्यात की सम्भावनाओं की छानबीन करती हैं जो अभी देश के लिए विदेशी विनिमय के उपार्जन में पर्याप्त भाग नहीं ले रही हैं। मदरास की समिति ने वस्तुओं तथा बन्दरगाहों के अनुसार निर्यात लक्ष्यों की एक सूची तैयार करने और उनके निर्यात के लिये आवश्यक परिस्थितियां तैयार करने का निश्चय किया है। बम्बई की समिति ने अपनी कई उपसमितियां बनाई हैं जो अलग-अलग समस्याओं का गहरा अध्ययन कर रही हैं।

व्यापारिक प्रतिष्ठानों की पंचायत व्यवस्था के विषय में अधिक प्रगति नहीं हो सकी। फेडरेशन आफ इण्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ने अमेरिका तथा जापान के केन्द्रीय पंचायत संघों के साथ पंचायत सम्बन्धी करार किये हैं। फेडरेशन से अनुरोध किया गया है कि वह केन्द्रीय पंचायत सुविधाओं का विस्तार करने की सम्भावनाओं के बारे में जांच पड़ताल करे। विदेशों में स्थित हमारे व्यापार प्रतिनिधियों के पास से इस सम्बन्ध में मिली जानकारी फेडरेशन को दे दी गई है।

निर्यात जोखिम बीमा निगम

निर्यात साख गारन्टी समिति ने १९५६ में सरकार को जो रिपोर्ट दी थी उसमें की गई सिफारिशों के अनुसार सितम्बर १९५७ में निर्यात जोखिम बीमा निगम स्थापित किया गया। इसका प्रधान कार्यालय बम्बई में रखा गया। श्री रतिलाल एम० गान्धी इसके अध्यक्ष और श्री टी० सी० कपूर इसके मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं। निगम निर्यातकों को उनके निर्यात व्यापार में उन जोखिमों के बीमा करने को सुविधाएं प्रदान करता है जो साधारण बीमा कम्पनियों से प्राप्त नहीं होतीं। २८ फरवरी १९५८ तक निगम ने ६८ पालिसियां जारी कीं और अधिक से अधिक १३२६४ लाख तक का बीमा किया।

प्रदर्शनियां और मेले

प्रदर्शनी निदेशालय (डायरेक्टरेट आफ एग्जीबीशन) ने अपना कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया और भारतीय वस्तुओं का दृश्य प्रचार करने की अपनी प्रणाली में सुधार कर लिया जिससे उन वस्तुओं के प्रति उपभोक्ताओं की दिलचस्पी बढ़े। विदेशों में हुई बहुत सी प्रदर्शनियों तथा मेलों में भारत ने काफी बड़े पैमाने पर भाग लिया। इनमें से विशेष उल्लेखनीय हैं:—लीपजिग में हुए वसंतकालीन तथा हेमन्तकालीन मेले, संयुक्त राज्यों का पहला विश्व व्यापार मेला, न्यूयार्क; जापान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, टोकियो; दमिश्क (सीरिया), पोजनान अन्तर्राष्ट्रीय मेला, पोजनान (पोलैण्ड)। ट्रीस्ट, मिलान, स्टाकहोम, कोलोन, पेरिस और मार्सलीज में हुए मेलों में कुछ छोटे पैमाने पर भाग लिया गया। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन और उसके व्यापारिक सहयोगियों की सहायता से पोजनान और लीपजिग में हुए मेलों में काफी मूल्य के सौदे किये गये। चीन के पीकिंग शहर में तथा सूडान के खारतूम शहर में पूर्णतः भारतीय प्रदर्शनियां की गयीं। इनमें बड़ी संख्या में दर्शक आये और इससे भारत के नये उद्योगों द्वारा निर्मित चीजों में व्यापक दिलचस्पी पैदा हुई।

विभिन्न स्थानों में चलने वाले प्रदर्शन कक्षों (शोरूम्स) तथा व्यापार केन्द्रों (ट्रेड सेन्टर्स) से भारतीय व्यापारियों को सुविधाएं मिलती रहीं जिससे वे अपना माल विदेशों के आयातकों के समक्ष रख सकें। न्यूयार्क स्थित व्यापार केन्द्र भारतीय हथकरघे और दस्तकारी की चीजों के प्रति वहां के डिपार्टमेन्टल स्टोरों, ड्रेस डिजाइनरों और उपहार गृहों (गिफ्ट स्टोरों) की दिलचस्पी पैदा करने में काफी सफलता प्राप्त कर सका। तेहरान (ईरान) कोलम्बो (लंका), बंकाक (थाईलैण्ड), जकार्ता (इंडोनेशिया) और करांची (पाकिस्तान) में चल रहे प्रदर्शन कक्षों में प्रदर्शित वस्तुएं नियत समय के बाद बदल दी जाती हैं। काहिरा में एक नया व्यापार केन्द्र खोला गया है। आशा है कि इस केन्द्र के खुलने से भारतीय चीजों के प्रति मिस्रवासियों की दिलचस्पी बनाये रखने में मदद मिलेगी। जद्दा (सऊदी अरब) में एक प्रदर्शन कक्ष शीघ्र ही खोलने का प्रस्ताव है।

अक्तूबर-नवम्बर १९५७ में नयी दिल्ली में हुए अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रास सम्मेलन के अवसर पर विज्ञान भवन में भारतीय औषधों, भेषजों तथा शल्यचिकित्सा के उपकरणों की एक प्रदर्शनी की गयी। इस सम्मेलन में आये प्रतिनिधियों ने प्रदर्शित वस्तुओं में दिलचस्पी दिखायी।

व्यापार करार

इस वर्ष बहुत से नये व्यापार करार किये गये और जिनकी अवधि समाप्त हो गई, उनका नवीकरण किया गया। अभी तक २४ देशों से व्यापार करार किये जा चुके हैं। वे देश ये हैं:—अफगानिस्तान, आस्ट्रिया, बल्गारिया, बरमा, लंका, चिली, चीन, चैकोस्लोवाकिया, मिस्र, फिनलैंड, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, हंगरी, इंडोनेशिया, इराक, इटली, नारवे, पाकिस्तान, पोलैंड, रूमानिया, स्वीडन, सोवियत संघ,

उत्तरी वियतनाम और युगोस्लाविया। आठ देशों अर्थात् मिस्र, बरमा, चिली, पाकिस्तान, पूर्वी जर्मनी, उत्तरी वियतनाम तथा युगोस्लाविया से हुए व्यापार करार लागू रहे। ६ देशों अर्थात् इराक, इटली, फिनलैण्ड, आस्ट्रिया, चीन तथा चैकोस्लोवाकिया ने वर्तमान करारों की अवधि आगे बढ़ा दी है और जहां आवश्यक समझा है, उनमें संशोधन कर दिये हैं। पश्चिमी जर्मनी, स्वीडन, नार्वे, सोवियत संघ, फिनलैण्ड, बल्गारिया और रूमानिया से हुए व्यापार करारों से सम्बद्ध अनुसूचियों में संशोधन किया गया। भारत-लंका तम्बाकू करार की अवधि ३१ अगस्त, १९५७ को समाप्त हो गई और उसके स्थान पर एक नया करार किया गया। इंडोनेशिया, इराक और हंगरी से हुए करारों की अवधि ३१ दिसम्बर, १९५७ को समाप्त हो गयी और आशा है कि इनकी अवधि आगे बढ़ा दी जाएगी।

अफगानिस्तान से एक नया करार किया गया। इससे दोनों देश अपनी अपनी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों के बाद भी व्यापार को संतुलित आधार पर रख सकते हैं। मिस्र से हुए करार में रुई का आयात एक विशेष भुगतान प्रणाली के आधार पर करने की व्यवस्था की गयी जिसके अनुसार रुई की बिक्री से प्राप्त धन एक विशेष रुपया खाते में रखा जाएगा और इसे राज्य व्यापार निगम मिस्र को भारतीय माल के निर्यात के लिए प्रयोग करेगा।

व्यापार प्रतिनिधि मण्डल

जर्मन सरकार के निमन्त्रण के अनुसार भारत सरकार ने एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल जर्मनी के संघीय गणराज्य को भेजा जिसका काम उस देश के साथ भारत का व्यापार बढ़ाने की सम्भावनाएं खोजना तथा उससे घनिष्ट आर्थिक और व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना था। दूसरा प्रतिनिधि मण्डल पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा के बीच माल आने-जाने के लिए सुविधाएं देने के सिलसिले में हुए सम्मेलन में भाग लेने ढाका गया। भारत-पाकिस्तान व्यापार करार पर किस तरह अमल हो रहा है, इसका लेखा जोखा करने तथा पाकिस्तान से व्यापार बढ़ाने के हेतु उपयुक्त सुविधाएं प्राप्त करने के उपाय खोजने के उद्देश्य से एक व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल कराची गया। व्यापार सम्बन्धी बातचीत करने और व्यापार बढ़ाने की सम्भावनाएं खोजने के लिए डेन्मार्क, स्वीडन, फिनलैंड, सं० रा० अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, आस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, उत्तरी कोरिया, चैकोस्लोवाकिया, मिस्र, सूडान, बर्मा, लंका और घाना से व्यापार प्रतिनिधि मंडल भारत आए। सऊदी अरब से एक व्यापार-सह-सद्भावना दल शीघ्र ही इस देश आने की सम्भावना है।

तटकर तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार

तटकर तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार का भारत एक संविदाकारी पक्ष है। संविदाकारी पक्षों का १२वां अधिवेशन जिनेवा में १७ अक्तूबर १९५७ से शुरू हुआ और नवम्बर १९५७ के अंत तक चलता रहा। भारत सरकार ने इस अधिवेशन में होने वाली कार्रवाई में भाग लिया। इस अधिवेशन में और बातों के साथ इन बातों पर भी विचार किया गया :—यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना करने वाली संधि तथा उस समुदाय के सदस्य देशों के गाट (तटकर तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार) के अन्तर्गत दायित्व, भारत तथा अन्य देशों द्वारा शोधन-सन्तुलन (बैलेन्स आफ पेमेंट्स) की कठिनाइयों के कारण लगाये आयात प्रतिबन्धों पर सलाह मशवरा और गाट से सम्बद्ध आयात शुल्क विषयक रियायतों से सम्बन्धित अनुसूचियों में घट-बढ़ करने के लिए बातचीत।

एशिया तथा सुदूरपूर्वीय आर्थिक आयोग की उद्योग तथा व्यापार विषयक समिति का नवां अधिवेशन तथा मुख्य आयोग का १३वां अधिवेशन बैंकाक में मार्च अप्रैल १९५७ में हुआ।

यूरोपीय आर्थिक आयोग क्या कुछ कर-धर रहा है, इसकी जानकारी रखने के लिए यह निश्चय किया गया कि भारत यूरोपीय आर्थिक आयोग की बैठकों में एक प्रेक्षक की हैसियत से भाग ले। यह भी निश्चय किया गया कि यूरोपीय आर्थिक आयोग के जो भी कागज पत्र आयें, उन्हें व्यावहारिक आर्थिक गवेषणा की राष्ट्रीय परिषद् (नेशनल कौंसिल आफ एप्लाईड इकोनामिक रिसर्च) जो कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की आवश्यकताएं पूरी करेगी और जो इस काम में दिलचस्पी ले सकती है, तथा उससे सम्बद्ध गवेषणा संस्थाओं के पास रखा जाए।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय पण्य व्यापार आयोग (कमीशन आन इंटरनेशनल कमोडिटी ट्रेड) का १ जनवरी १९५८ से ३ साल के लिए पुनः सदस्य निर्वाचित हो गया।

स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, (प्रा०) लि०

व्यापार के परिमाण और कारोबार की विविधता की दृष्टि से स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने इस साल और भी प्रगति की। इसने खासे बड़े परिमाण में सौदे किये और अपने आयात-निर्यात व्यापार की सूची में बहुत सी वस्तुएं बढ़ा ली। कारपोरेशन की मुख्य कोशिश यही रही कि देश के विदेशी व्यापार में विविधता लायी जाए और पूरक के रूप में काम किया जाए। निर्यात के लिए नये बाजार बनाये गये और देश की जरूरी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए आयात के नये स्रोत खोजे गये। भारतीय जूता, दस्तकारी की चीजें तथा ऊनी कपड़ा को सोवियत संघ, पोलैंड और चैकोस्लोवाकिया को निर्यात किया गया। सन हैम्प तथा टाट को वियतनाम प्रजातांत्रिक गणराज्य को तथा नमक को इंडोनेशिया को निर्यात किया गया। पर्याप्त मात्रा में चन्दन का तेल सोवियत संघ, रद्दी रुई और पौधे हंगरी तथा चीनी वियतनाम के

हाथ वेची गयी। इसी प्रकार आयात के क्षेत्र में चीन से कास्टिक सोडा तथा सोडा एश मंगाया गया तथा विभिन्न किस्मों की मशीनें सोवियत रूस तथा पूर्वी यूरोपीय देशों से मंगायी गयीं।

चूंकि बड़े परिमाण में खनिज पदार्थों को इधर उधर लाने ले जाने से विदेशी खरीदार को माल भेजने में आसानी रहती है और उनको दिलचस्पी बनी रहती है इसलिए भारत सरकार ने लोह खनिज का निर्यात स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की मार्फत १ जुलाई १६५७ से करने का फैसला किया। इसके बाद से कारपोरेशन लोह खनिज के निर्यात के लिए बड़े परिमाण के सौदे कर चुका है। जापानी इस्पात मिलों से दीर्घकालीन व्यवस्था करली गई है जिसके अनुसार ५ वर्ष की अवधि में ७२ लाख टन लोह खनिज का निर्यात किया जाएगा। पोलैंड और चैकोस्लोवाकिया की खरीद संस्थाओं से भी इसी तरह के सौदे किये गये हैं।

कारपोरेशन ने अनुसम्बन्धित व्यापार व्यवस्था करने का क्षेत्र अपने लिए विशेषतः चुना है अर्थात् आवश्यक चीजों के आयात को भारतीय वस्तुओं के निर्यात से अनुसम्बद्ध कर दिया जाता है। इसके अनुसार मैसर्स डिया मैशीनन एक्सपोर्ट्स बर्लिन से वस्त्र उद्योग की मशीनें आयात की जाएंगी और इनके बदले भारतीय वस्तुओं का निर्यात होगा तथा वियतनामी प्रजातांत्रिक गणराज्य के हाथ भारतीय टाट वेचकर वहां से चावल खरीदा जाएगा। आयात को निर्यात से अनुसम्बद्ध करने की सामान्य व्यवस्थाएं सोवियत संघ, हंगरी, रुमानिया, चेकोस्लोवाकिया और मिस्र के साथ की गयी हैं। इन व्यवस्थाओं का परिणाम यह हुआ है कि परम्परागत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा मिला और निर्यात व्यापार में नयी वस्तुओं का समावेश किया जा सका है। विलम्बित भुगतान की शर्तों पर भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए मशीनों के आयात के लिए कारपोरेशन ने जापानी टैक्सटाइल मशीनरी एसोशियेशन से एक करार किया है।

कारपोरेशन एक सेवा संस्था का काम भी कर रहा है। यह खरीदारों और विक्रेताओं को मिलाता है, व्यापारिक सौदों पर अमल करने में सहायता देता है और शांति के साथ झगड़े निबटाने के लिए मध्यस्थता भी करता है। सरकारी विभागों तथा औद्योगिक संचालकों को आवश्यक संयंत्र, मशीनें तथा कच्चा माल लाभप्रद शर्तों पर दिलाने में तथा जूता निर्माताओं, खास दस्तकारियों के छोटे उत्पादकों तथा छोटे पैमाने पर ऊनी कपड़ा बनाने वालों को निर्यात के लिए उत्पादन करने में कारपोरेशन ने सहायता पहुँचाई।

कारपोरेशन ने विदेशों में हुए औद्योगिक मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लिया जिससे भारत का वैदेशिक व्यापार बढ़ाया जा सके। पोजनान की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में गये भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधि दल का नेतृत्व कारपोरेशन के एक प्रतिनिधि ने किया। इस प्रदर्शनी में खासी बड़ी रकम के व्यापारिक सौदे किये गये। भारत सरकार द्वारा पीकिंग में की गयी भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी में तथा प्राग, जगरेव और लीपजिग मेलों में भी कारपोरेशन ने भाग लिया।

३० जून १६५७ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की कारपोरेशन की पहली वार्षिक रिपोर्ट नवम्बर १६५७ में संसद में प्रस्तुत की जा चुकी है। उस तारीख को कारपोरेशन के हानि-लाभ के विवरण में बताया गया है कि व्यापार खाते में कारपोरेशन को ३२.५४ लाख रु० का शुद्ध लाभ हुआ है।

वायदा बाजार

आलोच्य वर्ष में वायदा बाजार आयोग ने गुड़, गेहूँ, चना और सोने-चांदी के वायदा बाजारों का नियमन करने के प्रश्न पर अपनी रिपोर्टें पेश कीं। सरकार ने गेहूं और चने के सम्बन्ध में आयोग की यह मुख्य सिफारिश स्वीकार कर ली कि इनके वायदे के सौदों पर लगा मौजूदा प्रतिबन्ध लागू रहे। सरकार ने यह निश्चय किया कि गुड़ के वायदा बाजारों का नियमन करने की इस समय जरूरत नहीं है और न चीनी का वायदा बाजार फिर शुरू करने की जरूरत है। सोने और चांदी सम्बन्धी रिपोर्टें अभी विचाराधीन हैं।

आलोच्य वर्ष में आयोग की सिफारिश पर अलेप्पी तेल मिल मालिक तथा व्यापारी संघ को नारियल के तेल का वायदा व्यापार करने के लिए मान्यता दी गयी। कलकत्ते में जूट और जूट के माल का विनियमित वायदा बाजार शुरू करने के लिए व्यापारियों के परामर्श से सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं।

रुई के बाजार में डिलीवरी वाले अहस्तांतरणीय विशिष्ट सौदों का दुरुपयोग किया जाना बढ़ता ही जाता है, जिसे सरकार कुछ अरसे से चिन्ता की दृष्टि से देखती है। इन सौदों का सट्टे के लिए प्रयोग रोकने के लिए, बृहत्तर बंबई में इन्हें वायदा सौदा (नियमन) अधिनियम १६५२ की नियमन सम्बन्धी धाराओं के अधीन ले आया गया है।

वायदा सौदा (नियमन) संशोधन विधेयक १६५७, १७ सितम्बर १६५७ को कानून बन गया। इसमें मान्यता प्राप्त असोशियेशनों के संचालक मंडल में विभिन्न हितों का संतुलित प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव की पैनल वाली पद्धति अपनाने और इससे सम्बन्धित अन्य बातों की व्यवस्था की गयी है।

वर्ष की अंतिम तिमाही में सट्टे के कारण मूंगफलियों के भाव बहुत चढ़ गये। इसके फलस्वरूप कमीशन ने खुले बाजार में की गयी शुद्ध

खरीद पर स्पेशल मार्जिन लागू कर दिया। इससे मूंगफली के बाजार में कुछ स्थिरता आ गयी। नारियल के तेल के सौदों पर भी स्पेशल मार्जिन लागू किया गया क्योंकि उसके भावों में बराबर वृद्धि हो रही थी।

आलोच्य वर्ष में आयोग ने राज्य सरकारों की सहायता से सुनिश्चित कदम उठाये जिससे विभिन्न नियमित वस्तुओं के गैर कानूनी वायदा सौदों को समाप्त किया जा सके। आयोग ने बम्बई, इन्दौर, श्री गंगानगर तथा अहमदाबाद में इस तरह के गैर कानूनी बाजारों पर छापे मारे इनमें पकड़े गये लोगों पर मुकदमें चल रहे हैं और इस तरह की कार्यवाइयों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है।

भारतीय रुपये का मूल्य : विभिन्न देशों की मुद्राओं में

देश	भारतीय मुद्रा		विदेशी मुद्रा
१. पाकिस्तान	१०० रु०	=	९९ पाकिस्तानी रु० १५ आ०
२. लंका	१०० रु० ४५ न.पै०	=	१०० लंका के रु०
३. बरमा	१०० रु० ३० न.पै०	=	१०० क्यात
४. अमेरिका	४७५ रु० २६ न.पै०	=	१०० डालर
५. कनाडा	४८५ रु० ८५ न.पै०	=	१०० डालर
६. मलाया	१५५ रु० ९० न.पै०	=	१०० डालर
७ हांगकांग	८२ रु० ९० न.पै०	=	१०० डालर
८. ब्रिटेन	१ रु०	=	१ शि० ५-३१/३२ पैंस
९. न्यूजीलैण्ड	१ रु०	=	१ शि० ५-३१/३२ पैंस
१०. आस्ट्रेलिया	१ रु०	=	१ शि० १०-५/१६ पैंस
११. दक्षिणी अफ्रीका	१ रु०	=	१ शि० ५-१५/१६ पैंस
१२. पूर्वी अफ्रीका	६७ रु० १३ न.पै०	=	१०० शि०
१३. मिस्र	१३ रु० ८१ न.पै०	=	१ पौंड
१४. फ्रांस	१०० रु०	=	८७८०-५/८ फ्राक
१५. बेलजियम	१०० रु०	=	१०३८-२९/३२ फ्राक
१६. स्विटजरलैण्ड	१०० रु०	=	९१-१९/३२ फ्राक
१७. पश्चिमी जर्मनी	१०० रु०	=	८७ ७/८ मार्क
१८. नीदरलैण्ड	१०० रु०	=	७९-१/४ गिल्डर
१९. नारवे	१०० रु०	=	१४९-३/८ क्रोनर
२०. स्वीडन	१०० रु०	=	१०८ ११/३२ क्रोनर
२१ डेनमार्क	१०० रु०	=	१४४ ७/१६ डेनमार्क क्रोनर
२२. इटली	१०० रु०	=	१३०२९-५/३२ लीरा
२३. जापान	१ रु०	=	७५.३ येन
२४ फिलिपाइन	२३८ रु० २८ न.पै०	=	१०० पीसो
२५. इराक	१,३३८ रु०	=	१०० दीनार

(ये विनिमय दरें फरवरी १९५८ में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार हैं।)

इंजीनियरी और धातुशोधन उद्योग को कच्चे माल की कमी

★ *संयन्त्र और मशीनें विदेशों से मंगाने में कठिनाई*

आलोच्य वर्ष में इंजीनियरी उद्योगों ने अच्छी प्रगति की है। उत्पादन का रुख वृद्धि की ओर रहा और नयी उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिये उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये बहुत से आवेदन-पत्रों पर सरकार ने लाइसेन्स दिये। विदेशी विनिमय की कमी ने इस उद्योग के सामने अनेक बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। इंजीनियरी उद्योग के मुख्य कच्चे माल इस्पात और अलौह धातुएं हैं और देश इनके लिए आयात पर निर्भर रहता है। विदेशी मुद्रा की विषम परिस्थिति से विवश होकर इंजीनियरी उद्योगों की कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं। उनके लिए पर्याप्त परिमाण में कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता। बहुत से कारखानों की विस्तार योजनाओं की प्रगति भी सन्तोषजनक रूप में नहीं हो सकी; क्योंकि यह उद्योग जो संयन्त्र विदेशों से मंगाना चाहता है उनके लिए उन्हें विदेशी विनिमय नहीं मिल पाता।

भारी मैकेनिकल इंजीनियरी उद्योग

इंजीनियरी उद्योग की इस शाखा में इस समय उत्पादन क्षमता का काफी विस्तार किया जा रहा है। १९५६ में ढांचे बनाने की क्षमता का जो अनुमान १,५०,००० टन प्रति वर्ष था वह नये कारखाने और पुराने कारखानों का विस्तार हो जाने पर ढांचों का उत्पादन ४,४०,००० टन प्रतिवर्ष तक बढ़ जायेगा। नये कारखाने और पुराने कारखानों की विस्तार योजनाओं के फलस्वरूप विशेष प्रकार की वस्तुएं बनने लगेंगी। बड़े व्यास वाले पाइप, संग्रह करने की टंकियां और विभिन्न प्रकार के क्रेन इनमें उल्लेखनीय हैं। इन वस्तुओं की देश में बहुत आवश्यकता अनुभव की जा रही है। रेलवे बोर्ड से घनिष्ठ सम्पर्क रखते हुए मन्त्रालय की विकास शाखा ने डिब्बे बनाने के समस्त आवेदन-पत्रों पर प्रादेशिक और शैल्पिक अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया। ३६,००० डिब्बे प्रति वर्ष तैयार करने की क्षमता के लिए १६ फर्मों को लाइसेन्स दिये गये। रेलवे उपकरण समिति ने १९६०-६१ तक की अवधि के लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया है। बड़े मैकेनिकल इंजीनियरी उद्योगों के उत्पादन में ई० आर० डबल्यू० ट्यूबों का निर्माण उल्लेखनीय है जो कि १९५७ में दो कारखानों ने पहली बार किया है। विभिन्न प्रकार के इंजीनियरी उद्योगों में इन ट्यूबों का अनेक प्रकार से उपयोग किया जाता है। धातुओं की झलाई करने वाले इलैक्ट्रोड बनाने के उद्योग ने इस वर्ष अपना उत्पादन काफी बढ़ा लिया है।

हल्के मैकेनिकल इंजीनियरी उद्योग

इस वर्ग में कुछ ऐसे उद्योग आते हैं जो कि उपभोग की और साधारण इस्तेमाल की वस्तुएं तैयार करते हैं। आलोच्य वर्ष में इन उद्योगों ने कुछ नई वस्तुएं तैयार की हैं। इनमें इंजेक्शन की सुइयां और सिलाई की मशीनों की सुइयां उल्लेखनीय हैं। ये दोनों ही वस्तुएं पहली बार देश में बननी आरम्भ हुई हैं। आलोच्य अवधि में सिलाई की मशीनों, बाल-बेयरिंग, रेजर-ब्लेड, साइकिल और साइकिल के हिस्सों का निर्माण भी काफी बढ़ गया है। सेफ्टी रेजर ब्लेड अब इतनी अधिक मात्रा में बनाये जाने लगे हैं कि वे देश की आवश्यकता पूरी कर सकेंगे।

१९५६ की अपेक्षा १९५७ में जूट मिल की मशीनों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। बुनाई मशीनों के उद्योग ने इस वर्ष भी तरक्की की है, जैसा कि नीचे दिये गये उत्पादन के आंकड़ों से प्रगट होता है:—

	१९५६	१९५७ (नवम्बर तक)
कारडिंग इन्जन	७२६	८८३
ड्राइंग फ्रेम	२४	३०
स्पीड फ्रेम	२६	३०
रिंग फ्रेम	१११०	१२५५

करघे (सादा)	२७१२	२४२५
करघे (स्वचालित)	१६१	२८२
लपेटने की मशीनें	११५८	१८४१
बंडल बनाने की प्रेस	७८	१०२
गाठ बाधने के प्रेस	१०	२३

इस उद्योग की प्रगति अल्पकाल में भी अच्छी रही है। ३ बड़ी वस्तुएं अर्थात रिंग फ्रेम, करघे और कार्डिंग इंजनों के उत्पादन में विशेष प्रगति हुई है। अब स्वदेशी निर्माता इन वस्तुओं की माग पूरी कर सकते हैं।

इस वर्ष आयात भी काफी करना पड़ा, क्योंकि उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य पूरे करने तथा पुरानी मशीनों के स्थान पर नयी मशीनें लगाने और आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में काफी अधिक मशीनों की आवश्यकता हुई। हमारे विदेशी विनिमय के सीमित साधनों का भार कम करने के लिए और देश में खपने वाले कपड़े के बढ़ते हुए उत्पादन लक्ष्य पूरा करने के लिए कपड़ा मिलों का उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक है। पुरानी मशीनें हटा कर नयी मशीनें लगाना और पुराने कारखानों का विस्तार करने के लिए भी मशीनों की बहुत आवश्यकता है। यह आवश्यकता पूरी करने और साथ ही उत्पादन की किस्म भी उच्च कोटि की बनाये रखने के उद्देश्य से टेक्सटाइल कमिश्नर को मिल-मालिक संघों, कपड़ा मशीन निर्माताओं और बुनाई विशेषज्ञों से परामर्श कर के आवश्यक उपाय करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

१६५७ में चीनी मिलों की मशीनों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। बम्बई की एक फर्म ने जेकोस्लोवाकिया की एक फर्म के सहयोग से गन्ना पेरने के संयन्त्र को लगाने की व्यवस्था की है। यह फर्म चीनी बनाने की मिलों में काम आने वाली नयी मशीनें जैसे वैक्यूम पेन्स, ईवेपोरेटर और कन्डेन्सर आदि तेजी से तैयार कर रही है। एक दूसरी फर्म को पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म के सहयोग से चीनी बनाने की मशीनें तैयार करने के लिए लाइसेन्स दे दिया गया है। इस फर्म ने अपने कारखाने में आवश्यक संयन्त्र और मशीनें लगा ली हैं। मदरास की एक फर्म ने भी बम्बई राज्य के चार सहकारी चीनी कारखानों के लिए मशीनें तैयार कर के प्रदान की हैं।

छपाई की मशीनें

छपाई की मशीनें बनाने के लिए इस समय दो संगठित निर्माता हैं। इनमें से एक डुप्ले टाइप की स्टीरियो रोटेरी प्रिन्टिंग मशीन को उसके आद्य रूप में तैयार करने में सफल हो गये हैं।

आलोच्य वर्ष में एक फर्म एक ब्रिटिश फर्म के सहयोग से नये प्रकार की पत्थर तोड़ने और गिट्टी बनाने की मशीनें तैयार करने लगी है।

कागज बनाने की मशीनें तैयार करने की छान-बीन करने के विषय में एक समिति बनाई गई थी। इसने छोटे परिमाण में अर्थात ५ से १० टन प्रति दिन तक की क्षमता वाले कारखानों की मशीनें बनाने के बारे में सामग्री एकत्रित की है और उन उपकरणों की सूची तैयार की है जिनकी कि इस सम्बन्ध में आवश्यकता होगी। ब्रिटेन, स्वीडन और जरमनी की कुछ फर्मों ने उपयुक्त भारतीय फर्मों के सहयोग से भारत में कागज बनाने की मशीनें तैयार करने वाले कारखाने खोलने में दिलचस्पी प्रगट की है।

रबड़ की मशीनें तैयार करने के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में रबड़ की वस्तुएं ढालने वाले पुराने साचों के स्थान पर नये साचे लगाने के बारे में प्रायः ५० लाख रुपये व्यय होंगे। कुछ भारतीय फर्मों से इन साचों को तैयार करने के विषय में पूछ-ताछ की गई है।

उद्योगों में काम आने वाली गैस भरने के लिये सिलैंडरों का बहुत महत्व है। देश में अब तक इनका निर्माण आरम्भ नहीं हुआ है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में २ करोड़ रुपये के सिलेन्डर काम में लाये जाने का अनुमान है। बम्बई की एक फर्म को बूटेन गैस भरने के सिलेन्डर बनाने की अनुमति दी जा चुकी है और आशा है कि वह १६५८ में ही इनका उत्पादन आरम्भ कर देगी।

हल्की औद्योगिक मशीनें

हलकी औद्योगिक मशीनें बनाने वाले उद्योग ने १६५७ में पहली बार डी० टी० डी० मशीनें तैयार कीं। ये मशीनें एक भारतीय फर्म ने एक ब्रिटिश फर्म के सहयोग से बनाई हैं। इस समय चाय का शोधन करने वाली मशीनें बनाने के दो कारखाने हैं। परन्तु इनके द्वारा मशीनों की माग पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि १६५६-५७ में ऐसी मशीनें १ करोड़ २१ लाख रु० के मूल्य की विदेशों से मंगानी पड़ीं।

आलोच्य वर्ष में तुलाई मशीनों का उत्पादन भी गत वर्ष की अपेक्षा थोड़ा बढ़ गया। चालू वर्ष में दो नये प्रकार के चौकी वाली तुलाई मशीनें तैयार की गईं। रस तोलने की स्वचालित मशीनें बनाने का एक प्रस्ताव एक भारतीय फर्म की ओर से विचार के लिये और भी विचाराधीन है। बाल्टी और झूलने वाली तराजू के पलड़े आदि तैयार करने का एक प्रस्ताव भी विचाराधीन है। यह वस्तुएं भी एक ब्रिटिश फर्म के सहयोग से बनाई जाएंगी।

मोजे-बनियान आदि घरों में तैयार करने के लिये हाथ से चलाई जाने वाली मशीनें बनाने का एक प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है और ये मशीनें एक जापानी फर्म के सहयोग से बनाई जाएंगी। इस पर इस समय विचार हो रहा है। पैन-मिक्सर्स और ऐस्फाल्ट मिक्सर्स बनाने की क्षमता अभी बहुत कम है। इन्हें तैयार करने का प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है और सरकार के विचाराधीन है। इसी प्रकार कंक्रीट

मिलाने को मशीनें तैयार करने के एक प्रस्ताव पर भी विचार हो रहा है। भारत में कन्वेयर भी बनाये जा रहे हैं जो गैस वाली खानों में प्रयुक्त होने के उपयुक्त हैं।

भावी विकास की दृष्टि से यह बात उल्लेखनीय है कि देश में थ्रोल द्वारा वस्तुएं तैयार करने की मशीनों की काफी मांग है और इस समय इनका उत्पादन प्रायः नहीं के बराबर होता है। इसी प्रकार औद्योगिक ढंग के आटा पीसने की मिल मशीनें तैयार करने के लिए भी काफी क्षेत्र है।

मशीनी औजार

मशीनी औजारों का उत्पादन एक आधारभूत उद्योग है। इस उद्योग की प्रगति से ही किसी भी देश को औद्योगिक स्तर की परख की जाती है। देश के औद्योगीकरण की सामान्य प्रगति के लिये मशीनी औजारों का उत्पादन बढ़ाया जाना आवश्यक है।

मशीनी औजारों के उत्पादन में गत वर्ष की अपेक्षा प्रायः १०० प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। इसका श्रेय सरकारी क्षेत्र की एक फर्म मैसर्स हिन्दुस्तान मैशीन टूल्स लिमिटेड को दिया जाता है जो कि इस समय २५ से ३० मशीनी औजार प्रतिमास तैयार कर रही है। गत वर्ष यह इसकी अपेक्षा बहुत कम उत्पादन करती थी। इस फर्म ने चालू वर्ष में मिलिंग मशीनें तैयार करने का भी कार्यक्रम बनाया है। सार्वजनिक क्षेत्र की अम्बरनाथ स्थिति एक नई फर्म ने भी कुछ प्रगति की है। निजी क्षेत्र की फर्मों ने भी अपना उत्पादन बढ़ाया है।

छोटे औजार

१९५६ की अपेक्षा १९५७ में ग्राइंडिंग ह्वीलों का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। इसी प्रकार पेचकस और दांते बनाने की मशीनों का उत्पादन भी बढ़ा है। इन वस्तुओं को प्रदान करने की अवधि के विषय में सन्तोषजनक प्रगति हुई है। ऐडिंग टूल्स का उत्पादन कुछ घट गया क्योंकि इसका उत्पादन करने का मुख्य कारखाना १९५७ में चार महीने बन्द रहा। इंजीनियरी क्षेत्र में काम आने वाली इस्पात की रेतियों का उत्पादन काफी बढ़ गया। साथ ही उनकी किस्म में भी अच्छा सुधार हुआ है।

मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने जर्मनी की फर्म मैसर्स फ्रिटज वर्नर के साथ मिलिंग मशीन नम्बर दो और तीन तैयार करने के लिये सहयोग करने का करार किया है। रेडियल ड्रिलिंग मशीनें बनाने के लिये भी इस फर्म ने योजनाएं प्राप्त कर ली हैं। अम्बरनाथ के मशीनी औजार कारखाने ने अपनी डिजाइन के हाईड्रोलिक सरफेस ग्राइंडर्स तैयार किये हैं और इसमें किसी विदेशी का सहयोग नहीं लिया गया है। एक ब्रिटिश फर्म के सहयोग से वार्ड श्री ए के समान कैप्स्टन खराद भी तैयार किये गये हैं। ९० टन की क्षमता वाला एक ब्रेक प्रैस भी भारत में बनाया गया है।

मोटर गाड़ियां और अन्य सम्बद्ध उद्योग

मोटर गाड़ियां और अन्य सम्बद्ध उद्योगों के उत्पादन का रुख भी वृद्धि की ओर रहा। डीजल तेल से चलने वाली गाड़ियां बनाने को प्राथमिकता दी गई है। साइकिल रिक्शा और जिन रिक्शा के स्थान पर ऑटो रिक्शा बनाने के प्रयत्न किये हैं। स्थिर डीजल इंजनों की मांग विशेषतः तेज चलने वाली गाड़ी इंजनों की, बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। कुछ किस्मों के डीजल इंजनों का निर्यात भी हुआ है और विदेशों में उनकी प्रशंसा हुई है। शक्ति चालित पम्प उद्योग ने भी बहुत प्रगति की है। उसका न केवल उत्पादन ही बढ़ा है वरन् पम्प की किस्म भी सुधर गई है। अब पम्प में जो विदेशी पुर्जे लगाये जाते हैं उनका मूल्य, पम्प के औसत मूल्य का केवल १० प्रतिशत ही होता है।

मोटर गाड़ियों की वार्षिक मांग और १९६०-६१ तक का उत्पादन लक्ष्य ६५ हजार रखा गया है। १९५७ में ३३ सौ मोटर गाड़ियां बनाये जाने का अनुमान है। देश में बनाई जाने वाली मोटर गाड़ियों में १९६१ तक धीरे धीरे ७५ से लेकर ८९ प्रतिशत तक स्वदेशी हिस्से लगाये जाने लगेंगे।

विद्युत इंजीनियरी उद्योग

बिजली के पंखे, बिजली के लैम्प, बिजली के फ्लोरेसेंट-ट्यूब, बिजली के मोटर, शक्ति और वितरण के ट्रांसफार्मर, संग्रह बैटरियां, घरों में लगाये जाने वाले मीटर, घरेलू रैफरीजरेटर, रेडियो रिसीवर, तांबे के खुले तार, लपेटने वाले वाले तार, अलूमिनियम कण्डक्टर, ग्रामोफोन, पानी के मीटर, गणित में काम आने वाले यन्त्र और एयर कण्डीशनरों के उत्पादन में भी बराबर वृद्धि हुई है। सूखी सैलों और बैटरियों का उत्पादन घटा है। इनकी मांग भी कम हो गई प्रतीत होती है। बिजली की इस्पाती चादरों का उत्पादन भी गत वर्ष की अपेक्षा कुछ कम हो गया है। इसका कारण यह है कि मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० की चादर मिल अक्तूबर और नवम्बर १९५७ में बन्द रही। विद्युत उद्योगों की जो वस्तुएं पिछले वर्ष भी तैयार हो रही थीं उनका उत्पादन भी काफी बढ़ा है। बिजली के मीटर, केबिल, ट्रांसफार्मर आदि के निर्माण के लिए जो अनेक योजनाएं स्वीकृत की गई थीं वे आलोच्य वर्ष में क्रियान्वित हो गई।

धातुएं

सुरमा, अलुमिनियम की चादरें, गोल टुकड़े और पट्टियां तथा पत्थर और तांबे के तार आदि को छोड़कर धातुओं के नये उद्योगों का उत्पादन १९५६ की तुलना में बढ़ गया है। एक फर्म दीर्घकालीन परीक्षण

के पश्चात् जस्ते के तार, वैंडीमम का तार और चादी के मिश्रण का तार, छड़ें और पत्तिया तैयार करने में सफल हो गई है। १९५७ में पहली बार ऐसी अनेक फर्मों जिन्हें लाइसेंस दे दिये गये थे लौह मैंगनीज, जस्ते की पत्तिया आदि बनाने के लिये कारगर उपाय कर सकी हैं।

इस समय जस्ते की माग का अनुमान ३८ हजार टन प्रतिवर्ष है। जो कि आशा है कि १९६०-६१ तक बढ कर ५० हजार टन प्रति वर्ष जाएगी। अलूमीनियम उद्योग के लिये १९६०-६१ तक ३० हजार से लेकर ४० हजार टन तक का लक्ष्य रखा गया है। इस सम्बन्ध में दो फर्मों को उनकी उत्पादन क्षमता बढाने के लाइसेंस दिये गये थे। अलोह मैंगनीज की क्षमता का लक्ष्य १९६०-६१ तक १,७१,८०० टन रखा गया है, जिससे कि एक लाख साठ हजार टन उत्पादन हो सके। देश में इसकी खपत ६० हजार टन तक होने का अनुमान है और इस हिसाब से एक लाख टन निर्यात के लिये उपलब्ध रहेगा। अब तक केवल १ लाख २३ हजार ३ सौ टन क्षमता के लाइसेंस दिये गये हैं और इस तरह ४८ हजार ५ सौ टन को अब तक लाइसेंस देने के लिए गुंजायश है।

रसायनिक पदार्थों का उत्पादन बढ़ रहा है

★ *अनेक प्रकार की वस्तुएं देश में पहली बार बनीं।*

१९५७ में विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के बावजूद अधिकांश रसायनिक पदार्थों का उत्पादन काफी दृढ़ गति से होता रहा और कुछ वस्तुओं के उत्पादन में तो महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। १९५७ में देश में पहली बार बनायी जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुओं में कुछ ये हैं : एथोलीन डाई-ब्रोमाइड, सोडियम सिलिको फलोराइड, नमी निरोधक सेलेफेन तथा बैंकचैक बनाने का कागज। सीमेंट, गंधक के तेजाब, सुपर फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैगनेशियम सल्फेट, रेयन धागा, हाइड्रोजन पर-ऑक्साइड का उत्पादन पर्याप्त बढ़ने की खबरें मिली हैं।

गंधक का तेजाब और गंधक

इस समय गंधक के तेजाब का उत्पादन लगभग २ लाख टन वार्षिक है। आलोच्य वर्ष में १५,००० टन से अधिक की कुल क्षमता वाले दो नये कारखानों में उत्पादन आरम्भ हो गया तथा दो अन्य कारखानों ने अपनी वार्षिक क्षमता में २,५०० टन की वृद्धि कर ली। तेजाब बनाने की उत्पादन क्षमता १९५६ की २,४५,१४१ टन से बढ़कर १९५७ में २,७३,१०१ टन हो गयी।

हमारा देश गंधक के लिए आयात पर निर्भर है, इस बात को ध्यान में रखकर इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स ने यह पता लगाने का काम अपने हाथ में ले लिया है कि अमजोर में पाइराइट भंडार कितने हैं जिससे यह निश्चय हो सके कि क्या ओरकला प्रणाली के द्वारा पाइराइट से १०० टन गंधक प्रतिदिन तैयार करने के लिए पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है ? इस वर्ष इस बात की तरफ भी काफी ध्यान दिया गया कि राजस्थान में मिलने वाली घटिया किस्म की खड़िया से (जिप्सम) गंधक या गंधक का तेजाब बनाना संभव है। अब तक प्राप्त जानकारी से तो यही मालूम पड़ता है कि घटिया किस्म की खड़िया से गंधक बनाना लाभप्रद न होगा। लेकिन खड़िया से गंधक का तेजाब बनाना संभव हो सकता है, बशर्ते कि उसे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में प्रयोग किया जाए।

उर्वरक

नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उत्पादन लगभग १९५६ के स्तर पर ही रहा। सबसे अधिक मार्के की वृद्धि सुपर फास्फेटों के उत्पादन में हुई है। इस वर्ष (१९५७) में इनका उत्पादन लगभग १,९५,००० टन होने का अनुमान है जो १९५६ के उत्पादन से लगभग दो गुना है। एक ही पोषक तत्व वाला उर्वरक इस्तेमाल करने के स्थान पर अब मिश्रित तत्वों वाले उर्वरकों के प्रयोग में काफी दिलचस्पी दिखायी जा रही है। आलोच्य वर्ष में एक नये कारखाने में उत्पादन आरम्भ हुआ जिसकी उत्पादन क्षमता १०० टन सुपरफास्फेट प्रतिदिन की है।

क्षारक पदार्थ

गैर सरकारी क्षेत्र में सोडा एश बनाने के दो कारखानों के निर्माण में प्रगति हुई, इनमें से एक कारखाना स्टैन्डर्ड सोल्वाय प्रणाली से और दूसरा संशोधित सोल्वाय प्रणाली से सोडा एश बनाएगा और अमोनियम क्लोराइड नामक उपोत्पादन तैयार होगा। आशा है कि १९५८ में ये कारखाने बनकर तैयार हो जाएंगे और १९५८ के अंत तक स्थापित क्षमता २,१०,००० टन सोडा एश प्रतिवर्ष बनाने की हो जाएगी।

कास्टिक सोडा के उत्पादन में जितनी वृद्धि होने की आशा थी, उतनी वृद्धि न हो सकी क्योंकि तीन नये कारखानों की स्थापना में विलम्ब हो गया। फिर भी इन में से एक कारखाने ने नवम्बर के अंत में और दूसरे ने दिसम्बर १९५७ के अंत तक उत्पादन करना शुरू कर दिया। आशा है कि १९५८ में कास्टिक सोडा की स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो जाएगी।

इस वर्ष क्लोरीन की उपलब्धि में तंगी रही क्योंकि बैन्जीन हैक्सा-क्लोराइड, डी० डी० टी०, संश्लेषित अमोनियम क्लोराइड और स्थिरीकृत ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन के लिए इसकी अधिक मांग रही और स्वच्छता के कार्यों के लिए तरल क्लोरीन की मांग बढ़ गई।

इस वर्ष हाइड्रोजन-पर-ओक्साइड के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। यह इसलिए सम्भव हो सका क्योंकि एक औद्योगिक संस्थान अपने दोनों कारखानों में इस वर्ष की अंतिम तिमाही में पूरी क्षमता के अनुसार उत्पादन करने लगा।

कुछ अन्य रसायनिक पदार्थों के उत्पादन में भी खासी वृद्धि हुई। एक और कारखाना बंद हो जाने के बाद भी बाईक्रोमेटों का उत्पादन १९५६ की तुलना में १० प्रतिशत बढ़ गया। इस वर्ष ब्लीचिंग मिट्टी बनाने के दूसरे कारखाने में नियमित उत्पादन शुरू हो गया और आशा है कि तीसरे कारखाने में १९५८ में उत्पादन होने लगेगा। इस प्रकार भविष्य में विशेष वर्गों की ब्लीचिंग मिट्टी तक ही आयात सीमित रह जाएगा। कागज बनाने के कारखाने को जितने सोडियम सल्फेट की आवश्यकता होती थी, वह सारा का सारा कुछ समय पहले तक राजस्थान के डीडवाना नामक स्थान की खानों से प्राप्त किया जाता था। इस वर्ष के शुरू में राजस्थान सरकार ने घोषणा की कि डीडवाना की खानें समाप्त हो गयी हैं और तब से कागज के कारखानों को अपनी आवश्यकता का माल लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात की जबर्दस्त कोशिशें की गयीं कि रेयन के कारखाने अपने यहां रद्दी के रूप में चले जाने वाले तरल पदार्थों से अधिक से अधिक परिमाण में सोडियम सल्फेट प्राप्त करें। इसके अलावा डीडवाना खानों के लवण जलशेष तथा साभर के लवणाम्बु से सोडियम सल्फेट प्राप्त करने की योजनाएं विचाराधीन हैं। इस बीच इस साल कुछ आयात करने की अनुमति दी गयी।

एक और कारखाने में रसायनिक प्रक्रिया से चॉक का उत्पादन शुरू हो गया। लेकिन उद्योग की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए माल की किस्म में सुधार करने की आवश्यकता है। हल्का बोरिक मैग्नेशियम कारबोनेट बनाने की कोशिशें की जा रही है। यह पदार्थ ८५ प्रतिशत एसबैस्टस मैग्नेशियम इन्सुलेटिंग सामान बनाने के काम आता है।

भेषज, कीटाणुनाशक आदि

आलोच्य अवधि के अंदर सभी आवश्यक भेषजों के उत्पादन में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। बुनियादी कच्चे मालों तथा अर्द्ध तैयार माल से उत्पादन करने के फर्मों को प्रोत्साहन देने की नीति का लाभप्रद परिणाम निकला। पैनिसिलीन तपैदिक निरोधक भेषजों जैसे आई० एन० एच० तथा पी० ए० एस०, पेचिश निरोधक औषधों तथा अन्य संश्लेषित औषधों का उत्पादन बढ़ना विशेषतः उल्लेखनीय है। फर्मों ने आवश्यक तथा महत्वपूर्ण संश्लेषित वस्तुओं जैसे विटामिन ए, कोर्टीसन आदि बनाने के लिए उद्योग अधिनियम के अधीन लाइसेंस ले लिये हैं।

विस्फोटक पदार्थ

जनवरी १९५४ में उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम के अधीन एक फर्म को व्यापारिक विस्फोटक पदार्थ जैसे उत्स्फोटक, गैलेटाइन, विशेष गेलेटाइन, पौलर एजैक्स तथा ओपन कास्ट गैलिग्नाइट और इनसे बनने वाले अर्द्ध तैयार पदार्थ जैसे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोग्लिसरीन, अमोनियम नाइट्रेट तथा ओलियम बनाने का लाइसेंस दिया गया था। इसकी क्षमता ५,००० टन वार्षिक है। कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी ४ करोड़ रु० है जिसमें से २ करोड़ रु० के हिस्से जारी किये गये हैं। इन में से भारत सरकार ने ४० लाख रु० के हिस्से लिये हैं। आशा है कि इस कारखाने में १९५८ के मध्य तक उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस फर्म ने भूमि ले ली है और इमारतों का निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ समय पहले अधिकांश संयंत्र और उपकरणों के लिए विदेशों को आर्डर दिये जा चुके हैं। कुछ मशीनें पहुँच भी गयी हैं।

१९५७ के वर्ष में इसी कम्पनी को पर्याप्त विस्तार का लाइसेंस दिया गया जिससे सेफ्टी फ्यूजों के ५६ लाख कोइल प्रतिवर्ष बन सकें।

रंग बनाने वाले १८ कारखाने

इस समय रंगों का उत्पादन १८ कारखानों में हो रहा है। इनमें से सात कारखानों की तो उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत रजिस्ट्री हो चुकी है और शेष ११ कारखाने छोटे होने के कारण अधिनियम के अधीन रजिस्टर नहीं किये गये हैं। इस समय देश में १३ कारखाने ऐसे हैं जो कोयले से रसायनिक पदार्थ बनाते हैं।

आलोच्य वर्ष में एजो रंग, सल्फर ब्लैक, नेफथोल, वाट रंग, ओप्टीकल ब्लीचिंग पदार्थ, मसिनील (इंक ब्लू,) मैथीलीन ब्लू का देशी उत्पादन बढ़ा है। इसके परिणामस्वरूप आयात में कमी हो जाने से विदेशी मुद्रा के खर्च में बचत हो गयी है।

१९५७ के वर्ष में पक्के रंग बनाने के मूल रंग, ओप्टीकल ब्लीचिंग पदार्थ, स्थिरीकृत एजोइक तथा वाट ब्लू आर० एस० एन० का उत्पादन पहली बार देश में शुरू हुआ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के तत्वावधान में केन्द्रीय संयंत्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है जिसमें रंग उद्योग (भेषज तथा औषध उद्योग) के लिये आवश्यक प्रारंभिक अर्द्ध तैयार माल बना करेगा। रंग निर्माताओं को सलाह दी गयी है, और वे राजी भी हो गये हैं कि वे अपने उत्पादन की योजना इस तरह बनायें जिससे उनका उत्पादन अंततः उन प्रारंभिक अर्द्ध तैयार मालों से होने लगे जो इस केन्द्रीय संयंत्र से प्राप्त होंगे।

इत्र सुगन्ध आदि

आलोच्य वर्ष में दो कारखानों में काम आरम्भ हुआ जिनमें से एक में इत्रों तथा दूसरे में संश्लेषित तेलों का उत्पादन होगा। इस प्रकार प्राकृतिक उड़नशील तेल, इत्र और सुगंध गुणवाले रसायनिक पदार्थ

बनाने के व्यवस्थित कारखानों की संख्या २६ हो गयी। प्राकृतिक उड़नशील तेलों का उत्पादन न्यूनाधिक मात्रा में स्थिर ही रहा। लेकिन कुछ तेल इसके अपवाद रहे जैसे कि लेमन ग्रास, मामरोजा और यूकेलिप्टस आदि जिनका उत्पादन कुटीर पैमाने पर होता है। इनमें से कुछ तेलों के निर्यात की हाल की प्रवृत्तियों से प्रतीत होता है कि उनका उत्पादन मजबूती के साथ बढ़ रहा है।

इस अवधि में गंधीय इत्रों के उत्पादन में खासी वृद्धि हुई है। आशा है कि यह उत्पादन १९५७ के अंत तक १३६ टन तक पहुँच गया जबकि १९५६ में यह १०० टन ही था। सुगंध गुणवाले रसायनिक पदार्थों का उत्पादन भी मजबूत बना रहा।

रंगलेप और सतह लेपक पदार्थ

विभिन्न उपभोक्ता उद्योगों में हुए पर्याप्त विस्तार के कारण, सतह लेपों (सरफेस कोटिंग्स) की मांग मजबूती से बढ़ती रही है। उद्योग अपनी क्षमता से कुछ अधिक उत्पादन भी कर सका है। आलोच्य वर्ष में, सामान्य काम आने वाले रंगलेपों के मुकाबले संश्लेषित रालों से बनाये जाने वाले बढ़िया किस्म के पदार्थों जैसे नाइट्रो सैलूलोज लेकर, स्टोविंग फिनिशेज के उत्पादन में वृद्धि हुई है। थैलीसियालीन ब्लू, अल्काइड रालों तथा अलूमीनियम पेस्ट के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

टिटेनियम डाइ औक्साइड की मांग में बहुत तेजी से वृद्धि हुई देशीय उत्पादन मांग की पूर्ति करने में असमर्थ रहा। आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए टिटेनियम डाइऔक्साइड का आयात करना पड़ा जिससे वह देशीय उत्पादन का पूरक बन सके। इसके साथ ही इस रसायनिक पदार्थ का देश में उत्पादन बढ़ाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

विद्युत अवरोधन के लिए सुपर वायर इनैमलों तथा कोइल इम्प्रेगनेटिंग वारनिशों (ताप से तथा हवा से सूखने वाली) बनाने के एक कारखाने की स्थापना पूर्ण ही गयी और इसमें जून १९५७ से उत्पादन शुरू हो गया।

उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम के अधीन एक रंगलेप निर्माता को टाटा कोलिन एफ० एस० संयंत्र से प्राप्त होने वाले स्यानाइड मैल को साफ करने के लिए लाईसेंस दे दिया गया है जिससे विभिन्न फैरोस्यानाइडों से कृत्रिम आइरन रंग द्रव्य बनाये जा सकें।

दो लाख टन कागज तथा गत्ता तैयार किया गया

★ सीमेंट, कांच, रबड़, चमड़ा, प्लास्टिक आदि के उद्योगों की प्रगति

१९५७ में कागज तथा गत्ते का उत्पादन २,००,००० टन की सीमा को पार कर गया जबकि १९५६ में १,९३,४०० टन उत्पादन हुआ था। इस वर्ष स्थापित क्षमता ३८,००० टन से बढ़ कर कुल २,५०,००० टन हो गई। आशा है कि १९५८ में कागज के उत्पादन के लिये दो नये कारखाने चालू हो जाएंगे और एक पुराने कारखाने का विस्तार हो जायगा।

अखबारी कागज का उत्पादन अब पक्की तरह जम गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में इसका एक ही कारखाना है। इस समय इसमें १२,००० टन उत्पादन हो रहा है परन्तु जब बिजली अधिक परिमाण में मिलने लगेगी तो यह और भी बढ़ जायगा।

छपाई तथा लपेटने के काम आने वाले घटिया किस्म के कागज की माग को पूरा करने के लिये छोटे कारखानों का महत्व स्वीकार किया जा चुका है तथा इस प्रकार के ६ कारखाने स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिये जा चुके हैं जिनकी कुल क्षमता १५,५०० टन होगी। इसमें से कुछ कारखाने देशी साधनों से मशीनें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

गन्ने की खोई से कागज

न्यूट्रल मोनोसल्फाइट प्रणाली द्वारा गन्ने की खोई से प्रतिदिन १०० टन उत्पादन करने वाला एक कारखाना स्थापित करने के लिये पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म के साथ बातचीत चल रही है। इसकी अंतिम प्रायोजना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। विदेशी मुद्रा की स्थिति को देखते हुए मशीनों के लिये अभी टेंडर नहीं दिये जा सके हैं।

उद्योग के भिन्न भिन्न रूपों पर सरकार को सलाह देने के लिये १९५५ में बनाई गई तालिका का १९५७ में पुनः संगठन किया गया। इस तालिका ने चार उपसमितियां बनाई हैं जो कि (१) कागज बनाने वाली मशीनों का निर्माण (२) कच्चे माल के साधनों का निर्धारण (३) परिचालन दक्षता सम्बन्धी जानकारी का संकलन तथा विनिमय और (४) भिन्न भिन्न किस्मों के कागज की मांगों के निर्धारण के प्रश्नों पर विचार करती है।

आलोच्य वर्ष में प्रथम बार नमी तथा गर्मी सहने वाली सैल्यूलोज झिल्लियों का उत्पादन आरम्भ हुआ। सिगरेट निर्माताओं द्वारा इनकी किस्म सन्तोषजनक बताई गई है और आशा है कि सिगरेट उद्योग की ५० प्रतिशत आवश्यकता स्थानीय उत्पादन द्वारा ही पूर्ण हो सकेगी। देश में पहली बार बनाये जाने वाले अन्य किस्म के कागजों में, चिकनाई रोकने वाले तथा केबिलों में लगाये जाने वाले कागजों का परीक्षणार्थ किया गया उत्पादन उल्लेखनीय है। चैक के कागजों का उत्पादन अब नियमित रूप से होने लगा है।

सीमेंट

१९५७ में सीमेंट उद्योग बराबर प्रगति करता रहा। वर्ष के आरम्भ में ५७ लाख टन की स्थापित क्षमता थी जो वर्ष के अन्त में बढ़कर ६६ लाख ३० हजार टन हो गई। १९५७ में ५६ लाख टन वास्तविक उत्पादन हुआ जबकि १९५६ में कुल ४९ लाख टन ही हुआ था।

देश में पहले से चालू २९ कारखाना के अतिरिक्त अब तक २५ नये कारखाने खोलने तथा २९ पुराने कारखानों का विस्तार करने की प्रायोजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं। इनके फलस्वरूप कुल ८६ लाख ७० हजार टन वार्षिक की अतिरिक्त क्षमता बढ़ जायेगी। ये योजनाएं प्रगति की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में है। इनमें से पन्द्रह योजनाओं की (चार नये कारखाने खोलने तथा ग्यारह पुराने कारखाने खोलने की योजनाएं) १९५८ के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा है जिनकी कुल क्षमता १८ लाख टन होगी। इसके बाद आशा है कि ग्यारह योजनाएं १९५९ के अन्त तक पूर्ण हो जायेंगी,

जिनकी कुल क्षमता उस समय तक १ करोड़ ४ लाख टन होगी। शेष योजनाओं की आशा निर्धारित समय १९६०-६१ तक पूर्ण हो जाने की है। इन योजनाओं को अमल में लाने के लिये विदेशों से पूंजीगत माल मंगाने की आवश्यकता हुई। इसके लिये शैल्पिक सहयोग मिशन से विदेशी मुद्रा की सहायता प्राप्त हुई।

कमी पूरी करने के लिए आयात

देशी उत्पादन तथा मांग के बीच की खाई को किसी हद तक पूरा करने के लिये १९५६ के आरम्भ में उस वर्ष विदेशों से ७,००,००० टन तक सीमेण्ट आयात करने का निश्चय किया गया। राज्य व्यापार निगम ने इस सीमेण्ट के अधिकांश का आयात करने के लिये पक्का प्रबन्ध कर लिया था परन्तु स्वेज संकट के कारण १९५६ में केवल १,०८,००० टन सीमेण्ट ही आ सका। इसके बाद १९५७ में इन सौदों में से ३,२१,००० टन सीमेण्ट और आया। पश्चिमी पाकिस्तान से ३०,००० टन सीमेण्ट का आयात किया गया और इसके बदले में पूर्वी पाकिस्तान को इतना ही देशी सीमेण्ट भेज दिया गया। देश में सीमेण्ट का उत्पादन बढ़ जाने के कारण उपलब्धि की स्थिति कुछ हद तक सुधर गई है। इसी कारण वितरण के नियन्त्रण में ढील की जा सकी है। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण भविष्य में सीमेण्ट का आयात सम्भव नहीं होगा। इस वर्ष कुछ सीमेण्ट का निर्यात भी किया गया। उत्पादकों के लिये सीमेण्ट की कीमतें निर्धारित करने का प्रश्न तटकर आयोग के विचाराधीन है और उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

ऐसबसटस सीमेण्ट की वस्तुएं बनाने वाले कुछ कारखानों के आधुनिकीकरण के कारण इस उद्योग की क्षमता अब २,१०,००० टन तक पहुँच गई है जबकि १९५६ में १,४१,००० टन थी। चालू वर्ष में उत्पादन बढ़कर १,५३,७६१ टन हो गया जबकि १९५६ में १,१६,८२८ टन ही था। लगभग सभी कारखाने अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं।

चीनी मिट्टी की वस्तुएं

यद्यपि अभी तक अन्तिम आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं फिर भी सम्भावना है कि १९५६ के मुकाबिले १९५७ में तापसह ईंटों के उत्पादन में लगभग २० प्रतिशत की वृद्धि होगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये १२ लाख ५० हजार टन का लक्ष्य रखा गया है।

तापसह ईंटों के उद्योग के विकास के लिये एक तालिका बनाई गई है जिससे कि विद्यमान कारखानों में उपलब्ध उपकरणों से ही उत्पादन की वृद्धि के उपाय किये जा सकें और नई योजनाओं को तेजी से अमल में लाया जा सके।

१९५७ के उत्पादन अंकों के अनुसार (क) पत्थर के पाइप (ख) स्वच्छता सम्बन्धी सामान (ग) चमकदार टाइल तथा (घ) एच० टी० अवरोधकों (इनस्यूलेटर्स) के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विद्यमान क्षमता के अच्छे ढंग से उपयोग किये जाने और दो नयी योजनाओं के अमल में आ जाने के कारण ही यह वृद्धि हो सकी है।

कांच

कांच तथा कांच के सामान के उत्पादन में १९५६ के मुकाबिले १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शीशियों तथा कांच के विविध सामान के उत्पादन में विशेष वृद्धि हुई है। वैक्यूम फ्लास्क का कांच बनाने के लिये १९५७ में एक नयी योजना बनाई गई है। इस वर्ष भारत में प्रथम बार एक स्विस फर्म के साथ मिलकर नकली रत्नों के उत्पादन में विशेष विकास हुआ है। एक जापानी फर्म के सहयोग से कांच की चादरों का एक कारखाना, जो कि पिछले कई वर्षों से बन्द पड़ा था, फिर चालू हो गया है।

शैल्पिक सहयोग मिशन तथा संयुक्त राष्ट्र शैल्पिक सहायता मंडल के विशेषज्ञों की मदद से १९५६ में आरम्भ किया गया कांच उद्योग का शैल्पिक सर्वेक्षण इस वर्ष के आरम्भ में पूर्ण हो गया। इस सर्वेक्षण में सारे देश में फैले हुए ६० कारखानों की विभिन्न आवश्यकताओं का अध्ययन किया गया, जो कांच की चादरों, भट्टियों, रंग चढ़ाने के सांचों, कांच बनाने की मशीनों और अनेक प्रकार के मिले जुले कांचों के बारे में थे। विशेषज्ञों द्वारा की गई सिफारिशें सम्बन्धित कारखानों को भेज दी गई हैं।

सरकारी क्षेत्र में दूरबीनों और चश्मों के शीशे तैयार करने का एक कारखाना खोला जायगा। इसकी प्रायोजना का विवरण तैयार करने के लिये आलोच्य वर्ष में रूस सरकार के साथ प्रबन्ध किया गया।

रेयन तथा लुग्दी

आलोच्य वर्ष में एक नये कारखाने में, जो अपने ढंग का तीसरा है, विसकोस रेयन सूत का नियमित रूप से निर्माण आरम्भ हो गया है तथा एक अन्य कारखाने की विस्तार योजना पूर्ण हो गई है। विदेशों में विसकोस घोल से सूत कातते समय रंग मिलाकर रंगीन सूत बनाने की नयी प्रणाली निकाली गई है। एक भारतीय कारखाने ने भी इस तरह का रंगीन सूत सफलतापूर्वक तैयार कर लिया और बाजार में उसे प्रचलित कर दिया है।

कपड़ा उद्योग द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले सूत के अतिरिक्त अन्य किस्म के सूत के उत्पादन की आवश्यकता अनुभव की जा चुकी है तथा टायर कार्ड सूत के निर्माण के लिये लाइसेंस दिये जा चुके हैं। उम्मीद है कि १९६०-६१ तक इसकी मांग लगभग ५० लाख पौंड हो जायगी।

उम्मीद है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विसकोस सूत तथा स्टेपिल रेशों के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के फलस्वरूप लकड़ी की लुग्दी की माग लगभग ६०,००० टन वार्षिक तक बढ़ जायेगी। इस समय इस प्रकार की लकड़ी का लुग्दी विदेशों से आयात की जाती है, परन्तु देशी कच्चे माल से देश में ही इस तरह की लुग्दी बनाने के बारे में खोज की जा रही थी। इस सम्बन्ध में इटली की एक फर्म से एक प्रायोजना रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है जिस में प्री हाइड्रोलोसिस के पश्चात् सल्फेट प्रणाली अपनाते हुए बांस से रेयन वर्ग की लुग्दी बनाने का एक कारखाना स्थापित करने की सिफारिश की गई है। कुछ ही दिन पहले इसके लिये जापान से भी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इन पर अभी विचार हो रहा है। दो रेयन कारखानों ने लुग्दी तथा सूत बनाने के लिये प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना में रुचि दिखलाई है, जिस से कि लुग्दी के नमूने तैयार करके आजमाये जा सकें।

प्लाईवुड

अंडमान द्वीप में व्यापारिक प्लाईवुड का उत्पादन करने वाले दो नये कारखानों की स्थापना के लिये लाइसेंस दिये गये हैं तथा पर्याप्त विस्तार के लिये पांच कारखानों को इजाजत दी गई है। चाय की पेटियों के लिये अच्छी किस्म की प्लाईवुड के उत्पादन के लिये आवश्यक समझे जाने वाले उपकरण पहले ही २८ कारखानों में लगाये जा चुके हैं। उम्मीद है कि अन्य कारखाने भी जल्दी ही ऐसे उपकरण लगा लेंगे।

टैरिफ कमीशन ने इस उद्योग को ३१ दिसम्बर १९५७ के बाद भी संरक्षण प्रदान करने के सवाल पर विचार किया था। उसने सिफारिश की है कि यह संरक्षण तीन साल के लिये अर्थात् ३१ दिसम्बर १९६० तक और जारी रहना चाहिये। यह सिफारिश सरकार ने स्वीकार कर ली है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्लाईवुड के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। मंत्रालय की विकास शाखा द्वारा निर्माण स्थल पर ही चाय की पेटियों की प्लाईवुड का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करने की जो प्रणाली चलाई गई है उससे इस तरह की प्लाईवुड की किस्म सुधारने में बहुत मदद मिली है। उचित दामों पर लकड़ी मिलने के विषय में ही इस उद्योग को मुख्य कठिनाई होती है। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की सहायता से इसे दूर करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

१९५६ में सख्त गत्ते के उत्पादन के लिये दो कारखानों को लाइसेंस दिये गये थे। उन्होंने काफी प्रगति कर ली है। संयंत्रों तथा उपकरणों के लिये देशी फर्मों को आर्डर दिये जा चुके हैं तथा कारखानों की इमारतें बन रही हैं। उम्मीद है कि कम से कम एक कारखाना १९५८ में ही उत्पादन आरम्भ कर देगा।

रबड़ की वस्तुएं

रबड़ की सभी मुख्य वस्तुओं के उत्पादन का रूख वृद्धि की ओर है। मोटर गाड़ियों के टायरों की माग में होने वाली निरन्तर वृद्धि को देखते हुए ६ लाख ५० हजार टायर की अतिरिक्त क्षमता वाली चार विस्तार योजनाओं के लिये लाइसेंस दिये गये हैं। यद्यपि आलोच्य वर्ष में बाइसिकलों के टायरों तथा ट्यूबों के उत्पादन में काफी वृद्धि हो गई है फिर भी ८००,००० से लेकर १,०००,००० तक इन टायरों की वार्षिक कमी रहती है। अतिरिक्त अनुमानित माग को पूरा करने के लिये हाल ही में उद्योग अधिनियम के अंतर्गत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लाइसेंस दिये गये हैं।

यद्यपि गत वर्ष के मुकाबले रबड़ के जूतों के उत्पादन में कुछ कमी हो गई है फिर भी ३६ लाख जोड़ी जूतों की अतिरिक्त क्षमता वाली कई विस्तार योजनाओं को हाल ही में लाइसेंस दिये गये हैं, जिससे कि १९६०-६१ तक ५ करोड़ जोड़ी जूतों के निर्धारित लक्ष्य को निश्चित रूप से पूरा किया जा सके।

चमड़ा

१९५७ में वनस्पति पदार्थों से कमाये गये चमड़े, जूते तथा सरेस के उत्पादन में वृद्धि हुई है। क्रोम के उत्पादन में कुछ कमी हो गई है। चार स्वीकृत योजनाएं आलोच्य वर्ष में क्रियान्वित हो गई हैं। इनमें से तीन योजनाएं चमड़े तथा चमड़े के तस्ले बनाने के लिये तथा एक सरेस तैयार करने के लिये है।

यह पहले ही फैसला किया जा चुका है कि विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त सगठित क्षेत्र में चमड़ा कमाने तथा जूते बनाने की क्षमता के विस्तार को बढ़ावा नहीं दिया जायेगा तथा इन चीजों की अतिरिक्त मांगों को संगठित क्षेत्र की विद्यमान क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करके तथा कुटीर और छोटे पैमाने पर चलने वाले इन उद्योगों का विकास करके पूरा किया जायगा। परन्तु सरेस, तस्मों तथा चमड़े के पट्टों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये नयी योजनाएं स्वीकार की गई हैं। पट्टे बनाने वाला उद्योग अपने उत्पादनों की किस्म सुधारने का यत्न कर रहा है जिससे इनका विदेशों से आयात करने की आवश्यकता न पड़े। चमड़ा कमाने के उद्योग को अब भी कच्ची खालों की प्राप्ति में कठिनाई होती है। देश में क्रोम, चमड़ा तैयार करने की क्षमता बढ़ाने के लिए खोज की जा रही है। इसके अतिरिक्त बकरी की कच्ची खालों के स्थान पर तैयार खालों के निर्यात के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं।

खाद्य तथा तम्बाकू उद्योग

१९५७ में गेहूं का आटा, कोको पाउडर तथा चाकलेट, जलपान की वस्तुएं, बिस्कुट तथा मिठाइयों आदि के उत्पादन में भी वृद्धि होने

की आशा है। तरल ग्लुकोज के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आशा है कि देश की कुल मांग को यह उद्योग पूरा कर सकेगा। संयंत्रों के आधुनिकीकरण से तरल ग्लूकोज की किस्म में सुधार हो गया है। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण इन उद्योगों के लिये आयात किये जाने वाले कच्चे माल के आयात पर कुछ कठोरता के साथ प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इस कारण निकट भविष्य में इनके उत्पादन में वृद्धि होने की सम्भावना नहीं है।

प्लास्टिक

यदा-कदा एक से अधिक पाली चलाये जाने के कारण उत्पादन में वृद्धि होने के फलस्वरूप फिनाइल फारमल्डीहाईड मोल्डिंग पाउडर की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो गयी है। लैदर क्लाथ, पी० वी० सी० चादरों, पोलीथीन फिल्मों तथा चपटी नालियों के कारखानों की संख्या बढ़ गई है। उम्मीद है कि चालू वर्ष का अन्त होने से पहले ही एक और कारखाना पी० वी० सी० चादरों का नियमित रूप से उत्पादन करने लगेगा। लिनोलियम का उत्पादन लगभग स्थिर है तथा फिनौलिक लैमिनेट्स में लगभग ३० प्रतिशत की वृद्धि हो गई है।

भारत में प्रथम बार बम्बई की एक फर्म ने मई १९५७ से पौलिथ्हीन मोल्डिंग पाउडर का उत्पादन आरम्भ कर दिया है तथा इसकी क्षमता ६० लाख पौंड प्रतिवर्ष है। यूरिया फारमेल्डीहाइड मोल्डिंग पाउडर के निर्माण के लिए एक कारखाना दिल्ली में भी स्थापित किया गया है। आरम्भ में इनकी उत्पादन क्षमता २०० टन प्रतिवर्ष होगी।

वनस्पति तेल

बिनौले के तेल उद्योग का आधुनिक लाइनों पर विकास करने के विचार से बिनौले पेलने के लिये पुराने कारखानों को अपना विस्तार करने के लाइसेंस दिये गये हैं तथा अगस्त १९५० से एक फर्म ने उत्पादन भी आरम्भ कर दिया है। जहां तक अन्य वनस्पति तेलों का सम्बन्ध है पुराने कारखानों का विस्तार करने के लाइसेंस न देने की ही नीति चालू रखी गई है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ८ लाख टन के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के विचार से पानी में खली घोलकर तेल निकालने के लिये अतिरिक्त क्षमता के लाइसेंस दिये गये हैं। जहां तक इस प्रकार के तेल का सम्बन्ध है चालू वर्ष में इसका उत्पादन ३०,००० टन तक पहुँच जाने की आशा है जबकि १९५६ में इसका उत्पादन ५,७५६ टन ही था। दो अन्य कारखानों ने भी परीक्षण के तौर पर कार्य आरम्भ कर दिया है और आशा है कि कुछ ही समय में ये व्यापारिक आधार पर उत्पादन आरम्भ कर देंगे।

साबुन इत्यादि

लगभग २,५३,००० टन की कुल स्थापित क्षमता वाले साबुन बनाने के ६० कारखानों में से केवल २,१४,८२० टन क्षमता वाले ६२ कारखाने ही उद्योग अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। साबुन बनाने के नये कारखानों को लाइसेंस न देने तथा विद्यमान कारखानों का विस्तार करने की इजाजत न देने की नीति चालू रखी गई है। संगठित क्षेत्र में १,१५,००० टन साबुन का उत्पादन होने का अनुमान है। इसमें से लगभग १८,००० टन हाथ-मुंह धोने का साबुन है।

आलोच्य वर्ष में सौंदर्य प्रसाधनों तथा अंगराग सामग्री का उत्पादन प्रायः स्थिर ही रहा है। केवल फेस क्रीम तथा स्नो के उत्पादन में कुछ वृद्धि होने की आशा है। देश में बम्बई की एक फर्म द्वारा सफाई करने के काम आने वाले पदार्थों का निर्माण व्यापारिक स्तर पर किया जाने लगा है। १९५७ में (अगस्त से लेकर दिसम्बर तक) लगभग १५० टन उत्पादन होने की आशा है।

देश में बनने वाले स्टीयरिक एसिड तथा औलिक एसिड की किस्मों में भी सुधार हो गया है।

लघु उद्योगों की उन्नति के अनेक प्रयत्न

★ *औद्योगिक बस्तियों, विदेशी विशेषज्ञों, कारीगरों के प्रशिक्षण आदि की सुविधाएं।*

यद्यपि लघु उद्योग राज्य सरकारों के क्षेत्र में आते हैं, तथापि उनके विकास में, विभिन्न राज्यों के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का एकीकरण करने में, राज्य सरकारों को उनकी योजना क्रियान्वित करने के लिये वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने में तथा छोटे कारखानों को प्रत्यक्ष शैल्पिक सहायता देने में, केन्द्रीय सरकार अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग लेती है। लघु उद्योगों के विकास के लिए बनाये गये व्यापक कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता देने के ऐसे सीधे उपाय भी हैं जिनका उद्देश्य लघु उद्योगों की बड़ी-बड़ी असुविधाएं दूर कर देना है। इन असुविधाओं की कमी, प्रविधिक ज्ञान का अभाव और बिक्री-व्यवस्था की कठिनाइयां उल्लेखनीय हैं।

लघु उद्योग बोर्ड

लघु उद्योग बोर्ड की समय-समय पर होने वाली बैठकों में विकास के ढंग की निरंतर समीक्षा होती है। राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों के प्रतिनिधि तथा गैर सरकारी व्यक्ति इस बोर्ड के सदस्य हैं। आलोच्य वर्ष १९५७ में गैर सरकारी व्यक्तियों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए बोर्ड का पुनः संगठन किया गया है। इस समय बोर्ड के कुल ५२ सदस्य हैं। उद्योग मन्त्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इस वर्ष बोर्ड की २ बैठकें हुईं, एक मद्रास में तथा दूसरी नई दिल्ली में। लघु उद्योगों के विकास की गति को तेज करने के लिए बोर्ड ने, इन बैठकों में, अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं।

आलोच्य वर्ष में, लघु उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकारों को १०८.६७ लाख रुपयों के अनुदान तथा ३३१.७० लाख रुपयों के ऋण की स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकारों को दिये गये ऋणों के अन्तर्गत वे राशियां भी हैं जोकि उद्योगों को राजकीय सहायता अधिनियम अथवा अन्य लागू नियमनों के अधीन छोटे-छोटे उद्योगपतियों को देने के लिये दी गई हैं। संयुक्त विकास कमिश्नर तथा लघु उद्योग सेवा शालाओं के डायरेक्टर, राज्य सरकारों को उनकी लघु उद्योग सम्बन्धी योजनाएं तैयार करने में सहायता देते हैं।

औद्योगिक बस्तियां

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में औद्योगिक बस्तियों के लिये रख गई राशि १० करोड़ रुपयों से बढ़ाकर १५ करोड़ रुपये कर दी गई है। अभी तक ५४ औद्योगिक बस्तियों के लिए २७५.२१५ लाख रुपयां ऋणों और १.३५० लाख रुपयां के अनुदानों की स्वीकृति दी जा चुकी है। लगभग १२ औद्योगिक बस्तियों में काम चालू हो गया है तथा शेष का निर्माण कार्य विभिन्न अवस्थाओं में है।

औद्योगिक बस्तियां साधारणतः २ प्रकार की हैं। एक तो बड़े शहरों तथा शहरी क्षेत्रों के समीप बड़ी बस्तियां तथा दूसरी सामूहिक विकास खण्डों में बनाई गई छोटी बस्तियां। बड़ी बस्ती बसाने पर लगभग २[illegible] से ३० लाख रुपये लागत आती है। सामूहिक विकास खण्डों की छोटी बस्ती पर अनुमानित लागत लगभग २ से ३ लाख रु० आती है। चालू वर्ष में ६० छोटी औद्योगिक बस्तियां बसाने की स्वीकृति दी गई है।

औद्योगिक विस्तार सेवा

लघु उद्योग सेवा शालाओं तथा औद्योगिक विस्तार सेवा केन्द्र द्वारा लघु उद्योगों को दी जाने वाली शैल्पिक सहायता के कार्यक्रम आलोच्य अवधि में भी जारी रहे। लघु उद्योग संगठन की औद्योगिक विस्तार सेवा एजेंसी के इस समय ये अंग हैं: नई दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास स्थित ४ क्षेत्रीय लघु उद्योग सेवाशालाएं; लुधियाना, आगरा, जयपुर, श्रीनगर, पटना, कटक, गौहाटी, राजकोट, इन्दौर, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम और हैदराबाद में स्थित १२ बड़ी शालाएं, इलाहाबाद तथा हुबली स्थित २ शाखा शालाएं और देश के भिन्न २ भागों में स्थित ५६ विस्तार केन्द्र। इन शालाओं में विभिन्न विषयों जैसे मेके

निकल इन्जीनियरिंग, वैद्युत इन्जीनियरिंग, रसायनिक इन्जीनियरिंग, चमड़ा कमाना, बढ़ईगीरी, लोहारी, आर्थिक गवेषणा, व्यापारिक प्रबन्ध इत्यादि के विशेषज्ञ रहते हैं।

शैल्पिक सहायता सम्बन्धी योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जहां छोटे-छोटे कारखाने होते हैं वहां चलती-फिरती मोटर गाड़ियों द्वारा आधुनिक मशीनें ले जाकर उनका प्रदर्शन किया जाता है। इन प्रदर्शनों के बाद, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की मार्फत छोटे कारखानों को किराया-खरीद प्रणाली की आसान शर्तों पर आधुनिक मशीनें तथा उपकरण दिये जाते हैं। विशेष स्थानों में केन्द्रित विशेष उद्योगों को विस्तार केन्द्रों द्वारा शैल्पिक सहायता दी जाती है।

विदेशी विशेषज्ञ तथा प्रशिक्षण

लघु उद्योगों को सर्वाधिक सहायता देने के लिए विदेशी विशेषज्ञ भरती किये जा रहे हैं। विदेशी विशेषज्ञों पर होने वाला समस्त खर्च फोर्ड फाउंडेशन से मिली सहायता में से दिया जाता है। इस समय विकास कमिश्नर के संगठन, शालाओं इत्यादि में उद्योगों की विभिन्न शाखाओं के १६ विदेशी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। उनका मुख्य काम सुधरे हुए औजारों तथा उपकरणों के इस्तेमाल का प्रदर्शन करना तथा छोटे उद्योगपतियों को निर्माण के आधुनिक तरीकों के बारे में सलाह देना है। वे आदर्श योजनाएं बनाने तथा प्रशिक्षण देने में भी सहायता देते हैं।

चार क्षेत्रीय शालाओं तथा लुधियाना और राजकोट की शालाओं में, छोटे उद्योगपतियों को, आधुनिक निर्माण-विधियों के व्यावहारिक ज्ञान तथा व्यापारिक प्रबन्ध के तरीकों की शिक्षा देने के लिये शाम को कक्षाएं चलाई जाती हैं।

क्षेत्रीय शालाओं द्वारा खण्ड विस्तार अधिकारियों को भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। चारों शालाओं में से प्रत्येक में १०० व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी है। क्षेत्रीय शालाओं में इस समय २८४ अधिकारियों को प्रशिक्षण मिल रहा है।

विभिन्न शालाओं में लघु औद्योगिकों के हितार्थ नक्शे पढ़ने, गरम करने की विधि, बिजली द्वारा कलई करने, बैटरियों के जोड़ने तथा बनाने के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए कक्षाएं चलाई गई हैं।

कारखानों के मैनेजरों, फोरमैनों तथा आपरेटरों को जूते बनाने के आधुनिक तरीकों का प्रशिक्षण देने के लिए, जुलाई १६५७ में मद्रास स्थित सेन्ट्रल फुटवेअर ट्रेनिंग केन्द्र में प्रशिक्षण-क्रम शुरू किया गया। विभिन्न राज्यों के १०० व्यक्ति यह प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

विदेशों में भारतीय कारीगरों को प्रशिक्षण

औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़े देशों में भारतीय कारीगरों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ड फाउन्डेशन सहायता दे रहा है। आलोच्य वर्ष में बैटरी सेपारेटर्स के प्रशिक्षण के लिये एक उम्मेदवार अमेरिका-सर्वेक्षण यन्त्रों के प्रशिक्षण के लिये एक उम्मेदवार ब्रिटेन और जूते के फीते उद्योग का प्रशिक्षण पाने के लिए ४ उम्मेदवार पश्चिमी जर्मनी भेजे गये हैं। स्वीडन के लघु उद्योगों के संगठन और प्रणालियों का अध्ययन करने के लिये, ५ छोटे उद्योगपतियों का एक शिष्टमण्डल वहां भेजा गया। लघु उद्योगों के विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये २० व्यक्तियों का एक दल चालू वर्ष में पश्चिमी जर्मनी भेजने का प्रस्ताव है।

आद्यरूप बनाने वाला कारखाना

ओखला की औद्योगिक बस्ती के समीप आद्यरूप बनाने वाला एक कारखाना तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिये पश्चिमी जर्मनी की सरकार ने सहायता देने का प्रस्ताव किया है। प्रशिक्षण केन्द्र में लघु उद्योगों में काम करने वाले दक्ष अधिकारियों तथा फोरमैनों को व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक प्रशिक्षण दिया जायेगा। केन्द्र में मशीनों तथा उपकरणों के आद्यरूप तैयार होंगे, जिनको छोटे उद्योगपति उत्पादन के लिए ले सकेंगे। योजना के विस्तृत विवरण के बारे में बातचीत करने तथा उसे अन्तिम रूप देने के लिये, भारत सरकार का एक सरकारी शिष्ट मण्डल अगस्त-सितम्बर १६५७ में पश्चिमी जर्मनी गया।

प्रविधिक सहयोग मिशन की सहायता से राजकोट में एक इसी प्रकार का आद्यरूप बनाने वाला उत्पादन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस केन्द्र के लिये आवश्यक मशीनें तथा उपकरण आने शुरू हो गये हैं।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने अपनी गतिविधियों के कार्यक्रम को बढ़ा दिया है। निगम के मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं:—

१. छोटे कारखानों द्वारा पूरे किये जाने के लिये सरकारी ठेके प्राप्त करना।

२. किराया-खरीद प्रणाली के आधार पर छोटे कारखानों को मशीनें देना।

३. लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री-व्यवस्था में सहायता देना।

४. ओखला (नई दिल्ली) तथा इलाहाबाद में औद्योगिक बस्तियों का निर्माण तथा प्रबन्ध करना।

किराया-खरीद प्रणाली के आधार पर मशीनें खरीदने से सम्बन्धित कार्य का विकेन्द्रीकरण करने के लिये, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में चार सहायक निगम स्थापित कर दिये गये हैं।

सरकारी ठेके दिलवाना.—निगम सरकारी क्रय विभागों से सम्बन्ध रखता है तथा छोटे कारखानों को सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले माल का काफी भाग दिलवाने में सहायता करता है। निगम के प्रयास से लघु उद्योगों के लिये लगभग ३२ लाख रुपयों के सरकारी आर्डर प्राप्त किये गये हैं।

किराया-खरीद प्रणाली के आधार पर मशीनें देना:—अप्रैल-नवम्बर, १९५७ की अवधि में निगम ने किराया-खरीद प्रणाली के आधार पर दी जाने वाली १३५१ मशीनों के लिये ३८८ प्रार्थना पत्र स्वीकार किये तथा उसने ४५५ मशीनें दीं जिनका मूल्य ४२.३५ लाख रुपये है।

औद्योगिक मशीनों के अतिरिक्त, निगम कम आय वाले वर्ग की स्त्रियों को सिलाई की मशीनें देने का प्रबन्ध भी करता है। आलोच्य अवधि में निगम में ८३२ सिलाई मशीनें दीं।

बिक्री व्यवस्था.—लघु उद्योगों द्वारा बनाये गये माल को, चलती फिरती मोटर गाड़ियों द्वारा देहाती क्षेत्रों में बेचने का परीक्षण अब भी निगम की ओर से जारी है।

छोटे कारखानों को उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुएं बेचने में सहायता देने के लिये थोक बिक्री के डिपो इन स्थानों पर खोले गये हैं: आगरा (जूते), अलीगढ़ (ताले), खुरजा (मिट्टी के बरतन), कलकत्ता (सूती हौजरी), लुधियाना (ऊनी हौजरी, सिलाई-मशीनें और साइकिलों के हिस्से), बम्बई (रंग तथा वारनिश), और रेनीगुन्टा (काच के मनके)। छोटे कारखानों की लोहे तथा इस्पात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये निगम ने लुधियाना में कच्चे माल का एक डिपो भी खोला है।

निगम ने राज्य व्यापार निगम की मार्फत, रूस को २½ लाख जोड़े जूते भेजने का आर्डर प्राप्त किया है। इस आर्डर का माल छोटे कारखानों से तैयार कराया गया। रूस को ६५,००० जोड़े जूते तथा पोलैण्ड को ५४,००० जोड़े जूते भेजने के नए आर्डर भी निगम को मिले हैं। ये आर्डर आगरा, ग्वालियर, दिल्ली, पंजाब, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के छोटे निर्माताओं द्वारा पूरे किये जा रहे हैं।

औद्योगिक बस्तियां.—ओखला (दिल्ली के समीप) तथा नैनी (इलाहाबाद के समीप) की औद्योगिक बस्तियों में कारखानों की इमारतें लगभग तैयार हो गया हैं। ओखला में ४० एकड़ भूमि पर तैयार की गई ३५ कारखानों की इमारतें छोटे कारखाने वालों को दी जा चुकी हैं। कोई १२ कारखानों में उत्पादन शुरू हो गया है, दूसरे कारखानों में मशीनें इत्यादि लगाई जा रही हैं। इलाहाबाद की औद्योगिक बस्ती में, ३४ कारखानों के लिए इमारतें तैयार हो गई हैं तथा उनमें से २१ छोटे उद्योगपतियों को दे दी गई हैं।

उन औद्योगिक बस्तियों का विवरण जिनके लिये १९५७-५८ में (२०-१२-१९५७ तक) वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गई :—

(लाख रु० में)

राज्य का नाम	औद्योगिक बस्ती का स्थान	कुल लागत	१९५७-५८ में स्वीकृत की गई राशि	
			अनुदान	ऋण
१. आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	२०.००	०.१३५	७.००
	सामलकोट	७.००	०.०३५	२.५०
	योग	२७.००	०.१७	९.५०
२. असम	टेक्कियाजूली (स०वि० खण्ड)	१.८६	.०३५	१.५०
	योग	१.८६	.०३५	१.५०
३. बम्बई	सूरत (उधाना)	१५.७०	—	४.७०
	बम्बई (कुरला)	१६.२३	—	२.००
	पूना (हरदासपुर)	६.३५	—	१.९२५
	कोल्हापुर	७.२५९	—	३.७६०
	बड़ौदा	१२.३७	—	२.७५०
	योग	५७.९०९	—	१५.१३५
४. जम्मू तथा कश्मीर	जम्मू	१४.५०	—	२.९७
	योग	१४.५०	—	२.९७
५. केरल	*पालघाट	११ ६४	०.०५	२ ००
	त्रिवेन्द्रम	११.६४	०.०५	४.१५
	कुयानाड़ (स० वि० खण्ड)	२.५७	०.०३	२.५७
	योग	२५.८५	०.१३	८ ७२
६. मध्यप्रदेश	जबलपुर	२२.००	—	२.००
	रायपुर	१२.००	—	१.००
	भोपाल	३.००	—	१.००
	सतना	२.५०	—	० ६४
	खण्डवा *	२.५०	—	१.००
	योग	४२.००	—	५ ६४

राज्य	बस्ती			
७. मद्रास	*गिण्डी	७०.०३	—	६.००
	*विरुद्धनगर	२८.४६	—	१.६०
	*इरोड	६.१०	—	०.५०
	मार्त्तण्डम्	२.६२	—	०.२७
	योग	११०.५४	—	११.३७
८. मैसूर	बंगलौर	२०.००	—	८.५०
	बेलगाम	६.००	—	१.३०
	हरिहर	६.००	—	१.३५
	गुलबर्गा	५.००	—	०.६०
	रामनगरम (सं० वि० खण्ड)	३.००	—	०.५०
	हुब्ली	६.००	—	१.३५
	मंगलौर	५.००	—	१.००
	योग	५३.००	—	१५.००
९. उड़ीसा	*कटक	२७.१७	—	३.५०
	झारसुघोडा		—	१.१३
	योग	२६.१७	—	४.६३
१०. राजस्थान	माखुपुर	३.००	—	१.००
	योग	३.००	—	१.००
११. उत्तर प्रदेश	*कानपुर	५०.००	—	५.००
	*आगरा	५०.००	—	५.००
	देवबन्द	१०.००	—	२.००
	वाराणसी (स० वि० खण्ड)	३.००	—	०.५६
	लूनी	३.००	—	०.५६
	*इलाहाबाद	२७.००	—	४.००
	योग	१४३.००	—	१७.१८
१२. पश्चिमी बंगाल	कल्याणी	५४.२०	—	४.३७
	बरुईपुर	५.४५	—	२.००
	योग	५६.६५	—	६.३७
१३. दिल्ली	ओखला (स० वि० खण्ड)	७५.००	—	१३.००
१४. हिमाचल प्रदेश	सोलन (स० वि० खण्ड)	२.६६	—	३.००
१५. त्रिपुरा	अरुन्धितीनगर	३.००	—	१६.००
	योग	८०.६६	—	१६.००
	सम्पूर्ण योग	६५१.७०६	०.३३५	११८.१५

*ये पुरानी बस्तियां हैं जिनके लिये चालू वर्ष में अतिरिक्त राशियां स्वीकृत की गई हैं।

सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाएं और संस्थान

★ *एक वर्ष में हुई प्रगति का संक्षिप्त सिंहावलोकन*

वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय के अधीन निम्न राजकीय संस्थान हैं:—

(१) सिंदरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमीकल्स (प्रा०) लि० ।

(२) नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमीकल्स (प्रा०) लि० ।

(३) हैवी इलैक्ट्रीकल्स (प्रा०) लि० ।

(४) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्रा०) लि० ।

(५) हिन्दुस्तान केबिल्स (प्रा०) लि० ।

(६) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स (प्रा०) लि० ।

(७) हिन्दुस्तान इनसैक्टीसाइड्स (प्रा०) लि० ।

(८) नाहन फाउन्ड्री (प्रा०) लि० ।

(९) नेशनल इन्स्ट्रूमैन्ट्स (प्रा०) लि० ।

(१०) नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमैन्ट कारपोरेशन (प्रा०) लि० ।

(११) नेशनल स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (प्रा०) लि० ।

(१२) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्रा०) लि० ।

(१३) निर्यात जोखिम बीमा कारपोरेशन (प्रा०) लि० ।

सिंदरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमीकल्स (प्रा०) लि० ।

१९५७ में इस कारखाने में पिछले साल की बढ़ी हुई रफ्तार पर ही उत्पादन होता रहा और इस वर्ष ३,३१,८३३ टन अमोनियम सल्फेट का उत्पादन हुआ जबकि १९५६ में ३,३१,७२५ टन हुआ था ।

अमोनियम सल्फेट का वितरण केन्द्रीय उर्वरक भंडार से किया जाता रहा जिसका प्रबंध खाद्य और कृषि मन्त्रालय के हाथ में है । पहली अप्रैल से ३१ दिसम्बर १९५७ तक की अवधि में २,३३,७२६ टन अमोनियम सल्फेट का लदान हुआ जिसका मूल्य सिंदरी में रेल पर (एफ० ओ० आर०) २८० रु० प्रति टन था । १९५७ के कलैंडर व में लगभग ३,२०,००० टन का लदान हुआ ।

कोक ओवन संयंत्र में पूरे पैमाने पर काम होता रहा । इस वर्ष वे परीक्षण भी चलते रहे जिससे कोयले के उस उपयुक्त मिश्रण की खोज की जा सके जिससे गैस संयंत्र में प्रयोग करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कोक प्राप्त किया जा सके । काफी हद तक एक सी कोटि का कोक बनाना अब संभव हो गया है । उपोत्पादन संयंत्र का उत्पादन संतोषजनक रहा । यह संयंत्र जून १९५५ में स्थापित हुआ था ।

यूरिया बनाने की विस्तार-योजना

यूरिया और द्विगुणित लवण बनाने की विस्तार-योजना के सम्बन्ध में मैसर्स मौन्टेकैटिनी द्वारा साज सामान स्थापित करने और इमारतें बनाने के काम में इस वर्ष और प्रगति हुई । अधिकांश साज सामान आ गया है और स्थापित किया जा चुका है । आशा है कि यूरिया और द्विगुणित लवण का उत्पादन इस वर्ष आरंभ हो जाएगा । इस काम का जो भाग कम्पनी द्वारा पूरा किया जाना था, उसकी प्रगति भी संतोषजनक ढंग से चल रही है । नये अमोनियम् सल्फेट संयंत्र के चूर्णक विभाग (माइडिंग सैक्शन) का श्री गणेश २८ अक्टूबर १९५७ को हुआ था । सिन्दरी कारखाने के कर्मचारियों ने ही इस नये संयंत्र की डिजाइन बनायी और अधिकतम् भारतीय सामान तथा उपकरण से इसे लगाया है ।

कारखाने का प्रशिक्षण विभाग इस समय ७४ स्नातक शिशिक्षुओं (ग्रेजुएट एप्रेन्टिसेज) तथा ५७ ट्रेड अप्रेन्टिसों को प्रशिक्षण दे रहा है । इनके अतिरिक्त ६१ ट्रेड अप्रेन्टिस नंगल उर्वरक कारखाने और ४३ अप्रेन्टिस हिन्दुस्तान स्टील लि० के लिए प्रशिक्षण पा रहे हैं । कम्पनी के कर्मचारियों के लिए अंशकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं ।

कारखाने में कर्मचारियों और प्रबंधकों के सम्बन्ध पूर्णतः संतोषजनक और मधुर रहे। कर्मचारियों की सुख सुविधा के क्षेत्र में कल्याण केन्द्र लोकप्रिय बन रहा है और उसमें काफी उपस्थिति रही।

किसानों द्वारा निरीक्षण

देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों से अधिकाधिक संख्या में यात्री कारखाने में आते रहे और आलोच्य वर्ष के प्रथम ९ महीनों में उनकी कुल संख्या ४०,८५७ थी। किसान बड़ी संख्या में यह कारखाना देखने आये जो उर्वरकों को वास्तव में उपयोग किया करते हैं।

कारखाने की वित्तीय स्थिति संतोषजनक बनी रही। १९५६-५७ के वर्ष में कम्पनी ने ५ प्रतिशत लाभांश घोषित किया जबकि उससे पिछले साल ४ प्रतिशत ही घोषित किया था। कम्पनी की पांचवीं वार्षिक साधारण बैठक २५ नवम्बर १९५७ को नयी दिल्ली में हुई थी।

नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमीकल्स (प्रा०) लि०

नंगल फर्टिलाइजर्स-हैवी वाटर प्रायोजना १९५६-५७ में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति करती रही। आशा है कि कारखाने में १९६० के शुरू में उत्पादन आरम्भ हो जाएगा।

संयंत्र के प्रथम बड़े विभाग इलैक्ट्रोलाइजरों का ठेका ३१ मार्च १९५७ को इटली की फर्म मैसर्स डीनोरा को दिया गया है। संयंत्र का उर्वरक विभाग उपलब्ध करने, उसे लगाने और चालू करने का एक ठेका १० अक्तूबर १९५७ को पेरिस की फर्म मैसर्स सैन्ट गोबिन को दिया गया है। बिजली का सामान उपलब्ध करने और उसके लगाये जाने का निरीक्षण करने का ठेका १५ दिसम्बर १९५७ को ब्रिटेन की मैसर्स इंगलिश इलैक्ट्रिक कम्पनी को दिया गया है। ये तीनों आर्डर विलम्बित भुगतान की शर्तों पर दिये गये हैं। प्रविधिक विशेषज्ञों की एक समिति बनायी गयी है जो भारी पानी बनाने के हाइड्रोजन डिस्टिलेशन संयंत्र के लिए आये टैंडरों की जांच पड़ताल करेगी। यही अंतिम आर्डर बाकी है जो अभी दिया जाना है।

कारखाने के लिए ३,७६१ एकड़ जमीन प्राप्त कर ली गई है। इस जमीन पर बसने वाले ग्रामीणों को किसी और स्थान पर बसाने की योजना पंजाब सरकार के परामर्श से मोटे तौर पर बना ली गयी है। इस योजना के अनुसार ७५ एकड़ भूमि जो कम्पनी ने प्राप्त कर ली है, उसका विकास किया जाएगा, उसमें सड़कें, कुएं और कच्ची नालियां बनायी जाएंगी तथा वह भूमि इन विस्थापित गांव वालों को दी जाएगी। इन लोगों से इस विकास कार्य पर होने वाले खर्च का एक भाग किश्तों में लिया जाएगा जिस में भूमि की कीमत शामिल न होगी।

४ कमरों वाले २५४ मकानों की बस्ती बनकर पूरी हो चुकी है, बिजली लग चुकी है, पानी की व्यवस्था हो गयी है और नालियां आदि बन चुकी हैं।

नंगल बांध से निर्माण बस्ती तक और पूर्व से पश्चिम को जाने वाली मुख्य सड़क सभी प्रकार बनकर पूरी हो चुकी है। कारखाने के लिए रेलवे साइडिंग भी मई १९५८ तक बनकर पूरी हो जाने की आशा है।

३१ दिसम्बर १९५७ को कर्मचारियों की जो संख्या थी वह नीचे दी जाती है:—

(१) टैक्नीकल	
(क) अफसर	३३
(ख) कर्मचारी	१७७
(२) गैर टैक्नीकल	
(क) अफसर	१६
(ख) कर्मचारी	५२१
(३) अप्रैन्टिस	६२
योग	८११

३१-१२-१९५७ तक इस प्रायोजना पर कुल ३.२ करोड़ रु० के लगभग खर्च आया है।

हैवी इलैक्ट्रीकल्स (प्रायवेट) लि०

भारत सरकार द्वारा १९५४ में नियुक्त भारी वैद्युत उपकरण प्रायोजना जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार देश में भारी वैद्युत उपकरण बनाने का एक कारखाना भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। सरकार द्वारा नवम्बर १९५५ में किये गये करार के अधीन, मैसर्स अशोशियेटड इलैक्ट्रीकल इंडस्ट्रीज लि०, लंदन को इस प्राये का प्रविधिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। इस प्रायोजना नियंत्रण और प्रबन्ध करने के लिए हैवी इलैक्ट्रीकल्स (प्रा०) लि० नाम एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी अगस्त १९५६ में बनायी गयी। इस प्रायोजना का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है।

इस प्रायोजना के लिए प्रशिक्षित प्रविधिक कर्मचारियों की बड़ संख्या में आवश्यकता होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, , समन्वित प्रशिक्षण योजना बनायी गई है जिसके अनुसार

(१) उच्च अफसरों को सलाहकार कम्पनी के ब्रिटेन स्थित का खानों में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, और

(२) भोपाल में कारखाने के स्थल पर ही प्रशिक्षण-सह-उत्पाद स्कूल खोला जाएगा जिससे निम्नश्रेणियों के प्रविधिज्ञों (टैक्नीशियनों) को प्रशिक्षित किया जा सके।

प्रशिक्षण स्कूल

यह स्कूल ऐसा बनाया गया है जिसमें १ पाली के आधार पर ७. में ६०० प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया जा सके। इस स्कूल

सम्बद्ध वर्कशाप प्रशिक्षण-सह-उत्पादन वर्कशाप होगी। इस प्रशिक्षण योजना पर अब अमल किया जा रहा है। शुरू में यह कार्यक्रम बनाया गया था कि दो पालियों में लगभग १८०० व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जून १९५७ में लगभग ४० इंजीनियरों को ब्रिटेन भेजा जा चुका है जिससे वे सलाहकार फर्म के कारखानों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। इस स्कूल, इसकी वर्कशाप तथा ८०० प्रशिक्षणार्थियों के रहने लायक होस्टल की इमारतें भोपाल में बनी रही हैं। प्रशिक्षण स्कूल के कर्मचारियों के लिए कुछ मकान भी बन रहे हैं। इस ट्रेनिंग स्कूल के लिये आवश्यक ६० लाख रु० की मशीनों और साज-सामान के आर्डर देशी तथा विदेशी निर्माताओं को दिये जा चुके हैं।

सलाहकार फर्म ने जो विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन पेश किया है; उसके अनुसार प्रायोजना का पूंजी परिव्यय ४५.५ करोड़ रु० (जिसमें बस्ती बनाने का खर्च सम्मिलित नहीं है) होगा और टैक्नाकल तथा गैर टैक्नोकल सभी तरह के १०,००० लोगों को रोजगार मिलेगा। कारखाने की योजना के अनुसार इस में प्रतिवर्ष लगभग १२.५ करोड़ रु० मूल्य की वस्तुएं बना करेंगी। मशीनी औजार उपकरण में विस्तार की गुंजाइश रखी गयी जिससे उत्पादन बढ़कर २२ करोड़ रु० प्रतिवर्ष तक हो जाए। लेकिन विदेशी मुद्रा की मौजूदा कमी तथा समग्ररूपेण वित्तीय कठिनाइयों के कारण निर्माण कार्यक्रम को नये सिरे से इस प्रकार ढालने का प्रयत्न किया गया है जिससे 'अगले २-३ सालों में यथासम्भव कम से कम विदेशी मुद्रा खर्च करके अधिकतम उत्पादन किया जाए और फिर भी सरकार को प्रायोजना पूरी करने के समग्र कार्यक्रम में भारी हेर फेर न करने पड़। सलाहकार फर्म ने सिफारिश की है कि निर्माण कार्यक्रम के पहले दौर के रूप में चार वस्तुएं अर्थात् ट्रांसफार्मर, स्विचगीयर,-कण्ट्रोलगीयर तथा कैपेसिटर का उत्पादन शुरू किया जाए। इस पर कुल १९.० करोड़ रु० की पूंजी खर्च होगी जिसमें से ४.८१ करोड़ रु० विदेशी मुद्रा के रूप में होगा। इसमें १९६०-६१ से उत्पादन शुरू हो जाएगा और १९६५ तक उत्पादन ६.२ करोड़ रु० प्रतिवर्ष पहुँच जाने का अनुमान है।

कारखाने का निर्माण

मुख्य कारखाने में चार मुख्य ब्लाक तथा एक फाउंड्री ब्लाक होगा। इन पाचों ब्लाकों में निर्माण कार्य करने के लिए कुल १५ लाख वर्ग फीट जगह होगी। आरम्भ में दो ब्लाक तथा फाउण्ड्री ब्लाक का कुछ भाग बनाया जाएगा। कारखाने की जगह का सर्वे करने तथा उसे समतल करने का प्रारम्भिक काम पूरा हो चुका है। जो दो ब्लाक बनाए जाएंगे, उनके इस्पाती ढांचों के लिए टेण्डर आ चुके हैं और विचाराधीन हैं। बस्ती का नक्शा आदि बनाने का काम शुरू किया जा चुका है।

सलाहकार फर्म की मार्फत ब्रिटिश बैंकों से ऋण की सुविधाएं देने के लिए एक प्रस्ताव आया है जिससे मुख्य कारखाने के लिए आवश्यक मशीनी औजार और अन्य उपकरण खरीदे जा सकें। ये ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए एक करार के बारे में बातचीत हो रही है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्रा०) लि०

जनवरी १९५६ में भारत सरकार ने प्रोफेसर एम० ए० थैकर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी जिसका काम देश मे विभिन्न प्रकार के मशीनी औजारों की माग और सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्र के मौजूदा कारखानों की उत्पादन सामर्थ्य का आकलन करना और यह सिफारिश करना था कि प्रत्येक क्षेत्र का भविष्य में कैसे विकास हो सकता है। इस समिति ने सिफारिश की कि हिन्दुस्तान मशीन टूल निम्नलिखित मशीनी औजारों का उत्पादन निम्न क्रम से करे :—१६ इंची स्विंग की खरादें, नम्बर दो और तीन मिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीनें, २ इंची और इससे ऊपर की घुमावदार बरमा मशीनें, २० से २८ इंची स्विंग की खरादें, प्रोडक्शन जिग बोरर तथा अन्य किस्मों, कैप्सटन तथा टरैट दोनों किस्मों की खरादें।

उसके बाद से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० ने प० जर्मनी की फर्म मैसर्स फ्रिज मर्नर से नं० २ और नं० ३ की मिलिंग मशीनों के, जिसकी सिफारिश मशीनी औजार समिति ने की थी, उत्पादन के लिए एक करार के लिए बातचीत की है।

लोकप्रिय औजारों पर जोर

शेष कार्यक्रम के बारे में यह अनुभव किया गया कि विशेष जोर उन्हीं मशीनी औजारों के उत्पादन पर किया जाए जो देश में लोक प्रिय हैं और उस मूल्य तथा प्रतिमान के हैं जिनकी देश में सबसे ज्यादा मांग है। ऐसा कार्यक्रम बनाने के लिए मशीनी औजार विशेषज्ञों का एक कार्यकारी दल नियुक्त किया गया जो भविष्य के लिए यथार्थतापूर्ण कार्यक्रम बनाये।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्रा०) लि० का कारबार, विभिन्न वर्गों के मशीनी औजार बनाने की क्षमता तथा देश में माग के नवीनतम् रुख को देखते हुए, कार्यकारी दल ने हिन्दुस्तान टूल्स के लिए निम्न कार्यक्रम की सिफारिश की है :—

वर्ष	जलहाली में निर्माण तथा पुर्जे जोड़कर निर्माण	अधिक प्रतिशत आयातित तथा जलहाली में बने कुछ पुर्जों को छोड़कर निर्माण
१६५७-५८	(१) एच-२२ खराद	(२) दो और तीन नम्बर की मिलिंग मशीनें (३) १॥ और २ इंची के रेडियल बरमा
१६५८-५६	(१) एच-२२ खराद (२) नम्बर २ और ३ की मिलिंग मशीनें	(३) १॥ और २ इंची के रेडियल बरमा (४) ८॥ इंची सेंटर मीडियम ड्यूटी खरादें (५) १२॥ इंची सेंटर हैवी ड्यूटी खरादें
१६५६-६०	(१) एच-२२ खराद (२) नम्बर २ और ३ की मिलिंग मशीनें (३) १॥ और २ इंची के रेडियल बरमा	(४) ८॥ इंची की सेंटर मीडियम ड्यूटी खरादें (५) १२॥ इंची सेंटर हैवी ड्यूटी खरादें
१६६०-६१	ऊपर (१) से (५) तक उल्लिखित सब मशीनें	कुछ नहीं।

कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की है कि कारखाने में ही एक समन्वित फाउंड्री स्थापित की जाए जिससे हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० के लिए आवश्यक बढ़िया ढलाई की चीजें बन सकें ताकि इसमें बने मशीनी औजारों की लागत कम पड़े। सरकार ने ये सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। इनके अलावा यह निश्चय किया गया कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, जब भी आवश्यक हो, निम्न मशीनें बनाए :—६ इंच से ८ इंच ऊंचे सेंटर की हलकी तथा मध्यम ड्यूटी की खरादें, जिनकी रफ्तार मध्यम तथा तेज हो और जिनमें टंगस्टन कारबाइड टूल प्रयोग किये जा सकें, हल्की ड्यूटी की मिलिंग मशीनें तथा स्तम्भाकार बरमा मशीनें।

उत्पादन की गति

१६५७-५८ के वर्ष के लिए पहले १३१ मशीनें बनाने का लक्ष्य रखा गया था। मूल कार्यक्रम के अनुसार द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि के अंत तक उत्पादन गति ४०० मशीनें प्रतिवर्ष बनाने तक पहुंच जानी थी। इस कार्यक्रम के अनुसार अप्रैल-नवम्बर १६५७ तक वास्तविक उत्पादन २१८ मशीनों का रहा। आशा है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल कं० १६५७-५८ में ४०० मशीनों का उत्पादन करने लगेगी और इस प्रकार निर्धारित कार्यक्रम से तीन साल पहले ही पूर्ण उत्पादन होने लगेगा। कारखाने ने इस अवधि में (अप्रैल-नवम्बर १६५७) २७६ मशीनों के आर्डर प्राप्त किये जिनका मूल्य लगभग १११ लाख रु० है।

२ साइज और ३ साइज की मिलिंग मशीनों की पहली शृङ्खला मई १६५७ में पूरी हो गयी। सरकार ने घुमावदार बरमा (रेडियल ड्रिल) प्रायोजना स्वीकार करली है और आशा है कि १६५७-५८ में घुमावदार बरमों को जोड़कर बनाने की व्यवस्था शीघ्र ही कर दी जाएगी। एक फाउन्ड्री स्थापित करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

उत्पादन की बढ़ती हुई गति के अनुरूप ही प्रगति बनाये रखने के लिये एक अतिरिक्त असेम्बली हैंगर और प्रशासकीय इमारत ... निर्माण शुरू कर दिया है और उसमें प्रगति हो रही है गैरजों, वर्कशा... तथा कर्मचारी क्लब का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाने वाला है।

कारखाने में प्रारम्भिक कर्मचारी पूरे करने के लिए प्रशिक्षण कार्य क्रम तेजी से चल रहा है। प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षार्थियों की संख्या अप्रैल १६५६ की २२ से बढ़कर १ दिसम्बर १६५७ को १७७ हो गयी कारखाने में प्रारम्भिक कर्मचारी पूरे करने का प्रशिक्षण अगले वर्ष मध्य तक पूरा हो जाने की आशा है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि बहुत से प्रशिक्षार्थियों को गैर सरकारी क्षेत्र में भी प्रशिक्षण दिला... है। निरीक्षक कर्मचारी मंडल का भारतीयकरण करने की नीति ... जा रही है। १ अप्रैल १६५६ को कंपनी के रजिस्टर में जहां ७७ विदेश लोगों के नाम थे, वहां १ दिसम्बर १६५७ को उनकी संख्या ३१ रह गयी

१६५६-५७ में कम्पनी का कार्य वित्तीय दृष्टि से बड़ा उत्साह पू... रहा उसके काम-काज का यह पहला साल था और कम्पनी इस ... ३.६ लाख रु० का शुद्ध मुनाफा दिखा सकी है।

हिन्दुस्तान केबिल्स (प्रा०) लि०

आलोच्य वर्ष में कम्पनी के उत्पादन में बराबर प्रगति होती रही १६५६-५७ में टेलीफोन का ५६१ मील लंबा भूगर्भीय केबिल बन... गया जिसका मूल्य ६५ लाख रु० होता है जब कि उससे पिछले ... ७७ लाख रु० का ५२५ मील लम्बा केबिल बनाया गया था। ... (दिसम्बर १६५७ तक) ३८१ मील लम्बे केबिल बना चुकी है। अनुम... है कि ३१ मार्च १६५८ तक टेलीफोन का ५,००–५५० मील लम्बा ...

केबिल बनेगा जिसकी अनुमित लागत १ करोड़ रु० होगी। कारखाने की आरमरिंग क्षमता दुगुनी करने के लिए कदम उठाये गए हैं। इस विस्तार कार्यक्रम का कार्य करीब करीब पूरा होने वाला है। प्रस्तावित विस्तार कार्य पूरा होने पर यह आशा है कि कारखाने में प्रति वर्ष १००० मील केबिल बन सकेगा और इस प्रकार डाक तथा तार विभाग की पूरी माग तथा अन्य विभागों जैसे रेलवे आदि की आवश्यकताएं पूरी की जा सकेंगी।

कोएक्सियल केबिल प्रायोजना

डाक और तार विभाग का कार्यक्रम भारत के प्रमुख शहरों को कोएक्सियल केबिल से सम्बद्ध करने का है जिससे ३०० मील कोएक्सियल केबिल की आवश्यकता प्रतिवर्ष पड़ेगी। इस बात का ध्यान में रख कर कोएक्सियल केबिल के उत्पादन की एक योजना जिस पर ८२ लाख रु० खर्च आएगा, सरकार ने मई १९५६ में स्वीकार की थी। इसके लिए अधिकांश साज-सामान के आर्डर दिये जा चुके हैं। बहुत सा साज-सामान १९५७-५८ और १९५८-५९ में आ जाने की सम्भावना है और १९५९ में उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है। कम्पनी की सलाहकार फर्म मैसर्स स्टैण्डर्ड टेलीफोन्स एण्ड केबिल्स लि०, लंदन इस प्रायोजना के लिए भी प्रैविधिक सहायता दे रही है।

कच्चा माल

टेलीफोन के केबिल बनाने में काम आने वाले प्रमुख कच्चे माल हैं—तांबे के तार, इन्सुलेटिंग कागज, सुरमायुक्त सीसा, इस्पाती टेप, राल, हैशियन और लकड़ी। कम्पनी की आवश्यकताओं का करीब ५०-६० प्रतिशत तांबे का तार देशी साधनों से ही उपलब्ध हो जाता है। कम्पनी को अपनी आवश्यकताओं का कुल ४० से ५० प्रतिशत भाग ही आयात करना होता है क्योंकि तांबे के तार बनाने के देशी कारखानों की क्षमता इस समय पर्याप्त नहीं है। सुरमापूर्ण सीसे, हैशियन, राल तथा लकड़ी देश में से ही प्राप्त कर ली जाती है। तार लपेटने का कागज और इस्पाती टेप इस समय आयात किया जाता है और दोनों चीजें देश के साधनों से ही प्राप्त करने की सम्भावनाओं की जांच की जा रही है।

हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स प्रायवेट लि०, पिंपरी

पेनिसिलिन बनाने के इस कारखाने की, जो भारत में अपनी किस्म का अकेला ही है और पूर्व में सबसे बड़ा कारखाना है, स्थापना भारत सरकार ने सं० रा० अन्तर्राष्ट्रीय आपत्कालिक बाल सहायता कोष और विश्व स्वास्थ्य संघ की वित्तीय और प्रैविधिक सहायता से की थी। कारखाने की इमारत तथा आधुनिक आवास बस्ती पिम्परी के रमणीक स्थान में २०० एकड़ में है। यह स्थान बम्बई-पूना सड़क पर पूना से ९ मील दूर है। इमारत बन जाने पर ३० मार्च १९५४ को एक प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी बनाया गयी थी। इसकी प्राधिकृत पूंजी ४ करोड़ रु० है जिस में से अब तक ३.३२ करोड़ की कीमत के हिस्से बिक चुके हैं जो सारे के सारे भारत सरकार ने खरीदे हैं।

उत्पादन

शुरू में योजना यह बनायी गयी थी कि कारखाना पहले ४८ लाख मेगा यूनिट पैनिसिलीन प्रतिवर्ष से उत्पादन शुरू करके ९० लाख मेगा यूनिट पैनिसिलिन प्रतिवर्ष बनाया करेगा। शुरू के परीक्षणों के बाद कारखाना अगस्त १९५५ से उत्पादन करने लगा। १९५५-५६ के वित्तीय वर्ष में ही कारखाने ने ६६ लाख मेगा यूनिट फर्स्टक्रिस्टल तैयार किये और इसका कुछ भाग प्रयोग करके ६.२ लाख मेगा यूनिट तैयार पैनिसिलीन बनायी गयी। १९५६-५७ में उत्पादन में काफी प्रगति हुई और इस अवधि में पैनिसिलीन के १६१५ लाख मेगा यूनिट फर्स्ट क्रिस्टल तैयार किये गये। १९५६-५७ में ९८९ लाख मेगा यूनिट तैयार पैनिसिलीन बनायी गया। इससे प्रकट है कि कारखाना स्थापित करते समय ९० लाख मेगा यूनिट पैनिसिलीन बनाने का जो लक्ष्य रखा गया था, उससे अधिक उत्पादन तो कारखाना स्थापित होने के बाद नियमित उत्पादन के पहले वर्ष १९५६-५७ में ही हुआ। डाक्टरों को जिन विभिन्न प्रकारों की पैनिसिलीन की आवश्यकता होती है, उनका इस वर्ष में उत्पादन करने की व्यवस्था की गयी।

विस्तार

कारखाने के एन्टी बायोटिक गवेषणा केन्द्र में आविष्कृत पैनिसिलीन मोल्ड के उन्नत स्ट्रेनों को अपनाने से बहुत अधिक उत्पादन किया जाने लगा और शुरू में जो कारखाना ९० लाख यूनिट की स्थापित उत्पादन क्षमता वाला बनाया गया था, उसे २॥ करोड़ मेगायूनिट पैनिसिलीन प्रतिवर्ष बनाने के लिए भली प्रकार प्रयोग किया गया। इस दिशा में और गवेषणा कार्य चल रहा है जिससे पैनिसिलीन के और भी अच्छी किस्म के स्ट्रेनों की खोज की जा सके और अब से भी अधिक उत्पादन किया जा सके।

नवानतर तथा अधिक उन्नत स्ट्रेन प्रयोग करने और उससे उत्पादन में वृद्धि करने के अतिरिक्त कारखाने की भौतिक क्षमता और बढ़ाई जा रही है जिससे देश की पैनिसिलीन की बढ़ी हुई आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। ६० प्रतिशत विस्तार के कार्यक्रम पर अमल हो रहा है। जब यह पूरा हो जाएगा तो कारखाने में ४ करोड़ मेगा यूनिट पैनिसिलीन बनने लगने की संभावना है जबकि इस समय देश में ५ करोड़ मेगा यूनिट पैनिसिलीन की माग है। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह माग कुछ सालों में दुगुनी हो जाएगी। नवीनतम अनुमानों के अनुसार ६० प्रतिशत विस्तार कार्यक्रम पर करीब ६० लाख रु० लागत आएगी। इस काम के लिए आवश्यक अधिकांश मशीनों के आर्डर दिये जा चुके हैं। इनमें से कुछ मशीनें आ भी चुकी हैं तथा उन्हें लगाया जा रहा है। वर्तमान लक्षणों से यह ६० प्रतिशत विस्तार कार्यक्रम १९५९ के मध्य तक पूरा हो जाने की आशा है।

उत्कृष्टता नियंत्रण

इस महत्वपूर्ण औषधि के निर्माण में उत्कृष्टता सम्बंधी उच्चतम् मानदण्ड बराबर बना रह सके, इसके लिए एक स्वतंत्र उत्कृष्टता नियंत्रण अनुभाग खोला गया है जो पैनिसिलीन बनाने के विभिन्न चरणों में नमूने लेता है, उनकी परीक्षा करता है और नियमित रूप से उनकी रिपोर्ट लेता है। यूरोप के आगे बढ़े देशों तथा अमेरिका में निर्धारित प्रतिमान पूरी तरह अपनाये गये हैं और अधिकतम् कड़ाई के साथ उनको लागू किया जाता है। कारखाने के नमूनों को न सिर्फ भारत वल्कि ब्रिटेन, अमेरिका और वेल्जियम की बाहरी तथा स्वतंत्र संस्थाओं के पास एक नियत समय के बाद लगातार भेजा जाता है। इन स्वतंत्र संस्थाओं से प्राप्त सूचनाओं से इस बात की पुष्टि हुई है कि हिन्दुस्तान एन्टीवायोटिक्स (प्रा०) लि० में बनी पैनिसिलीन की किस्म अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप है।

गवेषणा

एण्टीवायोटिक गवेषणा केन्द्र का निर्माण करने तथा साज-सामान लगाने पर १५ लाख रु० की लागत आयी थी। इसमें उच्चतम योग्यता वाले वैज्ञानिक तथा प्रविधिक कर्मचारी हैं। यह केन्द्र इस कारखाने में बनने वाली पैनिसिलीन की किस्म तथा परिमाण में सुधार करने, आयातित मालों के स्थान पर देसी माल प्रयोग करने, और न सिर्फ पैनिसिलीन बल्कि अन्य एण्टी वायोटिक औषधों के निर्माण की अधिक मितव्ययतापूर्ण और कुशल प्रक्रियाएं निकालने के लिए लगातार काम कर रहा है। पूना और बम्बई के विश्वविद्यालयों ने इस केन्द्र को स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) गवेषणा कार्य के लिए एक संस्था के रूप में मान्यता दे दी है और केन्द्र के कुछ वैज्ञानिकों को स्नातकोत्तर उपाधियों के लिए पथ-प्रदर्शक के रूप में मान्यता दे दी गई है।

स्ट्रैप्टोमाइसीन का निर्माण

पिम्परी में स्ट्रैप्टोमाइसीन बनाने के लिए बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। यह काम शुरू करके दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूरा कर लिये जाने की सम्भावना है।

वाइसिलीन बनाने के प्रस्ताव त्याग दिये गये हैं क्योंकि देश में इस औषध की मांग सीमित है और निकट भविष्य में वाइसिलीन का स्थान पैनिसिलीन की गोलियों द्वारा लिये जाने की संभावना है। इसके अनुसार पैनिसिलीन 'वी' बनाने के लिए स्थितियां पैदा करने को कदम उठाये गये और अब इसका नियमित उत्पादन शुरू हो गया है।

काम काज का परिणाम

संयंत्र के मूल्य ह्रास के लिए धन अलग रखने के बाद १६५६-५७ में कम्पनी को ५७,६०७ रु० १ आ० २ पा० का मुनाफा हुआ। कम्पनी के ठीक से चलने का यह पहला वर्ष था, इस बात को ध्यान में रखते हुए, यह थोड़ा सा मुनाफा होना भी सन्तोषजनक है।

हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाइड्स (प्रा०) लि०

डी० डी० टी० फैक्टरी, दिल्ली

भारत में स्थापित किया गया यह अपने ढंग का पहला कारखाना है जो मलेरिया का नियन्त्रण करने के सम्बन्ध में खोला गया है। कीटनाशक पदार्थ तैयार करने वाले एक कारखाने की स्थापना के उद्देश्य से भारत सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपत्कालिक बाल सहायता कोष के मध्य १६ जुलाई १६५२ को निश्चित हुई कार्य संचालन योजना के अनुसार इस कारखाने का जन्म हुआ। इस करार के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपत्कालिक बाल सहायता कोष २,५०,००० डालर मूल्य के संयंत्र और मशीनें तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन १,००,००० डालर की प्रविधिक सहायता देने को सहमत हो गया है। भारत सरकार की जिम्मेवारी जमीन, इमारतें, अन्य सेवाएं और सहायक वस्तुएं प्रदान करने तथा ३५,००,००० रु० की लागत से संयन्त्र और उपकरणों की स्थापना करने की थी। यह भी निश्चय किया गया कि इस कारखाने का समस्त उत्पादन जन स्वास्थ्य के लिए काम में लाया जाएगा और अंततोगत्वा लाभान्वित होने वाले पर इसका खर्च नहीं पड़ेगा।

उत्पादन

१६५७ में टैक्नीकल डी० डी० टी० का कुल उत्पादन ६२३.१३ टन हुआ जबकि उत्पादन लक्ष्य ७०० टन था। फौर्मुलिटेड डी० डी० टी० (५० प्रतिशत आर्द्रनीय चूर्ण) का उत्पादन ६४७.०५ टन हुआ। वायु संपीडक यन्त्र (Air Compressor) और इसके मोटर के बिगड़ जाने तथा उष्ण प्रदेशीय परिस्थितियों में निर्माण करने की कठिनाइयों के कारण फौर्मुलिटेड डी० डी० टी० के उत्पादन में कमी हुई।

१६५७ में हुए डी० डी० टी० के लदान का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :—

१.	पंजाब	३,५८,२०० पौंड
२.	मध्य प्रदेश	१,७६,००० पौंड
३.	उत्तर प्रदेश	१,३५,००० पौंड
४.	उड़ीसा	१,७६,१०० पौंड
५.	राजस्थान	३,२२,५०० पौंड
६.	मैसूर	१,७६,१०० पौंड
	टैक्नीकल डी० डी० टी०	
१.	बम्बई	४,६३,६४० पौंड
	सब-स्टैण्डर्ड डी० डी० टी०	
१.	दिल्ली	२७,२४० पौंड
२.	पंजाब	१२० पौंड

प्रशिक्षण

मार्च १९५७ में इस कम्पनी ने सयंत्र सम्बन्धी प्रशिक्षण की एक योजना प्रारम्भ की जो अच्छी प्रगति कर रही है। इस योजना के अधीन प्रशिक्षण सम्बन्धी कक्षाएं लगती हैं और सप्ताह में एक घण्टे का व्याख्यान भी होता है। अभी इनमें ग्रेजुएटों तथा मैट्रिक पास व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कारखाने के पर्यवेक्षी कर्मचारी इन कक्षाओं में प्रशिक्षण देते हैं। ग्रेजुएटों को संयन्त्र इंजीनियरी की शिक्षा दी जाती है और मैट्रिक पास व्यक्तियों को भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के सिद्धांत बताये जाते हैं। लिखित परीक्षाओं द्वारा प्रशिक्षण की प्रगति की जांच की जाती है और उच्च पदों को प्राप्त करने के लिये प्रशिक्षण कोर्स को सफलतापूर्वक समाप्त करना अनिवार्य बना दिया गया है।

दिल्ली सयंत्र का विस्तार

मलेरिया निरोधक कार्य में देश की डी० डी० टी० की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भारत सरकार ने दिल्ली सयंत्र की उत्पादन क्षमता को दुगुनी कर देने का निश्चय किया है।

विस्तार प्रायोजना का प्रारम्भिक कार्य १९५६ में आरम्भ किया गया जिसका लक्ष्य प्रतिवर्ष १४०० टन टैक्नीकल डी० डी० टी० का उत्पादन करना था। इस प्रायोजना की कुल लागत २१ २४ लाख रु० आंकी गई थी। संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय आपत्कालिक बाल सहायता कोष द्वारा संयन्त्र और उपकरण के रूप में दी गई १३.०६ लाख रु० की सहायता भी इसमें सम्मिलित है। एम० सी० बी० विभाग और डी० डी० टी० विभाग में उपकरण लगाने का कार्य पूरा हो चुका है। ईंजीन अल्लीयन और ए० सी० बी० आसवन कारखानों में काम पहले ही आरम्भ हो चुका है। मैसर्स डी० सी० एम० कैमीकल्स वर्क्स से अतिरिक्त परिमाण में क्लोरीन मिलने पर कारखाने में फरवरी १९५८ में परीक्षण कार्य आरम्भ किया जायेगा।

डी० डी० टी० फैक्टरी, अलवाये

न्यूयार्क के मैसर्स सिगमास्टर एंड ब्रेयर ने, जिनको डी० डी० टी० के उत्पादन के लिये सयंत्र खड़ा करने और उपकरण देने के लिये ठेका दिया गया था, सितम्बर १९५७ में समस्त मशीनें और उपकरण सयंत्र के स्थान पर पहुँचा दीं। इसके पश्चात् शीघ्र ही कारखाना खड़ा हो गया और दिसम्बर १९५७ में परीक्षण के तौर पर उत्पादन आरम्भ हो गया। ठेके के अंतर्गत निर्धारित गारण्टी परीक्षण २८ फरवरी १९५८ को आरम्भ किए गए और ये परीक्षण ३१ जनवरी १९५८ को सफलता पूर्वक समाप्त हुए। आशा है कि निकट भविष्य म ही कारखान में नियमित रूप से उत्पादन होने लगेगा।

मैसर्स सिगमास्टर एण्ड ब्रेयर ने एक फार्मुलेटिंग संयन्त्र की स्थापना भी कर दी है जिसकी क्षमता प्रतिवर्ष १४०० टन टैक्नीकल डी० डी० का उत्पादन करने की है।

केरल की राज्य सरकार इस कारखाने को उन्हीं घटाई हुई हाई टेन्शन विद्युत शक्ति प्रदान करने के लिये सहमत हो गई जिन पर मैसर्स फर्टिलाइजर एण्ड कैमीकल्स ट्रावनकोर लि० को बिजली जाती है।

अलवाये सयंत्र के लिये परिचालन और प्रशासकीय उच्च कर्मचारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। अन्य स्थानों के लिये भर्ती जारी है।

डी० डी० टी० के दोनों कारखानों का प्रबन्ध मैसर्स हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाइड्स प्राइवेट लि० के हाथ में है। इसकी अधिकृत पूंजी १ करोड़ रु० है।

नेशनल इंस्ट्रुमैंट्स (प्रा०) लि०

नेशनल इंस्ट्रुमैंट्स फैक्टरी, कलकत्ता १८३० में स्थापना के समय से ही (पहले इसे मैथमैटीकल इंस्ट्रुमैंट्स आफिस कहते थे) सरकारी विभाग के रूप में चलती रही है। २९ जून १९५७ से इसे कम्पनी अधिनियम १९५६ के अधीन एक प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसका नाम अब नेशनल इन्स्ट्रुमैंट्स प्रायवेट लि०, कलकत्ता है और भारत सरकार के संस्थान के रूप में चल रही है। इसका प्रबन्ध चलाने के लिए एक संचालक मंडल (बोर्ड आफ डायरेक्टर्स) बना दिया गया है, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के लोग हैं। कम्पनी की अधिकृत पूंजी ३ करोड़ रु० है। इसके १ २५ करोड़ रु० के हिस्से (अस्थायी रूप से) बेचे जाएंगे और सभी हिस्से राष्ट्रपति के नाम में खरीदे जाएंगे।

कारखाने ने पुनर्गठन का कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अपने हाथ में ले लिया है और जादवपुर में इसकी नयी इमारत का निर्माण १९५७ के शुरू में पूरा हो गया। उत्पादन बढ़ाने के लिए नये मशीनी औजारों को लगाने का कार्य जून १९५७ म पूरा हो गया और सयंत्र का प्रमुख भाग तथा अन्य साज सामान वुडस्ट्रीट की इमारत से जादवपुर आ गया है। आज कारखाने के १०५० कर्मचारियों में से ६५० लोग जादवपुर की इमारत म काम कर रहे हैं। नयी इमारत का औपचारिक रूप से उद्घाटन मुख्य मन्त्री डा० वि० चं० राय ने २ मई १९५७ को किया था।

२५ ६७ लाख रु० का उत्पादन

अप्रैल १९५७ से २८ फरवरी १९५८ तक इस कारखाने में २५ ६७ लाख रु० की कीमत का उत्पादन हुआ और आशा है कि मार्च १९५८ में समाप्त होने वर्ष म कुल उत्पादन ३० लाख रु० का होगा जबकि १९५६ ५७ म यह २३ लाख रु० का और १९५५-५६ म यह

४.२४ लाख रु० का था। १९५७-५८ के प्रथम ६ महीनों में ८.६२ लाख रु० की बिक्री हुई जबकि १९५६-५७ में २४.१६ लाख रु० और १९५५-५६ में १६.५३ लाख रु० की हुई थी। उत्पादन में वृद्धि का रुख स्पष्ट है और कुल उत्पादन तथा बिक्री में अब और सुधार होने की सम्भावना है।

१९५७-५८ में रेलों के लिए स्टीम प्रेशर गाजें और दूसरे कामों के लिए वैक्यूम और प्रेशर गोजें बनाने का काम शुरू किया गया। ये गोजें बनाने के लिए एक नया सैक्शन स्थापित किया गया है और उसमें व्यापारिक आधार पर उत्पादन हाल ही में शुरू हुआ है।

विभिन्न श्रेणियों के उन प्रशिक्षार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की सुविधाएं दी जाती रहीं जिन्हें प्रबन्ध विभाग अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

सरकारी औद्योगिक संस्थानों के कार्यकलापों में समन्वय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र में चलने वाले बहुत से संस्थानों के कामों में समन्वय लाने के लिए अगस्त १९५७ में औद्योगिक प्रायोजना समन्वय समिति स्थापित की गयी थी। समिति का मुख्य उद्देश्य सरकार को औद्योगिक प्रायोजनाओं की प्रगति पर बराबर और लगातार निगाह रखना तथा उनके सामने आने वाली सामान्य समस्याओं के हल निकालना है। यह अनुभव किया गया कि सरकारी क्षेत्र के उद्योग अपने अनुभवों का संयुक्त प्रयोग करें तो इनका तेजी से विकास हो सकता है। इस प्रकार यह समिति प्रत्येक कारखाने के सामने आने वाली सभी महत्वपूर्ण समस्याओं के लिए एक क्लीयरिंग हाउस का काम करती है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री इस समिति के सदस्य हैं और कम्पनी के प्रबन्ध में चलने वाले सभी संस्थानों के चेयरमैन तथा मैनेजिंग डायरेक्टर और इस मन्त्रालय में इन प्रायोजनाओं का काम देखने वाले संयुक्त सचिव इस समिति के सदस्य हैं। इनके अतिरिक्त संचालक मंडलों के वित्तीय प्रतिनिधि और श्रम मन्त्रालय के प्रतिनिधियों को भी समिति में लिया गया है।

इस समिति के मुख्य कार्य ये हैं:—

(१) सभी प्रायोजनाओं की प्रगति का सिंहावलोकन करना,

(२) विभिन्न संस्थानों के समस्त प्रशिक्षण तथा उत्पादन कार्यक्रमों में समन्वय लाना,

(३) श्रम, वित्त, उत्पादन तथा विकास सम्बन्धी नीतियों पर विचार-विनिमय करना, और

(४) गवेषणा सम्बन्धी कार्यक्रमों पर विचार विनिमय करना।

अपने सुझाव भेजिए

'उद्योग-व्यापार पत्रिका', उद्योग और व्यापार से सम्बन्ध रखने वाले पाठकों की सेवा गत पांच वर्षों से कर रही है। इस अवधि में ही पत्रिका ने अपना एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। देश के औद्योगिक और व्यापारी क्षेत्रों में इसका हृदय से स्वागत किया गया है।

'पत्रिका' को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया जाता है। परन्तु इस सम्बन्ध में हम अपने प्रिय पाठकों के सुझाव भी चाहते हैं। अतः निवेदन है कि पाठकगण अपने सुझाव हमें शीघ्र लिख भेजने की कृपा करें। सुझाव इसी दृष्टि से होने चाहिए कि 'पत्रिका' को उनके लिये किस प्रकार और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है।

उद्योग-व्यापार पत्रिका,
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय,
भारत सरकार, नयी दिल्ली।

भारतीय डाक-तार विभाग का

सचित्र मासिक पत्र

'डाकतार'

१. हिन्दी और अंग्रेज़ी में सचित्र लेखों, कविताओं का अपूर्व समन्वय।

२. डाक-तार से सम्बन्धित सभी विषयों पर विचारपूर्ण लेख।

३. डाक-तार विभाग के प्रयोगात्मक कार्यों, बहुमुखी प्रवृत्तियों, कार्यवाहक सेवाओं की जानकारी।

४. डाक-तार विभाग के वभिन्न केन्द्रों में कहाँ किस प्रकार क्या कुछ हो रहा है, इसकी जानकारी।

५. जनता को बेहतर सेवाएं देने की डाक-तार विभाग की योजनाएँ क्या हैं और किस तरह उन पर अमल हो रहा है, इसकी सूचना।

६. डाक-तार की दुनियाँ से सम्बन्धित लेख, कविताएँ, कहानियाँ, रेखा-चित्र, हर तरह की विभागीय सूचनाएँ।

७. डाक-तार विभाग के महानिदेशक के समय-समय पर प्रसारित किए गए आदेश-निर्देश का पूरा विवरण आदि 'डाकतार' में मिलेगा।

वार्षिक मूल्य छः रुपये : एक प्रति का मूल्य आठ आने।

'डाकतार' की प्रतियां भारत के सभी मुख्य डाक-घरों में मिल सकती हैं।

विशेष जानकारी के लिए लिखें :—

सम्पादक—'डाकतार'

डाक-तार के महानिदेशक का कार्यालय

चर्च रोड, नई दिल्ली

जानकारी विभाग

विशाल उद्योग

साबुन, रोगन व प्लास्टिक की विकास परिषद्

उद्योग मन्त्री श्री मनुभाई शाह ने हाल ही में नयी दिल्ली में साबुन, रोगन तथा प्लास्टिक उद्योगों की विकास परिषद् का उद्घाटन करते हुए कहा कि इन उद्योगों में जहां तक सम्भव हो, हमें ऐसे तेलों का उपयोग करना चाहिए, जो खाने के काम नहीं आते। आपने साबुन निर्माताओं से अनुरोध किया कि वे देश के लोगों में साबुन प्रयोग करने की आदत बढ़ाने की कोशिश करें जिससे देश में साबुन की मांग बढ़े।

रोगन उद्योग के बारे में उन्होंने कहा कि इस उद्योग के लिए हम बाहर से प्रतिवर्ष ११। करोड़ रु० का कच्चा माल मंगाते हैं। हमें चाहिए कि इन उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल का उत्पादन अपने देश में करें।

प्रतिमानीकरण की आवश्यकता

श्री शाह ने इस आवश्यकता पर जोर दिया कि जो रोगन विदेशी बाजार में भेजे जाएं वह प्रतिमानित किस्म के हों और प्रतिमानों का पालन किया जाए। आपने कहा कि प्रतिमानित किस्म का माल तैयार करने से तथा बढ़िया माल बनाने से रोगनों का काफी अधिक निर्यात किया जा सकता है। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि रोगन उद्योग के दोनों वर्ग मिल जाएं और रोगन निर्माताओं की एक केन्द्रीय संस्था बनाएं जो प्रतिमानों के पालन की तरफ ध्यान दे सके और एक केन्द्रीय प्रयोगशाला स्थापित कर सके।

प्लास्टिक उद्योग

प्लास्टिक उद्योग के बारे में श्री शाह ने कहा कि इस उद्योग ने पिछले कुछ वर्षों में बेहद प्रगति कर ली है। देश में बने माल की किस्म भी संतोषजनक है। आपने बताया कि प्लास्टिक का माल बनाने तथा निर्यात करने की बड़ी गुंजाइश है। बहुत से कच्चे माल तथा बुनियादी रसायनिक पदार्थ जैसे स्टाइरीन, फार्मल डी हाइड, फिनोल आदि का उत्पादन होने लगा है। अन्य बुनियादी रसायनिक पदार्थ देश में कम से कम समय में बनाने का एक कार्यक्रम बनाया गया है और विकास परिषद उस पर अमल करने में मदद दे।

श्री शाह ने विकास परिषद के सदस्यों को बताया कि सरकार और विकास शाखा के सामने उद्योग सम्बन्धी जो भी समस्याएं आती हैं, उन पर बराबर विचार किया जाता है। उन्होंने परिषद् को आश्वासन दिया कि उद्योग के सभी क्षेत्रों, कुटीर, लघु, मध्यम या विशाल, चाहे वे विदेशी हों या स्वदेशी, के हित सरकार के हाथों में सुरक्षित हैं और उनके साथ किसी किस्म का भेद भाव नहीं बरता जाएगा। अगर किसी क्षेत्र को संरक्षण दिया भी जाएगा तो सिर्फ आर्थिक कारणों से ही दिया जाएगा।

१३वीं विकास परिषद्

उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम के अधीन बनने वाली यह १३वीं विकास परिषद् है। टाटा इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि०, बम्बई के श्री पी० ए० नारीवाला इस विकास परिषद के अध्यक्ष हैं। इसकी सदस्य संख्या २१ है जिसमें तीनों उद्योगों तथा मजदूरों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

यह परिषद् सरकार से सिफारिश करेगी कि इन उद्योगों के उत्पादन लक्ष्य क्या हों। इनके उत्पादन कार्य-क्रमों के समन्वय तथा इनकी प्रगति की समय-समय पर समीक्षा भी परिषद् किया करेगी। परिषद् कार्य कुशलता का न्यूनतम स्तर भी निर्धारित करेगी जिससे अधिकतम् उत्पादन हो सके, माल की किस्म में सुधार हो सके तथा उत्पादन लागत घटायी जा सके। इन उद्योगों का बना माल प्रतिमानित किस्म का हो, श्रमिकों की उत्पादकता बढ़े तथा श्रमिकों का साधारण कल्याण कार्य बढ़े, यह देखना भी परिषद् का काम होगा।

परिषद् ने अपनी पहली बैठक में यह विचार विनिमय किया कि उसे क्या क्या करना है और आगे के काम के लिए कार्य प्रणाली तय की। इसने तीन उद्योगों—साबुन, रोगन तथा प्लास्टिक—के लिए तीन अलग पैनल बनाये जिससे उनकी अलग-अलग समस्याओं पर विचार किया जा सके।

२८ उद्योगों का उत्पादन बढ़ा

१९५४ में देश के २८ प्रमुख उद्योगों के रजिस्टरीदार कारखानों में १,२८८ करोड़ रु० की कीमत का माल तैयार हुआ, ७ अरब ८७

करोड़ ७५ लाख रु० की पूंजी लगायी गयी और १७ लाख १५ हजार लोगों को कारखानों में काम मिला। १९५३ में इन उद्योगों के कारखानों में केवल १,१२३ करोड़ रु० की कीमत का माल तैयार हुआ, ७ अरब २८ करोड़ ६५ लाख रु० की पूंजी लगायी गयी और १६ लाख २८ हजार लोग कारखानों में काम कर रहे थे।

यह सूचना, १९४२ के उद्योग-आंकड़ा अधिनियम के अन्तर्गत की गयी पड़ताल के फलस्वरूप मिली है। वैसे तो देश में कुल ६३ उद्योग हैं किन्तु जिन २८ उद्योगों को इस पड़ताल में शामिल किया गया उनमें मुख्य हैं—सूती, ऊनी कपड़ा और पटसन, रसायन, लोहा और इस्पात अलुमूनियम, बाईसिकिल, सिलाई की मशीनें, बिजली के लैंप और पंखे, चीनी मिट्टी, दियासलाई, वनस्पति तेल, साबुन, माड़ी, बिस्कुट, रंग-रोगन आदि। भारत के २० भूतपूर्व राज्यों में यह पड़ताल करायी गयी। इस में जम्मू-कश्मीर, भूतपूर्व मध्यभारत, हैदराबाद, भोपाल, बिलासपुर, मणिपुर, त्रिपुरा और अण्डमान-निकोबार राज्य शामिल नहीं हैं। इस गणना में वे ही रजिस्टरीदार कारखाने शामिल किए गए, जिनमें बिजली से मशीनें चलती हैं और २० या इससे अधिक व्यक्ति रोज काम करते हैं।

इस पड़ताल के आधार पर हाल ही में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसमें बताया गया है कि इन उद्योगों के हर कारखाने में कितनी पूंजी लगी, कितना उत्पादन हुआ और उस समय कितने व्यक्ति काम कर रहे थे। रिपोर्ट में हर उद्योग के लिए एक अलग पृष्ठ है, जिसमें उस उद्योग के बारे में हर जानकारी—कारखानों की संख्या, उनमें कच्चे माल, ईंधन, बिजली आदि की खपत, उत्पादन, कर्मचारियों को सुविधाएं आदि—दी गयी है। इस तरह की यह नवीं पड़ताल है। हर साल के समाप्त होने से पहले कारखानों से साल की पूरी जानकारी मांगी जाती है।

१९५४ में लगभग ६ प्रतिशत कारखानों ने जानकारी नहीं भेजी। अब इस बात की कोशिश की जा रही है कि यह पड़ताल पूरी हो और हर कारखाना जानकारी भेजे। १९४२ के अधिनियम की जगह अब आंकड़ा-सकलन अधिनियम, १९५३ बनाया गया है, जो १० नवम्बर, १९५६ से लागू हो चुका है।

१९५५ का जानकारी तैयार की जा रही है।

मशीनों के उत्पादन में वृद्धि

१९५७ में विभिन्न कारखानों के लिए छोटी तथा बड़ी मशीनें काफी संख्या में बनायी गयीं।

सूती कपड़े की मिलों के लिए मशीनें अधिक बनायी गयीं, जैसे १९५७ के पहले ११ महीनों में धुनाई की ८८२ मशीनें बनायी गयीं, कि १९५६ में केवल ७२६ बनायी गयी थीं। औद्योगिक मशीन शुरू हुए थोड़ा ही समय हुआ है, फिर भी इसने काफी प्रगति की है। धुनाई के इंजन, करघों आदि की मांग बहुत कुछ देश की वस्तुओं से ही पूरी हो जाती है।

विदेशों से सम्बन्ध

इस साल पटसन मिलों में काम आने वाली मशीनें भी काफी तादाद में बनायी गयीं। चीनी मिलों के लिए भी मशीनें बड़ी संख्या में तैयार की गयीं। बम्बई की एक फर्म बाहर से पुर्जे मंगाकर अपने यहां गन्ना पेरने की मशीनें तैयार करने का काम शुरू करने वाली है। इसके लिए प्रारम्भिक व्यवस्था कर ली है। बम्बई की इस फर्म को चेकोस्लोवाकिया के एक फर्म से सहायता मिल रही है। यह फर्म चीनी उद्योग में काम आने वाली अन्य मशीनें भी तैयार करती है। इस तरह मद्रास की एक फर्म ने बम्बई राज्य के चार सहकारी चीनी मिलों के लिए मशीनें तैयार की हैं।

छपाई की मशीनों के निर्माताओं ने इस साल स्टीरिओ रोटरी मशीन तैयार की है। एक अन्य फर्म ने ब्रिटेन की सहायता से पत्थर तोड़ने और कूटने की मशीनें बनाने का काम अपने हाथ में ले लिया है।

ब्रिटेन, स्वीडन और जर्मनी की कुछ फर्में भारत में कागज बनाने की मशीनें तैयार करने में सहयोग करने को राजी हैं। यह समिति इस विचार पर विचार कर रही है।

बुनाई की मशीनें

जापानी फर्म की सहायता से घरेलू हाथ से चलने वाली मोजा, गंजी मशीनें तैयार करने की योजना भी एक उद्योगपति ने प्रस्तुत की है, जिस पर सरकार विचार कर रही है। कारखानों की बुनाई की मशीनें देश में पहले से ही बन रही हैं।

१९५६ के बाद मशीनी औजारों के उत्पादन में शत-प्रतिशत वृद्धि हुई। इसका सारा श्रेय बंगलौर के हिन्दुस्तान मशीन टूल कारखाने को है। यहां प्रतिमास ३० मशीनी औजार बन रहे हैं। इस कारखाने में अब पिसाई मशीनें (मिलिंग) भी बनायी जाएंगी। अम्बरनाथ के सरकारी कारखाने का उत्पादन भी बढ़ा है। इसके अलावा गैर सरकारी क्षेत्रों के कारखानों में भी उत्पादन बढ़ा।

खनिज लोहे का उत्पादन

१९५७ में देश में खनिज लोहे का उत्पादन बढ़कर ५०,२०,००० टन हो गया। इस से पिछले साल उत्पादन कुल ४८,५८,००० टन था।

बिहार और उड़ीसा में अधिक लोहा होता है। १९५७ में बिहार में खनिज लोहे का उत्पादन १९,३५,०००टन और उड़ीसा में २०,४२,००० टन रहा, जबकि इससे पिछले साल बिहार में उत्पादन १८,४८,००० टन और उड़ीसा में १७,७०,००० टन था। कम लोहा पैदा करने

वाले राज्यों जैसे, आंध्र प्रदेश, मैसूर और बम्बई में १९५७ में उत्पादन क्रमशः २,६७,००० ५,३२,००० और १,१९,००० टन रहा। १९५६ में इन राज्यों में उत्पादन क्रमशः ४,०२,००० ५,४१,००० और १,२७,००० टन था।

दिसम्बर, १९५७ को समाप्त तिमाही में देश भर में खनिज लोहे का उत्पादन १३,३०,००० टन रहा। इस तिमाही में बिहार में उत्पादन ५,०६,००० टन उड़ीसा में ५,६६,००० टन आंध्र प्रदेश में ५७,००० टन मैसूर में १,२०,००० टन और बम्बई में ४६,००० टन था।

इस तिमाही का उत्पादन पिछली तिमाही के उत्पादन से १,१३,००० टन और पिछले साल की इसी तिमाही से २८,००० टन अधिक था।

१९५७ में कच्चे मैंगनीज का उत्पादन

भारतीय खान कार्यालय की सूचना के अनुसार देश में १९५७ में लगभग १५ लाख ७४ हजार टन मैंगनीज का उत्पादन हुआ। इसमें सबसे अधिक मैंगनीज उड़ीसा, मध्यप्रदेश और बम्बई में पाया गया है। उड़ीसा में ३ लाख ८२ हजार टन, बम्बई में ३ लाख ५६ हजार टन और मध्यप्रदेश में ३ लाख २९ हजार टन मैंगनीज मिला। इसके बाद मैसूर और आंध्रप्रदेश की बारी आती है, जहां क्रमशः २ लाख ६२ हजार टन, और १ लाख ९३ हजार टन मैंगनीज हुआ।

दिसम्बर १९५७ तक की तिमाही में देश में ३ लाख ५६ हजार टन, मैंगनीज का उत्पादन हुआ। इस अवधि में उड़ीसा, बम्बई, मध्यप्रदेश में क्रमशः १ लाख १४ हजार टन, ९९ हजार और ८५ हजार टन मैंगनीज का उत्पादन हुआ।

इस तिमाही में पिछली तिमाही की अपेक्षा ४६ हजार टन अधिक मैंगनीज का उत्पादन हुआ।

कपड़ा मिलों में बिना बिका कपड़ा

मार्च १९५८ के अन्त में सूती कपड़े की मिलों में कपड़े की ३,४४,८०० गाठें जमा थीं। महीने भर में इन मिलों में इससे कुछ कम कपड़ा तैयार होता है कपड़े की मांग में कमी होने के कारण ही इतना कपड़ा इन मिलों में जमा हो गया है। १९५६ की अपेक्षा १९५७ में अधिक कपड़ा विदेशों को भेजा गया। १९५६ में ७४ करोड़ ३८ लाख गज कपड़े का निर्यात हुआ था जबकि १९५७ में अक्टूबर के अन्त तक ७६ करोड़ ८० लाख गज से अधिक कपड़े का निर्यात किया गया।

यह सूचना लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी गई है।

भारत में नमक-उद्योग

१९५७ में देश के १६४ कारखानों ने ९ करोड़ ८३ लाख मन नमक बनाया। १९५६ में इन कारखानों ने ८ करोड़ ८९ लाख मन नमक बनाया था। इस प्रकार १९५७ में नमक का उत्पादन १९५६ के उत्पादन से ११ प्रतिशत बढ़ गया।

१९५१-५२ में भारत नमक की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गया और उसने नमक का निर्यात भी शुरू कर दिया। १९५७ में लगभग १ करोड़ १९ लाख २९ हजार मन नमक निर्यात किया गया, जो १९५६ में निर्यात की गयी मात्रा से ४३ प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार १९५७ में भारत ने सबसे अधिक नमक विदेशों में भेजा।

पिछले साल लाइसेंसदार कारखानों ने निर्धारित किस्म का ही नमक बनाया। नमक की शुद्धता की कसौटी यह रखी गयी है कि उसमें ९५ प्रतिशत सोडियम क्लोराइड होना चाहिए।

रेलों द्वारा देश के हर भाग में नमक पहुँचाने की क्षेत्रीय योजना बनायी गयी, ताकि लोगों को हर स्थान पर ठीक तरह से नमक मिल सके। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर कहीं से भी नमक की कमी की शिकायत नहीं आयी। जहां से शिकायत आयी, वहां परिवहन की कठिनाइयों के कारण नमक ठीक ढंग से नहीं पहुंचाया जा सका था।

नमक बनाने वालों को सहकारी ढंग से अपना धंधा चलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पिछले साल बम्बई, मद्रास और कलकत्ता-क्षेत्रों में दो-दो सहकारी समितियां बनायी गयीं।

केन्द्रीय नमक सलाहकार मंडल और क्षेत्रीय मंडलों का अक्टूबर, १९५७ में पुनर्गठन किया गया। राजस्थान के लिए नया क्षेत्रीय मंडल बनाया गया और अन्य क्षेत्रीय मंडलों का गठन पुनर्गठित राज्यों के अनुसार नये ढंग से किया गया।

नमक उद्योग की उन्नति के लिए सरकारी और गैरसरकारी सदस्यों की एक समिति बनायी गयी है, जो नमक उद्योग में सहकारी समितियां की स्थापना करने, नमक की किस्म निर्धारित करने और नमक बनाने वाले छोटे व्यापारियों की स्थिति सुधारने का प्रयत्न करेगी।

सरकारी और निजी क्षेत्र में इस उद्योग की तरक्की के लिए दूसरी आयोजना में १ करोड़ ९० लाख रु० की व्यवस्था की गयी है।

हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी

भारत सरकार ने 'हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड' का निदेशक-मण्डल बनाया है, जिसके अध्यक्ष, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक सलाहकार (रसायन), डा० पी० काने और प्रबन्ध निदेशक नमक-आयुक्त, श्री आर० एन० वासुदेव होंगे।

मण्डल के अन्य सदस्य ये हैं: श्री टी० वेदान्तम्, अवर सचिव, वित्त मंत्रालय: डा०ए०एन० कप्पन्ना, केन्द्रीय नमक अनुसंधान संस्था, भावनगर; श्री पी० एन० काटजू, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान

परिषद, जयपुर और संसद सदस्य सर्वश्री जी० डी० सोमानी तथा एन० सी० कासलीवाल।

भारत सरकार ने यह कम्पनी इसलिए बनायी है कि वह राजस्थान में साम्भर और डीडवाणा स्थित तथा बम्बई में खाराघोड़ा स्थित सरकारी नमक कारखाने अपने हाथ में ले ले। कम्पनी १२ अप्रैल, १९५८ को रजिस्टर की गयी थी और उसकी अधिकृत पूंजी १ करोड़ रु० की है।

ग्वार की सरेस बनाने का धंधा

१९५१ का उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम ग्वार की सरेस बनाने पर लागू होता है या नहीं, इस सम्बन्ध में लोगों को काफी समय से भ्रम था। सरकार ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि उपरोक्त अधिनियम ग्वार की सरेस बनाने पर भी लागू होगा। अधिनियम के के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए इसकी गिनती कपड़ा-उद्योग में काम आने वाले पदार्थों में होगी।

ग्वार की सरेस बनाने वाले जिन उत्पादकों ने बिजली से चलने वाली मशीन लगा रखी है और ५० या इससे अधिक व्यक्ति नौकर रखे हुए हैं उन्हें तथा ऐसे उत्पादकों को जिन्होंने मशीन तो नहीं लगाया हुई है, किन्तु १०० या इससे अधिक व्यक्ति नौकर रखे हुए हैं, कानून के अनुसार लाइसेंस लेना होगा।

जो लोग ग्वार की सरेस बनाने का धंधा शुरू करना चाहते हैं अथवा जो अपने चालू धंधे के साथ ही इस धंधे को भी करना चाहते है। उन्हें चाहिए कि वे लाइसेंस के लिए वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार के पास अर्जियां भेजें।

१९५७-५८ में चीनी का उत्पादन

मार्च १९५८ में समाप्त होने वाले वर्ष में, देश में २१.९५ लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। पिछले वर्ष इसी अवधि में, २०.०२ लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। इसमें से १.१६ लाख टन चीनी निर्यात के लिए और १९.६६ लाख टन चीनी देश में खपत के लिए दी गयी। ३१ मार्च, १९५८ को चीनी मिलों में १३.३४ लाख टन चीनी जमा थी।

चीनी का उत्पादन तथा लदान

भारत सरकार ने १९५७-५८ के मौसम में से १ लाख टन चीनी १४ मई, १९५८ को विशेष रूप से मुक्त की। चालू मौसम में देशी चीनी का उत्पादन तथा लदान, ३० अप्रैल १९५८ तक क्रमशः १९.११ लाख टन तथा ६.६१ लाख टन रहा जबकि गतवर्ष की इसी अवधि में यह क्रमशः १८.२२ लाख टन तथा १०.३५ लाख टन रहा था। ३० अप्रैल, १९५८ को कारखानों के पास १३.४६ लाख टन का स्टाक था, जबकि गतवर्ष यह १३.१४ लाख टन था।

मोटर साइकिलों का निर्माण

मद्रास के जिस फर्म को मोटर-साइकिलें बनाने का लाइसेंस दिया गया है उसने १९५७ में १८२७ मोटर-साइकिलें तैयार कीं। इस फर्म को हर साल ५,००० तक मोटर साइकिलें तैयार करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। मौजूदा जरूरत को देखते हुए यह काफी है, क्योंकि इस समय देश में हर साल तीन-चार हजार से अधिक मोटर साइकिलों की मांग नहीं है।

पूरी मोटर साइकिल की लागत के ६० प्रतिशत तक के कल-पुर्जे आदि विदेशों से मंगाने पड़ते हैं। मोटर साइकिल के कुछ पुर्जे, जैसे टायर, ट्यूब, बैटरी, पिस्टन, पेट्रोल टैंक, बैठने की सीट, इनस्लेटर, बोल्ट नट तथा रबड़ की कई चीजें देश में ही बनने लगी हैं।

कारबन ब्लैक का उत्पादन

देश में कारबन ब्लैक बनाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के बारे में सलाह लेने के लिए दो रूमानियन विशेषज्ञों को भारत बुलाया गया है। इसके अलावा एक जर्मन फर्म की सलाह से कोलतार से कारबन ब्लैक तैयार करने के बारे में भी भारत सरकार विचार-विमर्श कर रही है।

एक भारतीय उद्योगपति भी देश में कारबन ब्लैक का कारखाना खड़ा करने के बारे में एक अमरीकी फर्म से बातचीत कर रहे हैं। १९५७ के पहले ११ महीनों में मुख्यतः अमेरिका, ब्रिटेन, प० जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, यूनान, और इताली से ८,२६८ टन कारबन ब्लैक मंगाया गया।

उड़ीसा में चूने का पत्थर

भारतीय भूगर्भ विभाग ने उड़ीसा के गंगापुर क्षेत्र में चूने के पत्थर और डोलोमाइट की बड़ी-बड़ी खानों का पता लगाया है।

बीरमित्रपुर और पानपोश, आमघाट तथा हाथीबाड़ी की खानों के अलावा जिन्हें दो कम्पनियां खोद रही हैं, विभाग ने लुधकुटोली में २,४०० फुट लम्बी और २५० फुट चौड़ी पट्टी में सीमेंट के काम आने वाले चूने के पत्थर का विशाल भंडार खोज निकाला है। यह स्थान पानपोश स्टेशन से १० मील उत्तर में है। इस क्षेत्र में कई दिशाओं में चूने के पत्थर के भण्डार की लम्बी चौड़ी पट्टियां फैली हुई हैं। यहां अच्छे डोलोमाइट का अपार भंडार है।

कैलसाइट खनिज उद्योग

देश में सर्वोत्तम कैलसाइट सौराष्ट्र में मिलता है। यही नहीं, संसार में जितनी प्रकार का कैलसाइट मिलता है, उसमें भी सौराष्ट्र के इस खनिज का अद्वितीय स्थान है। सौराष्ट्र में इसकी खानें विभिन्न दिशाओं में काफी दूर तक फैली हुई हैं और कैलसाइट प्रायः ३० से ४० फुट

और कहीं-कहीं इससे भी अधिक गहराई पर मिलता है। कैलसाइट के भण्डार नवानगर, पोरबन्दर, जूनागढ़ तथा अमरेली में हैं।

सबसे बड़ी खानें अमरेली में हैं, जहां पनाला पहाड़ी में लगभग ५८ हजार टन कैलसाइट है। जूनागढ़ में १५ फुट की गहराई में ही लगभग २८ हजार टन कैलसाइट है। भावनगर, गोंडल, मोरवी, पालिताना तथा बधवान में भी इसकी खानें हैं। इसके अलावा पठार के कई अन्य भागों में भी कैलसाइट मिलता है।

कैलसाइट की रसायनिक रचना तथा इसे खान से निकालने की लागत और कारखानों में इसके उपयोग के बारे में 'जिओलाजिकल सर्वे आफ इंडिया' के श्री बी० सी० राव ने 'इंडियन मिनरल्स' के नवीनतम संस्करण में सविस्तार लिखा है।

'जिओलाजिकल सर्वे आफ इंडिया' की प्रयोगशाला में नवानगर के कैलसाइट की जांच करने पर पता लगा कि इसमें मिलावट बिल्कुल नहीं होती और इसका उपयोग कैलशियम कारबाइड तथा रंग उड़ाने का पाउडर तैयार करने, मिट्टी के बर्तनों पर चमक पैदा करने, कारखानों में काम आने वाला चूना बनाने तथा धातुओं को साफ करने में किया जा सकता है।

अन्य उपयोग

इससे कई वस्तुओं में सफेदी लायी जा सकती है, जैसे रबड़, सूती कपड़े, कागज, शीशे का सामान, चमड़े का सामान, चीनी। इससे धातुओं पर बिना खरोंच के डर के पालिश भी की जा सकती है।

नवानगर तथा पोरबन्दर में इसका काफी व्यापार होने लगा है। इन स्थानों में कैलसाइट को पीसकर पाउडर बनाया जाता है और उसे कलकत्ता, बम्बई तथा अन्य स्थानों को भेजा जाता है।

महायुद्ध के समय कैलसाइट उद्योग बहुत उन्नत था किन्तु अब अनेक सस्ते खनिज पाउडरों के कारण इसे उन से काफी मुकाबला करना पड़ रहा है। इस समय कैलसाइट को खान से निकालने, साफ करने आदि में काफी खर्च पड़ जाता है। भूगर्भ-शास्त्रियों का कहना है कि इस उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए और इतना उन्नत करना चाहिए कि कैलसाइट के उत्पादन की लागत कम हो जाए, नहीं तो यह उद्योग ज्यादा दिन न टिक सकेगा। इसके अलावा कैलसाइट से अन्य रसायन बनाने के सम्बन्ध में भी अनुसंधान किया जाना चाहिए।

कैलसाइट के अधिकतर टुकड़ों के आर-पार देखा नहीं जा सकता। इससे चश्मे के शीशे आदि बनाने में कैलसाइट का उपयोग नहीं किया जा सकता। किन्तु उसके पारदर्शक तथा अच्छे टुकड़ों को अलग करने की कोशिश की जानी चाहिए, जिससे वे 'प्रिज्म' बनाने के काम आ सकें। इसके लिए ये टुकड़े साफ तथा पारदर्शक होने चाहिएं और इनमें खरोंच नहीं होने चाहिएं। चौकोर टुकड़े जो ७/८ इंच से कम लम्बे होते हैं, काम में नहीं आते।

अनुमान है कि सौराष्ट्र में काफी मात्रा में कैलसाइट है। किन्तु भौमिक नकशा तैयार करके और खोज करके इस बारे में और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अधिक से अधिक कितनी गहराई तक कैलसाइट मिल सकता है, इसका पता छेद करने वाले यंत्र से ही लगाया जा सकता है।

देशी रियासतों के भारत में मिलने के पहले सौराष्ट्र में खानें कुछ लोगों को पट्टे पर दे दी जाती थीं। इसलिए कैलसाइट उद्योग की उन्नति नहीं हुई। अब यह आशा है कि सौराष्ट्र सरकार ने खनिज उद्योगों को रियायतें देने के लिए जो नये नियम बनाये हैं, उनसे यह उद्योग अवश्य उन्नति करेगा।

लघु उद्योग

लघु उद्योगों के लिए डिजाइन-केन्द्र

भारत सरकार ने एक ऐसी योजना स्वीकार की है, जिसके अनुसार बिहार में छोटे उद्योगों की सहायता के लिए एक डिजाइन-केन्द्र खोला जायगा। यह केन्द्र पटना में खुलेगा और इसमें एक विभाग दस्तकारियों के डिजाइन के लिए और दूसरा अन्य व्यापारी चीजों के डिजाइन तैयार करने के लिए होगा।

इसी प्रकार पूसा की प्रायोगिक योजना के अन्तर्गत एक चलता-फिरता बढ़ईगीरी का कारखाना और रांची की प्रायोगिक योजना के अन्तर्गत एक लुहारगीरी का चलता-फिरता कारखाना बनाया जायगा।

रांची में एक औद्योगिक बस्ती (इंडस्ट्रियल एस्टेट) बनाने के लिए १ लाख रु० और पटना में उद्योगों के काम आने वाले कच्चे माल का भंडार बनाने के लिए २.४ लाख रु० कर्ज देना मंजूर किया गया है। बिहार को प्रायोगिक योजना क्षेत्रों में कुछ और कर्मचारी रखने और एक सामुदायिक योजना अधिकारी नियुक्त करने के लिए भी दो अनुदान दिये गये हैं।

उत्तरप्रदेश में देवबन्द में बढ़ई और लुहार का काम सिखाने का एक कारखाना खोलने का विचार है। इसी प्रकार आसाम में गोहाटी में भी एक कारखाना (वर्कशाप) खोला जायगा।

काम सिखाने का प्रबन्ध

प० बंगाल में कल्याणी में, लकड़ी की दस्तकारी सिखाने की शाला खोली जायगी। किनचनचंगा और घूम में छुरी काटे बनाने, चीनी के पाखाने और हाथ धोने के बेसिनों के लिए मिट्टी तैयार करने तथा दूसरी तरह की बढ़िया मिट्टी तैयार करने की योजनाएं चालू रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर को भी कई प्रकार के छोटे उद्योग और दस्तकारियां सिखाने का प्रबन्ध करने के लिए धन की कुछ और सहायता मंजूर की गयी है।

छोटे उद्योगों की सहायतार्थ बिहार को ६.७ लाख रु० और जम्मू-कश्मीर को ४ लाख रु० दिया गया है। इससे पहले बिहार को १० लाख रु० और जम्मू-कश्मीर को १.६६ लाख रु० और मिल चुका है।

अन्य स्वीकृत योजनाएं बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में माल बेचने की सुविधाएं बढ़ाने की हैं। उत्तर प्रदेश में दस्तकारियों और छोटे उद्योगों की चीजों की बिक्री की बेहतर व्यवस्था करने के लिए ४.१५ लाख रु० दिया गया है। दिल्ली राज्य के उद्योगों की दुकान के लिए भी २५ हजार रु० कर्ज दिया गया है।

छोटे उद्योगों की उन्नति की ५०० योजनाएं

भारत सरकार ने १९५७-५८ के वित्तीय वर्ष में विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में छोटे उद्योगों की उन्नति की ५०० योजनाएं स्वीकार की हैं। राज्य सरकारों ने इस साल के लिए ४७२ योजनाएं पेश कीं, जिनके लिए केन्द्र ने कुल ४६२.०२ लाख रु० की मंजूरी दी। इसके अलावा, केन्द्रशासित प्रदेशों को २८ योजनाओं पर ३७.६१ लाख रु० खर्च करने की मंजूरी दी गयी। पिछले साल राज्य सरकारों ने ३१७ योजनाएं पेश की थीं, जिनके लिए उन्हें ४४३.७० लाख रु० की मंजूरी दी गयी थी। केन्द्रशासित प्रदेशों ने ३५ योजनाएं पेश कीं, जिनके लिए उन्हें ५०.६४ लाख रु० की मंजूरी दी गयी थी।

१९५७-५८ के लिए जो योजनाएं मंजूर की गयी हैं, उनमें प्रशिक्षण या प्रशिक्षण एवं उत्पादन-केन्द्र, अनुसन्धान और प्रदर्शन केन्द्र, आदर्श कारखाने आदि खोलने की योजनाएं शामिल हैं। राज्य सरकारों को अपने उद्योग निदेशालयों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए भी धन दिया गया है, जिससे छोटे उद्योगों से सम्बन्धित कार्यक्रम शीघ्र पूरा किया जा सके। इसके अलावा, छोटे उद्योगों को दिये जाने वाले ऋण की राशि भी, बांटने के लिए राज्य सरकारों को दे दी गयी है।

राज्य सरकारों ने जो योजनाएं तैयार की हैं, उनके अन्तर्गत बहुत से उद्योग आते हैं। इनमें से कुछ ये हैं: अचार मुरब्बे आदि बनाना, बिजली के ट्रांसफार्मर तैयार करना, खेल का सामान बनाना, प्लास्टिक की चीजें, खिलौने, मिट्टी के बर्तन बनाना, जूते और चमड़े का दूसरा सामान, धातु के बर्तन, बिजली के पंखे, बाइसिकिलें और सिलाई की मशीन के पुर्जे बनाना और चीड़ फाड़ के उपकरण बनाना।

रियायती दर पर ब्याज

राज्य सरकारों को इस रूप में सहायता दी जाती है कि वे छोटे उद्योगों को जो ऋण दें, उस पर रियायती दर से ब्याज लिया जाय। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, औद्योगिक सहकार संस्थाओं को जो राशि दी जाती है, उस पर २॥ प्रतिशत की दर से और अन्य को दी जाने वाली राशि पर ३ प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है। यह सहायता उन उद्योगों को मिल सकती है, जहां बिजली से काम होता है और ५० से अधिक लोग काम नहीं करते या जहां १५० से अधिक लोग काम नहीं करते, लेकिन जहां बिजली से काम नहीं होता। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक से अधिक ५ लाख रु० दिये जा सकते हैं। निजी उद्योगों को ऋण देने का काम राज्यों के उद्योग विभाग करते हैं।

छोटे उद्योगों की उन्नति के लिए राज्यवार निम्नलिखित सहायता दी गयी है:

आंध्रप्रदेश—२८.३६ लाख रु०, आसाम—१३.१७ लाख रु०, बिहार—५१.६१ लाख रु०, उड़ीसा—२५.५६ लाख रु०, पश्चिमी बंगाल—४२.०८ लाख रु०, मद्रास—६४.०० लाख रु०, बम्बई—४३.६४ लाख रु०, केरल—२६.६३ लाख रु०, मैसूर—२७.७४ लाख रु०, उत्तर प्रदेश—५५.६५ लाख रु०, पंजाब—२३.१३ लाख रु०, मध्यप्रदेश—३५.५८ लाख रु०, राजस्थान—१८.६१ लाख रु० और जम्मू एवं कश्मीर—१३.५२ लाख रु०।

औद्योगिक गवेषणा

ग्रेफाइट की कुठालियां बनाने की विधि

नेशनल मैटलर्जिकल लेबोरेट्री, जमशेदपुर, ने कार्बन से बन्धित कुठालियां बनाने की विधि निकाली है। इस विधि का परीक्षण किया गया और २०-२५ पौंड धातु पिघलाने वाली कुठालियां बनाई गयीं। जिन कारखानों में इन्हें परीक्षण के लिए काम में लाया गया, उन्होंने इनकी प्रशंसा की। ये कुठालियां अलौह तथा लौह ढलाई के कारखानों में काम में लाई जाती है, क्योंकि इनमें क्षरण निरोध का गुण है।

ग्रेफाइट की कुठालियां बहुधा पीतल और अन्य अलौह, मिश्रित धातुओं के पिघलाने के काम में लाई जाती हैं। इनका उपयोग लोहे

और इस्पात की ढलाई के कारखानों और कुछ हद तक बहुमूल्य धातुओं को पिघलाने में भी होता है।

ग्रेफाइट की कुठालियों का उत्पादन भारत में अधिकतर राजामुन्द्री में छोटे पैमाने पर हो रहा है। परन्तु कुल वार्षिक उत्पादन ६० टन से अधिक नहीं है। ये कुठालियां मिट्टी द्वारा बन्धित होती हैं, परन्तु कार्बन बन्धित कुठालियों की तुलना में, जो सब की सब बाहर से आती हैं, इनकी आयु बहुत कम होती है।

भारत में इन कुठालियों की वार्षिक मांग लगभग ७०० टन है। यह मांग अधिकतर आयात से ही पूरी की जाती है। सन् १९५७ के पहले आठ महीनों में ७४,४६७ कुठालियां विदेशों से मंगायी गयीं, जिनका मूल्य लगभग ११ लाख रुपया था। अनुमान है कि देश में प्रति वर्ष लगभग १६-१७ लाख रुपये की कुठालियों का आयात होता है।

जो व्यक्ति ये कुठालियां बनाने का उद्योग स्थापित करना चाहें, वे और अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित अधिकारी को लिखें : सैक्रेटरी, नेशनल रिसर्च डिवलपमैंट कारपोरेशन आफ इण्डिया, मण्डी हाउस, लिटेन रोड, नयी दिल्ली-१

भारतीय प्रतिमान संस्था के प्रमाण-चिन्ह

भारतीय प्रतिमान संस्था ने ११ फर्मों को अपनी वस्तुओं पर संस्था के प्रमाण-चिन्ह लगाने के लाइसेंस दिये हैं। इन वस्तुओं में साफ की हुई स्पिरिट, कंकरीट के पाइप तथा चाय के डिब्बों में काम आने वाली प्लाइउड के तख्ते भी हैं। ये लाइसेंस १ मई, १९५८ से एक साल तक के लिए दिये गये हैं।

इन ११ फर्मों के नाम निम्नलिखित हैं :—

रामपुर डिस्टिलरी एण्ड केमिकल कम्पनी लिमिटेड; मैसर्स कांक्रीट स्पन पाइप वर्क्स, कानपुर; मैसर्स क्राउली एण्ड टावर्स प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता; मैसर्स नेशनल टिम्बर इण्डस्ट्रीज, कलकत्ता; मैसर्स दास एण्ड कम्पनी, कलकत्ता; नेशनल प्लाइउड इण्डस्ट्रीज, कलकत्ता; डुवरी प्लाइउड फैक्टरी, डुवरी; बन्दो प्लाइउड वर्क्स, कलकत्ता; नेशनल सा एण्ड प्लाइउड वर्क्स, तिनसुखिया; हिन्दुस्तान टिम्बर इण्डस्ट्रीज, कलकत्ता तथा मैसर्स सुर्मा मैच एण्ड इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता।

इस संस्था के चिन्ह लगाने का मतलब है कि वस्तुएं निर्धारित किस्म की हैं।

कापर सल्फेट टेकनीकल का प्रमाण-चिन्ह

भारतीय मानकशाला ने कापर सल्फेट टेकनीकल के पीपों पर अपना मानक चिन्ह लगाने के लिये ट्रावनकोर केमिकल एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड को लाइसेंस दिया है। इस चिन्ह के लग जाने से ग्राहकों को इस बात का पता लग जाएगा कि कापर सल्फेट टेकनीकल विधि पूर्वक तैयार किया गया है। देश में किसी कम्पनी को दिया जाने वाला यह इस प्रकार का पहला लाइसेंस है।

कापर सल्फेट टेकनीकल, बोर्डो मिश्रण बनाने में काम आता है। यह मिश्रण कहवा, रबड़ और सुपारी के पौधों पर उनकी कीड़ों से रक्षा करने के लिये छिड़का जाता है।

इस प्रमाणित कापर सल्फेट टेकनीकल के बारे में यदि किसी को कोई शिकायत हो तो वह उसकी सूचना उक्त कम्पनी को तथा भारतीय मानकशाला नयी दिल्ली-१ को भेजे।

बिजली के तार के प्रमाण चिन्ह का लाइसेंस

भारतीय मानक संस्था ने बम्बई के मैसर्स देवी दयाल केबल इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड को, अपने खींचे हुए मुलम्मेदार तांबे के तारों पर संस्था का प्रमाण चिन्ह लगाने को दो और लाइसेंस दे दिये हैं। ये तार खम्भों पर लगा कर बिजली पहुँचाने के काम आते हैं। देश में जगह-जगह बिजली पहुँचाने के लिए आजकल तारों और केबलों की मांग बहुत बढ़ गयी है और देश में इनका उत्पादन बराबर बढ़ रहा है।

तार और केबलों के प्रमाण-चिन्ह के लिए संस्था पहले भी कई लाइसेंस दे चुकी है और इस प्रकार देश के अधिकांश तार और केबल अब संस्था द्वारा नियत विधि से बनाये जाते हैं। यदि लाइसेंस प्राप्त तार या केबल के बारे में किसी प्रकार का संदेह हो तो लाइसेंस पाने वाली कम्पनी और मानक संस्था को इस बारे में फौरन लिखना चाहिए।

घुलनशील बी० एच० सी० पाउडर

भारतीय मानक संस्था ने कलकत्ता की अलकाली एण्ड केमिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को घुलनशील बी० एच० सी० पाउडर पर भारतीय मानक संस्था का मानक चिन्ह इस्तेमाल करने का लाइसेंस दिया है। यह बी० एच० सी० पाउडर भारतीय मानक : ५६२-१९५५ (आई० एस० ५६२-१९५५) के अनुसार बना हुआ होगा।

घुलनशील बी० एच० सी० पाउडर बनाने वालों को मानक-चिन्ह इस्तेमाल करने के लिए दिया गया यह तीसरा लाइसेंस है। इससे पहले दो लाइसेंस टाटा-फिसन प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई और भारत पलवेराइजिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई, को दिये गये हैं। कुछ और प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

जिस घुलनशील बी० एच० सी० पाउडर के डिब्बे पर भारतीय मानक संस्था का मानक-चिन्ह इस्तेमाल किया गया हो, उसके सम्बन्ध में कोई भी शिकायत लाइसेंस लेने वाले और भारतीय मानक संस्था, नयी दिल्ली-१ के पास भेजनी चाहिए।

काले सीसे की सुधरी हुई घरिया

जमशेदपुर की राष्ट्रीय धातु-शोधन प्रयोगशाला में कार्बन चढ़ी हुई काले सीसे की (ग्रेफाइट) घरिया तैयार करने की एक नयी विधि निकाली गयी है। यद्यपि अभी तक एक ही श्रेणी की इस प्रकार की घरिया तैयार की गयी है, फिर भी विभिन्न श्रेणी के तापमानों के लिए इस प्रकार की घरिया तैयार की जा सकती हैं। लोहे और इस्पात के ढालने के कारखानों ग्रेफाइट की घरिया पीतल तथा अलौह धातुओं को गलाने के काम में लायी जाती हैं। कीमती धातुओं को गलाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है।

भारत में ग्रेफाइट की घरिया मुख्यतः राजमुन्दरी में छोटे पैमाने पर तैयार की जाती हैं। कुल उत्पादन ६० टन से अधिक नहीं होता। भारत में जो घरिया बनती हैं, वे मिट्टी चढ़ी होती है और बहुत कम चलती हैं। कार्बन चढ़ी घरिया, जो अधिक चलती हैं, विदेशों से ही मंगायी जाती हैं। अनुमान किया गया है कि ग्रेफाइट (काला सीसा) की घरियों की देश में प्रति वर्ष ७०० टन की खपत है। मुख्यतः यह आवश्यकता विदेशों से घरिया मंगाकर पूरी की जाती है। १९५७ में पहले ८ महीनों में विदेशों से ७४,४६७ घरिया मंगायी गयीं, जिनका मूल्य प्रायः ११ लाख रु० था। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि वार्षिक आयात १६ या १७ लाख रु० का होता है।

जो लोग व्यापारिक पैमाने पर इन घरियों को तैयार करना चाहें, उन्हें सेक्रेटरी, नेशनल रिसर्च डेवेलपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया, मण्डी हाउस, लिटन रोड, नयी दिल्ली-१ से पत्र-व्यवहार करना चाहिए।

कुर्ग में मसाला अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना

केन्द्रीय मसाला और काजू समिति ने कुर्ग में मसाला अनुसन्धान केन्द्र खोलने की मैसूर सरकार की योजना मंजूर कर ली है। समिति की बैठक हाल ही में मरकारा में हुई थी। केन्द्र में दुनिया भर के सभी ऐसे मसाले रखे जाएंगे, जो वैज्ञानिक अनुसन्धान में काम आते हैं अथवा जिनका व्यापार किया जाता है।

यह भी योजना है कि देश के मसाला-उत्पादक क्षेत्रों में सर्वे कराया जाए और फसल-सुधार के तमाम उपायों, जैसे खाद का इस्तेमाल, पौद रोगों की रोकथाम, कलम लगाकर फसल उगाना आदि को काम में लाया जाए।

केन्द्र की व्यवस्था मैसूर सरकार के हाथ में होगी, किन्तु अनुसंधान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करेगी। परिषद केन्द्र का सारा आवर्तक व्यय उठाएगी। मैसूर, मद्रास और केरल के मसाला-उत्पादक क्षेत्रों के समीप होने के कारण कुर्ग केन्द्र खोलने के लिए आदर्श स्थान समझा गया। कुर्ग के पास कुछ क्षेत्र ऐसा पड़ा है, जिस पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है, किन्तु अनुसंधान के परिणामों की आजमाइश के लिए यहां मसालों की खेती करना सुविधाजनक रहेगा।

विदेशी माल से होड़ के कारण भारत की काली मिर्चों का भाव गिर रहा है। इसलिए निश्चय किया गया है कि विदेशों में काली मिर्च की खपत बढ़ाने के लिए खूब प्रचार किया जाए।

समिति ने राज्यों से किसानों को उर्वरक के इस्तेमाल के तरीके समझाने का अनुरोध किया। समिति ने सुझाव दिया कि मैसूर काली मिर्च की खेती में, केरल काली मिर्च और अदरक की खेती में और उड़ीसा तथा आन्ध्रप्रदेश हल्दी की खेती में उर्वरक के इस्तेमाल की विधि किसानों को प्रदर्शनों द्वारा समझाएं।

प्रतिमान समाचार

मक्की की माड़ी

भारतीय मानक संस्था ने सूती कपड़ा-उद्योग में काम आने वाली मक्के की माड़ी का मानक (आई० एस० : ११८४-१९५७) प्रकाशित किया है। भारत में मक्के की माड़ी बनाने का उद्योग १९३८ में शुरू हुआ और इसने इतनी तेजी से प्रगति की कि इस समय कपड़ा उद्योग की सारी जरूरत, देश में बनी माड़ी से ही पूरी हो जाती है। १९३८ से पहले यह विदेशों से आती थी, किन्तु लड़ाई छिड़ जाने के कारण इसका आयात बन्द हो गया।

माड़ी का मानक बन जाने से उत्पादकों को अच्छी माड़ी तैयार करने में सुविधा होगी और उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म की माड़ी मिल सकेगी। मानक में बताया गया है कि माड़ी बनाने के लिए कितना बड़ा दाना इस्तेमाल किया जाए, कितनी नमी दी जाए तथा इसे तैयार करने की विधि और इसके विभिन्न गुणों को जाचने की कसौटी क्या है।

पेंटिंग के ब्रुश

लिखाई और पेंटिंग में काम आने वाले ब्रुशों का मानक प्रकाशित किया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म के ब्रुश मिल सकें और व्यापारी लोग अपने ब्रुशों की किस्म सुधार सकें।

फिलहाल मानक में १२ विभिन्न किस्मों के ब्रुश शामिल किये गये हैं। मानक में बताया गया है कि इन ब्रुशों का आकार, डिजाइन, सूअर के बालों का वजन, हैंडिल में इस्तेमाल की गयी लकड़ी, बालों को जोड़ने वाला मसाला आदि किस प्रकार का होना चाहिए। मानक में यह भी विस्तार से बताया गया है कि ब्रुश में खूबसूरती और चमक लाने, पैकिंग करने और यह मालूम करने की क्या विधि है कि ब्रुश में बालों का वजन क्या है।

मानक में निर्माताओं पर यह जोर डाला गया है कि वे ब्रुशों के साथ उसके इस्तेमाल की विधि की जानकारी भी ग्राहकों को

कराएं, ताकि समय से पहले ही इसकी उपयोगिता समाप्त न हो जाए।

बिस्कुटों का प्रतिमान

भारतीय प्रतिमान संस्था ने वैफर बिस्कुटों को छोड़कर अन्य सब तरह के बिस्कुटों का प्रतिमान (आई० एस० १०११-१९५७) प्रकाशित किया है।

बिस्कुट की इतनी अधिक किस्में होती हैं कि हर किस्म के बिस्कुट का प्रतिमान निश्चित करना संभव नहीं। इसीलिए ऐसा प्रतिमान बनाया गया है, जो सब तरह के बिस्कुटों पर लागू हो सके। प्रतिमान में बताया गया है कि बिस्कुट बनाने में क्या-क्या सावधानी बरतनी जरूरी है, जिससे बिस्कुट पौष्टिक हों और काफी समय तक उनमें कोई खराबी न आ सके।

वैफर बिस्कुट बनाने की विधि सबसे अलग है, इसलिए उसे प्रतिमान में शामिल नहीं किया गया। प्रतिमान में यह भी बताया गया है कि बिस्कुटों में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ कैसे होने चाहिए और बिस्कुटों के जांच की कसौटी क्या है। पैकिंग के लिए भी खास विधि निर्धारित की गयी है, जिससे लोगों के पास बिस्कुट ठीक हालत में पहुँच सकें।

उपर्युक्त प्रतिमानों के बारे में विस्तृत जानकारी अथवा उनकी प्रतियां इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टिट्यूट, मानक भवन, ९ मथुरा रोड, नयी दिल्ली-१ अथवा इसके शाखा-कार्यालयों—४०-४० ए० कावसजी, पटेल स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई-१, पी-११ मिशन रो एक्स्टेंशन, कलकत्ता-१, और २३ नंगम्बक्कम हाई रोड, मद्रास-६ के पते से मंगायी जा सकती हैं।

ढरकी चलाने की चमड़े की पट्टी

भारतीय मानक संस्था ने करघे में ढरकी चलाने के काम आने वाली चमड़े की पट्टी का मानक (आई० एस० : १२२५-१९५८) प्रकाशित किया है। मानक में ८ प्रकार के पट्टियों का विवरण दिया गया है। इनमें से १ ए और १ बी पटसन उद्योग में, २ ए, २ बी और २ सी सूती कपड़े बुनने के हस्तचालित करघों में, और ३ ए, ३ बी और ३ सी सूती कपड़े बुनने के स्वचालित करघों में प्रयोग होती है।

मानक में पट्टी की लम्बाई-चौड़ाई, किस्म आदि का विवरण और उसकी अनुक्रमणिका में पट्टी बनाने का तरीका दिया गया है। इस मानक से निर्माता अच्छे किस्म की पट्टी तैयार कर सकेंगे और ग्राहकों को भी अच्छी पट्टी मिल सकेगी।

सिलिका की ईंटें बनाने का मसाला

सिलिका की ईंटें बनाने के मसाले के मानक में दो किस्म के मसाले—ग्रेड १ और ग्रेड २—बनाने के काम आने वाले सिलिका, चूने, गारे आदि का ब्यौरा दिया गया है। मानक में बताया गया है कि ग्रेड १ मसाले में ८५ प्रतिशत और ग्रेड २ मसाले में ९० प्रतिशत से कम सिलिका नहीं होना चाहिये। ग्रेड १ गैस की भट्टियों में और ग्रेड २ इस्पात और कोक की भट्टियों में काम आता है।

खाने के काम आने वाली केसीन

केसीन दूध की मुख्य प्रोटीन है, जो दूध को फाड़कर तैयार की जाती है। यह बहुत पाचक प्रोटीन होती है, इस कारण इसे बीमारों या दुर्बलों को पौष्टिक आहार देने की दृष्टि से कई तरह की खाने की चीजों में मिलाया जाता है। पेट की खराबियों में भी केसीन युक्त पदार्थ बहुत लाभ करते हैं। इसके प्रतिमान में केसीन की परीक्षा तथा पैक करने की सब विधियां भी विस्तार से बताई गयी हैं तथा अन्य सब आवश्यक जानकारी दी गयी है।

गीयर में इस्तैमाल होने वाला तेल

गीयर में इस्तैमाल होने वाले तेल का मानक (आई० एस० : ११२८-१९५७) प्रकाशित किया गया है। यह तेल पेट्रोल साफ करके बनाया जाता है और इसमें और भी कई चीजें मिलायी जाती हैं। मानक में इसकी तीन किस्में—एस० ए० ई० ८०, एस० ए० ई० ९० और एस० ए० ई० १४०—को शामिल किया गया है। बताया गया है कि इनको बनाने की विधि क्या है, इनमें क्या गुण होने जरूरी हैं तथा उन गुणों की जांचने की कसौटी क्या है? मानक-संस्था और भी कई तेलों के मानक प्रकाशित कर चुकी है।

चीनी की टिकियों की जांच

मशीन की सहायता से चीनी के छोटे-छोटे घनाकार टुकड़े बनाए बनाए जाते हैं। उन टुकड़ों को कुछ सख्त होना चाहिए, ताकि वे डिब्बों में बन्द करते समय और ढुलाई के समय न टूटें। साथ ही उन्हें ऐसा होना चाहिए कि पानी आदि में वे आसानी से घुल सकें। इन दोनों बातों की जांच करने के लिए भारतीय मानक संस्था की चीनी उद्योग शाखा समिति ने उनका मानक तैयार किया है।

रेक्टीफाइड स्पिरिट

भारतीय प्रतिमान संस्था ने रैक्टीफाइड स्पिरिट के प्रतिमान का संशोधित प्रारूप तैयार करके राय जानने के लिए सम्बद्ध व्यक्तियों के पास भेजा है। रेक्टीफाइड स्पिरिट रसायनिक और दवाएं बनाने के उद्योग में तथा शराबों में काम आती है।

इसका, पहले जो प्रतिमान प्रकाशित किया गया था, उसमें इथानोल का अंश मात्रा में कम से कम ९१.२७ प्रतिशत (६०° ओ० पी०) निश्चित कर दिया गया था, लेकिन अब देश में मद्यसार (अलकोहल या स्पिरिट) उद्योग काफी उन्नत हो गया और ६६° ओ० पी० का स्पिरिट सप्लाई कर सकता है। इस कारण इथानोल के अंश के हिसाब से

पहले प्रतिमान को संशोधित करना जरूरी समझा गया। संशोधित प्रारूप में तीनों श्रेणियों यानी श्रेणी १, श्रेणी २ और विशेष श्रेणी की रैक्टीफाइड स्पिरिट की परीक्षा की विधियां बतायी गयी हैं। पहली श्रेणी की स्पिरिट दवाओं और शराब में काम आती है। दूसरी श्रेणी की उद्योगों में और विशेष श्रेणी की स्पिरिट की वैज्ञानिक कामों में जरूरत पड़ती है।

धातु पर जंग लगने से बचाने का मसाला

भारतीय प्रतिमान संस्था ने एक ऐसे मसाले का प्रतिमान (आई० एस० : ११५४—१९५७) प्रकाशित किया है, जिसे लगाने से धातु पर कुछ समय तक पानी का असर नहीं होता और जंग नहीं लगता। धातु पर इस मामले की एक पतली नरम परत जम जाती है, जिससे उस पर पानी नहीं ठहरता और इसलिए जंग भी नहीं लगता। धातुओं की जो चीजें पानी से गीली होती रहती है, उन्हें जंक लगने से बचाने के लिए यह मसाला बहुत काम का है।

इससे पहले संस्था ने इसी प्रकार के मसाले का प्रतिमान प्रकाशित किया था। इस मसाले के लगाने से धातु पर कड़ी परत जम जाती है और उस पर पानी तथा जंक असर नहीं करता।

धूमक की परीक्षा विधियां

भारतीय प्रतिमान संस्था ने ई० डी० सी० टी० (इथिलीन डाइक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड) नामक धूमक का प्रतिमान प्रकाशित किया है। यह धूमक खत्तियों, भण्डारों और गोदामों में अन्न में लगने वाले कीड़ों को मारने के काम आता है।

इथिलीन डाइक्लोराइड का धुआं स्वतः भरे हुए अन्न के कीड़ों को मारने का प्रभावशाली रसायनिक पदार्थ है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ मिलने से इसमें आग लगने का खतरा बहुत कम हो जाता है। अभी तक संसार में कहीं भी इस तरह के मिश्रण का विस्तृत नुस्खा तैयार नहीं किया गया है, यद्यपि ये दोनों रसायनिक पदार्थ अलग-अलग काफी इस्तेमाल होते हैं। इस प्रतिमान में इस मिश्रण को परीक्षा की कई विधियां और पैक करने तथा निशान लगाने के तरीके भी बताए गए हैं।

कोयले और कोक की जांच के तरीके

भारतीय प्रतिमान संस्था ने कोयले और कोक की जांच के छः प्रतिमान तैयार किए हैं और उनके मसविदे सम्बद्ध व्यक्तियों के पास उनकी राय जानने के लिए भेजे हैं।

भारत में कोयला और कोक बहुत होता है, और यहां उसकी खपत भी काफी है, फिर भी अब तक इन्हें जांचने का कोई निश्चित तरीका नहीं था। नये प्रतिमान फिलहाल आजमाइश के तौर पर होंगे, क्योंकि अभी विदेशों में भी कोयले और कोक की जांच के तरीके निकालने के प्रयत्न चल रहे हैं। इस सम्बन्ध में विदेशों के अनुभव से लाभ उठा कर और अपने यहां के तरीकों की आजमाइश करने के बाद कोयले और कोक की जांच के तरीकों में सुधार किया जा सकता है।

सूत का नम्बर जानने का तरीका

भारतीय प्रतिमान संस्था ने लोगों की राय जानने के लिए एक प्रतिमान प्रकाशित किया है, जिसमें सूत का नम्बर जानने का तरीका दिया गया है। इससे पहले संस्था ने १९५१ में एक प्रतिमान प्रकाशित किया था, जिसमें सूत के नम्बर को फुट-पाउण्ड में जानने का तरीका दिया गया था। अब उसके स्थान पर यह नया प्रतिमान तैयार किया गया है।

देश में दशमिक प्रणाली शुरू हो गयी है। परन्तु जब तक वह पूरी तरह चालू नहीं हो जाती, तब तक लोगों की सुविधा के लिए प्रतिमान में एक तालिका दी गयी है, जिसमें सूत के नम्बर (१२० तक) को इंच-पाउण्ड में भी बताया गया है।

वाणिज्य-व्यवसाय

जनवरी ५८ में भारत का विदेशी व्यापार

वाणिज्यिक सूचना तथा अंक संकलन विभाग के पास प्राप्त जानकारी के अनुसार जनवरी १९५८ में भारत ने सरकारी तथा गैर सरकारी तौर पर विदेशों के साथ समुद्र, वायु तथा स्थल मार्ग से निम्नानुसार विदेशी व्यापार हुआ :—

व्यापारिक वस्तु—पाकिस्तान, नैपाल, तिब्बत, सिक्कम तथा भूटान आदि देशों के पारनयन (भारत होकर जाने वाले) व्यापार को छोड़ कर—निर्यात ५३.२५ करोड़, पुनर्निर्यात १.५३ करोड़ रु०, आयात—६५.४८ करोड़। कुल व्यापार—१२०.२६ करोड़ रु०।

धन—करेंसी नोटों का निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)—४१ लाख रु०, सोना ५ लाख, चालू मुद्राएं (सोने की मुद्राएं) नगण्य। करेन्सी नोटों का आयात—६.२१ करोड़ रु०, सोना ३ लाख रु०, चालू मुद्राएं (सोने की मुद्राएं छोड़कर) शून्य।

व्यापार-संतुलन—कुल आयात के मुकाबले निर्यातित वस्तुओं (पुनर्निर्यात सहित) के मूल्य में १०.६८ करोड़ रु० की कमी रही।

भारत और एथिओपिया के बीच व्यापार-करार

भारत और एथिओपिया के बीच जो व्यापार-करार हुआ है उसके अनुसार ये देश एक-दूसरे को व्यापार के लिए सीमा-शुल्क, आयात तथा निर्यात पर कर आदि के बारे में सब प्रकार की अनुकूल सुविधाएं देंगे। इस सम्बन्ध में जो नियम हैं उनके अनुसार माल के आयात तथा निर्यात के लिये एक-दूसरे को सभी सुविधायें दी जाएंगे और समय-समय पर निर्यात करने योग्य वस्तुओं की सूचियों का आपस में आदान-प्रदान किया जायगा। दोनों देशों के व्यापारियों और व्यापारी संस्थाओं को आपस में सम्पर्क स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन दिया जायगा।

इस समझौते की अवधि मई १६५६ तक की है और इस पर फौरन ही अमल किया जाएगा। दोनों देशों के बीच यह पहला व्यापार करार है।

भारत-यूगोस्ला व्यापार-करार की अवधि बढ़ी

भारत-यूगोस्लाविया व्यापार-करार की अवधि एक साल अर्थात् ३१ दिसम्बर, १६५८ तक बढ़ा दी गई है। भारत और यूगोस्लाविया के बीच ३१ मार्च, १६५६ को व्यापार-करार हुआ था और एक-दूसरे को भेजी जाने वाली वस्तुओं की सूची में १६ जून, १६५७ को संशोधन किया गया था।

उक्त करार के अनुसार, भारत यूगोस्लाविया को लोहा और मैंगनीज के पिंड, अभ्रक, चाय, कहवा, तम्बाकू, मसाले, खालें और चमड़ा, सूती कपड़े, कच्ची ऊन, पटसन की वस्तुएं, दस्तकारी और ग्रामोद्योग की वस्तुएं आदि निर्यात करता है।

यूगोस्लाविया से भारत में रंग देने और चमड़ा कमाने के लिए आवश्यक वस्तुएं, लोहा तथा इस्पात का सामान, रेल-इंजन, ताम्बा, अलुमीनियम, सीसे तथा जस्ते का सामान, ट्रैक्टर, मोटरें, बिजली के ट्रांसफार्मर और गीयर, विभिन्न प्रकार की मशीनें, क्रेन, जहाज, सीमेंट, आदि चीजें आयात की जाती हैं।

इन दो देशों के बीच जब से व्यापार-करार हुआ है, इनका आपसी व्यापार लगातार बढ़ रहा है। सन् १६५७ के पहले १० महीनों में में भारत ने यूगोस्लाविया को ६२ लाख ५० हजार रु० का माल भेजा और वहां से १ करोड़ ७३ लाख रु० का सामान मंगाया। सन् १६५६ में यहां से २५ लाख रु० का माल निर्यात किया गया और वहां से १ करोड़ ७७ लाख रु० का माल आयात किया गया। भारत से यूगोस्लाविया भेजी जाने वाली वस्तुओं में लोहे के ढोके और वनस्पति तेल मुख्य हैं। वहां से आने वाले माल में ७४ प्रतिशत माल लोहे और इस्पात का होता है।

अखबारी कागज का आयात

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने घोषित किया है कि जो लोग विदेशों से अखबारी कागज मंगाने के लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र भेजना चाहते हैं, उनको निम्नलिखित जानकारी देनी पड़ेगी।

ये लाइसेंस समाचार-पत्रों और सामयिक पत्रों के प्रकाशकों एवं मुद्रकों को अस्थायी तौर पर यह ध्यान में रखकर दिये जाएंगे कि उनकी १६५५, १६५६ और १६५७ की खपत और पृष्ठ का आकार, औसत पृष्ठ संख्या और वितरण के आधार पर निर्धारित आवश्यकता, इन दोनों में कौन सा कम है।

आवेदनकर्ताओं को चाहिए कि अपने आवेदनपत्र 'चीफ कंट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स, नयी दिल्ली, के पते से भेजें। उनको चाहिए कि आवेदनपत्रों के साथ ही अपने पत्र का नाम, प्रकाशन की तारीख; पृष्ठों की लम्बाई-चौड़ाई (वर्ग इंचों में); प्रत्येक अंक में पृष्ठों की औसत संख्या, जिनमें १६५७ में प्रकाशित पूरक अंकों की पृष्ठ संख्या भी शामिल है; किस भाषा में प्रकाशित होता है; दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक है; और १६५७ में कुल कितनी बार प्रकाशित हुआ आदि जानकारी भी दें।

इसके अलावा १६५७ में प्रत्येक अंक के वितरण की औसत संख्या भी बतायी जाए, जिसमें शुल्क सहित तथा निःशुल्क अंकों की संख्या अलग-अलग दिखायी गयी हो। जनवरी से जून १६५७ और अक्टूबर १६५७ से मार्च १६५८ तक की अवधि में विदेशी और देशी कागज की खपत के और नेपा न्यूजप्रिंट मिल को कितने कागज के लिए आर्डर दिया गया तथा कितना कागज वहां से प्राप्त हुआ आदि के बारे में भी जानकारी दी जाए।

आवेदनपत्र के साथ, १ अप्रैल १६५८ के या हाल ही में प्रकाशित अंक की प्रति भी भेजी जाए और यह भी सूचित किया जाय कि उक्त प्रकाशन भारत सरकार के 'रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपर्स' के कार्यालय में रजिस्टर है या नहीं। १ जनवरी १६५८ के बाद निकाले गये प्रकाशनों के वितरण के बाबत किसी अधिकृत लेखापाल का प्रमाणपत्र भेजा जाय और यह भी बताया जाय कि १ अप्रैल १६५८ को कागज का कितना स्टाक था और कितना अभी और मिलने की सम्भावना है।

इसके अलावा आवेदनकर्ता इसकी भी जानकारी दें कि भारत में न मिलने वाली छपाई की स्याही आदि विशेष वस्तुओं की भी आवश्यकता है या नहीं। इन वस्तुओं की आवश्यकता के बारे में भी विचार किया जाएगा।

आयात लाइसेंसों की संख्या घटी

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन आयात व्यापार नियंत्रण संगठन ने अक्टूबर १६५७ से मार्च १६५८ तक २६६ करोड़ रु० के

माल के लिए ८०,६६४ आयात-लाइसेंस जारी किये, जबकि जनवरी से जून १९५७ तक की अवधि में कुल ३८४ करोड़ रु० के माल के लिए १,१८,४४४ आयात-लाइसेंस जारी किये गये थे।

अक्टूबर १९५७ से मार्च १९५८ तक आयात लाइसेंसों के लिए कुल १,३६,२२६ आवेदनपत्र आये थे, जिसमें से १,३५,८२६ आवेदन-पत्रों पर विचार किया गया। शेष ३६७ आवेदनपत्रों के बारे में निर्णय नहीं किया जा सका। यह संख्या आवेदनपत्रों की संख्या से ०.३ प्रतिशत से भी कम है। संगठन के पास जुलाई से सितम्बर १९५७ तक की अंतरिम अवधि में २८,०८८ आवेदनपत्र आये थे और उनमें से २७,७३३ आवेदनपत्रों पर विचार किया गया था।

इसके अलावा बहुत से आयातकों और वाणिज्य संघों ने आयात लाइसेंस जारी करने से सम्बन्धित नियमों आदि के बारे में संगठन के साथ पत्र-व्यवहार किया। आलोच्य अवधि में इस प्रकार के ५,७२,२७४ पत्र मिले, जबकि जनवरी से जून १९५७ तक की अवधि में ३,७४,७८३ मिले थे। किसी भी छमाही में संगठन ने जितने पत्रों का निपटारा किया, उससे यह संख्या सबसे अधिक थी।

दवाओं का आयात और नियंत्रण

फरवरी १९५८ में भारत ने १ करोड़ १४ हजार १७ रु० की दवाएं आयात कीं। आयात की गयी दवाओं के ७६६ नमूनों की जांच की गयी। आयात की गयी दवाओं के ८६ और आयातकों के गोदामों में से २० नमूने परीक्षा के लिए भेजे गये। इनमें से १६ नमूने स्टैंडर्ड के नहीं निकले।

मार्च के महीने में नये आयात की स्वीकृति नहीं दी गयी।

अचार, मुरब्बे के निर्यात में वृद्धि

देश में अचार, मुरब्बे आदि के उद्योग की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक हुई। संयुक्त सचिव श्री एम० लाल, आई० सी० एस० ने बैठक की अध्यक्षता की।

समिति ने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि मुरब्बे आदि का निर्यात १९५६ के १,२०० टन से बढ़कर १९५७ में १,७०० टन हो गया और साथ ही यह विचार भी प्रकट किया कि यदि इनके दाम कम कर दिये जाएं तो निर्यात और भी बढ़ जाएगा।

समिति ने इस उद्योग के विकास की उन योजनाओं पर भी विचार किया, जो दूसरी आयोजना में शामिल की गयी हैं, जैसे बड़े और छोटे निर्माताओं को ऋण आदि। मैसूर की केन्द्रीय खाद्य शिल्प विज्ञान अनुसंधानशाला में इस काम पर लगे फोरमैनों और निरीक्षकों के लिए पुनरभ्यास पाठ्यक्रम शुरू करने के बारे में भी समिति ने जोर दिया।

चटनी का निर्यात बढ़ाने की सिफारिश

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के हाट और निरीक्षण विभाग ने देश के चटनी उद्योग के प्रतिवेदन में भारत सरकार और उद्योगों से चटनी का निर्यात बढ़ाने की जोरदार सिफारिश की है।

देश में आम की लगभग ७०० टन चटनी तैयार की जाती है। इसमें से ८२ प्रतिशत चटनी ब्रिटेन, अमेरिका, मलाया और कनाडा को निर्यात की जाती है।

अन्य फलों की तरह चटनी के उद्योग का नियमन—१९५५ के फल उत्पादन आदेश के अनुसार—होता है। विदेशों में आम की जिन चटनियों की मांग अधिक है, वे इस प्रकार हैं : मीठी, चटपटी, मेजर ग्रे, कर्नल स्कीमर्स, कश्मीर और बंगाल। ये चटनियां अधिकतर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और बंगलौर में बनायी जाती हैं।

मेंहदी की बिक्री और निर्यात

भारत में हर साल लगभग ७०,००० मन मेंहदी पैदा होती है, जिसमें से करीब ८५ प्रतिशत निर्यात की जाती है। इससे देश को १५ लाख ५० हजार रु० की विदेशी मुद्रा मिलती है। भारत से मेंहदी आयात करने वाले देशों में फ्रांस, तुर्की, ट्यूनिशिया, अमेरिका, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया मुख्य हैं।

बाइबल में 'केम्फायर' के नाम से मेंहदी का उल्लेख किया गया है। यूनानी तथा रोमन इसे 'साइप्रस बूटी' (साइप्रस द्वीप में पैदा होने वाली) कहा करते थे। अरब, तुर्की, भारत और ईरान में इसकी बड़ी वकत है और प्राचीन काल से इसका उपयोग होता आ रहा है।

भारत, चीन और प० एशियाई देशों में, मेंहदी शृंगार की महत्व-पूर्ण वस्तु समझी जाती है। अमेरिका में रंग देने और कुछ हद तक दवाइयां बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फ्रांस और ब्रिटेन में मेंहदी से शृंगार सामग्री, खिजाब, नाखूनों की लाली आदि चीजें बनायी जाती हैं।

मेंहदी के पेड़ अधिकतर बाड़ लगाने के काम आते हैं और विभिन्न जलवायु में अच्छी तरह से पनपते हैं। भारत में व्यापारी ढंग पर इसकी खेती पंजाब, बम्बई, मध्यप्रदेश और राजस्थान में होती है। मेंहदी की पैदावार के मुख्य स्थान, पंजाब में फरीदाबाद और बम्बई के सूरत जिले में बारडोली और मांढ़ी हैं। भारत के अलावा मिस्र और सूडान में इसकी पैदावार बहुतायत से होती है। ईरान, मैडागास्कर, पाकिस्तान और आस्ट्रेलिया में भी थोड़ी मेंहदी पैदा होती है।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के हाट और निरीक्षण निदेशालय ने मेंहदी के व्यापार के बारे में एक पुस्तिका प्रकाशित की है। मेंहदी की पैदावार, उपयोग और बिक्री के बारे में विस्तृत जानकारी गयी है।

मेंहदी की दो किस्में हैं : दिल्ली किस्म और गुजरात किस्म। पंजाब, फरीदाबाद क्षेत्र में उगायी जाने वाली 'दिल्ली किस्म' की मेंहदी का रंग अच्छा चढ़ता है और इसके चूर्ण में सुगन्धित पदार्थ मिलाकर वह विदेशों को भेजा जाता है। गुजरात किस्म की मेंहदी के पत्ते निर्यात किये जाते हैं।

उक्त पुस्तिका में बताया गया है कि यहां के व्यापारी यदि बढ़िया किस्म की मेंहदी निर्यात करें तो विदेशों में इसकी बड़ी खपत हो सकती है और संसार के अन्य देशों में भी इसकी मांग बढ़ सकती है।

भारतीय कपड़े का निर्यात

भारत से बर्मा और इण्डोनेशिया को निर्यात होने वाले सूती कपड़े की मात्रा में कोई कमी नहीं आयी, परन्तु सिंगापुर में जापान और चीन से जाने वाले कपड़े के साथ होड़ होने के कारण, भारत से निर्यात होने वाले सूती कपड़े की मात्रा में कुछ कमी हुई है।

यह सूचना लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी गई है।

सिंगापुर, मलाया और लंका को छोड़कर, दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को निर्यात होने वाले भारतीय सूती कपड़े की मात्रा में कमी नहीं हुई है।

निर्यात होने वाले रेशमी कपड़े की जांच

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के निर्यात वृद्धि निदेशालय ने निर्यात होने वाले रेशमी कपड़े में रेशम की मात्रा अधिक रखने की एक योजना स्वीकार की है। इस योजना को चलाने के लिए रेशम और रेयन निर्यात वृद्धि परिषद, बम्बई, कलकत्ता, वाराणसी, मद्रास, बंगलौर आदि उन शहरों में कार्यालय खोल रही है, जहां रेशमी कपड़े तैयार होते हैं।

ये कार्यालय निर्यात होने वाले रेशमी कपड़ों की जांच करेंगे और देखेंगे कि उनमें रेशम की कितनी मात्रा है। जांच के बाद परिषद इसका निश्चय करेगी कि रेशमी कपड़े निर्यात करने वालों को कितना आयातित कच्चा रेशम दिया जाए। यह कच्चा रेशम देश का राज्य व्यापार निगम देगा।

जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे इस पते पर पत्र-व्यवहार कर सकते हैं : 'सेक्रेटरी, सिल्क एण्ड रेयन टैक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, रेशम भवन, ७८ वीर नरीमैन रोड, बम्बई-१।

अमेरिका को टसर कपड़े का निर्यात

अमेरिका को टसर कपड़ा भेजने के लिए फरवरी, १६५८ में भारत तथा अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते को लागू करने के लिये भारत सरकार ने बम्बई के सेण्ट्रल सिल्क बोर्ड के सहायक सचिव (प्रशासन) श्री ए० आर० टक्यार को विशेष अधिकारी नियुक्त किया है।

श्री टक्यार प० बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के उन जिलों का दौरा करेंगे, जहां टसर कपड़े की मिलें हैं और निर्यात सम्‍[illegible] सुविधाओं की उचित व्यवस्था करने के लिए निर्यातकों तथा जिला उ[illegible] अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करेंगे।

निर्यातकों को चाहिए कि यदि उन्हें कोई असुविधा हो तो वे से[illegible] सिल्क बोर्ड के मार्फत विशेष अधिकारी को उसके बारे में सूचित करें।

हाल में अमेरिका सरकार की राय से अमेरिका भेजे जाने वाले ट[illegible] कपड़े के निर्यात में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य [illegible] टसर कपड़े के लिए प्रमाण-पत्र देने की प्रणाली अपनायी गयी है। [illegible] प्रणाली के अनुसार भारत सरकार के वस्त्र आयुक्त को कपड़े [illegible] निर्यात के पहले यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि निर्यात किया जाने वा[illegible] कपड़ा भारत में ही तैयार किया गया है। निर्यातकों को अपना [illegible] आयुक्त के कार्यालय में दर्ज कराना होगा और थोक व्यापारी, [illegible] बुनकरों से कपड़ा खरीद कर निर्यातकों को बेचते हैं, उन्हें अपना ना[illegible] अपने जिले के उद्योग अधिकारी के कार्यालय में दर्ज कराना होगा।

निर्यात के लिए सुअर के बाल

भारत में प्रतिवर्ष लगभग छः लाख पौंड सुअर का बाल निकलत[illegible] है जिसका मूल्य १ करोड़ रु० से अधिक होता है। यह अधिकतर उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और पंजाब में प्राप्त होता है। कानपुर तथा जबलपु[illegible] सुअर के साफ किये हुए बाल की मुख्य मंडियां हैं।

अधिकांश बाल ब्रिटेन भेजा जाता है। यह बाल सुअरों की पी[illegible] तथा गर्दन पर होता है और तार की तरह कड़ा होता है। इससे चित्र[illegible] कारी, फर्श साफ करने, पालिश करने, कपड़ा झाड़ने, मंजन करने, बाल झाड़ने आदि के ब्रुश बनाये जाते हैं। इनका उपयोग और भी क[illegible] कामों में होता है, जैसे जवाहरात साफ करने, क्रिकेट के गेंदों को लपेटक[illegible] रखने तथा जूते के तल्ले सीने में।

सुअर के बाल का वर्गीकरण सन् १६५० से शुरू किया गया, क्यों[illegible] विदेशों से शिकायतें आने लगीं कि माल की पैकिंग ठीक नहीं की जा[illegible] और कई रंग तथा नाप के बाल एक साथ मिला दिये जाते हैं। वर्गीकर[illegible] का उद्देश्य इसकी किस्म का निर्धारण करना है। वर्गीकरण के बाद इ[illegible] पर 'एगमार्क' का चिन्ह लगाया जाता है।

अब सुअर के बाल को विदेशों में भेजने की तभी अनुमति [illegible] जाती है, जब सन् १६५० में बनाये गये नियमों के अनुसार उनकी ठ[illegible] से पैकिंग होती है तथा निशान लगाये जाते हैं।

इसके लिए भारत सरकार के कृषि पदार्थ-बिक्री-सलाहकार अथ[illegible] उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी से प्रमाणपत्र लेना पड़ता [illegible] सलाहकार के मातहत अनेक कर्मचारी होते हैं, जो निशान लगाने, पै[illegible] करने आदि पर कड़ी नजर रखते हैं।

केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के बिक्री तथा जांच विभाग [illegible] 'ग्रेडिंग आफ ब्रिसिल्स इन इंडिया' (भारत में सुअर के बाल का व[illegible] करण नामक पुस्तिका प्रकाशित की है, जिसमें वर्गीकरण और नि[illegible] लगाने आदि के सम्बन्ध में काफी विवरण दिया गया है।

वित्त

विकास-कार्यों के लिए आयकर में छूट

नयी मशीनें आदि लगाने पर जो विकास छूट दी जा रही है, वह नयी रियायत नहीं है। कर जाच आयोग की सिफारिशों के अनुसार यह १९५५ से ही लागू है।

किसी उद्योग में ७ लाख रुपये का मुनाफा हुआ। नियमानुसार उस उद्योग के मालिक को लगभग ३॥ लाख रु० आयकर देना होगा। अगर वह नयी मशीनें आदि लगाने पर किसी साल १० लाख रुपया खर्च करता है तो उसे २½ लाख रु० की छूट मिलेगी अर्थात् ७ लाख रु० के मुनाफे से २॥ लाख रु० घटाकर आयकर लगाया जाएगा। इस प्रकार आयकर ४॥ लाख रु० पर ही लगेगा, और मोटे तौर पर उसे ३॥ लाख रु० की बजाय २,२५,००० रु० आयकर देना होगा। इससे उसे सवा लाख रु० की बचत होगी। यह छूट केवल एक बार मिलेगी, हर साल नहीं।

लेकिन नयी कम्पनी की स्थिति कुछ भिन्न है। मान लीजिए किसी नयी कम्पनी ने १९५६ में १० लाख रु० की मशीनें लगायीं और पहले वर्ष उसे कुछ लाभ नहीं हुआ। आय न होने की स्थिति में वह छूट का कैसे लाभ उठाये। नयी कम्पनियों को अगले ८ साल में कभी भी यह छूट मिल सकती है। इन ८ सालों में अगर मुनाफा कमावें तो इस छूट का उन्हें भी लाभ पहुँचेगा क्योंकि उनके मुनाफे में विकास-छूट की रकम कम करके आय-कर लिया जायगा।

विकास छूट इसलिये दी गयी है कि इससे कम्पनियों को अपना विस्तार करने और नई मशीनें आदि लगाने के लिये प्रोत्साहन मिले। मशीनों आदि की कीमतें बढ़ जाने पर भी कम्पनिया, इस छूट के कारण, नई मशीनें आदि खरीदने और लगाने के लिये तत्पर हो जायेंगी।

वित्त विधेयक द्वारा न तो करों में कोई नयी छूट दी गयी है और न कोई नया कर लगाया गया है। वित्त विधेयक का उद्देश्य केवल यह कि कम्पनियों को जो विकास छूट मिले, उसे वह लाभांश के रूप में बांट दें, बल्कि उसे अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने में लगाएं। इसके लिए जो नयी शर्तें लगाई गयीं, वे ये थीं : १. जो कम्पनी विकास छूट मांगे, वह कम-से-कम दस वर्ष तक विकास-छूट के बराबर रुपया संरक्षित राशि के रूप में रखे, २ जो नयी मशीनें और यन्त्र आदि लगाने पर कम्पनी को विकास छूट मिली है, उन्हें कम्पनी दस वर्ष तक न बेचे।

वित्त विधेयक के इन मूल उपबन्धों पर अमल करने के विषय में कुछ कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया गया है, उदाहरणार्थ विकास-छूट मिलने पर वास्तविक बचत सवा लाख रु० की होती है। तब कम्पनी से सवा लाख रु० का दुगुना संरक्षित राशि के रूप में रखने के लिए क्यों कहा जाय? ऐसी कम्पनिया जिन्हें मुनाफा नहीं हो रहा है, या कम मुनाफा हो रहा है, संरक्षित राशि के रूप में जमा करने के लिए धन कहा से लायें? पुरानी कम्पनिया भी जो नयी मशीनों आदि पर बहुत बड़ी रकम खर्च कर चुकी हों, उसी साल शायद इतना मुनाफा न कमा सकें कि विकास-छूट के बराबर रकम संरक्षित राशि के रूप में जमा कर दें।

अतः सरकार ने वित्त विधेयक में दो संशोधन किये। पहला संशोधन यह कि कम्पनियों को नयी मशीनें आदि लगाने के साल में ही छूट नहीं दी जायगी, बल्कि यह छूट उन्हें अगले आठ वर्षों तक कभी भी मिल सकती है। दूसरा संशोधन यह किया गया कि संरक्षित राशि न तो कम्पनी के आयकर में हुई वास्तविक बचत के बराबर होगी और न विकास-छूट के बराबर। संरक्षित राशि में वास्तविक बचत की डेढ़ गुना रकम दी जायगी। इनके अलावा जबानी तौर पर कुछ और छोटे मोटे संशोधन भी किए गए।

यह स्पष्ट है कि वित्त विधेयक या नये संशोधनों को कम्पनियों द्वारा भुगताये जाने वाले कर से कुछ लेना-देना नहीं। इनका उद्देश्य वास्तव में कम्पनी की वित्तीय हालत को ही अच्छा बनाना है और यह देखना है कि जो छूट दी जाय, उसका उचित उपयोग हो।

जनवरी ५८ में सीमा-शुल्क और उत्पादन-शुल्क से आय

जनवरी, १९५८ में स्थल, वायु और समुद्री के मार्ग से आने-जाने वाले माल से १३ करोड़ २४ लाख रु० सीमा शुल्क वसूल हुआ। पिछले साल के इसी महीने की यह आय १७ करोड़ २३ लाख रु० थी।

सीमा शुल्क की कुल आय में से आयात शुल्क १० करोड़ २१ लाख रु०, निर्यात-शुल्क २ करोड़ १६ लाख रु०, स्थल-मार्ग से सीमा-शुल्क ७५ लाख रु० तथा वायु-मार्ग से सीमा-शुल्क १२ लाख रु० है। पिछले साल के इसी महीने की इन मदों से यह आमदनी क्रमशः १३ करोड़ ९६ लाख रु०, २ करोड़ ९६ लाख रु०, ३१ लाख रु० थी।

इस महीने उत्पादन शुल्क से २६ करोड़ ९८ लाख रु० प्राप्त हुआ। पिछले साल इसी महीने उत्पादन-शुल्क से १७ करोड़ ९७ लाख रु० मिला था।

अप्रैल, १९५७ से जनवरी, १९५८ तक के १० महीनों में सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क से सरकार को ३ अरब ७४ करोड़ ८५ लाख रु० की आय हुई। पिछले साल की इसी अवधि की यह आय ३ अरब १५ लाख रु० थी। इसमें से आयात-शुल्क १ अरब २६ करोड़

७६ लाख रु० (पिछले साल १ अरब १६ करोड़ २२ लाख रु०), निर्यात-शुल्क २० करोड़ ६३ लाख रु० (पिछले साल २५ करोड़ १५ लाख रु०), फुटकर तथा स्थल-मार्ग से सीमा-शुल्क ४ करोड़ ६५ लाख रु० (पिछले साल २ करोड़ ६७ लाख रु०), वायु-मार्ग से सीमा-शुल्क १ करोड़ ८५ लाख रु०, और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क २ अरब २० करोड़ ९६ लाख रु० (पिछले साल १ अरब ५५ करोड़ ८१ लाख रु०) है।

दिसम्बर ५७ में सीमा-शुल्क और उत्पादन-शुल्क से आय

दिसम्बर १९५७ में स्थल, वायु और समुद्री मार्ग से माल के आने-जाने पर सीमा-शुल्क की वसूली से सरकार को १३ करोड़ ९९ लाख रुपया की आय हुई। पिछले साल इसी महीने १५ करोड़ ३१ लाख रु० की आय हुई थी।

सीमा-शुल्क को कुल आय में आयात-शुल्क से हुई आय ११ करोड़ १९ लाख रु०, निर्यात-शुल्क की आय २ करोड़ ४ लाख रु०, स्थल मार्ग के सीमा-शुल्क की ६५ लाख रु० और वायु-मार्ग के सीमा-शुल्क की ११ लाख रु० है। उत्पादन-शुल्क से २२ करोड़ ५३ लाख रु० की वसूली हुई, जबकि पिछले साल दिसम्बर में १९ करोड़ ८४ लाख रु० हुई थी।

अप्रैल से दिसम्बर १९५७ की अवधि में सीमा-शुल्क और उत्पादन-शुल्क से ३ अरब ३१ करोड़ ६३ लाख रु० को आय हुई। पिछले वर्ष इसी अवधि में २ अरब ६४ करोड़ ६५ लाख रु० का आय हुई थी। इसमें आयात-शुल्क की आय १ अरब १६ करोड़ ५४ लाख रु० है, जबकि पिछले साल १ अरब २ करोड़ २६ लाख रु० थी। निर्यात-शुल्क की आय १८ करोड़ २२ लाख रु० (पिछले साल २१ करोड़ ८७ लाख रु०), स्थल सीमा-शुल्क को आय ३ करोड़ ६० लाख रु० (पिछले साल २ करोड़ ६५ लाख रु०) और उत्पादन-शुल्क की आय १ अरब ९१ करोड़ २३ लाख रु० है, जबकि पिछले साल १ अरब ३८ करोड़ १७ लाख रु० थी।

उत्पादन तथा सीमा शुल्क की छूट

निर्यात को प्रोत्साहन देने की अपनी नीति के अनुसार भारत सरकार ने निश्चय किया है कि बाहर भेजे जाने वाले डीजल इंजन, क्रोम लेदर वाशर और लेदर क्लाथ बनाने के काम आने वाले कच्चे माल के उत्पादन और सीमा शुल्क में छूट दी जाय। चश्मों के फ्रेम के बाबत यह छूट और बढ़ा दी गयी है।

निर्यातकों को चाहिये कि इस छूट के सम्बन्ध में पूरी जानकारी के लिये निर्यात करने वाले बन्दरगाहों के सीमा शुल्क कलेक्टर को लिखें।

मिठाइयों के निर्यात और उत्पादन-शुल्क की वापसी

भारत सरकार ने, निर्यात की जाने वाली मिठाई (कनफैक्शनरी) में जो चीनी काम आती है, उस पर लिये गये उत्पादन-कर और निर्यात-शुल्क की वापसी के नियमों का मसविदा प्रकाशित कर दिया है।

उबली हुई और बिना लिपटी मिठाई पर प्रति सौ पौंड पर ११ रु० १५ न० पै०, उबली हुई और लिपटी हुई मिठाई पर १५ रु०, उबली हुई और अन्दर से मुलायम मिठाई पर १३ रु० ३० न० पै० और टाफियों पर १८ रु० छूट दी जाएगी।

इन नियमों को अंतिम रूप देने से पहले, इनके बारे में जो आपत्तियां या सुझाव होंगे, उन पर भी विचार किया जाएगा।

सिले कपड़ों के उत्पादन शुल्क में छूट

अभी तक विदेशों को निर्यात किये जाने वाले सिले कपड़ों, खेमों, चीनी की बनी वस्तुओं, सूती थैलों, छाते के कपड़े, चद्दरों, तकिए के गिलाफों, मेजपोश, लेस, त्रिपालों और मच्छरदानियों पर उत्पादन शुल्क की छूट दी जाती थी। अब भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि यह छूट विदेशों को भेजी जाने वाली चांदनियों (ग्राउन्डशीट) पर भी दी जायेगी।

चांदनियों के निर्यातकों को चाहिये कि वे इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिये अपने क्षेत्र के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलेक्टर से पत्र-व्यवहार करें।

भारत सरकार के तीन नये ऋण

भारत सरकार ने १ अरब ३५ करोड़ रु० के तीन नए ऋण एक साथ शुरू करने की घोषणा की है।

पहला ऋण ३॥ प्र० श० बाण्ड १९६३ है, जिसका जारी मूल्य ९८.७५ रु० प्र० श० है और जो १२ मई १९६३ को लौटाया जाएगा। दूसरा ऋण '३॥ प्र० श० नेशनल प्लान बाण्ड'—पांचवी सिरीज (३॥ प्र० श० १९६८)—है, जिसका मूल्य ९९.५० रु० प्र० श० है और जो १२ मई १९६८ को लौटाया जायगा। तीसरा ऋण '४ प्र० श० ऋण १९७३' है, जिसका जारी मूल्य १०० रु० प्र० श० है और जो १२ मई १९७३ को लौटाया जायगा। इन ऋणों पर हर छः महीने में १२ मई और १२ नवम्बर को ब्याज दिया जायगा। इस पर आयकर लगेगा।

जनता पालिसियां

लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने २६ मई, १९५७ से १७ मार्च, १९५८ तक

१,३६,२१,५५१ रु० के मूल्य की २४,४११ जनता पालिसिया वेचीं। अभी तक के काम का मूल्यांकन कर लेने और विभिन्न क्षेत्रों से इस बीमे के बारे में जानकारी एकत्र हो जाने पर ही इस योजना को देश भर में बढ़ाने के बारे में विचार किया जा सकता है।

अधिक लाभांश पर अतिरिक्त अधिकर से आय

अधिक लाभांश पर लगाये गये अतिरिक्त अधिकर से १९५६-५७ में ३.६७ करोड़ रु० की और १९५७-५८ में ४.११ करोड़ रु० की आय हुई। चालू वर्ष में इससे ४ करोड़ रु० की आय का अनुमान है। यह सूचना लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी गई है।

यह पूछने पर कि १९५५-५६, १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में विकास-छूट देने के कारण आय में कितनी कमी होगी, वित्त मंत्री ने बताया कि छूट के कारण आय पर पड़ने वाले पूरे प्रभाव का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने बताया कि विभिन्न वर्षों में राजस्व में होने वाली कुल कमी निम्नलिखित होगी :

जिस वर्ष में विकास छूट दी गयी	राजस्व पर प्रभाव
१९५५-५६	४.४७ करोड़ रु०
१९५६-५७	५.७७ करोड़ रु०
१९५७-५८	८.०४ करोड़ रु०

चालू वित्तीय वर्ष में लगभग ८ करोड़ रु० की कमी होने का अनुमान है।

श्रम

शिल्पिक कर्मचारियों का राष्ट्रीय रजिस्टर

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक और शिल्पिक कर्मचारियों का जो राष्ट्रीय रजिस्टर रखती है, उसका क्षेत्र बढ़ा दिया गया है और योग्य व्यक्तियों के नाम रजिस्टर करने की नयी पद्धति शुरू की गयी है।

योग्य व्यक्तियों को रजिस्टर करने के लिए नये रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें २१ बातों के बारे में जानकारी मागी गयी है। ये कार्ड कामदिलाऊ दफ्तरों में सभी लोगों को, चाहे वे बेकार हों या काम पर लगे हुए हों, मिल सकते हैं।

इसके अलावा ये कार्ड सरकारी विभागों, उद्योगों, अनुसंधान तथा शिक्षा संस्थाओं आदि को भी भेजे गए हैं, जहा वैज्ञानिक और शिल्पिक लोग काम करते हैं। ये कार्ड वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 'नेशनल रजिस्टर आफिस, ओल्ड मिल रोड, नयी दिल्ली' से भी मिल सकते हैं।

ये कार्ड जिन पर 'कार्ड जी (जनरल)' लिखा है, वे लोग भर सकते हैं, जिन्होंने वैज्ञानिक विषयों में एम० एस० सी० की डिग्री ली हो, किसी खास पाठ्यक्रम में (कृषि, पशुचिकित्सा आदि) बी० एस० सी० किया हो, इंजीनियरी या टेकनालाजी में डिप्लोमा लिया हो और जो चिकित्सा विशेषज्ञ हों।

अनुमान है कि लगभग १ लाख २० हजार वैज्ञानिकों और शिल्पिकों में वह योग्यता है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित की गयी है। आशा है कि रजिस्ट्रेशन के काम का पहला चरण छः महीने के अन्दर ही पूरा हो जायगा।

बुनकरों के लिए मकान

भारत सरकार ने मैसूर और उड़ीसा में बुनकरों के लिए एक-एक बस्ती बनाने की योजनाएं स्वीकार की हैं। बस्तिया सहकारी ढंग पर बनायी जाएंगी। वहा कपड़े की रंगाई, तैयारी आदि के लिए एक कारखाना होगा, जिसको सभी काम ला सकेंगे। बस्तियों की सहकारी संस्थाएं बुनकरों को सूत देने और तैयार कपड़े को बेचने का भी प्रबन्ध करेंगी। बुनकरों के मकानों में ही हथकरघे लगे रहेंगे।

मकान की लागत का एक-तिहाई खर्च अनुदान के रूप में दिया जाएगा और बाकी ऋण के रूप में, जिसे बुनकर २५ वर्ष में किश्तों में चुकाएगा। इसके अलावा सरकार अपने खर्च पर बस्तियों में पानी आदि का प्रबन्ध करेगी।

मैसूर की योजना के अन्तर्गत, आदि करनाटक बुनकर सहकारी संस्था के सदस्यों के लिए मैसूर में १०० मकान बनाए जाएंगे। उड़ीसा की योजना के अन्तर्गत, सोनापादर (उड़ीसा) में बुनकर सहकारी संस्था के सदस्यों के लिए ४० मकान बनाए जाएंगे।

इन योजनाओं के लिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मैसूर को ६८,००० रु० और उड़ीसा को ३०,००० रु० का ऋण देना स्वीकार किया है। यह रकम उस कुल ऋण का तिहाई है जो योजनाओं के लिए दिया जाना है। बाकी ऋण, योजना के चालू हो जाने के बाद, दो किश्तों में दिया जायगा।

केन्द्रीय सरकार मद्रास, आन्ध्र, उड़ीसा, बम्बई और मैसूर में बुनकरों के लिए मकान बनाने की योजनाएं पहले ही स्वीकार कर चुकी है। इससे बुनकरों के रहन-सहन में सुधार होता है और वे अधिक कपड़ा तैयार करते हैं।

फरवरी १९५८ में औद्योगिक झगड़े

फरवरी, १९५८ में औद्योगिक झगड़ों से समय की कम क्षति हुई। जनवरी की तुलना में फरवरी में ११,९८० कम जन-दिनों की क्षति हुई। इस महीने विवाद की अवधि औसतन ४.३ दिन रही, जबकि जनवरी में यह अवधि ६.५ दिन थी।

फरवरी में १०५ नये औद्योगिक विवाद हुए। इस प्रकार, इस महीने में नये और पुराने विवादों की कुल संख्या एक समय में अधिक से अधिक ११३ रही। इनमें से १३ विवाद तालाबन्दी के सम्बन्ध में थे। १०८ विवादों का फरवरी में निपटारा हो गया। ७६ झगड़े ५ दिन से अधिक नहीं चले और केवल ७ झगड़े ३० दिन से अधिक चले।

तैयार चीजें बनाने वाले उद्योगों में समय की क्षति बढ़क २,६३,८९८ हो गयी। 'विविध' वर्ग में १५,०३४ और 'निर्माण' व में २,६०० वृद्धि हुई। अन्य वर्गों में समय की क्षति में कमी हुई।

समय की सबसे अधिक क्षति (१,६०,३२३) प० बंगाल में हुई मैसूर में समय की क्षति ८७,१८१, बिहार में ३०,०३५ और बम्बई रे २६,३६४ रही। जनवरी की तुलना में मैसूर, प० बंगाल, केरल, दिल्ली पंजाब और राजस्थान में समय की क्षति बढ़ी और बाकी सब राज्यों ने कम हुई। तैयार चीजें बनाने वाले उद्योगों में औद्योगिक झगड़ों क सूचक अंक (१९५१ का सूचक अंक=१००) ६५ रहा, जबकि जनवरी रे वह ६७ था।

खाद्य और खेती

काफी की पैदावार बढ़ाने के लिए सहायता

भारतीय काफी बोर्ड ने अब तक लगभग १२० छोटे-छोटे काफी-बागानों के मालिकों को काफी की पैदावार का रकबा बढ़ाने के लिए सहायता देना स्वीकार कर लिया है।

काफी का उत्पादन बढ़ाने के लिए अक्टूबर सन् १९५६ में जो पंचवर्षीय आयोजना चलायी गयी थी, उसी के अन्तर्गत यह सहायता दी जा रही है। फरवरी सन् १९५८ के अन्त तक लगभग ५ लाख ४० हजार रु० सहायता के रूप में स्वीकृत किया गया। यह सहायता ऋण के रूप में केवल उन्हीं लोगों को दी जा रही है, जिनके पास ५० एकड़ से कम भूमि है। बड़े बागान-मालिकों को काफी की फसल पर काफी धन पेशगी देकर सहायता की जा रही है।

ऋण के लिए सन् १९५७-५८ में जो आवेदन पत्र दिये गये, उन पर भी विचार हो रहा है।

उक्त पंचवर्षीय आयोजना का लक्ष्य है १ लाख ४० हजार एकड़ भूमि में काफी की सघन खेती की व्यवस्था करना। काफी उत्पादकों को ऋण देने के लिए १ करोड़ ३५ लाख रु० निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत काफी की अच्छी किस्म के बीज भी बांटे जा रहे हैं और सरकारी लुगदी केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। काफी-बोर्ड के अनुसंधान विभाग ने सन् १९५६-५७ में २,०२५ काफी-उत्पादकों को अच्छी किस्म के बीज बांटे। १९५७-५८ में यह संख्या बढ़कर २,२६८ हो गयी।

दो सहकारी लुगदी केन्द्र मैसूर के चिकमागलूर जिले में होसालोपेत, तथा मालन्दर में स्थापित किये गये हैं। ये केन्द्र छोटे काफी-उत्पादकों को कागजी काफी तैयार करने में सहायता करेंगे। इस काफी की खपत ज्यादा है।

चिकमागलूर जिले के सातेहल्ली तथा बेलगोड में दो और सहकारी लुगदी केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता दी जा रही है।

गन्ने की प्रति एकड़ उपज बढ़ाई जाय

केन्द्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री, श्री अजित प्रसाद जैन, ने केन्द्रीय गन्ना समिति की २५वीं वार्षिक बैठक का उद्घाटन करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य गन्ने की प्रति एकड़ उपज बढ़ाना होना चाहिए।

श्री जैन ने इस बात पर संतोष प्रकट किया कि पिछले साल से भारत विदेशों को चीनी भेजने लगा है। दानेदार चीनी का उत्पादन दुगना हो गया है, लेकिन इसके साथ ही देश में खपत भी बढ़ गयी है। उन्होंने बताया कि चीनी का निर्यात बढ़ाने के विषय में शीघ्र ही एक योजना प्रकाशित की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य विदेशों में चीनी की खपत बढ़ाना, विदेशी-मुद्रा कमाना और अपने चीनी उद्योग की नींव मजबूत करना होगा।

उन्होंने कहा कि गुड़ का वैज्ञानिक ढंग से संग्रह करने की एक योजना पर भी विचार हो रहा है। इस योजना के अन्तर्गत गुड़ का संग्रह करने और उसे खराब न होने देने के लिए केन्द्रीय गोदाम-घर खोले जाएंगे।

गन्ने की अधिक उपज

गन्ने की उपज बढ़ाने पर जोर देते हुए खाद्य एवं कृषि मंत्री ने कहा कि हमारी उपज जितनी होनी चाहिए, इस समय उसकी २५ प्रतिशत ही होती है। उत्तर में गन्ने की औसत प्रति एकड़ उपज १२ से

१४ टन तक है, जबकि उसे ६० से ६५ टन तक किया जा सकता है। इसी प्रकार, दक्षिण में इस समय प्रति एकड़ औसतन ३०-३५ टन गन्ना होता है, जबकि गन्ने की प्रति एकड़ उपज १३०-१३५ टन तक की जा सकती है।

श्री जैन ने कहा कि गन्ने की उपज बढ़ाने का तरीका यह नहीं होना चाहिए कि जिस जमीन पर दूसरी फसलें बोयी जाती हैं, उस पर गन्ना बोया जाय। पिछले तीन साल में गन्ने की खेती का क्षेत्र २० प्रतिशत बढ़ा है और यह अच्छी बात नहीं। भरपूर खेती द्वारा गन्ने की प्रति एकड़ उपज बढ़ाना ज्यादा अच्छा तरीका है।

१९५६-५७ का उत्पादन

इससे पहले केन्द्रीय गन्ना समिति के अध्यक्ष, श्री टी० सी० पुरी ने बताया कि १९५६-५७ में ६६६ लाख टन गन्ना उपजा और कुल २०.२६ लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। उन्होंने यह आशा प्रकट की कि दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में गन्ने की उपज ७८० लाख टन और चीनी का उत्पादन २२.५ लाख टन करने का जो लक्ष्य रखा गया है, वह आयोजना की अवधि से पहले ही पूरा हो जाएगा।

गन्ना-सुधार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि इस समय १६.७५ लाख एकड़ अर्थात् कुल क्षेत्र के ३० प्रतिशत भाग में गन्ना सुधार की योजनाएं जारी हैं। दूसरी आयोजना के अन्त तक गन्ने की खेती का सारा क्षेत्र इन योजनाओं के अन्तर्गत आ जाएगा और उस समय तक गन्ने की प्रति एकड़ उपज भी काफी बढ़ जाएगी।

गुड़ के सुरक्षित भंडार

देश के विभिन्न जलवायु में गुड़ को सुरक्षित रूप से भंडार करने की विधि निकालने के लिए भारत की केन्द्रीय गन्ना समिति ने दो नयी योजनाएं स्वीकार की हैं। गन्ना समिति की वार्षिक बैठक हाल ही में, नयी दिल्ली में, हुई जिसमें अनुसन्धान की कुल १२ नयी योजनाएं स्वीकार की गई और इनके लिए १९५८-५९ वर्ष में ८ लाख रु० की व्यवस्था की गई।

समिति ने १९५८-५९ वर्ष में गन्ना विकास की योजनाओं के लिए ५० लाख रु० व्यय करने की व्यवस्था की है। अखिल भारतीय गन्ना फसल प्रतियोगिता का आयोजन करने और गन्ने की फसल में भरपूर खाद देने के सम्बन्ध में भी समिति ने दो योजनाएं स्वीकार कीं। इनका उद्देश्य गन्ने की प्रति एकड़ उपज बढ़ाना है। मैसूर में एक गन्ना-अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी समिति ने स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त इस राज्य के अन्य भागों में कुछ और उपकेन्द्र भी खोले जाएंगे। इस समय देश में गन्ना-अनुसंधान के ११ मुख्य केन्द्र और २० उप-केन्द्र हैं।

'अधिक अन्न उपजाओ' कार्यक्रम

राज्यों ने 'अधिक अन्न उपजाओ' योजनाओं पर खर्च का जो अन्तिम अनुमान लगाया है, उसके अनुसार इस कार्यक्रम पर १९५७-५८ में २९ करोड़ ७७ लाख ६३ हजार रु० खर्च होंगे। केन्द्र इसमें से २६ करोड़ ४२ लाख ६९ हजार रु० ऋण और ३ करोड़ ३५ लाख २४ हजार रु० सहायता के रूप में देगा।

यह सूचना आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी गई है। इसके अनुसार १९५७-५८ में केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों को जो ऋण और अनुदान देगी, वह इस प्रकार है :—

राज्य	ऋण	अनुदान
आंध्र प्रदेश	५,०२,०३,०००	२३,५६,०००
आसाम	१,०१,६८,०००	६,८६,०००
बिहार	१,६७,११,०००	६८,०३,०००
बम्बई	२,४०,७२,०००	२७,५३,०००
केरल	३३,०३,०००	८,६०,०००
मध्य प्रदेश	२,७२,२३,०००	१६,८६,०००
मद्रास	१,८८,५७,०००	२०,०५,०००
मैसूर	१,१३,१६,०००	१५,३२,०००
उड़ीसा	८१,६८,०००	६,८६,०००
पंजाब	२,०८,२३,०००	२५,१४,०००
राजस्थान	१,५६,७३,०००	६,३६,०००
उत्तर प्रदेश	३,६६,१४,०००	६६,७६,०००
प० बंगाल	६५,४०,०००	११,०४,०००
जम्मू और कश्मीर	१६,८५,०००	१०,५५,०००
दिल्ली	११,६०,०००	कुछ नहीं
हिमाचल प्रदेश	१६,४८,०००	१३,८७,०००
पाण्डीचेरी	६५,०००	कुछ नहीं
त्रिपुरा	६,७७,०००	- १,४६,०००

चावल की १३ नई किस्में

भारत के ८२ अनुसन्धान केन्द्रों ने चावल के बारे में अनुसन्धान किया है और चावल की १३ नयी किस्में ईजाद की हैं। इनमें से कुछ ऐसे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं, जहां पानी इकट्ठा हो जाता है। नयी किस्मों की उपज प्रति एकड़ २,३०० से लेकर ४,००० पौंड तक है। अनुसन्धान केन्द्रों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है :—आंध्र प्रदेश—१३, आसाम—३, बिहार—६, बम्बई—१५, कश्मीर—२, केरल—८, मध्य प्रदेश—२, मद्रास—८, मैसूर—७, उड़ीसा—३, पंजाब—२, पश्चिम बंगाल—५, उत्तर प्रदेश—४ और केन्द्रीय सरकार (केन्द्रीय चावल अनुसन्धानशाला, कटक)—१।

मक्की की उपज बढ़ी

इस वर्ष मक्की की उपज में ५५ हजार टन की वृद्धि हुई और उसकी खेती का रकबा करीब ५।। लाख एकड़ बढ़ा।

सन् १६५७-५८ के संशोधित अखिल भारतीय प्राक्कलन के अनुसार चालू वर्ष में मक्के की खेती का क्षेत्रफल ६७,६२,००० एकड़ और उपज ३०,६४,००० टन है। सन् १६५६-५७ के संशोधित प्राक्कलन के अनुसार मक्की की खेती का क्षेत्रफल ६१,६७,००० एकड़ और उपज ३०,०६,००० टन थी। इस प्रकार चालू वर्ष में मक्के का क्षेत्रफल पिछले वर्ष से ५,६५,००० एकड़ या ६.१ प्रतिशत और उपज ५५,००० टन अर्थात् १.८ प्रतिशत बढ़ गयी।

क्षेत्रफल में वृद्धि मुख्य रूप से राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में हुई। बुवाई के समय अधिक वर्षा होने के कारण जम्मू और कश्मीर में मक्के का क्षेत्रफल घट जाने के समाचार मिले हैं। फसल की बुवाई के समय मौसम अनुकूल होने के कारण उक्त प्रदेशों में मक्की की खेती का क्षेत्रफल बढ़ा।

मक्की की खेती के क्षेत्रफल में जितनी वृद्धि हुई है, उतनी उसकी उपज में नहीं हुई। इसका कारण यह बताया गया है कि राजस्थान, बम्बई और आंध्र प्रदेश में फसल के बढ़ने के समय मौसम अनुकूल था और उत्तर प्रदेश और बिहार में सूखे के कारण फसल की हानि हुई।

इस प्राक्कलन में उन क्षेत्रों की फसल के बारे में जानकारी शामिल की गयी है, जिनके लिए अनुमान तैयार नहीं किये जाते। इनमें आसाम, जम्मू और कश्मीर और मध्य प्रदेश के भाग शामिल हैं। इन हिस्सों में मक्का की खेती का कुल मिलाकर ३,८६,००० एकड़ और उपज १,०६,००० टन आंकी गयी है।

ज्वार की उपज में ११.१ प्रतिशत वृद्धि

१६५७-५८ के अंतिम प्राक्कलन के अनुसार देश में ४ करोड़ १४ लाख ११ हजार एकड़ भूमि में ज्वार की खेती हुई और ८० लाख ५६ हजार टन ज्वार पैदा हुई। १६५६-५७ के संशोधित प्राक्कलन के अनुसार उस वर्ष ४ करोड़ ३ लाख ६७ हजार एकड़ भूमि में ज्वार की खेती हुई थी और ७२ लाख ४६ हजार टन ज्वार पैदा हुई थी। इस प्रकार पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष ज्वार की खेती के क्षेत्र में १० लाख ४४ हजार एकड़ या २.६ प्रतिशत और उपज में ८ लाख ७ हजार टन या ११.१ प्रतिशत वृद्धि हुई।

चालू वर्ष में ज्वार की खेती या क्षेत्र मुख्यतः मैसूर, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में और कुछ हद तक पंजाब तथा बम्बई में बढ़ा। इसका मुख्य कारण यह है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष ज्वार की बोवाई के समय मौसम अच्छा रहा। आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में मौसम अच्छा न होने के कारण इस वर्ष ज्वार की खेती के क्षेत्र में कुछ कमी हुई। इस वर्ष मुख्यतः मैसूर, राजस्थान तथा पंजाब में ज्वार उपज में वृद्धि हुई, क्योंकि इन प्रदेशों में फसल के बढ़ने के समय मौसम काफी अच्छा रहा। मौसम अच्छा रहने के कारण आंध्र प्र तथा उत्तर प्रदेश में, खेती के क्षेत्र में कमी होने के बावजूद उ बढ़ी।

रागी का उत्पादन

१६५७-५८ के संशोधित अखिल भारतीय प्राक्कलन के अनुस चालू वर्ष में रागी की खेती का क्षेत्रफल ५८,६७,००० एकड़ औ उत्पादन १७,१६,००० टन है। १६५६-५७ के संशोधित प्राक्कल के अनुसार रागी की खेती का क्षेत्रफल ५८,३१,००० एकड़ औ उत्पादन १७,१५,००० टन था। इस प्रकार चालू वर्ष में रागी क क्षेत्रफल पिछले वर्ष के क्षेत्रफल से ६६,००० एकड़ अर्थात् १.१ प्र श० बढ़ गया।

क्षेत्रफल में वृद्धि मुख्य रूप से बिहार में और कुछ उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश और बम्बई में भी हुई। किन्तु मैसूर में, जहां रागी क उत्पादन अधिक होता है, क्षेत्रफल कम रहा। क्षेत्रफल की घट-बढ़ होने पर भी इस वर्ष रागी का उत्पादन पिछले वर्ष की तरह ही रहा। आंध्र प्रदेश में उत्पादन अधिक हुआ क्योंकि फसल उगने के समय वह मौसम अनुकूल था। मैसूर और बम्बई में उत्पादन बहुत कम हुआ।

तेलहन का उत्पादन

देश में मूंगफली, रेंडी, तिल, अलसी और राई-सरसों, इन पांच मुख्य तेलहनों की उपज १६५५-५६ से बढ़कर ५७ लाख ५ हजार टन हो गयी। १६५०-५१ में ५० लाख ७६ हजार टन तेलहन की पैदावार हुई थी। इस प्रकार पहले पंचवर्षीय आयोजन की अवधि में तेलहन की पैदावार में ६ लाख २६ हजार टन की वृद्धि हुई। दूसरे पंचवर्षीय आयोजन में ७५ लाख ५० हजार टन तेलहन की उपज का लक्ष्य रखा गया है, जो १६५५-५६ की पैदावार से १८ लाख ४५ हजार टन अधिक है।

तेलहन की उपज बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये : तेलहन की पैदावार बढ़ाने की योजनाएं चालू करना, अच्छे किस्म के अधिक बीज पैदा करना और वितरण करना, तेलहन की खेत में उर्वरक तथा खाद का प्रयोग करना, पौधों की सुरक्षा करने के तरीके काम में लाना, वैज्ञानिक तरीके से खेती करना, और साल की दोन फसलों में तेलहन बोना।

दूसरी आयोजना के पहले साल ६० लाख ३२ हजार टन तेलहन पैदा हुई जो १६५६-५७ की उपज से ३ लाख २७ हजार ट अधिक है।

तेलहन निर्यात-नीति

सरकार की यह नीति थी कि विदेशों को तेलहन के बजाय, वनस्पति ... का ही निर्यात किया जाए। इसके दो मुख्य कारण थे—पहला, ... में तेल पेरने के धन्धे को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना, दूसरा, ... की खली की आवश्यकता। इसी कारण सरकार ने कुछ साल तक ... पांचों तेलहन के निर्यात पर रोक लगा दी थी। केवल कुछ अच्छी ... की मूंगफली निर्यात की जा सकती थी, क्योंकि वह खाने के काम आती थी और उससे तेल नहीं निकाला जाता था।

अन्य तेलहनों में कार्डी के निर्यात पर प्रतिबन्ध है और राम तिल ... देशों को अधिक से अधिक केवल ५,००० टन भेजी जा सकती है। ... अन्य तेलहनों के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वनस्पति ... के निर्यात के सम्बन्ध में नीति, देश में तेल के उत्पादन तथा ... के भाव आदि की स्थिति का ध्यान में रखते हुए बनायी गयी थी।

ऊंची कीमतों के कारण मूंगफली, तिल और सरसों के तेल के ...ात पर १९५६ के शुरू से रोक लगा दी गयी है। अलसी और रेंडी तेल के निर्यात पर कोई रोक नहीं है और इसके लिए कोई मात्रा भी ...रित नहीं की गयी है। बिनौले, राम तिल और कार्डी के तेलों के ...ात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

...हन की उपज बढ़ाने के लिये इनाम

तेलहन की पैदावार बढ़ाने और इसके बारे में अनुसन्धान कार्य को ...ाहन देने के लिए केन्द्रीय तेलहन समिति ने हर साल कुछ पुरस्कार ... की योजना बनायी है। ये इनाम उन लोगों को दिए जाएंगे, जो ... बढ़िया किस्म की मूंगफली, रेंडी, अलसी, राई, सरसों और तिल ... करेंगे। बढ़िया तेलहन की खेती का प्रचार करने वाले विस्तार ...कर्त्ताओं को भी पुरस्कार दिये जाएंगे। देश से काफी मात्रा में तेल ... जाता है और इससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। १९५५-५६ ...० करोड़ रु० से भी अधिक का खाद्य और अखाद्य तेल विदेशों को ... गया।

इस योजना के अनुसार उक्त पांचों चीजों के लिए ५ हजार रु०, ...ार रु० और १ हजार रु० के और कुल ४५ हजार रु० के इनाम ... जाएंगे। विस्तार कार्यकर्त्ताओं को भी इसी प्रकार इनाम दिये ...गे। इनामों के अलावा एक चल उपहार (रनिंग शील्ड) भी रखा ...ा, जो हर साल उस राज्य को मिलेगा, जिसमें बढ़िया तेलहन की ... सबसे अधिक क्षेत्र में होगी। तेलहन समिति ने पुरस्कार देने के ... और योजना की पूरी रूपरेखा तैयार करने के लिए चार सदस्यों ...क उप-समिति बनाई है।

खाद की फसलों का प्रचार

१९५७ के खरीफ के मौसम में पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में खेतिहरों ... खाद के बीजों के २० लाख पैकेट बांटे गये।

प्राप्त सूचना के अनुसार, २७ जनवरी १९५७ तक उत्तरप्रदेश में अधिकारियों के पास १० लाख पैकेट पहुँचे। उड़ीसा में २७ जुलाई तक बीजों के ५,७१,०११ पैकेट, बिहार में ११ जुलाई तक १,८७,६०० पैकेट, मध्यप्रदेश में ३ अगस्त तक ८६,३६२ पैकेट और प० बंगाल में १७ जुलाई तक १,०६,१६८ पैकेट बांटे गये। आंध्र प्रदेश में खेतिहरों में ३ लाख १० हजार पैकेट बांटे गये।

पैकेटों में २ से ४ औंस तक हरी खाद के बीज होते हैं, जो खेतिहरों को १ या २ आने में बेचे जाते हैं। इससे खेतिहरों को अपने खेत की मेंड़ पर ये बीज बोने में सुभीता होता है। वे हरी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगले मौसम के लिए स्वयं बीज भी इकट्ठे कर सकते हैं।

हरी खाद के बीज बांटने से अब यह आशा है कि १९५८ के खरीफ के मौसम में अब से बहुत ज्यादा क्षेत्र में हरी खाद की फसलें बोयी जाएंगी।

जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, जब तक खेत में कोई खरीफ की फसल न बोयी जा रही हो, तब तक वहां हरी खाद की फसलें बोयी जा सकती हैं। अगस्त के मध्य में खेत जोत कर हरी फसल वहीं गाड़ दी जाती है। इससे भूमि अधिक उर्वरा हो जाती है और गेहूं का उत्पादन बढ़ जाता है।

हरी खाद और देहात में कूड़े करकट से बनायी जाने वाली खाद ही नाइट्रोजन के ऐसे साधन हैं, जिनका खेतों में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में खेतिहर की जरूरतें निम्नलिखित हैं

(१) वह हरी खाद के बीज स्वयं उगा सके और इसके लिए उसे जमीन अलग न रखनी पड़े और कोई फसल भी न छोड़नी पड़े।

(२) वह खाद बनाने के काम आने वाले पौधे और पत्ते अपने खेत के पास ही उगा सके और इसका उसकी फसल पर कोई असर न पड़े।

(३) वह अपने खेत के एक हिस्से में खाद तैयार कर सके, जिससे दूर स्थानों से खाद लाने की परेशानी न रहे।

हरी खाद के बीजों के पैकेट बांटने से पूर्वी और मध्य राज्यों में हरी खाद के इस्तेमाल का प्रचार हो जाएगा।

भारत में सनई का उत्पादन और वर्गीकरण

भारत में प्रतिवर्ष लगभग १ लाख २० हजार टन सनई पैदा होती है। हमारे यहां इसके रेशे से मोटे रस्से, रस्सियां, डोरी, मछली पकड़ने के जाल, चटाई और बोरिया आदि बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त भारत इसे इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और इटली आदि देशों को भी भेजता है।

सनई का रेशा तीन तरह का होता है—सफेद, गंजाम या हरा और गढ़ी। सबसे अधिक उपज सफेद रेशे वाली सनई की होती है। कुल ज का लगभग ५६ प्रतिशत भाग सफेद रेशे वाली सनई का होता । सफेद सनई व्यापार की दृष्टि से चार श्रेणियों की होती है—बनारस, रा, बंगाल और गोपालपुर। मुख्यतः यह विहार, प० बंगाल, उत्तर देश के पूर्वी और मध्य जिलों तथा उड़ीसा के कुछ भागों में गाई जाती है। इसमें लगभग ५० प्रतिशत बनारसी किस्म की ती है।

गंजाम या हरी किस्म की सनई मुख्यतः मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर देश के पीलीभीत और मुरादाबाद जिलों, बम्बई के कुछ भागों तथा ड़ीसा और मैसूर राज्यों में उगाई जाती है। इस किस्म की उपज कुल पज का ४३ प्रतिशत है। देवगढ़ी किस्म बम्बई राज्य के केवल रत्नगिरि ले में उगाई जाती है। इसकी उपज कुल उपज की केवल एक प्रतिशत ोती है।

सफाई और वर्गीकरण

आढ़त बाजारों से प्राप्त सनई के रेशे को विभिन्न केन्द्रों में साफ रके वर्गीकरण किया जाता है और बाजार में भेजने के लिए गांठों में क किया जाता है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास शिवपुर, आंध्र प्रदेश में विजयनगरम् और भी मुनीपटन तथा कलकत्ता और बम्बई इस काम के केन्द्र हैं। शिवपुर केन्द्र सबसे बड़ा केन्द्र है, जहां बनारस और छपरा किस्म की सनई बाजार के लिए तैयार की जाती है। थोड़ी बहुत मात्रा में गंजाम किस्म की सनई भी वहां आती है।

निर्यात

भारत सनई का सबसे अधिक निर्यात इंग्लैंड को करता है। इसके अतिरिक्त, अमेरिका, फ्रांस और इटली भारत से सनई खरीदते हैं। १६५६-५७ में भारत ने २६,१४४ टन सनई बाहर भेजी, जिसका मूल्य १ करोड़ ६८ लाख रु० होता है।

भारत सरकार ने समुद्री सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा १६ के अन्तर्गत सनई का वर्गीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है, जिससे विदेशों को केवल अच्छा माल ही भेजा जा सके। कोई भी निर्यातक "एगमार्क" नियमों के अनुसार वर्गीकरण कराये बिना सनई का निर्यात नहीं कर सकता।

भारत सरकार के कृषि-वस्तु बिक्री-व्यवस्था सलाहकार ने भारत में सनई के वर्गीकरण के सम्बन्ध में एक पुस्तिका प्रकाशित की है, जिसमें सनई के वर्गीकरण और बाजार के लिए उसे गांठों में पैक करने के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी है।

विविध

थोक भावों के उतार-चढ़ाव की समीक्षा

५ अप्रैल, १६५८ को समाप्त सप्ताह

५ अप्रैल, १६५८ को समाप्त सप्ताह में थोक भावों का सूचक अंक मार्च १६५३ को आधार=१०० मानकर) पिछले सप्ताह के सूचक अंक ०७.१ से ०.५ प्रतिशत बढ़कर १०६.६ हो गया। इस सप्ताह का चक अंक पिछले महीने के इसी सप्ताह के सूचक अंक से १.४ प्रतिशत और पिछले साल के इसी सप्ताह के सूचक अंक से १.० प्रतिशत धिक रहा।

१२ अप्रैल १६५८ को समाप्त सप्ताह

१२ अप्रैल, १६५८ को समाप्त सप्ताह में थोक भावों का सूचक क (मार्च १६५३ को आधार=१०० मानकर) पिछले सप्ताह के चक अंक १०६.६ से ०.५ प्रतिशत बढ़ कर १०६.६ हो गया। इस ताह का अंक पिछले महीने के इसी सप्ताह के अंक से १.४ और र पिछले साल के इसी सप्ताह के अंक से १.० प्रतिशत अधिक था।

१६ अप्रैल को समाप्त सप्ताह

१६ अप्रैल, १६५८ को समाप्त हुए सप्ताह में थोक मूल्यों के सूचक अंक (मार्च १६५३ को आधार=१०० मानकर) ०.७ प्रतिशत वृद्धि हुई और वह १०८.० तक पहुँच गया। पिछले सप्ताह का सूचक अंक १०७.३ (संशोधित) था। यह अंक पिछले महीने के इस सप्ताह से २.३ और पिछले वर्ष के इस सप्ताह से ०.७ अधिक है।

२६ अप्रैल, १६५८ को समाप्त सप्ताह

२६ अप्रैल, १६५८ को समाप्त सप्ताह में थोक भावों का सूचक अंक (मार्च १६५३ को आधार=१०० मानकर) उससे पिछले सप्ताह के सूचक अंक १०८.० से ०.३ प्रतिशत गिरकर १०७.७ रह गया। इस सप्ताह का सूचक अंक पिछले महीने के इसी सप्ताह के सूचक अंक से १.५ प्रतिशत और पिछले साल के इसी सप्ताह के सूचक अंक से ०.४ प्रतिशत अधिक रहा। अप्रैल, १६५८ का औसत सूचक अंक १०७.४ रहा जबकि इससे पिछले महीने का १०५.४ और अप्रैल १६५७ का १०६.५ था।

ग्राफ विभाग

भारत का विदेशी व्यापार
आयात
निर्यात
(पुनर्निर्यात सहित)
दस लाख रुपये
१०५०
९००
७५०
६००
४५०
३००
१५०
०
(दिसम्बर-१९५६)
ज० फ० मा० अ० म० जू० जु अ० सि० अ० न० दि०
१९५७
श्रीवास्तव
सी. एस. ओ. क्र० ११३/५-५८.

भारत की राष्ट्रीय आय

१९४८-४९ के मूल्यों पर आधारित

१. औद्योगिक उत्पादन*

[१] बुनाई उद्योग

वर्ष	१ सूत (लाख पौंड)	२ सूती कपड़ा (लाख गज)	३ [क] जूट का माल (००० टन)	४ [ख] ऊनी माल (धागा) (००० पौंड)	५ पट्टे (टन)
१९५०	११,७४८	३६,६४८	८३५.२	१८,०००	५१०.०
१९५१	१३,०४४	४०,७६४	८७४.८	१७,७००	६७५.६
१९५२	१४,४६६	४५,९८४	९५२.६	१६,५८४	७०९.२
१९५३	१५,०६०	४८,७८०	८६८.८	१९,२४८	७५८.४
१९५४	१५,६१२	४९,९८०	९२७.६	१९,३५६	८४०.०
१९५५	१६,३०८	५०,९४०	१,०२७.२	२०,७००	८२५.६
१९५६	१६,७१६	५३,०७६	१,०६३.२	२५,४४०	८१४.८
१९५७	१७,८०१	५३,१७४	१०२९.६	२७,७९२	७१२.८
१९५७ अप्रैल	१,५३७	४,६४४	८६.८	२,१६२	६४.६
मई	१,५००	४,५३१	८७.३	२,१८५	६३.९
जून	१,३७०	४,१९६	८०.१	२,२१७	४६.९
जुलाई	१,५०२	४,५८९	८५.९	२,४२७	४६.२
अगस्त	१,४४१	४,२०५	८१.९	२,४८५	४७.७
सितम्बर	१,५०९	४,४३७	८६.०	२,६२०	४५.७
अक्तूबर	१,४२४	४,१५४	८३.५	२,५८१	५४.२
नवम्बर	१,४९१	४,३१५	९१.९	२,६४२	६०.६
दिसम्बर	१,५२७	४,३८२	९२.८	२,६५९	७०.७
१९५८ जनवरी	१,४८७	४,३६५	९८.३	२,२६६	५७.९
फरवरी	१,३२९	३,९१४	८५.३	...	६६.९
मार्च	—	...	...	...	...

[क] जनवरी १९४९ से ये आंकड़े इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन के सदस्य मिलों तथा एक गैर सदस्य मिल के उत्पादन के सम्बन्ध में हैं। [ख] इसमें जम्मू और काश्मीर के आंकड़े भी सम्मिलित हैं।

[२] लोहा और इस्पात

वर्ष	६ कच्चा लोहा (००० टन)	७ सीधी ढलाई (००० टन)	८ लौह मिश्रित धातु (००० टन)	९ इस्पात के पिण्ड और ढलाई (००० टन)	१० अधूरा तैयार इस्पात (००० टन)	११ तैयार इस्पात (००० टन)
१९५०	१,५६२.४	९८.४	१८.०	१,४३७.६	१,१४२.४	१,००४.४
१९५१	१,७०८.८	९२.४	२४.०	१,५००.०	१,२४९.२	१,०७६.४
१९५२	१,६८४.८	१२९.६	४०.८	१,५७८.०	१,३०८.०	१,१०२.८
१९५३	१,६५४.८	११५.२	७.२	१,५०७.२	१,२३०.०	१,०२३.६
१९५४	१,७९२.८	१२७.२	४०.८	१,६८४.८	१,४५२.०	१,२४३.२
१९५५	१,७५६.८	१२६.०	१२.०	१,७०४.०	१,४५६.८	१,२६०.०
१९५६	१,८०७.२	१२२.४	२८.८	१,७३७.६	१,४८४.४	१,३१६.४
१९५७	१७८९.२	११२.८	९.६	१,७१४.८	१,४४०.०	१,३४६.४
१९५७ अप्रैल	१४५.८	११.९	०.२	१४५.१	१२१.१	१११.७
मई	१४५.१	१२.६	०.२	१३६.४	११८.४	११०.८
जून	१३३.७	१२.४	०.५	१२९.४	१०२.८	१०१.४
जुलाई	१४२.०	७.६	०.८	१३३.७	११७.८	११०.३
अगस्त	१४४.७	९.२	०.७	१३६.७	११७.६	११३.०
सितम्बर	१४६.९	८.०	०.६	१४४.३	१२३.५	११२.५
अक्तूबर	१५४.५	८.९	०.६	१५०.४	१११.३	१०८.७
नवम्बर	१५३.३	११.७	०.७	१४६.१	११८.८	११९.४
दिसम्बर	१६०.२	७.८	३.२	१५४.७	१२४.२	११४.७
१९५८ जनवरी	१६२.६	७.५	५.०	१६४.५	१३६.५	११४.२
फरवरी	...	...	...	...	—	—
मार्च	—	...	...	—	...	...

* नवीन रिपोर्टों के अनुसार इन अंकों में संशोधन हो सकता है।

स्रोत—(१) १९५० से १९५६ और अप्रैल ५७ से फरवरी ५८ तक के आंकड़े :—औद्योगिक अंक-संकलन निदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित 'भारत में चुनी हुई वस्तुओं के उत्पादन के मासिक आंकड़े' नामक पुस्तक से।

(२) मार्च १९५८ के आंकड़े :—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की विकास शाखा, नयी दिल्ली से।

१. औद्योगिक उत्पादन

[३] धातु-उद्योग

वर्ष	१२ लकड़ी के पेच (००० ग्रोस)	१३ मशीनी पेच (००० ग्रोस)	१४ रेज़र ब्लेड (लाख)	१५ हरीकेन लालटेनें (०००)	१६ गैस के लैम्प (०००)	१७ तामचीनी का सामान (००० संख्या)	१८ जालियां (टन)	१९ डुप्लिकेटर (संख्या)
१६५०	७०३.२	१५६.६	१०६.८	२,८०६.८	३८.४	५,४४५ ६	२,१४८	७५६
१६५१	७६६.८	१२७.२	२२६.२	३,६७६.८	६२ ४	८,११०.०	२,८६६	१,५६०
१६५२	१,३२६.६	१४७.६	१०८.०	३,५२३.२	३४.८	७,६६०.८	२,०१६	१,०२०
१६५३	२,५७१.६	१६८.०	२३१.६	४,३१२.८	३०.०	६,४८३.१	२,६५६	६२४
१६५४	५,१६७ २	२२६.२	१,३१४.०	८,६८७.२	३७.२	१४,६७७.२	२,४१२	१,११८
१६५५	६६६२.४	६४०.८	१,७४६.०	५,४८७ ६	५८.८	१५,७१६ ४	२,३२८	२,०८८
१६५६	७,७१४.८	१,२७८.०	१,६५३.०	५,१७६.२	८४.०	१५,४३२ ०	१,४१६	२,७८४
१६५७	८,३७२.४	१,३६०.२	३,३६४.८	४१४८.४	६८.४	११,६५६.०	१,१५२	२,८६८
१६५७ अप्रैल	७०८.८	१२३.८	३८८.४	३६२.२	१८.४	१,१३५.१	१०८	२४०
मई	७२७ ३	१२६.१	३५६.४	३६३.८	१० ८	१,१८०.४	८०	२४५
जून	५६३ ७	६०.०	२४३.५	३८२.६	७ ६	१,०६८.४	५६	१४५
जुलाई	७८७.३	११५ ४	२३०.३	३३३.२	८ ५	१,०८६ ५	२०७	१८५
अगस्त	६०७ ६	११७ ६	२३५.५	३१५.४	४ ७	१,२८१.३	१०२	६६
सितम्बर	६३५ ६	१४०.२	१८५.७	२६३.०	२.३	१,२६५ ३	६२	६८
अक्तूबर	६७२.४	१२४.४	२८६.०	२४०.८	५.५	१,०२६ १	१२	१७३
नवम्बर	६१६.३	१२६.३	२३८.४	२६७ ७	६.२	१,१२४ ७	१३६	३७०
दिसम्बर	६०२ ०	११६.१	३१०.३	२७३.६	१०.०	१,२४६.५	१०६	३२६
१६५८ जनवरी	६८६.४	१३३ ६	२३८ ८	२७६ ३	६ ५	१,३६५ ६	८६	३३४
फरवरी	४०८.२	११६.६	७५६.१	१५७ ५	६ ६	१,६५८ १	६.२	१८६
मार्च	...	...	...	...	...	...	...	...

[४] मशीनें (बिजली की मशीनों के अतिरिक्त)

वर्ष	२० डीज़ल इंजिन (संख्या)	२१ शक्ति चालित पम्प (०००)	२२ सिलाई की मशीनें (ग) (संख्या)	२३ मशीनी औजार (मूल्य ००० रुपये)	२४ ट्विस्ट ड्रिल्स (०००)	२५ वेलिको करघे (संख्या)	२६ रिंग स्पिनिंग फ्रेम (पूर्ण) (संख्या)	२७ सान रखने के चक्के (००० पौंड)	२८ धुनाई की मशीनें घूमने वाली चपटी (संख्या)
१६५०	४,५६६	३०.०	३०,८८८	२,६६०.४	४४५.२	...	...	५००.४	...
१६५१	७,२४८	४०.८	४४,४६०	४,७३०.४	१,०१७ ६	२,५०८	२७६	७०८.०	...
१६५२	४,२४८	३२.४	५०,०४०	४,४३७.६	७७५.२	२,३०४	२८८	८६५.२	१०८
१६५३	३,७२०	२५.२	६२,४२४	४,४०७.६	३३४.८	२,४२४	२०४	८०७.६	१६२
१६५४	८,६५२	२८.८	८०,१६६	५,००२.८	५३८.८	१,८८४	३६०	१,१३४.०	४१२
१६५५	१०,२२४	३४.८	१,०१,४७२	७,४४०.०	७७८.८	२,७३६	८६४	१,४३८.८	६००
१६५६	११,६४०	४१.८	१,३०,३६२	८,२०२.८	१,५४६.२	२,८६८	११९६	२,४७८.०	७३२
१६५७	१६,५१२	६३.३	१,६६,६२०	२५,००६.८	२,२५८.४	२,८६८	१३६८	३,२३२.८	१०२०
१६५७ अप्रैल	१,३६३	५ ४	१५,२०२	१२६८.६	३५.१	२५५	१२४	२६२ ३	६६
मई	१,३५२	४.६	१४,४०६	२४६१.८	२१६ ७	२५६	११५	३०५ ६	४८
जून	१,३३०	४.६	१२,२८०	१७६५.०	१६४.५	२१७	१०१	२२६.२	७६
जुलाई	१,४१६	५.३	१२,३६१	२०७७.२	२७०.८	२१६	१०५	२६०.२	१०१
अगस्त	१,३८७	५.६	१३,५४०	२५४६.१	२४२.१	२६१	१३२	२६५ ३	१०७
सितम्बर	१,४५३	५.६	१३,५६३	२३४१.४	२४६ ०	२७४	१७५	१६४.४	६५
अक्तूबर	१,७११	५.०	८,५५८	२१२६.१	१६६ ३	१६६	६२	२३८.०	५२
नवम्बर	१,६४६	५ ६	१७,०२८	२६३०.७	२१६.२	२२४	१०६	२४७.३	१०६
दिसम्बर	१,७४१	३.५	१७,७८०	२४४८.२	२२२ ५	१६१	१०६	२३४ ३	१३०
१६५८ जनवरी	२,०१५	५ ०	१६,७६३	३६६३ ६	२१८.२	१७७	६८	२४४ ३	१२३
फरवरी	...	५.१	...	५६७०.४	२०६ ७	१७१	७२	१८२.२	१११
मार्च	...	—	...	—	१६०.५	...	...	...	...

[ग] वास्तविक उत्पादन, स्थापित उत्पादन क्षमता से काफी अधिक है। इसका कारण यह है कि स्थापित क्षमता की गणना एक पाली के आधार पर की गयी है और एक कारखाना एक से अधिक पालियां चला रहा है।

१. औद्योगिक उत्पादन

[५] अलौह धातुएं

वर्ष	२९ अलुमीनियम (टन)	३० सुरमा (टन)	३१ ताँबा (टन)	३२ सीसा (टन)	३३ अलौह धातुओं के नल (टन)	३४ सोना (औंस) [घ]
१९५०	३,६९९.४	३७५.६	६,६१४.४	६२७.६	३३१.२	२,९६,९२०
१९५१	३,८४८.४	३२७.६	७,०८९.६	८५९.२	२४८.४	२,२६,३३८
१९५२	३,५६६.४	१८१.२	६,०७९.२	१,१३१.६	३७०.८	२,५३,२६०
१९५३	३,७५८.४	१३०.८	४,९२०.०	१,६९४.३	३५७.६	२,३३,०२०
१९५४	४,८८६.५	५३८.८	७,१६१.६	१,७८८.०	१८६.०	२,४०,७०८
१९५५	७,२२५.२	५०४.०	७,२८१.६	२,२३४.४	३४३.२	२,११,४६४
१९५६	६,५००.४	५८९.२	७,६२८.४	२,४९७.२	३९३.६	२,०६,०८८
१९५७	७,७७१.२	५०१.६	७८४८.०	३,१७४.०	३९४.८	१,७९,२९६
१९५७ अप्रैल	६२७.७	२३.०	७००.०	२७६.२	२७.१	१५,७४४
मई	६४६.९	२०.०	७००.०	१८१.७	३१.५	१३,९८१
जून	६१५.२	५६.०	६८०.०	२८०.५	२२.८	१४,७३६
जुलाई	६६४.७	५३.०	६७०.०	२६४.४	३०.३	१५,५३०
अगस्त	६६४.७	५०.०	६२०.०	२४५.२	४३.२	१३,८३८
सितम्बर	६५४.९	४५.०	६५५.०	३५०.०	३२.०	१५,४३७
अक्तूबर	६८७.०	४५.०	६७२.०	३१७.०	३४.३	१४,४७४
नवम्बर	६६९.०	४६.०	६७०.०	२७२.०	३४.७	१५,२७९
दिसम्बर	६३०.९	४८.१	७००.०	३१३.०	२७.०	१४,६७३
१९५८ जनवरी	७०३.३	३०.०	३०२.०	२७५.०	१८.१	१४,८२५
फरवरी	६२५.८	४०.०	६५५.०	२८८.०	...	१५,२५७
मार्च	...	५४.०	७१०.०	१०७.१	...	...

[घ] १९४८ से हैदराबाद में हुए सोने का उत्पादन भी इन आंकड़ों में सम्मिलित है।

[६] बिजली उद्योग

वर्ष	३५ उत्पादित बिजली [क] (लाख किलोवाट प्रति घण्टा)	३६ बिजली ले जाने की नलियां (००० फुट)	३७ सूखे सैल (लाख)	३८ संग्रह की बैटरी (०००)	३९ बिजली के मोटर (००० हार्स पावर)	४० बिजली के ट्रान्सफार्मर (००० के.वी.ए.)	४१ बिजली की बत्तियां (०००)
१९५०	५१,०७२	२,९६६.४	१,३८१.२	१८७.२	८१.६	१७१.६	१४,३०४
१९५१	५८,५८४	३,९६९.६	१,४३४.०	२१२.४	१४२.८	१९५.६	१५,५१६
१९५२	६१,२००	३,९९४.८	१,३०२.०	१५८.४	१५७.२	२१४.८	२०,८८०
१९५३	६६,२७६	३,७१५.२	१,४८४.४	१७६.४	१६२.०	३०८.४	१९,७६६
१९५४	७४,४००	५,९८३.२	१,४८६.८	१८८.४	१८७.२	३९९.६	२३,०७६
१९५५	७६,८३६	६,२४८.४	१,६१०.४	२३५.२	२५२.०	५६५.२	२४,२३४
१९५६	९६,२०८	१०,९३२.०	१,८१४.४	३१४.४	३५८.८	९१०.२	३०,७२८
१९५७	१०८,३४८	११,७८१.६	१,६६५.६	३२४.०	४६९.२	१,२१९.२	३३,१४९
१९५७ अप्रैल	८,९९४	९७७.९	१४३.०	२६.५	३८.६	९७.३	२८७९.९
मई	९,३०२	९२२.४	१२२.५	२५.९	३८.८	९३.१	२७८१.६
जून	८,९६१	७९८.७	१३३.०	२६.६	३०.५	८०.१	२६७२.५
जुलाई	९,२६१	८६९.१	१६५.९	२७.६	४३.४	११३.०	३०३१.६
अगस्त	९,२०८	९२१.९	१५८.२	२५.९	४०.२	१०५.४	२७१७.०
सितम्बर	९,२२६	८५४.५	१३१.९	२६.८	४३.५	११०.४	२६७०.२
अक्तूबर	९,१२३	७०९.८	९७.२	२४.२	३७.७	१०२.२	२४१६.३
नवम्बर	९,२२३	८६९.५	११८.०	२९.२	४३.१	१०६.५	२७८५.४
दिसम्बर	९,५६६	९०३.६	१३७.१	२८.५	४९.५	११४.०	२६५३.३
१९५८ जनवरी	९,७१४	३९०.२	१३१.८	२३.९	४५.०	१०१.६	२६१२.१
फरवरी	...	६३१.१	१२८.२	२७.८	४५.१	९७.१	२६११.२
मार्च	...	...	...	२७.९	—	...	—

[क] इसमें जम्मू और काश्मीर के आंकड़े भी शामिल हैं।

१. औद्योगिक उत्पादन

[६] बिजली के उद्योग (गत पृष्ठ से आगे)

वर्ष	४२ बिजली के पंखे (०००)	४३ रेडियो रिसीवर (संख्या)	४४ तार			४५ घर में लगाने वाले मीटर (संख्या)	४६ घरेलू रेफ्रीजरेटर (संख्या)
			तांबे के खुले हुए (टन)	लपेटने के [च] (टन)	रबड़ चढ़े हुए (लाख गज)		
१९५०	१९१.२	४४,१४०	५,३७९	२५२	३११.३	...	...
१९५१	२१२.४	८२,७८८	३,०००	३००	४११.३	...	...
१९५२	१९५.३	७१,४६३	५,६२८	३६३	३२८.८	३४,३५३	६००
१९५३	१९६.२	५३,२३८	७,३३८	२२८	४८४.८	८०,३७३	१,२४०
१९५४	२३८.८	५८,३०४	७,५७२	३२४	६२७ ३	१,४८,८८४	१,००८
१९५५	२८२.०	८१,२०४	८,४३३	६१२	८३१.३	२,५५,३४८	५२८
१९५६	३३८.४	१५०,३००	१०,२३०	७३८	१०५८.०	२,३०,३०४	७५१
१९५७	५२४ ४	२६०,२७२	८,५५३	१०२०	१०२८.४	३,३०,५४०	६४८
१९५७ अप्रैल	४६ ७	२०,१३८	८०५	७१	८७.०	२८,०५७	१००
मई	४५.१	१४,५५४	७१२	७४	७७.८	३०,०५७	१००
जून	४०.०	१५,३३८	३७२	३७	८३.३	२७,२१२	१५०
जुलाई	४४.७	१५,३७१	५०७	७७	६१.७	३०,०४७	१००
अगस्त	४४.३	१४,५२७	३३१	१०३	६२.४	२१,५४०	५०
सितम्बर	४५.१	१३,१४२	३२६	६३	१०२ ७	२६,८७८	५०
अक्तूबर	३७ ४	१२,०४७	७८६	१००	६२.४	२७,४३४	६०
नवम्बर	५०.२	१७,१४८	७६१	६२	८३ ३	२८,०२७	११४
दिसम्बर	५२ ३	२२,७०३	३४०	६८	८३.१	२३,७८७	११८
१९५८ जनवरी	५० ६	१३,१८८	५६४	१०३	१०१.७	३०,००१	८०
फरवरी	५१.१	१४,५००	५६८	२१०	७८.३	२३,६५१	८०
मार्च	५०.२	१५,५०३	...	...	...	२८,५६६	१५४

[च] १९५० से १९५३ तक के आकडे रबड़ चढे केबलों तथा लचीले तारों के ही हैं।

[७] रसायनिक पदार्थ

वर्ष	४७ गंधक का तेजाब (टन)	४८ कास्टिक सोडा (टन)	४९ सोडा ऐश (टन)	५० तरल क्लोरीन (टन)	५१ ब्लीचिंग पाउडर (टन)	५२ बाइक्रोमेट (टन)	५३ सुपर-फास्फेट (टन)	५४ अमोनियम सलफेट (टन)	५५ तूतिया (टन)
१९५०	१,०२,४८०	१०,८४८	४१,७८८	३,६७२	३,३१२	१,६८०	५४,४२८	४७,३०४	४१२
१९५१	१,०९,६१२	१४,७२४	४७,५३२	५,२९८	३,५८८	३,२७९	९१,०२०	५२,७०४	५०४
१९५२	६९,०८४	१७,०९४	४४,३२८	३,२४०	७६२	१,४३४	४१,३५३	२,२०,३०८	३३१
१९५३	१०६,०६२	२२,६०८	५१,८९८	८,२३९	१,६४४	२,५०८	४८,३००	३,१६,३२०	५११
१९५४	१,५०,८७९	२६,३०४	४८,२८८	६,७८०	२,६२८	३,२४०	१,०५,०३०	३,४०,२२४	८४०
१९५५	१,३३,२००	३४,२४८	७७,२३८	११,५८०	२,७००	२,६२८	७४,२३०	३,६३,०६६	१,०४४
१९५६	२,३५,४०८	३६,४२०	८४,२४०	१५,०७२	४९,५९	३,२६४	८१,३९८	३,८८,६६२	१,६८०
१९५७	१,६१,२५९	४१,४८०	६१,६२०	१५,३६६	५,३४०	३,३७२	१,४१,३००	३,७६,३५९	१,८८४
१९५७ अप्रैल	११,००६	३,४५६	७,५०६	२,२४९	२४९	२७२	१०,५०३	२६,४८१	१४१
मई	१५,८०७	३,३२८	७,३०१	२,२४३	३७६	२८४	११,७७५	३२,८४७	१५४
जून	१७,८३१	३,३०५	७,७५२	२,२४९	४२५	३११	१२,३१४	२२,४०१	१०१
जुलाई	१८,४७२	३,१२९	९,६११	२,१७२	४५६	३२२	१३,३३६	३०,९२२	१३४
अगस्त	१९,८६४	३,६४५	७,५२०	२,१३३	५३९	३२१	१४,४३६	३१,९६२	१११
सितम्बर	१९,४५१	३,३१५	३,८५६	२,३८०	५२४	३१०	११,२०४	३०,४२३	१८६
अक्तूबर	१५,८६५	३,३६७	७,७७७	२,३२२	४६४	३२३	११,३१२	३०,६९०	२९५
नवम्बर	११,४११	३,३००	७,८१५	२,२५१	५३१	२९८	१०,२३३	३५,७४५	१९०
दिसम्बर	१८,५४८	३,६८१	८,३११	२,३३३	३३७	३२४	११,५३०	३७,४१७	१७६
१९५८ जनवरी	१५,३०६	४,०८२	८,६५१	२,३६५	५११	२३६	११,४२०	३३,५०४	१५८
फरवरी	१७,६११	३,७५२	७,६८१	२,२७५	५०५	३०४	११,३९६	...	६१
मार्च	...	३,३८७	८,६६४	२,३३७	५७०	—	—	—	—

१. औद्योगिक उत्पादन

[८] रसायनिक उद्योग

वर्ष	५६ रंगलेप और वारनिशें (टन)	५७ दियासलाई [छ] (००० पेटियां) [ज]	५८ साबुन [झ] (टन)	५९ सरेस (हंडरवेट)	६० गैसें धातुओं को जोड़ने की: आक्सीजन (लाख घन फुट)	एसिटलीन (लाख घन फुट)	६१ ग्लिसरीन (टन)	६२ फेनॉल [ञ] फार्मलडीहाइड का ढलाई के काम का चूरा (००० पौंड)
१९५०	२७,६४८	५२३.२	७२,९९९	१३,५००	...	...	२,००४	...
१९५१	३१,४९२	५७८.४	८१,४३९	१४,११२	१,४५२.०	२६८.८	२,४२४	४५६.९
१९५२	३२,१७२	९१६.२	८९,३७९	१४,९४०	१,९२६.९	३१५.९	२,२२०	६६७.२
१९५३	३२,०५२	९१८.०	८२,२००	१७,०८८	१,८८१.९	३४८.०	२,५०८	८३७.९
१९५४	३९,८११	५२६.२	८७,६६९	१८,१२०	२,३४४.८	४२२.२	२,३८८	१,०५७.२
१९५५	३६,०३९	९१५.९	६६,०००	१६,४९४	२,८२८.४	४७४.०	२,५०८	१,९००.८
१९५६	४१,४२४	५८६.२	१,०६,६०८	२१,८२८	३,२८३.२	५५३.२	२,६१९	२,२०५.९
१९५७	४२,१७९	५७७.२	१,१२,७०४	२५,८१२	४,०२०.०	९४०.८	२,९९४	२,९३१.९
१९५७ अप्रैल	३,९१२	५९.४	१०,०७९	२,३८२	३१९.५	४८.९	२९४	२४६.४
मई	३,९०३	४५.८	८,६९०	२,२६४	३२६.४	४६.५	२००	२००.९
जून	३,२५२	३६.०	८,७४०	२,२५९	३९०.४	४८.०	१३०	१८७.१
जुलाई	२,८४७	४७.६	६,८३२	१,८४५	३५०.९	५२.८	३१६	२३३.४
अगस्त	३,४००	४८.२	८,४६०	२,०५५	३३३.१	५२.९	१३६	२०८.३
सितम्बर	३,५००	४७.५	६,११०	१,८४७	३५७.०	५३.७	१५६	२२३.०
अक्तूबर	३,५५९	४१.८	६,५०१	१,८२२	३३५.८	५२.२	१२८	२२३.१
नवम्बर	४,१९४	५१.३	६,२७३	२,४८३	३७१.६	५६.७	२६७	२३४.८
दिसम्बर	४,०५०	५०.३	६,९०७	२,११९	३७१.६	९३.८	३२१	२९२.४
१९५८ जनवरी	४,०२६	४६.८	१०,२८०	२२,८३	३७९.५	९१.९	२२३	१८८.१
फरवरी	३,०९३	४५.८	६,१२१	२,३००	३४१.४	५७.२	३९३	२२९.५
मार्च	...	...	—	२,३३९	—	...	...	...

[छ] इसमें जम्मू और काश्मीर के आंकड़े भी शामिल हैं।
[झ] ये आंकड़े संगठित कारखानों के उत्पादन के हैं।
[ज] ६० तीलियों वाली डिब्बियों के ५० ग्रोस।
[ञ] जुलाई १९५६ से परिवर्तित।

[८] रसायनिक उद्योग

वर्ष	६३ जिगर का सत्व: इंजेक्शन (००० सी. सी.)	खाद्य (००० पौंड)	६४ रेयन (टन): विसकोज धागा	स्टेपल फाइबर	एसिटेट धागा	६५ अलकोहल (००० गैलनों में खुला हुआ): इंजनों में जलाने वाला	शुद्ध स्पिरिट	मिश्रित स्पिरिट	६६ लिनोलियम (००० लो० गज)	६७ प्लास्टिक के सांचे (००० ग्रोस)
१९५०	११,२४५.९	३०१.२	—	—	...	४,४६७.३	३,४३५.९	१,४७७.२	—	—
१९५१	१०,९८२.४	३१६.२	२,०४०	—	...	५,८०६.२	५,०१६.९	१,६९९.८	—	१,४४९.०
१९५२	१०,३७२.८	३१०.८	३,५८८	—	...	७,७४२.४	४,९९८.०	२,१७८.०	१५६.९	१,५४४.४
१९५३	१०,११८.८	२८४.४	४,३५९	—	...	८,१२०.४	४,३७९.४	२,४६३.९	१९३.२	१,३५७.२
१९५४	११,७८४.४	२५६.२	४,६४४	३,०८४	...	८,००७.९	४,९३०.८	२,८२५.९	३३९.०	१,३०८.०
१९५५	२४,२४०.२	२६४.०	५,७३९	५,७१२	१०४४	१०,४३२.८	५,२५९.४	२,८८६.२	३२२.८	२,४७८.८
१९५६	२४,२४२.४	२७६.९	७,२६९	७,८४८	१४२९	१०,२४३.२	३,६६६.९	३,३६२.८	३२०.४	३,९०३.९
१९५७	२८,१४०.०	२४७.२	६,३६९	८.००४	१६०८	१०,१३९.४	५,०९४.०	३,४३६.२	३२७.९	३,९६७.२
१९५७ अप्रैल	२,४९४.८	२०.२	७४५	८८४	२४४	६७३.८	४४२.२	३२१.२	२५.७	२६७.७
मई	२,४७५.६	१५.९	७३२	८१९	१२०	६१०.७	३१०.८	३३१.७	२९.०	२९४.९
जून	२,२०९.०	२१.८	९०२	९५९	२०१	८४७.१	३७८.२	२२८.२	२४.४	३११.३
जुलाई	१,९१९.६	२६.९	७२३	६८७	१४४	६३१.७	३९०.६	२९४.०	२६.७	३१२.७
अगस्त	२,११४.४	२२.०	६०९	९२१	१३३	७८३.५	४१२.६	२७६.१	३७.२	३१४.३
सितम्बर	१,८५९.४	३०.५	८८२	७५४	१३०	५३७.३	४३६.९	२४५.४	४३.७	३२०.८
अक्तूबर	२,१८५.४	१५.०	८३१	५४८	१४३	९३८.१	४११.७	२८१.९	१८.२	३२९.५
नवम्बर	२,३८२.७	१७.७	८९७	४५७	१३४	७७८.३	४१६.२	३०२.९	२०.६	३०७.१
दिसम्बर	२,८८९.४	३३.७	६७१	४८२	१३६	६६७.०	५१७.६	३२५.७	२४.३	३१९.०
१९५८ जनवरी	२,४१९.६	२५.३	६६९	३०७	१४०	८०३.०	५१५.२	३२०.०	१६.१	२८४.६
फरवरी	३,१७३.६	२८.३	६२७	६५५	१२५	८३९	४५५.५	२९८.१	२१.०	...
मार्च	...	...	१,०५२	१,२४६	१४९	—	...	--	२२.९	...

१. औद्योगिक उत्पादन

[९] सीमेंट और चीनी मिट्टी का माल

वर्ष		६८ सीमेंट	६९ सीमेंट की चादरें, (एसबेस्टस)	७० चीनी के बरतन	७१ स्वच्छता के उपकरण	७२ पत्थर का सामान	७३ चीनी की पालिश वाली टाइलें	७४ तापसह ईंटें	७५ घर्षक (एब्रेसिवस)	७६ बिजली प्रदीपक (इन्सुलेटर) एच.टी	एल.टी
		(००० टन)	(००० टन)	(टन)	(टन)	(००० टन)	(००० दर्जन)	(००० टन)	(००० रीम)	(०००)	(०००)
१९५०		२,३१२ ४	८१ ४	९,०१०	१,७८८	२१ ४	६७ ४	२११ ४	३१ २	१७४ ०	१,२७६ २
१९५१		३ २९५ ६	८३ ८	९,१६३	६४८	३० ०	३१० ८	२३७ ६	३७ २	२४४ ८	१,४३२ ८
१९५२		३,५३७ १	८७ १	९,०९०	४३२	३३ ५	३४५ ६	२४३ ६	५५ २	३२८ २	१,०७८ ०
१९५३		३,७८० ०	७१ ६	१०,४४०	६४८	३३ ६	३७४ ४	२२८ ०	६१ २	४६३ २	२,४०० ०
१९५४		४,३१८ ०	७९ २	१०,९५३	१,३३२	४० ८	४१८ ८	२४० ०	७० ८	५०७ ६	२,६७४ ८
१९५५		४ ४८६ ८	१०४ ४	१०,२३४	२,५८०	४२ ०	६८० ४	२७४ –	७९ २	२४२ ०	३,२६४ ८
१९५६		४,९२८ ४	१२० ०	१५,०२४	२,७१२	४४ ४	४५४ ८	३१८ ०	९८ ४	९२ ४	३,७३० ४
१९५७		५ ६०१ ६	१५८ ४	१५,५४०	३,४१२	५१ ६	५२० ८	३६२ ४	९१ २	१८६ ०	४,५५७ ६
१९५७	अप्रैल	४५६ ४	१२ ५	१,२८९	२४६	४ १	४० ७	२८ ६	६ १	७ ७	४४६ ८
	मई	४४० ४	१२ ४	१,२५६	२६६	४ ५	४० ८	२९ ५	७ ३	९ १	४८४ ७
	जून	३९३ १	११ २	१,३३६	२५९	३ ७	५२ ४	३० ०	८ ३	४ ९	३३७ ८
	जुलाई	४२८ १	१२ ९	१,२९२	२६७	४ १	४८ ९	२९ ०	६ २	१७ [illegible]	४१० ०
	अगस्त	४७६ ६	१३ ४	१,२८८	३३४	४ ३	२९ ६	३५ १	६ ५	१९ ९	३१० ४
	सितम्बर	४४२ ४	१३ २	१,२३४	३३१	३ ८	४३ ६	२९ ७	६ ९	२२ ४	३६८ २
	अक्तूबर	५२० ६	१२ ६	१,४९२	३३५	४ ५	४२ ०	३० ५	९ ९	२८ ६	२५५ ५
	नवम्बर	५१० २	१४ ४	१,५०६	३१८	८ ०	६१ ३	३२ ७	८ ८	२८ ५	३८८ ९
	दिसम्बर	५८७ ३	१५ ६	१,४३०	२४०	४ ०	४४ ०	३४ ३	८ ८	३२ ९	४११ ९
१९५८	जनवरी	५९४ ८	१६ ४	१,३७१	२७५	५ ३	४४ ९	३० ४	९ ४	५५ ६	४५८ ८
	फरवरी	४०५ ८	१४ ३	१,२७६	२४–	.	४२ २	३२ ७	७ ६	२९ ७	३०५ २
	मार्च	५७५ ७	१५ २	.		.	—				

[१०] काँच और काँच का सामान

वर्ष		७७ काँच की चादरें (००० वर्ग फुट)	७८ प्रयोगशालाओं का सामान (टन)	७९ बिजली के बल्वों के खोल (लाख बत्तियां)	८० काँच का अन्य सामान (टन)
१९५०		६,५७० ०	२,११०	१२६ ३	७२,२१९
१९५१		११,०८६.२	१,६८०	१४४ ०	६०,३२८
१९५२		६,०४३ २	१,५७६	१९३ ८	८५,३६८
१९५३		२२,७–१ ८	२,३२०	१९६.२	७२,४४४
१९५४		३३,११२ ८	२,५१२	२२८ ४	८५,०८८
१९५५		३८,८८३ ९	२,४६८	२३० ४	१,००,०६८
१९५६		४७,७४६ २	३,५००	३१४ ८	१,१२,६८२
१९५७		४८,३०९	३,०६९	३६१ २	१,२३,६४८
१९५७	अप्रैल	२,६७० ४	६५४	३४ ८	११,३१०
	मई	२,३३३ ४	११४	३१ २	१०,३१४
	जून	६७४ ०	१५३	२६ ८	६,४८२
	जुलाई	१७१८ ५	२१७	३३ ४	८ ९२३
	अगस्त	५,००६ ९	३३२	३२ ४	१०,२१०
	सितम्बर	५ ०३४ ६	४०५	३४ २	१०,५१४
	अक्तूबर	५ ३०० ७	३१३	३१ ६	१०,५१३
	नवम्बर	६,४१० ३	३५६	३४ ५	१०,७०२
	दिसम्बर	७ २६९ ३	२७–	३८ ५	१०,४३९
१९५८	जनवरी	७ १०३ ६	३२८	३४ ८	१०,५१६
	फरवरी	६,५४० ३	३२०	३१ ७	१०,३२२
	मार्च	.	. .	. .	.

१. औद्योगिक उत्पादन

[११] रबड़ उद्योग

वर्ष	८१ रबड़ के जूते (लाख जोड़े)	८२ रबड़ चढ़ा सामान, खिलौने, गुब्बारे आदि (लाख दर्जन)	८३ टायर: मोटर गाड़ियां (०००)	८३ टायर: साइकिलें (०००)	८३ टायर: ट्रेक्टर (संख्या)	८३ टायर: वायुयान (संख्या)	८३ टायर: तांगा आदि (०००फुट)	८४ ट्यूब: मोटर गाड़ियां (०००)	८४ ट्यूब: साइकिलें (०००)	८४ ट्यूब: ट्रेक्टर (संख्या)	८४ ट्यूब: वायुयान (संख्या)
१९५०	१९५.९	१०५.९	९३८.४	३,३२५.२	...	...	...	९६८.४	४,२०७.२	...	...
१९५१	२३०.४	११०.४	८७०.०	३,९४०.८	...	२,४७२	३७३.२	८२०.८	४,८९७.२	...	९९९
१९५२	२२८.०	१३८.०	७२१.२	४,२८९.२	३,८५२	९८४	३८५.२	९९१.२	४,१९९.४	५,४८४	९८४
१९५३	२४०.०	१२४.८	७९८.०	४,९४५.२	६,९१२	१,२६९	४४२.८	९५८.८	४,९००.८	८,१३९	५२८
१९५४	३१२.३	१८३.९	८३२.८	५,२२९.०	१९,१५२	३,५१९	३२४.०	७४८.८	५,५७७.९	१९,८८४	१,५७२
१९५५	३४९.२	१३९.२	८८२.०	५,७४८.०	२४,५२८	४,४०४	३७०.८	७८१.०	५,५९३.२	२३,११२	२,४४८
१९५६	३९१.२	२९०.४	९३८.४	९,३२०.४	३०,७९८	३,९००	२९०.४	९१८.०	९,३७३.२	३०,७२०	२,२९२
१९५७	३९९.९	१९८.०	९८८.८	७,१५२.०	४७,४००	४,४७९	३१०.८	९३९.०	७,०२७.९	४५,३४८	३.१३९
१९५७ अप्रैल	३०.९	१५.०	९०.८	९९८.३	४,७७९	४५८	१७.४	८४.८	९५१.४	५,४२७	२९०
मई	२५.०	१३.७	८४.७	९१४.५	४,७२९	४०९	२२.९	८५.७	९११.७	३,३७३	७०
जून	२३.३	१७.२	७७.५	५८९.२	२,३२५	३७८	२८.९	८१.२	५९८.०	२,१९७	शून्य
जुलाई	३२.२	२१.७	८४.४	९१२.९	४,५१८	३४२	१९.३	८९.४	५७४.२	४,५९४	१९१
अगस्त	२८.८	१५.५	८३.३	९०५.०	४,१२९	३४९	१९.०	७९.४	५९२.२	३,५४३	३०९
सितम्बर	३०.७	१८.९	८९.९	९९५.१	५,४१३	५३०	१५.४	७५.९	९९४.०	४,५३३	२३४
अक्तूबर	२९.७	१७.९	५७.९	३५१.५	२,५७०	२२४	२१.९	४५.२	३९३.९	२,५९१	१२
नवम्बर	३७.१	१७.५	८३.३	९१३.१	४,३५९	३५३	२९.५	७८.१	९५९.८	३,९९९	२३३
दिसम्बर	३९.२	१७.४	८४.५	९१२.२	२,५५२	४७४	४०.२	७२.२	५९५.५	४,४०५	१९९
१९५८ जनवरी	३७ ५	१९.७	९०.९	७४४.१	४,१३०	४९७	२५.५	८४.४	७२५.३	४,३१५	१८९
फरवरी	३०.३	१८.०	७७.९	९५०.३	२,५०२	२७३	२४.७	९५.२	९०३.१	३,१८३	१७५
मार्च	३०.४	१८.९	...	९४४.७	२,२०८	२९७	—	...	५९३.५	२,३३५	७८

[११] रबड़ उद्योग (शेषांश)

वर्ष	८५ रबड़ के नल: रैडिएटर (०००)	८५ रबड़ के नल: वैक्यूम ब्रेक (०००)	८५ रबड़ के नल: अन्य प्रकार के (०००फुट)	८६ पंखों के पट्टे (०००)	८७ रेलों का रबड़ का सामान (०००)	८८ इबोनाइट (००० पौंड)	८९ वाटर प्रूफ कपड़े (००० गज)	९० रबड़ के स्पंज (००० पौंड)
१९५०	२०९.४	३३२.९	२,८२०.०	१९०.८	६९१.२	...	...	...
१९५१	२२०.८	४७२.८	३,४७४.०	२६८.८	७४८.८	१६६.२	१,५७३.८	४७१.६
१९५२	१५४.८	४४४.०	३,८४६.९	५५८.०	१,२१९.८	१२९.०	१,२६४.८	६३६.९
१९५३	१०४.४	४७२.८	४,४२२.०	४३२.०	१,२३३.९	८८.८	२,०९१.९	४६५.९
१९५४	१९२.०	९२०.४	४,८९९.०	५००.४	१,३२३.९	११९.४	२,०२८.०	६३८.४
१९५५	१८३.९	८०८.८	५,७३४.८	९५५.२	१,५२६.९	१३०.८	२,११६.२	१,४७०.०
१९५६	२४८.४	५५२.०	७,०८१.५	७२४.८	१,६५९.०	२१०.०	२,५७४.०	१,७७७.२
१९५७	१७१.९	७७७.९	७,६८१.२	६५२.८	१,७६२.८	२४०.०	३,०७६.८	१,६५९.०
१९५७ अप्रैल	१४.४	७२.९	७७५.०	५१.२	१६३.८	१३.३	२६२.३	१५६.४
मई	१७.५	७४.०	६८८.२	५९.०	१५६.९	१७.२	२६६.८	१७२.६
जून	११.९	९४.६	६५६.०	५०.८	१५४.५	१७.५	३३२.२	१५८.५
जुलाई	१७.५	७८.२	६९६.४	५८.२	१९२.३	२१.७	२९९.९	१३८.५
अगस्त	१५.४	७६.८	५७७.९	४८.०	१४६.८	२२.८	२४६.१	१९१.४
सितम्बर	१२.६	९७.१	९०७.०	४८.६	१४३.३	२३.६	२३७.६	१२७.७
अक्तूबर	६.७	५५.४	४६६.८	३७.०	१२०.५	१६.५	२४९.०	१५३.८
नवम्बर	१३.८	५५.२	६६५ ३	९१.५	१८६.०	२०.१	२५६.६	२००.३
दिसम्बर	१४ ०	७२.५	७३३.६	५६.५	१४०.५	२०.२	२२३.३	१७९.६
१९५८ जनवरी	१५.९	४५.३	९७५.०	५७.६	१४९.७	१३.७	२३५.५	१८०.०
फरवरी	१०.५	४१.६	६४०.६	५९.१	११५.०	१७.७	२५७.६	१६४.१
मार्च	...	...	...	५५.५	...	...	...	१७१.३

१. औद्योगिक उत्पादन

[१२] खाद्य और तम्बाकू

वर्ष	९१ [ट] गेहूँ का आटा (००० टन)	९२ [ठ] चीनी (००० टन)	९३ [ड] काफी (टन)	९४ [ढ] चाय (दस लाख पौंड)	९५ नमक (००० मन)	९६ वनस्पति तेल से बनी हुई वस्तुएं (टन)	९७ सिगरेट (लाख)
१९५०	४७७.१	६७६.८	२०,५३२	६१३.२	७१,११६	१,७१,६६६	२,३३,२६२
१९५१	४८६.०	१,११४.८	१८,०६६	८६८.८	७४,६७६	१,७२,६१०	२,१४,४८८
१९५२	५१२.४	१,४६४.०	२१,०६६	६१४.४	७१,८१०	१,६०,८१२	२,०१,६६२
१९५३	४८३.६	१,२६१.०	२२,५७२	६०८.४	८६,११६	१,६२,६५२	१,८३,६११
१९५४	४४२.८	१,०८८.०	२६,६६४	६४४.४	७३,६०८	२,१०,७४८	१,६८,३७६
१९५५	४८८.४	१५६४.८	२४,६४८	६६८.४	८१,०७२	२,३०,७८४	२,३८,३८८
१९५६	५३७ ६	१८५४.४	३४,४४०	६६७.२	८६,०६६	२,५५,६१२	२,६१,५७६
१९५७	६५५.२	२०३८.८	४०,८८४	६६६.०	६८,०००	३,०१,६५६	२,८०,३४४
१९५७ अप्रैल	४३.४	२७७.०	६,४३६	३२.७	१४,६८४	२५,६६६	२१,११६
मई	५७.३	१५६ १	५,६६०	४३.१	२४,७०४	२६,८३५	२५६५०
जून	५५.२	३६.३	३,०६२	७६.६	२२,५६३	२५,६५६	२२,२६०
जुलाई	५६.६	६.६	१,४६२	८६.२	६,०६३	२२,६०३	२५,४१०
अगस्त	६१.५	७ ६	६६०	१०० ६	४,७१६	२१,१८७	२६,७००
सितम्बर	६० ६	८.२	६३५	१०४.८	६,१४५	२०,६६०	२५,०५०
अक्तूबर	६२.७	१७.४	१,४०१	१०५.६	२,६६०	२६,४६५	२२,६६०
नवम्बर	६३ ६	१०५.३	१,४४२	६०.२	१,५२७	२५,४३८	२५,६६०
दिसम्बर	६१.६	३५७.५	१,४७८	२२ ४	३,६११	२८,००६	२२,५००
१९५८ जनवरी	५६.८	४२६.८	४५६ ३	६.६	६,५६३	२६,२८१	१५,८५०
फरवरी	५२ ६	...	...	८.६	६,६६२	२४,६६८	...
मार्च	...	...	...	...	...	...	...

[ट] ये आँकड़े केवल बड़ी आटा मिलों के हैं। [ठ] ये आँकड़े फसली साल (नवम्बर से अक्तूबर) तक के हैं और केवल गन्ने से बनने वाली चीनी के विषय में हैं। [ड] ये आँकड़े शोधने और पीसने के पश्चात् काफी भण्डार में दे दी जाने वाली काफी के विषय में हैं। [ढ] ये मासिक आँकड़े पंजाब (काँगड़ा) और हिमाचल प्रदेश के उत्पादन को छोड़ कर हैं।

[१३] चमड़ा उद्योग

वर्ष	९८ जूते, पश्चिमी ढंग के (००० जोड़े)	९९ जूते, देशी ढंग के (००० जोड़े)	१०० क्रोम से कमाया चमड़ा (०००)	१०१ वनस्पतियों से कमाया हुआ गाय-भैंस का चमड़ा (०००)	१०२ चमड़े जैसा कपड़ा (००० गज)
१९५०	२,८३१.८	१,६६६.८	४६५.६	१,५१४.४	...
१९५१	३,६४०.८	२,०७३.६	८७६.६	१,७०४.०	१,६१८.८
१९५२	३,३६७.२	२,८०६.०	६५०.४	१,४७८.४	६५४.४
१९५३	३,३४८.०	२,३०४.४	७००.८	१,३६८.४	६८५.१
१९५४	३,२६७.६	२,०६२.८	६६८.४	१,३७०.४	१,२६६.२
१९५५	३,२४२.४	२,३०२.८	६७६.८	१,६३५.६	२,६३६.२
१९५६	२,६२०.६	२,६१२.२	७४१ ६	१,७१३.६	२,६१८.४
१९५७	४,३६६.२	३,०३८.४	६३०.०	२,७६२.६	३५६६.२
१९५७ अप्रैल	३८६.४	३००.६	६६.३	२६३.०	२६३.०
मई	२८५.६	२११.१	५७.१	२३७.८	२३६.६
जून	३६४.३	२२४.६	५३.४	१३१.०	२५०.६
जुलाई	४५३.४	२७७ ६	३०.१	१३५.१	३६५.७
अगस्त	३४६.४	२३७.३	४१.१	१३५.१	२६७ २
सितम्बर	३७४.३	२४४.८	३५.१	१४१.३	२८६ ७
अक्तूबर	२३६.६	१६३.४	३०.७	१५१.०	२८१.३
नवम्बर	३८५.६	२७४.१	३१.१	१६८.२	१५५.१
दिसम्बर	४२६.१	२१६.१	३६ ०	१४८.७	३६१.५
१९५८ जनवरी	४३० ३	२१२.१	५४ ८	१८६.५	३६२.६
फरवरी	३७२ ६	२७१.४	४७ २	२८१ ३	१७६ २
मार्च	३४१ १	२३४ ८	३०.२	३३३.५	...

१. औद्योगिक उत्पादन

[१४] अन्य उद्योग

वर्ष	१०३ खनिज कोयला (००० टन)	१०४ प्लाइवुड (००० वर्ग फुट) चाय की पेटियां	व्यापारिक	योग	१०५ कागज (टन) छपाई और लिखाई का	पैक करने का	विशेष किस्म का कटा	गत्ते	योग
१९५०	३१,९९२	४१,३७६	८,८४४	५०,२२०	७०,१५२	२४,९१६	५,१९६	१८,८४८	१,०८,८१२
१९५१	३४,२०८	६०,६४८	१०,२००	७०,८४८	७६,२६०	२५,४८८	३,१२०	२४,०४८	१,२१,९१६
१९५२	३६,२२८	७८,२२८	१२,३१२	९०,५४०	९१,४२८	२१,५४०	२,८२०	२१,७२०	१,३७,५०८
१९५३	३५,८४४	४९,७८८	११,४१२	६१,२००	९५,६२८	२१,१४४	३,४२०	१९,५१२	१,३९,७०४
१९५४	३६,७६८	६४,१८८	१३,५८४	७७,७७२	१,०२,८७६	२४,१५६	४,७८८	२३,५०८	१,५५,३२८
१९५५	३८,२०८	९१,२२८	१९,३९२	११०,५२०	१,१६,४९६	२८,३२०	५,३०४	३१,४६४	१,८४,८८४
१९५६	३९,४३२	९७,८८४	२५,८३६	१२३,७२०	१,२२,९८८	३०,९२४	५,७७२	३३,७२०	१,९३,४०४
१९५७	४३,५३६	९३,४२०	३१,६३२	१,२५,०५२	१,२९,५१६	३८,०१६	७,२००	३८,४००	२,१०,१३२
१९५७ अप्रैल	३,७२६	९,०४६	२,६०२	११,६४८	१०,५३०	२,७७६	४५१	३,११४	१६,८७४
मई	३,७६४	८,४३४	२,९९२	११,४२६	१०,२००	३,०९२	५५७	३,४२७	१७,२७६
जून	३,३३०	७,४९६	२,६२१	१०,११७	९,९४८	३,२९३	५००	३,०७५	१६,७८६
जुलाई	३,३३१	७,०९०	२,७०७	९,७९७	१०,३७२	३,०४१	७४९	३,३४९	१७,५११
अगस्त	३,२७६	६,६२६	२,६५७	९,२८३	१०,४२५	३,४९७	६२३	३,४७०	१८,०१५
सितम्बर	३,६४७	७,६२६	२,३९२	१०,०१८	१०,५४२	२,७८५	७००	१,५६६	१५,५९३
अक्तूबर	३,५५५	५,७१५	२,५७७	८,२९२	१०,७८३	३,४९५	५८२	३,४३७	१८,२९७
नवम्बर	३,९३०	७,१५३	२,८८९	१०,०९५	११,६८३	३,४१९	६५७	३,४५०	१९,२०९
दिसम्बर	४,०५१	८,२८३	२,३३२	१०,५१५	११,५१४	३,५५३	६५१	४,०९४	१९,८१२
१९५८ जनवरी	३,९४७	७,६३९	३,५३९	११,१७८	१३,०१८	३,४५०	४७३	३,७३९	२०,६८०
फरवरी	३,७१२	७,१०४	२,९१४	१०,०१८	...	...	...	...	१८,२२७
मार्च	...	...	...	...	...	...	...	...	...

[१४] अन्य उद्योग (शेषांश)

परिवहन

वर्ष		१०६ मोटर गाड़ियां (संख्या) कारें	जीप तथा लैंडरोवर गाड़ियां	स्टेशन वैगन तथा अस्पताली गाड़ियां	ट्रक,	सवारी गाड़ियां	योग	१०७ साइकिलें पूरी तैयार (संख्या)	हिस्से (मूल्य ००० रुपये)
१९५०		९,५८८	...	...	...	—	१४९०४	१,०३,१५२	९,४५२.४ (ग)
१९५१		१२,३८४	...	...	...	—	२२२७२	१,१४,२७९	६,४८८.४
१९५२		९,९४८	—	—	...	—	१५२८८	१,९९,९५९	८,२४७.६
१९५३		४,९३२	—	—	—	...	१३९२०	२,९४,१९८	१०,२९४.०
१९५४		५,४३९	...	...	...	...	१४४९०	३,७२,३९०	१३,०८०.०
१९५५		६,४९२	३३३९	७९८	९४५६	३०३९	२३०८८	४,९१,१७२	१६,४१९.८
१९५६		१२,९८४	४१५०	९८४	८९२०	३४०८	२६८३९	६,५७,४२४	२३,२२४.८
१९५७		११,५०४	४०९८	९१२	१२,८९२	३७५९	३१९३२	८,००,८३२	२७,४४३.९
१९५७	अप्रैल	९९८	४९१	८५	८७८	३४२	२९९४	९१,१४९	२,४९१.९
	मई	८७१	१९५	९०	८५४	३१९	२२९९	९८,९७१	२,४१४.६
	जून	७७२	२५९	७१	९७५	५४३	२३१७	५८,७७१	२,०१४.५
	जुलाई	१,१३३	५७४	६३	७२२	३५७	२८८२	९३,४८६	२,४९७.८
	अगस्त	८७७	४१५	७६	९८०	२२२	२२७२	९६,१५८	२,१८८.४
	सितम्बर	९८०	३९९	४०	१०५२	२४५	२७१३	९९,१७४	२,३५२.३
	अक्तूबर	७८१	२०२	३०	११९८	२१६	२४५०	५१,०३२	१,८८२.८
	नवम्बर	१,०७३	१५१	२३	१०५४	१६७	२४६१	७५,८५३	२,७३७.७
	दिसम्बर	८४२	१९८	६	११२६	३४६	२४९७	७८,०९२	२,०४०.१
१९५८	जनवरी	९४०	३५८	४३	११८०	४२५	२९३९	७६,५२७	२,५०२.५
	फरवरी	४९२	२१२	३१	११४८	३७७	२२३०	८१,४०४	१,७१२.४
	मार्च	७०६	...	...	...	—	२७४८	...	...

[ग] १९४८ से १९५३ तक के वर्षों के अंकों में पूरी साइकिल बनाने वाली फर्मों द्वारा तैयार किये गये हिस्से शामिल नहीं हैं।

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

इस तालिका में समस्त भाव प्रत्येक मास के दूसरे सप्ताह के दिये गये हैं।

वस्तुएं	बाजार	इकाई	अप्रैल ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
खाद्य पदार्थ							
१. चावल							
(१) मध्यम	कलकत्ता	मन	२१.५०	२५.००	२४.००	२२.२५	२२.२५
(२) लाल भीनाती	पटना	,,	१९.५०	२०.००	१९.००	२०.००	२१.००
(३) अक्रगड्डा	विजयवाड़ा	,,	१९.००	१६.८१	१७.००	१७.००	१७.००
२. गेहूं							
(१) साधारण	जबलपुर	,,	अप्राप्त	अप्राप्त	१७.००	१७.७५	१७.७५
(२) ,,	अमृतसर	,,	१७.१२	१५.३८	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
(३) ,,	हापुड़	,,	१७.००	१५.५०	१५.५०	१५.३७	१५.२५
३. ज्वार	अमरावती	,,	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
४. बाजरा	हैदराबाद शहर	२४० पौण्ड	अप्राप्त	३६.३३	३५.००	३३.००	३४.५०
५. चना		प्रति पल्ला					
(१) देशी	पटना	मन	१५.२०	१२.५०	११.५०	१२.५०	१३.००
(२) ,,	हापुड़	,,	१२.८७	११.३७	१०.८७	११.१२	११.२५
६. दाल							
अरहर	,,	,,	१२.००	१०.००	१०.२५	१०.७५	१२.१२
७. चाय							
(१) आंतरिक उपभोग के लिए	कलकत्ता	पौण्ड	१.१७	१.३८	१.३१	१.३२	१.३९
(२) निर्यात :—							
(क) निम्न मध्यम ब्रोक पीको	,,	,,	बिक्री नहीं	१.६०	१.५६	१.४४	१.५२
(ख) मध्यम ब्रोक पीको	,,	,,	बिक्री नहीं	१.६६	१.६२	१.५४	१.६४
८. काफी							
(१) प्लाण्टेशन पीबेरी (गोल)	मंगलोर/कोयम्बतूर*	हंडरवेट	२३३.५०	२४७.५०	२४२.५०	२३२.५०	२३५.५०
(२) देशी चपटी	,, ,,	,,	१८२.५०	१९२.५०	१९२.५०	१९३.५०	१९२.५०
९. चीनी							
(१) डी. २८	कानपुर	मन	२८.०६	३४.७५	३४.६२	अप्राप्त	३४.९४
(२) डी. २७	,,	,,	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
(३) ई. २७	,,	,,	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
१०. गुड़							
(१) खाने के लिए	अहमदनगर	,,	१२.२५	१३.५०	१३.००	१३.००	१४.००
(२) ,, ,,	मुजफ्फरनगर	,,	१२.५०	१३.७५	१५.५०	१८.००	१८.००

मन=८२$\frac{2}{7}$ पौण्ड

* प्रतिवर्ष जनवरी से जून तक मंगलोर बाजार के मूल्य और जुलाई से सितम्बर तक कोयम्बतूर बाजार के मूल्य दिये जाते हैं।

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं	बाजार	इकाई	अप्रैल ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
११. नमक							
(१) साम्भर (न)	दिल्ली	मन	२.५०	२.५०	२.५०	२.५०	२.५०
(२) काला	बम्बई	,,	अप्राप्त	अप्राप्त	३.३७	अप्राप्त	अप्राप्त
१२. तम्बाकू							
जाती पूला मध्यम (साधारण औसत दर्जे का)	कलकत्ता	,,	९०.८६	१०६.१४	१०६.१४	१००.१४	९७.१४
१३. काली मिर्च							
(१) ऐलेप्पी (बिना छंटी हुई)	,,	,,	७५.००	८०.००	९५.००	९५.००	९५.००
(२) छंटी हुई	कोचीन	हंडरवेट	९७.८१	८७.५०	८५.००	९९.३८	१०८.७५
१४. काजू							
भारतीय	मंगलौर	मन	२६.५८	२४.०५	२२.७९	२२.७९	२०.२५

औद्योगिक कच्चा माल

वस्तुएं	बाजार	इकाई	अप्रैल ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
१. रुई कच्ची							
(१) जारीला एम. जी. एफ.	बम्बई	७८४ पौंड की कैंडी	८०५.००	७७०.००	७६२.००	७५०.००	७५०.००
(२) २१६ एफ. एम. जी.	,,	,,	९१०.००	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं
(३) बंगाल बढ़िया एम. जी.	,,	,,	६६५.००	६०५.००	५९०.००	५९०.००	५८५.००
२. जूट, कच्चा							
(१) फर्स्ट्स	कलकत्ता	४०० पौंड की गांठ	२१५.००	२४५.००	२३५.००	२२०.००	२२५.००
(२) लाइटनिंग	,,	,,	२००.००	२१५.००	२०५.००	१९०.००	१९५.००
(३) जाट मिडिल	,,	,,	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
३. रेशम, कच्चा							
(१) २,४०० ताना खामरू	माल्दा	८० तोले का सेर	५७.००	६४.००	—	७२.००	७२.००
(२) चरखा बढ़िया किस्म का	बंगलौर	३९ तोले का पौंड	२२.००	२९.००	—	२९.५०	२८.००
४. ऊन कच्चा							
(१) जोड़िया सफेद बढ़िया	बम्बई	मन	२८२.८६	अप्राप्त	२४१.७१	२४१.७१	२४१.७१
(२) तिब्बती	कालिम्पांग पहुंचने पर	,,	१७०.००	१७७.५०	१७७.५०	१७७.५०	१७७.५०

(न) नियन्त्रित मूल्य ।

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं	बाजार	इकाई	अप्रैल ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
५ मूंगफली							
(१) बड़ादाना	बम्बई	हंडरवेट	३३ ७५	३१.१२	३१.३७	३२.००	३३.८७
(२) मशीन से छिली हुई	कडुलोर	मन	२४.८१	२३.२४	२३.२४	२२.४७	२२.४७
६. अलसी							
(१) बड़ादाना	बम्बई	हंडरवेट	२८.५०	३०.३७	२८.८७	२९.७५	३०.२५
(२) छोटा दाना	कलकत्ता	मन	२१.२५	२३.१२	२१.२५	२२.००	२३.००
७. अरण्डी का बीज							
(१) छोटा हैदराबादी	मद्रास	,,	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं
(२) साधारण औसत दर्जे का	बम्बई	हंडरवेट	३४.३७	२७.३७	२७.७५	२९.५०	२९.८७
८. तिल							
(१) सफेद	,,	,,	४७.३९	४२.८८	४२.००	४२.३१	४४.२४
(२) मिश्रित (गाजर)	झांसी	मन	३१.५०	२८.५०	२६.००	२६.५०	२७.५०
९. तोरिया							
(१) बड़ा दाना (कानपुरी)	कलकत्ता	,,	३१.००	३०.००	२८.००	२८.००	२९.५०
(२) पीला	बम्बई	मन	२९.९४	२९.४४	अप्राप्त	२९.३१	३२.२५
(३) सरसों साधारण औसत दर्जे की	कानपुर	,,	३२.००	३२.००	२९.०९	३०.४७	३०.४७
१०. बिनौला							
(१) ,,	बम्बई	हंडरवेट	अप्राप्त	—	—	—	—
(२) ,,	अमरावती	८० पौंड का मन	अप्राप्त	—	८ ८६	९.४९	—
११. नारियल का गोला							
साधारण औसत दर्जे का	कोचीन	६५५.६ पौंड की कैंडी	३०८.१३	४५४.१३	४१३.००	४११.२५	४२८.००
१२. कोयला (न)							
(१) चुना हुआ झरिया	कोलाहरी साईडिंग में पहुंचने पर	टन	१९.१२	२०.६२	२०.६२	२०.६२	२०.६२
(२) दिशेरगढ़ (प्रथम श्रेणी)	,,	,,	१९.४४	२०.९४	२०.९४	२०.९४	२०.९४
(३) म०प्र० (प्रथम श्रेणी)	,,	,,	२१.१९	२२.५९	२२.६९	२२.६९	२२.६९
१३. कच्चा लोहा							
निर्यात मूल्य	विशाखापत्तनम	,,	११४.१८	१६२.६३	—	११४.६०	२१७.९७

(न) नियन्त्रित मूल्य

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं	बाजार	इकाई	अप्रैल ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
१४. चमड़ा, कच्चा							
(१) नमक लगा सूखा गाय का	कलकत्ता	२० पौंड	बिक्री नहीं	पूर्ति नहीं	पूर्ति नहीं	पूर्ति नहीं	पूर्ति नहीं
(२) नमक लगा गीला भैंस का	कलकत्ता	२० पौंड	११.००	१२.००	१३.००	१४.००	१४.००
(३) नमक लगा गीला गाय का	कानपुर	कोड़ी	२२५.००	२७५.००	२९५.००	२८०.००	२८०.००
(४) नमक लगा गीला भैंस का	,,	२० पौंड	१०.६६	१२.५०	१२.९५	१२.९५	१२.९५
. खालें कच्ची							
करी की, औसत किस्म की	कलकत्ता	१०० थान	३५०.००	४००.००	३२५.००	३२५.००	३२५.००
६. लाख							
(१) चपड़ा शुद्ध टी० एन०	,,	मन	८७.००	७८.००	८०.००	७२.५०	७०.००
(२) बटन शुद्ध	,,	,,	१०१.००	९२.००	९२.५०	८८.५०	८५.५०
. रबड़							
RMA IX RSS	कोट्टायम	१०० पौंड	१५२.५०	१५२.५०	१५२.५०	१५२.५०	१५२.५०

अर्द्ध निर्मित वस्तुएं

वस्तुएं	बाजार	इकाई	अप्रैल ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
. चमड़ा							
(१) गाय का चमड़ा	मद्रास	पौंड	२.६५	२.६८	२.६८	२.६८	२.६१
(२) भैंस का चमड़ा	,,	,,	१.९१	१.९८	१.९८	१.९८	२.०६
(३) भेड़ की खालें	,,	,,	६.२५	६.५०	६.५६	६.५६	६.३०
(४) बकरी की खालें	,,	,,	६.१६	६.४७	—	६.३५	६.२०
. खनिज तेल							
(क) मिट्टी का तेल (न)							
(१) बढ़िया थोक	कलकत्ता	८ गैलन	९.६२	९.६८	९.६८	९.६८	९.६८
(२) घटिया थोक	,,	,,	९.४४	९.५६	९.५६	९.५६	९.५६
(ख) पैट्रोल (न)							
(१) थोक पम्प पर	,,	गैलन	२.६६	३.०१	३.०१	३.०१	३.०१
(२) ,,	दिल्ली	,,	२.८६	३.२०	३.२०	३.२०	३.२०
(३) ,,	मद्रास	,,	२.६६	२.९९	२.९९	२.९९	२.९९
३. वनस्पति तेल							
क. नारियल का तेल							
(१) साधारण औसत दर्जे का (तैयार)	कोचीन	६५५.६ पौंड की कैंडी	४७३.६३	६९७.०५	६३८.८०	६४६.८०	६७३.३०
(२) कोलम्बो का बढ़िया खुदरा	कलकत्ता	मन	७४.००	११०.००	१०५.००	१०५.००	११५.००
(३) खुला	बम्बई	क्वार्टर	२१.२५	३०.५०	२९.२५	२८.७५	२९.००

(न) नियन्त्रित मूल्य ।

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं	बाजार	इकाई	अप्रैल ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५
			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै
ख. मूंगफली का तेल							
(१) खुदरा	मद्रास	५०० पौंड की कैंडी	३१७.००	२९१.००	२९६.००	३०१.००	३०७.५
(२) खुला	बम्बई	क्वार्टर	१८.६२	१७.१९	१७.१२	१७.६२	१८.५
(३) गुण्टूर (टीन बन्द)	कलकत्ता	मन	६२.००	५९.००	५९.००	६१.००	६२.०
ग. सरसों का तेल							
(१) खुदरा (मिल से निकलते समय)	,,	,,	७६.००	७५.००	७५.००	६८.००	७४.०
(२) ,,	पटना	,,	७८.००	७३.००	६६.००	६९.००	७४.०
(३) साधारण औसत दर्जे का	कानपुर	,,	७४.००	७०.००	६६.००	७०.००	७६.०
घ. अरण्डी का तेल							
(१) नं० १ बढ़िया पीला (जहाज पर)	कलकत्ता	,,	८०.००	७८.००	७४.००	७४.००	७४.०
(२) ,,	मद्रास	५०० पौंड की कैंडी	३४५.६२	४००.००	३४०.००	३४५.००	३४५.०
ङ. तिल का तेल							
खुला	बम्बई	क्वार्टर	२४.३७	२१.९०	२०.६५	२२.६५	२३.४
च. अलसी का तेल							
(१) कच्चा खुदरा (मिल से निकलते समय)	कलकत्ता	मन	४७.५६	५३.००	५१.००	५१.५०	५१.०
(२) ,,	बम्बई	क्वार्टर	१५.००	१६.६२	१५.६२	१६.००	१६.१
४. खली							
(१) मूँगफली	कलकत्ता	मन	८.२५	८.००	८.५०	८.५०	९.२
(२) नारियल	बम्बई	१॥ हंडरवेट	२१.२५	२५.००	२३.५०	२२.००	२३.०
(३) तिल	,,	टन	३२०.००	३८०.००	३६०.६०	३५५.००	३६०.०
५. सूत (भूरे रंग का) भारतीय							
(१) १० नम्बरी	कलकत्ता	५ पौंड	७.४४	७.१३	६.८४	६.६६	६.८१
(२) २० ,,	,,	,,	९.३०	८.८०	८.६२	८.४९	८.४७
(३) ४० ,,	,,	,,	१३.८४	१२.५०	१२.४४	१२.०९	११.८४
(४) सूत २० नम्बरी	बंगलौर	१० पौंड	१८.३१	१६.८१	१६.६२	१६.२५	१६.१
६. नारियल की सुतली							
(१) असली अन्जापट	कोचीन	६ हंडरवेट की कैंडी	२७२.५०	२५०.००	२५०.००	२५५.८३	२४५.००
(२) अनजेंगो बढ़िया	,,	,,	३१०.००	२७५.००	२८०.००	२७५.००	२७०.००

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं	बाजार	इकाई	अप्रैल ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
लोहा और इस्पात			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
क. कच्चा लोहा (न)							
(१) फाउंडरी नं० १	कलकत्ता पहुंचने पर	टन	२२५.००	२२५.००	२२५.००	२२५.००	२२५.००
(२) लोहा बेसिक	,,	,,	२०६.००	२०६.००	२०६.००	२०६.००	२०६.००
ख. अर्द्ध-शुद्ध (न) फिर गलाने के लिए टुकड़े	कलकत्ता	,,	४०७.००	४७७.००	४७७.००	४७७.००	४७७.००
ग. धातु (लोहे के अतिरिक्त)							
(१) जस्ता स्पेल्टर (बिजली वाला) मुलायम	,,	हंडरवेट	७७.५०	५५.००	५३.५०	५४.००	५४.००
(२) पीतल पीली धातु-संधान (चादरें) ४"×४"	,,	,,	१८२.००	१६८.५०	१७०.००	१८५.००	१८०.००
(३) पीतल की चादरें (मिलेएडर्स)	बम्बई	,,	१७६.००	१६२.००	१६२.५०	१६४.००	१६५.००
(४) ताम्बे की चादरें (इण्डियन)	,,	,,	१८५.००	२००.००	२०२.५०	१९७.५०	बिक्री नहीं
लकड़ी							
सागौन के गोल लट्ठे ५ फीट और उससे अधिक परिधि वाले	बल्लारशाह (दक्षिण चांदा, मध्य प्रदेश)	घन फुट	१४.२५	१४.२५	१४.२५	१४.२५	१४.२५

निर्मित वस्तुएं

वस्तुएं	बाजार	इकाई	अप्रैल ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
१. टैक्सटाइल							
क. जूट का माल							
टाट							
(१) १०½ औंस ४०"	कलकत्ता	१०० गज	४३.००	४१.४०	४१.४०	४०.७५	४१.७५
(२) ८ औंस ४०"	,,	,,	३३.६२	३२.३५	३२.०५	३१.३५	३१.९०
बोरियां							
(१) बी. ट्विल	,,	१०० बोरियां	१११.३७	१०४.१०	१०१.२५	९८.९०	९९.२५
(२) सी. भारी बोरियां	,,	,,	१११.००	१०४.००	१००.७५	९८.२५	९९.२५
ख. सूती माल**							
(१) कोरा कमीज का कपड़ा १२१-३५"×३८ गज×७ पौंड	बम्बई	एक थान	१७.२२	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
(२) कोरा स्टैंडर्ड कमीज का कपड़ा—३५"×३८ गज	,,	पौंड	बिक्री नहीं	१.८६	१.८६	१.८६	१.८२
(३) छींट (हिन्द मिल्स) ४५८८ ४३"×३८ गज	,,	एक थान	२४.९४	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
(४) कोरी धोतियां (टाटा मिल्स) मध्यम ४३"×१०/२ गज×२ पौंड		एक जोड़ा	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त

(न) नियन्त्रित मूल्य

** मिल से चलते समय माल के भाव

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं	बाजार	इकाई	अप्रैल ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
(५) रंगीन क्रेप—कमीज का कपड़ा एफ० एस०—१०५	मद्रास	गज	१.०२	१.०८	१.०८	१.०८	१.०८
(६) एम—१०१ ब्लीच किया मलमल ४८"×२०" गज	,,	२० गज	१६.५६	१६ ६०	१६.६०	१६.६०	१६.६०
ग. रेयन और रेशम का माल							
(१) टफेटा कोरी २६-५०",४-३/४ से ५ पौंड तक (रेयन)	बम्बई	गज	अप्राप्त	०.७०	०.७४	०.७६	०.७६
(२) फुजी (चीनी रेशम)	,,	५० गज का थान	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
२. लोहे और इस्पात से निर्मित वस्तुएं (न)							
लोहे और इस्पात की पनालीदार चादरें-२४ गेज	कलकत्ता	हंडरवेट	३६.७५	४३.२५	४३.२५	४३.२५	४३.२५
३. अन्य निर्मित वस्तुएं							
क. सीमेण्ट (न)							
भारतीय (स्वास्तिक)	,,	टन	१०२.५०	११७.५०	११७.५०	११७.५०	११७.५०
ख. कांच (खिड़कियों का)							
(१) बड़ा साईज ३०"×२४" तक	,,	१०० वर्ग फुट	४५.००	४५.००	४०.००	४०.००	३८.००
(२) मध्यम साईज	,,	,,	५२.००	४२.००	३८.००	३८.००	३७.००
ग. कागज							
सफेद छपाई, डिमाई १४ पौंड और ऊपर	,,	पौंड	७५.५ न.पै०	०.८०	०.८०	०.८०	८३.५ न.पै०
घ. रसायनिक पदार्थ							
(१) फटकरी	,,	हंडरवेट	२०.१५	१६.७५	अप्राप्त	२१.००	२१.००
(२) गंधक का तेजाब*	,,	टन	१५८.७५	१७०.००	१७०.००	१७०.००	१७०.००
ङ. रंग लेप							
लाल सीसे का सूखा असली	,,	हंडरवेट	१०१.००	८६.००	८६.००	८४.००	—

(न) नियन्त्रित मूल्य

*१-२-५६ से गंधक के तेजाब का भाव कारखाने से निकलने वाले माल के भाव के बजाय ईंधन केन्द्र से निकलने वाले माल के १४७ रुपये=१०० के आधार पर दिया गया है।

मीटरिक प्रणाली

के प्रवर्तन का आरंभ

भारत में अभी तक नाप-तौल की समान प्रणाली नहीं है । हमारे यहां इस समय लगभग १४३ प्रणालियों का प्रयोग होता है । इस प्रकार की अनेकता से धोखाधड़ी को स्थान मिलता है । देशभर में मीटरिक नाप-तौल पर आधारित एक समान प्रणाली आरम्भ हो जाने से काफी सुविधा हो जायेगी और हिसाब-किताब बड़ा आसान हो जायगा, विशेषकर इसलिये कि हमारे यहां दाशमिक सिक्के शुरू हो चुके हैं । तौल और माप-प्रतिमान अधिनियम, १९५६ ने मीटरिक प्रणाली के अन्तर्गत आधारभूत इकाइयां निश्चित कर दी हैं । इस प्रकार का सुधार धीरे-धीरे किया जायेगा ताकि जनता को कम से कम असुविधा हो ।

इस प्रणाली के शुरू हो जाने के बाद भी किसी क्षेत्र या व्यापार में पुराने नाप-तौल का ३ वर्षों तक प्रयोग हो सकेगा ।

नाप-तौल की मीटरिक प्रणाली के प्रवर्तन का आरंभ अक्तूबर १९५८ से हो रहा है ।

मीटरिक बाटों को जानिये

तौल की इकाई
किलोग्राम=१ सेर ६ तोले (या ८६ तोले) या २ पौंड ३ औंस

उप इकाइयां

१० मिलीग्राम = १ सेंटीग्राम
१० सेंटीग्राम = १ डेसीग्राम
१० डेसीग्राम = १ ग्राम
१० ग्राम = १ डेकाग्राम
१० डेकाग्राम = १ हैक्टोग्राम
१० हैक्टोग्राम = १ किलोग्राम

बड़े बाट

१०० किलोग्राम = १ क्विंटल
१० क्विंटल या १,००० किलोग्राम } १ मीटरिक टन

भारत सरकार द्वारा प्रसारित

व्यापारिक और औद्योगिक शब्दावली

प्रस्तुत अंक में व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों के जिन विशिष्ट शब्दों का प्रयोग हुआ है उन्हें तथा उनके अंग्रेजी रूपों को पाठकों की सुविधा के लिये यहां दिया जाता है। ये केवल सुविधा की दृष्टि से दिये गये हैं। प्रामाणिकता की दृष्टि से इन्हें अन्तिम नहीं मान लेना चाहिये। —सम्पादक।

हिन्दी शब्द	अंग्रेजी रूप
अलाभकर	Uneconomic
आत्मनिर्भरता योजना	Self sufficiency Scheme
आवश्यक मदें	Essential Items
आसवन	Distillation
इत्र	Essence
उधार पट्टा प्रणाली	Land Lease
उपभोक्ताओं की रुचि	Consumer Interest
उपार्जक	Earners
उपोत्पादन	By product
एकमात्र विक्रेता एजेन्ट	Sole Selling Agent
एशिया तथा सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग	Economic Commission for Asia and the far East
कपड़े के थान	Cotton piece goods
कांच की चादरें	Sheet Glass
कार्यकर्ता	Worker
कीटनाशक पदार्थ	Insecticides
खाल उतारना	Flaying
गवेषणा संस्था	Research Institution
गांठ बांधने के प्रेस	Baling Press
गिट्टी बनाने की मशीन	Granlator
गिरावट	Deterioration
घूमफिर कर काम करने वाले दल	Peripatetic Parties
चमकदार टाइल	Blazing Tiles
धागा	Thread
धातु के सांचे	Metal Moulds
नकली रत्न	Synthetic Stones
नमी निरोधक	Moisture Proof
नये कारखाने	New Units
निर्माण केन्द्र	Manufacturing Centres
पत्थर फोड़ने की मशीन	Stone Breaker
परस्पर बदले जा सकने वाले	Inter Changeable
परिमाण और विविधता—व्यापार की	Volumes and range of Business
पेट्रोलियम उत्पादन	Petroleum Products
प्रदर्शनकक्ष सजावट	Window Decorations
प्रदर्शनी	Exhibition
प्रारम्भिक अर्द्ध तैयार माल	Primary Intermediates
फालतू पुर्जे	Spare Parts
बंडल बनाने के प्रेस	Bundling Press
बिक्री भण्डार	Sales Depot
बिक्री योजना	Sales Scheme
भुगतान समस्या	Problem of payments
मधुमक्खी पालन	Bee keeping
मसिनील	Ink-blue
मेले	Fairs
यूरोपीय आर्थिक समुदाय	European Economic Community
रंग चढ़ाने के सांचे	Annealing Lehr Moulds
रंग निर्माता	Dyestuff manufacturer
राल	Resin
रुपया खाता	Rupee Account
रेयन का तागा	Rayon Yarn
लपेटने की मशीनें	Reeling machines
लवणजल	Brine
विक्रय कला	Sales-man-ship
विदेशी विनिमय स्थिति	Foreign Exchange position
विद्युत आवरण	Electrical insulation
विभागीय भण्डार	Departmental Stores
विस्तार प्रायोजनाएं	Expansion Projects
विस्फोटक	Explosives
व्यापार केन्द्र	Trade Centres
संगठक	Organisers
संश्लेषित उड़नशील तेल	Synthetic Essential Oils
सतह लेपक	Surface Coating
सन्तुलित आधार	Balanced basis
सह उत्पादन	Allied Products
सुगन्ध	Flavour
सुगन्ध वाले रसायनिक पदार्थ	Aromatic Chemicals
सुलभ मुद्रा क्षेत्र	Soft Currency Area
सूत	Yarn
स्थिर	Steady
स्वच्छता का सामान	Sanitary Wares

परिशिष्ट

१. विदेशों में भारत सरकार के व्यापार-प्रतिनिधि।
२. भारत में विदेशी सरकारों के व्यापार-प्रतिनिधि।

विदेशों में भारत सरकार के व्यापार-प्रतिनिधि

नाम और पता	कार्य-क्षेत्र
यूरोप	
(१) लन्दन श्री टी० स्वामीनाथन, आई० सी० एस०, ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर के मन्त्री (आर्थिक) इंडिया हाउस, आल्डविच, लन्दन, डब्ल्यू० सी० २। तार का पता :—हिकोमिण्ड (HICOMIND) लन्दन।	ब्रिटेन और आयर
(२) पेरिस श्री एच० के० कोचर, भारतीय दूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), १५, रियू अलफ्रेड, डेहाडेनिक, पेरिस १६ एमे (फ्रांस)। तार का पता:—इण्डाट्रेकम (INDATRACOM), पेरिस।	फ्रांस और नारवे
(३) रोम श्री पी० एन० मेनन, आई० एफ० एस०, भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी, (व्यापारिक) वाया फ्रैन्सेस्को, डेन्ज. ३६, रोम (इटली)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), रोम।	इटली, यूनान और युगोस्लाविया
(४) बोन डा० एस० पी० छुबगाना, जर्मनी में भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), २६२ कोब्लेन्जर स्ट्रासे, बोन (प० जर्मनी)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), बोन।	जर्मनी
(५) हम्बर्ग श्री एस० बी० पटेल, आई० एफ० एस० भारतीय कौंसल-जनरल ६०८/५ हिमनकेनाफ, हम्बर्ग—१ (प० जर्मनी) तार का पता :—इण्डिया (INDIA) हम्बर्ग।	हम्बर्ग, ब्रमेन और श्लेस्विग, हालस्टीन
(६) ब्रसेल्स श्री एच०डी० डाग, बेलजियम में भारतीय राजदूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), ५८५, अवेन्यू लीजि, ब्रसेल्स (बेलजियम)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) ब्रसेल्स।	बेलजियम
(७) श्री एच० एस० [illegible], भारतीय कान्सुलेट, ४३, हिन्डयरस्ट्राट, एन्टवर्प, तार का पता:—कान्सिण्डिया (CONSINDIA) एन्टवर्प।	
(८) बर्न श्री एम० वी० देव, आई० ए० एस०, भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), बर्न (स्वीजरलैण्ड)। तार का पता:—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) बर्न।	स्वीजरलैण्ड
(९) स्टाकहोम श्री के० सी० [illegible], भारतीय राजदूतावास के सेकेण्ड सेक्रेटरी, व्यापारिक, स्ट्रैण्डवेजेन ४७-४, स्टाकहोम (स्वीडन)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), स्टाकहोम।	स्वीडन, फिनलैण्ड और डेनमार्क
(१०) प्रेग श्री सी० शिवराव, चेकोस्लोवाकिया में भारतीय दूतावास के सेकेण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), २२, युनोवास्का, प्रेग—२। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) प्रेग।	चेकोस्लोवाकिया
(११) मास्को श्री पी० वैद्यनाथन, रूस में भारतीय दूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), नं० ६ और ८, उलित्सा ओबूखा, मास्को। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) मास्को।	रूस

नाम और पता	कार्य-क्षेत्र
(१२) वियना श्री ए०एन० मेहता, आई०एफ०एस० भारतीय लीगेशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक) १७, गेथरगास, श्विटजोगास, वियना। तार का पताः— इंडलीगेशन (INDLEGATION) वियना।	आस्ट्रिया और हंगरी
अमेरिका	
(१३) ओटावा श्री एम० के० राय, कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), २००, मेकलेरन स्ट्रीट, ओटावा, आन्टोरियो (कनाडा)। तार का पताः—हिकोमिण्ड (HICOMIND) ओटावा।	कनाडा
(१४) वाशिंगटन श्री एस० जो० रामचन्द्रन आई०एफ०एस०, भारतीय दूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), २१०७, मैसेचुसेट्स एवेन्यू, एन० डब्ल्यू० वाशिंगटन—८ डी० सी० (संयुक्त राज्य अमेरिका)। तार का पता :— इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) वाशिंगटन।	संयुक्तराज्य अमेरिका और मैक्सिको
अफ्रीका	
(१५) मोम्बासा श्री एफ० एम० दे सैलो कामत, आई० एफ० एस०, भारत सरकार के व्यापार कमिश्नर, जुबली इन्श्योरेन्स बिल्डिंग, पो० बा० नं० ६१४, मोम्बासा (केनिया)। तार का पता :—इण्डोकम (INDOCOM), मोम्बासा (केनिया)।	पूर्वी अफरीका, केनिया, उगाण्डा टांगानीका और जन्जीबार, दक्षिणी रोडेशिया, उत्तरी रोडेशिया, और न्यासालैण्ड
(१६) काहिरा श्री के० आर० एफ० खिलनानी, आई० एफ० एस०, मिस्र में भारतीय दूतावास के कौंसलर (व्यापारिक) सुलीमान पाशा स्ट्रीट, काहिरा (मिस्र)। तार का पताः—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY)। काहिरा।	मिस्र, लेबनान, साइप्रस और लीबिया
आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड	
(१७) सिडनी श्री एच०एल०सुजान, भारत सरकार के व्यापार कमिश्नर, प्रूडेन्शियल बिल्डिंग, ३६-४६, मार्टिन प्लेस, सिडनी (आस्ट्रेलिया)। तार का पता :—आस्ट्रेण्ड (AUSTRAIND) सिडनी।	आस्ट्रेलिया और उसके समुद्र-पारीय प्रदेश जिनमें नौरफौक तथा नौरू भी शामिल हैं
(१८) वेलिंगटन श्री एस० के० चौधरी, आई० एफ० एस०, न्यूजीलैण्ड में भारत के हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), विंगजर बिल्डिंग, ४६, विलिस स्ट्रीट, वेलिंगटन, (न्यूजीलैण्ड)। तार का पता :—ट्रैकोमिण्ड (TRACOMIND) वेलिंगटन न्यूजीलैण्ड।	न्यूजीलैण्ड
एशिया	
(१९) टोकियो श्री डो० हेजमदी, आई० एफ० एस०, जापान में भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), एम्पायर हाउस (नाइगई बिल्डिंग), मारूनौची, टोकियो (जापान)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), टोकियो।	जापान
(२०) कोलम्बो श्री वी०सी० विजय राघवन, आई० एफ० एस०, लंका में भारत के हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), गफूर बिल्डिंग, पो०ऑ० बा०नं० ४७, फोर्ट, कोलम्बो (लंका)। तार का पताः—हिकोमिण्ड (HICOMIND) कोलम्बो।	लंका

नाम और पता	कार्यक्षेत्र
(२१) रंगून श्री एन० केशवन, भारत के राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), लन्डैरिया बिल्डिंग, फायरे स्ट्रीट, पो०बा० नं० ७५१, रंगून (बर्मा)। तार का पता:—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), रंगून।	बर्मा
(२२) कराची श्री एन० के० निगम, पाकिस्तान में भारत के हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), चार्टर्ड बैंक चैम्बर्स, "वलीका महल," एन० जे० सेठा रोड, न्यू टाउन, कराची-५ (पश्चिम पाकिस्तान) तार का पता :—इन्ट्राकम (INTRACOM), कराची।	पाकिस्तान
(२३) ढाका श्री बी०एम० घोष, पाकिस्तान में भारत के हाई कमीशन के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), ३, रामकृष्ण मिशन रोड, ढाका (पूर्वी पाकिस्तान)। तार का पता :—"गुडविल" (GOODWILL), ढाका।	पूर्वी पाकिस्तान
(२४) सिंगापुर श्री ए० के० दर, आई० एफ० एस०, मलाया में भारत सरकार के कमिश्नर के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), इण्डिया हाउस, ३१—म ग रोड, पो० बा० नं० ८३६, सिंगापुर (मलाया)। तार का पता :—रेपिण्डिया (REPINDIA), सिंगापुर।	मलाया
(२५) बैंकाक श्री एन० पी० जैन आई० एफ० एस०, भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी, ३७, फ्यायाई रोड, बैंकाक (थाइलैण्ड) तार का पता.— इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), बैंकाक।	थाइलैण्ड
(२६) मनीला व्यापारिक विभाग, भारतीय लीगेशन, ६१४-नेब्रास्का, मनीला (फिलिपाइन)। तार का पता :—इण्डलीगेशन (INDLEGATION), मनीला।	फिलिपाइन मनीला में भारतीय लीगेशन के मन्त्री के अधीन
(२७) जकार्ता श्री बी० आर० अमर्यकर, भारतीय राजदूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक) पो० बा० १७८, ४४, लेनन सिरीह, जकार्ता (इण्डोनेशिया)। तार का पता' -इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), जकार्ता।	इण्डोनेशिया
(२८) अदन श्री जगत सिंह, अदन में भारत सरकार के कमिश्नर, अदन। तार का पता —कोमिण्ड (COMIND), अदन।	अदन, ब्रिटिश सोमालीलैण्ड और इटैलियन सोमालीलैण्ड
(२९) तेहरान श्री आर० अगनेलला, भारतीय राजदूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), अवेन्यू शाह रजा, तेहरान (ईरान)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), तेहरान।	ईरान
(३०) बग़दाद भारतीय राजदूतावास के व्यापारिक अटैची, ८/८ सफि-उल-दीन-एल हिली स्ट्रीट, वजीरिया, बगदाद (ईराक)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), बगदाद।	ईराक, जोर्डन फारस की खाड़ी कुवैत, बहरीन शेखडम्स शारजाही क्वार्टर और ट्रूशियल अमान।
(३१) हांगकांग श्री टी० वी० गोपालपति, भारत सरकार के कमिश्नर के सेकिण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक) टावर कोर्ट, ११वीं मंजिल, हिस्यान एवेन्यू, हांगकांग। तार का पता :—कोमइंड (COMIND) हांगकांग।	हांगकांग
(३२) पेकिंग श्री पी० दास गुप्ता, चीन में भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक) ३२, तुंग च्याओमिन, स्यांग, पेकिंग (चीन)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), पेकिंग।	चीन
(३३) कम्बोडिया श्री डी० जे० सेन गुप्ता, भारतीय राजदूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी, फ्नोम पेन्ह। तार का पता:— इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) फ्नोम पेन्ह।	कम्बोडिया

नाम और पता	कार्यक्षेत्र
(३४) खारतूम श्री एम० आर० थडानी, आई० एफ० एस० भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), खारतूम (सूडान)।	सूडान
(३५) बेलग्रेड भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रटरी (व्यापारिक) बेलग्रेड (यूगोस्लाविया) तार का पताः—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) बेलग्रेड।	यूगोस्लाविया, बल्गेरिया और रूमानिया
(३६) वारसा भारतीय राजदूतावास के सेकेण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक) वारसा (पोलैण्ड)।	पोलैण्ड
(३७) सेन्टीआगो श्री पी० टी० बी० मेनन, भारतीय राजदूतावास के सेकेण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक)। सेन्टीआगो (चिली)। तार का पताः—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) चिली।	चिली

सूचना :—(१) तिब्बत में निम्नलिखित अधिकारी भारत के व्यापारिक हितों का ध्यान रखते हैं :—
१. गंगटोक, सिकम में भारतीय पोलिटिकल अफसर के व्यापारिक सेक्रेटरी।
२. भारत के व्यापार एजेण्ट, यादुङ्ग (तिब्बत)।
(२) जिन देशों में अलग व्यापार-प्रतिनिधि नहीं हैं, उनमें भारतीय राजदूत और कन्सलर अफसर भारत के व्यापारिक हितों का ध्यान रखते हैं।

भारत में विदेशी सरकारों के व्यापार-प्रतिनिधि

देश	पद	पता
१. अफ़गानिस्तान	भारत में शाही अफगान राजदूतावास के आर्थिक एटेची।	२४, रेटण्डन रोड, नयी दिल्ली।
२. अमेरिका	(१) भारत में अमेरिकन राजदूतावास के आर्थिक मामलों के कौंसिलर।	बहावलपुर हाउस, सिकन्दरा रोड, नयी दिल्ली
	(२) भारत में अमेरिका के कौंसल जनरल।	५/१, हैरिंगटन स्ट्रीट, कलकत्ता-१६।
	(३) भारत में अमेरिका के कौंसल जनरल।	कन्स्ट्रक्शन हाउस, निकल रोड, बैलार्ड इस्टेट, बम्बई-१।
	(४) भारत में अमेरिका के कौंसल जनरल।	१५०-बी०, माउंट रोड, मद्रास-२।
३. आस्ट्रिया	भारत में आस्ट्रिया के व्यापार प्रतिनिधि।	क्वीन्स मेनशन्स, बेस्टियन रोड, फोर्ट, पो० बा० नं० १३८५, बम्बई।
४. आस्ट्रेलिया	(१) भारत में आस्ट्रेलिया सरकार के व्यापार कमिश्नर।	मरकैंटाइल बैंक बिल्डिंग, ५२/६६, महात्मा गांधी रोड, जनरल पो० आ० बा० नं० २१७, बम्बई।
	(२) भारत में आस्ट्रेलिया सरकार के व्यापार कमिश्नर।	२, फेअरली प्लेस, कलकत्ता।
५. इटली	भारत में इटली के राजदूतावास के व्यापारिक कौंसिलर।	१७, यार्क रोड, नयी दिल्ली।
६. इण्डोनेशिया	भारत में इण्डोनेशियन राजदूतावास के आर्थिक मामलों के मंत्री।	५०ए, चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली।
७. कनाडा	(१) भारत में कनाडा हाई कमीशन के थर्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक)	४, औरंगजेब रोड, नयी दिल्ली।
	(२) भारत में कनाडा का व्यापार कमीशन।	मेकशम एश्योरेन्स हाउस, मिंट रोड, पो. आ. बा. ८८६, बम्बई-१।
८. घाना	अशोक होटल, नई दिल्ली।	
९. चीन	(१) भारत में चीनी गणतन्त्र के राजदूतावास के व्यापारिक मामलों के कौंसलर।	जींद हाउस, लिटन रोड, नयी दिल्ली।
	(२) चीनी जन गणराज्य के व्यापारिक एजेन्ट।	कालिम्पोंग।
	(३) ८, बैंनक स्ट्रीट, कलकत्ता।	
१०. चेकोस्लोवाकिया	(१) चेकोस्लोवाकिया गणतंत्र के व्यापारिक प्रतिनिधि।	६५, गोल्फ लिंक एरिया, पो० बा० ३१३ नयी दिल्ली।
	(२) चेकोस्लोवाक गणतंत्र के व्यापारिक प्रतिनिधि, बम्बई शाखा।	कस्तूरी बिल्डिंग्स, जमशेद जी टाटा रोड, बम्बई-१।
	(३) चेकोस्लोवाक गणतंत्र के व्यापारिक प्रतिनिधि, कलकत्ता शाखा।	पी० ३८, मिशन रो एक्सटेन्शन, कलकत्ता १३।
	(४) चेकोस्लोवाक गणतंत्र के व्यापारिक प्रतिनिधि, मद्रास शाखा।	२५/५, माउंट रोड, मद्रास-२।
११. जापान	भारत में जापानी राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक)।	प्लाट नं० ४ और ५, ब्लाक ५०-जी, चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली।
१२. डेनमार्क	भारत में डेनमार्क के व्यापार कमिश्नर।	पोलोन्जी मैनशन, न्यू कैफे परेड, कोलाबा, बम्बई-५
१३. तुर्की	भारत में तुर्की दूतावास के व्यापारिक एटेची।	होटल अम्बेसेडर, नयी दिल्ली।

देश	पद	पता
१४. नारवे	(१) भारत में नारवे दूतावास के व्यापार कमिश्नर।	इम्पीरियल चेम्बर्स, विलसन रोड, बालार्ड ऐस्टेट पो० ग्रा० बा० नं० २६४, बम्बई-१।
	(२) भारत में नारवे दूतावास के सहायक व्यापार कमिश्नर।	१४, नेताजी सुभाष रोड, पो०बा० २२११, कलकत्ता
१५. नीदरलैण्ड	भारत में नीदरलैण्ड राजदूतावास के व्यापारिक एटैची।	२६८, बाजार गेट स्ट्रीट, बम्बई।
१६. न्यूजीलैण्ड	भारत में न्यूजीलैण्ड सरकार के व्यापार कमिश्नर।	मरकैंटाइल बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, महात्मा गांधी रोड, बम्बई-१।
१७. प० जर्मनी	(१) भारत में जर्मनी के संघीय गणराज्य दूतावास के व्यापारिक कौंसलर।	८६, सुन्दर नगर, मथुरा रोड, नयी दिल्ली।
	(२) जर्मनी के संघीय गणराज्य के कौंसल जनरल।	रूसी मैन्शन, २९ वुडहाउस रोड कोलाबा, बम्बई-१५
	(३) जर्मनी के संघीय गणराज्य के कौंसल जनरल।	५९-सी, चौरंगी रोड, कलकत्ता।
	(४) जर्मनी के संघीय गणराज्य के कौंसल जनरल।	बम्बे म्यूचुअल बिल्डिंग, ३७८, नेताजी बोस रोड, मद्रास।
१८. पाकिस्तान	भारत में पाकिस्तान हाई कमीशन के व्यापारिक सेक्रेटरी।	शेरशाह रोड मेस, नयी दिल्ली।
१९. पूर्वी जर्मनी	(१) जर्मनी के प्रजातान्त्रिक गणराज्य के व्यापार प्रतिनिधि।	२३, करजन रोड, नयी दिल्ली।
	(२) जर्मनी के प्रजातान्त्रिक गणराज्य के व्यापार प्रतिनिधि।	मिस्त्री भवन २२, दीनशावाचा रोड, बम्बई रिक्लेमेशन, बम्बई १।
२०. पोलैण्ड	(१) भारत में पोलिश गणतंत्र के राजदूतावास के व्यापारिक कौंसलर।	४२-४४, सुन्दर नगर, नई दिल्ली।
	(२) भारत में पोलिश गणतन्त्र के व्यापार प्रतिनिधि।	४०/ए, पेडर रोड, जुगलकिशोर बिल्डिंग, बम्बई-२६
	(३) भारत में पोलिश गणतन्त्र के व्यापार प्रतिनिधि।	२८, स्टीफन कोर्ट, १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता।
२१. फिनलैण्ड	(१) भारत में फिनिश लीगेशन के व्यापारिक कौंसलर।	१, हुमायूँ रोड, नयी दिल्ली।
	(२) भारत में फ्रेंच राजदूतावास के आर्थिक मामलों के कौंसलर।	२, औरंगजेब रोड, नयी दिल्ली।
२२. फ्रांस	(१) भारत में फ्रेंच राजदूतावास के व्यापार कमिश्नर।	'अडेल्फी बिल्डिंग, क्वीन्स रोड, बम्बई १।
	(२) भारत में फ्रेंच राजदूतावास के व्यापार कमिश्नर।	पार्क मैन्शन्स, १३, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता।
	(३) भारत में फ्रेंच राजदूतावास के व्यापार कमिश्नर।	मद्रास क्लब, मद्रास।
२३. बर्मा	(१) भारत में बर्मी राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रटरी (व्यापारिक)।	२, किचनर रोड, नयी दिल्ली।
	(२) सहायक व्यापार कमिश्नर।	१२, डलहौजी स्क्वायर ईस्ट, कलकत्ता।
२४. बलगेरिया	(१) व्यापार प्रतिनिधि।	१६८, गोल्फ लिंक एरिया, नई दिल्ली।
	(२) भारत में बलगेरियन गणतन्त्र के सहायक व्यापार प्रतिनिधि।	"कामनवेल्थ" बिल्डिंग नारीमन पॉइंट, मरीन ड्राईव, बम्बई-१।
२५. ब्रिटेन	(१) भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर के आर्थिक सलाहकार और भारत में ब्रिटेन के सीनियर व्यापार कमिश्नर।	६, तीस जनवरी मार्ग, नयी दिल्ली।
	(२) बम्बई में ब्रिटेन के मुख्य व्यापार कमिश्नर।	पो० ग्रा० बा० नं० ८१५, महात्मा गांधी रोड, बम्बई-१।
	(३) कलकत्ता में ब्रिटेन के मुख्य व्यापार कमिश्नर।	१, हैरिंगटन स्ट्रीट, कलकत्ता—१६।
	(४) मद्रास में ब्रिटेन के व्यापार कमिश्नर।	पो० बा० नं० १५७५, आरमीनियन स्ट्रीट, मद्रास।

देश	पद	पता
२६. बेलजियम	भारत में बेलजियम राजदूतावास के व्यापारिक कौंसलर।	थियेटर कम्यूनिकेशन बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नयी दिल्ली।
२७. मिस्र	भारत में मिस्री राजदूतावास के व्यापारिक एटेची।	कमरा नं० ३६, स्विस होटल, दिल्ली।
२८. रूमानिया	भारत में रूमानिया के व्यापार प्रतिनिधि।	स्टीलक्रीट हाउस, दीनशावाचा रोड, चर्च गेट रीक्लेमेशन, बम्बई-१।
२९. रूस	(१) भारत में रूस के व्यापार प्रतिनिधि।	ट्रावनकोर हाउस, नयी दिल्ली।
	(२) भारत में रूस के व्यापार प्रतिनिधि।	४, कमैक स्ट्रीट, कलकत्ता और १ विशप लेद्राय रोड, कलकत्ता।
	(३) भारत में रूस के व्यापार प्रतिनिधि।	वसुन्धरा हाउस, बम्बई-२६।
३०. लङ्का	भारत में लंका के व्यापार कमिश्नर।	सीलोन हाउस, ब्रूस स्ट्रीट, फोर्ट बम्बई-१।
३१. स्पेन	भारत में स्पेन के सहायक व्यापार कमिश्नर।	"मिस्त्री कोर्ट", दीनशा वाचा रोड, चर्च गेट रीक्लेमेशन, बम्बई।
३२. स्विट्जरलैण्ड	(१) भारत में स्विस लीगेशन के व्यापारिक सेक्रेटरी।	थियेटर कम्यूनिकेशन बिल्डिंग नं० १, रैडियल रोड, नयी दिल्ली।
	(२) भारत में स्विस व्यापार कमिश्नर।	प्राइम एश्योरेन्स हाउस, पो. आ. बा. १०२, सर पी० एम० रोड, बम्बई-१।
३३. स्वीडन	स्वीडन के व्यापार कमिश्नर।	इन्डियन मरकैन्टाइल चैम्बर्स, निकल रोड, बैलार्ड इस्टेट, बम्बई।
३४. हंगरी	(१) भारत में हंगेरियन लीगेशन के व्यापारिक कौंसलर और व्यापार प्रतिनिधि।	१०, पूसा रोड, ब्लाक नं० ११, नारदर्न एक्सटेन्शन एरिया, नई देहली।
	(२) भारत में हंगेरियन लीगेशन का व्यापार कमीशन।	रेयिल्स ४५, केफे परेड, बम्बई ५.

सूचना :—जिन देशों के अलग व्यापार-प्रतिनिधि नहीं हैं, उनके व्यापार हितों का ध्यान, भारत में स्थित उनके राजनीतिक और अथवा कौंसलर विभाग रखते हैं।

कार्यालय का पता :—५४२, उद्योग भवन, किंग एडवर्ड रोड, नयी दिल्ली।

फोन नं० ३२५३७

१. विदेशी विनिमय का उपार्जन।
२. देश में निर्यात भावना उत्पन्न की जाय।
३. प्राचीन काल में भारत का निर्यात व्यापार
४. दस्तकारियों के विविध उत्पादन और उनका [illegible]

निर्यात-विशेषांक

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली

(५५२, उद्योग भवन, किंग एडवर्ड रोड)

मूल्य ।।) या ५० नये पैसे

भारत में बना हुआ जहाज। हमारे निर्यात व्यापार में जहाजों का प्रधान भाग होता है।

जुलाई
१९५८

मुद्रक :—गंगा प्रिंटिंग प्रेस, ४१, बस्ती हरफूलसिंह, दिल्ली।

ग्राहकों को सूचना

डाक टिकट न भेजिये

उद्योग व्यापार पत्रिका की फुटकर प्रतियां मंगाने के लिये हमारे कार्यालय मे प्रायः ही डाक के टिकट भेज दिये जाते हैं। अपने प्रेमी ग्राहकों से हमारा यह विनम्र निवेदन है कि वे भविष्य मे कृपया डाक के टिकट न भेजें। इसके बदले मे वे पोस्टल आर्डर अथवा मनी आर्डर से मूल्य भेजा करें। ऐसी दशा में उनका मूल्य कार्यालय में सुरक्षित पहुंच जायगा और प्रतियां भी जल्दी भेजी जा सकेंगी।

इसलिये भविष्य में कोई सज्जन डाक टिकट न भेजें और मूल्य पोस्टल आर्डर अथवा मनी आर्डर द्वारा ही भेजने की कृपा करें।

सम्पादक, उद्योग-व्यापार पत्रिका,
वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय सूची

भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय के प्रकाशन-सम्पादक द्वारा प्रकाशित।

सूचना—इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का सम्बन्ध, जब तक विशेषतः स्पष्ट न लिखा जाय, भारत-सरकार अथवा उसके किसी भी मन्त्रालय से नहीं होगा।

कार्यालय का पता—५४२, उद्योग भवन, किंग एडवर्ड रोड, नयी दिल्ली।

विभिन्न देशों के साथ व्यापार करारों पर हस्ताक्षर।

व्यापारे वसति लक्ष्मी

व्यापार और उद्योग उप-मन्त्री श्री सतीशचन्द्र के नेतृत्व में यह शिष्ट - मण्डल यूरोप गया है।

'विदेशी विनिमय की समस्या सुलझाने का एकमात्र उपाय निर्यात को बढ़ाना ही है, क्योंकि हमें शीघ्र ही अपने पैरों पर खड़े हो जाना चाहिए। इस प्रकार इसका महत्व स्पष्ट ही है और हम सबको अपना निर्यात बढ़ाने में जुट जाना चाहिए।'

'कभी कभी पर्याप्त त्याग करके ही निर्यात किया जा सकता है। अन्य देशों ने संसार के बाजारों में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के लिये निर्यात के जो प्रयत्न किये हैं उनका यदि हम अध्ययन करें तो हमें बहुत सी शिक्षाएं मिल सकेंगी। प्रत्येक उद्योग को इसे ध्यान में रखते हुए अपना संगठन करना चाहिए। इसके साथ ही हमें समस्त देश में निर्यात के पक्ष में चेतना उत्पन्न करनी चाहिए।''

लाल बहादुर

(लाल बहादुर)

उद्योग-व्यापार पत्रिका

उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बम्बई और जम्मू-काश्मीर
के शिक्षा विभागों द्वारा शिक्षा-संस्थाओं और पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत

वर्ष ६] नयी दिल्ली, जुलाई १९५८ [अङ्क १

प्रस्तुत विशेषांक

इस समय हमारे आर्थिक जीवन में एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार जो विकास कार्य आगे बढ़ता चला जा रहा था उसके लिये विदेशों से मशीनें,कच्चा माल आदि मंगाने की आवश्यकता है और इनके लिये विदेशी विनिमय चाहिए। विदेशी विनिमय प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि हम विदेशों में अपना अधिक से अधिक माल बेचें और उसके मूल्य स्वरूप विदेशी विनिमय का उपार्जन करें। विदेशों को माल का निर्यात हम प्राचीन काल से करते आये हैं। परन्तु आज हमें इस निर्यात में संवर्द्धन करने की भारी आवश्यकता है।

उद्योग व्यापार पत्रिका के गत कई अंकों में हम निर्यात संवर्द्धन के विषय में लेख प्रकाशित कर चुके हैं। प्रस्तुत विशेषांक में यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि देश में निर्यात भावना उत्पन्न करने की कितनी आवश्यकता है। इसे पूर्ण करने के लिये प्रस्तुत विशेषांक में निर्यात करने की प्रणाली, नियम तथा अन्य आवश्यक विषयों पर प्रकाश डाला गया है। आशा है इनकी सहायता से लोगों को निर्यात सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो सकेगा और वे देश में व्यापार करने के साथ विदेशों में भी अपना माल बेच कर अपना हित साधन करने के साथ देश का भी हित साधन करेंगे।

विदेशी व्यापार में भारतीय अति प्राचीन काल से प्रवीण रहे हैं। भारत के जहाज अनेक बहुमूल्य वस्तुएं लेकर यदि पश्चिम में मिस्र, बेबीलन, रोम, अरब, ईरान, इराक आदि को जाते थे तो पूर्व में सुमात्रा, जावा, बाली, थाई देश, बरमा, चम्पा, काम्बोज तक माल पहुंचाते थे। इस विदेशी व्यापार के फलस्वरूप भारत में विदेशों से विपुल सम्पत्ति आया करती थी जिससे उसकी श्री और समृद्धि में वृद्धि होती थी। आज फिर ऐसा अवसर आ गया है जब भारतीय विदेशों से सम्पत्ति लाकर भारत की श्री और समृद्धि बढ़ाएं। आशा है वे ऐसा अवश्य करेंगे और यदि ऐसा करने में उन्हें प्रस्तुत विशेषांक से थोड़ी सी भी सहायता मिली तो हमारा श्रम सफल हो जायगा।

—सम्पादक
उद्योग व्यापार पत्रिका।

विदेशी विनिमय का उपार्जन और निर्यात जोखिम बीमा

★ श्री लालबहादुर शास्त्री, वाणिज्य और उद्योग मन्त्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

हमने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना बड़ी ही खुशी के साथ समाप्त की थी और उसमें प्राप्त हुई सफलता ने हमारे हृदयों में विश्वास की भावना उत्पन्न कर दी थी। परन्तु द्वितीय योजना को लेकर हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाये थे जब हमारे आगे कठिनाइयां आने लगीं और आप सभी जानते हैं कि विदेशी विनिमय की भारी कमी हमारे सामने आ गई। इसका प्रभाव विभिन्न दिशाओं में होना स्वाभाविक ही था। सरकार ने मौजूदा कठिनाइयों को दूर करने के सभी सम्भव प्रयत्न किये हैं और विविध साधनों से मिली सहायता के फलस्वरूप स्थिति सुधरती दिखाई दे रही है। फिर भी विदेशी विनिमय की समस्या सुलझाने का एकमात्र सच्चा उपाय निर्यात को बढ़ाना ही है, क्योंकि हमें शीघ्र ही अपने पैरों पर खड़े हो जाना चाहिए। इस प्रकार इसका महत्व स्पष्ट ही है और हम सबको अपना निर्यात बढ़ाने में जुट जाना चाहिए।

पहले चाय, जूट, खनिज पदार्थ और कपड़ा जैसी निर्यात की परम्परागत वस्तुओं को लीजिये। इन सभी का निर्यात पिछले वर्षों की तुलना में कम रहा है। यह ठीक है कि चाय जैसी कुछ वस्तुओं की मांग घटती बढ़ती रही है। परन्तु इसी कारण हमें लापरवाह नहीं हो जाना चाहिए। सच तो यह है कि उद्योगों और सरकार दोनों के ही द्वारा निर्यात व्यापार बढ़ाने के पूरे प्रयत्न किये जाने चाहिएं।

विदेशों को शिष्टमण्डल भेजे जांय

विभिन्न उद्योगों की ओर से विदेशों को शिष्टमण्डल भेजे जाने चाहिएं जिससे उनके द्वारा बनाये गये माल का निर्यात बढ़ाया जा सके। उन्हें अपने माल का प्रचार करके उसकी खपत के लिये वहां बाजार बना लेना चाहिए। ये शिष्टमण्डल बड़े होने ही आवश्यक नहीं हैं। अच्छा तो यह होगा कि विभिन्न सम्बद्ध उद्योगों के मिले जुले शिष्टमण्डल भेजे जाय। चाय, जूट और अन्य उद्योगों के प्रतिनिधियों का एक शिष्टमण्डल हाल में ही रूस, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी और कुछ अन्य देशों को गया है। इसके नेता वाणिज्य और उद्योग उपमन्त्री हैं। इसी प्रकार खनिज पदार्थों के प्रतिनिधियों का भी एक शिष्टमण्डल विदेशों को भेजा जाना चाहिये। हमारे ऊंची किस्म के खनिज पदार्थ विदेशों में खपने चाहिए। इन शिष्टमण्डलों के द्वारा हम यह भी जान सकेंगे कि हमारे माल का आयात करने वाले देशों की क्या कठिनाइयां तथा आवश्यकताएं हैं और उन्हें दूर करके उन देशों को किस प्रकार सन्तुष्ट किया जा सकता है।

सूती कपड़े का निर्यात भी अनेक दृष्टियों से बहुत आवश्यक है। सूती कपड़े की स्थिति भी ऐसी है कि हमारे यहां जमा स्टाक का काफी बड़ा भाग निर्यात करके उसे खपाया जा सकता है। परन्तु इस बारे में यह सावधानी रखनी होगी कि निर्यात के कारण देश में कपड़े के मूल्य चढ़ न जाएं। इस समस्या की ओर कपड़ा उद्योग को ध्यान देना होगा। मैं तो केवल यही कह सकता हूँ कि कभी-कभी पर्याप्त त्याग करके ही निर्यात किया जा सकता है। अन्य देशों ने संसार के बाजारों में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के लिये निर्यात के जो प्रयत्न किये हैं उनका यदि हम अध्ययन करें तो हमें बहुत सी शिक्षाएं मिल सकेंगी। प्रत्येक उद्योग को इसे ध्यान में रखते हुए अपना संगठन करना चाहिए। इसके साथ ही हमें समस्त देश में निर्यात के पक्ष में चेतना उत्पन्न करनी है। हम जानते हैं कि एक अन्य देश में जब निर्यात के मार्ग में भारी कठिनाइयां उठ खड़ी हुई थीं तो निर्यात को सबसे ऊंची प्राथमिकता दे दी गई थी और 'निर्यात अथवा नाश' का नारा तक लगाया गया था।

मेरा यह अभिप्राय नहीं कि सभी कठिनाइयां उद्योगों द्वारा ही दूर की जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में सरकार को भी अपना कर्त्तव्य करना है। वह निर्यात सम्वर्द्धन को प्रोत्साहन दे रही है परन्तु कई अन्य दिशाओं में भी वह और भी सहायता दे सकती है। उदाहरण के लिये हमारे देश के परिवहन साधनों की ढुलाई की दरों में ऐसा हेरफेर कर देना चाहिए कि उनसे निर्यात को प्रोत्साहन मिले।

हमारे माल की प्रसिद्धि

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारा निर्यात व्यापार बहुत कुछ विदेशों में होने वाली हमारी प्रसिद्धि पर निर्भर रहता है। हमारे माल की किस्म, समय पर माल देना, दरों तथा मूल्यों का निर्धारण इत्यादि सभी ऊंचे दर्जे के होने चाहिएं जिससे संसार के बाजारों में हमारी साख अच्छी बनी रहे। हमारे व्यापार प्रतिनिधियों को भी अत्यन्त चौकस रहना चाहिए। उन्हें बाजारों से घनिष्ठ सम्पर्क रखना चाहिए और अपने क्षेत्र की मांग तथा आवश्यकताओं और लोगों की रुचियों में होने वाले परिवर्तनों को बराबर देखते रहना चाहिए। उनके ऊपर इस समय विशेष भार है। हमें उनसे बराबर होने वाले परिवर्तनों का विस्तृत विवरण मिलता रहना चाहिये। इसके अतिरिक्त उन्हें हमारे माल के लिये रुचि और मांग पैदा करने में भी सहायता देनी चाहिए।

ऊपर जो कुछ कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए निर्यात जोखिम बीमा का प्रश्न और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिये निर्यात जोखिम बीमा निगम की स्थापना ठीक दिशा में उठाया गया कदम है, यद्यपि अब तक इससे पर्याप्त लाभ नहीं उठाया गया है। इस सम्बन्ध में जो केन्द्रीय सलाहकार परिषद् बनायी गयी है आशा है उससे निगम को बहुत सहायता मिलेगी। इस परिषद् का मुख्य कार्य निगम को निर्यात व्यापार की बीमा सम्बन्धी आवश्यकताओं, निर्यात व्यापार में होने वाले परिवर्तनों और नयी परिस्थितियों के अनुरूप किये जाने वाले उपायों के बारे में परामर्श देना होगा। बीमा सम्बन्धी आवश्यकताओं से मेरा अभिप्राय उन जोखिमों के बीमा से है जिनका बीमा साधारण बीमा कम्पनियां अभी नहीं करतीं।

जोखिम में साझीदार

सभी बीमा करने वाले यह चाहते हैं कि जिन निर्यातकों के माल का बीमा किया जाता है वे भी जोखिम उठाने में साझीदार बनें। यह आवश्यक भी है क्योंकि किसी भी दावे का भुगतान हो जाने के बाद खरीदार से माल का मूल्य वसूल करना होता है और निर्यातक की सहायता के बिना कोई भी बीमाकर्त्ता यह वसूली नहीं कर सकता। बीमाकर्त्ता को प्रत्येक कदम पर निर्यातक की सहायता लेनी पड़ती है यदि निर्यातक द्वारा उठाई गई सारी हानि को बीमाकर्त्ता पूरा कर दे तो निर्यातक को मूल्य वसूल करने में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। निर्यातक की यह दिलचस्पी बनाये रखने के लिये सौदों में निर्यातक का कुछ हित अवश्य बना रहना चाहिए। इसीलिये बीमाकर्त्ता केवल जोखिम के एक भाग का ही बीमा करता है। निगम व्यापारिक कारणों से होने वाली ८० प्रतिशत तक और राजनीतिक कारणों से होने वाली ८५ प्रतिशत तक की हानि का बीमा करता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारण्टी कमेटी की सिफारिश पर ये प्रतिशत निश्चित किये गये हैं और जानकारी उपलब्ध न होने के कारण तदर्थ आधार पर किये जाते हैं। मैं निर्यातकों से अपील करता हूँ कि वे बदली में निगम की सहायता करें। यदि कुछ दिनों काम करने के बाद निगम ने देखा कि उसे में आवश्यक सहायता मिल रही है तो वह यह प्रतिशत बढ़ा दे सकता है।

यदि निर्यातकों को आसानी के साथ निर्यात के लिये वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध हों तो निर्यात में अधिक आसानी से वृद्धि हो सकती है। निर्यातक सामान्यतः यह अनुभव कर रहे हैं कि ये सुविधाएं आवश्यकतानुसार उपलब्ध नहीं हैं। मेरे पूर्ववर्ती वाणिज्य मन्त्री श्री मोरार जी देसाई ने निगम का उद्घाटन करते समय बैंकों से अनुरोध किया था कि वे बीमाकृत निर्यातकों के लिये निर्यात वित्त सुविधाएं उपलब्ध करें। उन्होंने यह भी बताया था कि अन्य देशों में बीमाकृत निर्यातकों को बैंकों से ये सुविधाएं अधिक आसानी से उपलब्ध हैं। भारतीय बैंक भी ये सुविधाएं दे रहे हैं परन्तु क्या पालिसियों के मूल्य को अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में स्वीकार कर लेना भी उनके लिये वांछनीय नहीं होगा?

निर्यात-वित्त पर प्रभाव डालने वाले तथ्यों का विवेचन कर लेने से स्थिति स्पष्ट हो जायगी। यदि निर्यातक बैंकों की कठिनाइयों को समझ सकें और यदि बैंक निर्यात जोखिम बीमा निगम के कार्य को समझ सकें तो बहुत से भ्रम दूर होने में सहायता मिलेगी और निर्यात बढ़ाने के लिये वित्तीय सुविधाएं अधिक सरलता से हो सकेंगी। किसी भी बैंक को चाहे वह सरकारी हो अथवा गैरसरकारी, भारतीय हो या अभारतीय व्यापारिक आधार पर ही काम करना होता है। ऋण देने अथवा रुपया लगाने से पहले उसे यह सन्तोष कर लेना होता है कि उसकी रकम सुरक्षित रहेगी और उचित रूप में वसूल हो जायगी। जिन व्यक्तियों की साख के विषय में उसे सन्तोष न हो उन्हें वह रुपया नहीं दे सकता। जहाजी बिल्टी के आधार पर रुपया देते समय बैंक उसमें निहित जोखिमों का ध्यान रखता है। ये जोखिमें अनेक प्रकार की और गम्भीर होती हैं। इसलिये वह केवल उन निर्यातकों को ही ऋण देता है जिनकी वित्तीय हैसियत के बारे में उन्हें कोई सन्देह नहीं होता। इन जोखिमों का जिस सीमा तक बीमा किया जा सकता है और बीमा पालिसी के अंतर्गत जहां तक बैंकों को लाभ हो सकता है वहां तक तो बैंक को निर्यात के लिये वित्त की सुविधाएं तुरन्त उपलब्ध कर देनी चाहिए।

निर्यातकों को भी बैंक का दृष्टिकोण समझ लेना चाहिए। उन्हें भी जान लेना चाहिए कि बीमाकर्त्ता जोखिम की जिम्मेवारी लेता और बीमाशुदा माल की हानि भर देने का वचन देता है। परन्तु इसके साथ ही बीमा कराने वाले पर भी कुछ दायित्व आ जाते हैं और यदि वह उन्हें निभाने में असफल रहता है तो बीमाकर्त्ता भी अपने भार से मुक्त हो जाता है। इसलिये केवल बीमा पालिसी को ही बैंक एकमात्र सुरक्षा साधन नहीं मान सकता। वह तो केवल एक अतिरिक्त जमानत के रूप में ही मानी जा सकती है और यदि पालिसी अतिरिक्त जमानत मानी जाती है तो बीमा कराने वाले की वित्तीय

हैसियत और सामान्य साख के बारे में भी बैंक अवश्य विचार करेगा। ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं, और शायद हुए भी हैं, जब बैंकों ने जहाजी बिल्टियों के आधार पर ऋण देना अस्वीकार कर दिया है। मेरे विचार से ऐसा निर्यात जोखिम बीमा निगम की पालिसी के मूल्य की कद्र न करने के कारण नहीं वरन् सम्भवतः निर्यातक में विश्वास न होने अथवा उसके द्वारा हानि सहन करने की शक्ति के बाहर व्यापार किये जाने के कारण किया गया है। मेरा विश्वास है कि यदि निर्यातक की साख अच्छी हो और वह अपनी शक्ति के भीतर व्यापार करे तो बैंक उसे आवश्यक वित्तीय सुविधाएं दे देगा।

निर्यात संवर्द्धन का प्रश्न बहुत आवश्यक है। इसलिये मेरा सुझाव है कि बैंक इसमें पूरा सहयोग दें। जहां तक उधार की शर्तों पर होने वाले निर्यात की जोखिमों का प्रश्न है उन्हें करने वाले बीमाकृत निर्यातक बैंकों से अधिक सहायता पाने के पात्र हैं। बैंक भी जानते हैं कि निर्यात संवर्द्धन में सहायता करना राष्ट्रीय हित में है इसलिये मैं उनसे आशा करता हूं कि वे इस बारे में अत्यन्त क्रियाशील भाग लेंगे। बीमाकृत निर्यातकों को बैंकों से एक विशेष सुविधा भी मिलनी चाहिए। निगम की पालिसियों के अन्तर्गत किये गये दावों की अदायगी भुगतान की निश्चित तारीख के ६ महीने बाद तक की जा सकती है। यह रिवाज इस निगम का भी है और अन्य बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई पालिसियों के बारे में भी यही दशा है। यदि अदायगी नहीं होती अथवा यदि भारत को रुपया भेजने में विलम्ब हो जाता है तो बैंक निर्यातकों से तत्काल रकम वसूल कर लेते हैं। इससे उन्हें भारी असुविधा होती है। उनकी चालू पूंजी फंस जाती है और उनके लिये अपना निर्यात जारी रखना कठिन हो जाता है। क्या बैंकों के लिये यह सम्भव नहीं है कि वे बीमाकृत निर्यातकों से असली रकम वसूल करना तब तक के लिये स्थगित रखें जब तक कि उनके दावे की रकम अदा होने तारीख न आ जाय। यदि बैंक ६ महीने के लिये प्रतीक्षा कर लें तो की उन्हें कोई हानि नहीं होगी। दिये हुए ऋण पर निगम द्वारा अदायगी होने तक का ब्याज चढ़ता रहेगा और निर्यातक से यह ब्याज देने को कहा जा सकता है। बैंक निगम से दावों की पुष्टि करा के अपनी रकम को और भी सुरक्षित कर ले सकते हैं। इस रियायत से निर्यातक की चालू पूंजी नहीं फंसेगी और वह अपना निर्यात व्यापार बराबर जारी रख सकेगा। इसके फलस्वरूप बैंकों को भी अधिक कामकाज करने का अवसर मिलेगा। आशा है बैंक इस सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

निर्यातकों के समस्त वर्ग को देखते हुए अब तक उनमें से जितनों ने अपना बीमा कराया है उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। यद्यपि अब तक १०० पालिसियां भी जारी नहीं की गई हैं तथापि अब तक हुई प्रगति उत्साहजनक है, क्योंकि उधार बीमा का व्यवसाय इस देश में अभी नया ही है। बीमा का विरोध किया जाना साधारण सी बात है। अन्य प्रकार के बीमों को भी कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। परन्तु बीमा करने वालों के जोरदार तथा लगातार किये गये प्रयत्नों से यह प्रतिरोध घटता जा रहा है। इसलिये इस जोखिम बीमा को लोकप्रिय करने लिये भी निगम को भाम प्रयत्न करने होंगे। इस निगम की व्यवस्था का काम भी कठिन है। उसे न केवल साधारण प्रतिरोध का ही सामना करना है वरन् उधार बीमा के सिद्धान्तों से निर्यातकों के अनभिज्ञ होने के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां भी दूर करनी होंगी। निर्यातकों द्वारा पैदा की गई पेचीदी समस्याओं के हल भी उसे निकालने होंगे। बीमा किये गये व्यक्ति से पालिसी के कारण उस पर आने वाले दायित्वों का पालन करा लेना भी आसान नहीं है। परन्तु ये सब कठिनाइयां नई नहीं हैं। जो भी व्यक्ति या संस्था किसी भी क्षेत्र में कोई नई बात करती है तो उसे ऐसी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परन्तु धैर्यपूर्वक प्रयत्न करके उन्हें दूर कर लिया जाता है।

(वाणिज्य और उद्योग मन्त्री द्वारा १७-५-५८ को बम्बई में दिये गये एक भाषण के आधार पर)

देश में निर्यात भावना उत्पन्न की जाय

★ ले० श्री कृष्णबिहारी लाल, आई० सी० एस०।

आज हम अपना निर्यात बढ़ाने पर विशेषतः जोर दे रहे हैं। इसका कारण भी सीधासादा और साफ है। हमें अपना विकास कार्य आगे बढ़ाने के लिये विदेशों से मशीनें, कच्चा माल और बहुत सी दूसरी चीजें मंगानी पड़ रही हैं जिनका मूल्य चुकाने के लिये हमें विदेशी मुद्रा की बहुत आवश्यकता है। यह विदेशी मुद्रा अधिक परिमाण में केवल दो उपायों से प्राप्त हो सकती है। एक तो आयात को घटा कर जिसका मूल्य हमें विदेशी विनिमय में भुगतान करके चुकाना पड़ता है, और दूसरे निर्यात को बढ़ाकर जिसके मूल्यस्वरूप हम अधिक परिमाण में विदेशी विनिमय कमा सकते हैं।

आयात को घटा देना और निर्यात को बढ़ा देना साधारण कार्य नहीं है। इसे बड़ी सावधानी के साथ योजना बनाकर और अनेक सम्बद्ध हितों से परामर्श करके ही किया जा सकता है। आयात घटाने के के लिये विशेष नीति निर्धारित करनी होती है और इस सम्बन्ध में भली प्रकार विचार कर लिया जाता है कि उससे जन साधारण को कोई कठिनाई न हो। इतना ही नहीं यह भी ध्यान रखना होता है कि उस नीति के फलस्वरूप हमारे पास उपलब्ध विदेशी विनिमय का उचित और लाभदायक रूप में वितरण हो सके और साथ ही देश के उद्योग-धन्धों के उत्पादन में भी वृद्धि हो। सच तो यह है कि आयात नीति निर्धारित करते समय जहां एक ओर यह ध्यान रखा जाता है कि उसके द्वारा अधिक से अधिक विदेशी विनिमय की बचत की जाय वहां दूसरी ओर यह भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि देश के उद्योग धन्धों को प्रोत्साहित होने का अवसर मिले। एक उदाहरण लीजिये। भारत विदेशों से बिजली के पंखे मंगाता था। इनके आयात पर प्रतिबन्ध लगाया गया जिसका फल यह हुआ कि जहां एक ओर विदेशी विनिमय की बचत हुई वहां देश में बिजली के पंखे तैयार करने का उद्योग पनप गया और अब वह इस स्थिति में है कि देश की मांग पूरी करने के साथ थोड़ा माल विदेशों को भी निर्यात कर सकता है। अब इसके साथ यह भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि विदेशों से बिजली के पंखों का आना बन्द हो जाने के कारण देशी पंखा निर्माता अपने दाम अनाप-शनाप न चढ़ा दें अथवा खराब माल तैयार न करने लगें। ये दोनों ही बातें जनता के लिए कष्टकर सिद्ध हो सकती है। इसलिए इस बारे में विशेष सावधानी बरती जाती है और इनकी रोकथाम के विशेष उपाय किये जाते हैं। एक रुपया बचा लेना एक रुपया कमा लेने के बराबर ही होता है। इसलिये आयात घटा कर विदेशी विनिमय की जो बचत होती है वह एक प्रकार से विदेशी विनिमय का उपार्जन कर लेने के बराबर ही मानी जा सकती है।

श्री कृष्ण बिहारी लाल, आई० सी० एस०

निर्यात पर जोर क्यों ?

विदेशी विनिमय के उपार्जन का सीधा उपाय है निर्यात को बढ़ाना। आजकल निर्यात बढ़ाने पर जो विशेष बल दिया जा रहा है उसका कारण यही है कि हमें अपने विकास कार्यों के लिये अधिक से अधिक विदेशी विनिमय प्राप्त करना है।

विकास के लिये आवश्यक विदेशी विनिमय का परिमाण सामान्यतः विकास योजनाओं के रूप पर निर्भर होता है। हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था। इसलिये उस पर व्यय होने वाली २००० करोड़ रुपये की राशि में विदेशी मुद्रा का भाग लगभग ११ प्रतिशत ही था। द्वितीय योजना में उद्योगो के विकास पर बल दिया गया। अतः उसके आरम्भ में यह अनुमान लगाया गया था कि उसके व्यय में विदेशी विनिमय का भाग लगभग १७ प्रतिशत होगा। इस्पात के दाम चढ़ जाने, मजदूरी बढ़ जाने, मशीनें तथा कच्चा माल भेजने वाले देशों में मुद्रा प्रसार हो जाने आदि अनेक अप्रत्याशित कारणों से यह भाग बढ़कर लगभग ३० प्रतिशत हो गया। जिन महत्वपूर्ण प्रायोजनाओं के लिये विदेशी विनिमय की आवश्यकता है उनमें लोहे तथा

इस्पात के संयन्त्र, दक्षिण आरकाट लिगनाइट प्रायोजना, सिन्दरी और नागल के उर्वरक कारखाने, भोपाल का भारी वैद्युत संयंत्र आदि उल्लेखनीय हैं। केवल इस्पात संयंत्रों के लिए ही अब ३०१.५७ करोड़ रु० के विदेशी विनिमय की आवश्यकता है। दक्षिणी आरकाट लिगनाइट प्रायोजना के लिये २६ करोड़ रु०का विदेशी विनिमय चाहिये। सिन्दरी के उर्वरक कारखाने में विस्तार करने के लिये ५.५ करोड़ रु० के, नागल के उर्वरक कारखाने के लिये १२.५ करोड़ रु० के, भोपाल के भारी वैद्युत संयन्त्र के लिये ४.८ करोड़ रु० के, रूरकेला उर्वरक कारखाने लिये १२ करोड़ के विदेशी विनिमय की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सी प्रायोजनाओं के लिये भी बहुत अधिक विदेशी विनिमय चाहिए। फिर निजी क्षेत्र के कारखानों का तो यहा उल्लेख ही नहीं किया गया है। उनके लिये मशीनें और कच्चा माल मगाने के लिये बहुत बड़े परिमाण में विदेशी विनिमय चाहिये।

पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत होने वाले विकास कार्यों को रोकने का अर्थ होगा देश की प्रगति में बाधा डाल देना। इसलिये जैसे भी हो हमें अधिक से अधिक विदेशी विनिमय जुटाना चाहिए। निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार ने अनेक उपाय किये हैं, परन्तु केवल सरकारी प्रयत्न ही काफी नहीं हो सकते। इसके लिये गैर सरकारी प्रयत्न भी आवश्यक हैं। सच तो यह है कि हमें देश में सर्वत्र निर्यात की भावना उत्पन्न करनी है। अब तक जिन व्यापारियों ने निर्यात करने का विचार नहीं किया है उन्हें भी सोचना चाहिए कि वे इस बारे में क्या योग दे सकते हैं। इसी तरह औद्योगिकों को भी सोचना चाहिए कि वे ऐसी कौनसी वस्तुएं तैयार कर सकते है जो विदेशों म बेची जा सकें।

निर्यात की नयी तथा पुरानी वस्तुएं

हमारी निर्यात की वस्तुएं दो भागों में बांटी जा सकती हैं। एक तो वे जिनका हम बहुत पहले से निर्यात करते आ रहे हैं। रुई इत्यादि कच्चा माल, जूट की वस्तुएं, चाय आदि इनमें प्रमुख हैं। इनका निर्यात बढाने के यत्न भी हो सकते हैं। पर यह भी स्पष्ट है कि इनका निर्यात बहुत अधिक सीमा तक नहीं बढाया जा सकता। इसलिये हमारे औद्योगिकों को यह सोचना चाहिए कि वे ऐसी कौन सी नई चीजें तैयार करें जिन्हें सफलतापूर्वक विदेशों में खपाया जा सके। इस बारे में दो बातें निराशा उत्पन्न कर सकती हैं। एक तो यह कि हमारे यहा औद्योगिक और वैज्ञानिक गवेषणा का काम अभी बहुत ऊचे पैमाने पर नहीं हो रहा है। इसलिए हम आसानी से ऐसी कोई नई चीजें नहीं बना सकते जिन्हें दूसरे देशों ने न बना लिया हो। पर इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए। औद्योगिक गवेषणा कुछ सीमा तक तो देश में हो रही है पर इसमें जो कमी है वह पूरी की जा सकती है। अगर अनेक कारखाने मिल कर इस काम को उठायें तो लाभ हो सकता है। दूसरी निराशा यह देख कर हो सकती है कि हमारा माल दूसरे देशों के माल के मुकाबिले प्रतिस्पर्धा म न टिक सके। इस विचार में तथ्य है और इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। यदि भारतीय माल विदेशी माल से प्रतिस्पर्धा करने में सफल हो जाय तो फिर उसके निर्यात का सदा के लिये अच्छा रास्ता बन जायगा। इसलिये हमारी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि हम ऐसा माल तैयार करें जो किस्म और कीमत दोनों दृष्टियों से अन्य देशों के माल से मुकाबिला कर सके। इसके सिवा हमें उन दूसरी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए जो हमारे माल का निर्यात बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती हैं। उदाहरण के लिये विदेशी व्यापारियों के साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध होने चाहिए। यदि उनका विश्वास हम प्राप्त कर सकें तो वह हमारी वस्तुओं को उनके हाथ बेचने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। इस सम्बन्ध में हमारे निर्यातकों को बड़ी सावधानी के साथ उन तथ्यों को अपने ध्यान में रखना चाहिए जिनकी ओर विदेशों में नियुक्त हमारे व्यापार प्रतिनिधियों ने समय समय पर ध्यान दिलाया है।

आजकल माल की खपत बढ़ाने के लिये विक्रय कला की सबसे अधिक आवश्यकता है। जिस देश के व्यापारी इस कला में जितने अधिक निपुण होते हैं उस देश का उतना ही अधिक माल संसार में खपता है। इसी विक्रय कला के बल पर व्यापारी की साख बनती है। कुशल व्यापारी विदेशी व्यापारियों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने के यत्न करते हैं। इसका फल यह होता है कि माल की खपत के लिये पक्का बाजार मिल जाता है। माल को आकर्षक ढंग से उपस्थित करना भी विक्रय कला का एक महत्वपूर्ण अंग है। उसकी डिजाइनें, किस्में और पैकिंग तक ऐसा होना चाहिए जो बाजार में अन्य देशों के माल के मुकाबिले अपनी ओर ग्राहक का मन खींच ले। मूल्य सदा ऐसे रखने चाहिए जो अन्य देशों के वैसे ही माल के मूल्यों की अपेक्षा कुछ सस्ते ही पड़ें। महगाई बिक्री की दुश्मन है। इसलिये जहा तक सम्भव हो माल की कीमत कम रहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त माल के बारे में प्रचार भी भली प्रकार होना चाहिए। प्रचार के अभाव में कभी कभी अच्छा माल पड़ा रह जाता है और रद्दी हाथों हाथ बिक जाता है। आशा है हमारे व्यापारी बन्धु इस पर विचार करेंगे।

स्वदेशी वस्तुएं काम में लाई जायं

निर्यात बढ़ा कर अथवा आयात घटा कर विदेशी विनिमय के उपार्जन अथवा बचत में व्यापारियों तथा औद्योगिकों के अलावा साधारण जनता भी बहुत सहायता दे सकती है। यदि जनता विदेशी वस्तुओं का प्रयोग छोड़कर केवल स्वदेशी वस्तुओं को ही काम में लाने का निश्चय कर ले तो सरकारी आदेशों अथवा नियमों की अपेक्षा कहीं अधिक सफलता मिल सकती है। इसी तरह यदि वह निर्यात की जा सकने वाली वस्तुओं के प्रयोग में अधिक से अधिक किफायत कर सके तो वे वस्तुएं अधिक परिमाण में निर्यात के लिये उपलब्ध हो सकेंगी और उस दशा में निश्चय ही हमें अधिक विदेशी विनिमय प्राप्त हो सकेगा। यह कोई कठिन काम नहीं है। पर साथ ही यह भी मान लेना चाहिए कि ऐसा

(शेष पृष्ठ ११९६ पर)

प्राचीन काल में भारत का निर्यात व्यापार

★ *पश्चिम में रोम और पूर्व में चीन तक भारतीय माल की खपत।*

हाल में हुए अन्वेषणों एवं गवेषणाओं से सिद्ध हो गया है कि अत्यन्त प्राचीन काल से ही भारत के अन्य देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध चले आ रहे हैं। अब जो प्रमाण मिले हैं उनके द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि पूरी ३० शताब्दियों तक भारत पूर्वी गोलार्द्ध में व्यापार वाणिज्य का प्रसिद्ध केन्द्र बना रहा और उसे व्यापारिक दृष्टि से सर्वाग्रणी देश माना जाता था।

पूर्व वैदिक युग

हड़प्पा और मोहन जोदड़ो तथा दक्षिणी इराक के उर, मेसोपोटामिया के किश तथा ईरान, फिलस्तीन तथा मिस्र के अनेक स्थानों पर हुई खुदाइयों में जो चीजें पाई गई हैं, उनमें जो सभ्यता पाई गई है वह प्रकट करती है कि ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में भी भारत का इन समस्त देशों के साथ समुद्र तथा स्थल मार्गों से सम्बन्ध था। यह सम्बन्ध प्रधानतः व्यापारिक ही था। मोहन जोदड़ो शायद उस समय का एक महान भारतीय बन्दरगाह था जहां से भारत का अधिकांश व्यापार चलता था।

ईसा से ३००० वर्ष पूर्व भारत इन देशों को सीपियों, मनकों तथा बर्तनों का नियमित रूप से निर्यात किया करता था।

वैदिक युग

ऋग्वेद में यद्यपि विदेशों के साथ व्यापार होने का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है तथापि इस आशय के अनेक संकेत उसमें मिलते हैं कि ऋग्वेद काल के आर्य भी सुमेर, मेसोपोटेमिया तथा पश्चिमी एशिया के अन्य देशों के साथ व्यापार किया करते थे। वैदिक छन्दों में लाभ के लिये दूर देशों के साथ व्यापार करने के स्पष्ट उल्लेख हैं। ऋग्वेद में लिखा है कि अर्थ-लाभ की इच्छा से लोग समुद्र यात्रा किया करते थे। ऐसे व्यापार का भी उल्लेख मिलता है जो नौकाओं द्वारा होने वाले व्यापार की अपेक्षा कहीं बड़े पैमाने पर होता था। सौ चप्पू वाले 'शतरित्र' जहाज और पूर्वी तथा पश्चिमी सागरों का भी उल्लेख मिलता है। इनसे स्पष्ट है कि उन दिनों भारत समुद्र द्वारा व्यापार भी करता था। जिन देशों के साथ आर्य व्यापार करते थे उनमें मिस्र, असीरिया और बेबीलन उल्लेखनीय हैं। मलमल, ऊनी कम्बल, हाथी दांत की वस्तुएं, मूल्यवान रत्न आदि भारत से इन देशों को निर्यात होने वाली वस्तुओं में प्रमुख थे। इस विदेशी व्यापार का एकाधिकार 'पाणि' वर्ग के हाथ में था जिनका ऋग्वेद में व्यापारियों के रूप में उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख कई ऋचाओं में किया गया है जिनमें इन लालची और लोभी व्यापारियों के ऊपर देवताओं का कोप होने का वर्णन है।

सिन्धु घाटी सभ्यता से लेकर ऐतिहासिक युग आरम्भ होने तक की अवधि में भारत और पाश्चात्य देशों के बीच व्यापार सम्बन्ध होने का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। फिर भी ऐसे संकेत तो मिले ही हैं जिनसे प्रकट होता है कि ईसा से पूर्व १०वीं शताब्दी में भारत इन देशों के साथ व्यापार करता था। वह अधिकतर विलास सामग्री का निर्यात करता था। इस व्यापार में अरब दलाल के रूप में काम किया करते थे। सम्भवतः अरबों के द्वारा ही शाह सोलोमन ने पूर्व से सोना, चांदी, हाथीदांत, कपि, मयूर और आलमग वृक्ष तथा मूल्यवान रत्न प्राप्त किये थे। यहूदी इतिहासकारों ने लिखा है कि ये ओफर नामक बंदरगाह से भेजे जाते थे जो सम्भवतः आभीर अथवा सौवीर भी हो सकता है। यहूदियों ने जो नाम बताये हैं वे मूल भारतीय नामों से निकले हुए हैं। उदाहरण के लिये यहूदियों ने हाथीदांत को 'शेन हेबिन' लिखा है जो संस्कृत शब्द 'इभ-दांत' का अनुवाद मात्र है। 'आलमग' शब्द शायद तमिल शब्द 'बालगू' से निकला है और यूनानी शब्द 'सेण्टालन' (सन्दल) तो निश्चय ही संस्कृत शब्द 'चन्दन' से निकला है। 'एव' शब्द हिब्रू भाषा का मूल शब्द नहीं वरन् 'कोफ' और शायद संस्कृत शब्द 'कपि' से निकला है। 'थूकी इन' (मयूर) शब्द भी तमिल 'टोकी' से निकला प्रतीत होता है। भाषाशास्त्र के प्रकाश में विचार करने पर भी यह सिद्ध हो जाता है कि भारतीय रुई का भी इस युग में पश्चिमी

एशिया के देशों को निर्यात होता था। प्राचीन असीरियन भाषा में 'सिन्धु' शब्द का प्रयोग रुई के अर्थ में किया गया है और हिब्रू शब्द 'कारपस' तो संस्कृत शब्द 'करपास' से ही निकला प्रतीत होता है। असीरिया के राजा शालमान सर तृतीय (८५८-२४ ईसा पूर्व) द्वारा बनाये गये एक स्तम्भ पर एक कपि, भारतीय हाथी और बेक्ट्रिया के ऊंटों की मूर्तियां अंकित की गई हैं। मुगीर (चिलियों के नगर उर में) के चन्द्र मन्दिर और नेबुकेडनज्जर के राज महल में भारतीय सागोन की लकड़ी पाई गई है। ये दोनों ही स्थान ईसा से पूर्व छठी शताब्दी में बनाये गये थे।

जिस प्रकार आधुनिक युग में यूरोपियनों ने अफ्रीका, भारत और चीन के तटों पर आकर अपनी कोठियां (फैक्टरियां) खोली थीं उसी प्रकार उस युग में अर्द्ध स्थायी रूप से अभिकरण केन्द्र खोले गये थे जहां माल इकट्ठा और भाड़ा वसूल किया जाता था। ऐलम, सुमेर बेबीलोनिया में ऐसे अभिकरण केन्द्र होने के प्रमाण मिले हैं। बेबीलन के एक ऐसे ही केन्द्र से व्यापारी कागज पत्र तथा चिट्ठियां मिली हैं जिनसे सिद्ध होता है कि वहां से भारत के साथ व्यापार होता था।

बौद्ध युग

ईसा से पूर्व छठी शताब्दी में एकीमोनियम साम्राज्य के अन्तर्गत समस्त ईरान, एशिया माइनर, सीरिया, फिनेशिया, मिस्र, और सिन्धु घाटी थी। इन दिनों में भारत तथा पाश्चात्य देशों के बीच घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हुए। साम्राज्य के मार्ग सुरक्षित और शान्ति पूर्ण होने के कारण व्यापार तेजी के साथ बढ़ा। बौद्ध साहित्य को देखने से ज्ञात होता है कि इस युग में भारतीय समुद्र यात्रा को विशेषतः पसन्द करने लगे थे। वे व्यापार तथा संस्कृति का प्रसार और प्रचार करने के लिये दूर देशों की यात्रा करने लगे थे। इस युग में सस्ती तथा लोकप्रिय वस्तुओं का बड़े परिमाण पर मुख्यतः समुद्र द्वारा व्यापार किया जाता था।

इस युग में जिन मार्गों तथा संगठनों की मार्फत व्यापार चलता था। उन पर बौद्ध तथा जैन साहित्य, विशेषतः जातक कथाओं में विशद प्रकाश डाला गया है। बवेरु जातक में बताया गया है कि वाराणसी के व्यापारी बेबीलन को समुद्र मार्ग द्वारा जाते थे। सुप्पारक जातक से ज्ञात होता है कि भारतीय नाविक खुरामाल (ईरान की खाड़ी), अग्निमाल (लाल सागर) और नलम मुख (भूमध्य सागर) से भली भांति परिचित थे। इन दिनों पाश्चात्य देशों को जो वस्तुएं भेजी जाती थीं उनमें कपड़े (मलमल, शाल और कम्बल), कढ़े हुए वस्त्र, चावल, चन्दन, हाथी-दांत, मसाले, नील, रत्न और पशु-पक्षी आदि प्रमुख थे। मिस्र की प्राचीन समाधियों में भारतीय नील तथा लकड़ी पाई गई है। बवेरु जातक में बताया गया है कि एक दिशाकाक १०० तथा एक मयूर १००० कार्षापण में भारतीय व्यापारियों ने बेबीलन में बेचा था।

मौर्य युग

सिकन्दर ने ईसा से पूर्व ३२७ सन् में भारत पर आक्रमण किया। यद्यपि उसके आक्रमण का भारत पर कोई स्थायी राजनीतिक प्रभाव नहीं हुआ तथापि अप्रत्यक्ष रूप से इसके कारण भारत और यूनान के मध्य घनिष्टतर सम्बन्ध स्थापित हो गये। चन्द्रगुप्त से अशोक तक तीन मौर्य सम्राटों के राज्य काल में भारत ने बहुत आर्थिक उन्नति की। इसलिये भारत के देशी तथा विदेशी व्यापार का खूब विस्तार हो गया। इन्हीं दिनों भारतीयों ने मिस्र के लिये समुद्री मार्ग खोज निकाला। मिस्र के टोलेमी के निरीक्षण में पहली बार स्वेज नहर खोदी गई जिससे पूर्व तथा पश्चिम के बीच व्यापार होने में भारी सुविधा हो गई।

ईसाई युग की प्रारम्भिक शताब्दियां

ईसाई युग की पहली दो शताब्दियों में भूमध्यसागर के देशों तथा भारत के बीच अच्छे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुए। इस युग में रोमन साम्राज्य की नीति भारत के साथ यथासम्भव सीधा समुद्री व्यापार बढ़ाने की रही। उसने इस तरह अरबों को अलग कर देने का यत्न किया जिनके हाथ में काफिलों के मार्गों का नियन्त्रण था। इसी प्रकार पार्थियनों के विरोधी देश में होकर स्थल मार्ग से जो व्यापार होता था होता था उसे भी कम करने की कोशिश की। इधर यूनानी नाविक हिपालस ने यह खोज निकाला कि हिन्द महासागर के आरपार मानसून की हवाएं बराबर चला करती हैं, इससे समुद्री परिवहन में भारी सुविधा हो गई। इन मानसूनी हवाओं की सहायता से कोई भी जहाज लाल सागर के मुहाने पर ओकेलिस बन्दरगाह से चलकर मलाबार तट के बन्दरगाह मुजीरिस में ४० दिनों में पहुँच जाता था और इस प्रकार कम से कम तीन महीने का समय बच जाता था। समय की बचत के साथ इस सीधे मार्ग में समुद्री डाकुओं का खतरा भी बहुत कम हो गया। इसके फलस्वरूप समुद्री व्यापार में भारी वृद्धि हो गई। हिपालस की इस खोज से पहले मिस्र के बन्दरगाहों से भारत पहुँचने वाले जहाजों की संख्या ४० से अधिक नहीं होती थी। अब इनका औसत एक जहाज प्रतिदिन हो गया।

इस अवधि में भारत से रोम को जिन वस्तुओं का निर्यात होता था उनके संक्षिप्त सर्वेक्षण से ही विदित हो जाता है कि दोनों देशों के मध्य कितने बड़े परिमाण पर व्यापार होता था।

भारतीय दास रोमन साम्राज्य स्थापित होने से पहले ही रोम में पहुँचने लगे थे। टोलेमी फिलाडेल्फोस के जुलूस के एक भाग में भारत की दासियां होने का वर्णन मिलता है। एरीथ्रियन सागर के पेरीप्लस ने लिखा है कि अरबों और यूनानियों ने कुछ भारतीय दास भारत से सोकोटरा में भेजे थे। भारतीय महावत, रसोइये और भविष्य वक्ता ज्योतिषी भी रोम में रहते थे। परन्तु भारतीय दास रोम में

केवल अपवाद के रूप में ही आ जाते थे। वास्तव में दासों के इस व्यापार में अधिकतर पश्चिमी देशों के दास ही पूर्वी देशों में ले जाकर बेचे जाते थे।

पशु-पक्षियों का निर्यात

पश्चिमी देशों को भेजे जाने वाले पशुओं में मलाबार के बन्दर और नीलगिरी के लंगूर प्रमुख थे जिन्हें रोम की फैशनपरस्त महिलाएं बड़े शौक से पाला करती थीं। अरब भारत से कुत्तों और तिब्बत से शिकारी कुत्तों का निर्यात करके बहुत रुपये कमाते थे। इनकी पाश्चात्य देशों के कुत्तों की नस्ल सुधारने के लिये बहुत मांग रहती थी। माल ढोने और सवारी करने के लिये भारतीय ऊंटों का निर्यात किया जाता था। ये फारस, सीरिया और अफ्रीका को भेजे जाते थे, भारतीय हाथियों को युद्ध के अतिरिक्त बोझा ढोने के काम में भी लाया जाता था। उत्सवों और समारोहों में वे शाही वाहन खींचने के काम में भी आते थे। इनके अतिरिक्त गैंडे, चीते, तेंदुए और शेरों का भी रोम में विदेशों से आयात होता था।

पशु पक्षियों में तोतों का नियमित रूप से पाश्चात्य देशों को निर्यात होता था। धनवान रोम वासियों के घरों में तोते पालने का बहुत रिवाज था। तोते के सिवा मोर,तीतर, बाज इत्यादि भी रोम में विदेशों से आते थे। मुर्गा-मुर्गियां रोम में बड़े मंहगे दामों पर बिकते थे। पशु पक्षियों को मुख्यतः स्थल मार्ग से ही रोम भेजा जाता था। समुद्र मार्ग से भेजना मंहगा पड़ता था और पशु-पक्षी बीमार भी हो जाते थे।

पशु उत्पादनों का व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्गों से ही होता था। परन्तु स्थल मार्ग से भी होने वाला निर्यात नगण्य नहीं होता था। इनमें चेरा प्रदेश से होने वाला चमड़े और बालों का व्यापार बहुत महत्वपूर्ण था। पेरीप्लस और प्लिनी दोनों ने ही इसका उल्लेख किया है। शेर, चीतों और तेंदुओं की खालों का भी पाश्चात्य देशों को निर्यात होता था। बालों वाली खालों, भारी ऊनी कोटों और ऊनी कपड़ों की पूर्वी अफ्रीका के देशों में बहुत मांग थी। ये कावेरी पत्तनम् से भेजे जाते थे। कश्मीर और भूटान के पश्मीने को उन दिनों भी बहुत पसन्द किया जाता था। भारत से निर्यात होने वाली कच्ची ऊन को मिस्र और सीरिया में साफ करके तैयार करते थे और फिर वहां से उसे यूरोप के देशों को भेज दिया जाता था। कछुओं की ढालें, शंख, सुरागऊ के चंवर और सींग, गेंडे का चमड़ा, दांत और सींग तथा हाथीदांत और उनसे बनी हुई वस्तुओं का भी निर्यात होता था। कछुए की ढालें धनवान रोमवासी अपने फरनीचर पर लगाते थे। चंवर डुलाने के काम आते थे जिससे मक्खियां दूर रहें। प्लिनी लिखता है कि भारतीय गेंडे की खाल में लिसियम भर कर भेजते थे। तेल भरने के पात्र जिन्हें गुट्टी कहते थे गेंडे के सींग के बनाये जाते थे। हाथीदांत से आभूषण और सजावट की वस्तुएं बनाई जाती थीं। हाथीदांत का बहुत से कार्यों में प्रयोग होता था। प्राचीन ग्रंथों में उसका बहुत अधिक उल्लेख हुआ है। ज्ञात होता है कि उसका व्यापार बहुत अधिक होता है। रोमवासी मुख्यतः भारत से ही हाथीदांत मंगाते थे। इसका एक प्रमाण यही है कि यूनानी तथा लैटिन भाषाओं में हाथीदांत के लिए जो शब्द हैं वे संस्कृत शब्द "इभ" से निकले हुए हैं।

रोम में भारतीय मोती

निर्यात व्यापार में मोतियों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। ये मोती भी अधिकतर भारत से ही रोम में पहुंचते थे। मन्नार की खाड़ी के मोती प्रसिद्ध थे। प्लिनी और पेरीप्लस जानते थे कि मदुरा के पाण्ड्य राज्य में मोती बहुत निकलते थे। फिलसन, सेन्ट पाल और प्लिनी ने स्त्रियों और लड़कियों द्वारा मोती पहने जाने का विरोध किया है। उनके मत से इन मोतियों पर बहुत खर्च होता था और उन्हें लाने के लिए लोगों को भारतीय समुद्रों में होकर बड़ी खतरनाक यात्राएं करनी होती थीं।

चीनी रेशम को भी पाश्चात्य देशों में बहुत पसन्द किया जाता था। रोम में वह सोने के बराबर तोल कर बिकता था। चीनी रेशम को रोम तक पहुंचाने का काम भारत करता था। भारत में यह आसाम होकर स्थल मार्ग से पहुँचता था और सिन्ध के किसी बन्दरगाह से रोम को निर्यात कर दिया था। कच्चे रेशम के अतिरिक्त, रेशमी तागा, रेशमी कपड़ा आदि भी बेक्ट्रिया होते हुए बारबा गाजा में पहुँचते थे।

भारतीय लाख का भी रोम को निर्यात होता था। इसका कपड़े रंगने और दवाइयां बनाने में प्रयोग होता था।

पेरीप्लस के काल अर्थात् ईसा के बाद पहली शताब्दी में मलाबार तथा त्रावनकोर मसालों के व्यापार के प्रसिद्ध केन्द्र थे। ईसाई युग की प्रारम्भिक शताब्दियों में मुख्यतः काली मिर्च का व्यापार होता था। इसे लादकर ले जाने के लिये बड़े-बड़े जहाज विशेषतः मुजीरिस और नेलसिन्डा के बन्दरगाहों में आते थे और सिकन्दरिया ले जाते थे। वहां से उसे रोम तथा यूरोप के अन्य देशों को भेज दिया जाता था। ईसा के बाद सन् ४०८ में जब अलारिक ने रोम पर आक्रमण किया तो उसने नगर का घेरा उठा लेने के लिये जो शर्तें रखी थीं उनमें तीन हजार पौंड काली मिर्च भी मांगी थी। उन दिनों भी काली मिर्च का रोम के प्रत्येक घर में प्रयोग होता था। इसके सिवा उसे औषधि के रूप में भी काम में लाते थे। कहते हैं कि इससे ज्वर की औषधि बनती थी। डाक्टर जोन्स का मत है कि मलेरिया को रोकने के लिए इसे काम में लाते थे।

त्रावनकोर तथा मालाबार भेजी जाने वाली सोंठ, और इलायची, हिमालय और मलाबार के पहाड़ों में पैदा होने वाली दालचीनी की भी

रोम के बाजार में बड़ी माग होती थी। जटामासी के तेल की बहुत खपत थी और यह जड़ी भी हिमालय में पैदा होती थी। इसका तेल मालिश, औषधि तथा भोजन के काम आता था। कुस्ता की जड़ें भी रोम में बहुत महंगी बिकती थीं। ये कश्मीर में पैदा होती थीं। रोम साम्राज्य भारत से गोंद के राल, नील, लिसियम, जिन जैली इत्यादि बहुत सी वस्तुएं मंगाता था जो दवाइयों, सुगन्धियों अथवा खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होती थी। धन के निर्यात से भारत में रोम से बहुत सा सोना पहुँचता था।

रोमन साम्राज्य को भारत से अनाजों में चावल, गेहूँ और ज्वार बाजरा, रागी आदि भी भेजे जाते थे। रोम वासी चावल की अनेक प्रकार की चपातिया बनाते थे। स्त्रिया इससे उबटन भी करती थीं जिससे उनकी त्वचा मुलायम रहती थी।

कपड़े का निर्यात

प्रागैतिहासिक काल से पहले से ही भारत का कपड़ा उद्योग अत्यधिक विकसित अवस्था में रहा है। भारतीय कपड़े की न केवल अपनी आवश्यकता ही पूरी कर लेते थे वरन् विदेशों को भी उसका नियमित रूप से निर्यात करते थे। मानसून हवाओं की खोज होने से पहले पश्चिमी एशिया और अफ्रीका को बहुत थोड़ा कपड़ा भेजा जाता था। परन्तु इसके बाद उसकी माग अकस्मात् बहुत बढ़ गई। पेरीप्लस लिखता है कि भारतीय मलमल त्रिचनापल्ली से आती थी। परन्तु त्रिचनापल्ली के अतिरिक्त उज्जैन, सिन्ध, मसलीपट्टम भी इस उद्योग के अच्छे केन्द्र थे। परन्तु रोम वालों को जो मलमल सब से अधिक पसन्द आती थी वह वाराणसी से आती थी।

कढ़ाई किये हुए ऊनी कपड़ों तथा रंगीन कालीनों की उन दिनों बेबीलन और रोम में वैसी ही माग और प्रशंसा होती थी जैसी कि आजकल लन्दन, पेरिस, न्यूयार्क तथा वाशिंगटन में होती है।

पाश्चात्य देशों के साथ होने वाले भारत के व्यापार में असली और नकली रत्नों का सदा से ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्लिनी ने भारत को रत्नों का घर बताया है और रोमवासी इनके लिये विशेषतः लालायित रहा करते थे। खनिज उत्पादनों में हीरों का स्थान सर्वोपरि था। ये मुजीरिस तथा नेलसिन्डा से निर्यात होते थे। भारत से सिकन्दरिया को अनेक प्रकार के रत्न भेजे जाते थे।

मूल्य और परिमाण दोनों ही दृष्टियों से व्यापार सन्तुलन भारत के अनुकूल रहता था। देशी तथा विदेशी दोनों ही प्रकार के प्रमाण इस सम्बन्ध में मिले हैं। सिकन्दरिया तथा भारत के पश्चिमी तट के बन्दरगाहों के मध्य चलने वाले जहाज भारत आने की अपेक्षा भारत से जाते समय अधिक माल से लदे रहते थे। इसके फलस्वरूप भारतीय व्यापारी रोमन साम्राज्य से व्यापार करके भारी मुनाफा कमाया करते थे। प्लिनी लिखता है कि भारत प्रतिवर्ष रोम से कम से कम लगभग ६,००,००० पौंड कमा कर ले जाता था। यह जो माल रोम को भेजा करता था वह अपनी मूल लागत से १०० गुने दामों पर बिकता था। ईसा के बाद चौथी शताब्दी में रोमन साम्राज्य में जितना सोना था उसका दो तिहाई भाग और चादी का आधा भाग पूर्व को चला गया था। इसका अधिकांश भारत आया था।

मध्यवर्ती युग

रोम साम्राज्य का पतन हो जाने के बाद भारत का पाश्चात्य देशों के साथ होने वाला व्यापार भी घटने लगा। परन्तु इसके बाद भी दोनों क्षेत्रों के मध्य व्यापार सम्बन्ध बराबर बने रहे। पुलकेशिन द्वितीय के समय में भारत तथा ईरान ने एक दूसरे के यहा अपने राजदूत रखे थे। *अजन्ता की गुफाओं के एक चित्र में यह दृश्य अंकित किया गया* है। पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के राजा खुसरो द्वितीय को भेंटस्वरूप एक हाथी, एक तलवार, एक सफेद बाज और रेशम भेजा था। कुछ अरब इतिहासकारों के अनुसार ८वीं तथा ६वीं शताब्दी में कुछ भारतीय ईराक में बस गये थे। ये वहा वाणिज्य व्यवसाय के सम्बन्ध में गये थे। इस काल में भारत तथा पाश्चात्य देशों के मध्य व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग द्वारा होता था।

६वीं शताब्दी के आरम्भ में इब्न खुरदेबा नामक एक अरब यात्री भारत आया था। इसने लिखा है कि उस समय भारत मसाले, सूती कपड़ा, रत्न और हाथीदात का विदेशों के साथ व्यापार करता था। अलमसूदी ने खम्भात में बनाये गये जूतों की प्रशंसा की है। इस काल में इनका अच्छा निर्यात होता था।

पूर्वी जगत के साथ व्यापार

पूर्व वैदिक काल में शायद भारतीयों को पूर्वी जगत का ज्ञान न था। वैदिक युग के बाद भी ये कई शताब्दियों तक उससे अपरिचित रहे। वैदिक काल में चीन में भी सभ्यता का जन्म हो चुका था। परन्तु इस युग में भारतीय तथा चीनी सभ्यता के मध्य सम्पर्क स्थापित हो जाने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। विगट के मतानुसार चीनियों ने ईसा से लगभग २००० वर्ष पूर्व भारतीयों से धान की खेती करना सीखा। परन्तु विगट के कथन के समर्थन में कोई सीधा प्रमाण नहीं मिला है। यह कहना कठिन है कि भारत और चीन का सबसे पहले सम्पर्क किस प्रकार हुआ। परन्तु अर्थशास्त्र में यह उल्लेख है कि चीन से अनेक किस्म का रेशमी माल भारत आता था। इसका अर्थ यह है कि भारतीय ईसा से पूर्व चौथी शताब्दी में चीनियों से परिचित थे। ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी में भारत तथा चीन के मध्य व्यापारिक सम्बन्ध होने के प्रमाण चीनी राजदूत चांग किमने (ईसा से पूर्व १२७ वर्ष) के लेख से मिलता है। वह यह देखकर चकित हो गया था कि चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रान्तों में उपजने वाले बांस

तथा रुई बेक्ट्रिया के बाजारों में बिकते थे। पता लगाने पर उसे बताया गया कि ये वस्तुएं चीन से यूनान और बरमा होकर भारत आती थीं और वहां से बेक्ट्रिया को निर्यात की जाती थीं।

हान राजवंश के समय से चीन को स्थल द्वारा जाने वाला मार्ग मध्य एशिया होकर था। भारत और चीन को मिलाने वाले दो अन्य स्थल मार्ग भी थे। इनमें से एक आसाम और बरमा होकर, दूसरा तिब्बत होकर था। समुद्री मार्ग बरमा, मलयप्रायद्वीप और हिन्द-चीन के तटों से होता हुआ टोनकिन और कैन्टन पहुँचता था जो चीन के पूर्वी तट पर स्थित बन्दरगाह थे।

भारत और चीन तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के मध्य व्यापार आदि के सम्बन्ध बढ़ने पर ईसाई युग आरम्भ होने के समय भारतीयों की नियमित रूप से बस्तियां भी अनेक देशों में बसने लगीं और शीघ्र ही एशिया महाद्वीप के चीन के दक्षिणवर्ती अनेक भागों में अनेक हिन्दू राज्य भी स्थापित हो गये। स्वर्ण द्वीप (सुमात्रा), काम्बोज देश (कम्बोडिया), (चम्पा) (अनाम) (यवद्वीप) (जावा) (बोर्नियो) और बाली में अब भी प्राचीन हिन्दू राज्यों के ध्वंसावशेष मौजूद हैं। भारतीयों के इन उपनिवेशों में भारत से आने वाला माल खूब खपता था। इस व्यापार के विषय में ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिये हम यह नहीं कह सकते कि इन देशों को भारत से कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात होता था। सम्भवतः मोटे मेल का सूती कपड़ा, अनाज और धातु की वस्तुएं भारत से भेजी जाती थीं। दूसरी ओर इन देशों से मसाले, सोना, चांदी, हाथी दांत, कपूर, चन्दन आदि भारत आते थे।

दस्तकारियों के विविध उत्पादन और उनका निर्यात

★ ले० श्री एस० ए० टेकचन्दानी, अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड।

अभी कुछ वर्ष पहले तक दस्तकारी उद्योग अधिकाश में, राजा महाराजा, जमींदार, रईसों आदि से मिलने वाले समर्थन एवं प्रोत्साहन पर ही निर्भर रहा करते थे। उनके उत्पादनों का निर्यात भी थोड़ा सा ही होता था जिससे कालीन आदि केवल थोड़ी सी चीजें ही विदेशों को भेजी जाती थीं। भारत स्वतन्त्र होने के बाद देश में दस्तकारी की वस्तुओं की माग अन्य वर्गों से भी होने लगी और निर्यात में भी विस्तार होने लगा। पश्चिमी यूरोप के देशों, ब्रिटिश उपनिवेशों, अमेरिका आदि सम्पन्न देशों में इनकी माग बढ़ने लगी। इधर विदेशी विनिमय का उपार्जन करने की दृष्टि से भी दस्तकारी की वस्तुओं के निर्यात की सम्भावनाएं खोजी गईं।

श्री एस० ए० टेकचन्दानी

आंकड़ों की कमी।

इस समय जो सरकारी साख्यकी प्रकाशन हो रहे हैं उनमें दस्तकारी सम्बन्धी आकड़े, मिल की बनी वैसी ही वस्तुओं के आकड़ों में शामिल कर दिये जाते हैं और ऐसी ही दशा में उन्हें कुछ मोटी श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिये रेशमी कपड़ा, वस्त्र, दरी, शाल, बर्तन, चमड़े का सामान, खिलौने, खेल का सामान, फर्नीचर इत्यादि। इसलिये दस्तकारी की वस्तुओं के निर्यात सम्बन्धी ठीक ठीक आकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यही कारण है कि जब हम इस सम्बन्ध कोई अध्ययन करने चलते हैं तो हमारे पास केवल सीमित रूप में ही आकड़े अथवा सामग्री उपलब्ध होती है। नीचे दिये गये आकड़ों से कुछ सीमा तक यह प्रकट हो जाता है कि कितने मूल्य तक उनका निर्यात हुआ और इस निर्यात का क्या रूप रहा है :—

वर्ष	मूल्य रु० में
१९५१-५२	७,९६,९७,२८६
१९५२-५३	५,५८,६१,५७२
१९५३-५४	६,६२,१८,९०३
१९५४-५५	७,०३,७२,४७५
१९५५-५६	७,६८,८५,७२३
१९५६-५७	६,१६,०२,५१९
(अप्रैल से दिसम्बर १९५६ तक के ९ महीने)	

प्रतिस्पर्धा का बुरा परिणाम

ऊपर के आकड़ों से प्रकट होता है कि १९५१-५२ में दस्तकारी की वस्तुओं का सबसे अधिक निर्यात हुआ जबकि यह ७.९६ करोड़ रु० तक जा पहुँचा। १९५२-५३ में निर्यात घट कर ५.५८ करोड़ रु० रह गया परन्तु बाद के वर्षों में यह फिर बढ़ने लगा और तब से बराबर बढ़ता ही जा रहा है। १९५७ के पहले दस महीनों में निर्यात का योग ७.९७ करोड़ रहा है। १९५१-५२ की अवधि में निर्यात घटने का कारण निर्यातकों की आपसी प्रतिस्पर्धा थी जिसके कारण निर्यातित माल विशेषतः कालीनों की किस्म गिर गई।

१९५७ के पहले दस वर्षों में हुए निर्यात का अध्ययन करने से प्रकट होता है कि 'भारत के विदेशी व्यापार के मासिक आंकड़ों' के अन्तर्गत अलग दिखाई गई दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात जनवरी १९५७ में जहा १८.१ लाख रु० था वहां वह फरवरी में बढ़कर ३२.०० लाख रु०, अप्रैल में ४६.०० लाख रु० और अगस्त में ४६.०० लाख रु० हो गया। यहा यह ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर दिये गये आकड़े दस्तकारी के निर्यात के कुल आकड़े नहीं वरन् उनके निर्यात के सामान्य रुख को प्रकट करने वाले निर्देश साधन मात्र हैं।

जनवरी से अक्टूबर १९५७ तक दस्तकारी के निर्यात का जो रूप रहा है यह नीचे दिये गये विवरण से प्रकट होता है।

भारत से दस्तकारी के उत्पादनों का निर्यात

(जनवरी से अक्टूबर १९५७)

क्रमांक	उत्पादन	मूल्य रु० में
१.	लकड़ी की रंगीन वस्तुएं	१,६२४
२.	बेंत और बांस का सामान	५,६४,६७६
३.	कागज कूट कर बनाई गई चीजें	२२,७६०
४.	धातु के तार डालकर बनाये गये कपड़े	९,१९,४३३
५.	(क) चटाइयां और फर्श (सूती)	२४,११७
	(ख) ,, ,, पटसन रेशे के	१,४९,५०७
	(ग) ,, ,, जट तथा पटसन के अतिरिक्त अन्य वनस्पति रेशों से बनी हुई।	३,१५,४९४
६.	(क) कालीन, कलापूर्ण वस्तुओं के रूप में	७४,५६१
	(ख) कालीन, दरियां, बिछाने के कम्बल, चटाइयां और पर्दे, ऊन तथा अन्य कीमती बालों के बने हुए	३,४५,८९,५४३
	(ग) कम्बल, कलापूर्ण	४,११,१९९
७.	नम्दे	२,६१,०८०
	(क) ऊनी शाल और लोहियां, यात्रा में काम आने वाले	१०,२२,०२५
	(ख) रजाइयां और कम्बल	४९,०५४
८.	(क) हथकरघे की छपी हुई धोतियां	८,२२९
	(ख) ,, ,, ,, साड़ियां	१,८४,२५२
	(ग) ,, ,, ,, लुंगियां	२,१४,७३७
	(घ) ,, ,, ,, अन्य प्रकार का सामान	१,७३,७७७
९.	(क) लेस और लेस के कपड़े सूती	१,३५,४५०
	(ख) ,, ,, ,, ,, रेशमी	१,५२६
	(ग) ,, ,, ,, ,, लिनेन	१९४
	(घ) ,, ,, ,, ,, अन्य	९१,९४७
१०.	(क) कढ़ाई का काम, लिनेन के कपड़ों पर	२०,४६३
	(ख) ,, ,, ,, अन्य कपड़ों पर	२,५८,०३४
	(ग) ,, ,, ,, कला के रूप में	२,४७,०१६
११.	कांच की चूड़ियां	४,१६,४०१
१२.	नकली रत्न	२५,७९९
१३.	(क) पीतल की फेन्सी चीजें	२,१७,९७४
	(ख) कांसे ,, ,, ,,	६,८०४
	(ग) तांबे ,, ,, ,,	६,५१३
	(घ) पीतल और कांसे की कलापूर्ण वस्तुएं	८९,०६,३७६
१४.	चमड़े के फेन्सी हैण्डबैग	१,३२,४१७
१५.	सोने चांदी की तारकशी वाला चन्दन का सामान	१,१०,५७३
१६.	वाद्य यन्त्र	१२,८५,०३२
१७.	इत्र और सुगन्धि	२१,०७,८२९
१८.	घड़ियां	४७,२६६
१९.	सींग की बनी हुई नक्काशीदार फेन्सी चीजें	३,२४,४४४
	(ख) सींग की कलापूर्ण वस्तुएं	८,०४,६८६
२०.	(क) हाथी दांत की नक्काशीदार फेन्सी चीजें	६५,८९६
	(ख) हाथी दांत की कलापूर्ण वस्तुएं	४,४८,६९७
	(ग) हाथी दांत जड़ा हुआ लकड़ी का सामान	१,००,७५०
२१.	टोकरे टोकरियां	३६,६४,४१०
२२.	तीलियों से बना सामान, फरनीचर आदि	४०,०५८
२३.	(क) धातु के खिलौने	१८,५७४
	(ख) लकड़ी के खिलौने	२८,७२३
	(ग) शिक्षाप्रद खिलौने	६,८६३
	(घ) अन्य प्रकार के खिलौने	३७,८८३
	(ङ.) कलापूर्ण खिलौने	४,५४१
२४.	(क) लकड़ी का कलापूर्ण फरनीचर	२,५७,९९९
	(ख) लकड़ी का नक्काशीदार सामान	१०,७६,१६५
२५.	रेशमी शाल और रूमाल, कलापूर्ण वस्तुओं के रूप में	२,१०,१८४

२६. पत्थर का कलापूर्ण सामान	३५,६५३
२७. संगमरमर की चीजें	३६,२६२
२८. चीनी मिट्टी की चीजें	२३१
२९. बर्तन	६८,५५०
३०. अन्य कलापूर्ण वस्तुएं	१,३६,६६,६७०
३१. असली तथा नीम असली जवाहिरात जिनमें नकली भी शामिल हैं:— तराशे हुए पर बिना जड़े हुए	२१,२८,०६१
३२. सब प्रकार की मूर्तियां आदि	३०,८१,३१४
योग	७,६०,०२,५६६

निर्यात की कुछ विशेष वस्तुएं

दस्तकारी की कुछ वस्तुओं और उनके निर्यात के विषय में नीचे प्रकाश डाला जाता है:—

कालीन और कम्बलः—भारत से निर्यात होने वाली दस्तकारी की वस्तुओं में कालीन और कम्बल अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इनकी माग उष्ण कटिबन्ध से बाहर के उन देशों से आती है जिनकी आय बहुत अधिक है। द्वितीय महायुद्ध के दिनों में कच्चे माल की कमी, परिवहन की कठिनाइयों तथा अन्य अनेक प्रतिबन्धों के कारण इन वस्तुओं के उद्योग को भीषण धक्का लगा था। युद्ध के बाद इनके निर्यात के लिये फिर अनुकूल स्थिति हो गई और १९४६-४७ तथा १९५०-५१ में इनका बहुत अच्छा निर्यात हुआ। १९५१-५२ में निर्यात का मूल्य बढ़कर ५.८ करोड़ रु० तक जा पहुँचा। परन्तु इसके बाद इन्हें मंगाने वाले देशों के मिलों में बनी दरियों से प्रतिस्पर्धा होने तथा भारतीय माल की किस्म गिर जाने से निर्यात घट गया। १९५२-५३ में निर्यात गिरकर २.८ करोड़ रु० पर आ गया। परन्तु उसके बाद निर्यात में फिर काफी वृद्धि हुई। हमारे कालीनों का सबसे बड़ा खरीदार ब्रिटेन है। अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया इनके अन्य महत्वपूर्ण बाजार हैं। इन बाजारों में कालीन खपाने के बारे में भली प्रकार गवेषणा होने की आवश्यकता है जिसके लिये आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

रेशमी मालः—१९४७ तक रेशमी माल विदेशों को नहीं जाता था। यह अधिकांश में पश्चिमी पंजाब और सिन्ध में खपता था। देश का विभाजन हो जाने के बाद भी १९४८-४९ में पाकिस्तान ने ८९ लाख रु० का रेशमी माल भारत से मंगाया था। परन्तु बाद को वहां आयात पर भारी प्रतिबन्ध लगाये जाने और विनिमय की कठिनाइयों के कारण यह निर्यात १९४९-५० में घटकर केवल २.४ लाख रु० ही रह गया। ब्रिटेन तथा अमेरिका को रेशमी माल का निर्यात बराबर बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि वहां रेशमी रूमालों और घाघरे बनाने के लिए रेशमी कपड़ों की माग बढ़ रही है। भारत से रेशमी माल मंगाने वाले अन्य देशों में सऊदी अरब, ईरान, इराक बरमा, लंका और मलाया प्रमुख हैं। पहनने के कपड़े बनाने के काम आने वाला रेशमी कपड़ा विभिन्न देशों में लोकप्रिय होता जा रहा है, जिसके कारण भविष्य में इसका निर्यात बढ़ने की अच्छी सम्भावना हो सकती है।

छपा हुआ मालः—भारत में हाथ से छापे गये रेशमी तथा सूती कपड़े अमेरिका में बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विटजरलैंड, स्वीडन और नारवे में इनकी अच्छी माग हो रही है। यदि इस माल का अच्छा प्रचार हो, इसकी नयी नयी डिजायनें निकाली जाती रहें और किस्म का कठोरतापूर्वक नियन्त्रण किया जाता रहे तो इसका निर्यात बढ़ जाने की अच्छी सम्भावना है।

पीतल का सामानः—पीतल के सामान का निर्यात भी बढ़ रहा है। एशिया के बाजारों में उपयोगी वस्तुओं की माग होती है परन्तु अमेरिका में अधिकतर पीतल की कलापूर्ण वस्तुएं खपती हैं। इन कलापूर्ण वस्तुओं का निर्यात बढ़ने की अच्छी आशा है। परन्तु इसके लिये सीधी सादी परन्तु परम्परागत डिजायनों की नयी नयी वस्तुएं बनानी होंगी। इन वस्तुओं की किस्म और सजावट पर भी ध्यान देना होगा।

रत्नाभरणः—रत्न और आभरणों का निर्यात १९५१-५२ में २,३७,११४ रु० का हुआ था जो १९५६-५७ में बढ़कर ८०,०३,५११ रु० हो गया। यह वृद्धि पश्चिमी एशिया के देशों द्वारा की गयी भारी खरीद के कारण हुई है। कश्मीर के बने हुए फीरोजे के आभरण अमेरिका में बहुत पसन्द किये जाते हैं।

हाथीदांत का सामानः—हाथी दांत के सामान का निर्यात भी बढ़ रहा है। इसके लिये अमेरिका हमारा बड़ा अच्छा खरीदार है। यूरोप तथा पश्चिमी एशिया के देशों में भी इसकी माग बढ़ रही है। इसके सिवा न्यूजीलैंड तथा कनाडा भी हमारे लिये अच्छे बाजार हैं। हाथी दांत की बनी हुई उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे धूम्रपान के पाइप, सिगरेट होल्डर, सिगरेट होल्डर, पत्र खोलने की छुरियां आदि के निर्यात की अच्छी आशा है।

जमी हुई मांग की आवश्यकता

हमारे दस्तकारी उत्पादन कुछ को छोड़कर अभी संसार के बाजारों में कोई जमी हुई माग पैदा नहीं कर सके हैं। सरकार ने यद्यपि इनके निर्यात के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया है और इनके निर्यातकों ने भी पूरे प्रयत्न किये हैं फिर भी अभी दशा अस्थिर है। विदेशों में होने वाली

व्यापार प्रदर्शनियों और मेलों में वहां की जनता हमारे दस्तकारी उत्पादनों में विशेष रुचि प्रकट करती है। इसे देखते हुए हमें भविष्य में उनका निर्यात बढ़ने के विषय में आशावादी रहना चाहिए। अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने बाजारों की जो गवेषणा कराई है उसके परिणाम भी यही सिद्ध करते हैं। परन्तु इसके साथ यह भी मान लेना होगा कि अभी इनका काफी निर्यात नहीं हो रहा है। परन्तु अखिल भारतीय दस्तकारी विकास निगम के बन जाने के साथ जब भारतीय दस्तकारी का व्यापार अधिक अच्छे ढंग पर संगठित हो जायगा तो दस्तकारी उत्पादनों का निर्यात भी बढ़ेगा। चूंकि यह निर्यात व्यापार अब भी अपने विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में ही है इसलिये इसके व्यापारी वर्ग को अभी न तो इसके निर्यात के ढंगों का ही पर्याप्त अनुभव है और न विदेशों में पसन्द की जाने वाली डिजाइनों तथा स्टाइलों का ही काफी ज्ञान है। उत्पादनों की किस्म का नियन्त्रण करने के लिये कोई व्यवस्था न होने के कारण भी इनके निर्यात-व्यापार संगठित भी नहीं है। इसे चलाने वालों के कोई व्यापारिक संघ भी नहीं हैं जो मूल्यों के स्तरों का निर्धारण करने और निर्यातकों के लिए कोई व्यावहारिक सिद्धान्त बनाने आदि का प्रयत्न कर सकें। हाल के वर्षों में इसका फल यह हुआ है कि दस्तकारियों के निर्यातकों ने आपस में घोर प्रतिस्पर्धा की। इससे मूल्य गिरे और इसके फलस्वरूप निर्यात के लिये व्यापारियों का उत्साह गिर गया। मूल्यों में प्रतिस्पर्धा होने के कारण वस्तुओं की किस्म खराब हो गई जिससे अन्त में निर्यात न होने के कारण देश को विदेशी विनिमय के उपार्जन में नुकसान रहा।

निर्यात व्यापार की समस्याएं सुलझाने के लिये अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने गत अगस्त मास में एक निर्यात शाखा स्थापित की है। यह शाखा सबसे पहले भारतीय दस्तकारियों के निर्यातकों के नाम अखिल भारतीय आधार पर रजिस्टर कर रही है जिससे उन्हें सक्रिय सहायता प्रदान की जा सके। इस शाखा ने निर्यातकों द्वारा की जाने वाली पूछताछ का उत्तर देने के लिये एक विशेष सर्विस का भी संगठन किया है। विविध दस्तकारियों के उद्योगों का सर्वेक्षण करने और उनकी कठिनाइयां दूर करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाने का भी इस शाखा ने प्रबन्ध किया है। दस्तकारी निर्यात सम्बन्धी विषयों पर निर्यातकों के लिये उपयुक्त उपाय सुझाने का भी इस शाखा ने प्रबन्ध किया है। दस्तकारी निर्यात सम्बन्धी विषयों पर निर्यातकों के लिये समय समय पर परिपत्र भी प्रकाशित किये जाते हैं। इनमें भारतीय निर्यात आयात, व्यापार विनियमों, व्यापार करारों, व्यापारियों से प्राप्त होने वाली रिपोर्टों और बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में की जाने वाली बाजारों की गवेषणा के परिणामों पर प्रकाश डाला जाता है।

प्रदर्शन केन्द्र

विदेशों के महत्वपूर्ण व्यापारों में प्रदर्शन केन्द्र खोलने की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इनमें निर्यातकों की ओर से हमारे दस्तकारी उत्पादनों का प्रदर्शन किया जायगा। इसके सिवा बोर्ड समस्त देश में दस्तकारी व्यापार जानकारी के केन्द्र खोलने के बारे में भी विचार कर रहा है। इन केन्द्रों में विविध प्रकार की दस्तकारियों के बारे में ऐसी डाइरेक्टरियां, पत्र पत्रिकाएं, आदि रखी जायेंगी जिनमें डिजायनों, पैकिंग आदि के अलावा निर्यात व्यापार की सामान्य निर्देशात्मक जानकारी रहेगी। इन केन्द्रों का संचालन दस्तकारी के निर्यात का विशेष अनुभव रखने वाले कर्मचारी करेंगे। ये निर्यातकों को उनके नित्यप्रति के कार्य में निर्देश तथा सहायता दिया करेंगे। निर्यातकों को इन केन्द्रों में स्वयं आने के लिये प्रोत्साहित किया जायगा जिससे वे वहां के पुस्तकालयों से लाभ उठा कर अपने व्यापार को आधुनिक ढंग का कर सकें।

दस्तकारी निर्यात व्यापार को बढ़ाने की दृष्टि से बोर्ड ने कुछ प्रकाशन करने का भी निश्चय किया है। इनके अन्तर्गत भारतीय दस्तकारियों की एक डायरेक्टरी भी होगी जो अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर बांटी जायगी। विदेशी प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेने के लिये बोर्ड ने जो कार्यक्रम बनाया है उसे और भी जोरदार किया जायगा। संसार के प्रायः सभी प्रसिद्ध बाजारों में भारतीय दस्तकारियों के प्रदर्शन किये जा चुके हैं जहां व्यापारियों तथा जनता दोनों ने ही उन्हें खूब पसन्द किया है। बोर्ड ने देश में चार डिजाइन केन्द्र खोले हैं जो विदेशियों की रुचि के अनुकूल नयी डिजायनें बनाते हैं। मरणासन्न कारीगरियों में नया जीवन डालने के उद्देश्य से २८ पाइलट केन्द्र खोले गये हैं। दस्तकारियों के वर्त्तमान व्यापार संघों का भी अध्ययन किया जा रहा है जिससे कारगर संघ बनाये जाने को प्रोत्साहन दिया जा सके। दस्तकारी निर्यात के प्रमुख देशों में थोड़े समय का प्रशिक्षण देने की योजनाएं बनायी जा रही हैं।

भारतीय दस्तकारी विकास निगम

ऊपर बताई गई योजनाएं अमल में आ जाने पर भारतीय दस्तकारियों का निर्यात व्यापार सुदृढ़ आधार पर संगठित हो जाने की आशा है। इसलिये हमारे दस्तकारी उत्पादनों के वर्त्तमान निर्यात को केवल भविष्य में हो सकने वाले विशाल निर्यात का आरम्भ मात्र माना जाना चाहिए। हाल के वर्षों में यह निर्यात काफी बढ़ा है। अनुमान है कि इस समय देश की ६०० फरमें इस निर्यात व्यापार में लगी हुई हैं।

भारतीय दस्तकारियों के उत्पादनों और निर्यात को व्यापारिक आधार पर संगठित करने के लिये हाल में ही भारतीय दस्तकारी विकास निगम स्थापित किया गया है। इसके प्रयत्नों के फलस्वरूप आशा है आगामी वर्षों में दस्तकारियों के निर्यात में अच्छी वृद्धि होगी, उनके मूल्य भी अच्छे मिलने लगेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी आशा है कि भविष्य में और भी अनेक प्रकार की वस्तुएं निर्यात की जाने लगेंगी।

इनके लिये विदेशी विनिमय चाहिए

विदेशों से जिन वस्तुओं को मंगाने के लिये हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है उनमें ये प्रमुख हैं:—

अनाज और खाद्य पदार्थ
मशीनें
लोहा और इस्पात
अलौह धातुएं
खनिज तेल
रुई कच्ची
ऊन
रेयन
रंग
लकड़ी की लुग्दी
अखबारी कागज
बिजली का सामान
परिवहन उपकरण
रेल्वे इंजन
जूट कच्चा
नकली रेशम
रसायनिक पदार्थ
दवाइयां

विदेशी विनिमय का उपार्जन कीजिये

—श्री नित्यानन्द कानूनगो, वाणिज्य मन्त्री, भारत सरकार—

श्री नित्यानन्द कानूनगो

यदि कोई मुझसे पूछे कि आर्थिक क्षेत्र में हमारे लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है तो मैं निस्संकोच भाव से तत्काल कहूँगा कि विदेशी विनिमय का उपार्जन। हमने देश में उद्योगों का विकास करने की जो योजनाएँ बनाई हैं उन्हें तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक कि हमें इनके लिये आवश्यक मशीनें न मिल जायं। मशीनें देश में नहीं बनाई जा रही हैं और न जल्दी ही उनका बनाया जाना सम्भव है। उन्हें बनाने के लिये जो कारखाने खोलने होंगे उनके लिए भी हमें विदेशी विनिमय चाहिए। उनके लिए प्रविधिक ज्ञान और यह ज्ञान रखने वाले कारीगरों की भी आवश्यकता होगी। ये भी देश में अभी उपलब्ध नहीं हैं। इसलिये हमें अपने नये कारखानों के लिये विवश होकर विदेशों से मशीनें मंगानी पड़ रही हैं। विदेशी विनिमय के बिना यह हो नहीं सकता। इसीलिये आज हमें सबसे अधिक बल *विदेशी विनिमय के उपार्जन पर देना है और इसके उपार्जन के लिये ही हमें* अपना निर्यात बढ़ाना चाहिए।

मशीनों के अतिरिक्त हमें बहुत सी ऐसी वस्तुएं भी विदेशों से मंगानी पड़ती हैं जिन्हें कच्चे माल के रूप में हम अपने कारखानों में काम में लाते हैं। उदाहरण के लिये अच्छा और बारीक कपड़ा *बनाने के लिये* हमें लम्बे रेशे वाली रुई की आवश्यकता होती है। देश में ऐसी रुई उपजाने के यत्न किये जा रहे हैं परन्तु फिर भी हमें कुछ सीमा तक मिस्र आदि देशों से लम्बे रेशे की रुई मंगानी पड़ेगी। इस रुई के समान ही अन्य बहुत सी चीजें भी हमें विदेशों से मंगानी पड़ती हैं और उन्हें तभी मंगाया जा सकता है जब उनका मूल्य हम विदेशी मुद्रा में चुका सकें। यह विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये हमें अपने यहां बनने या उपजने वाली वस्तुएं विदेशों को भेजनी पड़ती हैं। पर अभी जितनी वस्तुएं भेजी जा रही हैं उनसे हमें काफी विदेशी विनिमय प्राप्त नहीं होता। इसीलिये हमें अपना निर्यात और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।

सच तो यह है कि निर्यात बढ़ाने का प्रश्न अब हमारे लिये एक राष्ट्रीय प्रश्न बन गया है जिसके विषय में राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को *गम्भीरता के साथ सोचना चाहिए और जहां तक बने इसमें यथाशक्ति योग देना चाहिए।* निर्यात बढ़ाने से हमारी अर्थ-व्यवस्था मजबूत होगी, हमारे उद्योग सुदृढ़ आधार पर स्थापित होंगे और हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ जायगी जिससे देश का जन जन सुखी होगा।

विदेशों को माल का निर्यात करने की प्रणाली

★ *आवेदनपत्र देकर लाइसेन्स लेने के लिये क्या करना चाहिये।*

[१]

निर्यात नियन्त्रण का आरम्भ और उसका रूप

विभिन्न वस्तुओं के निर्यात का नियन्त्रण सबसे पहले गत महायुद्ध के शुरू के दिनों से किया जाना आरम्भ हुआ। आरम्भ में समुद्री सीमाशुल्क अधिनियम १८७८ (Sea Customs Act of 1878) से प्राप्त अधिकारों द्वारा यह नियन्त्रण किया गया था परन्तु बाद को ज्यों-ज्यों निर्यात नियन्त्रण का क्षेत्र बढ़ता गया, भारत रक्षा नियमों (Defence of India Rules) के अन्तर्गत विशेष अधिकार प्राप्त कर लिये गये। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद यह नियन्त्रण एमरजेन्सी प्रावीजन्स (कन्टीन्यूएन्स) आर्डीनेन्स १९४६ के अन्तर्गत किया जाता रहा। मार्च १९४७ में आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम पास किया गया जो आरम्भ में ३ वर्ष के लिये लागू हुआ। बाद को १९५० में एक संशोधन द्वारा इसे ५ वर्ष के लिये और बढ़ाकर ३१ मार्च, १९५५ तक के लिये लागू कर दिया गया। यह समस्त भारत, जिसमें जम्मू तथा कश्मीर भी शामिल है, में लागू किया गया है। निर्यात व्यापार पर नियन्त्रण करने का अधिकार इसी कानून द्वारा प्राप्त किया गया है।

निर्यात (नियन्त्रण) आदेश

आयात और निर्यात नियन्त्रण अधिनियम के अधीन भारत सरकार समय-समय पर आदेश निकाल कर किसी वस्तु विशेष अथवा वस्तुओं की श्रेणी को नियन्त्रण के अन्तर्गत ले आती है। ऐसा आदेश निकलने के बाद सम्बद्ध वस्तु को निर्यात लाइसेन्स लिये बिना विदेशों को नहीं भेजा जा सकता। नीचे लिखी अवस्थाओं में होने वाला निर्यात इसका अपवाद होता है :—

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा अथवा उसके अधिकार के अन्तर्गत निर्यात किया गया कोई भी माल,

(ख) खाद्य पदार्थों को छोड़कर अन्य कोई भी ऐसा माल जो बाहर जाने वाले किसी भी जहाज अथवा वाहन के स्टोर अथवा उपकरण में शामिल हो।

(ग) कोई भी ऐसा माल जो भारत से बाहर जाने वाले किसी भी व्यक्ति के निजी सामान का अंग हो। इन व्यक्तियों में बाहर जाने वाले जहाज अथवा वाहन यात्री अथवा कर्मचारी भी शामिल होंगे।

(घ) ऐसा कोई भी माल जो डाक अथवा हवाई मार्ग द्वारा उन अवस्थाओं में भेजा जाय जिनका कि डाक अधिकारियों द्वारा जारी किये गये डाक नोटिसों में उल्लेख हो।

(ङ) कोई भी ऐसा माल जो अनुसूची ४ में उल्लिखित खुले सामान्य लाइसेन्स की शर्तों के अनुसार विदेशों को भेजा जाय।

(च) ऐसा कोई भी माल जो भारत के किसी बन्दरगाह में एक जहाज से उतार कर दूसरे जहाज पर चढ़ाया जाय परन्तु जिसके विषय में भारत से बाहर के किसी बन्दरगाह से भेजे जाते समय इस आशय का उल्लेख किया जा चुका है।

(छ) ऐसा कोई भी माल जो भारत में आया हो परन्तु भारत से बाहर किसी अन्य देश को भेजे जाने के लिये हो। नेपाल, तिब्बत, भूटान, और भारत की पुर्तगाली बस्तियां इन देशों में अपवाद होंगे।

(ज) डाक द्वारा भारत होकर भेजा जाने वाला कोई भी माल अथवा भारत से बाहर के किसी स्थान को आगे भेजा जाने वाला कोई भी माल। नेपाल, तिब्बत, भूटान और पुर्तगाली बस्तियां

इसको अपवाद होगी और साथ ही यह शर्त भी होगी कि यह माल जब तक भारत में रहे तो सदा डाक अधिकारियों के कब्जे में ही रहे।

(झ) ऐसा कोई भी माल जो किसी भी वैध आयात लाइसेन्स के बिना आयात किया गया हो और सीमाशुल्क अधिकारी के अनुसार निर्यात किया गया हो।

नियन्त्रित वस्तुएं

जिन वस्तुओं पर निर्यात नियन्त्रण लागू हो सकता है उन्हें निर्यात (नियन्त्रण) आदेश १९५४ के परिशिष्ट २ में बताया गया है। जो वस्तुएं इस सूची में नहीं आई हैं वे नियन्त्रण से मुक्त हैं और यदि कोई अन्य कानून बाधक न हो तो वे बिना किसी लाइसेन्स के देश से बाहर भेजा जा सकता है। उदाहरण के लिये समुद्री सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत मादक द्रव्यों और कुछ किस्म के पक्षियों के पंखों तथा खालों का निर्यात वर्जित है। सोने का निर्यात करने के लिये रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी पड़ती है और चाय तथा काफी के निर्यात का नियमन टी बोर्ड कम्पनी और काफी बोर्ड वगैरह करते हैं। ये नियमन क्रमशः चाय अधिनियम १९५३ तथा काफी अधिनियम १९५२ के अन्तर्गत किये जाते हैं। परन्तु ये अपवाद थोड़े से ही हैं और इन्हें छोड़कर निर्यातक उन वस्तुओं को किसी भी परिमाण में कहीं भी (दक्षिण अफ्रीका छोड़कर) स्वतन्त्रतापूर्वक भेज सकते हैं जिनका उल्लेख आयात तथा निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम में नहीं किया गया है। इनका निर्यात करने के लिये उसे निर्यात नियन्त्रण अधिकारियों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

खुले सामान्य लाइसेन्स और उनके अपवाद

जिन वस्तुओं के निर्यात का नियन्त्रण किया जाता है कभी-कभी बिना लाइसेन्स लिये उनका निर्यात करने की सामान्य अनुमति दे दी जाती है और ऐसा करने के लिये वस्तु विशेष के बारे में खुला सामान्य लाइसेन्स जारी कर दिया जाता है। यह लाइसेन्स या तो सामान्य रूप से जारी किया जाता है अथवा किसी देश विशेष का निर्यात करने के लिये। खुला सामान्य लाइसेन्स जिस रूप में इस समय लागू है उसका विस्तृत विवरण निर्यात (नियन्त्रण) आदेश १९५४ की अनुसूची ४ में दिया गया है।

जो यात्री अपने साथ, निजी सामान अथवा नमूने के रूप में कोई लाइसेन्स वाली वस्तुएं ले जाना चाहते हैं उनके लिये कुछ रियायतें कर दी गई हैं जिससे वे लाइसेन्स के लिये आवेदनपत्र आदि देने के झंझटों से बच जाय। इसी प्रकार डाक पार्सल द्वारा भेजी जाने वाली वस्तुओं के विषय में भी कुछ विशेष रियायतें कर दी गई हैं।

ऊपर बताये गये अपवादों को छोड़कर यदि कोई व्यक्ति किसी नियन्त्रित वस्तु का निर्यात करना चाहे तो उसे आवेदनपत्र देकर इसका लाइसेन्स ले लेना चाहिए। जिन वस्तुओं का निर्यात वर्जित होता है उनके व्यापारिक आधार पर निर्यात करने के उद्देश्य से दिये गये आवेदनपत्र साधारणतः स्वीकार नहीं किये जाते। केवल विशेष अवस्थाओं अथवा कारणों से प्रेरित होकर ही ऐसी वस्तुओं के निर्यात के लिये आवेदनपत्र दिये जा सकते हैं और ये चीफ कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नई दिल्ली, के पास भेजे जाते हैं।

अनुसूची में शामिल अन्य वस्तुओं के निर्यात के लाइसेन्स इस सम्बन्ध में निर्धारित नीति तथा प्रणाली के अनुसार दे दिये जाते हैं। यह समझ लेना चाहिए कि किसी भी वस्तु पर निर्यात नियन्त्रण लागू करने का उद्देश्य यही होता है कि उसके निर्यात को या तो रोक दिया जाय अथवा विनियमित कर दिया जाय। इसलिये जो लोग निर्यात करना चाहते हों उन्हें स्वयं ही यह देख लेना चाहिए कि जिस वस्तु को वे बाहर भेजना चाहते हैं नीति के अनुसार उसका लाइसेन्स मिल भी सकता है या नहीं।

पहले विभिन्न देशों को भेजी जा सकने वाली नियन्त्रित वस्तुओं के परिमाण कोटे निश्चित कर दिये जाते जाते थे। अब ऐसा केवल असाधारण अवस्थाओं में ही किया जाता है। यदि लाइसेन्स में विशेषतः लिखा न हो अथवा कोई विशेष सूचना बाधक न हो तो साधारणतः लाइसेन्स संसार के किसी भी स्थान को निर्यात कर देने के लिये जारी किये जाते हैं। इसमें किसी भी देश के बीच भेदभाव नहीं किया जाता। इसका यह अर्थ हुआ कि नियन्त्रित वस्तुओं के निर्यात के लिये जिन व्यक्तियों के पास लाइसेन्स हों उनसे उन्हें खरीदने के लिये विदेशी खरीदार बिल्कुल स्वतन्त्र हैं फिर वे चाहे जिस देश के हों। इस नियम का केवल एक देश ही अपवाद है और वह है दक्षिण अफ्रीका जिसके साथ व्यापार करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा हुआ है। यहां जो जानकारी दी गई है वह सामान्य रूप की है। निर्यात-नीति के विषय में होने वाले परिवर्तन समय-समय पर प्रेस विज्ञप्तियों अथवा बन्दरगाहों पर निर्यात नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा जारी की गई सूचनाओं में बताये जाते हैं। इसलिये जो व्यक्ति निर्यात करना चाहते हैं वे इन सूचनाओं और विज्ञप्तियों को भी बराबर अवश्य देखते रहें। ये सूचनाएं 'वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट ट्रेड कन्ट्रोल' में प्रकाशित की जाती हैं।

[२]

निर्यात नियन्त्रण संगठन

निर्यात व्यापार का नियन्त्रण भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय, आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम १९४७ के अन्तर्गत करता है। इस नियन्त्रण संगठन का प्रधान अधिकारी चीफ कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स (Chief Contrallor of Imports and Exports) होता है जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। बम्बई, कलकत्ता और मदरास के बन्दरगाहों में ज्वाइन्ट चीफ कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स (Joint Chief Controller of Imports & Export) रहते हैं। कोचीन में डिप्टी चीफ कन्ट्रोलर रहता है। पान्डीचेरी तथा विशाखापत्तनम में कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स रहते हैं। राजकोट में इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट ट्रेड कन्ट्रोलर रहता है। इसके अतिरिक्त स्थल मार्गों से होने वाले व्यापार का नियमन करने के लिये अमृतसर, शिलांग और त्रिपुरा में एक-एक एक्सपोर्ट ट्रेड कन्ट्रोलर रहता है। अन्डमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर स्थित चीफ कमिश्नर को भी निर्यात लाइसेंस देने के अधिकार दे दिये गये हैं। ये अधिकारीगण अपने अपने क्षेत्रों में चीफ कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स के प्रतिनिधि रूप में रह कर उसकी देख रेख एवं नियन्त्रण में काम करते हैं।

इन अधिकारियों के पते नीचे लिखे अनुसार हैं:—

डाक का पता	तार का पता
चीफ कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स, उद्योग भवन, किंग एडवर्ड रोड, नई दिल्ली।	CHEFCONEX, New Delhi.
ज्वायन्ट चीफ कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स, सुदामा हाउस, बैलार्ड इस्टेट, बम्बई।	JOCHCONIMP, Bombay.
ज्वायन्ट चीफ कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स, ४ एसप्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता।	IMPTRADCON, Calcutta.
ज्वायन्ट चीफ कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स, कस्टम्स हाउस, मदरास।	DECHCONIMP, Madras.
डिप्टी चीफ कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स, विलिंगडन आईलैंड, कोचीन।	IMPTRADCON or EXTRACON, Cochin.
कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स, पान्डीचेरी	CONEXIMP, Pandicherry.
कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स, विशाखापत्तनम्	IMPEXCON, Visakhapatnam.
इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स ट्रेड कन्ट्रोलर रजकोट	IMPEXCON, Rajkot.
एक्सपोर्ट ट्रेड कन्ट्रोलर, अमृतसर	EXTRACON, Amritsar.
एक्सपोर्ट ट्रेड कन्ट्रोलर, शिलांग	EXTRACON, Shillong.
एक्सपोर्ट ट्रेड कन्ट्रोलर, त्रिपुरा	EXTRACON, Tripura.
चीफ कमिश्नर अन्डमान द्वीप, पोर्ट ब्लेयर	ANDAMANS, Port Blair.

जिन वस्तुओं के निर्यात की साधारणतः अनुमति नहीं दी जाती उनके निर्यात के लिये आवेदनपत्र चीफ कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स नई दिल्ली के पास भेजने चाहिए। लोहे और इस्पात को छोड़कर अन्य नियन्त्रित वस्तुओं के लिये आवेदनपत्र ज्वायन्ट चीफ कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स कलकत्ता, बम्बई अथवा मदरास या डिप्टी चीफ कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स कोचीन या कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स पान्डीचेरी, विशाखापत्तनम या इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट ट्रेड कन्ट्रोलर राजकोट या चीफ कमिश्नर अन्डमान द्वीप, पोर्ट ब्लेयर को सम्बद्ध बन्दरगाह के अनुसार भेजने चाहिए।

अमृतसर, शिलांग और त्रिपुरा स्थित एक्सपोर्ट ट्रेड कन्ट्रोलर मुख्यतः पाकिस्तान को होने वाले निर्यात के बारे में आवेदनपत्रों पर विचार करते हैं। स्थलमार्ग द्वारा बरमा को और अमृतसर होकर अफगानिस्तान को भेजने वाले माल के बारे में भी आवेदनपत्र शिलांग तथा अमृतसर स्थित एक्सपोर्ट ट्रेड कन्ट्रोलरों को दिये जाते हैं।

लोहे और इस्पात से बनी वस्तुओं के निर्यात के लिये आवेदनपत्र आयरन एण्ड स्टील कन्ट्रोलर, ३३ नेताजी सुभाष रोड कलकत्ता को भेजने चाहियें।

[३]

नियन्त्रणमुक्त वस्तुएं

देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ाना सरकार का उद्देश्य है। इसलिये केवल थोड़ी सी ऐसी वस्तुओं पर ही नियन्त्रण किया जाता है जिन्हें उनकी उपलब्धि स्थिति को देखते हुए नियन्त्रण से मुक्त नहीं रखा जा सकता। निर्यात (नियन्त्रण) आदेश, १९५४ के अनुबन्ध २ में जिन वस्तुओं का उल्लेख किया गया है उन्हें छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं नियन्त्रण से मुक्त हैं और उनके निर्यात के लिये अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। स्थानाभाव के कारण नियन्त्रित वस्तुओं की सूची यहां देनी सम्भव नहीं है। जिन व्यक्तियों को इसकी आवश्यकता हो वे उक्त आदेश को देखने की कृपा करें।

अनियन्त्रित वस्तुओं के अलावा ऐसी भी अनेक वस्तुएं हैं जो यद्यपि नियन्त्रित वस्तुओं की अनुसूची में शामिल हैं तथापि लाइसेंस देने की औपचारिकताओं के बिना खुले तौर पर जिनके निर्यात की अनुमति दी जाती है। यह निर्यात किसी भी अनुमति प्राप्त अथवा बताये गये स्थान को निश्चित अथवा अनिश्चित अवधि में किया जा सकता है। यह सुविधा चुनी हुई वस्तुओं को "खुले सामान्य लाइसेंस" (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत शामिल करके दी जाती है। जब इस सूची में शामिल किसी भी वस्तु की उपलब्धि में कठिनाई हो जाती है तो इसे ओ० जी० एल० सूची में से निकाल देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप यह फिर अपने आप नियन्त्रित वस्तुओं में आ जाती है जिनके लिये निर्यात लाइसेंस लेना पड़ता है। 'खुले सामान्य लाइसेंस' सूची में वस्तुओं को शामिल करने अथवा निकाल देने की सूचनाएं भारत सरकार के गजट में प्रकाशित कर दी जाती हैं।

इस समय चार खुले सामान्य लाइसेंस चालू हैं :—

(१) *खुला सामान्य लाइसेंस नं० १*—यह उन वस्तुओं पर लागू होता है जिन्हें स्थल मार्ग-द्वारा भारत के किसी भी ऐसे निकटवर्ती देश को निर्यात किया जाता है जिसकी सीमा समुद्र पर नहीं पड़ती। इस सम्बन्ध में शर्त यह है कि ये वस्तुएं केवल उसी देश में प्रयोग अथवा उपयोग के लिये भेजी जाती हों।

(२) *खुला सामान्य लाइसेंस नं० २*—यह दुर्लभ मुद्रा वाले देशों को होने वाले निर्यात पर लागू होता है। इनमें केवल दो वस्तुएं अर्थात् काली मिर्च और लाल मिर्च शामिल हैं।

(३) *खुला सामान्य लाइसेंस नं० ३*—यह ऐसी वस्तुओं पर लागू होता है जिनकी उपलब्धि स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी होती है और इसलिये सभी अनुमति प्राप्त स्थानों को उनका निर्यात किया जा सकता है। इसमें ५८ वस्तुएं शामिल हैं।

(४) *खुला सामान्य लाइसेंस नं० ४*—यह लगभग १५ वस्तुओं पर लागू होता है जिनका पाकिस्तान को निर्यात करने की अनुमति दी जाती है। ये वस्तुएं लाइसेंस नं० ३ में उल्लिखित के अतिरिक्त हैं।

निर्यातकों की श्रेणियां

सामान्यतः तीन श्रेणियों के निर्यातकों को लाइसेंस दिये जाते हैं। प्रत्येक श्रेणी के लिये लाइसेंस देने की प्रणाली अलग-अलग होता है। ये श्रेणियां इस प्रकार हैं : (क) पुराने निर्यातक (ख) नये निर्यातक और (ग) उत्पादक अर्थात् निर्माता, खानों के मालिक तथा वस्तुएं उपजाने वाले।

पुराने निर्यातक—(Established shippers)—जो निर्यातक निर्धारित प्रणाली के अनुसार यह सिद्ध कर सकते हैं कि उन्होंने निश्चित की हुई आधारभूत अवधि के अन्तर्गत आधे अथवा पूरे वर्ष में निर्यात किया है उन्हें पुराने निर्यातकों की श्रेणी में शामिल कर लिया जाता है। आधारभूत अवधि भिन्न-भिन्न वस्तुओं के लिये अलग अलग होती है। पुराने आयातक आधारभूत अवधि में से जिस आधे अथवा पूरे वर्ष को अपने निर्यात की दृष्टि से सब से अच्छा मानते हैं उसमें किये गये उनके निर्यात परिमाण से ही अनुपात लगाकर उन्हें लाइसेंस दे दिये जाते हैं।

नये निर्यातक—(New Comers)—यदि निर्यात के लिये बचे हुए माल की बहुत कमी नहीं होती तो निर्यात व्यापार में भाग लेने के लिये नयी फर्मों के वास्ते भी कुछ व्यवस्था कर दी जाती है। इस प्रकार इस निर्यात योग्य माल के कुछ प्रतिशत को नये निर्यातकों के लिये अलग कर दिया जाता है। नये निर्यातक से यह मतलब नहीं है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त कर सकता है जिसे सम्बद्ध वस्तु का देश के भीतर व्यापार करने का भी अनुभव न हो। उसे कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी जिनके द्वारा यह निश्चय हो जाता है कि यह सम्बद्ध वस्तु के व्यापार के लिये बिल्कुल ही नया नहीं है परन्तु उसे या तो निश्चित अवधि के अतिरिक्त समय में वस्तु विशेष के निर्यात करने का अथवा देश के भीतर उसके व्यापार का पर्याप्त अनुभव है। नये निर्यातक का एक विशेष अर्थ है और जिन व्यक्तियों को वस्तु विशेष के व्यापार का अनुभव नहीं होता वे उसका लाइसेंस नहीं पा सकते।

उत्पादक (Producers)—नयी वस्तुएं बनाने वाले निर्माताओं अथवा देश के खनिज पदार्थों को निकालने वाले खान मालिकों अथवा कृषिजन्य पदार्थों के उपजाने वाले व्यक्तियों को सहायता देने के उद्देश्य से निर्माताओं, खान मालिकों और कृषि पदार्थ उपजाने वालों को भी उनके उत्पादन अथवा बिक्री के कुछ प्रतिशत भाग के निर्यात के लिये लाइसेंस दिये जाते हैं। इस आधार पर अनेक वस्तुओं के लिये लाइसेंस दिये जाते हैं जिनमें सीमेंट, टायर और ट्यूब, दवाई के कृत्रिम चूर्ण और खनिज मैंगनीज तथा खनिज लोहे जैसे खनिज पदार्थ उल्लेखनीय हैं।

लाइसेंस नीति

प्रत्येक वस्तु की लाइसेंस नीति ज्ञात करने के लिये हैन्ड बुक आफ एक्सपोर्ट ट्रेड कन्ट्रोल के भाग २ में दिये गये विवरण के कालम ३ तथा ४ देखने चाहिए। इनमें दी गई बहुत सी वस्तुओं के लाइसेंस खुल कर और कुछ के, उनके महत्व पर विचार करके दिये जाते हैं। केवल थोड़ी सी वस्तुओं के लाइसेंस कोटे के आधार पर एक अधिकतम सीमा के अन्तर्गत दिये जाते हैं। इन वस्तुओं में भेड़ें और बकरियां, कच्चा ऊन, दवाई का कृत्रिम चूर्ण और खनिज पदार्थ उल्लेखनीय हैं। इन वस्तुओं के निर्यात कोटे निश्चित कर दिये जाते हैं जिनकी घोषणा निश्चित अवधियों पर की जाती है। जो व्यक्ति इनका निर्यात करना चाहें उन्हें इन घोषणाओं की जानकारी रखनी चाहिए और समय पर अपने आवेदनपत्र सम्बद्ध अधिकारियों के पास भेज देने चाहिए।

विदेशों के आयात तथा सीमाशुल्क नियमों तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये विभिन्न देशों में नियुक्त भारतीय व्यापार प्रतिनिधियों से पत्रव्यवहार किया जा सकता है। इन व्यापार प्रतिनिधियों के नाम तथा पते उद्योग व्यापार पत्रिका के प्रत्येक अंक में प्रकाशित होते हैं।

[४]

लाइसेंस देने की प्रणाली

नियन्त्रित वस्तु का निर्यात करने की इच्छुक फर्मों अथवा व्यक्तियों को निर्धारित फारम पर सम्बद्ध अधिकारी के पास आवेदनपत्र देना चाहिए। इन फारमों की छपी हुई प्रतियां निकटतम् निर्यात व्यापार नियन्त्रण कार्यालय अथवा नई दिल्ली में चीफ कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स के कार्यालय से मिल सकती हैं। इनका मूल्य ६ नये पैसे है जो नगद अथवा मनीआर्डर से अग्रिम भेजा जा सकता है। डाक टिकट भेजने पर अथवा वी० पी० पी० द्वारा फारम नहीं भेजे जाते।

आवेदन-पत्र शुल्क—निर्यात लाइसेंस के आवेदनपत्रों पर शुल्क देना पड़ता है जो निर्यात (नियन्त्रण) आदेश १९५४ के खण्ड ४ के अनुसार निर्धारित किया गया है। यह शुल्क किसी सरकारी खजाने या स्टेट बैंक या रिजर्व बैंक के उस कार्यालय में जमा कराया जा सकता है जो कि केन्द्रीय सरकार का खाता रखता है। प्रत्येक आवेदनपत्र के साथ खजाने या बैंक की रसीद या चालान होना चाहिए। जिन आवेदनपत्रों के साथ बैंक की रसीद या चालान नहीं होगा वे रद्द किये जा सकेंगे। जिन वस्तुओं के निर्यात के लिये आवेदनपत्र पर शुल्क नहीं लगता उनके साथ रसीद लगाने की आवश्यकता नहीं है। शुल्क तथा अन्य आवश्यक विवरण निर्यात (नियन्त्रण) आदेश १९५४ की तीसरी अनुसूची तथा भारत सरकार की विज्ञप्ति नं० ७९४ ता० २१ अक्टूबर, १९५०, नं० १३ ई० सी० (१४)/५४ ता० ३१ जुलाई १९५४ और नं० ५ ई० सी० (२)/५७ ता० ४ मई १९५७ में दिये गये हैं। ये सब भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित "हैन्ड बुक आफ एक्सपोर्ट ट्रेड कन्ट्रोल" नामक पुस्तक में दी गई है जो ३.७५ रु० में मैनेजर पब्लिकेशन्स दिल्ली से मंगाई जा सकती है।

आयकर का प्रमाण—निर्यात लाइसेंस का आवेदनपत्र देने वाले व्यक्तियों को इस आशय का प्रमाण देना पड़ता है कि वे नियमित रूप से आयकर देते हैं अथवा किसी कारण उन्हें आयकर नहीं देना पड़ता। प्रत्येक आवेदनपत्र के साथ ऐसा प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। जिन व्यक्तियों अथवा फर्मों को प्रायः ही ऐसे प्रमाण देने की आवश्यकता होती है उन्हें चाहिए कि वे आयकर अधिकारियों से आयकर देने का प्रमाणपत्र ले लें और सम्बद्ध लाइसेंस अधिकारी के पास अपने नाम की रजिस्ट्री करा के रजिस्ट्रेशन नम्बर ले लें। यह रजिस्ट्रेशन नम्बर प्रत्येक आवेदनपत्र में लिख देने पर आयकर सम्बन्धी प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती।

जो वस्तुएं अनुमानित विदेशी मांग की अपेक्षा कम परिमाण में उपलब्ध होती हैं उनके लिये अधिकांश लाइसेंस ऐसे निर्यातकों को दिये जाते हैं जिन्हें उनके निर्यात का पहले से अनुभव होता है। इन निर्यातकों को निर्धारित आधारभूत वर्ष अथवा आधारभूत अवधि में से किसी भी चुने हुए वर्ष में किया गया अपना निर्यात सिद्ध करना होता है। आधारभूत अवधि भिन्न-भिन्न वस्तुओं के लिये अलग-अलग होती है और साधारणतः "मुक्त अवधि" में से चुना जाता है अर्थात् वह अवधि जिसमें उस वस्तु के निर्यात पर से नियन्त्रण हटा लिया गया

था अथवा वह सामान्य खुले लाइसेंस या खुले लाइसेंस वाली वस्तुओं में शामिल कर दी गई थी।

निर्यातक आधारभूत अवधि में से अपनी इच्छानुसार कोई भी ऐसा वर्ष चुन सकते हैं जिसमें उनके द्वारा किया गया निर्यात सबसे अच्छा रहा हो और जिसके बारे में उनके पास स्वीकार किये जाने योग्य प्रमाण प्रस्तुत हो। यह प्रमाण इस प्रकार का होता है :—

(क) माल भेजने की बिल्टी।

(ख) यदि माल भेजने की बिल्टी न हो तो सीमा शुल्क विभाग से लिया हुआ माल भेजे जाने का प्रमाणपत्र।

(ग) रेल अथवा सड़क द्वारा माल भेजने की दशा में स्थल सीमा शुल्क देने की प्रमाणित प्रतिया।

(घ) निर्यात इनवायस, और

(ङ) डाक द्वारा माल भेजने की दशा में डाक घर की रसीद।

लाइसेंस अधिकारी प्रस्तुत किये गये प्रमाण के आधार पर प्रत्येक निर्यात के लिये आधारभूत निर्यात का निर्णय करता है। इसके आधार पर ही निर्यातक का कोटा तय किया जाता है। जहां कहीं आवश्यकता होती है वहां औचित्य का ध्यान रख कर इस कोटे की न्यूनतम सीमा निश्चित कर दी जाती है। कभी-कभी सरकार केवल यह घोषित कर देती है कि कुल कितना माल निर्यात के लिये छोड़ा जायगा। ऐसी दशा में पुराने निर्यातकों के कोटे उनके प्रमाणित भागों के अनुपात के हिसाब से तय कर दिये जाते हैं। अधिकांश मामलों में उस प्रतिशत की घोषणा कर दी जाती है जो कि निर्यात किये जाने वाले माल के मूल्य अथवा परिमाण का हिसाब लगाने के लिये निर्धारित किया जाता है। ऐसे मामलों में प्रत्येक निर्यात का कोटा उसके आधारभूत निर्यात का प्रतिशत निकाल कर तय किया जाता है। उदाहरण के लिये यदि प्रतिशत कोटा २५ प्रतिशत है और निर्यात का आधारभूत निर्यात ५००० टन है तो उसे ५०००×२५।१०० टन अर्थात् १२५० टन का कोटा मिल सकेगा।

नये निर्यातक और उत्पादक—जब निर्यात के लिये छोड़े गये माल का परिमाण इतना कम होता है कि पुराने निर्यातकों तक को उनके पुराने परिमाण की तुलना में बहुत कम माल मिलता है तो नये निर्यातकों और उत्पादकों को कोई कोटा देना सम्भव नहीं होता। जिन फर्मों को सम्बद्ध वस्तु के व्यापार का अनुभव होता है और जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी होती है केवल वे ही नये निर्यातकों अथवा उत्पादकों का लाइसेंस लेने के आवेदनपत्र देने के योग्य होते हैं। इसकी शर्तें उसी समय घोषित कर दी जाती हैं जब उनसे आवेदनपत्र मांगे जाते हैं। साधारणतः उनसे यह सिद्ध करने को कहा जाता है कि वे किसी निश्चित अवधि में कितने दिनों से उक्त वस्तु का देश में व्यापार कर रहे हैं। और अथवा [बिक्री के सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के प्रमाणपत्र प्रमाण मान लिये जाते हैं। कभी कभी दिये गये बिक्री कर की रसीदें प्रमाण स्वरूप मांग ली जाती हैं। इसके अतिरिक्त नये निर्यातक या उत्पादक से लाइसेंस अधिकारी के समक्ष बिक्री के वे इकरारनामे पेश करने को कहा जाता है जिन्हें वे विदेशी खरीदार के साथ करता है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उसमें निर्यात व्यापार करने की कितनी क्षमता है।

जब कोई नियन्त्रित वस्तु अपेक्षाकृत अच्छे परिमाण में निर्यात के लिये उपलब्ध होती है तो उसके निर्यात के लिये किसी तारीख तक अथवा किसी अधिकतम् सीमा तक खुले तौर पर लाइसेंस दिये जा सकते हैं और इस बारे में कोई परिमाण सम्बन्धी प्रतिबन्ध नहीं हो सकते। ऐसे मामलों में निर्धारित फारमों पर आवेदन पत्र लाइसेंस अधिकारियों को माल भेजने के बिल देते समय दिये जाने चाहिए और निर्यात के लाइसेंस इन बिलों पर पृष्ठांकन करके दे दिये जाते हैं। इस प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के निर्यातकों के मध्य भेदभाव नहीं किया जाता और सभी इच्छुक निर्यातक माल उपलब्ध होते ही निर्यात के लाइसेंस मांगने को स्वतन्त्र होते हैं। इस प्रणाली के अनुसार जिन वस्तुओं के लाइसेंस दिये जाते हैं वे समय-समय पर बदलती रहती हैं। ३० अप्रैल १६५७ को इनकी संख्या २५० थी।

निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने अथवा जिन वस्तुओं के निर्यात के लिये परिमाण की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी उस सीमा तक निर्यात हो चुकने के बाद खुले तौर पर लाइसेंस देना बन्द कर दिया जाता है। ऐसी दशा में साधारणतः उन सौदों का भी विचार नहीं किया जाता जिन्हें निर्यातक लाइसेंस मिलने की आशा में तय कर लेते हैं। परन्तु कुछ मामलों में निर्यातकों के सौदों का ख्याल किया जाता है जिससे निर्यात व्यापार ठीक तौर पर चलता रहे। यह ख्याल उन निर्यातकों के सौदों का किया जाता है जो अपनी बिक्री की रजिस्ट्री करा देते हैं।

कभी-कभी खुले लाइसेंस वाली वस्तु के उपलब्ध होने की स्थिति अकस्मात बदल जाती है। ऐसी दशा में माल को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उसके खुले लाइसेंस देने बन्द कर दिये जाते हैं और इसकी सूचना पत्रों में समाचार देकर तथा बन्दरगाहों पर नोटिस निकाल कर दे दी जाती है। परन्तु ऐसा करने पर भी उन सौदों का पूरा ख्याल रखा जाता है जो टूट नहीं सकते हैं।

जिन वस्तुओं का निर्यात एक अधिकतम् सीमा के भीतर होता है और जिनके बारे में व्यापार का कोई पुराना ढंग नहीं होता उनके लिये लाइसेंस देने की नीति यह है कि जो पहले मांगेगा उसे पहले मिलेगा। सभी इच्छुक निर्यातकों को समान रूप से फायदा उठाने का अवसर मिले इसलिये एक व्यक्ति के लिये एक बार में अथवा एक अवधि में माल भेजने की एक अधिकतम् सीमा निश्चित कर दी जाती है और निर्यातक के लिये कुछ शर्तें भी तय कर दी जाती हैं।

स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने और हमारे यहां बनने वाली नई वस्तुओं, जैसे कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, कापर औक्साइड इत्यादि के लिये नये बाजार खोज निकालने के उद्देश्य से थोड़े निर्यात के आवेदनपत्रों पर तदर्थ आधार पर विचार किया जाता है। कारखानों में माल इकट्ठा न होने देने के उद्देश्य से भी तदर्थ आधार पर निर्यात लाइसेन्स दिये जाते हैं जिससे उत्पादन को हानि न पहुंचे।

किसी वस्तु विशेष का निर्यात लाइसेन्स लेने के लिये आवेदनपत्र देते समय जो अन्य कार्रवाइयां करनी पड़ती हैं वे इस सम्बन्ध में प्रकाशित होने वाली सूचनाओं में बता दी जाती हैं। आवेदनकर्त्ता को यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि आवेदनपत्र उचित फारम पर ही देना चाहिए और उसमें मांगी जाने वाली समस्त जानकारी ठीक ठीक देनी चाहिए। उन्हें अपने आयकर जांच का रजिस्ट्रेशन अथवा उससे मुक्त रहने का नम्बर भी लिखना चाहिए तथा आवेदनपत्र शुल्क की रसीद अवश्य लगानी चाहिए। प्रमाण के लिये आवश्यक कागजपत्र भी आवश्यकता होने पर अवश्य पेश करने चाहिए।

लाइसेन्सों की वैधता

यदि अन्य कोई शर्त न हो तो निर्यात लाइसेन्स साधारणतः जारी होने की तारीख से तीन महीने तक के लिये वैध रहता है। सूती कपड़ा, सूत और सूत का कुछ अन्य माल इसका अपवाद होता है जिसकी वैधता की अवधि का निश्चय बम्बई स्थित ज्वायन्ट चीफ कण्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स करता है। लाइसेन्स अधिकारी लाइसेन्स की वैधता की अवधि में तीन महीने तक की वृद्धि कर सकता है। यह वृद्धि एक बार में एक महीने की होती है। अवधि बढ़ाने के लिये ऐसे कारण बताने पड़ते हैं जो कि निर्यातक की शक्ति से बाहर रहे हों। उचित मामलों में चीफ कण्ट्रोलर और भी वृद्धि कर सकता है जिससे माल भेजने वालों को कठिनाई न हो।

जिन वस्तुओं के निर्यात के लिये परिमाण की कोई सीमा नहीं होती उनके लाइसेन्स खुले तौर पर दिये जाते हैं। इनके तथा जिन वस्तुओं के लाइसेन्स कोटा के आधार पर दिये जाते हैं उनके निर्यात की अवधि एक महीना होती है। यह वृद्धि तीन महीने तक की हो सकती है और एक बार में एक महीने की ही होती है। परन्तु शर्त यह है कि माल भेजने के किसी भी बिल की वैधता लाइसेन्स अवधि से १५ दिन से अधिक तब तक आगे नहीं बढ़ सकेगी जब तक कि अगली अवधि में भी लाइसेन्स नीति यथावत नहीं बनी रहेगी। खजाने की नई रसीद पेश करने पर भी अवधि बढ़ा दी जाती है। ऐसा करने पर यह मान लिया जाता है कि नये लाइसेन्स के लिये आवश्यक शुल्क दे दिया गया है। ऐसी दशा में यदि नीति नहीं बदल जाती तो आवेदनकर्ता का माल भेजने का नया बिल पास कर दिया जाता है।

'जो पहले मांगे उसे पहले मिले' आधार पर मिलने वाले लाइसेन्सों के सम्बन्ध में माल भेजने के बिलों की वैधता १५ दिन तक रहती है और इसे बढ़ाया नहीं जाता। अन्य प्रकार के लाइसेन्सों के बिलों की वैधता एक महीने तक चलती है और उसे भी साधारणतः नहीं बढ़ाया जाता। यदि बिल की अवधि सीमा-शुल्क अदा करने के बाद निकल जाय और सीमा-शुल्क अधिकारी निर्यातक को अनुमति न दे सकें तो तो फिर आवेदन पत्र का शुल्क देकर माल भेजा जा सकता है। जब मूल लाइसेन्स खो जाता है और निर्यातक उस की दूसरी प्रति लेना चाहता है तो उसे एक रुपये के स्टाम्प लगाकर निर्धारित फारम पर लाइसेन्स अधिकारी के यहां इस आशय की सूचना देनी पड़ती है।

निर्यातकों को दिये जाने वाले लाइसेन्स दूसरे व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं किये जा सकते और न लाइसेन्स लेने वाला व्यक्ति उनमें दिये गये माल, उसके भेजने या पाने वाले के नाम और लाइसेन्स की शर्तों में कोई परिवर्तन ही कर सकता है। इस प्रकार कोई भी अनधिकृत परिवर्तन लाइसेन्स को रद्द और अवैध कर देता है और ऐसा करने वाले को दण्ड भी भुगतना पड़ सकता है। किसी भी लाइसेन्स में संशोधन या परिवर्तन कराने अथवा उसकी दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिये उसी अधिकारी को आवेदनपत्र देने चाहिएं जिसने कि मूल लाइसेन्स जारी किया हो।

कोटा अधिकारों का हस्तांतरण

पुराने निर्यातकों को उनके पुराने निर्यात के आधार पर लाइसेन्स देने की प्रणाली ऊपर बताई जा चुकी है। ये लाइसेन्स यह मान कर ही दिये जाते हैं कि आवेदनकर्ता फर्म के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब कभी फर्म के संगठन अथवा नाम में कोई परिवर्तन हो जाता है अथवा उसका व्यापार किसी दूसरे के हाथ में चला जाता है तो पुनः संगठित फर्म को पहले वाली फर्म का कोटा पाने का तब तक अधिकार नहीं होगा जब तक कि उसके हक में कोटा अधिकारों के हस्तांतरण को चीफ कण्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स अथवा अन्य लाइसेन्स अधिकारी स्वीकृत नहीं कर देंगे।

[५]

यात्रियों के निजी सामान का निर्यात

देश से बाहर जाने वाले यात्रियों को निजी सामान का यदि यात्री के साथ निर्यात किया जाय अथवा उसके जाने से चार महीने पहले या बाद में किया जाय तो वह निर्यात व्यापार नियन्त्रण से मुक्त रहता है। यदि सीमाशुल्क कलक्टर चाहे तो यह अवधि बढ़ा कर एक साल कर दे सकता है। नियन्त्रण की यह रियायत केवल उपयोग में लाये हुए अथवा न लाये हुई निजी सामान पर ही दी जाती है और वह भी निर्धारित सीमा तक। इस सामान का विस्तृत विवरण 'हैंड बुक आफ एक्सपोर्ट ट्रेड कण्ट्रोल' के परिशिष्ट ४ में दिया गया है। परन्तु प्रत्येक दशा में शर्त यह रहती है कि यह सामान यात्री अथवा उसके साथ यात्रा करने वाले उसके परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत उपयोग के लिये ही हो और किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने या अन्य किसी प्रकार देने के लिये न हो। यदि कोई यात्री इस सामान के अतिरिक्त अन्य कोई सामान अपने साथ ले जाना चाहे तो उसे बन्दरगाह अथवा स्थल सीमा के शुल्क अधिकारियों को इसकी सूचना दे देनी चाहिए। सीमा-शुल्क कलक्टर उचित समझेगा तो इसके निर्यात की अनुमति दे देगा। इस सामान के निर्यात के लिये आवेदनपत्रों पर निर्यात व्यापार नियन्त्रण अधिकारी साधारणत विचार नहीं करते। मोटर गाड़िया, मोटर साइकिलें और अनाज, दालें, घी आदि नियन्त्रित खाद्य पदार्थ इसके अपवाद हैं।

डाक पारसल

उपहार अथवा व्यापार के लिये डाक पारसल द्वारा भेजी जाने वाली वस्तुओं के निर्यात का नियमन पोस्टल नोटिस नं० ६, ता० ६ मई, १९५५ द्वारा किया जाता है। यह नोटिस निर्यात (नियन्त्रण) आदेश १९५४ के खण्ड ७ (घ) के अनुसार निकाला गया है। वायुयान द्वारा भेजी जाने वाली वस्तुओं के पारसल यदि ११ पौंड से अधिक भारी न हों तो उन पर इस नोटिस के नियम लागू होते हैं।

खाद्य पदार्थ अर्थात् अनाज, दालें तथा आटा, डिब्बा बन्द दूध तथा मक्खन, घी, पनीर आदि दूध के उत्पादन यदि डाक पारसल से भेजे जाय तो उनके लिये निर्यात लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं होती परन्तु शर्त यह है कि ऐसे पारसल २० पौंड से अधिक भारी न हों। दक्षिणी अफ्रीका और भारत की पुर्तगाली बस्तियों को ये पारसल नहीं भेजे जा सकते। खाद्य पदार्थ वाले अन्य पारसलों के लिये निर्यात लाइसेन्स लेना पड़ता है। गाय, सांड, बैल और बछड़ों के मांस, गुर्दा, जिगर और भेजों को डिब्बा बन्द अथवा अन्य अवस्थाओं में डाक पारसलों द्वारा भेजा जाय तो उनके लिये नियन्त्रण अधिकारियों से लाइसेन्स लेना आवश्यक है।

नीचे लिखी कुछ वस्तुओं को छोड़कर खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुएं डाक द्वारा निर्यात की जा सकती हैं। वे चाहे उपहार के लिये भेजी जाय अथवा व्यापार के लिये उनके लिये लाइसेन्स लेने की आवश्यकता नहीं होती। जो वस्तुएं नहीं भेजी जा सकती वे इस प्रकार हैं:—

(१) शस्त्र, गोली कारतूस और सैनिक सामान (विस्फोटक पदार्थ आदि सहित) जो कि निजी सम्पत्ति न हो और जो भारतीय शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आते हों।

(२) सिनेमा की कोरी फिल्में।

(३) कच्चे भेषज—

१. गौलोचन

२. इपीकाक की जड़ें

३. सर्पगन्धा और उसकी अन्य किस्में।

(४) खनिज चादी, सोना, चादी, धातु, मिश्रित धातुएं और उनसे बनी वस्तुएं जिनमें नकली रत्न, जरी का सामान (सच्चा तथा झूठा) और तारकशी की वस्तुएं नहीं होंगी।

(५) बीहन लाख अथवा जीवित कीड़ों वाली लाख।

(६) पश्मीना ऊन या पश्म।

(७) सूत।

(८) क नीचे लिखे खनिज पदार्थ:—

१. बेरायल, २. ग्रेफाइट, ३. लीथियम खनिज, ४. स्याइल खनिज, ५. रेडियम खनिज, ६. थोरियम खनिज, ७. यूरेनियम खनिज, ८. यूरेनियम खनिज से ताबा या सोना निकालने के बाद शेष रहा यूरेनियम युक्त भाग, ९. जिरकन खनिज, १०. अन्य खनिज जिनमें उपर्युक्त खनिज पदार्थ हों।

(ख) ये धातुएं, उनके मिश्रण तथा उनसे बनी धातुएं —
१. बेरीलियम, २. लिथियम, ३. नेप्ट्यूनियम, ४. प्लूटोनियम, ५ रेडियम, ६. थोरियम, ७. यूरेनियम, ८. जिरकोनियम।

(ग) नीचे लिखे रासायनिक पदार्थ, भेषज और दवाइयां :—
१. बेरीलियम, २. प्लूटोनियम, ३. लिथियम, नेप्ट्यूनियम,

५. प्लूटोनियम, ६. रेडियम, ७. थोरियम, ८. यूरेनियम और ६. जिरकोनियम के यौगिक।

(६) पारा और उसके यौगिक।

ऊपर बताई गई वस्तुओं वाले पारसल तब तक नहीं भेजे जाते जब तक कि उनके साथ निर्यात नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा दिया गया लाइसेन्स न हो।

डाक पारसलों द्वारा भेजे जाने वाले व्यापारी नमूने खुले सामान्य लाइसेन्स नं० ३ के अंतर्गत आते हैं। जो व्यक्ति डाक पारसल से माल भेजना चाहें उन्हें देख लेना चाहिये कि वे नियमानुसार हों अन्यथा पारसल उनके पास वापस लौट आयेगा। यदि डाकघर पारसल को शुरू में ले लेगा तो इसका यह अर्थ नहीं होगा कि वह नियमविरुद्ध होने पर भी आगे भेज दिया जायगा। ऐसी दशा में डाक टिकट का मूल्य वापस करने अथवा क्षतिपूर्ति की मांग नहीं की जा सकेगी। जहाजों में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने प्रयोग के लिये खाद्य पदार्थ आदि ले जाने की अनुमति दी जाती है और उन पर निर्यात नियन्त्रण लागू नहीं होता।

[६]

सीमाशुल्क सम्बन्धी प्रणाली

निर्यातक को स्वयं अथवा अपने एजेन्ट द्वारा बन्दरगाह के सीमाशुल्क कार्यालय (कस्टम्स हाउस) के निर्यात विभाग में नीचे लिखे कागजपत्र पेश कर देने चाहिए :—

(क) जहाज से माल भेजने की बिल्टी जिसकी आवश्यकतानुसार दो, तीन अथवा चार प्रतियां लगानी चाहिए, जिनमें निर्यात किये जाने वाले माल परिमाण, विवरण, मूल्य आदि दिये हुए हों, साथ में माल पाने वाले का पूरा नाम तथा पता भी देना चाहिए।

(ख) विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित उपयुक्त जी० आर० अथवा ई० पी० फारम, और

(ग) यदि आवश्यकता हो तो निर्यात लाइसेन्स। पर यदि लाइसेन्स की आवश्यकता न हो और वस्तुओं के निर्यात की खुले तौर से अनुमति दी जाती है तो जहाजी बिल्टी पर निर्यात नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उसका पृष्ठांकन होना चाहिए।

सीमाशुल्क कार्यालय के निर्यात विभाग में इन कागजपत्रों की जांच पड़ताल होती है जिससे यह ज्ञात हो सके कि सभी कानून विधानों का पालन किया जा चुका है या नहीं। यदि अधिकारियों को इनके विषय में सन्तोष हो जाता है तो वे जहाज घाट के अधिकारियों को माल की जांच के लिये लिख देते हैं जो उसके ठीक निकलने पर निर्यात की अनुमति देते हैं।

जिन वस्तुओं के निर्यात पर सीमाशुल्क नहीं लिया जाता उनकी जहाजी बिल्टी की एक प्रति कस्टम हाउस के निर्यात विभाग में रख ली जाती है और शेष प्रतियां निर्यातक को दे दी जाती हैं जिससे वह उनकी सहायता से माल भेज सके। जिन वस्तुओं पर सीमाशुल्क अथवा उपकर लगता है उनकी प्रतियां निर्यात विभाग में पेश किये जाने के लिये दे देते हैं जिससे जो शुल्क हो वह वसूल कर लिया जाय। वसूली के बाद बिल्टी पर पृष्ठांकन कर दिया जाता है और पृष्ठांकित प्रति निर्यातक को माल भेजने के लिये दे दी जाती है।

माल भेजने से पहले उसे भली प्रकार देखभाल लिया जाता है। उसके नमूने लेकर निर्यातक द्वारा दिये गये विवरण से मिलाया जाता और आवश्यकता होने पर कस्टम हाउस की रासायनिक प्रयोगशाला में उनकी परीक्षा भी कर ली जाती है। इस परीक्षा के बाद ही माल भेजने की अनुमति दी जाती है।

जहाजी बिल्टी की मूल तथा दूसरी प्रतियां कस्टम हाउस में रख ली जाती हैं। जी० आर० तथा विदेशी विनिमय नियंत्रण फारमों की मूल प्रतियां भी रख ली जाती हैं और बाद को अगली कार्रवाई के लिये रिजर्व बैंक में भेज दी जाती हैं।

देश के प्रायः प्रत्येक कस्टम हाउस में ऊपर बताई गई एक सी प्रणाली काम में लाई जाती है, परन्तु कहीं-कहीं स्थानीय आवश्यकताओं और व्यापारियों की सुविधा के कारण कुछ अन्तर भी हो जाता है।

नेपाल, तिब्बत, भूटान और भारत में पुर्तगाली बस्तियों के अतिरिक्त अन्य देशों को तब तक निर्यात नहीं करने दिया जाता जब तक कि निर्यातक यह घोषणा न कर दे कि निर्यातित माल के कुल मूल्य का रिजर्व बैंक द्वारा बताये गये ढंग से निश्चित अवधि में प्रयोग किया जायगा। माल भेजने के स्थान और उसका मूल्य मिलने के ढंग के अनुसार ही घोषणा करनी होती है। निर्यातक को इसके लिये उपयुक्त फारम भरना चाहिए और माल तथा अदायगी आदि का पूर्ण विवरण दे देना चाहिये।

यदि निर्यात किये हुए माल का बिल चुकाया नहीं जाता अथवा माल के मूल्यस्वरूप विदेशी विनिमय ६ महीने (पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान की दशा में ३ महीने) तक नहीं प्राप्त होता तो निर्यातक को रिजर्व बैंक को यह जवाब देना होता है कि माल का मूल्य क्यों नहीं

मिला। रिजर्व बैंक चाहे तो अवधि बढ़ा सकता है। परन्तु यदि वह न चाहे तो उस माल को बिकवा कर उसका मूल्य प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह माल को केन्द्रीय सरकार के हवाले भी करा सकता है।

डाक पारसलों से भेजे जाने वाले माल पर भी वही प्रतिबन्ध लागू होते हैं जो स्थल, समुद्र अथवा हवाई मार्ग द्वारा भेजे जाने पर लागू होते हैं। इनके विवरण पी० पी० फारम पर भर कर देने चाहिएं। निम्न किस्मों के पारसल ऊपर बताई गई प्रणाली से मुक्त हैं :—

(क) वे पारसल जो रिजर्व बैंक अथवा विदेशी विनिमय के किसी अधिकृत विक्रेता के इस आशय के प्रमाणपत्र के अन्तर्गत आते हैं कि पारसल भेजने में विदेशी विनिमय की आवश्यकता नहीं है।

(ख) वे पारसल जिनके साथ भेजने वाले का इस आशय का एक पत्र होता है कि पारसल में ५० रु० से कम मूल्य की वस्तुएं हैं और पारसल भेजने में विदेशी विनिमय की आवश्यकता नहीं है।

(ग) वे पारसल जो केन्द्रीय सरकार अथवा सैनिक, नौसैनिक तथा वायुसेना के अधिकारियों के आदेश से भेजे जाते हैं।

५० रु० से अधिक के रत्न आदि वाले पारसलों को पहले कस्टम्स के पास प्रस्तुत करना चाहिए जो पारसल पर सील लगा कर इनवायस पर मोहर लगा देगा।

विनिमय नियन्त्रण प्रणाली का विस्तृत विवरण जानने के लिये *'समरी आफ फारेन एक्सचेंज कन्ट्रोल रगुलेशन्स'* देखना चाहिए जिसे रिजर्व बैंक प्रकाशित करता है।

[७]

दण्ड और अपीलें

केवल बहुत थोड़ी वस्तुओं के निर्यात का नियन्त्रण किया जाता है और यह भी इसलिये कि ऐसा करना देश की अर्थव्यवस्था को सुचारु एवं सुस्थिर बनाये रखने के लिये आवश्यक होता है। इसलिये इस सम्बन्ध में निश्चित की जाने वाली नीति और प्रणाली का पालन होना आवश्यक होता है। जो निर्यातक झूठे प्रमाण देकर, जाली कागज पत्र पेश करके अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाणपत्रों में फेर-बदल करके अथवा अन्य प्रकार की धोखेबाजी करके लाइसेन्स लेने के प्रयत्न करते हैं उनके खिलाफ अदालत में फौजदारी कार्रवाई हो सकती है।

निर्यात लाइसेंस हस्तान्तरित नहीं किये जा सकते। केवल लाइसेंस प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही उसके द्वारा माल का निर्यात कर सकता है। दूसरा व्यक्ति तभी उसका प्रयोग कर सकता है जब उपयुक्त लाइसेंस अधिकारी इस आशय की स्वीकृति दे दे। यदि लाइसेंस द्वारा भेजे जाने वाले माल की मिल्कियत निर्यात करते समय निर्यातक के पास न हो तो यह मान लिया जायगा कि लाइसेंस दूसरे को दे दिया गया है।

लाइसेंस कुछ शर्तों के साथ जारी किये जाते हैं। लाइसेंस अधिकारियों को निर्यात (नियन्त्रण) आदेश १९५४ के अन्तर्गत ये शर्तें लगाने का अधिकार होता है। जो निर्यातक इन शर्तों का पालन नहीं करते उनके विरुद्ध भी आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम १९४७ के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है। इसके सिवा समुद्री चुंगी कानून अधिनियम १८७८ के अन्तर्गत भी कार्रवाई होकर सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही जारी किया गया लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

अपीलों की प्रणाली

जिन निर्यातकों को लाइसेंस अधिकारियों के निर्णयों से सन्तोष न हो वे चीफ कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स नई दिल्ली के यहां अपील कर सकते हैं। ये अपीलें निर्णय से ३० दिन के भीतर हो जानी चाहिएं।

नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर अपील चीफ कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स (एक्सपोर्ट डिवीजन), नई दिल्ली के यहां होनी चाहिए। अपील में उसके कारण लिखने के साथ नीचे लिखे कागज पत्र भी लगाने चाहिए :—

(१) उस चिट्ठी की प्रतिलिपि जिसके विरुद्ध अपील की जाय।

(२) मूल आवेदनपत्र की प्रतिलिपि।

(३) मूल आवेदनपत्र के साथ भेजे गये सभी मूल कागजात, यदि उन्हें लाइसेंस अधिकारी ने वापस कर दिया हो अथवा उनकी प्रतिलिपियां अथवा कोई भी नये कागजात जिन्हें भेजा जाना आवश्यक समझा जाय।

अपील की एक प्रति उस कार्यालय को भी अवश्य भेज देनी चाहिये जहां मूल आवेदनपत्र पर सबसे पहले कार्रवाई हुई थी।

रुई, सूत और सूती कपड़े के विषय में अपीलें टेक्सटाइल कमिश्नर बम्बई के यहां की जाती हैं। इसी प्रकार लोहे तथा इस्पात के लिये लाइसेंस अधिकारी लोहा तथा इस्पात कन्ट्रोलर, कलकत्ता है। उसके निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सीधी इस्पात, खान तथा ईंधन मन्त्रालय नई दिल्ली में की जानी चाहिएं। जूट तथा जूट के सामान के लिये लाइसेंस अधिकारी ज्वायन्ट चीफ कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स कलकत्ता है और उसके निर्णयों की अपीलें वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली में की जानी चाहिए।

इस लेख में दी गई जानकारी के विस्तृत विवरण के लिये 'हैन्ड बुक आफ एक्सपोर्ट ट्रेड कन्ट्रोल' नामक पुस्तक देखनी चाहिए जो पब्लिकेशन्स, डिवीजन सिविल लाइन्स, दिल्ली से रु० ३.७५ नये पैसे में प्राप्त हो सकती है।

~~~~~~

भारतीय रुपये का मूल्य : विभिन्न देशों की मुद्राओं में

देश	भारतीय मुद्रा		विदेशी मुद्रा
१. पाकिस्तान	१०० रु०	=	९९ पाकिस्तानी रु० १५ आ०
२. लंका	१०० रु० ४५ न.पै०	=	१०० लंका के रु०
३. बरमा	१०० रु० ३० न.पै०	=	१०० क्यात
४. अमेरिका	४७५ रु० २८ न.पै०	=	१०० डालर
५. कनाडा	४९० रु० ७७ न.पै०	=	१०० डालर
६. मलाया	१५५ रु० ९० न.पै०	=	१०० डालर
७. हांगकांग	८२ रु० ९० न.पै०	=	१०० डालर
८. ब्रिटेन	१ रु०	=	१ शि० ५-३१/३२ पैंस
९. न्यूजीलैण्ड	१ रु०	=	१ शि० ५-३१/३२ पैंस
१०. आस्ट्रेलिया	१ रु०	=	१ शि० १०-५/१६ पैंस
११. दक्षिणी अफ्रीका	१ रु०	=	१ शि० ५-१५/१६ पैंस
१२. पूर्वी अफ्रीका	६७ रु० १३ न.पै०	=	१०० शि०
१३. मिस्र	१३ रु० ८१ न.पै०	=	१ पौंड
१४. फ्रांस	१०० रु०	=	८७८५-२९/३२ फ्रांक
१५. बेलजियम	१०० रु०	=	१०३९-३/१६ फ्रांक
१६. स्विटजरलैण्ड	१०० रु०	=	९१-१३/३२ फ्रांक
१७. पश्चिमी जर्मनी	१०० रु०	=	८७-९/१६ मार्क
१८. नीदरलैण्ड	१०० रु०	=	७९-७/३२ गिल्डर
१९. नारवे	१०० रु०	=	१४९-३/८ क्रोनर
२०. स्वीडन	१०० रु०	=	१०८-९/३२ क्रोनर
२१. डेनमार्क	१०० रु०	=	१४४-७/१६ डेनमार्क क्रोनर
२२. इटली	१०० रु०	=	१३००६-१३/१६ लीरा
२३. जापान	१ रु०	=	७५.२ येन
२४ फिलिपाइन	२३८ रु० १७ न.पै०	=	१०० पीसो
२५. इराक	१,३३८ रु०	=	१०० दीनार

(ये विनिमय दरें मई १९५८ में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार हैं।)
~~~~~~

निर्यात संवर्द्धन में आयात लाइसेन्सों का स्थान

★ *औद्योगिक कच्चे मालों के आयात की विविध सुविधाएं।*

किसी भी अविकसित देश की विकासशील अर्थ-व्यवस्था में वैदेशिक व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आयात के द्वारा विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए मशीनें, संयंत्र, कच्चे माल तथा अन्य तैयार माल विदेशों से मगाये जाते हैं और निर्यात के द्वारा अपने देश में बनने वाली चीजें विदेशों को भेजकर आयात का मूल्य चुकाना होता है। विकास के आरम्भिक चरण में अविकसित देशों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना होता है। अन्य आयात लगभग पूर्ववत् रख कर विकास कार्यक्रमों के लिए विदेशों से धातुएं, संयंत्र, मशीनें, परिवहन उपकरण, खनिज तेल तथा औद्योगिक कच्चे माल का अधिक आयात करना होता है। पूंजीगत वस्तुओं के आयात से विदेशी मुद्रा के साधनों पर अधिक भार पड़ता है। इसके लिए आवश्यक यह होता है कि उस देश का निर्यात बढ़ाया जाए या फिर उसने पहले से पर्याप्त विदेशी मुद्रा इकट्ठी कर ली हो या विदेशों से पर्याप्त सहायता मिल सके।

अपने साधनों पर ही निर्भरता

पर्याप्त विदेशी मुद्रा पहले से ही किसी अविकसित देश ने इकट्ठी कर ली हो, इसके उदाहरण इतिहास में बहुत ही कम मिलते हैं। विदेशों से इतनी सहायता मिलना भी सम्भव नहीं होता जो समूचे विकास का भार उठाया जा सके। इसलिए साधारणतः प्रत्येक देश को अपने विकास का खर्च चलाने के लिए अपने निर्यात से होने वाले उपार्जन पर ही निर्भर रहना होता है। सं० रा० संघ ने जो अध्ययन किया है, उससे प्रकट होता है कि अविकसित देशों को अपना ध्यान निम्न बातों पर केन्द्रित करना चाहिए। अपने यहा बनायी जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाकर उनके निर्यात में वृद्धि करना, पहले निर्यात न होने वाली वस्तुओं का निर्यात करने का प्रयत्न करना, किस्म और पैकिंग आदि सुधार कर और प्रतिमानीकरण और वर्गीकरण आदि करके निर्यात की वस्तुओं का मूल्य बढ़ाना और परिवहन, बैंक तथा बीमा आदि की व्यवस्था करना।

अपने यहा बनायी जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाकर उनका निर्यात बढ़ाने तथा पहले निर्यात न होने वाली वस्तुओं का निर्यात करने की कोशिश करने के लिए पहले उत्पादन बढ़ना आवश्यक है। इस उत्पादन में अनेक कच्चे मालों का प्रयोग किया जाता है जिनमें से कुछ माल देश में न मिलने पर विदेशों से मंगाने पड़ते हैं। देश में प्राप्त कच्चे मालों का देश में ही प्रयोग होने लगने से उनके निर्यात में कमी आ सकती है, इसलिए अन्य क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने की परम आवश्यकता होती है। निर्यात बढ़ाने के साथ साथ उसमें विविधता लाने की भी जरूरत होती है।

भारत सरकार ने निर्यात संवर्द्धन के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई हैं। निर्यात होने वाली कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, जिनके निर्माण के लिए औद्योगिक कच्चा माल आयात करना होता है। इस आयातित कच्चे माल पर लगा आयात शुल्क लौटाने की सरकार ने व्यवस्था की है, जिससे उन कच्चे मालों से बना माल सस्ता पड़े और विदेशी बाजारों में अन्य देशों के माल से होने वाली प्रतियोगिता में टिक सके।

आयात लाइसेन्सों के लिए प्रार्थना-पत्र

भारत सरकार ने अपनी आयात नीति घोषित करते हुए निर्यात संवर्द्धन की बात को भली प्रकार ध्यान में रखा है। आयात लाइसेन्स देने में निर्यात संवर्द्धन की नीति का कितना भाग होता है, यह आयात नियंत्रण नीति (अप्रैल-सितम्बर १९५८) विषयक पुस्तक के २३वें परिशिष्ट में वर्णित (पृष्ठ सख्या ३६१ से ३६६ तक) योजना से प्रकट है। इसके अनुसार निर्यात संवर्द्धन सम्बन्धी नीतियों के अंतर्गत जो लोग कच्चे मालों के लिए आयात लाइसेन्स लेना चाहें, उन्हें बन्दरगाहों पर लाइसेन्स देने वाले अधिकारियों के पास अपनी फर्म के नाम रजिस्टर करा लेने चाहिएं। निर्यात संवर्द्धन योजना के अधीन पिछली अवधि या अवधियों में कच्चे माल के लिए आयात लाइसेन्स लेकर जिन लोगों ने तैयार माल निर्यात कर दिया उन्हें तथा दूसरे लोगों को उस बन्दरगाह पर स्थित लाइसेन्स अधिकारियों के पास फर्म की रजिस्ट्री

कराने के लिए प्रार्थना-पत्र देने चाहिएं जिसके क्षेत्र में उनका कार्य-स्थल या कारखाना पड़ता हो। इसके लिए उन्हें निम्न बातें लिखनी चाहिएं:—

(१) निर्यातक का पूरा नाम।

(२) निर्यातक के कारबार का स्थान और पूरा पता।

(३) काम धंधा शुरू करने की तारीख।

(४) (क) प्रार्थी जो तैयार माल निर्यात करना चाहता है, उसका हवाला तथा अन्य विवरण।

(ख) उक्त तैयार माल बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल अथवा पुर्जों का ब्यौरा तथा विवरण।

(५) उन मिलों, कारखानों आदि का पूरा पता/पते जहां निर्यातक निर्यात किए जाने वाला माल तैयार करता तथा बनाता है और तैयार माल की कुल उत्पादन-क्षमता।

(६) अगर निर्यातक के पास निर्यात बाजारों में भेजे जाने वाले माल को तैयार करने का अपना कारखाना नहीं है तो अन्य निर्माताओं से उसे तैयार करवाने के लिए उसने क्या व्यवस्था कर रखी है। इन निर्माताओं का पूरा पता निर्यातक को देना चाहिए।

(७) क्या प्रार्थी ने किसी भी निर्यात संवर्द्धन योजना के अधीन अपना नाम किसी अन्य संस्था जैसे डेवलपमेंट विंग, निर्यात संवर्द्धन परिषदों, सरकार द्वारा, स्थापित वस्तु मण्डलों (जैसे अ० भा० दस्तकारी मण्डल) के यहां रजिस्टर करा रखा है? अगर हां, तो इस रजिस्ट्री के बारे में ब्यौरा दें जिसमें निम्न बातें विशेष रूप से दी गयी हों:—

(क) वह संस्था जिसके पास रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना-पत्र भेजा था।

(ख) क्या प्रार्थी का नाम रजिस्टर कर लिया गया? अगर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने से इन्कार कर दिया गया हो तो यह बात भी लिखें।

(ग) वे वस्तुएं जिनके लिए उसका नाम रजिस्टर किया गया है।

(घ) रजिस्टर किये जाने की तारीख तथा वह अवधि जिसके लिए नाम रजिस्टर किया गया है।

(ङ) उस रजिस्ट्रेशन में क्या-क्या रियायतें मांगी थीं।

(च) उस रजिस्ट्रेशन में क्या-क्या रियायतें दी गयीं?

(छ) उसमें क्या-क्या रियायतें देने से इन्कार कर दिया गया?

(८) पिछले ५ वित्तीय वर्षों में किसी वस्तु या वस्तुओं को आयात-निर्यात का मूल्य, जिसके लिए एक चार्टर्ड एकाउंटेण्ट का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।

(९) अगर फर्म ने संबन्धित वस्तु या वस्तुओं को पहले निर्यात न किया हुआ हो, तो पिछले तीन वर्षों में उसने उस वस्तु या उस जैसी वस्तु का देश के अंदर क्या कारबार किया। इसके लिए भी चार्टर्ड एकाउंटेण्ट का प्रमाण-पत्र साथ आना

(१०) जो कच्चा माल आयात करना हो, उसके लिए लिये हुए आयात कोटों का विवरण देकर निर्यातक को उनका प्रमाण देना होगा और उसका मूल्य बताना होगा।

(११) पिछली लाइसेन्स अवधि में ऊपर बताये गये कोटे में से जो आयात लाइसेन्स मिले हों, उसका ब्यौरा दिया जाए।

(१२) निर्यातक ने पिछले १२ महीनों में कितने मूल्य का कितना तैयार माल निर्यात किया, यह जानकारी वह दे और यह बताये कि उसने इस अवधि में निर्यात संवर्द्धन योजना के अधीन क्या कोई लाभ उठाया है और अगर उठाया है तो, उसने कितने मूल्य के लाइसेन्स लिये हैं।

(१३) किन वस्तुओं के आयात के लिए आयात लाइसेंस मांगे गये हैं, उनमें से प्रत्येक का अलग अलग परिमाण तथा मूल्य।

(१४) जिन आयात लाइसेंसों के लिए प्रार्थना-पत्र दिया गया है, उसकी मंजूरी के लिए शर्त के तौर पर निर्यातक कितने मूल्य का कितना माल निर्यात करने का वचन देता है।

(१५) निर्यातक यह वचन दे कि वह अपने निर्यात के बारे में, जिस दिन से आयात लाइसेंस मिले, उस दिन से हर महीने लाइसेंस देने वाले संबन्धित अधिकारियों तथा डायरेक्टर आफ एक्सपोर्ट प्रमोशन, मिनिस्ट्री आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री, नयी दिल्ली को विवरण भेजा करेगा।

निर्यात संवर्द्धन योजना की मुख्य बातें

निर्यात संवर्द्धन योजना की मुख्य बातें ये हैं:—केवल उन्हीं फर्मों को इस योजना के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने का हक होगा जो ऊपर बताये हुए तरीके के मुताबिक अपने नाम रजिस्टर करा चुकी हैं।

आयात लाइसेंस उतने मूल्य के दिये जाएंगे, जो निर्यात किये गये माल के जहाज पर मूल्य (F. O. B) से प्राप्त विदेशी मुद्रा का ७५ प्रतिशत हो या तैयार माल में प्रयोग किये गये आयातित कच्चे माल का दुगुना हो। इनमें से जो धन राशि कम होगी, उतने ही के लाइसेंस दिये जाएंगे। माल का निर्यात कर दिये जाने के बाद जब आयात

लाइसेंस मांगा जाएगा तो उस मूल्य से अधिक का आयात लाइसेंस भी दिया जा सकता है जिसके कि लाइसेंस निर्यात किये जाने के आधार पर मिल सकने संभव हैं बशर्ते कि निर्यात के अग्रिम सौदों के अनुसार ऐसा करना ठीक होता हो।

आयात लाइसेंस आमतौर पर सुलभ मुद्रा क्षेत्रों के लिए दिये जाते हैं। डालर क्षेत्र के लिए भी लाइसेंस मिल सकते हैं, बशर्ते कि लाइसेंस देने वाले अधिकारियों को इस बात से संतुष्ट कर दिया जाए कि डालर क्षेत्र में प्राप्त माल का लागत, बीमा, भाड़ा सहित मूल्य कम पड़ेगा या वहां के माल की किस्म अच्छी है।

निर्यात संवर्द्धन योजना के अधीन दिये गये लाइसेंस साधारण तौर पर ६ महीनों के लिए वैध होंगे। अच्छे कारण होने पर विशेष स्थितियों में इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

किस मूल्य तक के आयात लाइसेंस दिये जाएं, इसके लिए नेपाल, तिब्बत, सिक्किम, भूटान तथा भारत स्थित पुर्तगाली बस्तियों को किया गया निर्यात शामिल न किया जाएगा।

जिस बन्दरगाह से निर्यात करना है, या जहां से निर्यात किया गया है, वहीं के लाइसेंस अधिकारी प्रार्थना-पत्र लेंगे। प्रार्थना-पत्र के साथ निर्यात सम्बन्धी निम्न कागज-पत्र आने चाहिए:—

(क) बीजक जिसमें वास्तव में निर्यात किये गये माल का विवरण दिया गया हो, तथा उससे सम्बन्धित जहाजी कागज-पत्र जैसे बिल्टी, डाक रसीद अथवा, या हवाई बिल हो।

(ख) बैंक का प्रमाण-पत्र जिसमें भुगतान मिलने को प्रमाणित किया गया हो और निर्यातित माल का विवरण, बीजक की क्रम संख्या तथा तारीख और रुपये में प्राप्त एफ० ओ० बी० मूल्य एवं भुगतान की तारीख भी दी गयी हो।

एक तिमाही में एक बार प्रार्थना-पत्र लिये जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जिस निर्यात की कीमत का भुगतान जुलाई-सितम्बर की अवधि में हुआ है, उसके बारे में प्रार्थना-पत्र अगली अवधि यानी अक्तूबर-दसम्बर में लिया जाएगा। इस बारे में यही रीति सदा अपनायी जाएगी। लाइसेंस देने वाले अधिकारी उन लोगों को भी आयात लाइसेंस दे सकते हैं, जिन्होंने पिछली तिमाही में निर्यात न किया हो, बल्कि पिछले १२ महीनों में किया हो; लेकिन देंगे इसी शर्त पर कि इन निर्यातों के आधार पर उसने पहले कोई लाइसेंस ले न रखा हो।

प्रार्थना-पत्र देने वालों को आय-कर-पड़ताल तथा लाइसेंस शुल्क नियमनों का भी पालन करना होगा।

भावी निर्यातक

भावी निर्यातकों के प्रार्थना-पत्र भी लिये जा सकते हैं, जिन्होंने पहले निर्यात न किया हो। इन प्रार्थना पत्रों पर उनके औचित्य के अनुसार विचार किया जाएगा। इसके लिए 'भावी निर्यातक' का अर्थ साधारणतः उस व्यक्ति या फर्म से होगा, जिसका अपना कारखाना हो जहां आयातित कच्चे माल से वह तैयार माल बनता हो जिसे विदेशी बाजारों में निर्यात करने का इरादा हो।

ऐसे निर्यातकों के प्रार्थना-पत्रों पर भी विचार किया जा सकता है जिनका अपना कारखाना तो नहीं है लेकिन ऐसे कारखाने या कारखानों से तैयार माल बनवाने का करार किया हुआ है, जिसमें से उसे निर्यात करना है। ऐसे निर्यातक, लाइसेंस देने वाले अधिकारियों के पास प्रार्थना-पत्र भेजते समय कारखाने से किये गये करार की एक प्रति भी नत्थी करें।

इस तरह के मामलों में शुरू में अपेक्षाकृत कम मूल्य के लाइसेंस दिये जाएंगे लेकिन बाद की अवधियों में अधिक मूल्य के लाइसेंस दिये जा सकते हैं जो वास्तविक निर्यात तथा निर्यात के सौदों को देखकर किया जाएगा। ऐसे मामलों में प्रार्थियों को, इस योजना के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए विदेशी ग्राहक से आये आर्डरों के बारे में मूल प्रमाण पेश करने होंगे। यह जानकारी सर्वथा गोपनीय रखी जाएगी। निर्यात सम्वर्द्धन योजना के अधीन जो लोग पहली बार लाइसेंस नहीं ले रहे, उन्हें नये लाइसेंस देते समय उसके मूल्य का निश्चय, पिछली अवधि में दिये गये लाइसेंस के अनुसार किया गया काम देखकर किया जाएगा।

कुछ शर्तें

ये लाइसेंस इस शर्त पर दिये जाएंगे कि आयातक, लाइसेंस शुदा वस्तुओं के आयात के ६ महीने के अन्दर इतना तैयार या समापित माल विदेशों को (नैपाल, तिब्बत, सिक्किम, भूटान तथा भारत स्थित पुर्तगाली बस्तियों छोड़कर) निर्यात करदें जो उसके कुल आयात का १३३⅓ प्रतिशत मूल्य का या उस कच्चे माल से बन सकने वाले कुल माल के आधे मूल्य का हो। कच्चे माल से कितना प्रतिशत माल बन सकता है, यह २३वें परिशिष्ट के पहले अनुबन्ध के ५वें स्तम्भ में दिया गया है। इस शर्त के अनुसार पुराने निर्यातकों तथा भावी निर्यातकों को जिनमें सहकारी समितियां भी शामिल होंगी, २३वें परिशिष्ट के दूसरे अनुबन्ध में दिये गये नमूने के अनुसार एक तमस्सुक (बौंड) लिखकर उस समय सम्बद्ध आयात व्यापार कंट्रोलर को देना होगा, जब सीमा शुल्क अधिकारियों को आयातित माल छुड़ाया जाए। आयातक को यह तमस्सुक आयातित माल के १० प्रतिशत मूल्य तक का देना होगा जिस पर किसी अनुसूचित बैंक की गारन्टी होनी जरूरी होगी। अगर आयात किया जाने वाला माल ऐसा हो जिसके आयात पर रोक

लगी हुई हो या बहुत ही कम आयात होता हो जिसकी वजह से उसमें बहुत अधिक मुनाफा होना सम्भव हो, तो लाइसेंस देने वाला अधिकारी तमस्सुक की राशि १० प्रतिशत से अधिक बढ़ा सकता है। यह तमस्सुक उस समय रद्द हो जाएगा जब बिल्टी, बीजक, बैंक सर्टिफिकेट आदि पेश कर दिये जाएं जिनसे यह प्रकट होता हो कि इस योजना के अन्तर्गत निर्यात किये गये माल के एफ० ओ० बी० मूल्य की विदेशी मुद्रा के बराबर धन का भुगतान रुपयों में हो गया है। ऊपर बतायी शर्तें पूरी न करने पर उसे दण्ड के रूप में तमस्सुक में लिखा धन सरकार को देना होगा और इसके अलावा आयातक पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, १९५७ तथा आयात (नियंत्रण) आदेश १९५५ के अधीन और कार्रवाई भी की जा सकती है। उन पुराने निर्यातकों के लिए, जिन्होंने इस योजना के अधीन पहले आयात लाइसेंस लिये बिना ही माल निर्यात कर दिया है, इस शर्त में यह संशोधन कर दिया जाएगा कि उन्हें आयातित माल के मूल्य के बराबर समापित या तैयार माल निर्यात करना होगा। तमस्सुक तो उनसे भी लिखाये जाएंगे लेकिन लाइसेंस देने वाले अधिकारी बैंक को गारंटी या जमानत देने के बारे में छूट दे सकते हैं। यह छूट उन्हीं पुराने निर्यातकों को दी जाएगी जिनकी अच्छी साख है तथा जिनका निर्यात कार्य संतोषजनक रहा है। इस योजना के अधीन दिये गये लाइसेंस की शर्त यह होगी कि सिर्फ वे ही वस्तुएं आयात की जाएं जो तैयार माल बनाने में विशेष रूप से प्रयोग की जाती हैं और यह माल वे वस्तुएं ही बनाने में प्रयोग किया जाएगा जो विदेशी बाजार को अंततः भेजी जाएंगी। लाइसेंस के अनुसार आयात किया गया माल अगर इस काम में नहीं लाया जाता तो लाइसेंस लेने वाला उस माल को लाइसेंस देने वाले अधिकारी की मंजूरी लिये बिना बेच नहीं सकता। लाइसेंस देने वाला अधिकारी लाइसेंस लेने वाले से कह सकता है कि वह अमुक व्यक्ति को, जिसे वह स्वयं नामजद करेगा, बिना मुनाफा लिये, वह माल बेच दे।

औद्योगिक सहकारी समितियों के लिए भी क्षेत्र

इस योजना के अधीन आयात लाइसेंस लेने के लिए औद्योगिक सहकारी समितियां भी प्रार्थना-पत्र दे सकती हैं। इनके प्रार्थना पत्रों के साथ सम्बन्धित राज्यों के उद्योग संचालकों (डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज) या कोआपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार का एक प्रमाण-पत्र आना चाहिए जिसमें उस समिति के बारे में सारा विवरण दिया हुआ हो।

निर्यात संवर्द्धन योजना के अधीन मंगाये जा सकने वाले उन कच्चे मालों तथा पुर्जों का विवरण जिनके आधार पर इस योजना के अनुसार लाइसेंस दिये जाएंगे, २३वें परिशिष्ट के पहले अनुबन्ध के दूसरे स्तम्भ में (लाल पुस्तक अप्रैल-सितम्बर १९५८ की अवधि—पृष्ठ ३९७) दिया गया है।

जो वस्तुएं निर्यात संवर्द्धन योजना में औपचारिक रूप से सम्मिलित नहीं हैं, उनके लिए भी लाइसेंस देने के लिए आये प्रार्थना-पत्रों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

अन्य योजनाएं

ऊपर बतायी गयी योजना के अलावा, निम्न योजनाएं भी चल रही हैं, जिनके अन्तर्गत कच्चे माल के आयात के लिए लाइसेंस दिये जाते हैं:—

कुछ उद्योगों के जो निर्माता डेवलपमेंट विंग की सूची में हैं, उनको कच्चे माल के आयात के लिए लाइसेंस दिये जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत उनको पिछली तिमाही में किये गये निर्यात के आधार पर निम्न हिसाब से आयात लाइसेंस दिये जा सकते हैं;—

"१९५६ में निर्माता ने जो निर्यात किया उससे अधिक जितने मूल्य का निर्यात किया गया उसके ७५ प्रतिशत या निर्यातित माल के निर्माण में प्रयुक्त आयातित कच्चे माल के दुगुने मूल्य का (इनमें जो भी कम हो) आयात लाइसेंस दिया जाएगा।"

जिन उद्योगों पर यह योजना लागू है, उनके नाम ये हैं:— तेल मिल मशीनें, चावल और आटा मिल को मशीनें, औद्योगिक मशीनें (विविध), खेती की मशीनें (गल्ला काटने, गन्ना पेरने, ट्रैक्टर, दवाएं छिड़कने आदि की मशीनें), मोजे बनियान आदि बुनने की मशीनें, बिजली के पंखे, रेडियो रिसीवर, एम्पलीफायर, प्रैशर यूनिट, औद्योगिक (स्ट्रीट लाइटिंग फिटिंग), वायरिंग का सामान ((क) बेकेलाइट का सामान (ख) पीतल के लैम्प होल्डर), स्टोरेज बैटरियां टी० एल० सेल सहित, सूखी बैटरियां, घरेलू काम के रेफ्रीजरेटर, पानी ठंडा करने की मशीनें, कमरे को एयर कंडीशन करने की मशीनें, मिनिएचर लैम्प, फ्लैश लाइट, अलूमीनियम फौइल, अलूमीनियम सैमीज (चादरें, गोल खंड, पट्टियां, एक्सट्रूशन रौड तथा ट्यूब), कापर सैमीज (बिजली के तार तथा तार के रौड छोड़ कर), ब्रास सैमीज, जिंक सैमीज, लैड सैमीज, सख्त धातु मिश्रण (तांबे पर आधारित), नरम धातु मिश्रण (टीन, सीसा, सुरमा), लोहे के ढले पाइप, नरम पाइप की फिटिंग, कृषि उपकरण, लिफ्टें, नावें तथा नौकाएं, इस्पात की चेनें, मढ़े हुए घर्षक, मोटर साइकिल, स्कूटर तथा ओटो-रिक्शा, ट्रेलर, कारें तथा स्टेशन वैगन, ब्लोअर तथा पंखे, आग बुझाने के उपकरण, रौक ड्रिल, लीफ स्प्रिंग, बी० आर० सी० तथा अन्य कपड़े, टाइप राइटर, हरीकेन लालटैन, कार्ड स्टेव, शटल, प्लाईवुड, दियासलाई, कारबन पेपर, स्टेन्सिल तथा टाइपराइटर के रिबन, कांच और कांच का सामान, चीनी मिट्टी का सामान (हाईटेन्शन इन्सुलेटर आदि छोड़कर), पेन्सिल, घर्षक कण, एसबेस्टस की चीजें (लैगिंग, यार्न, पैकिंग आदि), श्वेतक मिट्टियां, फैटी एसिड तथा साल्ट, साबुन (संगठित क्षेत्र), बुनाई उद्योग के सहायक उद्योग, फिनोल फार्मेल डी हाइड ढलाई चूर्ण, प्लास्टिक की

दली वस्तुएं (दस लाख प्र स), पी० वी० सी० चादरें (१००० वर्ग गज), पी० वी० सी० तार (दस लाख गज), फाउन्टेन पैन (दस लाख की संख्या), दात साफ करने के ब्रुश (दस लाख संख्या), चश्मों के फ्रेम (दस लाख की संख्या), रंगलेप, बीयर, स्पिरिट, दुग्ध चूर्ण, सोडा वाटर, नारियल का तेल निकालना और एरोमैटिक कैमीकल्स।

लक्ष्य निर्धारित

निर्यात सम्वर्द्धन निदेशालय ने कुछ चुने हुए उद्योगों के लिए कच्चे माल के आयात लाइसेंस देने की विशेष योजनाएं बनायी हैं जिससे वे निदेशालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के बराबर तैयार माल निर्यात कर सकें। इन योजनाओं के अधीन तदर्थ आधार पर ही लाइसेंस दिये जाते हैं। जिन उद्योगों के लिए निर्यात के लक्ष्य रखे गये हैं, उनमें से प्रमुख ये हैं:—डीजल इंजन, सिलाई की मशीनें, सैन्ट्रीफ्यूगल पंप, टरबाइन पंप, छतरियां, छतरियों की तानें इस्पाती फरनीचर, जालियां, लोहे का सामान, गणित तथा ज्यामिति के उपकरण, बिजली के पंखे, एयरकंडीशनर, और साइकिल।

नकली रेशम और कपड़े के लिए योजनाएं

नकली रेशम तथा नकली रेशम के कपड़े के सम्बन्ध में आयात लाइसेंस देने की योजना अलग है। इसके लिए रजिस्टर्ड निर्यातकों को निर्यात संवर्द्धन योजना की वे मुख्य बातें देखनी चाहिएं जो जुलाई-सितम्बर १९५७ की अवधि के लिए प्रकाशित आयात-नीति पैम्फलेट के ६वें परिशिष्ट में दी गयी हैं।

भारत से नकली रेशम के कपड़े का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है कि वास्तविक निर्यातकों को कुछ किस्मों के नकली रेशम का आयात-निर्यात संवर्द्धन योजना के अधीन करने के लिए बंदरगाहों पर आयात लाइसेंस दिये जाएं। ये लाइसेंस निर्यात किये गये नकली रेशम से बने माल के एफ० ओ० बी० मूल्य के अनुसार उपार्जित विदेशी मुद्रा के रुपया मूल्य के निम्न प्रतिशत के अनुसार मिलेंगे:—

(१) नकली रेशम की भारतीय साड़ियों के मूल्य का ६६⅔ प्रतिशत।

(२) नकली रेशम के अन्य भारतीय कपड़ों के जिसमें होजरी की चीजें भी शामिल हैं, मूल्य के १०० प्रतिशत। इन लाइसेंसों पर निम्न शर्तें लागू होंगी:—

(क) इन लाइसेंसों के दर्शनी मूल्य का १० प्रतिशत भाग नकली रेशम का कपड़ा बनाने में काम आने वाली मशीनों के वे फालतू पुर्जे आयात करने पर खर्च करना पड़ सकता है, जिनके मंगाने की अनुमति है।

(ख) इन लाइसेंसों के दर्शनी मूल्य के १५ प्रतिशत भाग तक को नकली रेशम का कपड़ा आयात करने में प्रयोग करना पड़ सकता है।

सामान्यतः इस योजना के अधीन लाइसेंस उस वास्तविक निर्यात के आधार पर दिये जाएंगे जो पहली जनवरी ५८ को या उसके बाद किये गये हैं। परन्तु नकली रेशम के निर्माताओं को ये लाइसेंस संभावित निर्यात के आधार पर भी दिये जा सकते हैं, बशर्ते कि वह लाइसेंस देने वाले अधिकारियों को स्वीकार्य एक तमस्सुक (बाँड) पेश करें।

देश में बने नकली रेशम के हाथ से सिले कपड़े और कसीदा काढ़े हुए कपड़ों के निर्यात के आधार पर नकली रेशम के कपड़े के आयात के लाइसेंस दिये जाएंगे। १ जनवरी १९५८ को या उसके बाद निर्यात किये गये माल के १५ प्रतिशत मूल्य के लाइसेंस दिये जाएंगे।

ये प्रार्थना-पत्र बंदरगाह पर लाइसेंस देने वाले अधिकारियों के पास शीघ्र से शीघ्र पहुँच जाने चाहिएं और उनके समर्थन में स्वीकार्य लिखित प्रमाण-पत्र भी साथ आने चाहिएं।

सभी योजनाओं का लाभ न मिलेगा

निर्यात किये जाने वाले माल के लिए आयात लाइसेंस लेने के उद्देश्य से प्रार्थी को इन योजनाओं में से कोई एक योजना छांट लेनी चाहिए और जहां तक संभव हो, प्रार्थी सिर्फ एक योजना के ही अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करे। उदाहरण के तौर पर अगर एक प्रार्थी दो या तीन योजनाओं के अधीन लाइसेंस लेने का हकदार है तो उसे कच्चे माल के लिए अतिरिक्त लाइसेंस लेने के लिए प्रार्थना-पत्र देना चाहिए और इसे पुष्ट करने के लिये कारण बताने चाहिएं। अन्य योजनाओं के अंतर्गत उसने जो प्रार्थना-पत्र दिये हों, उनका भी विवरण वह दे। ये प्रार्थना-पत्र औचित्य को देखते हुए स्वीकार किये जाएंगे, बशर्ते कि निर्माता यह वचन दे कि लाइसेंस के अधीन मंगाये जाने वाले कच्चे माल से अतिरिक्त माल तैयार कर सकेगा और उसका निर्यात कर सकेगा।

निर्यातक के लिये वित्त की सरल व्यवस्था

★ *छोटे निर्माताओं के लिये सहकारी संस्थाओं का महत्व।*

पूर्ण विकसित अर्थ-व्यवस्था में साख और ऋण से वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण में जो महत्वपूर्ण सहायता मिलती है वह सर्व विदित है। सच तो यह है कि किसी भी देश की समृद्धि के लिये उस की बैंकिंग तथा ऋण देने वाली अन्य संस्थाओं का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि उसके कारखानों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों का। आर्थिक हलचल के अन्य क्षेत्रों के समान निर्यात व्यापार के लिये भी ऋण सुविधाओं की आवश्यकता होती है। यदि ये सुविधाएं सरलता से तथा आसान शर्तों पर उपलब्ध होती हैं तो निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है।

निर्यातक को ऋण की आवश्यकता इसलिये पड़ती है कि विदेशों से प्राप्त होने वाले आर्डरों का माल वह अपनी चालू पूंजी की सहायता से तैयार करने में असमर्थ होता है। इसके सिवा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी खरीदार से माल के मूल्य का भुगतान कराने में भी कठिनाई होती है। यहां भी बैंक अत्यन्त महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं।

निर्यात के मूल्य का भुगतान

विदेशी खरीदार से निर्यातक अपने माल का मूल्य अनेक प्रकार से वसूल करता है। उदाहरण के लिए इसका एक उपाय 'खुला खाता' था। इसके अनुसार निर्यातक अपना माल जहाज द्वारा भेज देता था और साथ ही अपने विदेशी खरीदार के पास उस माल के जहाजी तथा अन्य कागज पत्र भी भेज देता था और इसकी जमानत के लिये भी कुछ नहीं करता था। इस प्रकार कागज पत्र भेज देने से उसका अपने माल अथवा उसके मूल्य के भुगतान पर कोई नियन्त्रण नहीं रहता था। आजकल इस प्रकार से कोई भी व्यापार नहीं होता।

आजकल प्रायः सर्वत्र ही विदेशी खरीदारों से माल का मूल्य वसूल करने के लिये निर्यातक उसके नाम माल के मूल्य की एक विनिमय हुण्डी ले लेता है। ये हुण्डियां या तो बिक्री के साधारण व्यापारी सौदे के अन्तर्गत ली जाती हैं अथवा विदेशी खरीदार द्वारा निर्यातक के हक में खोले गये साख पत्र के अन्तर्गत ली जाती हैं। इन हुण्डियों को हस्तान्तरित किया जा सकता है और इनका भुगतान होने से पहले ये अनेक हाथों से गुजर जाती हैं।

विनिमय हुण्डी लेते समय निर्यातक अपने विदेशी बैंक को यह निर्देश भी भेज सकता है कि जब विदेशी खरीदार विनिमय हुण्डी को सकारना स्वीकार कर ले तभी माल के जहाजी तथा अन्य कागज पत्र उसे दिये जांय। ऐसी दशा में यह हुण्डी डी०/ए (अर्थात् डाकूमेण्ट्स अगेन्स्ट एक्सेप्टेन्स या सकारने पर ही कागज पत्र दिये जांय) बिल कहलाती है। ऐसे सौदे करते समय निर्यातक अपने विदेशी खरीदार की वित्तीय हैसियत और साख के विषय में पूरा सन्तोष कर लेता है। इसका कारण यही होता है कि खरीदार के हाथ में जहाजी कागजपत्र पहुँच जाते ही माल के कब्जे का अधिकार भी उसके पास पहुंच जाता है। यदि इसके बाद विदेशी खरीदार भुगतान न करे तो निर्यातक को मूल्य वसूल करना बहुत कठिन हो जायगा। इस प्रणाली के अपेक्षा कम जोखिम की दूसरी प्रणाली भी है जिसके अन्तर्गत डी/पी० हुण्डियां जारी की जाती हैं अर्थात् कागज पत्र केवल मूल्य का भुगतान करने पर ही दिये जांय। इस दशा में निर्यातक का अपने माल पर उस समय तक पूरा नियंत्रण रहता है जब तक कि उसके एजेण्ट अथवा बैंक को विदेशी खरीदार से माल का मूल्य प्राप्त नहीं हो जाता। परन्तु इस दशा में एक कठिनाई होती है। वह यह कि यदि हुण्डी सकारी न जाय तो निर्यातक पर विदेशी बन्दरगाह में माल पड़ा रहने के कारण डिमरेज, सीमाशुल्क, गोदाम का भाड़ा, बीमा खर्च इत्यादि पड़ जाते हैं। ये खर्च इतने अधिक हो सकते हैं कि इनसे विवश होकर या तो वह माल को औने-पौने में बेच डालता है अथवा वापस मंगा लेता है।

मूल्य के भुगतान की प्रणालियां

भारत से कुछ निर्यात डी० / ए० अथवा डी० पी० प्रणाली से किया जाता है। परन्तु अधिकतर रिवाज यह है कि विदेशी खरीदार किसी भारतीय एजेण्ट अथवा भारत स्थित अपने बैंक की किसी शाखा में पुष्ट किया हुआ तथा रद न हो सकने वाला साख पत्र रखते हैं। इस प्रकार निर्यातक को यह विश्वास रहता है कि माल भेजते ही उनके

मूल्य का भुगतान हो जायगा। साख पत्र के आधार पर सम्बद्ध बैंक निर्यातक को पेशगी रुपया भी दे सकता है जिसकी सहायता से वह आर्डर का माल खरीद कर अथवा बनाकर भेज सके। इस प्रकार का जो ऋण बैंक निर्यातक को देता है वह 'पैकिंग क्रेडिट' कहलाता है और वह भारत में भी कुछ सीमा तक उपलब्ध है। परन्तु इसके बड़े परिमाण पर और आसान शर्तों पर उपलब्ध होने की आवश्यकता है। छोटे तथा मध्यम दर्जे के निर्यातकों के लिये तो इसकी विशेषतः आवश्यकता है।

विदेशों में बैंक प्रायः ही निर्यातकों को बिक्री के उन सौदों के आधार पर ही ऋण दे देते हैं जिन्हें वे विदेशी खरीदारों के साथ करते हैं। भारत में ये सुविधाएं एक दो उदाहरणों को छोड़ कर प्रायः उपलब्ध नहीं हैं। इसलिये निर्यातकों को बड़े पैमाने पर धन की ऐसी सुविधा करने का एक उपाय यह भी हो सकता है कि भारतीय बैंक निर्यातकों का विदेशियों के साथ हुए सौदों को ट्रस्ट रसीदों के आधार पर रुपया देना आरम्भ कर दें।

बैंकों के रुपये की सुरक्षा

बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं निर्यातकों को ऋण सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं। परन्तु बैंक रुपया देने से पहले यह अवश्य देखना चाहेंगे कि उनके रुपये की अदायगी में कोई कठिनाई न हो। इसलिये ऋण लेने वाले की वित्तीय स्थिति तथा साख को देख लेना महत्व-पूर्ण होता है। इस कारण बैंकों लिये प्रत्येक व्यक्ति को तुरन्त से रुपया दे देना सम्भव नहीं होता। अपने रुपये की सुरक्षा के लिये वे कुछ ऐसी शर्तें लगाते हैं जो ऋण लेने वाले को मुश्किल प्रतीत हो सकती हैं। इसलिये निर्यात बढ़ाने के लिये कोई ऐसा उपाय खोज निकालना आव-श्यक है जिसके द्वारा बैंकों से रुपया सरलता से ही मिल जाया करे परन्तु साथ ही उसके मारे जाने का डर भी न रहे।

इस समय यद्यपि पुष्ट किये हुए तथा रद न हो सकने वाले साख-पत्रों के आधार पर ही निर्यात व्यापार हो रहा है तथापि वह डी० / पी० तथा डी० / ए० के आधार पर भी हो सकता है। इन दशाओं में भी निर्यातक के लिए बैंकों से रुपया मिलने की सुविधा होनी चाहिए और यह रुपया विदेशी खरीदार के नाम ली हुई विनिमय हुण्डी के आधार पर मिलना चाहिये। यदि निर्यातक बैंक को भली प्रकार जाना बूझा होता है और बैंक को उसकी साख तथा वित्तीय हैसियत में विश्वास होता है तो वह उसे केवल विनिमय हुण्डी पर ही साधारण कागज पत्र लिये बिना भी ऋण दे सकता है। परन्तु ऐसे साफ ऋण बहुत कम अवस्थाओं में ही दिये जा सकते हैं। इसलिये बैंकों को केवल बन्धक रखी हुई हुण्डियों के आधार पर ही ऋण देने चाहिए। इस सम्बन्ध में निर्यातक एक सामान्य चिट्ठ भेज कर बैंक को अपनी समस्त हुण्डियों के बारे में सुरक्षा का आश्वासन दे देता है।

निर्यातक को बैंकों द्वारा दिये जाने वाले रुपये के मारे जाने का खतरा निम्न कारणों से भी हो सकता है :—

(क) साख के आधार पर किये गये निर्यात के समस्त सौदों में व्यापारिक तथा राजनीतिक जोखिमें होती हैं।

(ख) खरीदार अकारण ही माल छुड़ाने और उसका मूल्य चुकाने से इन्कार कर सकता है।

(ग) हो सकता है कि निर्यातक वाञ्छित किस्म और विवरण का माल न भेजे अथवा भेजे भी तो मांगे गये परिमाण में न भेजे।

(घ) निर्यातक माल भेजने और बैंक को कागज पत्र देने में भी असफल रह सकता है।

निर्यात जोखिम बीमा निगम

ऊपर जिन व्यापारिक तथा राजनीतिक जोखिमों का उल्लेख किया गया है उनमें सुरक्षा की व्यवस्था निर्यात जोखिम बीमा निगम (प्रायवेट) लि० करेगा। बैंक जो ऋण देंगे उसकी सुरक्षा का इस प्रकार बीमा हो जाया करेगा। इसलिये जो निर्यातक निर्यात के लिए ऋण सम्बन्धी सुविधाएं चाहेंगे उन्हें निगम में अपने सौदों का ऋण की शर्तों के अनुसार बीमा करा लेना उचित होगा।

जहां तक विदेशी खरीदार का सम्बन्ध है उसे उसका वायदा मंगवाने के लिये विवश नहीं किया जा सकता। अगर कानून की शरण ली जाय तो बहुत दिन लगेंगे। इसलिये प्रत्येक निर्यातक को अपने हित को ध्यान में रखकर विदेशी खरीदार की वित्तीय हैसियत और व्यापारी साख के बारे में पता कर लेना चाहिये। ऐसा कर लेने से न केवल उसके लिये अपने माल का मूल्य वसूल कर लेना आसान हो जाएगा वरन् उसके बैंक के लिये भी उसे ऋण देना सुविधाजनक हो जायगा।

निर्यातक द्वारा वाञ्छित किस्म का और ठीक परिमाण में माल न भेजे जाने के कारण जो कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं उन्हें दूर करने के लिये जहाज पर माल लादने से पूर्व उसका निरीक्षण कर लेने की प्रणाली चलाई जानी चाहिए।

यदि निर्यातक माल न भेजे और उसके कागज पत्र बैंक को न दे तो इस सम्बन्ध से बैंकों को ऐसे निर्यातक से तुरन्त रुपया वसूल कर लेने की सुविधाएं दी जानी चाहिए। निर्यातक माल तैयार करने के लिये जो ऋण लेते हैं उसके कागज पत्रों की यदि बीमा रजिस्ट्रार अथवा किसी अन्य अधिकारी के यहां रजिस्ट्री करा दी जाय तथा इन कागज पत्रों के नियमों की अवहेलना होने की दशा में यदि बैंक तुरन्त दोषी के विरुद्ध फौजदारी कार्रवाई कर सकें तो यह खतरा दूर हो सकता है। इसके लिये आवश्यक कानून बनाना होगा।

निर्यात हुण्डियों का पुनः सकारना

निर्यात बढ़ाने के लिये जो उपाय किये जा रहे हैं यदि उनके फल-स्वरूप निर्यात में भली प्रकार वृद्धि हो जाय तो निर्यातकों को इतने

रुपये की आवश्यकता होगी कि उसका जुटाना हमारे बैंकों की वर्त्तमान सामर्थ्य से बाहर होगा। इस कठिनाई को दूर करने के लिये यह सुझाव दिया गया है कि बैंकों को निर्यात हुण्डियों के पुनः सकारने की सुविधाएं दी जानी चाहिए। निजी बैंकों को रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा कुछ सीमा तक निर्यात जोखिम बीमा निगम (प्राइवेट) लिमिटेड से भी उन निर्यात हुण्डियों के आधार पर जो कि उनके कब्जे में हों, ऋण ले सकने की सुविधा होनी चाहिए। जर्मनी और आस्ट्रिया में कुछ-कुछ ऐसी ही व्यवस्था है। निर्यात संवर्द्धन के लिये पुनः सकारने की दरें बैंक की दरों से काफी कम होनी चाहिए क्योंकि बहुत सी वस्तुओं की बिक्री में निर्यातक को अभी ही बहुत कम लाभ होता है। यदि ब्याज दर बहुत अधिक हुई तो उसका विदेशों को माल भेजने का उत्साह ही ठण्डा हो जायगा। इसलिये सम्बद्ध बैंकों को चाहिए कि पुनः सकारने की ब्याज दर का लाभ निर्यातकों को लेने दें।

निर्यात करने के लिये वित्त की सबसे अधिक कठिनाइयां छोटे उत्पादकों को होती हैं, क्योंकि वे दस्तकारी जैसी वस्तुएं बनाते हैं जो प्रतिमानित ढंग की नहीं होती और इसलिये उनका मूल्यांकन करना बहुत कठिन होता है। इसे देखकर बैंक उनके निर्माण के लिये ऋण देने को तैयार नहीं होते। इसके अलावा छोटे उत्पादक निर्यात व्यापार करने में भी असमर्थ होते हैं। इसका कारण यह होता है कि यह व्यापार अत्यन्त विशिष्ट प्रकार का होता है और इसकी प्रणालियों, विदेशी बाजारों में होने वाली प्रतिस्पर्धा, विदेशी मुद्रा के विनिमय, मूल्यों के हेर-फेर, व्यापार नियन्त्रण और सबसे बढ़ कर सौदों की विशालता आदि से छोटे उत्पादक परिचित नहीं होते। इन कठिनाइयों का हल यह है कि छोटे उत्पादक अपनी सहकारी समितियां बनायें। ऐसा करके वे विदेशों के साथ अच्छे सौदे कर सकेंगे। बैंक भी व्यक्तियों की अपेक्षा सहकारी समितियों को आसानी से रुपया देना स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार की समितियों को धन देने में स्टेट बैंक आफ इण्डिया को आगे आकर विशेषतः प्रयत्न करना चाहिए।

स्टेट बैंक और विदेशी व्यापार

स्टेट बैंक अभी तक केवल देश में होने वाले व्यापार की ओर ही अपना अधिकांश ध्यान देता है परन्तु अब उसे विदेशी व्यापार की ओर भी अधिकाधिक ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने में उसे कुछ कठिनाइयां भी होंगी। उदाहरण के लिये इस क्षेत्र में जो बैंक पहले से ही काम कर रहे हैं उनके साथ उसकी प्रतिस्पर्धा होगी और उसे बड़ी सावधानी के साथ अपना काम करना होगा। फिर भी वह अपने साधनों का कुछ भाग विदेशी विनिमय के उपार्जन में लगाकर सहायता कर सकता है। बैंक ने इस दिशा में कार्य करने के लिये कुछ कदम उठाये भी हैं। उदाहरण के लिये उसने अपनी ऋण देने की नीति उदार करने का निश्चय किया है जिससे विदेशी व्यापार में भाग लिया जा सके। वह निर्यातकों का ऋण देने के लिये उनसे आवेदन पत्र ले रहा है जिससे उनके निर्यात में सहायता मिल सके।

विदेशी विनिमय प्राप्त करने के अदृश्य साधन

★ *ढुलाई भाड़ा, बैंकिंग बीमा आदि का महत्वपूर्ण योग।*

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं का आयात तथा निर्यात करते समय व्यापारी राष्ट्र अनेक प्रकार सेवाएं भी करते और कराते हैं। इन सेवाओं के योग का मूल्य ही किसी भी देश के अदृश्य व्यापार का अधिकांश भाग होता है। इन सेवाओं में सब से महत्वपूर्ण ये हैं: जहाज द्वारा माल ढोना, बैंकिंग, बीमा और यात्रा। प्रस्तुत लेख में इस प्रश्न पर प्रकाश डाला जा रहा है कि ये चार प्रकार की सेवाएं अधिकाधिक परिमाण में भारत द्वारा किस प्रकार की जा सकती हैं जिससे वह या तो दूसरे देशों से प्राप्त की गई सेवाओं के कारण होने वाला अपना विदेशी विनिमय का खर्च कम कर सके अथवा अन्य देशों को अधिक परिमाण में ये सेवाएं प्रदान करके अपने विदेशी विनिमय का उपार्जन बढ़ा सके।

जहाजों द्वारा माल ढोना

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये जहाजों द्वारा दूर-दूर तक माल ढो कर ले जाना पड़ता है। इस ढुलाई में जो खर्च पड़ता है उससे सम्बद्ध वस्तु के व्यापार की सम्भावना का अन्दाज लगाया जा सकता है। परिवहन के अन्य साधनों का विकास हो जाने पर भी संसार के अधिकांश व्यापार का माल अब भी जहाजों द्वारा ही ढोया जाता है। इसलिये जहाजों की पर्याप्त सुविधा होना प्रत्येक व्यापारी राष्ट्र के लिये परमावश्यक है।

यदि किसी देश के पास निर्यात के लिये माल तो हो परन्तु उसे ढो कर ले जाने के लिये जहाज न हों तो निश्चय ही उसकी स्थिति अत्यन्त असुविधाजनक होती है। सबसे पहले तो उसे अपना माल भेजने के लिए विदेशी जहाजों पर आश्रित रहना पड़ता है। और ऐसी दशा में उसे ऐसी दरों से भाड़ा चुकाना पड़ता है जिनके निश्चित करने में उसका कोई हाथ नहीं होता। दूसरे उसे सदा ही अपनी आवश्यकतानुसार गन्तव्य स्थानों तक माल भेजने के लिये जहाजों में स्थान नहीं मिल पाता। तीसरे, जहाजों द्वारा माल भेजने में माल के मूल्य का लगभग १५ प्रतिशत जहाजी भाड़ा पड़ जाता है। इसलिए जिस देश के पास जहाज नहीं होते उसे भाड़े पर अपना काफी विदेशी विनिमय खर्च कर देना पड़ता है। इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए उन देशों के लिये जो काफी परिमाण में विदेशी व्यापार करते हैं, अपने जहाज रखना आवश्यक हो जाता है जिससे माल ढोने की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध रहें।

जहां तक व्यापारी जहाजों का सम्बन्ध है भारत की स्थिति स्पष्ट ही बड़ी असुविधाजनक है। इस समय उसके पास अपने विदेशी व्यापार का केवल ६ प्रतिशत भाग चलाने के योग्य ही जहाज हैं। दुर्भाग्य से इस आशय की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि भारत को प्रतिवर्ष अपने निर्यात तथा आयात व्यापार की ढुलाई पर कितना विदेशी विनिमय खर्च करना पड़ता है। इसलिये यह जानकारी एकत्रित करने की भी बहुत आवश्यकता है कि भारत अपने निर्यात तथा आयात व्यापार के सम्बन्ध में कितना भाड़ा देता है और उसका कितने टन माल ढोया जाता है। इस सम्बन्ध में गैर सरकारी संगठनों ने जो मोटे अनुमान लगाये हैं उनके आधार पर इस सम्बन्ध में विवेचन किया जाता है। एक अनुमान हमारे कुल विदेशी व्यापार के आधार पर लगाया गया है जो १९५५-५६ में १४०० करोड़ रु० के लगभग था। यदि कुल व्यापार के मूल्य का १५ प्रतिशत भाड़े पर हुआ खर्च मान लिया जाय तो भारत प्रतिवर्ष भाड़े पर २१० करोड़ रुपये के लगभग खर्च करता है। हम जानते हैं कि इस भाड़े से हमारा कुल उपार्जन लगभग ८ करोड़ रु० प्रतिवर्ष होता है। यदि इस खर्च के ४० प्रतिशत भाग को विदेशों में रसद, कोयला, बन्दरगाह और नहर के शुल्क, कमीशन तथा दलाली आदि पर व्यय हुआ मान लें तो हमारी शुद्ध आय ५ करोड़ रु० से कम रह जाती है और इस प्रकार हम प्रतिवर्ष ढुलाई भाड़े पर २०५ करोड़ रु० खर्च करते हैं। एक दूसरे अनुमान के अनुसार भारत के निर्यात तथा आयात व्यापार में कुल सूखे माल की ढुलाई १६० लाख टन वार्षिक होती है जिसमें तटवर्ती यातायात तथा कच्चा तेल शामिल नहीं है। सूखे माल की इस ढुलाई का बिल १५५ करोड़ रु० पड़ता है और यदि खनिज तेलों के परिवहन को भी ध्यान में रख लें तो यह अनुमान भी लगभग पहले अनुमान के बराबर ही आता है। आशा है कि द्वितीय

पंचवर्षीय योजना की अवधि में ६० लाख टन अतिरिक्त आयात होगा जिसके भाड़े पर ६० करोड़ रु० और खर्च करने पड़ेंगे। इस प्रकार हमें विदेशी जहाजों का प्रयोग करने के कारण अधिकाधिक परिमाण में विदेशी विनिमय खर्च करना पड़ रहा है।

व्यापारी बेड़े का विकास

निर्यात संवर्द्धन के प्रत्येक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जहाज व्यवस्था का अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग रहता है। जापान ने इस विषय में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। उसके जहाजों ने दिखा दिया है कि वे देश का निर्यात बढ़ाने तथा बाजारों का विकास करने के लिये क्या कर सकते हैं। इसके सिवा ब्रिटेन तथा अमेरिका जैसे विशाल जहाज व्यवस्था वाले देश अन्य देशों का माल ढोकर विशाल परिमाण पर विदेशी विनिमय का उपार्जन कर रहे हैं। उदाहरण के लिये ब्रिटेन प्रतिवर्ष अपने जहाजों से २१६ करोड़ रु० पैदा करता है जबकि इटली, जर्मनी और जापान भी प्रतिवर्ष १०० करोड़ रु० के लगभग पैदा करते हैं। वर्तमान दशा को देखते हुए अन्य देशों के माल को ढोने लायक जहाज अपने पास कर लेना तो एक बड़ी कल्पना होगी परन्तु अगले १० वर्षों में अपने पास इतने जहाज कर लेना तो कठिन नहीं होना चाहिए जिनके द्वारा ६ प्रतिशत के बदले कम से कम ५० प्रतिशत अपने माल की ढुलाई होने लगे। ऐसा हो जाने पर ही हम अपने निर्यात को विविध प्रकार का कर सकेंगे और उसके लिये नये बाजार खोज सकेंगे।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत के केवल १५ प्रतिशत विदेशी व्यापार को ही अपने जहाजों द्वारा चलाने की व्यवस्था की गई है। इतना कम लक्ष्य रखने का कारण वित्तीय साधनों का अभाव बताया गया है। अतिरिक्त जहाज प्राप्त करने के लिये आरम्भ में जो ३७ करोड़ रु० रखे गये थे उनमें द्वितीय योजना के शुरू के महीनों में ही वृद्धि की जा चुकी है। नवम्बर १९५६ में स्वेज नहर बन्द हो जाने के कारण भाड़े की दरें तेजी से चढ़ गई और जहाजों की मांग भी बहुत बढ़ गई। पुराने जहाजों के दाम भी चढ़ गये। परन्तु अब स्थिति काफी सुधर गई है। इसलिये अब फिर हमें नये जहाज प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करने चाहिएं। इसलिये सरकार को चाहिए कि सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार के निगमों को विलम्बित भुगतान के आधार पर जहाज लेने के लिये प्रोत्साहित करे। सरकार इस सम्बन्ध में ऋणों की जिम्मेवारी ले सकती है और पुनर्निर्माण तथा विकास के लिये बनाये गये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक जैसी संस्थाओं से शुरू की किश्तें चुकाने के लिये धन लेने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। अनुमान है कि १०,००० टन का जहाज प्रतिवर्ष खर्च काटकर २५-३० लाख रु० बचाता है। इस आकार के जहाज का मूल्य लगभग १२० लाख रु० होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक जहाज को खरीदने में खर्च किया गया सारा रुपया प्रायः चार वर्षों में निकल आता है। यदि पुराने जहाज खरीदे जांय तो उनकी लागत केवल दो वर्षों में निकल सकती है। इसलिये अगर विलम्बित भुगतान की सुविधा हो जाय तो भाड़े में से ही ऋण को किश्तों द्वारा सरलता से चुकाया जा सकता है। इसलिये नये-नये जहाज प्राप्त करने के शीघ्रातिशीघ्र प्रयत्न होने चाहिएं।

यह घोषित किया जा चुका है कि भारत सरकार देश में जहाज व्यवस्था का विकास करने के लिये एक कोष बना रही है जो १२ करोड़ रु० से शुरू किया जायगा और अगले चार वर्षों में यह बढ़कर ५० करोड़ रु० हो जायगा। यह अत्यन्त उचित और ठीक प्रयत्न है परन्तु हमारा लक्ष्य यही रहना चाहिए कि अगले १० वर्षों में हम अपने विदेशी व्यापार का ५० प्रतिशत माल अपने जहाजों में ही ढोने लगें। इसलिये विलम्बित भुगतान के आधार पर हमें शीघ्र ही अतिरिक्त जहाज प्राप्त कर लेने चाहिएं।

जहाजों का निर्माण

द्वितीय योजना अवधि में जहाज बनाने का दूसरा कारखाना खोलने की योजना हो रही है। इसमें प्रतिवर्ष १,२०,००० टन के जहाज प्रतिवर्ष बना करेंगे। चूंकि हमारे पास जहाजों की बहुत कमी है इसलिये जहाज बनाने वाले तीसरे कारखाने की योजना भी शीघ्र बनायी जानी चाहिए। जिन देशों के पास व्यापारी जहाजों के बड़े अच्छे बेड़े हैं वे भी अपने यहां की जहाज कम्पनियों को नये जहाज बनाने के लिये विशेषतः धन की सहायता देते हैं जो नये जहाज बनाने की लागत की २० से ४० प्रतिशत तक होती है। करों के बारे में भी जहाज निर्माण उद्योग को अनेक रियायतें आदि दी जाती हैं। इसलिये भारत में भी जहाज प्राप्त करने के लिये कम ब्याज पर जो ऋण दिये जाते हैं उनके अतिरिक्त सरकार की ओर से कुछ चुने हुए करों में भी रियायतें दी जानी चाहिएं।

इस समय भारत तथा ब्रिटेन/यूरोप के मध्य होने वाले व्यापार में दो भारतीय जहाजी कम्पनियां भाग लेती हैं। एक कम्पनी ने अपने जहाज भारत तथा आस्ट्रेलिया के बीच चलाने आरम्भ किये हैं और एक दूसरी कम्पनी ने भारत और जापान तथा अन्य देशों के मध्य काम शुरू किया है। परन्तु इन मार्गों के बीच के बन्दरगाहों का व्यापार भारतीय जहाजों के हाथ में अभी न कुछ के बराबर ही है। इसके बढ़ाने की आवश्यकता है। मारीशस और पश्चिमी अफ्रीका के बन्दरगाहों के लिये अभी भारत से केवल एक सर्विस है जिसके बढ़ाये जाने की जरूरत है।

भारतीय जहाजों के लिये इस समय जो लाइनें खुली हुई हैं उन पर भी उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिये भारत तथा ब्रिटेन/यूरोप के मध्य होने वाले व्यापार में भारतीय जहाजों को कोलम्बो और सिकन्दरिया और बीच के बन्दरगाहों से माल उठाने की अनुमति नहीं मिली है। इससे बड़ी असुविधा होती है क्योंकि पश्चिमी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया भविष्य में भारतीय माल खपाने के बड़े अच्छे बाजार सिद्ध होंगे। इस समय चूंकि

भारत से सीधे जहाज इन स्थानों को नहीं जाते इसलिये हमें वहा माल भेजने में बड़ी कठिनाई होती है। ऐसी दशा में प्रबन्ध कर लेना भी आवश्यक है कि विदेशी जहाज ही भारतीय बन्दरगाहों में नियमित रूप से तथा जल्दी-जल्दी आने लगें जिससे हमारे विदेशी व्यापार में जो वृद्धि हो रही है उसमें को बाधा न पड़े। कोचीन और काण्डला बन्दरगाहों में इनका जल्दी जल्दी आना विशेषतः आवश्यक है।

विदेशी जहाज कुछ वस्तुओं के ढोने का बहुत अधिक भाड़ा लेते हैं। काली मिर्च, इंजीनियरी उत्पादन, अलूमीनियम के बर्तन, जटा, टाइल्स और कोयले की दरों में यदि उचित कमी हो जाय तो उनका निर्यात बढ़ाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में विदेशी कम्पनियों से भाड़ा घटाने के बारे में बातचीत की जा सकती है।

बन्दरगाहों में सुविधाएं

प्रायः हो यह शिकायत का जाती है कि कलकत्ता, मद्रास बम्बई और कोचीन के बन्दरगाहों में बढ़ते हुए व्यापार की आवश्यकताओं के अनुरूप स्थान तथा माल उतारने, चढ़ाने, गोदाम में रखने आदि की सुविधाओं में वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त वनस्पति तेल, शीरा आदि तरल पदार्थों का व्यवहार करने के साधनों की भी बहुत कमी है। इसके सिवा इन बन्दरगाहों में जहाजों की भीड़ भी नहीं होने देनी चाहिए जिससे उन्हें अधिक समय तक रुकना न पड़े और इसके फलस्वरूप माल के भाड़े में वृद्धि न हो।

माल उतारने चढ़ाने में शीघ्रता करने के लिये अदद के हिसाब से मजदूरी देने की जो प्रथा चलाई गई उसके कारण बम्बई, मद्रास और कोचीन के बन्दरगाहों में मजदूरों ने तेजी के साथ काम करना आरम्भ कर दिया है। अभी यह प्रथा कलकत्ते में नहीं चलायी गई है। इसलिये अन्य बन्दरगाहों की अपेक्षा कलकत्ते में माल उतारने चढ़ाने का खर्च कुछ अधिक पड़ता है। इसके सिवा इन सभी बन्दरगाहों में धातु खनिज जैसी वस्तुओं को उतारने चढ़ाने के लिये आवश्यक यन्त्रों की व्यवस्था करना भी अत्यावश्यक है।

पिछले १० वर्षों में इन बड़े बन्दरगाहों में काम दुगने से भी अधिक हो गया है। इसलिये बड़े बन्दरगाहों का विस्तार करने और छोटे बन्दरगाहों का विकास करने की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और उनमें बढ़े हुए काम को सुविधापूर्वक करने के लिये आधुनिक ढंग की मशीनें लगानी चाहिए।

कलकत्ते के बन्दरगाह की भीड़भाड़ कम करने के लिये हुगली नदी पर नीचे की ओर किसी उपयुक्त स्थान पर अन्य छोटा सहयोगी बन्दरगाह बनाने की आवश्यकता है। इस समय ज्वारभाटे की स्थिति के कारण अन्य बन्दरगाहों की अपेक्षा कलकत्ते में जहाजों को घाट पर लगने के लिये अधिक देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। नौ घाटों में से अभी केवल पाच घाट ही बड़े जहाजों के काम आते हैं। अन्य चार घाटों पर तली में मिट्टी भर जाने के कारण काफी पानी नहीं रहा है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये पश्चिमी बंगाल की सरकार ने कलकत्ते से ३५ मील दूर जिदो खाली स्थान पर एक नया बन्दरगाह बनाने की योजना भारत सरकार के पास भेजी है।

बैंकिंग

रिजर्व बैंक द्वारा १९५१-५२ के वर्ष का जो नमूने का सर्वेक्षण किया गया था उसके अनुसार भारत के आयात व्यापार का लगभग ७० से ७५ प्रतिशत और निर्यात व्यापार का लगभग ६० से ६८ प्रतिशत भाग भारतीय फर्मों के हाथ में है। परन्तु केवल २० से २५ प्रतिशत आयात व्यापार तथा केवल २५ से ३० प्रतिशत तक निर्यात व्यापार ही भारतीय बैंकों के रुपये से चलता है। शेष सारा व्यापार विदेशी विनिमय बैंकों के धन से चलता है। बाद के वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु हो सकता है कि भारतीय फर्मों तथा बैंकों द्वारा चलाये जाने वाले आयात निर्यात व्यापार का अनुपात थोड़ा बढ़ गया हो। पर यह अनुपात अब भी बहुत कम है और उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि विदेशी विनिमय बैंक भारतीय व्यापार से जो उपार्जन करते हैं उसका एक भाग वे विदेशों को भेज देते हैं। १९५५ में विदेशी बैंकों ने १.६६ करोड़ रु० का मुनाफा कमाया। १९५६ में यह मुनाफा १.६१ करोड़ रु० का हुआ। इस मुनाफे में से इन बैंकों ने अपने प्रधान कार्यालयों को क्रमशः ८६ लाख रु० और ७० लाख रु० भेजे। यदि भारतीय फर्में कुछ प्रारम्भिक असुविधाएं होते हुए भी भारतीय बैंकों के द्वारा ही अपना काम करने लगें और भारतीय बैंक भी उन्हें अच्छी शर्तें तथा सन्तोषजनक सेवा प्रदान करें तो हमारे बैंकों को विदेशी व्यापार में अधिक भाग लेने का अवसर मिलने लगेगा जिससे देश को लाभ होगा।

भारतीय बैंक विदेशों में अपनी शाखाएं खोलकर भी विदेशी विनिमय के उपार्जन में सहायता कर सकते हैं। विदेशी शाखाओं के उपार्जन तथा उनके द्वारा भारत को भेजे जाने वाले धन को आयकर से मुक्त कर देने से भारतीय बैंकों को विदेशों में शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। विदेशी सरकारों द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के अतिरिक्त भारतीय बैंकों को विदेशों में अपना व्यापार बढ़ाने में अन्य कारणों से भी बाधा पड़ती है। इन कारणों में साधनों की कमी, विदेशों द्वारा भारत को धन भेजने पर लगाई गई पाबन्दियां, कुछ देशों में शाखाएं चलाने के लिये ऊंचे अधिकारियों को अधिक दिनों के लिये वहां रहने के अनुमतिपत्र मिलने की कठिनाई इत्यादि इनमें उल्लेखनीय हैं। इनमें से भारत को धन भेजने तथा ऊंचे अधिकारियों को विदेशों में रहने के अनुमतिपत्र मिलने की जो कठिनाइयां हैं उनके बारे में हमारी सरकार सम्बद्ध देशों की सरकारों से बातचीत कर सकती है जिससे हमारे बैंकों को भी उनके द्वारा वही सुविधाएं दिलाई

जा सकें जो उनके बैंकों को भारत में मिली हुई हैं। जहां तक साधनों का प्रश्न है सो रिजर्व बैंक सस्ती दरों पर उन बैंकों को ऋण दे सकता है जो विदेशों में अपनी शाखाएं खोलना चाहें।

बीमा

बीमा सेवा एक दूसरा व्यापारिक साधन है जिसके द्वारा किसी भी देश के लिये काफी परिमाण में विदेशी विनिमय का उपार्जन अथवा बचत की जा सकती है। ब्रिटेन की लायड संस्था के उदाहरण से विदित हो जाता है जहाजी तथा अन्य प्रकार के बीमों के कारण अदृश्य निर्यात का परिमाण कितना अधिक होता है। भारत में अधिकांश आयात का सौदा लागत, बीमा, भाड़ा शामिल करने के आधार पर होता है। देश को विदेशों में खरीदे गये माल पर बीमा के रूप में कितना रुपया खर्च करना होता है वह ठीक ठीक ज्ञात नहीं है। परन्तु चूंकि आयात का मूल्य लगभग १००० करोड़ रु० होता है इसलिए यह राशि भी काफी बड़ी होगी। इसलिये जहाजी बीमा आदि पर खर्च होने वाले विदेशी विनिमय को बचाने के लिये पहला कदम यह होगा कि भारतीय आयातक (सरकारी तथा निजी दोनों ही) अपने माल का बीमा अधिकाधिक परिमाण में भारतीय बीमा कम्पनियों से ही करायें।

जहां तक निर्यात का प्रश्न है यह स्पष्ट है कि उसका बीमा भारतीय कम्पनियों द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाना सम्भव नहीं है। लेकिन जहां जो भी विदेशी खरीदार लागत, बीमा, भाड़ा शामिल करके मूल्य तय करना स्वीकार करें उनके मामले में बीमा का काम भारतीय फर्मों को ही सौंपना चाहिए।

देश के लिये बीमा द्वारा विदेशी विनिमय का उपार्जन करने का एक अन्य उपाय यह भी है कि विदेशों में भारतीय बीमा कम्पनियों की शाखाएं खोली जायें। इस सम्बन्ध में जो बातें भारतीय बैंकों के विषय में ऊपर बताई गई हैं वे सभी भारतीय बीमा कम्पनियों के बारे में भी लागू होती हैं।

यात्रा

यात्रियों का आवागमन भी अदृश्य उपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन हैं। फ्रान्स, इटली आदि यूरोप के कुछ देशों को तो विदेशों से आने वाले यात्रियों के कारण विदेशी विनिमय की काफी आमदनी होती है। रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार १६५२-५६ की अवधि में भारत के विदेशी यात्रियों से इस प्रकार आय हुई है :—

(करोड़ रु० में)

वर्ष	आय	अदायगी
१६५२	६.८	६.६
१६५३	७.१	१३.६
१६५४	८.४	१२.०
१६५५	१०.३	१२.३
१६५६	१३.३ (प्रारम्भिक)	१३.४ (प्रारम्भिक)

यदि यात्रा की सुविधाएं बढ़ा दी जायं तो यात्रियों से होने वाला हमारा उपार्जन १३ करोड़ रु० से बढ़ा कर ५० करोड़ रु० वार्षिक तक किया जा सकता है। भारत सरकार विदेशी यात्रियों को भारत की सैर के लिये प्रोत्साहित करने के प्रयत्न कर रही है। उनके ठहरने, यात्रा करने, दर्शनीय स्थल देखने, मनोरंजन इत्यादि की सुविधाएं की जा रही हैं। परन्तु इसके लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से लेकर होटल वालों तक के द्वारा पूर्ण प्रयत्न किये जाने की आवश्यकता है। केवल बड़े शहरों में ही नहीं वरन् सारनाथ, अलौरा, खजुराहो, कोणार्क, महाबलीपुरम, हेलबिड, बेलूड़, मदुराई, तिरुपति आदि छोटे किन्तु दर्शनीय स्थलों में भी अच्छे होटलों तथा विश्राम केन्द्रों का प्रबन्ध होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मध्यम दर्जे के विदेशियों के ठहरने योग्य होटल चलाना चाहें तो उसे कम ब्याज पर ऋण की सुविधाएं मिलनी चाहिए। होटलों में पाश्चात्य ढंग का भोजन बड़ी स्वच्छता से बनाकर सुरुचिपूर्ण ढग से परोसा जाना चाहिए जिससे यात्रियों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े।

इस समय हवाई सर्विसों आदि का ठीक प्रबन्ध नहीं है। यदि कोई पूरा वायुयान किराये पर लेना चाहे तो खर्च बहुत पड़ता है और वह सरलता से मिलता भी नहीं है। इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने विदेशी यात्रियों को कम भीड़ के दिनों में रियायतें देने का भी कोई प्रबन्ध नहीं किया है। इसके सिवा वह यात्रा रद करने के लिये कुछ फीस लेती है जिससे विदेशी यात्री बहुत चिढ़ते हैं। इसलिये वायुयानों में विदेशी यात्रियों के लिये स्थान सुरक्षित करने अथवा रद करने के विशेष प्रबन्ध करने चाहियें। भारतीय रेलों में विदेशी यात्रियों को जो रियायतें प्राप्त होती हैं वे अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम हैं। उनके विषय में भी विचार किया जाना आवश्यक है।

यूरोप में सड़कों द्वारा यात्रा करना बहुत प्रिय माना जाता है। भारत में तो सड़क द्वारा यात्रा करना और भी अधिक लोकप्रिय हो सकता है क्योंकि उसके बहुत से दर्शनीय स्थल रेलों से दूर देश के भीतरी भागों में बसे हुए हैं। इसलिये सड़क परिवहन विदेशी यात्रियों को आकर्षित करने में बहुत अधिक भाग ले सकता है। भारत में विशेष प्रकार की यात्रा गाड़ियों का चलन ही नहीं है जैसा कि अन्य देशों में है। इसके अतिरिक्त बसों द्वारा दर्शनीय स्थलों के देखने का भी प्रबन्ध नहीं है। लम्बी यात्राओं के लिये टैक्सी का किराया बहुत अधिक पड़ता है।

निर्यात संवर्द्धन समिति ने विदेशी यात्रियों को आकर्षित करने के प्रश्न पर विचार करते समय यह मत व्यक्त किया है कि यदि यात्रियों के काम आने वाली गाड़ियों का टैक्स घटा दिया जाय तो अधिक संख्या में

यात्री आने लगेंगे। इन यात्रियों की सहायता करने के लिये अच्छे गाइडों की भी काफी संख्या में आवश्यकता है। परिवहन मन्त्रालय ने कुछ गाइड शिक्षित किये हैं परन्तु अभी उनकी संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है। बहुत से गाइड विदेशियों को समझाने योग्य अच्छी अंग्रेजी नहीं जानते और फ्रान्सीसी, जर्मन, रूसी आदि भाषाएं जानने वाले गाइडों की सख्या तो अभी बहुत ही कम है।

सीमाशुल्क, आयकर, पुलिस में लेखा कराने आदि से सम्बन्ध रखने वाली बहुत सी कार्यवाइयों को भी सरल कर देने की आवश्यकता है जिससे इनके कारण यात्राओं को असुविधा न हो और भारत आने से विरत न हो जायं।

यात्राओं का प्रबन्ध करने वाले गैर सरकारी संगठनों की स्थापना होनी चाहिए और इसके लिये सरकारी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ये संगठन ऐसे हों जो विदेशों में यात्रा सम्बन्धी जानकारी प्रदान करें और प्रचार करें। ज्ञात हुआ है कि ब्रिटेन में यात्राओं का प्रबन्ध करने वाले संगठन का प्रचार-बजट प्रतिवर्ष ८० लाख रु० का होता है। इसी प्रकार फ्रान्स में इस प्रचार पर ६० लाख रु०, इटली में ६५ लाख रु० और जापान में ५० लाख रु० प्रति वर्ष खर्च होते हैं। इनमें से अधिकांश देशों के यात्रा कार्यालय विदेशों में खुले हुए हैं जो यात्रा साधनों, होटलों, हवाई सर्विसों और जहाजी कम्पनियों के साथ अच्छा सम्पर्क तथा प्रबन्ध रखते हैं। १९५७-५८ में भारत ने विदेशों में प्रचार करने के लिये लगभग २५ लाख रु० का बजट बनाया है। विदेशों में यात्रा सम्बन्धी जानकारी देने तथा प्रचार करने के लिये और अधिक रुपये दिये जाने की आवश्यकता है। चूँकि भारत के दर्शनीय स्थल विभिन्न राज्यों में स्थित हैं इसलिये राज्य सरकारों को भी चाहिए कि वे भी यात्रियों को प्रोत्साहित करने के लिये अधिक दिलचस्पी लें।

भारत में यात्रा का प्रबन्ध करना एक विशेष समस्या है। अन्य देशों में तो केवल उसका प्रचार करना मात्र ही काफी होता है। जब यात्री वहां पहुँचता है तो उसे होटल, वायुयान, रेल आदि की समस्त व्यवस्था सुविधाजनक प्राप्त हो जाती है। परन्तु भारत में इसका अभाव है। इसलिये जब तक विदेशी यात्री भारत में रहता है उसकी सुविधा का बराबर ध्यान रखना पड़ता है और विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिये सरकार के ऊपर इसका अतिरिक्त भार आ पड़ता है।

भारत से प्रमुख वस्तुओं के निर्यात द्वारा हुई प्राप्ति

★ *विभिन्न देश भारत से कितने मूल्य का क्या-क्या माल मंगाते हैं ?*

नीचे विगत पांच वर्षों के हमारे निर्यात सम्बन्धी आंकड़े दिये गये हैं। इनसे प्रकट होता है कि भारत से कौन-कौन से देश क्या-क्या माल मंगाते हैं और इसमें पांच वर्षों में कितनी घटा-बढ़ी हुई है। आंकड़ों को देखने से प्रकट होता है कि ब्रिटेन हमारा सबसे बड़ा खरीदार है। उसके बाद जो देश आते हैं उनमें जर्मनी, रूस, अमेरिका, कनाडा, बेलजियम, इटली, जापान, आदि प्रमुख हैं। इन आंकड़ों से यह आभास मिल सकता है कि किन-किन वस्तुओं से कितना-कितना विदेशी विनिमय हमें प्राप्त होता है। ये आंकड़े समुद्र, वायु तथा स्थल मार्गों द्वारा भेजे गये माल के विषय में है जिसका मूल्य लाख रुपयों में दिया गया है।

प्रमुख वस्तुओं का निर्यात

(समुद्र, वायु और स्थल मार्ग द्वारा)

(मूल्य लाख रु० में)

	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५४-५५	१९५५-५६	१९५६ (अप्रैल-दिस०)
			जट			
ब्रिटेन	१,०८३	२५३	२४३	३१४	२४८	१५२
आस्ट्रेलिया	२,६००	६४८	५६७	१,१०६	१,१२०	७१३
न्यूजीलैण्ड	४११	१३२	७३	१६१	१८२	१३८
केनिया	३४३	६५	६४	१४२	१०२	५१
बरमा	८७६	२६६	१९७	२६३	२८८	२७४
इण्डोनेशिया	२८८	३४२	२३८	२४७	३४८	१९६
थाइलैण्ड	७८४	२४९	२१९	१३६	१९६	५१
चीन	५२९	२९	१२	१४८	१८८	६९
फिलिपाइन	३८	५५	३०	७५	११९	७०
नाइजेरिया	३७६	२७८	१५३	२५५	२०६	१५८
मिस्र	२३६	१७६	२३	३०१	३२९	२७८
सीरिया	४५	४१	८३	१८९	८३	४७
सुडान	४२६	५१	५८	६८	१०२	१४९
क्यूबा	१,१२६	७४७	४०५	४५६	४२३	४५१
पीरू	२०५	१७५	१२८	९७	१३५	११२
योग (अन्य सहित)	१३,५०२	६,१३९	४,०२९	५,६८५	५,४१९	३,९८७

टाट						
ब्रिटेन	१,१०६	४५४	१,०६३	९९९	५३५	४७५
आस्ट्रेलिया	५१४	१४०	२२३	२२२	२५७	१६५
अमेरिका	५,२६४	३,६६०	२,५६३	२,७६०	६,८८७	२,३४५
कनाडा	६५७	४४१	४३९	४८१	५०२	३९२
उरुग्वे	२१३	१३२	११९	१४५	१४६	१४६
अर्जेंटाइना	१,६६४	६६५	१,८८९	१,२०५	१,०४७	४९०
योग (अन्य सहित)	१२,४५८	६,३०८	६,९५०	६,२५१	५,९०८	४,४७४
जूट का योग	२६,९७३	१२,९३९	११,३९२	११,३८०	११,८२५	८,९०४
चाय						
ब्रिटेन	६,०९७	५,५२०	७,२९३	१०,१८२	७,३९५	७,५१८
आयर	६०१	२१७	४७५	७३४	५६१	२९६
आस्ट्रेलिया	१३४	१९६	७८	२७४	१५१	१७०
कुवेत	१७९	१४४	७३	११९	७३	५०
अमेरिका	३३१	५८६	७२१	१,०३८	६७८	५६२
कनाडा	४३१	४२५	४७३	७३९	४७२	५०८
पश्चिमी जर्मनी	६१	५७	९८	१०५	१२४	१८०
नीदरलैंण्ड	१२२	१२४	१३२	१५१	१०४	८५
तुर्की	९६	११२	१३८	८३	१७२	७४
मिस्र	७१	२२४	२१६	३४१	६१२	४८४
ईरान	३७१	३३	४६	४२९	३९७	१९६
योग (अन्य सहित)	९,३४९	८,०८६	१०,२११	१४,७२२	१०,८६२	१०,८४४
रुई कच्ची						
ब्रिटेन	१६३	९८	८९	१३८	४०८	३६
जर्मनी	९	१०६	५३	४९	७२	६
नीदरलैंण्ड	६४	९३	७०	४७	८२	७
बेल्जियम	२८	८४	१७	४१	१९२	१०
फ्रांस	२२	१२३	७६	६१	८९	६
इटली	२३	७३	१६	२७	१२७	७
जापान	५५३	१,११४	४६३	५३९	१,३५९	६००
अमरीका	४७१	१६२	१२६	८७	३७	३
योग (अन्य सहित)	१,३६८	१,९३३	९४०	१,०१९	२,९६९	७६२
रुई रद्दी						
ब्रिटेन	१८४	२७५	२६७	१७७	२३४	१०६
पश्चिमी जर्मनी	१०	६९	९२	८५	७७	४७
बेल्जियम	२८	५७	५६	५४	५१	११

जापान	२६	१७६	२००	२७४	२८६	१८२
आस्ट्रेलिया	११०	४१	७२	७६	५७	५२
अमेरिका	८६	११६	६७	१०३	८६	४१
योग (अन्य सहित)	७३५	६६४	६८७	१,००५	६६६	५४१
मिल का कपड़ा						
ब्रिटेन	५०६	२३	३११	८३७	६०४	४६८
अदन	२६५	५७३	५२८	३२०	२४५	१६७
कुवैत	३८	११२	१२८	३८	२८	२१
अफगानिस्तान	२३०	३०२	२२०	१७६	६०	५१
लंका	११०	१६८	१८३	१६४	१८६	१५६
बरमा	१५३	७४६	५६६	२३०	८८	६८
सिंगापुर	६१८	८४०	३०५	२०६	१६७	१५२
नाईजेरिया	८०	१२५	३२६	३२१	३५३	१५६
रोडेशिया	२८	५६	१०४	१०१	५८	५०
केनिया, जंजीबार, पेम्बा	१६६	३०१	२७३	२६१	२४०	२३७
टांगानीका	६६	२३८	१७६	२२४	१८६	१२६
सूडान	१३०	३८६	२५१	४१४	३१४	३२२
इथोपिया	८२	३	१५८	२५१	२१५	१६३
आस्ट्रेलिया	३८६	८०	५३६	३६३	३६४	२८७
कनाडा	३७	४६	८०	७८	१०५	७७
योग (अन्य सहित)	४,२५५	५,३३३	५,३५५	५,४६३	४,८१७	३,६५८
हथ करघे का कपड़ा						
ब्रिटेन	७	१२	७	७	८	६
अदन	४६	४८	५२	५२	३८	२५
लंका	३७६	३६५	३८०	३१३	३२२	२०३
सिंगापुर	५४	८०	४०	६७	५६	३६
मलाया	११८	५६	८६	७६	१११	८७
नाइजेरिया	२२४	२१०	३३२	२१६	२२५	१५४
योग (अन्य सहित)	६१७	८७६	६६०	८२३	८४६	६१४
मैंगनीज खनिज						
ब्रिटेन	१५६	२४४	२६३	२०८	११६	८३
पश्चिमी जर्मनी	१५६	१६६	१२०	४६	४५	४१
फ्रांस	५६	७०	८०	७२	१३५	६८
इटली	८२	४२	४१	४७	५४	३६
जापान	१७७	६८	१४३	५६	१२१	१४७
अमेरिका	८५७	१,४३२	१,६४८	७८६	४०६	२७१
योग (अन्य सहित)	१,५६६	२,१७६	२,४२५	१,२६२	१,०७२	८४७

लौह खनिज						
पश्चिमी जर्मनी	१०	५२	४२	३७	२१	१४
बेल्जियम	१६	६३	९	७	११	—
चैकोस्लोवाकिया	८	७५	२३७	११५	९०	१६३
जापान	५५	१४४	२४६	२०६	४६३	३८३
योग (अन्य सहित)	१००	३७१	५८२	४२१	६२७	६६४
अबरक के खण्ड						
ब्रिटेन	१६०	११०	६९	९४	९१	९०
पश्चिमी जर्मनी	१७	९	२५	२०	३९	३८
नीदरलैण्ड	१५	१४	१६	२४	१३	१६
फ्रान्स	२४	१६	९	१७	१५	१७
जापान	१४	३१	२८	१६	३१	३६
अमेरिका	१६७	१९९	२४९	१४७	२३७	१५१
योग (अन्य सहित)	४४०	४०६	४२८	३६८	४७६	३६२
अबरक की परतें						
ब्रिटेन	२१२	११२	८२	९९	७५	४७
पश्चिमी जर्मनी	२८	२७	३०	३९	४९	३७
फ्रान्स	३०	२४	१८	१७	२१	१५
इटली	२७	१२	९	१४	१४	१३
जापान	१७	३३	३६	११	२२	३३
अमरीका	४७४	२४०	१३७	६६	१२४	९३
योग (अन्य सहित)	८७२	४८६	३६८	२९३	३४८	२८७
पूर्ण योग	१,३२१	९०१	८००	६७२	८३७	६५७
चमड़ा और खालें						
बकरी की कच्ची खालें						
ब्रिटेन	१३१	७२	११९	१०९	७३	३८
रूस	—	—	—	१२०	१२८	१२३
परिचमी जर्मनी	३६	४८	७७	५९	४०	३३
नीदरलैंड	२१	६	३१	२४	६	—
इटली	४२	५२	३४	१९	४४	३३
चैकोस्लोवाकिया	१	११	१३	३४	२४	१६
अमेरिका	३९४	२७५	२३४	२४८	२३५	१०९
आस्ट्रेलिया	५८	९	१४	३५	२०	२१
योग (अन्य सहित)	६९७	४७८	५४२	६५८	५८३	३८०

गाय का कमाया हुआ चमड़ा						
ब्रिटेन	९६३	६४१	७७५	६३४	६७८	४२६
अमेरिका	३३	२०	२७	७	१	—
योग (अन्य सहित)	१,१०५	७५६	८९९	७०७	७४०	४६९
खालें कमाई हुई बकरी की खालें						
ब्रिटेन	२९५	३०९	४३७	४१४	४६४	३३२
नीदरलैण्ड	२७	३	१	—	१	—
बेल्जियम	१२	१६	२४	३१	४२	२६
फ्रांस	५४	५४	५३	५४	७२	६०
अमेरिका	८३	५४	५६	३९	४७	३५
योग (अन्य सहित)	५१०	४८६	६५४	६१३	७५८	५३६
भेड़ की खालें						
ब्रिटेन	४८५	३५३	५१९	४१०	४०५	२६१
अमेरिका	७	६	३	४	२	१
पश्चिमी जर्मनी	२	११	२९	१८	१८	१२
जापान	४५	११३	१२४	८७	९६	१३७
योग (अन्य सहित)	५७०	५१४	७०६	५४५	५४६	५३२
योग चमड़ा और खालों का	२,४९३	१,९९७	२,४४६	२,४८९	२,२५३	१,५६८

जटा की वस्तुएं

नारियल की सुतली						
ब्रिटेन	१२०	६१	७३	७०	७०	५४
पश्चिमी जर्मनी	९२	७८	७९	९२	९३	७७
नीदरलैण्ड	११९	८५	१२४	११६	१३३	११५
फ्रान्स	४४	३२	३६	३६	३९	४१
इटली	५२	३६	४३	४१	४९	२८
बरमा	२२	३८	२३	२८	२७	२९
अमेरिका	४६	२८	१८	१८	२३	२८
योग (अन्य सहित)	६५९	४५५	४९४	५२२	५७२	४९३
नारियल की चटाइयां						
ब्रिटेन	११६	१११	८९	९५	९५	६७
अमेरिका	३७	३४	३२	३४	३८	३२
आस्ट्रेलिया	३८	१३	३१	२६	२३	१५
योग (अन्य सहित)	२५३	२०३	२०६	२१६	२२१	१६१
कुल योग	१,०१९	७१६	८१६	८४५	८९४	७२१

लाख

बटन की लाख						
ब्रिटेन	२२	८	६	१४	१५	१०
अमेरिका	३१	७	६	७	११	७
योग (अन्य सहित)	६३	१८	१८	२७	३४	२४
बीज लाख						
ब्रिटेन	२७	१६	२२	४१	२६	१६
अमेरिका	१७१	२६७	१६४	२४६	२७०	११६
योग (अन्य सहित)	२२८	३०४	२४२	३३६	३४६	१७१
चपड़ा						
ब्रिटेन	३००	६८	१०७	१३१	१५५	११२
रूसी	१६६	१४	१५	२८	२६	७८
पश्चिमी जर्मनी	३२	१२	२७	३८	६१	३१
फ्रांस	२७	१७	१७	२३	२६	१६
इटली	३०	२४	१५	३१	५५	३२
हांगकांग	२०	१८	११	३५	६	६
जापान	५	२५	२०	१५	२३	१०
अमेरिका	२८२	६५	७७	१०१	१२८	७१
आस्ट्रेलिया	३२	१२	२०	१७	२७	१४
योग (अन्य सहित)	१,१३०	२८८	३६६	६२७	७२८	५१३
कुल योग	१,४८४	७६१	६७७	१,०५५	१,१७३	७४६
नीबू घास का तेल						
ब्रिटेन	३२	११	११	३५	२७	२४
अमेरिका	६३	१०	१२	४६	४७	४२
नीदरलैण्ड	१३	३	६	१२	६	७
फ्रान्स	११	५	७	१४	१७	१५
स्विटजरलैण्ड	१३	३	७	७	११	७
योग (अन्य सहित)	१४६	३६	५४	१३३	१३४	११२
चन्दन का तेल						
ब्रिटेन	१४	१६	१६	२०	२६	१५
सूडान	३	५	५	४	५	४
अमेरिका	१	१०	२	१२	१८	१३
फ्रान्स	५	५	१२	१३	२३	१७
जापान	१	७	२	८	११	३६
योग (अन्य सहित)	३३	५०	५६	७२	१०२	७१

अरंडी का तेल

ब्रिटेन	२६४	१६५	९८	१५७	१६३	१६४
स्वीडन	७	१०	४	८	७	९
अमेरिका	१०७	५०१	१६७	१५२	१९४	२८३
आस्ट्रेलिया	६८	१८	२३	१७	२०	२१
योग (अन्य सहित)	६५७	७७२	३१६	३५३	४१२	५३१

मूंगफली का तेल

ब्रिटेन	२४	१२८	—	६४	२३	—
हांगकांग	१३	१२९	३	५५	५५	—
कनाडा	१०४	५	—	४१	१९	—
नीदरलैंड	३७	२७२	९	५१३	४८७	५
बेल्जियम	२	१२९	६	१४०	९१	—
इटली	३२	१५१	—	७	२३५	३
बरमा	११९	८५	१	२६८	३५०	—
अमेरिका	—	—	—	५५	७	—
योग (अन्य सहित)	४३२	१,०४७	२५	१,२८३	१,५६९	१२

अलसी का तेल

ब्रिटेन	१४१	७९	३	६९	७७१	४०२
पाकिस्तान	८	१३	५	५	—	२
आस्ट्रेलिया	२५५	५५	२७	२८	९३	२९
न्यूजीलैंड	४०	११	२	—	६	२
योग (अन्य सहित)	५६६	४६८	५६	११६	९४६	४७६
कुल योग (अन्य तेलों सहित)	२,२७६	२,५१४	६१७	२,२३९	३,९३७	१,५०६

तेलहन

ब्रिटेन	१२	८	१२	३१	११४	१
नीदरलैंड	१	२७	१३	१५	१७	—
कनाडा	८२	९५	२७	१६९	३२	—
योग (अन्य सहित)	२३५	१४०	६३	२५४	२६५	२

तम्बाकू

अनिर्मित

ब्रिटेन	८८९	७०५	६४८	८१८	६८०	७६२
नीदरलैंड	२५	२७	१८	१६	१८	२६
बेल्जियम	८	१५	२०	११	१८	२२
अदन	२८	२२	४३	३४	२३	२२

इंडोनेशिया	—	५०	१५	३	१०२	५२
जापान	१८	१८१	१५६	४६	३१	८
चीन	१६	२	८	६८	८७	१११
मिस्र	३४	३२	२८	२६	३४	२१
योग (अन्य सहित)	१,४१२	१,३०३	१,१०२	१,१७६	१,०६५	१,०८४
निर्मित						
लंका	५५	८५	६२	१०५	१०२	७८
सिंगापुर	२१	२	२	२	३	३
मलाया	१८	४	३	३	३	१
योग (अन्य सहित)	२८२	२५४	१०५	१११	१०६	८३
तम्बाकू का कुल योग	१,६६३	१,५५७	१,२०६	१,२६६	१,१८३	१,१७६
काजू की गिरी						
ब्रिटेन	२०३	२७६	१६६	१०३	१२१	१३१
अमेरिका	६४६	६५५	८१५	८८७	१,०३५	८४२
कनाडा	२१	५१	४८	३५	५१	३६
आस्ट्रेलिया	१७	३	१७	१७	२८	१७
योग (अन्य सहित)	६०५	१,२६८	१,०६३	१,०७०	१,२६२	१,१८७
काली मिर्च						
ब्रिटेन	३४६	१४०	१४२	१४	४	२
अमेरिका	१,२२१	१,०६२	७४५	४७३	२३१	१०५
कनाडा	८६	७६	५६	३७	२३	११
इटली	६५	८६	५६	३७	२६	२७
रूस	१६३	४५	६३	५६	१४६	—
चीन	२	५	५३	३१	२४	६
योग (अन्य सहित)	२,३२२	१,६०६	१,२८७	६६६	४७१	१६६

सींग से बनाये हुए सिंह, सारस और चिड़िया

भारतीय दस्तकारी

जिसने विदेशियों को भी

मुग्ध कर लिया

चन्दन की लकड़ी से बने पशु

कागज कूट कर बनाये हुए पाउडर और दियासलाई रखने के डिब्बे

★ भारत नाना प्रकार की दस्तकारी के लिये सदा से प्रसिद्ध रहा है। कलापूर्ण कपड़े, कालीन, नम्दे, खिलौने तथा घरेलू उपयोग की अन्य वस्तुएं हमारे यहां बहुत सुन्दर बनाई जाती हैं। विदेशी इन्हें चाव से लेते हैं और हमें इस तरह विदेशी विनिमय प्राप्त होता है।

कश्मीर में बना मनमोहक कालीन जिसकी विदेशों में बहुत मांग है।

इन्हें भारत में बने करघे के बना कपड़े की स्कर्ट बहुत प्रिय है।

बनारसी रेशम की ये बुशशर्टें विदेशी
बड़े शौक से पहनते हैं ।

दक्षिण भारत के एक मन्दिर का परदा

लाख से रंगे हुए खिलौने

कपड़ों में कारीगरी प्राचीन काल से होती आई है। मन्दिरों में देवमूर्तियों के दृश्य अंकित करके कलापूर्ण परदे लगाए जाते थे। अब भी भारत उच्चकोटि के कलापूर्ण कपड़े बनाता है जिनका विदेशों को निर्यात होता है।

इस कश्मीरी नमदे के लिये किस का मन नहीं ललचाता। विदेशों में भी यह बहुत लोकप्रिय है।

निर्यात बढ़ाने में निर्यात संवर्द्धन परिषदों का योग

★ *बाजार सर्वेक्षण, प्रदर्शनियों, तथा प्रचार का सफल उपयोग।*

किसी भी देश के आर्थिक विकास में निर्यात व्यापार का प्रमुख स्थान होता है। निर्यात के द्वारा वह देश अपने आवश्यक आयात का मूल्य चुकाता है। भारत जैसे अविकसित देश के लिए, जिसने बहुमुखी विकास का बीड़ा उठाया है, निर्यात व्यापार बढ़ाने का विशेष रूप से महत्व है। इसके फलस्वरूप मुक्त आयात और निर्यात नियन्त्रण की नीति के स्थान पर अब सरकार आयात नियंत्रण और निर्यात संवर्द्धन की नीति अपना रही है। हम पहले से जो चीजें निर्यात करते आ रहे हैं, उनका निर्यात बढ़ाने तथा अन्य नयी-नयी चीजों का निर्यात आरम्भ करने की ओर विशेष प्रयत्न हो रहे हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अब तक दस निर्यात संवर्द्धन परिषदें स्थापित की हैं। चपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद् जून १६५७ में बनी। इससे पूर्व सूती कपड़े, प्लास्टिक की चीजों, इंजीनियरी के माल, काजू और काली मिर्च, अभ्रक, चमड़े, रेशम और रेयन की निर्यात परिषदें बनी थीं। खेल कूद के सामान की निर्यात संवर्द्धन परिषद् की पहली बैठक २५ मार्च १६५८ को हुई। रसायनिक पदार्थों की निर्यात संवर्द्धन परिषद् निगमित की जा चुकी है।

परिषदों का मुख्य काम

इन परिषदों का मुख्य काम निर्यात योग्य वस्तु की विदेश में बिक्री हो सकने की संभावनाओं का सर्वेक्षण, विदेशी बाजारों का सर्वेक्षण तथा देशी उद्योग का सर्वेक्षण करना है। परिषदें विदेशों को प्रतिनिधि-मंडल भेजती हैं, माल के प्रतिमान बनाती है, निर्यात होने वाले माल की किस्म पर नियंत्रण रखती है, आयातक और निर्यातकों के झगड़े सुलझाती हैं, विदेशों में होने वाले मेलों में अपने माल का आकर्षक प्रदर्शन करने के लिये प्रबन्ध करती है तथा विदेशी आयातकों से भारतीय निर्यातकों का संपर्क कराती हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की निर्यात संवर्द्धन डायरेक्टरेट इन निर्यात संवर्द्धन परिषदों के काम में समन्वय तथा सामंजस्य स्थापित करती है।

निर्यात संवर्द्धन के सभी अंगों का व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए फरवरी १६५७ में एक निर्यात संवर्द्धन समिति बनायी थी। प्रो० डी० लोक़ा इस समिति के अध्यक्ष थे। समिति ने बंदरगाहों तथा निर्यात केन्द्रों का दौरा किया और ३१ अगस्त १६५७ को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति की कई सिफारिशें अमल में ले आयी गयी हैं और कुछ पर विचार हो रहा है। बंदरगाहों में निर्यात संवर्द्धन सलाहकार समितियां बनादी गयी हैं। इनमें अनुभवी व्यापारी रखे गये हैं और बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास स्थित आयात तथा निर्यात के ज्वाइंट चीफ कन्ट्रोलर इन समितियों के अध्यक्ष हैं। समितियां अपने क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात होने वाली उन वस्तुओं के निर्यात की संभावनाओं की छानबीन करती है जो अभी देश के लिए विदेशी मुद्रा के उपार्जन में पर्याप्त भाग ले रही हैं।

विभिन्न निर्यात संवर्द्धन परिषदों ने अप्रैल १६५७ से मार्च १६५८ तक निर्यात संवर्द्धन के लिए क्या कुछ किया, यह नीचे दिया जाता है।

सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद

इस परिषद् के सचिव सरकारी व्यापार शिष्टमंडल के एक सदस्य के नाते अगस्त १६५७ में जर्मनी गये और इसके बाद नारवे, स्वीडन डेन्मार्क, फिनलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, हालैन्ड, स्विटजरलैण्ड और इटली का भी दौरा किया जिससे वहां के बाजारों का अध्ययन कर सकें।

परिषद् की प्रबंध समिति ने भारतीय कपड़े का बाजार बढ़ाने के लिए आस्ट्रेलिया, घाना, बरमा और सऊदी अरब के प्रतिनिधि मंडलों से बातचीत की। इसके अतिरिक्त बहुत से विदेशी यात्रियों तथा विदेशों में नियुक्त होने वाले भारतीय व्यापार आयुक्त, परिषद् के कार्यालय में आये। समिति ने सिले सिलाए कपड़ों, मोजा बनियान आदि होजरी की चीजों सम्बन्धी समस्याओं के लिए एक उपसमिति नियुक्त की। समावित

कपड़ों का निर्यात बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ उपसमिति नियुक्त की गयी।

प्रदर्शनी और मेलों में भाग

निर्यात बाजारों में भारतीय कपड़े का प्रचार करने के लिये प्रदर्शनियों, मेला तथा प्रदर्शन कक्षों का परिषद् ने पूरा-पूरा प्रयोग किया। आलोच्य वर्ष में परिषद् ने निम्न मेलों में भाग लिया:—अन्तर्राष्ट्रीय मेला, पोजनान (पोलैण्ड), मिलान का अन्तर्राष्ट्रीय नमूना मेला, ३५वां पादुआ—अन्तर्राष्ट्रीय मेला, अन्तर्राष्ट्रीय मेला, ट्रीस्ट; लेवेन्ट मेला, बारी, मार्सेलीज अन्तर्राष्ट्रीय मेला, सैन्ट एरिक्स मेला, स्टाकहोम; चौथा दमिश्क अन्तर्राष्ट्रीय मेला, दमिश्क; मनथ मरडेका व्यापार मेला और स्वीडन, नारवे तथा डेन्मार्क में परिषद् के नमूना प्रदर्शन। इनके अलावा भारतीय कपड़ों का प्रदर्शन गोथन वर्ग और हेलिसिंकी में भी किया गया।

इन सभी प्रदर्शनियों तथा मेलों में प्रत्येक बाजार के लायक प्रतिनिधि कपड़े दिखाये गये। इन मेलों में हुई पूछताछ से प्रकट है कि ये न सिर्फ व्यापारिक दृष्टि से सफल रहे, बल्कि परिषद् के लिए भी शिक्षाप्रद सिद्ध हुई क्योंकि इनसे परिषद् ठीक-ठीक यह जान सकी कि किस देश की क्या आवश्यकताएं हैं।

भारतीय दूतावासों में प्रदर्शन कक्ष—भारतीय व्यापार मिशनों में से निम्न के स्थायी प्रदर्शन कक्षों में परिषद ने तरह-तरह के कपड़ों के नमूने भेजे;—

जिनेवा स्थित प्रदर्शनकक्ष, लन्दन स्थित भारतीय हाई कमीशन से सम्बद्ध प्रदर्शन कक्ष, तेहरान स्थित भारतीय व्यापार मिशन से सम्बद्ध प्रदर्शन कक्ष और सौर्येबामा इंडोनेशिया में चीनी व्यापार मंडल से सम्बद्ध प्रदर्शन कक्ष।

परिषद् के विदेश स्थित कार्यालयों में प्रदर्शन-कक्ष

परिषद् के बगदाद, अदन, मोम्बासा, लागोस, रंगून और सिंगापुर स्थित कार्यालयों को सूती कपड़े के तरह तरह के नये नमूने भेजे गये। भारत में नयी किस्मों के कौन से कपड़े बनने लगे हैं और पहले के कपड़ों के भावों में तथा अन्य विवरणों में जो भी परिवर्तन आया है, वह भी परिषद् ने प्रत्येक प्रदर्शन कक्ष को बता दिया है। इन प्रदर्शन-कक्षों से बड़ा लाभ हो रहा है और लगातार भारतीय कपड़ों के बारे में पूछताछ होती रही है।

विदेशी कपड़ों का प्रदर्शन

भारत में कपड़ा तैयार करने के प्रमुख केन्द्रों में विदेशी कपड़ों का प्रदर्शन किया जाता रहा। इस प्रदर्शन के प्रति भारतीय निर्माताओं ने जो दिलचस्पी दिखायी है। इससे उन्हें नये-नये प्रकार के कपड़े बनाने तथा मौजूदा किस्म के कपड़ों में नयी-नयी डिजाइनें आदि निकालने में सहायता मिली। विदेशी कपड़ों का दूसरा प्रदर्शन कोयम्बतूर, इंदौर, शोलापुर तथा नागपुर में और तीसरा प्रदर्शन अहमदाबाद, दिल्ली, कानपुर तथा कलकत्ता में हुआ।

जब विदेशी व्यापार प्रतिनिधिमंडल आते हैं तो उनको दिखाने के लिए परिषद् अपने प्रधान कार्यालय में भारतीय कपड़ों के नमूनों का प्रदर्शन करती है। गत वर्ष में चार प्रतिनिधिमंडलों के लिए ये प्रदर्शन किये गये और वे लोग भारतीय कपड़े की किस्म से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने यह भी बताया कि किस-किस किस्म के कपड़े उनके यहां बिक सकते हैं।

झगड़ों का निबटारा—आलोच्य वर्ष की पहली छमाही में कुल १४१ शिकायतें आयीं। शिकायत उपसमिति ने नयी पुरानी ७८ शिकायतों पर विचार किया। परिषद् के प्रयासों से कुल ७३ मामले सुलझ गये या समाप्त हो गये। १२ मामलों की जांच पड़ताल परिषद् के विदेश स्थित कार्यालयों ने की। जिन मिलों के खिलाफ माल को किस्म अच्छी न होने की लगातार शिकायत आयी, उनके नाम टैक्सटाइल कमिश्नर को भेज दिये गये।

विदेश स्थित कार्यालयों का काम

आलोच्य अवधि में इन कार्यालयों के अफसर आसपास के देशों में गये। उनकी रिपोर्टों के आधार पर परिषद् के प्रधान कार्यालय ने उन देशों में उन कपड़ों की बिक्री बढ़ाने की कोशिश की जिनकी सिफारिश इन अफसरों ने की थी। इन अफसरों का मुख्य काम इन बाजारों में नयी-नयी किस्मों के कपड़े चलाना तथा भारतीय कपड़ों का खूब प्रचार करके लोगों को बताना कि भारतीय मिलों ने वस्त्र उत्पादन में कितना सुधार कर लिया है।

नीचे अलग-अलग कार्यालयों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:—

बगदाद कार्यालय—इस कार्यालय को बड़ा ही गुरुतर कार्य करना पड़ा क्योंकि इराक तथा पड़ोस के बाजारों में भारतीय कपड़े को मंदी का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय कपड़ा मिलें स्थापित होने से वहां भारत के कोरे कपड़े को भी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा है। इस कार्यालय के अधिकारी इराक में बढ़िया किस्मों का कपड़ा बेचने की कोशिश करते रहे हैं जिनके फलस्वरूप इराक ने परीक्षण के तौर पर कुछ आर्डर दिये हैं। अक्तूबर से इराक में भारतीय कपड़े की मांग बढ़ने लगी और इसके बाद कुछ सौदे भी हुए।

अदन कार्यालय—इन्फ्लुएंजा का प्रकोप होने और ईद का महीना होने से इस कार्यालय के अफसर ने भारतीय वायलों, पापलीनों तथा अन्य बढ़िया किस्मों का कपड़ा बेचने की कोशिश की। भारतीय वायल की छींट का बाजार

खोजने में इसके प्रयास सफल रहे। अदन कार्यालय से सम्बद्ध प्रदर्शन कक्ष देखने बहुत से स्थानीय व्यापारी आये। इस कक्ष में समय-समय पर नये नमूने भी रख दिये गये। यहां के अधिकारी पड़ौसी देशों का दौरा करने भी गये।

मोम्बासा कार्यालय—आलोच्य वर्ष की पहली छमाही में यहां के अफसर ने पूर्वी अफ्रीका के विभिन्न भागों में बाजारों का अध्ययन किया। उसने मेशी, अरूशा, नैरोबी, अइशुमा, कम्पाला, जिंजा, टांगा, जंजीबार तथा दारस्सलाम का दौरा किया। इन बाजारों का भली प्रकार अध्ययन करके उसने रिपोर्टें भेजीं। उनकी यह यात्रा सफल सिद्ध हुई क्योंकि वहां से लोगों ने काफी पूछताछ की है। इस कार्यालय की सबसे बड़ी सफलता भारतीय खाकी जीन बेचने की है। भारतीय निर्माता तथा निर्यातक के सहयोग से यह अफसर एकाधिकारपूर्ण सौदा कर सका।

दिसम्बर ५७ में अफसर ने लिखा कि पूर्वी अफ्रीका के बाजारों में नकली कपड़ों से बड़ी प्रतियोगिता करनी होती है। यह बात व्यापारियों को बता दी गयी।

लागोस कार्यालय—इस कार्यालय का काम भारतीय कपड़े के निर्यात को वर्तमान स्तर बनाये रखना तथा उसे बढ़ाना रहा है। इसके लिये उसने स्थानीय व्यापारियों से सम्पर्क बढ़ाये और नये-नये किस्मों का माल बाजार में प्रस्तुत किया। पाक्षिक बाजार समीक्षा के साथ-साथ इस कार्यालय ने जीन, चादरों, कम्बलों, सिलाई के धागे, हौजरी, कमीजों के कपड़े आदि के बारे में अपनी रिपोर्टें दीं। इससे व्यापारियों को ठीक प्रकार का माल इस प्रदेश में भेजने में सुविधा हुई। यहां का अफसर घाना गया और वहां व्यापारियों से बातचीत की। इसके फलस्वरूप ११ व्यापारियों ने भारत से माल मंगाने के बारे में पूछताछ की। इस अफसर ने नाइजीरिया और गोल्डकोस्ट के बारे में दो बाजार रिपोर्टें भेजीं।

रंगून कार्यालय—इस कार्यालय का मुख्य कार्य क्वालालम्पुर मरडेका मेला में परिषद् का स्टाल लगाना रहा। इस मेले के बाद जितनी पूछताछ की गयी उसे देखते हुए मेले में भाग लेना सफल ही रहा। वहां के लोग वस्त्र उद्योग में भारत की प्रगति से बड़े प्रभावित हुए हैं। हांगकांग, वियतनाम, कंबोडिया और स्याम के बारे में बाजार रिपोर्टें भी यह कार्यालय समय-समय पर भेजता रहता है।

आंकड़ों का संकलन—यह परिषद् बम्बई से भारतीय सूती कपड़े के विभिन्न देशों को हुए निर्यात के मासिक आंकड़े इकट्ठे करती और उनका सिंहावलोकन करती है। वह ये आंकड़े भी इकट्ठे करती है कि किस-किस किस्म का कपड़ा किन-किन बाजारों को गया। भारत, जापान और ब्रिटेन से निर्यातित कपड़ा किन-किन देशों को कितना-कितना गया, इसके आंकड़े भी वह संग्रह करती है। इसके अलावा वह अन्य बहुत सी बातों के आंकड़े आदि भी इकट्ठा करती है।

प्लास्टिक निर्यात संवर्द्धन परिषद्

अदन और घाना में प्लास्टिक का सामान खपाने के उद्देश्य से बाजारों का सर्वेक्षण समाप्त हो गया है। इस प्रकार प्राप्त जानकारी परिषद् के सदस्यों को दी जा चुकी है।

निम्न देशों में स्थित भारत सरकार के प्रतिनिधियों को परिषद् ने बाजार सर्वेक्षण कराने के लिए पत्र लिखे हैं—ब्रिटिश पश्चिमी अफ्रीका और गोल्डकोस्ट, मलाया, थाइलैंड, बरमा और लंका।

अकरा (घाना) स्थित व्यापार कमिश्नर ने परिषद् को जो व्यापक जानकारी दी, वह इतनी काफी थी कि इसके लिए किसी को नियुक्त करना जरूरी नहीं समझा गया। मलाया स्थित व्यापार प्रतिनिधि ने सलाह दी कि परिषद् एक विशेषज्ञ भेजकर यह सर्वेक्षण कराये। मिस्र और अदन बाजारों की १९५६-५७ की रिपोर्ट छप गयी है। जापान के प्लास्टिक उद्योग के बारे में जो साहित्य, सूचीपत्र तथा मशीनों की मूल्यसूची आदि टोकियो स्थित भारतीय दूतावास से मिली थी, वह सदस्यों के देखने के लिए परिषद् के कार्यालय में रख दी गयी।

दिसम्बर १९५७—जनवरी १९५८ में परिषद् ने निर्यात संवर्द्धन योजना में भाग लेने का निश्चय किया। इस योजना के अधीन संभावित निर्यात के बदले मशीनों और कच्चे मालों के आयात तथा देशी कच्चे माल देने की सुविधाएं दी जाती हैं। व्यापारियों ने यह वायदा किया है कि वे चालू वर्ष में प्लास्टिक की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाकर ८८ लाख रु० तक कर देंगे। इस योजना के अधीन मार्च में १६ प्रार्थना-पत्र आये।

बगदाद और मोम्बासा स्थित भारत सरकार के प्रतिनिधियों के सुझाव पर इन दोनों स्थानों में परिषद् के प्रतिनिधि नियुक्त कर दिये गये हैं।

परिषद् ने दिसम्बर १९५७ में घाना के प्रतिनिधिमण्डल से बातचीत की और देश को भारतीय प्लास्टिक की चीजें निर्यात करने की सम्भावनाओं पर विचार विमर्श किया। परिषद् ने सऊदी अरब के प्रतिनिधिदल से भी प्लास्टिक की चीजों का निर्यात बढ़ाने के बारे में बातचीत की।

प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग

परिषद् ने आलोच्य वर्ष में तेहरान में हुए खाद्य, पेय तथा अन्य सम्बन्धित वस्तुओं की प्रदर्शनी, दमिश्क के अंतर्राष्ट्रीय मेले तथा पीकिंग में हुई पूर्णतः भारतीय प्रदर्शनी में भाग लिया।

इसके अलावा परिषद् ने बम्बई में हुई अखिल भारतीय प्लास्टिक प्रदर्शनी में भी भाग लिया।

भारतीय व्यापार मिशनों में जो प्रदर्शन कक्ष चलाये जा रहे हैं उनमें से बैंकाक, काहिरा, ट्रिनीडाड, तेहरान, पोर्टलुई तथा कोलम्बो में प्लास्टिक की चीजों के नमूने भी प्रदर्शनार्थ भेजे गये। बगदाद में, हुई खुली वस्त्र प्रदर्शनी में प्लास्टिक की चीजों की प्रदर्शनी भी परिषद् ने की।

प्लास्टिक का माल बनाने तथा निर्यात करने वाली फर्मों तथा व्यक्तियों के नामों की एक निर्देशिका १९५६-५७ के अंत में छपी थी। उसे विदेश स्थित भारतीय दूतावासों, वाणिज्य मण्डलों तथा व्यापार संस्थाओं को भेजा गया। इसकी प्रतियां परिषद् ने देश के व्यापारियों को भी भेजी हैं। इस अवधि में विदेश के लोगों ने प्लास्टिक के माल के बारे में जो पूछताछ की, वह सब परिषद् के सदस्यों को दी गयी।

प्रतिनिधिमण्डलों की विदेशयात्रा

मार्च के शुरू में परिषद् का एक प्रतिनिधिमण्डल दक्षिण पूर्वी एशिया के बाजारों का अध्ययन करने गया। इस प्रतिनिधिमण्डल ने लंका, स्याम, बरमा और मलाया का भ्रमण किया और वहां के व्यापारियों से बातचीत की।

इससे पहले अप्रैल १९५७ में परिषद् का प्रतिनिधिमण्डल ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका, सूडान, इथोपिया तथा अदन का भ्रमण करके आया। उन क्षेत्रों में प्लास्टिक की जिन चीजों की अधिक मांग है, उनके नमूने प्रतिनिधिमण्डल ने मंगाये और उनका प्रदर्शन बम्बई और कलकत्ता में परिषद् के कार्यालय ने किया।

विदेशी बाजारों में भारतीय निर्माता प्रतियोगिता कर सकें, इसके लिये भारतीय माल के दाम कम होने चाहिएं। इस उद्देश्य से परिषद् सरकार से अनुरोध कर रही है कि वह प्लास्टिक की चीजों के निर्माताओं को कुछ रियायतें दें तथा निर्यात के लिये उत्तेजना दें। इसके लिए सरकार आयातित कच्चे माल पर लगा शुल्क वापस देने की व्यवस्था की है बशर्ते कि उससे बना तैयार माल निर्यात हो।

इन सब प्रयासों का परिणाम यह रहा है कि भारतीय प्लास्टिक की वस्तुओं का निर्यात बराबर कायम रखा जा सका है।

परिषद् का प्रधान कार्यालय महाराष्ट्र चैम्बर आफ कामर्स बिल्डिंग बम्बई में और शाखा कार्यालय ३८, स्ट्रांड रोड, कलकत्ता में है।

इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद्

इस परिषद् ने अगस्त १९५७ में पश्चिमी एशिया के कुछ देशों को एक व्यापारिक शिष्ट मंडल भेजा जो अफगानिस्तान, ईरान, कुवैत, बहरीन, इराक, लेबनान, जोर्डन तथा मिस्र गया।

परिषद् का दूसरा प्रतिनिधिमंडल जनवरी में दक्षिण पूर्वी एशिया गया। उसने लंका, सिंगापुर, मलाया, स्याम, कंबोडिया, दक्षिणी वियतनाम फिलिपाइन तथा हांगकांग का दौरा किया। हालांकि सरकारी तौर पर यह प्रतिनिधिमंडल इन्हीं देशों को जाना था लेकिन इसके कुछ सदस्य जापान भी गये और वहां के बाजार का अध्ययन किया। पता चला है कि परिषद् के इन दोनों प्रतिनिधिमंडलों के दौरे सफल रहे हैं।

बंकाक से लौटते समय निर्यात संवर्द्धन के डायरेक्टर मार्ग में रंगून रुके तथा बर्मी अधिकारियों से बड़ी उपयोगी बातचीत की।

परिषद् ने इंजीनियरी की वस्तुओं के लिए ईरान, इथोपिया, थाईलैन्ड, सीरिया, मिस्र, लेबनान, कुवैत तथा बहरीन में बाजार खोज निकालने के लिए सर्वेक्षण किये हैं। द० पूर्वी एशिया के देशों का भी सर्वेक्षण हो चुका है। इन बाजार सर्वेक्षणों की रिपोर्टों को प्रकाशित करके परिषद् इंजीनियरी वस्तुओं के निर्माताओं तथा निर्यातकों को भेज दी हैं। इनके अतिरिक्त विदेश स्थित भारतीय दूतावासों, वाणिज्य मंडलों, व्यापार संघों तथा सरकारी विभागों को भी इन की प्रतियां भेजी जाती हैं।

परिषद् ने देश के विविध इंजीनियरी उद्योगों का सर्वेक्षण करने का जो कार्यक्रम बनाया है, इसके अनुसार आलोच्य अवधि में १७ उद्योगों का सर्वेक्षण समाप्त हो चुका है। जिन्हें शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा।

प्रदर्शनियां और प्रदर्शन कक्ष

परिषद् को पीकिंग और दमिश्क की प्रदर्शनियों में भाग लेना था लेकिन वह स्वयं तो उनमें भाग न ले सकी परन्तु उसने कुछ वस्तुएं एकत्र कीं और इन प्रदर्शनियों में भेजीं। प्रदर्शनी निदेशालय ने परिषद् की सलाह से मार्च १९५७ में इंजीनियरी की बहुत सी चीजें खरीदीं जिन्हें कोलम्बो, तेहरान, बंकाक, सिंगापुर तथा मोम्बासा स्थित प्रदर्शन कक्षों में प्रदर्शित किया जाना था। परिषद् के प्रतिनिधि मंडल की यात्रा के समय ये प्रदर्शन कक्ष बड़े उपयोगी सिद्ध हुए। प्रतिनिधि वहां के आयातकों को भारतीय चीजें दिखा कर आसानी से यह समझा सकते थे कि हमारा माल कैसा होगा।

वस्तुओं का प्रचार

देश तथा विदेश में इंजीनियरी की वस्तुओं का प्रचार करने के लिए परिषद् ने प्रचार उपसमिति बनादी है। जुलाई में इस समिति ने बरमा, लंका, मलाया, लेबनान, सऊदी अरब, सूडान, इराक, पूर्वी अफ्रीका, मिस्र, थाईलैण्ड आदि देशों के विभिन्न समाचारपत्रों में विज्ञापन छपाये। अगस्त-सितम्बर १९५७ में जब परिषद् का प्रतिनिधि मंडल प० एशिया गया तो तेहरान, बगदाद, बेरुत, काहिरा आदि के पत्रों में फिर विज्ञापन प्रकाशित कराये गये। भारतीय इंजीनियरी की वस्तुओं के बारे में लघु

लेख भी प्रकाशित कराये गये। इन सबका वहां के पत्रों में खूब प्रचार हुआ।

परिषद् देश में एक पाक्षिक पत्र भी निकालती रही जिसमें विदेशों से व्यापार करने के अवसरों के बारे में जानकारी रहती है। निर्यात सम्बन्धी उपयोगी आंकड़े भी इसमें रहते हैं।

भारत में बनी इंजीनियरी की वस्तुओं के निर्यातकों की एक डाइरेक्टरी परिषद् ने प्रकाशित की है। इसमें निर्यातकों के बारे में विस्तार के साथ जानकारी दी गयी है। परिषद् ने सौदे के प्रतिमानित फार्म के स्थान पर आदर्श संविदा फार्म तैयार किया है क्योंकि अलग-अलग सौदों की शर्तों में कुछ न कुछ अन्तर होता ही है।

किस्म नियन्त्रण

अनेक इंजीनियरी उत्पादनों के प्रतिमान निर्धारित करने में परिषद् भारतीय प्रतिमानशाला को सहायता देती रही है। भारतीय प्रतिमानशाला ने इंजीनियरी की बहुत सी वस्तुओं के प्रतिमान तैयार कर लिये हैं। परिषद् ने कुछ और वस्तुओं को प्रतिमान बनाने की सलाह दी है जिनका नियमित रूप से निर्यात हो रहा है।

परिषद् अपने सदस्यों को लोहा और इस्पात के रिप्लेनिशमेंट कोटा दिलाने के बारे में प्रार्थना पत्रों पर विचार करके उन्हें लोहा और इस्पात नियंत्रक को भेजती रही। परिषद् ने हरीकेन लालटेनों, बिजली के मोटरों, रेजर ब्लेडों, काऊन कार्कों तथा शौवेलों के निर्यात लक्ष्य निर्धारित कर दिये। निर्यातकों तथा उनके माल के ब्रांडों की रजिस्ट्री कराने की योजना अंतिम रूप से तैयार कर ली गयी है।

काजू तथा काली मिर्च निर्यात संवर्द्धन परिषद्

काजू के छिलकों के तेल का निर्यात कितना होता है इस सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इस सिलसिले में देश में ही यह अनुमान लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसका उत्पादन और निर्यात कितना है तथा किन-किन तरीकों से इनका उत्पादन और निर्यात बढ़ाया जा सकता है। यह किन-किन कामों में प्रयोग होता है, इसका भी विस्तार के साथ अध्ययन किया जा रहा है।

हाल की जांच-पड़ताल से पता चला है कि काजू के छिलके का तेल जापान, सं० रा० अमेरिका, इटली, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रान्स तथा चैकोस्लोवाकिया को निर्यात किया जाता है और १० निर्यातक इसका निर्यात करते हैं। बताते हैं कि काजू के छिलके का ६००० टन तेल निर्यात किया जाता है। कोशिश यह की जा रही है कि यह तेल शोधित करके भेजा जाए। १९५७ के पूर्वार्द्ध में १८० टन शोधित तेल निर्यात किया गया। अगर सारा का सारा तेल शोधित करके निर्यात किया जाय तो इससे १५ लाख रु० की विदेशी मुद्रा कमायी जा सकती है।

आंकड़ों का संकलन

काजू और काली मिर्च उद्योगों के महत्वपूर्ण आंकड़े परिषद् देश तथा विदेशों से एकत्र करती है। इन आंकड़ों को 'कैश्यू एण्ड पैपर बुलेटिन' में प्रकाशित करने के अलावा इनका विश्लेषण किया जाता है तथा सरकारी विभागों और व्यापारियों को भेजा जाता है। ये आंकड़े निम्न विषयों पर होते हैं :—

काजू तथा काजू के छिलके का तेल :—फसल का प्राक्कलन तथा काजू का देश में उत्पादन, विदेशों से कच्चे काजू का मासिक आयात, काजू की गिरियों तथा काजू के छिलके के तेल के निर्यात के मासिक आंकड़े, भारतीय तथा अफ्रीकी काजुओं के विक्रयों में साप्ताहिक भाव, काजुओं के आयात के लिए दिये गये लाइसेंसों का ब्योरा तथा आयात सौदों के विवरण।

काली मिर्च :—फसल का प्राक्कलन तथा उत्पादन, काली तथा गोल मिर्च का किन-किन देशों को कितना निर्यात होता है, इसके मासिक आंकड़े, काली तथा गोल मिर्च का भारत में आयात तथा भारत में मिर्च के भावों की साप्ताहिक रिपोर्ट।

मलाया, इंडोनेशिया तथा सरावक में काली मिर्च के उत्पादन, निर्यात, आयात तथा भावों के बारे में जानकारी मंगायी जाती है। पूर्वी अफ्रीका से कच्चे काजुओं के उत्पादन तथा निर्यात की जानकारी हासिल की जाती है। जो देश काजू मंगाते हैं, उनसे यह जानकारी एकत्र की जाती हैं कि वे कहां से काली मिर्च तथा काजू मंगाते हैं, उनका कितना पुनर्निर्यात करते हैं, और काजुओं का भाव क्या है।

संसार के काली मिर्च उत्पादक तथा उपभोक्ता देशों में काली मिर्च के व्यापार का विश्लेषण परिषद् ने किया है।

प्रदर्शनी तथा प्रदर्शन कक्ष

परिषद् इस वर्ष होने वाले चार इटालवी मेलों में भाग ले रही है। इनमें से तीन के लिए नमूने भेज दिये गये हैं और चौथे के बारे में प्रबन्ध किये जा रहे हैं। खारतूम में हुई भारतीय प्रदर्शनी में परिषद् ने भाग लिया तथा लीपजिग मेले में भाग ले रही है। परिषद् ने पोजनान के मेले में व्यापक पैमाने पर भाग लेने का निश्चय किया है और टोरन्टो में अगस्त/सितम्बर १९५८ में होने वाली कनाडियन प्रदर्शनी में भी परिषद् भाग लेगी।

परिषद ने १९५७ में न्यूयार्क, पादुआ, बारी, पोजनान, टोकियो, सीटल, ओकलोहामा, कोलोन, मार्सेलीन आदि १३ प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग लिया। इनमें १६०० पौंड काजू, ६५ पौंड काजू के छिलका का तेल तथा ५०० पौंड काली मिर्च आकर्षक पैकिंगों में पैक करके दर्शकों को बांटी गयी। परिषद् ने प्लास्टिक के आकर्षक पात्रों में काजू तथा काली मिर्च कोलम्बो, सिंगापुर, जद्दा (सऊदी अरब) तथा तेहरान स्थित भारत सरकार के प्रदर्शन कक्षों में प्रदर्शनार्थ रख दी हैं।

परिषद् ने निश्चय किया है कि काजू की कुछ गिरियां विदेश मन्त्रालय को भेज दी जाएं जिससे उन्हें भारत आने वाले विशेष महानुभावों को भेंट किया जा सके और इस प्रकार उनका प्रचार बढ़े। परिषद् ने कुछ डिब्बे विदेश मन्त्रालय को भेज भी दिये हैं। काजू की गिरी के नमूने स्वीडन को भेज दिये गये हैं तथा हालैण्ड और बेल्जियम को भी भेजे जाएंगे। परिषद् महत्वपूर्ण हवाई कम्पनियों से संपर्क कर रही है कि वे अपने नाश्ते में काजू की गिरियां भी दिया करें। अगर यह प्रयास सफल हो गया तो ४०० टन काजू की गिरियां बिक सकेंगी।

गवेषणा में मदद

परिषद् केरल राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के अफसरों से भी वनास्पतिक गवेषणा में मदद कर रही है जिससे काजू की गिरियों को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों को नष्ट किया जा सके।

काली मिर्च का निर्यात क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसके लिए परिषद् जांच कर रही है। सं० रा० अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास और कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग से यह जानकारी भेजने को कहा गया है कि क्या डिब्बा बन्द मांस में काली मिर्च का प्रयोग किया जा सकता है।

अभ्रक निर्यात संवर्द्धन परिषद्

नवम्बर १९५७ में इस परिषद् की बैठक में वाणिज्य तथा उद्योग के संयुक्त सचिव श्री कृ०वि० लाल की उपस्थिति में कुछ महत्वपूर्ण निश्चय किये गये। अभ्रक का निर्यात मुख्यत: जर्मनी, जापान तथा सं० रा० अमेरिका को होता है। अभ्रक उद्योग के प्रमुख व्यापारी इनमें से किसी एक देश को छांट लें और वहां अपना प्रतिनिधि भेजें। ये प्रतिनिधि ऐसे होने चाहिएं जो वहां के बाजारों का गहन अध्ययन कर सकें और उस देश में अभ्रक का उपयोग बढ़ाने की संभावनाएं खोज सकें। सरकार इसके लिये आवश्यक विदेशी-मुद्रा की व्यवस्था कर सकती है और विदेशों में अपने व्यापार कमिश्नरों की मार्फत वहां के व्यापारियों से संपर्क करा सकती है जिससे वे अपनी फर्मों के लिए आर्डर आदि ला सकें लेकिन इसके बदले उस फर्म को अपनी रिपोर्ट सरकार तथा परिषद् को देनी होंगी।

कम्युनिस्ट देशों को अभ्रक का निर्यात करने में राज्य व्यापार निगम विशेष रूप से काम का सिद्ध हो सकता है इसलिए व्यापारियों को निगम की मदद लेनी चाहिए। यह सुझाव दिया गया कि ५-६ बड़ी फर्में निगम की सहयोगी बन जाएं। निगम उनको प्रत्येक संभव सहायता देगा।

भारतीय निर्यातकों की आम शिकायत यह है कि अमेरिका ब्राजील की अभ्रक को भारतीय अभ्रक से ऊंचे दामों पर खरीदता है। कलकत्ता स्थित अमेरिकी कौंसल ने बताया है कि अमेरिका सरकार ने भारत और ब्राजील दोनों ही देशों की अभ्रक के भाव समान कर दिये हैं। इसका मतलब यह होता है कि सामरिक उपयोग की भारतीय अभ्रक के दाम २० प्रतिशत बढ़ जाएंगे। इससे अमेरिका को भारत का अभ्रक का निर्यात बढ़ेगा।

प्रदर्शनियां और प्रचार

परिषद् ने निम्न मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लिया: *लीपज़िग* स्प्रिंग फेयर, जापान का अन्तर्राष्ट्रीय मेला, दमिश्क का अन्तर्राष्ट्रीय मेला, मार्सेलीज फेयर, पीकिंग में हुई पूर्णत: भारतीय प्रदर्शनी तथा सैन्ट एरिक का मेला।

अभ्रक का उसी प्रकार प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है जैसी अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के लिए होती है। उपभोग की वस्तुओं का प्रचार तो विज्ञापन के द्वारा करना होता है, लेकिन इसका विज्ञापन प्रचार उसी अवसर पर किया जाता है जब हमारा कोई प्रतिनिधि मण्डल आदि उस देश की यात्रा कर रहा हो।

बाजार सर्वेक्षण

स्विट्जरलैण्ड, इटली, पोलैण्ड, बेल्जियम तथा प० जर्मनी स्थित भारतीय व्यापार प्रतिनिधियों से प्रार्थना की गयी है कि वे अपने क्षेत्रों में बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कराएं। प० जर्मनी, स्विट्जरलैण्ड, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान और चेकोस्लोवाकिया स्थित भारतीय व्यापार प्रतिनिधियों से कहा गया है कि वे ऐसे उपयुक्त व्यक्तियों के नाम सुझाएं जिन्हें परिषद् अपना संवाददाता नियुक्त कर सके।

आंकड़ों का संकलन.—जहां तक अभ्रक के निर्यात के आंकड़ों का सम्बन्ध है इसके आंकड़े करीब-करीब पूर्ण हैं। सं० रा० अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, हालैण्ड, स्विट्जरलैण्ड, इटली, जापान, चैकोस्लोवाकिया, चीन, आस्ट्रेलिया तथा पोलैण्ड स्थित भारतीय व्यापार प्रतिनिधियों से प्रार्थना की गयी है कि वे उन देशों के आयात के आंकड़े परिषद् को भेजें।

ब्राजील, मैडागास्कर, टांगानीका तथा द० रोडेशिया स्थित व्यापार प्रतिनिधियों से कहा गया है कि वे वहां के उत्पादन और निर्यात के आंकड़े भेजें। साथ ही वे यह भी बताएं ये देश किन किन देशों को कितनी अभ्रक का निर्यात करते हैं।

तम्बाकू निर्यात सम्वर्द्धन परिषद्

१९५६ की फसल के निर्यात योग्य बचे माल में से एफ० सी० वी० तम्बाकू की पहली से चौथी श्रेणी तक की ७,००० गांठ तम्बाकू इण्डियन लीफ टुबैको डेवलपमैंट क० ने परिषद् के कहने पर सरकार

गयीं। ४० लाख रु० की इस खरीद के बाद बाजार में सिर्फ ५७३ गांठ माल रह गया। इसी कम्पनी ने १९५७ के शुरू में ६ लाख रु० की मध्यम वर्गों की ४००० गांठ तम्बाकू भी खरीदी। परिषद् के कहने पर इण्डियन लीफ टुबेको डेवलपमेंट कं० ने ही २५ लाख पौंड जुट्टी तम्बाकू खरीदी जिसका मूल्य २॥ लाख रु० था। बाजार में १९५६ की फसल में से ही यह माल अनबिका पड़ा हुआ था। इस कम्पनी ने १९५७ की फसल में से भी माल खरीदा।

रूस द्वारा खरीद

रूस ने १९५६ की फसल में से एल० बी० वाई०-२, एल० एम० जी० तथा बी० ग्रेडों की इतनी तम्बाकू का सौदा किया कि उस सौदे की पूर्ति १९५७ की फसल में से करनी पड़ी। इस प्रकार १९५७ की फसल में से कुछ घटिया किस्मों का माल छोड़ कर तम्बाकू बची ही नहीं।

तम्बाकू के निर्यात व्यापार में सबसे महत्व की बात यह है कि रूस ने गुण्टूर क्षेत्र में पैदा होने वाली नाटू तम्बाकू की खरीद करनी शुरू कर दी है। जापान एक अरसे से इस तम्बाकू को खरीदता आ रहा है और यह खरीद १९५३ तक बढ़ते रहने के बाद घटनी शुरू हुई। धीरे धीरे घटकर अब जापान ने यह खरीद बिलकुल बन्द कर दी है। अगर रूस ने समय रहते इसकी खरीद न की होती तो स्थिति बड़ी खराब हो जाती।

तम्बाकू का निर्यात

धूम्रतापी बढ़िया किस्म की वर्जीनिया तम्बाकू का सारा माल निर्यात हो गया। इस वर्ष ब्रिटेन ने कुछ घटिया किस्मों की तम्बाकू भी खरीदी। मध्यम दर्जे का सारा माल परिषद् ने रूस के सौदे पूरे करने के लिये खरीद लिया। सिर्फ कोई ६० लाख टन घटिया किस्म की तम्बाकू रह गयी है जो साधारणतः निर्यात नहीं होती लेकिन इसके बारे में भी अफगानिस्तान, इण्डोनेशिया तथा प० अफ्रीका से भाव पूछे गये हैं तथा सैम्पल मांगे गये हैं।

परिषद् के हांगकांग स्थित अफसर की सूचना के अनुसार भारत से हांगकांग को तम्बाकू का निर्यात १,७३, ६८५ पौंड बढ़ गया। वहां भारत का एक तरह से एकाधिकार हो गया है। जनवरी से नवम्बर १९५७ तक हांगकांग को २२७,६३० पो० तम्बाकू निर्यात की गयी जबकि १९५६ के समूचे वर्ष में १,४४,७०० पो० निर्यात की गयी थी।

पश्चिमी जर्मनी का दौरा करके लौटे भारतीय प्रतिनिधि मंडल का यह सुझाव परिषद् ने स्वीकार कर लिया कि जर्मनी के तम्बाकू निर्माताओं को भारत आने का निमंत्रण दिया जाए, जिससे वे देश के तम्बाकू उत्पादक तथा परिष्कारक केन्द्रों का दौरा कर सकें और जर्मनी को निर्यात बढ़ाने के बारे में अपनी राय दे सकें। परिषद् ने लंदन, एंटवर्प तथा हांगकांग स्थित तम्बाकू अफसरों की रिपोर्ट पर विचार किया और उनमें उठाये गये मुद्दों का अध्ययन किया।

प्रदर्शनियां और प्रचार

परिषद् ने आलोच्य अवधि में निम्न मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लिया:—

जापान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, टोकियो; पूर्णतः भारतीय प्रदर्शनी, पीकिंग; अंतर्राष्ट्रीय पोजनान मेला, पौलैण्ड; कोलोन; दमिश्क अन्तर्राष्ट्रीय मेला, सीरिया; अन्तर्राष्ट्रीय मार्सेलीज मेला, फ्रान्स; सैंट एरिक्स मेला, स्टाकहोम।

राज्य व्यापार निगम के कहने पर परिषद् ने जगरेब अंतर्राष्ट्रीय मेले में तम्बाकू के नमूने भेजे। परिषद् ने देश तथा विदेशों में अपना प्रचार-कार्य जारी रखा।

चमड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद्

इस परिषद् का औपचारिक रूप से उद्घाटन अगस्त १९५७ में किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए राज्यपाल (अब स्वर्गीय) श्री ए० जे० जोन ने कहा कि चमड़े का निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशी बाजारों की स्थिति का सर्वेक्षण किया जाए, उन बाजारों की आवश्यकताएं समझी जाएं तथा वहां के बाजारों के भावों का रुख बराबर मालूम होता रहे। इस तरह की जानकारी के लिए व्यापारी इस परिषद् पर निर्भर रह सकते हैं।

इस परिषद् ने चमड़े के माल के निर्यात के किस्म नियंत्रण की एक योजना स्वीकार की है जिस पर अमल किया जा रहा है। इस योजना के अनुसार उत्तर भारतीय कमाई हुई खालों तथा चमड़ों के निर्यातक को अपने नाम की रजिस्टरी परिषद् के पास करानी चाहिए। वह प्रतिमानित तथा अप्रतिमानित जैसा भी चाहे वैसा माल निर्यात कर सकता है लेकिन उसे इस आशय की घोषणा एक निर्धारित फार्म पर करनी होगी कि वह किस किस्म का माल निर्यात करना चाहता है। उसे निर्यात होने वाले माल का विवरण भी देना होगा।

इस योजना के अनुसार परिषद् किसी भी लदान के माल में से नमूने निकाल कर उनकी परीक्षा करा सकती है और समय-समय पर इन परीक्षाओं का सिंहावलोकन कर सकती है।

परिषद् चमड़े के नीलाम मद्रास में ही करने की कोशिश कर रही है। अभी तक ये नीलाम ब्रिटेन में होते थे।

व्यापार प्रतिनिधि मंडल

जर्मनी गये भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल में परिषद् का भी एक प्रतिनिधि गया। गत वर्ष जर्मनी और बरमा की कुछ फर्मों के प्रतिनिधि

परिषद् से मिले। भारतीय चमड़े तथा चमडे की बनी वस्तुओं में दिलचस्पी रखने वाले इन व्यापारियों का परिषद् ने भारत के प्रमुख निर्यातकों से संपर्क करा दिया। प० जर्मन सरकार के प्रतिनिधियों ने भारत सरकार के प्रतिनिधियों से हुई वार्ता के दौरान में कहा कि जर्मनी और भारतीय व्यापारियों में सम्पर्क की कमी है जिस से न तो जर्मनी वाले भारत के माल के बारे में जानते हैं और न भारतीय जर्मनी के बाजार के बारे में जानते हैं। इससे जर्मनी को भारत का निर्यात नहीं बढ़ पा रहा है।

आलोच्य अवधि में आस्ट्रेलिया और सूडान के व्यापार प्रतिनिधि मंडल परिषद् से मिले। आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि दल से कहा गया कि आस्ट्रेलिया में तटकर सम्बन्धी प्रतिबंधों के कारण भारत से आस्ट्रेलिया को चमड़े का निर्यात नहीं बढ़ पा रहा है। प्रतिनिधि दल के नेता ने वायदा किया कि वह भारत की इस भावना को अपनी सरकार तक पहुंचा देगा।

सूडान के प्रतिनिधि दल से कहा गया कि वहा की ११५ लाख आबादी में भारत के चमडे की वस्तुएं काफी खप सकती हैं और भारत वहा से कच्ची खालें तथा चमड़ा मंगा सकता है।

भारतीय चमडे के माल का प्रदर्शन करने के लिये परिषद् ने पोजनान के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, हैन्टएरिक्स मेले, स्टाकहोम तथा ३३वें मार्सेलीज अंतर्राष्ट्रीय मेले में भाग लिया।

परिषद् विदेशों से की जाने वाली पूछताछ का उत्तर नियमित रूप से देती रही और जो मामले सदस्यों को भेजने योग्य थे, उन्हें बराबर भेजा जाता रहा। परिषद् ने विदेशों में भी अपना प्रचार कार्य जारी रखा।

रेशम तथा रेयन निर्यात संवर्द्धन परिषद्

निर्यात संवर्द्धन आन्दोलन में इस परिषद का दृष्टिकोण यह रहा है कि द्वितीय पचवर्षीय योजना के लिए १ करोड़ गज रेयन का कपड़ा निर्यात करने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसे समय से पहले ही हासिल कर लिया जाए। इसके लिए परिषद् ने बाजारों का सर्वेक्षण कराया। कोलम्बो, मोम्बासा तथा अदन में परिषद् के संवाददाताओं ने अपना काम जारी रखा। अफगानिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन तथा दुबाई में परिषद् ने अपने एजेन्ट नियुक्त किये तथा उनसे बाजार की रिपोर्टें मंगायीं।

परिषद् ने खारतूम और पीकिंग प्रदर्शनी, दमिश्क अन्तर्राष्ट्रीय मेले और स्टाकहोम मेले में अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन किया। परिषद् ने कोलम्बो में अपनी प्रदर्शनी की। जिसका उद्घाटन लंका के प्रधान मंत्री की पत्नी ने किया। यह प्रदर्शनी काफी सफल रही। इसके अलावा प्रदर्शन कक्षों में नमूने दिखाकर अखबारों और सिनेमाओं के द्वारा भारतीय माल का प्रदर्शन किया।

बाजार सर्वेक्षण

परिषद् का प्रतिनिधि मंडल अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बहरीन, कुवैत तथा दुबाई गया। उसने अपनी रिपोर्ट में अपनी सिफारिशों के साथ बाजारों का सर्वेक्षण भी दिया है।

सूडानी व्यापार प्रतिनिधि मंडल परिषद् के सदस्यों से मिला। प्रतिनिधि मंडल को भारतीय रेयन तथा रेशम उद्योग की प्रगति बतायी गयी तथा भारत में बनी चीजें दिखायी गयीं। बर्मा के ज्वाइंट वैंचर कारपोरेशन के प्रतिनिधि मंडल से भी परिषद् ने बातचीत की तथा रेशम और रेयन का बना माल दिखाया।

रेयन वस्त्र निर्माताओं का एक अखिल भारतीय सम्मेलन परिषद् ने आयोजित किया जिसमें रेयन का निर्यात बढ़ाने पर विचार किया गया।

निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के अधीन नकली रेशम के आयात के लाइसेंसों के लिए मिलों के प्रार्थना पत्र परिषद् के पास आते हैं, उन्हें देख-भाल कर परिषद् टैक्सटाइल कमिश्नर के पास भेज देती है।

असली रेशम से बने कपड़ों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जहाज पर माल चढ़ने से पहले उसकी परीक्षा करने की व्यवस्था १५ फरवरी १९५८ से चालू की गयी जो अब तक चली आ रही है।

चपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद्

इस परिषद् की स्थापना जून १९५७ में हुई। परिषद् ने देखा कि देश में पैदा होने वाली अधिकांश लाख निर्यात हो जाती है इसलिए परिमाण की दृष्टि से उसके निर्यात में वृद्धि करने की गुंजाइश बहुत ही कम है। इसलिए परिषद् ने निम्न बातों पर ध्यान देने की सोची है:—

(१) जितनी लाख इस समय निर्यात होती है, उसकी अधिक से अधिक कीमत हासिल की जाए।

(२) लाख का निर्यात कम करनेवाली प्रवृत्तियों की रोक थाम करना।

(३) लाख की अपेक्षा लाख से बनी चीजों का निर्यात बढ़ाने को बढ़ावा देना।

(४) लाख के निर्यात-व्यापार को दृढ़ आधार पर लाना।

भारत से सभी रूपों मे ५॥ लाख हंडरवेट लाख का निर्यात होता है जिसका मूल्य १० करोड़ रु० के आसपास होता है। भारतीय लाख के मुख्य खरीदार देश सं० रा० अमेरिका, ब्रिटेन, प० जर्मनी, रूस, फ्रान्स, इटली, जापान, आस्ट्रेलिया, अर्जेन्टाइना और ब्राजील हैं। इनमें से अमेरिका प्रमुख खरीदार है लेकिन उस को होने वाला निर्यात

हाल के वर्षों में गिर रहा है और निर्यात १६५१-५२ के १,२८,०२३ हंडरवेट से गिर कर १६५६-५७ में ५३,५६२ हंडरवेट ही रह गया है। इस गिरावट का मुख्य कारण स्याम आदि उत्पादक देशों से प्रतियोगिता बढ़ना तथा चपड़े के स्थान पर संश्लेषित पदार्थों का प्रयोग बढ़ जाना है। इस प्रकार भारतीय चपड़ा उद्योग पर मुख्य हमला प्रयोगशालाओं ने किया है। परिषद् भी लाख के नये उपयोगों की गवेषणा कर रही है और उसको इस दिशा में कुछ सफलता मिली भी है लेकिन इस दिशा में प्रयास जारी हैं।

१६५७ के शुरू में लाख के बाजार में कुछ गिरावट आयी थी। लेकिन नवम्बर ५७ से स्थिति सुधर गयी है। चीन और रूस भारतीय लाख की खरीद कर रहे हैं।

खेल-कूद के सामान की निर्यात संवर्द्धन परिषद्

दिसम्बर १६५७ में यह परिषद् स्थापित करने का लाइसेंस कंपनी अधिनियम १६५६ की २५वीं धारा के अनुसार दिया गया। इसकी पहली बैठक २५ मार्च १६५८ को हुई। परिषद् ने अपना ध्यान उद्योग की निम्न दो मुख्य समस्याओं की ओर देने का निश्चय किया:—

(१) जरूरी कच्चे माल की उपलब्धि

(२) भारत में ब्रिटेन को डाक पारसल से माल भेजने की दरें पाकिस्तान के मुकाबले में अधिक होना।

निर्यात संवर्द्धन निदेशालय ने इन मामलों पर आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक तथा परिवहन और संचार मंत्रालय से बातचीत शुरू करदी है।

रसायनिक पदार्थ निर्यात संवर्द्धन परिषद्

२८ मार्च १६५८ को नियमित की गयी है। इसका प्रधान कार्यालय कलकत्ते में होगा।

निर्यात संवर्द्धन और प्रचार के विविध साधन

★ *विदेशियों को भारतीय उत्पादनों की जानकारी दी जाय।*

अभी कुछ दिन पहले तक भारत केवल कृषिजन्य पदार्थों, कच्चे माल और ऐसे निर्मित माल का ही निर्यात करता था जिनके विषय में प्रचार करने की प्रायः कोई आवश्यकता नहीं होती थी। इसलिये अब भारत ने निर्यात योग्य जो नई-नई चीजें बनानी आरम्भ की हैं उनके विषय में विदेशियों को बहुत कम जानकारी है। इनके बारे में विदेशों में प्रचार करने का एक विशद कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। भारतीय निर्यातकों ने अभी यह अनुभव नहीं किया है कि विदेशों में माल वेचने के लिये उन्हें उसका विज्ञापन करना होगा और खरीदारों का विश्वास प्राप्त करना होगा। एक प्रसिद्ध अमेरिकन नारे के अनुसार 'माल दिया जाता है, लिया नहीं जाता'। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में जहां अनेक माल देने वाले मौजूद होते हैं, व्यापारी को खरीदार के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी तो उसके माल के स्थान पर नये, सस्ते और आसानी से उपलब्ध होने वाले बदल बाजार में आ जाते हैं जिनके कारण ग्राहक का प्रतिरोध और भी बढ़ जाता है। सफल व्यापारी इस प्रतिरोध को दूर करके अपने माल के प्रति खरीदार को आकर्षित कर लेता है।

भारतीय व्यापारी को आधुनिक जगत की तेजी से बदलती जाने वाली अवस्थाओं के अनुसार नये अध्ययन करके विक्रय की नयी प्रणालियां अपनानी हैं। आजकल सफलता के साथ माल बेचने के लिये मूल्यों, किस्मों, प्रतिमानों, विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा क्षेत्रों के अनुरूप माल की उपयुक्तता, फाल्तू पुर्जे, बिक्री के बाद की सेवा, बिक्री के विशेष केन्द्रों, व्यापारी शर्तों, व्यवसाय की रिवाजों, मुद्रा तथा विनिमय, माल पहुँचने की व्यवस्थाएं, विदेशों में माल के वितरण की प्रणालियां तथा साधन, विशेष रुचियां, फैशन और खरीदारों की संस्कृति आदि का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना होता है।

पैकिंग

विदेशी बाजारों में भारतीय माल प्रायः ही मंहगा होने के कारण नहीं चल पाता और इस मंहगाई का कारण यह होता है कि उनके उत्पादन पर अन्य देशों की अपेक्षा लागत ज्यादा बैठती है। कभी कभी कुछ निर्यातकों की बेईमानियों के कारण भी भारतीय माल की साख बिगड़ जाती है। फिर हमारे निर्यातक माल के पैकिंग की ओर भी बहुत कम ध्यान देते हैं। इसके अतिरिक्त वे यह भी नहीं सोचते कि विदेशी खरीदार और उपभोक्ता किस वस्तु को अधिक पसन्द करते हैं। उदाहरण के लिये माल की बिक्री में उसका रंग बहुत बड़ा भाग लेता है। किस रंग का माल अधिक लोक प्रिय होता है और क्यों इसे तर्क के साथ बताना कठिन है। प्रत्येक देश के अपने प्रिय रंग होते हैं जिनका सम्बन्ध वहां के सदियों पुराने लोकगीतों, अन्धविश्वासों, धर्म, जलवायु, जाति परम्परा, राजनीति इत्यादि से होता है। पैकिंग करते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिये आकर्षक पैकिंग और पैक करने के सामान का निर्माण ही अब एक काफी बड़ा उद्योग बन गया है। ब्रिटेन में केवल पैकिंग के डिब्बे, थैले बोरिया आदि बनाने वाले कारखानों की संख्या ही कम से कम १००० होगी और पैकिंग का बिल ही ४००० लाख पौंड के लगभग आता है।

बढ़िया पैकिंग देखकर बहुत से खरीदार उसके भीतर रखे माल को ही भूल जाते हैं। परन्तु पैकिंग का मूल उद्देश्य अर्थात् माल की सुरक्षा, उसे प्रस्तुत करने का सुन्दर ढंग आदि को कभी भुला नहीं देना चाहिए। इसलिये विदेशी बाजारों में पैकिंग का आकर्षण और श्रेष्ठता निश्चित रूप से माल को खपाने में सहायक सिद्ध होगी। इसलिये हमारे निर्यातकों को चाहिए कि वे माल के पैकिंग की ओर विशेष ध्यान दें और उसके न्यूनतम प्रतिमान निर्धारित कर लें। सम्पन्न व्यापारी थोड़ा अधिक खर्च करके और आकर्षक पैकिंग कर सकते हैं। इस पर हुआ अधिक खर्च इस के कारण होने वाली अधिक बिक्री द्वारा निश्चित रूप से निकल आयेगा।

विज्ञापन का महत्व

हमारे निर्यात व्यापार की एक प्रमुख कमजोरी यह है कि हमारे माल का अच्छा विज्ञापन नहीं होता। भारत में बनी बहुत सी वस्तुओं के विषय में विदेशियों को कोई ज्ञान ही नहीं है। इसका कारण यही है कि उनका कभी विदेशों में विज्ञापन ही नहीं किया गया। इसलिये विदेशों में विज्ञापन और प्रचार का एक जोरदार प्रयत्न होना चाहिए। इसका एक उपाय यह हो सकता है कि समाचार पत्रों, रेडियो, फिल्म स्लाइडों

इत्यादि के माध्यम से भारतीय निर्माता मिल जुल कर प्रचार करना आरम्भ करें। यह प्रचार यदि एक आन्दोलन के रूप में किया जाय तो बहुत प्रभावशाली होगा। चूंकि विदेशी प्रचार में खर्च बहुत होता है जिसे एक व्यक्ति अथवा एक फर्म उठाने में असमर्थ हो सकती है। इसलिये कुछ दिन के लिये आरम्भ में यह उचित होगा कि अनेक व्यक्ति अथवा फर्में मिलजुल कर यह प्रचार आरम्भ करें और उसका खर्च उठावें। ऐसे मिलेजुले प्रयत्न ब्रिटेन और स्विटजरलैंन्ड में किये गये हैं। स्विटजरलैंड के घड़ी निर्माताओं का प्रचार इसका एक सुन्दर उदाहरण है।

बाजार सर्वेक्षण

विदेशों में प्रचार करने से पूर्व वहां के बाजारों का सर्वेक्षण करना आवश्यक है। भारतीय व्यापारी अपनी थोड़े दिनों की विदेश यात्रा में ये सर्वेक्षण नहीं कर सकते। आवश्यकता यह है कि इन बाजारों में प्रचलित व्यापार की स्थानीय शर्तों, खुदरा व्यापार के रूप, थोक तथा खुदरा व्यापारियों को मिलने वाला कमीशन तथा वहां मौजूद प्रतिद्वन्द्वियों की प्रणालियां इत्यादि का अध्ययन किया जाय और यह पता लगाया जाय कि विविध बाजारों में विभिन्न वस्तुओं के लिये किस रूप में प्रचार करना लाभप्रद होगा। विदेशों में कार्य करने के लिये विशेष प्रकार के संगठन बना लिये जाते हैं। उदाहरण के लिये जापान में 'जापान विदेशी व्यापार पुनरुत्थान संगठन' (Japan External Trade Recovery Organisation) बनाया गया है तो ब्रिटेन में ब्रिटिश निर्यात व्यापार विज्ञापन निगम लि० (British Export Trade Advertising Corporation Ltd.) बनाया गया है। ऐसे संगठनों द्वारा बाजारों की गवेषणा अच्छे ढंग से कराई जा सकती है। ये संगठन अपनी सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा विभिन्न देशों में यह सर्वेक्षण करा सकते हैं। भारत में इस समय जो संगठन विज्ञापन कार्य कर रहे हैं उन्हें सर्वेक्षण का काम भी उठाना चाहिए। इसी बीच निर्यात संवर्द्धन परिषदें, वस्तु बोर्ड, व्यापारिक शिष्टमंडल, विदेश स्थित व्यापारिक संस्थान और विभिन्न देशों में जाकर बिक्री करने वाले विक्रेताओं को यह काम करना चाहिए और बाजारों के अध्ययन से प्राप्त हुई जानकारी निर्यातकों को प्रदान करनी चाहिए।

प्रदर्शनियां और मेले

प्रदर्शनियां और मेलों में भाग लेना व्यापारिक प्रचार का एक कारगर उपाय है। हमारे वित्तीय साधनों के अनुसार जितना भी सम्भव हो सका है भारत ने इन विदेशी प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लिया है। इनमें भाग लेने से हमारे उत्पादनों की लोगों को सीधी और पूरी जानकारी हो जाती है। विदेशों में हुई प्रदर्शनियों के अतिरिक्त भारत की ओर से भी केवल अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन करने के लिये भी काहिरा, दमिश्क, खारतूम आदि में प्रदर्शनियां की गई हैं। परन्तु विदेशों में बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां करना एक बहुत ही खर्चीला काम है। इसलिये अभी कुछ समय तक तो इसे सीमित परिमाण में ही किया जा सकेगा। भारत में बनने वाली सभी वस्तुओं को विदेशों में ले जाकर प्रदर्शन करना बहुत ही कठिन है। इसलिये देश में उनकी प्रदर्शनी का आयोजन करना भी लाभप्रद होगा। १९५५-५६ में नई दिल्ली में जो भारतीय उद्योग प्रदर्शनी हुई थी वह बहुत सफल रही थी और ऐसी ही प्रदर्शनियां समय समय पर होती रहने की आवश्यकता है। विदेशों में भारत की ओर से प्रदर्शनकक्ष, व्यापार केन्द्र और एम्पोरियम भी स्थायी रूप से चलाये जा रहे हैं। इनके द्वारा अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में हमारी विशिष्ट वस्तुओं का प्रचलन हो सकता है तथा बैंकाक जैसे केन्द्रों में इंजीनियरी उद्योगों के उत्पादन के लिये नये बाजार खोज निकाले जा सकते हैं।

प्रदर्शनियों और मेलों में केवल भाग ले लेना मात्र ही काफी नहीं होता। एक बार हमारी वस्तुओं में विदेशियों की दिलचस्पी उत्पन्न हो जाने पर उसे बनाये रखने तथा बराबर बढ़ाते जाने के प्रयत्न करने भी आवश्यक हैं। इस प्रकार की शिकायतें की गई हैं कि विदेशों में प्रदर्शनियां करने के बाद विदेशी व्यापारियों द्वारा भारतीय वस्तुओं के बारे में पूछताछ की जाती है तो उसे सम्बद्ध निर्माता के पास शीघ्रता के साथ नहीं पहुँचाया जाता। भविष्य में इसमें ढील नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही निर्माताओं को भी चाहिए कि विदेशों से मांग आने पर वे प्रदर्शनी में दिखाए गये नमूने के अनुरूप माल को काफी परिमाण में भेजने का प्रबन्ध रखें और इस माल की किस्म अथवा प्रतिमान किसी भी प्रकार घटिया नहीं होना चाहिए।

व्यापारिक जानकारी

बिक्री बढ़ाने के लिये प्रत्येक विक्रेता को अनेक प्रकार की व्यापारिक जानकारी की आवश्यकता होती है। उसे विदेशी व्यापारियों की विश्वसनीय सूचियां, व्यापारिक आंकड़े, अन्य देशों के प्रतिद्वन्द्वियों द्वारा प्रस्तुत की गई वस्तुओं के मूल्य, विभिन्न देशों की टक्कर दरें, आयात विनिमय इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए। भारत में इस समय व्यापारिक जानकारी का मुख्य प्रामाणिक साधन कलकत्ता स्थित व्यापारिक जानकारी तथा अंक संकलन निदेशालय (Directorate General of Commercial Intellegence & Statistics) है। यह कार्यालय भारत के विदेशी व्यापार के आंकड़े प्रकाशित करता है, 'इंडियन ट्रेड जरनल' नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करता है और विदेश स्थित व्यापार कमिश्नरों तथा सचिवों से प्राप्त व्यापारिक सूचनाएं प्रकाशित करता है। इसने भारतीय निर्यातकों की एक डाइरेक्टरी भी प्रकाशित की है जो हमारे विदेश स्थित व्यापार प्रतिनिधियों के लिये बहुत काम की सिद्ध होगी। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय अंग्रेजी में 'दी जर्नल आफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड' तथा हिन्दी में 'उद्योग व्यापार पत्रिका' नामक दो मासिक भी प्रकाशित करत

है। हमारे व्यापार प्रतिनिधियों की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त व्यापारिक जानकारी के साधन स्वरूप बहुत से गैर सरकारी पत्र भी हैं और व्यापार चेम्बर भी अनेक बुलेटिन तथा सरकुलर आदि निकाला करते हैं।

भारतीय निर्यातकों तथा आयातकों की एक विस्तृत एवं प्रामाणिक डाइरेक्टरी प्रकाशित करने की भी आवश्यकता है। सरकारी सहायता से कोई भी गैर सरकारी संगठन इसे प्रकाशित कर सकता है।

विदेशी व्यापारियों के विषय में सूचना

विदेशी व्यापारियों के हाथ में माल बेचने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति उनकी वित्तीय हैसियत और व्यापारिक साख के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यदि विदेशी व्यापारी किसी विदेशी बैंक की भारत स्थित शाखा के साथ कारोबार करता है तो वह बैंक ही ऐसी जानकारी प्राप्त कर देता है। कुछ अवस्थाओं में भारतीय निर्यातक विदेशी फर्मों की हैसियत के बारे में हमारे विदेश स्थित व्यापार कमिश्नरों की मार्फत भी पता लग सकता है। चूंकि हमारे व्यापार कमिश्नरों के पास जानकारी एकत्रित करने के अपने साधन नहीं हैं, इसलिये बैंकों और अन्य व्यापारी संस्थाओं से जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसके विश्वसनीय होने का दायित्व लेने में असमर्थ रहते हैं। यदि भारतीय बैंक विदेशों में अपनी शाखाएं खोलें तो उनके द्वारा विदेशी व्यापारियों के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार भारत में भी एक ऐसा संगठन बनाये जाने की आवश्यकता है जो विदेशी फर्मों को भारतीय निर्यातकों की साख, हैसियत आदि के विषय में प्रामाणिक जानकारी प्रदान कर सके।

व्यापारिक जानकारी तथा अंक संकलन

कलकत्ते में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय की ओर से व्यापारिक जानकारी तथा अंक संकलन का निदेशालय है। इसका मुख्य कार्य भारत के विदेशी व्यापार के आंकड़ों को एकत्रित करके प्रकाशित करना है। इसके द्वारा प्रकाशित होने वाले 'दी इंडियन ट्रेड जनरल' में प्रति सप्ताह वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित किये जाने वाली प्रेस विज्ञप्तियां तथा आयात निर्यात नियन्त्रण सम्बन्धी सूचनाएं प्रकाशित होती हैं। इसके अतिरिक्त रसद तथा निपटान के डाइरेक्टर जनरल (Director General of Supplies & Disposals) द्वारा जारी किये जाने वाले टेण्डर भी इसमें प्रकाशित होते हैं। भारतीय प्रतिमानशाला द्वारा निर्धारित प्रतिमानों की सूचनाएं, कुछ आंकड़े, व्यापार संवर्द्धन सम्बन्धी समाचार, मूल्यों की घटाबढ़ी की सूचनाएं, व्यापार कमिश्नरों आदि से प्राप्त रिपोर्ट इत्यादि भी इस पत्र में दी जाती हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित होने वाले 'जर्नल आफ इंडस्ट्री एन्ड ट्रेड' तथा उद्योग व्यापार पत्रिका' में भी ज्ञानवर्द्धक सामग्री प्रकाशित होती है। फिर भी एक ऐसे साधन की आवश्यकता है जो विदेशी व्यापारिक सूचना बराबर प्रदान करता रहे। इस उद्देश्य से यदि सरकार विदेशी व्यापार सम्बन्धी कोई साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करे तो लाभप्रद होगा। यह पत्र ब्रिटिश बोर्ड आफ ट्रेड जर्नल तथा अमेरिका के 'फारेन कामर्स वीकली' के ढंग का हो सकता है। इस पत्र में अन्य सामग्री के अतिरिक्त देशों में होने वाली आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधियों का संक्षिप्त साप्ताहिक सिंहावलोकन होना चाहिए जो विशेषतः भारत की दृष्टि से किया जाय। इसमें विदेशों के बारे में ऐसे आंकड़े भी रहने चाहिए जो भारतीय निर्यातकों के लिये विशेष काम के सिद्ध हों। निर्यात उद्योगों के विषय में विशेष लेख, विदेशों के आयात निर्यात नियन्त्रण तथा तटकर दरों विषयक जानकारी, विदेशों के साथ होने वाले भारत के व्यापार करारों का संक्षिप्त विवरण, विदेशों में माल भेजने की सम्भावनाओं और भारत से व्यापार करने के लिये की जाने वाली विदेशियों की पूछताछ पर भी इस पत्र में प्रकाश डाला जाना चाहिए। विभिन्न वस्तुओं के निर्यात की स्थिति पर भी लेख दिये जाने चाहिएं।

व्यापारिक जानकारी तथा अंक संकलन निदेशालय अभी व्यापारिक पूछताछ के उत्तर भी दिया करता है, व्यापार सम्बन्धी सम्पर्क कराता है और विदेशी खरीदारों तथा भारतीय निर्यातकों के मध्य होने वाले छोटे-मोटे झगड़े, सुलझाने में भी सहायता करता है। परन्तु अभी इन कार्यों के लिये इस निदेशालय के पास पर्याप्त साधन नहीं है। इन कार्यों के लिये एक अलग विभाग होना चाहिए जिसकी स्थापना के लिये निर्यात संवर्द्धन समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है।

व्यापारिक शिष्टमण्डल

विदेशों में भारतीय माल खपाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये व्यापारिक शिष्टमण्डल तथा मिशन महत्त्वपूर्ण साधन है। सरकार ऐसे अनेक शिष्टमण्डल विदेशों को भेजती रही है। इनके फलस्वरूप हमारे उच्च अधिकारियों तथा व्यापारियों को विदेशों की व्यापारिक तथा वित्तीय अवस्थाओं का उच्च स्तर पर ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला है। परन्तु इस प्रकार प्राप्त हुए ज्ञान का उन व्यापारियों द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिये जो अपने माल की बिक्री का आयोजन करने के लिये विदेशों को जाया करते हैं।

निर्यात योग्य विविध वस्तुओं की स्थिति का सिंहावलोकन

★ *विदेशी विनिमय का उपार्जन करने के महत्वपूर्ण साधन।*

हमारे उद्योग अनेक प्रकार की ऐसी वस्तुएं तैयार कर रहे हैं जिनसे न केवल देश की ही आवश्यकता पूरी हो सकती है वरन् उन्हें विदेशों को भी भेजा जा सकता है। इनमें से कुछ वस्तुओं की निर्यात सम्बन्धी स्थिति निकट भविष्य में ही बहुत अच्छी हो जाने की आशा है। यदि हमारे देश में बनी वस्तुएं विदेशों में अच्छे परिमाण में खपने लगें तो उनके द्वारा विदेशी विनिमय के उपार्जन में अच्छी सहायता मिल सकेगी। इस दृष्टि से इन वस्तुओं का विशेष महत्व है। इस समय इन वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की भी विशेष आवश्यकता है। इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रख कर यहां कुछ वस्तुओं के उत्पादन, निर्यात आदि सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत लेख में दी जा रही है। यह जानकारी संक्षेप में ही दी गई है परन्तु फिर भी पर्याप्त प्रकाश डालने का यत्न किया गया है।

बिजली के पंखों का उद्योग

बताते हैं कि भारत में पहले-पहल बिजली के पंखे बनाने की कोशिश १६२० के आस पास कलकत्ते में मैसर्स बांदो एण्ड कं० तथा मैसर्स क्लाइड इंजीनियरिंग कं० ने की थी लेकिन बिजली के पंखे बनाने का पहला संगठित तथा सफल प्रयास १६२४ में इंडिया इलैक्ट्रिक वर्क्स ने किया।

इस अग्रणी कम्पनी की सफलता ने अन्य फर्मों को भी इस क्षेत्र में आने को प्रोत्साहित किया और इस समय बिजली के निर्माताओं की संख्या १६ है।

उत्पादन-क्षमता

इस उद्योग में किस-किस राज्य में कितने कारखाने हैं, यह नीचे दिया जाता है :—

राज्य	कारखानों की संख्या	स्थापित वार्षिक उत्पादन क्षमता (संख्या)
प० बंगाल	११	३,१३,२००
बम्बई	४	६२,०००
दिल्ली	३	२५,५००
पंजाब	१	१,०००

उत्पादन

पहली पंचवर्षीय योजना में १६५५-५६ तक ३,२०,००० से ३,५०,००० बिजली के पंखे प्रतिवर्ष तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके मुकाबले १७ कारखानों में १६५३ से पंखों का वास्तविक उत्पादन इस प्रकार रहा :—

वर्ष	उत्पादन (००० में)
१६५३-५४	२०८.०
१६५४-५५	२५६.०
१६५५ (६ महीने, अप्रैल-दिसम्बर)	२१०.०
१६५६ जनवरी	२३.५
फरवरी	२४.३
मार्च	२६.३
अप्रैल	२८.५
मई	३०.८
जून	२६.३
जुलाई	२८.१

किन-किन किस्मों के पंखे बनते हैं?

ए० सी० बिजली से चलने वाले कैपेसिटर और गैर कैपेसिटर वाले तथा डी० सी० बिजली से चलने वाले सीलिंग फैन, टेबल फैन, पैरि

फैन, पेडेस्टल फैन और एयर सरकुलेटर भारत में बनाये जाते हैं। छत के पंखे और टेबल फैन भारतीय प्रतिमानों के अनुसार बनते हैं। गाड़ियों में लगने वाले पंखे (कैरिज फैन) रेलवे बोर्ड के सैन्ट्रल स्टैन्डर्ड आफिस द्वारा निर्धारित प्रतिमान (ई ४-५४) के अनुसार बनाये जाते हैं।

अनुमित आवश्यकताएं तथा विकास

अगले ५ वर्षों में जनता का रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठने की आशा है और जनता को भी अधिकाधिक बिजली मिलने लगेगी। इस लिए यह आशा करना उचित ही है कि १९६०-६१ तक बिजली के पंखों की देश में माग ५,५०,००० से ले कर ६,००,००० तक पहुंच जाएगी। इस समय देश में २,८०,००० पंखों की आवश्यकता है।

१९६०-६१ तक बिजली के ६ लाख पखों की आवश्यकता होगी, इसलिए उस वर्ष तक उत्पादन भी इतना ही करने का विचार है। पंखे उद्योग जैसे उद्योग में कई शिफ्टों में काम हो सकने की गुंजाइश है।

नयी योजनाएं

तीन फर्मों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए लाइसेंस दिये गये, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :—

फर्म का नाम	वर्तमान वार्षिक क्षमता (संख्या)	विस्तार के बाद वार्षिक उत्पादन क्षमता (संख्या)
१. जौय इंजीनियरिंग वर्क्स, अमृतसर	१,२००	३,६०० (यह कारखाना हटाकर चंडीगढ़ लाया जाएगा।)
२. रामपुर इंजीनियरिंग कं०, रामपुर	१,०००	३०,०००
३. भारत इलैक्ट्रिक इंडस्ट्रीज, कलकत्ता	३,५००	३६,०००

दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बिजली के पंखे बनाने के उद्योग का कैसा विकास करने की योजना है, इसका सारांश नीचे की सारणी में दिया गया है :—

	१९५५-५६	१९६०-६१
वार्षिक उत्पादन क्षमता	४०१,७००	६,००,०००
उत्पादन	२,८०,०००	६,००,०००
घरेलू खपत	२,८०,०००	५,५०,०००
निर्यात	१७,०००	५०,०००

कच्चे माल की आवश्यकताएं

६ लाख पंखे तैयार करने के लिए कच्चे माल की कितनी आवश्यकताएं हैं, इसका अनुमान नीचे दिया गया है :—

१. कच्चा लोहा, ढली चीजें	६००० टन
२. वैद्युत इस्पात की चादरें	८००० टन
३. लपेटने के तार जिनमें रेसिस्टैन्स तार भी शामिल हैं,	८५० टन
४. नरम इस्पात की चादरें, प्लेटें, सलाखें, छड़ें और पाइप	२६०० टन
५. तांबे की अनावृत्त पत्तियां और तारें तथा अन्य अलौह पदार्थ जैसे पीतल की चादरें, तार आदि	९०० टन
६. अलूमीनियम के खण्ड और चादरें	७२० टन
७. आवरण वाले पदार्थ	७० टन
८. वारनिशें, रोगन तथा थिनर	१,३६,४०० गैलन
९. बाल बेयरिंग	९,००,००० संख्या
१०. आइल रिटेनिंग बेयरिंग	३,४०,००० ,,
११. कंडेन्सर	४,५०,००० ,,

कच्चे मालों की उपलब्धि स्थिति इस समय संतोषजनक है सिर्फ वैद्युत इस्पाती चादरों, कच्चे लोहे, इस्पात तथा बाल बेयरिंगों की उपलब्धि में कुछ दिक्कत है। ८० प्रतिशत कच्चे माल देश में ही उपलब्ध हैं और २० प्रतिशत कच्चा माल आयात करना होता है। विदेशों पर यह निर्भरता भी धीरे-धीरे समाप्त हो रही है।

निर्यात

१९५५-५६ तक बिजली के पंखों का निर्यात ३०,००० तक पहुंच जाने की आशा थी। सभी वर्षों में बिजली के पंखों का कितना निर्यात हुआ, इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी १९५२-५३, १९५४-५५ तथा १९५५-५६ (अप्रैल से जनवरी दस महीनों) में बिजली के पंखों का निर्यात क्रमशः ३,६५५, १०,८६६ तथा ४१,२४१ पंखे हो गया जिनका मूल्य ४.९ लाख रु०, १३.६ लाख रु० तथा १७.२ लाख रु० था। बिजली के पंखों का सबसे बड़ा खरीदार सिंगापुर है। इनके बाद श्रीलंका, कुवैत, सूडान, मलयसंघ, नाइजीरिया, बहरीन द्वीप, टांगानीका तथा जंजीबार इसके खरीदार हैं।

पहली आयोजना में यह सिफारिश की गयी थी कि निर्यात के लिए बनने वाले बिजली के पंखों में प्रयुक्त कच्चे माल पर लगे आयात शुल्क पर छूट दी जानी चाहिए। आयात शुल्क लौटाने सम्बन्धी

नियमों के मसविदे के अनुसार निर्यात किये जाने वाले पंखों के निर्माण में काम आने वाले आयातित मालों पर लगे औसत धन का ⅞ भाग वापस किया जायगा। इससे निर्माताओं को अपनी उत्पादन लागत घटाने में मदद मिलेगी और इसके फलस्वरूप निर्यात बाजार बढ़ाने की आशा है। बताते हैं कि १९६०-६१ तक बिजली के पंखों का निर्यात १७,००० पंखों के वर्तमान स्तर से बढ़कर ४०,००० से लेकर ५०,००० तक हो जाएगा।

निर्माताओं के नाम

बिजली के पंखे बनाने का काम निम्न फर्में करती है :—

प० बंगाल

१. भारत इलैक्ट्रीकल इंडस्ट्रीज लि०,
 ६-ए, एस० एन० बनर्जी रोड,
 ५२, हिन्दुस्तान बिल्डिंग्स, कलकत्ता।

२. मैसर्स क्लाइड फैन कं० लि०,
 २१।२, चौरंगी रोड, कलकत्ता।

३. ,, इंजीनियरिंग वर्क्स आफ इंडिया लि०,
 ४, उल्टाडांगा रोड, कलकत्ता।

४. ,, जनरल इलैक्ट्रिक कं० आफ इण्डिया लि०,
 मैगनेट हाउस, चितरंजन एवेन्यू (साउथ),
 कलकत्ता।

५. ,, जी० टी० आर० कं० लि०,
 ३७, डमडम रोड, घुघुडांगा,
 कलकत्ता-३०।

६. ,, इण्डिया इलैक्ट्रिक वर्क्स लि०,
 डायमण्ड बारहर रोड, कलकत्ता।

७. ,, जय इंजीनियरिंग वर्क्स लि०,
 १८३-ए, प्रिंस अनवरशाह रोड,
 कलकत्ता।

८. दि ओरियेण्ट जनरल इण्डस्ट्रीज लि०,
 ६, घोट बीबी लेन, नारकेल डांगा,
 कलकत्ता-११।

९. कलकत्ता फैन वर्क्स लि०,
 १९-बी, चौरंगी रोड, कलकत्ता।

१०. मै० पोलर इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग कं० लि०,
 १४/२, ओल्ड चाइना बाजार स्ट्रीट,
 कलकत्ता।

बम्बई

१. मैसर्स क्रोम्पटन पार्किन्सन (वर्क्स) लि०,
 हेयर्स रोड, वरली, बम्बई।

२. ,, गांधी इलैक्ट्रीकल इण्डस्ट्रीज,
 ९४, मीडोज स्ट्रीट, बम्बई।

३. ,, एक्मी मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०,
 एन्टौप हिल, वडाला, बम्बई।

दिल्ली

१. ,, मैचवैल इलैक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लि०,
 ट्राम टर्मिनस, सब्जीमण्डी, दिल्ली।

२. ,, राज इलैक्ट्रीकल वर्क्स लि०,
 चावड़ी बाजार, दिल्ली-६।

३. सेण्ट्रल इण्डिया इलैक्ट्रिक वर्क्स,
 अजमल खां रोड, करोल बाग, दिल्ली-५।

पंजाब

मै० जौरा इंजीनियरिंग वर्क्स लि०,
अमृतसर।

नीचे लिखी फर्म सिर्फ रेलों के पंखे बनाती है :—

मैसर्स वेनी इंजीनियरिंग वर्क्स लि०,
१, कुक्ड लेन,
कलकत्ता।

निर्यात बढ़ाने की कठिनाइयां

बिजली के पंखों के निर्यात में निम्न कठिनाइयां आती हैं:—

(१) आयात शुल्क वापस करने की योजना के अभी तक सुपरिणाम प्रकट नहीं हुए हैं।

(२) जहाजी भाड़ा अधिक होने के कारण भारतीय पंखे विदेशी पंखों से मूल्य में प्रतियोगिता नहीं कर पाते हैं।

(३) जहाजों में स्थान की कमी निर्यातकों के लिए एक और बाधा है।

खेती के उपकरण

हालांकि खेती के उपकरण बनाने का उद्योग काफी चर्चा का विषय नहीं बना है, तथापि देश की सामान्य आर्थिक प्रगति में इसका खासा बड़ा भाग है। इस उद्योग के बारे में आंकड़े भी कुछ कम ही हैं। जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं, उससे यह साधारण संकेत मिल सकता है कि इस उद्योग का विकास किस दिशा में हो रहा है।

क्षमता और उत्पादन

इस समय ६२ फर्मों के नाम डेवलपमेन्ट विंग के रजिस्टर में दर्ज हैं। इनकी क्षमता, उनमें खपने वाले इस्पात के आधार पर २६,८८० टन प्रति वर्ष है। इनमें से टाटा (एग्रिको) नामक फर्म सबसे बड़ी है जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता १३,००० टन है। इनके अतिरिक्त ३५० छोटे कारखाने भी खेती के उपकरण बनाते हैं जिनके नाम राज्य सरकारों के पास दर्ज हैं। इनके अलावा देहातों में ग्रामीण लोहार भी खेती के औजार बनाते हैं।

भारत में बनने वाले उपकरण

खेती के काम आने वाले निम्न किस्मोंके उपकरणों का भारत में निर्माण होता है :—

(१) खेतों में प्रयोग होने वाले उपकरण—हल, बीज बोने, पौध रोपने तथा अनाज निकालने की मशीनें,

(२) खेती में काम आने वाले हाथ के औजार जैसे—फावड़ा, कुदाली, खुरपी और हंसिया।

(३) सिंचाई के उपकरण—जैसे रहट और हाथ से चलने वाला पानी खींचने का पप।

(४) प्रक्रियायन यंत्र (प्रोसेसिंग मशीनें) जैसे—तैल पेरने के कोल्हू, गन्ना पेरने के कोल्हू, चारा काटने की मशीन, मूंगफली छीलने की मशीन और तम्बाकू के भंडारन् यंत्र।

(५) डेयरी तथा कुक्कुट पालन केन्द्र के उपकरण जैसे विलोने के बर्तन, क्रीम निकालने तथा शहद निकालने की मशीन।

(६) फसल रक्षा के उपकरण जैसे स्प्रेयर और डस्टर।

(७) फार्मों पर काम आने वाले परिवहन उपकरण जैसे व्हील बैरो, फार्म कार्ट और हाथ से चलायी जाने वाली गाड़ी।

निर्यात

खेती के काम आने वाले उपकरणों का कितना निर्यात होता है, इसके आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं लेकिन इनके निर्यात पर किसी प्रकार की रोक भी नहीं है। इसका निर्यात सिर्फ दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पूर्वी देशों, पूर्वी अफ्रीका तथा कैरिबियन द्वीप समूहों को होता है जो सीमित पैमाने पर ही होता है। इस उद्योग की मुख्य समस्या प्रथम श्रेणी का लोहा और इस्पात खासे परिमाण में न मिलने की है। आशा है कि निकट भविष्य में स्थिति सुधर जाएगी और इस समय बेकार पड़ी क्षमता प्रयोग करके निर्यात बढ़ाया जा सकेगा।

निर्माताओं के नाम

प० बंगाल :

१. मैसर्स जनरल इंजीनियरिंग कारपोरेशन आफ कलकत्ता, १६-बी, श्यामनगर रोड, डमडम।

२. ,, हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग वर्क्स, ११२, जैसोर रोड, डमडम।

३. ,, गोविन्द शीट मैटल वर्क्स एण्ड फाउन्ड्री, २१०, हरीसन रोड, कलकत्ता।

४. ,, अश्वनी कुमार मंडल, २०५, बैलिलियस रोड, हावड़ा।

५. ,, मैटल क्राफ्ट (इंडिया) लि० २६, स्ट्राण्ड रोड, कलकत्ता।

६. ,, हनुमान इंजीनियरिंग वर्क्स, २८७, जी० टी० रोड, सलकिया, हावड़ा।

७. ,, मैटल एलोय क०, ६, चर्च लेन, कलकत्ता।

८. ,, ग्रेट ईस्टर्न वार वर्क्स, ११५ बी, विवेकानंद रोड, कलकत्ता-६।

९. ,, पायनियर कटलरी वर्क्स, ६-ए, बेलगाच्छिया रोड, कलकत्ता-२४।

१०. ,, ग्रेट ईस्टर्न कटलरी वर्क्स, २०, स्ट्रैंड रोड, कलकत्ता।

११. ,, मैटलिस्ट लि०, १०, चौरंगी रोड, कलकत्ता।

१२. ,, शा वालेस एण्ड कं० ४, बैंक शौल स्ट्रीट, कलकत्ता।

१३. ,, विक्टरी आयरन वर्क्स, ४८, कैनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता।

१४. ,, श्री गोपाल आयरन वर्क्स,
३८/ए, कालीघाट रोड,
कलकत्ता।

१५. ,, नाथमल गिरधारी लाल,
२२, बड़तल्ला स्ट्रीट,
कलकत्ता।

१६. ,, माया गैल्वनाइजिंग वर्क्स,
६, अपर चितपुर रोड,
कलकत्ता।

१७. ,, आनंद मैटल एण्ड स्टील वर्क्स,
१३७, कैनिंग स्ट्रीट,
कलकत्ता।

१८. ,, ब्रिटिश इंडिया रोलिंग मिल्स,
२३, कैनाल ईस्ट रोड,
एन्टेली।

१९. मैसर्स गुडमैन एण्ड कं० (इंडिया) लि०,
३८, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता।

पंजाब

१. ,, रामसरन दास अग्रवाल एण्ड सन्स,
टांडा रोड, जलंधर।

२. ,, ग्रेट इण्डिया मैन्यूफैक्चरिंग कं०,
लुधियाना।

३. ,, विजय स्टील एण्ड जनरल मिल्स कं०,
फगवाड़ा (पंजाब)।

४. ,, न्यू जमींदार फाउन्ड्री,
जी० टी० रोड,
बटाला।

५. ,, बटाला इंजीनियरिंग कं० लि०,
बटाला।

६. ,, अमींचन्द भोलानाथ,
टांडा रोड, जलंधर शहर।

७. ,, अमींचन्द प्यारेलाल,
टांडा रोड, जलंधर शहर।

८. ,, अमींचन्द एण्ड सन्स,
ग्रा० व डा० रन्दरा,
वाया फिल्लौर, जलंधर।

९. ,, एमीकस्चर इंडस्ट्रीज,
बटाला।

१०. ,, रवि वर्मा स्टील वर्क्स,
अम्बाला कैंट।

११. ,, नगीना फाउन्ड्री एण्ड वर्कशाप,
बटाला।

१२. ,, बक्शी सिंडीकेट,
लुधियाना।

१३. ,, न्यू बिजली फाउन्ड्री,
जी० टी० रोड,
बटाला।

१४. ,, परमजीत मैटल्स लि०,
कपूरथला।

१५. ,, खेमचन्द राजकुमार,
जलन्धर शहर।

१६. ,, धीमान् आयरन स्टील कं० (रजि०),
जी० टी० रोड, फिल्लौर,
जलंधर शहर।

दिल्ली :

१. ,, कुमार ब्रदर्स, शीट एण्ड मैटल वर्क्स,
हाथीखाना, बहादुरगढ़ रोड,
दिल्ली।

२. ,, दिल्ली आयरन वर्क्स लि०,
चूड़ी वालान, दिल्ली।

३. ,, टीन प्रिन्टिंग एण्ड मैटल वर्क्स लि०,
सब्जी मंडी, दिल्ली।

४. ,, दीनानाथ बालमुकुन्द,
नया बाजार, दिल्ली।

मद्रास :

१. ,, कुमार इंडस्ट्रीज लि०,
रेल स्टेशन पारली,
डा० रौलाई (द० भा०)।

२. ,, मैटल इंडस्ट्रीज लि०,
शौरानूर, मलाबार, केरल।

३. ,, साउथ इंडिया मैटल कं०,
सिमको वर्क्स, शौरानूर, केरल।

४. ,, पी० एस० जी० एण्ड संस चैरिटी इंस्टीट्यूट,
पीला मेड्ड, कोयम्बतूर।

५. ,, यूनियन कं० एक्सेसरीज लि०,
माउन्ट रोड, मद्रास।

६. ,, एडीसन एण्ड कं०,
१५८, माउन्ट रोड, मद्रास।

उत्तर प्रदेश : १. ,, मोडर्न ट्रेडिंग एण्ड इंजीनियरिंग कं०,
२४, माल रोड, लखनऊ।

२. ,, दिल्ली आयरन एण्ड स्टील कं० लि०
जी० टी० रोड, गाजियाबाद।

३. ,, कानपुर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स एण्ड
फ्लोर मिल्स लि०,
डिप्टी का पड़ाव, कानपुर।

४. ,, पीपुल आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज लि०,
३४/३५ फैक्ट्री एरिया, फजलगंज,
कानपुर।

५. ,, काशी आयरन फाउन्ड्री,
माल, बनारस कैन्ट।

६. ,, मलिक इंजीनियरिंग वर्क्स,
माल टड़िया, बनारस कैन्ट।

७. ,, रुहेलखंड इंडस्ट्रीज लि०,
बरेली।

८. ,, कानपुर प्लेट मिल्स,
हैरिस गंज, कानपुर।

९. ,, जैन स्टील रौलिंग मिल,
डिप्टी का पड़ाव,
कानपुर।

१०. ,, इंडियन रौलिंग मिल्स,
फजलगंज फैक्टरी एरिया,
कानपुर।

११. ,, अग्रवाल आयरन वर्क्स,
मोतीलाल नेहरू रोड,
आगरा।

१२. ,, प्रकाश इंजीनियरिंग कं० एण्ड रौलिंग मिल्स,
फ्रीगंज, आगरा।

१३. ,, यूनाइटड मैन्यूफैक्चरर्स लि०,
रावतपारा रोड, आगरा।

मैसूर : १. ,, मैसूर इम्पलीमेन्ट्स फैक्टरी,
हसन, मैसूर।

२. ,, पी० एम० मदुराई मुदालियर एन्ड सन्स,
बंगलौर।

३. ,, मैसूर मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स लि०,
बंगलौर।

बंबई : १. ,, मुकन्द आयरन एण्ड स्टील वर्क्स,
आगरा रोड, कुरला, बम्बई।

२. मैसर्स कपूर इंजीनियरिंग लि०,
सतारा रोड,
सतारा जिला।

३. ,, किरलोस्कर ब्रदर्स,
किरलोस्कर वाडी, सतारा जिला।

४. ,, दक्षिण इंजीनियरिंग लि०,
माधवनगर, बुधगाव, बम्बई।

५. ,, अमेरिकन स्प्रिंग एण्ड प्रैसिंग वर्क्स,
शान्ता कुञ्ज, बम्बई।

६. ,, बेलगाव मोटर्स,
कैम्प बेलगाव, बम्बई।

७. ,, हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग कारपोरेशन,
दवालजी बिल्डिंग,
गणपति गेट, बेलगाव,
बम्बई।

८. ,, नेशनल स्टील वर्क्स,
पटेल टैंक रोड,
काला वाडी रोड,
बम्बई।

९. ,, जसवन्त आयरन एण्ड टैक्सटाइल मिल्स,
माधवलाल कालोनी,
अहमदाबाद।

१०. ,, शिवाजी वर्क्स लि०,
कोल्हापुर।

११. ,, माडर्न इंजीनियरिंग एण्ड मोल्डिंग कं०,
शाहपुर मिल्स कपाउन्ड,
शाहपुर अहमदाबाद।

१२. ,, के० टी० स्टील इंडस्ट्रीज लि०,
भड़ौच रोड, दाना बंदर,
बम्बई।

बिहार : १. ,, टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि०,
जमशेदपुर ।

२. ,, बांकीपुर आयरन वर्क्स लि०,
मीठापुर, पटना ।

३. ,, आर्थर बटल एण्ड कं० (मौज) लि०,
मुजफ्फरपुर, बिहार ।

मध्यप्रदेश : १. ,, दि अपर इंडिया इंजीनियरिंग कं०,
जेल रोड, नागपुर ।

२. ,, सी० पी० इंडस्ट्रीज,
खंडवा ।

३. ,, के० टी० स्टील इंडस्ट्रीज,
अम्बरनाथ (मध्य रेलवे) ।

४. ,, सिपलैक्स इंजीनियरिंग फाउंड्री,
जबलपुर ।

आंध्र : १. ,, चौडे अघा रोड इंजीनियरिंग वर्क्स,
पो० बा० नं० ८, काकिनाडा ।

२. ,, डायमंड मशीन मैन्यूफैक्चरिंग वर्क्स,
आंध्र इंडस्ट्रियल सिंडीकेट, लि०,
बैजवाडा, गुंटूर ।

३. ,, विजय इंडस्ट्रीज,
सूर्यपेट, विजयवाड़ा ।

४. ,, हैदराबाद आयरन एण्ड स्टील वर्क्स लि०,
आजमाबाद, हैदराबाद ।

तामचीनी के बर्तन

तामचीनी के बर्तन बनाने के उद्योग ने हाल के वर्षों में तेजी से प्रगति की है। कुछ निर्माताओं के तो सुसंगठित कारखाने हैं और उनके बनाये हुए माल की किस्म साधारणतः अच्छी होती है।

स्थापित उत्पादन क्षमता :—तामचीनी के बर्तन बनाने वालों की संख्या २२ है और उनकी स्थापित उत्पादन क्षमता ३०,०००,००० बर्तन प्रतिवर्ष बनाने की है।

उत्पादन और किस्म

पिछले तीन वर्षों में बर्तनों का वास्तविक उत्पादन निम्नानुसार रहा :—

१९५४	१४६,७७,२०० बर्तन
१९५५	१,५७,१६,४०० ,,
१९५६ जनवरी	१३,५४,८०० ,,
फरवरी	१३,५१,१०० ,,
मार्च	१३,५२,३०० ,,
अप्रैल	१३,५३,१०० ,,
मई	१३,४८,१०० ,,
जून	१३,४७,२०० ,,
जुलाई	१३,४०,००० ,,

घरों में काम आने वाले सभी किस्म के बर्तन, पात्र, अस्पताल का सामान और लैम्प शेड बनाये जाते हैं।

निर्यात की संभावनाएं

ऊपर के आंकड़ों से पता चलता है कि देश की पर्याप्त क्षमता बेकार पड़ी हुई है। तामचीनी के बर्तन बनाने के काम आने वाले कच्चे माल और कोयला मिल सके तो इस उद्योग में न केवल देश की सारी मांग पूरी करने की क्षमता है, बल्कि यह कुछ माल निर्यात भी कर सकता है।

निर्माताओं के नाम

प० बंगाल

१. बंगाल एनेमल वर्क्स लि०,
६०/२, धरमतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता-१२ ।

२. न्यू स्टार एनेमलवेयर कं०,
४६, स्टीफन हाउस, ४ डलहौजी स्क्वेयर,
कलकत्ता-१ ।

३. भारत टिन एण्ड एनेमल कं० लि०,
७२, तिलजाला रोड, कलकत्ता-१७ ।

४. एटेमिक सेल्स कारपोरेशन लि०,
२४, चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता-१२ ।

५. नूर एनेमल एण्ड स्टैम्पिंग वर्क्स लि०,
६ मिडिल रोड, एन्टाली, कलकत्ता ।

६. एनेमलनगर कोआपरेटिव इंडस्ट्रीज सोसाइटी लि०, एनेमल नगर, पो० आ० बंगाल एनेमल, २४ परगना।

७. एनेमल नगर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, एनेमल नगर, पो० आ० बंगाल एनमेल, २४ परगना।

बम्बई

१. बम्बई एनेमल वर्क्स लि०, सियोन, बम्बई-२२।

२. बाबन एनेमल वर्क्स, बरहामपुरा, बड़ौदा।

३. इंडियन एनेमल वर्क्स लि०, ग्रेट सोशल बिल्डिंग, सर फीरोजशाह मेहता रोड, फोर्ट बम्बई।

४. ओगेल ग्लास वर्क्स, लि०, ओगेल वाड़ी, जि० उत्तरी सतारा।

५. पायोनीयर एनेमलिंग वर्क्स लि०, २४, लक्ष्मी बिल्डिंग, सरफिरोज शाह मेहता रोड, बम्बई।

६. वजीर एनेमल वर्क्स लि०, प्रोस्पेक्ट चेम्बर्स, हॉर्नबी रोड, फोर्ट, बम्बई।

मद्रास

१. देवी एनेमल वर्क्स, मेट्टूपालयम्।

२. मद्रास एनेमल वर्क्स लि०, ६५, सेडनहैम्स रोड, मद्रास-३।

आंध्र

१. डेकन पोर्सेलेन एण्ड एनेमल वर्क्स लि०, २७०७, बकाराम, मुशिदाबाद, हैदराबाद, दक्षिण।

पंजाब

१. इण्डिया एनेमल वर्क्स लि०, बड़ा बाजार, फीरोजपुर सिटी, पंजाब।

उत्तर प्रदेश

१. प्रीमियर एनेमल वर्क्स, प्रीमियर नगर, अलीगढ़।

२. स्टार एनेमल वर्क्स, पंजाब पेन्ट्स बिल्डिंग, ४३, फजलगंज, कानपुर।

३. ताज एनेमल एंड मैटल कं० लि०, रौलर फ्लोर मिल्स बिल्डिंग, सहारनपुर।

४. यू० पी० एनेमल एंड स्टैंपिंग वर्क्स, शिकोहाबाद।

केरल

१. ट्रावनकोर एनेमल इंडस्ट्रीज लि०, चित्तूर रोड, एर्नाकुलम्।

दिल्ली

१. प्रेमराज एनेमल एण्ड मैटल फैक्टरी, बरफखाना, सब्जी मण्डी, दिल्ली।

२. राज एनेमल वर्क्स लि०, ग्राड ट्रंक रोड, शाहदरा, दिल्ली।

निर्यात बढ़ाने के मार्ग में कठिनाइयां

तामचीनी के बर्तनों का जो भी थोड़ा बहुत निर्यात होता है, उसमें निम्न बातों से बाधा पड़ती है:—

१. जहाजरानी की सुविधाओं की कमी।

२. जहाजी भाड़ा अधिक होना।

३. भारतीय माल के दाम जापानी माल के मुकाबले में अधिक होना।

सूखी बैटरियाँ

भारत में सूखे सैलों तथा बैटरियों का निर्माण लड़ाई के बहुत पहले आरम्भ हुआ था। इस क्षेत्र में सबसे पहले आने वाली फर्म एवररेडी कं० आफ ब्रिटेन थी जिसने कलकत्ते में १९२६ में एक कारखाना स्थापित किया था। कुछ वर्षों बाद इस कारखाने को नेशनल कारबन कं० (इण्डिया) लि० ने ले लिया। इसके बाद मैदान में आने वाली कम्पनी एस्ट्रेला बैटरीज लि० थी जिसने १९३६ में उत्पादन शुरू किया। द्वितीय महायुद्ध शुरू होने से पहले यही दो कारखाने चल रहे थे लेकिन उनका उत्पादन उस समय की मांग से कम रहा और उस कमी को आयात से पूरा करना पड़ा।

लड़ाई शुरू हो जाने के कारण आयात गिर गया और सेना की जरूरतों के कारण मांग काफी बढ़ गयी। इससे उस समय चलने वाले दोनों कारखानों को अपना विस्तार करने और नये कारखाने स्थापित किये जाने को प्रोत्साहन मिला। प्रगति की यह रफ्तार लड़ाई के बाद भी चलती रही और युद्ध के बाद की सालों में इस उद्योग का विस्तार खासी तेज रफ्तार से हुआ।

उत्पादन क्षमता

सूखे सैल बनाने वाले पांचों कारखानों की इस समय कुल स्थापित क्षमता २२४५ लाख सैल प्रति वर्ष बनाने की है। क्षेत्र के अनुसार इस उद्योग का विवरण नीचे दिया जाता हैः—

क्षेत्र	कारखानों की संख्या	क्षमता (लाख सैल)
बम्बई	२	५२०
प० बंगाल	२	१४७५
मद्रास	१	२५०
योग	५	२२४५

उत्पादन

पिछले कुछ सालों में भारत में सैलों का उत्पादन नीचे दिया जाता हैः—

वर्ष	उत्पादन (लाखों में)
१९५३-५४	१५३०
१९५४-५५	१४८४
१९५५-५६	१६११
१९५६ अप्रैल	१३३.२
मई	१५४.६
जून	१५६.४
जुलाई	१७७.८
अगस्त	१७२.६
सितम्बर	१८०.३

उपयोग तथा घरेलू मांग

सूखे सैलों वाली बैटरियां, फ्लेश लाइट, रेडियो सैटों, बिजली के उपकरणों, तार के उपकरणों, श्रवण सहायक उपकरणों, साइकिल की लैम्पों तथा सेनाओं द्वारा इस्तैमाल किये जाने वाले अणु विज्ञान संबन्धी उपकरणों में प्रयोग की जाती है। चलते फिरते क्षेत्रीय संचार उपकरणों में, जिनकी जरूरत सेनाओं को पड़ा करती है, इन बैटरियों को काम में लाया जाता है।

सैलों की किस्म एक सी नहीं है और हर कम्पनी के माल की किस्म अलग होती है लेकिन अधिकांश ब्रांडों का माल आयातित माल के समान ही होता है और भारतीय प्रतिमानशाला द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप होता है।

१९५५-५६ के उत्पादन के आधार पर तथा सूखी बैटरियों के आयात तथा निर्यात को देखते हुए वर्त्तमान खपत १६ करोड़ सैलों की होने का अनुमान है। विभिन्न कामों में सैलों की क्या खपत है इसके विस्तृत आंकड़े नीचे दिये जाते हैंः—

रोशनी करने के लिए बैटरियां	१२ करोड़ सैल
रेडियो	+ २॥ करोड़ सैल
सेना	१॥ करोड़ सैल
योग	१६ करोड़ सैल

(+ सूखे सैलों से चलने वाले रेडियो रिसीवरों की संख्या के आधार पर। १९५६ में जितने रेडियो लाइसेंस दिये गये उनके २५ प्रतिशत अर्थात् २५ लाख रेडियो सूखी बैटरियों से चलने का अनुमान है।)

इस प्रकार सूखे सैलों की वर्त्तमान वास्तविक खपत आशा से कम ही है। इसका एक कारण यह बताते हैं कि रेडियो उद्योग द्वारा सूखे सैलों की मांग घटी है।

सूखे सैलों की बड़ी संख्या में मांग रोशनी करने वाली बैटरियों के लिए होती है। इसके लिए भविष्य में क्या मांग होती है इसका ठीक से अंदाज लगाना कठिन है। गांवों में सामूहिक रूप से सुने जाने वाले रेडियो रिसीवर अधिक से अधिक संख्या में लगाये जा रहे हैं और ये

रेडियो सूखी बैटरियों से चलते हैं इसलिए इन बैटरियों की माग काफी बढ़ने की आशा है। इन सब बातों को ध्यान में रखें तो १९६०-६१ तक सूखी बैटरियों की माग ३५.२ करोड़ सैलों की हो जाने का अनुमान है।

उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य

चूंकि सूखे सैलों की आवश्यकताएं १९६०-६१ तक बढ़कर ३५.२ करोड़ हो जाने का अनुमान है, इसलिए उस समय तक उत्पादन भी इतना ही कर लेने का विचार है। उद्योग की वर्तमान क्षमता इतनी है कि अनुमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन किया जा सकता है। अगर माग ऊपर दिये गये अनुमान से आगे निकल जाती है, तो वर्त्तमान संयन्त्रों को एक से अधिक पालिया चला कर या उनका विस्तार करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

कच्चे माल की स्थिति

३५.२ करोड़ सैल बनाने के लिए आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण कच्चे मालों का परिमाण तथा मूल्य नीचे दिया जाता है :—

कच्चा माल	परिमाण	मूल्य (लाख रु० में)
१. जस्त की पट्टिया, अथवा रौड	३,५०० टन	७०.०
२. पीतल की पट्टिया, कंटैक्ट कैप, आदि	८५ टन	३.५
३. टाका (टीन या जस्त)	१२० टन	६.५
४. मैंगनीज खनिज तथा सक्रियकृत मैंगनीज डायआक्साइड	५,५०० टन	२०.०
५. अमोनियम क्लोराइड	१,७०० टन	७.५
६. एसीटिलीन काला	६०० टन	२०.०
७. कारबन इलैक्ट्रोड	१८ करोड़ संख्या	१८.०
८. बड़ी-बड़ी हाई टैन्शन बैटरियों के लिए विशेष किस्म के इलैक्ट्रोड	४ करोड़ संख्या	१५.०
९. जिंक क्लोराइड	४२० टन	६.०
१०. अनाज की माड़ी	२८० टन	२.३
११. संश्लेषित रालें, चिपकने पदार्थ तथा घोलक पदार्थ, आदि	१,५०० टन	४०.०
१२. कागज तथा कागजी गत्ता, नालीदार गत्ता और कार्टून, छपे हुए लेबिल तथा बोर्ड आदि	७५ टन	४.५
१३. विविध रासायनिक पदार्थ और वस्तुएं जैसे अस्फैल्ट, राल, पैराफीन मोम, सिलिका रेत, काजल, डैक्ट्रीन, गोंद आदि	१५०० टन	९.०
१४. ग्रैफाइट	७५ टन	१.०
१५. पैक करने का सामान, लकड़ी के बक्से आदि		१०.०
	योग	२३३.३

यह उद्योग काफी हद तक आयातित कच्चे मालों पर निर्भर है। ६० प्रतिशत मूल्य के कच्चे माल उद्योगों को विदेशों से आयात करने पड़ते हैं। आयातित कच्चे मालों पर निर्भरता खतम करने और अंतिम रूप से तैयार होने वाले माल में देशी भाग बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग और नेशनल केमीकल लैबोरेटरी के साथ मिल कर एक संयुक्त कार्यक्रम बनाया है। जिसके अनुसार मैंगनीज डाइ-आक्साइड के देशी साधनों का विकास किया जाएगा। तीन राष्ट्रीय प्रयोग शालाओं में परीक्षण चल रहे हैं और इस दिशा में काफी प्रगति हुई बताते हैं। नेशनल कं० के अतिरिक्त सूखे सैलों के एक अन्य निर्माता ने भी भारत में मैंगनीज खनिज के भंडारों का पता लगाने के लिए व्यापक क्षेत्रीय सर्वेक्षण कराया है और देश के विभिन्न भागों से मैंगनीज खनिज लेकर परीक्षा तथा अनुसंधान कार्य कराया है। मैंगनीज खनिज पीसने के लिए इस फर्म ने पूरा संयंत्र लगा लिया है। यह फर्म बैटरी बनाने के काम आने वाली मैंगनीज खनिज को काफी परिमाण में विदेशों से आयात करती है क्योंकि इस वर्ग की मैंगनीज देश में नहीं मिलती। देशी कच्चे मालों (राल, अभ्रक, सिलिका रेत आदि) से सील बनाने के एक मिश्रण का निर्माण भी इस फर्म ने शुरू कर दिया है। एक पाली में जस्त की २००० टन पत्तिया प्रतिवर्ष बनाने के लिए इस फर्म ने एक ढलाई मिल भी स्थापित कर लिया है।

यह उद्योग जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड तथा इकहरे नालीदार गत्ते की सारी आवश्यकताएं देशी साधनों से पूरी करता है। इस उद्योग द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अन्य कच्चे माल ये हैं :— क्राफ्ट पेपर, गोंद लगे कागज के टेप, डैक्टरिन, जोड़ने वाले तार और केबिल, एस्फैल्ट तथा पैक करने का सामान।

निर्यात

इस उद्योग ने बरमा, लंका, पाकिस्तान, जंजीबार, टर्की, मिस्र तथा पश्चिमी एशिया के कुछ अन्य देशों में अपने लिए एक निर्यात बाजार बना लिया है। भारत के वैदेशिक व्यापार तथा समुद्री व्यापार में इस निर्यात के आंकड़े अलग से नहीं दिये जाते। टटकर आयोग की रिपोर्ट (१९५३) के अनुसार देशीय निर्माताओं ने १९५० से १९५२ तक निम्न निर्यात किया :—

वर्ष	परिमाण संख्या	मूल्य (लाख रु० में)
१९५०	८५,१९३	०.२
१९५१	१४,४५,६७६	२.६
१९५२	११,१४,९९६	२.९

योजना में १९५५-५६ तक २ करोड़ सूखे सैल निर्यात करने का लक्ष्य रखा था। इसके मुकाबले अकेली मै० नेशनल कारबन कं० ने १९५५ में १.२ करोड़ और १९५६ में १.३ करोड़ सैलों का निर्यात किया।

निर्माताओं के नाम

बम्बई

१. एस्ट्रेला बैटरीज लि०,
प्लाट नं० १,
धारावी रोड, बम्बई-१९।

२. सोलर बैटरीज एण्ड फ्लैश लाइट्स लि०,
इंडस्ट्रियल एस्टेट, ४१-डी, परेल, चावे रोड,
लाल बाग, बम्बई-१२।

प० बंगाल

१. नेशनल कारबन कं० (इंडिया) लि०,
१८-ए, ब्रेबोर्न रोड, कलकत्ता।

२. फ्लैशलाइट्स (इंडिया) लि०,
कलकत्ता।

बोल्ट, ढिबरियां और रिपट

यद्यपि भारत में बोल्ट, ढिबरियों तथा रिपटों का उत्पादन ५० वर्ष पहले शुरू हुआ था, तथापि प्रथम महायुद्ध के अन्त तक उत्पादन बहुत ही थोड़ा था और जो भी उत्पादन होता था, वह छोटे निर्माता करते थे। बताते हैं कि व्यापारिक आधार पर बोल्ट, ढिबरियां तथा रिपटों का उत्पादन मैसर्स हैनरी विलियम्स इंडिया (१९३१) लि० ने शुरू किया। इसका काम बाद में मैसर्स गैस्ट, कीन, विलियम्स लि० ने संभाल लिया है।

क्षमता तथा उत्पादन

इस उद्योग की स्थापित उत्पादन क्षमता का १९५३ में आकूलन किया गया था। उस समय इसकी क्षमता ३३,३५६ टन माल तैयार करने की थी। तब से अभी तक क्षमता का आकूलन नहीं किया गया है। अब तो यह उद्योग काफी प्रगति कर चुका है।

इस उद्योग के उत्पादन के आंकड़े ठीक से बता सकना कठिन है, लेकिन यह सुगमता से कहा जा सकता है कि यह उद्योग अपने पैरों पर अच्छी तरह खड़ा हो गया है और किसी भी मांग को पूरा कर सकता है।

सभी प्रतिमानित किस्मों के शुद्ध माप वाले चमकीले और गैल्वनाइज्ड बोल्ट, और ढिबरियां एवं काले नरम इस्पात के बोल्ट तथा ढिबरियां देश में बनायी जाती हैं जो गाड़ियों, रेलवे लाइन, छतों, नीवों आदि में प्रयोग की जाती हैं। हाई टैन्साइल बोल्ट भी जो विशेष रूप से मोटर गाड़ियों तथा इससे सम्बन्धित उद्योगों में काम आते हैं, भारत में बनाये जाते हैं। इसी प्रकार सभी प्रतिमानित किस्मों के रिपट भी भारत में बनते हैं, जिनमें बायलर में प्रयोग होने वाले रिपट तथा हाई टैन्साइल रिपट भी शामिल हैं। ये सभी चीजें या तो ब्रिटिश प्रतिमान के अनुसार बनती हैं या भारतीय प्रतिमान के अनुसार।

कच्चा माल तथा निर्यात

इस उद्योग को लौह खंडों से छड़ें, सलाखें और तार बनवाने होते हैं। ये लौह खंड इस्पात उद्योग से मिलते हैं। जहां तक मैसर्स गैस्ट कीन विलियम्स का सम्बन्ध है, लौह खंडों से माल बनाने की सभी प्रक्रियाएं उनके अपने संयंत्रों में ही की जाती हैं।

इस उद्योग ने पड़ौस के देशों में अपने लिए निर्यात बाजार बना लिया है। चूंकि भारत के माल की किस्म उतनी ही अच्छी होती है, जितनी विदेशी माल की; इसलिए इनका निर्यात बढ़ने की काफी गुंजाइश है बशर्ते कि इनके लिए इस्पात काफी परिमाण में उपलब्ध होता रहे।

निर्यात बढ़ाने में कठिनाइयां

बोल्ट, ढिबरियों तथा रिपटों का निर्यात बढ़ाने में सबसे गंभीर बाधा जहाजरानी की सुविधाओं का अभाव तथा जहाजी भाड़ा अधिक होना है। पता चला है कि बहुत सा माल लदान के लिए बन्दरगाहों पर पड़ा हुआ है। निर्यात के बहुत से सौदे इसीलिए रद्द किये जा रहे हैं क्योंकि निर्यातक समय पर माल नहीं पहुँचा पाते हैं। कच्चे माल की कमी की वजह से भी निर्यात बाजार तेजी से नहीं बढ़ रहा है।

निर्माताओं के नाम तथा पते

बोल्ट तथा ढिबरियों के निर्माता

प० बंगाल

१. गैस्ट, कीन, विलियम्स प्रा० लि०,
४१, चौरंगी रोड,
कलकत्ता-१६।

२. नेशनल आयरन एंड स्टील कं० लि,
५१, स्टीफन हाउस,
कलकत्ता।

३. श्री विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज,
१६२, क्रोस स्ट्रीट,
कलकत्ता।

४. श्री कृष्णा प्रा० लि०,
२०, मैंगो लेन,
कलकत्ता-१।

५. बंगाल इण्डस्ट्रीज,
१३२, काटन स्ट्रीट,
कलकत्ता-७।

६. गुडमैन एंड क० (इंडिया) लि०,
३८, नेताजी सुभाष रोड,
कलकत्ता।

७. हावरा इंजीनियरिंग वर्क्स,
१३, रानी रासमणि रोड,
कलकत्ता-१३

८. हावड़ा ट्रेडिंग कं० प्रा० लि०,
१४४-१४५, जुगेन्द्रनाथ मुखर्जी रोड,
हावड़ा।

९. इंडियन स्टील एण्ड वायर प्रोडक्ट्स,
७, वैलेजली प्लेस,
कलकत्ता।

१०. लक्ष्मी ट्रेडिंग कं०,
१६२, क्रास स्ट्रीट,
कलकत्ता-७।

११. दि मनसुखलाल एण्ड कं०,
३४, नेताजी सुभाष रोड,
कलकत्ता-१।

१२. इंडियन स्टील एन्ड वायर प्रोडक्ट्स लि०,
इन्द्रनगर, टाटानगर।

१३. प्रीमियर स्टोर्स सप्लाई कं० लि०,
८, रायल एक्सचेन्ज प्लेस,
कलकत्ता-१।

१४. रूपा बोल्ट एन्ड नट कं०,
४६/ए, नेताजी सुभाष रोड,
कलकत्ता-१।

१५. ओरिएन्टल इंजीनियरिंग कं०,
१३-१४, दारेश मुल्ला लेन,
सिहपुर, हावड़ा।

१६. असोशियेटड मैशीनरी कं०, लि०,
८, रायल एक्सचेन्ज प्लेस,
कलकत्ता-१।

१७. डी० एन० सिंह एन्ड कं०,
२१, सीतानाथ बोस लेन,
हावड़ा।

पंजाब :

१. अमीचन्द प्यारेलाल,
टांडा रोड,
जलन्धर शहर।

२. खेमचन्द राजकुमार,
टांडा रोड,
जलन्धर शहर।

३. युनीवर्सल स्क्रू फैक्टरी,
छहरटा,
अमृतसर।

बंबई :

१. बंबई इंजीनियरिंग एन्ड मैटल वर्क्स लि०,
३३/४४ माजागाव,
बंबई-१०।

२. हिन्द टैंक मैन्यूफैक्चरिंग कं०,
मिमाल्क परशराम स्ट्रीट,
कूपर्स कंपाउन्ड,
छुटी कुँमारवाडा लेन,
बंबई-४।

दिल्ली :

वधवार एन्ड कं०
ग्राड ट्रंक रोड,
दिल्ली शाहदरा।

उत्तर प्रदेश :

अग्रवाल आयरन वर्क्स,
मोतीलाल नेहरू रोड,
आगरा।

रिपटों के निर्माता

प० बंगाल :

१. गैस्ट, कीन, विलियम्स प्रा० लि०,
४१, चौरंगी रोड,
कलकत्ता-१६ ।

२. हिन्द वायर इंडस्ट्रीज लि०,
पी-१६, कलाकार स्ट्रीट,
कलकत्ता ।

३. मिसलेनियस इंजीनियरिंग वर्क्स,
७१, नेताजी सुभाष रोड,
कलकत्ता ।

४. नेशनल आयरन एन्ड स्टील कं० लि०,
स्टीफन्स हाउस,
डलहौजी स्क्वेयर ईस्ट,
कलकत्ता-१ ।

५. श्री कृष्ण प्रायवेट लि०,
२०, मैन्गो लेन,
कलकत्ता-१ ।

६. इंडियन स्टील एण्ड वायर प्रोडक्ट्स लि०,
इन्द्रनगर, टाटानगर ।

७. जीवनलाल (१६२६) लि०,
३१, नेताजी सुभाष रोड,
कलकत्ता-१ ।

८. मार्टिन वर्न लि०,
१२, मिशन रो,
पो० बा० १६१, कलकत्ता-१ ।

मैसूर :

मीट्रो मैलियेवल मैन्यूफैक्चरर्स लि०,
सिलवर जुबली रोड,
बंगलौर-२ ।

बंबई :

१. बंबई इंजीनियरिंग एण्ड मैटल वर्क्स लि०,
४४, निस्बत रोड,
माजागांव, बंबई ।

२. जयन मैटल मैन्यू० कं०,
६२५/ए सयानी रोड,
पोस्ट बक्स नं० ७००६,
बंबई-२८ ।

३. लालू भाई अमीचंद लि०,
४८/५० कंसरा चाल,
पिडोनिक, बंबई-२ ।

४. रिचर्डसन एण्ड क्रूडस लि०,
बाइकुला आयरन वर्क्स,
परेल रोड, बंबई-२ ।

पंजाब :

१. खेमचंद राजकुमार,
टांडा रोड, जलंधर ।

२. यूनीवर्सल स्क्रू फैक्टरी,
जी० टी० रोड, छहरटा,
अमृतसर ।

३. के० बी० इंजीनियरिंग कं० लि०,
सुल्तान विंद रोड,
अमृतसर ।

४. अमीचन्द प्यारेलाल,
टांडा रोड,
जलंधर शहर ।

५. विक्टर इंडस्ट्रीज,
सुल्तान विन्द रोड,
अमृतसर ।

६. नेशनल इंडस्ट्रीज,
सुल्तान विन्द रोड,
अमृतसर ।

सेंट्रीफ्यूगल पम्प तथा हैंडपम्प

भारत में यह उद्योग लड़ाई से पहले ही चल रहा था और चार महत्वपूर्ण कारखाने—मैसर्स किरलोस्कर ब्रदर्स लि०, किरलोस्कर वाड़ी; मैसर्स ज्योति लि०, बड़ौदा; मैसर्स पी० ऐस० जी० एंड सन्स, कोयम्बतूर तथा माया इंजीनियरिंग वर्क्स, कलकत्ता—सेंट्रीफ्यूगल पम्प हैंड पम्प बनाते थे। द्वितीय महायुद्ध में तो इस उद्योग ने तेजी से उल्लेखनीय प्रगति की। लड़ाई छिड़ने से विदेशों से माल आना बन्द हो गया और वर्तमान कारखानों से ही देश की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कहा गया। युद्ध से जो प्रोत्साहन मिला, उससे बहुत से छोटे कारखानों को मैदान में आने का हौसला हुआ। बड़े-बड़े तथा पुराने कारखाने तो सरकारी आर्डरों का ही माल देते रहे और

छोटे कारखाने जनता की माग पूरी करने में लगे। लड़ाई के बाद के वर्षों में 'अधिक अन्न उपजाओ' आंदोलन से इस नये उद्योग को और भी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। पम्पों की खासकर सेण्ट्रीफ्यूगल पंपों की माग बहुत बढ़ गयी क्योंकि ये पंप बड़े परिमाण में लगातार पानी खींचने के लिए अधिक अच्छे रहते हैं।

उत्पादन क्षमता

रजिस्टर शुदा कारखानों की वर्तमान उत्पादन क्षमता ६७,४९२ पंप प्रतिवर्ष बनाने की है। इनके अलावा बहुत से गैर रजिस्टर कारखाने भी हैं। इन कारखानों का राज्यानुसार विवरण निम्नानुसार है:—

राज्य	कारखानों की संख्या	क्षमता (संख्या)
बम्बई	१०	३५,१६०
मद्रास	६	२६,७७२
प० बंगाल	४	२,७२०
मध्य प्रदेश	१	१००
दिल्ली	१	३००
उत्तर प्रदेश	२	२,४४०
योग	२७	६७,४९२

इससे प्रकट है कि यह उद्योग मुख्य रूप से बम्बई और मद्रास में केन्द्रित है।

ऊपर जिन २७ कारखानों की क्षमता दी गयी है, वे कारखाने गहरे कुओं में प्रयोग होने वाले टरबाइन पंप भी बनाते हैं। इनकी स्थिति नीचे दी जाती है :—

फर्म का नाम	स्थापित वार्षिक क्षमता (सं०)
ज्योति लि०, बड़ौदा	८००
हिन्दुस्तान इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, गाजियाबाद	१००
डेल्टा इंजीनियरिंग कं०, मेरठ	१५०
रस्टन एंड हॉर्न्सबी, बम्बई	२००
मैकनील एंड बैरी, कलकत्ता	७२०
योग	१९७०

उत्पादन

शक्तिचालित पंपों (सेण्ट्रीफ्यूगल) का वास्तविक उत्पादन पिछले चार वर्षों में निम्नानुसार रहा:—

वर्ष		उत्पादन (संख्या)
१९५३-५४		२८,०००
१९५४-५५		२६,५००
१९५५-५६ (१० मास)		
	अप्रैल-जनवरी	२६,४००
१९५६	फरवरी	३,६००
	मार्च	४,१००
	अप्रैल	३,७००
	मई	३,८००
	जून	४,०००
	जुलाई	३,५००

देश में सेण्ट्रीफ्यूगल, बोरहोल टरबाइन, डीपवेल, हैंड पंप तथा सर्विस पंप बनते हैं। भारत में बने पंपों की किस्म साधारण तौर पर संतोषजनक समझी जाती है।

आंतरिक मांग

१९५५-५६ में प्रयोग के लिए जितने पंप वास्तव में उपलब्ध थे, उनके हिसाब से देखें तो पंपों की वर्तमान माग ४०,००० पंप वार्षिक की है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि में सिंचाई कार्यक्रम की प्रगति होगी इसलिए १९६०-६१ तक सैन्ट्रीफ्यूगल शक्ति चालित पंपों की माग बढ़कर ८५,०००-८६,००० पंप की हो जाने की आशा है।

विकास का कार्यक्रम

विकास की निम्न योजनाओं के लिए या तो लाइसेंस दे दिये गये हैं अथवा लाइसेंस देने की सिफारिश की गयी है :—

फर्म का नाम	स्थान	अतिरिक्त नयी क्षमता प्रतिवर्ष (संख्या)
१. किरलोस्कर ब्रदर्स (विस्तार)	दक्षिण सतारा, बम्बई	६ से ३६ इंची तक के पम्प, २४०/३००
२. करमचन्द थापर एण्ड ब्रदर्स (नया कारखाना)	बराकर, बर्दवान, प० बंगाल	सैन्ट्रीफ्यूगल पम्प १८००
		मल्टी स्टेट पम्प ४८०
		राम टाइप पम्प १२०
		योग २,४००
३. मोदी ब्रदर्स (नया कारखाना)	उल्लास नगर, बम्बई	वेबीसेल्फ प्राइमिंग पम्प, कन्ट्रेक्टर पम्प, आग बुझाने के ट्रेलर पम्प तथा सबमर्सीबल पम्प २,१००
४. ब्रिटिश इलेक्ट्रीकल एण्ड पम्प, (विस्तार)	कलकत्ता	सैन्ट्रीफ्यूगल तथा सैन्ट्री पीटल पम्प। २,४००

इन योजनाओं पर अमल हो जाने के बाद, इस उद्योग की क्षमता १६६०-६१ तक बढ़कर लगभग ८६,००० पम्प तैयार करने की हो जाएगी।

कच्चा माल

पम्प तैयार करने के लिए जिन कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, उन्हें दो प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है :—(१) लौह पदार्थ जिसमें कच्चा लोहा (इससे बेस प्लेट और पम्प बौडी बनती है) तथा शाफ्ट और चाभी बनाने के काम आने वाला नरम इस्पात भी शामिल है।

(२) अलौह पदार्थ जिनमें मुख्यतः गन मैटल मुख्य है, इससे इम्पैलर और बुशिंग का निर्माण होता है। ये सभी कच्चे माल देशी साधनों से ही उपलब्ध हैं। बाल बेयरिंग, बोल्ट और ढिबरियां, स्ट्रेनर, पैकिंग ग्लैण्डस आदि कुछ पुर्जों की भी आवश्यकता होती है।

अगर हम यह मान लें कि एक पम्प में २ हंडरवेट कच्चा लोहा, हौरीजोन्टल पम्प के लिए १५ पौण्ड इस्पात (०.७ टन वर्टीकल स्पिन्डल पम्प के लिए) तथा ६ पौंड गन मैटल प्रयोग होता है, तो ८६,००० पम्प बनाने के लक्ष्य (८४,००० हौरीजोन्टल तथा २००० वर्टीकल स्पिंडल पंप) के अनुसार उत्पादन करने के लिये निम्न कच्चे माल की आवश्यकता होगी :—

कच्चा लोहा	८,६०० टन
इस्पात	२,००० टन
गनमैटल	२५० टन
बालबेयरिंग	१,७२,००० संख्या

निर्यात

सैन्ट्रीफ्यूगल पम्पों के निर्यात पर कोई पाबन्दी नहीं है। फिर भी यह उद्योग किसी खास सीमा तक निर्यात नहीं बढ़ पाया है शायद इसका कारण यह है कि हाल में देश में ही इनकी मांग बहुत बढ़ गयी है। भारत के वैदेशिक व्यापार में इनके निर्यात के आंकड़े अलग से दर्ज नहीं किये जाते।

निर्यात बढ़ाने में कठिनाइयां

चूंकि पम्पों का नियमित रूप से निर्यात करने की कोशिश ही नहीं की गयी, इसलिए निर्यात बढ़ाने में कठिनाइयां पैदा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन देशी पम्प उद्योग को उन विदेशों के माल से कड़ी प्रतियोगिता करनी पड़ेगी जिनमें यह उद्योग काफी बरसों पहले जम चुका हो।

निर्माताओं के नाम

भारत में पम्प बनाने वाली फर्मों के नाम नीचे दिये जाते हैं :—

सैन्ट्रीफ्यूगल पम्प

बम्बई :

१. मैसर्स कूपर इंजीनियरिंग लि०, सतारा रोड, द० सतारा जिला।
२. ,, ईस्ट एशियाटिक कं० (इंडिया) लि०, श्री निवल हाउस, २७, ए वैंडल रोड, फोर्ट, बम्बई-१।
३. ,, फोर एण्ड ब्लोअर कं०, नरौदा रोड, अहमदाबाद।
४. ,, गुजरात आयरन वर्क्स, धीकान्ता रोड, अहमदाबाद।
५. ,, हिन्दुस्तान फाउन्ड्री लि०, उद्योग नगर,निकट किंग्स सर्किल रेल स्टेशन बम्बई।
६. ,, ज्योति लि०, बड़ौदा।
७. ,, किरलोस्कर ब्रदर्स लि०, किरलोस्कर वाडी, द० सतारा जिला।
८. ,, मौडर्न इंजीनियरिंग एण्ड मौल्डिंग कं०, शाहपुर मिल्स कम्पाउन्ड, अहमदाबाद।
९. ,, ओंकार आयरन एण्ड ब्रास फाउंड्री, चार रास्ता, दरियापुर, अहमदाबाद।
१०. ,, पैको इंजीनियरिंग लि०, लक्ष्मीपुरी, कोल्हापुर।
११. ,, रस्टन एण्ड हार्न्सबी (भारत) लि०, ६१, सेमेरी रोड, दादर, बम्बई-२८।
१२. ,, श्री राम मिल्स फर्गूसन रोड, परेल, बम्बई।
१३. ,, यूनाइटड इंडिया इंजीनियरिंग कं०, ७२, ओल्ड कस्टम्स हाउस रोड, फोर्ट बम्बई-१।

१४. „ डाइनाक्राफ्ट मशीन कं० लि०,
इसराइल बिल्डिंग,
दादाभाई नौरोजी रोड,
बम्बई।

१५. „ ईस्ट एशियाटिक कं० (आई) लि०,
वैवल हाउस, ग्राहम रोड,
बेलार्ड एस्टेट,
बम्बई।

१६. „ गारलिक्स एण्ड क० लि०,
हेन्स रोड, जैकब सर्किल,
बम्बई-२।

१७. „ न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कं०,
फैरल रोड,
बम्बई।

१८. „ शिवजी वर्क्स लि०,
डा० जीकेकर वाडी,
शोल्हापुर जिला।

मद्रास :

१. „ अर्गेस इंजीनियरिंग कं० लि०,
पीलामेडू, कोयम्बतूर।

२. „ दण्ड युत पाणि फाउंड्री लि०,
पापनायकनपालयम्,
कोयम्बतूर।

३. „ ईस्टर्न इलैक्ट्रीकल कं०,
सिंगनालूर पो०,
कोयम्बतूर।

४. „ फार्म ईक्विपमेंट्स लि०,
डा० गणपति,
कोयम्बतूर।

५. „ मरकान फाउंड्री,
गांधीपुरम्, कोयम्बतूर।

६. „ पी० एस० जी० एण्ड सन्स,
चैरिटी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट,
पीलामेडू, कोयम्बतूर।

७. मैसर्स रामू फाउन्ड्री,
अवनाशी रोड,
पापानायकनपालयम्,
कोयम्बतूर।

८. „ सुवैया फाउन्ड्री,
अवनाशी रोड,
पानायकन पालयम्,
कोयम्बतूर।

९. „ विजय फाउन्ड्री,
अवनाशी रोड,
पापनायकनपालयम्,
कोयम्बतूर।

१०. „ जनरल इंजीनियरिंग कं०,
रंगनाथ पुरम्,
कोयम्बतूर।

११. „ कुट्टी एण्ड राव (इंजीनियर्स) लि०,
१/६५, ब्रोड वे,
मद्रास-१।

प० बंगाल

१. „ असोशियेटड इलैक्ट्रिक इंडस्ट्रीज
मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०,
६, मिशन रो, कलकत्ता।

२. „ बंगाल आयरन वर्क्स लि०,
१६/२ चटर्जी पारा लेन,
हावड़ा।

३. „ ब्रिटिश इंडिया इलैक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन कं० लि०
२१, नेताजी सुभाष रोड,
कलकत्ता।

४. „ इलैक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन एण्ड
इक्विपमैन्ट कं० लि०,
३५, चितरंजन एवेन्यू,
कलकत्ता।

५. „ महेन्द्र हारलैंण्ड इंजनियरिंग कं० लि०,
हाल एण्ड एण्डरसन बिल्डिंग,
पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता।

६. „ माया इंजीनियरिंग वर्क्स,
३६-ए, रूसा रोड,
कलकत्ता।

७. „ हावड़ा ट्रेडिंग कं० लि०,
८, डलहौजी स्क्वेयर ईस्ट,
कलकत्ता-१।

८. ,, इंडियन जनरल नैवीगेशन एण्ड
रेलवे कं० लि०,
४, फेयरली प्लेस,
कलकत्ता।

मध्य प्रदेश ,, सैन्ट्रल प्रोविन्सिज इंडस्ट्रीज लि०,
खंडवा।

दिल्ली ,, राज इलैक्ट्रिकल वर्क्स लि०,
५, दरियागंज, दिल्ली।

पंजाब ,, रविवर्मा स्टील वर्क्स,
सदर बाजार,
अम्बाला कैन्ट।

केरल ,, कुमार इंडस्ट्रीज,
इडायारा, द० मलाबार।

बोर होल, टरबाइन डीप वैल पंप

१. ,, जोन्सटन पंप्स (इंडिया) लि०,
२, फेयरली प्लेस,
कलकत्ता।

२. ,, ज्योति लि०, बड़ौदा।

३. ,, कुट्टी एण्ड राव (इंजीनियर्स) लि०,
१/६५, ब्रोडवे, मद्रास-१।

४. ,, बर्न एण्ड कं० लि०,
१२, मिशन रो,
कलकत्ता।

सीवेज पम्प

,, ज्योति लि०, बड़ौदा।

हैंड पम्प

१. मैसर्स एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज,
जी० टी० रोड, बटाला।

२. ,, बंगाल आयरन वर्क्स,
१६/२ चटर्जी पाडा लेन,
हावड़ा।

३. ,, भारत आयरन एंड स्टील कारपोरेशन,
१२, गोपाल घोष लेन,
सलकिया, हावड़ा।

४. ,, हावड़ा ट्रेडिंग कं० लि०,
८, डलहौजी स्क्वेयर ईस्ट,
कलकत्ता।

५. ,, इण्डिया मशीनरी कं० लि०,
२६, स्ट्रैंड रोड,
कलकत्ता।

६. ,, किरलोस्कर ब्रदर्स लि०,
किरलोस्कर वाड़ी,
दक्षिण सतारा जिला।

७. ,, न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कं० लि०,
कारेल रोड, बम्बई-१३।

८. ,, बनारसी शाह चरनसिंह,
रुड़की।

९. ,, मैसी इंजीनियर्स,
पो० बा० ६०, रोयापुरम्, मद्रास।

१०. ,, पी० ऐस० जी० एण्ड सन्स,
चैरिटी इंडस्ट्रियल इंस्टीस्यूट,
पीला मेडु, कोयम्बतूर।

११. ,, रवीवर्मा स्टील वर्क्स,
अम्बाला कैंट।

१२. ,, दि रिलाइन्स इंजीनियरिंग वर्क्स,
२३३, वेलंलियस रोड, हावड़ा।

१३. ,, विजय फाउंड्री,
पापनायकनपालयम्, कोयम्बतूर।

१४. ,, माया इंजीनिरिंग वर्क्स,
३६-ए, रुसा रोड, कलकत्ता।

१५. ,, कुमार इण्डस्ट्रीज,
ईडायारा, द० मलाबार।

१६. ,, किरलोस्कर ब्रदर्स लि०,
किरलोस्कर वाड़ी,
दक्षिण सतारा जिला।

मकान निर्माण में काम आने वाला लोहे का सामान

मकान बनाने में काम आने वाला, लोहे का सामान बनाने का उद्योग भारत में अपेक्षाकृत नया उद्योग है। इस उद्योग का विकास तथा प्रगति मुख्य रूप से द्वितीय महायुद्ध में हुई जबकि विदेशों से माल का आना कठिन हो गया। यह उद्योग अब भली प्रकार जम गया है और मकान बनाने के काम आने वाले लोहे के सामान तथा फिटिंगों में देश लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। और यह बात हमारे लिए बड़े गर्व की है।

क्षमता तथा उत्पादन

इन वस्तुओं का निर्माण इस समय करीब ५४ कारखाने करते हैं। इन कारखानों की कुल क्षमता ४,८८८ टन के आसपास है। विश्वास है कि यह उद्योग देश की समूची आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। इस उद्योग के वास्तविक कुल उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस्पाती कब्जों का कुल उत्पादन २६ लाख दर्जन है जबकि देश की माग २५ लाख दर्जन की है।

यह उद्योग कब्जे, कुंडे, कुंडिया, पैडलोक, पैड बोल्ट, टावर बोल्ट आदि चीजें तैयार करता है।

दरवाजे की चटखनिया, बट कब्जे, टी और स्ट्रेप कब्जे, हत्थे, गेट और शटर हुक भारतीय प्रतिमान स० २०४-२०८, पैडलोक भारतीय प्रतिमान स० २७५, पैडलाक के लिए स्लाइडिंग डोर बोल्ट भारतीय प्रतिमान स० २८१, पार्लियामैन्ट कब्जे, कुंडे, कुंडिया और पैनलाई बैच मा० प्र० स० ३६२-३६४, दरवाजे के स्प्रिंग तथा डबल एक्टिंग स्प्रिंग कब्जे मा० प्र० स० ४५२-४५३ के अनुसार बनाये जाते हैं।

कच्चा माल

इस उद्योग के विस्तार तथा विकास में बाधक होने वाली मुख्य बात यह है कि उसके लिए आवश्यक मुख्य कच्चे माल अर्थात् इस्पाती चादरें, चादरों के टुकड़े, तथा सलाखें पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पातीं। डेवलपमेंट विंग इस उद्योग को इस्पात अलाट करता है जो इसकी कुल स्थापित क्षमता की ६०-६५ प्रतिशत आवश्यकताओं के लिए भी मुश्किल से ही पूरा होता है। इस्पाती चादरों के टुकड़ों (शीट कटिंग्स) की उपलब्धि में भी इस उद्योग को बड़ी कठिनाई पड़ती है क्योंकि उन्हें टाटा कारखाने से माल सीधा नहीं मिलता है इसलिए उन्हें या तो निर्धारित भावों पर माल बेचने वाले स्टाकिस्टों पर या रजिस्टर्ड विक्रेताओं पर निर्भर रहना होता है। पहले तो इस उद्योग को वैगन भर कर कारखाने से ही मिल जाता था, अब अकारण ही उत्पादकों को स्टाक होल्डरों का मुहताज बना दिया गया है। कच्चे माल के दाम भी बढ़ गये हैं, इस प्रकार निर्माताओं की प्रतियोगिता करने की क्षमता घट गयी है।

निर्यात की कठिनाइयां

इस उद्योग में इतनी अतिरिक्त क्षमता है कि यह देश की आवश्यकताओं से कहीं अधिक उत्पादन कर सकता है लेकिन कच्चे माल की कमी की वजह से यह अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाता।

दूसरे, इस्पात के दाम एवं अन्य आवश्यक कच्चे मालों के भाव चढ़ने और मजदूरी बढ़ जाने से देशी निर्माता अपने भाव उतने कम करने की स्थिति में नहीं हैं जितने कि कम भाव विदेशी माल के हैं।

निर्माताओं के नाम

प० बंगाल :

१. मैसर्स एरिम टिन एण्ड स्टील वर्क्स,
२५८-४ अपर सर्कुलर रोड,
कलकत्ता ६।

२. „ गोविन्द शीट मैटल वर्क्स एण्ड फाउन्ड्री,
२१०, हरीसन रोड,
कलकत्ता।

३. „ हावड़ा ट्रेडिंग कं०,
१४४-४५, जोगेन्द्रनाथ मुखर्जी रोड,
हावड़ा।

४. „ लीपजिग कैमीकल एण्ड
इंजीनियरिंग वर्क्स लि०,
३८, नेता जी सुभाष रोड,
कलकत्ता।

५. „ एम० सी० मौजी एण्ड कं०,
४६, एजरा स्ट्रीट,
कलकत्ता।

६. „ ओरियन्टल इन्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग कं०लि०,
पी० १६, कलाकार स्ट्रीट,
कलकत्ता।

७. „ पुरुषोत्तम राम जी एण्ड सन्स लि०,
१२, राजा वुडमंट स्ट्रीट, कलकत्ता।

८. मैसर्स शंकर इंडस्ट्रीज,
१६२, क्रास स्ट्रीट, कलकत्ता।

९. ,, श्री गोपाल आयरन वर्क्स,
३८।ए, कालीघाट रोड,
कलकत्ता।

१०. ,, श्री कृष्णा लि०,
२०, मैंगो लेन, कलकत्ता।

११. ,, दि नेशनल इंजीनियरिंग वर्क्स,
८२, चेतला रोड,
डा० टोली गंज, कलकत्ता।

१२. ,, बंगाल इंडस्ट्रियल वर्क्स,
२२, केनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता।

बम्बई :

१. ,, एकमी मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०,
कंस्ट्रक्शन हाउस,
वेलार्ड एस्टेट, फोर्ट बम्बई।

२. ,, वोलिनकर मैटल वर्क्स लि०,
पेटिट कम्पाउण्ड, नानाचौक,
ग्रांट रोड, बम्बई।

३. ,, गारलिक्स एण्ड कं० लि०,
हैन्स रोड, जैकब सर्किल,
बम्बई-११।

४. ,, गोदरेज एंड बौयस मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०,
लाल बाग, परेल, बम्बई।

५. ,, हिन्द टैंक मैन्यूफैक्चरिंग कं०,
त्र्यंबक परशराम स्ट्रीट
कोत्पर कम्पाउंड,
६, कुंभार वाडा लेन, बम्बई।

६. ,, इंडियन हार्डवेयर इंडस्ट्रीज लि०,
१५/ए, एल्फिन्स्टन सर्किल,
फोर्ट बम्बई-१।

७. ,, जयन्त मैटल मैन्यूफैक्चरिंग कं०,
६२४/ए, सयानी रोड,
पो० बा० ७००६, बम्बई-२८।

८. ,, जीवराव करसन एण्ड ब्रदर्स,
माउंट रोड, माजागांव,
बम्बई।

९. ,, रिचर्डसन एंड क्रूडस लि०,
वाई कुल्ला आयरन वर्क्स,
परेल रोड, बम्बई।

१०. ,, संबवी आयरन एण्ड स्टील वर्क्स,
कुंभारवाडा, ४थी गली,
बम्बई।

दिल्ली :

१. ,, मदन इंजीनियरिंग टूल प्रोडक्ट्स,
५७, जी० बी० रोड,
दिल्ली।

२. ,, न्यू इंडिया इंजीनियरिंग वर्क्स,
रोशनारा रोड, सब्जी मण्डी,
दिल्ली।

३. ,, गुप्ता आयरन एण्ड ब्रास वर्क्स,
दिल्ली-शाहदरा।

४. ,, इंडियन हार्डवेयर इण्डस्ट्रीज लि०,
५८, क्वीन्सवे,
नयी दिल्ली।

पंजाब :

१. ,, एलाइड इंजीनियरिंग वर्क्स,
मण्डी रोड, जलन्धर शहर।

२. ,, चोपड़ा मैटल वर्क्स,
ओल्ड रेलवे रोड, जलन्धर।

३. ,, खेमचन्द राजकुमार,
टांडा रोड, जलन्धर।

४. ,, पुर स्वदेशी मैन्यूफैक्चरिंग वर्क्स,
ओल्ड रेलवे रोड,
जलन्धर।

५. ,, नर्दर्न इंडिया स्टील वर्क्स लि०,
वर्का, अमृतसर।

उत्तर प्रदेश :

१. ,, दि माडर्न ट्रेडिंग एण्ड इंजीनियरिंग कं०,
२४, महात्मा गांधी मार्ग,
लखनऊ।

२. ,, दि नदर्न इण्डिया आयरन प्रेस वर्क्स,
इण्डस्ट्रियल एरिया,
एशबाग, लखनऊ।

ढले लोहे के कढ़ाव

ढले लोहे के कढ़ाव बनाने के ढलाई घरों की संख्या के हिसाब से देखें तो देश में इनके उत्पादन की पर्याप्त क्षमता मौजूद है। हालांकि इनके वर्तमान उत्पादन का ठीक-ठीक आकलन नहीं किया जा सकता है तथापि इसमें कोई शक नहीं कि इसका उत्पादन काफी बढ़ाया जा सकता है क्योंकि इनमें से अधिकांश ढलाई घर इस समय कच्चे लोहे की कमी की वजह से पूरी क्षमता के साथ उत्पादन नहीं कर पाते हैं। निर्माताओं की कच्चे लोहे की कुल मांग अनुमानतः ६ लाख टन है जबकि वास्तव में इन्हें २ लाख टन ही उत्पादन के लिए मिल पाता है। ढलाई घरों के मालिकों को दूसरी गंभीर परेशानी पत्थर का कोयला लगातार न मिलने की है। अगर ये दोनों कठिनाइयां दूर हो जाएं तो देश के ढलाई घर आज की अपेक्षा कहीं अधिक उत्पादन कर सकते हैं।

निर्यात योग्य माल

अगर इस देशी उद्योग को पर्याप्त परिमाण में कच्चा लोहा मिल सके तो यह अपना निर्यात व्यापार बढ़ा सकता है। अभी तो इसका निर्यात शुरू ही हुआ है। ये कढ़ाव द० पूर्वी एशिया, लंका, मारीशस तथा पूर्वी अफ्रीका के देशों को निर्यात होते थे। लेकिन अब इनका निर्यात लगातार कम हो रहा है क्योंकि जहाजों में जगह नहीं मिल पाती और उद्योग को कोयला और कच्चा लोहा भी नहीं मिल पाता।

निर्माताओं के नाम

कढ़ावों के निर्माताओं के नाम नीचे दिये जाते हैं :—

१. मैसर्स अग्रवाल हार्डवेयर वर्क्स लि०,
१६७, चितरंजन एवेन्यू,
कलकत्ता।

२. „ अच्छा आयरन फाउंड्री,
१७१, ग्रांड ट्रंक रोड,
सलकिया, हावड़ा।

३. „ बागड़ी आयरन एण्ड स्टील कं०,
४२/१, शिवटोला स्ट्रीट,
कलकत्ता।

४. „ ईस्ट इंडिया मैटल कं० लि०,
४-ए, दुर्गाचरन चटर्जी लेन,
कलकत्ता।

५. „ हनूमान इंजीनियरिंग वर्क्स लि०,
१३, सैयद सैली लेन,
कलकत्ता-७।

६. „ नेशनल कारिंटग कं०,
८, डलहौजी स्क्वेयर ईस्ट,
कलकत्ता।

७. „ प्रीमियर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स लि०,
नटवर पाल रोड, उत्तरी बेन्ना, हावड़ा।

८. „ आर० एम० चटर्जी एण्ड संस प्रा० लि०,
४६, सीतानाथ बोस लेन,
सलकिया, हावड़ा।

९. „ श्री कृष्ण प्रायवेट लि०,
२०, मैंगोलेन, कलकत्ता।

१० „ ठाकुरदास सुरेका आयरन फाउंड्री लि०,
१७२, जोगेन्द्र नाथ मुकर्जी रोड,
सलकिया, हावड़ा।

११. „ विक्टरी आयरन वर्क्स लि०,
४८, कैनिंग स्ट्रीट,
कलकत्ता।

१२. „ विजय इंजीनियरिंग कं० लि०,
६६/१, देवनाथ जी रोड,
बाली, हावड़ा।

अलूमीनियम के बर्तन

इस उद्योग की स्थापना की दिशा में पहला प्रयास मद्रास में १९१२ में भूतपूर्व इंडियन अलूमीनियम कं० लि० ने किया था। समय बीतने के साथ-साथ बहुत से अन्य निर्माता भी मैदान में आये, लेकिन सभी निर्माताओं में सिर्फ मैसर्स जीवन लाल एण्ड कं० ही इतनी बड़ी फर्म है कि उसके कारखाने भारत के सभी महत्वपूर्ण भागों में और रंगून तथा अदन में हैं। इसका पहला कारखाना कलकत्ते में १९१८ में स्थापित हुआ था।

१९१४ की लड़ाई के बाद, भारतीय बाजार में विदेशों से प्रतियोगिता बढ़ गयी और बहुत सी फर्में समाप्त हो गयीं। फर्म मैसर्स जीवन लाल एण्ड कं० बहुत सी अन्य कंपनियों की तुलना में अधिक अच्छी तरह विदेशी फर्मों से प्रतियोगिता में टिक सकी। यह फर्म एक कनाडियन फर्म के साथ विलीन हो गयी और जीवन लाल (१९२९) लि० के नाम से काम करने लगी। इस फर्म ने इंडियन अलूमीनियम कं० मद्रास को भी खरीद लिया।

स्थापित क्षमता और उत्पादन

अलूमीनियम के बर्तन जैसे उद्योग की उत्पादन क्षमता तथा उत्पादन के आंकड़े आदि दे सकने कठिन हैं। अलूमीनियम जितने परिमाण में उपलब्ध है, उसी से यह पता चल सकता है कि उत्पादन कितना होता है। अनुमान है कि देश में जितना अलूमीनियम उपलब्ध है, उसके ७५ प्रतिशत भाग के बर्तन बनते हैं। इस समय अलूमीनियम के बर्तन बनाने में १५,००० टन धातु प्रयोग की जाती है। अगर अलूमीनियम की धातु के दाम गिर जाएं तो उत्पादन बढ़कर २०,००० टन वार्षिक हो जाएगा। इस समय ३१॥ प्रतिशत सीमा शुल्क लगे होने से अलूमीनियम के दाम बहुत ऊंचे हैं।

क्या-क्या माल बनता है।

यह उद्योग घरेलू उपयोग के बर्तन, वस्तुएं रखने के पात्र, डेरी के के काम के उपकरण, अस्पतालों में काम आने वाला सामान, बिजली का सामान जैसे लैम्प शेड, सोलर कुकर, रेल के डिब्बों की छत पर बने टैंक, चाय, काफी और रबड़ के बगीचों में काम आने वाला सामान, थंडरबोल्ट टैंक आदि बनाता है।

अलूमीनियम ढालकर तथा पीटकर बनाये जाने वाले बर्तन भारतीय प्रतिमान शाला के प्रतिमान २० : १९५३ और २१ : १९५३ के अनुरूप बने होते हैं।

कच्चे माल की स्थिति

अलूमीनियम बढ़िया किस्म की बौक्साइड से बनता है। २५ करोड़ टन बौक्साइट के भंडार होने का अनुमान है। बौक्साइट से तैयार अलूमीनियम सिर्फ घरेलू काम आने वाले बर्तनों के निर्माण में प्रयोग होता है। जहां तक निर्यात किये जाने वाले सामान का सम्बन्ध है, विदेशों से आयातित अलूमीनियम से इनका निर्माण अधिक सस्ता पड़ता है।

निर्यात बढ़ने में कठिनाइयां

पश्चिमी एशिया, और सुदूर पूर्व के देशों तथा लंका को अलूमीनियम के बर्तनों का निर्यात काफी बड़े पैमाने पर भारत से होने लगा था। लेकिन अब इनके निर्यात में निम्न कारणों से कमी होने लगी है :—

(१) समुद्री भाड़ा अधिक होना—जो कि नाप के आधार पर लिया जाता है।

(२) बौंडड कारखानों में कस्टम अधिकारी रखने का बहुत बड़ा खर्च होना और कस्टम की प्रक्रिया बड़ी कठिन होना।

(३) आयात शुल्क लौटाने में कठिनाइयां आना।

(४) सीमावर्ती देशों जैसे तिब्बत, बरमा और पाकिस्तान को स्थल मार्ग से बिक्री करने पर रोक लगी होना। तिब्बत में भारतीय अलूमीनियम के बर्तनों की बहुत खपत होती थी।

(५) विदेशों से टूटा फूटा अलूमीनियम तो निश्शुल्क आना तथा आयातित अलूमीनियम पिंडों पर उच्च शुल्क लगाना शुद्ध धातु के अलूमीनियम बर्तनों के निर्माण में बाधक सिद्ध होता है।

(६) पड़ौस के देशों में प्रचार बहुत ही थोड़ा होना तथा गवेषणा की सुविधाओं में कमी होना।

निर्माता फर्मों के नाम

बम्बई :

१. मैसर्स जीवनलाल (१९२९) लि०,
लिबर्टी बिल्डिंग,
मैरीन लाइन, बम्बई।

२. ,, लालू भाई अमीचन्द (प्रा०) लि०,
२२५-२२७, तारदेव रोड,
पो० बा० ४०७५, बम्बई।

३. ,, देवी दयाल स्टेनलैस स्टील इंडस्ट्रीज प्रा० लि०,
गुप्ता मिल्स एस्टेट, रीद रोड,
दारूखाना, बम्बई-४।

४. ,, डी० ईश्वरलाल एण्ड कं०,
३६२, विट्ठल भाई पटेल रोड,
बम्बई ।

५. ,, बम्बई ब्रास एण्ड मेटल वर्क्स,
पंजरापोल, सेकेंड स्ट्रीट,
बम्बई-४ ।

६. ,, ईस्टर्न अलूमीनियम वर्क्स,
६०, बापू खोटा क्रास लेन,
किल्का स्ट्रीट, बम्बई ।

७. ,, काडीवली मैटल वर्क्स,
द्वारा मैसर्स रात्रवाल एण्ड कं०,
धोबी वाडी, ठाकुरद्वार,
बम्बई ।

८. ,, पेटेन्ट टिफिन कैरियर संघवी कं०,
११०, शिवाजी नगर,
पूना ५ ।

९. ,, शाह देवीचन्द एण्ड कं०,
निकट गुरुदत्त मन्दिर,
ठाकुरद्वार रोड, बम्बई ।

१०. ,, ओरिएन्टल मैटल प्रेसिंग वर्क्स प्रा० लि०,
१३१, वरली, बम्बई-१८ ।

११. ,, पीताम्बर दास लालू भाई एण्ड कं०,
८६, पंसारा चौल,
कालवा देवी रोड, बम्बई-२ ।

१२. ,, धीरज मैटल वर्क्स,
पो० बा० सं० १०, राजकोट ।

पंजाब :

१. ,, अग्रवाल मैटल वर्क्स प्रा० लि०,
भज्जर रोड, रिवाड़ी (पंजाब) ।

२. ,, बल्लीसिंह भगवानसिंह,
बाजार कसेरा,
अमृतसर (पंजाब) ।

मद्रास :

१. मैसर्स जीवनलाल (१९२९) लि०,
१२७, मिन्ट स्ट्रीट, मद्रास-१ ।

२. ,, मैसूर प्रीमियर मैटल फैक्टरी,
१२४, मिन्ट स्ट्रीट, मद्रास-१।

३. ,, मदुरा मैटल प्रोडक्ट्स प्रा० लि०,
१४-बी, ब्रिज स्टेशन रोड,
सेलूर, तल्लाकुलम, मदुराई ।

४. ,, हिन्दुस्तान मैटल रिफाइनरी एण्ड
रौलिंग मिल्स,
१२४, मिंट स्ट्रीट, मद्रास-१ ।

बंगाल :

१. ,, जीवनलाल (१९२९) लि०,
३१, नेताजी सुभाष रोड,
कलकत्ता-१ ।

२. ,, अलूमीनियम मैन्यूफैक्चरिंग कं० प्रा० लि०,
२, जेसोरी रोड, डमडम,
२४ परगना, कलकत्ता-२८ ।

छाते की तानें

द्वितीय महायुद्ध से पहले छाते की तानें बनाने का उद्योग भारत में नहीं था और देश की आवश्यकता का सारा माल विदेशों से आयात किया जाता था। अधिकांश माल जर्मनी, जापान और ब्रिटेन से आता था जिसका मूल्य १९३८-३९ में १५ लाख रु० और १९४१-४२ में ८ लाख रु० था।

उत्पादन क्षमता और उत्पादन

५ निर्माताओं की अधिकृत उत्पादन क्षमता ७,७०,४०० दर्जन सेट बनाने की है। १९५६ में चार निर्माताओं का उत्पादन ५,४६,०५० दर्जन सेट और १९५७ में ५ निर्माताओं का उत्पादन ५, २१, १०८ दर्जन सेटों का था।

देश में ठोस, फ्लैक्सस तथा फ्लूटेड किस्म की तानें आमतौर पर बनायी जाती हैं।

कच्चे माल की स्थिति

तानें बनाने के लिए निम्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है:—

(१) हार्डण्ड तथा टैंपर्ड तार	२.३ मिलीमीटर
(२) ,, ,,	२.२×१ मिलीमीटर
(३) ,, ,, वायर प्रोफाइल	२.७५×२.६ मिलीमीटर
(४) स्क्वेयर वायर	२.५ मिलीमीटर स्क्वेयर
(५) पत्तियां	१६×०.५ मिलीमीटर
	१६×०.४ मिलीमीटर
	६×०.४ मिलीमीटर
	११×०.५ ,,

ये सभी चीजें आयात की जाती हैं और आयात प्रतिबन्धों के कारण माल की उपलब्धि की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

निर्यात की सम्भावनाएं

१९५६ और १९५७ में क्रमशः ६१,५०० रु० तथा ८५,५०० रु० की तानें निर्यात की गयीं। भारत से यह निर्यात बरमा, ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका तथा ओमन को होता है। विदेशों में फ्लैक्सस किस्म की तानों की मांग नहीं लेकिन अन्य किस्मों की तानों की मांग बहुत ही धीरे-बढ़ रही है क्योंकि उनके दाम बहुत अधिक हैं।

निर्यात बढ़ने में कठिनाइयां

निर्यात बढ़ाने में आने वाली मुख्य कठिनाइयां हैं निर्यात के लिए तानों का काफी परिमाण में निर्माण न होना। तानें बनाने के काम आने वाले कच्चे माल के आयात पर प्रतिबन्ध लगे होने के कारण इनका उत्पादन बढ़ा पाना संभव नहीं है।

दूसरे, भारत में बनी तानों का मूल्य अधिक होने से इनका निर्यात बढ़ने नहीं पाता है।

निर्माताओं के नाम

१. मैसर्स चैम्पियन इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा० लि०, घोडबन्दर रोड, गोर गांव, बंबई।

२. ,, इंडियन रिंग्स प्रोडक्ट्स कं०, पोद्दरपुर, तारटोला रोड, कलकत्ता-२३।

३. ,, लिलुआ इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, १६, ब्रिटिश इंडियन स्ट्रीट, कलकत्ता-१।

४. ,, महावीर मैटल मैन्यूफैक्चरिंग कं०, फालना, राजस्थान।

५. ,, प्रेसीडेंसी इंजीनियरिंग वर्क्स, २१, नरकल बागान लेन (गारपार), कलकत्ता-९।

रेगमाल उद्योग

रेगमालों का बहुत से उद्योगों में बड़े व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इन्हें घिसने, पालिस करने और सान धरने के काम में लाया जाता है। ये रेगमाल कागज, कपड़े आदि पर बालू, कांच के चूरे आदि की परत जमा कर तैयार किये जाते हैं। इंजीनियरिंग, मोटर गाड़ी और चमड़ा उद्योगों में तथा रेलवे और फरनीचर के कारखानों में इनका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है।

भारत में रेगमाल तैयार करने का सबसे पहला प्रयत्न १९३६ में सहारनपुर की स्ट्राबोर्ड मेन्यू० कं० ने किया। इसके बाद १९३७ में कृष्णलाल थिरानी एण्ड कं० ने कलकत्ता में इन्हें बनाने का यत्न किया परन्तु उत्पादन १९३८ से पहले नहीं हो सका। १९३९ में एजेक्स प्रोडक्ट्स मदरास ने इनका उत्पादन किया और १९४१ में नेशनल सेण्ड पेपर मिल्स ने रावल पिण्डी में अपना कारखाना खोला। देश का विभाजन होने के बाद यह कारखाना उठकर गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में आ गया है। द्वितीय महायुद्ध में विदेशों से रेगमाल का आना बन्द हो जाने पर देश में इनके उद्योग ने बहुत उन्नति की।

उत्पादन क्षमता

इस समय भारत में चार कारखाने घर्षक रेगमाल तैयार करते हैं इनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता ८ घण्टे प्रतिदिन के आधार पर ३०० दिन काम करके अनुमानतः १,५०,००० रीम रेगमाल तैयार करने की है। परन्तु पिछले कुछ वर्षों में वास्तविक उत्पादन इस प्रकार हुआ :

वर्ष	उत्पादन (रीम)
१९५३-५४	५९,९००
१९५४-५५	७२,७००
१९५५-५६ (दस महीने अप्रैल से जनवरी)	६७,७००
१९५६ फरवरी	८,०००
मार्च	९,५००
अप्रैल	८,६००
मई	५,२००
जून	५,२००
जुलाई	७,५००

रेगमालों की किस्में

अनेक किस्मों के रेगमाल तैयार किये जा रहे हैं। इनमें रेत, कांच अथवा (Flint) चढ़े कागज और कपड़े, गारनेट (Garnet) कागज और कपड़े, अलूमीनियम ओक्साइड कागज, कपड़ा और दोनों मिले जुले, सिलिकन कारबाइड कागज, पानी में भी गीला न होने वाला रेगमाल भी शामिल है। इनमें से सेण्ड पेपर तथा एमरी कपड़ा कम परिमाण में होता है।

आंतरिक मांग

सभी प्रकार के रेगमालों की १९५४ में भारत में ८०,००० रीम की माग थी और १९५५ में ८८,००० रीमों की। इंजीनियरी उद्योगों के विस्तार के कारण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रेगमालों की माग काफी बढ़ जाने की आशा है। अगर यह मान लें कि रेगमालों की माग १० प्रतिशत वार्षिक बढ़ेगी तो १९६०-६१ तक इनकी माग १,५०,००० रीम हो जाने का अनुमान है।

विकास कार्यक्रम

निम्न विकास कार्यक्रमों पर अमल किया जा रहा है :—

(१) कारबोरेन्डम यूनीवर्सल नामक कंपनी अपने कारखाने में बैलेन्सिंग उपकरण तथा सुखाने के उपकरण लगा रही है। इनकी स्थापना के बाद, कारखाने की क्षमता बढ़कर ७५,००० रीम की हो जाएगी।

(२) हिन्दुस्तान एब्रेसिव्स, सेलम जिला, मद्रास, रेगमाल बनाने के लिए एक आधुनिक कारखाना स्थापित कर रहा है। अतिरिक्त बैलेन्सिंग उपकरण अभी इसमें और लगाये जाएंगे। इनके लग जाने पर इसकी उत्पादन क्षमता एक पाली के आधार पर ६०,००० रीम की हो जाएगी।

ऊपर बतायी गयी इन योजनाओं पर अमल हो जाने पर इस उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़कर २,५५,००० रीम हो जाएगी। यह क्षमता १९६०-६१ तक होने वाली अनुमित माग १,५०,००० रीम के लिए पर्याप्त होगी।

कच्चा माल

रेगमाल बनाने के लिये आवश्यक कच्चे मालों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है :—

(१) प्राकृतिक घर्षक खनिज जैसे क्वार्ज, गारनेट, कोरन्डम तथा एमरी।

(२) कृत्रिम घर्षक खनिज जैसे सिलिकन (कारबोरेन्डम) और अलूमीनियम आक्साइड कण।

(३) रेगमालों में पीछे लगने वाले पदार्थ जैसे क्राफ्ट कागज, कपड़ा और वल्केनाइज्ड फाइबर, और

(४) चिपकाने वाले पदार्थ जैसे चमड़ा सरेस, टैक्नीकल गेलेटाइन और कृत्रिम राले।

इनमें से सिलिकन कारबाइड और अलूमीनियम ऑक्साइड कण, क्राफ्ट कागज और वल्केनाइज्ड फाइबर सं० रा० अमेरिका, स्वीडन और ब्रिटेन से आयात किये जाते हैं। जहां तक एमरी का सम्बन्ध है, अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति सिवराय ब्रोक्साइट प्रोडक्ट्स, सेलम करती है। फिर भी जो कमी रह जाती है, उसे पूरा करने के लिये अल्प परिमाण में आयात करना होता है। शेष सभी कच्चे माल भारत में ही उपलब्ध हैं।

निर्यात

इस उद्योग का माल पड़ौसी देशों जैसे बरमा, लंका, स्याम तथा मलाया को निर्यात होने लगा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में रेगमाल उद्योग का कितना विकास करने की योजना है, यह नीचे की सारणी में संक्षेप में दिया गया है :—

	१९५५-५६	१९६०-६१
	रीम	रीम
स्थापित क्षमता	१,५०,०००	२,५५,०००
उत्पादन	८५,०००	१,५०,०००
आंतरिक माग	८५,०००	१,५०,०००

ऊपर के आंकड़ों से पता चलता है कि यह उद्योग देश के उपयोग के लिये पर्याप्त परिमाण में रेगमाल तैयार करता है। अगर विदेशी बाजार ढूंढे जाएं तो यह उद्योग पूर्ण क्षमता के अनुसार उत्पादन करके निर्यात कर सकता है।

निर्यात बढ़ाने में कठिनाइयां

रेगमालों का नगण्य परिमाण में सिर्फ बरमा को ही निर्यात होता था। लेकिन बरमा ने चैकोस्लोवाकिया से वस्तु विनिमय करार कर लिया है, और चैकोस्लोवाकिया का माल सस्ता है, इसलिये उस बाजार में भारतीय रेगमाल के पांव बहुत ही धीरे धीरे जम पा रहे हैं।

निर्माताओं के नाम

१. मैसर्स कारबोरेन्डम यूनीवर्सल लि०,
स्वास्तिक हाउस,
१०६, आर्मीनियन स्ट्रीट, मद्रास-१।

२. ,, कृष्णलाल थिरानी एण्ड कं० लि०,
८, रायल एक्सचेन्ज प्लेस,
कलकत्ता-१।

३. ,, नेशनल सैण्ड पेपर मिल्स इंडिया लि०,
ग्राट ट्रंक रोड, गाजियाबाद।

४. ,, स्टैन्डर्ड बोर्ड मैन्यूफैक्चरिंग कं०,
सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।

पेच बनाने का उद्योग

यद्यपि १९३२ में ही मैसर्स देवीदास जेठा नन्द ने कराची में लकड़ी के पेच बनाने का एक कारखाना चालू करने का यत्न किया था तथापि इन पेचों के निर्माण में पहली सफलता द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में ही प्राप्त हुई जबकि छेहर्टा (अमृतसर) में १९४१ में यूनिवर्सल स्क्रू फैक्टरी की स्थापना हुई। इसके बाद के कुछ वर्षों में कुछ अन्य कारखाने स्थापित हो गये। १९४६ में जब इस उद्योग को संरक्षण प्रदान किया गया तो देश में लकड़ी का पेच बनाने वाले ११ कारखाने थे और अब समस्त देश में बिखरे हुए ऐसे छोटे-बड़े कारखानों की संख्या लगभग ५७ है। इनमें सबसे बड़ा कारखाना बम्बई में मैसर्स गेस्ट, कीन, विलियम्स लि० का है जो १९५३ में स्थापित हुआ और जिसकी अधिकृत उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष ३० लाख ग्रोस उच्चकोटि के पेच बनाने की है।

क्षमता और उत्पादन

नीचे की सारणियों में लकड़ी तथा मशीनी पेच बनाने वाले क्रमशः १९ तथा ६ कारखानों की १९५४ से स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन दिखाया गया है :—

	लकड़ के पेच	मशीनी पेच
स्थापित क्षमता	५३२.६ (हजार ग्रुस)	८९५.२ (हजार ग्रुस)
उत्पादन (१९५६-७ महीने)	४१४७.३ ,,	७९८.० ,,

बनाये गये पेचों की किस्में निम्न प्रकार थीं:—

लकड़ी के पेच

१. काउंटर संक हैड गिमलेट नोकदार।
२. काउंटर संक हैड स्क्रू लेथ नोकदार।
३. गैल्वनाइज्ड कोन हैड रूफिंग वुड स्क्रू।
४. गैल्वनाइज्ड कोन हैड कटर वुड स्क्रू।
५. गैल्वनाइज्ड मशरूम हैड कटर वुड स्क्रू।
६. लार्ज हैड कौफिन स्क्रू।
७. स्क्वेयर हैड कौफिन स्क्रू।
८. डोवल स्क्रू।
९. लेइंग इन स्क्रू।

मशीनी पेच

१. काउंटर संक हैड।
२. गोल सिरवाले।
३. रेज्ड अथवा इंस्ट्रूमेंट हैड।
४. चीज हैड।
५. फिलिस्टर हैड
६. मशरूम हैड।
७. बाइंडिंग हैड।
८. हैक्सागोन हैड।

कच्चा माल

इस उद्योग के लिए आवश्यक मुख्य कच्चा माल एच०, बी० स्टील तार है और इस कच्चे माल को मुख्य रूप से देने वाली फर्म इंडियन स्टील एण्ड वायर प्रोडक्ट्स लि०, इन्द्रनगर है। इस उद्योग की सारी आवश्यकताएं पूरी करने की क्षमता तो इस फर्म के पास है बशर्ते इसके लिए आवश्यक प्रतिमान के बिलेट मिलते रह सकें जोकि अभी तक बराबर नहीं मिल पाते हैं। सही प्रकार के बिलेट प्राप्त करने की कोशिशें की जा रही हैं। इनके सफल होने के बाद ही यह आशा की जा सकती है कि पेच बनाने के उद्योग की कठिनाइयां दूर हो सकेंगी। मै० गैस्ट कीन विलियम्स नामक फर्म नया रौलिंग मिल तथा तार बनाने का संयंत्र स्थापित कर रही है जो पेच बनाने के लिए तार की सारी आवश्यकताएं पूरी कर सकती है। इसके लिए बिलेट या ब्लूम मुख्य इस्पात उत्पादकों से प्राप्त किये जाएंगे। इसके अलावा चूड़ियां काटने की डाइयां, औजारी इस्पात, स्लिटिंग सौ, टंगस्टन कार-बाइड वायर ड्रौइंग डाइज मिल स्टोर्स, हैडिंग डाइज आदि की भी आवश्यकता होती है।

निर्यात

अगर इस उद्योग को इतना कच्चा माल मिल सके कि यह दो शिफ्टें चला सके तो यह देश की सारी आवश्यकताएं पूरी करके निर्यात बाजार भी खोज सकता है।

निर्माताओं के नाम

निम्न निर्माता पेच तैयार करते हैं :—

लकड़ी के पेच

प० बंगाल :
१. मैसर्स बंगाल स्क्रू मैन्यू० क० लि०, २, बलाइव रो, कलकत्ता-१।
२. ,, एम० मनसुख लाल एण्ड कं०, ३४, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-१।
३. ,, सविता इंडस्ट्रीज, लि०, ल्योन्स रेंज, कलकत्ता-१।

४. ,, स्टील एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लि०,
टैंपल चैंबर्स,
८, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट,
कलकत्ता।

५. ,, हिन्द वायर इंडस्ट्रीज लि०,
एकफोर्ड रोड, मुकेहर,
२४, परगना, कलकत्ता।

पंजाब :

१. ,, यूनीवर्सल स्क्रू फैक्टरी,
छेहरटा, अमृतसर।

२. ,, विक्टर इंडस्ट्रीज,
सुल्तान विंड रोड,
अमृतसर।

३. ,, जगतजीत इंजीनियरिंग वर्क्स,
(रेल स्टेशन के सामने)
कपूरथला पैप्सू।

४. ,, नेशनल इंडस्ट्रीज,
अमृतसर।

५. ,, नर्दर्न इण्डिया स्टील वर्क्स लि०,
वरका, अमृतसर।

६. ,, के० बी० इंजीनियरिंग कं०, लि०,
सुल्तान विंड रोड,
अमृतसर।

बम्बई :

१. ,, एस० एस० मिरान्डा लि०,
रोज काटेज लेन,
माउण्ट रोड, माझा गाव,
बम्बई।

२. मैसर्स पंजाब मेटल वर्क्स,
२४, लक्ष्मी बिल्डिंग,
सर फिरोजशाह मेहता रोड,
बम्बई।

३. ,, सौराष्ट्र इंडस्ट्रियल कं०,
बीडी कोर्ट रोड,
जामनगर।

४. ,, दि गुड स्क्रू लि०,
बेचारदास मिल्स आफिस कम्पाउन्ड,
रेखार्ड, अहमदाबाद।

५. ,, के० टी० इंडस्ट्रीज लि०,
भड़ौच स्ट्रीट,
दाना बंदर बम्बई ९।

६. ,, गैस्ट, कीन, विलियम्स प्रा० लि०,
दास चेम्बर्स दलाल स्ट्रीट,
फोर्ट, बम्बई।

दिल्ली

१. ,, बधवार एण्ड कं०,
जी० टी० रोड,
दिल्ली, शाहदरा।

२. ,, स्टैन्डर्ड स्क्रू फैक्टरी,
५२९९, तुर्कमान गेट, दिल्ली।

३. ,, हिन्द वायर एण्ड मैटल वर्क्स,
बिड़ला लाइन्स, सब्जी मंडी दिल्ली।

उत्तर प्रदेश

१ ,, पायोनियर स्क्रू फैक्टरी,
ओल्ड हाइड्रेशन प्लाट,
शाल्फ गंज, लखनऊ।

मद्रास

१. ,, गौरी हाउस मैटल वर्क्स,
राजपालयम् (द० रेलवे)।

२. ,, मदुरा साउथ इंडियन कारपोरेशन लि०,
गोविन्दप्पा नायक स्ट्रीट, मद्रास।

मशीनी पेच के निर्माता

दिल्ली

१. मैसर्स बधवार एण्ड कं०,
जी० टी० रोड,
दिल्ली-शाहदरा।

२. ,, हिन्द स्क्रू एण्ड मैटल वर्क्स,
'पालुस विला'
बिड़ला लाइन्स, सब्जी मंडी,
दिल्ली।

३. ,, जैकिशन दास,
आइवरी पैलेस,
जामा मस्जिद, दिल्ली।

पंजाब

१. ,, जगतजीत इंजीनियरिंग कं० लि०,
कपूरथला।

२. ,, के० बी० इंजीनियरिंग कं० लि०,
सुल्तान विंड रोड, जलन्धर सिटी।

३. ,, बंबई ब्रास एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स,
नकोदर रोड, जलन्धर।

४. „ फरीदकोट स्क्रू फैक्टरी,
फरीदकोट।

५. „ इंडियन इंजीनियर्स कारपोरेशन लि०,
छतीविन्द गेट,
कैनल ब्रिज, अमृतसर।

६. „ नेशनल इंजीनियर्स कारपोरेशन,
सुल्तानविंद रोड,
अमृतसर।

७. „ नेशनल इंडस्ट्रीज,
सुल्तान विंद, अमृतसर।

८. „ नर्दर्न इण्डिया, स्टील वर्क्स लि०,
वरका, अमृतसर।

९. „ टीटी इंडस्ट्रीज,
जी० टी० रोड, अमृतसर।

१०. „ यूनिवर्सल स्क्रू फैक्ट्री,
छहरटा, अमृतसर।

११. „ विक्टर इंडस्ट्रीज,
सुल्तान विंद रोड,
अमृतसर।

बम्बई १. „ गुजरात टैक्सटाइल कं०,
मानिक चौक, अहमदाबाद।

२. „ श्री जाम वाइर प्रोडक्ट्स कं० लि०,
पो० बा० ४८, बेडी फोर्ट,
जामनगर।

३. „ लालू भाई अमीचन्द लि०,
२२५/७ तारदेव रोड,
पो० बा० सं० ४०७५, बम्बई।

प० बंगाल १. „ गैस्ट, कीन, विलियम्स प्रा० लि०,
४१, चौरंगी रोड,
पो० बा० ६०६, कलकत्ता-१६।

२. „ गन एण्ड शैल फैक्टरी,
कोसीपुर, प० बंगाल।

३. „ हिन्द वाइर इंडस्ट्रीज लि०,
पी० १६, कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता।

४. „ नेशनल स्क्रू एण्ड वाइर प्रो० लि०,
स्टीफन हाउस,
४, डलहौजी स्क्वेयर ईस्ट,
कलकत्ता-१।

मध्य प्रदेश १. „ मैटल फोल्ड इंडस्ट्रीज,
ग्लास फैक्टरी रोड,
नागपुर।

काजू-जिससे हम डालर कमाते हैं।

काजू बहुत ही स्वादिष्ट मेवा है। सभी लोग इसे खाते हैं। हम इसे बेचकर विदेशों से रुपया भी कमाते हैं। लेकिन संभवतः अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि काजू भारतीय वनस्पति का पौधा नहीं है। सोलहवीं शताब्दी में इसे जमीन का कटाव रोकने के लिए ब्राजील से लाकर भारत में लगाया गया था। धीरे-धीरे यहां की जलवायु उसे माफिक बैठ गयी और तेजी से उसका विकास होता गया। आज, क्या किसान, क्या जमींदार और क्या सरकार सभी इसे पसन्द करते हैं। किसान को यह इसलिए प्रिय है कि कम उपजाऊ जमीन में भी यह उगता है, जमींदार को इसलिए कि बिना अधिक हाथ-पैर हिलाए ही यह पैदा हो जाता है और सरकार को इसलिए कि वह इसे बेचकर विदेशों से पैसा कमा लेती है। यहां तक कि खोमचे वाले भी इसे बेचना पसन्द करते हैं, क्योंकि इन्हें सिर पर भारी बोझ रखकर नहीं भटकना पड़ता। इस समय काजू पश्चिमी समुद्र तट पर कन्याकुमारी से बम्बई तक और पूर्वी समुद्र-तट पर बरहामपुर तक पैदा होता है। करीब-करीब हर तरह की जलवायु और जमीन में काजू का पौधा बढ़ता है। काजू की उपज सबसे ज्यादा केरल में होती है।

इतना सब होने पर भी हमें काजू बाहर से मंगाना पड़ता है। देश के १५० काजू-कारखाने हर साल १ लाख ७० हजार टन काजू फोड़ सकते हैं, लेकिन हम इतना जुटा नहीं पाते। विवश होकर हम ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका से काजू खरीदते हैं। वहां से भी हमें काजू इसलिए मिल पाता है कि वहां के मजदूरों को ठीक तरह से काजू फोड़ना नहीं आता। यहां की औरतें बड़ी कुशलता से काजू फोड़ती हैं। इस प्रकार विदेशों में हम जो इतना काजू खपा पाते हैं, उसका बहुत कुछ श्रेय हमारे देश की परिश्रमी महिलाओं को है।

बाहर से काजू मंगाने में, हालांकि हमें डालर का नुकसान नहीं होता, फिर भी हम सदा ही आयात नहीं कर सकते। दूसरे, आयात करने पर भी हम इतना काजू नहीं जुटा सकते, जिससे काजू फोड़ने के हमारे

बागानों पूरे साल चालू रह सकें। समस्या का एकमात्र हल यही है कि काजू का क्षेत्रफल बढ़ाया जाय और खेती के अच्छे तरीके अपनाकर पैदावार बढ़ायी जाय।

खेती के उन्नत तरीकों की खोज

अब तक काजू की खेती पर खास ध्यान नहीं दिया गया। जब इससे डालर की आय होने लगी तब इसे वैज्ञानिक ढंग से उगाने की ओर ध्यान गया। फलस्वरूप १९५५ में केरल सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने मिलकर मंगलौर के पास कोटेकर में केन्द्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र खोला। इस समय केरल में कोट्टरकारा में, आंध्र प्रदेश में बपताला में और बम्बई में रत्नगिरि में भी क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र चल रहे हैं। इन केन्द्रों में वैज्ञानिक ढंग से काजू पैदा करने के कई ढंग निकाले गये। मसलन तीन इंच गहराई में बीज डालने से पौधा जल्दी बढ़ता है पौधों के बीच कम से-कम २०-२० फुट का फासला होना चाहिए आदि,आदि। काजू के पौधे को कीट-व्याधियों और रोगों से बचाने के तरीके भी निकाले गए, जो काफी सफल रहे।

काजू की उपज में यह जरूरी नहीं है कि अच्छा बीज बोने से पौधा अच्छा ही बढ़े। पौधे की बढ़ोत्तरी बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि पौधे पर किन किन पौधों का पराग पड़ता है। कमजोर पौधे का पराग पड़ने पर अच्छा बीज होते हुए भी पौधे का ठीक विकास नहीं होता। इसलिए काजू के अच्छे पेड़ की टहनिया तोड़कर उन्हें नयी जगह लगाने का तरीका निकाला गया। दवाकलम की विधि से लगाने पर टहनी मूल पौधे से कटे बिना ही जड़ पकड़ लेती है। इस प्रकार नयी जड़ और पत्तियों से युक्त नया पौधा तैयार हो जाता है, जिसे दूसरी जगह लगाया जा सकता है। इस तरीके से कई पेड़ों पर साल में १०० पौंड तक काजू लगे हैं, जबकि आम तौर पर एक पेड़ पर १० पौंड से ज्यादा काजू नहीं होते। यह तरीका कुछ कठिन अवश्य है, किन्तु उपयोगी भी बहुत है।

जमीन का कटाव रोकने में प्रयोग

दूसरी आयोजना में काजू की पैदावार का क्षेत्रफल १ लाख ६० हजार एकड़ और बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके लिए केन्द्र राज्यों को १५० रु० प्रति एकड़ के हिसाब से कर्ज देता है। इस सहायता से अब तक ३० हजार और १ एकड़ में काजू की पैदावार होने लगी है। कुछ राज्यों ने जमीन का कटाव रोकने के लिए भी काजू पैदा करना शुरू किया है। काजू के पेड़ में शाखाएं जल्दी लगती हैं और पत्ते घने होते हैं। इसलिए हवा के साथ उड़कर आने वाले रेत को भी ये रोकते हैं। इसीलिए रेगिस्तानी क्षेत्र में रेल की पटरियों के साथ काजू के पेड़ लगाए जाते हैं, ताकि पटरियों पर रेत इकट्ठा न हो सके। आंध्र में बपताला के पास तीन साल से यह तरीका अपनाया जा रहा है। इससे रेल की लाइन ठीक रखने पर होने वाले खर्च में कमी आयी है।

अन्य उपयोग

काजू का उपयोग इतना ही नहीं है कि इससे स्वादिष्ट गिरिया निकलती हैं। इसके कड़े छिलके से तेल बनता है जो रोगन बनाने में तथा अन्य कई उद्योगों में काम आता है। केश्यू एपिल से भी आर्थिक लाभ उठाया जा सकता है। फिलहाल हर साल लगभग ५।। लाख टन केश्यूएपिल बरबाद जाता है। चरपरा होने के कारण खाने के तो यह काम नहीं आता। किन्तु मैसूर की केन्द्रीय खाद्य अनुसंधानशाला ने पता लगाया है कि इससे मुरब्बे और कई पेय बनाए जा सकते हैं।

इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि अगर काजू-उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाय तो इससे भारत को और भी अधिक आय हो सकती है।

इलाइची

इलाइची मुख्यतः केरल तथा मैसूर राज्यों में पैदा होती है। हालांकि इस वस्तु के वार्षिक उत्पादन के पक्के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु मसाला जांच समिति ने इलाइची का उत्पादन १४०० से १४५० टन तक होने का अनुमान लगाया है। इसमें से लगभग ८०० टन इलाइची केरल में और लगभग ५५० टन मैसूर राज्य में होती है। शेष उत्पादन मद्रास तथा बंबई राज्यों में होता है।

परन्तु इलाइची का निर्यात लंका तथा इंडोचीन से भी होता है। ये देश लगभग १००-१०० टन इलाइची विदेशों को भेजते हैं। इसलिए ये देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत से किसी विशेष हद तक प्रतियोगिता नहीं कर पाते हैं। मध्य अमेरिका का देश ग्वाटेमाला भी इलाइची का निर्यात करता है। यह देश सं० रा० अमेरिका को इलाइची दाना भेजता है। लेकिन उत्तम सुगंध वाली तथा तेल का अंश अधिक होने के कारण भारतीय इलाइची को अक्सर पसंद किया जाता है।

निर्यात

भारत के १४००-१४५० टन के कुल उत्पादन में से लगभग १००० टन इलाइची का निर्यात किया जाता है और शेष इलाइची देश में खपती है। इलाइची परंपरा से भारत से निर्यात होने वाली वस्तु है

और स्वीडन, सऊदी अरब, कुवैत, सं० रा० अमेरिका, ब्रिटेन आदि में इसका बाजार स्थिर सा ही है। इस वस्तु के व्यापार की दिशा में मुश्किल से ही कोई परिवर्तन हुआ है। पिछले तीन वर्षों में इसका निर्यात कितना हुआ यह नीचे की सारणी में दिया जाता है। लेकिन निर्यात उपार्जन दो सालों में १६२ लाख रु० से बढ़कर २२७ लाख रु० हो गया है।

इलाइची का निर्यात

परिमाण हंडरवेट में
मूल्य रु० में

देश	१९५४-५५		१९५५-५६		१९५६-५७	
	परि०	मूल्य	परि०	मूल्य	परि०	मूल्य
ब्रिटेन	१,१४६	११,८२,८१८	९११	९,२१,४२१	५९७	५,६१,७९४
स्वीडन	३,९८७	३५,६६,७७६	३,५७०	३७,८८,४६३	३,१३१	३३,६६,१९१
नारवे	६४३	५,८८,५५१	३७३	३,५३,८८५	२४०	२,४७,२९९
डेन्मार्क	३७६	२,८१,५३७	३४०	३,१८,४८३	४३९	४,४२,६३४
कुवैत	३,०६६	२७,६४,७८७	२,५६८	३०,७८,०३३	१,७९८	२०,३४,६०२
स० अरब	२,१९३	२०,७७,७१३	३,४४२	४१,०६,२३४	३,०१८	६४,८४,८२४
प० पाकिस्तान	७५७	२,२३,०१८	२३९	४६,९७३	३०८	९७,७७८
सं० रा० अमेरिका	४०७	३,५१,०७८	१,७६३	८,८५,८४८	४६३	५,४४,६७९
अन्य देश	६,३१९	५२,५०,६४७	७,९५८	८३,३५,६१२	९,४२२	३१,६६,९४३
योग	१८,८९४	१,६२,८६,९२५	२१,१६४	२,१८,३४,९५२	१९,४१६	२,२७,४९,७४४

किस्म

अनुमान है कि इलाइची के निर्यात में लगभग ८० प्रतिशत हरी इलाइची होती है और बाकी का भाग सफेद इलाइची, अन्य किस्म की इलाइची और इलाइची दाना होता है। इलाइची की कुछ किस्मों के वर्गीकरण को व्यापारियों से मान्यता प्राप्त है लेकिन मसाला जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वर्गों के नम्बर और उनके प्रतिमान अलग-अलग जगहों में अलग-अलग हैं। समिति ने सिफारिश की है कि तुलनात्मक भावों के लिये यह आवश्यक है कि विभिन्न किस्मों के प्रतिमानित वर्ग निर्धारित कर दिये जाएं। इससे प्रतिमानित किस्मों के आधार पर इलाइची का व्यापार बढ़े। कृषि मंत्रालय ने एगमार्क नियमों के अधीन इलाइची के विभिन्न वर्गों के प्रतिमान निर्धारित किये हैं। उसने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से कहा है कि वह इलाइची के निर्यात व्यापार में इन वर्ग प्रतिमानों को अनिवार्य रूप से लागू कर दे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का कहना है कि एगमार्क वर्गीकरण द्वारा अनिवार्य रूप से किस्म नियंत्रण सिर्फ नियंत्रण करने की इच्छा से ही लागू नहीं किया जाना चाहिये। यह वर्गीकरण तभी ठीक समझा जा सकता है, जब इससे निर्यात बढ़ने में मदद मिले लेकिन अगर इससे निर्यात तो न बढ़ा और सिर्फ सामान्य व्यापार में बाधा ही पड़ी तो इसे लागू करने से क्या लाभ? इस समय स्थिति यह है कि कृषि मंत्रालय से कहा गया है कि इलाइची के अनिवार्य वर्गीकरण की बात फिलहाल स्थगित ही रखी जाए और विदेशी मुद्रा सम्बन्धी मौजूदा कठिनाई जब कुछ हल हो जाए तब इस बारे में सारी स्थिति पर फिर से विचार हो।

निर्यात व्यापार

विरुदनगर व्यापार मंडल ने सुझाव दिया है कि काजू और काली मिर्च की भांति इलाइची के लिये भी निर्यात संवर्द्धन परिषद् स्थापित की जाए। किसी अन्य सिलसिले में सोंठ के लिए भी इसी प्रकार की परिषद् स्थापित करने के लिए कहा गया था लेकिन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का मत यह है कि ऐसी छोटी छोटी वस्तुओं के लिये अलग अलग परिषदें बनाना ठीक नहीं है। इलाइची जैसी वस्तु इस परिषद् का खर्च भी नहीं उठा सकती। ऐसी स्थिति में निर्यात संवर्द्धन सलाहकार समिति से कहा गया है कि इलाइची के निर्यातकों की सलाह से वह रचनात्मक कदम उठाने के सुझाव दे जिससे इसका निर्यात बढ़ सके।

हल्दी

हल्दी उष्ण कटिबन्ध में पैदा होने वाली वस्तु है। यह भारत, हिन्दचीन, पूर्वी द्वीप समूह तथा चीन के कुछ भागों में पैदा होती है।

भारत में हल्दी की पैदावार मुख्य तौर पर आंध्र और उड़ीसा राज्यों के पूर्वी तटों पर, मद्रास राज्य के तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जिलों में, पश्चिमी तट और बम्बई राज्य के कोल्हापुर तथा सांगली इलाकों में होती है। अनुमान है कि इसका वार्षिक उत्पादन १,२५,००० टन (२५ लाख हंडरवेट) है।

संसार के अन्य भागों में इसका कितना उत्पादन होता है और कितना व्यापार होता है, इसके बारे में बहुत ही थोड़ी जानकारी उपलब्ध है।

किस्में

हल्दी की ऐसी कोई किस्में नहीं हैं जो अपने आप पहचानी जा सकें, फिर भी जिन इलाकों में हल्दी पैदा होती है, उसके आधार पर व्यापारियों ने इसके कुछ नाम रख लिये हैं। व्यापारियों में हल्दी की किस्मों के दो नाम चलते हैं :—एक गठीली (बल्ब) और दूसरा लम्बी (फिंगर) उड़ीसा में पैदा होने वाली लगभग ७५ प्रतिशत हल्दी तथा मद्रास में होने वाली २० प्रतिशत हल्दी 'फिंगर' किस्म की होती है। शेष हल्दी बल्ब किस्म की होती है। फिंगर हल्दी अच्छी समझी जाती है इसलिए इसके अधिक दाम मिलते हैं।

खपत और प्रयोग

मसाला जांच समिति ने अनुमान लगाया है कि १९५१-५२ में देश में १,०६,००० टन हल्दी की खपत हुई जो कुल उत्पादन की ९२ प्रतिशत थी।

हल्दी का प्रयोग बहुत से कामों में होता है। इसमें पीला रंग होता है जिसे सूती, ऊनी और रेशमी कपड़ों को रंगने के काम में लाया जाता है। इस काम के लिए पुरानी हल्दी बहुत उपयोगी रहती है क्योंकि इसका रंग गहरा तथा पक्का होता है। रंग लेपों में भी इसका प्रयोग होता है। इसका मसाले के रूप में भी प्रयोग होता है। विदेशों में करी पाउडर की मांग बढ़ने से हल्दी की मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी।

निर्यात

भारत किसी भी देश से हल्दी का आयात नहीं करता। जैसा कि पहले बताया गया है कुल उत्पादन की दस प्रतिशत से भी कम हल्दी निर्यात की जाती है। १९५४ से १९५७ तक हल्दी का निर्यात निम्नानुसार हुआ :—

	परिमाण (हजार हंडरवेट में)	मूल्य (लाख रु० में)
१९५४	१३२	९९
१९५५	१४२	१२९
१९५६	२६६	१५१
१९५७ (जन० सि०)	१८०	५६

हमारी हल्दी के पुराने ग्राहक लंका, ईरान, अदन, सं० रा० अमेरिका तथा ब्रिटेन हैं। कनाडा इस समय हमारी हल्दी का बड़ा आयातक नहीं है। लड़ाई से पहले कनाडा का आयात मुश्किल से १९ टन (३८० हंडरवेट) था लेकिन अब वह बढ़कर ५ गुना (मोटे तौर पर १०० टन प्रतिवर्ष) हो गया है। प्रमुख आयातक देशों को हल्दी के निर्यात के आंकड़े निम्नानुसार हैं :—

परिमाण १००० हंडरवेट

मूल्य लाख रु० में

देश	१९५४		१९५५		१९५६		१९५७ (जन०-सि०)	
	परि०	मू०	परि०	मू०	परि०	मू०	परि०	मू०
अदन	७	५	११	९	१६	८	८	२
लंका	१४	१०	१२	१०	२४	१३	७	१
ईरान	१७	१५	१९	१६	५४	२६	२८	७
कुवैत	४	५	६	६	६	३	१	(क)
पाकिस्तान	२६	१७	१७	१६	५५	३०	३८	११
सिंगापुर	६	४	६	५	९	५	११	३
ब्रिटेन	७	४	८	६	१३	८	१०	३
सं० रा० अमेरिका	१२	११	१८	२१	१५	१४	११	५
अन्य देश	३९	२९	४५	४०	७४	४४	६६	२४
योग	१३२	९९	१४२	१२९	२६६	१५१	१८०	५६

बिक्री व्यवस्था

यूरोपीय देश फिंगर किस्मों की हल्दी पसन्द करते हैं जबकि बल्ब किस्मों की हल्दी पश्चिमी एशिया के देशों को भेजी जाती है। इन दो किस्मों के अलावा मिली-जुली किस्म की हल्दी भी होती है जो अधिकांश देश के अंदर ही प्रयोग की जाती है। इसके उत्पादक वर्गीकरण का कार्य नहीं करते। इनका काम तो इतना ही होता कि वे फिंगर और बल्ब किस्मों की हल्दी छांट लें। निर्यात के लिए हल्दी की छंटाई व्यापारी करते हैं। अच्छी हल्दी वही समझी जाती है, जो गहरे पीले रंग की हो, सख्त हो, कड़के और उसमें मुवास हो। हल्दी का निर्यात बोरों में होता है और हल्दी का बोरा १४० पौंड वाला होता है।

उद्योग की समस्याएं

(१) संसार के अन्य देशों में हल्दी का उत्पादन कितना है तथा कितना व्यापार होता है, इसकी ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है इसलिए हम, भारतीय हल्दी की प्रतियोगिता शक्ति तथा कमजोरी का ठीक-ठीक अंदाज नहीं लगा सकते।

(२) हल्दी की बिक्री तीन तरह से होती है :—उत्पादक सीधी बिक्री करते हैं, आढ़तिये बिक्री करते हैं तथा गांव के व्यापारी थोक व्यापारी के हाथ माल बेचते हैं। आमतौर पर व्यापार आढ़तियों के हाथ में है और उत्पादकों को मुश्किल से ५५ से ८० प्रतिशत तक दाम मिल पाते हैं। विदेशों को भेजी जाने वाली हल्दी के बारे में शिकायत आयी है कि वह घुनी होती है या उसमें सुंडियां होती हैं। इसलिए निर्यात होने वाले माल की उचित श्रेणियां निर्धारित करना आवश्यक होता है।

देश में बिकने वाली पिसी हल्दी की भांति विदेशी बाजारों को भी पिसी हल्दी भेजी जा सकती है। अगर हम इसका प्रचार करें तो विदेशों को इसका निर्यात बढ़ सकता है। इसके निर्यात का परिमाण बढ़ रहा है जबकि निर्यात मूल्यों में कमी आयी है।

सूचना:—प्रस्तुत लेख में जिन निर्माताओं तथा व्यापारियों के नाम हमें प्राप्त हो सके, केवल वही दे दिये गये हैं। जिनके नाम नहीं आ सके हैं, वे कृपया क्षमा करें। उन्हें हम फिर कभी देने का यत्न करेंगे। —सम्पादक

विदेशों में अपना माल कैसे बेचें ?

★ (ले० श्री व० रामकृष्ण राव, पब्लिकेशन्स ब्रांच, वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय)।

अगर कोई व्यापारी फर्म निर्यात बाजार में प्रवेश करना चाहे तो विदेशों में अपना माल बेचने से पहले उसे बहुत सी बातों पर गौर करना होगा। विदेशों से व्यापार करने का फैसला कर लेने पर, सफल निर्यातक बनने के लिये उसे बहुत सी समस्याएं सुलझानी होंगी।

मूल जानकारी जरूरी

भावी निर्यातक को जो सबसे पहला काम करना होगा, वह होगा विदेशी बाजारों के बारे में बुनियादी जानकारी हासिल करना। भारत सरकार ऐसे बहुत से पत्र, पुस्तकें आदि प्रकाशित करती है जिनमें व्यापार सम्बन्धी यह मूल जानकारी दी जाती है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा विदेशी व्यापार के आंकड़े प्रकाशित किये जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि भारत से किन किन वस्तुओं का किस-किस देश को कितना निर्यात होता है। यही मंत्रालय 'जर्नल आफ इंडस्ट्री एन्ड ट्रेड' नामक एक मासिक पत्र प्रकाशित करता है, जिसमें विदेशों के साथ भारत के व्यापार, आयात प्रतिबंधों तथा तटकरों में हुये परिवर्तन आदि के बारे में विशेष लेख दिये जाते हैं। पत्र के निर्यात सम्वर्द्धन स्तम्भ में बताया जाता है कि सरकार ने निर्यातकों को क्या-क्या सुविधाएं दे रखी हैं, आयात नीति में क्या-क्या परिवर्तन किये गये हैं और विदेशी सरकारों के द्वारा क्या क्या तटकर लगाये गये हैं। परिशिष्ट स्तम्भ में वे व्यापार करार अविकल रूप में प्रकाशित किये जाते हैं, जिन्हें भारत सरकार विदेशों से करती है। इस पत्र के साथ बहुत से परिशिष्ट भी प्रकाशित किये जाते हैं जिनमें विदेशी बाजारों के सर्वेक्षण होते हैं और उन बाजारों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्राप्त होती है। तीस से अधिक देशों में नियुक्त भारत सरकार के व्यापार प्रतिनिधि अपनी जो वार्षिक रिपोर्टें भेजते हैं, उनमें प्रत्येक देश के साथ होने वाले भारत के विदेशी व्यापार के बारे में विस्तृत विश्लेषण होता है। इन वार्षिक रिपोर्टों में भारतीय व्यापारियों के काम की बहुत सी बातें होती हैं और उनको बहुत से सुझाव दिये जाते हैं। इनमें बताया जाता है कि इन बाजारों में भारतीय माल को कितनी प्रतियोगिता करनी पड़ेगी, नयी चीजें खपने की वहां कितनी गुंजाइश है और भारतीय माल से प्रतियोगिता करने वाले माल के भाव आदि क्या हैं। प्रमुख व्यापारी देशों के आंकड़े तथा सं० रा० संघ द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से भी उपयोगी बातें ज्ञात होती हैं। इन सबके अलावा पूछताछ करने वाली फर्म वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन के महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल, कमर्शियल इन्टेलीजेन्स एन्ड स्टेटिस्टिक्स, कलकत्ता) से या उस देश में नियुक्त भारत सरकार के व्यापार प्रतिनिधि से सलाह ले सकती है, जिस देश से व्यापार करने की उसकी इच्छा है। वह उनको अपनी समस्याएं लिख कर भेज सकता है और थोड़े ही समय के अंदर उसे विशेषज्ञ की सलाह और आवश्यक जानकारी हासिल हो सकती है। यही नहीं, वह व्यापारी निर्यात तथा आयात के मुख्य नियंत्रक से बातचीत कर सकता है, जो उसे भारत से निर्यात करने से सम्बंधित सभी नियमादि बता सकेंगे। इस समय सरकार की नीति निर्यात को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, इसलिये चंद चीजों को छोड़कर बाकी की चीजों के निर्यात पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है; वे वस्तुएं किसी भी देश को कितनी ही मात्रा में निर्यात की जा सकती है। निर्यात नियंत्रण सम्बन्धी नियमों में जो भी परिवर्तन होते हैं, वे भारत सरकार के सूचनापत्र, जर्नल आफ इंडस्ट्री एन्ड ट्रेड और इंडियन ट्रेड जर्नल में प्रकाशित कर दिये जाते हैं।

इस प्रकार जब व्यापारी सब सम्बद्ध जानकारी हासिल कर लेगा तो उसे पता चल सकेगा कि (१) जो वस्तु वह निर्यात करना चाहता है उसे कौन-कौन से देश आयात करते हैं अथवा उसे वे किन-किन देशों से मगाते हैं, (२) उस वस्तु को आयात करने वाले देश, उसका अपने यहां निर्माण भी करते हैं या नहीं और अगर स्वयं निर्माण करते हैं तो आयात अस्थायी तौर पर कर रहे हैं या स्थायी तौर पर, (३) जो वस्तुएं वे बनाते हैं, उन्हें तटकरों द्वारा या कोटों द्वारा कोई संरक्षण

प्राप्त है या नहीं, और (४) उन देशों में आयात प्रतिबन्ध, विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियन्त्रण, जहाजरानी की व्यवस्था तथा अन्य खर्चे आदि क्या हैं?

अनथक प्रयास जरूरी

जब इतनी बुनियादी जानकारी उसके पास होगी, तो उस व्यापारी को यह निश्चय करना होगा कि वह निर्यात कर सकता है, या नहीं। निर्यात करने का निश्चय करते समय उसे यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि निर्यात बाजार बनाने के लिए अनथक प्रयास करना जरूरी होता है, जल्दी मुनाफा कमाने की आशा नहीं की जा सकती और विदेशी बाजार में जमने में समय लगता है। उसे विदेशी बाजार में प्रवेश करते समय यह भलीभांति तय कर लेना चाहिए कि मुझे वहां टिकना है। उसे अपने उत्पादन का एक भाग विदेशी बाजार के लिए अलग रख देना चाहिये और कभी-कभी तो यह तब भी करना चाहिए, जबकि इससे देश के अन्दर माल कम पड़ता हो। जिस समय देश में उद्योग चमक रहा हो, उस समय विदेशी बाजार खोजना अच्छा रहता है जिससे वह धन जमा कर सके और विदेशी बाजार खोजने में खर्च कर सके।

बाजार का चुनाव

उसका अगला कदम यह पता करना होगा कि वह अपना माल कौन से विदेशी बाजार में भेजे। इसके लिए उसे अपने माल के कुछ नमूने, मूल्यसूची, उसके बारे में विवरण देने वाला साहित्य प्रतिमान आदि भारत सरकार के उस देश में स्थित प्रतिनिधि के पास भेज देने चाहिए। सरकार का वह प्रतिनिधि बाजार का अध्ययन करेगा, उस माल की उस देश में बिकने वाले अन्य प्रतियोगी माल से तुलना करेगा और इसके बाद उस व्यापारी को सलाह देगा कि वह किस बाजार में अपना माल भेजे। वह प्रतिनिधि तटकर, आयात नियमनों, प्रतियोगिता आदि के बारे में भी जानकारी देगा। व्यापारी सम्बन्धित निर्यात सम्वर्द्धन परिषद् से भी सलाह मशविरा ले सकता है।

स्वयं बाजार का निरीक्षण करे

भावी निर्यातक को योजना बनाकर विदेशी बाजार में प्रवेश करना चाहिए। विदेशों में उसका एक एजेन्ट होना चाहिए जो उस के माल को बेचे। सबसे ठीक बात तो यह होगी कि वह व्यापारी स्वयं विदेश जाए और वहां का बाजार देखे। विदेश जाने से पहले व्यापारी उस देश में स्थित भारत सरकार के व्यापार प्रतिनिधि को सूचित कर दे जिससे वह अफसर आवश्यक व्यापारिक सम्बन्ध जोड़ने के लिए व्यवस्था कर देगा अर्थात् एजेण्ट और ग्राहकों से मुलाकात करा देगा। इसके साथ ही वह यह जानकारी भी देगा कि उसके माल को किस माल से प्रतियोगिता करनी होगी और उसके आंकड़े क्या हैं? स्वयं उस बाजार का भ्रमण करने से व्यापारी वहां के लोगों की रुचि तथा उनकी आवश्यकताएं जान सकता है और उसके अनुसार अपने माल में परिवर्तन कर सकता है। अपने निजी ज्ञान के आधार पर वह व्यापारी वहां एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है जो वहां उसका प्रतिनिधित्व करे और उसका माल बेचे। जो भी एजेण्ट नियुक्त किया जाए, उसे निर्यात बढ़ाने से सम्बन्धित सभी सामग्री जैसे माल के नमूने, सूचीपत्र, भाव, प्रतिमान आदि भेज दी जानी चाहिए। बिक्री करने के लिए काम आने वाले पैम्फलेटों तथा साहित्य का वहां की स्थानीय भाषा में अनुवाद होना चाहिए।

दूसरा तरीका

अगर व्यापारी स्वयं विदेशी बाजारों का भ्रमण नहीं कर सकता तो कुछ अन्य उपाय भी वह कर सकता है। पत्र-व्यवहार के द्वारा तथा भारत सरकार के व्यापार प्रतिनिधियों की सलाह से वह उन बाजारों में एजेन्ट नियुक्त कर सकता है। इसके अलावा वह भारत में ही एक निर्यात एजेन्ट या निर्यात व्यापारी की सेवाएं हासिल कर सकता है। लेकिन अगर व्यापारी स्वयं उस बाजार का दौरा करे तो बहुत ही अच्छा हो। इससे कई तरह की सहायता मिलती है। स्थानीय स्थितियों, रुचियों, तौर तरीकों, रीति रिवाजों तथा बाजार की आवश्यकताओं की जानकारी होने के साथ-साथ निर्यातक को यह भी पता चल जाएगा कि यहां बिक्री और उधार की शर्तें क्या-क्या हैं? कुछ बाजारों में, द्विपक्षीय सौदे (बार्टर ट्रांजैक्शन), स्विच डील, ट्रांजिट ट्रांजैक्शन्स' आदि शब्द प्रयोग में लाये जाते हैं और निर्यातक को इन शब्दों से परिचित होना चाहिए। उन देशों में बैंकों से खास कर भारतीय बैंकों की शाखाओं से सम्पर्क रखना भी सहायक होता है।

भाव कैसे बतायें

जहां तक संभव हो, व्यापारी अपने माल का वह भाव बतायें जो निर्यात बाजार के बन्दरगाह पर जाकर लागत, बीमा और भाड़ा सहित पड़े। अगर यह संभव न हो तो अपने देश से जहाज पर माल लदकर चलने का भाव बताया जाए और परिवहन का खर्च बताया जाए। भारतीय माल का भाव रुपयों में ही नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा जैसे डालर या पौंड में भी बताएं। भाव बताते समय वे ही पैमाने प्रयोग किये जाएं जिनसे विदेशी बाजार वाले परिचित हों। नाप के लिए गज और तोल के लिए पौंड का बाट प्रयोग किया जाए अथवा मीटर और किलोग्राम प्रयोग किया जाए।

निर्यात विज्ञापन

इसके बाद निर्यातक को विदेशी बाजार में भावी विक्रेता को अपने माल से परिचित कराना चाहिए। इसके लिए निर्यात बाजार में व्यापक

रूप से विज्ञापन कराना आवश्यक है। विदेशी बाजार में या तो निर्यातक स्वयं विज्ञापन कराये अथवा यह काम एक एजेन्सी की मार्फत कराये। अगर निर्यातक को स्वयं विज्ञापन कराना हो तो वह भारत सरकार के व्यापार प्रतिनिधि की सलाह से किसी साख वाली विज्ञापन एजेन्सी की सेवाएं प्राप्त करे।

आजकल निर्यात विषयक विज्ञापन बहुत ही विशेषज्ञता पूर्ण कार्य है इसलिए यह काम विशेषज्ञों के करने का ही है। विज्ञापन के लिए क्या तरीके अपनाये जाएं, इसका वहीं जाकर अध्ययन करना होता है और जिस देश में विज्ञापन करें उस देश की राजनीतिक, धार्मिक तथा भावनात्मक विशेषताओं का ख्याल रखना होता है। इसलिए उत्तम यही होता है कि विज्ञापन कार्य किसी विशेषज्ञ अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञापन ऐजेन्सी को सौंप दिया जाए। इस विज्ञापन का अधिकतम् लाभ हो, इसलिए निम्न बातें ध्यान में रखी जाएं:—विज्ञापन सही प्रकार के लोगों में किया जाए। इसके लिए यह जरूरी है कि सिर्फ उन्हीं पत्र-पत्रिकाओं को चुना जाए जो वहां के बाजार के उन लोगों में चलती हो जिनमें उसे अपना माल बेचना हो। विज्ञापन के द्वारा जो सदेश पहुँचाना हो, वह बहुत ही सीधा और सरल भाषा में तथा सर्वोत्तम ढंग से लिखा हुआ होना चाहिए। विज्ञापन का यह संदेश किस ढंग से लिखा जाए, यह उस बाजार पर आधारित होगा जिसमें कि वह विज्ञापन किया जा रहा है।

निर्यात विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य अपना माल बेचना होता है। यह विज्ञापन बार-बार करना होता है क्योंकि लोगों के दिमागों पर असर पड़ने में तथा उन्हें प्रतियोगी माल के मुकाबले, यह नया माल खरीदने के लिए राजी करने में समय लगता है। वहां के लोगों को इस बात के लिए प्रभावित करना आवश्यक होता है कि हम जो माल बेच रहे हैं, उसके कुछ खास फायदे हैं अर्थात् वह कुछ सस्ता है, अच्छा चलता है, किस्म अच्छी है, नयी किस्म की है अथवा उसमें कलात्मकता है। भारतीय निर्माताओं को यह याद रखना चाहिए कि विज्ञापन एक तरह से पूंजी लगाने के समान है जिसका उचित प्रयोग किया जाए तो अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। प्रचार के अन्य साधन हैं (१) वाणिज्यिक ब्राडकास्टिंग (२) फिल्म तथा (३) दृश्य प्रचार जिनका बखूबी प्रयोग किया जा सकता है।

उपयुक्त पैकिंग आवश्यक

निर्यात की जाने वाली चीजों का पैकिंग बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि चीजें ग्राहक के हाथ में अच्छी हालत में तथा वांछित शक्लों में पहुंचनी चाहिए। माल पैक करते समय निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए:—

(१) पैकिंग इतना सुरक्षापूर्ण हो कि रसायनिक प्रक्रियाओं से, मौसम के प्रभाव से, विपरीत स्थितिया होने तथा भण्डार किये जाने पर वस्तु खराब न हो।

(२) पैकिंग ऐसा हो जो मशीनों द्वारा उठाने-धरने या हटाने में भी चीज को खराब न होने दे। पैकिंग साफ सुथरा, आकर्षक तथा अच्छी डिजाइन वाला हो। निर्यातक को यह बात याद रखनी चाहिए कि माल बेचने में पैकिंग का अपना महत्व होता है।

हमेशा बढ़िया माल भेजें

भारतीय निर्यातकों को हमेशा उत्कृष्ट किस्म का माल निर्यात करना चाहिए जो विदेशी ग्राहक से तय हुए नमूने और प्रतिमान के अनुरूप हो। अगर भारत के बन्दरगाह पर माल लदते समय उसका निरीक्षण हो जाने की व्यवस्था है तो विदेशी ग्राहक में यह भावना होती है कि जो माल भेजा गया है, वह अच्छे किस्म का है। निर्यातक को चाहिए कि वह भारतीय प्रतिमान शाला द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप ही माल बनायें और प्रमाण चिन्हन योजना का लाभ उठायें।

निर्यातक को चाहिए कि वह अपने माल की अच्छी साख जमा लें। 'भारत में निर्मित' (मेड इन इंडिया) शब्द ही उत्कृष्ट किस्म का पर्याय बन जाए। किसी भी देश का ग्राहक हो, उसे यह भरोसा हो कि भारतीय माल खरीदकर वह अच्छा माल ही खरीद रहा है।

धातु-निर्मित वस्तुओं के निर्यात की सम्भावनाएं

★ श्री आर० के० सिंह, डिप्टी सेक्रेटरी, इन्जीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल, कलकत्ता ।

विगत कुछ वर्षों में भारत के धातु-उद्योग धंधों ने आश्चर्यजनक उन्नति की है। आज से लगभग ५० वर्ष पूर्व धातु-निर्मित वस्तुओं के कल कारखानों के नाम पर भारत में, तैयार माल की मरम्मत करने वाली कुछ छोटी मोटी दुकानें ही थीं।

युद्धकाल में इन छोटे मोटे धन्धों को उन्नति करने का अवसर मिला। समुद्री यातायात के साधन बहुत सीमित हो गये थे और फौज के लिए अनेक धातु-निर्मित वस्तुओं की जरूरत थी। अतः ऐसी वस्तुओं का उत्पादन जोर शोर से आरम्भ हुआ। किन्तु युद्ध की समाप्ति पर एक समस्या उपस्थित हो गयी। सरकार की ओर से माल बनाने के आर्डर मिलने एकदम बन्द हो गये। मगर युद्धकाल में लोगों ने पैसा कमाया था, उनकी जरूरतों की मांग बढ़ गई थी और रोज काम में आने वाली चीजें अप्राप्य थीं। शान्ति-काल में धातु-उद्योग को लड़ाई में काम आने वाला माल तैयार करने की बजाय अब जनता के काम आने वाली वस्तुओं का उत्पादन करने का अच्छा अवसर मिला। इस प्रकार यह परिवर्तन बिना किसी कठिनाई के ही हो गया।

स्वतन्त्र होने के बाद

फिर भारत स्वतन्त्र हुआ। स्वतन्त्र भारत में अनेकानेक साधनों को उपयोग में लाने की कामना बढ़ी। पुराने उद्योग-धन्धों को विकास का अवसर मिला और नये कल-कारखानों की नींव पड़ी। अब इन कारखानों में विविध धातु-वस्तुओं का सफलतापूर्वक उत्पादन हो रहा है। आज एक छोटी से छोटी आलपीन से लेकर बड़े से बड़े जहाज तक का निर्माण भारत में हो रहा है। यह प्रसन्नता की बात है कि खपत की चीजों में अब देश केवल आत्म-निर्भर ही नहीं है बल्कि निर्यात के लिए भी उत्पादन कर रहा है।

धीरे-धीरे हमने अपने माल की खपत के लिए विदेशों में बाजार ढूंढ लिए हैं। आजकल हम विविध आकार-प्रकार और मूल्य की कम से कम १०२ धातु-निर्मित वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:—

बिजली के पंखे, बल्ब, लोहे और तांबे के तार, बैटरियां, चादरों से बने बर्तन जैसे बाल्टियां, तांबे, पीतल, अमोनियम और तामचीनी के बर्तन, सिलाई की मशीनें, रेजर-ब्लेड, पानी ठंडा करने, कागज बनाने, प्लास्टिक की ढलाई करने, छपाई करने, जूता सीने, चीनी और चाय बनाने की मशीनें, मोटर गाड़ियां और उनके पुर्जे, ताले, कुंडे, सांकलें और चटखनियां, लोहे और इस्पात की मेज-कुरसी और अलमारियां और पेटियां, खेती के औजार, डीजल इंजन, ढले हुए पाइप, पम्प, छाता तथा छाता बनाने के काम आने वाली वस्तुएं, लोहे से ढाल कर बनाई गई चीजें, क्राउन कार्क, गैस बत्तियां और रेगमाल आदि।

सुदूर देशों को निर्यात

इससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि आज केवल भारत के निकटवर्ती देशों जैसे दक्षिण-पूर्व-एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका में ही भारत का बना धातु का माल नहीं जाता, किन्तु सुदूर देशों जैसे आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिण अमरीका, कनाडा आदि में भी भेजा जाता है।

पिछले वर्ष हमने निम्न लिखित वस्तुओं का निर्यात किया :—

बिजली के पंखे	३० देशों को
बिजली का अन्य सामान	२५ देशों को
बल्ब और राड्स	१२ देशों को
सिलाई की मशीनें	१४ देशों को
डीजल एन्जिन	२३ देशों को
ढलाई का माल	२६ देशों को
दरवाजे खिड़कियों में लगने वाला सामान	४३ देशों को

आज भारत में बनी धातु की वस्तुएं विदेश में बने माल का मुकाबला कर सकती हैं। यदि निरन्तर प्रयत्न किया जाय तो निर्यात की मात्रा बहुत अधिक बढ़ सकती है। छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी अनेक ऐसी चीजें हैं जिनका निर्यात हो सकता है। दिन प्रतिदिन नयी नयी वस्तुएं निर्यात की सूची में सम्मिलित हो रही है।

देश का मोटर गाड़ी उद्योग प्रगति पर रहा है और मोटर गाड़ी के ढांचों तथा मोटर साइकिलों के निर्यात की योजनाएं बनाई जा रही हैं। श्री लंका, बर्मा और पाकिस्तान में भारत में बनी मोटरों की खपत हो सकती है।

पिछले दो वर्षों में विभिन्न वस्तुओं का निर्यात-क्रम इस प्रकार रहा:—

	१९५६	१९५७
	(रु० लाख)	(रु० लाख)
डीजल इंजन	४.२८	१०
सिलाई मशीनें	४.३	५.६
पंखे	१२.७	१८
पम्प	.५३	१.२
खेती का सामान	८.८	११.२
चाकू, छुरी, चम्मच आदि	४.८	८
तेल निकालने की मशीनें	८.६	१४.२
कपड़ा बुनाई मशीनें	१.५	२.२
पिसाई और कुटाई की मशीनें	.३४	१.४
जूते सिलाई-मशीनें	१.६२	३.८५

दक्षिण पूर्व-एशिया भारत की धातु-निर्मित वस्तुओं का सबसे बड़ा ग्राहक है। १९५७ में हुए कुल ४.६६ करोड़ के धातु-निर्मित वस्तुओं के निर्यात में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा इस प्रकार है:—

दक्षिण-पूर्व एशिया	१.३ करोड़
पश्चिम एशिया	१.२८ करोड़
अफ्रीका	.७६ ,,
आस्ट्रेलिया	.०५ ,,
न्यूजीलैंड	.०२ ,,
अन्य देश	.९८ ,,
	४.३९ ,,

बाजारों का सर्वेक्षण

निर्यात संवर्द्धन परिषद् तथा व्यक्तिगत औद्योगिकों की मार्फत विदेशों के अनेक बाजारों का सर्वेक्षण किया जा रहा है जिससे निर्यातकों को व्यापारिक जानकारी सुलभ हो सके और भारतीय उत्पादनों का अधिक परिमाण में निर्यात किया जा सके।

देश के इस्पात उद्योग का तीव्रगति से विकास किया जा रहा है और आशा है कि १९६०-६१ तक देश में तैयार होने वाले लोहे और इस्पात के परिमाण में ३०० प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इसके फलस्वरूप हमारे इंजीनियरी उद्योगों का उत्पादन भी इतना बढ़ जायगा कि उसके द्वारा बनाई गई वस्तुओं से न केवल देश की मांग ही पूरी हो सकेगी वरन् कुछ सीमा तक उनका निर्यात भी किया जा सकेगा।

सबसे बड़ी आशाप्रद बात यह है कि धातु-निर्मित वस्तुओं के निर्यात संवर्द्धन की दिशा में सम्मिलित प्रयास हो रहा है। उत्पादकों और निर्यातकों को सरकार की ओर से पूरी-पूरी सहायता और सहयोग मिल रहा है। निर्यात के लिए इससे अधिक अनुकूल वातावरण पहले कभी सुलभ नहीं था। आजकल निर्यातकों की कठिनाइयों पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाता है। बाधाओं को दूर करने का शीघ्रातिशीघ्र प्रयत्न किया जाता है। इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी निर्णय होता है।

सहायता के उपाय

सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम इस दिशा में उठाये हैं, जैसे कि निर्यात किये गये माल में लगे लोहे और इस्पात का १३३½ प्रतिशत की मात्रा के आधार पर प्रतिपूर्ति करने में प्रधानता बरती जाती है। निर्यात के लिए बनाये जाने वाले माल के कोटा (quota) को पूरा करने के लिए ढले हुए लोहे और इस्पात का निर्धारित अंश दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विदेश में हर प्रकार के व्यापारिक और राजनीतिक कारणों से होने वाली सम्भावित हानि से बचाने के लिए निर्यात जोखिम बीमा निगम (एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कार्पोरेशन) बनाया गया है। निर्यात के लिए बनाये जाने वाले माल में प्रयोग किये गये बाहर से मंगाये गये कच्चे माल पर आयात-कर वापस दे दिया जाता है। अन्य सुविधाएं देने पर विचार हो रहा है। यह सब कुछ उत्पादकों और निर्यात करने वाले व्यापारियों को सहायता देने के लिए किया जा रहा है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय विदेशी प्रतिस्पर्द्धियों का माल की श्रेष्ठता, मूल्य और यातायात की सुविधा के आधार पर मुकाबला कर सकें।

(पृष्ठ ११०५ का शेषांश)

करने में लोगों को कुछ कष्ट होना भी सम्भव है। विदेशों से आने वाले ब्लेडों से हजामत बनाने के अभ्यस्त व्यक्तियों को स्वदेशी ब्लेडों का प्रयोग करने में कुछ कष्ट होना अस्वाभाविक नहीं होगा। परन्तु देश हित के लिये यह कष्ट उठा लेना भी उचित ही होगा।

इस समय हमारे आगे केवल दो मार्ग हैं। एक तो यह कि हम अधिक से अधिक विदेशी विनिमय का उपार्जन करके देश के विकास को आगे बढ़ाते जाय जिससे हमारी अर्थ व्यवस्था शीघ्र सुदृढ़ आधार पर स्थापित हो जाय अथवा दूसरा यह कि विदेशी विनिमय की चिन्ता न करके विकास कार्य को शिथिल पड़ जाने दें। कहना न होगा कि पहला उपाय ही हमारे लिये कल्याण का मार्ग है। ऐसी दशा में हमारा कर्तव्य है कि थोड़ा कष्ट उठा कर भी विदेशी विनिमय का उपार्जन करने का संकल्प करें और इसके लिये समस्त देश में निर्यात भावना उत्पन्न करें।

दक्षिण भारत की पीतल की कारीगरी। देव प्रतिमा के निकट प्रज्वलित रहने वाला दीप-स्तम्भ

कला-कौशल की कहानी

फरनीचर पर निमल कारीगरी की नक्कारी

सौन्दर्य एवं उपयोगिता दोनों ही दृष्टियों से भारतीय कलापूर्ण उत्पादन अद्वितीय रहे हैं। इसीलिए सदा से देश विदेश में उनकी अच्छी माग रही है। इन उत्पादनों की उन्नति करने के लिये अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड की स्थापना की गई है जो दस्तकारी की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के प्रयत्न कर रहा है।

इन फूलदानों से अपने कमरे सजाइए

लाख से रंगी हुई घरेलू उपयोग की वस्तुएं

पावस-प्रमोद

भारतीय कलाकौशल में चित्रकला का महत्वपूर्ण स्थान है। कारीगरी का माध्यम कुछ भी हो. चित्रांकन होते ही उसमें जान पड़ जाती है।

कालीन की बुनाई

फूलदानों पर कारीगरी

कला के मूक साधक: ये कारीगर

कलापूर्ण वस्तुओं के पीछे कारीगरों की मूक साधना छिपी रहती है। एक एक रेखा अंकित करने के लिये स्तुत्य अध्यवसाय और लगन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार तैयार होने वाली वस्तु कितनी मूल्यवान होती है!

★

हाथी दांत में हाथी का निर्माण

चटाई की बुनाई

किस्म-नियन्त्रण और निर्यात

★ ले० श्री जे० एस० गुलाटी, असिस्टैन्ट डायरेक्टर (पब्लिसिटी),
भारतीय प्रतिमान संस्था।

मानव आज अंतरिक्ष युग की देहली पर पहुंच गया है। अभी तक वह आनंद की खोज के लिए ही कल्पना की ऊंची-ऊंची उड़ानें भरा करता है। लेकिन अब स्पूतनिक तथा एक्सप्लोरर उपग्रहों को आकाश में सफलतापूर्वक भेजे जाने के पश्चात् उसकी दृष्टि चंद्रमा तथा नक्षत्रों पर जा जमी है। स्वभावतः संसार सिकुड़ कर बहुत छोटा हो गया है जिसमें विभिन्न देशों के निवासी एक दूसरे पर कच्चे माल, सामान तथा सेवाओं के लिए निर्भर रहते हैं। ऐसी स्थितियों में कोई भी देश सर्वथा अलग नहीं रह सकता। वास्तविकता तो यह है कि किसी भी देश के विरुद्ध अगर व्यापार प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं, तो यह उसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर एक भयंकर प्रहार होता है। एक प्रकार से किसी भी देश का निर्यात, उसकी राष्ट्रीय समृद्धि का सूचक होता है। भारत अनिवार्यतः एक कृषि प्रधान देश है। इसके करीब ७० प्रतिशत निवासी इससे अपनी रोजी कमाते हैं और इससे ४८ प्रतिशत राष्ट्रीय आय होती है। लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति के तत्काल बाद भारत औद्योगीकरण के मार्ग पर चल पड़ा है; पहला पंचवर्षीय आयोजन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है और द्वितीय आयोजन में भावी औद्योगीकरण तेजी के साथ शुरू किया गया है। बहुत से नये उद्योग स्थापित हो चुके हैं और तीनों लोहा तथा इस्पात मिलों की स्थापना के पश्चात् बहुत से नये उद्योगों के स्थापित होने की संभावना है। स्वतन्त्रता के बाद से बहुत सी दिशाओं में औद्योगिक उत्पादन का सूचक अंक, १९४६ को आधार मानते हुए १९४७ में जहां ९७.२ था वहां १९५५ में १५९.५४ हो गया।

विदेशी व्यापार के स्वरूप में परिवर्तन

तेजी से होने वाले औद्योगीकरण के फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में हमारे विदेशी व्यापार के स्वरूप में परिवर्तन आता जा रहा है। १९२०-२१ में हमारे आयात में ८० प्रतिशत भाग तैयार वस्तुओं का होता था और कुल निर्यात में ४५ प्रतिशत कच्चा माल होता था। अर्थात् उस समय कच्चे माल का आयात कुल आयात का मुश्किल से ९ प्रतिशत होता था जबकि कच्चे माल का निर्यात लगभग ५० प्रतिशत होता था। १९५०-५१ तक कच्चे माल के आयात का प्रतिशत बढ़कर ३५ प्रतिशत हो गया और निर्यात २१ प्रतिशत रह गया। देश के अन्दर औद्योगिक उत्पादन बढ़ने से निर्मित वस्तुओं का आयात घट गया है—१९२५-३० में इनका आयात जहां ७२.६ प्रतिशत होता था वहां १९५०-५१ में यह ४५.७ प्रतिशत रह गया है। इसके विपरीत निर्यात व्यापार में निर्मित वस्तुओं का भाग २६.६ प्रतिशत से बढ़कर ५५ प्रतिशत हो गया है।

भारत के निर्यात व्यापार में आने वाली कुछ वस्तुएं हैं:—इन्जिनियरी की चीजें, तेलहन, वनस्पति तेल, वनास्पती, चमड़े और खालें, धातु युक्त खनिज, तम्बाकू, चपड़ा और अभ्रक। उदाहरण के तौर पर इन्जिनियरी की चीजों का हमारे निर्यात में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इससे हम इस समय ४ करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष कमाते हैं। भारत लोहा और मैंगनीज खनिज का निर्यात भी काफी परिमाण में करता है और वह तम्बाकू का भी मुख्य उत्पादक है। अभ्रक में तो भारत को लगभग एकाधिकार प्राप्त है और १९५० तक उसे लाख में भी यह एकाधिकार प्राप्त था।

अनुकूल भौगोलिक स्थिति

विदेशी बाजारों में प्रवेश पा सकना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। वास्तव में भारत बड़ी लाभप्रद स्थिति में है क्योंकि दक्षिण, दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी एशिया तथा पूर्व और पश्चिम अफ्रीका के पड़ोसी देशों की तुलना में भारत की आर्थिक तथा औद्योगिक नींव बहुत पहले रखी गयी थी, भले ही वह युद्धकालीन स्थितियों का परिणाम ही क्यों न हो। भारत इस दृष्टि से भी भाग्यवान निकला कि उसे पड़ोसी देशों की अपेक्षा पहले स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी और अपने प्रगतिशील नेताओं के दृढ़ नेतृत्व में औद्योगीकरण के रास्ते पर चल पड़ा। उसके अधिकांश पड़ोसियों ने हाल ही में विदेशी शासक का जुआ उतारकर फेंका है।

इनमें से कुछ देश तो सदियों की दासता और शोषण से मुक्त हुए हैं। इन देशों में, भारत की भांति ही, अपने लोगों के रहन सहन के स्तर में तेजी से सुधार करने की उद्दाम कामना तथा उत्तरोत्तर आवश्यकता बढ़ रही है। हम यह आशा कर सकते हैं कि इन देशों में सुख-समृद्धि बढ़ने से सभी प्रकार के उपभोक्ता तथा पूंजीगत माल की मांग बढ़ेगी जिससे हमारे उत्पादकों को अपना माल निर्यात करने का सुअवसर प्राप्त हो सकेगा।

अधिकाधिक तथा नये बाजारों में प्रवेश पा जाना ही काफी नहीं है। हमारे व्यापारी वित्तीय साधनों, व्यापारिक कुशलता तथा बिक्री बढ़ाने के आंदोलन चला कर इन लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन उत्तरोत्तर बढ़ने वाले हमारे निर्यात का आधार तो हमारे विदेशी ग्राहक की सद्भावना ही होगी। इसके लिए हमें आधुनिक उत्पादन प्रणालियां अपनानी होंगी, गवेषणा कार्यक्रम चलाने तथा बढ़ाने होंगे और राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिमानों का पालन करके अपने माल की उत्कृष्टता बनाये रखनी होगी तथा उसमें सुधार करना होगा।

कड़ी प्रतियोगिता का सामना

विदेशी बाजारों में भारतीय माल की कड़ी प्रतियोगिता होने लगी है और यह प्रतियोगिता उन चीजों के निर्यात में होने लगी है जिस पर कभी उसका एकाधिकार था या अब भी है। मैंगनीज खनिज में उसे घाना, बेल्जियम कांगो और सोवियत संघ से, चमड़े में स्याम से, अभ्रक में ब्राजील से और तम्बाकू के निर्यात में रोडेशिया से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना होता है। अगर हम यह चाहते हैं कि हमारा निर्यात उपार्जन कम न हो तो हमें अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट माल, प्रतियोगितापूर्ण भावों पर देकर बराबर अपना बना कर रखना होगा।

अपनी वस्तुओं की देश में तथा विदेशों में व्यवस्थित रूप से बिक्री बढ़ाने के लिए हमें वस्तुओं की उत्कृष्टता पर नियन्त्रण रखना होगा। इसके लिए सरकार समय-समय पर कदम उठाती रही है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (ग्रेडिंग एण्ड मार्केटिंग) एक्ट, १९३७ के अधीन सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह खेती की विभिन्न वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए मानदण्ड निर्धारित कर सकती है और वर्गीकरण करने की व्यवस्था करने की आज्ञा दे सकती है। कृषि जन्य तथा खाने के काम आने वाली चीजों का वर्गीकरण किया जाता है और उन पर 'एगमार्क' चिन्ह लगाया जाता है जिससे उपभोक्ता को एक प्रकार की गारंटी मिल जाती है कि ये कृषि-जन्य पदार्थ शुद्ध हैं और अच्छी किस्म के हैं।

एगमार्क तथा वर्गीकरण

एगमार्क के अधीन जिन वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाता है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें ये हैं :—घी, वनस्पति तेल, क्रीम, मक्खन, अंडे, चावल, आटा, रुई, गुड़, फल आदि। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिफारिश की गयी है कि तम्बाकू, सनहैम्प, उड़नशील तेल, ऊन तथा सुअर के बाल, काली मिर्च, अदरक, इलाइची, वनस्पति तेल, हाथ से चुनी हुई मूंगफलियों, चमड़ा और खालों का अनिवार्य रूप से वर्गीकरण किया जाए और किस्म निर्यन्त्रण किया जाए जिससे इन वस्तुओं का निर्यात वर्गीकरण के बाद ही हुआ करे। पांच प्रादेशिक नियंत्रण प्रयोगशालाएं बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन तथा राजकोट में स्थापित की जा रही हैं जो निर्यात होने वाली वस्तुओं का विश्लेषण किया करेंगी, जिससे यह देखा जा सके कि निर्यात होने वाली चीज निर्यात योग्य है या नहीं। इन प्रयोगशालाओं का प्रयोग निर्यात के लिए इन वस्तुओं का विश्लेषण करने के लिए किया जाएगा। एक केन्द्रीय नियन्त्रण प्रयोगशाला नागपुर में बनायी जा रही है, जिसमें पूरा साज-सामान होगा और जो इन प्रादेशिक प्रयोगशालाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करेगी।

राज्यों के किस्म नियंत्रण विभाग

विभिन्न राज्य सरकारों ने भी किस्म नियन्त्रण विभाग स्थापित किये हैं जो प्रतिमानों के अनुरूप बने सभी किस्म के मालों पर उत्कृष्टता का चिह्न अंकित करते हैं। इसके अलावा सूती वस्त्र, रेयन और रेशमी कपड़े, प्लास्टिक, इंजीनियरी की चीजों, काजू और काली मिर्च, तम्बाकू, खेल-कूद के सामान, चमड़े, अभ्रक और चमड़े के लिए १० निर्यात संवर्द्धन परिषदें भी चल रही हैं। इन्हें भारत सरकार ने इन वस्तुओं का निर्यात बाजार बढ़ाने के लिए स्थापित किया है। ये परिषदें निर्यात योग्य वस्तुओं के तैयार माल और कच्चे मालों के प्रतिमान निर्धारित कर रही हैं। टटकर आयोग भी समय-समय पर इस बात पर जोर देता रहा है कि माल का मानदण्ड स्थापित किया जाए तथा उसे बनाये रखा जाए और उद्योग की समस्याओं को किस्म नियन्त्रण के द्वारा हल किया जाए। औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़े चढ़े देशों में वस्तुओं के उत्पादन तथा विकास में जो प्रगति हुई है, वह मुख्यतः उत्पादन प्रणालियों तथा वस्तुओं के प्रतिमानीकरण से ही हुई है। भारत सरकार के संकल्प के अधीन, भारतीय उद्योगों के व्यवस्थित विकास के लिए, १९४७ में भारतीय प्रतिमान संस्था स्थापित की गयी थी। अब यह भली प्रकार अनुभव किया जाता है कि उत्कृष्ट किस्म का माल तैयार करने के लिए प्रतिमान निर्धारित करने और उपभोक्ताओं में विश्वास पैदा करने से बिक्री बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, और निर्यात बाजार जमाने में सहायता मिलेगी। अभी तक भारतीय प्रतिमान संस्था ने एक हजार से अधिक प्रतिमान प्रकाशित किये हैं जो सभी प्रकार के वैद्युत, मशीनी, सिविल तथा बिल्डिंग उद्योगों, कृषि जन्य पदार्थों तथा खाद्य पदार्थों आदि से सम्बन्धित हैं। भारतीय प्रतिमान संस्था ने भारत से निर्यात किये जाने वाले मालों के लिए कई प्रतिमान प्रकाशित किये हैं जैसे चाय की पेटियों का प्लाईवुड, अलूमीनियम के बर्तन, तामचीनी के बर्तन, काटा छुरी चम्मच आदि, बैटरियां, रेडियो, पंखे तथा इंजीनियरी और विद्युत उद्योग की बहुत सी अन्य चीजें।

प्रमाण-चिन्ह

भारतीय प्रतिमान संस्था वस्तुओं की किस्म के ऊपर दूसरी दिशा से कुछ नियन्त्रण करने की कोशिश कर रही है। माल की किस्म अच्छी रखने के लिए भारतीय प्रतिमान बनाने के अलावा प्रतिमान संस्था को को भा० प्र० संस्था प्रमाण चिह्न अधिनियम १९५२ के अधीन उन उत्पादकों और निर्माताओं को लाइसेंस देने के अधिकार दिये गये हैं जो भारतीय प्रतिमानों के अनुरूप वस्तुएं तैयार करते हैं। ये लाइसेंस देने से पहले भारतीय प्रतिमान संस्था जो विस्तृत अध्ययन तथा जांच पड़ताल करती है, उससे यह रहस्योद्घाटन हुआ है कि बहुत से मामलों में वस्तुएं प्रतिमानों के अनुरूप नहीं होतीं और बहुत से कारखाने अपनी उत्पादित वस्तुओं की सभी दृष्टियों से परीक्षा नहीं कराते। भारतीय प्रतिमान संस्था के अफसरों की जांच पड़ताल से उत्पादकों को माल की किस्म, निर्माण प्रणालियां तथा पद्धतियां सुधारने में तथा माल की परीक्षा सम्बन्धी सुविधाएं जुटाने में एक तरह से मदद मिली है। भा० प्र० संस्था के प्रमाण-चिन्ह से माल की उत्कृष्टता की गारण्टी हो जाती है। ये प्रमाण चिन्ह अलूमीनियम के बर्त्तनों, बिजली के केबिलों, सीमेण्ट, डी० डी० टी० पाउडर, चाय की पेटियों, प्लाइवुड, ए० सी० एस० आर० तथा कौपर कंडक्टर और केबिलों, मैग्नेशियम क्लोराइड, राष्ट्रीय झण्डा, रैक्टीफाइड स्पिरिट, मोटरकारों की बैटरियां, डी० डी० टी० और बी० एच० सी० फौरमुलेशन, नेफ्थलीन, तारपीन, कापर सल्फेट, ह्यूम पाइप, बिजलीके मोटर, प्रूनिंग चाकू आदि पर लगाये जाते हैं।

अलूमीनियम के बर्त्तनों के सम्बन्ध में भारत सरकार को यह कार्य करने की आवश्यकता तटकर आयोग के कहने पर पड़ी क्योंकि अक्सर यह शिकायतें आती थीं कि उनके बने माल की किस्म सदैव संतोषजनक नहीं होती। इसलिए अलूमीनियम के जिन बर्त्तनों पर भारतीय प्रतिमान संस्था का प्रमाण चिह्न नहीं होता, उनके निर्यात पर कड़ी पाबन्दी लगा दी गयी है।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धित सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन २३ जुलाई, १९५७ को हुआ जिसमें अन्य बातों के साथ यह सिफारिश भी की गयी कि "भारतीय प्रतिमान संस्था (प्रमाण चिह्न) अधिनियम १९५२ के नियम तथा विनियमनों के अधीन संस्था के प्रमाण चिह्न प्रयोग करना व्यापार तथा निर्यात दोनों ही के हित में होगा। विभिन्न राज्यों की उत्कृष्टता चिह्न योजनाएं भी भारतीय प्रतिमान संस्था के सहयोग से चलायी जानी चाहिए और जिन वस्तुओं के भारतीय प्रतिमान उपलब्ध हैं, उन पर भा० प्र० संस्था के प्रमाण-चिन्ह लगाये जाएं।"

प्रतिमान और निर्यात

उद्योगपतियों द्वारा भारतीय प्रतिमान अपनाने से हमारा निर्यात व्यापार बढ़ता है जो कि विकास के इस नाजुक दौर में विदेशी मुद्रा कमाने की दृष्टि से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्यात किये गये किसी माल की किस्म के बारे में अगर कोई शिकायत आती है तो उससे न सिर्फ हमारे विदेशी व्यापार में रुकावट पड़ती है, बल्कि इससे हमारे देश की प्रतिष्ठा भी गिरती है। भारत के निर्यात से आजकल केवल ४५ प्रतिशत राष्ट्रीय आय होती है। स्वभावतः हमारा निर्यात, खासकर परम्परागत वस्तुओं जैसे चाय, जूट, सूती कपड़े आदि का निर्यात बढ़ने की काफी गुंजाइश है। निर्यात केवल उत्पादन क्षमता पर ही नहीं, बल्कि भावों की प्रतियोगिता क्षमता और निर्यातित माल की उत्कृष्टता पर निर्भर भी होता है और मुझे विश्वास है कि हमारे प्रगतिशील उद्योगपति समय की आवश्यकता को समझते हुए, यह बात अनुभव करेंगे और मानेंगे कि हम अपने निर्यात का खासा विस्तार कर सकते हैं बशर्ते कि हम अपनी निर्यात योग्य वस्तुओं की किस्म सुधारने और उसे बनाये रखने की ओर पूरा-पूरा ध्यान दें।

जानकारी विभाग

विशाल उद्योग

भारत में नये प्रकार के मशीनी औजार बनेंगे

बंगलौर के सरकारी हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने में जल्दी ही १० प्रकार की बर्मा मशीनें और बनने लगेंगी। इसके लिए कारखाने और पश्चिम जर्मनी की प्रसिद्ध बर्मे बनाने वाली कम्पनी मैसर्स हर्रान एण्ड कोल्ब से एक करार हुआ है, जिसके अन्तर्गत जर्मन फर्म इस कारखाने को शिल्पिक सहयोग देगी।

करार के अनुसार मशीनी औजार कारखाना १ इंच और २ इंच के आकार के बर्मे बनायेगा, जो दिसम्बर १६५८ तक बाजार में आ जाएंगे। इन बर्मों का दाम विदेशी बर्मों से कम ही पड़ेगा। बर्मों का निर्माण शुरू हो जाने से देश की दरमियानी और भारी बर्मा मशीनों की जरूरत पूरी हो सकेगी और इससे देश की ७५ लाख से १ करोड़ रु० तक की विदेशी मुद्रा बच जायेगी।

करार के अनुसार पश्चिम जर्मन फर्म हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने के १० कर्मचारियों को कोयन (पश्चिम जर्मनी) में अपने कारखाने में काम सिखायेगी और कुछ कुशल कारीगरों को भारत के कारखाने में भी भेजेगा।

चीनी का उत्पादन और भण्डार

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के चीनी और वनस्पति निदेशालय की एक विज्ञप्ति में दी गयी सूचना के अनुसार ३१ मई, १६५८ तक देश के चीनी कारखानों में १६ लाख ६३ हजार टन चीनी का उत्पादन हुआ और ११ लाख ७४ हजार टन की निकासी हुई। पिछले साल इस अवधि तक १६ लाख ७५ हजार टन चीनी का उत्पादन हुआ था और १२ लाख २७ हजार टन की निकासी हुई थी।

३१ मई, १६५८ को कारखानों में १२ लाख १२ हजार टन चीनी का भंडार था। पिछले साल इस तारीख को कारखानों के पास १२ लाख ७० हजार टन चीनी का भंडार था।

नमक के उत्पादन तथा निर्यात में वृद्धि

भारत में नमक के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। पिछले तीन साल में जितना नमक विदेशों को भेजा गया, उससे काफी विदेशी मुद्रा की आय हुई। १६५७ में सबसे अधिक निर्यात हुआ और १ करोड़ २० लाख मन नमक विदेशों को भेजा गया। १६५१-५२ से भारत में अपनी जरूरत भर का नमक तैयार होने लगा और फालतू नमक विदेशों को भी जाने लगा। भारत में नमक का कुल उत्पादन १६५६ में ८ करोड़ ८६ लाख मन था, किन्तु १६५७ में यह बढ़कर ६ करोड़ ८३ लाख मन हो गया।

सरकार ने नमक उद्योग को बढ़ाने के लिए अनेक कार्य किये हैं। इसीलिए नमक जांच समिति भी नियुक्त की गयी है। यह समिति नमक के उत्पादन, नमक पर कर, छोटे उत्पादकों को छूट, अच्छी किस्म के नमक, नमक सहकारी समितियों के संगठन तथा मजदूरों की भलाई आदि के सम्बन्ध में जांच और विचार कर रही है। सरकार ने पिछले अप्रैल में हिन्दुस्तान नमक कम्पनी नामक एक कारपोरेशन की स्थापना की है। यह कम्पनी साभर, डीडवाना तथा खरघोड़ा में नमक के सरकारी कारखानों को अपने हाथ में लेगी। यह नमक तथा उसके उप पदार्थों को बनाने और उनके उपयोग का प्रबन्ध करेगी।

भारत में अधिकांश नमक बम्बई, राजस्थान, मद्रास तथा आंध्र में तैयार किया जाता है। इन राज्यों में १६५७ में क्रमश: ५ करोड़ २० लाख मन, ६३ लाख मन, १ करोड़ ७२ लाख मन तथा ५५ लाख मन नमक तैयार किया गया। सेंधा नमक केवल हिमाचल प्रदेश में मंडी में होता है। यहां प्रतिवर्ष लगभग एक लाख मन बिना साफ किया हुआ सेंधा नमक निकाला जाता है। जांच से पता चला है कि यदि वैज्ञानिक ढंग से काम किया जाए तो मण्डी से प्रतिवर्ष ६६ हजार टन साफ किया हुआ नमक दस साल तक मिल सकता है।

सरकारी कारखानों में तैयार नमक पर प्रतिमन साढ़े तीन आना शुल्क लिया जाता है। किन्तु उन गैर-सरकारी कारखानों से, जिनके पास सौ एकड़ से ज्यादा भूमि है, नमक पर प्रति मन दो आना शुल्क वसूल

किया जाता है। छोटे उत्पादकों तथा सरकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए सन् १९५६ से शुल्क की दर इस प्रकार निर्धारित की गयी है कि बड़े उत्पादकों को अधिक और छोटे उत्पादकों को कम देना पड़े। दस एकड़ से कम क्षेत्र वालों से शुल्क बिल्कुल नहीं लिया जाता। १० से १०० एकड़ क्षेत्र वाली सहकारी समितियों से १ आना प्रति मन की दर से लिया जाता है। इस प्रकार छोटे उत्पादकों को सहकारी समितियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। पिछले साल बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में ६ नयी सहकारी समितियां बनीं।

अगिन घास का तेल

संसार में अगिन घास का तेल सबसे अधिक भारत में तैयार होता है। इससे काफी विदेशी मुद्रा कमाई जाती है। १९५६-५७ में विदेशों में इस तेल की बिक्री से देश को लगभग १ करोड़ ४४ लाख रु० के मूल्य की विदेशी मुद्रा की आमदनी हुई। यह तेल केरल और मैसूर राज्य के पहाड़ी ढलानों में पैदा होने वाले अगिन घास (स्थानीय नाम इंचीपल) से तैयार किया जाता है। यह खुशबूदार साबुन और क्रीम आदि शृंगार सामग्री बनाने में काम आता है। इसके अलावा यह विटामिन 'ए' और कीड़े भगाने के तथा दर्द दूर करने के मलहम बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। भारतीय अगिन घास का तेल मध्य अमेरिका और पश्चिम द्वीप समूह (वेस्ट इंडीज) के तेल से अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह मद्यसार में अच्छी तरह घुल जाता है और इसमें खटास भी अधिक होती है।

संसार में अगिन घास का जितना तेल तैयार होता है, उसका ८० प्रतिशत अर्थात् १,२०० टन तेल भारत में होता है। यहां लगभग ४०,००० एकड़ जमीन में अगिन घास होती है। इसकी दो किस्में हैं: एक लाल डण्ठल की और दूसरी सफेद डण्ठल की। लाल डण्ठल से अधिक तेल निकलता है, इसलिए उसकी उपज बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

तेल को शुद्ध करने का काम बागान में ही होता है। १८-२० घन-फुट के तांबे के बर्तनों में तेल को गर्म करके उसकी भाप को ठंडा किया जाता है। बागान में इस प्रकार के लगभग २,५०० बर्तन हैं। परन्तु इसमें ईंधन बहुत खर्च होता है, इसलिए अब तेल शुद्ध करने का सस्ता और अच्छा तरीका ढूंढा जा रहा है। भारत इस बात की पूरी कोशिश करता है कि विदेशों को यहां से अच्छे किस्म का तेल भेजा जाए और इसीलिए विदेशी खरीददार हमारे देश के तेल की शुद्धता का पूरा यकीन करते हैं।

लघु उद्योग

हथकरघा उद्योग

देश में इस समय २८ लाख से अधिक करघे हैं। हर करघे पर काम करने के लिए लगभग ३ व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। इस तरह इस उद्योग में लगभग ७५ लाख लगे हुए हैं। लगभग इतने ही लोग देश के अन्य सभी उद्योगों में काम कर रहे हैं।

देश में हथकरघों से हर साल लगभग १ अरब ५० करोड़ गज कपड़ा बुना जाता है, जो मिलों में तैयार किये गये कुल कपड़ों का एक-तिहाई है। कुछ विशेष किस्म के कपड़े जैसे रंगीन साड़ियां, आधी इंच चौड़ी किनारी वाली धोतियां, तौलिया, चादरें, लुंगियां, मेजपोश, आदि हथकरघे से ही तैयार किये जाते हैं। पिछले सात वर्षों में हथकरघा कपड़े का उत्पादन बढ़कर दुगुना हो गया है।

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्त तक हथकरघों से हर साल २ अरब २० करोड़ गज कपड़ा तैयार किया जाने लगेगा, जो कि आजकल जितना कपड़ा तैयार किया जाता है, उससे ७० करोड़ गज अधिक है। लगभग ५,००० से अधिक सहकारी समितियां बनायी जा चुकी हैं, जिनके पास १० लाख करघे हैं।

देश में हथकरघा-कपड़े की लगभग १,४५० सहकारी दुकानें हैं। इनमें से विभिन्न राज्यों में करघों से तैयार की गयी वस्तुओं की मिली-जुली २२ दुकानें हैं। गांवों में हथकरघा-कपड़ा बेचने के लिए ३६ चलती-फिरती दुकानें हैं।

हथकरघा-कपड़े के निर्यात से हर साल ८ करोड़ रु० के मूल्य की विदेशी मुद्रा की आय होती है। लंका, सिंगापुर और नाइजीरिया (प० अफ्रीका) में इसकी सबसे अधिक मांग है। लंका, सिंगापुर, अदन, हैंगकाक और रंगून में हथकरघा कपड़े की सरकारी दुकानें हैं। अब अमेरिका, पश्चिम जर्मनी और अन्य पश्चिमी देशों में भी हथकरघा कपड़े की मांग की जाने लगी है। विदेशों में हथकरघा-कपड़े की मांग बढ़ाने के लिए हथकरघा-कपड़ा बिक्री समिति (हैंडलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग सोसायटी) स्थापित की गयी है।

स्त्रियों को दस्तकारी की ट्रेनिंग

स्त्रियों को दस्तकारी सिखाने के लिए १ जुलाई से हैदराबाद में एक संस्था खोली जाएगी। यह क्षेत्रीय संस्था होगी, जिसमें आन्ध्रप्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल और पांडिचेरी की महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। शुरू में इन पांच धंधों की शिक्षा दी जाएगी: १. गुड़िया और खिलौने बनाना,

२. चमड़े की कलापूर्ण चीजें बनाना, ३. पेपरमेशी की चीजें बनाना, ४ बेंत, बांस और घास की वस्तुएं बनाना और ५. चूड़िया और गुड़िया बनाना।

प्रत्येक दस्तकारी के लिए दस दस स्त्रियां ली जाएगी, जिन्हें राज्यों के कल्याण सलाहकार मंडल, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन तथा स्त्रियों के भलाई के काम करने वाली विभिन्न संस्थाएं चुनकर भेजेंगी। प्रत्येक स्त्री को ५० रु० महीना दिया जाएगा। इस केन्द्र के संचालन के लिए एक प्रबन्ध समिति बनायी गयी है, जिसमें दो सदस्य दस्तकारी मंडल के और एक केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल का होगा। इसके अलावा आंध्र महिला सभा मद्रास के भी सदस्य होंगे।

औद्योगिक गवेषणा

वस्त्र उपचारक पदार्थ का आविष्कार

यूरिया-फार्मेलडीहाइड रेजन के उपयोग से कपड़े में सिकुड़न और सलवट नहीं पड़ती। भारत में अभी तक ऐसे उपचारक पदार्थ नहीं बनते। इनके बनाने की विधि भी विदेशी उत्पादकों ने गुप्त रखी है। दिल्ली के श्रीराम औद्योगिक शोध इंस्टीट्यूट में इन रेजनों के बनाने की विधि मालूम कर ली गयी है और इस विधि से प्रयोग के तौर पर १०० १५० पौंड माल के थान बनाये गये हैं।

इस प्रकार बना स्थायी यूरिया-फार्मेलडीहाइड रेजन बहुत हल्के पीले रंग का द्रव होता है, जिसमें ५० प्रतिशत तक सक्रिय पदार्थ होता है और यह किसी भी अनुपात में पानी में घोला जा सकता है। साधारण ताप पर यह एक साल तक बिना खराब हुए रखा जा सकता है। इससे सूती और रेयान के कपड़ों में सिकुड़न तथा सलवट नहीं पड़ती। रेयान तथा मिले-जुले धागों से बने हुए कपड़े सिकुड़ते नहीं और इनकी मजबूती ३०-५० प्रतिशत तक बढ़ जाती है। सूती कपड़ों की मजबूती म भी थोड़ी ही कमी होती है। उपचारित कपड़े में चिकनापन आता है और पहनने पर यह अच्छी तरह लटकता है।

फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर सूती, रेयान तथा मिले जुले धागों के बने कपड़ों का स्थायी यूरिया-फार्मेलडीहाइड से उपचारण किया गया है और सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

स्थायी यूरिया-फार्मेलडीहाइड का निर्माण सरल है और इसके लिये आवश्यक उपकरण देश में बनाये जा सकते हैं। यूरिया और फार्मेलडीहाइड को छोड़कर जो अभी विदेशों से मंगवाने ही पड़ेंगे, शेष सब कच्चे पदार्थ देश में मिल जाते हैं।

अनुमान है कि यदि केवल १० प्रतिशत सूती कपड़े का भी उपचारण किया जाए तो १९६०-६१ में देश में इस प्रकार के रेजन की वार्षिक मांग २,५०० टन होगी। भविष्य में काफी वृद्धि की सम्भावना है।

जो व्यक्ति स्थायी यूरिया-फार्मेलडीहाइड रेजनों के निर्माण का उद्योग करना चाहें, वे और अधिक जानकारी के लिये निम्नलिखित अधिकारी को लिखें :

सेक्रेटरी, नेशनल रिसर्च डिवलपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया, मण्डी हाउस, लिटन रोड, नई दिल्ली-१।

छापे की काली स्याही का आविष्कार

नयी दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक विज्ञानशाला में बढ़िया किस्म की छापे की काली स्याही बनायी गयी है। पिछले पांच वर्षों से प्रतिदिन एक हजार पौंड स्याही बनाने की क्षमता का संयंत्र प्रयोग के तौर पर चल रहा है और इसकी बनी स्याही बाजार में बेची जा रही है।

छापे की स्याही की देश में बहुत खपत है। केवल समाचार-पत्रों की छपाई के लिए ही प्रतिवर्ष २० लाख पौंड स्याही लगती है। लगभग ढाई लाख पौंड स्याही प्रतिलिपि मशीनों के लिए लगती है। डाक टिकटों पर मोहर लगाने, अंगूठा लगाने और खुरदरे कागज पर स्टेन्सिल से छपाई की स्याहियों की वार्षिक खपत भी लगभग ८० हजार पौंड है। शिक्षा के प्रचार के साथ-साथ इन स्याहियों की मांग का बहुत बढ़ जाना स्वाभाविक है।

समाचार पत्रों की छपाई की स्याही काफी मात्रा में विदेशों से मंगायी जाती है। थोड़े से कारखाने छोटे पैमाने पर कुछ स्याहियों को बना रहे हैं। परन्तु इनकी किस्म में सुधार की बहुत आवश्यकता है। बहुत सी स्याहियों में साधारण दोष यह होता है कि स्याही का चूरा नीचे बैठ जाता है।

विभिन्न प्रकार की पक्की काली स्याहियां बनाने की एक विधि निकाली गई है। इस विधि में कुछ ऐसी चीजें मिला दी जाती हैं, जिससे स्याही अच्छी तरह घुलमिल जाती है और बहुत दिनों तक टिकती है। 'ऐजरल्नर' या 'पग मशीन' में उचित अनुपात में विभिन्न अंशों को मिलाया जाता है और फिर इनको एकसार बनाने के लिए एक बेलन मशीन में से गुजारा जाता है। इस प्रकार मिले हुए माल को छान लिया जाता है और डिब्बों या ट्यूबों में भर लिया जाता है। दूसरी विधि यह है कि बेलन मशीन में से मिश्रण को गुजार कर कलिल-मशीन (कोलायड मिल) में डाल दिया जाता है, इससे उत्तम और अधिक पक्की स्याही बनती है।

एक हजार पौंड प्रतिदिन की क्षमता का एक पायलट संयंत्र पिछले पांच वर्षों से चलाया जा रहा है और इससे बना माल बाजार में बेचा

जा रहा है। स्याही बनाने के लिए जिन सामान्य उपकरणों को काम में लाया जाता है, उन्हीं से यह स्याही भी बनायी जा सकती है। विधि सरल है और आसानी से उपयोग में लायी जा सकती है। इससे छोटे या बड़े पैमाने पर माल बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की स्याहियां बनाने के लिए कार्बन ब्लैक के अतिरिक्त शेष सब आवश्यक पदार्थ आसानी से देश में मिल जाते हैं।

जो व्यक्ति इन स्याहियों के उद्योग को स्थापित करना चाहें, वे और अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित अधिकारी को लिखें: 'सेक्रेटरी, नेशनल रिसर्च डिवलपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया, मण्डी हाउस, लिटेन रोड, नयी दिल्ली-१।'

प्रतिमानों की प्रगति

भारतीय प्रतिमान संस्था ने कई प्रतिमानों के प्रारूप प्रकाशित किये हैं, इनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं:—

गेहूँ के आटे का प्रतिमान

भारतीय प्रतिमान संस्था ने गेहूं के आटे का प्रतिमान (आई एस: ११५५-१९५७) प्रकाशित किया है। देहातों में हाथ की अथवा जानवरों से चलने वाली चक्कियों से गेहूँ पीसकर आटा तैयार किया जाता है और शहरों में मशीन से चलने वाली चक्कियों से। प्रतिमान में सभी तरह के आटे को शामिल किया गया है।

आटे को अधिक पौष्टिक बनाने के लिये इसमें कैल्शियम, लोहे आदि विटामिनों को मिलाने की शर्त प्रतिमान में रखी गयी है। यह भी बताया गया है कि आटा पीसने के लिये किस किस्म का गेहूं काम में लाया जाए और आटे के गुणों की जांच किस प्रकार की जाए।

प्रतिमान में रासायनिक परीक्षण की विधि दी गयी है, जिससे आटे की शुद्धता का पता चल सकता है। आटे में मिलावट मालूम करने के लिए खुर्दबीन से जांचने की विधि भी बतायी गयी है।

आटा ग्राहकों के पास ठीक हालत में पहुँच सके, इसलिये प्रतिमान में पैकिंग के तरीके भी दिए गए हैं।

जौ का दलिया और चूरा

संस्था ने जौ के दलिये (पर्लबार्ली) और जौ के चूरे के मानक प्रकाशित किए हैं। इनकी मानक संख्या आई एस: ११५६-१९५७ और आई एस: ११५७-१९५७ है।

जौ का दलिया (पर्लबार्ली) बनाने के लिए पहले जौ की भूसी उतारी जाती है और फिर दाने के बाहरी छिलके को भी ऐसे उतारा जाता है, जिससे वह मोती की तरह गोल और चमकदार हो जाए। जौ का चूरा, जौ या जौ के दलिये को उसी तरह पीसकर बनाया जाता है, जिस तरह आटे को पीसकर मैदा बनता है। इसके अलावा जौ का दलिया बनाते समय भी जौ का चूरा तैयार हो जाता है।

मानक में जौ का दलिया और चूरे के तत्वों को जांचने के तरीके दिये गये हैं और उन्हें डिब्बों में बन्द करने की विधि भी दी गयी है, जिससे खरीदारों को वह अच्छी हालत में मिल सके।

कपड़ों का पक्का रंग

भारतीय प्रतिमान संस्था ने एक प्रतिमान (आई एस: ६८६: १९५७) प्रकाशित किया है, जिसमें यह जानने का तरीका बताया गया है कि किसी कपड़े का रंग धूप से फीका पड़ेगा या नहीं। यह तरीका इसलिए प्रकाशित किया गया है, जिससे कपड़े के लिये ऐसे रंग तैयार किए जा सकें, जो धूप में फीके नहीं पड़ते।

इसी प्रकार धोने, सूखी धुलाई (ड्राइक्लीनिंग), गर्म लोहा लगाने आदि से भी कपड़े के रंग में अन्तर आ जाता है। संस्था इनकी जांच के लिये भी तरीके प्रकाशित कर रही है।

इस प्रकार के मानकों की सूची और मानक (आई एस: ६८६-१९५७) की प्रतियां, अंग्रेजी में, इण्डियन स्टैंडर्ड्स इंस्टिट्यूशन, मानक भवन, ९ मथुरा रोड, नयी दिल्ली-१ और इसके शाखा-कार्यालयों, ४०। ४०ए, कावसजी पटेल स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई; पी-११ मिशन रो एक्सटेंशन, कलकत्ता; और २३ नंगमबक्कम हाई रोड, मद्रास-६ से प्राप्त की जा सकती हैं।

वाणिज्य-व्यवसाय

इंजीनियरी के सामान का निर्यात बढ़ा

१९५७ में देश से इंजीनियरी सामान के निर्यात में वृद्धि हुई। भारत से इंजीनियरी की लगभग १२० भिन्न-भिन्न चीजें विदेशों को भेजी जाती हैं। डीजल इंजनों, सिलाई की मशीनों, बिजली के पंखों और खेती के औजारों तथा तेल-मिल की मशीनों के निर्यात में विशेष वृद्धि हुई।

१९५७ में १० लाख रु० से अधिक कीमत के डीजल इंजन बाहर भेजे गये, जबकि १९५६ में ४.२८ लाख रु० के डीजल इंजन बाहर

गये थे। ये इंजन १६न २५ देशों को भेजे गये। मुख्य खरीदारों में बहरीन, ओमान, साइप्रस और थाईदेश शामिल हैं। इस वर्ष ५.६ लाख रु० की सिलाई की मशीनें विदेशों को भेजी गयीं, जबकि पिछले वर्ष ४.३ लाख रु० की मशीनें भेजी गयीं। सिलाई की मशीनें १८ देशों को भेजी गयीं, जिनमें आस्ट्रेलिया, लंका और केनिया मुख्य थे।

बिजली के पंखों का निर्यात भी बढ़ा। १९५७ में १८ लाख रु० से कुछ ज्यादा के पंखे विदेशों को भेजे गये, जबकि पिछले वर्ष १२.७ लाख रु० के पंखे भेजे गये थे। भारतीय पंखे ३० देशों ने खरीदे, जिनमें लंका, बर्मा, मलाया, सिंगापुर, कुवैत और थाईदेश मुख्य हैं। लगभग १.२ लाख रु० के पानी खींचने के पम्प भी भेजे गये, जबकि १९५६ में ५३ हजार रु० के पम्प भेजे गये थे।

मशीनों का निर्यात

खेती के उपकरणों का निर्यात बढ़ा है और पिछले वर्ष ८.८ लाख रु० के मुकाबले में इस वर्ष ११.२ लाख रु० का सामान बाहर भेजा गया। १९५७ में १४.२ लाख रु० कीमत की तेल-मिल की मशीनें विदेशों को भेजी गयीं, जबकि उससे पिछले वर्ष ८.६ लाख रु० की मशीनें बाहर भेजी गयी थीं। कपड़ा-मिलों की मशीनों का निर्यात डेढ़ लाख रु० से बढ़कर २.२ लाख रु० हो गया और चावल तथा आटा मिलों की मशीनों का निर्यात ३४ हजार रु० से बढ़कर १४ लाख रु० हो गया। इस वर्ष ३.८५ लाख रु० की जूते बनाने की मशीनें बाहर भेजी गयीं। पिछले वर्ष इससे आधी कीमत की मशीनें विदेशों को भेजी गयी थीं।

उपर्युक्त मशीनों के अलावा, चीनी मिल की मशीनों, बेदागी इस्पात के बर्तनों आदि का निर्यात भी बढ़ा। लालटेन, साइकिलों के पुर्जे, धातु के बर्तन, ट्रंक आदि के निर्यात में कुछ कमी हुई।

सबसे अधिक इंजीनियरी सामान दक्षिण पूर्वी एशिया को भेजा गया। १९५७ में कुल ४.३६ करोड़ रु० का सामान विदेशों को भेजा गया। इसमें से १.३ करोड़ रु० का सामान दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों ने खरीदा। पश्चिम एशिया ने लगभग १.२८ करोड़ रु० का और अफ्रीका ने लगभग ७६ लाख रु० का सामान खरीदा। आस्ट्रेलिया को ५ लाख रु० का और न्यूजीलैण्ड को २ लाख रु० का इंजीनियरी सामान भेजा गया। संसार के दूसरे देशों को कुल ६८ लाख रु० का सामान भेजा गया।

निर्यात को बढ़ावा

इंजीनियरी सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं। इंजीनियरी-सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए, सरकार की मदद से तीन वर्ष पहले जो परिषद् बनायी गयी थी, उसने विदेशों में दो कार्यालय खोले हैं। इनमें से एक मोम्बासा में और दूसरा रंगून में है। ये कार्यालय भारतीय निर्यातकों को आवश्यक जानकारी देते हैं और विदेशी व्यापारियों से सम्पर्क स्थापित करने में उनकी मदद करते हैं। परिषद् ने विभिन्न देशों को शिष्टमण्डल भी भेजे और इन शिष्टमण्डलों ने जो जानकारी एकत्र की, वह इंजीनियरी सामान बनाने वालों और उसे बाहर भेजने वालों को दी गयी।

विदेशों में स्थित भारतीय व्यापार प्रतिनिधि इंजीनियरी सामान का निर्यात बढ़ाने में विशेष दिलचस्पी लेते हैं। बहुत से व्यापार-करारों में इंजीनियरी सामान को भी निर्यात किये जाने वाले सामान की सूची में शामिल किया गया है। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी इंजीनियरी सामान रखा गया है।

कच्चे मैंगनीज के निर्यात के लिए बड़े कोटे

भारत सरकार ने मैंगनीज के निर्यात के लिए बहुत से निर्यातकों को छोटे-छोटे कोटे देने के स्थान पर थोड़े व्यापारियों को काफी मैंगनीज निर्यात करने के लाइसेंस देने का निर्णय किया है।

सरकार ने जुलाई १९५७ से जून १९५८ के बीच की अवधि में मैंगनीज के निर्यात के लिए २६ मई, १९५७ और २६ जून १९५७ को नीति घोषित की थी। इससे जो परिणाम निकला उस पर ध्यान रखा गया। साथ ही १९५८-५९ की निर्यात-नीति के बारे में विभिन्न व्यापारी संगठनों ने जो सुझाव दिए, उन पर भी सरकार ने विचार किया।

इन सुझावों को ध्यान में रखकर सरकार इस नतीजे पर पहुँची कि यदि कच्चे मैंगनीज के निर्यात के लिए छोटे-छोटे कोटे न देकर बड़े कोटे दिए जाएं और मैंगनीज एक साथ बन्दरगाहों तक ले जाने तथा उसे बाहर भेजने के लिए जहाजों का प्रबन्ध किया जाए तो इससे निर्यात बढ़ेगा।

इसलिए, अब सरकार ने जुलाई १९५८ से जून १९५९ तक की अवधि में कच्चे मैंगनीज के निर्यात के लिए निम्न निर्णय किये हैं :—

(१) जहाज के मालिकों, निर्यातकों (जो खानों के मालिक भी हैं) और राज्य व्यापार निगम का कोटा १९५७-५८ के कोटे के बराबर निर्धारित किया जाएगा।

(२) जिन कम्पनियों का निर्यात-कोटा कम है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपनी सहकारी संस्थाएं या लिमिटेड कम्पनियां बना लें।

(३) सहकारी संस्था या लिमिटेड कम्पनी बनाने के लिए प्रोत्साहन देने के हेतु उन संस्थाओं या कम्पनियों को १० प्रतिशत अधिक कोटा दिया जाएगा, जिनके सदस्यों के वर्तमान कुल कोटों का जोड़ २५,००० टन से अधिक होगा।

(४) जिन्होंने १९५७-५८ में एक से अधिक क्षेत्रों में अच्छा काम किया है उन्हें माल की ढुलाई में अधिक सुविधाएं दी जाएंगी। यदि अधिक माल-डिब्बे उपलब्ध न हों तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी,

जिन्होंने निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में पहले ही अपनी बिक्री के आर्डर रजिस्टर करा लिए हैं।

(५) गरिविदि, श्रीकाकुलम, बोबिली, सलूर और रायगढ़ क्षेत्रों के घटिया कच्चे मेंगनीज के निर्यात के लिए उन सभी लोगों को लाइसेंस दे दिए जाएंगे जो विदेशों में बिक्री के आर्डर दिखा देंगे। इसी प्रकार दोहाद, शिवराजपुर, नाथपुरी और पंचमहल जिले के पानी स्टेशन से ४० प्रतिशत या उससे कम शुद्ध मेंगनीज वाले खनिज के निर्यात के लिए भी लाइसेंस दे दिए जाएंगे। उन्हें ढुलाई में कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।

(६) जो अपने निर्धारित कोटे से अधिक माल बेच सकते हैं या जो जून १९५९ के बाद भी बिक्री कर सकते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक से मिल कर प्रबन्ध कर लें ताकि अगले वर्षों के लिए नीति-निर्धारित होने पर वे आर्डर के अनुसार माल भेज सकें।

एक और निर्यात संवर्द्धन परिषद् की स्थापना

केन्द्रीय सरकार की सहायता से रसायन तथा उससे सम्बन्धित अन्य वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए एक परिषद् स्थापित की गयी है। इस परिषद् में ११ सदस्य होंगे। कलकत्ता के इंडियन कैमीकल्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री चरन राम इस परिषद् की अध्यक्षता करेंगे और इसमें उत्पादकों तथा निर्यातकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

परिषद् का प्रशासन समिति के लिए सरकार की ओर से वाणिज्य सूचना और अंक संकलन विभाग के महानिदेशक, आयात-निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक, (कलकत्ता) और वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक सलाहकार (रसायन) नामजद किए जाएंगे।

विदेशों में भारतीय वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने तथा उत्पादकों में निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात वृद्धि की यह ११वीं परिषद् है। इससे पहले सूती कपड़े और रेयन के कपड़े, इंजीनियरी के सामान, प्लास्टिक, तम्बाकू, काजू और काली मिर्च, अभ्रक, चमड़ा और खेल के सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए परिषदें स्थापित की गयी थीं।

यह परिषद् विदेशों में भारतीय वस्तुओं की मांग के बारे में अध्ययन करेगी तथा विदेशों में प्रतिनिधि नियुक्त करेगी, जिनका काम निर्यात व्यापार के आंकड़े जमा करना होगा। परिषद् भारतीय रसायन तथा अन्य वस्तुओं का विदेशों में प्रचार भी करेगी।

नकली रेशम तथा नकली रेशे के धागे का निर्यात

भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि नकली रेशम के धागे तथा नकली रेशे के धागे के आयात के लिए लाइसेंस, निर्यात-पुस्तक के परिशिष्ट ६२ के अनुसार, अप्रैल से सितम्बर, १९५८ तक के लिए नकली रेशे के कपड़े, नकली रेशम और नकली रेशे के मिले-जुले धागे के बुने कपड़ों के निर्यात के लिए दिये गये लाइसेंसों के अनुसार दिये जाएंगे।

लाइसेंस लेने के लिए आवेदन-पत्र भेजने वालों को चाहिए कि वे आवेदन-पत्र में यह स्पष्ट कर दें कि नकली रेशम के धागे तथा नकली रेशे के धागे के निर्यात के लिए किस अनुपात में उन्हें लाइसेंस दिये जाएं। भारत सरकार ने यह निर्णय निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से किया है।

भारत सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि नकली रेशम के धागे के आयात के लिए जो लाइसेंस दिये जाएंगे, उसके अंतर्गत लाइसेंस लेने वाला नायलान के धागे का भी आयात कर सकते हैं। जिन लोगों को नकली रेशम के निर्यात के अनुसार नकली रेशम के धागे के आयात का लाइसेंस मिल गया है, वे यदि चाहें तो नकली रेशम के स्थान पर नकली रेशे के कपड़े का निर्यात कर सकते हैं।

अलौह धातुओं के आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस

भारत सरकार ने अक्टूबर, १९५८ से मार्च, १९५९ की अवधि में अनुसूचित उद्योगों की कुछ अलौह धातुओं के आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस देने का निर्णय किया है, वे धातुएं हैं: अनढला सीसा, अनढला जस्ता, अनढला टीन और अनढला तांबा।

इन अग्रिम लाइसेंसों से जो अलौह धातुएं मंगायी जाएंगी, वे वहां से ३० सितम्बर, १९५८ के बाद ही जहाजों द्वारा भेजी जा सकेंगी। इनका दाम चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा भेजने की सुविधा भी १ अक्टूबर, १९५८ के बाद ही की जाएगी।

अग्रिम लाइसेंस के लिए सम्बन्धित अधिकारी के मारफत आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक को १५ जुलाई, १९५८ तक निर्धारित फारम पर अर्जी भेज देनी चाहिए। अनुसूचित उद्योगों के अलावा, अन्य उपभोक्ताओं को येअग्रिम लाइसेंस दिये जाएंगे।

स्मरण रहे कि अक्टूबर, १९५७ से मार्च, १९५८ की अवधि में आयातकों को उक्त चारों अलौह धातुओं के आयात के लिए लाइसेंस दिए गए थे।

निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर सीमा-शुल्क की छूट

भारत सरकार ने विदेशों को भेजे जाने वाले फ्रेंच कहवे तथा कहवे का चूर्ण तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, पी० ए० एस० की टिकियों और छाते की तीलियों पर सीमा तथा उत्पादन शुल्क की छूट देने का निर्णय किया है। मढ़े हुए लोहे के तारों पर निर्यात-शुल्क में अब से अधिक छूट दी जाएगी। रंगाई के सामान

तथा पटसन की बनी वस्तुओं के निर्यात में जो छूट दी जाती थी, उसकी दरों में भी कुछ परिवर्तन किये गये हैं। भारत सरकार ने यह निर्णय निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से किया है।

जो लोग इस रियायत से लाभ उठाना चाहते हैं और इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे जिस बन्दरगाह से माल निर्यात किया जायगा, उसके सीमा-शुल्क कलेक्टर से पत्र-व्यवहार करें।

हैटों के निर्यात पर उत्पादन-शुल्क की वापसी

भारत सरकार ने अब, निर्यात होने वाले सोला हैटों में इस्तेमाल होने वाले सामान के उत्पादन-शुल्क में भी छूट देने का निश्चय किया है। सिले हुए कपड़ों, तंबुओं, चीनी की चीजों, सूती थैलों, छतरियों के कपड़े, चद्दरों, तकिये के गिलाफों, मेजपोशों, कशीदे के सामान, लेस, तिरपालों, मच्छरदानियों और चादनियों के बारे में भी इस तरह की छूट दी जाती है।

सूती सोला हैटों के बनाने वालों को, जो अपना माल विदेश भेजना चाहते हैं, उत्पादन-शुल्क की वापसी के बारे में अपने क्षेत्र के कलक्टर आफ सेंट्रल एक्साइज को लिखना चाहिए। उन्हीं से इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है।

लालटेनों, स्पार्किंग प्लगों तथा पेंटों पर शुल्क की वापसी

भारत सरकार ने, निर्यात होने वाली लालटेनों, स्पार्किंग प्लगों और रोगनों (पेंट) में काम आने वाले कच्चे माल के उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क में छूट देने के नियमों का मसविदा प्रकाशित कर दिया है।

लालटेन बनाने में काम आने वाली टीन की चादर पर प्रति टन ६० रु० की छूट मिलेगी। बाकी दो चीजों के बारे में छूट की घोषणा इन चीजों के बनाने वालों के आवश्यक विवरण भेजने पर की जाएगी। इन व्यापारियों को इस बारे में मिनिस्ट्री आफ फाइनांस, डिपार्टमेंट आफ रेवेन्यू, नयी दिल्ली को लिखना चाहिए।

५० लाख रु० की विदेशी मुद्रा की बचत

अखबारी कागज के आयात के लाइसेंस देने की नयी प्रणाली के फलस्वरूप अक्टूबर, १९५७ से मार्च, १९५८ की अवधि में लगभग ५० लाख रु० की विदेशी मुद्रा की बचत की गयी। इस बचत के साथ-साथ अखबारों को अधिक उचित ढंग से कागज दिया गया और इस बचत का अखबारों की जरूरत की मशीनों, फोटोग्राफी के सामान, स्याही आदि चीजों के आयात में इस्तेमाल किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि विदेशी मुद्रा की नियत राशि में ही काम चल गया और अखबारों को कागज और दूसरी चीजें भी प्राप्त हो गयीं।

विदेशी मुद्रा की दिक्कत की वजह से अखबारों को विदेशी कागज आदि मंगाने का लाइसेंस देने की नयी विधि निकाली गयी है। इसके अनुसार पहले, अखबारों के आकार, पृष्ठ-संख्या, सर्कुलेशन और प्रकाशन-क्रम का ख्याल रखा गया और बाद में उनकी पिछली खपत का। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ऐसा प्रबन्ध करने का विचार किया, जिससे न तो कुछ अखबारों को उनकी आवश्यकता से अधिक कागज मिलने पाये और न दूसरे अखबार इससे वंचित रह जाएं। भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार को समाचारपत्रों की ओर से जो ब्योरा भेजा जाता है, उस के आधार पर हर अखबार के लिये कागज के आयात का कोटा निश्चित किया गया। हर अखबार को अपने पास छः महीने तक की खपत का स्टाक भी रखने की अनुमति दी गयी और जिनके पास इससे अधिक स्टाक था, उनका कोटा कम कर दिया गया।

समाचारपत्रों से सलाह

अखबारी कागज की आयात सम्बन्धी इस नयी नीति को अन्तिम रूप देने से पहले प्रकाशकों और समाचारपत्रों के संगठनों के प्रतिनिधियों की भी, समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार ने, इस बारे में सलाह ली और उनके सुझावों को माना भी।

छोटे समाचारपत्रों की कठिनाइयों की ओर विशेष ध्यान दिया गया और उनके बारे में १५ प्रतिशत की उस कटौती को भी लागू नहीं किया गया, जो समाचारपत्रों के प्रकाशकों ने स्वयं स्वीकार कर ली थी। अप्रैल-सितम्बर, १९५८ की अवधि में भी उन छोटे पत्रों को यह रियायत दी जायगी, जो १० टन तक कागज खर्च करते हैं।

कोटा के अनुसार कागज के आयात में देर लगने या इसी प्रकार की अन्य किसी अनपेक्षित कठिनाई का सामना करने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से भी कुछ कागज मंगाने का निश्चय किया है। राज्य व्यापार निगम, जहां तक सम्भव होगा, रुपये-खाते में अखबारी कागज मंगवाने की कोशिश करेगा।

नेपा का अखबारी कागज

नेपा के अखबारी कागज के वितरण का भी अब अधिक संतोषजनक तरीका निकाला गया है। अब समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार की आज्ञा से नेपा मिल अखबारों को कागज देती है।

चूंकि अक्टूबर-मार्च की अवधि में लाइसेंस देने में काफी देर लगी, इसलिए अप्रैल-सितम्बर, १९५८ की अवधि के लाइसेंस देने में जल्दी की जायगी और इसके लिए अर्जियां बन्दरगाहों की बजाय सीधे चीफ कंट्रोलर आफ इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट के कार्यालय में मंगाई गयी हैं।

भारत और अमेरिका में आठ करार

भारत और अमेरिका की सरकारों ने आज आठ भारत-अमेरिकी कार्यक्रम करारों पर हस्ताक्षर किये, जिनके अन्तर्गत भारत को प्राविधिक कार्यों के लिए अमेरिका २,८५,५५५ डालर की सहायता देगा। यह धन-राशि नलकूप आदि बैठाने के लिए पानी की गहराई की जांच, पशुधन-सुधार, औद्योगिक अनुसन्धान, स्वास्थ्य, सहकारिता, शिक्षा और कृषि सम्बन्धी कार्यों पर व्यय किया जाएगा।

अमेरिका ने १९५८ के बजट में भारत को ६३ लाख डालर की प्राविधिक सहायता देने के लिए जो व्यवस्था की है, ये योजनाएं उसी का एक भाग हैं।

भारत सरकार की ओर से वित्त मन्त्रालय के आर्थिक विषयक विभाग के संयुक्त सचिव, श्री एन० सी० सेनगुप्ता, आई० सी० एस०, ने और अमेरिका की ओर से भारत में अमेरिकी प्राविधिक सहयोग मिशन के स्थानापन्न डायरेक्टर, श्री हेरी ए० हिंडेरर ने करारों पर हस्ताक्षर किये।

नलकूप आदि बैठाने के लिए पानी की गहराई का पता लगाने सम्बन्धी करार के अन्तर्गत, राल्फ एम० पारसन्स इंजीनियरिंग कम्पनी का ठेका बढ़ाने के लिए १ लाख ५३ हजार डालर की व्यवस्था की गयी है। अमेरिका की यह फर्म भारत के एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवैल आर्गेनाइजेशन को प्राविधिक कार्यों में सहायता देती है। पिछले वर्ष इस कार्यक्रम के लिए ४० लाख डालर दिये गये थे।

भारत में पशुधन के सुधार के लिए ४१,१०० डालर की व्यवस्था की गयी है। यह धनराशि मवेशी, सूअर और मुर्गी-विकास के लिए और बिक्री की अच्छी व्यवस्था के लिए विदेशों से आवश्यक उपकरण मंगाने में व्यय की जाएगी। स्वास्थ्य-कार्यों पर व्यय की जाने वाली राशि में से ७,५०० डालर केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा विभाग को दृश्य-श्रव्य एवं प्रदर्शन की अन्य सामग्री तथा १४,४३० डालर मलेरिया-उन्मूलन कार्यक्रम को चलाने वाले पांच प्रादेशिक केन्द्रों के लिए ३० खुर्दबीनें तथा अन्य आवश्यक वैज्ञानिक उपकरण खरीदने के लिए देने की व्यवस्था की गयी है।

इस वर्ष के आरम्भ में प्राविधिक सहयोग मिशन ने मलेरिया-उन्मूलन कार्यों के लिए विदेशों से आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए ८७ लाख ३५ हजार डालर दिये थे।

औद्योगिक क्षेत्र में व्यय की जाने वाली राशि में से १३,४५० डालर अमेरिकी विशेषज्ञ की सेवाओं के लिए व्यय करने की व्यवस्था की गयी है, जो राष्ट्रीय निर्माण संस्था के साथ चूने का उत्पादन बढ़ाने और उसे सीमेंट के स्थान पर प्रयोग करने के तरीकों की खोज करेगा। २६,५५० डालर उस इंजीनियर की सेवाओं पर व्यय किये जाएंगे, जो नमक-उत्पादन सम्बन्धी समस्याओं को हल करने का काम करेगा।

कृषि सम्बन्धी करार के अन्तर्गत, प्राविधिक सहयोग मिशन, तिरुअनन्तपुरम, कोयम्बुतूर, बंगलौर, हैदराबाद, नागपुर और ग्वालियर की मिट्टी-परीक्षण सम्बन्धी प्रयोगशालाओं के लिए विदेशों से विभिन्न उपकरण और केन्द्रीय भूसंरक्षण मण्डल के लिये पुस्तकें खरीदने पर ८,५२५ डालर खर्च करेगा।

गोले के आयात लाइसेंस देने के नियम

भारत सरकार के असाधारण सूचना पत्र में प्रकाशित आयात-व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना में बताया गया है कि अप्रैल से सितम्बर १९५८ की अवधि में गोले के आयात के लिए लाइसेंस देने के क्या नियम होंगे। ये लाइसेंस अस्थायी तौर पर दिये जाएंगे।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की विकास-शाखा की सिफारिश पर आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक साबुन बनाने वाले और तेल-कारखाने-दारों को गोले के आयात के लिए लाइसेंस देंगे। ये लाइसेंस उन्हीं को दिये जाएंगे, जिनके नाम वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की विकास-शाखा के पास दर्ज होंगे।

गैर-अनुसूचित साबुन निर्माताओं में उन्हें लाइसेंस दिये जाएंगे, जो उत्पादन शुल्क देते हैं। इन लोगों को चाहिए कि वे अपनी अर्जियां बन्दरगाहों के लाइसेंस अधिकारियों के पास निश्चित फार्म पर नियमानुसार भेज दें।

इन लोगों को लाइसेंस की अर्जियों के साथ अपने कारखाने की रजिस्ट्री का नम्बर और साबुन बनाने अथवा उत्पादन-शुल्क के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पादन कर विभाग द्वारा दिया गया नम्बर देना होगा। उन्हें यह हिसाब भी देना होगा कि गोले, ताड़ तथा अन्य तेलों, चर्बियों आदि की उनके यहां कितनी खपत है और १९५७-५८ को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में उन्होंने कितना उत्पादन-शुल्क दिया है। उन्हें यह भी बताना होगा कि उनका कारखाना बिजली से चलता है अथवा नहीं।

आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक अस्थायी तौर पर उन मान्यता प्राप्त व्यापार संस्थाओं की अर्जियों पर भी विचार करेंगे, जिनके कारखाने बिजली से नहीं चलते। किन्तु इन अर्जियों में यह बात खुलासा होनी चाहिए कि संस्था कितनी पुरानी है, उसकी क्या साख है, कितने उसके सदस्य हैं तथा उसका उत्पादन, कच्चे माल की खपत आदि क्या रही है। उन्हें बताना होगा कि १९५७ के तीनों सालों में उन्होंने गोले का तेल कितना निकाला और उन्होंने कारखाने में जो गोला इस्तेमाल किया उसमें कितना आयात किया और कितना देश में खरीदा। उन्हें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों से प्रमाणपत्र लेने होंगे, जिसमें इस बात की तसदीक होगी कि तीनों सालों में अलग-अलग उनके यहां कितना साबुन बना, गोले के तेल की खपत हर वर्ष क्या रही और उन्होंने कितना गोला पेरा।

गोले के आयात के लाइसेंसों के आधार पर अनुसूचित तथा गैर अनुसूचित दोनों श्रेणियों के व्यापारी अस्थायी रूप से एक निश्चित सीमा तक गोले के तेल का भी आयात कर सकेंगे।

सेल्युलोस एसिटेट फिल्म का आयात

भारत सरकार ने अप्रैल-सितम्बर, १९५६ में सेल्युलोस एसिटेट फिल्म के आयात के लिए केवल उन्हीं को लाइसेंस देने का निर्णय किया है, जो उसका स्वयं उपयोग करते हैं।

ये आयात-लाइसेंस, छोटे उद्योगों के विकास आयुक्त या क्षेत्रीय संयुक्त विकास आयुक्तों की सिफारिशों पर दिये जाएंगे। भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, चालू छमाही से सेल्युलोस एसिटेट फिल्म के आयात पर रोक थी।

जो उक्त किस्म की फिल्म के लिए आयात लाइसेंस लेना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित फारम पर, बन्दरगाहों में लाइसेंस अधिकारियों को १५ अगस्त, १९५८ तक अर्जियां भेज देनी चाहिएं।

मशीनी औजारों का आयात

भारत सरकार ने मशीनी औजारों की आयात-नीति में घोषणा की थी कि आयातकों को मशीनी औजारों के आयात के लिये तदर्थ आधार पर लाइसेंस दिए जाएंगे।

अब भारत सरकार ने निर्णय किया है कि चालू छमाही में आयातक मशीनी औजारों के कोटे का ४० प्रतिशत पौंड-क्षेत्रों से और ४० प्रतिशत दूसरे क्षेत्रों से आयात कर सकते हैं। सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि चालू छमाही में पौंड क्षेत्रों से मशीनी औजार मंगाने के लिए आयातक को जितने मूल्य का कोटा दिया जायगा, वह उस पूरे मूल्य के मशीनी औजार डालर क्षेत्रों से भी मंगा सकता है।

आयातक को मशीनी औजार मंगाने के लिए जितने मूल्य का कोटा दिया गया है, वह उसके ८५ प्रतिशत मूल्य के मशीनी औजार खरीद सकता है। बाकी १५ प्रतिशत के उसे मशीनी औजारों के वे पुर्जे खरीदने चाहिएं, जिनके लिए विकास अधिकारी (टूल्स) विशेष रूप से स्वकृति दे। पुर्जे मंगाने के लिए अतिरिक्त लाइसेंस नहीं दिये जाएंगे।

मशीनी औजार मंगाने के लिए अर्जी देने की अन्तिम तारीख ३० जून से बढ़ाकर, ३१ जुलाई, १९५८ कर दी गयी है।

कच्चे ऊन और ऊनी लच्छों का आयात

भारत सरकार ने कच्चे ऊन और ऊनी लच्छों के वास्तविक उपभोक्ताओं को अक्टूबर, १९५८ से मार्च १९५९ तक की अवधि में अस्थायी तौर पर अग्रिम लाइसेंस देने का निर्णय किया है। इससे ऊन उद्योग को कच्चा माल निरन्तर मिलता रहेगा और उसके उत्पादन का कार्यक्रम सिलसिलेवार ढंग का बनाया जा सकेगा।

इस विज्ञप्ति के अनुसार जो लाइसेंस जारी किये जाएंगे, उनसे ३० सितम्बर, १९५८ के बाद ही माल मगाया जा सकेगा और उसके लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा १ अक्टूबर, १९५८ के बाद ही मिल सकेगी।

इन लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र भेजने वाले उपभोक्ताओं को चाहिये कि वे लाइसेंस देने वाले अधिकारियों को कच्चा माल भेजने वाले फर्म का नाम, देश का नाम, विक्रेता का नाम, माल मिलने का समय माल की कीमत आदि के बारे में पूरी जानकारी दें और जुलाई, १९५८ तक निर्धारित फार्मों पर 'ज्वाइण्ट चीफ कण्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट, बम्बई' के पते पर आवेदन पत्र भेज दें। उपभोक्ता यह बात अवश्य ध्यान में रखें कि कच्चे ऊन और ऊनी लच्छों के लिये अक्टूबर, १९५७ से मार्च, १९५८ तक की अवधि में जो लाइसेंस दिये गये थे वे उपभोक्ताओं की बारह महीनों की अर्थात् सितम्बर, १९५८ तक की आवश्यकताओं पर आधारित थे।

भारत-बलगेरिया व्यापार-करार की अवधि बढ़ी

भारत और बलगेरिया में १८ अप्रैल, १९५६ को जो व्यापार-करार हुआ था, उसकी अवधि २१ दिसम्बर, १९५८ तक बढ़ा दी गयी है। २० जून, १९५७ को करारनामे की अनुसूचियों में कुछ परिवर्तन किए गये थे। अब करारनामे की अवधि बढ़ाते समय उन संशोधित अनुसूचियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

करारनामे में जो अनुसूचियां दी गयी हैं, उनमें भारत से बलगेरिया को भेजी जाने वाली मुख्य वस्तुओं के नाम इस प्रकार हैं : चाय, कहवा, मसाले, कच्चा तम्बाकू, वनस्पति तेल, लाख और चपड़ा, कपास, ऊन, दवाएं, साइकिलें और उनके पुर्जे, नारियल के रेशे और उसका सामान, खेल का सामान आदि।

बलगेरिया से ये चीजें भारत आएंगी : पेनिसिलीन आदि दवाएं, रसायन, बिजली का सामान और मशीनें, डीजल इंजन, रेडियो, सीमेंट, कागज-पत्र आदि।

१९५७ के पहले ११ महीनों में भारत से लगभग २ लाख रु० का सामान बलगेरिया भेजा गया और वहां से १२ लाख रु० का सामान आया। १९५६-५७ के वित्तीय वर्ष में ४ लाख ७१ हजार रु० का सामान भेजा गया था और २२ लाख ३० हजार रु० का सामान वहां से आया था।

जनवरी, १९५७ में भारत का विदेशी व्यापार

वाणिज्य सूचना तथा अंक विभाग में अब तक की जानकारी के अनुसार जनवरी १९५८ में निजी और सरकारी रूप में जल, स्थल और

हवाई मार्ग से भारत के विदेशी व्यापार के कच्चे आंकड़े निम्नलिखित हैं।

व्यापारी माल :—इसमें भारत से होकर पाकिस्तान तथा अन्य देशों—नेपाल, तिब्बत, सिक्किम और भूटान को आने जाने वाला माल शामिल नहीं है। निर्यात—५३ करोड़ ३० लाख, पुनर्निर्यात—१ करोड़ ५३ लाख, आयात—६५ करोड़ ४८ लाख; कुल व्यापार—१ अरब ३० करोड़ २६ लाख।

कोष :—नोटों का निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)—४१ लाख रु०; सोना—५ लाख रु०, चालू सिक्के (सोने के सिक्कों के अलावा)—नगण्य, नोटों का आयात—४ करोड़ २१ लाख, सोने का आयात ३ लाख रु०; चालू सिक्कों का आयात (सोने के सिक्कों के अलावा)—नगण्य।

व्यापार-तुला :—आयात के उक्त आंकड़ों में वह सरकारी सामान शामिल नहीं, जिसका हिसाब होना बाकी है। इसे ध्यान में रखकर यदि आयात निर्यात की तुलना की जाए तो व्यापारी माल और सोने का कुल निर्यात (जिसमें पुनर्निर्यात भी शामिल है) आयात से १० करोड़ ६८ लाख रु० कम रहा।

वित्त

फरवरी ५८ में शुल्कों से आय

वाणिज्य सूचना तथा अंक विभाग की जो जानकारी मिली है, उससे पता चलता है कि स्थल, वायु और समुद्री मार्ग से आने-जाने वाले माल पर सरकार को कुल १३ करोड़ ३१ लाख रु० सीमा-शुल्क मिला। पिछले साल के इसी महीने की वह आमदनी १४ करोड़ ४६ लाख रु० थी।

कुल सीमा-शुल्क में से ११ करोड़ २६ लाख रु० आयात-शुल्क (पिछले साल इसी महीने में ११ करोड़ ४७ लाख रु०) से और १ करोड़ ६० लाख रु० निर्यात-शुल्क (पिछले साल के इसी महीने में २ करोड़ ६७ लाख रु०) से मिला। स्थल-मार्ग के सीमा-शुल्क से और फुटकर ३२ लाख रु० (पिछले साल ३५ लाख रु०) और हवाई रास्ते से सीमा-शुल्क से १४ लाख रु० प्राप्त हुआ। हवाई-मार्ग के सीमा-शुल्क के बारे में पिछले साल के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से इस महीने सरकार को २५ करोड़ ११ लाख रु० की आमदनी हुई। पिछले साल की यह आमदनी १५ करोड़ ६४ लाख रु० थी।

अप्रैल, १९५७ से फरवरी, १९५८ तक के ११ महीनों में सरकार को सीमा-शुल्क और उत्पादन-शुल्क से कुल ४ अरब १३ करोड़ २५ लाख रु० प्राप्त हुआ। पिछले साल के इन्हीं महीनों की वह आमदनी ३ अरब ३० करोड़ २८ लाख रु० थी। इसमें से आयात-शुल्क से १ अरब ३८ करोड़ ४ लाख रु० (पिछले साल १ अरब २७ करोड़ ६६ लाख रु०), निर्यात-शुल्क से २२ करोड़ ४६ लाख रु० (पिछले साल २८ करोड़ १४ लाख रु०), स्थलीय चौकियों पर सीमा-शुल्क से और फुटकर ४ करोड़ ६७ लाख रु० (पिछले साल ३ करोड़ ३१ लाख रु०) और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क से २ अरब ४५ करोड़ ८१ लाख रु० (पिछले साल १ अरब ७१ करोड़ १४ लाख रु०) और वायु-मार्ग पर सीमा-शुल्क से १ करोड़ ६४ लाख रु० मिला।

अमरीकी बैंक से १५ करोड़ रु० का ऋण

भारत की विकास योजनाओं के लिए मशीनें आदि खरीदने के लिए १५ करोड़ डालर का ऋण देने के सम्बन्ध में भारत और अमेरिका की निर्यात-आयात बैंक के प्रतिनिधियों ने १२ जून, १९५८ को एक करार पर हस्ताक्षर किये। यह ऋण के प्रतिशत ब्याज की दर से १५ वर्ष के लिए दिया गया है। मूलधन की अदायगी १५ जनवरी, १९६४ से शुरू होगी।

जैसी कि इस बैंक के द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में सामान्य शर्त होती है, सभी माल अमेरिका से ही खरीदा जाएगा और वह अमेरिका के जहाजों में ही जाएगा। इस ऋण से जो भी मशीन आदि खरीदी जाएंगी, उनके लिए आर्डर अगले १२ महीनों में दे दिया जाएगा।

खाद्य और खेती

१९५७-५८ में खरीफ के अनाजों की उपज और क्षेत्रफल

१९५७-५८ के संशोधित अखिल भारतीय प्राक्कलन के अनुसार चालू वर्ष में चावल, ज्वार, बाजरे, मक्के और रागी की खेती का क्षेत्रफल १६,३५,५०,००० एकड़ और उपज ४,१२,२२,००० टन रही। १९५६-५७ के आंशिक संशोधित प्राक्कलन के अनुसार उपरोक्त अनाजों की खेती का क्षेत्रफल १६,२५,६६,००० और उपज ४,३१,४०,००० टन थी। इस प्रकार चालू वर्ष में इन अनाजों का क्षेत्रफल पिछले वर्ष के क्षेत्रफल से ६,५१,००० अर्थात् ०.६ प्रतिशत अधिक और उपज १६,१८,००० टन अर्थात् ४.४ प्रतिशत कम रही।

चावल की फसल

इस साल चावल की उपज पिछले साल से ३५ लाख टन अर्थात् १२.२ प्रतिशत कम रही, हालांकि क्षेत्रफल में कमी बहुत साधारण थी। फिर भी इस साल चावल की उपज पहली पंचवर्षीय आयोजना के सालों की औसत उपज के लगभग बराबर ही है।

चावल की उपज में कमी कारण यह रहा कि देश के उत्तर पूर्वी और मध्य भागों—त्रिपुरा, आसाम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान और बम्बई में सितम्बर से दिसम्बर १९५७ के बीच मानसून न आने से सूखा पड़ गया। बिहार में चावल की उपज १५ लाख टन, उड़ीसा में ४ लाख टन और पश्चिम बंगाल में ४ लाख टन कम रही। दक्षिणी राज्यों में मौसम अनुकूल होने से आन्ध्रप्रदेश में इस साल उपज पिछले साल से २ लाख ३० हजार टन अधिक और मैसूर में १ लाख ७० हजार टन अधिक रही।

इस साल ज्वार और बाजरे की उपज पिछले साल से १५ लाख टन अधिक रही। यह वृद्धि आन्ध्रप्रदेश, बम्बई, पंजाब, मैसूर, उत्तरप्रदेश और राजस्थान में विशेष हुई। मक्के और रागी की उपज में बहुत साधारण वृद्धि हुई।

फसल बढ़ने के समय मौसम अनुकूल होने से इस साल ज्वार और बाजरे की उपज भी बढ़ी। इस प्राक्कलन में कोदों, सवा आदि मोटे अनाजों को शामिल नहीं किया गया है। इनका अखिल भारतीय संशोधित प्राक्कलन जून १९५८ में तैयार किया जाएगा। १९५६-५७ के अखिल भारतीय प्राक्कलन में इन अनाजों का क्षेत्रफल १,२२,१०,००० एकड़ और उपज लगभग २० लाख टन थी।

खादों को मिलाकर डालने से उपज में वृद्धि

खेती के उन्नत तरीके निकालने के लिए प्रयोगशालाओं में जो अनुसन्धान होते हैं, उनकी उपयोगिता भारतीय किसान तभी स्वीकार करता है जब वह उनके लाभ अपनी आंखों से और अपने ही खेत में देख लेता है। इसलिए दूसरी आयोजना में भी इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि उर्वरकों को किसानों के निजी खेतों में डालकर उनकी उपयोगिता आंकी जाय।

अनुसन्धानों के परिणाम

इस नीति के अनुसार नयी दिल्ली की भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था ने देश के विभिन्न भागों में गेहूँ और धान के ६,०८० खेतों में तरह-तरह के उर्वरकों की आजमाइश की। यह काम भारत और अमेरिका के बीच हुए प्रविधिक समझौते के अन्तर्गत किया गया। इससे चार बातों का पता चला।

पहली यह कि कैसी भी जमीन में नत्रजन उर्वरक डालने से उपज बढ़ती है। दूसरे भारत की अधिकांश जमीन में फास्फेट उर्वरक डालने से गेहूं और धान की उपज बढ़ती है। तीसरे, अगर नत्रजन उर्वरक १। मन फी एकड़ से ज्यादा और फास्फेट-उर्वरक १॥ मन फी एकड़ से ज्यादा डाले गए तो औसत उपज बढ़ने के बजाय घटेगी। चौथे, इस बात का पता लगा कि उर्वरकों को मिलाकर डालने से धान और गेहूं की उपज बढ़ सकती है।

गेहूँ की खेती में प्रयोग

उदाहरणार्थ, गेहूँ के खेत में १। मन अमोनियम सल्फेट फी एकड़ डालने से लगभग ३ मन अनाज हुआ, लेकिन फी एकड़ २॥ मन से अधिक उर्वरक डालने से उसी हिसाब से उपज नहीं बढ़ी। इसी तरह फी एकड़ २ मन से अधिक सुपरफास्फेट डालने से भी उपज उसी अनुपात से नहीं बढ़ी। जैसे, १॥ मन सुपरफास्फेट डालने से २ मन १२ सेर गेहूँ अधिक पैदा हुआ, लेकिन १॥ मन खाद और डालने से अतिरिक्त उपज मन भर ही रह गयी। किन्तु खेतों में मिलाकर उर्वरक डालने से लाभ हुआ। फी एकड़ अमोनियम सल्फेट १। मन और सुपरफास्फेट १॥ मन डालने से उपज फी एकड़ ४ मन ८ सेर बढ़ी।

धान की खेती में प्रयोग

उर्वरकों को मिला कर डालने से धान की उपज में और भी ज्यादा वृद्धि हुई। एक फसल वाली जमीन में फी एकड़ १। मन अमोनियम सल्फेट डालने से धान की उपज में ४ मन २४ सेर और दो फसल वाली जमीन में २॥ मन अमोनियम सल्फेट डालने से करीब ६॥ मन की वृद्धि हुई। इसके मुकाबले सुपरफोस्फेट कुछ कम असर करता है, जैसे १॥ मन सुपरफास्फेट डालने से धान की उपज फी एकड़ ३॥ मन बढ़ी। किन्तु फी एकड़ १। मन अमोनियम सल्फेट और १॥ मन सुपरफास्फेट मिलाकर डालने से फी एकड़ उपज में ६॥ मन वृद्धि हुई।

विविध

अप्रैल १९५८ में थोक भावों का उतार-चढ़ाव

अप्रैल, १९५८ में थोक भावों का सूचक अंक (१९५३ को आधार =१०० मानकर) मार्च, १९५८ के १०५.४ से २.० प्रतिशत बढ़कर १०७.५ हो गया। अप्रैल, १९५७ के सूचक अंक १०६.५ से यह अंक ०.९ प्रतिशत अधिक है। इस सप्ताह खाद्य-सामग्री समूह का सूचक अंक २.८ प्रतिशत बढ़कर १०५.२, ईंधन, बिजली और प्रकाश-सामग्री समूह का ०.१ प्रतिशत बढ़कर ११४.६, औद्योगिक कच्चे माल का २.६ प्रतिशत बढ़कर ११४.२, तैयार माल का ०.५ प्रतिशत बढ़ कर १०८.१ होगया और तम्बाकू का १.७ प्रतिशत गिरकर ९१.७ रह गया।

खाद्य सामग्री समूह :—चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरे और जौ के भाव बढ़ जाने से अनाजों का सूचक अंक २.१ प्रतिशत बढ़कर ६७.२ हो गया, हालांकि रागी का भाव गिर गया था। दालों का सूचक अंक ५.६ प्रतिशत बढ़कर ८२.४ हो गया। फल और शाकों में आलू, संतरे और केले के भाव बढ़े तथा प्याज और काजू का गिरा। सब मिलाकर इस उपसमूह का सूचक अंक १०.२ प्रतिशत बढ़कर १०८.० हो गया। घी और दूध के भाव बढ़ जाने से इसका सूचक अंक २.३ प्रतिशत बढ़कर १०५.२ हो गया। खाद्य तेलों के भी भाव बढ़े, इसलिए इस उपसमूह का सूचक अंक ४.२ प्रतिशत बढ़कर ११२.८ हो गया। मछली, अंडे और मांस उपसमूह में केवल मांस का भाव गिर जाने से सूचक अंक ०.२ प्रतिशत गिरकर १०२.३ रह गया, हालांकि मछली और अंडों के भावों में तेजी आ गयी थी। गुड़ का भाव बढ़ जाने से चीनी और गुड़ उपसमूह का सूचक अंक १.६ प्रतिशत बढ़कर ११३.५ हो गया। इस महीने चाय, काली मिर्च, लौंग और हल्दी के भाव बढ़े और कहवे, लाल मिर्च और नमक के गिरे। कुल मिलाकर इन सबका सूचक अंक २.२ प्रतिशत बढ़कर १३०.७ हो गया।

तम्बाकू :—कच्ची तम्बाकू की कीमतें गिर जाने से इस समूह का सूचक अंक १.७ प्रतिशत गिरकर ६१.७ रह गया।

ईंधन, बिजली और प्रकाश-सामग्री :—रेंडी के तेल का भाव बढ़ जाने से इस समूह का सूचक अंक पिछले महीने के ११४.५ से मामूली बढ़कर ११४.६ हो गया।

औद्योगिक कच्चा माल :—कच्चे पटसन, कच्चे पाट और कच्ची ऊन के भाव बढ़ जाने से 'रेशों' का सूचक अंक १.८ प्रतिशत बढ़कर ११२.१ हो गया, हालांकि इस महीने कपास का भाव गिर गया था। तेलहनों का सूचक अंक ५.० प्रतिशत बढ़कर ११८.७ हो गया और खनिजों का १.८ प्रतिशत गिरकर १०६.२ रह गया। लाख का भाव गिर जाने से 'अन्य औद्योगिक कच्चे माल', का सूचक अंक ०.२ प्रतिशत गिरकर ११०.० रह गया। कच्ची खाल, कच्चे चमड़े, चमड़ा कमाने में काम आने वाली सामग्री, इमारती लकड़ी तथा लट्ठों के भाव इस महीने बढ़ गए थे।

अध तैयार माल :—रेयन सूत, नारियल रेशे, अलुमुनियम, जस्ते, पीतल, तांबे, सीसे और जर्मनी चांदी के भाव बढ़े और चमड़े तथा सूत के गिरे। कुल मिलाकर इस समूह का सूचक अंक पिछले महीने के २०६.८ से १.६ प्रतिशत बढ़कर १०८.८ हो गया।

तैयार माल :—पटसन से बनी चीजों के भाव २.४ प्रतिशत बढ़ने से सूचक अंक ८८.१ और रेशम तथा रेयन से बनी वस्तुओं के भाव ०.३ प्रतिशत बढ़ने से ६२.८ हो गया। मिल और हथकरघे के कपड़े की कीमतें ०.६ प्रतिशत गिर जाने से सूचक अंक ११५.४ रह गया। किन्तु कुल मिलाकर 'कपड़ा समूह' का सूचक अंक पिछले महीने की तरह १०५.६ रहा। धातु से बनी चीजों का सूचक अंक भी पहले की तरह १४३.४ रहा। रसायनों का सूचक अंक ०.३ प्रतिशत गिरकर ६६.० और खली का ४.२ प्र० श० बढ़कर ११.६ रहा। मशीन और परिवहन-सामान उपसमूह का सूचक अंक पिछले महीने के १०२.६ से बढ़कर १०२.८ हो गया। कुल मिलाकर तैयार माल का सूचक अंक पिछले महीने के १०७.७ से ०.२ प्रतिशत बढ़कर १०७.६ हो गया।

थोक भावों के उतार चढ़ाव की साप्ताहिक समीक्षा

१० मई, १९५८ को समाप्त सप्ताह

इस सप्ताह में थोक भावों का सूचक अंक (मार्च १९५३ को समाप्त वर्ष को आधार = १०० मानकर) पिछले सप्ताह के संशोधित सूचक अंक १०७.७ से ०.२ प्रतिशत बढ़कर १०७.६ हो गया। इस सप्ताह का अंक पिछले महीने के इसी सप्ताह के सूचक अंक से ०.७ प्रतिशत अधिक और पिछले वर्ष के इसी सप्ताह के सूचक अंक से ०.६ प्रतिशत कम है।

१७ मई, १९५८ को समाप्त सप्ताह

इस सप्ताह में थोक भावों का सूचक अंक ०.२ प्रतिशत बढ़कर १०८.० हो गया। इससे पहले सप्ताह यह सूचक अंक १०७.८ (संशोधित) था। पिछले महीने के इसी सप्ताह में यह सूचक अंक लगभग इतना ही था और पिछले वर्ष के इसी सप्ताह से १.८ प्रतिशत कम रहा।

२४ मई, १९५८ को समाप्त सप्ताह

इस सप्ताह में थोक भावों का सूचक अंक पिछले सप्ताह के सूचक अंक १०८.० से ०.६ बढ़कर १०८.७ हो गया। इस सप्ताह का सूचक अंक पिछले महीने के इसी सप्ताह के सूचक अंक से १.० प्रतिशत अधिक रहा और पिछले साल के इसी सप्ताह के सूचक अंक से १.५ प्रतिशत कम रहा।

३१ मई, १९५८ को समाप्त सप्ताह

३१ मई, १९५८ को समाप्त सप्ताह में थोक भावों का सूचक अंक (मार्च १९५३ को आधार = १०० मानकर) पिछले सप्ताह के सूचक अंक १०८.७ से ०.२ प्रतिशत बढ़कर १०८.६ हो गया। इस सप्ताह का सूचक अंक पिछले महीने के इसी सप्ताह के सूचक अंक से १.२ प्रतिशत अधिक और पिछले साल के इसी सप्ताह के सूचक अंक से १.७ प्रतिशत कम रहा। मई, १९५८ में थोक भावों का औसत सूचक अंक १०८.२ था, जबकि पिछले महीने का संशोधित सूचक अंक १०७.४ था। मई, १९५७ का सूचक अंक १०६.० था।

भारत का विदेशी व्यापार

सिंघ, श्रीवास्तव

सी. एस् ओ क १३०-६-५८

प्रमुख वस्तुओं का आयात
समुद्र वायु तथा स्थल मार्ग द्वारा
१९५६ तथा १९५७ में
जनवरी — अक्तूबर
१९५६
१९५७
लोहे और इस्पात से निर्मित वस्तुएं
अलौह धातुएं
मशीनें
परिवहन उपकरण
पेट्रोलियम, तेल तथा चिकनाहट
रुई कच्ची
जूट कच्चा
नकली रेशम का तागा
रासायनिक पदार्थ तथा यौगिक
फल, सुपारी तथा सब्ज़ियाँ
अनाज
चिकित्सा सम्बंधी सामान तथा दवाइयाँ
चमड़ा कमाने तथा रंगने का सामान
कागज़ तथा कागज़ से निर्मित वस्तुएं
नारियल का गोला
ऊन के लच्छे
अन्य वस्तुएं
करोड़ रुपये
मलहोत्रा, श्रीवास्तव

प्रमुख वस्तुओं का निर्यात
समुद्र वायु तथा स्थल मार्ग द्वारा

१९५६ तथा १९५७ में
जनवरी — अक्तूबर

१९५६
१५० १२० ९० ६० ३० ०

१९५७
० ३० ६० ९० १२० १५०

चाय
जूट से बनी वस्तुएं
सूती कपड़ा
खनिज मैंगनीज
खनिज लोहा तथा लोहा युक्त अन्य पदार्थ
चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुएं
रुई कच्ची तथा रद्दी
वनस्पति तेल
तम्बाकू कच्ची
काजू की गिरी
मसाले
अबरक
गोंद, राल तथा लाख
चमड़ा तथा खालें बिना साफ की हुई
काफी
जटा के रेशे तथा तागा और जटा से बनी वस्तुएं
निर्यात की अन्य वस्तुएं
पुनर्निर्यात

१५० १२० ९० ६० ३० ० — ० ३० ६० ९० १२० १५०

करोड़ रुपये

मलहोत्रा, पवार

सी एस ओ क्र ३११/६-५८

सांख्यकी विभाग

१. औद्योगिक उत्पादन*

[१] बुनाई उद्योग

वर्ष	१ सूत (लाख पौंड)	२ सूती कपड़ा (लाख गज)	३ [क] जूट का माल (००० टन)	४ [ख] ऊनी माल (धागा) (००० पौंड)	५ पट्टे (टन)
१९५०	११,७४८	३६,६४८	८३५.२	१८,०००	५१०.०
१९५१	१३,०४४	४०,७३४	८७४.८	१७,७००	६७५.६
१९५२	१४,४६६	४५,९८४	९५१.६	१९,५८४	७०६.२
१९५३	१५,०६०	४८,७८०	८६८.८	१९,२४८	७५८.४
१९५४	१५,६१२	४९,९८०	९२७.६	१९,३५६	८४०.०
१९५५	१६,३०८	५०,९४०	१,०२७.२	२०,७००	८२५.६
१९५६	१६,७१६	५३,०७६	१,०९३.२	२५,५४०	८१४.८
१९५७	१७,८०१	५३,१७४	१०२९.६	२७,७९२	७१२.८
१९५७ मई	१,५००	४,५२१	८७.३	२,१८५	६३.६
जून	१,३७०	४,१९६	८०.१	२,२१७	४६.६
जुलाई	१,५०२	४,५८६	८५.६	२,४२७	४६.२
अगस्त	१,४४१	४,२०५	८१.६	२,४८५	४७.७
सितम्बर	१,५०९	४,४३७	८६.०	२,६२०	४५.७
अक्तूबर	१,४२४	४,१५४	८३.५	२,५८१	५४.२
नवम्बर	१,४६१	४,३१५	९१.६	२,६४२	६०.६
दिसम्बर	१,५२७	४,३८२	९२.८	२,६५९	७०.७
१९५८ जनवरी	१,४८७	४,३६५	९८.३	२,२६६	५७.६
फरवरी	१,३२९	३,९१४	८५.३	...	६६.६
मार्च	—	...	...	...	...
अप्रैल	...	...	—	...	...

[क] जनवरी १९४९ से ये आंकड़े इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन के सदस्य मिलों तथा एक गैर सदस्य मिल के उत्पादन के सम्बन्ध में हैं। [ख] इसमें जम्मू और काश्मीर के आंकड़े भी सम्मिलित हैं।

[२] लोहा और इस्पात

वर्ष	६ कच्चा लोहा (००० टन)	७ सीधी ढलाई (००० टन)	८ लौह मिश्रित धातु (००० टन)	९ इस्पात के पिण्ड और ढलाई (००० टन)	१० अधूरा तैयार इस्पात (००० टन)	११ तैयार इस्पात (००० टन)
१९५०	१,५९२.४	९८.४	१८.०	१,४३७.६	१,२४२.४	१,००४.४
१९५२	१,७०८.८	९२.४	२४.०	१,५००.०	१,२४९.२	१,०७६.४
१९५२	१,६८४.८	१२९.६	४०.८	१,५७८.०	१,३०८.०	१,१०२.८
१९५३	१,६५४.८	११५.२	७.२	१,५०७.२	१,२३०.०	१,०२३.६
१९५४	१,७६२.८	१२७.२	४०.८	१,६८४.८	१,४५२.०	१,२४३.२
१९५५	१,७५६.८	१२३.०	१२.०	१,७०४.०	१,४५६.८	१,२६०.०
१९५६	१,८०७.२	१२२.४	२८.८	१,७३७.६	१,४८४.४	१,३१६.४
१९५७	१७८६.२	११२.८	९.६	१,७१४.८	१,४४०.०	१,३४६.४
१९५७ मई	१४५.१	१२.६	०.२	१३६.४	११८.४	११०.८
जून	१३३.७	१२.४	०.५	१२९.४	१०२.८	१०१.४
जुलाई	१४२.०	७.६	०.८	१३३.७	११७.८	११०.३
अगस्त	१४४.७	९.२	०.७	१३६.७	११७.६	११३.०
सितम्बर	१४६.९	८.०	.६	१४४.३	१२३.५	११२.५
अक्तूबर	१५४.५	८.९	०.६	१५०.४	१११.३	१०८.७
नवम्बर	१५३.३	११.७	०.७	१४६.१	११८.८	११६.४
दिसम्बर	१६०.२	७.८	३.२	१५४.७	१२४.२	११४.७
१९५८ जनवरी	१६२.६	७.५	५.०	१६४.५	१३६.५	११४.२
फरवरी	...	...	...	—	—	—
मार्च	—	...	—	—	...	...
अप्रैल	—	...	—	...	...	...

* नवीन रिपोर्टों के अनुसार इन अंकों में संशोधन हो सकता है।

स्रोत—(१) १९५० से १९५६ और मई ५७ से मार्च ५८ तक के आंकड़े :—औद्योगिक अंक-संकलन निदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित 'भारत में चुनी हुई वस्तुओं के उत्पादन के मासिक आंकड़े' नामक पुस्तक से।

(२) अप्रैल १९५८ के आंकड़े :—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की विकास शाखा, नयी दिल्ली से।

१. औद्योगिक उत्पादन

[३] धातु-उद्योग

वर्ष	१२ लकड़ी के पेच (००० ग्रोस)	१३ मशीनी पेच (००० ग्रोस)	१४ रेजर ब्लेड (लाख)	१५ हरीकेन लालटेनें (०००)	१६ गैस के लैम्प (०००)	१७ तामचीनी का सामान (००० संख्या)	१८ जालिया (टन)	१९ डुप्लिकेटर (संख्या)
१९५०	७०३.२	१५६.९	१०१.८	२,८०१.८	- ३८.४	५,४४५ ९	२,१४८	७५९
१९५१	७६९.८	१२७.२	२२६.२	३,६७१ ८	३२ ४	८,१३०.०	१,८६९	१,५९०
१९५२	१,३२६.३	१४७.३	१०८.०	३,५२३ २	३४.८	७,३६०.८	२,०१३	१,०२०
१९५३	२,५७१.३	१९८.०	२३१.३	४,३१२.८	३०.०	६,४८३.३	१,९५९	६२४
१९५४	५,१६७.२	२२६.२	१,३१४.०	४,६८७.२	३७.२	१४,६७७ २	२,४१२	१,१२८
१९५५	६६६२.४	-९४०.८	१,७४१.०	५,४८७.३	५८.८	१५,७१९ ४	२,३२८	२,०८८
१९५६	७,७१४.८	१,२७८.०	२,९५२.०	५,१७६.२	८४.०	१५,४३२.०	१,४१९	२,७८४
१९५७	८,३७२.४	१,३६०.२	३,३६४.८	४१४८.४	६८.४	१३,९५९.०	१,१५२	२,८३८
१९५७ मई	७२७.३	१२९.१	३५९.४	३९३.८	१०.८	१,१८०.४	८०	२४५
जून	५६३.७	६०.०	२४३.५	३८२ ६	७ ६	१,०६८.४	५६	१४५
जुलाई	७८७.३	११५.४	२३०.३	३३३.२	८.५	१,०८६.५	१०७	१८५
अगस्त	९०७ ६	११७ ९	२२५.५	३१५ ४	४.७	१,२८१.३	१०२	६१
सितम्बर	६३५ ६	१४०.२	१८५.७	२९३.०	२.३	१,१६५.३	६१	९८
अक्तूबर	९७२.४	१२४ ४	१८६.०	२४०.८	५.५	१,०२९.१	१२	१७१
नवम्बर	९१६ ९	१२६.१	२३८.४	२६७ ७	९.२	१,१२४ ७	१३६	३७०
दिसम्बर	९०१.०	११६.१	२१०.३	२७१.६	१०.०	१,२४६.५	१०६	३२६
१९५८ जनवरी	९८९.४	१४८.३	३१८ ८	२७६.३	६.५	१,३६५.६	८६	३९४
फरवरी	५५१.२	१५४.४	७५६.१	१७३ ६	९.६	१,९५८.१	६१	१८१
मार्च	३०१.९	१४३,२	..	२३८.६	६ ३	...	५९	२०६
अप्रैल	...	...	—	...	—	...	..	...

[४] मशीनें (बिजली की मशीनों के अतिरिक्त)

वर्ष	२० डीजल इंजिन (संख्या)	२१ शक्ति चालित पम्प (०००)	२२ सिलाई की मशीनें (ग) (संख्या)	२३ मशीनी औजार (मूल्य ००० रुपये)	२४ ट्विस्ट ड्रिल्स (०००)	२५ कोलिको करघे (संख्या)	२६ रिंग स्पिनिंग फ्रेम (पूर्ण) (संख्या)	२७ सान रखने के चक्के (००० पौंड)	२८ धुनाई की मशीनें घूमने वाली चपटी (संख्या)
१९५०	४,५६९	३०.०	३०,८८८	२,९९०.४	४४५.२	...	...	५०० ४	...
१९५१	७,२४८	४०.८	४४,४९०	४,७३० ४	१,०१७ ९	२,५०८	२७१	७०८.०	...
१९५२	४,२४८	३२.४	५०,०४०	४,४३७.९	७७५ २	२,३०४	२८८	८९५.२	१०८
१९५३	३,७२०	२५.२	९२,४२४	४,४०७.९	३३४.८	२,४२४	२०४	८०७.९	१६२
१९५४	८,९५२	२८.८	८०,१६९	५,००२.८	५३८.८	१,८८४	३३०	१,१३४ ०	४१२
१९५५	१०,२२४	३४.८	१,०१,४७२	७,४४०.०	७७८.८	२,७३९	८९४	१,४३८ ८	९००
१९५६	११,६४०	४९.८	१,३०,३६२	८,३०२.८	१,५४६.२	२,८९८	१११९	२,४७८.०	७३२
१९५७	१३,५१२	६२.९	१,९९,६२०	२५,००९ ८	२,२५८.४	२,८९८	११६८	३,२३२.८	१०२०
१९५७ मई	१,३५२	४.६	१४,४०९	२४९१ ८	३११.७	२५६	११५	३०५.६	४८
जून	१,२३०	४ ६	११,२८०	१७९५.०	२६४.५	२१७	१०१	२२६.२	७६
जुलाई	१,४३६	५.३	१२,९९१	२०७७ २	२७०.८	२१६	१०५	२६०.२	१०१
अगस्त	१,३८७	५.९	१३,५४०	२५४१.२	२४२.१	२९१	१३२	२९५.३	१०७
सितम्बर	१,४५३	५ ९	१३,५१३	२३४१.४	२४६ ०	२७४	१५	१६४.४	६५
अक्तूबर	१,७११	५.०	८,५५८	२१२६.१	१६९ ३	१६९	६२	२३८.०	५२
नवम्बर	१,९४९	५ ६	१७,०२८	२६३०.७	२९ २	२२४	१०९	२४७.३	१०६
दिसम्बर	१,७४१	१.५	१७,७८०	२४४८ २	२२२ ५	१९१	१०६	२३४.३	११०
१९५८ जनवरी	२,०३५	५ ०	१९,७६३	३६९१ ६	२१८.२	१७७	६८	२४४.३	१२३
फरवरी	...	५.१	१५,६१०	५९७०.४	२०६.७	१७१	७२	१८२.२	१११
मार्च	...	६.५	१६,०१६	...	१६०.५	...	...	२३२.७	...
अप्रैल	...	...	...	...	१००.९	...	...	२१४ ८	...

[ग] वास्तविक उत्पादन, स्थापित उत्पादन क्षमता से काफी अधिक है। इसका कारण यह है कि स्थापित क्षमता की गणना एक पाली के आधार पर की गयी है और एक कारखाना एक से अधिक पालियां चला रहा है।

१. औद्योगिक उत्पादन

[५] अलौह धातुएं

वर्ष	२९ अलुमीनियम (टन)	३० सुरमा (टन)	३१ तांबा (टन)	३२ सीसा (टन)	३३ अलौह धातुओं के नल (टन)	३४ सोना (औंस) [घ]
१९५०	३,६९६.४	३७५.६	६,६१४.४	६२७.६	३३१.२	१,९६,९२०
१९५१	३,८४८.४	३२७.६	७,०८३.६	८५९.२	२४८.४	२,२६,३६८
१९५२	३,५६६.४	१८१.२	६,०७९.२	१,२३१.६	३७०.८	२,५३,२६०
१९५३	३,७५८.४	१३०.८	४,९२०.०	१,६९४.३	३५७.६	२,२३,०२०
१९५४	४,८८६.४	५३८.८	७,२६१.६	१,७८८.०	१८६.०	२,४०,७०८
१९५५	७,२२५.२	५०४.०	७,२८१.६	२,२३४.४	३४३.२	२,११,४६४
१९५६	६,५००.४	५८९.२	७,६२८.४	२,४९७.२	३९३.६	२,०६,०८८
१९५७	७,७७१.२	५०१.६	७८४८.०	३,१७४.०	३९४.८	१,७९,१९६
१९५७ मई	६४६.९	२०.०	७००.०	२८१.७	३१.५	१३,९८१
जून	६१५.३	५६.०	६८०.०	२८०.५	२२.८	१४,७३६
जुलाई	६६४.७	५३.०	६७०.०	२६४.४	३०.३	१५,५३०
अगस्त	६६४.७	५०.०	६२०.०	२४५.२	४३.२	१३,८३८
सितम्बर	६५४.९	४५.०	६५५.०	३५०.०	३२.०	१५,४३७
अक्तूबर	६८७.०	४५.०	६७२.०	३१७.०	३४.३	१४,४७४
नवम्बर	६६९.०	४६.०	६७०.०	२७२.०	३४.७	१५,२७९
दिसम्बर	६३०.९	४८.१	७००.०	३२३.०	२७.०	१४,६७३
१९५८ जनवरी	६२०.९	३०.०	३०२.०	२७५.०	१८.१	१४,८२५
फरवरी	७०३.३	४०.०	६५५.०	२८८.०	...	१५,२५७
मार्च	६८५.३	५४.०	७१०.०	१०७.२	...	—
अप्रैल	...	—	६८२.०	१६२.०	...	...

[घ] १९४८ से हैदराबाद में हुए सोने का उत्पादन भी इन आंकड़ों में सम्मिलित है।

[६] बिजली उद्योग

वर्ष	३५ उत्पादित बिजली [क] (लाख किलोवाट प्रति घण्टा)	३६ बिजली ले जाने की नलियां (००० फुट)	३७ सूखे सैल (लाख)	३८ संग्रह की बैटरी (०००)	३९ बिजली के मोटर (००० हार्स पावर)	४० बिजली के ट्रान्सफार्मर (००० के.वी.ए.)	४१ बिजली की बत्तियां (०००)
१९५०	५२,०७२	२,९६६.४	१,३८१.२	१८७.२	८१.६	१७२.३	१४,३०४
१९५१	५८,५८४	३,९६९.६	१,४३५.०	२१२.४	१४२.८	१९५.६	१५,५१६
१९५२	६१,२००	३,९९४.८	१,३०२.०	२५८.४	१५७.२	२१४.८	२०,८८०
१९५३	६६,२७६	३,७१५.२	१,४८४.४	२७६.४	१६२.०	३०८.४	१९,७६६
१९५४	७४,४००	५,९८३.२	१,४८६.८	१८८.४	१८७.२	३९९.६	२३,०७३
१९५५	७६,८३६	६,२४८.४	१,६१०.४	२३५.२	२५२.०	५६५.२	२४,२३४
१९५६	९६,२०८	१०,९३२.०	१,८२४.४	३१४.४	३५८.८	९१०.२	३०,७२८
१९५७	१०८,३४८	११,७८१.६	१,६६५.६	३२४.०	४६९.२	१,२१९.२	३३,२४९
१९५७ मई	९,३०२	९२२.४	१२२.५	२५.९	३८.८	९३.१	२७८१.३
जून	८,९६१	७९८.७	१३३.०	२६.६	३०.५	८०.१	२६७२.५
जुलाई	९,२६१	८६९.२	१६५.९	२७.६	४३.४	११३.०	३०३१.६
अगस्त	९,२०८	९२१.९	१५८.२	२५.९	४०.२	१०५.४	२७१७.०
सितम्बर	९,२२६	८५४.५	१३३.९	२६.८	४३.५	११०.४	२६७०.२
अक्तूबर	९,१२३	७०९.८	९७.२	२४.२	३७.७	१०३.२	२४१६.३
नवम्बर	९,२२३	८६९.५	११८.०	२९.२	४३.१	१०६.५	२७८५.४
दिसम्बर	९,५६६	९०३.६	१३७.१	२८.५	४९.५	११४.०	२३५३.३
१९५८ जनवरी	९,७१४	७५६.५	१३३.८	२३.९	४५.०	१०१.६	२३१२.१
फरवरी	...	७२८.४	१२८.२	२७.८	४५.१	९७.१	२३११.२
मार्च	—	३९२.५	१०६.५	२९.४	५१.८	११३.४	—
अप्रैल	—	—	—	२८.५	...	...	...

[क] इसमें जम्मू और काश्मीर के आंकड़े भी शामिल हैं।

१. औद्योगिक उत्पादन

[६] बिजली के उद्योग (गत पृष्ठ से आगे)

वर्ष	४२ बिजली के पंखे (०००)	४३ रेडियो रिसीवर (संख्या)	४४ तार — तांबे के खुले हुए (टन)	४४ तार — लपेटने के [च] (टन)	४४ तार — रबड़ चढ़े हुए (लाख गज)	४५ घर में लगाने वाले मीटर (संख्या)	४६ घरेलू रेफ्रीजरेटर (संख्या)
१९५०	१९९.२	४४,३४०	५,६७६	२५२	३३६.९	...	...
१९५१	२१२.४	८२,७८८	३,०००	३००	४११.१	...	...
१९५२	१९५.१	७१,४६१	५,६२८	३६६	३२८.८	३४,३५९	३००
१९५३	१९६.२	५९,३९८	७,३९८	२२८	४८४.८	८०,९७६	१,२५०
१९५४	२३८.८	५८,३०४	७,५७२	३२४	९२७.१	१,४८,८८४	१,००८
१९५५	२८२.०	८१,२०४	८,४३३	६१२	८९१.९	२,५५,३४८	५१८
१९५६	३३८.४	१५०,३००	१०,२९०	७९८	१०५८.०	२,९०,३०४	७५१
१९५७	६२४.४	२९०,२७२	८,५५६	१०२०	१०३८.४	३,१०,५४०	६४८
१९५७ मई	४५.१	१४,५५४	७१२	७४	७७.८	३०,०५७	१००
जून	४०.०	१५,३३८	९७२	९७	८९.१	२७,२१२	१५०
जुलाई	४४.७	१५,९७६	५०७	७७	६१.७	३०,०४७	१००
अगस्त	४४.१	१४,५१७	६११	१०३	६१.४	२२,५४०	५०
सितम्बर	४५.१	१६,२४१	६२६	६६	१०१.७	२६,५७८	५०
अक्तूबर	३७.४	१२,०४७	७८६	१००	९२.४	२७,४६४	६०
नवम्बर	५०.२	१७,१४८	७६१	६२	८६.१	२८,०२७	११४
दिसम्बर	५१.३	२२,७०१	९४०	६८	८९.१	२९,७८७	११८
१९५८ जनवरी	५०.६	१९,१८८	५६४	१०१	१०१.७	३०,००१	८०
फरवरी	५१.१	१४,५००	५६८	११०	७८.१	२९,६५१	८०
मार्च	५०.७	१५,७७२	६३६	११६	१०१.९	२८,६९६	१५४
अप्रैल	५४.३	१७,४०९	...	...	...	२५,०३०	—

[च] १९५० से १९५३ तक के आंकड़े रबड़ चढ़े केबलों तथा लचीले तारों के ही हैं।

[७] रसायनिक पदार्थ

वर्ष	४७ गंधक का तेजाब (टन)	४८ कास्टिक सोडा (टन)	४९ सोडा ऐश (टन)	५० तरल क्लोरीन (टन)	५१ ब्लीचिंग पाउडर (टन)	५२ बाइक्रोमेट (टन)	५३ सुपर-फास्फेट (टन)	५४ अमोनियम सलफेट (टन)	५५ तूतिया (टन)
१९५०	१,०३,४८०	१०,८४८	४३,७८८	३,६७२	३,३१२	२,६८०	५४,४२८	४७,३०४	४१३
१९५१	१,०६,६३३	१४,७२४	४७,५३३	५,२३८	३,५८८	३,२७६	६१,०२०	५२,७०४	५०४
१९५२	९९,०८४	१७,०९४	४४,३२८	३,२४०	७६२	२,४६४	४९,६५६	२,२०,३०८	३३९
१९५३	१०६,०६२	२२,६०८	५६,८९८	८,२३३	२,६४४	३,५०८	४८,३००	३,१६,६३०	५३१
१९५४	१,५०,८७३	२६,३०४	४८,३८८	६,७८०	३,९२८	३,२४०	१,०५,०९०	३,४०,३३४	८४०
१९५५	१,६६,२००	३४,२४८	७७,२१८	११,५८०	२,७००	२,६२८	७४,३१०	३,६३,०६१	१,०४४
१९५६	१,६५,४०८	३६,४२०	८४,२४०	१५,०७२	४३,५१	३,३६४	८१,३१८	३,८८,६६२	१,६८०
१९५७	१,६३,२५६	४२,४८०	६३,६३०	१५,६६६	५,३४०	३,९७२	१,४१,९००	३,७६,६५६	१,८८४
१९५७ मई	१५,८०७	३,३२८	७,३०१	१,२४३	३७६	२८४	११,७७५	३३,८४७	११४
जून	१७,८६६	३,३०५	७,७५२	१,२४६	४२५	३१६	१२,६१४	०२,४०६	१०६
जुलाई	१८,४७२	३,७२६	६,६११	१,१७२	४५६	३२२	११,९९९	३०,६३३	११४
अगस्त	१६,८६५	३,६४५	७,५३०	१,६१३	५३६	३२१	१४,४१६	३१,९६२	१३१
सितम्बर	१६,४६३	३,३३५	६,८५६	१,३८०	५३४	३३०	११,२०४	३०,४२३	१८६
अक्तूबर	१५,८६५	३,३६७	७,७४७	१,६३३	४६४	३२३	१२,६१२	३०,६६०	१३५
नवम्बर	१६,४१६	३,६००	७,८१५	१,३६१	५३३	३६८	१०,६६६	३५,७४५	१६०
दिसम्बर	१८,५४८	३,६८१	८,६११	१,६६३	३३७	३३४	११,५३०	३७,४१७	१७६
१९५८ जनवरी	१५,३०६	४,०८२	८,९११	१,३६५	५३६	३३६	११,४२०	३३,५०४	१५८
फरवरी	१७,३१६	३,७५३	७,६८१	१,३७५	५०५	३०४	११,३९६	३१,३२५	६१
मार्च	१६,१६७	४,११६	८,६६४	१,३३७	५७०	३११	—	३५,६६७	१८६
अप्रैल	४,७२२	२,३३९	३,६६३	८७६	५३६	—	—	—	—

१. औद्योगिक उत्पादन

[८] रसायनिक उद्योग

वर्ष	५६ रंगलेप और वारनिशें (टन)	५७ दियासलाई [छ] (००० पेटियां) [ज]	५८ साबुन [झ] (टन)	५९ सरेस (हंडरवेट)	६० गैसें धातुओं को जोड़ने की — आक्सीजन (लाख घन फुट)	एसिटलीन (लाख घन फुट)	६१ ग्लिसरीन (टन)	६२ फेनॉल [ञ] फार्मेलडीहाइड का ढलाई के काम का चूरा (००० पौंड)
१६५०	२७,६४८	५२३.२	७२,६६१	१३,५००	...	...	२,००४	...
१६५१	३६,४६२	५७८.४	८१,४३६	१४,११२	१,४५२.०	२६८.८	२,४२४	४५६.६
१६५२	३२,१७२	६१६.२	८६,३७६	१४,६४०	१,६२६.६	३१५.६	२,२७०	६६७.२
१६५३	३२,०५२	६१८.०	८२,२००	१७,०८८	१,८८१.६	३४८.०	२,५०८	८३७.६
१६५४	३६,८१६	५२६.२	८७,६६६	१८,१२०	२,३४४.८	४२१.२	२,३८८	१,०५७.२
१६५५	३२,०३६	६१५.६	६६,०००	१६,४६४	२,८२८.४	४७४.०	२,५०८	१,६००.८
१६५६	४१,४२४	५८६.२	१,०६,६०८	२१,८२८	३,२८३.२	५५३.२	२,६१६	२,२०५.६
१६५७	४२,२७६	५७७.२	१,१२,७०४	२५,८१२	४,०२०.०	६४०.८	२,६६४	२,६३१.६
१६५७ मई	३,६०३	४५.८	८,६६०	२,२६४	३२६.४	४६.५	२००	२००.६
जून	३,२५२	३६.०	८,७४०	२,२५६	३३०.४	४८.०	१३०	१८७.१
जुलाई	२,८४७	४७.६	६,८३२	१,८४५	३५०.६	५२.८	३१६	२३३.४
अगस्त	३,४००	४८.२	८,४६०	२,०५५	३३२.१	५१.६	२२६	२०८.३
सितम्बर	३,५००	४७.५	६,११०	१,८४७	३५७.०	५३.७	१५६	२२३.०
अक्तूबर	३,५५६	४३.८	६,५०१	१,८२२	३३५.८	५२.२	१२८	२२३.१
नवम्बर	४,२६४	५१.३	६,२७३	२,४८३	३७१.६	५६.७	२६७	२३४.८
दिसम्बर	४,०५०	५०.३	६,६०७	२,११६	३७२.६	६३.८	३२१	२६२.४
१६५८ जनवरी	४,०२६	४६.८	१०,२८०	२२,८३	३७६.५	६१.६	२२१	१८८.१
फरवरी	३,६६३	४५.८	६,१२१	२,३००	३४१.४	५७.२	३६३	२२६.५
मार्च	३,६८४	...	८,५००	२,३३६	३६२.६	५७.८	१८१	...
अप्रैल	३,७१०	...	...	...	...	...	...	...

[छ] इसमें जम्मू और काश्मीर के आंकड़े भी शामिल हैं।
[झ] ये आंकड़े संगठित कारखानों के उत्पादन के हैं।
[ज] ६० तीलियों वाली डिबियों के ५० ग्रोस।
[ञ] जुलाई १६५६ से परिवर्तित।

[८] रसायनिक उद्योग

वर्ष	६३ लिवर का तत्त्व — इंजेक्शन (००० घ० सें०)	खाद्य (००० पौंड)	६४ रेयन (टन) — विसकोज धागा	स्टेपल फाइबर	एसिटेट धागा	६५ अलकोहल (००० गैलनों में खुला हुआ) — इंजनों में जलने वाला	शुद्ध स्पिरिट	मिश्रित स्पिरिट	६६ लिनोलियम (००० वर्ग गज)	६७ प्लास्टिक के सांचे (००० औंस)
१६५०	१२,२४५.३	३०१.२	...	—	...	४,४६७.६	३,४३५.६	१,४७७.२	—	—
१६५१	१०,६८२.४	३१६.२	२,०४०	...	—	५,८०६.२	५,०१६.६	१,६६६.८	—	१,४४६.०
१६५२	१०,३७२.८	६१०.८	३,५८८	—	...	७,७४२.४	४,६६८.०	२,१७८.०	१५६.६	१,५४४.४
१६५३	१०,३३८.८	२८४.४	४,३५६	—	—	८,१२०.४	४,३७६.४	२,४६३.६	१६३.२	१,३५७.२
१६५४	१६,७८४.४	२५६.२	४,६४४	३,०८४	...	८,००७.६	४,६३०.८	२,८३५.६	३१६.०	१,३०८.०
१६५५	२४,२४०.२	२६४.०	५,७३६	५,७१२	१०४४	१०,४३२.८	५,१५६.४	२,८८६.२	३२२.८	२,४७८.८
१६५६	२४,१४२.४	२७६.६	७,२६३	७,८४८	१४२६	१०,१४३.२	३,६६६.६	३,३६२.८	३२०.४	३,६०३.६
१६५७	२८,१४०.०	२४७.२	६,३६६	८,००४	१६०८	१०,१३६.४	५,०६४.०	३,४३६.२	३२७.६	३,६६७.२
१६५७ मई	२,४७५.६	१५.६	७३२	८१६	१२०	६१०.७	३१०.८	३३१.७	२६.०	२६४.६
जून	२,१०६.०	२१.८	६०२	६५६	१०१	८४७.२	३७८.२	२२८.२	२४.४	३११.१
जुलाई	२,६१६.६	२६.६	७२३	६८७	१४४	६३१.७	३६०.६	२६४.०	२६.७	३१२.७
अगस्त	२,१६४.४	२२.०	६०६	६२१	१३३	७८३.५	४१२.६	२७६.१	३७.२	३१४.३
सितम्बर	१,८५६.४	३०.५	८८२	७५४	१३०	५३७.३	४३६.६	२४५.४	४३.७	३२०.८
अक्तूबर	२,१८५.४	१५.०	८६१	५४८	१४३	६३८.१	४११.७	२८१.६	१८.२	३२६.५
नवम्बर	२,३८२.७	१७.७	८६७	४५७	१३४	७७८.३	४१६.२	३०२.६	२०.६	३०७.१
दिसम्बर	२,८८६.४	३३.७	६७१	४८२	१२१	६६७.०	५१७.६	३२५.७	१५.३	३१६.०
१६५८ जनवरी	२,४१६.६	२५.३	६६६	३०७	१४०	८०३.०	५१५.०	३२०.०	१६.१	२८४.६
फरवरी	३,१७३.६	२८.३	६२७	६५५	१२५	१००६.७	४७२.७	३३८.१	११.०	...
मार्च	३,७६१.०	२५.४	१,०५१	१,१४६	१४६	८२५.६	५०७.०	२६७.६	१२.३	...
अप्रैल	...	—	...	...	...	...	...	—	...	...

१. औद्योगिक उत्पादन

[९] सीमेंट और चीनी मिट्टी का माल

वर्ष	६८ सीमेंट (००० टन)	६९ सीमेंट की चादरें, (एसबेस्टस) (००० टन)	७० चीनी के बरतन (टन)	७१ स्वच्छता के उपकरण (टन)	७२ पत्थर का सामान (००० टन)	७३ चीनी की पालिश वाली टाइलें (००० दर्जन)	७४ तापसह ईंटें (००० टन)	७५ घर्षक (एब्रेसिव) (००० रीम)	७६ बिजली अवरोधक (इन्सुलेटर) एच टी (०००)	एल टी (०००)
१९५०	२,११२ ४	८६ ४	९,०६०	१,७८८	२१ ४	६२ ४	२३३ ४	३१ २	१७४ ०	१,२७६ २
१९५१	३,१९५ ६	८२ ८	६,११२	६४८	३० ०	११० ८	२३७ ६	३७ २	२४४ ८	१,४११ ८
१९५२	२,५३७ ६	८७ ६	६,०६०	४३२	३३ ६	१४५ ६	२४१ ६	५५ २	३२८.२	१,०७८ ०
१९५३	३,७८० ०	७६ ६	१०,४४०	६४८	३३ ६	१७४ ४	२२८ ०	६१ २	४६३ २	२ ४६० ०
१९५४	४,३६८ ०	७६ २	१०,६५६	१,३३२	४० ८	४१८ ८	२४० ०	७० ८	५०७ ६	२ ६७४ ८
१९५५	४,५८६ ८	१०४ ४	१०,२२४	३,५८०	४२.०	३८० ४	२७४ ८	७६ २	२५२ ०	३,२६४ ८
१९५६	४,६२८ ४	१२० ०	१५,०२४	२,७१२	४४ ४	४५४ ८	३१८ ०	६८ ४	६२ ४	३,०३० ४
१९५७	५,६०१ ६	१५८ ४	१५ ५४०	३,४१२	५१ ६	५२० ८	३६१.४	६१ २	१८६ ०	४ ५५७ ६
१९५७ मई	४४८ ४	१२ ४	१,२५६	२९६	४ ५	४० ८	२६ ५	७ १	६ १	५८४ ७
जून	३६३ १	११ २	१,३३६	२५६	३ ७	५२ ४	३० ०	८ ३	४ ६	३१७ ४
जुलाई	४२५ १	१२ ६	१,२६२	२६७	४ १	४५ ६	२६ ०	६ २	१७ ६	४६० ०
अगस्त	४४६ ६	११ ४	१,२८८	३२४	४ ३	२६ ६	३५ १	६ ५	१६ ६	३६० ४
सितम्बर	४४२ ४	१६ २	१,२३४	३२१	३ ८	४३ ६	२६ ७	६ ६	२२ ४	३६८ २
अक्तूबर	५१० ६	१२ ६	१,४६१	३३५	४.५	४१ ०	३० ५	६ ६	२८ ६	२५५ ५
नवम्बर	५१० १	१४ ४	१,५०६	३१८	५.०	६१ ३	३२ ७	८ ८	२८ ५	३८८ ६
दिसम्बर	५८७ ३	१५ ६	१,४३०	३४०	४ ०	४४ ०	३४ ३	८ ८	३२ ६	४१६.६
१९५८ जनवरी	५६४ ८	१६ ४	१,४८४	३२७	७ ४	४४ ६	३० ४	६ ४	५५ ६	४७८ ८
फरवरी	४६५ ४	१४ ३	१,३७८	३०६	६ ७	४२ २	३२ ७	७ ६	२६ ७	३०५ २
मार्च	५७५ ७	१५ २	१,३८३	३४०	७ ३	४७ ४	४६ ७	८ ६	३० ६	४०७ ६
अप्रैल	५३६ ३	१४ ५		१५१		..	—		—	

[१०] काँच और काँच का सामान

वर्ष	७७ काँच की चादरें (००० वर्ग फुट)	७८ प्रयोगशालाओं का सामान (टन)	७९ बिजली के बल्बों के खोल (लाख बत्तियां)	८० काँच का अन्य सामान (टन)
१९५०	६,५०० ०	२,१६०	१२६ १	७२,३११
१९५१	११,०८६.२	१,६८०	१४४ ०	६०,३२४
१९५२	६,०४३ २	१,५७१	१११ ८	८५,३६८
१९५३	२२,७८६ ८	१,३२०	११६.२	७१,४४४
१९५४	३३,१११ ८	१,५१२	२२४ ४	८५,०८८
१९५५	३८,८८३ ६	२,४६८	२६० ४	१,००,०६८
१९५६	४७,७४६ २	३,५००	३३४ ८	१,१३,६८१
१९५७	४८,३०६	३,०६६	३११ ९	१,२१,६४८
१९५७ मई	२,३३३ ४	११४	३१ १	१०,३१४
जून	६७४ ०	१५३	२६ ८	६,४८१
जुलाई	२७६८ ५	२१७	३३ ४	८,६२१
अगस्त	५,००६ ६	३३२	३२.४	१०,३१०
सितम्बर	५,०३४ ६	४०५	३४ २	१०,५६४
अक्तूबर	५,३०० ७	३३३	३१ ६	१०,५३१
नवम्बर	६,४२०.६	३५६	३४ ५	१०,७७१
दिसम्बर	७,२६६ ३	२७८	३८ ५	१०,४३६
१९५८ जनवरी	७ ३७३ ६	३२८	३४ ५	१०,५२६
फरवरी	६,५४८ ३	३२०	३१ ७	१०,३२१
मार्च	.	—	..	..
अप्रैल		.	—	.

१. औद्योगिक उत्पादन

[११] रबड़ उद्योग

वर्ष	८१ रबड़ के जूते (लाख जोड़े)	८२ रबड़ चढ़ा सामान, खिलौने, गुब्बारे आदि (लाख दर्जन)	८३ टायर: मोटर गाड़ियां (०००)	साइकिलें (०००)	ट्रेक्टर (संख्या)	वायुयान (संख्या)	तांगा आदि (०००फुट)	८४ ट्यूब: मोटर गाड़ियां (०००)	साइकिलें (०००)	ट्रेक्टर (संख्या)	वायुयान (संख्या)
१९५०	१६५.६	१०५.६	६३८.४	३,३२५.२	...	...	...	६९८.४	४,२०७.२	...	...
१९५१	२३०.४	११०.४	८७०.०	३,९४०.८	...	२,४७२	३७३.२	८२०.८	४,८९७.२	...	९९६
१९५२	२२८.०	१३८.०	७२१.२	४,१८९.२	३,८५२	६८४	३८५.२	६६१.२	४,१६६.४	५,४८४	९८४
१९५३	२४०.०	१२४.८	७६८.०	४,६४५.२	९,६१२	१,२९६	४४२.८	६५८.८	४,६००.८	८,१३३	५२८
१९५४	३१२.३	१८३.६	८३२.८	५,२२६.०	१६,२५२	४,५१६	३२४.०	७४८.८	५,५७७.६	१६,८८४	१,५७२
१९५५	३४९.२	१३९.२	८८२.०	५,७४८.०	२४,५२८	४,४०४	३७०.८	७८६.०	५,५९३.२	२३,११२	२,४४८
१९५६	३६१.२	२६०.४	९३८.४	६,३२०.४	३०,७६८	३,६००	२९०.४	९१८.०	६,३७३.२	३०,७२०	२,२९२
१९५७	३६९.६	१९८.०	९८८.८	७,१५२.०	४७,४००	४,४७६	३१०.८	९३६.०	७,०२७.६	४५,३४८	१.१३६
१९५७ मई	२५.०	१६.७	८४.७	६१४.५	४,७२९	४०९	२२.९	८४.७	६११.७	३,३७३	७०
जून	२३.३	१७.२	७७.५	५८९.२	३,३२५	३७८	२८.९	८१.२	५६८.०	३,१६७	शून्य
जुलाई	३२.२	२१.७	८४.४	६१२.६	४,५१८	३४१	१६.३	८६.४	५७४.२	४,५६४	१९१
अगस्त	२८.८	१५.५	८३.३	९०५.०	४,१२९	३४६	१९.०	७६.४	५९२.२	३,५४३	३०९
सितम्बर	३०.७	१८.६	८९.९	६६५.१	५,४१३	५३०	१५.४	७५.९	६६४.०	४,५३३	२३४
अक्तूबर	२९.७	१७.९	५७.९	३५१.५	२,५७०	२२४	२१.९	४५.२	३६३.६	२,५९१	१२
नवम्बर	३७.१	१७.५	८३.३	६१३.१	४,३५९	३५३	२९.५	७८.१	६५६.८	३,९९९	२३३
दिसम्बर	३९.२	१७.४	८४.५	६१२.२	२,५५२	४७४	४०.२	७२.२	५९५.५	४,४०५	१९६
१९५८ जनवरी	३७.५	१९.७	९०.९	७४४.१	४,१३०	४६७	२५.५	८४.४	७२५.३	४,३१५	१८९
फरवरी	३०.३	१८.०	७७.९	६५०.३	२,५०२	२७३	२४.७	६५.२	६०३.१	३,१८३	१७५
मार्च	३०.४	१८.६	...	६४४.७	२,२०८	२५७	—	...	५९३.५	२,३३५	७८
अप्रैल	...	...	...	—	...	...	...	...	...	...	...

[११] रबड़ उद्योग (शेषांश)

वर्ष	८५ रबड़ के नल: रेडिएटर (०००)	वेक्यूम ब्रेक (०००)	अन्य प्रकार के (०००फुट)	८६ पंखों के पट्टे (०००)	८७ रेलों का रबड़ का सामान (०००)	८८ इबोनाइट (००० पौंड)	८९ वाटर प्रूफ कपड़े (००० गज)	९० रबड़ के स्पंज (००० पौंड)
१९५०	२०६.४	३३३.६	२,८२०.०	२६०.८	९६१.२	...	...	—
१९५१	२२०.८	४७२.८	३,४७४.०	२९८.८	७४८.८	१९९.२	१,५७६.८	४७१.६
१९५२	२५४.८	४४४.०	३,८४९.६	५५८.०	१,२१६.८	१२६.०	१,२९४.८	४३९.६
१९५३	२०४.४	४७२.८	४,४२२.०	४३२.०	१,२३३.६	८८.८	२,०६१.६	४९५.६
१९५४	१६२.०	६२०.४	४,८६६.०	५००.४	१,३२६.६	११३.४	२,०२८.०	९३८.४
१९५५	२८९.६	८०८.८	५,७३४.८	६५५.२	१,५३९.६	१३०.८	२,११९.२	१,४७०.०
१९५६	२४८.४	५५२.०	७,०८१.५	७२४.८	१,६५६.०	२१०.०	२,५७४.०	१,७७७.२
१९५७	१७१.६	७७७.६	७,९८१.२	६५२.८	१,७६२.८	२४०.०	३,०७६.८	१,९५६.०
१९५७ मई	१७.५	७४.०	६८८.२	५३.०	१५९.६	१७.२	२९९.८	१७२.९
जून	११.६	६४.९	६५९.०	५०.८	१५४.५	१७.५	३३२.२	१५८.५
जुलाई	१७.५	७८.२	३६९.४	५८.२	१६२.३	२१.७	२६६.६	१३८.५
अगस्त	१५.४	७९.८	५७७.६	४८.०	१४९.८	२२.८	२४९.१	१६१.४
सितम्बर	१२.९	६७.१	९०७.०	४८.९	१४३.६	२३.९	२३७.९	१८७.७
अक्तूबर	९.७	५५.४	४१९.८	३७.०	१२०.५	१९.५	२४६.०	१५३.८
नवम्बर	१३.८	५५.२	६९५.३	६१.५	१८६.०	२०.१	२५९.९	२००.३
दिसम्बर	१४.०	७२.५	७३३.९	५९.५	१५०.५	२०.२	२२३.३	१७३.९
१९५८ जनवरी	१५.६	४५.३	६७५.०	५७.९	१४६.७	१३.७	२३५.५	१८०.०
फरवरी	१०.५	४१.६	९४०.६	५६.१	११५.०	१७.७	२५७.९	१९४.१
मार्च	—	—	—	५५.५	...	...	...	२७१.३
अप्रैल	...	...	...	...	...	...	...	...

१. औद्योगिक उत्पादन

[१२] खाद्य और तम्बाकू

वर्ष	९१ [ट] गेहूँ का आटा (००० टन)	९२ [ठ] चीनी (००० टन)	९३ [ड] काफी (टन)	९४ [ट] चाय (दस लाख पौंड)	९५ नमक (००० मन)	९६ वनस्पति तेल से बनी हुई वस्तुएं (टन)	९७ सिगरेट (लाख)
१९५०	४७७ ३	९७१ ८	२०,५१२	९१३ २	७१,३१९	१,७१,३३१	२,३१,११२
१९५१	४८९ ०	१,११४ ८	१८,०११	८२८ ८	७४,३७९	१,७२,३२०	२,१४,४८८
१९५२	५१२ ४	१,४६४ ०	२१,०११	९१४ ४	७९,८९०	१,६०,८१२	२,०१,१९२
१९५३	४८३ ३	१,२९१ ०	२२,५७२	९०८ ४	८३,३११	१,६१,९५३	१,८३,६३९
१९५४	४४२ ८	१,०८८ ०	२६,३९४	९४४ ४	७३,६०८	२,३०,७४८	१,९८,२७१
१९५५	४८८ ४	१५९४ ८	२४,६४८	९९८ ४	८१,०७२	२,९०,७८४	२,२८,१८८
१९५६	५३७ ९	१८५४ ४	३४,४४०	९९७ २	८६,०२९	२,५५,९१२	२,९१,५७१
१९५७	९५५ २	२०३८ ८	४०,८८४	९९९ ०	९८,०००	३,०१,३५९	२,८०,३४४
१९५७ मई	५७ ३	२५३ १	५,६९०	४३ १	२४,७०४	२९,८३५	२५३५०
जून	५५ २	३६ ३	३,०६२	७६ ९	२२,५३३	२५,९५३	२२,२६०
जुलाई	५३ ६	६ ६	१,४६२	८६ २	९,०११	२२,६०३	२५,४१०
अगस्त	९१ ५	७ ९	६६०	१०० ९	४,७११	२१,१८७	२३,७००
सितम्बर	६० ९	८ २	६२५	१०४ ८	३,१४५	२०,६३०	२५,०५०
अक्तूबर	९२ ७	१७ ४	१,४०१	१०५ ६	२,३१०	२३,४९५	२२,९६०
नवम्बर	९३ ९	२०५ ३	१,४४२	९० २	१,५२७	२५,४३८	२५,६९०
दिसम्बर	९१ ६	३५७ ५	१,४७८	२२ ४	३,३११	२८,००९	२२,५००
१९५८ जनवरी	५६.८	४२६ ८	४५९ ३	६ ९	३,५९३	२९,२८१	२१,५६०
फरवरी	५२ ६	--	---	८ ३	३,९६२	२४,६९८	२१,०७०
मार्च	५२ ५	--	---	.	---	---	---
अप्रैल		---	---			.	--

[ट] ये आँकड़े केवल बड़ी आटा मिलों के हैं। [ठ] ये आँकड़े फसली साल (नवम्बर से अक्तूबर) तक के हैं और केवल गन्ने से बनने वाली चीनी के विषय में हैं। [ड] ये आँकड़े शोधने और पीसने के पश्चात् काफी भण्डार में दे दी जाने वाली काफी के विषय में हैं। [ट] ये मासिक आँकड़े पंजाब (काँगड़ा) और हिमाचल प्रदेश के उत्पादन को छोड़ कर हैं।

[१३] चमड़ा उद्योग

वर्ष	९८ जूते, पश्चिमी ढंग के (००० जोड़े)	९९ जूते, देशी ढंग के (००० जोड़े)	१०० क्रोम से कमाया चमड़ा (०००)	१०१ वनस्पतियों से कमाया हुआ गाय भैंस का चमड़ा (०००)	१०२ चमड़े जैसा कपड़ा (००० गज)
१९५०	२,८३१ ८	१,६६९ ८	४६५ ९	१,५१४ ४	---
१९५१	३,९४० ८	२,०७३ ९	८७६.९	१,७०४ ०	१,६१८ ८
१९५२	३,३१७ २	२,८०९ ०	९५० ४	१,४७८ ४	६५४ ४
१९५३	३,३४८ ०	२,३०४ ४	७०० ८	१,२६८ ४	६८५.२
१९५४	३,२२७ ९	२,०९२ ८	९९८ ४	१,३७० ४	१,२१६.२
१९५५	३,२४२ ४	२,३०२ ८	९७९ ८	१,३१५.९	२,९२१ २
१९५६	२,९२० ४	२,६११ २	७४१ ९	१,७१३ ९	२,९१८ ४
१९५७	४,३३६.२	३,०३८ ४	९३० ०	२,७६१ ९	३५११ २
१९५७ मई	२८५.६	३११ १	५७ १	११७ ८	२३१ ९
जून	३१४ ३	२२४ ९	५३ ४	१११ ०	२५० ६
जुलाई	४५३ ४	२७७ ६	३० १	१२५ २	३१४ ७
अगस्त	३४६.४	२३७ ३	४१.१	१३५ १	२६७ २
सितम्बर	३७४ ३	२४४ ८	३५ १	१४२ ३	२८९ ७
अक्तूबर	२११ ९	१११ ४	३० ७	१५१ ०	२८३ ३
नवम्बर	३८५.९	२७४ १	२३ १	११८ २	२५५ १
दिसम्बर	४२६ १	२११ १	३६ ०	१४८ ७	३३९ ५
१९५८ जनवरी	४३० ३	२६२ १	५४ ८	१८६.५	३१२.६
फरवरी	३७२ ९	२७३ ४	४७ १	१८१ ३	१७९ २
मार्च	३४१.१	३९४ ८	३० १	१९३ ५	---
अप्रैल	.		---		--

१. औद्योगिक उत्पादन

[१४] अन्य उद्योग

वर्ष	१०३ खनिज कोयला (००० टन)	१०४ प्लाइवुड (००० वर्ग फुट) चाय की पेटियां	व्यापारिक	योग	१०५ कागज (टन) छपाई और लिखाई का	पैक करने का	विशेष किस्म का कटा	गत्ते	योग
१९५०	३१,९९२	४१,३७६	८,८४४	५०,२२०	७०,१५२	१४,६१६	५,१९६	१८,८४८	१,०८,८१२
१९५१	३४,२०८	६०,६४८	१०,२००	७०,८४८	७९,२६०	२५,४८८	३,१२०	२४,०४८	१,३१,६१६
१९५२	३६,२२८	७८,२२८	१२,३१२	९०,५४०	९१,४२८	२१,५४०	२,८२०	२२,७२०	१,३७,५०८
१९५३	३५,८४४	४९,७८८	११,४१२	६१,२००	९५,६२८	२१,१४४	३,४२०	१९,५१२	१,३९,७०४
१९५४	३६,७९८	६४,१८८	१३,५८४	७७,७७२	१,०२,८७६	२४,१५६	४,७८८	२३,५०८	१,४५,३२८
१९५५	३८,२०८	९२,२२८	१६,३९२	११०,५२०	१,१६,४९६	२८,३२०	५,६०४	३१,४६४	१,८४,८८४
१९५६	३९,४३२	९७,८८४	२५,८३६	१२३,७२०	१,२२,९८८	३०,९२४	५,७७२	३३,७२०	१,९३,४०४
१९५७	४३,५३६	९३,४२०	३१,६३२	१,२५,०५२	१,२६,५१६	३८,०१६	७,२००	३८,४००	२,१०,१३२
१९५७ मई	३,७९४	८,४३४	२,९९२	११,४२६	१०,२००	३,०९२	५५७	३,४२७	१७,२७६
जून	३,३३०	७,४९६	२,६२१	१०,११७	९,९४८	३,२६३	५००	३,०७५	१६,७८६
जुलाई	३,३३१	७,०९०	२,७०७	९,७९७	१०,३७२	३,०४१	७४९	३,३४९	१७,५११
अगस्त	३,३७६	६,६२६	२,६५७	९,२८३	१०,४२५	३,४९७	६२३	३,४७०	१८,०१५
सितम्बर	३,६४७	७,६२६	२,३९२	१०,०१८	१०,५४२	२,७८५	७००	१,५३६	१५,५६३
अक्तूबर	३,५५५	५,७१५	२,५७७	८,२९२	१०,७८३	३,४९५	५८२	३,४३७	१८,२९७
नवम्बर	३,९३०	७,१५३	२,८८९	१०,०९५	११,६८३	३,४१९	६५७	३,४५०	१९,२०९
दिसम्बर	४,०५१	८,१८३	२,३३२	१०,५१५	११,५२४	३,५५३	६५१	४,०६४	१९,८१२
१९५८ जनवरी	३,९४७	७,६३९	३,५३९	११,१७८	१३,०१८	३,४५०	४७३	३,७३९	२०,६८०
फरवरी	३,७१२	७,१६१	२,९१४	१०,०१८	...	...	...	...	१८,२२७
मार्च	...	७,४४०	२,७१४	१०,१५४	...	—	...	...	२०,८५०
अप्रैल	...	...	—	...	...	...	...	...	...

[१४] अन्य उद्योग (शेषांश)

परिवहन

वर्ष	१०६ मोटर गाड़ियां (संख्या) कारें	जीप तथा लैंडरोवर गाड़ियां	स्टेशन वैगन तथा अस्पताली गाड़ियां	ट्रक,	सवारी गाड़ियां	योग	१०७ साइकिलें पूरी तैयार (संख्या)	हिस्से (मूल्य ००० रुपये)
१९५०	९,५८८	...	...	...	—	१४६०४	१,०३,१५२	९,४५२.४ (घ)
१९५१	१२,३८४	...	...	...	—	२२२७२	१,१४,२७६	९,४८८.४
१९५२	९,९४८	—	—	...	—	१५२८८	१,६९,९५६	८,२४७.६
१९५३	४,९३२	—	...	—	...	१३६२०	२,६४,१६८	१०,१९४.०
१९५४	५,४३६	...	...	—	—	१४४६०	३,७२,३६०	१२,०८०.०
१९५५	६,४९२	३३३६	७६८	९४५६	३०३६	२३०८८	४,६१,१७२	१६,४१६.८
१९५६	१२,६८४	४१५०	९८४	८६२०	३४०८	२९८३६	५,५७,४२४	२३,२२४.८
१९५७	११,५०४	४०६८	६१२	११,८९२	३७५६	३१९३२	८,००,८३२	२७,५४३.६
१९५७ मई	८७१	१९५	६०	८५४	३१९	२२९९	६८,६७१	२,४१४.९
जून	७७२	२५६	७१	६७५	५४३	२३१७	५८,७७१	२,०१४.५
जुलाई	१,२३६	५७४	९३	७२२	३५७	२९८२	६६,४८६	२,४६७.८
अगस्त	८७७	४१५	७६	६८०	२२२	२२७३	६९,१५८	२,१८८.४
सितम्बर	९८०	३९६	४०	१०५२	२४५	२७१३	६६,२७४	२,३५२.३
अक्तूबर	७८१	२०२	६०	११८८	२१९	२४५०	५६,०१२	१,८८३.८
नवम्बर	१,०७६	१५१	१३	१०५४	१९७	२४९१	७५,८५३	२,७३७.७
दिसम्बर	८४२	१३८	९	११२९	३४९	२४६७	७८,०६२	२,०४०.१
१९५८ जनवरी	९४०	३५८	४३	११८०	४१५	२९३६	७६,५२७	२,५०२.५
फरवरी	४९२	२१२	६१	११४८	३७७	२२९०	८१,४०४	१,७१२.४
मार्च	७०९	—	...	—	—	२७४८	८६,१८४	१,७४०.३
अप्रैल	४९२	...	—	...	२५८	१४०१	—	...

[घ] १९४८ से १९५३ तक के वर्षों के अंकों में पूरी साइकिल बनाने वाली फर्मों द्वारा तैयार किये गये हिस्से शामिल नहीं हैं।

२. देश में वस्तुओं

इस तालिका में समस्त भाव प्रत्येक

वस्तुएं	बाजार	इकाई	मई ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
							खाद्य
१. चावल							
(१) मध्यम	कलकत्ता	मन	२२.८७	२५.००	२४.००	२२.२५	२२.२५
(२) लाल भीनाती	पटना	,,	२०.८७	२०.००	१६.००	२०.००	२१.००
(३) अत्रगड्ड	विजयवाड़ा	,,	२२.००	१६.८१	१७.००	१७.००	१७.००
२. गेहूं							
(१) साधारण	जबलपुर	,,	१७.७५	अप्राप्त	१७.००	१७.७५	१७.७५
(२) ,,	अमृतसर	,,	१४.१६	१५.३८	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
(३) ,,	हापुड़	,,	२२.००	१५.५०	१५.५०	१५.३७	१५.२५
३. ज्वार	अमरावती	,,	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
४. बाजरा	हैदराबाद शहर	२४० पौण्ड का पल्ला	अप्राप्त	३६.३३	३५.००	३३.००	३४.५०
५. चना							
(१) देशी	पटना	मन	१४.००	१२.५०	११.५०	१२.५०	१३.००
(२) ,,	हापुड़	,,	११.८७	११.३७	१०.८७	११.१२	११.२५
६. दाल							
अरहर	,,	,,	१२.१२	१०.००	१०.२५	१०.७५	१२.१२
७. चाय							
(१) आंतरिक उपभोग के लिए	कलकत्ता	पौण्ड	१.३७	१.३८	१.३३	१.३२	१.३९
(२) निर्यात :—							
(क) निम्न मध्यम ब्रोक पीको	,,	,,	बिक्री नहीं	१.६०	१.५६	१.४४	१.५२
(ख) मध्यम ब्रोक पीको	,,	,,	बिक्री नहीं	१.६६	१.६२	१.५४	१.६४
८. काफी							
(१) प्लान्टेशन पीबेरी (गोल)	मंगलौर/कोयम्बतूर*	हंडरवेट	२३७.५०	२४७.५०	२४२.५०	२३२.५०	२३५.५०
(२) देशी चपटी	,, ,,	,,	१६३.००	१६२.५०	१६२.५०	१६३.५०	१६१.५०
९. चीनी							
(१) डी. २८	धनपुर	मन	बिक्री नहीं	३४.७५	३४.६२	अप्राप्त	३४.६४
(२) डी. २७	,,	,,	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
(३) ई. २७	,,	,,	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
१०. गुड़							
(१) खाने के लिए	अहमदनगर	,,	१३.००	१२.५०	१३.००	१३.००	१४.००
(२) ,, ,,	मुजफ्फरनगर	,,	१५.००	१३.७५	१५.५०	१८.००	१८.००

मन=८२$\frac{2}{7}$ पौण्ड

* प्रतिवर्ष जनवरी से जून तक मंगलौर बाजार के मूल्य और जुलाई से सितम्बर तक कोयम्बतूर बाजार के मूल्य दिये जाते हैं।

के थोक भाव : १९५८

माह के दूसरे सप्ताह के दिये गये हैं।

मई ५८	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८	अक्तूबर ५८	नवम्बर ५८	दिसम्बर ५८
रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
पदार्थ							
२२.८७							
२३.००							
१७.००							
१८.८३							
अप्राप्त							
१५.३७							
अप्राप्त							
३४.००							
१२.००							
११.२५							
११.८७							
१.३३							
बिक्री नहीं							
बिक्री नहीं							
२५२.५०							
१९७.५०							
३५.४४							
अप्राप्त							
अप्राप्त							
१४.२५							
१६.८७							

२. देश में वस्तुओं

वस्तुएं	बाजार	इकाई	मई ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
११. नमक							
(१) साम्भर (न)	दिल्ली	मन	२.५०	२.५०	२.५०	२.५०	२.५०
(२) काला	बम्बई	"	अप्राप्त	अप्राप्त	३.३७	अप्राप्त	अप्राप्त
१२. तम्बाकू							
जाती पूला मध्यम (साधारण औसत दर्जे का)	कलकत्ता	"	अप्राप्त	१०६.१४	१०६.१४	१००.१४	६७.१४
१३. काली मिर्च							
(१) ऐलेप्पी (बिना छंटी हुई)	"	"	७०.००	८०.००	६५.००	६५.००	६५.००
(२) छंटी हुई	कोचीन	हंडरवेट	१०५.६३	८७.५०	८५.००	६६.३८	१०८.७५
१४. काजू							
भारतीय	मंगलौर	मन	२६.५८	२४.०५	२२.७६	२२.७६	२०.२५

औद्योगिक

वस्तुएं	बाजार	इकाई	मई ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
१. रुई कच्ची							
(१) जरीला एम. जी. एफ.	बम्बई	७८४ पौंड की कैंडी	८२०.००	७७०.००	७६२.००	७५०.००	७५०.००
(२) २१६ एफ. एम. जी.	"	"	९४०.००	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं
(३) बंगाल बढ़िया एम. जी.	"	"	बिक्री नहीं	६०५.००	५९०.००	५९०.००	५८५.००
२. जूट, कच्चा							
(१) फस्टू स	कलकत्ता	४०० पौंड की गांठ	२३५.००	२४५.००	२३५.००	२२०.००	२२५.००
(२) लाइटनिंग	"	"	२२६.००	२१५.००	२०५.००	१९०.००	१९५.००
(३) जाट मिडिल	"	"	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
३. रेशम, कच्चा							
(१) २,४०० ताना खामरू	मालदा	८० तोले का सेर	५६.००	६४.००	—	७२.००	७२.००
(२) चरखा बढ़िया किस्म का	बंगलौर	३९ तोले का पौंड	२२.००	२९.००	—	२९.५०	२८.००
४. ऊन कच्चा							
(१) जोड़िया सफेद बढ़िया	बम्बई	मन	२८२.८६	अप्राप्त	२४१.७१	२४१.७१	२४१.७१
(२) तिब्बती	कालिम्पांग पहुंचने पर	"	१७०.००	१७७.५०	१७७.५०	१७७.५०	१७७.५०

(न) नियन्त्रित मूल्य ।

के थोक भाव : १९५८

मई ५८	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८	अक्तूबर ५८	नवम्बर ५८	दिसम्बर ५८
रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै.
२.५०							
२.७५							
६१.१४							
६५.००							
१०५.६३							
२०.३०							
कच्चा माल							
७३०.००							
८६०.००							
६००.००							
२३०.००							
२००.००							
अप्राप्त							
६६.००							
२५.०६							
२४१.७१							
१७७.५०							

२. देश में वस्तुओं

वस्तुएं	बाजार	इकाई	मई ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
५. मूंगफली							
(१) बड़ादाना	बम्बई	हंडरवेट	३५.६२	३१.१२	३१.३७	३२.००	३३.८७
(२) मशीन से छिली हुई	कडालोर	मन	२४.८१	२३.२४	२३.२४	२२.४७	२२.४७
६. अलसी							
(१) बड़ादाना	बम्बई	हंडरवेट	३०.८७	३०.३७	२८.८७	२९.७५	३०.२५
(२) छोटा दाना	कलकत्ता	मन	२३.१२	२३.१२	२१.२५	२२.००	२३.००
७. अरण्डी का बीज							
(१) छोटा हैदराबादी	मद्रास	,,	२४.९४	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं
(२) साधारण औसत दर्जे का	बम्बई	हंडरवेट	३७.५०	२७.३७	२७.७५	२६.५०	२६.८७
८. तिल							
(१) बन्द	,,	,,	४८.१४	४२.८८	४२.००	४२.३१	४४.२४
(२) मिश्रित (गाजर)	झांसी	मन	३०.००	२८.५०	२६.००	२६.५०	२७.५०
९. तोरिया							
(१) बड़ा दाना (कानपुरी)	कलकत्ता	,,	३२.७५	३०.००	२८.००	२८.००	२९.५०
(२) पीला	बम्बई	मन	३०.२५	२९.४४	अप्राप्त	२९.३९	३२.२५
(३) सरसों साधारण औसत दर्जे की	कानपुर	,,	३१.६२	३२.००	२९.०९	३०.४७	३०.४७
१०. बिनौला							
(१) ,,	बम्बई	हंडरवेट	अप्राप्त	—	—	—	—
(२) ,,	अमरावती	८० पौंड का मन	१०.७१	—	८.८६	९.४९	—
११. नारियल का गोला							
साधारण औसत दर्जे का	कोचीन	६५५.६ पौंड की कैंडी	३१८.६३	४५४.११	४१३.००	४११.२५	४२८.००
१२. कोयला (न)							
(१) चुना हुआ झेरिया	कोलाइरी साईडिंग में पहुंचने पर	टन	१९.१२	२०.६२	२०.६२	२०.६२	२०.६२
(२) दिशेरगढ़ (प्रथम श्रेणी)	,,	,,	१९.४४	२०.९४	२०.९४	२०.९४	२०.९४
(३) म०प्र० (प्रथम श्रेणी)	,,	,,	२१.१९	२२.५९	२२.६९	२२.६९	२२.६९
१३. कच्चा लोहक							
निर्यात मूल्य	विशाखापत्तनम	,,	१९५.०७	१६२.६३	—	११४.६०	२१७.६७

(न) नियन्त्रित मूल्य

के थोक भाव : १९५८

मई ५८	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८	अक्तूबर ५८	नवम्बर ५८	दिसम्बर ५८
रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु०न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै.
३४.५०							
२३.२४							
३०.५०							
२२.००							
बिक्री नहीं							
२६.७५							
४५.००							
२७.५०							
२६.००							
२६.३६							
३०.४७							
४१८.७५							
२०.६२							
२०.६४							
२२.६६							
११०.२८							

२. देश में वस्तुओं

वस्तुएं	बाजार	इकाई	मई ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
१४. चमड़ा, कच्चा							
(१) नमक लगा सूखा गाय का	कलकत्ता	२० पौंड	बिक्री नहीं	पूर्ति नहीं	पूर्ति नहीं	पूर्ति नहीं	पूर्ति नहीं
(२) नमक लगा गीला भैंस का	कलकत्ता	२० पौंड	१०.००	१२.००	१३.००	१४.००	१४.००
(३) नमक लगा गीला गाय का	कानपुर	कोड़ी	२१५.००	२७५.००	२९५.००	२८०.००	२६०.००
(४) नमक लगा गीला भैंस का	,,	२० पौंड	१०.००	१२.५०	१२.६५	१२.६५	१२.६५
१५. खालें कच्ची							
बकरी की, औसत किस्म की	कलकत्ता	१०० थान	३५०.००	४००.००	३२५.००	३२५.००	३२५.००
१६. लाख							
(१) चपड़ा शुद्ध टी० एन०	,,	मन	८०.५०	७८.००	८०.००	७२.५०	७०.००
(२) बटन शुद्ध	,,	,,	९५.००	९२.००	९२.५०	८८.५०	८५.५०
१७. रबड़							
BMA IX BSS	कोट्टायम	१०० पौंड	१५२.५०	१५२.५०	१५२.५०	१५२.५०	१५२.५०

अर्द्ध निर्मित

वस्तुएं	बाजार	इकाई	मई ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
१. चमड़ा							
(१) गाय का चमड़ा	मद्रास	पौंड	२.७३	२.६८	२.६८	२.६८	२.६१
(२) भैंस का चमड़ा	,,	,,	२.०६	१.९८	१.९८	१.९८	२.०६
(३) भेड़ की खालें	,,	,,	६.७३	६.५०	६.५६	६.५६	६.३०
(४) बकरी की खालें	,,	,,	६.५०	६.४७	—	६.३५	६.२०
२. खनिज तेल							
(क) मिट्टी का तेल (न)							
(१) बढ़िया थोक	कलकत्ता	८ गैलन	९.३२	९.६८	९.६८	९.६८	९.६८
(२) घटिया थोक	,,	,,	९.१२	९.५६	९.५६	९.५६	९.५६
(ख) पैट्रोल (न)							
(१) थोक पम्प पर	,,	गैलन	२.९९	३.०१	३.०१	३.०१	३.०१
(२) ,,	दिल्ली	,,	३.२०	३.२०	३.२०	३.२०	३.२०
(३) ,,	मद्रास	,,	२.९९	२.९९	२.९९	२.९९	२.९९
३. वनस्पति तेल							
क. नारियल का तेल							
(१) साधारण औसत दर्जे का (तैयार)	कोचीन	६५५.६ पौंड की कैंडी	४९७.८०	६९७.०५	६३८.८०	६४६.८०	६७३.३०
(२) कोलम्बो का बढ़िया खुदरा	कलकत्ता	मन	बिक्री नहीं	११०.००	१०५.००	१०५.००	११५.००
(३) खुला	बम्बई	क्वार्टर	२३.००	३०.५०	२९.२५	२८.७५	२९.००

(न) नियन्त्रित मूल्य।

के थोक भाव : १९५८

मई ५८	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८	अक्तूबर ५८	नवम्बर ५८	दिसम्बर ५८
रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु०न. पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
पूर्ति नहीं							
१४.००							
२६०.००							
१२.६५							
३२५.००							
६५.००							
८१.५०							
१५२.५०							
वस्तुएं							
२.६१							
२.०६							
६.३०							
६.२०							
९.६८							
९.५६							
३.०१							
३.२०							
२.९९							
६५१.३०							
बिक्री नहीं							
२७.७५							

२. देश में वस्तुओं

वस्तुएं	बाजार	इकाई	मई ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
ख. मूंगफली का तेल							
(१) खुदरा	मद्रास	५०० पौंड की कैंडी	३४०.००	२६१.००	२६६.००	३०१.००	३०७.५०
(२) खुला	बम्बई	क्वार्टर	२०.२५	१७.१६	१७.१२	१७.६२	१८.५०
(३) गुण्टूर (टीन बन्द)	कलकत्ता	मन	६३.००	५६.००	५६.००	६१.००	६२.००
ग. सरसों का तेल							
(१) खुदरा (मिल से निकलते समय)	,,	,,	८०.००	७५.००	७५.००	६८.००	७४.००
(२) ,,	पटना	,,	८०.००	७३.००	६६.००	६६.००	७४.००
(३) साधारण औसत दर्जे का	कानपुर	,,	८३.७५	७०.००	६६.००	७०.००	७६.००
घ. अरण्डी का तेल							
(१) नं० १ बढ़िया पीला (जहाज पर)	कलकत्ता	,,	८३.००	७८.००	७४.००	७४.००	७४.००
(२) ,,	मद्रास	५०० पौंड की कैंडी	३५५.६२	४००.००	३४०.००	३४५.००	३४५.००
ङ. तिल का तेल							
खुला	बम्बई	क्वार्टर	२५.४१	२१.९०	२०.६५	२२.६५	२३.४०
च. अलसी का तेल							
(१) कच्चा खुदरा (मिल से निकलते समय)	कलकत्ता	मन	५३.१२	५३.००	५१.००	५१.५०	५१.००
(२) ,,	बम्बई	क्वार्टर	१५.८७	१६.६२	१५.६२	१६.००	१६.१२
४. खली							
(१) मूंगफली	कलकत्ता	मन	८.७५	८.००	८.५०	८.५०	९.२५
(२) नारियल	बम्बई	१॥ हंडरवेट	२१.२५	२५.००	२३.५०	२२.००	२३.००
(३) तिल	,,	टन	३२०.००	३८०.००	३६०.६०	३५५.००	३६०.००
५. सूत (भूरे रंग का) भारतीय							
(१) १० नम्बरी	कलकत्ता	५ पौंड	७.३४	७.१३	६.८४	६.६६	६.८१
(२) २० ,,	,,	,,	९.१६	८.८०	८.६२	८.४९	८.४७
(३) ४० ,,	,,	,,	१३.७७	१२.५०	१२.४४	१२.०९	११.८४
(४) सूत २० नम्बरी	बंगलौर	१० पौंड	१८.३१	१६.८१	१६.६२	१६.२५	१६.१२
६. नारियल की सुतली							
(१) असली अलापट	कोचीन	६ हंडरवेट की कैंडी	२७०.००	२५०.००	२५०.००	२५५.८३	२४५.००
(२) अनजैंगो बढ़िया	,,	,,	३०२.५०	२७५.००	२८०.००	२७५.००	२७०.००

के थोक भाव : १९५८

मई ५८	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८	अक्तूबर ५८	नवम्बर ५८	दिसम्बर ५८
रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
३१३.००							
१८.५०							
बिक्री नहीं							
७२.००							
७१.००							
७१.००							
७१.००							
२३५.००							
२३.६५							
५१.००							
२६.००							
१०.२५							
२३.५०							
४१०.००							
६.८४							
८.२६							
११.६४							
१५.३४							
२४५.००							
२६०.००							

२. देश में वस्तुओं

वस्तुएं	बाजार	इकाई	मई ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
७. लोहा और इस्पात			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
क. कच्चा लोहा (न)							
(१) फाउंडरी नं० १	कलकत्ता पहुंचने पर	टन	२२५.००	२२५.००	२२५.००	२२५.००	२२५.००
(२) लोहा बेसिक	"	"	२०६.००	२०६.००	२०६.००	२०६.००	२०६.००
ख. अर्द्ध-शुद्ध (न)							
फिर गलाने के लिए टुकड़े	कलकत्ता	"	४७७.००	४७७.००	४७७.००	४७७.००	४७७.००
८. धातु (लोहे के अतिरिक्त)							
(१) जस्ता स्पैल्टर (बिजली वाला) मुलायम	"	हंडरवेट	७३.५०	५५.००	५३.५०	५४.००	५४.००
(२) पीतल पीली धातु-संधान (चादरें) ४"×४"	"	"	१८०.००	१६८.५०	१७०.००	१८५.००	१८०.००
(३) पीतल की चादरें (गिलेएडर्स)	बम्बई	"	१७६.००	१६२.००	१६२.५०	१६४.००	१६५.००
(४) ताम्बे की चादरें (इण्डियन)	"	"	२२८.००	२००.००	२०२.५०	१९७.५०	बिक्री नहीं
९. लकड़ी							
सागौन के गोल लट्ठे ५ फीट और उससे अधिक परिधि वाले	बल्लारशाह (दक्षिण चान्दा, मध्य प्रदेश)	घन फुट	१४.२५	१४.२५	१४.२५	१४.२५	१४.२५

निर्मित

वस्तुएं	बाजार	इकाई	मई ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
१. टेक्सटाइल							
क. जूट का माल							
टाट							
(१) १०½ औंस ४०"	कलकत्ता	१०० गज	४४.७०	४१.४०	४१.४०	४०.७५	४१.७५
(२) ८ औंस ४०"	"	"	३४.४०	३२.३५	३२.०५	३१.३५	३१.९०
बोरियां							
(१) बी. ट्विल	"	१०० बोरिया	११६.००	१०४.१०	१०१.२५	९८.६०	९९.२५
(२) सी. भारी बोरिया	"	"	११५.७५	१०४.००	१००.७५	९८.२५	९९.२५
ख. सूती माल**							
(१) कोरा कमीज का कपड़ा १२१-३५"×३८ गज×७ पौंड	बम्बई	एक थान	१७.२२	अप्राप्य	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्य
(२) कोरा स्टैंडर्ड कमीज का कपड़ा—३५"×३८ गज	"	पौंड	बिक्री नहीं	१.८६	१.८६	१.८६	१.८२
(३) छींट (हिन्द मिल्स) ४५८८ ४३"×३८ गज	"	एक थान	२४.९४	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्य
(४) कोरी धोतिया (ग्रा मिल्स) मध्यम ४३"× १०/२ गज×२ पौंड		एक जोड़ा	६.३७	अप्राप्य	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्य

(न) नियन्त्रित मूल्य ** मिल से चलते समय माल के भाव

के थोक भाव : १९५८

मई ५८	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८	अक्तूबर ५८	नवम्बर ५८	दिसम्बर ५८
रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न० पै.	रु० न. पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
२२५.००							
२०६.००							
४७७.००							
५७.५०							
१७७.५०							
१६४.००							
बिक्री नहीं							
१४.२५							
वस्तुएं							
४३.३५							
३३.००							
१०१.००							
१०१.६५							
अप्राप्त							
१.८२							
अप्राप्त							
अप्राप्त							

२. देश में वस्तुओं

वस्तुएं	बाजार	इकाई	मई ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
(५) रंगीन क्रेप—कमीज का कपड़ा एफ० एस०—१०५	मद्रास	गज	१.०२	१.०८	१.०८	१.०८	१.०८
(६) एम—१०१ ब्लीच किया मलमल ४८"×२०" गज	,,	२० गज	१६.६५	१६.६०	१६.६०	१६.६०	१६.६०
ग. रेयन और रेशम का माल							
(१) टफेय कोरो २६-५०",४-३/४ से ५ पौंड तक (रेयन)	बम्बई	गज	०.७०	०.७०	०.७४	०.७६	०.७६
(२) फूजी (चीनी रेशम)	,,	५० गज का थान	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
२. लोहे और इस्पात से निर्मित वस्तुएं (न)							
लोहे और इस्पात की पनालीदार चादरें-२४ गेज	कलकत्ता	हंडरवेट	४३.२५	४३.२५	४३.२५	४३.२५	४३.२५
३. अन्य निर्मित वस्तुएं							
क. सीमेण्ट (न)							
भारतीय (स्वास्तिक)	,,	टन	११७.५०	११७.५०	११७.५०	११७.५०	११७.५०
ख. कांच (खिड़कियों का)							
(१) बड़ा साईज ३०"×२४" तक	,,	१०० वर्ग फुट	४५.००	४५.००	४०.००	४०.००	३८.००
(२) मध्यम साईज	,,	,,	४२.००	४२.००	३८.००	३८.००	३७.००
ग. कागज							
सफेद छपाई, डिमाई १४ पौंड और ऊपर	,,	पौंड	०.४५	०.८०	०.८०	०.८०	८३.५ न.पै०
घ. रसायनिक पदार्थ							
(१) फटकरी	,,	हंडरवेट	२०.५०	१९.७५	अप्राप्त	२१.००	२१.००
(२) गंधक का तेजाब*	,,	टन	१७०.००	१७०.००	१७०.००	१७०.००	१७०.००
ङ. रंग लेप							
लाल सीसे का सूखा असली	,,	हंडरवेट	६४.००	८२.००	८६.००	८४.००	—

(न) नियन्त्रित मूल्य

*१-२-५६ से गंधक के तेजाब का भाव कारखाने से निकलने वाले माल के भाव के बजाय दमदम केन्द्र से निकलने वाले माल के १४७ रुपये=१०० के आधार पर दिया गया है।

के थोक भाव : १९५८

मई ५८	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८	अक्तूबर ५८	नवम्बर ५८	दिसम्बर ५८
रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न० पै०	रु० न.पै०	रु० न. पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
१.०८							
१६.६०							
०.७३							
अप्राप्त							
४३.२५							
११७.५०							
३७.००							
३६.००							
८३.५०							
२१.००							
१७०.००							
८४.००							

व्यापारिक और औद्योगिक शब्दावली

प्रस्तुत अंक में व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों के जिन विशिष्ट शब्दों का प्रयोग हुआ है उन्हें तथा उनके अंग्रेजी रूपों को पाठकों की सुविधा के लिये यहां दिया जाता है। ये केवल सुविधा की दृष्टि से दिये गये हैं। प्रामाणिकता की दृष्टि से इन्हें अन्तिम नहीं मान लेना चाहिये। —सम्पादक।

हिन्दी शब्द	अंग्रेजी रूप	हिन्दी शब्द	अंग्रेजी रूप
अतिरिक्त सुरक्षा	Additional Security	पूंजी फंस जाना	Blocking of Capital.
अदृश्य व्यापार	Invisible trade	प्रतिस्पर्धात्मक आधार	Competitive Basis.
आंशिक भुगतान	Part Payment	प्रसिद्धि	Reputation.
आधारभूत अवधि	Basic Period	प्रेरणा	Incentive.
आंतरिक महसूल व्यवस्था	Internal Freight Structure	बीमा	Insurance.
		बीमाकर्त्ता	Insurer.
उच्चतम प्राथमिकता	Highest Priority	बीमा का प्रतिरोध	Resistance to Insurance.
उत्पादक	Producers		
ऋण की सुरक्षा	Safety of Advance	बीमाकृत निर्यातक	Insured Exporters.
एकमात्र सुरक्षा	Sole Security	भारत रक्षा नियम	Defence of India Rules.
कच्चा तेल	Crude Oil		
कलापूर्ण वस्तुएं	Artwares	मनोरंजन	Entertainment.
केन्द्रीय सलाहकार परिषद्	Central Advisory Council	यात्रा गाड़ियां	Tourist Vehicles.
		राजनीतिक कारण	Political Causes.
खनिज तेल	Mineral Oils	लम्बी हल्दी	Finger Turmeric.
खान मालिक	Mine Owners	लाइसेंस की वैधता	Validity of Licences.
गोल हल्दी	Bulb Turmeric	वनस्पति तेल	Vegitable Oils.
चालू पूंजी	Working Capital	वसूली	Recovery.
जहाज द्वारा माल ढोना	Shipping of Goods	वित्तीय सुविधाएं	Financial Facilities.
जहाजी बिल्टी	Shipping Documents	वित्तीय हैसियत	Financial Standing.
जहाजी भाड़ा	Ocean Freight	विशेष अधिकार	Special Powers.
दर्शनीय स्थलों की सैर	Sight seeing	व्यापारिक कारण	Commercial Causes.
दस्तकारी	Handicrafts	व्यापारी बेड़ा	Merchant Marine.
दायित्व	Obligation	व्यापारी राष्ट्र	Trading Nations.
नक्काशीदार चीजें	Carved Articles	शिक्षाप्रद खिलौने	Educational Toys.
नये निर्यातक	New Comers	शीरा	Molasses.
निजी सामान	Personal Luggage	समुद्री सीमाशुल्क	Sea Customs.
निर्यातक	Exporter	सहायक बन्दरगाह	Subsidiary Port.
निर्यातक देश	Exporting Countries	साख	Credit.
निर्यात चेतना	Export Consciousness	सावधान	Alert.
निर्यात जोखिम	Export Risk	सीमाशुल्क केन्द्र	Customs Point.
निर्यात नियन्त्रण	Export Control	सूखा माल	Dry Cargo.
निर्यात प्रणाली	Export Procedure	सेवाएं	Services.
निर्यात या नाश	Export or Perish.	सौदा	Transaction.
निर्यात संवर्द्धन	Export Promotion.	स्थल सीमा	Land Frontier.
पुराने निर्यातक	Established Shippers.	हल्दी	Turmeric.

परिशिष्ट

१. विदेशों में भारत सरकार के व्यापार-प्रतिनिधि।

२. भारत में विदेशी सरकारों के व्यापार-प्रतिनिधि।

परिशिष्ट—१

विदेशों में भारत सरकार के व्यापार-प्रतिनिधि

नाम और पता	कार्य-क्षेत्र
यूरोप	
(१) लन्दन	
श्री टी० स्वामीनाथन, आई० सी० एस०, ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर के मन्त्री (आर्थिक) इण्डियाहाउस, आल्डविच, लन्दन, डब्ल्यू० सी० २। तार का पता :—हिकोमिंड (HICOMIND) लन्दन।	ब्रिटेन और आयर
(२) पेरिस	
श्री एच० के० कोवर, भारतीय दूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), १५, रियू अलफ्रेड, डेहोडेनिक, पेरिस १६ एमे (फ्रांस)। तार का पता:—इन्डाट्राकम (INDATRACOM), पेरिस।	फ्रांस और नारवे
(३) रोम	
श्री पी० एन० मेनन, आई० एफ० एस०, भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी, (व्यापारिक) वाया फ्रेन्सेस्को, डेन्चा, ३६, रोम (इटली)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), रोम।	इटली, यूनान और यूगोस्लाविया
(४) बोन	
डा० एस० पी० कृपलानी, जर्मनी में भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), २६२ कोब्लेन्जर स्ट्रासे, बोन (प० जर्मनी)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी(INDEMBASSY), बोन।	जर्मनी
(५) हम्बर्ग	
श्री एस० वी० पटेल, आई० एफ० एस० भारतीय कौंसल-जनरल ६०८/५ स्पिनकेलाफ, हम्बर्ग-१ (प० जर्मनी) तार का पता :—इण्डिया (INDIA) हम्बर्ग।	हम्बर्ग, ब्रेमेन और श्लेस्विग, हालस्टीन
(६) ब्रसेल्स	
श्री एच०सी० हाग, बेलजियम में भारतीय राजदूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), ५८५, अवेन्यू लौजि, ब्रसेल्स (बेलजियम)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) ब्रसेल्स।	बेलजियम
(७) श्री एस० एस० गोपाल राव, वाइस कन्सलेट, ४३, हिन्डेयरस्ट्राट, एन्टवर्प तार का पता:—कनसिन्डिया (CONSINDIA) एन्टवर्प।	
(८) बर्न	
श्री एम० सी० देव, आई० ए० एस०, भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), बर्न (स्वीजरलैण्ड)। तार का पता—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) बर्न।	स्वीजरलैण्ड
(९) स्टाकहोम	
श्री के० सी० सहगल, भारतीय राजदूतावास के सेकेन्ड सेक्रेटरी व्यापारिक स्ट्रण्डवेजेन ४७-४, स्टाकहोम (स्वीडन)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), स्टाकहोम।	स्वीडन, फिनलैण्ड और डेनमार्क
(१०) प्रेग	
श्री सी० शिवराव, चेकोस्लोवाकिया में भारतीय दूतावास के सेकेण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), २२, थुनोवास्का, प्रेग-३। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) प्रेग।	चेकोस्लोवाकिया
(११) मास्को	
श्री पी० वैद्यनाथन, रूस में भारतीय दूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), नं० ६ और ८, उलित्सा ओबूखा, मास्को। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) मास्को।	रूस

नाम और पता	कार्य-क्षेत्र
(१२) वियना श्री ए०एन० मेहता, आई०एफ०एस० भारतीय लीगेशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक) १७, मेयरगास, स्टिजोगास, वियना। तार का पता:— इंडलीगेशन (INDLEGATION) वियना।	आस्ट्रिया और हंगरी
अमेरिका	
(१३) ओटावा। श्री एम० के० राय, कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), २००, मेकलेरन स्ट्रीट, ओटावा, ओन्टोरियो (कनाडा)। तार का पता:—हिकोमिण्ड (HICOMIND) ओटावा।	कनाडा।
(१४) वाशिंगटन श्री एस० जी० रामचन्द्रन आई०एफ०एस०, भारतीय दूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), २१०७, मैसेचुसेट्स एवेन्यू, एन० डब्ल्यू० वाशिंगटन—८ डी० सी० (संयुक्त राज्य अमेरिका)। तार का पता:— इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) वाशिंगटन।	संयुक्तराज्य अमेरिका और मैक्सिको
अफ्रीका	
(१५) मोम्बासा श्री एफ० एम० दे मैलो कामत, आई० एफ० एस०, भारत सरकार के व्यापार कमिश्नर, जुबली इन्श्योरेन्स बिल्डिंग, पो० बा० नं० ६१४, मोम्बासा (केनिया)। तार का पता:—इण्डोकम (INDOCOM), मोम्बासा (केनिया)।	पूर्वी अफरीका, केनिया, उगाण्डा टंगानीका और जन्जीबार, दक्षिणी रोडेशिया, उत्तरी रोडेशिया, और न्यासालैण्ड
(१६) काहिरा श्री के० आर० एफ० खिलनानी, आई० एफ० एस०, मिस्र में भारतीय दूतावास के कौंसलर (व्यापारिक) सुलीमान पाशा स्ट्रीट, काहिरा (मिस्र)। तार का पता:—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY)। काहिरा।	मिस्र, लेबनान, साइप्रस और लीबिया
आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड	
(१७) सिडनी श्री एच०एल०सुजान, भारत सरकार के व्यापार कमिश्नर, काल्टर हाउस, १०वीं मंजिल, १६७-१८७ केन्ट स्ट्रीट, सिडनी (आस्ट्रेलिया)। तार का पता:—आस्ट्रेण्ड (AUSTRAIND) सिडनी।	आस्ट्रेलिया और उसके समुद्र-पारीय प्रदेश जिनमें नौरफौक तथा नौरू भी शामिल हैं
(१८) वेलिंगटन श्री एस० के० चौधरी, आई० एफ० एस०, न्यूजीलैण्ड में भारत के हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), विंगजर बिल्डिंग, ४६, विलिस स्ट्रीट, वेलिंगटन, (न्यूजीलैण्ड)। तार का पता:—ट्रैकोमिण्ड (TRACOMIND) वेलिंगटन न्यूजीलैण्ड।	न्यूजीलैण्ड
एशिया	
(१९) टोकियो श्री डी० हेजमदी, आई० एफ० एस०, जापान में भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), एम्पायर हाउस (नाइगई बिल्डिंग), मारूनौची, टोकियो (जापान)। तार का पता:—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), टोकियो।	जापान
(२०) कोलम्बो श्री वी०सी० विजय राघवन, आई० एफ० एस०, लंका में भारत के हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), गफ्फूर बिल्डिंग, पो०ओ० बा०नं० ४७, फोर्ट, कोलम्बो (लंका)। तार का पता:—हिकोमिण्ड (HICOMIND) कोलम्बो।	लंका

नाम और पता	कार्यक्षेत्र
(२१) रंगून श्री एन० केशवन, भारत के राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), इनडेरिया बिल्डिंग, पागोड़े स्ट्रीट, पो०बा० नं० ७५१, रंगून (बर्मा)। तार का पता:—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), रंगून।	बर्मा
(२२) कराची श्री एन० के० निगम, पाकिस्तान में भारत के हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), चार्टर्ड बैंक चैम्बर्स, "बलीका महल," एम० के० सैठा रोड, न्यू टाउन, कराची-५ (पश्चिम पाकिस्तान) तार का पता :—इण्ट्राकम (INTRACOM), कराची।	पाकिस्तान
(२३) ढाका श्री बी०एम० घोष, पाकिस्तान में भारत के हाई कमीशन के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), ३, रामकृष्ण मिशन रोड, ढाका (पूर्वी पाकिस्तान)। तार का पता :—"गुडविल" (GOODWILL), ढाका।	पूर्वी पाकिस्तान
(२४) सिंगापुर श्री ए० के० दर, आई० एफ० एस०, मलाया में भारत सरकार के कमिश्नर के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), इण्डिया हाउस, ३१—म ग रोड, पो० बा० नं० ८३६, सिंगापुर (मलाया)। तार का पता :—रेपीण्डिया (REPINDIA), सिंगापुर।	मलाया
(२५) बैंकाक श्री एन० पी० जैन आई० एफ० एस०, भारतीय राजदूतावास के थर्ड सेक्रेटरी, ३७, क्याथाई रोड, बैंकाक (थाइलैण्ड) तार का पता:— इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), बैंकाक।	थाइलैण्ड
(२६) मनीला व्यापारिक विभाग, भारतीय लीगेशन, २१४-नेवारका, मनीला (फिलिपाइन)। तार का पता :—इण्डलोगेशन (INDLEGATION), मनीला।	फिलिपाइन मनीला में भारतीय लीगेशन के मन्त्री के अधीन
(२७) जकार्ता श्री बी० आर० अभयंकर, भारतीय राजदूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक) पो० बा० १७८, ४४, लेयनसिरोड, जकार्ता (इण्डोनेशिया)। तार का पता: -इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), जकार्ता।	इण्डोनेशिया
(२८) अदन श्री भगत सिंह, अदन में भारत सरकार के कमिश्नर, अदन। तार का पता :— कोमिण्ड (COMIND), अदन।	अदन, ब्रिटिश सोमालीलैण्ड और इटैलियन सोमालीलैण्ड
(२९) तेहरान श्री आर० अगरवाला, भारतीय राजदूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), अवेन्यू शाह रजा, तेहरान (ईरान)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), तेहरान।	ईरान
(३०) बगदाद भारतीय राजदूतावास के व्यापारिक अटेची, ८/८ सफि-उल-दीन-एल हिली स्ट्रीट, वजीरिया, बगदाद (ईराक)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), बगदाद।	ईराक, जोर्डन पारस की खाड़ी कुवैत, बहरीन शेखडम्स शारजा क्वार्टर और ट्रूशियल अमान।
(३१) हांगकांग श्री टी० वी० गंगानरति, भारत सरकार के कमिश्नर के सेकिण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक) टावर कोर्ट, ११वीं मंजिल, हिंसान एवेन्यू, हांगकांग। तार का पता :—कोमिंड (COMIND) हांगकांग।	हांगकांग
(३२) पेकिंग श्री पी० दास गुप्ता, चीन में भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक) ३२, तुंग च्याओमिन, स्याग, पेकिंग (चीन)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), पेकिंग।	चीन
(३३) कम्बोडिया श्री डी० के० सेन गुप्ता, भारतीय राजदूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी, फनोम पेन्ह। तार का पता:— इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) फनोम पेन्ह।	कम्बोडिया

नाम और पता	कार्यक्षेत्र
(३४) खारतूम श्री एम० आर० थडानी, आई० एफ० एस० भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), खारतूम (सूडान)।	सूडान
(३५) बेलग्रेड भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक) बेलग्रेड (यूगोस्लाविया) तार का पता:—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) बेलग्रेड।	यूगोस्लाविया, बल्गेरिया और रूमानिया
(३६) वारसा भारतीय राजदूतावास के सेकेण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक) वारसा (पोलैण्ड)।	पोलैण्ड
(३७) सेन्टीआगो श्री पी० टी० बी० मेनन, भारतीय राजदूतावास के सेकेण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक)। सेन्टीआगो (चिली)। तार का पता:—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) चिली।	चिली

सूचना:—(१) तिब्बत में निम्नलिखित अधिकारी भारत के व्यापारिक हितों का ध्यान रखते हैं:—

१. गंगटोक, सिकम में भारतीय पोलिटिकल अफसर के व्यापारिक सेक्रेटरी।

२. भारत के व्यापार एजेण्ट, यातुङ्ग (तिब्बत)।

(२) जिन देशों में अलग व्यापार-प्रतिनिधि नहीं हैं, उनमें भारतीय राजदूत और कन्सलर अफसर भारत के व्यापारिक हितों का ध्यान रखते हैं।

भारत में विदेशी सरकारों के व्यापार-प्रतिनिधि

देश	पद	पता
१. अफगानिस्तान	भारत में शाही अफगान राजदूतावास के आर्थिक एटेची।	२४, रेटएडन रोड, नयी दिल्ली।
२. अमेरिका	(१) भारत में अमेरिकन राजदूतावास के आर्थिक मामलों के कौंसिलर।	बहावलपुर हाउस, सिकन्दरा रोड, नयी दिल्ली
	(२) भारत में अमेरिका के कौंसल जनरल।	५/१, हैरिंगटन स्ट्रीट, कलकत्ता-१६।
	(३) भारत में अमेरिका के कौंसल जनरल।	कन्स्ट्रक्शन हाउस, निकल रोड, बैलार्ड इस्टेट, बम्बई—१।
	(४) भारत में अमेरिका के कौंसल जनरल।	१५०-बी०, माउंट रोड, मद्रास—२।
३. आस्ट्रिया	भारत में आस्ट्रिया के व्यापार प्रतिनिधि।	क्वीन्स मेनशन्ज, बेस्टियन रोड, फोर्ट, पो० बा० न० १३८५, बम्बई।
४. आस्ट्रेलिया	(१) भारत में आस्ट्रेलिया सरकार के व्यापार कमिश्नर।	मरकैंटाइल बैंक बिल्डिंग, ५२/६६, महात्मा गांधी रोड, जनरल पो० आ० बा० नं० २१७, बम्बई।
	(२) भारत में आस्ट्रेलिया सरकार के व्यापार कमिश्नर।	२, फेअरली प्लेस, कलकत्ता।
५. इटली	भारत में इटली के राजदूतावास के व्यापारिक कौंसिलर।	१७, यार्क रोड, नयी दिल्ली।
६. इण्डोनेशिया	भारत में इण्डोनेशियन राजदूतावास के आर्थिक मामलों के मंत्री।	५०ए, चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली।
७. कनाडा	(१) भारत में कनाडा हाई कमीशन के थर्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक)	४, औरंगजेब रोड, नयी दिल्ली।
	(२) भारत में कनाडा का व्यापार कमीशन।	मेंशम एश्योरेन्स हाउस, मिंट रोड, पो. आ बा ८८६, बम्बई-१।
८. घाना	अशोक होटल, नई दिल्ली।	
९. चीन	(१) भारत में चीनी गणतन्त्र के राजदूतावास के व्यापारिक मामलों के कौंसलर।	चीन्द हाउस, लिटन रोड, नयी दिल्ली।
	(२) चीनी जन गणराज्य के व्यापारिक एजेन्ट।	कालिम्पौंग।
	(३) ८, बैंनक स्ट्रीट, कलकत्ता।	
१०. चैकोस्लोवाकिया	(१) चैकोस्लोवाकिया गणतंत्र के व्यापारिक प्रतिनिधि।	६५, गोल्फ लिंक एरिया, पो० बा० ३१३ नयी दिल्ली।
	(२) चैकोस्लोवाक गणतंत्र के व्यापारिक प्रतिनिधि, बम्बई शाखा।	कस्तूरी बिल्डिंग्स, जमशेद जी टाटा रोड, बम्बई-१।
	(३) चैकोस्लोवाक गणतंत्र के व्यापारिक प्रतिनिधि, कलकत्ता शाखा।	पी० ३८, मिशन रो एक्सटेन्शन, कलकत्ता १३।
	(४) चैकोस्लोवाक गणतंत्र के व्यापारिक प्रतिनिधि, मद्रास शाखा।	३५/५, माउंट रोड, मद्रास-२।
११. जापान	भारत में जापानी राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक)।	प्लाट नं० ४ और ५, ब्लाक ५०-जी, चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली।
१२. डेनमार्क	भारत में डेनमार्क के व्यापार कमिश्नर।	पोलोन्जी मैन्शन, न्यू बैफे परेड, कोलाबा, बम्बई-५
१३. तुर्की	भारत में तुर्की दूतावास के व्यापारिक एटेची।	होटल अम्बेसेडर, नयी दिल्ली।

देश	पद	पता
१४. नारवे	(१) भारत में नारवे दूतावास के व्यापार कमिश्नर ।	इम्पीरियल चेम्बर्स, विलसन रोड, बालार्ड ऐस्टेट पो० आ० बा० नं० २६४, बम्बई-१ ।
	(२) भारत में नारवे दूतावास के सहायक व्यापार कमिश्नर ।	१४, नेताजी सुभाष रोड, पो०बा० २२११, कलकत्ता
१५. नीदरलैण्ड	भारत में नीदरलैण्ड राजदूतावास के व्यापारिक एटेची ।	२६८, बाजार गेट स्ट्रीट, बम्बई ।
१६. न्यूजीलैण्ड	भारत में न्यूजीलैण्ड सरकार के व्यापार कमिश्नर ।	मरकैंटाइल बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, महात्मा गांधी रोड, बम्बई-१ ।
१७. प० जर्मनी	(१) भारत में जर्मनी के संघीय गणराज्य दूतावास के व्यापारिक कौंसलर ।	८६, सुन्दर नगर, मथुरा रोड, नयी दिल्ली ।
	(२) जर्मनी के संघीय गणराज्य के कौंसल जनरल ।	रूसी मैन्शन, २६ वुडहाउस रोड कोलाबा, बम्बई-१
	(३) जर्मनी के संघीय गणराज्य के कौंसल जनरल ।	५६-सी, चौरंगी रोड, कलकत्ता ।
	(४) जर्मनी के संघीय गणराज्य के कौंसल जनरल ।	बम्बे म्यूचुअल बिल्डिंग, ३७८, नेताजी बोस रोड, मद्रास ।
१८. पाकिस्तान	भारत में पाकिस्तान हाई कमीशन के व्यापारिक सेक्रेटरी ।	शेरशाह रोड मेस, नयी दिल्ली ।
१९. पूर्वी जर्मनी	(१) जर्मनी के प्रजातान्त्रिक गणराज्य के व्यापार प्रतिनिधि ।	२३, करजन रोड, नयी दिल्ली ।
	(२) जर्मनी के प्रजातान्त्रिक गणराज्य के व्यापार प्रतिनिधि ।	मिस्त्री भवन २२, दीनशावाचा रोड, बम्बई रिक्लेमेशन, बम्बई १ ।
२०. पोलैण्ड	(१) भारत में पोलिश गणतंत्र के राजदूतावास के व्यापारिक कौंसलर ।	४२-४४, सुन्दर नगर, नई दिल्ली ।
	(२) भारत में पोलिश गणतन्त्र के व्यापार प्रतिनिधि ।	४०/ए, पेडर रोड, जुगलकिशोर बिल्डिंग, बम्बई-२६
	(३) भारत में पोलिश गणतन्त्र के व्यापार प्रतिनिधि ।	२८, स्टीफन कोर्ट, १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता ।
२१. फ़िनलैण्ड	(१) भारत में फिनिश लीगेशन के व्यापारिक कौंसलर ।	१, हुमायूँ रोड, नयी दिल्ली ।
२२. फ्रांस	(१) भारत में फ्रेंच राजदूतावास के आर्थिक मामलों के कौंसलर ।	२, औरंगजेब रोड, नयी दिल्ली ।
	(२) भारत में फ्रेंच राजदूतावास के व्यापार कमिश्नर ।	'अडेल्फी बिल्डिंग, क्वीन्स रोड, बम्बई १ ।
	(२) भारत में फ्रेंच राजदूतावास के व्यापार कमिश्नर ।	पार्क मेन्शन्स, १३, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता ।
	(३) भारत में फ्रेंच राजदूतावास के व्यापार कमिश्नर ।	मद्रास क्लब, मद्रास ।
२३. बर्मा	(१) भारत में बर्मी राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक) ।	२, किचनर रोड, नयी दिल्ली ।
	(२) सहायक व्यापार कमिश्नर ।	१२, डलहौजी स्क्वायर ईस्ट, कलकत्ता ।
२४. बलगेरिया	(१) व्यापार प्रतिनिधि ।	१६८, गोल्फ लिंक एरिया, नई दिल्ली ।
	(२) भारत में बलगेरियन गणतन्त्र के सहायक व्यापार प्रतिनिधि ।	"कामनवेल्थ" बिल्डिंग नारीमन पॉइंट, मरीन ड्राईव, बम्बई-१ ।
२५. ब्रिटेन	(१) भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर के आर्थिक सलाहकार और भारत में ब्रिटेन के सीनियर व्यापार कमिश्नर ।	६, तीस जनवरी मार्ग, नयी दिल्ली ।
	(२) बम्बई में ब्रिटेन के मुख्य व्यापार कमिश्नर ।	पो० आ० बा० नं० ८१५, महात्मा गांधी रोड, बम्बई-१ ।
	(३) कलकत्ता में ब्रिटेन के मुख्य व्यापार कमिश्नर ।	१, हैरिंगटन स्ट्रीट, कलकत्ता—१६ ।
	(४) मद्रास में ब्रिटेन के व्यापार कमिश्नर ।	पो० बा० नं० १५७५, आरमीनियन स्ट्रीट, मद्रास ।

देश	पद	पता
२६. बेलजियम	भारत में बेलजियम राजदूतावास के व्यापारिक कौंसलर।	थियेटर कम्यूनिकेशन बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नयी दिल्ली।
२७. मिस्र	भारत में मिस्री राजदूतावास के व्यापारिक एटेची।	कमरा नं० ३६, स्विस होटल, दिल्ली।
२८. रूमानिया	भारत में रूमानिया के व्यापार प्रतिनिधि।	स्टीलक्रीट हाउस, दीनशावाचा रोड, चर्च गेट रीक्लेमेशन, बम्बई-१।
२९. रूस	(१) भारत में रूस के व्यापार प्रतिनिधि।	ट्रावनकोर हाउस, नयी दिल्ली।
	(२) भारत में रूस के व्यापार प्रतिनिधि।	४, कमैक स्ट्रीट, कलकत्ता और १ विशप लेफ्राय रोड, कलकत्ता।
	(३) भारत में रूस के व्यापार प्रतिनिधि।	वसुन्धरा हाउस, बम्बई-२६।
३०. लङ्का	भारत में लंका के व्यापार कमिश्नर।	सीलोन हाउस, ब्रूस स्ट्रीट, फोर्ट बम्बई-१।
३१. स्पेन	भारत में स्पेन के सहायक व्यापार कमिश्नर।	"मिस्त्री कोर्ट", दीनशा वाचा रोड, चर्च गेट रीक्लेमेशन, बम्बई।
३२. स्विट्‌जरलैण्ड	(१) भारत में स्विस लीगेशन के व्यापारिक सेक्रेटरी।	थियेटर कम्यूनिकेशन बिल्डिंग नं० १, रैडियल रोड, नयी दिल्ली।
	(२) भारत में स्विस व्यापार कमिश्नर।	प्राइम एश्योरेन्स हाउस, पो. आ. ना. १०२, सर पी० एम० रोड, बम्बई-१।
३३. स्वीडन	स्वीडन के व्यापार कमिश्नर।	इन्डियन मरचैन्टाइल चैम्बर्स, निकल रोड, बैलार्ड इस्टेट, बम्बई।
३४. हंगरी	(१) भारत में हंगेरियन लीगेशन के व्यापारिक कौंसलर और व्यापार प्रतिनिधि।	१०, पूसा रोड, ब्लाक नं० ११, नारदर्न एक्सटेन्शन एरिया, नई देहली।
	(२) भारत में हंगेरियन लीगेशन का व्यापार कमीशन।	रेयिल्स ४५. केफे परेड. बम्बई ५.

सूचना :—जिन देशों के अलग व्यापार-प्रतिनिधि नहीं हैं, उनके व्यापार हितों का ध्यान, भारत में स्थित उनके राजनीतिक और अथवा कंसलर विभाग रखते हैं।

कार्यालय का पता :—५४०, उद्योग भवन, किंग एडवर्ड रोड, नयी दिल्ली।

फोन नं० ३२५३७

मुद्रक :—गंगा प्रिंटिंग प्रेस, ५१, बस्ती हरफूलसिंह, दिल्ली।

उद्योग-व्यापार पत्रिका

विशेष लेख

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की प्रगति।
घरों में काम आने वाले बर्तनों का उद्योग।
३. चाय, काफी और रबड़ उद्योगों की प्रगति
४. नमक के उत्पादन में ११ प्रतिशत की ::

वृक्षों से रबड़ का दूध इकट्ठा किया जा रहा है।

सत्यमेव जयते

णिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय
ारत सरकार, नई दिल्ली

५४२, उद्योग भवन, किंग एडवर्ड रोड)

मूल्य ।।) या ५० नये पैसे

अगस्त
१६५८

स्वास्थ्य वृद्धि की ओर

गाड़ीवान रामू के लिये, कुछ वर्ष पहिले, एक पढ़ेलिखे डाक्टर के दर्शन बड़ी अपूर्व बात थी; और उसके गाँव के आस पास स्वास्थ्य केंद्र ऐसे थे जैसे शर्द ऋतु में आमों की फसल!

राष्ट्रीय योजनाओं के द्वारा अब स्थिति बदल चुकी है। आज डाक्टर से रामू के मित्रों जैसे सम्बंध हैं, और गाँव गाँव स्वास्थ्य केंद्र खुल चुके हैं। इन के कारण रामू ने रोगों की रोक थाम का सर्वोत्तम उपाय भी प्राप्त कर लिया है—यानी स्वास्थ्य शिक्षा। वह अब यह जानता है कि स्वास्थ्य और बीमारियों का मुक़ाबिला करने की शक्ति, उसके खान पान पर निर्भर है—यानी संतुलित आहार पर। ऐसी ख़ुराक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ, विटामिन सभी कुछ होना चाहिये—और चिकनाइआँ भी। गेहूँ और चावल से २½ गुना ज़्यादा शक्ति, हमें चिकनाइयों से मिलती है। और शरीर को बीमारियों का मुक़ाबिला करने की ताक़त भी इन ही से प्राप्त होती है।

खाना पकाने की चिकनाई 'डालडा' ही लीजिये। यह एक ऐसा वनस्पति है जो शहरों की तरह देहातों में भी प्रति दिन ज़्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है। 'डालडा' साफ़ वनस्पति तेलों से बनता है। इसके हर औंस में विटामिन ए के ७०० अंतरराष्ट्रीय यूनिट्स मिलाये जाते हैं—जितने कि अच्छे घी में होते हैं। इसके अलावा 'डालडा' में विटामिन डी के भी ५६ अं. यू. मिलाये जाते हैं। बनाते समय इसे हाथों से नहीं छूआ जाता और खाने की हर प्रकार की चीज़ें बनाने में यह आप के काम आता है। इन्ही गुणों के कारण 'डालडा' केवल एक चिकनाई या पाक माध्यम ही नहीं-यह रामू और उसके सभी भारतीय भाइयों के लिये एक सुरक्षित और शक्तिदायक आहार भी है।

यह है कि नया मर्फी माडल ०७२४ अन्य किसी भी रेडियो की अपेक्षा अधिक प्रशंसित होगा क्योंकि—

* केबिनेट अति सुन्दर बना है
* वर्षों तक उच्चकोटि का कार्य सम्पादन करता है।

माडल ०७२४

* ६-वाल्व
* आल-वेव
* ८-बैंड, पूर्णतः बैंड स्प्रैड
* ए सी या ए सी/डी सी (दो माडल)

रु० ४६४.०० तथा स्थानीय कर

वर्षों तक आपका साथ देगा।

ग्राहकों को सूचना

डाक टिकट न भेजिये

उद्योग व्यापार पत्रिका की फुटकर प्रतियां मंगाने के लिये हमारे कार्यालय में प्रायः ही डाक के टिकट भेज दिये जाते हैं। अपने प्रेमी ग्राहकों से हमारा यह विनम्र निवेदन है कि वे भविष्य में कृपया डाक के टिकट न भेजें। इसके बदले में वे पोस्टल आर्डर अथवा मनी आर्डर से मूल्य भेजा करें। ऐसी दशा में उनका मूल्य कार्यालय में सुरक्षित पहुंच जायगा और प्रतियां भी जल्दी भेजी जा सकेंगी।

इसलिये भविष्य में कोई सज्जन डाक टिकट न भेजें और मूल्य पोस्टल आर्डर अथवा मनी आर्डर द्वारा ही भेजने की कृपा करें।

सम्पादक, उद्योग-व्यापार पत्रिका,
वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय सूची

भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय के प्रकाशन-सम्पादक द्वारा प्रकाशित।

सूचना—इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का सम्बन्ध, जब तक विशेषतः स्पष्ट न लिखा जाय, भारत-सरकार अथवा उसके किसी भी मन्त्रालय नहीं होगा।

कार्यालय का पता—५४२, उद्योग भवन, किंग एडवर्ड रोड, नयी दिल्ली।

उद्योग-व्यापार पत्रिका

उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बम्बई और जम्मू-काश्मीर के शिक्षा विभागों द्वारा शिक्षा-संस्थाओं और पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत

वर्ष ६] नयी दिल्ली, अगस्त १९५८ [अङ्क २

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की प्रगति

साधनों में और अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता

राष्ट्रीय विकास परिषद ने द्वितीय आयोजना का खर्च ४८०० करोड़ रु० ही यथावत् बनाये रखने का जब निश्चय किया था तो उसने यह सुझाव भी दिया था कि आयोजनाओं और कार्यक्रमों को दो भागों में बांट देना चाहिए। प्रथम भाग (क) में वे मुख्य आयोजनाएं हों जिनका सम्बन्ध या तो कृषि उत्पादन बढ़ाने से है अथवा जो आगे बढ़ चुकी हैं। उन पर ४५०० करोड़ रु० खर्च किये जांय। दूसरे भाग (ख) में वे शेष योजनाएं हों जिनपर ३०० करोड़ रु० खर्च किये जांय। खर्च के उपलब्ध साधनों का अनुमान ४२६० करोड़ रु० है। आयोजना के विभिन्न भागों में सन्तुलन बनाये रखने के उद्देश्य से साधनों में २४० करोड़ रु० की वृद्धि करके ४५०० करोड़ रु० कर देना आवश्यक है। आयोजना आयोग का प्रस्ताव है कि यह राशि अतिरिक्त कर, ऋणों और छोटी बचतों तथा आयोजना से सम्बन्ध न रखने वाले खर्च में किफायत करके प्राप्त की जा सकती है। भाग (ख) की आयोजनाओं को अतिरिक्त साधन उपलब्ध होने की दशा में ही उठाया जायगा। —सम्पादक।

घाटे की वित्त व्यवस्था

४८०० करोड़ रु० के खर्च को पूरा करने के लिये योजना के अंतिम दो वर्षों में २३४४ करोड़ रु० चाहिए जो पांच वर्षों के योग के आधे से कुछ ही कम है। चूंकि पहले दो वर्षों में घाटे की वित्त व्यवस्था बहुत अधिक परिमाण में करनी पड़ी थी और अब उसे कम से कम प्रयोग में लाना है इसलिये इस राशि का प्रबन्ध करना आसान नहीं है।

पहले तीन वर्षों के रुखों को देखते हुए और ऋणों तथा छोटी बचतों से होने वाली प्राप्ति में जो थोड़ी सी वृद्धि हुई है उसे भी ध्यान में रखते हुए अनुमान है कि आयोजना के अन्तिम दो वर्षों में १८०४ करोड़ रु० उपलब्ध हो सकेंगे। इस प्रकार पांच वर्षों का योग ४२६० करोड़ रु० होगा। इस प्रकार खर्च के लिये उपलब्ध धन में जो कमी रह जायगी वह घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा पूरी नहीं की जा सकेगी। विदेशी सहायता पर भी भरोसा करना उचित नहीं होगा। इसलिये यह कमी हमें अपने साधन बढ़ाकर ही पूरी करनी होगी और इसके लिये हमें अपने करों, ऋणों, छोटी बचतों आदि पर भरोसा करना होगा और आयोजना के अतिरिक्त होने वाले खर्च में किफायत करनी होगी।

आयोजना का खर्च घटा कर उपलब्ध साधनों अर्थात् ४२६० करोड़ रु० की सीमा तक ले आना न केवल अवाञ्छनीय है वरन् ऐसा करने में बहुत सी व्यावहारिक कठिनाइयां भी उत्पन्न हो जाती हैं। आयोजना में सम्मिलित विविध प्रायोजनाओं की लागत बढ़ जाने पर भी आयोजना का खर्च ४८०० करोड़ रु० की सीमा पर ही स्थिर रखने का जो निश्चय किया गया है, उसके कारण उद्योगों तथा खनिजों के लिए निर्धारित की गई राशियों में कुछ हेर-फेर करने पड़े हैं। यदि साधनों की स्थिति देखते हुए आयोजना का खर्च ४२६० करोड़ रु० से अधिक न किया जा सका तो सामाजिक सेवाओं के खर्च में से ज्यादा कटौती करनी होगी। आयोजना के विविध खर्चों में सन्तुलन बनाये रखने के उद्देश्य से ऐसा करना भी वाञ्छनीय नहीं होगा। इसलिये वास्तव में किये जाने वाले खर्चों का स्तर ४५०० करोड़ रु० से कम नहीं होने देना चाहिए।

आयोजनाओं के दो भाग

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने जब द्वितीय आयोजना का खर्च ४८०० करोड़ रु० ही यथावत् बनाये रखने का निश्चय किया तो उसने यह सुझाव भी दिया था कि प्रायोजनाओं और कार्यक्रमों को दो भागों में बांट देना चाहिए। प्रथम भाग (क) में कृषि का उत्पादन बढ़ाने से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने वाली प्रायोजनाओं तथा कार्यक्रमों के अतिरिक्त वे प्रायोजनाएं हों जिन्हें मुख्य प्रायोजनाएं माना गया है अथवा वे हों जो काफी आगे बढ़ चुकी हैं अथवा जिन्हें रोका नहीं जा सकता। शेष योजनाओं को भाग (ख) में रखा जाय और उन पर कुल ३०० करोड़ रु० खर्च किये जाय।

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के प्रारूप में कहा गया था कि आयोजना की सफलता कुछ आवश्यक शर्तें पूरी होने पर निर्भर होगी। शर्तें इस प्रकार थीं :—

(१) कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हो जाय।

(२) घरेलू बचतों में बराबर वृद्धि हो।

(३) आयोजना के कारण होने वाली विदेशी विनिमय की कमी पूरी करने के लिये विदेशी सहायता मिले।

(४) मूल्यों के स्तर ऐसे रूप में स्थिर रखे जाय जो उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों के लिये उचित हों।

(५) प्रशासन श्रेष्ठ रहे, प्रथम तथा द्वितीय आयोजनाओं के अन्तर्गत उत्पन्न हुए साधनों का अच्छे ढंग से उपयोग किया जाय।

इन सभी शर्तों का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है। आयोजना तैयार करने के समय इनका जो महत्व था उससे कहीं अधिक वह आज है।

विदेशी विनिमय की कमी

१९५७-५८ में विदेशी विनिमय की कमी ने एक विषम समस्या उत्पन्न कर दी थी। ऐसी दशा में कुछ प्रायोजनाओं को विदेशी विनिमय की आवश्यकता की दृष्टि से अत्यावश्यक मानना पड़ा और आयोजना के विविध क्षेत्रों के लिये निर्धारित खर्चों में भी हेर-फेर करने की आवश्यकता अनुभव की गई। इसके अतिरिक्त आयोजना के आकार पर भी नये सिरे से विचार करना पड़ा।

द्वितीय आयोजना आरम्भ होने के समय से ही देशी तथा विदेशी दोनों ही प्रकार के साधनों पर बराबर दबाव पड़ता रहा है। अप्रैल १९५६ और अगस्त १९५७ के बीच थोक मूल्यों में १४ प्रतिशत की वृद्धि हो गई। इधर वे कुछ गिर गये हैं। परन्तु उनका वर्तमान स्तर अर्थात् १०६-१०७ अब भी काफी ऊंचा है। अप्रैल १९५६ से मार्च १९५८ तक के दो वर्षों में भुगतान सन्तुलन में ८२१ करोड़ रु० की कमी रही है। इन अवस्थाओं को सुधारने के लिये अनेक उपाय किये गये हैं। परन्तु जो कठिनाइयां देखने में आ रही हैं उनका मूलभूत रूप से विकास कार्यों से सम्बन्ध है और आशा है कि वे योजना की अवधि में जारी रहेंगी।

पहले दो वर्षों में योजना पर १४९६ करोड़ रु० खर्च किये गये हैं। चालू वर्ष के खर्च का योग ९६० करोड़ रु० हो सकता है। इस प्रकार तीन वर्षों के खर्च का योग लगभग २४५६ करोड़ रु० होता है। इस प्रकार शेष १९५९-६१ तक के दो वर्षों में आयोजना के लिये निर्धारित सम्पूर्ण खर्च के आधे से कुछ ही कम खर्च करना शेष रहेगा। पहले तीन वर्षों में होने वाले २४५६ करोड़ रु० का खर्च इस प्रकार निकलने की आशा है :—

	(रु० करोड़ों में)
राजस्व से शेष	४३६
रेलों का योगदान	१२६
सार्वजनिक ऋण, छोटी बचत और अन्य पूंजीगत प्राप्ति	५११
विदेशी सहायता	४३८
घाटे की वित्त व्यवस्था	९१७
योग	२,४५६

आयोजना के लिये उपलब्ध साधन अब तक आशा से कहीं कम रहे हैं। १९५७-५८ में बजट में ४६४ करोड़ रु० का घाटा रहा था। १९५८-५९ के बजट में ऋणों तथा छोटी बचत से काफी अधिक धन मिलने की आशा की गई है। १९५७-५८ की अपेक्षा घाटे की वित्त व्यवस्था में २५० करोड़ रु० की कमी हो जायगी। परन्तु विदेशी सहायता जहां १९५७-५८ में लगभग १०० करोड़ रु० की प्राप्ति हुई थी वहां चालू वर्ष में यह बढ़ कर ३०० करोड़ रु० हो जाने की आशा है।

करों से प्राप्ति

जब से आयोजना आरम्भ हुई है करों में काफी वृद्धि हो गई है। अब तक केन्द्र ने जो कर लगाये हैं उनसे पांच वर्षों में लगभग ७२५ करोड़ रु० की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार इन पांच वर्षों में राज्यों को करों से १७३ करोड़ रु० की प्राप्ति होगी। इस प्रकार आयोजना की अवधि में करों से कुल प्राप्ति ९०० करोड़ रु० के लगभग होगी।

करों से होने वाली इस प्राप्ति का बहुत बड़ा भाग अन्य मदों पर खर्च होगा जिनमें प्रतिरक्षा का खर्च प्रमुख है। करों से इतनी अधिक प्राप्ति करने का प्रयत्न किये जाने पर भी केन्द्रीय योजनाओं के खर्च के लिये केवल ४५ करोड़ रु० ही अधिक प्राप्त हो सकेंगे। इसका यह अर्थ हुआ कि बहुत कम राशि उपलब्ध हो सकेगी।

राज्यों में अतिरिक्त करों से आयोजना अवधि में १७३ करोड़ रु० प्राप्त होंगे। वित्त आयोग के निश्चयानुसार राज्यों को १६० करोड़ रु० के अतिरिक्त केन्द्रीय करों में से भी काफी अधिक हिस्सा मिलना था। इतने पर भी आयोजना पर खर्च करने के लिये राज्यों के पास आशा से कहीं कम धन उपलब्ध हो सका है। यदि यह मान लें कि राज्य करों से २२५ करोड़ रु० प्राप्त कर सकेंगे तो वे अपने राजस्व में से आयोजना पर सम्भवतः ३५० करोड़ रु० खर्च कर सकेंगे जबकि आशा ३७० रु० खर्च करने की थी।

पहले तीन वर्षों में केन्द्र तथा राज्यों के बजटों में आयोजना के लिए जो धन रखा जायगा उसका योग ११०० करोड़ रु० होगा जबकि पांच वर्षों का अनुदान २४०० करोड़ रु० था। इस प्रकार ४०० करोड़ रु० की कमी रह जाती है।

घाटे की वित्त व्यवस्था

साधनों की कमी के कारण आयोजना के शुरू के वर्षों में घाटे की वित्त व्यवस्था का अत्यधिक आश्रय लेना पड़ा है। एक समय इसे पांच वर्षों में अधिक से अधिक ९०० करोड़ रु० तक रखने का था। परन्तु अब यह निश्चित लगता है कि यह राशि १२०० करोड़ रु० तक जायगी जैसा कि पहले अनुमान किया गया था। सच तो यह है कि यदि (क) साधनों में और अधिक वृद्धि करने तथा (ख) आयोजना के खर्चों को सीमित रखने के प्रयत्न न किये गये तो घाटे की राशि और भी अधिक बढ़ सकती है।

यदि देश के पास विदेशी विनिमय का बहुत अधिक भण्डार सुरक्षित हो तो कार्यक्रम तैयार करने में कुछ ढील की जा सकती है। परन्तु वर्तमान स्थिति में तो ऐसा करना सम्भव नहीं है। अप्रैल १९५६ और मार्च १९५८ के बीच रिज़र्व बैंक का विदेशी विनिमय पावना घट कर ४७६ करोड़ रु० रह गया। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम में जमा ९५ करोड़ रु० की राशि का भी उपयोग कर लिया गया है। द्वितीय आयोजना आरम्भ होने से अब तक जितनी विदेशी सहायता स्वीकृत हो चुकी है उसका योग ६७६ करोड़ रु० है। आयोजना की शेष अवधि में विदेशी विनिमय की जो आवश्यकता होगी उसे पूरा करने के लिये ५०० करोड़ रु० की विदेशी सहायता और भी मिलनी चाहिए। आयोजना की अत्यावश्यक सरकारी प्रायोजनाओं के लिये भी २९६ करोड़ रु० की आवश्यकता है।

उत्पादन क्षमता का उपयोग

वर्तमान आयात नीति बहुत ही सख्त है और आगे भी सख्त रखनी होगी। परन्तु देश में उत्पादन की जो क्षमता स्थापित हो चुकी है उसका यदि पूरा-पूरा उपयोग न किया गया तो नये कारखाने बनाने और नयी मशीनें लगाने पर खर्च करना भी एक सीमा पर पहुँच कर रोक देना होगा।

योजना की लागत में भी काफी वृद्धि हो गई है। फिर भी उसकी सीमा ४८०० करोड़ रु० पर स्थिर रखी गई है। इसका अर्थ हुआ कि हमें भौतिक लक्ष्यों में कमी करनी होगी। अतः इस समय हमारी समस्या यह है कि ४८०० करोड़ रु० का खर्च निकालने के लिये काफी साधन खोज निकाले जा सकते हैं अथवा नहीं। ऐसी दशा में यह स्पष्ट बताना भी उचित है कि साधनों की कमी को पूरा करने के लिये भविष्य में हम और क्या प्रयत्न कर सकते हैं।

आयोजना के अन्तिम दो वर्षों में २३४४ करोड़ रु० की आवश्यकता होगी। यदि १९५७-५८ तथा १९५८-५९ के खर्चे अनुमान से कहीं अधिक हुए तो २३४४ करोड़ रु० से भी अधिक राशि की आवश्यकता होगी। परन्तु वर्तमान लक्षणों से प्रकट होता है कि ४२६० करोड़ रु० से अधिक उपलब्ध न हो सकेंगे। अतः कम से कम ३०० करोड़ रु० प्रतिवर्ष विदेशी सहायता मिलनी चाहिए तथा सार्वजनिक ऋणों और छोटी बचतों से भी अधिक धन प्राप्त होना चाहिए।

४८०० करोड़ रु० का कुल खर्च निकालने के लिये जो अतिरिक्त साधन बनाने हैं उनमें अतिरिक्त करों से १०० करोड़ रु०, ऋणों तथा बचत से ६० करोड़ रु० और खर्च में किफायत करके ८० करोड़ रु० प्राप्त होने का अनुमान है।

केन्द्र द्वारा अतिरिक्त कर लगाये जाने की बहुत कम गुंजाइश है फिर भी केन्द्र अगले दो वर्षों में अतिरिक्त करों से ४० करोड़ रु० प्राप्त करने का यत्न कर सकता है। राज्यों के लिये करों की सीमा पहले २२५ करोड़ रु० रखी गई थी। उन्होंने अब तक जो प्रयत्न किये हैं उनसे १७३ करोड़ रु० प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार उनके प्रयत्नों में ५२ करोड़ रु० की कमी रही है। राज्यों को सुझाव दिया गया है कि वे अगले दो वर्षों में अतिरिक्त करों से ६० करोड़ रु० प्राप्त करने का यत्न करें। यदि यह लक्ष्य स्वीकार कर लिया जाय तो इसे प्राप्त करने के उपाय भी निर्धारित किये जा सकते हैं।

सार्वजनिक ऋण

सार्वजनिक ऋणों का प्राप्त करना बहुत कुछ बाजार की हालत पर निर्भर होता है। इसलिये ऋणों तथा छोटी बचत से प्राप्त होने के लिये ६० करोड़ रु० की जो राशि रखी गई है उसका अधिकांश छोटी बचत को प्रोत्साहित कर के प्राप्त करना होगा।

आयोजना से सम्बन्ध न रखने वाले खर्चों में किफायत करके तथा शेष पड़े करों और ऋणों को शीघ्र वसूल करके ८० करोड़ रु० प्राप्त करने हैं। यह कठिन है परन्तु इसके लिये केन्द्र तथा राज्यों में दृढ़ प्रयत्न करने होंगे। राज्यों में तो ये प्रयत्न अवश्य होने चाहिएं। अब प्रश्न यह है कि यदि ये सब प्रयत्न किये जायें तो क्या आयोजना के लिये ४५०० करोड़ रु० तक का खर्च निकल सकता है। साधनों का निश्चय हुए बिना इससे अधिक खर्च करने का कोई वचन नहीं दिया जा सकता।

इस समय देश में आर्थिक स्थिरता तथा विदेशों में हमारी अच्छी साख होनी आवश्यक है। चूँकि विदेशी विनिमय के भण्डार में बहुत कमी हो गई है इसलिये घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा बहुत कम ही लिया जा सकता है।

आयोजना आयोग ने विकास की विभिन्न मदों के लिये जो राशियां निर्धारित की हैं वे यही सोच कर की हैं कि ४५०० करोड़ रु० प्राप्त करने के प्रयत्न कर लिये जायेंगे। यह राशि किस प्रकार प्राप्त की जा सकेगी यह नीचे की तालिका में दिखाया गया है :—

	आयोजना में पहले निर्धारित की गई राशियां	कुल का प्रतिशत	कुछ आयोजनाओं का बढ़ा हुआ खर्च पूरा करने के लिए संशोधित राशियां	कुल का प्रतिशत	साधनों की स्थिति के अनुसार अब प्रस्तावित खर्च	कुल का प्रतिशत
१. कृषि तथा सामुदायिक विकास	५६८	११.८	५६८	११.८	५१०	११.३
२. सिंचाई तथा बिजली	९१३	१९.०	८६०	१७.९	८२०	१८.२
३. ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग	२००	४.२	२००	४.२	१६०	३.६
४. उद्योग तथा खनिज	६९०	१४.४	८८०	१८.४	७९०	१७.५
५. परिवहन तथा संचार	१,३८५	२८.९	१,३४५	२८.०	१,३४०	२९.८
६. समाज सेवाएं	९४५	१९.७	८६३	१८.०	८१०	१८.०
७. विविध	९९	२.०	८४	१.७	७०	१.६
योग	४,८००	१००.०	४,८००	१००.०	४,५००	१००.०

यदि ऊपर दिये गये साधनों के अनुमानों के अनुसार आयोजना के खर्च को भी ४५०० करोड़ रु० पर सीमित कर देना है तो राज्यों की योजनाओं में काफी कटौती करनी होगी, जो समाज सेवाओं में विशेषतः की जायगी। यह कटौती तभी बचाई जा सकती है जबकि आय के अतिरिक्त साधन देश में ही खोज निकाले जाय।

वित्तीय साधनों की कमी के पीछे उत्पादन तथा बचत का अपर्याप्त होना भी लगा हुआ है। खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने के लिये जो सुविधाएं की जा चुकी हैं उनका पूर्ण उपयोग किया जाना अत्यावश्यक है। आयोजना के लक्ष्यों की सफलता का अनुमान केवल उसके लिये खर्च निर्धारित कर देने से ही नहीं लगाया जा सकता। इसके साथ हमें प्रत्येक कदम पर यह भी देखना चाहिये कि जो नयी सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं उनका हम कहां तक उपयोग कर सकते हैं।

नियोजन के अवसर

काम पाने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से काम के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि देश में रुपये का जो विनियोजन हो रहा है वह हमारी अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को देखते हुए अपेक्षाकृत कम है। विशेष क्षेत्रों में नियोजन के अवसर उपलब्ध करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। उदाहरण के लिये ६०,००० अध्यापक नियुक्त करने का हाल में ही निश्चय किया गया है। परन्तु अधिक बचत किये बिना अधिक लोगों को काम नहीं दिया जा सकता।

अभी यह कहना कठिन है कि आयोजना के मूल लक्ष्यों में अब जो संशोधन किये जायेंगे उनके कारण उत्पादन तथा नियोजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह अनेक बातों पर निर्भर है, जैसे निजी क्षेत्र में

विनियोजन की स्थिति, उत्पादन को काफी ऊंचा बनाये रखने के लिये आयात की सुविधाएं इत्यादि। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि संशोधनों का आयोजना के औद्योगिक तथा अन्य अत्यावश्यक अंगों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। परिवहन तथा संचार के कार्यक्रम भी ठीक तौर से निभ जायगे। समाज सेवा की योजनाओं में कमी हो सकती है और सिंचाई प्रायोजनाओं में भी कुछ विलम्ब होने की आशंका है। वैद्युत उत्पादन का विकास आवश्यकता के अनुसार नहीं चल सकेगा।

जहां तक नियोजन का सम्बन्ध है हमारे पास उसकी पिछली तथा आगामी स्थितियों के रुखों का अन्दाज लगाने के लिये पर्याप्त जानकारी नहीं है। आयोजना आयोग में की गई कुछ गणनाओं के अनुसार प्रतीत होता है कि आयोजना के अमल में आने के फलस्वरूप पहले दो वर्षों में कृषि क्षेत्र से बाहर काम के लगभग २० लाख स्थान बने हैं। आशा है कि चालू वर्ष में १० लाख मजदूरों को काम मिलेगा। आयोजना में ७९ लाख व्यक्तियों को कृषि से बाहर के क्षेत्रों में तथा १६ लाख को कृषि क्षेत्र में काम दिये जाने की आशा की गई थी। विभिन्न प्रायोजनाओं का खर्च बढ़ जाने के कारण ४८०० करोड़ रु० की आयोजना में कृषि से बाहर के क्षेत्रों में नियोजन के स्थान घट कर ७० लाख रह जाने की आशा की गई है। आयोजन का खर्च यदि घटकर ४५०० करोड़ रु० रहता है तो सरकारी क्षेत्र में नियोजन के अवसर भी घटकर ६५ लाख रह जायंगे। ये बहुत ही मोटे अनुमान हैं परन्तु इनसे कम से कम इतना तो प्रकट हो ही जाता है कि प्रतिवर्ष श्रमिकों के दल में जो वृद्धि होती जा रही है उसे काम देने योग्य अवसर निकालने के लिये पर्याप्त रुपये का विनियोजन नहीं किया जा रहा है। रुपये का विनियोजन बचत पर निर्भर होता है। इसलिये देश में जितने लोगों को काम देने की आवश्यकता है उतने के लायक विनियोजन नहीं हो रहा है।

खाद्य उत्पादन

आयोजना तैयार करते समय उसके खर्च की व्यवस्था में ४०० करोड़ रु० की ऐसी कमी छोड़ दी गई थी जिसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त केन्द्र तथा राज्यों ने जो मांगें की हैं उनके कारण धन की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। आयोजन के आरम्भ में निजी क्षेत्रों में भी काफी अधिक परिमाण में रुपया लगाया गया। इससे मुद्रा बाजार में जो सख्ती आ गई उसका सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋणों पर बुरा प्रभाव पड़ा। परन्तु वित्तीय साधनों की कमी का बड़ा कारण तो खाद्य उत्पादन का प्रश्न है। देश में खाद्यान्नों के भाव चढ़े हुए हैं और विदेशों से उनका आयात करना पड़ रहा है। देश में मांग के अनुसार खाद्यान्नों का उत्पादन भी नहीं बढ़ रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में सिंचाई के काफी साधनों का निर्माण किया गया है। परन्तु उन साधनों का उपयोग नहीं किया जा सका है। आयोजना के अन्तर्गत तैयार किये गये बहुत से साधनों से अभी लाभ उठाया जाना सम्भव नहीं हुआ है। इसके कारण हमारे अगले प्रयत्न भी सीमित रहेंगे। इसलिये सिंचाई के जो साधन तैयार हो गये हैं उनका पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिये। इस समय आवश्यकता यह है कि आयोजना में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिये जो उपाय बताये गये हैं उनके अनुसार पूरा-पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए। यदि ऐसा हो सका तो हमारे देशी तथा विदेशी दोनों ही साधनों में वृद्धि हो जायगी जिसके कारण हमारे विकास कार्यों के सम्बन्ध में होने वाले प्रयत्न भी बढ़ जायेंगे।

घरों में काम आने वाले बर्त्तनों का उद्योग

★ *विशाल, छोटे तथा कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादन।*

घरों में काम आने वाले बर्त्तनों का उद्योग भारत के प्राचीनतम् उद्योगों में माना जाता है। इसे सदियों से कारीगरों के वर्ग पीढ़ी-दर-पीढ़ी कुटीर-उद्योग के आधार पर चलाते आ रहे हैं। दादा से बाप और बाप से बेटा इसे सीख कर अपना लेता है और यह क्रम बराबर आगे बढ़ता जाता है। बर्त्तन बनाने की प्रणाली भी सीधी सादी होती है। अधिकांश काम हाथ से गढ़ कर किया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र में इसके प्रमुख केन्द्र बम्बई राज्य में नासिक, पूना और सिहोर तथा मध्य-प्रदेश में उज्जैन, रतलाम और इन्दौर हैं। इस क्षेत्र में मशीनों से बर्त्तन बनाने वाला पहला कारखाना १९०७ में बम्बई में खोला गया।

इस समय बर्त्तन उद्योग को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है : मशीनों का प्रयोग करने वाले तथा मशीनों का प्रयोग न करने वाले। मशीनों का प्रयोग करने वाले भाग के अन्तर्गत ये कारखाने आते हैं:—

(१) विशाल कारखाने जिनके धातु गलाने का अपना प्रबन्ध भी है,

(२) छोटे कारखाने जो बड़े विशाल कारखानों की भांति बिजली से चलते हैं, और

(३) छोटे कारखाने जो ढलाई करके बर्त्तन बनाते हैं और फिर उन्हें खराद पर चढ़ा कर चमकाते हैं।

मशीनों का प्रयोग करने वाले भाग में वे कारखाने हैं जो कुटीर उद्योगों के आधार पर चलते हैं और जिन्हें पीढ़ी-दर-पीढ़ी कारीगर चलाते आये हैं।

जिन विशाल कारखानों के पास गलाने का भी प्रबन्ध है वे अलूमीनयम, तांबा और पीतल के गोलाकार चक्के, पट्टियां और बर्त्तन बनाते हैं। अधिकांश छोटे कारखाने या तो पीतल, तांबा और स्टेनलैस स्टील की चादरों को दबा कर अथवा गढ़कर बर्त्तन बनाते हैं। वे टूटी धातु से भी बर्त्तन बनाते हैं। आधे से अधिक छोटे कारखाने अधिकतर चादरों, चक्कों अथवा टूटी धातु से बर्त्तन बनाते हैं। ये चादरें आदि वे व्यापारियों से खरीदते हैं जो तैयार माल भी बेचते हैं।

बम्बई राज्य में ४४ छोटे कारखाने हैं जिनमें से १३ बम्बई नगर में और २० पूना में हैं। मध्य प्रदेश के ३ में से २ कारखाने इन्दौर में और एक उज्जैन में है।

पूंजी और नियोजन

१९५६ में बम्बई राज्य के छोटे कारखानों में ३४ लाख रु० की पूंजी लगी हुई थी और इनमें ९१३ मजदूरों को रोजगार मिला हुआ था। इनकी उत्पादन क्षमता ४०९० टन और वास्तविक उत्पादन १९१० टन हुआ। इनमें ५.७६ लाख रु० के अलूमीनियम के, ६०.८४ लाख रु० के पीतल के, ०.९० लाख रु० के तांबे के तथा ३४.६१ लाख रु० के स्टेनलैस स्टील के बर्त्तन बनाये गये।

मध्य प्रदेश में छोटे कारखानों ने ४४ मजदूरों को काम दिया। इनमें १.८५ लाख रु० की पूंजी लगी हुई थी। १९५६ में १४६ टन का उत्पादन हुआ। सभी बर्त्तन पीतल के बनाये गये और उनका मूल्य ६.०३ लाख रु० था।

कुटीर ढंग पर चलने वाले कारखाने

बम्बई में कुटीर आधार पर चलने वाले कारखानों की संख्या ४६५ है। मध्य प्रदेश में इनकी संख्या ३७० है। इनमें कुल ३,००० मजदूर काम करते हैं। इन कारखानों का भविष्य अपेक्षाकृत अच्छा नहीं है। मशीनों का प्रयोग करनेवाले कारखानों का माल उनके माल का स्थान लेता जा रहा है। ये कारखाने इस समय अधिकतर बम्बई नगर, पूना, नासिक, अहमदाबाद और सिहोर में केन्द्रित हैं, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में ये रतलाम, उज्जैन, इन्दौर और ग्वालियर में केन्द्रित हैं।

स्टेनलैस स्टील के बर्तन

इस प्रकार के बर्तनों का भविष्य अत्यन्त उज्वल है। पिछले ४-५ वर्षों में इन बर्तनों की मांग में जितनी वृद्धि हुई है उतनी अन्य प्रकार के बर्तनों में नहीं हुई है। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की अवधि में इनकी मांग में प्रतिवर्ष २० से २५ प्रतिशत तक वृद्धि होने की आशा है।

पीतल, तांबा और अलूमीनियम के बर्तनों की मांग में साधारण वृद्धि होने की ही आशा है। इन बर्तनों के स्थान पर स्टेनलैस स्टील के बर्तनों का चलन बढ़ता जा रहा है। इस कारण पिछले वर्षों में इन्हें स्टेनलैस स्टील के बर्तनों से भारी धक्का लगा है।

पश्चिमी क्षेत्र में स्टेनलैस स्टील, पीतल, तांबा और अलूमीनियम के बर्तनों की कुल खपत ५ करोड़ रु० की हुई। १९६०-६१ तक बम्बई तथा मध्य प्रदेश में सब प्रकार के बर्तनों की मांग में १९५५-५६ की अपेक्षा ३० प्रतिशत की वृद्धि हो जाने की आशा है। इस प्रकार प्रतिवर्ष ५ प्रतिशत की वृद्धि होगी।

बड़े बनाम छोटे कारखाने

जहां तक स्टेनलैस स्टील के बर्तनों का सम्बन्ध है विशाल तथा छोटे कारखानों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। कभी-कभी तो विशाल कारखानों का माल छोटे कारखानों के वैसे ही माल की अपेक्षा अधिक महंगा पड़ता है। इसका कारण यह है कि बड़े कारखानों के बर्तनों पर पालिश आदि अच्छी की जाती है जिस पर लागत अधिक बैठती है। हाल के वर्षों में इन बर्तनों की मांग देश में काफी बढ़ गई है। इसलिये बड़े तथा छोटे दोनों ही प्रकार के कारखानों का माल तुरन्त खप जाता है।

अलूमीनियम के बर्तन बनाने में बड़े कारखानों का लगभग एकाधिकार है। देश के पश्चिमी क्षेत्र में इनका ६० प्रतिशत बड़े कारखाने ही करते हैं। इन कारखानों ने देश में माल खपाने के साथ निर्यात करने का भी प्रयत्न किया है। छोटे कारखाने अपना माल बड़े कारखानों के माल की तुलना में कुछ सस्ता बेचते हैं परन्तु फिर भी उनकी बिक्री सीमित रहती है।

पीतल के बर्तनों के बारे में स्थिति उल्टी है। इन्हें अधिकतर छोटे कारखाने ही बनाते हैं। तांबे के बर्तन बड़े तथा छोटे कारखानों दोनों में बनते हैं और प्रायः एक ही भाव पर बिकते हैं। पीतल के बर्तनों के विषय में छोटे तथा कुटीर कारखानों के बीच जो प्रतिस्पर्धा है वह केवल थोड़े से बर्तनों के बारे में ही है। कुटीर कारखाने अधिकतर भारी बर्तन बनाते हैं। पुरानी धातु को गलाकर पहले गोल चक्के बनाये जाते हैं और फिर उनसे बर्तन गढ़े जाते हैं।

स्टेनलैस स्टील के बर्तनों का उत्पादन पश्चिमी क्षेत्र में ही केन्द्रित है। अन्य क्षेत्रों में इनका बहुत कम उत्पादन होता है। इसलिये इनके बारे में विभिन्न क्षेत्रों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। अलूमीनियम के बर्तनों के बारे में भी यही दशा है। जो कुछ प्रतिस्पर्धा है वह केवल छोटे तथा विशाल कारखानों के मध्य ही है। पीतल के बर्तन के बारे में पश्चिमी क्षेत्र के कारखानों की प्रतिस्पर्धा जगाधरी और मुरादाबाद के कारखानों से होती है।

चीनी के बर्तनों से स्पर्धा

धातु के बर्तनों की इधर चीनी मिट्टी के बर्तनों से जोरदार प्रतिस्पर्धा होने लगी है। प्याले, तश्तरियां, इमरतबान आदि का चलन बढ़ता जा रहा है। कांच के प्याले इमरतबान आदि भी इसी प्रकार धातु के छोटे बर्तनों के स्थान पर अधिक काम में लाये जाने लगे हैं। तामचीनी के बर्तन अधिक लोकप्रिय नहीं हो सके हैं।

मशीनों के द्वारा बर्तन बनाने का उद्योग हलके इंजीनियरी उद्योगों के अन्तर्गत आता है। इन्हें बनाने के लिये बम्बई, पूना, अहमदाबाद और इन्दौर के नगरों में दक्ष कारीगर मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती।

द्वितीय आयोजना अवधि में अनुमान है कि घरेलू बर्तनों की मांग में ३० प्रतिशत की वृद्धि हो जायगी। इसके फलस्वरूप बर्तन बनाने के उद्योग में २० प्रतिशत अधिक व्यक्तियों को काम मिल सकेगा। विशाल कारखानों के पास छोटे कारखानों की अपेक्षा बिक्री की अच्छी व्यवस्था है और अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हैं। इसलिए वे छोटे कारखानों के माल की अपेक्षा अपना माल अधिक परिमाण में बेच सकेंगे।

कच्चे माल के रूप में पीतल तांबा, अलूमीनियम और स्टेनलैस स्टील तथा उनकी टूट-फूट ही काम में लाई जाती है। अलौह धातुओं के बारे में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। स्टेनलैस स्टील की तो सभी चादरों का विदेशों से आयात करना होता है। जो कारखाने टूटी पीतल से लोटे बनाते हैं अथवा टूटी पीतल और तांबे को गलाकर गोलाकार चक्के बनाते हैं, उन्हें यह सब कच्चा माल मिलने में प्रायः ही कठिनाइयां होती हैं।

विदेशी विनिमय की स्थिति अब भी कठिन बनी हुई है। इसलिये स्टेनलैस स्टील की चादरों के आयात में कुछ कटौती होने की सम्भावना हो सकती है।

बिक्री व्यवस्था

बिक्री व्यवस्था की दृष्टि से छोटे कारखानों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है; (१) अपना कच्चा माल काम में लाने वाले कारखाने और (२) व्यापारियों से कच्चा माल लेकर उत्पादन करने वाले

कारखाने। अपना कच्चा माल काम में लाने वाले कारखाने अपना तैयार माल अपनी दुकानों के द्वारा तथा अन्य व्यापारियों के द्वारा भी बेचते हैं। कभी तो वे इसे शुद्ध मूल्य पर अथवा कमीशन पर व्यापारियों को दे दिया करते हैं। स्थानीय पत्रों में वे अपने माल का विज्ञापन छपाया करते हैं। दूसरे प्रकार के कारखानों को व्यापारी कच्चा माल देते हैं और बर्तन बनाने के दाम देकर माल ले लेते हैं। बनवाई की दरें बाजार की दशा के अनुसार घटती-बढ़ती रहती हैं। इस प्रकार बर्तन बनवा कर व्यापारी उनकी बिक्री का स्वयं प्रबन्ध करते हैं। ऐसा करने से कारखानों अथवा कारीगरों को बराबर काम मिलता रहता है। काम की कमी के दिनों में कारीगरों को व्यापारियों से कम मजदूरी मिलती है। कुटीर आधार पर चलने वाले अधिकांश कारखाने इसी प्रकार व्यापारियों पर निर्भर रहा करते हैं। इन कारीगरों की सहकारी संस्थाएं बना कर इन्हें व्यापारियों के चंगुल से मुक्त करके स्वावलम्बी बनाया जा सकता है।

सरकारी नीति

स्वयं उपभोग करने वालों को स्टेनलैस स्टील का आयात करने की अनुमति देकर सरकार ने बर्तन उद्योग को काफी प्रोत्साहन प्रदान किया है। यह रियायत निर्यात संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत अलूमीनियम के बर्तन बनाने के लिये गोल टुकड़ों का आयात करने के लिये दी गई है। यह आयात सीमा शुल्क से मुक्त है। आयात की यह अनुमति उन निर्माताओं को दी जाती है जो भारतीय मानक संस्था से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं।

चाय, काफी और रबड़ उद्योगों की प्रगति

★ उन्नति की विभिन्न योजनाओं पर अमल।

१९५७ के पहले ११ महीनों में भारत में ६४२५ लाख पौंड चाय का उत्पादन हुआ, जिसमें से उत्तरी और पूर्वी भारत में ५०९३ लाख पौंड और दक्षिण भारत में १३३० लाख पौंड उत्पन्न हुई। उत्तर-पूर्वी भारत में इन ११ महीनों में जो उत्पादन हुआ है वह १९५६ की इसी अवधि की तुलना में २९१ लाख पौंड कम है। इस कमी का कारण यह था कि मौसम के शुरू के महीनों में इस साल सूखा रहा जबकि १९५६ में मौसम अधिक अच्छा रहा था। दक्षिण भारत में इन ११ महीनों में १९५६ की इसी अवधि की अपेक्षा चाय के उत्पादन में १६८ लाख पौंड की वृद्धि हो गई।

कलकत्ते में १९५५-५६ के मौसम की चाय के निर्याती नीलाम के मूल्यों का औसत २.०२ रु० प्रति पौंड रहा। १९५६-५७ के मौसम की चाय के मूल्यों का औसत बढ़कर २.३७ रु० प्रति पौंड हो गया। १९५७-५८ के मौसम (७ जनवरी १९५८ तक) की चाय का औसत मूल्य २.२६ रु० प्रति पौंड रहा जबकि १९५६ ५७ की इसी अवधि में यह मूल्य २.५४ रु० प्रति पौंड रहा था।

लन्दन का बाजार

दिसम्बर १९५७ तक लन्दन के बाजार में मिले चाय के मूल्य का औसत ५६.६५ पैंस प्रति पौंड रहा जबकि १९५६ की इसी अवधि में यह ६०.८६ पैंस प्रति पौंड रहा था। लन्दन के बाजार में बिकने वाली सभी प्रकार की चायों का औसत मूल्य ५३.२२ पैंस रहा जबकि गत वर्ष यह ५७.८२ पैंस प्रति पौंड रहा था।

जनवरी से नवम्बर १९५७ तक भारत से ४०३६ लाख पौंड चाय का निर्यात हुआ, जबकि गत वर्ष की इसी अवधि में ४६७० लाख पौंड का निर्यात हुआ था। भारत से होने वाले निर्यात का औसत लगभग ४५०० लाख पौंड प्रतिवर्ष रहता है, परन्तु १९५५ में कुल निर्यात का योग केवल ३६७५ लाख पौंड ही रहा था। परन्तु १९५५ के निर्यात की यह कमी १९५६ में हुए ५२३६ लाख पौंड के भारी निर्यात से पूरी हो गई। जहां तक हमारे निर्यात के परिमाण का सम्बन्ध है १९५६ का वर्ष साधारण वर्ष नहीं माना जा सकता। चालू वर्ष के निर्यात को देखते हुए प्रतीत होता है कि वह हाल के वर्षों में निर्यात का जो साधारण परिमाण रहा है उससे कम नहीं रहेगा।

सरकार ने १९५७ की उत्तर भारतीय फसल की बिना बिकी चाय में से लन्दन की नीलामी के लिये भेजी जाने वाली चाय की अधिकतम सीमा १५५० लाख पौंड निर्धारित कर दी है। इसका उद्देश्य यह है कि भारत में होने वाले नीलामों में इस चाय की बिक्री को प्रोत्साहित किया जाय। १९५७ की फसल में से लन्दन की नीलामी के लिये जो उत्तर भारतीय चाय भेजी गई है उसका योग नवम्बर १९५७ के अन्त तक १७६३ लाख पौंड है। लन्दन की नीलामी में नवम्बर १९५७ के अन्त तक १७६३ लाख पौंड चाय बिक चुकी है जबकि गतवर्ष की इसी अवधि में १६६४ लाख पौंड ही बिकी थी। १९५७-५८ के मौसम में नवम्बर के अन्त तक कलकत्ते की निर्यात निलामी में बेची गई चाय का योग ११२८ लाख पौंड रहा जबकि १९५६-५७ की इसी अवधि का यह योग ११३६ लाख पौंड रहा था।

१९५७-५८ में जनवरी तक ३८ नये पैसे प्रति पौंड के हिसाब से निर्यात शुल्क लिया गया। परन्तु मई, जून और जुलाई के महीनों में यह केवल २५ नये पैसे प्रति पौंड लिया गया।

चाय बोर्ड के अध्यक्ष की विदेश यात्रा

चाय के आयातकों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने, मिस्र और सूडान में भारतीय चाय की बिक्री बढ़ाने की सम्भावनाओं के बारे में जांच पड़ताल करने और केनिया में चाय के उत्पादन का अध्ययन करने के उद्देश्य से चाय बोर्ड के अध्यक्ष श्री यू० के० गोपाल को जुलाई/अगस्त, १९५७ में काहिरा, खारतूम, नैरोबी और केनिया भेजा गया।

नवम्बर १९५७ में एक दूसरा चाय शिष्टमंडल भारत से हरी चाय के निर्यात के बारे में छानबीन करने के लिये काबुल भेजा गया। चाय बोर्ड अध्यक्ष श्री यू० के० घोषाल इसके नेता थे और कांगड़ा वैली टी प्लान्टर्स एसोसियेशन के सरदार गुरप्रीतसिंह मान, देहरादून टी प्लान्टर्स एसोसियेशन के लेफ्टीनेंट कर्नल ई० डब्लू० बेल और अमृतसर चाय व्यापारी एसोसियेशन के श्री लाभचन्द मेहरा इस शिष्टमन्डल के सदस्य थे। ईरान के चाय बाजारों का अध्ययन करने के लिये श्री घोषाल ने ईरान की भी यात्रा की।

बोर्ड ने एक ऐसी योजना चलाई है जिसके द्वारा उन छोटे बगीचों को भी जो कि भारतीय टी एसोसियेशन के सदस्य नहीं हैं, एसोसियेशन की सलाहकारी सेवा से लाभ उठाने का अवसर मिल जायगा। इसके लिये उन्हें केवल ५० प्रतिशत फीस ही देनी होगी। शेष ५० प्रतिशत फीस बोर्ड देगा। इस वर्ष बोर्ड ने दक्षिण भारत में भी एक ऐसी ही योजना चालू की है। इसके अनुसार जो छोटे उत्पादक दक्षिण भारत के यूनाइटेड प्लान्टर्स एसोसियेशन के विज्ञापन विभाग की सेवाएं नहीं लेते उन्हें भी उसकी सलाहकारी सेवाएं केवल आधी फीस देने पर प्राप्त हो सकती हैं। सरकार ने प्राय १५ लाख रु० का एक अनुदान स्वीकृत किया है जो चाय बोर्ड की मार्फत दक्षिण भारत के यूनाइटेड प्लान्टर्स एसोसियेशन को दिया जायगा। इस धन से चाय के विषय में गवेषणा करने के लिये अन्नामलाई में एक केन्द्रीय प्रयोगशाला और फील्ड स्टेशन तथा मध्य त्रावनकोर में एक सब स्टेशन खोला जायगा। यह अनुदान ११ वर्षों में दिया जायगा। चाय के पोषण सम्बन्धी गुणों और उसमें मिलावट का पहचान करने की प्रणाली के विषय में भी कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला तथा मैसूर की सेन्ट्रल फूड टेक्नोलाजीकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट में गवेषणाएं हो रही हैं। इनके लिये भी बोर्ड ने अनुदान दिये हैं। बोर्ड चाय के विषय में आधारभूत गवेषणा कराने पर भी विचार कर रहा है जिससे इस उद्योग को श्रेष्ठ किया जा सके।

चाय परिषदों का कार्य

आलोच्य वर्ष में बोर्ड ने विदेशों में जो प्रचार किया है वह मुख्यत चाय परिषदों और विभिन्न व्यापार प्रदर्शनियों द्वारा हुआ है। चाय परिषदें चाय में दिलचस्पी रखने वाले स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से और कहीं-कहीं अन्य चाय उत्पादक देशों से मिलकर बनाई गई हैं और इस समय अमरीका, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, आयर और नीदरलैन्ड में काम कर रही हैं। बोर्ड ने अमेरिका, फ्रान्स, जापान, पोलैन्ड, स्टाकहोम, चीन, सीरिया, पश्चिमी जर्मनी आदि म हुई प्रदर्शनियों में भाग लिया है।

बोर्ड की ओर से मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया) और काहिरा (मिस्र) में सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय खोलने की व्यवस्था की जा रही है। बोर्ड ने चिली में भारतीय चाय को लोकप्रिय करने के लिये एक योजना बनाई है जो सेन्टियागो की एक प्रसिद्ध जलपान का आयोजन करने वाली फर्म के सहयोग से अमल में लाई जायगी।

निर्यात होने वाली चाय की किस्म अच्छी रखने के उद्देश्य से सरकार ने २५ नवम्बर १९५७ को चाय (वितरण और निर्यात) नियन्त्रण आदेश जारी किया जिसके द्वारा बोर्ड को ऐसे मामलों में उपयुक्त कारवाई करने के अधिकार दिये हैं। इस आदेश के जो अंश निर्यातकों पर लागू होते हैं उन्हें १ अप्रैल १९५८ से अमल में ले आने का प्रस्ताव है।

चूरा चाय

भारतीय चूरा चाय की स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से अक्टूबर १९५७ में यह निश्चय किया गया कि चाय बोर्ड के पास चूरा चाय का निर्यात करने के लिये जो आवेदनपत्र आये उन पर निर्यात कोटे का अधिकार हुए बिना ही समस्त स्थानों को निर्यात करने की अनुमति दी जाय। यह अनुमति पहले दिसम्बर १९५७ तक देने का निश्चय किया गया था परन्तु बाद को इसकी अवधि बढ़ा कर वित्तीय वर्ष के अन्त तक कर दी गई।

आलोच्य वर्ष में चाय बोर्ड द्वारा किये जाने वाले श्रम कल्याण कार्य के लिये रखी जाने वाली राशि बढ़ा कर १५ लाख रु० कर दी गई। इस धन से चाय बोर्ड ने चाय बगीचों के मजदूरों के लिये दो आदर्श कल्याण केन्द्र बनाने की स्वीकृति दे दी है। बगीचों के मजदूरों के बच्चों को सेकेन्डरी स्कूलों, कालेजों, व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं, डिग्री कोर्स (टेक्नीकल) आदि में शिक्षा ग्रहण करने के लिये छात्र वृत्तियां देने की भी योजना चालू की गई है। इसी प्रकार शारीरिक दृष्टि से अपंग मजदूरों को भी वृत्ति देने की योजना चालू की गई है।

भारत सरकार ने अप्रैल १९५४ में बगीचा जांच आयोग की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य चाय, काफी और रबड़ के बगीचा उद्योगों की आर्थिक अवस्थाओं तथा समस्याओं की व्यापक जांच करना और उनके व्यवस्थित विकास के लिये सिफारिशें करना था। इस आयोग ने चाय उद्योग के बारे में अप्रैल १९५६ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत सरकार ने रिपोर्ट की परीक्षा करने के बाद जुलाई १९५७ में आयोग की अधिकांश सिफारिशों पर अपना प्रस्ताव प्रकाशित कर दिया और अब सरकार के निश्चयों को अमल में लाने के लिये कार्रवाई की जा रही है। एक निश्चय में यह किया गया है कि कलकत्ते में चाय के सरकारी गोदामों के प्रबन्ध का दायित्व चाय बोर्ड को सौंप दिया जाय।

काफी

१ अगस्त १९५६ को काफी की खेती का क्षेत्रफल २,५४,४४९ एकड़ था। इसमें से १,६२,०४० एकड़ में अरेबिका किस्म की और ६२,४०६ एकड़ में रोबस्टा किस्म की काफी पैदा होती थी। जुलाई में समाप्त हुई फसल में ४२,००० टन काफी पैदा हुई। भारत में अब तक इतनी अधिक उपज कभी न हुई थी। इसमें २९,२६० टन अरेबिका और १२,७४० टन रोबस्टा किस्म की काफी थी। १९५७-५८ की फसल में ३७,००० टन काफी पैदा होने की आशा है जिसमें से २४,००० टन अरेबिका और १३,००० टन रोबस्टा किस्म की काफी होगी। भारत में हाल के वर्षों में काफी की उपज में अच्छी वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे के आंकड़ों से प्रकट होता है :—

वर्ष	टनों में	गतवर्ष में वृद्धि का प्रतिशत
१. १९५०-५१	२०,४७५	—
२. १९५३-५४	२४,७८५	२१ प्रतिशत
३. १९५६-५७	३३,७५५	६५ प्रतिशत

देश में भी काफी की खपत बढ़ती रही है और आशा है कि भविष्य में और भी बढ़ेगी। नवम्बर १९५७ को समाप्त हुए ११ महीनों में काफी भन्डार में से २३,७३७ टन काफी दी गई जबकि १९५६ की इसी अवधि में २२,११४ टन दी गई थी।

औसत निर्यात मूल्य

१९५६-५७ की फसल में से १५,२२८ टन का निर्यात किया गया। ए श्रेणी के बगीचों की अरेबिका चेरी प्लेट्स और रोबस्टा चेरी प्लेट्स किस्म की काफी के लिये विभिन्न महीनों में मिले औसत निर्यात मूल्य नीचे दिये गये हैं :—

कारखाने से चलते समय का प्रति हंडरवेट औसत मूल्य, जिसमें बिक्री कर शामिल नहीं है

महीना	बगीचे ए	अरेबिका चेरी प्लेट्स	रोबस्टा चेरी प्लेट्स
१९५७	रु० न०पै०	रु० न०पै०	रु० न०पै०
फरवरी	३३६.००	—	—
मार्च	३०४.५०	२६२.८१	—
अप्रैल	३०२.६५	—	—
मई	३००.९९	२६०.७६	—
जुलाई	३०३.६६	२३१.१३	—
अगस्त	३०१.४४	२२८.५०	—
सितम्बर	३०५.६४	२१५.७२	—
अक्टूबर	—	१७६.५५	—
नवम्बर	—	१८१.२७	—

आलोच्य वर्ष में राज्य व्यापार निगम की मार्फत बगीचों की ७२५ . काफी रूस के हाथ और ८०० टन पूर्वी जर्मनी के हाथ बेच गई।

प्रचार का नया ढंग

अब तक बोर्ड का काफी सम्बन्धी प्रचार कार्यक्रम भारत के महत्वपूर्ण नगरों में चलने वाले इन्डिया काफी हाउसों के द्वारा चलाया गया है। अब चूँकि काफी देने वाले जलपानगृहों और होटल की संख्या बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही काफी भूनने और . का व्यापार भी बढ़ रहा है, इसलिये बोर्ड ने अपने प्रचार कार्य को सिरे से चलाने का निश्चय किया है। इस प्रचार योजना के मुख्य . यह होंगे कि इंडिया काफी हाउसों को धीरे-धीरे बन्द कर दिया जाय प्रधान केन्द्रों में पिसी हुई काफी का प्रदर्शन करने के लिये और अधिक प्रदर्शन गाड़ियों का प्रबन्ध किया जाय।

काफी उत्पादन का विकास करने के लिये बोर्ड द्वारा प्रस्तुत पंचवर्षीय योजना अक्टूबर १९५६ में आरम्भ की गई। अमेरिकन टैक्निकल सहयोग मिशन और भारत सरकार के सहयोग से मिट्टी परीक्षण की जो . योजना चालू की गई है उसके अन्तर्गत बालेहुन्नुर के काफी गवेषण केन्द्र में एक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला खोलने का प्रस्ताव भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने काफी बोर्ड के समक्ष रखा था। इसे बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है।

काफी के विषय में आयोग की रिपोर्ट संसद में नवम्बर १९५६ में प्रस्तुत की गई। इस पर सरकार ने जो निश्चय किये हैं उनका प्रस्ताव शीघ्र ही प्रकाशित हो जायगा।

क्षेत्रों का पर्यवेक्षण

नवम्बर १९५४ में भारत सरकार ने काफी की खेती बढ़ाने के लिये उपलब्ध क्षेत्रों का पर्यवेक्षण आरम्भ कराया था। यह कार्य गत नवम्बर में समाप्त हो गया। यह पर्यवेक्षण मैसूर राज्य के उत्तरी कनारा, कुर्ग, चिकमागलूर और हसन जिलों में, केरल राज्य के मालाबार, त्रावनकोर और कोचीन क्षेत्रों में और मदरास राज्य के नीलगिरी, शिवराय, कुनी और अन्नामलाई क्षेत्रों में किया गया। पर्यवेक्षण करने वाले विशेष अफसर ने बोर्ड के एक अफसर के साथ अन्डमान का भी निरीक्षण किया और वहां व्यापारिक आधार पर काफी पैदा करने के बारे में जांच पड़ताल की।

काफी अधिनियम की धारा ३१ (ई०) में बताये गये श्रम कल्याण कार्यों के लिये काफी बोर्ड ने अपने १९५७-५८ के बजट में २ लाख रु० रखे हैं। यह धन काफी उत्पादन करने वाले तीन प्रमुख राज्यों अर्थात् मैसूर,

द्रास और केरल के काफी मजदूरों के कल्याण पर खर्च किया जायगा। सका एक ट्रस्ट बनाया जायगा जिसका प्रशासन इस सम्बन्ध में बनाये गये ियमों के अनुसार बोर्ड की ओर से राज्य सरकारों को सौंप या जायगा।

रबड़

अक्टूबर १६५७ तक रजिस्टर्ड रबड़ बगीचों की कुल संख्या ३७,२६३ थी, जिनका क्षेत्रफल २,३८,११५.१२ एकड़ था। १६५६ के अन्त तक इन बगीचों की संख्या और क्षेत्रफल क्रमशः ३५,६१४ और २,३४,३५१ एकड़ था। जनवरी से अक्टूबर १६५७ तक की अवधि में ो १४,३०० नये बगीचों के लाइसेंस दिये गये जिनका क्षेत्रफल ६६,४७६.३२ एकड़ था। इसके अतिरिक्त पुनः पेड़ लगाने के लिये भी १०५३ नर्वलाइसेंस दिये गये जो ७०२०.७३ एकड़ के बारे में थे। १६५७ में ीभारत में २४,००० टन कच्ची रबड़ का उत्पादन हुआ जबकि १६५६ ोमें २३,४४४ टन हुआ था। १६५७ में प्राकृतिक रबड़ (देशी तथा े आयातित) की खपत का योग ३१,५०० टन रहा जबकि १६५६ में हेयह २८,६६६ टन रहा था। १६५७ में निर्माताओं ने प्राकृतिक तथा ग अप्राकृतिक दोनों प्रकार की लगभग ३४,५०० टन रबड़ खपाई जबकि ची १६५६ में ३१,६०० टन खपाई थी। १६५७ में पुरानी रबड़ की खपत ल का योग ३,७०० टन रहा जबकि १६५६ में यह ३,२६१ टन रहा था।

उजड़े बगीचे

अप्रैल १६५६ में सरकार ने उजड़े बगीचों में पुनः पेड़ लगाने के लिये सहायता देने की जो योजना स्वीकार की थी वह आलोच्य वर्ष में अमल में लाई गई। प्लांटिंग कमेटी ने सहायता के लिये आये हुए समस्त आवेदनपत्रों पर निश्चय कर दिया। सहायता की योजना के अन्तर्गत १६५७ में पुन: पेड़ लगाने के जो आवेदनपत्र स्वीकार किये गये हैं उनकी संख्या ६१० और क्षेत्रफल ६,२३१.८३ एकड़ है। इनमें से ३,०६३.२१ एकड़ के ८३८ आवेदनपत्र छोटे उत्पादन के और ३१६८.६२ एकड़ के ७२ आवेदनपत्र बड़े उत्पादकों के हैं। ७२५.६२ एकड़ वाले ६ बड़े उत्पादकों के और ६०४.०८ एकड़ वाले २२२ छोटे उत्पादकों के आवेदनपत्र अस्वीकार कर दिये गये। इनमें अनेक दृष्टियों से त्रुटियां थीं और ये आवश्यक शर्तों को भी पूरा नहीं करते थे। आलोच्य वर्ष में सहायता के रूप में २,४६,७०८ रु० बांटे गये। १६५८ और १६५६ में पुनः पेड़ लगाने की सहायता लेने के लिये भी आवेदनपत्र मांगे जा चुके हैं जिससे बगीचों के मालिक पुनः पेड़ लगाने के लिये अपनी तैयारी पहले से कर लें।

रबड़ गवेषणा शाला और बोर्ड के कार्यालय के सम्मिलित भवन बनाने का कार्य केन्द्रीय पी० डब्लू० डी० ने शुरू कर दिया है।

अन्डमान और नीकोबार द्वीपों में रबड़ पैदा करने की सम्भावना पर विचार करने के लिये रबड़ उत्पादन कमिश्नर ने मार्च १६५७ में अन्डमान का दौरा किया। उसने द्वीप के रबड़ पैदा करने योग्य क्षेत्रों का पर्यवेक्षण किया और उसकी रिपोर्ट हाल ही में सरकार को प्राप्त हुई है।

रबड़ के नमूनों का प्रदर्शन

विभिन्न वर्गों की कच्ची रबड़ की चादरें, नमूने तथा रबड़ उपजाने की विभिन्न क्रियाओं सम्बन्धी रोचक सामग्री रबड़ बोर्ड ने नई दिल्ली स्थित प्रदर्शनी निदेशक के पास भेजी जिसका प्रदर्शन १६५७ में पेकिंग, चीन में हुई भारतीय प्रदर्शनी में किया गया।

भारतीय रबड़ के नियन्त्रित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वह १५५.७५ रु० प्रति १०० पौंड प्रथम वर्ग ही बना रहा। जनवरी १६५७ के आरम्भ में सिंगापुर के रबड़ बाजार में रबड़ का मूल्य ११३॥ डालर रहा। मार्च १६५७ के अन्त तक यह घटकर ८८॥। डालर हो गया, फिर जून १६५७ के मध्य तक यह धीरे-धीरे बढ़कर ६४॥ डालर हुआ परन्तु दिसम्बर १६५७ समाप्त होने तक फिर घट कर ८५ डालर रह गया।

नमक के उत्पादन में ११ प्रतिशत की वृद्धि

★ *उद्योग को अच्छे आधार पर संगठित करने के प्रयत्न।*

१९५७ में देश में नमक का कुल उत्पादन ९८३ (अनुमानित) लाख मन हुआ जब कि १९५६ में यह ८८६ लाख मन हुआ था। इस प्रकार इसमें लगभग ११ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देश में नमक उत्पादन का यह नया रिकार्ड है।

१९५७ में लगभग ११६.२६ लाख मन नमक का निर्यात किया गया जो कि १९५६ की अपेक्षा ४८ प्रतिशत अधिक है। जब से भारत नमक के बारे में आत्मभरित हुआ है, अर्थात् १९५१-५२ से अब तक नमक का इतना अधिक निर्यात कभी नहीं किया गया था।

रेलों द्वारा नमक का वितरण करने के लिए जो क्षेत्रीय योजना बनाई गई थी वह जारी रही जिससे कि नमक का ठीक-ठीक वितरण होता रहा और वह उपभोक्ताओं को बराबर मिलता रहा।

लायसेंस-प्राप्त कारखानों में तैयार किये जाने वाले नमक की किस्म का नियन्त्रण किया जाता रहा और इसकी शुद्धि का प्रतिमान ९५ प्रतिशत सोडियम क्लोराइड रखा गया है।

चीनी शिष्ट-मण्डल

मई १९५७ में चीनी लोक-गण-राज्य से नमक विशेषज्ञों का एक शिष्ट-मण्डल भारत में नमक बनाने के क्षेत्रों का दौरा करने के लिए आया। इस शिष्ट-मण्डल में दस सदस्य थे और वह यहां पांच सप्ताह रहे। शिष्ट-मण्डल को भारत में नमक-निर्माण की प्रणालियों तथा उससे सम्बद्ध अन्य विषयों का अध्ययन करने के लिये समस्त सुविधाएं प्रदान की गयीं।

थोड़े से मामलों को छोड़कर देश के किसी भी क्षेत्र में नमक की कमी की ओर कोई शिकायत नहीं मिली। जो छोटी-मोटी शिकायतें हुई वे मुख्यतः परिवहन की कठिनाइयों के कारण उत्पन्न हुई थीं। जहां कहीं भी कमी हुई अथवा होने की आशंका हुई वहीं विशेष उपाय करके नमक को तुरन्त पहुँचा दिया गया।

नमक उप-कर:—आलोच्य वर्ष में भी नमक उप-कर १९५६ की दर से ही लिया जाता रहा। सरकारी कारखानों के नमक पर यह उपकर रु० ०—३—६ और लाइसेंस प्राप्त उन निजी कारखानों में जिनका क्षेत्रफल १०० एकड़ से अधिक है ०—२—० प्रति मन लिया जाता है। छोटे निजी कारखानों और सहकारी समितियों के सदस्यों से उप-कर १९५६ की दर के अनुसार ही १९५७ में भी लिया गया। यह उप-कर १०० एकड़ अथवा उससे कम परन्तु १० एकड़ से अधिक के क्षेत्रों पर १ आना प्रति मन लिया गया। इससे छोटे कारखानों को उपकर से मुक्त रखा गया।

नमक के लिये सलाहकार मण्डल:—केन्द्रीय और प्रादेशिक मंडलों का अक्तूबर १९५७ में फिर से संगठन किया गया। इस अवसर से लाभ उठाकर राजस्थान के लिए एक नया प्रादेशिक मंडल बनाया गया और अन्य प्रादेशिक मन्डलों का राज्यों के पुनर्गठन को देखते हुए पुनः संगठन किया गया, जिससे कि पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आन्ध्र, मद्रास, और बम्बई के ४ क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक-एक बोर्ड स्थापित हो जाय।

उत्पादन लायसेन्स और नमक बनाने का क्षेत्र:—नीचे दिये गये विवरण में १९५७ में नमक बनाने के कारखानों की कुल संख्या, लायसेन्स प्राप्त व्यक्तियों की संख्या, नमक बनाने का क्षेत्रफल और उत्पादन दिखाया गया है साथ ही १९५८ के उत्पादन का अनुमान भी दिया गया है:—

नमक उत्पादक राज्यों के नाम	नमक कारखानों की कुल सख्या	१९५७ में लायसेंस प्राप्त काम करने वालों की कुल सख्या (सरकारी कारखानों को छोड़कर)	१९५७ में कुल उत्पादन क्षेत्र (एकड़ों में)	नमक उत्पादन (लाख मनों मे)		प्रतिशत वृद्धि (+) या कमी (—)	१९५८ के लिये नमक उत्पादन का अनुमान
				१९५६ (दिसम्बर)	१९५७ (दिसम्बर) (अनुमानित)		
१	२	३	४	५	६	७	८
राजस्थान	४	९	७४.१६	७८.९०	९१.९८	+ १७	९२.००
बम्बई	७४	९२५	४८०.५८	२२८.१३	२३३.३९	+ २	२४१.२०
सौराष्ट्र				२२८.४९	२६२.०२	+ १५	२८२.००
कच्छ				६०.५९	६०.९४	+ ६	६२.७४
मद्रास				१६६.७८	१६८.१५	+ १	१७०.६०
आन्ध्र	७५	३४०२	१७९.१८	५२.६६	५८.८४	+ ४	५५.८०
केरल				.२७	.०९	— ६७	.२०
उड़ीसा	१०	४०	४३.८५	१३.११	११.२७	— १४	१३.०३
प० बंगाल				१.०७	२.१६	+१०२	२.२०
बगैर लायसेन्स के	—	—	५५.९२	५७.९०	७६.१३	+ ३१	७७.००
योग	१६४	४३७७	८३३.७२	८८६.८६	९६२.००	+ ८	९९९.८९

आयात और निर्यात

(क) *आयात* :—आलोच्य वर्ष में देश में विदेशों से नमक का कोई आयात नहीं हुआ।

(ख) *निर्यात* :—१९५५, १९५६ और १९५७ में विभिन्न देशों को नमक का निर्यात इस प्रकार किया गया :—

(लाख मनों में)

वर्ष	जापान को समुद्र द्वारा	पूर्वी पाकिस्तान को स्थल तथा समुद्र द्वारा	नेपाल को स्थल द्वारा	मालद्वीप मलाया आदि को	पूर्वी अफ्रीका समुद्र द्वारा	इंडोनेशिया	योग
१	२	३	४	५	६	७	८
१९५५	५५.६५	—	११.०३	०.०	—	—	६६.७८
१९५६	७३.७२	—	७.२७	०.०४	—	२.६५	८३.६८
१९५७	८८.१०	—	६.८०	०.३६	—	२४.०३	११९.२९ (अनुमानित)

जापान, इण्डोनेशिया और अन्य देशों को बंबई, मदरास और आन्ध्र के बन्दरगाहों से पहले की भांति खुले लाइसेन्स के आधार पर नमक का निर्यात करने की अनुमति दी जाती रही जिससे नमक के खुले निर्यात को प्रोत्साहन मिलता रहे। १९५७ में गत वर्षों की अपेक्षा निर्यात में जो काफी वृद्धि हुई है उसका एक कारण तो यह है कि जापान ने भारतीय नमक का अधिक आयात किया और दूसरा यह कि इन्डोनेशियन सरकार ने अपने यहां खपत के लिये भारत के राज्य व्यापार निगम की मार्फत काफी परिमाण में भारतीय नमक खरीदना स्वीकार किया।

नमक का वितरण

रेल द्वारा नमक के वितरण की क्षेत्रीय योजना सफलतापूर्वक चलती रही। राज्यों में कहीं-कहीं नामजद करने की प्रणाली चली थी। वहां उसे हटा कर नमक की मुक्त मांग करने की प्रणाली को अधिकाधिक सीमा तक चलाने के प्रयत्न किये गये। १९५७ में राजस्थान और दिल्ली की सरकारों ने नामजद करने की प्रणाली हटा देना मंजूर कर लिया। पश्चिमी तट के नमक निर्माताओं की प्रतिनिधि संस्था इण्डियन साल्ट मैन्युफैक्चरर्स एसोसियेशन और जहाजी कम्पनियों की प्रतिनिधि संस्था इण्डियन कोस्टल कान्फरेन्स के बीच झगड़ा हो जाने के कारण १९५७ के शुरू के कुछ सप्ताहों में पश्चिमी तट के बन्दरगाहों से कलकत्ते को नमक भेजा जाना स्थगित हो गया। इससे कलकत्ता और पूर्वी क्षेत्र में नमक की कमी पड़ गई जिसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में नमक के थोक भाव बढ़ने लगे। इसे सम्भालने के लिये कलकत्ता क्षेत्र में पश्चिमी तट से तथा तूतीकोरन के नमक कारखानों से रेल द्वारा नमक भेजा गया। इसके अतिरिक्त जहाजरानी के डायरेक्टर जनरल से कलकत्ता क्षेत्र को अधिक नमक भेजने के लिये जहाजों का प्रबन्ध किया गया। इन उपायों के फलस्वरूप जब तक नमक पहुँच नहीं गया तब तक कलकत्ता के सरकारी नमक गोदामों से नमक दिया गया और इस तरह हालत को अच्छी तरह काबू में रखा गया।

नमक समिति

नमक उद्योग के विकास की प्रगति, (विशेषतः छोटे निर्माताओं की दशा को ध्यान में रखते हुए) और उससे सम्बद्ध मामलों जैसे नमक की किस्म का नियन्त्रण, नमक उद्योग में सहकारी समितियों का संगठन इत्यादि पर विचार करने के लिये सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों की एक समिति बना दी गई है।

आय और व्ययः—पिछले तीन वर्षों में हुई आय तथा व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	उपकर	सरकारी नमक की बिक्री से हुई आय तथा अन्य आय।	कुल आय	व्यय		कुल व्यय
				व्यवस्था पर	निर्माण पर जिसमें अप्रत्यक्ष व्यय भी शामिल हैं।	
१	२	३	४	५	६	७
१९५५-५६	६४.४२	१२२.८४	२१७.२६	४१.३७	९०.५०	१३७.८७ (अन्तिम)
१९५६-५७	७८.८०	१०३.२०	१८२.००	४५.००	९३.००	१३८.०० (अन्तिम)
१९५७-५८	८१.९६	१०८.४३	१९०.३९	३९.००	११२.००	१५८.०० (अनुमानित)

सहकारी समितियांः—नमक निर्माताओं में सहकारिता के आधार पर निर्माण करने को प्रोत्साहन देने के लिये यत्न किये जाते रहे। इनके फलस्वरूप आलोच्य अवधि में ६ सहकारी समितियां बनाई गई हैं। बम्बई, मदरास और कलकत्ता क्षेत्रों में से प्रत्येक में ऐसी दो-दो समितियां हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकारी तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में नमक के कारखानों का विकास करने के लिए कुल १.६ करोड़ रु० रखे गये हैं। मोटे तौर पर ये इस प्रकार खर्च किये जाने हैं:—

(क) *मण्डीः*—केवल यहां की खानों से ही भारत में सेंधा नमक निकलता है। वैज्ञानिक ढंग से यहां नमक निकालने के लिये दरांग में दो बरमे डालने की एक योजना स्वीकार की जा चुकी है। ये दोनों बरमे जब पूरी तौर पर काम आरम्भ कर देंगे तो इन खानों से नमक का उत्पादन १.५ लाख मन से बढ़ कर लगभग ४ लाख मन वार्षिक हो जायगा। इस काम के ठेके की लागत अनुमानतः १३.६२ लाख

रु० होगी। यह एक भारतीय फर्म को दिया जा चुका है जिसने काम शुरू कर दिया है। यह काम लगभग दो वर्षों में पूरा हो जाने की आशा है।

(*ख*) *अन्य सरकारी नमक साधनः*—सरकारी नमक साधनों के विकास की योजनाएं भी चल रही हैं जिनमें से राजस्थान और खरगोंधा (बम्बई) की योजनाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं।

(*ग*) *निजी क्षेत्र*.—इस क्षेत्र के नमक का उत्पादन सुधारने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १२० लाख रुपये रखे गये हैं। यह सुधार जिन कार्यों द्वारा किया जायगा वे मोटे तौर पर नीचे लिखे वर्गों में आते हैं:—

(१) नमक के कारखानों को फिर से सम्बद्ध करना।

(२) नयी सड़कों का बनाना और मौजूदा सड़कों को सुधारना।

(३) नमकीन पानी की नालियों का सुधारना और उनमें से मिट्टी की सफाई करना।

(४) पुलों, पुलियों और जलमार्गों को सुधारना।

(५) चबूतरों, सुखाने की जमीनों और बांधों को सुधारना।

(६) कर्मचारियों और मजदूरों के लिये मुख्य सुविधा का प्रबन्ध, जैसे निवास, जल इत्यादि का प्रबन्ध करना।

इस सम्बन्ध में विविध योजनाओं के अनुसार काम हो रहा है।

भारतीय रुपये का मूल्य : विभिन्न देशों की मुद्राओं में

देश	भारतीय मुद्रा		विदेशी मुद्रा
१. पाकिस्तान	१०० रु०	=	९९ पाकिस्तानी रु० १५ आ०
२. लंका	१०० रु० ४५ न.पै०	=	१०० लंका के रु०
३. बरमा	१०० रु० ३० न.पै०	=	१०० क्यात
४. अमेरिका	४७५ रु० २८ न.पै०	=	१०० डालर
५. कनाडा	४९० रु० ७७ न.पै०	=	१०० डालर
६. मलाया	१५५ रु० ९० न.पै०	=	१०० डालर
७. हांगकांग	८२ रु० ९० न.पै०	=	१०० डालर
८. ब्रिटेन	१ रु०	=	१ शि० ५-२१/३२ पैंस
९. न्यूजीलैण्ड	१ रु०	=	१ शि० ५-२१/३२ पैंस
१०. आस्ट्रेलिया	१ रु०	=	१ शि० १०-५/१६ पैंस
११. दक्षिणी अफ्रीका	१ रु०	=	१ शि० ५-१५/१६ पैंस
१२. पूर्वी अफ्रीका	६७ रु० १३ न.पै०	=	१०० शि०
१३. मिस्र	१३ रु० ८१ न.पै०	=	१ पौंड
१४. फ्रांस	१०० रु०	=	८७८५-२९/३२ फ्रांक
१५. बेलजियम	१०० रु०	=	१०३९-३/१६ फ्रांक
१६. स्विटजरलैण्ड	१०० रु०	=	९१-१३/३२ फ्रांक
१७. पश्चिमी जर्मनी	१०० रु०	=	८७ ९/१६ मार्क
१८. नीदरलैण्ड	१०० रु०	=	७९-७/३२ गिल्डर
१९. नारवे	१०० रु०	=	१४९-३/८ क्रोनर
२०. स्वीडन	१०० रु०	=	१०८-९/३२ क्रोनर
२१. डेनमार्क	१०० रु०	=	१४४-७/१६ डेनमार्क क्रोनर
२२. इटली	१०० रु०	=	१३००६ १३/१६ लीरा
२३. जापान	१ रु०	=	७५.३ येन
२४ फिलिपाइन	२३८ रु० १७ न.पै०	=	१०० पीसो
२५. इराक	१,३३८ रु०	=	१०० दीनार

(ये विनिमय दरें मई १९५८ में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार हैं।)

दस्तकारियों और रेशम उद्योग की उन्नति के यत्न

★ *अखिल भारतीय दस्तकारी मण्डल की स्थापना।*

दस्तकारियों का विकास करने के लिए क्या कदम उठाये जाने चाहिएं, इस बारे में सरकार को सलाह देने के लिये अ० भा० दस्तकारी मंडल की स्थापना पहले-पहल नवम्बर १९५२ में की गयी थी। इस मंडल का १ अगस्त १९५७ को पुनर्गठन किया गया जिसमें मुख्य परिवर्तन यह किया गया कि चौदहों राज्यों का एक-एक प्रतिनिधि ले लिया गया जिससे यह मंडल अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण हो जाए। पुनर्गठित मंडल का काम आमतौर पर दस्तकारी उद्योगों की समस्याओं पर सरकार को सलाह देना और विशेष रूप से निम्नलिखित कार्य करना था :—

(क) इस उद्योग के शैल्पिक, वित्तीय, संगठनात्मक, कलात्मक तथा अन्य पहलुओं का अध्ययन करना तथा उसके विकास की योजनाएं बनाना,

(ख) दस्तकारियों का विकास करने की योजनाएं तैयार करने और उन पर अमल करने में राज्य सरकारों की मदद करना तथा विभिन्न राज्य सरकारों के इन विकास प्रयासों में मदद करना।

(ग) केन्द्र से वित्तीय सहायता पाने के लिए राज्य सरकारों और दूसरी संस्थाओं से आने वाले प्रार्थना-पत्रों की जांच पड़ताल करना तथा इन मामलों में भारत सरकार से सिफारिशें करना,

(घ) इन केन्द्रीय गतिविधियों के अधीन प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वित की जाने वाली योजनाएं बनाना और उन पर अमल करने में सहायता देना।

(ङ) भारत के अन्दर तथा विदेशों में दस्तकारी की चीजों की बिक्री को प्रोत्साहित करने तथा उसका विस्तार करने के लिए आवश्यक सक्रिय उपाय करना,

(च) दस्तकारियों के विकास के लिए आवश्यक अन्य उपायों की सिफारिश करना। यह विकास इन तरीकों से किया जा सकता है जैसे शिल्प-विधि में सुधार, डिजाइनों में सुधार, उत्कृष्टता नियंत्रण, गवेषणा, ट्रेनिंग तथा एक्सटेन्शन, प्रचार, अजायबघरों, सहकारी समितियों तथा इनसे मिलती जुलती संस्थाएं बनाना, कच्चा माल प्राप्त करना, तथा कारीगरों को ऋण की और मकान की सुविधा देना।

२२० योजनाएं

आलोच्य वर्ष में विभिन्न राज्यों की २२० योजनाएं मंजूर की गयीं। इनके अलावा ७० और योजनाएं हाथ में ली गईं, जिन पर सीधे बोर्ड के नियंत्रण में अमल किया जाएगा। योजनाओं पर तेजी से अमल करने के लिए राज्य सरकारों से कहा गया है कि राज्य-स्तर पर दस्तकारी बोर्ड बनाये जाएं और एक वरिष्ठ अधिकारी को खास तौर से दस्तकारियों की योजनाओं के लिए ही नियुक्त किया जाए। इसके फल स्वरूप राज्यों ने जो कदम उठाये हैं, वे उत्साहवर्द्धक हैं।

अ० भा० दस्तकारी बोर्ड के प्रधान कार्यालय का विस्तार भी किया गया और एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर तथा आठ अन्य डिप्टी डायरेक्टरों की नियुक्ति की गयी। लघु उद्योगों के विविध संयुक्त विकास आयुक्तों (ज्वाइंट डेवलपमेन्ट कमिश्नर) को, जिनके अधीन लघु उद्योगों तथा हथकरघा उद्योगों का काम है, दस्तकारी की योजनाओं का काम भी सौंप दिया गया जिससे वे अ० भा० दस्तकारी बोर्ड और राज्य सरकारों के बीच संपर्क अधिकारी का काम कर सकें और अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली केन्द्रीय योजनाओं की देख रेख कर सकें। इस काम को वे अच्छी तरह कर सकें, इसलिए प्रत्येक संयुक्त विकास आयुक्त को एक डिप्टी डायरेक्टर और दो जूनियर फील्ड आफिसरों की सेवाएं प्रदान की गयीं जो सिर्फ दस्तकारियों का ही काम करेंगे।

राज्य सरकारों ने इस वर्ष में दस्तकारियों के विकास की बहुत सी योजनाओं पर अमल करना शुरू किया। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण कुछ योजनाएं निम्न कामों के लिए थीं :—

(क) परम्परागत दस्तकारियों की ट्रेनिंग देना,

(ख) दस्तकारी की चीज़ों की बिक्री के लिए एम्पोरियम खोलना,

(ग) *दस्तकारी की चीजों के उत्पादन के लिए औद्योगिक सहकारी समितियां बनाना।*

बोर्ड के अन्य कार्य

इस वर्ष बोर्ड ने जो अन्य कार्य किये, वे मोटे तौर पर निम्न हैं:—

१. अतिरिक्त प्रायोगिक केन्द्र :—बोर्ड ने १० अन्य प्रायोगिक केन्द्र चालू किये जिनमें से ३ केन्द्र नीलगिरी के कबाइली लोगों के लिए हैं। इस प्रकार इन केन्द्रों की कुल संख्या २६ हो गयी।

२. डिजाइन केन्द्र :—दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और बंगलौर स्थित चार प्रादेशिक डिजाइन केन्द्रों की कर्मचारी-संख्या बढ़ा दी गयी जिससे वे ऐसी नयी-नयी डिजाइनें बनाने में अधिक कारगर साबित हो सकें जिनके अनुसार बनी चीजें अधिक सुन्दर लगें, अधिक काम की हों तथा वे अच्छी तरह बिक सकें।

३. बिक्री व्यवस्था.—बिक्री व्यवस्था का विकास करने के लिए काफी ध्यान दिया गया जिससे देश भर में बिक्री डिपो खोले जा सकें और दस्तकारियों का अन्तर्राज्य व्यापार बढ़ाया जा सके। ऐसी योजनाएं बनायी गयी हैं जिनसे देश के वर्तमान प्रमुख एम्पोरियम जैसे कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, बंगलौर, दिल्ली और लखनऊ की गतिविधियों का विस्तार किया जा सके और विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण बाजारों में नये एम्पोरियम—बिक्री और उत्पादन केन्द्र—स्थापित किये जा सकें। नवम्बर १९५७ में देश भर में दस्तकारी सप्ताह मनाया गया था। बोर्ड ने आलोच्य अवधि में मद्रास, श्रीनगर, जम्मू और दिल्ली में दस्तकारी से बनी चीजों की प्रदर्शनियां कीं। बोर्ड के चलते-फिरते प्रदर्शन-दल ने देश का दौरा किया और जिन-जिन जगहों में यह दल गया, वहां-वहां दस्तकारियों में बड़ी दिलचस्पी दिखायी गयी।

४. सहकारिता का विकास :—दस्तकारियों के कारीगरों, विक्रेताओं, व्यापारियों, निर्यातकों आदि की वर्तमान सहकारी समितियां और संस्थाएं कैसी चल रही हैं, इसका सर्वेक्षण बोर्ड कर रहा है। १९५८ के शुरू में एक गोष्ठी का आयोजन करने का प्रस्ताव है जिसमें दस्तकारियों में सहकारिता के विषय पर विचार होगा।

५. निर्यात संवर्द्धन :—आलोच्य वर्ष में बोर्ड ने ११ विदेशी प्रदर्शनियों में भाग लिया जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण प्रदर्शनियां निम्न थीं:—न्यूयार्क विश्व व्यापार मेला, म्यूनिक मेला, प० जर्मनी अन्तर्राष्ट्रीय दस्त-कौशल, हस्तकौशल तथा रुचि-कौशल प्रदर्शनी, लंदन, ग्राम्य कला तथा कौशल प्रदर्शनी, टोकियो, सिकन्दरिया में हुई विशेष गुड़िया प्रदर्शनी और पीकिंग में हुई प्रदर्शनी। इन प्रदर्शनियों में भारतीय दस्तकारियों की बड़ी प्रशंसा की गयी तथा म्यूनिक में तो दस्तकारियों की चीजों के सर्वोत्तम प्रदर्शन पर भारत को एक विशेष स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। भारतीय दस्तकारी की चीजों की विशेष बिक्री-सह-प्रदर्शन का प्रबन्ध विख्यात स्टोरों जैसे लंदन में सेल्फरिज और पेरिस में ब्रौन मार्चे में किया गया।

बोर्ड ने निर्यात सम्वर्द्धन के लिए जो अन्य उपाय किये, उनमें कुछ हैं:—भारत से दस्तकारियों के निर्यातक तथा विदेशों में उनके आयातकों की डायरेक्टरी तैयार करना, महत्वपूर्ण विदेशी बाजारों का बाजार सर्वेक्षण आरम्भ करना और विदेशों में प्रदर्शन कक्ष स्थापित करना।

(६) *प्रचार:*—दस्तकारी सप्ताह तथा विदेशों में हुई प्रदर्शनियों में दस्तकारियों का व्यापक प्रचार किया गया और प्रदर्शनियों में वहां की भाषाओं में पुस्तिकाएं प्रकाशित की गयीं। समय-समय पर दस्तकारियों के बारे में छोटी छोटी पुस्तिकाएं प्रकाशित की जाती हैं और उनके साथ मासिक समाचार-चिट्ठी भी अब निकाली जाने लगी है। सर्वोत्तम सचित्र पुस्तक अर्थात चौइस हैंडीक्राफ्ट्स फ्रौम इंडिया (Choice Handicrafts from India) निकालने पर भारत सरकार ने बोर्ड को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र (Certificate of merit) प्रदान किया।

(७) *आयोजन तथा गवेषणा:*—बोर्ड ने हाथ से कपड़े पर छपाई करने के उद्योग का सर्वेक्षण शुरू किया। दिल्ली में यह काम पूरा किया जा चुका है। बंबई राज्य के ८ स्थानों में भी पूछ-ताछ की गयी है, जिनमें हाथ से छपाई करने के १५०० कारखाने आते हैं।

(८) *शिल्प विधि:*—औजारों तथा उपकरणों का विकास करने तथा दस्तकारियों की चीजों के उत्पादन के तरीकों में सुधार करने के लिए दिल्ली में एक केन्द्रीय विकास केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

(९) *अजायबघर:*—बोर्ड दिल्ली में एक अजायब घर चला रहा है जिसमें उच्चतम् कोटि की चीजें तथा कारीगरी के दुर्लभ नमूने रखे हुए हैं। वहां प्राचीन पोशाकें, जेवरात, धातु का काम, चित्र-कारी आदि के कुछ नमूने भी दिखाये गये हैं।

(१०) *आवास तथा कल्याण:*—दस्तकारी की चीजें बनाने वाले कारीगरों के लिए मकान बनाने की योजनाएं तथा प्रायोगिक कल्याण आयोजनाएं भी विचाराधीन हैं।

१९५३-५४ से दस्तकारियों के बारे में अ० भा० दस्तकारी बोर्ड के द्वारा जितना धन खर्च किया गया, यह नीचे दिया जाता है:—

वर्ष	बजट व्यवस्था	वास्तविक खर्च
	(लाख रु० में)	(लाख रु० में)
१९५३-५४	२५	१४
१९५४-५५	५०	१५.७१
१९५५-५६	६०	२८
१९५६-५७	९०	२७
१९५७-५८	१००	६३ (अनुमानित)

रेशम

रेशम पैदा करने तथा रेशम उद्योगों को बढ़ावा देने और उसका विकास करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड की १९४९ में स्थापना की गयी थी। नवम्बर १९५६ में राज्यों का पुनर्गठन होने पर केन्द्रीय रेशम बोर्ड में कुछ परिवर्तन किये गये जिससे पुनर्गठन को ध्यान में रखकर बोर्ड के गठन में आवश्यक हेर-फेर किये गये। १९५७ के शुरू में आम चुनावों के बाद लोक सभा ने भी नये प्रतिनिधियों का चुनाव किया।

१९५७-५८ में रेशम तैयार करने से सम्बन्धित विकास योजनाओं की प्रगति जारी रही। केन्द्रीय रेशम बोर्ड की सिफारिशों पर राज्य सरकारों को ३९,७६,५७५ रु० ऋणों के रूप में और २०,८७,०५० रु० अनुदान के रूप में देने की मंजूरी दी गयी। इस वर्ष ऋण और अनुदानों के लिए ५०-५० लाख रु० की व्यवस्था की गयी थी। १९५६-५७ के अंत में यह निश्चय किया गया कि राज्य सरकारों को जो धन अनुदान के रूप में दिया जाए, उसका ५० प्रतिशत भाग १ लाख रु० या इससे कम की योजनाओं के लिए, ३३⅓ प्रतिशत भाग १ लाख रु० और ५ लाख रु० के बीच की योजनाओं के लिए और २५ प्रतिशत भाग अन्य योजनाओं के लिए अग्रिम दिया जाए। शेष धन योजनाओं की संतोषजनक प्रगति होने पर दिया जाए। पिछले सालों से तुलना करें तो १९५६-५७ में राज्य सरकारों ने स्वीकृत योजनाओं पर अमल करने में अच्छी प्रगति दिखायी है क्योंकि उन्हें खर्च करने को १५.६ लाख रु० दिये गये थे और उसमें से ११.१ लाख रु० उन्होंने खर्च किये। बोर्ड ने राज्यों में चलने वाली योजनाओं की देखभाल जारी रखी जिससे उन्हें अमल में लाते समय आने वाली कठिनाइयां दूर करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दे सके।

१९५७-५८ के लिये सहायता के स्वरूप को उदार बना दिया गया जिससे विकास योजनाओं के लिये (भूमि और इमारतों की लागत छोड़ कर) १०० प्रतिशत सहायता और औद्योगिक सहकारी समितियों को उनका ७५ प्रतिशत खर्च केन्द्रीय फंडों से एक ऋण के रूप में दिया जा सके। अन्य योजनाओं के बारे में स्थिति यह है कि उनका खर्च केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें आधा-आधा उठाती हैं लेकिन संचालन पूंजी केन्द्रीय सरकार ऋण के रूप में देती है।

आत्म निर्भरता की ओर

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में बोर्ड के कार्यक्रम का उद्देश्य योजना की अवधि के अंत तक रेशम उद्योग में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्यों तथा केन्द्र द्वारा रेशम बनाने के उद्योग पर खर्च करने के लिये ५ करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी जिसमें से १ करोड़ रु० केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासन पर तथा बोर्ड द्वारा खुद क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं पर खर्च करने के लिये रखा गया है। १९५७-५८ के लिये बोर्ड ने रेशम के कीड़े पालने, शहतूत की खेती करने, रेशम को लपेटने और कच्चे रेशम की बिक्री-व्यवस्था में सुधार करने और आल इंडिया सेरीकल्चरल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट स्थापित करने के लिये मुख्य रूप से कार्यक्रम बनाया है। इस वर्ष के लिये योजनाएं तेजी से स्वीकार करने के उद्देश्य से संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली में कई बैठकों में विचार विनिमय किया गया। लगभग १२३ योजनाओं की मंजूरी दी गयी। अनुदानों के रूप में स्वीकृत धन का ५० प्रतिशत भाग इस वर्ष भी राज्य सरकारों को देने के लिये मुक्त किया गया। अनुदान आदि के रूप में दिया गया कितना धन काम में लाया गया, यह अभी ज्ञात नहीं है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा जिस एक महत्वपूर्ण योजना पर काम हो रहा है, वह विदेशी जाति के रेशम के कीड़ों का एक केन्द्र श्रीनगर में स्थापित करने से सम्बन्धित है। यह योजना शुरू में १९५६-५७ में स्वीकार की गयी थी। इस वर्ष उठायी गयी एक अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रीय योजना आल इंडिया ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट स्थापित करने की है। इसकी शुरूआत करने के प्रबंध किये जा रहे हैं। शुरू में यह इन्स्टीट्यूट मैसूर में किराये की इमारत में रखा जायगा।

विदेशी रेशम का वितरण

स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की मार्फत जो कच्चा रेशम विदेशों से मंगाया जाता है, उसके वितरण का काम बोर्ड के ही सुपुर्द रहा। इस वर्ष में ५१ टन कच्चा रेशम आयात किया गया और ३१-१२-५७ तक की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने ५० टन रेशम और मंगाने के आर्डर दे दिये हैं। आयातित रेशम सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर बांटा जाता है। देश में पैदा होने वाले कच्चे रेशम के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिये यह प्रणाली उपयोगी सिद्ध हुई है।

चेन्नापटम् स्थित कच्चा रेशम कातने की मिल की खपत का ख्याल रखने के बाद केन्द्रीय रेशम बोर्ड की सिफारिश पर दक्षिण भारत के

रद्दी रेशम के निर्यात के लाइसेंस दिये गये। जनवरी से सितम्बर १९५७ तक की अवधि में ऐसा ३,८४,००० पौण्ड और सितम्बर १९५७ से मार्च १९५८ तक की अवधि के लिये २ लाख पौण्ड रेशम निर्यात करने के लाइसेंस दिये गये। आसाम में राज्य सरकार द्वारा कच्चा रेशम कातने की मिल स्थापित करने की एक योजना भी हाथ में ले ली गयी है जिससे उस इलाके में निकलने वाले रद्दी रेशम के विशाल-परिमाण को काम में लाया जा सके। मशीनों की खरीद के बारे में जापानी निर्माताओं से बातचीत की जाएगी जो स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन तथा जापानी वस्त्र उद्योग मशीन निर्माता संघ के बीच हाल ही में हुए करार के अधीन होगी। शेष उत्तरी क्षेत्र के लिये कच्चा रेशम कातने का मिल स्थापित करने के प्रश्न पर बोर्ड की एक समिति ने विचार किया था और इसकी सिफारशें विचाराधीन हैं। उत्तर भारत से निकले रद्दी रेशम का निर्यात बेरोकटोक करने दिया जाता रहा।

कता हुआ रेशम आयात करने की नीति में सितम्बर १९५७ में संशोधन किया गया और ऐसा रेशम आयात करने पर बिलकुल रोक लगादी गयी। पिछले सालों में ऐसे रेशम का सीमित आयात (करीब ५०,००० पौ० प्रतिवर्ष) करने की नीति था।

चीन में ट्रेनिंग

इस वर्ष जम्मू और कश्मीर तथा मैसूर राज्य की सरकारों के दो अफसरों ने रेशम तैयार करने के कुछ अंगों की विशेष ट्रेनिंग चीन में ली। जापान के एक प्रमुख प्रजाति वेत्ता डा० वाई० जाजिमा ने भारतीय रेशम उद्योग की गवेषणा सम्बन्धी समस्याओं का सर्वेक्षण अपने तीन मास के कार्य काल में किया। जापान के एक और विशेषज्ञ श्री कायासावा की सेवायें कोलम्बो योजना के अधीन १ वर्ष के लिये प्राप्त कर ली गयी हैं।

इस वर्ष भी पिछले सालों की तरह देश में कच्चे रेशम के उत्पादन में स्थिरता पूर्वक प्रगति हुई। पिछले चार वर्षों के उत्पादन के आकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

वर्ष	शहतूती कच्चा रेशम (पौं०)	गैर-शहतूती कच्चा रेशम (पौं०)
१९५३	१८,६६,३११	५,६५,४४८
१९५४	२३,६८,४६८	८,०६,१००
१९५५	२४,३०,६०१	६,४७,५३६
१९५६	२३,८१,६०६	१०,३१,६३६
१९५७		

केन्द्रीय रेशम गवेषणा केन्द्र

यह स्टेशन १९४३ में बरहामपुर (प० बंगाल) में स्थापित किया गया था। रेशम तैयार करने के उद्योग के विभिन्न अंगों के बारे में यह केन्द्र परीक्षण तथा गवेषणा करता है। इसका एक उपकेन्द्र कालिम्पोंग में भी है। रेशम के कीड़ों के बीज की सुधरी किस्मों के वितरण आदि का उपयोगी काम यह स्टेशन करता रहा है। पहली दिसम्बर १९५६ से पूरे समय काम करने वाला डायरेक्टर आफ रिसर्च नियुक्त कर दिया गया। भारत सरकार ने १९५७-५८ में एक पुनर्विलोकन समिति इस गवेषणा केन्द्र के विस्तार के प्रश्न की जाँच-पड़ताल करने के लिए नियुक्त की है। इसके लिए एक योजना बनायी गयी है जिसपर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में कुल ३६.२७ लाख रु० खर्च होगा। समिति की रिपोर्ट जनवरी १९५८ में आने की आशा थी।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, सामुदायिक विकास मंत्रालय तथा विभिन्न बोर्डों और लघु उद्योगों के सभी विभागों के विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित संस्थाओं के काम में समन्वय स्थापित करने के लिए लघु उद्योगों की समन्वय समिति २७ मई १९५७ को स्थापित की गयी। वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री इस समिति के अध्यक्ष हैं। १९५७ के कलैण्डर वर्ष में इस समिति की तीन बैठकें ८ जून, ३० अगस्त तथा ३१ अक्तूबर १९५७ को हुई।

औद्योगिक सहकारी समितियाँ

लघु उद्योगों की समन्वय समिति की ८ जून १९५७ को हुई पहली बैठक में जो निर्णय किया गया था, उसके फलस्वरूप औद्योगिक सहकारी समितियों के बारे में एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की गयी जिसके अध्यक्ष योजना कमीशन के श्री एम० आर० भिडे हैं। खाद्य और कृषि मंत्रालय, वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, सामुदायिक विकास मंत्रालय, रिजर्व बैंक आफ इंडिया तथा कुछ राज्यों के प्रतिनिधि इस दल के सदस्य हैं। इसके विचारणीय विषयों में औद्योगिक सहकारी समितियों के कार्यक्रम पर पुनर्विचार करना, तेजी से प्रगति करने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों की जाँच करना, वित्तीय, संगठन तथा बिक्री व्यवस्था सम्बंधी कठिनाइयों की जांच करना और उन उपायों की सिफारिश करना है जिनसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों तथा कार्यक्रमों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए औद्योगिक सहकारी समितियों का तेजी से विकास किया जा सके।

ग्रामों को आत्मभरित बनाने की ओर कदम

प्रशिक्षण आदि की विशेष सुविधाओं का प्रबन्ध।

खादी

खादी और ग्रामोद्योगों के उत्पादन और विकास के लिये कार्यक्रम बनाने तथा संगठन करने के उद्देश्य से जनवरी १९५३ में अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। इस बोर्ड का कार्य १ अप्रैल १९५७ से खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने ले लिया जो कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम की धारा ४ के अनुसार बनाया गया, एक कानून विहित संगठन है। आयोग की सहायता के लिये उक्त अधिनियम की धारा १० के अनुसार एक सलाहकार बोर्ड भी बनाया गया है। बोर्ड द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को आयोग चला रहा है। आयोग की स्थापना के बाद तीन और उद्योग उसके अन्तर्गत आ गये हैं, अर्थात् लकड़ी का काम, लुहारी का काम और रेशों का उद्योग (नारियल की जटा छोड़ कर)। पहले दो उद्योगों का आयोग इतना विकास करेगा जितने से कि आयोग के अन्तर्गत रहने वाले अन्य उद्योगों की उपकरण सम्बन्धी आवश्यकता पूरी हो सकेगी। ये अन्य उद्योग इस प्रकार हैं :—

(१) खादी (अम्बर चरखा सहित)

(२) मधुमक्खी पालन

(३) कुटीर दियासलाई उद्योग

(४) कुटीर बर्तन उद्योग

(५) चमड़ा और खालों का उतारना, साफ करना और कमाना तथा उनसे सम्बद्ध उद्योग

(६) कुटीर साबुन उद्योग

(७) कच्ची धानी के तेल का उद्योग

(८) हाथ के कागज का निर्माण

(९) गुड़ और खांडसारी उद्योग

(१०) ताड़ गुड़ और ताड़ के अन्य उत्पादन

(११) खाद्यान्नों और दालों की तैयारी

(१२) रेशों (नारियल की जटा छोड़ कर) उद्योग

(१३) लुहारी, और

(१४) लकड़ी का काम।

रुपया मिलने में सुविधा

खादी और ग्रामोद्योग आयोग बन जाने के बाद उपर्युक्त उद्योगों का विकास करने के लिये उसे आवश्यकतानुसार दो अथवा अधिक किश्तों में रुपया दे दिया जाता है। आयोग द्वारा होने वाले व्यय का नियमन वित्तीय सहायता के उस स्वीकृत ढंग द्वारा किया जाता है जिसे सरकार समय-समय पर विविध योजनाओं के लिये निर्धारित करती है। आयोग के काम में सुविधा करने के लिये सरकार ने आलोच्य अवधि में वित्तीय सहायता देने के ढंग को और भी उदार कर दिया है जिससे आयोग अपने शिक्षण, प्रदर्शनी और प्रचार सम्बन्धी कार्यक्रमों के खर्चों को ठीक-ठीक रख सके। जिन मामलों में अब भी केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है वे हैं छूट देने की दरें और अवस्थाएं तथा ऋण देने की शर्तें और अवस्थाएं।

आयोग की नीति अपने कार्यक्रमों को राज्य बोर्डों (जहां कहीं वे राज्य विधान सभाओं के अधिनियम द्वारा बन चुके हैं), उसके द्वारा स्वीकृत गैरसरकारी रजिस्टर्ड संस्थाओं और सहकारी समितियों द्वारा अमल में लाने की है। जिन राज्यों में अब तक खादी और ग्रामोद्योगों के लिये कानूनी बोर्ड नहीं बनाये गये हैं जैसे उत्तर प्रदेश, मदरास और पश्चिमी बंगाल, उनमें आयोग राज्यों के उद्योग निर्देशकों के संगठन को भी काम में लाता है। सामुदायिक विकास क्षेत्रों में अपने कार्यक्रमों के कुछ भागों को अमल में लाने के लिये राज्यों के विकास कमिश्नरों के संगठन भी इस्तेमाल करता है।

आयोग के कार्यक्रम उद्योगों के नीचे लिखे तीन मुख्य वर्गों के विषय में होते हैं :—

(१) खादी—पुरानी चाल की जो कि अम्बर चर्खा से काते हुए सूत से बनी हुई खादी से भिन्न होती है।
(२) खादी—अम्बर चर्खा के सूत से बुनी हुई।
(३) अन्य ग्रामोद्योग।

खादी (पुरानी चाल के चर्खे द्वारा)

१९५७-५८ में पुरानी चाल के खादी उद्योग के लिये १८५.०० लाख और १३०.७५ लाख रु० क्रमशः अनुदानों और ऋणों के रूप में देने के लिये रखे गये। बाद को १९५७-५८ में जब खादी उत्पादन का लक्ष्य बढ़ा दिया गया तो इनको बढ़ा देना भी आवश्यक हो गया। पहले यह मान लिया गया था कि अम्बर सूत की खादी का उत्पादन इस रफ्तार से हो सकेगा कि पुरानी चाल के चर्खे से काते गये सूत के उत्पादन में कमी कर देनी उचित होगी। परन्तु ऐसा नहीं हुआ, इसलिये आलोच्य वर्ष में पुरानी चाल के चर्खे के सूत का लक्ष्य संशोधित करके २५० लाख गज से बढ़ा कर लगभग ४०० लाख गज कर दिया गया और बजट में रखी गई अनुदान तथा ऋण की राशियों को बढ़ाकर क्रमशः २४७.१० लाख रु० और २७०.५० लाख रु० कर दिया गया। अक्तूबर १९५७ तक हुए व्यय का योग ३.४५ करोड़ रु० रहा।

जहां तक पुरानी चाल की खादी का सम्बन्ध है आयोग के कार्य नीचे लिखे शीर्षकों में बांटे जा सकते हैं :—

(क) अनुदान

१. उत्पादन और बिक्री योजनाएं

(१) खादी की खुदरा बिक्री पर ३ आने प्रति रुपया छूट;
(२) आत्मनिर्भरता योजना के लिये कताई करने वालों को सहायता;
(३) उत्पादन और बिक्री की वृद्धि पर सहायता;
(४) खादी की बिक्री में लगे हुए कार्यकर्त्ताओं का पारिश्रमिक;
(५) एम्पोरियमों को सहायता,
(६) नये बिक्री भण्डारों की स्थापना।

२. विकास योजनाएं

(१) औजारों की बिक्री पर छूट;
(२) कताई की उन्नति के लिये पारिश्रमिक;
(३) गहन क्षेत्र खण्डों में गोदाम स्थापित करने के लिये अनुदान;
(४) खादी हुण्डी योजना;
(५) जेलों में कताई की कक्षायें;
(६) बुनकरों के पुनर्वास के लिये अनुदान;
(७) कताई प्रतियोगिताओं में पुरस्कार,
(८) कलापूर्ण खादी का पुनरुद्धार;
(९) घूम फिर कर काम करने वाले दलों की व्यवस्था;
(१०) प्रदर्शनियां;
(११) खादी के परीक्षण;

३. प्रशिक्षण योजनाएं

(१) महाविद्यालयों और प्रादेशिक विद्यालयों में कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण;
(२) सामुदायिक प्रायोजना खण्डों के अफसरों का प्रशिक्षण;
(३) विक्रयकला का प्रशिक्षण;
(४) प्रदर्शन कक्ष की सजावट का प्रशिक्षण।

(ख) ऋण

(१) खादी का उत्पादन और बिक्री करने के लिये स्वीकृत;
(२) संस्थाओं आदि को ऋण;
(३) आयोग द्वारा किये गये सीधे व्यापार के लिये ऋण;

अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड तथा उसके बाद खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा चालू किये गये कार्यक्रमों के फलस्वरूप खादी के उत्पादन में बराबर वृद्धि हुई है। नीचे दी गई सारिणी से यह प्रकट होता है :—

पुरानी चाल की खादी का उत्पादन

नवम्बर १९५७ में संकलित आंकड़ों पर आधारित खादी (पुरानी चाल की) का उत्पादन इस प्रकार है :—

परिमाण—१० लाख वर्ग गज
मूल्य —लाख रुपये

	१९५३-५४		१९५४-५५		१९५५-५६		१९५६-५७		१९५७-५८ (अक्तू० ५७ तक)	
	परि०	मूल्य	परि०	मूल्य	परि०	मूल्य	परि०	मूल्य	परि०	मूल्य
कपड़ा (व्यापारी उत्पादन)	८.५४	१५६	१५.०६	३०५	१६.१७	३६६	२४.२२	४७८	१०.०८	१९७
कपड़ा (आत्मनिर्भरता की योजना)	०.५६	१२	१.५३	२०	५.०३	५७	११.५५	१६७	७.८७	१०५
ऊन	१.०८	२२	०.५८	१५	०.५४	२८	१.५६	५४	०.९२	४१
रेशम	०.०८	३	०.१९	९	०.६२	२८	०.७०	३०	०.३६	१६
योग	१०.२४	१९३	१७.३६	३४९	२५.३६	४७९	३८.०३	७२९	१९.२३	३५०

सरकार द्वारा खादी को प्रोत्साहन देने की नीति के अनुसार रेलवे, डाकतार आदि विभागों ने अपनी वस्त्र सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के लिये काफी खादी खरीदी है। नीचे की सारिणी में सरकारी विभागों द्वारा की गई खरीदों के वर्षानुसार आंकड़े दिखाये गये हैं:—

वर्ष	(खरीद का मूल्य रुपयों में)
१९५२-५३	२७,३०८
१९५३-५४	४,१७,२६६
१९५४-५५	३४,८४,३४६
१९५५-५६	६७,३३,५०३
१९५६-५७	९७,९७,५०७
१९५७-५८	६१,७७,०६१
(दिसम्बर १९५७ तक)	९२,३३,०७०

यद्यपि केन्द्रीय सरकार खादी की सबसे बड़ी खरीदार है तथापि तैयार होने वाली २० प्रतिशत खादी साधारण जनता में ही खपती है। कपड़े की किस्म और आकर्षण में उन्नति करने की ओर काफी ध्यान दिया गया है। आयोग अब बहुत बड़े परिमाण में रंगी और छपी हुई खादी तथा सिले सिलाये कपड़े बेचता है। खादी की बिक्री बढ़ गई है जैसा कि नीचे के आंकड़ों से प्रकट होता है :—

वर्ष	(बिक्री करोड़ रु० में)
१९५२-५३	१.९५
१९५३-५४	१.०८
१९५४-५५	२.६८
१९५५-५६	४.२६
१९५६-५७	५.९५
१९५७-५८	५.४८
(दिसम्बर १९५७ तक)	

इस सम्बन्ध में आयोग का वह प्रयत्न विशेषतः उल्लेखनीय है जो उसने अपने सीधे तत्वावधान में विशाल परिमाण पर बिक्री करने वाले भण्डार खोलने के लिये किये हैं। इसी प्रकार उसने राज्यों के खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों तथा रजिस्टर्ड संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले बिक्री के साधनों को विभिन्न प्रकार की सहायता देकर खादी की बिक्री को जो प्रोत्साहन दिया है वह भी उल्लेखनीय है। आलोच्य अवधि में आयोग द्वारा चलाये जाने वाले दो विशाल भण्डार मद्रास और कलकत्ते में स्थापित किये गये। ये दिल्ली और बम्बई के भण्डारों के अलावा हैं। जिन छोटे भण्डारों को आयोग सहायता देता है उनकी संख्या दिसम्बर १९५७ तक १४४ है।

खादी उद्योग में आयोग ने जो सर्वतोमुखी विकास किया है उसके कारण बहुत अधिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना आवश्यक हो गया है। इसके अतिरिक्त आयोग ने उन कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण देने में सहायता दी है जो सामुदायिक विकास क्षेत्रों में उसके कार्यक्रमों को चलाते हैं। इन विकास क्षेत्रों में आयोग अब अपना कार्य अधिकाधिक फैलाता जा रहा है। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने में जो सफलता हुई है वह नीचे के आंकड़ों से प्रकट होती होती है:—

शिक्षण क्रम	गत वर्ष से प्रशिक्षण पाने वालों की संख्या	१९५७-५८ के लिये लक्ष्य	आलोच्य वर्ष में भरती होने वालों की संख्या	१९५७-५८ में प्रशिक्षण समाप्त करने वालों की संख्या	प्रशिक्षण पा रहे व्यक्तियों की संख्या
१. खादी-ग्राम संगठक	—	१००	४६	—	४६
२. सामुदायिक विकास के लिये कर्मचारी	३५	५५०	३०१	३५	३०१
३. खादी के ग्रामोद्योग कार्यकर्त्ता	३४४	५२०	२४८	१७३	४१९
४. प्रशिक्षण के बाद की सिखलाई पाने वाले व्यक्ति	—	१५००	१०२२	१०२२	अप्राप्त
५. विक्रेताओं का प्रशिक्षण	—	२१०	*६०	३५	२५

* ३०—१—५८

उपर्युक्त वर्गों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिये आयोग नासिक में एक केन्द्रीय शाला, ७ महाविद्यालय और १२ प्रादेशिक विद्यालय चलाता है।

पुरानी चाल की खादी के कार्यक्रम द्वारा नीचे लिखे अनुसार लोगों को काम मिला है :—

	१९५३-५४	१९५४-५५	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८
(क) कातने वाले (मजदूरी लेकर)	३.७	४.०६	५.५७	७.१७	*४.७१
(ख) कातने वाले (अपने उपयोग के लिए)	०.३८	१.०२	३.२५	५.८७	०.६६
(ग) बुनकर	०.१८	०.३०	०.४३	०.५४	+०.४६
(घ) अन्य	०.१०	०.१५	०.१६	०.३५	+०.११

* सितम्बर १९५७ तक + दिसम्बर १९५७ तक

अम्बर चर्खा कार्यक्रम

यह कार्यक्रम १९५६-५७ में चालू किया गया। इस वर्ष हुए अनुभवों के आधार पर १९५७-५८ में १,८०,००० अतिरिक्त अम्बर चर्खे जारी करना सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया। काम शुरू करने के लिये गत वर्ष के कार्यक्रम का पूर्णतः और बढ़ाये हुए कार्यक्रम को कुछ अंशों में जारी रखने के लिये रुपया मंजूर कर दिया गया। बजट में ३११.३२ लाख रु० के अनुदान की और ६६७.३० लाख रु० के ऋणों की व्यवस्था कर दी गई है। १९५७-५८ में खादी के उत्पादन का लक्ष्य ६५० लाख गज रखा गया। आयोग ने जाच पड़ताल करने के बाद ६५० लाख गज के लक्ष्य को घटा कर २०० लाख गज कर देने का सुझाव दिया। यह कमी करने का मुख्य कारण यह था कि अम्बर चर्खा साधारणतः थोड़े समय के लिये काम देता है और यह भी अधिकतर उन महीनों में जब खेती का काम पूरे जोर पर नहीं होता। पर्यवेक्षण के अनुसार वास्तव में वर्ष में काम के दिनों की औसत २०० ही पड़ती है जबकि पहले इसका अनुमान ३०० दिन लगाया गया था। इसी प्रकार काम के घण्टों का औसत भी ४ से ६ पड़ा है जबकि पहले इसका अनुमान ८ था। जाच पड़ताल से यह भी प्रकट हुआ है कि अम्बर चर्खे पर एक समय में साधारणतः एक ही कातने वाला काम करता है। अब आयोग एक ही परिवार के कई व्यक्तियों को अम्बर चर्खा चलाने की शिक्षा देने का प्रयत्न कर रहा है जिससे इस चर्खे का पूरा-पूरा उपयोग किया जा सके और उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस समय अम्बर चर्खे के प्रति सेट पीछे उत्पादन का अनुमान लगभग १८ नम्बर की ६०० गुण्डी अथवा ५० पौण्ड प्रति वर्ष है। अम्बर चर्खा जाच समिति ने यह अनुमान लगाया था कि अम्बर चर्खे के पूरे सेट से दो व्यक्तियों को पूरे समय का काम मिलेगा और इस प्रकार ३६०० गुण्डी अथवा २०० पौण्ड सूत प्रतिवर्ष तैयार होगा। एक सेट में धुनिया, पुनिया, पूनी बनाने की बेलनी और कताई का मुख्य साधन अम्बर चर्खा शामिल है।

चालू वर्ष के लिये पहले निश्चित किये गये लक्ष्य, संशोधित लक्ष्य और नवम्बर १९५७ तक की अवधि में हुई प्रगति के आकड़े इस प्रकार हैं:—

मदें	१९५७-५८ के लिए पहले निश्चित लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य	अप्रैल और नवम्बर १९५७ में हुई प्रगति
चर्खों का निर्माण	१८०,०००	११५,०००	५६,०११
प्रशिक्षित कातने वालों को चर्खों का वितरण	१५०,०००	८५,०००	५०,४८६
प्रशिक्षित किये गये प्रशिक्षक	४,०००	३,२००	१,६६५
प्रशिक्षित बढ़ई	२,०००	१,२००	७५१
प्रशिक्षित किये गये कातने वाले	१५०,०००	१२०,०००	६२,६६८
सरंजाम कार्यालय	१००	——	२१
सूत का उत्पादन	१८१ लाख पौं०	५५ लाख पौं०	१५.८६ लाख पौं०
खादी का उत्पादन	६५० लाख गज	२०० लाख गज	४६.०४ लाख गज

१९५७-५८ में अम्बर चर्खा कार्यक्रम के लिये संशोधित राशि ६६४ लाख रु० रखी गई है जिसमें से २३० लाख रु० अनुदानों के लिए और ४३४ लाख रु० ऋणों के लिये है। फरवरी १९५८ के अंत तक ४.६१ करोड़ रु० खर्च हुए।

अम्बर चर्खा द्वारा नियोजन

अम्बर चर्खा कार्यक्रम का एक सबसे बड़ा महत्व यह है उसके द्वारा लोगों को काम मिलता है। नवम्बर १९५७ के अन्त तक उसके द्वारा जितने लोगों को काम मिला उसका विवरण नीचे दिया गया है।—

	१९५६-५७ काम पाने वालों की संख्या	१९५७-५८ नवम्बर ५७ तक काम पाने वालों की संख्या
कातने वाले	४५,७४२	९६,२३१
बुनकर	५,०००	८,२८६
बढ़ई	२,०००	३,०००
अन्य	१,०००	१,०००
योग	५३,७४२	१,०८,५१७

कार्यक्रम की सफलता मुख्यतः उसके लिये किये गये संगठन पर होती है। अम्बर चर्खा जांच समिति ने उस पर खास तौर से जोर दिया था और इस पर बराबर ध्यान देते रहने की सलाह दी थी। मई १९५७ में खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने अम्बर चर्खा कार्यक्रम के संगठन और प्रणालियों पर विचार करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये एक समिति नियुक्त की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री ए० जमान इसके अध्यक्ष थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर १९५७ में दी। उसमें की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:—

(१) अम्बर चर्खा तैयार करने में केवल पक्की और संरक्षित लकड़ी काम में लानी चाहिए।

(२) भेजे जाने से पहले चरखों का उचित रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिये।

(३) मुलायम इस्पात से छल्ले बनाने, सख्त बनाने और पियानो के तार से सूत को आगे बढ़ाने वाला साधन बनाने के परीक्षण किये जाने चाहिए।

(४) किराया खरीद प्रणाली पर अम्बर चर्खा लेने के कारण दी जाने वाली किश्तों की अदायगी की अवधि कम कर देनी चाहिए।

(५) कातने वालों का उचित प्रशिक्षण ही इस योजना की सफलता की कुंजी है।

(६) कातने वालों को प्रशिक्षण देने की अवधि समस्त देश में एक सी होनी चाहिये।

(७) अम्बर चर्खा सेट में सुधार करने के बारे में विचार करना आवश्यक होगा, उदाहरणार्थ धुनाई मशीन के स्थान पर कोई दूसरी व्यवस्था की जाय, कताई मशीन के साथ ही पूनियां बनाने का भी प्रबंध किया जाय अथवा पूनियां तैयार करके कातने वालों को दी जाय।

(८) जो बुनकर अभी तक सहकारी समितियों के सदस्य नहीं बने हैं उन्हें उसी प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए जैसी कि अखिल भारतीय हाथकरघा बोर्ड द्वारा उन व्यक्तियों को दी जा रही है जो कि सहकारी समितियों के सदस्य हैं।

(९) इस बात पर जोर दिया जाना चाहिये कि अम्बर सूत से तैयार की गई अधिकांश खादी की स्थानीय रूप से ही खपत हो जाय।

(१०) दीर्घ कालीन दृष्टि से इस उद्योग की उन्नति केवल सहकारी समितियों द्वारा ही हो सकती है।

(११) राज्य बोर्डों के संगठनों पर फिर विचार किया जाना चाहिए। इन बोर्डों में खादी तथा ग्रामोद्योगों के कार्यक्रम अमल में लाने वाली संस्थाओं, सहकारी समितियों और राज्य सरकारों के विकास विभागों के प्रतिनिधि रखना वांछनीय होगा।

(१२) मदरास सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योगों का काम देखने के लिए जो अलग निदेशालय बनाया है वह प्रशंसनीय है और ऐसा ही अन्य राज्यों में भी किया जाना चाहिए।

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने अपनी २५ नवम्बर १९५७ की बैठक में समिति की सिफारिशों पर विचार किया और नीचे दी गई शर्तों के साथ उन्हें सामान्यतः स्वीकार कर लिया :—

(१) एंठने और कातने की क्रियाओं को अलग-अलग कर देना आवश्यक नहीं माना गया। फिर भी कातने वालों को तैयार पूनियां देने के परीक्षण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करके उसका विश्लेषण करना चाहिए जिससे यह ज्ञात किया जा सके कि आगे और कोई कार्रवाई करनी आवश्यक है या नहीं।

(२) प्रत्येक राज्य सरकार के अधीन खादी के लिये अलग निदेशालय बनाया जाना आवश्यक नहीं माना गया।

ग्रामोद्योग

कमीशन के अधीन जो ग्रामोद्योग हैं उन्हें प्रथम पैरे में बताया गया है। १९५७-५८ के बजट में ग्रामोद्योगों के विकास के लिए २२५ लाख रु० अनुदान के रूप में और २०२ लाख रु० ऋण के रूप में दिए जाने के लिए रखे गए थे। परन्तु फरवरी १९५८ तक २३३ लाख रु० ही खर्च हुए। कमीशन के कार्यक्रम में नीचे लिखे कार्य शामिल हैं :—

१. प्रशिक्षण :—आयोजनों को सफलता पूर्वक अमल में लाने के लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता है। १९५६-५७ के अन्त

तक लगभग १२,००० व्यक्तियों को सब प्रकार के ग्रामोद्योगों की शिक्षा देने के लिये प्रबन्ध किये जा चुके हैं। १९५७-५८ में जिसके अभी पूरे विवरण नहीं मिले हैं, प्रतीत होता है कि ६४५ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और लगभग ४४० व्यक्तियों को दिया जा रहा है।

(२) *गवेषणा* :—ग्रामोद्योगों में भी उत्पादन की अच्छी और उन्नत प्रणालियां अपना लेने की आवश्यकता पर जितना जोर दिया जाय थोड़ा है। अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने मगनवाडी वर्धा में ग्रामोद्योग गवेषणाशाला की स्थापना की थी जहां उससे सम्बद्ध विविध उद्योगों के विषय में गवेषणा की जा सके। कमीशन इस शाला को केवल जारी ही नहीं रखे हैं वरन् उसमें विस्तार भी कर रहा है। शाला ने नीचे लिखे उद्योगों की गवेषणा का कार्यक्रम तैयार किया है :—

१. गावों का तेल घानी उद्योग,
२. विकेन्द्रित कताई;
३. हाथ से कागज बनाना;
४. अखाद्य तेलों से साबुन का निर्माण,
५. हाथ से धान कूटना,
६. गावों में बर्तन बनाने का उद्योग,
७. गावों में चमड़े का काम।

३. *सहायता* :—ग्रामोद्योगों को चालू वर्ष में भी पहले के समान ही सहायता दी जाती रही। केवल कच्ची घानी का तेल उद्योग इसका अपवाद रहा। १९५६ के आरम्भ में मिल के तेल पर अतिरिक्त उपकर लगा दिया गया था। इसलिए उसकी सहायता रु० २-५० नये पैसे से घटा कर रु० १-८७ नये पैसे प्रति मन कर दी गई। इस समय इस प्रकार से सहायता दी जा रही है :—

(क) हाथ से बना कागज :—प्रति टन २५० रु० तक, जो उत्पादन केन्द्रों को बिक्री में होने वाली हानि पर दिया जाएगा।

(ख) घानी का तेल :—खुदरा बिक्री पर रु० १.८७ प्रति मन की छूट।

(ग) साबुन बनाना :—साबुन बनाने में प्रयुक्त होने वाले नीम तथा अन्य अखाद्य तेलों पर रु० २.५० प्रति मन तक।

(घ) हाथ से धान कूटना :—कुटे हुए धान पर ३७ नये पैसे प्रति मन तक।

४. *सहायक अनुदान* :—यह अनुदान उन्नत किस्म के उपकरणों का प्रयोग करने और स्थान आदि का निर्माण करने के पूंजीगत व्यय के लिये दिये जाते हैं।

संगठन के क्षेत्र में कमीशन ने सहकारी समितियां बनाये जाने की ओर नये सिरे से ध्यान दिया है। एक स्थायी सलाहकार समिति बना दी गई है जो खादी तथा ग्रामोद्योगों के सम्बन्ध में सहकारिता के सभी अंगों पर विचार करती है। कमीशन के कार्यक्रम के अधीन अब तक बनाई गई सहकारी समितियों की संख्या इस प्रकार है :—

उद्योग	सहकारी समितियों की संख्या
खादी	२५१
ग्रामोद्योग	३,८३०

आलोच्य वर्ष में कमीशन ने अपनी 'गहन क्षेत्र' सम्बन्धी योजना जारी रखी जिसका उद्देश्य ग्रामों के वर्गों का मिला जुला आर्थिक विकास करना है। इस योजना के अन्तर्गत एक क्षेत्र में औसतन ३० गांव और २०,००० की जनसंख्या रखी जाती है। दिसम्बर १९५७ तक ५६ गहन क्षेत्र स्थापित किये जा चुके हैं। ऐसे अन्य ३६ क्षेत्रों में भी प्रारंभिक कार्य किया जा चुका है जिन्हें 'पूर्व गहन क्षेत्र' कहा जाता है। इन क्षेत्रों को भी धीरे धीरे गहन क्षेत्रों में बदल दिये जाने की आशा है।

३१ दिसम्बर १९५७ तक की अवधि में खादी और ग्रामोद्योग कमीशन तथा उसके सलाहकार बोर्ड की क्रमशः ९ और ३ बैठकें हुईं।

जटा से बनी वस्तुओं की बिक्री और प्रचार

★ *जटा उद्योग का विकास करने के लिये राज्यों को सहायता।*

नारियल-जटा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल जुलाई, १९५७ में खत्म हो गया। इसके बाद भारत सरकार ने बोर्ड को फिर से बनाया। आलोच्य वर्ष में बोर्ड की चार बैठकें तथा कार्य समिति की पांच बैठकें हुई।

जटा बोर्ड ने भारतवर्ष में हुई चार प्रदर्शनियों में तथा विदेशों में हुई पांच प्रदर्शनियों में भाग लिया। नारियल की जटा से बनी हुई वस्तुओं की सजावट तथा प्रदर्शन के लिये उसे कई इनाम मिले। इसके परिणामस्वरूप देशी तथा विदेशी व्यापारियों ने बोर्ड से अनेक प्रकार की पूछताछ की। बोर्ड द्वारा उन्हें तत्काल यथोचित उत्तर दिये गये।

१९५५ के अन्त में दिल्ली में खोले गये अपने प्रदर्शन कक्ष तथा बिक्री डिपो के द्वारा बोर्ड ने नवम्बर १९५७ के अन्त तक ५४,५७६ रुपये की नारियल की जटा से बनी हुई वस्तुएं बेचीं। दिल्ली क्षेत्र में नारियल की जटा से बनी हुई वस्तुओं का प्रचार करने के लिए एक चलती फिरती गाड़ी बोर्ड को मिल गई है। चालू वित्तीय वर्ष में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में तीन अन्य प्रदर्शन कक्ष तथा बिक्री डिपो खोलने का बोर्ड का विचार है। १९५८-५९ में २ प्रदर्शन कक्ष-सह-बिक्री डिपो खोलने की व्यवस्था की गई है। इनमें से एक बंगलौर में होगा और दूसरा जालन्धर में।

रेलवे स्टेशनों की दीवारों पर पोस्टर लगाकर, तथा सिनेमा स्लाइड दिखा कर, समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर, 'कोयर' पत्रिका, कलेण्डर, पर्चे, प्रचार पत्रिकायें तथा सूचीपत्रों के जरिये बोर्ड ने नारियल की जटा तथा उससे बनी हुई वस्तुओं का विज्ञापन किया। बोर्ड एक डाकूमैन्ट्री फिल्म भी तैयार करना चाहता है जिसमें कि नारियल-जटा उद्योग की विभिन्न प्रणालियां दिखलाई जायेंगी।

गवेषणा शाला

द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि में भारत सरकार ने २०.२८ लाख रुपये की लागत से एलेपी के समीप एक जटा गवेषणा शाला तथा कलकत्ते में एक शाखाशाला स्थापित करने की योजना स्वीकार कर ली है।

नारियल की जटा तथा उससे बनी हुई वस्तुओं के निर्यातकों की रजिस्ट्री करने और उन्हें लाइसेंस देने के नियमों को अन्तिम रूप दे दिया गया है तथा वे शीघ्र ही प्रकाशित कर दिये जायेंगे।

आलोच्य अवधि में भारतीय बंदरगाहों से जटा से बनी हुई वस्तुओं के निर्यात का योग ३५,३७० टन रहा जिसका मूल्य ४.२० करोड़ रुपये था। १९५६ की इसी अवधि में कुल निर्यात ३६,८६७ टन का हुआ था जिसका मूल्य ४.२१ करोड़ रुपये था।

विदेशी मुद्रा के उपार्जन का साधन

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में जटा उद्योग की विकास योजनाओं के लिए पहले १ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी—३० लाख रुपये प्रत्यक्ष केन्द्रीय योजनाओं के लिये तथा ७० लाख रुपए नारियल उत्पादन करने वाले राज्यों द्वारा क्रियान्वित होने वाली योजनाओं के लिये। चूंकि नारियल की जटा के उद्योग द्वारा काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है अतः भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में इस उद्योग के विकास के लिए रखी गई रकम को बढ़ाकर १७० लाख रु० कर दिया है। राज्यों की योजनाओं के लिए रखी गई ७० लाख रु० की राशि भी बढ़ाकर १४० लाख रु०कर दी गई है।

भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में नारियल की जटा के उद्योग का विकास करने के लिए राज्य सरकारों को अभी तक निम्न लिखित राशियां दिए जाने की स्वीकृति दी है :—

राज्य	अनुदान	ऋण
मैसूर	४,२००	४०,०००
आन्ध्र प्रदेश	६,४००	८,०५०
मद्रास	१,६००	११,४००
उड़ीसा	१,५००	१०,६२५
बम्बई	११,१२१	८,३२५
योग	२४,८२१	७८,४००

जानकारी विभाग

विशाल उद्योग

उत्पादकता बढ़ायी जा सकती है

देश के वर्तमान कारखानों और मशीनों का ठीक ढंग से उपयोग करके उनसे २० से ५० प्रतिशत तक और सामान तैयार किया जा सकता है। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र शिल्पिक सहायता विशेषज्ञ डा० विलियम आर० पेवरट ने लगभग ५० भारतीय कारखानों का सर्वे करके दी है।

डा० पेवरट का कहना है कि यदि मशीनों से ठीक ढंग से काम लिया जाय, किसी काम को दुबारा करने की नौबत न आए, बनने वाली वस्तुओं का उपयुक्त स्तर रखा जाय और सामान तैयार करने में अच्छे माल का इस्तेमाल किया जाय तो अनेक उद्योगों और कारखानों का काफी उत्पादन बढ़ सकता है।

अन्य देशों में सफलता

पश्चिम के उन्नत देशों में, रूस और जापान में कपड़ा, रसायन, औषध, रबड़, कांच और चीनी मिट्टी के सामान, प्लास्टिक आदि उद्योगों में ये तरीके इस्तेमाल किए गए। यहां तक कि मशीनें चलाने, सामान पैक करने, पुर्जे जोड़ने और दफ्तरी कामों में भी ये तरीके काम लाए गए और इससे उत्पादन में काफी वृद्धि हुई।

डा० पेवरट का कहना है कि भारत जैसे कम उन्नत औद्योगिक देश में तो ये तरीके और अधिक लाभकारी हो सकते हैं। इन तरीकों के प्रयोग से यहां के उद्योगों में काफी बचत हो सकती है।

मशीनों का ठीक प्रयोग

डा० पेवरट ने बताया है कि यहां कारखानों और मशीनों को और अच्छे ढंग से चलाने की काफी गुंजाइश है। उदाहरण के लिए, इस्पात के एक कारखाने में एक टुकड़ी ६५ प्रतिशत काम लायक चीजें तैयार करती है, और उसी कारखाने की दूसरी टुकड़ी उसी प्रकार के ढांचे, रेत और इस्पात इस्तेमाल करती है, परन्तु केवल ६० प्रतिशत काम लायक चीजें तैयार कर पाती हैं। इन दोनों टुकड़ियों में एक ही प्रकार का सामान इस्तेमाल होता है और एक ही प्रकार की मशीनों से एक ही प्रकार की चीजें बनायी जाती हैं, परन्तु फिर भी उनकी चीजें तैयार करने की रफ्तार में अन्तर होता है। अनुभव से देखा गया है कि जहां चीजें तैयार करने की रफ्तार कम है, वहां यदि कारीगरों को ठीक ढंग से काम करना सिखाया जाए तो उत्पादन में २५ प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है।

इसी प्रकार मिलों के बुनकरों में भी यही अन्तर देखा गया है। बर्तन बनाने वालों के काम करने के तरीकों में भी अन्तर था, जो अब दूर कर दिया गया है। छपाई और सामान पैक करने की मशीनों में भी अन्तर पाया गया और उनके कारणों को खोज कर तथा उन्हें हटा करके यह अन्तर दूर किया जा सकता है।

बाजार में ऐसी अनेक वस्तुएं मिलती हैं, जो अच्छे किस्म की नहीं होतीं। यदि उन्हें तैयार करने में कच्चे माल का उचित ढंग से उपयोग किया जाय और उनके तोल और किस्म पर भी नियन्त्रण रखा जाय, तो बिना लागत बढ़े उनकी किस्म सुधर सकती है।

कर्मचारियों की शिक्षा

भारत सरकार ने उद्योगों में इन नए तरीकों का महत्व मान लिया है। इन तरीकों के बारे में उद्योगों को सलाह देने और कर्मचारियों को शिक्षा देने के लिए भारतीय अंक संस्था ने बाहर से विशेषज्ञ बुलाए हैं। संस्था ने इन तरीकों को इस्तेमाल करने और कारखानों के कर्मचारियों को शिक्षा देने के लिए कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और बंगलोर में शाखाएं (स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल यूनिट्स) खोली हैं।

कलकत्ता की भारतीय अंक संस्था में कर्मचारियों को मई-जून १९५८ में शिक्षा दी जायगी। इसकी देख रेख डा० पेवरट करेंगे। इसमें वे भरती हो सकते हैं, जिनके कारखाने काफी अच्छे हैं और जो अपने कारखानों में नए तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं।

मशीनी औजारों के उत्पादन में वृद्धि

मशीनी औजारों के उत्पादन में असाधारण वृद्धि, उनकी कीमतों में भारी कमी और कारखाने के प्रबन्ध में मजदूरों का हाथ, ये हिन्दुस्तान मशीन टूल कारखाने की १९५७-५८ की उल्लेखनीय घटनाएं हैं। कारखाने के प्रतिवेदन में बताया गया है कि इस साल कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस दिया गया और उनके वेतन तथा भत्ते भी बढ़ाये गये।

१९५७-५८ में ४०२ मशीनी औजार बने। पिछले साल केवल १३५ मशीनी औजार बने थे। दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के पहले साल के लिए १३१ मशीनी औजार बनाने का लक्ष्य रखा गया था, इस प्रकार इस साल मशीनी औजार का उत्पादन ३०० प्रतिशत बढ़ गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अब १० प्रकार की रेडियल बर्मा मशीनें और बनानी शुरू की गयी हैं। इस कारखाने में दो प्रकार की खराद की मशीनें (लेथ) और छः प्रकार की घिसाई की मशीनें पहले से ही बन रही हैं। इन नयी प्रकार की मशीनों के देश में ही बनने से प्रतिवर्ष २ करोड़ रु० की विदेशी-मुद्रा की बचत होगी।

कीमतें घटीं

उत्पादन में तीन गुनी वृद्धि होने से इस कारखाने की बनी मशीनों की कीमतें काफी घटायी जा सकी हैं। एक हजार मिलीमीटर की ढलाई मशीन (लेथ) पहले ३६,००० रु० की बिकती थी। इसका दाम १ जून, १९५८ से २६,५०० रु० कर दिया गया है। इसी तरह की विलायती मशीन ४०,५०० रु० की बैठती हैं।

उत्पादन ही नहीं बढ़ा है, इस कारखाने की मशीनों की मांग भी बढ़ी है। १ अप्रैल, १९५७ के १७३ आर्डर पहले के बचे हुए थे और इस साल में ४३८ मशीनों के आर्डर और मिले। इस प्रकार साल में ६११ मशीनों के आर्डर मिले जबकि बनी केवल ४०२ मशीनें।

३० लाख रु० का लाभ

आलोच्य वर्ष में यानी इस कारखाने के कारोबार शुरू करने के दूसरे साल में ३० लाख रु० से अधिक का शुद्ध लाभ हुआ। यह लाभ पिछले साल से ५ गुना अधिक है और कम्पनी की हिस्सा पूंजी पर भी ५॥ प्रतिशत का लाभ बैठता है।

कारखाने के आसपास कुछ छोटे-मोटे उद्योग खड़े करने के लिए भी उद्यमी कर्मचारियों को सहायता देने की योजना बनायी गई। इस काम में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की भी सहायता ली गयी। कर्मचारियों को किश्तों पर मशीनें, कारखाने के लिए जगह, बिजली पानी और कच्चा माल तथा आवश्यक जानकारी देने की व्यवस्था की गई। कर्मचारियों ने इन सुविधाओं से लाभ उठाया है।

मशीनी औजारों की कीमतों में भारी कमी

बंगलौर के सरकारी मशीनी औजारों के कारखानों ने अपनी "हिन्दुस्तान मशीनों" के दामों में भारी कमी करने की घोषणा की है।

१,००० मिलीमीटर की खराद मशीन (लेथ), जिसका दाम अब ३६,००० रु० था आगे २६,५०० रु० में बेची जायगी और १ जून, १९५८ से जो आर्डर बुक किए जायेंगे, उन्हें यह मशीन घटे दामों पर ही मिलेगी।

मई, १९४६ में जब इस कारखाने में उत्पादन शुरू हुआ था, तो इस मशीन का दाम ३९,००० रु० निश्चित किया गया था, क्योंकि इसके मुकाबले की स्विस खराद मशीन हमारे देश में आकर ४०,५०० रु० की पड़ती थी। पिछले साल पहली जून से इस कारखाने की उक्त मशीन का दाम घटा कर ३६,००० रु० कर दिया गया था।

१५०० मिलीमीटर की खराद मशीनों और छः किस्म की घिसाई की मशीनों का दाम भी इतना कम कर दिया गया है कि हर मशीन अब उसी तरह की विदेशी मशीन से सस्ती बैठेगी।

पिछले साल के और दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के उस साल के लक्ष्य से इस कारखाने में मशीनों का निर्माण तीन गुना बढ़ गया है। इसी कारण यहां की मशीनों का दाम घटाना सम्भव हुआ।

विशेष प्रकार के इस्पात का कारखाना

स्टील री-रोलिंग मिल्स एसोसिएशन आफ इण्डिया की वार्षिक बैठक में बोलते हुए, केन्द्रीय इस्पात, खान तथा ईन्धन मंत्री, सरदार स्वर्ण सिंह ने कहा कि भारत सरकार अब जल्दी ही औजार, मिश्र धातु और विशेष किस्म का इस्पात बनाने का कारखाना खोलने वाली है। यदि इस सम्बन्ध में शीघ्रता नहीं की गयी तो इन चीजों के लिये हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। जो चीजें हम स्वयं बना सकते हैं, उनके लिए विदेशों पर निर्भर रहना उचित नहीं।

इस्पात के आयात पर खर्च के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने बताया कि १९५६ और ५७ में इस्पात के आयात पर लगभग १२५ करोड़ रु० खर्च किया गया। भारत में इस्पात का उत्पादन बढ़ाकर आयात के खर्च में कमी की जा सकती है। और यही धन नये कारखाने खोलने तथा मशीनें खरीदने के काम आ सकता है। इतना ही नहीं, तैयार माल के निर्यात से हम कुछ विदेशी मुद्रा भी कमा सकते हैं।

लौह खनिज की कमी नहीं

देश के नये इस्पात कारखानों में उत्पादन के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि भिलाई और राउरकेला में आगामी वर्ष के अन्त तक

उत्पादन आरम्भ हो जायगा। १९५९ में दुर्गापुर के कारखाने में काम चालू हो जायगा और भिलाई तथा राउरकेला की दूसरी दो भट्टियां चालू हो जाएंगी। जहां तक लौह खनिज का सवाल है, देश में उसकी कोई कमी नहीं। इतना ही नहीं, १९५९ और बाद के वर्षों में यह बहुतायत में उपलब्ध हो सकेगा।

लोहे के छोटे मोटे टुकड़ों को फिर से पिघलाकर उनका इस्पात बनाया जाता है। इस उद्योग की कठिनाइयों का जिक्र करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि "मुझे यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई कि इस उद्योग में, १९५७ में, १९५६ की अपेक्षा २४ प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ। इस उद्योग के लिये कच्चे माल की कमी अनुभव की जाती थी, वह अब दूर हो गयी है कच्चे माल के लिए हम विदेशों पर निर्भर नहीं रह सकते। देश में जो कुछ साधन उपलब्ध हैं, उन्हीं का उपयोग करना पड़ेगा।"

हमारी कठिनाइयां

औद्योगिक विकास के लिए साधनों की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुये मंत्री महोदय ने कहा कि "औद्योगिक उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं आयीं, जिनमें विदेशी मुद्रा की कमी सबसे बड़ी रुकावट है परन्तु कठिनाइयां तो आती ही रहती हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वे हमारी हैसियत से बाहर के हैं। इस प्रकार की समस्याएं अन्य देशों के सामने भी आईं और उनका हल निकाला गया। हम भी सम्मिलित प्रयत्नों से इन कठिनाइयों का मुकाबला कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यदि हम *अनावश्यक वस्तुओं का त्याग* करने की तैयारी कर लें तो वर्तमान संकट को पार करके जल्दी ही *अपनी मंजिल तय कर लेंगे*"।

खाने पीने की चीजों के उद्योग का विकास

भारत सरकार ने खाने पीने की चीजें बनाने के उद्योग की उन्नति के लिए एक विकास परिषद् स्थापित की है। यह परिषद् उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त की गयी है, जो खाने-पीने की चीजें बनाने और डिब्बों आदि में बंद करके बेचने के धंधे को बढ़ाने के उपाय सोचेगी और इन चीजों की किस्म सुधारने तथा बेकार जाने वाले अंश को बचाने और कुशलता बढ़ाने की ओर ध्यान देगी। इन चीजों की बिक्री बढ़ाने के लिए भी यह प्रयत्न करेगी।

बाजार में अच्छी चीजें ही आएं, इस बारे में तथा इस धंधे में लगे मजदूरों की भलाई आदि का परिषद् ख्याल रखेगी और इस उद्योग सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठे करेगी। भारत के बिस्कुट निर्माता संघ के अध्यक्ष, श्री ए० सी० खन्ना परिषद् के अध्यक्ष हैं।

खनिज पदार्थों का विकास सम्बन्धी कानून

खान तथा खनिज पदार्थ (नियमन तथा विकास) अधिनियम १ जून १९५८ से लागू हो गया है। इस कानून से सरकार को किसी भी जमीन में और किसी भी खनिज पदार्थ की खुदाई करने का अधिकार मिल गया है, क्योंकि खनिज पदार्थ सरकार की सम्पत्ति हैं। यह कानून पेट्रोल के अलावा अन्य खनिज पदार्थों के नियमन और विकास के बारे में ही लागू होगा। नये कानून के अनुसार एक राज्य में एक खनिज पदार्थ या खनिज समूह का, ५० वर्ग मील से अधिक में खुदाई का लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसी प्रकार खान खोदने के पट्टे के अन्तर्गत भी १० वर्गमील से अधिक में खुदाई नहीं की जा सकेगी।

अब केन्द्रीय सरकार खान खोदने के स्वामित्व (रायल्टी) को भी समय समय पर बदल सकती है। राज्य सरकारें स्वामित्व आदि को वसूल करने के लिए वैसी ही कार्रवाई कर सकती हैं, जैसी लगान वसूली के लिए की जाती है। कोयले के अलावा और किसी खनिज के नये और पुराने पट्टों के स्वामित्व (रायल्टी) में कोई भेद नहीं रहेगा। कम महत्व के खनिज पदार्थों के बारे में नियम बनाने का राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया गया है। कोयले की खानों के उन पट्टों को छोड़कर जो २५ अक्तूबर, १९४९ के पहले दिये जा चुके हैं, बाकी सब पट्टों पर यह कानून लागू होगा।

चीनी का उत्पादन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के चीनी और वनस्पति निदेशालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि चालू मौसम में जून १९५८ तक, देश के कारखानों में १९.६७ टन चीनी का उत्पादन हुआ और १३.५० लाख टन चीनी की निकासी की गयी। पिछले साल इसी अवधि में २०.१४ लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था और १४.२७ लाख टन की निकासी की गयी थी।

जून, १९५८ में कारखानों के भण्डारों में १०.४० लाख टन चीनी थी।

लौह खनिज का उत्पादन

भारतीय खान कार्यालय की एक सूचना के अनुसार भारत में अप्रैल १९५८ में लौह खनिज का उत्पादन ४ लाख ८५ हजार टन आंका गया था जबकि इसके पहले महीने में यह ५ लाख १० हजार टन था।

सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा और बिहार में हुआ जो क्रमशः १ लाख ९५ हजार टन और १ लाख ७४ हजार टन था। कम उत्पादन वाले राज्यों में मैसूर से ५७ हजार टन, आन्ध्र प्रदेश से १५ हजार टन और बम्बई से १४ हजार टन लौह खनिज निकाला गया। इसमें से २ लाख ८४ हजार टन लोहे और इस्पात के कारखानों में भेजा गया और १ लाख ५५ हजार टन विदेशों को निर्यात किया गया।

कच्चे तांबे का उत्पादन

भारतीय खान कार्यालय की सूचना के अनुसार मार्च १९५८ में समाप्त होने वाली तिमाही में समस्त भारत में कच्चे तांबे का उत्पादन

६४,१४४ टन हुआ। यह सब उत्पादन बिहार के सिंहभूमि जिले में ही हुआ।

सन् १६५८ की पहली तिमाही में कच्चे तांबे का उत्पादन १६६७ टन हुआ था, जबकि गत वर्ष की इसी तिमाही में यह १७८१ टन था।

फरवरी में बिजली का उत्पादन

फरवरी, १६५८ में देश के ८२८ सरकारी बिजलीघरों में ६१ करोड़ ४२ लाख किलोवाट घंटा बिजली पैदा की गयी, जिसमें से ७५ करोड़ २२ लाख किलोवाट घंटा बिजली घरेलू इस्तेमाल के लिए दी गयी। जनवरी, १६५८ में बिजली का उत्पादन ६७ करोड़ १४ लाख किलोवाट हुआ।

इस महीने बिजली पैदा करने के दो कारखाने और एक बिजली खरीद-संस्थान खोला गया। बिजली पैदा करने का एक कारखाना शिवसागर (आसाम) और दूसरा जमशेदपुर (बम्बई) में खोला गया। बिजली खरीद-संस्थान बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में खोला गया।

फरवरी, १६५७ में ८० करोड़ ६२ लाख किलोवाट घंटा बिजली पैदा की गयी और ६७ करोड़ ७७ लाख किलोवाट घंटा बिजली बेची गयी, जबकि फरवरी, १६३६ में १८ करोड़ ७७ लाख किलोवाट घंटा बिजली पैदा की गयी थी और १५ करोड़ ६४ लाख किलोवाट घंटा बिजली बेची गयी थी।

क्रोमाइट का उत्पादन घटा

मार्च, १६५८ को समाप्त तिमाही में क्रोमाइट का उत्पादन १८,४५१ टन हुआ, जिसमें उड़ीसा में १५,७०४ टन, मैसूर में १,८६४ टन और बिहार में ८५३ टन था। इससे पिछली तिमाही का कुल उत्पादन २१,७३४ टन था।

इस साल की पहली तिमाही में उत्पादन पिछले साल की पहली तिमाही के उत्पादन से ३०५ टन अधिक था।

खनिज सीसे और जस्ते का उत्पादन

भारतीय खान कार्यालय से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार देश में मार्च, १६५८ को समाप्त तिमाही में २३,६६४ टन खनिज सीसे और जस्ते का उत्पादन हुआ, जबकि इससे पिछली तिमाही में २४,१२१ टन का उत्पादन हुआ था। इस अवधि में सीसे तथा जस्ते का जितना उत्पादन हुआ है, वह पिछले साल की इसी तिमाही के उत्पादन से १,५४८ टन कम है।

१६५८ की पहली तिमाही में खनिज सीसे से १,१७० टन शुद्ध सीसा और खनिज जस्ते से १,५४६ टन शुद्ध जस्ता तैयार किया गया। पिछली तिमाही में १,२५३ टन शुद्ध सीसा तथा १,८५० टन शुद्ध जस्ता मिला था।

लघु उद्योग

छोटे उत्पादकों के लिये नयी सुविधा

लघु उद्योग सहायक संस्था ने दिल्ली, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में एक योजना आरंभ की है जिससे छोटे उत्पादकों को भी बिक्री अनुसंधान का लाभ मिल सकेगा। यह माल-बिक्री-पड़ताल योजना कहलाती है।

इससे उत्पादकों को इस बात का पता चलेगा कि उनका माल किन-किन स्थानों में बिक सकता है और वे वहां के थोक तथा फुटकर माल के व्यापारियों के साथ सम्पर्क स्थापित करें। माल की कीमत, किस्म, डिजाइन आदि के बारे में विक्रेता तथा ग्राहक की क्या पसंद है, इसकी जानकारी भी उत्पादकों को मिल सकेगी।

छोटे उत्पादकों को चाहिये कि हाट-अनुसंधान के नतीजे जानने के लिए निम्नलिखित पते पर पत्र-व्यवहार करें :

डायरेक्टर, स्माल इन्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टिट्यूट, ५६ सुन्दर नगर, नयी दिल्ली। (केवल जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के उत्पादकों के लिए)

आसाम, बिहार, उड़ीसा, प० बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप, मणिपुर, उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण और त्रिपुरा के उत्पादकों के लिये :—डायरेक्टर, स्माल इन्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, ४ कारमैक स्ट्रीट, कलकत्ता—१६।

बम्बई, मध्य प्रदेश और मैसूर के उत्पादकों के लिए :—डायरेक्टर, स्माल इन्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, ४०-४० ए, कावसजी पटेल स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई—१ और आंध्र प्रदेश, केरल, मद्रास और अमीन द्वीप, लक्ष और मिनिकाय द्वीपों के उत्पादकों के लिए :—डायरेक्टर, स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टिट्यूट, २० रटलैंड गेट, मद्रास—६।

दस्तकारियों की सहकारी समितियां

अखिल भारतीय दस्तकारी मण्डल की सहकारी सलाह समिति की विभिन्न राज्यों में कई उपसमितियां बनाई जायेंगी। ये दस्तकारियों के उत्पादन और बिक्री के लिये सहकारी समितियों के निर्माण को प्रोत्साहन देंगी। ये उपसमितियां, जो अधिकतर गैर-सरकारी होंगी, योजनाएं बनायेंगी और अखिल भारतीय दस्तकारी मण्डल को सहकारी-आन्दोलन के विकास के लिये अपने सुझाव भी देंगी। सलाहकार समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि हर राज्य में दस्तकारी की उन्नति के लिए एक अग्रगामी योजना चले। एक केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत राज्यों में सलाहकारी समितियों को चलाने के लिए संगठकों को ट्रेनिंग देने की भी सिफारिश की गयी है।

अलग-अलग दस्तकारियों के लिये डिजाइनरों की कमी को देखते हुए समिति ने सलाह दी है कि डिजाइनरों को ट्रेनिंग देने की एक योजना भी चालू की जाय। ये डिजाइनर ट्रेनिंग के बाद विभिन्न डिजाइन केन्द्रों में नियुक्त किए जायेंगे।

औद्योगिक बस्ती की इमारतों की बिक्री

भारत सरकार ने निर्णय किया है कि छोटे उद्योगों के लिये औद्योगिक बस्ती में नक्द या किश्त पर कारखाने की इमारतें खरीदने के लिये आवेदन-पत्र मांगे जाएं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को सूचना दे दी गयी है।

खरीदार कारखाने के लिए जमीन और इमारत किराये पर ले सकता है या उसे किश्त पर या नकद खरीद सकता है। सरकार ने जिस उद्देश्य से यह बस्ती बसायी है, वह पूरा हो सके, इसके लिए पट्टा या बिक्री-पत्र में इमारत के उपयोग तथा उसके हस्तांतरण आदि के सम्बन्ध में शर्तें रखी जा सकती है।

सहकारी ढंग पर दस्तकारी का विकास

भारत सरकार ने अखिल भारतीय दस्तकारी मण्डल की सिफारिशों के अनुसार, आन्ध्र, मद्रास और मैसूर में दस्तकारी सिखाने की, कारीगरों की सहकारी संस्थाएं खोलने का और बिक्री-केन्द्रों का विस्तार करने की योजनाएं मंजूर की हैं। इस कार्य के लिए केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने राज्यों को ६ लाख रु० से भी अधिक राशि देना स्वीकार किया है।

आन्ध्र प्रदेश में बिदरी का काम करने वाले कारीगरों के प्रशिक्षण के लिए और कोंडापल्ली-खिलौने बनाने का काम सिखाने के लिए ६ नयी योजनाएं आरम्भ की जाएंगी। इनके अलावा हाथी-दांत और कछुए की खाल की चीजें बनाने के लिए, सहकारी संस्थाएं खोली जाएंगी। विशाखपत्तनम् में सींग की वस्तुएं बनाने और वेंकटाचलम क्षेत्र में चटाई बुनने के उद्योग आरम्भ किये जाएंगे।

मोती और हाथीदांत का काम

आन्ध्र प्रदेश में दस्तकारी की पड़ताल भी की जायगी। वारंगल और विशाखपत्तनम् में दो काकीनाडा, प्रोदातुर और सीनपुर में एक-एक बिक्री केन्द्र खोला जायगा। इनके अलावा, राज्य में कालीन और दरियां बनाने की, करीमनगर में चांदी के तारों के महीन काम की, नलगोंडा जिले में मोतियों के काम की, और हाथी-दांत तथा सींग से बनी वस्तुओं के विस्तार की योजनाएं जारी रखी जायेंगी।

इट्टिकोप्पाका में लाख की वस्तुओं और लकड़ी के खिलौने बनाने का और तिरुचानुर में सिर्फ लकड़ी के खिलौने बनाने का केन्द्र चालू रखा जाएगा। नेल्लोर और यामोला के टोकनियां बनाने और इछुर में कच्ची ऊन से ऊन बनाने और रंगने का केन्द्र भी जारी रहेगा।

हैदराबाद के घरेलू उद्योग की वस्तुओं के बिक्री-केन्द्र का विस्तार किया जाएगा और तिरुपति के केन्द्र को चालू रखा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में हिमरू के कारीगरों को मकान आदि सुविधाएं दी जाएंगी।

मद्रास की योजनाएं

तंजौर और तिरुनेलवेली में दस्तकारी के दो बड़े बिक्री-केन्द्र और चिदम्बरम्, रामेश्वरम्, कोयम्बटुर तथा सालेम में छोटे बिक्री-केन्द्र खोले जाएंगे।

मद्रास राज्य में इस समय जो काम सिखाने वाले ६ और काम सिखाने तथा मरम्मत करने वाले दो केन्द्र हैं, वे सभी जारी रखे जाएंगे। ये केन्द्र मूर्तिकला, कालीन और दरियां, कागज के खिलौने, नकली रेशम के कपड़े और चमड़े की वस्तुओं के लिए हैं।

मैसूर राज्य में पीतल, चंदन की लकड़ी की खुदाई, लकड़ी के खिलौने आदि बनाना सिखाने के जो केन्द्र नागमंगलम, कूर्ग, उत्तर कनारा और किन्हाल में हैं, वे भी जारी रखे जाएंगे। बंगलौर, मंगलौर और बेलगांव के बिक्री-केन्द्र भी चालू रहेंगे।

बंगलौर में दस्तकारी मण्डल के क्षेत्रीय डिजाइन केन्द्र में कपड़े की वस्तुओं का विभाग खोला जाएगा। इसके खर्च के लिए मंडल २६,००० रु० देगा। मंडल का ७४,००० रु० का अनुदान दिया जाता है, जो धारवाड़ की जनता शिक्षण समिति के दस्तकारी स्कूल के खर्च के लिए है।

दस्तकारी के विकास के लिए मैसूर में एक नया केन्द्र आजमाइश तौर पर चलाया जायगा और जो केन्द्र पहले से चल रहे हैं, उन्हें जारी रखा जायगा।

इसके अलावा आठ मौजूदा दस्तकारी विकास केन्द्रों को चालू वित्तीय वर्ष में भी चलाने का और दस्तकारी सम्बन्धी अनुसन्धान के लिए तीन अनुसन्धान-केन्द्र खोलने का निश्चय किया गया है।

इन सारे केन्द्रों की व्यवस्था अखिल भारतीय दस्तकारी मंडल के हाथ में है, इसलिए केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने मंडल को ६ लाख ४५ हजार रु० की स्वीकृति दी है।

माल पैक करने की ट्रेनिंग

मैसूर केन्द्र में माल पैक करने की ट्रेनिंग दी जायगी। इस ट्रेनिंग में ६ स्थानीय कारीगर और १२ बाहर के कारीगर हिस्सा लेंगे। इनको ट्रेनिंग के दिनों में वजीफा दिया जायगा।

इस समय जो केन्द्र आजमाइशी तौर पर चल रहे हैं और चालू वित्तीय वर्ष में भी जो चलते रहेंगे, वे बम्बई, जूनागढ़, फरीदाबाद, सूरत निजामाबाद, बनारस, मदुराई और दक्षिण कनारा में है। बम्बई के केन्द्र में लकड़ी के खिलौने और गुड़ियां बनाने, सूरत में जरी का कपड़ा बनाने, जूनागढ़ में लाख का काम, निजामाबाद में काली मिट्टी के बर्तन बनाने बनारस में मिट्टी के बर्तन बनाने और उन पर चित्रकारी करने, दक्षिण कनारा में अनन्नास के रेशे से विभिन्न वस्तुएं बनाने और मदुराई में कपड़े की रंगाई तथा फरीदाबाद में रांफिया का काम होता है।

दिल्ली में जो विकास केन्द्र है, वह दस्तकारी के नए तरीके और औजार आदि निकालता है।

साड़ियों की बुनाई

कोटा कोटा के केन्द्र में सूती साड़ियों की बुनाई और कांचीपुरम के केन्द्र में सूती और रेशमी कपड़े की बुनाई का काम होता है। तीन केन्द्र मद्रास राज्य के नीलगिरि जिले में हैं, जहां आदिम जातियों के लोगों को बढ़ईगीरी, चटाई बुनने आदि का काम सिखाया जाता है।

कलहस्ती (आंध्र प्रदेश) केन्द्र में कलमकारी का काम सिखाया जाता है। यह केन्द्र भी चालू रहेगा। बनारस के लिए एक विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है, जो वहां के जुलाहों को पटोले की बुनाई का काम सिखाएगा।

बम्बई के केन्द्रों में दो अनुसन्धान-विभाग भी खोले जाएंगे, जहां लकड़ी के खिलौने और गुड़ियां बनायी जाएंगी। बंगलौर में मैसूर सरकार के एक कारखाने में मिट्टी के अनुसंधान और प्रयोग के लिए मंडल को ३००० रु० की मंजूरी दी गई है।

औद्योगिक गवेषणा

कपड़े की सलवटें रोकने का मसाला

यूरिया फार्मेलडीहाइड तथा मैलमीन-फार्मेलडीहाइड रेजनों का कपड़े के उपचारण या तैयारी में बहुत उपयोग किया जाता है। इससे कपड़ा सिकुड़ता नहीं और उसमें सलवटें नहीं पड़तीं। इन रेजनों को जल में घोलकर प्रयोग किया जाता है और इस घोल में उत्प्रेरक मिलाये जाते हैं। इन उत्प्रेरकों में कुछ दोष होते हैं। इनसे कपड़े में रखने पर कुछ समय बाद बदबू आने लग जाती है। ये उत्प्रेरक मंहगे भी होते हैं और आसानी से मिलते भी नहीं।

दिल्ली की श्रीराम इंस्टीट्यूट में सस्ते उत्प्रेरक निकाले गये हैं। ये हल्के रंग के चूर्ण या लेई के रूप में होते हैं। ये गरम पानी में घुल जाते हैं। यह घोल काफी देर तक टिकते हैं।

इन उत्प्रेरकों के उपयोग से रेजनों की किसी प्रकार की हानि नहीं होती और इनका घोल २०० घण्टे तक स्थायी रहता है। कपड़ों पर एक समान चमक आती है और सूती कपड़ों की मजबूती में बहुत थोड़ी ही कमी होती है। इनसे उपचारित कपड़े अधिक मुलायम होते हैं। ये उत्प्रेरक सस्ते में बन जाते हैं और इनके निर्माण के लिये आवश्यक कच्चे पदार्थ आसानी से मिल जाते हैं।

जो व्यक्ति इन उत्प्रेरकों के निर्माण में रुचि रखते हों, वे और अधिक जानकारी के लिये निम्नलिखित अधिकारी को लिखें। सेक्रेटरी, नेशनल रिसर्च डिवेलपमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया, मन्डी हाउस, लिटेन रोड, नयी दिल्ली-१।

कीड़ा मारने की नई दवा

हैदराबाद की रीजनल रिसर्च लैबोरेटरी में सस्ते और स्वदेशी कच्चे पदार्थों से एक नयी और अधिक विषैली कीटनाशी औषधि—क्लोरीनीकृत तारपीन का तेल—बनायी गयी है (भारतीय पेटेंट नं० ५२३३८)। इस पदार्थ को बनाने का सामान, क्लोरीन तथा तारपीन का तेल, भारत में बहुतायत में उपलब्ध है।

क्लोरीनीकृत तारपीन का तेल एक गाढ़ा सा द्रव होता है। इसको मिट्टी के तेल में घोलकर, जल में मिलाने की लेई तथा चूर्ण के रूप में बदला जा सकता है। जल में डालने से यह दूधिया घोल बनाता है।

क्लोरीनीकृत तारपीन के तेल का मक्खियों और मच्छरों पर परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि प्रति वर्ग फुट स्थान पर इसके ५० मिलीग्राम छिड़कने से, पहले दो हफ्तों में ८० प्रतिशत और अगले

दो हफ्तों में ७५ प्रतिशत तक जीव नष्ट हो गये। जल पर प्रतिवर्ग फुट २५ मिलीग्राम तेल के छिड़कने से २४ घण्टे में सारे के सारे मच्छरों के डिंभ (लार्वे) नष्ट हो गये। इससे झींगर भी मर जाते हैं।

क्लोरीनीकृत तारपीन के तेल को छिड़कने से खत्ती में रखे अनाज को लगने वाले कीड़े भी २४ घण्टे के बाद ७५—१०० प्रतिशत तक मरे देखे गये।

ऐसे मिश्रण का जिसमें ५ प्रतिशत क्लोरीनीकृत तारपीन का तेल, ३ प्रतिशत पाइन का तेल और ०.००१ प्रतिशत पाईरेथ्रम और बाकी मिट्टी का तेल है, इसका मक्खियों, मच्छरों, झींगरों, खटमलों, पिस्सुओं, गोबरैलों, जूं, मवेशियों की जूं और दीमक पर परीक्षण किया गया है और यह देखा गया है कि इससे सब प्रकार के जीव अचेत होकर मर जाते हैं।

मलेरिया इन्स्टीट्यूट आफ इण्डिया, दिल्ली के डायरेक्टर महोदय ने लिखा है कि समान अवस्थाओं में क्लोरीनीकृत तारपीन का तेल और डी० डी० टी० एक जैसा काम देते हैं।

जो व्यक्ति इस कीटनाशी औषधि को बनाना चाहें, वे और अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित अधिकारी को लिखें : 'सेक्रेटरी, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया, मण्डी हाउस, लिटन रोड, नयी दिल्ली'।

गीला पिसा हुआ अभ्रक

कलकत्ते की केन्द्रीय काच तथा मिट्टी गवेषणाशाला (सेंट्रल ग्लास एण्ड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीच्यूट) ने बिहार, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश में अभ्रक की खानों के पास बड़ी मात्रा में पाये जाने वाले अभ्रक के कचरे को उपयोगी बनाने के लिये अभ्रक की गीली पिसाई की एक विधि निकाली है। इससे बने चूरे में अभ्रक की प्राकृतिक चमक कायम रहती है और यह विदेशी अभ्रक के टक्कर का होता है।

गीला पिसा हुआ अभ्रक दीवारों पर चिपकाने वाले कागजों, रंग-रोगनों, रबड़ और अन्य उद्योगों के लिये आवश्यक पदार्थ है। भारत में अभी गीले पिसे अभ्रक का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है। क्योंकि विदेशों से इसकी बहुत थोड़ी मात्रा आ रही है और यह बहुत मंहगा है।

भारत के रंग-रोगन, तथा रबड़ के उद्योग ने इस अभ्रक के चूरे का परीक्षण किया है और इसको उपयोगी पाया है। इस माल की खपत विदेशी मण्डियों में भी हो सकती है। एक हजार टन प्रति वर्ष माल बनाने के लिये इस उद्योग में लगभग साढ़े तीन लाख रु० की पूंजी की आवश्यकता होगी। जो व्यक्ति इस उद्योग की स्थापना करना चाहें, वे और अधिक जानकारी के लिये निम्नलिखित अधिकारी को लिखें : सेक्रेटरी, नेशनल रिसर्च डिवेलपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया, मन्डी हाउस, लिटेन रोड, नयी दिल्ली-१।

आमों की डिब्बाबन्दी

डिब्बा बन्द आमों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने की विधि का पता लगाने के लिए कलकत्ते के इंजीनियरी और टैक्नालाजी कालेज में अनुसंधान किये गये हैं। हिमसागर, फजली और लंगड़ा किस्म के आमों पर प्रयोग करने के बाद, हिमसागर आम को डिब्बे बन्दी के लिए सबसे उपयुक्त पाया गया। छः महीने तक बन्द रहने पर भी इसका रंग और स्वाद करीब-करीब ज्यों का त्यों बना रहता है। बित[illegible] आम हो, उससे आधा चीनी का शर्बत डाल देने से आम काफी दि[illegible] तक ताजा बना रहता है।

लंगड़ा आम के बारे में यह रहा कि उसका रंग तो ज्यों का[illegible] बना रहा, किन्तु स्वाद में फर्क आ गया। इसका स्वाद कायम रखने [illegible] लिए ३५ प्रतिशत चीनी और थोड़ा साइट्रिक एसिड डाल दि[illegible] जाता है।

फजली आम डिब्बा बन्दी के लिए उपयुक्त नहीं है, फिर भी [illegible] सुरक्षित रखने की विधि निकाली गयी है।

इन प्रयोगों के लिए भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धा[illegible] परिषद ने आर्थिक सहायता दी थी।

फल-संरक्षण उद्योग की उन्नति के लिए भारत सरकार काफी सम[illegible] से प्रयत्नशील है। सरकार ने फल और शाक पैदा करने वाले क्षेत्रों जैसे पंजाब की कुल्लू घाटी, बंगाल के पहाड़ी इलाकों और दक्षिण में कुर्ग और मैसूर के कुछ भागों में फलों को डिब्बों में बन्द करने के केन्द्र खोलने के लिए २० लाख रु० की व्यवस्था की है।

कपड़ा रंगने में मेंहदी का प्रयोग

सौन्दर्य-प्रसाधन के रूप में मेंहदी का प्रयोग सदियों से होता आ रहा है। दिल्ली पालीटेक्निक कालेज में खोज की गयी है कि कपड़ा रंगने में भी मेंहदी का प्रयोग किया जा सकता है। मेंहदी से जो रंग तैयार किया जाता है, वह काफी गहरा होता है और आसानी से नहीं छूटता। इसके अलावा, इससे रंगाई में किफायत भी काफी होती है। सिर्फ एक आने की मेंहदी से काफी रंग तैयार किया जा सकता है।

रंग बनाने के लिए मेंहदी की पत्तियों को पीस कर पानी में भिगोया जाता है और फिर उसे कपड़े से छान लिया जाता है। तत्पश्चात्, उसमें एसेटिक एसिड का कुछ घोल डालकर उबाल लिया जाता है। इस विधि से कई तरह के रंग तैयार किये जा सकते हैं।

भिंडी की रोगमुक्त किस्में

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के वनस्पति विभाग ने हाल में भिंडी की कुछ ऐसी किस्में निकाली हैं, जिन पर किसी भी बीमारी का असर नहीं होता। भिंडी के पौधों को अक्सर एक विषैला रोग लग जाता है, जिससे फसल बरबाद हो जाती है। किन्तु जो नयी किस्में निकाली गयी हैं, उन पर इस बीमारी का कोई असर नहीं होता। नयी किस्म के बीजों की अन्तिम रूप से जांच की जा रही है। आशा है कि १९५९ की फसल तक उत्पादकों को नयी किस्म के कुछ बीज दिए जा सकेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था भिंडी के पौधों को बीमारी से बचाने के काफी प्रयत्न करने के बाद, इस नतीजे पर पहुंची कि भिंडी की रोगमुक्त किस्में निकालना ही सबसे उत्तम तरीका होगा। फलस्वरूप भिंडी की बहुत सी किस्मों की आजमाइश की गयी। अन्त में पाया गया कि पश्चिम बंगाल की एक किस्म की भिंडी को अन्य कुछ किस्मों की भिंडियों के साथ मिलाकर उगाने से जो भिंडी होगी, उस पर बीमारी का असर नहीं होगा।

मछली के तेल से चमड़ा साफ करने का पदार्थ

मद्रास की केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था ने पोंगम और सार्डिन मछली के तेल से चमड़ा साफ करने का पदार्थ (फैट लिकर) तैयार करने की नयी विधि निकाली है। चमड़े को नरम और लचीला बनाने तथा उसे चमकाने के लिए यह पदार्थ काम आता है।

नये ढंग से तैयार किए गए इस पदार्थ की जांच की जा चुकी है और यह उपयोगी साबित हुआ है।

भारत को हर साल २०० से ३०० टन तक अर्थात् ५० लाख रु० के मूल्य के फैट लिकर की जरूरत पड़ती है। दूसरी आयोजना में चमड़ा-उद्योग के विस्तार के कारण जरूरत और बढ़ेगी। नयी विधि से तैयार करने से जरूरत भर को फैट लिकर यहीं तैयार हो सकता है।

गर्मी रोकने वाली ईंटें बनाने का कारखाना

पिछले दिनों भीलवाड़ा (राजस्थान) के एक कारखाने में अभ्रक की ऐसी ईंटें बननी शुरू हो गयी हैं, जो गर्मी को रोकती हैं। इन ईंटों को बनाने की विधि 'सेंट्रल ग्लास एण्ड सिरेमिक रिसर्च इंस्टिट्यूट' ने निकाली है। इसी ने भीलवाड़ा के कारखाने में मशीन लगाने में सहायता की है। उद्योगों में काम आने वाली भट्ठी तैयार करने में ये ईंटें काम में लायी जाती हैं। अभ्रक के छोटे-छोटे बेकार टुकड़ों से ये ईंटें बनायी जाती हैं। इस समय कारखाने में हर रोज ३,००० ईंटें बनायी जा रही हैं। इस साल के अन्त तक ६,००० ईंटें रोज बनायी जाने लगेंगी।

भारत में प्रतिवर्ष २० लाख रु० की ऐसी ईंटों की जरूरत पड़ती है। अब तक ये ईंटें विदेशों से मंगानी पड़ती थीं। देश में ही यह उद्योग चालू हो जाने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

मछलियों से पुष्टिकारक खाद्य

मद्रास राज्य में मन्दपम की केन्द्रीय जहाजरानी अनुसंधानशाला ने फालतू मछलियों का चूरा करके उसे पुष्टिकारक खाद्य बनाने का तरीका निकाला है

अनेक बार मछुवे जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़ लेते हैं, जो बेकार जाती हैं। इन्हीं बेकार मछलियों का उपयोग करने के लिए अनुसंधानशाला ने खोज की। प्रयोग के लिए सबसे पहले शार्क मछली ली गयी। इसमें यूरिया काफी मात्रा में पाया जाता है। खोज से पता चला कि किण्वन (फर्मेन्टेशन) से और खटाद न बढ़ने देने से मछली का सारा यूरिया नष्ट हो जाता है। उसके बाद उसका चूरा बनाया जा सकता है, जो काफी पुष्टिकारक होता है। इस तरीके पर खर्च भी अधिक नहीं होता। लगभग १०० पौंड मछली पर २५ नए पैसे खर्च बैठता है।

अनुसंधानशाला में गवेषकों ने इस काम के लिये एक मशीन भी बनायी है। इसका मूल्य ५०० रु० से अधिक नहीं होगा। इसे मछुवे या मछुवों की सहकारी संस्थायें आसानी से खरीद सकेंगी।

गन्ना जल्दी बोने का तरीका

लखनऊ की भारतीय गन्ना अनुसंधानशाला ने एक ऐसा उपकरण निकाला है, जो एक समय में तीन पंक्तियों में गन्ना बो सकता है। इसमें थोड़ा बहुत हेरफेर करके यह किसी भी बड़े ट्रैक्टर पर लगाया जा सकता है। खेतों में इसके प्रयोग से काफी समय और श्रम की बचत होगी।

इस उपकरण का मुख्य भाग पीछे की ओर लगा हुआ एक डंडा है, जिसके साथ मेड़ बनाने वाले ३ फाल लगे होते हैं। इन फालों के ऊपर लकड़ी की तीन सीटें होती हैं और सीटों के पीछे नालियां लगी होती हैं, जिनकी नोकें फालद्वारा बनाये गए कूँडों तक पहुँचती हैं, ताकि उन नालियों के रास्ते कूँडों तक गन्ने की पोरियां जा सकें। सीटों के बीच में लकड़ी के डिब्बे होते हैं, जिनमें गन्ने की पोरियां रखी जाती हैं। इनके साथ कूँडों में डालने के लिए खाद के तीन डिब्बे भी लगे होते हैं। बड़े डंडे के पीछे लकड़ी का पाटा लगा होता है, जो पोरियों के गड़ जाने के बाद जमीन को समतल करता जाता है।

इस नए उपकरण का प्रयोग करने से मजदूरों की संख्या में कमी की जा सकती है। साथ ही गन्ने बोने का काम तेजी से होता है। इससे खर्च की काफी बचत होगी। प्रयोग करके देखा गया है कि ट्रैक्टर की रफ्तार को दो मील प्रति घंटा रखकर इस उपकरण से ८ घंटे में ६ एकड़ जमीन में गन्ना बोया जा सकता है।

लकड़ी की कटन-छीलन से दृढ़ तख्ते

अब यह जरूरी नहीं है कि लकड़ी के बुरादे या प्लाईवुड की कटन-छीलन केवल जलाने के ही काम लाई जाए, अब उसका और भी अच्छा उपयोग हो सकता है। देहरादून की वन अनुसंधानशाला ने खोज करके पता लगाया है कि उनसे दृढ़ तख्ते बनाये जा सकते हैं।

ये दृढ़ तख्ते नरम या सख्त लकड़ी के बुरादे या कटन से बन सकते हैं और हर पैमाने पर बनाए जा सकते हैं। जहां लकड़ी चीरने की मशीनें या प्लाईवुड के कारखाने हैं, वहां इस प्रकार के तख्ते बनाने का तरीका अपनाया जा सकता है, क्योंकि वहां लकड़ी का बुरादा और कटन-छीलन काफी मात्रा में बेकार पड़ी रहती है।

ये तख्ते दृढ़, मजबूत और एक रंग के होते है। इच्छानुसार उन पर कोई भी रंग, वार्निश या पालिश की जा सकती है। ये चौखटे, दीवार, छत, अलमारी, दरवाजे और फर्नीचर बनाने में काम लाए जा सकते हैं। ये अन्य विधि से बनाए गए दृढ़ तख्तों (हार्ड बोर्ड) के मुकाबले के होते हैं।

अलुमुनियम पर पालिश करने का सस्ता तरीका

जमशेदपुर की राष्ट्रीय धातुविज्ञान प्रयोगशाला ने रसायन की मदद से अलुमुनियम पर पालिश करने का नया तरीका निकाला है।

मशीन से अलुमुनियम पर पालिश करने का तरीका सबसे सरल और सस्ता है, परन्तु इस तरीके से किसी बर्तन के अन्दर तक पालिश नहीं की जा सकती। साथ ही धातु पर अधिक चमक भी नहीं आती। बिजली की मदद से पालिश करने से धातु पर चमक तो काफी आ जाती है, परन्तु खर्च बहुत अधिक बैठता है। अब रसायन से पालिश करने का जो नया तरीका निकाला गया है, वह बहुत सरल है, उससे चमक भी खूब आती है और सस्ता भी बैठता है। इसलिए इस तरीके को सभी अपना सकते हैं।

वैज्ञानिक तरीके से खाल उतारने की ट्रेनिंग

भारत सरकार ने वैज्ञानिक ढंग से पशुओं की खाल उतारने और उसे साफ करने की ट्रेनिंग देने तथा मरे पशुओं के चमड़े का उपयोग सिखाने के लिए दिल्ली में केन्द्र खोलने की योजना मंजूर कर ली है। यह केन्द्र यहां की 'हाइड्स एण्ड स्किन इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसायटी' में खोला जायगा, जिसे सरकार १० हजार रु० अनुदान देती है।

फिलहाल वर्ष में २०-२० आदमियों को तीन बार में ट्रेनिंग दी जायगी और हरेक को ४५ रु० महीना वजीफा मिलेगा। इसके अलावा इस केन्द्र में गोसदनों के प्रबन्धकों को मरे पशुओं की खाल से आर्थिक लाभ उठाने के तरीके समझाने के लिए वर्ष में एक महीने का पुनरभ्यास पाठ्यक्रम चलाया जायगा।

गोसदनों में पशुओं की खाल उतारने का तथा इसी तरह का अन्य काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें उनकी राज्य सरकारों ने नामजद किया है, ट्रेनिंग में शामिल किया जायगा। खाद्य और कृषि संगठन के विशेषज्ञ, श्री एफ० एच० होक की देख रेख में ट्रेनिंग दी जायगी।

मानक समाचार

दुग्ध चूर्ण

आजकल दुग्ध चूर्ण दो तरीकों से बनाया जाता है। एक को 'रालर ड्राइंग प्रासेस' कहते हैं और दूसरे को "स्प्रे ड्राइंग प्रासेस"।

'रालर ड्राइंग प्रासेस' में दूध को एक वायुरहित (वैक्यूम) कड़ाह में से बहुत पतली धार से धातु के बेलनों पर छोड़ा जाता है। ये बेलन अन्दर से बहुत गर्म रखे जाते हैं और धीरे-धीरे घूमते हैं। दूध की पतली सी धार इन पर फैल कर गर्मी से सूख कर जम जाती है। सूखे हुए दूध को खुरच लिया जाता है और इसे कूट कर छान लिया जाता है।

'स्प्रे ड्राइंग प्रासेस' में गाढ़े किये हुए (कंडैंस्ड) दूध को एक बड़े पात्र में पिचकारी से बौछार छोड़ी जाती है। दूसरी ओर से इस पात्र में गर्म हवा छोड़ी जाती है। गर्म हवा से बौछार सूख जाती है और दूध, चूर्ण के रूप में, पात्र में नीचे जमा हो जाता है।

पहले तरीके से जो चूर्ण तैयार होता है वह पानी में अच्छी तरह नहीं घुलता।

मानक में यह निश्चित कर दिया गया है कि बेलनों के जरिये बनाये जाने वाले दुग्ध चूर्ण में ८५ प्र० श० और पात्र में सुखाकर बनाये जाने वाले में ९८.५ प्र० श० अंश घुलने वाला होना चाहिये।

चित्रकारों के ब्रश

भारतीय मानक संस्था ने चित्रकारों के काम आने वाले ब्रशों का मानक (संख्या ११०३ —१९५७) प्रकाशित किया है। मानक में ब्रशों की जरूरी बातें और जांच के तरीके निर्धारित किये गये हैं।

चित्र बनाने के काम आने वाले ब्रश कुछ साधारण, परन्तु जरूरी, हिदायतों की उपेक्षा के कारण कम चलते हैं। मानक निर्धारित करने वाली समिति ने यह इच्छा व्यक्त की है कि ब्रश बनाने वाले ब्रशों के साथ उनके इस्तेमाल के विषय में जरूरी हिदायतें भी दिया करें।

यह मानक ब्रशों के लिए निर्धारित अन्य मानकों में से एक है। इसमें ब्रश बनाने के काम आने वाले बालों के वजन, ब्रश के आकार-प्रकार, कारीगरी आदि के विषय में जरूरी बातें दी गई हैं।

धातुओं में लगने वाले जंग को रोकना

भारतीय मानक संस्था ने एक ऐसे पदार्थ का मानक (आई० एस० : ११५३—१९५७) प्रकाशित किया है, जिसे किसी धातु में लगा देने से

उस धातु को, कुछ समय के लिए, जंग लगने तथा अन्य तरह से खराब होने से बचाया जा सकता है। इस प्रकार धातु को एक जगह से दूसरी जगह भेजने और थोड़े समय के लिए उसे रखने में उसके खराब होने का डर नहीं रहता।

मानक में इस पदार्थ को बनाने की विधि और इसे जांचने की कसौटी दी गयी है।

दरवाजे तथा खिड़कियां

भारतीय मानक संस्था ने घरों तथा कार्यालयों के दरवाजों तथा खिड़कियों के लिए एक मानक (आई० एस० ११०३—१९५७) प्रकाशित किया है। इसमें यह बताया गया है कि दरवाजे तथा खिड़कियों के बनाने में किस तरह की लकड़ी लगायी जाए; उनकी बनावट कैसी हो तथा वे किस नाप की हों। मानक में कारखानों, गराजों आदि के दरवाजे तथा खिड़कियों का उल्लेख नहीं है।

यदि दरवाजे तथा खिड़कियां लोगों के घरों तथा कार्यालयों के निर्माण के समय मौके ही पर न बनकर, कारखानों में विशेषज्ञों की देखरेख में बनने लगें, तो लकड़ी का अच्छी तरह चुनाव किया जा सकता है, जोड़ों को मिलाने के काम की निगरानी हो सकती है और इस प्रकार अच्छे दरवाजे तथा खिड़कियां तैयार की जा सकती हैं।

सागौन की कमी को देखते हुए आशा है कि दरवाजे तथा खिड़कियां बनाने में अन्य इमारती लकड़ियों का उपयोग किया जाएगा। विशेष जरूरत पड़ने पर ही सागौन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

हल्के इमारती इस्पात

भारतीय मानक संस्था ने हल्के इमारती इस्पात का मानक (आई एस : ९६१-१९५७) प्रकाशित किया है। इस्पात के इस्तेमाल में किफायत लाने के लिए संस्था पहले भी कई मानक प्रकाशित कर चुकी है।

इमारती काम में जहां ऐसे इस्पात की जरूरत होती है, जो हल्का किन्तु मजबूत हो और वातावरण का जिस पर असर न हो, वहां इस्पात में कार्बन आदि कई वस्तुएं मिलाकर एक खास किस्म का इस्पात तैयार किया जाता है।

मानक में बताया गया है कि इस खास किस्म के इस्पात से बने सरिये, चद्दरों तथा अन्य सामान में क्या गुण होने जरूरी हैं। यह इस्पात सामान्य इमारती इस्पातों के मुकाबले अधिक दबाव सह सकता है।

मोटर साइकिलों की बैटरियां

भारतीय मानक संस्था ने मोटर साइकिलों की बैटरियों का मानक प्रकाशित किया है।

मानक में बैटरियों का आकार-प्रकार, बनाने की विधि और बिजली से उन्हें जांचने की कसौटी दी गयी है। यह भी बताया गया है कि देश की जलवायु को देखते हुए इनमें क्या-क्या गुण होने जरूरी हैं।

मानक में दो तरह की बैटरियों के नमूने दिए गये हैं। दोनों ही किस्मों की बैटरियों में समान गुण हैं। दो किस्में निर्धारित करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि सैनिक और असैनिक लोग अलग-अलग तरह की बैटरियां इस्तेमाल करते हैं।

चीनी भरने की बोरियां

भारतीय मानक संस्था ने चीनी भरने के काम आने वाली पाट की बोरियों के आकार-प्रकार के मानक का विवरण तैयार करके संबद्ध व्यक्तियों की राय जानने के लिये भेजा है।

चीनी की खास आकार-प्रकार की और मजबूत बोरियों की आवश्यकता काफी दिनों से अनुभव की जा रही थी। अब, जब से भारत चीनी का निर्यात करने लगा है तब से तो इसकी जरूरत और बढ़ गई थी। चीनी की बोरियां काफी उठाई-पटकी जाती हैं, इसलिए ये बहुत मजबूत होनी चाहिएं।

इनके मानक के मसविदे में 'ए-ट्विल' की बोरियों के बनाने की विधि के अलावा इनको मजबूती की परीक्षा आदि के भी तरीके बताए गए हैं।

बिजली के पेडस्टल पंखे

इधर कुछ सालों में पेडस्टल पंखों का रिवाज काफी बढ़ गया है, इसलिए इनका आकार-प्रकार निश्चित करना जरूरी हो गया है।

पंखों के इस्तेमाल और बनाने की सहूलियत देखते हुए केवल दो ही प्रकार के पंखे सुझाये गये हैं। घूमने और न घूमने वाले पंखों के अलावा निश्चित और घटायी-बढ़ायी जाने वाली ऊंचाई के पंखों को भी मानक में स्थान दिया गया है। मानक आम इस्तेमाल के पंखों के बारे में हैं। इसमें 'स्वर-सर्कुलेटरों' को नहीं लिया गया है।

पंखों के रेगुलेटरों के बारे में भी जानकारी दी गयी है। रेगुलेटरों के जालीदार और बंद, दोनों प्रकार के खोलों को मान लिया गया है, पर इस बारे में अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। दोनों में से कौनसा खोल अच्छा रहता है, इस बारे में लोग अपनी राय दे सकते हैं।

वाणिज्य-व्यवसाय

खेल-सामान निर्यात-वृद्धि परिषद

भारतीय खेल के सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए बनायी गई परिषद का उद्घाटन गत ४ जुलाई, १९५८ को नयी दिल्ली में हुआ। भारतीय माल को विदेशों में खपाने के लिए सरकार ने जो ११ परिषद बनायी हैं, यह परिषद उन्हीं में से एक है। ये परिषदें विदेशों में व्यापार-स्थिति का अध्ययन करती हैं, विदेशों में शिष्टमण्डल भेजती हैं, देश के निर्माताओं और निर्यातकों को जरूरी जानकारी देती हैं और माल की किस्म और पैकिंग सुधारने में मदद देती हैं।

भारत में खेलों का सामान बनाने का उद्योग पहले छोटे रूप में शुरू किया गया। आजकल ३०० कारखाने खेलों का सब तरह का सामान बनाते हैं, और करीब १० हजार आदमी इनमें काम कर रहे हैं। ये कारखाने अन्दाजन १॥ करोड़ रु० की कीमत का सामान बनाते हैं, जिसमें से लगभग एक-चौथाई निर्यात किया जाता है।

खेल-सामान निर्यात-वृद्धि परिषद की रजिस्टरी पिछले साल की गयी थी। परिषद, खेल के सामान के निर्यात के बारे में जरूरी जानकारी प्रकाशित करने वाली है। उसने निर्यातकों और निर्माताओं से कहा है कि १९५७ के शुरू से अब तक उन्होंने जो निर्यात किया है, उसकी जानकारी भेजें। परिषद ने निर्यातकों और निर्माताओं को कच्चे माल के आयात-लाइसेंस दिलाने में भी सहायता दी है।

परिषद ने, खेल के सामान के भारतीय निर्माताओं और निर्यातकों तथा विदेशी आयातकों की निर्देशिका तैयार करने का काम भी हाथ में लिया है। निर्यातकों की रजिस्टरी भी शुरू की गयी है।

व्यापार और उद्योग मन्त्री का भाषण

खेल-कूद के सामान की निर्यात प्रोत्साहन परिषद का उद्घाटन करते हुए व्यापार और उद्योग मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि विदेशी मुद्रा की समस्या ने भारत को एक बड़ी कठिन चुनौती दी है, जिसे हल करने के लिये भारत सरकार, व्यापारी समुदाय को और देश के नागरिकों को अपने सभी साधन और शक्ति काम में लानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उद्योग को अपना निर्यात व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि विदेशी मुद्रा की केवल करोड़ों रुपयों में ही नहीं बल्कि लाखों और हजारों रु० में भी आवश्यकता है। इसलिये प्रत्येक उद्योग को अपनी शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिये।

खेल-कूद के सामान के उद्योग का उल्लेख करते हुए श्री शास्त्री ने कहा कि विलो और शहतूत की लकड़ी के अभाव के कारण इस उद्योग को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिये उन्होंने कहा कि प्रारम्भ में कश्मीर की सरकार से यह अनुरोध किया जा सकता है कि वह एक साल के लिये इस संबंध में आवश्यक सुविधा प्रदान करे जिससे कि इस बीच में यह पता लगाया जा सके कि और कौनसी लकड़ी इस उद्योग के काम में लाई जा सकती है। उद्योग मंत्री ने शहतूत के पेड़ को बड़े पैमाने पर लगाने के लिये भी खाद्य एवं कृषि मंत्रालय से अनुरोध करने का एक सुझाव दिया। उन्होंने यह भी सुझाया कि इस सम्बन्ध में अनुसंधान करने चाहिये कि और कौन-कौन सी लकड़ियां खेल-कूद के सामान को तैयार करने के लिये उपयोगी हो सकती हैं।

डाक-पार्सल द्वारा खेल कूद का सामान भेजने में खर्च अधिक पड़ने के कारण उद्योग को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसे स्वीकार करते हुए श्री शास्त्री ने कहा कि वे इस बात की जांच करेंगे कि डाक-पार्सल की दरों में इस उद्योग के लिये कहां तक कमी की जा सकती है।

निर्यात के संबंध में रिआयत

श्री शास्त्री ने बताया कि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार एक ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसके अनुसार निर्यात-व्यापार द्वारा अर्जित की हुई विदेशी मुद्रा का उपयोग किसी हद तक प्रत्येक उद्योग अपने लिये आवश्यक कच्चे माल के आयात के लिये कर सकेगा। खेल-कूद के सामान के उद्योग के लिये आवश्यक ऋण की व्यवस्था के लिये सरकार एक ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसके अनुसार प्रत्येक उत्पादक को कुछ शर्तों के अन्तर्गत १,००० से लेकर ५,००० रु० तक का ऋण दिया जा सकेगा। श्री शास्त्री ने कहा कि परिषद को चाहिये कि वह राज्यों की इस सहायता योजना के सम्बन्ध में छोटे-छोटे उत्पादकों को सूचित कर दे और आवश्यक हो तो ऋण प्राप्त करने में उनकी सहायता करे।

इस सुझाव के सम्बन्ध में कि नायलोन की तांत पर आयात-कर नहीं लगना चाहिये श्री शास्त्री ने कहा कि यदि उद्योग की ओर से ये आश्वासन दिया जा सके कि इस प्रकार आयात किया हुआ माल केवल निर्यात किये जाने वाले माल को तैयार करने के काम में लाया जायगा तो कर को उठाना संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि परिषद को इस सम्बन्ध में विस्तार से विचार करके सिफ़ारिशें करनी चाहियें।

विदेशी मुद्रा की कठिनाई

विदेशी मुद्रा की कठिनाई को हल करने के सम्बन्ध में श्री शास्त्री ने कहा कि हम अस्थायी रूप से चाहे कोई भी उपाय काम में लायें अन्त में हमें अपने भरोसे पर ही खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने यह स्वीकार किया कि निर्यात व्यापार को एकाएक बढ़ाया नहीं जा सकता। परन्तु

यदि हमें अपनी विकास योजनाओं में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अपने निर्यात को बढ़ाने के लिये तत्काल जोरदार प्रयत्न आरम्भ करने पड़ेंगे और हमें ऐसी चीजों का भी निर्यात करना पड़ सकता है जिनकी देश में ही खपत के लिये आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में उन चीजों की कमी पड़ने से कुछ कठिनाइयां भी लोगों के सामने उपस्थित हो सकती हैं। श्री शास्त्री ने इस बात पर विशेष बल दिया कि विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिये ऐसा हो सकता है कि हमें किसी माल को देश के भीतर अधिक दामों में बेचना पड़े और विदेशों में उसकी कीमत कम रखनी पड़े। इस प्रकार की स्थिति सामने आने पर हमें विचलित नहीं होना चाहिये। क्योंकि यह स्पष्ट है कि ऐसा किये बिना हम अपना निर्यात व्यापार बढ़ा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि जापान और कितने ही यूरोपीय देशों ने ऐसा ही करके अपना निर्यात व्यापार बढ़ाया है। यह ठीक है कि अपना व्यापार बढ़ाने के बाद उन्होंने ऐसे उपाय किये हैं जिससे उनकी अर्थ-व्यवस्था को कोई आघात नहीं पहुँचा है।

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, श्री शास्त्री ने कहा, उसे कितने ही निर्यात करों में छूट देने से राजस्व की हानि हो सकती है। ऐसे भी उपाय करने पड़ेंगे जिससे कि माल के परिवहन और दूसरे छोटे-मोटे खर्चे कम करके निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके। श्री शास्त्री ने कहा कि यह स्पष्ट है कि यदि हम अपने निर्यात व्यापार को शीघ्रता से बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत से उत्पादनों को आन्तरिक बाजार के बजाय विदेशी बाजारों के लिये तैयार करना पड़ेगा। इसलिये हमें इस बात के लिये तैयार रहना चाहिये कि हम अपनी आवश्यकताओं में समय के अनुसार परिवर्तन कर लें। उन्होंने कहा कि जनता के इसी तरह के सहयोग के द्वारा ही सरकारी प्रयत्न सफल हो सकते हैं।

व्यापारियों से अनुरोध

किसी माल के निर्यात की सम्भावना होने पर या उसके निर्यात के लिये कोटा निश्चित होने पर प्रायः उसका दाम बढ़ने लगता है। इस परिस्थिति की ओर संकेत करते हुए उन्होंने व्यापारियों से अनुरोध किया कि वे माल को संचित करके उसकी नकली कमी पैदा न करें और इस प्रकार उसकी कीमत न बढ़ावें। श्री शास्त्री ने कहा कि जबसे कुछ चीजों के निर्यात के लिये कोटा निश्चित किया गया है तब से इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जा रही है। श्री शास्त्री ने कहा कि यदि व्यापारी वर्ग इस प्रकार माल को संचित करके नकली कमी पैदा करता रहा तो अंत में उस पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जनता इस बात से अधिक क्षुभित नहीं होती कि चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, बल्कि उसे इस बात से रोष और परेशानी होती है कि कुछ थोड़े से लोग जनता की कठिनाइयों से लाभ उठाकर अनुचित फायदा उठाते हैं। श्री शास्त्री ने कहा कि सरकार ऐसी स्थिति को देर तक सहन नहीं करेगी।

मुद्रा विनिमय की कमी को दूर करने के लिये छोटे-बड़े सभी उद्योगों से जोरदार अपील करते हुए श्री शास्त्री ने कहा कि यह समझना बिलकुल गलत है कि केवल बड़े उद्योग ही सहायता कर सकते हैं। इसी दृष्टि से उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में खेल कूद के सामान के उद्योग द्वारा किये जाने वाले प्रयत्नों का भी वे पूरी तरह स्वागत करते हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि इस उद्योग को अपना निर्यात २५ लाख रु० वार्षिक से बढ़ाकर कम से कम ५० लाख रु० वार्षिक कर देना चाहिये। इसके लिये उन्होंने कहा कि हमें अपने माल की किस्म में सुधार करना चाहिये। नीची कक्षा के माल को बाहर भेजने से निर्यात व्यापार को बड़ा धक्का लगता है और जब एक बार साख जाती रहती है तो व्यापार को एक स्थायी क्षति हो जाती है। इसलिये श्री शास्त्री ने माल के किस्म की ओर विशेष ध्यान देने के लिए अनुरोध किया।

कम्पनी कानून के अंतर्गत क्षेत्रीय संचालकों को अधिकार

भारत सरकार ने कम्पनी कानून प्रशासन विभाग के बंबई, कलकत्ता, कानपुर और मद्रास स्थित चार क्षेत्रीय संचालकों को कम्पनी कानून १९५६ के अन्तर्गत कुछ और अधिकार देने का निश्चय किया है।

जो अधिकार दिए गये हैं, वे ये हैं—कम्पनी का नाम बदलने की स्वीकृति देना, कम्पनी के व्यवस्थापकों द्वारा समय पर वार्षिक बैठक न करा सकने पर उक्त बैठक को बुलाना, जिस कम्पनी में लेखा परीक्षक न नियुक्त हो, वहां उसकी नियुक्ति और रजिस्ट्रार को कुछ विशेष स्थितियों में कम्पनी बन्द कराने के लिये अदालत में दरख्वास्त देने का अधिकार देना। ये अधिकार कम्पनी अधिनियम की धारा २१, १६७, २२४ (३), (४) और (८) (ए) और धारा ४३९ (५) की दूसरी उपधारा के अनुसार हैं।

अन्य अधिकार ये दिए गए हैं :—

कम्पनी के हिस्सेदारों अथवा ऋणदाताओं की सभा बुलाने के लिये लिक्विडेटर को ६ मास तक का अधिक समय देना;

कम्पनी के लिक्विडेशन खाते से दावेदारों को ५०० रु० तक की रकम देने की स्वीकृति;

रजिस्ट्रार के पास दाखिल कागजपत्रों तथा कम्पनी की नियमावली को देखने की इजाजत देना;

जिन कम्पनियों में गड़बड़ी की आशंका हो, उनके कागज पत्र तलब कराने और देखने की आज्ञा के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करना;

ये अधिकार धारा ४६६, ५०८, ५५५ (७) (बी), ६१० और ६२७ के अनुसार हैं।

५ जुलाई, १९५८ के बाद उपरोक्त धाराओं से सम्बन्धित विषयों में कम्पनी या अन्य लोगों को, जिस राज्य में उनका रजिस्टर्ड कार्यालय

हो, उस राज्य के कम्पनियों के रजिस्ट्रार की मार्फत वहां के क्षेत्रीय संचालक से दरख्वास्त करनी चाहिये।

मार्च १६५८ में भारत का विदेशी व्यापार

वाणिज्य, सूचना तथा अंक विभाग ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है। उसके अनुसार मार्च, १६५८ में निजी और सरकारी रूप में जल, स्थल और हवाई मार्ग से भारत के विदेशी व्यापार के कच्चे आंकड़े निम्नलिखित हैं।

व्यापारी माल :—इसमें भारत से होकर पाकिस्तान तथा अन्य देशों—नेपाल, तिब्बत, सिक्किम और भूटान को आने-जाने वाला माल शामिल नहीं है। निर्यात ४६ करोड़ २६ लाख रु०, पुनर्निर्यात ४७ लाख रु०, आयात ७० करोड़ ५६ लाख रु०, कुल व्यापार १ अरब १७ करोड़ २६ लाख रु०।

कोष :—नोटों का निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) ३० लाख रु०, सोना—नगण्य, चालू सिक्के (सोने के सिक्कों के अलावा) नगण्य, नोटों का आयात २ करोड़ ६६ लाख रु०, सोने का आयात ४ लाख रु०, चालू सिक्कों का आयात (सोने के सिक्कों के अलावा) ४० हजार रु०।

व्यापार-तुला :—आयात के उक्त आंकड़ों में वह सरकारी सामान शामिल नहीं है, जिसका हिसाब होना बाकी है। इसे ध्यान में रखकर यदि आयात-निर्यात की तुलना की जाय तो व्यापारी माल और सोने का कुल निर्यात (जिसमें पुनर्निर्यात भी शामिल है) आयात से २३ करोड़ ८७ लाख रु० कम रहा।

कांदला में आयात-निर्यात कार्यालय

भारत सरकार ने, कांदला में एक नया व्यापार नियन्त्रण कार्यालय खोलने का निश्चय किया है। यह कार्यालय बम्बई के संयुक्त मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक के अधीन होगा और इसका प्रधान, एक सहायक निदेशक होगा।

कार्यालय के प्रधान का क्षेत्राधिकार बम्बई राज्य के कच्छ जिले पर होगा। अब कच्छ निवासियों को आयात लाइसेंसों की अर्जियां इसी अधिकारी के पास भेजी जा रही हैं। कांदला और इस क्षेत्र के अन्य बंदरगाहों से निर्यात के लाइसेंसों की अर्जियां भी, अब राजकोट के इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड कन्ट्रोलर के बजाय, एसिस्टेंट कंट्रोलर आफ इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट, कांदला के पास भेजी जानी चाहियें।

भारत अफगानिस्तान व्यापार-करार

अफगानिस्तान और भारत के बीच जो व्यापार करार हुआ था, उसकी अवधि एक साल के लिए और बढ़ा दी गयी है। १० जुलाई १६५८ को काबुल में दोनों देशों के व्यापार प्रतिनिधियों ने इस आशय के करार पर हस्ताक्षर किये।

दोनों देशों के प्रतिनिधिमण्डलों ने इस बात पर अपनी सहमति प्रकट की कि दोनों देशों की सरकारें अपनी आयात-निर्यात और विदेशी मुद्रा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपसी व्यापार को और बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। साथ ही, दोनों देशों के सम्बन्धित अधिकारी भी अपने-अपने देश के माल के आयात-निर्यात के लिए सुविधाएं देने का प्रबन्ध करेंगे।

भारत-रूमानिया व्यापार-करार

भारत और रूमानिया के बीच मार्च, १६५४ में जो व्यापार-करार हुआ था, उसमें संशोधन करने के सम्बन्ध में दोनों सरकारों में अभी बातचीत नहीं हुई है। इसलिए पिछले करार से सम्बद्ध अनुसूचियों की अवधि तीन महीने अर्थात् ३० सितम्बर, १६५८ तक के लिए बढ़ा दी गयी है।

१६५४ के करार के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार काफी बढ़ा है। १६५७ में भारत ने रूमानिया को ५४ लाख ६० हजार रु० का माल भेजा, जबकि १६५६ में ८ लाख रु० का और १६५५ में २ लाख रु० का भेजा था। १६५७ में भारत ने वहां से ५२ लाख ३० हजार रु० का माल मंगाया, जबकि १६५६ में २४ लाख रु० का और १६५५ में ३५ लाख रु० का मंगाया था।

भारत-फिनलैंड व्यापार-करार

भारत और फिनलैण्ड का व्यापार-करार ३१ दिसम्बर, १६५८ तक बढ़ा दिया गया। यह करार पहले-पहल १२ जनवरी, १६५१ को हुआ था, तब से समय-समय पर इसकी अवधि बढ़ती रही है। व्यापार-करार की अवधि बढ़ाने के साथ-साथ इसकी अनुसूचियों की अवधि भी ३१ दिसम्बर, १६५८ तक बढ़ा दी गयी है तथा इनमें कुछ और वस्तुओं के नाम जोड़ दिये गये हैं।

भारत से फिनलैण्ड को जाने वाली चीजों में तम्बाकू, खाल और चमड़ा, काजू, मसाला, जूट का सामान, चाय, कहवा, लाख, नारियल की जटा, वनस्पति तेल, दस्तकारी और लघु उद्योगों की चीजें, सूती कपड़ा, कोयला, कच्चा लोहा आदि हैं।

फिनलैण्ड से भारत को ये चीजें आती हैं:—लकड़ी की लुगदी, अखबारी कागज, और किस्म का कागज और उससे बनी चीजें, गत्ता, स्टेशनरी, घरेलू और चीनी मिट्टी का सामान, लकड़ी काटने, सड़क बनाने और प्लाइवुड बनाने के काम आने वाली मशीनें आदि।

वित्त

बिजली-करघों के कपड़ों का उत्पादन-शुल्क

भारत सरकार ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है, जिसमें सूती कपड़ा तैयार करने वाले करघों पर लगने वाले शुल्क की दरें निश्चित की गयी हैं। इसके अनुसार प्रतिकरघा पर प्रतिपाली मासिक शुल्क की दरें निम्नलिखित होंगी :—

	यदि सभी बिजली-करघे या तो केवल दरमियानी या मोटे किस्म का कपड़ा तैयार करते हैं	यदि एक से अधिक बिजली-करघे बहुत महीन कपड़ा तैयार करते हैं
	रुपये	रुपये
१. जहां कम से कम १०० और अधिक से अधिक ३०० बिजली-करघे हैं	४०.००	९०.००
२. जहां कम से कम ५० और अधिक से अधिक १०० बिजली करघे हैं	३५.००	८०.००
३. जहां कम से कम २४ और अधिक से अधिक ५० बिजली-करघे हैं	३०.००	६०.००
४. जहां कम से कम ६ और अधिक से अधिक २४ बिजली-करघे हैं	२५.००	३५.००
५. जहां कम से कम ४ और अधिक से अधिक ६ बिजली-करघे हैं	२०.००	२५.००
६. जहां अधिक से अधिक ४ बिजली-करघे हैं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

जहां उत्पादक या उसकी ओर से कम से कम चार और अधिक से अधिक ६ करघे लगाये गये हैं, वहां पहले ४ बिजली-करघों पर शुल्क नहीं लगेगा।

जहां कम से कम ६ हथकरघे और अधिक से अधिक २४ बिजली-करघे लगाये गये हैं, वहां शुल्क की दरें इस प्रकार होंगी :—

(क) पहले ४ करघों पर शुल्क नहीं लगेगा।

(ख) अगले ५ करघों पर उत्पादन-शुल्क इस प्रकार लिया जाएगा : यदि करघे दरमियानी या मोटे किस्म का कपड़ा तैयार कर रहे हैं तो उन पर प्रतिकरघा, प्रतिपाली और प्रतिमास २० रु० उत्पादन-शुल्क लगेगा और यदि करघे बहुत महीन या महीन कपड़ा तैयार करते हैं तो उन पर प्रतिकरघा, प्रतिपाली, और प्रतिमास २५ रु० उत्पादन-शुल्क लगेगा।

उत्पादन-शुल्क की वापसी

कुछ वस्तुएं ऐसी सामग्री से बनती हैं, जिन पर उत्पादन-शुल्क लगता है और निर्यात के समय उक्त शुल्क की वापसी का दावा किया जा सकता है। भारत सरकार ने निश्चय किया है कि मोटर कार पोंछने के सूती फलालेन के झाड़न भी इस श्रेणी में शामिल किये जाएंगे। इस समय जिन वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क की वापसी की जा रही है, वे हैं : बने बनाये कपड़े, तम्बू, चीनी से बने पदार्थ, सूती थैले, छतरी का कपड़ा, चद्दरें, तकिए के गिलाफ, मेजपोश, कशीदे की चीजें, लेस, मोमजामे, मच्छरदानियां, चांदनियां और सूती सोला टोप।

सूती फलालेन के मोटर कार के झाड़न बनाने वाले जो निर्माता उपरोक्त तरीके से अपना माल विदेशों में भेजना चाहते हैं, उन्हें जिस क्षेत्र में उनका कारखाना है, उसके सैंट्रल एक्साइज कलक्टर से मिलकर जरूरी जानकारी ले लेनी चाहिए।

उपहार-कर में रियायत

वित्त मन्त्रालय ने (राजस्व विभाग) एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है, जिसमें बताया गया है कि यदि १० हजार रु० या उससे अधिक मूल्य का उपहार देने वाला उपहार-कर का पहले भुगतान कर दे तो उसे उपहार-कर अधिनियम १९५८ में रियायत देने की व्यवस्था है। यह छूट तभी दी जायेगी जब उपहार देने के पन्द्रह दिन के अन्दर कर का भुगतान कर दिया जाय।

कर के अग्रिम भुगतान की दर इस प्रकार है : ५०,००० रु० के उपहार के मूल्य पर ४ प्रतिशत के हिसाब से; ५०,००० से लेकर २,००,००० रु० के उपहार के मूल्य पर ८ प्रतिशत के हिसाब से और इससे अधिक मूल्य के उपहार पर १५ प्रतिशत के हिसाब से।

अगर यह कर पेशगी दिया जायेगा तो उपहार कर लगाने के समय दिये गये कर की रकम तो उपहार के मूल्य में से कम कर ही दी जायेगी, इसके अलावा दस प्रतिशत और कम करके बाकी रकम पर उपहार कर लगाया जायेगा। जिन लोगों ने १० हजार रु० से अधिक मूल्य का उपहार दिया है और वे उस पर छूट चाहते हैं उन्हें चाहिए कि निकट के आय

कर अधिकारी से चालान प्राप्त कर लें तथा पास के किसी खजाने में पेशगी रकम जमा कर दें।

छोटी बचत द्वारा प्राप्त राशि

पिछले साल में छोटी बचत द्वारा जमा की गयी रकम का ब्योरा इस प्रकार है :—

वर्ष	रुपया
१९५१ ५२	३७ करोड़ ५७ लाख
१९५२ ५३	३६ करोड़ ७६ लाख
१९५३-५४	३६ करोड़ ६६ लाख
१९५४ ५५	५५ करोड़ ५१ लाख
१९५५-५६	६७ करोड़ ९१ लाख
१९५६-५७	६१ करोड़ ५४ लाख
१९५७ ५८	लगभग ६८ करोड़ १२ लाख

पहली पचवर्षीय आयोजना में छोटी बचत योजना द्वारा २ अरब २५ करोड़ रुपये जमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, किन्तु उस अवधि में २ अरब ४१ करोड़ से अधिक रुपया जमा हुआ। दूसरी आयोजना के लिए ५ अरब रु० का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और पहले दो वर्षों में लगभग १ अरब ३० करोड़ रुपया जमा हो चुका है।

पिछले साल छोटी बचत द्वारा बम्बई में १४,९१,६१,००० रु० जमा हुआ, जो सबसे अधिक था। इसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश में ८,६२,७८,००० रु०, पश्चिम बंगाल में ७,३२,२६,००० रु०, मद्रास में ६,६७,३०,००० रु० जमा हुए।

३ करोड़ ४४ लाख रु० के नये सिक्के

१९५८-५९ में ३ करोड़ ४४ लाख रु० के नये सिक्के ढाले जाएंगे और जारी किए जाएंगे।

अब तक काफी नये सिक्के ढाले जा चुके हैं और पुराने सिक्कों के स्थान पर उन्हें जारी भी किया जा चुका है। मार्च, १९५८ के अन्त तक २ करोड़ ५६ लाख रु० के नये सिक्के जारी किये गये। इनमें से ३८ लाख ६६ हजार रु० के १ नये पैसे के, ३५ लाख ७० हजार रु० के २ नये पैसे के, ६१ लाख २१ हजार रु० के ५ नये पैसे के और १ करोड़ २० लाख २६ हजार रु० के १० नये पैसे के सिक्के हैं।

१ अप्रैल १९५७ से फरवरी १९५८ के अन्त तक, २ करोड़ १० लाख रु० के पुराने सिक्के वापस लिये जा चुके हैं।

श्रम

मई, १९५८ में रोजगार की स्थिति

कामदिलाऊ दफ्तरों की मार्फत, मई १९५८ में २०,५३० लोगों को काम मिला, जबकि उससे पिछले महीने १९,७३६ लोगों को काम मिला था। उत्तरप्रदेश, मद्रास, केरल, बम्बई, और दिल्ली में कामदिलाऊ दफ्तरों की मार्फत अधिक लोगों को नौकरियां दिलायी गयीं, हालांकि पंजाब, प० बंगाल, राजस्थान, मध्यप्रदेश में कम लोगों को काम दिलाया गया।

मई में कामदिलाऊ दफ्तर की मार्फत जितने लोगों को काम मिला, उनमें से ५,२१२ को केन्द्रीय सरकार के दफ्तरों में, १०,६५३ लोगों को राज्य सरकारों के दफ्तरों में, और २,३३५ लोगों को अर्ध-सरकारी तथा स्थानीय दफ्तरों में नौकरी दिलायी गयी। इसके अलावा, बाकी लोगों को निजी मालिकों के यहां नौकरी दिलायी गयी। अप्रैल में ६,३६४ कार्यालयों या मालिकों ने काम दिलाऊ दफ्तर से नौकरी के लिए उम्मीदवार मांगे थे। किन्तु यह संख्या इस महीने में बढ़कर ७,०६८ हो गयी है। इस महीने इस दफ्तर में २५,९२६ स्थानों के रिक्त होने की सूचना दी गयी, जबकि पिछले महीने यह संख्या १६,३१८ थी।

मई में अपना नाम दर्ज कराने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। इस महीने १,७८,८४२ व्यक्तियों ने अपना नाम दर्ज करवाया, जो कि पिछले महीने की संख्या से २०,१३० अधिक है। मई के अन्त में कामदिलाऊ दफ्तरों में ९,६३,३४५ काम चाहने वालों के नाम दर्ज थे, जबकि पिछले महीने इससे २७,०८२ कम लोगों के नाम दर्ज थे।

मालिक-मजदूरों के झगड़े

अप्रैल, १९५८ में पिछले महीने की अपेक्षा, मालिक-मजदूरों के झगड़ों से ३,२८,००८ जन-दिनों की कम हानि हुई। अप्रैल में विवाद की अवधि औसतन ८.४ दिन रही, जबकि मार्च में यह अवधि ६.६ दिन थी। अप्रैल में ११२ नए औद्योगिक विवाद हुए। इस प्रकार इस महीने में नए और पुराने विवादों की कुल संख्या एक समय में अधिक से अधिक १५३ रही। इनमें २७ मामले तालेबन्दी के

सम्बन्ध में थे। अप्रल में १२२ मामलों का निपटारा हो गया। इनमें ७६ झगड़े ५ दिन से अधिक नहीं चले। केवल १० झगड़े ३० दिन से अधिक चले।

वाणिज्य-उद्योगों में इस महीने जन दिनों की हानि चढ़कर ८,०८० और विविध उद्योग-समूह में, १३,६०० हो गयी। अन्य उद्योगों में जन-दिनों की हानि कम हुई। इस महीने सब से अधिक समय की हानि पश्चिम बंगाल में (१६६६२१) हुई। इसके बाद क्रमशः बम्बई (११२८६४), मध्यप्रदेश (६३४०५) और बिहार (६२३६०) का आता है। इस प्रकार,पिछले महीने से इस महीने बम्बई,मध्यप्रदेश,बिहार उत्तरप्रदेश, केरल, त्रिपुरा, राजस्थान में औद्योगिक विवादों के कारण अधिक समय की हानि हुई। बाकी अन्य राज्यों में हानि कम रही।

तैयार चीजें बनाने वाले औद्योगों में औद्योगिक झगड़ों का सूचक अंक (१९५१ को आधार=१०० मानकर) अप्रैल में १२८ रहा, जो पिछले महीने ११३ रहा।

खाद्य और खेती

जमीन का कटना रोकने के यत्न

केन्द्रीय सरकार, जमीन को कटने से बचाने की चार प्रकार की योजनाओं के लिए अनुदान और कर्ज दे रही है। पहले प्रकार की योजनाएं इंजीनियरी के कामों की हैं। दूसरी, पेड़ लगाने की, तीसरी, जांच-पड़ताल, अनुसधान और कर्मचारियों को काम सिखाने की और चौथी, भूमि की रक्षा के उपाय व्यावहारिक रूप से दिखाने की है।

इन योजनाओं का उद्देश्य जमीन और पानी का सदुपयोग करके उपज बढ़ाना है।

योजनाओं के प्रकार

पहले प्रकार की योजनाओं में भूमि की मेढ़ बांधने या सीढ़ियां बनाने, नालियों को रोकने, खारों को या पहाड़ियों के ढालों को चौरस करने आदि की योजनाएं हैं। नदियों के किनारों को मजबूत करने, फालतू पानी निकालने के लिये घास लगी हुई नालियां बनाने आदि के काम भी इन्हीं योजनाओं में शामिल हैं।

इसी प्रकार बांध या तालाब बनाने से भी भूमि की रक्षा होगी और साथ ही सिंचाई भी हो सकेगी।

दूसरी प्रकार की योजनाओं में बांधों के क्षेत्र में पेड़ लगाने तथा जंगल में आग न लगने देने के उपाय करने के काम शामिल हैं। इसी प्रकार कटी हुई जमीन को चरागाह की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें जलाने की लकड़ी उगायी जा सकती है। ऐसी जमीन को जोतकर उसमें बीज और खाद डालने तथा स्थान बदल-बदल कर पशु चराने से भी लाभ होता है। इस प्रकार की योजनाओं में घास में बीज और पौधे वगैरह बांटने की भी व्यवस्था है।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, तीसरे प्रकार की योजनाओं में कटी हुई भूमि की जांच-पड़ताल और इसकी रक्षा के उपाय निकालना तथा इस काम के लिए कर्मचारी तैयार करना आदि बातें शामिल हैं।

अन्तिम श्रेणी में भूमि की रक्षा के सब तरह के काम आते हैं। एक एक योजना के अन्तर्गत २ हजार से ५ हजार एकड़ तक क्षेत्र आयेगा। इसी के अन्तर्गत लोगों को भूमि की रक्षा की तरकीब और लाभ बताए जाएंगे।

कितनी सहायता

किस योजना के लिए केन्द्रीय सरकार कितनी सहायता दे, यह काम को देखकर तय किया जाता है। केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के भूमि-रक्षा मण्डल ने इसके कुछ नियम भी बनाये हैं। उदाहरणार्थ, आम तौर से योजना के कुल खर्च के २५ प्रतिशत के बराबर सहायता दी जाती है। इसमें से मण्डल १२॥ प्रतिशत देता है। इसकी शर्त यह है कि सम्बद्ध राज्य को भी बाकी १२॥ प्रतिशत अपनी ओर से देना चाहिए।

पेड़ लगाने की योजनाओं के लिए ५० प्रतिशत तक सहायता दी जाती है। यह सहायता प्रति एकड़ ३५ रु० से ५५ रु० तक के हिसाब से दी जाती है।

स्थानीय समस्याओं के बारे में अनुसन्धान, पड़ताल और काम सिखाने के लिए भी राज्य सरकार को सहायता दी जाती है। आदिम जातीय क्षेत्रों में मण्डल ७५ प्रतिशत तक धन अपनी ओर से खर्च करता है। भूमि-रक्षा के उपाय सिखाने और खास तौर से बांध आदि के क्षेत्र में जमीन की रक्षा के कामों का पूरा खर्च केन्द्र ही उठाता है। राज्यों की सरकारों को किसी योजना का सारा खर्च भी दिया जा सकता है। राज्य सरकारें यह धन सूद समेत १५ साल में लौटा सकती हैं।

बढ़िया बीज के फार्म

देश में जल्दी से जल्दी बढ़िया बीज के फार्म बनाने के लिए भारत सरकार जो सहायता देती थी उसे ५०० रु० प्रति एकड़ से बढ़ाकर १,५०० रु० प्रति एकड़ कर दिया गया है। यह सहायता

राज्य सरकारों को बीज फार्मों के लिए जमीन खरीदने के लिए दी जाती है। जमीन की कीमतें बहुत बढ़ जाने के कारण राज्य सरकारों को फार्म के लिये जमीन मिलने में कठिनाई हो रही थी।

वर्तमान योजना के अनुसार देश में बढ़िया बीज पैदा करने के ४,३२८ फार्म बनाये जायेंगे। १९५६-५७ और १९५७-५८ में १,४३७ यानी ३३ प्रतिशत फार्म बनाये जा चुके हैं। चालू वर्ष का लक्ष्य १,५८७ बीज फार्म बनाने का है। इनमें से १,५६५ राज्यों में और २२ केन्द्र शासित प्रदेशों में होंगे। हर फार्म के पास अपना बीज गोदाम होगा, जिससे किसानों को बीज दिये जायेंगे।

१९५८-५९ में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को कुल ४ करोड़ ३८ लाख रु० देगी जिसमें से २ करोड़ रु० कर्ज और २ करोड़ ३८ लाख रु० सहायता होगी। पिछले साल केन्द्र ने ३ करोड़ ६५ लाख ६६ हजार रु० दिया था जिसमें से १ करोड़ ४८ लाख ५४ हजार रु० कर्ज और २ करोड़ १७ लाख १२ हजार रु० सहायता थी।

तम्बाकू की खेती के रकबे में वृद्धि

इस साल ९,०६,००० एकड़ जमीन में तम्बाकू की खेती की गयी, जबकि १९५६-५७ में ८,७६,००० एकड़ जमीन में की गयी थी। इस प्रकार इस साल ३०,००० एकड़ अर्थात् ३.४ प्रतिशत अधिक जमीन में तम्बाकू का खेती की गयी। यह जानकारी खाद्य और कृषि मन्त्रालय के अर्थ तथा अंक निदेशालय ने तम्बाकू के अखिल भारतीय दूसरे प्राक्कलन में दी है।

खेती में वृद्धि मुख्यत बिहार, बम्बई और मैसूर राज्यों में हुई और फसल बोते समय मौसम भी अनुकूल था। यह जानकारी फरवरी १९५८ के अन्त तक की है। उस समय तक फसल सन्तोषजनक थी।

कपास की खेती और उपज में वृद्धि

१९५७-५८ में कपास की खेती में पिछले साल की अपेक्षा १.३ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ६५ हजार एकड़ तथा उपज में ०.४ प्रतिशत अर्थात् १८ हजार गाठ की वृद्धि हुई है।

खाद्य और कृषि मंत्रालय के अर्थ और अंक निदेशालय से प्राप्त सूचना में बताया गया है कि १९५७-५८ के अन्तिम भारतीय प्राक्कलन में कपास की खेती का क्षेत्रफल २,०१,५८,००० एकड़ आंका गया है, जबकि पिछले साल १,९८,९३,००० एकड़ आंका गया था। इसी प्रकार कपास की उपज ४७,५३,००० गाठें (प्रत्येक गाठ=३९२ पौंड) आंकी गयी है, जबकि १९५६-५७ में ४७,३५,००० गाठ आंकी गयी थी।

क्षेत्रफल में वृद्धि मुख्यतः बम्बई, पंजाब और मध्य प्रदेश में हुई। वहां फसल बोते समय मौसम अच्छा था। मैसूर और आंध्र प्रदेश में क्षेत्रफल में कमी हुई। उपज में वृद्धि मुख्यत राजस्थान, मद्रास और पंजाब में हुई। मध्य प्रदेश और बम्बई में उपज में गिरावट आई। १९५७-५८ में बिनौले की उपज १६ लाख ६४ हजार टन रही, जबकि १९५६-५७ में १६ लाख ५७ हजार टन थी। इस प्रकार बिनौले की उपज में भी ०.४ प्रतिशत अर्थात् ७ हजार टन की वृद्धि हुई।

कपास की खेती के क्षेत्रफल में सबसे अधिक वृद्धि पंजाब में हुई। वहां १९५७-५८ में १९ लाख ८२ हजार एकड़ जमीन में कपास बोई गयी, जबकि १९५६-५७ में १४ लाख १५ हजार एकड़ में बोयी गयी थी। १९५७-५८ में बम्बई में १ करोड़ ९ लाख ८८ हजार एकड़ में और मध्य प्रदेश में १९ लाख ८२ हजार एकड़ में कपास की खेती की गयी, जबकि पिछले साल क्रमश १ करोड़ ८ लाख ३३ हजार एकड़ और १८ लाख ९८ हजार एकड़ में खेती की गयी थी। आंध्र प्रदेश और मैसूर में खेती के क्षेत्रफल में कमी आई। वहां १९५७-५८ में क्रमश ९ लाख ३६ हजार एकड़ और २६ लाख ८४ हजार एकड़ जमीन में खेती की गयी, जबकि १९५६-५७ में क्रमश १० लाख १४ हजार एकड़ और २८ लाख ३ हजार एकड़ में खेती की गयी।

राजस्थान में कपास की उपज १९५७-५८ में २ लाख १५ हजार गाठ हुई, जबकि १९५६-५७ में १ लाख ६८ हजार गाठ हुई थी। पंजाब में ८ लाख २५ हजार गाठ, मद्रास में ३ लाख ९२ हजार गाठ और मैसूर में ५ लाख १२ हजार गाठ कपास पैदा हुई। १९५६-५७ में यह संख्याएं क्रमश ८ लाख, ३ लाख ५९ हजार और ४ लाख ५१ हजार थीं। मध्य प्रदेश में कपास की उपज १९५६-५७ के ५ लाख ९९ हजार गाठ से गिरकर ५ लाख ६४ हजार और बम्बई में २१ लाख ७६ हजार गाठ से गिर कर २१ लाख ३० हजार गाठ रह गयी।

दूसरी आयोजना में कपास की उपज का लक्ष्य ६५ लाख गाठ रखा गया है। आयोजना से पहले देश में ४० लाख गाठ कपास पैदा होती थी। तब से कपास की उपज बढ़ाने के लिए अनेक कदम किए गए हैं।

विविध

नाप-तोल की दशमिक प्रणाली

एक संवाददाता सम्मेलन में केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्री श्री नित्यानन्द कानूनगो ने नाप-तोल की दशमिक या मीटर प्रणाली के बारे में इस आशय का वक्तव्य दिया है :—

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना बनाते समय दशमिक प्रणाली की नाप-तोल चालू करने की ओर ध्यान दिया गया। आयोजन आयोग के एक अफसर ने इस विषय का गहरा अध्ययन किया और १९५५ में बड़ी सारगर्भित रिपोर्ट दी। इसी साल आयोजन आयोग ने देश भर में दशमिक सिक्के और मीटर प्रणाली के बाट और पैमाने शुरू करने की सिफारिश की। मीटर प्रणाली के पक्ष में सबसे बड़ी बात है इसकी सरलता और व्यापकता। संसार भर की करीब दो तिहाई आबादी इसी तरह के बाट और पैमानों से अपना काम चलाती है। केवल अमरीका, ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल के देश ही ऐसे बड़े देश हैं, जिनमें इस प्रणाली का चलन नहीं है। लेकिन वहां पर भी बहुत से समझदार लोग इसके पक्षपाती हैं।

आयोजन आयोग ने इस बारे में जो जांच पड़ताल कराई, उससे पता चलता है कि यह सुधार काफी महंगा बैठेगा, फिर भी इससे जो स्थायी लाभ होगा, उसको देखते हुए यह अधिक नहीं। सरकार ने आयोग की इस सिफारिश को मान लिया और बाद में लोकसभा में भी इस आशय का एक प्रस्ताव स्वीकार किया।

१९५५ में दशमिक सिक्कों के बारे में कानून बना और अप्रैल १९५७ से उस पर अमल शुरू हुआ। दशमिक सिक्के अब खूब चल रहे हैं और आशा है पुराने सिक्कों का चलन अगले दो सालों में बिलकुल बन्द हो जाएगा। सिक्कों के परिवर्तन में कोई खास कठिनाई नहीं आई और जनता भी इसके लाभ समझने लगी है।

मीटर प्रणाली की नाप-तोल का कानून

१९५६ में मीटर प्रणाली का कानून बनाया गया। कानून में वर्तमान बाटों, नपुओं और पैमानों की जगह लेने के लिए मीटर प्रणाली के बाट, नपुए और पैमाने आदि निश्चित कर दिए गए हैं। वर्तमान गज की जगह मीटर चलेगा, जो १.०९ गज के बराबर होगा। दूरी, किलोमीटर (१००० मीटर) में नापी जायगी, जो ०.६२ मील के बराबर होगा। इसी प्रकार क्षेत्रफल का नाप या तो हेक्टेअर (१०,००० वर्गमीटर) होगा, जो २.४७ एकड़ के बराबर होगा या एर (१०० वर्गमीटर) में जो ०.०२५ एकड़ के बराबर होगा।

पौंड और सेर की जगह २.२ पौंड या १.०७ सेर का 'किलोग्राम' इस्तेमाल होगा और मन की जगह २.६८मन का क्विंटल(१००किलोग्राम) चलेगा। तोले की जगह ग्राम (१/१००० किलोग्राम) और हीरे जवाहरात तोलने के लिए १/५ ग्राम या ०.०१७ तोले का कैरट चलेगा।

कानून में इस परिवर्तन की व्यापकता और कठिनाइयों का बराबर ख्याल रखा गया है और इसी कारण इसके लिये १० वर्ष की अवधि रखी गयी है। इस अवधि में नयी प्रणाली धीरे-धीरे चालू की जा सकती है। आरम्भ में कुछ चुने हुए क्षेत्रों में इसे चालू किया जाएगा और फिर धीरे-धीरे इसे अन्य क्षेत्रों में बढ़ाया जायगा। किसी क्षेत्र में नई प्रणाली चालू हो जाने के बाद भी ३ वर्ष तक पुरानी प्रणाली चालू रहने की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार नई प्रणाली धीरे-धीरे गलतियां सुधारते हुए चालू की जायगी।

यद्यपि इस अधिनियम पर राष्ट्रपति की स्वीकृति दिसम्बर १९५६ में ही मिल गयी, तो भी वह अभी तक अमल में नहीं आ सका है। इसे लागू करने से पहले बहुत सी तैयारी करने की आवश्यकता है।

१ अक्टूबर से चालू

राज्य सरकारों तथा अन्य सम्बद्ध लोगों से परामर्श करके इस वर्ष मीटर प्रणाली चालू करने का निश्चय किया गया है। १ जुलाई, १९५८ से इसे पाट उद्योग में चालू किया जा रहा है। व्यापार के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में और सरकारी विभागों तथा विकास उद्योगों में भी कुछ निश्चित कार्यों के लिये इसे १ अक्टूबर, १९५८ से चालू किया जा रहा है।

मीटर प्रणाली को अधिक विस्तृत क्षेत्र में चालू करने के लिए तीन सूचनाएं प्रकाशित की जा रही हैं। इनमें से पहली के द्वारा कुछ निर्धारित क्षेत्रों में मीटर प्रणाली के बाटों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। इन क्षेत्रों को राज्य सरकारों की सलाह से चुना गया है। कुछ राज्यों में पूरे जिले और कुछ में शहरी क्षेत्र चुने गए हैं। यह सूचना केवल उन व्यापारों के बारे में है, जिनमें तोल कर सौदा बेचा जाता है। उदाहरण के लिये कपड़े का खुदरा व्यापार, वर्तमान पैमाने अर्थात् गज से ही चलता रहेगा, यद्यपि दूसरी सूचना के अनुसार मिलों को अपने ग्राहकों के हाथ मीटर प्रणाली के पैमानों से नापकर कपड़ा बेचने की अनुमति होगी। मद्रास तथा केरल जैसे राज्यों में, जहां अनाज को नाप कर बेचा जाता है, वर्तमान पैमानों का प्रयोग जारी रहेगा। अन्य स्थानों पर व्यापारी अनाज को सेर के बदले किलोग्राम से तोल सकेंगे। पेट्रोल की खुदरा बिक्री गैलनों में ही होती रहेगी। जिन राज्यों में कानून द्वारा विनियमित बाजार स्थापित किये जा चुके हैं, उनमें भी, इस सूचना के अनुसार, मीटर प्रणाली का प्रयोग करने की अनुमति होगी।

दूसरी सूचना के दो भाग हैं, 'क' तथा 'ख'। तालिका 'क' का सरकारी विभागों और प्रतिष्ठानों से सम्बन्ध है। इंडियन एयरलाइन्स

तथा एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन द्वारा माल तथा असबाब बुक किए जाने में भी मीटर प्रणाली के बाटों तथा पैमानों का प्रयोग होगा। परन्तु ये कारपोरेशन हवाई दूरियों और चालों को लिखने में मीटर प्रणाली के पैमानों का प्रयोग नहीं करेंगे। ये अभी वर्तमान पैमानों में ही लिखे जाते रहेंगे, जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सगठन स्वीकार करता है। ये पैमाने सारे संसार में चलते हैं और हवाई परिवहन के आपरेटर उन देशों में भी इन्हीं का प्रयोग करते हैं, जहां मीटर प्रणाली चलती है। सरकारी विभाग तथा प्रतिष्ठान सामग्री खरीदने में भी मीटर प्रणाली का प्रयोग कर सकते हैं। इंडेंटों और टेंडरों में वस्तुओं के परिमाण तथा मूल्य मीटर प्रणाली के पैमानों में लिखे जाएंगे। भूमि तथा खानों के नये सर्वेक्षण भी मीटर के आधार पर किए जाएंगे। विभिन्न प्रकार के नक्शे तैयार करने के लिये नये पैमाने तैयार कर लिये गये हैं। वर्तमान नक्शों का प्रयोग होता रहेगा, परन्तु उन पर परिवर्तन तालिकाएं लिख दी जाएंगी। सरकारी विभागों द्वारा प्रविधिक, सांख्यिकी, वैज्ञानिक और बाजारों सम्बन्धी सामग्री का संकलन तथा प्रकाशन करने में भी मीटर प्रणाली के पैमाने काम में लाये जाएंगे।

बड़े उद्योग

सूचना के भाग 'ख' में बड़े उद्योगों का उल्लेख किया गया है। इन उद्योगों के कारखाने आदि को कच्चा माल खरीदने तथा उत्पादन की बिक्री करने में मीटर प्रणाली के बाट तथा पैमानों का प्रयोग करने की अनुमति होगी। वे यदि चाहेंगे तो उन्हें कच्चे माल की खरीद अथवा उत्पादन की बिक्री से सम्बद्ध सभी सौदों में मूल्यों और परिमाणों को मीट्रिक इकाइयों में लिखने की अनुमति होगी। नया परिवर्तन केवल उन सौदों के विषय में ही किया जाएगा, जो मिलों और उन्हें माल देने वालों तथा ग्राहकों के बीच होंगे। इन उद्योगों के उत्पादनों के खुदरा व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस सूचना के अन्तर्गत सूती कपड़ा, चीनी, लोहा तथा इस्पात, इंजीनियरी, भारी रसायनिक पदार्थ, सीमेंट, नमक, कागज, लुग्दी और गत्ता, तापसह ईंटों, कहवे, अलौह धातुओं और रबड़ के उद्योग आते हैं।

नयी दिल्ली में 'भारत १६५८' प्रदर्शनी

नयी दिल्ली में इस साल, अक्टूबर और नवम्बर में 'भारत १६५८' के नाम से अखिल भारतीय प्रदर्शनी होगी।

इस प्रदर्शनी का आयोजन वित्त और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं। इसमें देश के विभिन्न उद्योगों और विकास-कार्यों को दिखाया जाएगा, जिससे भारत में बने माल की बिक्री और निर्यात बढ़े।

अक्टूबर में यहां संयुक्त राष्ट्र संघ की तीन प्रमुख एजेन्सियों, पुनर्निर्माण तथा विकास की अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के वार्षिक सम्मेलन भी हो रहे हैं। ऐसे उपयुक्त समय में प्रदर्शनी करने से देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास के विश्वव्यापी प्रचार का अच्छा अवसर मिलेगा।

देश की आर्थिक प्रगति का व्यापक चित्र प्रस्तुत करना, भारत तथा अन्य देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों को बढ़ावा देना और उत्पादकों, व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के बीच सम्पर्क स्थापित करना ही इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है। साथ ही प्रदर्शनी के जरिये लोगों को भारत, और उसके उद्योग, व्यापार, कला तथा संस्कृति की झांकी मिलेगी। प्रदर्शनी में भारत सरकार के सभी सम्बन्धित मंत्रालय भाग ले रहे हैं। आशा है राज्य सरकारें भी इसमें शामिल होंगी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का प्रदर्शन निदेशालय इसका प्रबंध करेगा। यह प्रदर्शनी जो नयी दिल्ली में मथुरा रोड पर हो रही है, १ अक्टूबर, १६५८ से आरम्भ होगी और आशा है, नवम्बर के अन्त तक चलेगी।

जो व्यापारी प्रदर्शनी में भाग लेना चाहते हैं, वे स्थान के लिए १५ जून, १६५८ से पहले 'डाइरेक्टर आफ एग्जीबीशन्स, मिनिस्ट्री आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, उद्योग भवन, किंग एडवर्ड रोड, नयी दिल्ली-२, को लिखें।

थोक भावों का उतार-चढ़ाव

१६५७-५८ की समीक्षा

भारत में थोक भावों का आधिकारिक सूचक अंक (मार्च १६५३ को समाप्त होने वाले वर्ष को आधार=१०० मानकर) १६५६-५७ के पहले आठ माहों में बढ़कर बाद में गिरने लग गया था, किन्तु नये वर्ष के आते ही इसमें बढ़ाव शुरू हो गया। यह अगस्त १६५७ तक बढ़ता गया और उसके बाद इसमें बराबर गिरावट आई। अप्रैल १६५६ में थोक भावों का सूचक अंक १०० था। नवम्बर १६५६ में यह बढ़कर १०८.७ हो गया, किन्तु मार्च १६५७ में घटकर १०५.६ हो गया। फिर अगस्त १६५७ में यह बढ़कर ११२.० तक पहुंच गया और इस वर्ष के अन्त में घटकर पहले साल की ही तरह १०५.४ हो गया।

१६५७-५८ के वित्तीय वर्ष का सालाना औसत सूचक अंक १०८.४ आया। यह पहले वर्ष के सूचक अंक १०५.३ से २.६ प्रतिशत अधिक था। यह बढ़ोत्तरी अर्ध तैयार माल को छोड़कर बाकी सब में आई। सबसे अधिक सूचक अंक तम्बाकू का था, जो १२ प्रतिशत तक बढ़कर ६३ हो गया। ईंधन, बिजली और प्रकाश सामग्री का सूचक अंक ६ प्रतिशत बढ़कर ११३.६ हो गया। खाद्य सामग्री समूह का सूचक अंक ४ प्रतिशत बढ़कर १०६.४ हो गया। तैयार माल का २.४ प्रतिशत बढ़कर १०८.२ हो गया, जबकि औद्योगिक कच्चे माल का सूचक अंक

०.४ प्रतिशत के साधारण बढ़ाव से ११६.५ तक गया अर्ध-तैयार माल का सूचक अंक ३.२ प्रतिशत की गिरावट से १०७.३ हो गया।

खाद्य सामग्री समूह :—खाद्य सामग्री समूह का सूचक अंक अप्रैल, १९५६ में ९५.६ था, जो अगस्त १९५६ में बढ़कर १०५.० हो गया और मार्च १९५७ तक घटते-बढ़ते यह १०२.३ हो गया। समीक्षा के इस वर्ष में यह १०४.३ से बढ़कर अगस्त १९५७ में ११२.१ तक गया। फिर फरवरी १९५८ तक घट कर १००.८ हो गया और मार्च १९५८ में ठीक पहले साल के ही बराबर १०२.३ हो गया। १९५६-५७ का सालाना सूचक अंक १०२.३ था। १९५७-५८ में यह ४ प्रतिशत बढ़कर १०६.४ हो गया। यह बढ़ाव सभी उप-समूहों में हुआ। 'गुड़ और चीनी' की कीमतों में १० प्रतिशत का बढ़ाव हुआ और यह ९८ से बढ़कर १०८ हो गया। खाद्य सामग्री समूह और 'दूध तथा घी' में ५ प्रतिशत का बढ़ाव हुआ और ये क्रमशः १०१ और १०५ हो गये, जबकि २ प्रतिशत की वृद्धि से दालों का सूचक अंक ८३, 'फल और शाकों' का ११४ और 'अन्य पदार्थों' का १३१ तक गया। १ प्रतिशत के बढ़ाव से खाद्य तेलों का १२६, 'मछली, अण्डे, मांस' का ९८ हो गया। खाद्य सामग्री समूह का मासिक सूचक अंक अप्रैल में ८६ था, जो अगस्त १९५६ में बढ़कर ९९ हो गया, जो कि अगले आधे वर्ष तक करीब-करीब वही बना रहा। अगस्त १९५७ में यह बढ़कर १०६ हो गया और समीक्षा के वर्तमान वर्ष के अन्त में घटकर ९५ हो गया। चावल की कीमतों का सूचक अंक अप्रैल १९५६ में ९२ था, जो सितम्बर १९५६ में बढ़कर १०१ हो गया और मार्च १९५७ में यह ९७ हुआ। १९५७-५८ में, अगस्त १९५७ तक बढ़कर यह १११ हो गया, किन्तु मार्च १९५८ में घटकर १०० तक पहुँच गया। सालाना औसत सूचक अंक वर्तमान समीक्षा के वर्ष में १०५ रहा, जबकि पहले वर्ष यह ९६ था। गेहूँ की कीमतों का सूचक अंक अप्रैल १९५६ में ७९ था, जो फरवरी १९५७ में बढ़कर ९७ हो गया, किन्तु वर्तमान समीक्षा के वर्ष में मार्च १९५८ तक घटकर यह ८४ ही रह गया। गेहूँ का औसत सालाना सूचक अंक १९५७-५८ में ८८ था, जबकि १९५६-५७ में भी यह इतना ही रहा। रागी के औसत सूचक अंक में वर्तमान समीक्षा वर्ष में २० प्रतिशत का बढ़ाव हुआ और यह १०५ हो गया। मक्का का सूचक अंक ६ प्रतिशत बढ़कर ११२ हो गया। बाजरे का ३ प्रतिशत से बढ़कर १२६ हो गया- जबकि ज्वार और जौ का सूचक अंक क्रमशः [illegible] और ३ प्रतिशत के हिसाब से घटकर ११४ और ९५ हो गया। चने का सूचक अंक ४ प्रतिशत से घटकर ६८ हो गया और दालों में मूंग का सूचक अंक १३ प्रतिशत से बढ़कर ८५ और मसूर का ९ प्रतिशत से बढ़कर १०१ हो गया, जबकि उड़द का २ प्रतिशत से बढ़कर भी ९८ ही रहा। 'दाल अरहर' का सूचक अंक ४ प्रतिशत से घटकर ७८ हो गया। दूध और घी में हरेक का सूचक अंक ५ प्रतिशत से बढ़कर क्रमशः १०६ और ९९ हुआ। खाद्य तेलों में नारियल के तेल की कीमतों का सूचक अंक २९ प्रतिशत बढ़कर ११९, वनस्पति का सूचक अंक ८ प्रतिशत बढ़ कर ११४ और मूंगफली के तेल और तिल के तेल का सूचक अंक १ प्रतिशत बढ़कर क्रमशः १०५ और १२३ तक गया। सरसों के तेल की कीमतों के सूचक अंक में ७ प्रतिशत की गिरावट आई और यह १६४ हो गया। चीनी का सूचक अंक १९ प्रतिशत बढ़कर ११० और गुड़ का सूचक अंक ७ प्रतिशत बढ़कर १०७ हो गया। १९५७-५८ में चाय की कीमतों का औसत सूचक अंक १६४ था, जबकि गत वर्ष यह १६५ रहा। दूसरे खाद्य पदार्थों की कीमतों में गत वर्ष की अपेक्षा यह उतार-चढ़ाव हुए : काली मिर्च (—१६ प्रतिशत), हल्दी (—५० प्रतिशत), जीरा (+६५ प्रतिशत), लौंग (+२१ प्रतिशत), सुपारी (+१९ प्रतिशत), नमक (+१६ प्रतिशत) और कहवा (+६ प्रतिशत)।

तम्बाकू:—तम्बाकू की कीमतों का सूचक अंक, जो कि गत वर्ष के अंतिम समय में घटने लग गया था, समीक्षा के इस वर्ष के पहले ६ महीनों में बढ़ने लगा, किन्तु १९५७-५८ की आखिरी तिमाही में फिर घटाव पर आया। अप्रैल १९५७ में यह ८६ था, जबकि जुलाई में बढ़कर ९२ हो गया और अगस्त में इससे .२ घटकर दिसम्बर १९५७ में बढ़कर ९६ हो गया। मार्च १९५८ में इसका सूचक अंक ९३ रहा, जबकि गत वर्ष यह ८३ था।

ईंधन, बिजली और प्रकाश सामग्री:—गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष इस समूह के सभी पदार्थों का सूचक अंक बढ़ा हुआ था। वह इस प्रकार है:—पेट्रोल और मशीनी तेल (+११ प्रतिशत प्रत्येक), कोयला (+१० प्रतिशत), रेंडी का तेल और वायुयानों के काम आने वाला स्प्रिट (+६ प्रतिशत प्रत्येक), डीजल तेल (+७ प्रतिशत), बिजली (+६ प्रतिशत) और मिट्टी का तेल (+४ प्रतिशत)। गत वर्ष इस समूह का सालाना औसत सूचक अंक १०४.२ था, जबकि इस वर्ष यह बढ़कर ११३.६ हो गया।

औद्योगिक कच्चा माल:—समीक्षा के इस वर्ष में औद्योगिक कच्चे मालों की कीमतों का सूचक अंक अस्थिर रहा। अप्रैल १९५७ में यह ११६.७ था, जबकि जुलाई में १२१.६ हो गया। अगस्त में ज्यों-का-त्यों रहा और आगे के दो महीनों में घटकर ११४.८ हो गया, किन्तु नवम्बर १९५७ में ११६ तक बढ़ गया। इस वर्ष के अन्त तक इसमें गिरावट आने लगी और यह १११.३ हो गया। इस वर्ष का सालाना औसत सूचक अंक ११६.५ था, जबकि गत वर्ष यह ११६.० था। कपास की कीमतों का सूचक अंक जो कि गत वर्ष ११३ था इस वर्ष के पहले पांच महीनों में ११२ हो गया। फिर इसमें तेजी से उतार आने लगा, जबकि सितम्बर और अक्टूबर में यह घटकर ९७ हो गया। फिर, जनवरी १९५८ में यह बढ़कर १०५ हो गया और वर्ष के अन्त में यह १०३ पर स्थिर रहा। १९५७-५८ में कपास का सालाना औसत सूचक अंक १०६ था, जो कि पहले साल के औसत सूचक अंक १११ से ५

प्रतिशत कम था। १९५७-५८ में कच्चे जूट का सालाना औसत सूचक अंक १३३ था, जो गत वर्ष के औसत सूचक अंक १२६ से ६ प्रतिशत अधिक था। यह सूचक अंक अप्रैल १९५७ में १३२ था, जो जून १९५७ में बढ़कर १४६ हो गया। उसके बाद यह घटने लगा। मार्च १९५८ में यह १२० तक आ गया। मूंगफली का औसत सूचक अंक गत वर्ष से ३ प्रतिशत घटकर १०८.० हो गया। पहले के चार महीनों में इसमें कुछ बढ़ाव आया। अप्रैल में ११३ से बढ़कर जुलाई १९५७ में यह ११७ हो गया और जनवरी १९५८ में घटकर फिर १०१ हो गया। फिर २ से बढ़कर फरवरी और मार्च में १०३ पर स्थिर रहा। इस तरह समीक्षा के इस वर्ष में यह ६ प्रतिशत घटाव पर आया। राई की कीमतों में भी ११ प्रतिशत का घटाव आया, जबकि १९५७-५८ के वित्तीय वर्ष में इसका सालाना औसत सूचक अंक १५६ था। गत वर्ष इसका सूचक अंक १६२ रहा। इस तरह इस वर्ष २ प्रतिशत का घटाव रहा। गत वर्ष की अपेक्षा नारियल का सालाना औसत सूचक अंक २७ प्रतिशत बढ़कर ११७ हो गया।

औद्योगिक कच्चे माल के अन्तर्गत आने वाले दूसरे पदार्थों की कीमतों में यह उतार-चढ़ाव रहा—बिनौला (+६ प्रतिशत), रेंडी का बीज (+४ प्रतिशत), लकड़ी का सामान (+१ प्रतिशत), अलसी (—५ प्रतिशत) और तिल (—२ प्रतिशत)। गन्ने की कीमतें ज्यों-की-त्यों रहीं।

अर्ध तैयार माल:—अर्ध तैयार माल की कीमतों का सूचक अंक अप्रैल में १०८.३ था, जो मई १९५७ में बढ़कर १०९.३ हो गया। फिर दिसम्बर १९५७ में यह घटकर १०५.७ पर आया। कुछ अस्थिरताओं के रहते हुए वर्ष के अन्त में यह १०६.८ पर आया। गत वर्ष का सालाना औसत सूचक अंक ११०.६ था, जबकि इस वर्ष में ३.२ प्रतिशत घटकर यह १०७.३ हो गया। यह घटाव इन पदार्थों की कीमतों में कमी आने से हुआ:—सीसा (—१६ प्रतिशत), तांबा (—१३ प्रतिशत), नारियल का रेशा (—१० प्रतिशत), अलसी का तेल (—६ प्रतिशत), पीतल (—७ प्रतिशत), सूत (—५ प्रतिशत), जस्ता (—४ प्रतिशत), जर्मन सिलवर (—३ प्रतिशत)। चीनी मिट्टी की कीमतों में १७ प्रतिशत, रेयन का तागा १० प्रतिशत, अलूमुनियम और कच्चे लोहे में ६ प्रतिशत और टिन की कीमतों में १ प्रतिशत का बढ़ाव हुआ।

तैयार माल:—तैयार माल की कीमतों का औसत सूचक अंक १०५.६ से शुरू होकर जुलाई १९५७ में १०८.६ तक गया और समीक्षा के इस वर्ष के अन्त तक यह १०७.७ हो गया। सालाना औसत सूचक अंक १०८.२ था, जबकि गत वर्ष यह १०५.६ था। मिल के बने हुए कपड़े का सूचक अंक अप्रैल १९५७ में ११६ था, जो जुलाई १९५७ में बढ़कर १२१ हो गया और वर्ष के अन्त तक १२० पर स्थिर रहा। इस वर्ष का औसत सूचक अंक गत वर्ष की अपेक्षा १ प्रतिशत अधिक था। हथकरघे के वस्त्रों और बंडी, मोजे, बनियान आदि का सूचक अंक पहले वर्ष की अपेक्षा १ प्रतिशत घट गया। जूट के तैयार सामान का सूचक अंक अप्रैल में ९५ था, जो जून १९५७ में बढ़कर १०० हो गया और अगली तिमाही में साधारण सी हलचल के बावजूद अक्टूबर १९५७ को १०० हो गया। नवम्बर १९५७ में इसमें कुछ चढ़ाव-उतार आने लगा और मार्च १९५८ में यह घटकर ८६ तक पहुंच गया। १९५७-५८ का सालाना औसत सूचक अंक गत वर्ष की तरह ९५ ही रहा। रेशम और रेयन के तैयार माल की कीमतों का सालाना औसत सूचक अंक गत वर्ष की अपेक्षा २ प्रतिशत घटा। अन्य पदार्थों में उतार-चढ़ाव इस तरह हुए: दियासलाई और कोलतार के सामान में प्रत्येक की कीमतें २८ प्रतिशत तक बढ़ीं। सीमेंट की कीमत १७ प्रतिशत बढ़ी। रंगाई का सामान और उर्वरकों की कीमतें १२ प्रतिशत, कागज और अखबारी कागज की कीमतें ११ प्रतिशत और चूने की कीमतें १० प्रतिशत बढ़ीं। लोहे और इस्पात के सामान की कीमतें ६ प्रतिशत, ईंट और खपरैलों की कीमतें ८ प्रतिशत, खली की कीमतें ६ प्रतिशत, और मशीनों की कीमतें ३ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ गयीं, जबकि शराब की कीमत ६ प्रतिशत घट गयी। जड़ी-बूटी और दवाओं, साइकिल और रबड़ के टायर और ट्यूबों की कीमतें ज्यों की त्यों बनी रहीं।

यह सूचना भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार की एक विज्ञप्ति में दी गयी है।

थोक भावों के उतार-चढ़ाव

मई १९५८ की समीक्षा

भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार विभाग ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है, जिसमें मई में थोक भावों के उतार-चढ़ाव की समीक्षा दी गयी है। मई में थोक भावों का सूचक अंक (मार्च १९५३ को आधार=१०० मानकर) ०.१ प्रतिशत बढ़कर, १०८.२ हो गया है। पिछले महीने यह सूचक अंक १०८.३ था। किन्तु इस महीने का सूचक अंक, पिछले साल के इसी महीने के सूचक अंक १०९.० से ०.७ प्रतिशत कम है। आलोच्य महीने में खाद्यान्न का सूचक अंक १.०६ प्रतिशत बढ़कर १०७.२ ईंधन, बिजली, प्रकाश और तेल' का सूचक अंक ०.३ प्रतिशत बढ़ कर ११४.८ हो गया, जबकि 'तम्बाकू' का सूचक अंक १.६ प्रतिशत बढ़कर गिरकर ९०.२ और 'औद्योगिक कच्चा माल' का सूचक अंक ०.६ प्रतिशत गिरकर ११३.५ हो गया। 'तैयार माल' के सूचक अंक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

खाद्य सामग्री—इस समूह का सूचक अंक २.३ प्रतिशत बढ़कर ९९.४ हो गया। यह वृद्धि ज्वार के अलावा अन्य खाद्यान्नों का भाव बढ़ जाने के कारण हुई। अरहर और मूँग का भाव बढ़ा किन्तु चना, मसूर और उर्द का भाव गिर जाने से "दाल" उपसमूह का सूचक अंक ८२.४ पर स्थिर रहा। 'फल और तरकारी' का सूचक अंक ४.० प्रतिशत बढ़कर ११२.२ हो गया। यह वृद्धि नारंगी, केले और आलू का भाव

बढ़ जाने के कारण हुई, हालांकि आलू और प्याज का भाव गिरा। 'दूध और घी' का सूचक २.१ प्रतिशत बढ़कर १०७.४ हो गया। हालांकि घी का भाव कुछ गिरा। नारियल के तेल और वनस्पति (डाल्डा) को छोड़कर बाकी सभी खाद्य तेलों का भाव १.७ प्रतिशत गिर जाने से इस समूह का सूचक अंक १२०.७ हो गया। मछली, अंडे और मांस का भाव बढ़ जाने से इस समूह का सूचक अंक ३.० बढ़कर १०५.४ हो गया। चीनी और गुड़ का भाव बढ़ जाने से इस समूह का सूचक अंक २.६ प्रतिशत बढ़कर १६६.८ हो गया। चाय, कहवा, लौंग, जीरा और सुपारी का भाव बढ़ जाने से "अन्य खाद्य सामग्री' उप-समूह का सूचक अंक २.४ प्रतिशत बढ़कर ९३.६ हो गया। हालांकि काली मिर्च, लाल मिर्च, इलायची और नमक का भाव गिरा।

तम्बाकू:—कच्ची तम्बाकू का भाव गिर जाने से इस समूह का सूचक अंक १.६ प्रतिशत गिरकर ६०.२ रह गया।

ईंधन, बिजली, प्रकाश और तेल:—कोयले का भाव बढ़ जाने से इस समूह का सूचक अंक ०.३ प्रतिशत बढ़कर ११४.८ हो गया। हालांकि आलोच्य महीने में रेंडी के तेल का भाव कम हो गया था।

औद्योगिक कच्चा माल:—कपास, कच्चा पटसन और कच्चे रेशम का भाव गिर जाने से रेशे उप-समूह का सूचक अंक १.३ प्रतिशत गिरकर ११०.६ हो गया। सनई और कच्चे ऊन का भाव बढ़ा। मूंगफली के अलावा अन्य सभी तेलहनों का भाव गिर जाने से तेलहन उप-समूह का सूचक अंक ०.२ प्रतिशत गिरकर ११८.५ हो गया। कच्चे मैंगनीज का भाव बढ़ जाने से खनिज उप-समूह का सूचक अंक ०.७ प्रतिशत बढ़कर १०६.६ हो गया। कच्ची खाल, रंगाई का सामान और लाख का भाव गिर जाने से अन्य औद्योगिक कच्चा माल उप-समूह का सूचक अंक ०.१ प्रतिशत गिरकर ११०.१ रह गया। किन्तु कच्चे चमड़े और बांस का भाव बढ़ा।

अर्ध-तैयार माल:—अलसी के तेल, सूत के धागे, रेयन के धागे, नारियल के रेशे, अलुमुनियम, पीतल, टीन और जर्मन सिलवर का भाव गिर जाने से इस समूह का सूचक अंक ०.७ प्रतिशत गिरकर १०८.० रह गया।

तैयार माल:—सूती कपड़े (—०.८ प्रतिशत गिरकर ११३.५), पटसन के बने माल (—०.१ प्रतिशत गिरकर ८८.१) और रेशम तथा रेयन के तैयार माल (—०.६ प्रतिशत गिरकर ६२.२) का भाव गिर जाने से सूती कपड़ा उप-समूह का सूचक अंक ०.६ प्रति. गिरकर १०४.६ रह गया। ऊन के तैयार माल (+०. प्रतिशत से बढ़कर १०४.४) का भाव बढ़ा। धातु के बने सामान उप समूह के सूचक अंक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वह १४३.० पर स्थिर रहा। 'रसायन' उप-समूह का सूचक अंक रसायन, दवाओं और ओषधियों का भाव बढ़ जाने २.७ प्रतिशत बढ़कर १२०.१ हो गया। मशीनें और परिवहन सामग्री उप-समूह का सूचक अंक १०२.८ पर स्थिर रहा। ईंट, खपरेल का भाव बढ़ जाने से अन्य तैयार माल उप-समूह का सूचक अंक १.६ प्रतिशत बढ़कर ११४.४ हो गया, हालांकि कांच का भाव गिरा।

२१ जून, १६५८ को समाप्त सप्ताह

इस सप्ताह थोक भावों का सूचक अंक (मार्च, १६५३ को आधार=१०० मानकर) पिछले सप्ताह के सूचक अंक ११०.७ से २.० प्र० श० बढ़कर ११२.६ हो गया। इस सप्ताह का सूचक अंक पिछले महीने के इसी सप्ताह के सूचक अंक से ३.६ प्र० श० और पिछले साल के इसी सप्ताह के सूचक अंक से ०.७ प्र० श० अधिक रहा।

२८ जून, १६५८ को समाप्त सप्ताह

थोक भावों का आधिकारिक सूचक अंक (मार्च १६५३ को समाप्त होने वाले वर्ष को आधार=१०० मानकर) इस सप्ताह में ०.४ प्रतिशत बढ़कर ११३.५ हो गया, जबकि पहले सप्ताह में यह ११३.० था। पहले महीने के इन्हीं सप्ताहों में यह क्रमशः ४.१ और २.४ प्रतिशत से अधिक था। यही स्थिति गत वर्ष भी थी। जून १६५८ का मासिक सूचक अंक १११.८ पर आया, जबकि पहले महीने यह १०८.२ था और जून १६५७ में ११०.७ था।

७ जून, १६५८ को समाप्त सप्ताह

इस सप्ताह में थोक-भावों का सूचक अंक (मार्च, १६५३ को आधार=१०० मानकर) पिछले सप्ताह के सूचक अंक १०८.६ से ०.७ प्र० श० बढ़कर १०६.७ हो गया। इस सप्ताह का सूचक अंक पिछले महीने के इसी सप्ताह के सूचक अंक से १.८ प्र० श० अधिक और पिछले साल के इसी सप्ताह के सूचक अंक से १.३ प्र० श० कम है।

१. औद्योगिक उत्पादन*

[१] बुनाई उद्योग

वर्ष	१ सूत (लाख पौंड)	२ सूती कपड़ा (लाख गज)	३ [क] जूट का माल (००० टन)	४ [ख] ऊनी माल (धागा) (००० पौंड)	५ पट्टे (टन)
१९५०	११,७४८	३६,६४८	८३५.२	१८,०००	५१०.०
१९५१	१३,०४४	४०,७६४	८७४.८	१७,७००	६७५.६
१९५२	१४,४६६	४५,९८४	९५२.६	१६,५८४	७०६.२
१९५३	१५,०६०	४८,७८०	८६८.८	१९,२४८	७५८.४
१९५४	१५,६१२	४९,९८०	९२७.६	१९,३५६	८४०.०
१९५५	१६,३०८	५०,९४०	१,०२७.२	२०,७००	८२५.६
१९५६	१६,७१६	५३,०७६	१,०९३.२	२५,४४०	८१४.८
१९५७	१७,८०१	५३,१७४	१०२९.६	२७,७९२	७१२.८
१९५७ जून	१,३७०	४,१९६	८०.१	२,२१७	४६.९
जुलाई	१,५०२	४,५८९	८५.९	२,४२७	४६.२
अगस्त	१,४४१	४,२०५	८१.९	२,४८५	४७.७
सितम्बर	१,५०९	४,४३७	८६.०	२,६२०	४५.७
अक्तूबर	१,४२४	४,११४	८३.५	२,५८१	५४.२
नवम्बर	१,४९१	४,३१५	९१.९	२,६४२	६०.६
दिसम्बर	१,५२७	४,३८२	९२.८	२,६५९	७०.७
१९५८ जनवरी	१,४८७	४,३६५	९८.३	२,२६६	५७.९
फरवरी	१,३२९	३,९१४	८५.३	२,१९४	६६.९
मार्च	१,३८५	४,०५६	८५.३	२,५४४	७४.७
अप्रैल	...	—	—	...	५२.२
मई	...	—	—	...	...

[क] जनवरी १९४९ से ये आंकड़े इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन के सदस्य मिलों तथा एक गैर सदस्य मिल के उत्पादन के सम्बन्ध में हैं। [ख] इसमें जम्मू और काश्मीर के आंकड़े भी सम्मिलित हैं।

[२] लोहा और इस्पात

वर्ष	६ कच्चा लोहा (००० टन)	७ सीधी ढलाई (००० टन)	८ लौह मिश्रित धातु (००० टन)	९ इस्पात के पिण्ड और ढलाई (००० टन)	१० अधूरा तैयार इस्पात (००० टन)	११ तैयार इस्पात (००० टन)
१९५०	१,५६२.४	९८.४	१८.०	१,४३७.६	१,१४२.४	१,००४.४
१९५१	१,७०८.८	९२.४	२४.०	१,५००.०	१,२४९.२	१,०७६.४
१९५२	१,६८४.८	१२९.६	४०.८	१,५७८.०	१,३०८.०	१,१०२.८
१९५३	१,६५४.८	११५.२	७.२	१,५०७.२	१,२३०.०	१,०२३.६
१९५४	१,७९२.८	१२७.२	४०.८	१,६८४.८	१,४५२.०	१,२४३.२
१९५५	१,७५६.८	१२६.०	१२.०	१,७०४.०	१,४५६.८	१,२६०.०
१९५६	१,८०७.२	१२२.४	२८.८	१,७३७.६	१,४८४.४	१,३१६.४
१९५७	१७८९.२	११२.८	९.६	१,७१४.८	१,४४०.०	१,३४६.४
१९५७ जून	१३३.७	१२.४	०.५	१२६.४	१०२.८	१०१.४
जुलाई	१४२.०	७.६	०.८	१३३.७	११७.८	११०.३
अगस्त	१४४.७	९.२	०.७	१३९.७	११७.६	११३.०
सितम्बर	१४६.९	८.०	०.६	१४४.३	१२३.५	११२.५
अक्तूबर	१५४.५	८.९	०.६	१५०.४	१११.३	१०८.७
नवम्बर	१५३.३	११.७	०.७	१४६.१	११८.८	११६.४
दिसम्बर	१६०.२	७.८	३.२	१५४.७	१२४.२	११४.७
१९५८ जनवरी	१६२.६	७.५	५.०	१६४.५	१३६.५	११४.२
फरवरी	१५६.८	५.३	४.६	१४६.३	१२७.५	१०८.६
मार्च	—	...	...	...	...	...
अप्रैल	—	...	...	...	...	...
मई	...	...	...	...	...	...

* नवीन रिपोर्टों के अनुसार इन अंकों में संशोधन हो सकता है।

स्रोत—(१) १९५० से १९५६ और जून ५७ से मार्च ५८ तक के आंकड़े :—औद्योगिक अंक-संकलन निदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित 'भारत में चुनी हुई वस्तुओं के उत्पादन के मासिक आंकड़े' नामक पुस्तक से।

(२) अप्रैल और मई १९५८ के आंकड़े :—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की विकास शाखा, नयी दिल्ली से।

१. औद्योगिक उत्पादन

[३] धातु-उद्योग

वर्ष	१२ लकड़ी के पेच (००० ग्रोस)	१३ मशीनी पेच (००० ग्रोस)	१४ रेजर ब्लेड (लाख)	१५ हरीकेन लालटेनें (०००)	१६ गैस के लैम्प (०००)	१७ तामचीनी का सामान (००० संख्या)	१८ जालिया (टन)	१९ इन्जिनेयर (संख्या)
१९५०	७०३ २	९५६ ३	१०१ ८	२,८०३ ८	३८ ४	५,४४८ ६	२ १८	७४१
१९५१	७४१ ८	९२७ २	२२६ २	३,६७३ ८	६२ ४	८,१३० ०	१,८६९	१,२१०
१९५२	१ ३२६.३	९४७ ६	१०८ ०	३,५२३ २	३४ ८	७,३६० ८	२ ०११	१,०२०
१९५३	२ ८७२ ३	९३८ ०	२३१ ३	४,३१२ ८	३० ०	६,४८३ ३	१,३५६	६१४
१९५४	५ १६७ २	२२६ २	१,३१४ ०	४,६८७ २	३७ २	१४,६७७ २	२,४१२	१,१२
१९५५	३३३२ ४	३४० ८	१,७४६ ०	५,४८७ ६	५८ ८	१५,७१३ ४	२,३२	२०८
१९५६	७,७१४ ८	१,२७८ ०	२,३५२ ०	५,१७६ २	८४ ०	१४,४३२ ०	१,४१३	२७ ४
१९५७	८ ३७२ ४	१,३६० २	३,३१४ ८	४१४८ ४	६८ ४	१३,३५३ ०	१,१५२	२,८१-
१९५७ जून	५६३ ७	६० ०	२४३ ५	३८२ ६	७ ६	१,०६८.४	५२	१४५
जुलाई	७८७ ३	११५ ४	२३० ३	३३३ २	८ ५	१,०८६ ५	१०७	१८१
अगस्त	६०७ ८	११७ ३	२३५ ५	३१५ ४	४ ७	१ २८१ ३	१०२	६६
सितम्बर	६३५ ६	१४० २	१८५ ७	२६३ ०	२ ३	१,१६५ ३	६२	६
अक्तूबर	६७२ ४	१२४ ४	१८६ ०	२४० ८	५ ५	१,०२६ २	१२	१७३
नवम्बर	३१६ ३	१२६.१	२३८ ४	२६४ ७	३ २	१ १२४ ७	१३६	१७०
दिसम्बर	६१३ २	१२० ४	२१८ ३	२७३ ६	१० ०	१ २४६ ५	१०६	३१६
१९५८ जनवरी	३७४ ३	१४ ४	२३८ ८	२७६ ३	३ ५	१ ६६१ ०	८३	३६४
फरवरी	४०८ २	११६ ३	२८४ ७	१५७ ५	३ ६	१,३५८ १	६२	१८१
मार्च	६११ ३	१६६ ३		२०१ ३	३ ७	१ २८३ ८	५६	२०६
अप्रैल		१७४ ३	..	२१८ ६	४ ०	१,३४७ ३	५८	२ ३
मई			..		...			

[४] मशीनें (बिजली की मशीनों के अतिरिक्त)

वर्ष	२० डीजल इंजिन (संख्या)	२१ शक्ति चालित पम्प (०००)	२२ सिलाई की मशीनें (ग) (संख्या)	२३ मशीनी औजार (मूल्य ००० रुपये)	२४ ट्विस्ट ड्रिल्स (०००)	२५ कोंशको करघे (संख्या)	२६ रिंग स्पिनिंग फ्रेम (पूर्ण) (संख्या)	२७ सान रखने के चक्के (००० पौंड)	२८ बुनाई की मशीनें घूमने वाली पगड़ी (संख्या)
१९५०	४,५६६	३० ०	३०,८८८	२,६६० ४	४४५ २			५०० ४	
१९५१	७,२४८	४० ८	४४,४३०	४,७३० ४	१,०१७ ३	२,५०८	२७३	७०८ ०	
१९५२	४,२४८	३२ ४	५० ०४०	४,४३७ ३	७७५ २	२,३०४	२८८	८९५ २	१०
१९५३	३ ७२०	२५ २	६२,४२४	४,४०७ ३	३३४ ८	२,४२४	२०४	०७ ३	११२
१९५४	८,६५२	२८ ८	८०,१६६	५,००२ ८	५३- ८	१,८-४	३१०	१,१३४ ०	४३१
१९५५	१०,२२४	३४ ८	१,०१,४७२	७ ५४० ०	७७८ ८	२,७३१	८६४	१,४३८ ८	३००
१९५६	११ २४०	४१ ८	१,३० ३६२	८ २०२ ८	१ ५४६ २	२ -६८	११११	२,४५ ०	७३२
१९५७	१६ ५१२	६३ ३	१ ६६ ६२०	११,००३ ८	२,२५८ ४	२ ८६८	१३६८	३,२१२ ८	१०२०
१९५७ जून	१ २३०	४ ६	१२,२८०	१७६५ ०	१६४ ५	२१७	१०१	२६६ २	७१
जुलाई	१,४३६	५ ३	१२ ३६१	२०७७ २	२७० ८	२१६	१०५	२६० २	१०१
अगस्त	१ ३८७	५ ३	१३,५४०	२५४६ १	२४२ १	२३१	११२	२३५ ३	१०७
सितम्बर	१ ४५३	५ ३	१३,५६३	११४१ ४	२४६ ०	१७४	११५	१६४ ४	६५
अक्तूबर	१ ७१३	५ ०	८ ५५८	११२६ १	१६६ ३	१६३	६०	२३८ ०	५२
नवम्बर	१ ६४३	५ ६	१७,०२८	२६३० ७	२१६ ८	२१८	१०३	२४७ ३	१०६
दिसम्बर	१ ७४१	३ ५	१७ ७-०	२४४ २	२२३ ५	१६१	१०६	२२४ ३	११०
१९५८ जनवरी	२ ०३५	६ ०	१७ ०६३	३६६३ ६	२१- २	१७७	६-	२४४ ३	१३१
फरवरी	१ ६ ३	६ १	१५ ६१०	३५३१	२०७ ७	१७१	७२	३ २२	११२
मार्च	१ ७८६	३ ५	१५ ३४८	३६० ८	१६० ५	३११	३३	२२१ -	११६
अप्रैल	१ ७३०	३ -	१३ -१६	२४०२ ३	११० ३			२१२ ६	--
मई								२३६ ८	

[ग] वास्तविक उत्पादन, स्थापित उत्पादन क्षमता से काफी अधिक है। इसका कारण यह है कि स्थापित क्षमता की गणना एक पाली के आधार पर की गयी है और एक कारखाना एक से अधिक पालियां चला रहा है।

१. औद्योगिक उत्पादन

[५] अलौह धातुएं

वर्ष	२९ अल्युमीनियम (टन)	३० सुरमा (टन)	३१ ताँबा (टन)	३२ सीसा (टन)	३३ अलौह धातुओं के नल (टन)	३४ सोना (औंस) [घ]
१९५०	३,६६९.४	३७५.६	६,६२४.४	६२७.६	३३१.२	१,६६,६२०
१९५१	३,८४८.४	३२७.६	७,०८३.६	८५६.२	२४८.४	२,२६,३३८
१९५२	३,५६६.४	१८१.२	६,०७६.२	१,१३१.६	३७०.८	२,५२,२६०
१९५३	३,७५८.४	१३०.८	४,६२०.०	१,९६४.३	३५७.६	२,२३,०२०
१९५४	४,८८६.४	५३८.८	७,१६१.६	१,७८८.०	१८६.०	२,४०,७०८
१९५५	७,२२५.२	५०४.०	७,२८१.६	२,२३४.४	३४३.२	२,११,४६४
१९५६	६,५००.४	५८६.२	७,६२८.४	२,४६७.२	३६३.६	२,०६,०८८
१९५७	७,७७१.२	५०१.६	७८४८.०	३,१७४.०	३६४.८	१,७६,१६६
१९५७ जून	६१५.३	५६.०	६८०.०	२८०.५	२२.८	१४,७३६
जुलाई	६६४.७	५३.०	७७०.०	२६४.४	३०.३	१५,५३०
अगस्त	६६४.७	५०.०	६२०.०	२४५.२	४३.२	१३,८३८
सितम्बर	६५४.९	४५.०	६५५.०	३५०.०	३२.०	१५,४३७
अक्तूबर	६८७.०	४५.०	६७२.०	३१७.०	३४.३	१४,४७४
नवम्बर	६६६.०	४६.०	६७०.०	२७२.०	३४.७	१५,२७६
दिसम्बर	६३०.९	४८.१	७००.०	३१३.०	२७.०	१४,६७३
१९५८ जनवरी	७०३.३	३०.०	३०२.०	२७५.०	१८.१	१४,८२५
फरवरी	६२५.८	४०.०	६५५.०	२८८.०	...	१५,२५७
मार्च	६८५.३	५४.०	७१०.०	२०७.१	...	१४,४७२
अप्रैल	६६२.९	३६.०	६८२.०	१६२.०	...	...
मई	७१०.२	५४.०	६६६.०	--	---	..

[घ] १९४८ से हैदराबाद में हुए सोने का उत्पादन भी इन आंकड़ों में सम्मिलित है।

[६] बिजली उद्योग

वर्ष	३५ उत्पादित बिजली [क] (लाख किलोवाट प्रति घण्टा)	३६ बिजली ले जाने की नलियां (००० फुट)	३७ सूखे सैल (लाख)	३८ संग्रह की बैटरी (०००)	३९ बिजली के मोटर (००० हार्स पावर)	४० बिजली के ट्रान्स-फार्मर (००० के.वी.ए.)	४१ बिजली की बत्तियां (०००)
१९५०	५१,०७२	२,६९९.४	१,३८१.२	१८७.२	८१.६	१७१.३	१४,३०४
१९५१	५८,५८४	३,६९९.६	१,४३४.०	२१२.४	१४२.८	१६५.६	१५,५२६
१९५२	६१,२००	३,६९४.८	१,३०२.०	१५८.४	१५७.२	२१४.८	२०,८८०
१९५३	६६,२७१	३,७१५.२	१,४८४.४	१७६.४	१९२.०	६०८.४	१६,७९६
१९५४	७४,४००	५,९८३.२	१,४८६.८	१८८.४	१८७.२	३६६.६	२३,०७६
१९५५	७६,८३६	६,२४८.४	२,६१०.४	२३५.२	२५२.०	५६५.२	२४,२३४
१९५६	९६,१०८	१०,६३२.०	२,८२४.४	२२४.४	३५८.८	६१०.२	३०,७२८
१९५७	१०८,३४८	११,७८१.६	२,६६५.६	३२४.०	४६१.२	१,२१६.२	३३,२४६
१९५७ जून	८,६६२	७६८.७	२३३.०	१९.३	३०.५	८०.१	२६७२.५
जुलाई	९,२९१	८९६.१	१६५.६	२७.६	४३.४	११३.०	३०६१.६
अगस्त	९,२०८	९२१.२	१५८.६	२५.६	४०.२	१०५.४	२७१७.०
सितम्बर	९,२२९	८५४.५	१११.९	२६.८	४३.५	११०.४	२३७०.२
अक्तूबर	९,२२३	७०६.८	९७.२	२४.२	६७.७	१०१.२	२४१६.३
नवम्बर	९,२२१	८९६.५	११८.०	२६.२	४६.१	१०६.५	२७८५.४
दिसम्बर	९,५९६	६०३.६	१३७.१	२८.५	४९.५	११४.०	२६५६.३
१९५८ जनवरी	९,७१४	६६०.२	१३१.८	११.६	४५.०	१०१.३	२६१२.१
फरवरी	९,१४२	६३१.२	१२६.६	२७.८	४५.१	६७.१	२४६३.७
मार्च	..	७७०.१	१२७.८	१८.०	५१.८	११३.३	२४७२.१
अप्रैल	...	५६०.६		२८.४	४१.५	६२.६	...
मई	..		-	२१.२	४६.६	..	--

[क] इसमें जम्मू और काश्मीर के आंकड़े भी शामिल हैं।

१. औद्योगिक उत्पादन

[८] रसायनिक उद्योग

वर्ष	५६ रंगलेप और वारनिशें (टन)	५७ दियासलाई [छ] (००० पेटियां) [ज]	५८ साबुन [झ] (टन)	५९ सरेस (हन्डरवेट)	६० गैसें धातुओं को जोड़ने की: आक्सीजन (लाख घन फुट)	६० एसिटलीन (लाख घन फुट)	६१ ग्लिसरीन (टन)	६२ फेनॉल [ञ] फार्मलडीहाइड का ढलाई के काम का चूरा (००० पौंड)
१९५०	२७,९४८	५२३.२	७२,९९६	१३,५००	...	...	२,००४	...
१९५१	३३,४९२	५७८.४	८३,४३६	१४,११२	२,४५२.०	२९८.८	२,४२४	४५९.६
१९५२	३२,२७२	६१९.२	८६,३७६	१४,६४०	२,६२९.६	३१५.३	२,२२०	६६७.२
१९५३	३२,०५२	६१८.०	८२,२००	१७,०८८	१,८८१.६	३४८.०	२,५०८	८३७.६
१९५४	३६,८१३	५२९.२	८७,९९६	१८,१२०	२,३४४.८	४२१.२	२,३८८	१,०५७.२
१९५५	३९,०३३	६२५.६	९९,०००	१९,४६४	२,८२८.४	४७४.०	२,५०८	१,६००.८
१९५६	४१,४२४	५८९.२	१,०९,९०८	२१,८२८	३,२८३.२	५५३.२	२,९१६	२,२०५.३
१९५७	४२,२७६	५७७.२	१,१२,७०४	२५,८१२	४,०२०.०	६४०.८	२,६६४	२,६३१.६
१९५७ जून	३,२५२	३९.०	८,७४०	२,२५६	३३०.४	४८.०	१३०	१८७.१
जुलाई	२,८४७	४७.९	९,८३२	१,८४५	३५०.६	५२.८	३१९	२३३.४
अगस्त	३,४००	४८.२	८,४९०	२,०५५	३३३.१	५१.६	१३९	२०८.३
सितम्बर	३,५००	४७.५	९,११०	१,८४७	३५७.०	५३.७	१५९	२२३.०
अक्तूबर	३,५५६	४३.८	९,५०१	१,८२२	३३५.८	५२.२	१२८	२२३.१
नवम्बर	४,१९४	५१.३	९,२७३	२,४८३	३७१.९	५९.७	२९७	२३४.८
दिसम्बर	४,०५०	५०.३	९,६०७	२,११६	३७१.९	६३.८	३२१	२६२.४
१९५८ जनवरी	४,०२९	४९.८	१०,२८०	२२,८३	३७६.५	६१.६	२२२	१८८.१
फरवरी	३,०६३	४५.८	९,१२१	२,२९९	३४१.४	५७.२	३६३	२२६.५
मार्च	३,०३४	४१.९	८,७९०	२,३३६	३६२.६	५७.८	१८१	२५८.५
अप्रैल	३,८१८	४५.५	९,२४४	२,०७७	३७४.६	५५.६	३१८	२३५.२
मई	५,२६७	...	...	...	...	...	...	२४६.३

[छ] इसमें जम्मू और काश्मीर के आंकड़े भी शामिल हैं।
[ज] ६० तीलियों वाली डिब्बियों के ५० ग्रोस।
[झ] ये आंकड़े संगठित कारखानों के उत्पादन के हैं।
[ञ] जुलाई १९५६ से परिवर्तित।

[८] रसायनिक उद्योग

वर्ष	६३ लिवर का सत्व: इंजेक्शन (००० घ० सैं०)	६३ खाद्य (००० पौंड)	६४ रेयन (टन): विसकोज धागा	स्टेपल फाइबर	एसिटेट धागा	६५ अलकोहल (००० गैलनों में खुला हुआ): इंजनों में चलने वाला	शुद्ध स्पिरिट	मिश्रित स्पिरिट	६६ लिनोलियम (००० वर्ग गज)	६७ प्लास्टिक के सांचे (००० ग्रोस)
१९५०	१२,२४५.६	३०१.२	—	...	...	४,४९७.६	३,४३५.६	१,४७७.२	—	—
१९५१	१०,९८२.४	३१९.२	२,०४०	...	...	५,८०९.२	५,०१९.६	१,९६६.८	—	१,४४६.०
१९५२	१०,३७२.८	३१०.८	३,५८८	—	...	७,७४२.४	४,६६८.०	२,१७८.०	१५९.६	१,५४४.४
१९५३	१०,२३८.८	२८४.४	४,३५६	—	...	८,२२०.४	४,३७६.४	२,४९३.६	१६३.२	१,३५७.२
१९५४	१६,७८४.४	२५९.२	४,९४४	३,०८४	...	८,००७.६	४,६३०.८	२,८३५.६	३३६.०	१,३०८.०
१९५५	२४,२४०.२	२९४.०	५,७३६	५,७१२	२०४४	१०,४३२.८	५,११५.४	२,८८९.२	३२२.८	२,४७८.८
१९५६	२४,२४२.४	२७३.६	७,२९६	७,८४८	१४१६	१०,२४३.२	३,९९९.६	३,३९२.८	३२०.४	३,६०३.६
१९५७	२८,३४०.०	२४७.२	९,३९६	८,००४	१६०८	१०,१३६.४	५,०६४.०	३,४३९.२	३२७.६	३,६९७.२
१९५७ जून	२,२०६.०	२१.८	६०२	६५६	१०१	८४७.१	३७८.२	२२८.२	२४.४	३११.३
जुलाई	२,६१६.९	२९.६	७२३	६८७	१४४	९२१.७	३६०.९	२६४.०	२९.७	३१२.७
अगस्त	२,२६४.४	२२.०	९०६	९२१	१३३	७८३.५	४१२.६	२७९.१	३७.२	३१४.३
सितम्बर	१,८५६.४	३०.५	८८२	७५४	१३०	५३७.३	४३९.६	२४५.४	४३.७	३२०.८
अक्तूबर	२,१८५.४	१५.०	८३१	५४८	१४३	६३८.१	४११.७	२८१.६	१८.२	३२६.५
नवम्बर	२,३८२.७	१७.७	८६७	४५७	१३४	७७८.३	४१९.२	३०२.६	२०.९	३०७.१
दिसम्बर	२,८८६.४	२३.७	९७१	४८२	१२९	९९७.०	५१७.६	३२५.७	२४.३	३१६.०
१९५८ जनवरी	२,४१६.९	२५.९	९९६	६०७	१४०	८३२.३	५३९.६	३४४.७	१९.२	२८५.४
फरवरी	३,१७३.६	२८.३	९२७	९५५	१२५	८३६.१	४७२.७	२६८.१	११.०	२०५.१
मार्च	३,७६१.०	२५.४	१,०५१	१,१४९	१४६	८२५.६	५०७.०	२६७.६	१३.१	२१०.०
अप्रैल	२,२१९.८	२४.८	९९२	१,११६	१४६	७३८.०	...	२९९.५	२२.०	—
मई	—	...	१,०३६	१,१६२	१५५	...	...	...	२१.५	—

१ औद्योगिक उत्पादन

[९] सीमेंट और चीनी मिट्टी का माल

वर्ष	६८ सीमेंट (००० टन)	६९ सीमेंट की चादरें, (एसबेस्टस) (००० टन)	७० चीनी के बरतन (टन)	७१ इंजीनियरिंग के उपकरण (टन)	७२ पत्थर का सामान (००० टन)	७३ चीनी की पालिश वाली टाइलें (००० दर्जन)	७४ तापसह ईंटें (००० टन)	७५ धर्षक (पत्थर छोड़कर) (००० रीम)	७६ बिजली-अवरोधक (इंसुलेटर) एच टी (०००)	७६ बिजली-अवरोधक (इंसुलेटर) एल टी (०००)
१९५०	२,६१२ ४	८६ ४	९,०६०	१,७८८	२६ ४	६२ ४	२१६ ४	३१ २	१७४ ०	१ २०६.१
१९५१	३,१६५ ६	८२ ८	६,६६२	६४८	३० ०	२१० ८	२३७ ६	३७ २	२४४ ८	१ ४१२.८
१९५२	२,५२७ ६	८७ ६	६,०६०	४३२	३३ ६	२४५ ६	२४३ ६	५५ २	३२५ २	३ ०७ ०
१९५३	३,७ ००	७१ ६	१०,४४०	६४–	३३ ६	३७४ ४	२२८ ०	३१ २	४६३ २	२ ४१० ०
१९५४	४,३'–०	७६ ?	१०,६५६	१,३३२	४० ८	४१८ ८	२४० ०	७० ८	५०७ ६	२ ३७४ ८
१९५५	४४ ६ ८	१०४ ४	१०,२२४	२,५८०	४२ ०	३८० ४	२७४ ८	७६ २	२५२ ०	३ २१४ ८
१९५६	४ ६२८ ४	१२० ०	१५ ०२४	२,७१२	४४ ४	४५४ ८	३१८ ०	६८ ४	६२ ४	३ ०३० ४
१९५७	५,३०१ ६	१५८ ४	१५ ५४०	३,४३२	५१ ६	५२० –	३६२ ४	६१ २	१८६ ०	४ ५५७ ६
१९५७ जून	३६३ २	११ २	१,३३६	२५६	३ ७	५२ ४	३० ०	८ ३	४६	३३७ ४
जुलाई	४२५ १	१२ ६	१,२६२	२६७	४ १	४८ ६	२६ ०	६ २	१७ ६	४१० ०
अगस्त	४४६ ६	१३ ४	१ २८८	२३४	४ ३	२६ ६	३५ ?	६ ५	२६ ६	३३० ४
सितम्बर	४४२ ४	१३ २	१,२३४	३३१	३ ८	४३ ६	२६ ७	६ ६	२२ ४	३३८ १
अक्तूबर	५१० ६	१२ ६	१,२१२	३५२	४ ५	४? ०	३० ५	८ ७	२–६	२५५ १
नवम्बर	५१० १	१४ ४	१ ५०३	३१८	५ ०	६१ ३	३२ ७	६ ६	२८ ५	३ [illegible]
दिसम्बर	५८७ ३	१५ ६	१,४३०	२४०	४ ०	४४ ०	३४ ६	८ ८	३२ ६	४१६.८
१९५८ जनवरी	५६४ ८	१६ ४	१ ४८३	३६२	५ ३	४४ ६	३५ ५	६ ४	५५ ७	४७ ८
फरवरी	४६५ ४	१४ ३	१,३७६	२४८	४ ३	४२ २	३? ७	७ ६	२६ ८	३०५.१
मार्च	५७५ ७	१५ २	१,४३?	३५७	४ ६	४७ ४	४६ ७	८ ६	३४ १	४४० ४
अप्रैल	५३६.५	१४ ५	१,३६०	३१६	४४	४२ ४	३४ ८	७ ८	२८ १	४५४ १
मई	५३३ ०			—			—			—

[१०] काँच और काँच का सामान

वर्ष	७७ काँच की चादरें (००० वर्ग फुट)	७८ प्रयोगशालाओं का सामान (टन)	७९ बिजली के बल्बों के खोल (लाख वस्तियां)	८० काँच का अन्य सामान (टन)
१९५०	६,५७० ०	२,१३०	१२६.६	७१ २११
१९५१	?१ ०८६ २	१ ६८०	२४४ ०	६० ३२४
१९५२	६ ०४३ ३	१ ४७३	१३३ ८	~५ ३३
१९५३	?२ ७८३ ८	१ ३२०	१३६.३	७१ ४४४
१९५४	३३ ११२ ८	१ ८१२	२२८ ४	८५,०८–
१९५५	३८ –८३ ६	२ ४६८	२६० ४	१ ०० ०६८
१९५६	४७ ७४६ २	३ ५००	३३४ –	१ ३३ ६८१
१९५७	५८ ३०६	३ ०६३	३६१ २	१ ३१ ४५८
१९५७ जून	६७४ ०	२५३	४६ ८	६ ४–१
जुलाई	२७६८ ५	२१७	३३ ४	८ ६३१
अगस्त	५ ००६ ६	३३?	३२ ४	१० २६०
सितम्बर	५ ०३४ ६	४०५	३४ २	१० ५६४
अक्तूबर	५ ३०० ७	३१३	३१ ६	१० ५१
नवम्बर	६ ४१०.६	३५६	३४ ५	१० ७०१
दिसम्बर	७ २२६.२	२७–	३८ ५	१० ४३६
१९५८ जनवरी	७ ३०३.६	३?८	३४ ५	१० ५३६
फरवरी	६ ५४८ ३	३२०	३१ २	१० ६२१
मार्च	६ ८७८ ३	३०२	३३ ?	११ ४०४
अप्रैल	६ ५६७ ७	३८७	३६ ८	११ ०१७
मई		—		—

१. औद्योगिक उत्पादन

[११] रबड़ उद्योग

वर्ष	८१ रबड़ के जूते (लाख जोड़े)	८२ रबड़ चढ़ा सामान, खिलौने, गुब्बारे आदि (लाख दर्जन)	८३ टायर: मोटर गाड़ियां (०००)	८३ टायर: साइकिलें (०००)	८३ टायर: ट्रैक्टर (संख्या)	८३ टायर: वायुयान (संख्या)	८३ टायर: तांगा आदि (०००फुट)	८४ ट्यूब: मोटर गाड़ियां (०००)	८४ ट्यूब: साइकिलें (०००)	८४ ट्यूब: ट्रैक्टर (संख्या)	८४ ट्यूब: वायुयान (संख्या)
१९५०	१६५.६	२०५.६	६३८.४	३,३२५.२	...	...	...	६९८.४	४,२०७.२	...	...
१९५१	२३०.४	११०.४	८७०.०	३,९४०.८	...	२,४७२	३७३.२	८२०.८	४,८९७.२	...	९९६
१९५२	२२८.०	१३८.०	७२१.२	४,१८९.२	३,८५२	६८४	३८५.२	६६१.२	४,१६६.४	५,४८४	९८४
१९५३	२४०.०	१२४.८	७९८.०	४,६४५.२	९,६१२	२,२९६	४४२.८	६५८.८	४,६००.८	८,१३६	५२८
१९५४	३१२.३	१८३.६	८३२.८	५,२२६.०	१६,२५२	३,५१६	३२४.०	७४८.८	५,५७७.६	१६,८८४	१,५७२
१९५५	३४९.२	१३९.२	८८२.०	५,७४८.०	२४,५२८	४,४०४	३७०.८	७८६.०	५,५९३.२	२३,११२	२,४४८
१९५६	३६१.२	२६०.४	९३८.४	६,३२०.४	३०,७६८	३,६००	२९०.४	९१८.०	६,३७३.२	३०,७२०	२,२९२
१९५७	३६९.६	१९८.०	९८८.८	७,१५२.०	४७,४००	४,४७६	३१०.८	९३६.०	७,०२७.६	४५,३४८	३.१३६
१९५७ जून	२३.३	१७.२	७७.५	५८९.२	३,३२५	३७८	२८.६	८१.२	५६८.०	३,१६७	शून्य
जुलाई	३२.२	२१.७	८४.४	६१२.६	४,५१८	३४१	२६.३	८६.४	५७४.२	४,५६४	२९१
अगस्त	२८.८	२५.५	८३.३	६०५.०	४,१२९	३४६	१९.०	७६.४	५९२.२	३,५४३	३०९
सितम्बर	३०.७	१८.६	८९.९	६६५.२	५,४२३	५३०	१५.४	७५.९	६६४.०	४,५३३	२३४
अक्तूबर	२९.७	१७.९	५७.९	३५१.५	२,५७०	२२४	२१.९	४५.२	३६३.६	२,५९१	१२
नवम्बर	३७.१	१७.५	८३.३	६१३.१	४,३५९	३५३	२९.५	७८.१	६५६.८	३,९९९	२३३
दिसम्बर	३९.२	१७.४	८४.५	६१२.२	२,५५२	४७४	४०.२	७२.२	५९७.४	४,४०५	१६६
१९५८ जनवरी	३७.५	२९.७	९०.९	७४४.१	४,१३०	४६७	२५.५	८४.४	७२५.३	४,३१५	१८९
फरवरी	२९.४	१८.०	७७.९	६५०.९	२,५०२	२७३	३७.१	६५.२	६०६.४	३,१८१	१७५
मार्च	३०.५	१८.६	७६.७	६४४.७	२,२०८	२५७	२५.१	७५.१	५९३.५	२,२३५	७८
अप्रैल	२९.९	१८.०	...	७०४.०	२,१९३	५७	२३.४	...	६१८.३	२,३४८	२७
मई	३२.३	१८.५	...	७६१.५	२,०१४	१६	...	...	६८२.९	२,१९७	१२८

[११] रबड़ उद्योग (शेषांश)

वर्ष	८५ रबड़ के नल: रैडियेटर (०००)	८५ रबड़ के नल: वेक्यूम ब्रेक (०००)	८५ रबड़ के नल: अन्य प्रकार के (०००फुट)	८६ पंखों के पट्टे (०००)	८७ रेलों का रबड़ का सामान (०००)	८८ इबोनाइट (००० पौंड)	८९ वाटर प्रूफ कपड़े (००० गज)	९० रबड़ के स्पंज (००० पौंड)
१९५०	२०६.४	३३३.६	२,८२०.०	१६०.८	९६१.२	...	...	...
१९५१	२२०.८	४७२.८	३,४७४.०	२९८.८	७४८.८	१९९.२	१,५७६.८	४७१.६
१९५२	१५४.८	४४४.०	३,८४९.६	५५८.०	१,२१६.८	२२६.०	१,२९४.८	६३९.६
१९५३	१०४.४	४७२.८	४,४२२.०	४३२.०	१,२३३.६	८८.८	२,०६१.६	४९५.६
१९५४	१६२.०	६२०.४	४,८६६.०	५००.४	१,३२३.६	११६.४	२,०२८.०	९३८.४
१९५५	१८६.६	८०८.८	५,७३४.८	६५५.२	१,५३६.६	१३०.८	२,११९.२	१,४७०.०
१९५६	२४८.४	५५२.०	७,०८१.५	७२४.८	१,६५६.०	२१०.०	२,५७४.०	१,७७७.२
१९५७	१७१.६	७७७.६	७,९८१.२	६५२.८	१,७६२.८	२४०.०	३,०७६.८	१,९५६.०
१९५७ जून	११.६	६४.९	६५९.०	५०.८	१५४.५	१७.५	३३२.२	१५८.५
जुलाई	१७.५	७८.२	६६९.४	५८.२	१६२.३	२१.७	२६६.६	१३८.५
अगस्त	१५.४	७९.८	५७७.६	४८.०	१४९.८	२२.८	२४९.१	१६१.४
सितम्बर	१२.९	६७.१	६०७.०	४८.९	१४३.६	२३.९	२३७.९	१६७.७
अक्तूबर	९.७	५५.४	४६६.८	३७.०	१२० ५	१९.५	२४६.०	१५३.८
नवम्बर	१३.८	५५.२	६६५.३	६५.२	१८६.०	२०.१	२५९.९	२००.३
दिसम्बर	१४.०	७२.५	७३३.९	५९.१	१५०.५	२०.२	२२३.३	१७३.९
१९५८ जनवरी	१५.६	४५.३	६७५.०	५७.९	१४६.७	१३.७	३३५.५	१८०.०
फरवरी	१०.५	४१.६	६४०.६	५६.१	११५.०	१८.३	२५७.९	१६४.१
मार्च	१३.७	३९.९	६९९.८	५५.५	१३५.३	...	...	१७१.३
अप्रैल	८.१	५५.२	६५३.५	६१.५	११७.५	...	...	...
मई	११.९	५३.२	६८८.२	...	१११.८	...	...	...

१. औद्योगिक उत्पादन

[१२] खाद्य और तम्बाकू

वर्ष	९१ [ट] गेहूँ का आटा (००० टन)	९२ [ठ] चीनी (००० टन)	९३ [ड] काफी (टन)	९४ [ढ] चाय (दस लाख पौंड)	९५ नमक (००० मन)	९६ वनस्पति तेल से बनी हुई वस्तुएं (टन)	९७ सिगरेट (लाख)
१९५०	४७७ ६	९७६ ८	२०,५३२	६१३ २	७१,३१६	१,७१,६३६	२,३१,२९२
१९५१	४८६ ०	१,११४ ८	१८,०९६	८२८ ८	७४,३७३	१,७२,३२०	२,१४,४८८
१९५२	५१२ ४	१,४९४ ०	२१,०९६	६१४ ४	७३,८६०	१,९०,८१२	२,०१,१९२
१९५३	४८३ ६	१,२९१ ०	२२,५७२	६०८ ४	८३,३१६	१,९१,६५२	१,८३,९११
१९५४	४४२ ८	१,०८८ ०	२९,३६४	६४४ ४	७३,९०८	२,३०,७४८	१,९८,२०३
१९५५	४८८ ४	१५९४ ८	२४,९४८	६६८ ४	८१,०७२	२,३०,७८४	२,२८ २८८
१९५६	५३७ ६	१८५४ ४	३४,४४०	६६७ २	८९,०१६	२,५५,६१२	२,६१,५७३
१९५७	६५५ २	२०३८ ८	४०,८८४	६६६ ०	९८,०००	३,०१,३५६	२ ८०,१४४
१९५७ जून	५५ २	३९ ३	३,०९२	७९ ६	२२,५३२	२५,६५३	२२,२९०
जुलाई	५३ ९	९ ९	१,४९२	८९ २	६,०६६	२२,९०२	२५ ४१०
अगस्त	६१ ५	७ ६	९९०	१०० ९	४,७१९	२१,१८७	२३,७००
सितम्बर	६० ६	८ २	९२५	१०४ ८	३,१४५	२०,९१०	२५,०५०
अक्तूबर	६२ ७	१७ ४	१,४०४	१०५ ९	२,३१०	२३,४६५	२२ ६९०
नवम्बर	६३ ६	१०५ ३	१,४४२	६० २	१,५२७	२५,४३८	२५ ६६०
दिसम्बर	६१ ९	३५७ ५	१,४७८	२२ ४	३,६११	३८,००६	२२,५००
१९५८ जनवरी	५९.९	४२९ ८	४,५६६	९ ६	३,५६३	२६,२८३	२३,५००
फरवरी	५२ ९	४११ ५	५,९९८	८.३	६,३९२	२४,९६८	१४,५४०
मार्च	६ ४	३७७ ६	७ ६२०	१४ १	११,३९०	२९,२९७	२६,०९०
अप्रैल	५ ८	..	--	•			१९ ७९०
मई			•		--	—	—

[ट] ये आँकड़े केवल बड़ी आटा मिलों के हैं। [ठ] ये आँकड़े फसली साल (नवम्बर से अक्तूबर) तक के हैं और केवल गन्ने से बनने वाली चीनी के विषय में हैं। [ड] ये आँकड़े धोवने और पीसने के पश्चात् काफी भण्डार में दे दी जाने वाली काफी के विषय में हैं। [ढ] ये मासिक आँकड़े पंजाब (काँगड़ा) और हिमाचल प्रदेश के उत्पादन को छोड़ कर हैं।

[१३] चमड़ा उद्योग

वर्ष	९८ जूते, पश्चिमी ढंग के (००० जोड़े)	९९ जूते, देशी ढंग के (००० जोड़े)	१०० क्रोम से कमाया चमड़ा (०००)	१०१ वनस्पतियों से कमाया हुआ गाय भैंस का चमड़ा (०००)	१०२ चमड़े जैसा कपड़ा (००० गज)
१९५०	२,८११ ८	२,६११ ८	४६५ ६	१,५१४ ४	..
१९५१	१,६४० ८	२,०७३ ६	८७६.६	१,७०४ ०	१,६१८ ८
१९५२	१,११७ २	२,८०६ ०	६५० ४	१,४७८ ४	६५४ ४
१९५३	१,३४८ ०	२,३०४ ४	७०० ८	१,३९८ ४	६८५.२
१९५४	१,२६७ ६	२,०६२ ८	६६८ ४	१,३७० ४	१,२९९.२
१९५५	१,२४२ ४	२,३०२ ८	६७६ ८	१,६१५.६	१,६११ २
१९५६	२,३२० ४	२,९११ २	७४२ ६	१,७१३ ६	२,६१८ ४
१९५७	४,३९९.२	३,०३८ ४	६३० ०	१,७९१ ६	१५११ २
१९५७ जून	३६४ ३	२२४ ६	५३ ४	२२२ ०	२५०.२
जुलाई	४५३ ४	२७७ ९	६० १	२२५ २	१९४ ७
अगस्त	३४९.४	२३७ ३	४१ १	२३५ १	२१७ २
सितम्बर	३७४ ३	२४४ ८	६५ १	२४२ ३	२८९ ७
अक्तूबर	२६१ ६	१६३ ४	६० ७	२५१ ०	२८१ ३
नवम्बर	३८५.६	२७४ १	३३ १	२६८ २	१५५ १
दिसम्बर	४२९ १	२१६ १	३९ ०	२४८ ७	१३१ ५
१९५८ जनवरी	४३० ३	९२२ १	५४ ८	१८५.६	१९२ ६
फरवरी	३९९ ३	२७३ ४	५१ ०	१७८ ०	१७९ १
मार्च	३४२ १	२६४.८	६० १	१९३ ५	२४६.२
अप्रैल	३५७ ७	३०१ ५	६३ १	२४६ ८	१८६ ५
मई	१५० ६	१७४ ६	६७ ४	२६४ ५	...

१. औद्योगिक उत्पादन

[१४] अन्य उद्योग

वर्ष	१०३ खनिज कोयला (००० टन)	१०४ प्लाइवुड (००० वर्ग फुट) चाय की पेटियां	व्यापारिक	योग	१०५ कागज (टन) छपाई और लिखाई का	पैक करने का	विशेष किस्म का कटा	गत्ते	योग
१९५०	३१,९६२	४१,३७६	८,८४४	५०,२२०	७०,२५२	१४,३१६	५,१९६	१८,८४८	१,०८,८१२
१९५१	३४,२०८	६०,६४८	१०,२००	७०,८४८	७६,२६०	२५,४८८	३,१२०	२४,०५८	१,३१,९१६
१९५२	३६,२२८	७८,२२८	१२,३१२	९०,५४०	९१,४२८	२१,५४०	२,८२०	२१,७२०	१,३७,५०८
१९५३	३५,८४४	४९,७८८	११,४१२	६१,२००	९५,६२८	२१,१४४	३,४२०	१९,५१२	१,३९,७०४
१९५४	३६,७६८	६४,१८८	१३,५८४	७७,७७२	१,०२,८७६	२४,११६	४,७८८	२३,५०८	१,४५,३२८
१९५५	३८,२०८	९१,२२८	१९,३६२	११०,५२०	१,१९,४९६	२८,३२०	५,६०४	३१,४६४	१,८४,८८४
१९५६	३९,४३२	९७,८८४	२५,८३६	१२३,७२०	१,२२,९८८	३०,९२४	५,७७२	३३,७२०	१,९३,४०४
१९५७	४३,५३६	९३,४२०	३१,६३२	१,२५,०५२	१,२६,५१६	३८,०१६	७,२००	३८,४००	२,१०,१३२
१९५७ जून	३,३३०	७,४९६	२,६२१	१०,११७	९,९४८	३,२६३	५००	३,०७५	१६,७८६
जुलाई	३,३३१	७,०९०	२,७०७	९,७९७	१०,३७२	३,०४१	७४६	३,३४९	१७,५११
अगस्त	३,३७६	६,६२६	२,६५७	९,२८३	१०,४२५	३,४९७	६२३	३,४७०	१८,०१५
सितम्बर	३,६४७	७,६२६	२,३९२	०,०१८	१०,५४२	२,७८५	७००	१,५६६	१५,५९३
अक्तूबर	३,५५५	५,७१५	२,५७७	१८,२९२	१०,७८३	३,४९५	५८२	३,४३७	१८,२९७
नवम्बर	३,९३०	७,२५३	२,८८९	१०,०९५	११,६८३	३,४१९	६५७	३,४५०	१९,२०९
दिसम्बर	४,०५१	८,२८३	२,३३२	१०,५१५	११,५१४	३,५५३	६५१	४,०९४	१९,८१२
१९५८ जनवरी	३,९४७	७,६३९	३,५३९	११,१७८	१३,०१८	३,४५०	४७३	३,७३९	२०,६८०
फरवरी	३,७१२	७,२०४	२,९१४	१०,०१८	११,३११	२,८१८	५१३	३,५७५	१८,२२७
मार्च	३,७०१	७,४४०	२,७१४	१०,१५४	...	—	...	...	२०,८५०
अप्रैल	...	६,९४७	२,७४७	९,७१४	...	...	...	...	...
मई	—	...	...	—	...	...	...	...	...

[१४] अन्य उद्योग (शेषांश)

परिवहन

वर्ष		१०६ मोटर गाड़ियां (संख्या) कारें	जीप तथा लैंडरोवर गाड़ियां	स्टेशन वैगन तथा अस्पताली गाड़ियां	ट्रक,	सवारी गाड़ियां	योग	१०७ साइकिलें पूरी तैयार (संख्या)	हिस्से (मूल्य ००० रुपये)
१९५०		६,५८८	...	...	...	—	१४६०४	१,०३,२५२	६,४५२.४ (ग)
१९५१		१२,३८४	—	...	—	—	२२२७२	१,१४,२७६	९,४८८.४
१९५२		९,९४८	—	—	...	—	१५२८८	१,६६,९५६	८,२४७.६
१९५३		४,९३२	—	...	—	—	१३९२०	२,६४,१९८	१०,१९४.०
१९५४		५,४३६	...	...	...	—	१४४६०	३,७२,३६०	१३,०८०.०
१९५५		९,४९२	३३३६	७६८	६४५६	३०३६	२३०८८	४,९१,२७२	१६,४१६.८
१९५६		१२,९८४	४२५०	६८४	८६२०	३४०८	२६८३६	६,५७,४२४	२३,२२४.८
१९५७		११,५०४	४०३८	६१९	११,८६२	३७५६	३१९३२	८,००,८३२	२७,५४३.६
१९५७	जून	७७२	२५६	७१	६७५	५४३	३११७	५८,७७१	२,०१४.५
	जुलाई	१,१३६	५७४	९३	७२२	३५७	२८८२	६३,४८६	२,४६७.८
	अगस्त	८७७	४१५	७९	६८०	२२२	२२७३	६९,१५८	२,१८८.४
	सितम्बर	९८०	३९६	४०	१०५२	२४५	२७१३	६६,२७४	२,३५२.३
	अक्तूबर	७८१	२०२	३०	११२८	२१९	२४५०	५६,०३२	१,८८२.८
	नवम्बर	१,०७६	१५२	१३	१०५४	१९७	२४९१	७५,८५३	२,७३७.७
	दिसम्बर	८४२	१६८	६	११२९	३४६	२४९७	७८,०९२	२,७५९.०
१९५८	जनवरी	६४०	३५८	४३	११८०	४२५	२६३३	८०,७७७	२,५१९.५
	फरवरी	४५१	२१३	३१	११४८	३७७	२३३०	८२,३०९	२,६०२.६
	मार्च	९९७	१९५	१३	—	—	२७४८	७१,५५७	२,०९०.४
	अप्रैल	४९२	...	—	...	२५८	२४०१	७२,१९२	१,९२८.०
	मई	५०८	...	...	—	...	१५७०	—	...

[ग] १९४८ से १९५३ तक के वर्षों के अंकों में पूरी साइकिल बनाने वाली फर्मों द्वारा तैयार किये गये हिस्से शामिल नहीं हैं।

२. देश में वस्तुओं

इस तालिका में समस्त भाव प्रत्येक

वस्तुएं	बाजार	इकाई	जून ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
खाद्य							
१. चावल							
(१) मध्यम	कलकत्ता	मन	२२.२५	२५.००	२४.००	२२.२५	२२.२५
(२) लाल भीनाती	पटना	,,	२३.०७	२०.००	१६.००	२०.००	२१.००
(३) अक्रगड्डा	विजयवाड़ा	,,	१६.८७	१६.८१	१७.३०	१७.००	१७.००
२. गेहूं							
(१) साधारण	जबलपुर	,,	अप्राप्त	अप्राप्त	१७.००	१७.७५	१७.७५
(२) ,,	अमृतसर	,,	१४.१६	१५.३८	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
(३) ,,	हापुड़	,,	१४.५०	१५.५०	१५.५०	१५.३७	१५.२५
३. ज्वार	अमरावती	,,	१३.००	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
४ बाजरा	हैदराबाद शहर	२४० पौण्ड	अप्राप्त	३६.३३	३५.००	३३.००	३४.५०
५. चना		प्रति पल्ला					
(१) देशी	पटना	मन	१५.००	१२.५०	११.५०	१२.५०	१३.००
(२) ,,	हापुड़	,,	१२.००	११.३७	१०.८७	११.१२	११.२५
६. दाल							
अरहर	,,	,,	११.६२	१०.००	१०.२५	१०.७५	१२.१२
७. चाय							
(१) आतरिक उपभोग के लिए	कलकत्ता	पौण्ड	१.३१	१.३८	१.३३	१.३२	१.३६
(२) निर्यात :—							
(क) निम्न मध्यम ब्रोक पीको	,,	,,	बिक्री नहीं	१.६०	१.५६	१.४४	१.५२
(ख) मध्यम ब्रोक पीको	,,	,,	बिक्री नहीं	१.६६	१.६२	१.५४	१.६४
८. काफी							
(१) प्लाण्टेशन पीबेरी (गोल)	मंगलोर/कोयम्बटूर*	हंडरवेट	२३५.००	२४७.५०	२४२.५०	२३२.५०	२३५.५०
(२) देशी चपटी	,, ,,	,,	१६०.००	१६२.५०	१६२.५०	१६३.५०	१६२.५०
९. चीनी							
(१) डी. २८	कानपुर	मन	३३.१०	३४.७५	३४.६२	अप्राप्त	३४.६४
(२) डी. २७	,,	,,	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
(३) ई. २७	,,	,,	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
१०. गुड़							
(१) खाने के लिए	अहमदनगर	,,	१४.००	१३.५०	१३.००	१३.००	१४.००
(२) ,, ,,	मुजफ्फरनगर	,,	१३.३८	१३.७५	१५.५०	१८.००	१८.००

मन=८२ $\frac{2}{7}$ पौण्ड

* प्रतिवर्ष जनवरी से जून तक मंगलोर बाजार के मूल्य और जुलाई से दिसम्बर तक कोयम्बटूर बाजार के मूल्य दिये जाते हैं।

के थोक भाव : १९५८

मास के दूसरे सप्ताह के दिये गये हैं।

मई ५८	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८	अक्तूबर ५८	नवम्बर ५८	दिसम्बर ५८
रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु०न. पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै.
पदार्थ							
२२.८७	२३.८७						
२३.००	२३.५०						
१७.००	१७.००						
१८.८३	२०.६४						
अप्राप्त	अप्राप्त						
१५.३७	१७.८७						
अप्राप्त	अप्राप्त						
३४.००	३३.००						
१२.००	१३.५०						
११.२५	१२.८७						
११.८७	१४.६६						
९.३३	१०.४०						
बिक्री नहीं	बिक्री नहीं						
बिक्री नहीं	बिक्री नहीं						
२५२.५०	२५६.५०						
१९७.५०	२०३.००						
३५.४४	अप्राप्त						
अप्राप्त	अप्राप्त						
अप्राप्त	अप्राप्त						
१४.२५	१४.२५						
१६.८७	१६.३७						

२. देश में वस्तुओं

वस्तुएं	बाजार	इकाई	जून ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
११. नमक							
(१) साम्भर (न)	दिल्ली	मन	२.५०	२.५०	२.५०	२.५०	२.५०
(२) काला	बम्बई	,,	अप्राप्त	अप्राप्त	३.३७	अप्राप्त	अप्राप्त
१२. तम्बाकू							
जाती पूला मध्यम (साधारण औसत दर्जे का)	कलकत्ता	,,	अप्राप्त	१०६.१४	१०६.१४	१००.१४	६७.१४
१३. काली मिर्च							
(१) ऐलेप्पी (बिना छंटी हुई)	,,	,,	६५.००	८०.००	६५.००	६५.००	६५.००
(२) छंटी हुई	कोचीन	हंडरवेट	१०७.५०	८७.५०	८५.००	९९.३८	१०८.७५
१४. काजू							
भारतीय	मंगलौर	मन	२५.३२	२४.०५	२२.७६	२२.७६	२०.२५

औद्योगिक

वस्तुएं	बाजार	इकाई	जून ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
१. रुई कच्ची							
(१) जरीला एम. जी. एफ.	बम्बई	७८४ पौंड की कैंडी	८२०.००	७७०.००	७६२.००	७५०.००	७५०.००
(२) २१६ एफ. एम. जी.	,,	,,	९८५.००	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं
(३) बंगाल बढ़िया एम. जी.	,,	,,	बिक्री नहीं	६०५.००	५९०.००	५९०.००	५८५.००
२. जूट, कच्चा							
(१) फर्स्ट्स	कलकत्ता	४०० पौंड की गांठ	२४०.००	२४५.००	२३५.००	२२०.००	२२५.००
(२) लाइटनिंग	,,	,,	२२५.००	२१५.००	२०५.००	१९०.००	१९५.००
(३) बाट मिडिल	,,	,,	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
३. रेशम, कच्चा							
(१) २,४०० ताना खामरू	माल्दा	८० तोले का सेर	८४.००	६४.००	—	७२.००	७२.००
(२) चरखा बढ़िया किस्म का	बंगलौर	३९ तोले का पौंड	२३.५०	२६.००	—	२६.५०	२८.००
४. ऊन कच्चा							
(१) जोड़िया सफेद बढ़िया	बम्बई	मन	२९४.४४	अप्राप्त	२४१.७१	२४१.७१	२४१.७१
(२) तिब्बती	कालिम्पांग पहुंचने पर	,,	१७५.००	१७७.५०	१७७.५०	१७७.५०	१७७.५०

(न) नियन्त्रित मूल्य ।

के थोक भाव : १६५८

मई ५८	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८	अक्तूबर ५८	नवम्बर ५८	दिसम्बर ५८
रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न. पै०	रु० न. पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै.
२.५०	२.५०						
२.७५	२.७५						
६१.१४	६१.१४						
६५.००	६०.००						
१०५.६३	१००.६३						
२०.३०	२१.२०						

कच्चा माल

मई ५८	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८	अक्तूबर ५८	नवम्बर ५८	दिसम्बर ५८
७३०.००	७४५.००						
८६०.००	८६५.००						
६००.००	५६०.००						
२३०.००	२२०.००						
२००.००	१६५.००						
अप्राप्त	अप्राप्त						
६६.००	अप्राप्त						
२५.०६	२५.८७						
२४१.७१	२१६.००						
१७७.५०	१७७.५०						

२. देश में वस्तुओं

वस्तुएं	बाजार	इकाई	जून ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
			रु० न.पै०	रु० न पै०	रु० न पै०	रु० न.पै०	रु० न पै०
५ मूंगफली							
(१) बड़ादाना	बम्बई	हंडरवेट	३५ ५०	३१.१२	३१.३७	३२.००	३३ ८७
(२) मशीन से छिली हुई	कडूलोर	मन	२५.५७	२३.२४	२३.२४	२२.४७	२२ ४७
६ अलसी							
(१) बड़ादाना	बम्बई	हंडरवेट	२९ ५०	३०.३७	२८.८७	२९.७५	३० २५
(२) छोटा दाना	कलकत्ता	मन	२३ २५	२३.१२	२१ २५	२२.००	२३ ००
७. अरण्डी का बीज							
(१) छोटा हैदराबादी	मद्रास	,,	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं
(२) साधारण औसत दर्जे का	बम्बई	हंडरवेट	३४.७५	२७.३७	२७ ७५	२९.५०	२९ ८७
८. तिल							
(१) सफेद	,,	,,	४८.४०	४२.८८	४२.००	४२.३१	४४ २४
(२) मिश्रित (गाजर)	झांसी	मन	३१.००	२८.५०	२६.००	२६.५०	२७ ५०
९. तोरिया							
(१) बड़ा दाना (कानपुरी)	कलकत्ता	,,	३३ ००	३०.००	२८.००	२८.००	२९ ५०
(२) पीला	बम्बई	मन	३२ ६९	२९.४४	अप्राप्त	२९.३९	३२ २५
(३) सरसों साधारण औसत दर्जे की कानपुर		,,	२५ ५६	३२.००	२९.०९	३०.४७	३० ४७
१०. बिनौला							
(१) ,,	बम्बई	हंडरवेट	अप्राप्त	—	—	—	—
(२) ,,	अमरावती	८० पौंड का मन	१०.८९	—	८.८६	९.४९	—
११ नारियल का गोला							
साधारण औसत दर्जे का	कोचीन	६५५.६ पौंड की कैंडी	३२२.५०	४५४.१३	४१३.००	४११.२५	४२८.००
१२. कोयला (न)							
(१) चुना हुआ झेरिया	कोलाहरी साईडिंग में पहुंचने पर	टन	१९.१२	२०.६२	२० ६२	२०.६२	२० ६१
(२) दिशेरगढ़ (प्रथम श्रेणी)	,,	,,	१९.४४	२० ९४	२०.९४	२०.९४	२०.९४
(३) म०प्र० (प्रथम श्रेणी)	,,	,,	२१.१९	२२ ५९	२२.६९	२२.६९	२२ ६९
१३ कच्चा लोहक							
निर्यात मूल्य	विशाखापत्तनम	,,	—	१६२ ६३	—	११४.६०	२१७ १०

(न) नियन्त्रित मूल्य

के थोक भाव : १९५८

मई ५८	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८	अक्तूबर ५८	नवम्बर ५८	दिसम्बर ५८
रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु०न. पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै.
३४.५०	३५.२५						
२३.२४	२५.१०						
३०.५०	३२.००						
२२.००	२२.७५						
बिक्री नहीं	बिक्री नहीं						
२६.७५	३०.३७						
४५.००	४५.००						
२७.५०	२८.५०						
२६.००	३०.५०						
२६.३६	३२.३३						
३०.४७	३२.००						
—	—						
—	१०.३४						
४१८.७५	४२४.८८						
२०.६२	२१.३७						
२०.६४	२१.६६						
२२.६९	२३.४४						
११०.२८	११६.१८						

२. देश में वस्तुओं

वस्तुएं	बाजार	इकाई	जून ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
१४. चमड़ा, कच्चा							
(१) नमक लगा सूखा गाय का	कलकत्ता	२० पौंड	बिक्री नहीं	पूर्ति नहीं	पूर्ति नहीं	पूर्ति नहीं	पूर्ति नहीं
(२) नमक लगा गीला भैंस का	कलकत्ता	२० पौंड	१०.००	१२.००	१३.००	१४.००	१४.००
(३) नमक लगा गीला गाय का	कानपुर	कोड़ी	१६५.००	२७५.००	२६५.००	२८०.००	२६०.००
(४) नमक लगा गीला भैंस का	,,	२० पौंड	१०.५७	१२.५०	१२.६५	१२.६५	१२.६५
१५. खालें कच्ची							
बकरी की, औसत किस्म की	कलकत्ता	१०० थान	३५०.००	४००.००	३२५.००	३२५.००	३२५.००
१६. लाख							
(१) चपड़ा शुद्ध टी० एन०	,,	मन	७४.००	७८.००	८०.००	७२.५०	७०.००
(२) बटन शुद्ध	,,	,,	८८.००	९२.००	९२.५०	८८.५०	८५.५०
१७. रबड़							
BMA IX BSS	कोट्टायम	१०० पौंड	१५२.५०	१५२.५०	१५२.५०	१५२.५०	१५२.५०

अर्द्ध निर्मित

वस्तुएं	बाजार	इकाई	जून ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
१. चमड़ा							
(१) गाय का चमड़ा	मद्रास	पौंड	२.७३	२.६८	२.६८	२.६८	२.६१
(२) भैंस का चमड़ा	,,	,,	२.०६	१.९८	१.९८	१.९८	२.०६
(३) भेड़ की खालें	,,	,,	२.७५	६.५०	६.५६	६.५६	६.३०
(४) बकरी की खालें	,,	,,	६.५०	६.४७	—	६.३५	६.२०
२. खनिज तेल							
(क) मिट्टी का तेल (न)							
(१) बढ़िया थोक	कलकत्ता	८ गलन	९.६८	९.६८	९.६८	९.६८	९.६८
(२) घटिया थोक	,,	,,	९.५६	९.५६	९.५६	९.५६	९.५६
(ख) पैट्रोल (न)							
(१) थोक पम्प पर	,,	गलन	२.९९	३.०१	३.०१	३.०१	३.०१
(२) ,,	दिल्ली	,,	३.२०	३.२०	३.२०	३.२०	३.२०
(३) ,,	मद्रास	,,	२.९९	२.९९	२.९९	२.९९	२.९९
३. वनस्पति तेल							
क. नारियल का तेल							
(१) साधारण औसत दर्जे का (तैयार)	कोचीन	६५५.६ पौंड की कैंडी	५०४.६८	६९७.०५	६३८.८०	६४६.८०	६७३.३०
(२) कोलम्बो का बढ़िया खुदरा	कलकत्ता	मन	८२.००	११०.००	१०५.००	१०५.००	११५.००
(३) खुला	बम्बई	क्वार्टर	बिक्री नहीं	३०.५०	२९.२५	२८.७५	२९.००

(न) नियन्त्रित मूल्य।

के थोक भाव : १९५८

मई ५८	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८	अक्तूबर ५८	नवम्बर ५८	दिसम्बर ५८
रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु०न. पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
पूर्ति नहीं	पूर्ति नहीं						
१४.००	१४.००						
२६०.००	२५०.००						
१२.६५	१२.६५						
३२५.००	३५०.००						
६५.००	६५.५०						
८१.५०	८२.००						
१५२.५०	१५२.५०						
वस्तुएं							
२.६१	२.६१						
२.०६	२.०६						
६.३०	६.३०						
६.२०	६.२०						
९.६८	९.६८						
९.५६	९.५६						
३.०१	३.०१						
३.२०	३.२०						
२.९९	२.९९						
६५१.३०	६५०.३०						
बिक्री नहीं	१२०.००						
२७.७५	३०.००						

२. देश में वस्तुओं

वस्तुएं	बाजार	इकाई	जून ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
ख. मूंगफली का तेल							
(१) खुदरा	मद्रास	५०० पौंड की कैंडी	३३२.५०	२६१.००	२६६.००	३०१.००	३०७.५०
(२) खुला	बम्बई	क्वार्टर	२०.१२	१७.१९	१७.१२	१७.६२	१८.५०
(३) गुण्टूर (टीन बन्द)	कलकत्ता	मन	६३.५०	५६.००	५६.००	६१.००	६२.००
ग. सरसों का तेल							
(१) खुदरा (मिल से निकलते समय)	”	”	८२.००	७५.००	७५.००	६८.००	७४.००
(२) ”	पटना	”	८२.००	७३.००	६६.००	६९.००	७४.००
(३) साधारण औसत दर्जे का	कानपुर	”	८२.५०	७०.००	६६.००	७०.००	७६.००
घ. अरण्डी का तेल							
(१) नं० १ बढ़िया पीला (जहाज पर)	कलकत्ता	”	८२.००	७८.००	७४.००	७४.००	७४.००
(२) ”	मद्रास	५०० पौंड की कैंडी	बिक्री नहीं	४००.००	३४०.००	३४५.००	३४५.००
ङ. तिल का तेल							
खुला	बम्बई	क्वार्टर	२६.६७	२१.९०	२०.६५	२२.६५	२१.४०
च. अलसी का तेल							
(१) कच्चा खुदरा (मिल से निकलते समय)	कलकत्ता	मन	५१.१२	५३.००	५१.००	५१.५०	५१.००
(२) ”	बम्बई	क्वार्टर	१५.१२	१६.६२	१५.६२	१६.००	१६.१२
४. खली							
(१) मूंगफली	कलकत्ता	मन	९.२५	८.००	८.५०	८.५०	९.२१
(२) नारियल	बम्बई	२॥ हंडरवेट	बिक्री नहीं	२५.००	२३.५०	२२.००	२१.००
(३) तिल	”	टन	बिक्री नहीं	३८०.००	३६०.६०	३५५.००	३६०.००
५. सूत (भूरे रंग का) भारतीय							
(१) १० नम्बरी	कलकत्ता	५ पौंड	७.५०	७.१३	६.८४	६.६६	६.८१
(२) २० ”	”	”	७.४९	८.८०	८.१२	८.४९	८.४१
(३) ४० ”	”	”	१३.६४	१२.५०	१२.४४	१२.०९	११.८१
(४) सूत २० नम्बरी	बंगलौर	१० पौंड	१८.३७	१६.८१	१६.६२	१६.२५	१६.११
६. नारियल की सुतली							
(१) असली अलापट	कोचीन	६ हंडरवेट की कैंडी	२७०.००	२५०.००	२५०.००	२५५.८३	२४५.००
(२) अनजेंगो बढ़िया	”	”	३०२.५०	२७५.००	२८०.००	२७५.००	२७०.००

के थोक भाव : १९५८

मई ५८	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८	अक्तूबर ५८	नवम्बर ५८	दिसम्बर ५८
रु० न.पै०	रु० नपै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न. पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
३१३.००	३१५.००						
१८.५०	१८.५०						
बिक्री नहीं	६०.००						
७२.००	७०.००						
७१.००	७०.००						
७१.००	७३.५०						
७१.००	६८.००						
३३५.००	३३५.००						
२३.६५	२२.९०						
५१.००	५३.००						
१६.००	१६.१२						
१०.२५	१०.५०						
२३.५०	२३.५०						
४१०.००	४१०.००						
६.८४	६.७८						
८.२९	८.३९						
११.९४	११.९१						
१५.३४	१५.३७						
२४५.००	२४९.१७						
२६०.००	२६०.००						

२. देश में वस्तुओं

वस्तुएं	बाजार	इकाई	जून ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
७. लोहा और इस्पात			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
क. कच्चा लोहा (न)							
(१) फाउंडरी नं० १	कलकत्ता पहुंचने पर	टन	२२५.००	२२५.००	२२५.००	२२५.००	२२५.००
(२) लोहा बेसिक	,,	,,	२०६.००	२०६.००	२०६.००	२०६.००	२०६.००
ख. अर्द्ध-शुद्ध (न)							
फिर गलाने के लिए टुकड़े	कलकत्ता	,,	४७७.००	४७७.००	४७७.००	४७७.००	४७७.००
८. धातु (लोहे के अतिरिक्त)							
(१) जस्ता स्पैल्टर (बिजली वाला) मुलायम	,,	हंडरवेट	७५.००	५५.००	५३.५०	५४.००	५४.००
(२) पीतल पीली धातु-संधान (चादरें) ४"×४"	,,	,,	१७८.००	१६८.५०	१७०,००	१८५.००	१८०.००
(३) पीतल की चादरें (गिलेपड्डे)	बम्बई	,,	१७५.००	१६२.००	१६२.५०	१६४.००	१६५.००
(४) ताम्बे की चादरें (इण्डियन)	,,	,,	अप्राप्त	२००.००	२०२.५०	१९७.५०	बिक्री नहीं
९. लकड़ी							
सागौन के गोल लट्ठे ५ फीट और उससे अधिक परिधि वाले	बल्लारशाह (दक्षिण चान्दा, मध्य प्रदेश)	घन फुट	१४.२५	१४.२५	१४.२५	१४.२५	१४.२५

निर्मित

वस्तुएं	बाजार	इकाई	जून ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
१. टेक्सटाइल							
क. जूट का माल							
टाट							
(१) १०½ औंस ४०"	कलकत्ता	१०० गज	४५.६४	४५.६४	४१.४०	४०.७५	४१.७५
(२) ८ औंस ४०"	,,	,,	३२.२०	३२.३५	३२.०५	३१.३५	३१.६०
बोरियां							
(१) बी. ट्विल्स २½ पौं०	,,	१०० बोरियां	११७.३०	१०४.१०	१०१.२५	९८.६०	९९.२५
(२) सी. मारी बोरिया २½ पौं०	,,	,,	११८.००	१०४.००	१००.७५	९८.२५	९९.२५
ख. सूती माल**							
(१) कोरा कमीज का कपड़ा १२१-३५"×३८ गज×७ पौंड	बम्बई	एक थान	१७.२२	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
(२) कोरा स्टैंडर्ड कमीज का कपड़ा—३५"×३८ गज	,,	पौंड	२.०५	१.८६	१.८६	१.८६	१.८२
(३) छींट (हिन्द मिल्स) ४५८८ ४३"×३८ गज	,,	एक थान	२४.६४	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
(४) कोरी धोतियां (यश मिल्स) मध्यम ४३"× १०/२ गज×२ पौंड		एक जोड़ा	६.३७	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त

(न) नियन्त्रित मूल्य ** मिल से चलते समय माल के भाव

के थोक भाव : १९५८

मई ५८	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८	अक्तूबर ५८	नवम्बर ५८	दिसम्बर ५८
रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न० पै.	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
२२५.००	२२५.००						
२०६.००	२०६.००						
४७७.००	४७७.००						
५७.५०	५८.००						
१७७.५०	१७४.००						
१६४.००	१६३.००						
बिक्री नहीं	२०७.५०						
१४.२५	१४.२५						

वस्तुएं

मई ५८	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८	अक्तूबर ५८	नवम्बर ५८	दिसम्बर ५८
४३.३५	४२.००						
३३.००	३२.००						
१०१.००	९७.००						
१०१.६५	९७.२५						
अप्राप्त	अप्राप्त						
१.८२	१.८२						
अप्राप्त	अप्राप्त						
अप्राप्त	६.३१						

२. देश में वस्तुओं

वस्तुएं	बाजार	इकाई	जून ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
(५) रंगीन क्रेप—कमीज का कपड़ा एफ० एल०—१०५	मद्रास	गज	१.०२	१.०८	१.०८	१.०८	१.०८
(६) एम—१०१ ब्लीच किया मलमल ४८"×२०" गज	,,	२० गज	१६.५६	१६.६०	१६.६०	१६.६०	१६.६०
ग. रेयन और रेशम का माल							
(१) टफेटा कोरो २६-५०",४-३/४ से ५ पौंड तक (रेयन)	बम्बई	गज	०.७०	०.७०	०.७४	०.७६	०.७६
(२) फूजी (चीनी रेशम)	,,	५० गज का थान	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
२. लोहे और इस्पात से निर्मित वस्तुएं (न)							
लोहे और इस्पात की पनालीदार चादरें-२४ गेज	कलकत्ता	हंडरवेट	४३.२५	४३.२५	४३.२५	४३.२५	४३.२५
३. अन्य निर्मित वस्तुएं							
क. सीमेण्ट (न)							
भारतीय (स्वास्तिका)	,,	टन	११७.५०	११७.५०	११७.५०	११७.५०	११७.५०
ख. कांच (खिड़कियों का)							
(१) बड़ा साईज ३०"×२४" तक	,,	१०० वर्ग फुट	४५.००	४५.००	४०.००	४०.००	३८.००
(२) मध्यम साईज	,,	,,	४०.००	४२.००	३८.००	३८.००	३७.००
ग. कागज							
सफेद छपाई, डिमाई १४ पौंड और ऊपर	,,	पौंड	०.८०	०.८०	०.८०	०.८०	८३.५ न.पै०
घ. रसायनिक पदार्थ							
(१) फटकरी	,,	हंडरवेट	१६.५०	१९.७५	अप्राप्त	२१.००	२१.००
(२) गंधक का तेजाब*	,,	टन	१७०.००	१७०.००	१७०.००	१७०.००	१७०.००
ङ. रंग लेप							
लाल सीसे का सूखा असली	,,	हंडरवेट	९४.००	८२.००	८२.००	८४.००	—

(न) नियन्त्रित मूल्य

*१-२-५६ से गंधक के तेजाब का भाव कारखाने से निकलने वाले माल के भाव के बजाय संग्रह केन्द्र से निकलने वाले माल के १४७ रुपये=१०० के आधार पर दिया गया है।

के थोक भाव : १९५८

मई ५८	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८	अक्तूबर ५८	नवम्बर ५८	दिसम्बर ५८
रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न० पै०	रु० न.पै०	रु० न. पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
१.०८	१.०८						
१६.६०	१६.६०						
०.७३	०.७०						
अप्राप्त	अप्राप्त						
४३.२५	४३.२५						
११७.५०	११७.५०						
३७.००	३७.००						
३६.००	३६.००						
८३.५० न.पै०	८३.०५ न.पै०						
२१.००	२१.००						
१७०.००	१७०.००						
८४.००	८४.००						

व्यापारिक और औद्योगिक शब्दावली

प्रस्तुत अंक में व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों के जिन विशिष्ट शब्दों का प्रयोग हुआ है उन्हें तथा उनके अंग्रेजी रूपों को पाठकों की सुविधा के लिये यहां दिया जाता है। ये केवल सुविधा की दृष्टि से दिये गये हैं। प्रामाणिकता की दृष्टि से इन्हें अन्तिम नहीं मान लेना चाहिये। —सम्पादक।

हिन्दी शब्द	अंग्रेजी रूप	हिन्दी शब्द	अंग्रेजी रूप
अनुमानित	Estimated	नियोजन अवसर	Employment Opportunity
अन्तर्क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा	Inter reginal Competition	न्यूनतम आवश्यकताएं	Minimum needs
अतिरिक्त कर	Additional Taxation	न्यूनतम स्तर	Minimum level
आधारतत्व	Postulate	पंचवर्षीय योग	Five year Total
आन्तरिक साधन	Internal Resources	पूर्णतम उपयोग	Fullest Utilisation
आयोजना अवधि	Plan Period	प्रतिक्रिया	Reaction
आयोजना का अत्यावश्यक भाग	Core of the Plan	प्रतिस्थापन	Substitute
आवंटन	Allocation	प्रबन्ध	Provision
आवश्यकता	Requirements	प्राप्ति	Receipts
इमरतवान	Jar	प्रावस्था	Phase
उच्चतम	Ceiling	बदल	Substitute
ऋण	Loans	बर्तन	Utencils
कटौती	Cut	बाह्य साधन	External Resources
कर-मुक्ति	Exemption from Taxation	भुगतान संतुलन की कमी	Balance of Payment's deficit
कर-लक्ष्य	Tax Target	मूल लक्ष्य	Original Target
कर सम्बन्धी उपाय	Tax Measures	मूल्य स्तर	Price level
काटछांट	Pruning	मोटा अनुमान	Rough Estimate
काम	Job	योगदान	Contribution
किफायत	Economies	रुख	Trend
कुल खर्च	Total Outlay	वर्तमान स्तर	Present level
कृषि उत्पादन	Agricultural Production	विकासेतर व्यय	Non-development Expenditure
केन्द्रीय कराधान	Central Taxation	विदेशी सहायता	External Assistance
क्षमता	Capacity	विस्तार	Scope
खाद्य उत्पादन	Food Production	शेष कमी	Shortfall
गुंजाइश	Latitude	श्रम शक्ति	Labour Force
गोलाकार टुकड़े	Circles	सख्त	Tight
घाटे की वित्त व्यवस्था	Deficit Financing	समायोजन	Adjustment
चालू वर्ष	Current year	सन्तुलन विहीन	Imbalance
छोटी बचत	Small savings	साधन	Resources
तनाव	Strain	सार्वजनिक रूप से लिया गया ऋण	Public borrowings
तामचीनी की वस्तुएं	Enamelwares	सिंचाई की सुविधाएं	Irrigation Facilities
तोड़ना	Break-up	सीधे सम्बद्ध	Directly related
दबाव	Stress	सुविधाएं	Facilities
देश में होने वाली बचत	Domestic Savings	स्थिर	Stable.
नि[illegible]	Assessment		

परिशिष्ट

परिशिष्ट—१

विदेशों में भारत सरकार के व्यापार-प्रतिनिधि

नाम और पता	कार्य-क्षेत्र
यूरोप	
(१) लन्दन	
श्री टी० स्वामीनाथन, आई० सी० एस०, ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर के मन्त्री (आर्थिक) इंडियाहाउस', आल्डविच, लन्दन, डब्ल्यू० सी० २। तार का पता :—हिकोमिंड (HICOMIND) लन्दन।	ब्रिटेन और आयर
(२) पेरिस	
श्री एन० के० कोचर, भारतीय दूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), १५, रियू अलफ्रेड, डेहोडेनिक, पेरिस १६ एमे (फ्रांस)। तार का पताः—इण्डाट्रेकम (INDATRACOM), पेरिस।	फ्रांस
(३) रोम	
श्री पी० एन० मैनन, आई० एफ० एस०, भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी, (व्यापारिक) वाया फ्रेन्सेस्को, डेन्ज. ३६, रोम (इटली)। तार का पताः—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), रोम।	इटली और यूनान
(४) बोन	
डा० एस० पी० छबलानी, जर्मनी में भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), २६२ कोब्लेन्जर स्ट्रासे, बोन (प० जर्मनी)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), बोन।	जर्मनी
(५) हम्बर्ग	
श्री एस० वी० पटेल, आई० एफ० एस० भारतीय कौंसल-जनरल ६०८/५ सिनकेनाफ, हम्बर्ग—१ (प० जर्मनी) तार का पता :—इण्डिया (INDIA) हम्बर्ग।	हम्बर्ग, ब्रमेन और श्लेसविग, हालस्टीन
(६) ब्रसेल्स	
श्री एच०सी० हाग, बेलजियम में भारतीय राजदूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), ५८५, अवेन्यू लौजि, ब्रसेल्स (बेलजियम)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) ब्रसेल्स।	बेलजियम
(७) श्री एच० एस० गोपाल राव, भारत कन्सलेट, ४३, डिन्डेयस्ट्रट, एन्टवर्प तार का पताः—कन्सिन्डिया (CONSINDIA) एन्टवर्प।	
(८) बर्न	
श्री एम० बी० देव, आई० ए० एस०, भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), बर्न (स्वीजरलैण्ड)। तार का पताः—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) बर्न।	स्वीजरलैण्ड
(९) स्टाकहोम	
श्री के० सी० सहगल, भारतीय राजदूतावास के सेकेन्ड सेक्रेटरी व्यापारिक स्ट्रयण्डवेजेन ४७-४, स्टाकहोम (स्वीडन)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), स्टाकहोम।	स्वीडन, फिनलैण्ड और डेनमार्क
(१०) प्रेग	
श्री सी० शिवराम, चेकोस्लोवाकिया में भारतीय दूतावास के सेकेण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), २२, युनोवास्का, प्रेग—२। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) प्रेग।	चेकोस्लोवाकिया
(११) मास्को	
श्री पी० वैद्यनाथन, रूस में भारतीय दूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), नं० ६ और ८, युलित्सा ओबुखा, मास्को। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) मास्को।	रूस

नाम और पता	कार्य-क्षेत्र
(१२) बेलग्रेड भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक) बेलग्रेड (यूगोस्लाविया) तार का पता:—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) बेलग्रेड।	यूगोस्लाविया, बल्गेरिया और रूमानिया
(१३) वारसा भारतीय राजदूतावास के सेकेण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक) वारसा (पोलैण्ड)।	पोलैण्ड
अमेरिका	
(१४) ओटावा श्री एम० के० राय, कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), २००, मेकलेरन स्ट्रीट, ओटावा, ओन्टोरियो (कनाडा)। तार का पता:—हिकोमिण्ड (HICOMIND) ओटावा।	कनाडा
(१५) वाशिंगटन श्री एस० जी० रामचन्द्रन आई०एफ०एस०, भारतीय दूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), २१०७, मैसेचुसेट्स एवेन्यू, एन० डब्ल्यू० वाशिंगटन—८ डी० सी० (संयुक्त राज्य अमेरिका)। तार का पता :— इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) वाशिंगटन।	संयुक्तराज्य अमेरिका और मैक्सिको
(१६) सेन्टीआगो श्री पी० टी० वी० मेनन, भारतीय राजदूतावास के सेकेण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक)। सेन्टीआगो (चिली)। तार का पता:—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) चिली।	चिली
अफ्रीका	
(१७) मोम्बासा श्री एफ० एम० दे मैलो कामत, आई० एफ० एस०, भारत सरकार के व्यापार कमिश्नर, जुबली इन्श्योरेन्स बिल्डिंग, पो० बा० नं० ६१४, मोम्बासा (केनिया)। तार का पता :—इण्डोकम (INDOCOM), मोम्बासा (केनिया)।	पूर्वी अफरीका, केनिया, उगाण्डा टांगानीका और जन्जीबार, दक्षिणी रोडेशिया, उत्तरी रोडेशिया, और न्यासालैण्ड
(१८) काहिरा श्री के० आर० एफ० खिलनानी, आई० एफ० एस०, मिस्र में भारतीय दूतावास के कौंसलर (व्यापारिक) सुलीमान पाशा स्ट्रीट, काहिरा (मिस्र)। तार का पता:—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY)। काहिरा।	मिस्र, लेबनान, साइप्रस और लीबिया
(१९) खारतूम श्री एम० आर० यद्यानी, आई० एफ० एस० भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), खारतूम (सूडान)।	सूडान
आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड	
(२०) सिडनी श्री एच०एल०सुजान, भारत सरकार के व्यापार कमिश्नर, काल्टर हाउस, १०वीं मंजिल, १६७-१८७ केन्ट स्ट्रीट, सिडनी (आस्ट्रेलिया)। तार का पता:—आस्ट्रेण्ड (AUSTRAIND) सिडनी।	आस्ट्रेलिया और उसके समुद्र-पारीय प्रदेश जिनमें नौरफोक तथा नौरू भी शामिल हैं
(२१) वेलिंगटन श्री एस० के० चौधरी, आई० एफ० एस०, न्यूजीलैण्ड में भारत के हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), विंगजर बिल्डिंग, ४६, विलिस स्ट्रीट, वेलिंगटन, (न्यूजीलैण्ड)। तार का पता :—ट्रेकोमिण्ड (TRACOMIND) वेलिंगटन न्यूजीलैण्ड।	न्यूजीलैण्ड

नाम और पता	कार्यक्षेत्र
एशिया	
(२२) टोकियो श्री डी० देजमदी, आई० एफ० एस०, जापान में भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), एम्पायर हाउस (नाइगई बिल्डिंग), मारुनौची, टोकियो (जापान)। तार का पता —इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), टोकियो।	जापान
(२३) कोलम्बो श्री सी०सी० विजय राघवन, आई० एफ० एस०, लंका में भारत के हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), मल्ल बिल्डिंग, पो०ऑ० बा०नं० ४७, फोर्ट, कोलम्बो (लंका)। तार का पता —हिकोमिण्ड (HICOMIND) कोलम्बो।	लंका
(२४) रंगून श्री एन० केशवन, भारत के राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), रनडेरिया बिल्डिंग, फायरे स्ट्रीट,पो०बा०. ० ७५१, रंगून (बर्मा)। तार का पता —इण्डम्बेसी (INDEMBASSY),रंगून।	बर्मा
(२५) कराची श्री एन० के० निगम, पाकिस्तान में भारत के हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), चार्टर्ड बैंक चेम्बर्स, "वलीका महल," एन० जे० सेठा रोड, न्यू टाऊन, कराची-५ (पश्चिम पाकिस्तान) तार का पता —इण्ट्राकम (INTRACOM), कराची।	पाकिस्तान
(२६) ढाका श्री डी०एम० घोष, पाकिस्तान में भारत के हाई कमीशन के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), ३, रामकृष्ण मिशन रोड, ढाका (पूर्वी पाकिस्तान)। तार का पता —"गुडविल" (GOODWILL), ढाका।	पूर्वी पाकिस्तान
(२७) सिंगापुर श्री ए० के० दर, आई० एफ० एस०, मलाया में भारत सरकार के कमिश्नर के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), इण्डिया हाउस, ३१—ग्रेंज रोड, पो० बा० नं० ८३६, सिंगापुर (मलाया)। तार का पता —रिपोइण्डिया (REPINDIA), सिंगापुर।	मलाया और सिंगापुर
(२८) बैंकाक श्री एन० पी० जैन आई० एफ० एस०, भारतीय राजदूतावास के थर्ड सेक्रेटरी, ३७, फयाथाई रोड, बैंकाक (थाइलैण्ड) तार का पता —इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), बैंकाक।	थाइलैण्ड
(२९) मनीला व्यापारिक विभाग, भारतीय लीगेशन, ६१४-नैयरास्का, मनीला (फिलिपाइन)। तार का पता —इण्डलेगेशन (INDLEGATION), मनीला।	फिलिपाइन मनीला में भारतीय लीगेशन के मन्त्री के अधीन
(३०) जकार्ता श्री बी० आर० अमर्यकर, भारतीय राजदूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक) पो० बा० १७८, ४४, लेचन सिरीह, जकार्ता (इण्डोनेशिया)। तार का पता —इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), जकार्ता।	इण्डोनेशिया
(३१) अदन श्री बगत सिंह, अदन में भारत सरकार के कमिश्नर, अदन। तार का पता — कोमिण्ड (COMIND), अदन।	अदन, ब्रिटिश सोमालीलैण्ड और इटैलियन सोमालीलैण्ड
(३२) तेहरान श्री आर० अगरवाल, भारतीय राजदूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), अवेन्यू शाह रजा, तेहरान (ईरान)। तार का पता —इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), तेहरान।	ईरान
(३३) बगदाद श्री एस० करीम, भारतीय राजदूतावास के सेकिण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), ८/८ अलि-उल-दीन-एल हिली स्ट्रीट, बतौरिया, बगदाद (ईराक)। तार का पता —इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), बगदाद।	ईराक, जोर्डन फारस की खाड़ी कुवैत, बहरीन शेखडम्स कतर और ट्रूशियल अमान।

नाम और पता	कार्यक्षेत्र
(३४) हांगकांग श्री टी० वी० गोपालपति, भारत सरकार के कमिश्नर के सैकिण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक) टावर कोर्ट, ११वीं मंजिल, हिस्यान एवेन्यू, हांगकांग। तार का पता :—कोमइंड (**COMIND**) हांगकांग।	हांगकांग
(३५) पेकिंग श्री पी० दास गुप्ता, चीन में भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक) ३२, तुंग च्याओमिन, स्यांग, पेकिंग (चीन)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (**INDEMBASSY**), पेकिंग।	चीन
(३६) कम्बोडिया श्री डी० जे० सेन गुप्ता, भारतीय राजदूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी, फनोम पेन्ह। तार का पता:—इण्डेम्बेसी (**INDEMBASSY**) फनोम पेन्ह।	कम्बोडिया

सूचना :—(१) तिब्बत में निम्नलिखित अधिकारी भारत के व्यापारिक हितों का ध्यान रखते हैं :—

१. गंगटोक, सिकम में भारतीय पोलिटिकल अफसर के व्यापारिक सेक्रेटरी।

२. भारत के व्यापार एजेण्ट, यातुङ्ग (तिब्बत)।

(२) जिन देशों में अलग व्यापार-प्रतिनिधि नहीं हैं, उनमें भारतीय राजदूत और कन्सलर अफसर भारत के व्यापारिक हितों का ध्यान रखते हैं।

परिशिष्ट—२

भारत में विदेशी सरकारों के व्यापार-प्रतिनिधि

देश	पद	पता
१. अफगानिस्तान	भारत में शाही अफगान राजदूतावास के आर्थिक एटेची।	२४, रैटएडन रोड, नयी दिल्ली।
२. अमेरिका	(१) भारत में अमेरिकन राजदूतावास के आर्थिक मामलों के कौंसिलर।	बहावलपुर हाउस, सिकन्दरा रोड, नयी दिल्ली
	(२) भारत में अमेरिका के कौंसल जनरल।	५/१, हैरिंगटन स्ट्रीट, कलकत्ता १६।
	(३) भारत में अमेरिका के कौंसल जनरल।	कन्स्ट्रक्शन हाउस, निकल रोड, बैलार्ड इस्टेट, बम्बई–१।
	(४) भारत में अमेरिका के कौंसल जनरल।	१५० बी०, माउंट रोड, मद्रास–२।
३. आस्ट्रिया	भारत में आस्ट्रिया के व्यापार प्रतिनिधि।	क्वीन्स मेनशन्स, बेस्टियन रोड, फोर्ट, पो० बा० नं० १३८५, बम्बई।
४. आस्टेलिया	(१) भारत में आस्ट्रेलिया सरकार के व्यापार कमिश्नर।	मरकैंटाइल बैंक बिल्डिंग, ५२/६६, महात्मा गाँधी रोड, जनरल पो० आ० बा० नं० २१७, बम्बई।
	(२) भारत में आस्ट्रेलिया सरकार के व्यापार कमिश्नर।	२, फेअरली प्लेस, कलकत्ता।
५. इटली	भारत में इटली के राजदूतावास के व्यापारिक कौंसिलर।	१७, यार्क रोड, नयी दिल्ली।
६. इण्डोनेशिया	भारत में इण्डोनेशियन राजदूतावास के आर्थिक मामलों के मन्त्री।	५०ए, चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली।
७. कनाडा	(१) भारत में कनाडा हाई कमीशन के थर्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक)	४, औरंगजेब रोड, नयी दिल्ली।
	(२) भारत में कनाडा का व्यापार कमीशन।	ग्रेशम एश्योरेन्स हाउस, मिंट रोड, पो. आ. बा ८८६, बम्बई १।
८. घाना	अशोक होटल, नई दिल्ली।	
९. चीन	(१) भारत में चीनी गणतन्त्र के राजदूतावास के व्यापारिक मामलों के कौंसलर।	जींद हाउस, लिटन रोड, नयी दिल्ली।
	(२) चीनी जन गणराज्य के व्यापारिक एजेन्ट।	कालिम्पौंग।
	(३) ८, कैनक स्ट्रीट, कलकत्ता।	
१०. चेकोस्लोवाकिया	(१) चैकोस्लोवाकिया गणतंत्र के व्यापारिक प्रतिनिधि।	६५, गोल्फ लिंक एरिया, पो० बा० ३११ नया दिल्ली।
	(२) चैकोस्लोवाक गणतंत्र के व्यापारिक प्रतिनिधि, बम्बई शाखा।	कस्तूरी बिल्डिंग्स, जमशेद जी टाटा रोड, बम्बई १।
	(३) चैकोस्लोवाक गणतंत्र के व्यापारिक प्रतिनिधि, कलकत्ता शाखा।	पी० ३८, मिशन रो एक्सटेन्शन, कलकत्ता १३।
	(४) चकोस्लोवाक गणतंत्र के व्यापारिक प्रतिनिधि, मद्रास शाखा।	३५/५, माउंट रोड, मद्रास-२।
११. जापान	भारत में जापानी राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक)।	प्लाट नं० ४ और ५, ब्लाक ५०-जी, चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली।
१२. डेनमार्क	भारत में डेनमार्क के व्यापार कमिश्नर।	पोलोन्जी मैनशन, न्यू केफे परेड, कोलाबा, बम्बई ५
१३. तुर्की	भारत में तुर्की दूतावास के व्यापारिक एटेची।	होटल अम्बेसेडर, नयी दिल्ली।

देश	पद	पता
१४. नारवे	(१) भारत में नारवे दूतावास के व्यापार कमिश्नर।	इम्पीरियल चेम्बर्स, विलसन रोड, बालार्ड ऐस्टेट पो० आ० बा० नं० २६४, बम्बई-१।
	(२) भारत में नारवे दूतावास के सहायक व्यापार कमिश्नर।	१४, नेताजी सुभाष रोड, पो०बा० २२११, कलकत्ता
१५. नीदरलैण्ड	भारत में नीदरलैण्ड राजदूतावास के व्यापारिक एजेन्सी।	२६८, बाजार गेट स्ट्रीट, बम्बई।
१६. न्यूज़ीलैण्ड	भारत में न्यूजीलैण्ड सरकार के व्यापार कमिश्नर।	मरकैंटाइल बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, महात्मा गांधी रोड, बम्बई-१।
१७. प० जर्मनी	(१) भारत में जर्मनी के संघीय गणराज्य दूतावास के व्यापारिक कौंसलर।	८६, सुन्दर नगर, मथुरा रोड, नयी दिल्ली।
	(२) जर्मनी के संघीय गणराज्य के कौंसल जनरल।	रूसी मैन्शन, २६ वुडहाउस रोड कोलाबा, बम्बई-१५
	(३) जर्मनी के संघीय गणराज्य के कौंसल जनरल।	५६-सी, चौरंगी रोड, कलकत्ता।
	(४) जर्मनी के संघीय गणराज्य के कौंसल जनरल।	बम्बे म्यूचुअल बिल्डिंग, ३७८, नेताजी बोस रोड, मद्रास।
१८. पाकिस्तान	भारत में पाकिस्तान हाई कमीशन के व्यापारिक सेक्रेटरी।	शेरशाह रोड मेस, नयी दिल्ली।
१९. पूर्वी जर्मनी	(१) जर्मनी के प्रजातान्त्रिक गणराज्य के व्यापार प्रतिनिधि।	२३, कर्जन रोड, नयी दिल्ली।
	(२) जर्मनी के प्रजातान्त्रिक गणराज्य के व्यापार प्रतिनिधि।	मिस्त्री भवन २२, दीनशावाचा रोड, बम्बई रिक्लेमेशन, बम्बई १।
२०. पोलैण्ड	(१) भारत में पोलिश गणतंत्र के राजदूतावास के व्यापारिक कौंसलर।	४२-४४, सुन्दर नगर, नई दिल्ली।
	(२) भारत में पोलिश गणतन्त्र के व्यापार प्रतिनिधि।	४०/ए, पेडर रोड, जुगलकिशोर बिल्डिंग, बम्बई-२६
	(३) भारत में पोलिश गणतन्त्र के व्यापार प्रतिनिधि।	२८, स्टीफन कोर्ट, १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता।
२१. फिनलैण्ड	(१) भारत में फिनिश लीगेशन के व्यापारिक कौंसलर।	१, हुमायूँ रोड, नयी दिल्ली।
२२. फ्रांस	(१) भारत में फ्रेंच राजदूतावास के आर्थिक मामलों के कौंसलर।	२, औरंगजेब रोड, नयी दिल्ली।
	(२) भारत में फ्रेंच राजदूतावास के व्यापार कमिश्नर।	'अडेल्फी बिल्डिंग, क्वीन्स रोड, बम्बई १।
	(२) भारत में फ्रेंच राजदूतावास के व्यापार कमिश्नर।	पार्क मेन्शन्स, १३, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता।
	(३) भारत में फ्रेंच राजदूतावास के व्यापार कमिश्नर।	मद्रास क्लब, मद्रास।
२३. बर्मा	(१) भारत में बर्मी राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रटरी (व्यापारिक)।	२, किचनर रोड, नयी दिल्ली।
	(२) सहायक व्यापार कमिश्नर।	१२, डलहौजी स्क्वायर ईस्ट, कलकत्ता।
२४. बलगेरिया	(१) व्यापार प्रतिनिधि।	१९८, गोल्फ लिंक एरिया, नई दिल्ली।
	(२) भारत में बलगेरियन गणतन्त्र के सहायक व्यापार प्रतिनिधि।	"कामनवेल्थ" बिल्डिंग नारीमन पॉइंट, मरीन ड्राईव, बम्बई-१।
२५. ब्रिटेन	(१) भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर के आर्थिक सलाहकार और भारत में ब्रिटेन के सीनियर व्यापार कमिश्नर।	६, तीस जनवरी मार्ग, नयी दिल्ली।
	(२) बम्बई में ब्रिटेन के मुख्य व्यापार कमिश्नर।	पो० आ० बा० नं० ८१५, महात्मा गांधी रोड, बम्बई-१।
	(३) कलकत्ता में ब्रिटेन के मुख्य व्यापार कमिश्नर।	१, हैरिंगटन स्ट्रीट, कलकत्ता—१६।
	(४) मद्रास में ब्रिटेन के व्यापार कमिश्नर।	पो० बा० नं० १५७५, आरमीनियन स्ट्रीट, मद्रास।

देश	पद	पता
२६. बेलजियम	भारत में बेलजियम राजदूतावास के व्यापारिक कौंसलर।	थियेटर कम्यूनिकेशन बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली।
२७. मिस्र	भारत में मिस्री राजदूतावास के व्यापारिक एटेची।	कमरा नं० ३६, स्विस होटल, दिल्ली।
२८. रूमानिया	भारत में रूमानिया के व्यापार प्रतिनिधि।	स्टोलक्रीट हाउस, दीनशावाचा रोड, चर्च गेट रीक्लेमेशन, बम्बई-१।
२९. रूस	(१) भारत में रूस के व्यापार प्रतिनिधि।	ट्रावनकोर हाउस, नयी दिल्ली।
	(२) भारत में रूस के व्यापार प्रतिनिधि।	४, कमैक स्ट्रीट, कलकत्ता और १ विशप लेफ्राय रोड कलकत्ता।
	(३) भारत में रूस के व्यापार प्रतिनिधि।	वसुन्धरा हाउस, बम्बई-२६।
३०. लङ्का	भारत में लंका के व्यापार कमिश्नर।	सीलोन हाउस, ब्रूस स्ट्रीट, फोर्ट बम्बई-१।
३१. स्पेन	भारत में स्पेन के सहायक व्यापार कमिश्नर।	"मिस्त्री कोर्ट", दीनशा वाचा रोड, चर्च गेट रीक्लेमेशन, बम्बई।
३२. स्विट्ज़रलैंड	(१) भारत में स्विस लीगेशन के व्यापारिक सेक्रेटरी।	थियेटर कम्यूनिकेशन बिल्डिंग नं० १, रेडियल रोड, नयी दिल्ली।
	(२) भारत में स्विस व्यापार कमिश्नर।	ग्राहम एश्योरेन्स हाउस, पो. आ. बा. १७६ सर पी० एम० रोड, बम्बई-१।
३३. स्वीडन	स्वीडन के व्यापार कमिश्नर।	इन्डियन मरकेन्टाइल चैम्बर्स, निकल रोड, बेलार्ड इस्टेट, बम्बई।
३४. हंगरी	(१) भारत में हंगेरियन लीगेशन के व्यापारिक कौंसलर और व्यापार प्रतिनिधि।	१०, पूसा रोड, ब्लाक नं० ११, नारदर्न एक्सटेन्शन एरिया, नई देहली।
	(२) भारत में हंगेरियन लीगेशन का व्यापार कमीशन।	रेथिलेड ४५. बेफे परेड. बम्बई ५.

सूचना :—जिन देशों के अलग व्यापार-प्रतिनिधि नहीं हैं, उनके व्यापार हितों का ध्यान, भारत में स्थित उनके राजनीतिक और/अथवा कौंसलर विभाग रखते हैं।

कार्यालय का पता :—४४२, उद्योग भवन, किंग एडवर्ड रोड, नयी दिल्ली।
फोन नं० ३२५३७

ग्राम दान को एक महान अहिंसात्मक क्रांति कहा जाता है और यह बात है भी ठीक। आज से पाँच वर्ष पहले कोई सोच भी न सकता था कि गांव के ज़मीनदार अपनी मरज़ी से अपनी सारी ज़मीनें दान कर के, उन के बदले ज़मीन के उतने उतने टुकड़े, जो उन के परिवार के रहने के लिये काफ़ी हों, स्वीकार कर के खुश होंगे।

भारत में जीवन जनता की भलाई का रूप धारण कर रहा है। घरों में भी अब पुराने विचारों और वहमों को कोई नहीं पूछता। जहाँ तक स्वास्थ्य और आहार का सम्बन्ध है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह मालूम होता जा रहा है कि खाना सिरफ़ पेट भरने के लिये ही नहीं, पौष्टिक भी होना चाहिये, जिस के लिये समतोल आहार का होना ज़रूरी है जिस में मौसमी सब्ज़ियाँ, फल और मछली वगैरा सभी कुछ होना चाहिये। समतोल आहार आरोग्यकर भी है और ...

नाई हमें गन्ध... देती है और हमारे शरीर में विटामिन ए ... के द्वारा पहुँचते हैं। ये शरीर को बनाने वाले बढ़ते हुए बच्चों और भारी मेहनत करने वालों के स्वास्थ्य के लिये ज़रूरी हैं। इसी कारण समझदार औरतें अपने घरों में सारे खाने 'डालडा' ही से पकाती हैं। 'डालडा' में विटामिन ए उतनी ही मात्रा में मिलाया जाता है जितना कि एक अच्छे घी में होता है। इस के साथ ही साथ इस में विटामिन डी भी मिलाया जाता है जिस से 'डालडा' ऐसा विश्वसनीय वनस्पतिक स्निग्ध-पदार्थ है जो कि अधिक पौष्टिक होता है। और क्यों कि 'डालडा' में सभी प्रकार के खाने, नमकीन और मिठाइयाँ बन सकती हैं, 'डालडा' हर रसोई घर में हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर रहा है।

लाइफ ... लिमिटेड, बम्बई

DL. 330-X52 HI

हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने बनाया

उद्योग-व्यापार पत्रिका के

ज्ञानवर्द्धक और उपयोगी ये विशेषांक

लघु उद्योग विशेषांक (जुलाई १९५५)

उद्योग विकास विशेषांक (जुलाई १९५६)

सचित्र उद्योग विशेषांक (नवम्बर १९५५)

लाख-चपड़ा विशेषांक (अक्तूबर १९५६)

द्वितीय योजना विशेषांक (मार्च १९५६)

नव वर्ष विशेषांक, जुलाई १९५७

दशमिक प्रणाली विशेषांक (अप्रैल १९५७)

इतने लोकप्रिय हुए कि इनकी सभी प्रतियां समाप्त हो चुकी हैं। अब कोई ... कष्ट न करें।

और जनवरी १९५८ ... "मोटर ...

भी समाप्त प्रायः है। इसे ... पत्रिका पसन्द आ...

उद्योग-व्यापार पत्रिका का ... आज ही मंगाइये। वी० पी० भेजना सम्भव न...

सम्पादक, उद्योग-व्यापार पत्रिका,
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय,
भारत सरकार, नयी दिल्ली।

धरती के लाल

किसी ने सच कहा है "उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निषिध चाकरी।" किसान धरती के लाल हैं—यह इन के मज़बूत मेहनती हाथों ही का प्रताप है कि धरती की छाती लहलहाती फसलों से खिल उठती है—जिन के कारण हम पलते हैं, जीते हैं। और वह दिन दूर नहीं जब किसान की सदियों की गरीबी और अज्ञानता मिटेगी क्योंकि आज का किसान केवल हल ही नहीं चलाता बल्कि जो सुविधाएं, संस्थाओं और कार्यकर्ताओं के रूप में उसे मिलती हैं उन का वह पूरा पूरा लाभ उठा रहा है और अपनी कोशिशों व रुचि से वह नये नये साधनों का सदुपयोग कर रहा है। हमारे देश का भविष्य यदि उज्ज्वल है तो किसान के कारण और किसान देश की प्रगति में तभी हाथ बटा सकता है जब वह तंदुरुस्त होगा। खुली हवा और अच्छा खाना ही उसे तंदुरुस्त रखने के लिये काफी नहीं क्योंकि उसे निरंतर धूल मट्टी से वास्ता पड़ता है।

धूल, मट्टी और गंदगी में बीमारी के कीटाणु होते हैं, जिन से उस की तंदुरुस्ती को खतरा रहता है। उसे एक ऐसे साबुन की ज़रूरत है जो शरीर को साफ़ करने के साथ साथ मैल के कीटाणुओं को धो डाले—और वह है लाइफ़बॉय साबुन। जब भी हाथ मुँह धोना या नहाना हो तो लाइफ़बॉय साबुन इस्तेमाल करना चाहिये। लाइफ़बॉय साबुन तंदुरुस्ती की रक्षा करता है।

लाइफ़बॉय साबुन

हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के द्वारा

L. 251-X52 HI

फिर नया कदम ! फिर नया आयोजन !!

उद्योग-व्यापार पत्रिका

का

आर्थिक-प्रगति विशेषांक

कप्ट न
ाक्तूबर, १६५८ से नई दिल्ली में आरम्भ होने वाली उद्योग व्यापार सम्बन्धी 'भारत—१६५८ प्रदर्शनी' ावसर पर उद्योग व्यापार पत्रिका का अत्यन्त उपयोगी आर्थिक प्रगति विशेषांक प्रकाशित होगा।

देश ने पिछले दस वर्षों मे उद्योग और व्यापार के क्षेत्रों मे क्या प्रगति की है इसे हम सभी को जानना पत्रिका पसन्द आ्यापार की प्रगति पर ही हमारी सुख शान्ति निर्भर है।

...के प्रगति विशेषांक देश की उद्योग व्यापार सम्बन्धी प्रगति का दर्पण होगा जिसमें देश के ऊंचे से ...प्राप्त लेखकों के लेख रहेंगे। ऐसी अलभ्य और उपयोगी सामग्री बड़ी कठिनाई से उपलब्ध होती है। डिमाई ...आकार के प्राय १५० पृष्ठ युक्त तथा बहुत से चित्रों से सुसज्जित यह विशेषांक संग्रह की वस्तु होगा। इतने पर ...ा मूल्य केवल १ रु०।

आज ही १ रु० का पोस्टल आर्डर भेज कर अपनी प्रति सुरक्षित कराइये अथवा केवल ८ रु० भेज कर पत्रिका के वर्ष भर के ग्राहक बन जाइये, जिससे इस विशेषांक के साथ आपको साल भर तक पत्रिका प्रतिमास मिलती रहे।

एजेन्टों को भरपूर कमीशन। विज्ञापनदाता अपना विज्ञापन २० सितम्बर तक अवश्य भेज दें।

सम्पादक,
उद्योग व्यापार पत्रिका,
वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली।

ग्राहकों को सूचना

डाक टिकट न भेजिये

उद्योग व्यापार पत्रिका की फुटकर प्रतियां मंगाने के लिये हमारे कार्यालय में प्राय ही डाक के टिकट भेज दिये जाते हैं। अपने प्रेमी ग्राहकों से हमारा यह विनम्र निवेदन है कि वे भविष्य में कृपया डाक के टिकट न भेजें। इसके बदले में वे पोस्टल आर्डर अथवा मनी आर्डर से मूल्य भेजा करें। ऐसी दशा में उनका मूल्य कार्यालय में सुरक्षित पहुँच जायगा और प्रतियां भी जल्दी भेजी जा सकेंगी।

इसलिये भविष्य में कोई सज्जन डाक टिकट न भेजें और मूल्य पोस्टल आर्डर अथवा मनी आर्डर द्वारा ही भेजने की कृपा करें।

सम्पादक, उद्योग-व्यापार पत्रिका,
वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

पत्रिका

अपने सुझाव भेजिए

'उद्योग-व्यापार पत्रिका', उद्योग और व्यापार से सम्बन्ध रखने वाले पाठकों की सेवा गत पांच वर्षों से कर रही है। इस अवधि में ही पत्रिका ने अपना एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। देश के औद्योगिक और व्यापारी क्षेत्रों में इसका हृदय से स्वागत किया गया है।

'पत्रिका' को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया जाता है। परन्तु इस सम्बन्ध में हम अपने प्रिय पाठकों के सुझाव भी चाहते हैं। अतः निवेदन है कि पाठकगण अपने सुझाव हमें शीघ्र लिख भेजने की कृपा करें। सुझाव इसी दृष्टि से होने चाहिए कि 'पत्रिका' को उनके लिये किस प्रकार और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है।

उद्योग-व्यापार पत्रिका,
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय,
भारत सरकार, नयी दिल्ली।

ार, नयी दिल्ली।

विषय सूची

भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय के प्रकाशन-सम्पादक द्वारा प्रकाशित।

सूचना—इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का सम्बन्ध, जब तक विशेषत: स्पष्ट न लिखा जाय, भारत-सरकार अथवा उसके किसी भी मन्त्रालय से नहीं होगा।

कार्यालय का पता—५४२, उद्योग भवन, किंग एडवर्ड रोड, नयी दिल्ली।

उद्योग-व्यापार पत्रिका

उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बम्बई और जम्मू-काश्मीर के शिक्षा विभागों द्वारा शिक्षा-संस्थाओं और पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत

वर्ष ६] नयी दिल्ली, सितम्बर १९५८ [अङ्क ३

खेल के सामान का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता

वाणिज्य और उद्योग मन्त्री द्वारा निर्यात संवर्द्धन परिषद् का उद्घाटन

खेल सामान निर्यात संवर्द्धन परिषद् का उद्घाटन करते हुए वाणिज्य और उद्योग मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि इस समय हमारा इस सामान के निर्यात का लक्ष्य २५ लाख रु० है। इसे बढ़ा कर १ करोड़ रु० कर देना चाहिए। मन्त्री महोदय ने कहा कि इस समय हमारे लिये निर्यात करना अत्यावश्यक हो गया है और सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को इसके लिये प्रयत्न करना चाहिए। आपने इस उद्योग की समस्याओं और उन्हें हल करने के उपायों पर भी प्रकाश डाला। —सम्पादक।

खेल सामान निर्यात संवर्द्धन परिषद् का उद्घाटन करते हुए वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने मोटे तौर पर उस निर्यात नीति पर प्रकाश डाला जिसे भारत को और अधिक विदेशी मुद्रा का उपार्जन करने तथा अपने पौण्ड पावने में होती जाने वाली कमी को रोकने के लिए अपनाना होगा। निर्यात संवर्द्धन परिषदों में खेल सामान की परिषद का ११वां स्थान है। इससे पूर्व ऐसी ही १० अन्य परिषदें स्थापित हो चुकी हैं। शास्त्री जी ने आगे कहा कि निर्यात संवर्द्धन के लिये बहुत सा प्रारम्भिक कार्य करना होता है और बाद को निर्यात जारी रखने के लिये भी बराबर प्रयत्न करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में विभिन्न देशों से व्यवहार करना होता है जिनकी आवश्यकताएं तथा रुचियां अलग अलग तरह की होती हैं। उनकी आवश्यकताओं तथा बढ़ी हुई अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिये जोरदार प्रतिस्पर्धा चल रही है। इस स्थिति में सफलता प्राप्त करने की एक मात्र कुंजी यही है कि हमारे व्यापारी और कारोबारी लोग निरन्तर जागरूक रहें।

निर्यात संवर्द्धन की आवश्यकता

मन्त्री महोदय ने आगे कहा कि ऐसी स्थिति होते हुए भी हमें अपना निर्यात बढ़ाना है और केवल इतना ही नहीं, हमें उसमें काफी बड़ी वृद्धि करनी है, क्योंकि इस समय हमें विदेशी मुद्रा की बहुत अधिक आवश्यकता है। निर्यात का विचार आते ही हमारा ध्यान स्वभावतः सबसे पहले निर्यात की परम्परागत वस्तुओं की ओर जाता है जिनमें सूती कपड़ा, चाय, और खनिज पदार्थ आदि उल्लेखनीय हैं। प्रतिवर्ष हम ६०० करोड़ रु० के लगभग का जो निर्यात करते हैं उसमें ८० प्रतिशत भाग इन्हीं वस्तुओं का होता है। इसलिये इन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि एवं विस्तार करने की ओर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। इनके विषय में आवश्यक कार्रवाई करने के बाद हमें अन्य वस्तुओं के निर्यात के लिये भी प्रयत्न करने होंगे। कृषि उत्पादन, जिनमें विभिन्न प्रकार के तेल भी सम्मिलित हैं, ईंधन के काम आने वाला अलकोहल, मशीनें और अन्य इंजीनियरी उत्पादन, दस्तकारी की वस्तुएं इत्यादि की विदेशों

में अच्छी खपत हो सकती है। इसलिये हमें इधर जोरदार प्रयत्न करने चाहिए जिससे वाछनीय परिणाम प्रकट हो सकें।

देश में और अधिक परिमाण में विदेशी विनिमय लाने के उद्देश्य से मन्त्री महोदय ने कुछ विशेष उपाय किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि हमें उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करनी है तो अब सच्चे जी से निर्यात बढ़ाने में जुट जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापक रूप में निर्यात करने की आवश्यकता पर जोर देने का मेरा अभिप्राय यह है कि कभी कभी हमें उन वस्तुओं का भी निर्यात कर देना होगा जिनकी देश में आवश्यकता होगी परन्तु निर्यात कर देने से देश में जनता को कठिनाई होगी। दुर्भाग्य से हम विश्व बाजारों में मूल्यों के बारे में अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। इसलिये हो सकता है कि हमें देश में अपना माल ऊंचे दामों पर बेचना पड़े और वही माल विदेशों में सस्ते दामों पर बेचना पड़े। परन्तु हमें इससे अधीर नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि ऐसा किये बिना हम अपना निर्यात व्यापार न तो बढ़ा सकेंगे और न जमा सकेंगे। जापान तथा यूरोप के बहुत से देशों ने अपना निर्यात इसी प्रकार बढ़ाया है। यह सत्य है कि एक बार बढ़ा लेने पर उन्होंने अपना ढंग ऐसा बना लिया है कि इसके कारण उनकी अर्थ व्यवस्था गड़बड़ नहीं होती।

श्री लाल बहादुर ने आगे कहा कि हम भी शायद ऐसा ही कर लेंगे परन्तु ऐसा शीघ्र होना सम्भव नहीं है। बीच का यह समय हमारे लिये काफी कष्टकर और कठिन सिद्ध हो सकता है और हमें इसके लिये तैयार रहना चाहिए। यदि हम काफी परिमाण में निर्यात करते रह सके तो न केवल हम अपने विदेशी पावने, जिसमें स्टर्लिंग पावना भी शामिल है, को ही उचित स्तर पर बनाये रख सकेंगे वरन् इससे हमारे उत्पादनों में भी वृद्धि होगी और अन्त में हमारी अर्थ व्यवस्था मजबूत हो जायगी।

ठोस कदम उठाने की आवश्यकता

निर्यात संवर्द्धन में सभी हितों द्वारा ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए शास्त्री जी ने कहा कि विदेशी विनिमय की समस्या न केवल सरकार की ही वरन् हमारे व्यापारी समुदाय और सच तो यह है कि समस्त जनता तक की प्रवीणता, साधनशीलता और अध्यवसाय के लिए एक चुनौती बनकर आगे आई है। इसलिये इस बारे में हम सभी को मिल कर प्रयत्न करना है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है उसे कुछ निर्यात शुल्क तथा उपकर घटा कर अपने राजस्व में थोड़ा घाटा सहन करना होगा। परिवहन तथा अन्य बीच के खर्चों में कमी करने के उपाय करने होंगे, जिससे निर्यात को उत्तेजन प्राप्त हो। इसी प्रकार व्यापारियों और निर्यातकों को भी कुछ खतरा उठाना होगा और व्यक्तिगत हानि उठाकर भी स्वेच्छा से कुछ फेर बदल करना होगा। यदि हम अपेक्षाकृत कम समय में अपना निर्यात बढ़ाना चाहेंगे तो यह निश्चित है कि हमें अपने उत्पादन का एक अंश देशी बाजारों से हटा कर विदेशी बाजारों को भेजना पड़ेगा। इससे देश में कुछ वस्तुओं की कमी पड़ जाना स्वभाविक होगा। इसलिये हमें अपनी आवश्यकताओं में हेरफेर कर लेने के लिये तैयार रहना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि केवल जनता का पूर्ण सहयोग मिलने पर ही सरकार के प्रयत्न सफल हो सकते हैं।

सरकारी प्रयत्नों में सहयोग

अब मैं अपने व्यापारियों और निर्यातकों की सेवा में कुछ इस निवेदन करना चाहता हूँ। निर्यात बढ़ाने के सम्बन्ध में जनता को जो कष्ट होंगे उन्हें कम करने में वे बहुत सहायता कर सकते हैं। यदि वे अधिक मुनाफा कमाने के लिये सट्टेबाजी करके मूल्य नहीं चढ़ा देंगे तो वे जनता की सच्ची सहायता करेंगे। इस समय किसी भी वस्तु के निर्यात की सम्भावना देखकर उसका भंडार कर लेने का यत्न किया जाता है और इस प्रकार उसकी कृत्रिम कमी उत्पन्न हो जाती है जिसके फलस्वरूप मूल्य चढ़ जाते हैं। कुछ वस्तुओं के निर्यात के लिये कोटे दिये जाने पर बाजार में यही प्रवृत्ति दिखाई दी है। मैं व्यापारी वर्ग से अपील करता हूँ कि वह कृपया ऐसा न करें क्योंकि यदि वे ऐसा करते रहे तो इसका बुरा प्रभाव उन पर भी पड़ेगा। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जनता किसी वस्तु से वंचित होकर इतनी असन्तुष्ट नहीं होती जितनी कि यह जानकर कि बहुत लोगों को हानि पहुँचा कर थोड़े से व्यक्ति मुनाफा कमा रहे हैं। स्पष्ट है कि सरकार भी ऐसी स्थिति को अधिक देर तक सहन नहीं करेगी।

हमारे निर्यात में कमी होने के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। इसके अनेक ऐसे कारण भी हैं जिनका दायित्व हमारे ऊपर नहीं हो सकता। इस कमी को रोकना चाहिए। वास्तव में वार्षिक निर्यात के आंकड़े अधिक ऊंचे करना नितान्त आवश्यक है। इसलिये निर्यात योग्य वस्तुएं तैयार करने वाले प्रत्येक उद्योग को निर्यात बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक उद्योग को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा इसमें पूरा पूरा योग देना है। यह सोचना गलत है कि केवल बड़े उद्योग ही इसमें सच्ची सहायता दे सकते हैं। विदेशी विनिमय का केवल करोड़ों में ही उपार्जन करना आवश्यक नहीं है। इसे हम लाखों अथवा हजारों में ही गणना करने योग्य परिमाण में भी उपार्जित कर सकते हैं।

श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय खेल सामान उद्योग की अनेक प्रकार से सहायता करने का भी वचन दिया जिससे वह सरकार के निर्यात संवर्द्धन प्रयत्नों में उल्लेखनीय भाग ले सके।

खेल सामान उद्योग की विशेषता

खेल सामान उद्योग विशेष रूप से एक लघु उद्योग है। इसमें श्रमिकों को भी अधिक काम मिलता है। १९५७ से पहले यह मुख्य

स्यालकोट (पश्चिमी पंजाब) में केन्द्रित था परन्तु देश के विभाजन से इसे भारी धक्का लगा। इसके कारखानों के मालिकों को भारत चले आना पड़ा और उनके भली प्रकार सुसज्जित कारखाने, कच्चे माल के साधन और सुशिक्षित कारीगर पीछे पाकिस्तान में रह गये। परन्तु भारत आ जाने वाले इन औद्योगिकों ने अपने साहस, दूरदर्शिता, और अध्यवसाय के बल पर तथा सरकारी सहायता और प्रोत्साहन पाकर भारत के अनेक स्थानों पर यह उद्योग केवल दस वर्षों में ही फिर भली प्रकार जमा दिया। अब इस उद्योग का ध्यान आते ही इसके केन्द्र जालन्धर, मेरठ, बटाला, दिल्ली आदि के नाम हमारे आगे आ जाते हैं। इस उद्योग के अन्य नये केन्द्र कलकत्ता, बम्बई और मदरास हैं।

उद्योग की वर्तमान स्थिति

खेल सामान उद्योग की लगभग सभी वस्तुएं इस समय भारत में बनायी जा रही हैं। ये उच्चकोटि की होती हैं और विभिन्न देशों की मांग अनुमानतः १.५ करोड़ रु० है। इस समय देश में इनके लगभग ३०० कारखाने हैं जिनमें लगभग १०,००० व्यक्ति काम करते हैं। देश की आवश्यकताएं पूरी करने के अतिरिक्त इस उद्योग के उत्पादन का लगभग २५ प्रतिशत भाग प्रतिवर्ष ब्रिटेन, यूरोप, पश्चिमी एशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, पूर्वी तथा पश्चिमी अफ्रीका इत्यादि को निर्यात कर दिया जाता है।

इस उद्योग ने प्रशंसनीय उन्नति की है। परन्तु इस समय इसके समक्ष अनेक समस्याएं उपस्थित हैं जिन्हें दूर करना आवश्यक है जिससे यह उद्योग अपनी स्थिति मजबूत कर ले और विदेशी विनिमय का उपार्जन करने में सहायता करे। पहली समस्या उचित मूल्य पर कच्चा माल मिलने की है। इसमें बेंत और शहतूत की लकड़ी मुख्य है। यह कश्मीर में अच्छे परिमाण में उपलब्ध है। चूँकि उद्योग को कश्मीर से यह मिलने में कठिनाइयां हो रही हैं, इसलिये मन्त्री महोदय ने कहा कि इस मामले के बारे में कश्मीर सरकार से बात करने के लिये विचार किया जायगा। हम उससे पहले एक वर्ष के लिये आवश्यक सुविधाएं मांगेंगे जिससे इसी बीच इसके नये साधनों का पता चलाया जा सके। हमें बड़े पैमाने पर शहतूत के पेड़ लगाने का भी यत्न करना चाहिये और इसके लिये हम खाद्य और कृषि मन्त्रालय से कहेंगे। गवेषणा करने वालों को भी कोई ऐसी अन्य लकड़ी का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिये जो बेंत और शहतूत की लकड़ी के स्थान पर काम में लाई जा सके।

इस उद्योग के समक्ष जो दूसरी समस्या है वह है पाकिस्तान के साथ होने वाली उग्र प्रतिस्पर्धा। पश्चिमी पाकिस्तान को न केवल कच्चे माल की सुविधा है वरन् उसकी सरकार भी इसकी विशेष सहायता कर रही है। डाक द्वारा खेल का सामान भेजने में वहां कम महसूल लगता है। इसके सिवा पाकिस्तान सरकार ने भी इस सामान के निर्यात को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है। डाक पार्सलों द्वारा खेल का सामान भेजने का हमारे निर्यात में भी काफी महत्वपूर्ण स्थान है। भारत से २२ पौण्ड भारी पारसल को ब्रिटेन भेजने में रु० १६ डाक महसूल लगता है जबकि पाकिस्तान से ब्रिटेन को इतना ही भारी पारसल भेजने में रु०९.३७ महसूल लगता है। मन्त्री महोदय ने बताया कि इस बारे में डाक अधिकारियों को लिखा गया है। मेरे विचार से भी यह महसूल हमारे इस उद्योग के लिये एक भारी असुविधा है और इसे कम कराने के लिये मैं प्रयत्न करूंगा।

निर्यात को प्रोत्साहन

खेल सामान के निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करने के बारे में मन्त्री महोदय ने कहा कि सरकार एक ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत निर्यातक उनके द्वारा उपार्जित विदेशी विनिमय के कुछ प्रतिशत का निर्यात किये जाने वाले अपने उत्पादनों के लिये आवश्यक कच्चे माल का आयात करने के लिये उपयोग कर सकेंगे। मैं निर्यात संवर्द्धन के डाइरेक्टर और आयात के चीफ कन्ट्रोलर से इस प्रश्न पर विचार करने के लिये कहूँगा जिससे विचाराधीन योजना के अन्तर्गत अन्य सम्बद्ध वस्तुओं के आयात का भी प्रबन्ध किया जा सके। मेरे विचार से इस प्रकार का प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर और भी विचार किया जाना चाहिये।

उद्योग को अपना उत्पादन और निर्यात कार्य चलाते रहने के लिये पर्याप्त वित्त प्राप्त करने में जो कठिनाइयां होती हैं उनका उल्लेख करते हुये मन्त्री महोदय ने कहा कि राज्य सरकारों की एक योजना के अनुसार १००० से ५००० रु० तक का ऋण प्रत्येक निर्माता को मिल सकता है। परन्तु इसके लिये कुछ शर्तें हैं। इस निर्यात संवर्द्धन परिषद् को चाहिये कि वह राज्यों की इस सहायता योजना से प्रत्येक लघु निर्माता को परिचित कराये और यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सहायता से लाभ उठाने में निर्माताओं की मदद करे। मेरे मंत्रालय ने रिजर्व बैंक तथा राज्य बैंक से कहा है कि निर्यात के लिये वे आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करें।

इस उद्योग को कुछ आवश्यक कच्चा माल विदेशों से भी मंगाना पड़ता है। इसमें नाइलन गट, पंख, कार्क, लिनेन का धागा इत्यादि उल्लेखनीय हैं। खेल सामान निर्यात संवर्द्धन परिषद् के अध्यक्ष ने इसलिये इन वस्तुओं के उदारतापूर्वक आयात किये जाने की मांग की है जिससे यह उद्योग अपना उत्पादन तथा निर्यात बढ़ा सके। इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने कहा कि निर्यात संवर्द्धन डाइरेक्टरेट ने केन्द्रीय राजस्व बोर्ड से इस आयात शुल्क की वापसी की प्रणाली सीधी सादी करने के लिए बातचीत आरम्भ कर दी है जिसे खेल सामान निर्माता आयात किये गये माल पर देते हैं। आशा है कि इस सम्बन्ध में संशोधित नियम निकट भविष्य में ही प्रकाशित हो जायेंगे।

नायलन गट से आयात शुल्क पूर्णतः हटा लेने का सुझाव दिया गया है, परन्तु इस सम्बन्ध में व्यापारियों की ओर से ऐसी कोई गारन्टी दी जानी शायद सम्भव नहीं होगी कि आयात की हुई वस्तु का उपयोग केवल निर्यात होने वाले माल में ही किया जायगा। यदि ऐसी कोई गारन्टी दी जाए तो उसे अमल में लाने और उसका अनुचित उपयोग रोकने के उपाय भी करने होंगे। मेरे विचार से यह परिषद् इस बारे में विचार करके कोई ठोस सिफारिशें कर सकती है।

पायलट योजना

ज्ञात हुआ है कि लघु उद्योग विभाग ने मेरठ तथा जालन्धर में पायलेट योजनाएं चलाने का आयोजन किया है। ये योजनाएं लकड़ी पक्की करने और न फैलने वाला चमड़ा मिलते रहने के बारे में हैं। मैं लघु उद्योगों के डवलपमेन्ट कमिश्नर से कहूँगा कि वे खेल का सामान तैयार करने वाले अन्य केन्द्रों में भी ऐसी ही पायलट योजनाएं चालू करने के बारे में विचार करें।

मैं पहले बता चुका हूँ कि आपके बहुत से सुझाव सिद्धान्त रूप से स्वीकार किये जाने योग्य हैं। ये सुझाव न केवल खेल सामान के बारे में ही लागू होते हैं वरन् सामान्य रूप से सभी प्रकार के निर्यात पर भी, जिसके लिये हम आजकल उच्च प्राथमिकता प्रदान कर रहे हैं। निर्यात हमारे लिये आवश्यक हो गया है।

अन्त में शास्त्री जी ने कहा कि इस उद्योग को अच्छी किस्म के माल का निर्यात करना चाहिये और निर्यात का लक्ष्य वर्तमान २५ लाख से बढ़ा कर १ करोड़ रु० कर देना चाहिये। अनेक कारणों को देखते हुए इस उद्योग का भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है। इन कारणों में से उल्लेखनीय हैं :—

(१) देश में खेल सामान की मांग बढ़ रही है।

(२) इस उद्योग में लगे हुए व्यक्तियों में व्यवसायिक साहस की भावना है।

(३) सरकार अनेक प्रकार से प्रोत्साहन तथा सहायता दे रही है।

(४) जहां कहीं भी आवश्यक हो नयी मशीनें और विधियां चालू हो सकती हैं, और

(५) अधिकांश कच्चा माल देश में ही मिल जाता है।

सीमेण्ट उद्योग का निरन्तर विस्तार

★ *तटकर आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव ।*

हाल के वर्षों में सीमेंट उद्योग का निरन्तर विस्तार होता गया है। यह विस्तार उद्योग की स्थापित क्षमता तथा उत्पादन दोनों ही दृष्टियों से हुआ है। इस समय वार्षिक उत्पादन की गति लगभग ७० लाख टन है जिसके १९६२ तक बढ़ कर लगभग १ करोड़ ५० लाख टन वार्षिक हो जाने की आशा है। सीमेंट के मूल्य १९५३ में निर्धारित किये गये थे। आयोग ने १९५७ में उत्पादन लागत के बारे में पुनः विचार किया और अब मूल्यों में फिर संशोधन किये गये हैं। इन्हें थोड़े हेरफेर के साथ सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

प्रस्तुत लेख तटकर आयोग की सीमेंट मूल्य सम्बन्धी रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। —सम्पादक।

हाल के वर्षों में सीमेंट उद्योग का निरन्तर विस्तार होता गया है। सीमेंट निर्माताओं को दिये जाने वाले उचित मूल्यों के विषय में तटकर आयोग ने १९५३ में जांच की थी। उस समय देश में सीमेंट के २३ कारखाने थे जिनकी मालिक १३ कम्पनियां थीं। १९५६ तक पांच नये कारखानों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया। तब इन्हें मिला कर सीमेंट कारखानों का योग २८ हो गया। इन्हें निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :—

(१) एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनीज लि० के १३ कारखाने।

(२) राज्य सरकारों के २ कारखाने, और

(३) अन्य लिमिटेड कम्पनियों के १३ कारखाने।

अन्य लिमिटेड कम्पनियों के १३ कारखानों में से १० का प्रबन्ध मैनेजिंग एजेण्ट करते हैं और ४ का बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स।

१९५३ में उत्पादन क्षमता

कई सीमेंट कारखानों की वार्षिक उत्पादन क्षमता १९५३ में ४३ लाख टन थी। इनमें से ऐसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी लि० की क्षमता २४.७२ लाख टन थी। १९५७ तक यह बढ़कर ६३.३२ लाख टन तक हो गई जिसमें एसोसियेटेड कम्पनी लि० का हिस्सा ३०.७७ लाख टन था।

भविष्य में सीमेंट उद्योग का जो विस्तार होने की आशा है वह इस प्रकार होगा :—

(क) ऊपर बताये गये २८ कारखानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी,

(ख) वर्तमान कम्पनियों के प्रबन्ध में ही नये कारखाने खुल जायेंगे, और

(ग) नये लोग भी नये कारखाने खोलेंगे।

वर्तमान कम्पनियों द्वारा ९ नये कारखाने और नये लोगों द्वारा १८ नये कारखाने खोले जाने के लिये सरकार स्वीकृति प्रदान कर चुकी है। कुछ वर्तमान कारखानों का भी विस्तार करने की योजना है। यह यदि अमल में आ गई तो उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता १९६१ तक बढ़कर लगभग ९८.६० लाख टन हो जायगी। इसके अतिरिक्त वर्तमान कम्पनियों द्वारा जिन ९ नये कारखानों के खोले जाने की आशा है उनकी उत्पादन क्षमता भी १९.७१ लाख टन होगी। जो नये १८ कारखाने खोले जा रहे हैं उनका काम आगे बढ़ता जा रहा है। इनमें से कुछ में चालू वर्ष समाप्त होने से पहले ही उत्पादन आरम्भ हो जाने की आशा है। कुछ अपनी मशीनों के आर्डर दे चुके हैं और कुछ अभी अपनी शुरू की योजनाएं बना रहे हैं। इन सब कारखानों की वार्षिक उत्पादन क्षमता अनुमानतः ३३.२७ लाख टन होगी।

विस्तार योजनाओं के बाद

सीमेण्ट उद्योग की विस्तार योजनाएं अमल में आ जाने के उसकी स्थिति इस प्रकार हो जाने की आशा है:—

(वार्षिक क्षमता, लाख टनों में)

वर्ष	कम्पनियों की संख्या	कारखानों की संख्या	वर्तमान कारखानों की	वर्तमान कम्पनियों के नये कारखानों की	नये लोगों के कारखानों की	योग
१९५७	१६	२८	६३.३२	—	—	६३.३२
१९५८	२१	३४	७४.०३	१.६५	८.९६	८४.६४
१९५९	२८	४२	८०.३३	३.३०	२१.५९	१०५.२२
१९६०	२८	४४	९१.७१	६.९५	२१.५९	१२०.२५
१९६१	३२	५३	९८.५९	१६.४१	३३.२७	१४८.२७
१९६२	३३	५५	९८.५९	१९.७१	३३.२७	१५१.५७

पिछले कुछ वर्षों में सीमेंट का उत्पादन बराबर बढ़ता गया है। १९५३ में उत्पादन का योग ३७.९६ लाख टन रहा था। अगले वर्ष यह बढ़कर ४३.६७ लाख टन हो गया। १९५५ और १९५६ में यह और भी बढ़ कर क्रमशः ४४.९८ लाख टन तथा ४९.३४ लाख टन हो गया। १९५७ में इसमें और भी वृद्धि हुई और यह ५५.५१ लाख टन हो गया। इस समय वार्षिक उत्पादन का योग लगभग ७० लाख टन है और आशा है कि चालू वर्ष में यह इससे भी अधिक हो जायगा।

अनुमान है कि १९६०-६१ में भारत में सीमेंट की माग बढ़कर १०० से १२० लाख टन तक हो जायगी। टटकर आयोग का कहना है कि सरकार ने जिन विस्तार योजनाओं तथा नये कारखानों की स्थापना के लिये स्वीकृति दे दी है यदि वे अमल में आ गईं तो देश में १९६० तक सीमेंट का उत्पादन १२० लाख टन तक होने लगेगा। परन्तु आयोग ने इसमें शंका प्रकट की है कि विस्तार सम्बन्धी समस्त योजनाएं निश्चित कार्यक्रम के अनुसार अमल में आ जायगी। परन्तु इससे यह तो स्पष्ट ही है कि भविष्य में देश में सीमेंट की माग घटने वाली नहीं है। इसके विपरीत अगले दस पाच वर्षों में यह माग बराबर बढ़ती ही जायगी। इसके साथ ही आयोग का यह मत भी है कि सीमेंट का निर्यात भी होने लगेगा। जो कारखाने समुद्र तट के निकट स्थित हैं उन्हें तो निर्यात करने की सुविधा होगी ही।

उत्पादन लागत का अध्ययन

सीमेंट की उत्पादन लागत का भी आयोग ने अध्ययन किया है। इस सम्बन्ध में उसका कहना है कि सीमेंट का उत्पादन रात-दिन लगातार किया जाता है। इसमें केवल तभी रुकावट होती है जब मरम्मत आदि करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसकी उत्पादन लागत तभी कम पड़ सकती है जब इसे अधिकतम स्तर पर *किया जाय।* उत्पादन तथा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये नये उपकरण लगाने होंगे। इनमें भट्टिया, पत्थर फोड़ने के मिल, सीमेण्ट पीसने के मिल इत्यादि तथा अन्य सामान सभी शामिल है। अतिरिक्त उपकरण लगाने पर अतिरिक्त मजदूर तथा कर्मचारी लगाने होंगे और अन्य ऊपरी खर्चों में भी कुछ वृद्धि हो जायगी।

अतिरिक्त उपकरण लगा दिये जाने के कारण उत्पादन में जो वृद्धि होगी उसके कारण कच्चे माल, बिजली अथवा ईंधन की लागत में तब तक कोई कमी नहीं हो जायगी जब तक कि इसके मूल्य और इनकी खपत की स्थिति यथावत् बनी रहेगी। सम्भव है कि मजदूरी, व्यवस्था और ऊपरी खर्चों में कुछ किफायत की जा सके क्योंकि उत्पादन में जिस अनुपात से वृद्धि होगी उसी अनुपात से इन खर्चों में भी वृद्धि नहीं होगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उत्पादन बढ़ने के साथ उसकी लागत में किफायत भी एक निश्चित सीमा तक ही की जा सकती है। *यदि कच्चा माल आवश्यक परिमाण में मिलता रहे तो उत्पादक* अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिये विशाल परिमाण पर पत्थर फूंकने का यत्न करते हैं। यदि कारखाने स्थल पर कच्चा माल और स्थान भली प्रकार उपलब्ध हों तो यह उचित होगा कि कारखाने के संयन्त्र को दुगना अथवा तिगुना कर दिया जाय जिससे उपलब्ध साधनों का अच्छी तरह उपयोग किया जा सके। कारखाने को उठाकर अन्य स्थान पर ले जाने की आवश्यकता तभी अनुभव की जानी चाहिए जब कि उसके पुराने स्थान के सभी साधनों का भली प्रकार उपयोग कर लिया जाय।

१९५३ में जब सीमेण्ट के मूल्य निर्धारित किए गये थे तो उत्पादकों के लिए उनका स्तर ए० सी० सी० के मूल्य रखा गया था। यद्यपि अन्य कारखानों की उत्पादन लागत इससे बहुत भिन्न थी। परन्तु केवल तीन कारखानों की लागत में ही ये मूल्य कम पड़े थे। १९५४ से १९५६ तक सीमेंट कम्पनियों के वित्तीय परिणाम *सन्तोषजनक रहे। इसके निम्न लिखित कारण थे :—*

(१) जो मूल्य रखने की सिफारिश की गई थी वह १९५३ के उत्पादन के आधार पर रखे गये थे जबकि १९५४ से १९५६ तक अधिकांश कारखानों में वास्तविक उत्पादन अनुमान से अधिक रहा।

(२) कुछ कम्पनियों को ढुलाई पर जो खर्च करना पड़ा वह मूल्य में शामिल किये गये ढुलाई खर्च से कम था।

(३) पैकिंग खर्च में कुछ किफायत हो गई।

(४) जिन कम्पनियों की अपनी बिक्री व्यवस्था नहीं थी उनके हाथ माल बेचने में कमीशन के कारण थोड़ी सी बचत हो गयी।

राज्य व्यापार निगम द्वारा वितरण

सीमेंट वितरण का कार्य जुलाई १९५६ से राज्य व्यापार निगम के हाथ में आने के बाद जिन सीमेंट उत्पादकों को ढुलाई के कारण बचत होती थी वह होनी बन्द हो गई। दूसरी ओर समस्त सीमेंट उत्पादकों को अनेक कारणों वश उत्पादन की लागत अधिक पड़ने लगी। उनका शुद्ध लाभ घट गया और पुरानी मशीनों के स्थान पर नयी मशीनें लगाने में भी अधिक खर्च पड़ने लगा। इसलिये जहां १९५४ १९५५ और १९५६ के पूर्वार्द्ध में सीमेंट उद्योग की दशा अच्छी थी वह बाद को खराब हो गई।

१९५७ के आरम्भ में भारत सरकार ने तटकर आयोग से कहा कि वह विभिन्न कारखानों में पड़ने वाली उत्पादन लागत की वह फिर से परीक्षा करे और उत्पादकों के लिए उचित मूल्यों की सिफारिश करे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनीज लि० वर्ग और अन्य कारखानों के लिए सीमेंट की उत्पादन लागत का हिसाब लगाया है।

आयोग ने सिफारिश की है कि विभिन्न कारखानों के लिये खुले सीमेंट के वहां से चलते समय के मूल्य इस प्रकार निर्धारित किये जाने चाहिए :—

कारखाना	मूल्य प्रति टन
१. ए० सी० सी०	रु० ५८.००
२. आन्ध्र सीमेंट	६५.००
३. अशोक	६५.००
४. बगलकोट	६२.५०
५. डालमिया भारत	५४.५०
६. डालमिया दादरी	५६.५०
७. दिग्विजय	५६.५०
८. इंडिया सीमेंट	६०.५०
९. जयपुर उद्योग	५७.००
१०. कल्याणपुर	५६.००
११. मैसूर आयरन	५८.५०
१२. उड़ीसा सीमेंट	५५.५०
१३. रोहतास	५४.५०
१४. सोन घाटी	५६.००
१५. ट्रावनकोर सीमेंट्स	८०.५०
१६. उ० प्र० सरकारी कारखाना	५७.००

आयोग ने ये मूल्य १ जनवरी १९५८ से ३१ दिसम्बर १९६० तक रखने की सिफारिश की। डालमिया भारत सीमेंट के मूल्य १९५९ के अन्त तक रखने की सिफारिश की गई है। इस कारखाने में यदि १९६० के आरम्भ में कोई विस्तार किया जायगा तो इसके लागत मूल्य की पुनः परीक्षा की जायगी।

संशोधित मूल्य

उत्पादकों को दिए जाने वाले संशोधित मूल्यों सम्बन्धी सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। परन्तु उसने निश्चय किया है कि संशोधित मूल्य १ जुलाई १९५८ से अमल में आने चाहिए, क्योंकि पिछली तारीख से उनके लागू किये जाने के फलस्वरूप अनेक प्रशासनिक तथा वित्तीय उलझनें उत्पन्न हो जायेंगी। एक कारण यह भी है कि सीमेंट नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत वर्तमान व्यवस्था तथा मूल्य ३० जून १९५८ तक ही लागू रहेंगे। संशोधित मूल्य जून १९६९ तक लागू रहेंगे।

यह बात उल्लेखनीय है कि यद्यपि सभी उत्पादकों के लिये मूल्य बना दिए गए हैं तथापि गन्तव्य स्थान पर सीमेंट का एफ० ओ० आर० मूल्य देशभर में अब भी वर्तमान के समान अर्थात् ११७.५० रु० प्रति टन (नयी बोरियों में पैक किया हुआ) रहेगा। ऐसा ऊपरी खर्चों में हेरफेर करके तथा राज्य व्यापार निगम के पारश्रमिक को ३।४ प्रतिशत से घटा कर १।२ प्रतिशत कर देने से किया जा सका है। राज्य व्यापार निगम गत दो वर्षों से भारत में तैयार होने वाले समस्त सीमेंट का वितरण कर रहा है।

अन्य सिफारशें

सरकार ने आयोग की निम्न सिफारिशें भी स्वीकार कर ली हैं :—

(१) भविष्य में खुलने वाले प्रत्येक नये कारखाने की उत्पादन लागत की उत्पादन आरम्भ होते ही परीक्षा की जानी चाहिए।

(२) यदि कोयले के खान पर रहने वाले मूल्यों में सामान्य वृद्धि हो जाने की दशा में आयोग से यह निश्चय करने के लिये कहना चाहिये कि उसके कारण सीमेंट के मूल्य में कितनी वृद्धि होनी चाहिये।

(३) पुनः स्थापित करने का भत्ता केवल उन्हीं कारखानों को दिया जाना चाहिये जिनके पास संयन्त्र तथा उपकरण १९४९ से पहले से थे।

आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को दिये जाने वाले सीमेंट के मूल्य में उत्पादक को जो छूट देते हैं, वह बन्द कर देनी चाहिये। यदि छूट दी भी जाय तो राज्य व्यापार निगम दे।

इस सिफारिश के बारे में सरकार ने निश्चय किया है कि इस समय इस प्रकार की जो छूट कुछ उत्पादक देते हैं उसे राज्य व्यापार निगम देगा और इसकी शर्तें आपस में बात करके निश्चय की जायेंगी। इसके अतिरिक्त सरकारों के साथ इकरार करके दरों में जो रियायतें दी जाती हैं वे आगे भी दोनों पक्षों द्वारा सीधी बातचीत करके जारी रहेंगी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रगति-२

★ *अनेक औद्योगिक योजनाओं के पूर्ण होने की आशा।*

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रगति का सिंहावलोकन करने से प्रकट होता है कि औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बहुत सी योजनाओं के पूर्ण होने की आशा है। लघु तथा ग्रामोद्योगों के क्षेत्रों में भी आशा है कि इनके विकास के लिये जितना रुपया निर्धारित किया गया था उसका प्रायः ८५ प्रतिशत खर्च हो जायगा। तेल की खोज का महत्व देखते हुए खनिज पदार्थों के विकास के लिये और भी धन दिया जा रहा है। सिंचाई तथा बिजली के क्षेत्रों में ८० से ८५ प्रतिशत सफलता होने की आशा है। केवल कृषि क्षेत्र में वांछित सफलता नहीं हो रही है। परन्तु इस क्षेत्र में भी खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। —सम्पादक।

द्वितीय योजना को अमल में लाने के लिये उपलब्ध साधनों का फिर से अन्दाज लगाने के बाद तथा गत दो वर्षों में हुई प्रगति पर विचार करने के बाद योजना को दो भागों में विभाजित कर देने का निश्चय किया गया है। भाग क पर कुल ४५०० करोड़ रु० खर्च होंगे और इसमें कृषि उत्पादन बढ़ाने से सीधा सम्बन्ध रखने वाली प्रायोजनाएं तथा कार्यक्रम, अत्यावश्यक प्रायोजनाएं तथा काफी आगे बढ़ चुकने वाली प्रायोजनाएं और अन्य अनिवार्य योजनाएं शामिल होंगी। शेष योजनाएं भाग ख में रहेंगी जिन पर कुल ३०० करोड़ रु० खर्च होंगे।

अब बताया गया है कि योजना को अधिक श्रेष्ठता के साथ अमल में लाने तथा योजना की अपेक्षाकृत प्रतिबन्धित सीमाओं के अन्तर्गत भी अच्छा नतीजा दिखाने के लिये उसमें प्रत्येक क्षेत्र में अभी गुंजाइश है। यदि उचित रूप से काम सौंपे जाय, निरन्तर देखरेख रखी जाय, बराबर सिंहावलोकन करके मूल्यांकन किया जाता रहे, कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाय और सम्बद्ध विभिन्न साधनों के मध्य अच्छा एकीकरण किया जाय तो योजना में विभिन्न कार्यों के लिये जितने खर्च की व्यवस्था की गई है उससे आशा से कहीं अधिक सफलता हो सकती है।

औद्योगिक विस्तार

औद्योगिक विकास की बहुत सी ऐसी योजनाएं थीं जिनके योजना आरम्भ होने के समय अमल में आ जाने की आशा थी। अब इनके पूर्ण हो जाने की आशा है। द्वितीय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक विकास के कार्यक्रम पर सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के विशाल उद्योगों में १,०९४ करोड़ रु० लगाये जाने की आशा थी। यह राशि प्रथम योजना में लगाये गये २९३ करोड़ रु० से लगभग ३½ गुनी है। औद्योगिक उत्पादन में द्वितीय योजना के अन्तर्गत ४६ प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव है जबकि प्रथम योजना के अन्तर्गत ३८ प्रतिशत का ही था।

सरकारी क्षेत्र के उद्योग

द्वितीय योजना में उद्योगों पर जितना धन लगाये जाने को है उस के ८० प्रतिशत से अधिक भाग को पूंजीगत तथा उत्पादक वस्तुओं के उद्योगों में लगाया जायगा।

सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक प्रायोजनाओं के लिये योजना में ५२४ करोड़ रु० रखे गये हैं। यह राशि उन ६०-६५ करोड़ रु० के अलावा है जो राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के लिये रखे गये हैं। बड़े तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिये ६१७ करोड़ रु० रखे गये थे परन्तु अब योजना की कुल राशि ४८०० करोड़ रु० में से इसे बढ़ा कर ७१० करोड़ रु० कर देने का प्रस्ताव है।

५८२ करोड़ की औद्योगिक प्रायोजनाएं (इस्पात, लिग्नाइट आदि की) योजना अवधि में पूर्ण हो सकती हैं। १६६ करोड़ रु० की प्रायोजनाएं (भारी ढलाई, भारी मशीनें, चश्मे के शीशे इत्यादि की) द्वितीय योजना के बाद पूर्ण होंगी। लगभग ६४ करोड़ रु० की प्रायोजनाएं (जहाजों के डीजल इंजन, सूखे जहाज घाट, भारी मशीनी औजार, गन्ने की छोई से अखबारी कागज इत्यादि की) बाद में पूरी होने की

सम्भावना है। कुछ प्रायोजनाओं की गति धीमी कर देने का मुख्य कारण विदेशी विनिमय की कमी ही है।

निजी क्षेत्र की प्रायोजनाएं

निजी क्षेत्र की औद्योगिक प्रायोजनाओं पर योजना में कुल ६८५ करोड़ रु० खर्च किये जाने का अनुमान लगाया गया था। इसमें से ५३५ करोड़ रु० नयी प्रायोजनाओं पर और १५० करोड़ रु० पुराने साधनों के स्थान पर नये साधन लगाने के लिये रखे गये थे। योजना बनने के बाद कुछ उद्योगों के लक्ष्यों में संशोधन हो गये और वे पहले से अधिक ऊंचे हो गये। निर्माण की लागत और पूँजीगत वस्तुओं के आयात मूल्य चढ़ गये। निजी क्षेत्र के लिये स्वीकृत किये गये सम्पूर्ण कार्य क्रम को पूरा करने के लिये अब ६८५ करोड़ रु० के बदले ८४० करोड़ रु० की आवश्यकता है। विदेशी विनिमय की लागत भी पहले ३२० करोड़ रु० थी परन्तु अब उसमें भी लगभग १२० करोड़ रु० की वृद्धि हो गई है। योजना के पहले दो वर्षों में निजी क्षेत्र में लगभग १३५ करोड़ रु० से १४० करोड़ रु० तक का प्रति वर्ष विनियोजन हुआ है। जो योजनाएं आरम्भ हो चुकी हैं उन पर कुल ४७५ करोड़ रु० के लगभग खर्च होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त १०० करोड़ रु० आधुनिकीकरण तथा पुरानी के स्थान पर नई मशीनें लगाने पर भी खर्च होंगे। इस प्रकार पहले निजी क्षेत्र में जो ६८५ करोड़ रु० लगाये जाने का अनुमान था उसके स्थान पर अब ५७५ करोड़ रु० लगाये जाने की सम्भावना है।

अब आइये कुछ उद्योगों के बारे में भी विचार कर लें। चीनी योजनाओं की प्रगति को देखते हुए १९६०-६१ तक उसकी उत्पादन क्षमता २२.५ लाख टन हो जाने की आशा है। यह क्षमता बढ़ाने के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता प्रायः नगण्य ही होगी। कागज उद्योग को अपनी क्षमता बढ़ा कर ४.१ लाख टन कर लेने के लिये लगभग एक करोड़ रु० के अतिरिक्त विदेशी विनिमय की आवश्यकता होगी। यह क्षमता पूर्व लक्ष्य ४.५ लाख टन से कम है, परन्तु ३.५ लाख टन उत्पादन होने लगना भी काफी होगा। रेयन उद्योग (नायलन सहित) अपनी उत्पादन क्षमता ७७० लाख पौण्ड तक बढ़ा ले सकता है जो मूल लक्ष्य से अधिक है। इस क्षमता में ४० लाख पौण्ड टायरों में डाले जाने वाले रेयन की डोरियां, ४.८ लाख पौण्ड नायलन का तागा भी शामिल है। इस तागे का कुछ भाग मछलियां पकड़ने के जाल बनाने के काम में लाया जायगा। ३०,००० टन प्रतिवर्ष घुलनशील लुगदी बनाने वाले संयंत्र की स्थापना करने के लिए भी विदेशी विनिमय दे दिया गया है। इस संयन्त्र के स्थापित हो जाने पर रेयन उद्योग को विदेशों से आने वाले कच्चे माल पर ही पूर्णतः निर्भर नहीं रहना होगा।

लक्ष्य और उनकी पूर्ति

पर्याप्त विदेशी विनिमय मिलने में कठिनाइयां होने के कारण योजना के लक्ष्यों और पूर्तियों में कुछ सीमा तक संशोधन करने पड़े हैं। इसके परिणाम इस प्रकार होंगे :—

१. अलूमीनियम, लौह मेंगनीज और कास्टिक सोडा की उत्पादन क्षमता के मूल लक्ष्यों में काफी कमी हो जायगी।

२. भारी रसायनिक पदार्थों (कुछ रसायनिक पदार्थ और कास्टिक सोडा छोड़ कर) के क्षमता के मूल लक्ष्य काफी पूर्ण हो जायंगे परन्तु सीमेंट और रंगों के बारे में काफी कमी हो जायगी। तापसह ईंटों के बारे में अपेक्षाकृत कम कमी होगी।

३. इंजीनियरी उद्योगों के क्षेत्र में ढांचे बनाने के बारे में कमी हो जायगी। चीनी बनाने की मशीनों को छोड़कर अन्य सब प्रकार की मशीनों के बारे में भी कमी हो जायगी। परन्तु इंजन, डिब्बे और साइकिलों के लक्ष्य पूरे हो जायंगे। मोटरगाड़ियों के निर्माण का कार्यक्रम समय से काफी पीछे रहेगा जोकि ८० प्रतिशत आत्म निर्भर हो जाने का बनाया गया है।

४. वैद्युत इंजीनियरी उद्योगों के क्षेत्र में क्षमता के मूल लक्ष्य पूरे हो जायंगे और हो सकता है कि कुछ वस्तुओं के बारे में क्षमता लक्ष्य से भी आगे निकल जायं परन्तु वी० आई० आर० तथा प्लास्टिक के मिलों के बारे में कुछ कमी रहने की सम्भावना है।

५. कागज, अखबारी कागज, रेयन के तागे और चीनी को छोड़ कर उपभोग की अन्य वस्तुओं की क्षमता के लक्ष्य पूरे हो जायंगे। रेयन उद्योग के मूल लक्ष्य से अधिक क्षमता हो जाने की आशा है। चीनी के उत्पादन का लक्ष्य पूरा हो जायगा।

लघु और ग्रामोद्योग

लघु और ग्रामोद्योगों के क्षेत्र के कार्यक्रम का उद्देश्य एक ऐसे स्थिर एवं विकेन्द्रित उद्योग क्षेत्र का निर्माण करना है जो नियोजन के अधिकाधिक अवसर प्रदान कर सके और उपभोगों की वस्तुओं के उत्पादन में निश्चित रूप से वृद्धि कर सके। योजना के पहले दो वर्षों में लघु और ग्रामोद्योग पर किये गये खर्च का योग ५६ करोड़ रु० रहा। तीसरे वर्ष के अन्त तक यह बढ़कर ९१ करोड़ रु० हो जायगा, जबकि समस्त द्वितीय योजना में इसके लिये २०० करोड़ रु० रखे गये हैं। खादी और ग्रामोद्योगों के लिये कुल खर्च का लगभग ३।५ भाग रखा

गया है, लघु उद्योगों और औद्योगिक बस्तियों के लिये चौथाई से अधिक और हाथकरघे तथा शक्तिचालित करघों के लिए लगभग पांचवां भाग रखा गया है। कहा जाता है कि हाथकरघे के कार्यक्रम पर शुरू के तीन वर्षों में जितना खर्च किया गया है उसकी अपेक्षा काफी अधिक रुपये खर्च करने होंगे तभी ७००० लाख गज का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। रेशम कीट पालन और नारियल की जटा के लिये रखे गये रुपये की ८० प्रतिशत से अधिक उपयोग में लाये जाने की आशा है। यदि धन उपलब्ध हुआ तो १७० से १७५ करोड़ रु० तक खर्च किये जा सकते हैं। यदि खर्च की सीमा १६० करोड़ रु० तक ही रही तो हाथ करघे और लघु उद्योगों के कुछ कार्यक्रम पूर्णतः अमल में नहीं लाये जा सकेंगे।

खनिज पदार्थों का विकास

खनिज पदार्थों के विकास के लिये रखी गई रकम ७३ करोड़ से बढ़ा कर ९० करोड़ रु० की जा सकती है। योजना के अन्तर्गत कोयला उत्पादन का लक्ष्य सरकारी क्षेत्र में १२० लाख टन और निजी क्षेत्र में १०० लाख टन रखा गया है। १९५६ ५७ में कोयले के उत्पादन में १८४ लाख टन की वृद्धि हुई जिसमें से वर्तमान राजकीय खानों से २००,००० टन निकला। १९५७-५८ के लिये अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य ३२ लाख टन रखा गया। योजना के पहले दो वर्षों में अधिकांशतः प्रारम्भिक कार्य हुआ है। इसके अन्तर्गत विस्तृत पर्यवेक्षण करना, प्रायोजनाओं की रिपोर्ट तैयार करना, पुराने पट्टों के बिना खुदे क्षेत्र कब्जे में लेना उपकरणों के लिये आडर देना आदि उल्लेखनीय हैं। योजना आयोग का अनुमान है कि स्वीकृत कार्यक्रमों से सरकारी क्षेत्र गतवर्ष तक केवल ८५ लाख टन कोयले का उत्पादन कर सका है जबकि इसका लक्ष्य १२० लाख टन रखा गया। निजी क्षेत्र को मध्य भारत की खानों से १४ लाख टन अतिरिक्त कोयला निकालने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार योजना के अन्त तक जो ६०० लाख टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है उसमें केवल ४० लाख टन की ही कमी रहेगी।

हाल में ही बरमा आयल कम्पनी की साझेदारी में नहरकटिया में तेल निकालने के लिये जो रुपया कम्पनी बनाई गई है और जिसके द्वारा एक पाइपलाइन बनाई जायगी उसपर वर्तमान योजना अवधि में २४ करोड़ रुपया खर्च होंगे।

परिवहन और संचार के लिये कुल १,३४५ करोड़ रु० रखे गये हैं। परिवहन की विभिन्न शाखाओं के खर्च में अब कुछ हेरफेर किया गया है। सड़कों के लिये रखी गई २४६ करोड़ रु० की रकम घटाकर २२१ करोड़ कर दी जायगी, सड़क परिवहन की १६.५ करोड़ रु० से घटाकर ११ करोड़ और डाकतार की ६३ करोड़ से घटाकर ६२ करोड़ कर दी जायगी। दूसरी ओर बन्दरगाहों और जहाजी परिवहन के लिये निर्धारित की गई रकमों में वृद्धि कर दी जायगी।

सरकारी क्षेत्र की अत्यावश्यक प्रायोजनाओं पर योजना अवधि में १९०० करोड़ रु० खर्च होने हैं। इनमें से ११३० करोड़ रु० पहले तीन वर्षों में खर्च होने हैं। सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों की अत्यावश्यक योजनाओं के लिये कुल ९४१ करोड़ रु० के विदेशी विनिमय की आवश्यकता होगी।

सिंचाई और बिजली

बड़ी तथा मध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनाओं से १२० लाख अतिरिक्त एकड़ की सिंचाई करने का लक्ष्य था। अब अनुमान है कि यदि आवश्यक धन उपलब्ध हुआ तो १०४ लाख अतिरिक्त एकड़ की सिंचाई हो सकेगी। १९५६ ५७ में ६,८०,००० अतिरिक्त एकड़ की सिंचाई हुई। १९५७-५८ में १११ लाख अतिरिक्त एकड़ की सिंचाई होने की आशा है। १९५८ ५९ के लिये इसका जो अनुमान लगाया है उसका योग २०३ लाख एकड़ है। नहरें तथा रजवाहे बनाने के काम को तेजी से चलाने का प्रस्ताव है जिससे १०४ लाख एकड़ से भी अधिक की सिंचाई होने लगे।

कहा जाता है कि समस्त राज्यों से उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिये विशेष दल बनाने को कहा गया है जहां सिंचाई की आवश्यकता है। ये दल इन क्षेत्रों के जलसाधनों और आवश्यकताओं की जांच करके प्रारम्भिक रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। उन दलों से यह भी बताने को कहा गया है कि किन क्षेत्रों में छोटी सिंचाई योजनाओं से सिंचाई हो सकती है और किन क्षेत्रों में बांध बनाकर अथवा सूखी खेती की जा सकती है।

बिजली विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत द्वितीय योजना में ३५ लाख किलोवाट की अतिरिक्त क्षमता का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से ३३ लाख किलोवाट सरकारी क्षेत्र में और २००,००० किलोवाट औद्योगिक संयन्त्रों द्वारा अपने उपयोग के लिये तैयार होने का क्रम था। इन दो वर्षों में अनेक क्षेत्रों में बिजली की मांग बराबर बढ़ती गई है। पहले तीन वर्षों में स्थापित क्षमता में कुल वृद्धि ७,७०,००० किलोवाट के होने की आशा है। इसमें से १७८,००० किलोवाट की १९५६-५७ में और ३१०,००० किलोवाट की १९५७ ५८ में वृद्धि हुई है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार द्वितीय योजना अवधि में सरकारी क्षेत्र के बिजली घरों से लगभग २५ लाख किलोवाट, निजी बिजली घरों से १,७५,००० किलोवाट और औद्योगिक संयन्त्रों से ३,७८,००० किलोवाट बिजली उपलब्ध होने लगेगी। इस प्रकार द्वितीय योजना की कुल स्थापित

क्षमता लगभग ३० लाख किलोवाट हो जाने की आशा है जबकि मूल लक्ष्य ३५ लाख किलोवाट का था।

कृषि की स्थिति

कृषि के क्षेत्र में द्वितीय योजना के अंतर्गत वांछित सफलता प्राप्त नहीं हुई है। १९४९-५० से १९५६-५७ तक की अवधि में कृषि उत्पादन में केवल २ से २.५ प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। आर्थिक विकास की विशालतर योजना समर्थन प्रदान करने के लिये वृद्धि की यह गति पर्याप्त नहीं है। परिणाम भी विविध प्रकार के तथा असमान हुए हैं। सिंचाई वाले क्षेत्रों में प्रति एकड़ उपज बढ़ाने पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। बड़ी, मध्यम तथा छोटी सिंचाई योजनाओं का भी उचित उपयोग नहीं हुआ है।

(इस लेखमाला का प्रथम लेख गतांक में प्रकाशित हुआ था। सम्पादक।)

भारतीय रुपये का मूल्य : विभिन्न देशों की मुद्राओं में

देश	भारतीय मुद्रा		विदेशी मुद्रा
१. पाकिस्तान	१०० रु०	=	९९ पाकिस्तानी रु० १५ आ०
२. लंका	१०० रु० ४५ न.पै०	=	१०० लंका के रु०
३. बरमा	१०० रु० ३० न.पै०	=	१०० क्यात
४. अमेरिका	४७५ रु० २८ न.पै०	=	१०० डालर
५. कनाडा	४९० रु० ७७ न.पै०	=	१०० डालर
६. मलाया	१५५ रु० ९० न.पै०	=	१०० डालर
७. हांगकांग	८२ रु० ९० न.प०	=	१०० डालर
८. ब्रिटेन	१ रु०	=	१ शि० ५-३१/३२ पैंस
९. न्यूजीलैण्ड	१ रु०	=	१ शि० ५-३१/३२ पैंस
१०. आस्ट्रेलिया	१ रु०	=	१ शि० १०-५/१६ पैंस
११. दक्षिणी अफ्रीका	१ रु०	=	१ शि० ५-१५/१६ पैंस
१२. पूर्वी अफ्रीका	६७ रु० १३ न.पै०	=	१०० शि०
१३. मिस्र	१३ रु० ८१ न.पै०	=	१ पौंड
१४. फ्रांस	१०० रु०	=	८७८५-२९/३२ फ्रांक
१५. बेलजियम	१०० रु०	=	१०३९-३/१६ फ्रांक
१६. स्विटजरलैण्ड	१०० रु०	=	९१-१३/३२ फ्रांक
१७. पश्चिमी जर्मनी	१०० रु०	=	८७-९/१६ मार्क
१८. नीदरलैण्ड	१०० रु०	=	७९-७/३२ गिल्डर
१९. नारवे	१०० रु०	=	१४९-३/८ क्रोनर
२०. स्वीडन	१०० रु०	=	१०८-९/३२ क्रोनर
२१. डेनमार्क	१०० रु०	=	१४४-७/१६ डेनमार्क क्रोनर
२२. इटली	१०० रु०	=	१३००६-१२/१६ लीरा
२३. जापान	१ रु०	=	७५.३ येन
२४ फिलिपाइन	२३८ रु० १७ न.पै०	=	१०० पीसो
२५. इराक	१,३३८ रु०	=	१०० दीनार

(ये विनिमय दरें मई १९५८ में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार हैं।)

भारतीय सोंठ की विदेशों में खपत

★ *किस्म सुधारने की आवश्यकता पर जोर।*

व्यापार क्षेत्र में जिसे सोंठ कहा जाता है वह एक पौधे के हरे भूमिगत तनों या मूलों को सुखा कर तैयार किया जाता है। यह पौधा उष्णकटिबन्ध के देशों में बहुत अधिक उगाया जाता है। इन देशों की वार्षिक पैदावार का अधिकांश अदरक के रूप में वहीं खप जाता है और केवल थोड़ा सा हिस्सा ही व्यापार के लिये सुखाकर सोंठ बनाया जाता है। अदरक पैदा करने वाले मुख्य देश जमैका (प० हिन्द द्वीप समूह), सिरा लियोन (ब्रि० प० अफ्रीका) और भारत हैं।

भारत में पैदा हुई सोंठ मुख्यतः अदन, अरब, मिस्र, ईरान, अमरीका, ब्रिटेन आदि देशों को भेजी जाती है। पश्चिमी द्वीपों तथा ब्रि०प० अफ्रीका में पैदा होने वाली सोंठ सामान्यतः ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा तथा अन्य पश्चिमी देशों को भेजी जाती है। ब्रि० प० अफ्रीका और प० द्वीपों में पैदा होने वाली सोंठ की किस्म अच्छी होती है, उनमें रेशे कम होते हैं और कीमत में भी २० से ३० प्रतिशत तक सस्ती होती है।

अदरक की खेती के क्षेत्र

भारत में अदरक पैदा करने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र केरल राज्य है और केवल इसी क्षेत्र में अदरक से सोंठ भी तैयार की जाती है। बंगाल, उत्तर प्रदेश, बम्बई और हैदराबाद में भी थोड़ी बहुत मात्रा में अदरक पैदा किया जाता है। अदरक की खेती वहां की जाती है जहां वर्षा अधिक होती है और जलवायु गर्म व तर होता है। इसकी फसल तैयार होने में ६ से लेकर १० महीने तक लग जाते हैं।

भारत में गत चार वर्षों में सोंठ की खेती का क्षेत्रफल और उत्पादन इस प्रकार रहा है :—

वर्ष	क्षेत्रफल	उत्पादन (टन)
१९५३-५४	३५,०००	१३,८००
१९५४-५५	३५,०००	१४,०००
१९५५-५६	३७,०००	१४,६००
१९५६-५७	४०,०००	१५,०००

ऊपर दिये गये आंकड़ों से पता चलता है कि क्षेत्रफल और उत्पादन बराबर बढ़ते रहे हैं।

निर्यात का विवरण

पिछले कुछ वर्षों में सोंठ का कुल निर्यात इस प्रकार रहा :—

वर्ष	परिमाण (हंडरवेट)	मूल्य (रु०)
१९५४	५०,०००	५१,००,०००
१९५५	५५,०००	७७,००,०००
१९५६	१२७,०००	१,४४,००,०००
१९५७ (जन०-अक्टू०)	१७८,०००	१,१२,००,०००

ऊपर के विवरण से पता चलता है कि १९५४-५५-५६ के वर्षों में निर्यात की गई सोंठ के मूल्य लगभग स्थिर रहे परन्तु १९५७ में वे कुछ गिर गये। दूसरी ओर निर्यात की गई सोंठ का परिमाण बढ़ता गया और जनवरी/अक्टूबर १९५७ के दस महीनों में यह १,७८,००० हंडरवेट तक पहुँच गया।

१९५४, १९५५, १९५६ तथा जनवरी अक्टूबर १९५७ में विभिन्न देशों को हुआ सोंठ का निर्यात नीचे की सारिणी में दिखाया गया है।

परिमाण ००० हंडरवेट में
मूल्य लाख रु० में

देश	१९५४		१९५५		१९५६		जन०-अक्टू० १९५७	
	परि०	मू०	परि०	मू०	परि०	मू०	परि०	मू०
अदन	२५	२५	२३	३२	४४	५१	५८	३५
सूडान	५	५	५	८	१२	१३	१०	६
बहरीन द्वीप	नगण्य	१	१	२	२	२	१	१
ईरान	,,	१	२	२	३	४	५	४
केनिया	१	१	१	१	३	३	३	२
कुवैत	१	१	२	३	२	२	६	१
सऊदी अरब	७	७	११	१७	२४	२८	३१	१६
ब्रिटेन	नगण्य	नगण्य	१	१	४	४	१५	११
अमरीका	३	३	४	४	१२	१४	१२	१०
अन्य देश	८	७	५	७	२१	२३	३४	२३
योग	५०	५१	५५	७७	१२७	१४४	१७८	११२

क़िस्म नियन्त्रण

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने, निर्यात से पूर्व सोंठ का अनिवार्य रूप वर्गीकरण करने के उद्देश्य से एक योजना तैयार की है। इसके नुसार सोंठ के विशिष्ट वर्ग तैयार किये गये हैं। इस सुझाव की रीक्षा करने के उद्देश्य से सोंठ के प्रमुख आयातक देशों में स्थिति रतीय व्यापार प्रतिनिधियों से इस बारे में उनके विचार पूछे । उनकी रिपोर्टों से पता चलता है कि निर्यात की गई सोंठ की किस्म के बारे में उन देशों को कोई खास शिकायत नहीं है।

भारत सरकार ने १९५२ में छः कृषि-जन्य वस्तुओं जैसे इलायची, सोंठ, हल्दी, काजू, काली मिर्च तथा लेमन घास तेल से सम्बद्ध उत्पादन और विपणन की सम्पूर्ण स्थिति का अध्ययन करने और इन वस्तुओं के उत्पादन और विपणन में सुधार करने के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिये एक मसाला-जांच-समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने अक्तूबर १९५३ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों में से एक यह भी थी कि सोंठ को जहाजों पर लादने से पहले बन्दरगाहों में धूम्रताप द्वारा स्वच्छ कर देना चाहिए और इसको सुविधाएं दी जानी चाहिए। प्रमुख आयातक देशों में भारतीय व्यापार प्रतिनिधियों से सलाह करके इस सुझाव की परीक्षा की गई थी। इस सम्बन्ध में की गई जांच से पता चला है कि धूम्रताप देने से कोई विशेष लाभ नहीं होता क्योंकि इस क्रिया का असर लगभग १५ दिन तक ही रहेगा। इसलिये यह विचार छोड़ दिया गया है।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जमैका तथा ब्रि० प० अफ्रीका से निर्यात की जाने वाली सोंठ की तुलना में भारतीय सोंठ अधिक रेशेदार होती है और इसलिये इसकी किस्म अच्छी नहीं होती। इसलिये समिति ने सिफारिश की है कि इसके निर्यात की वृद्धि, बहुत कुछ किस्म सुधारने पर निर्भर है। इसके लिये समिति ने सिफारिश की है कि कम रेशेदार, बढ़िया किस्म की सोंठ का विकास करने के लिये विभिन्न केन्द्रों पर गवेषणा स्टेशन खोले जायं। इस सिफारिश को अमल में लाने के लिये उत्तर प्रदेश, आसाम, त्रावनकोर-कोचीन तथा हिमाचल प्रदेश सरकारों से, गवेषणा योजनाएं प्रस्तुत करने को कहा गया था। भारतीय कृषि गवेषणा परिषद ने १९५४ में आसाम के लिये और १९५५ में उत्तर प्रदेश तथा त्रावनकोर-कोचीन के लिये, गवेषणा योजनाएं स्वीकृत कर दी थीं।

निर्यात संवर्द्धन

लन्दन-स्थित भारतीय उच्च आयोग से पूछताछ की गई थी कि युद्ध से पहले की अवधि की तुलना में अब ब्रिटेन में भारतीय सोंठ का आयात कम क्यों हो गया है, इसके उत्तर में उच्च आयोग ने कहा कि युद्ध से पहले ब्रिटेन काफी मात्रा में सोंठ का आयात किया करता था और फिर अन्य उपभोक्ता क्षेत्रों को पुनर्निर्यात कर दिया करता था, किन्तु अब अन्य देश ब्रिटेन द्वारा भारतीय सोंठ लेने के

बजाय निर्यात करने वाले देशों से सीधे ही खरीद लेते हैं। इसके सिवा पहले अदरक का अधिकांश उपयोग हल्के पेय बनाने में होता था परन्तु अब उपभोक्ताओं की रुचि अधिकतर नीबू और संतरे के रसों की ओर है इसलिये भी अदरक का आयात घट गया है।

अमरीका तथा ईरान स्थित भारतीय व्यापार प्रतिनिधियों ने भी कहा है कि वहां भारतीय अदरक के आयात में कमी होने का कोई डर नहीं है। ऊपर दिये गये विभिन्न देशों को भारतीय अदरक के निर्यात के आंकड़ों से पता चलता है कि हमारा निर्यात स्थिर ही नहीं रहा वरन् इसमें ठोस वृद्धि भी हुई है।

मूल्य

बम्बई सरकार द्वारा दिये गये १९५५-५६ और ५७ (मई तक) के मूल्यों का विवरण नीचे दिया गया है।

अदरक का मूल्य रुपयों में प्रति बंगाली मन

मास	दिनांक	वर्ष		
		१९५५	१९५६	१९५७
जनवरी	१	८८	१००	६०
	१५	८८	१००	—
फरवरी	१	९०	९८	५४
	१५	९८	९८	—
मार्च	१	७५	१०५	४५
	१५	९५	९२	४५
अप्रैल	१	९५	१०८	—
	१५	११८	१०८	—
मई	१	१३२	१०२	५०
	१५	१३५	१०५	—
जून	१	१३८	११०	
	१५	१३८	१०७	
जुलाई	१	१३८	१०२	
	१५	१७५	९८	
अगस्त	१	१७५	९५	
	१५	—	९१	
सितम्बर	१	१७५	९६	
	१५	१७५	९१	
अक्तूबर	१	१७५	७२	
	१५	१६०	७२	
नवम्बर	१	—	—	
	१५	—	७०	
दिसम्बर	१	१६०	७५	
	१५	१००	—	

औद्योगिक रेशों के विश्व उत्पादन में वृद्धि

★ *नये पदार्थों द्वारा अधिकाधिक कड़ी प्रतियोगिता।*

उद्योग-धंधों में काम आने वाले मुख्य रेशों का संसार में १९५६-५७ में कुल उत्पादन २८ अरब ३० करोड़ पौण्ड हुआ जो पिछले साल में स्थापित सर्वकालीन रिकार्ड से भी कुछ अधिक था। इस उत्पादन में सोवियत रूस, चीन और पूर्वी यूरोप का उत्पादन शामिल नहीं है। अनुमान है कि सारे संसार में इनका उत्पादन २ प्रतिशत से कुछ कम बढ़ा है जिसका मुख्य कारण सोवियत रूस में सन का उत्पादन बढ़ना है। औद्योगिक रेशों का स्वतंत्र विश्व में जो कुल उत्पादन होता है, उसमें हाल के वर्षों में मानव-निर्मित रेशों का अनुपात बराबर बढ़ रहा है। १९५६ में इन रेशों का भाग १८ प्रतिशत था। लड़ाई से पहले यह भाग सिर्फ ७ प्रतिशत के आसपास था और इनका वास्तविक उत्पादन १९५५ से ५ प्रतिशत ही बढ़ा है। मानव-निर्मित रेशे कपड़ा बनाने, घरेलू काम की चीजें बनाने तथा औद्योगिक काम आने वाले रेशों (रुई, ऊन, रेशम तथा पटसन) से विशेषतः प्रतियोगिता करते हैं; लेकिन बोरे और रस्से बनाने में इनका प्रयोग बहुत ही कम होता है। सिर्फ नाइलन का प्रयोग रस्से और रस्सियां बनाने में होता है। यहां यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि मानव निर्मित रेशों में आपस में भी प्रतियोगिता है और नये-नये सैलूलोज रहित रेशों की प्रगति से यह प्रतियोगिता और भी बढ़ेगी। १९५२ से १९५६ के बीच इन रेशों का उत्पादन संसार में (सोवियत रूस आदि को छोड़कर) २॥ गुना बढ़ गया है जबकि रेयन और एसीटेट का उत्पादन सिर्फ ५० प्रतिशत से कम ही बढ़ा है।

खपत का नया रिकार्ड स्थापित

अनुमान है कि कपड़े बनाने के काम आने वाले रेशों की खपत १९५५ की तुलना में १९५६ में ४ प्रतिशत बढ़ी है और इस प्रकार एक नया रिकार्ड स्थापित हुआ। १९५६-५७ में संसार में रुई की खपत पिछली फसल से ३ प्रतिशत बढ़ गयी और १८,७० करोड़ पौण्ड के रिकार्ड पर पहुंच गयी।

१९५६ में संसार में ऊन की खपत बढ़ कर २८५ करोड़ पौण्ड हो गयी जो एक नया रिकार्ड था। यह खपत उससे पिछले साल की अपेक्षा ९ प्रतिशत अधिक थी और १९५३ के उच्चतम रिकार्ड से ७ प्रतिशत अधिक। रेयन और एसीटेट की १९५६ में कुल खपत ४ प्रतिशत बढ़ी। स्टेपल फाइबर की खपत १० प्रतिशत बढ़कर लगभग ३०० करोड़ पौण्ड हो गयी और फिलामेंट धागे की २ प्रतिशत घटकर २२३ करोड़ पौण्ड रह गयी।

कपड़े बनाने के काम आने वाले रेशों की संसार में प्रति व्यक्ति पीछे खपत १९४८ से बढ़ रही है। १९५६ में रुई और ऊन की प्रति व्यक्ति पीछे होने वाली खपत में १९५५ की अपेक्षा क्रमशः १ और ५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में मानव निर्मित रेशों की प्रति व्यक्ति पीछे खपत ६ प्रतिशत बढ़ी है। इनमें से सैलूलोज रहित रेशों की खपत रेयन और एसीटेट से भी अधिक बढ़ी है। १९५६ में रुई और ऊन की प्रति व्यक्ति पीछे क्रमशः ६.७२ तथा १.०४ पौण्ड खपत हुई जबकि रेयन और एसीटेट तथा अन्य मानव निर्मित रेशों की खपत क्रमशः १.९२ तथा ०.२६ पौण्ड रही। १९३८ में इनकी प्रति व्यक्ति पीछे खपत क्रमशः ६.३३, ०.९७, ०.८८ तथा ०.०७ पौण्ड थी। ऊन और रुई में सीधी प्रतियोगिता होने की गुँजाइश बहुत कम है हालांकि यह प्रतियोगिता कालीन उद्योग में तथा परम्परागत ऊनी कपड़ों और सूती जीन जैसे कपड़ों में होती है। लेकिन अब हलके ऊनी कपड़े बनाये जाने लगे हैं जो सूती कपड़ों (खासकर महिलाओं के कपड़ों में) चुनौती दे रहे हैं। पिछली सदी में रुई ने कई बातों में पटसन का स्थान ले लिया है विशेषकर घरेलू काम के कपड़े, तौलियों, चादरों, महिलाओं के कपड़ोंआदि में। हाल के कुछ वर्षों में सन को मानव निर्मित रेशों की प्रतियोगिता से भी हानि पहुँची है जैसे सेल क्लाथ (Sail cloth) और घरेलू काम आने वाले लिनन के कपड़े में। इसे नरम पटुआ से भी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है जो नरम सुतली बनाने तथा कपड़े बनाने के काम आता है।

हाल में बड़े परिमाण में इन विश्व बाजार में फिर आ गया है और अब देखना है कि इससे इस रेशे की स्थिति औरों की तुलना में ठीक होती है या नहीं।

जूट का प्रयोग

बोरों के निर्माण में जूट का प्रयोग बराबर होता रहा लेकिन तेजी के दिनों में तथा कमी के दिनों में उसके स्थान पर अन्य रेशों का प्रयोग कुछ हद तक हुआ। उदाहरण के तौर पर लड़ाई के दिनों में सं० रा० अमेरिका में जूट के स्थान पर रुई से बने बोरों का प्रयोग बढ़ गया था लेकिन बाद में रुई और जूट के भावों में असमानता अधिक होने से रुई का प्रयोग बन्द हो गया। मानव-निर्मित रेशों की प्रतियोगिता का प्रभाव सिर्फ जूट को छोड़ कर और सभी सस्ते रेशों पर पड़ा है। मानव निर्मित रेशे न सिर्फ पहनने-ओढ़ने के कपड़ों में बल्कि घरेलू काम की और औद्योगिक प्रयोग की वस्तुओं जैसे टायर निर्माण में रुई का स्थान काफी हद तक लेते जा रहे हैं। रेशम के प्रयोग में कमी एक तरह से मानव-निर्मित रेशों—खासकर रेयन और अब नाइलन—के ही कारण आई है। नाइलन ने काफी हद तक महिलाओं के मोजों में रेशम और सेलुलोज युक्त रेशों का स्थान ले लिया है। रस्से बनाने के क्षेत्र में मनीला पटसन को भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इससे नाइलन प्रतियोगिता कर रही है जो ज्यादा मजबूत होती है और समुद्र के पानी में अधिक टिक सकती है। इसलिये यह मनीला पटसन से समुद्री रस्से आदि बनाने में अधिक प्रतियोगिता करती है। बहुत से अंतिम प्रयोगों में कपड़े का स्थान और चीजें ले रही हैं जैसे प्लास्टिक का पतला कागज, कागज, चादरें आदि जिनमें टिकाऊ कृत्रिम गर्तों का प्रयोग अधिक होता है। इन चीजों ने किस हद तक कपड़े का स्थान ले लिया है, यह ज्ञात नहीं है लेकिन प्लास्टिक की बरसाती, थैले और पैक करने का सामान कपड़े का स्थान काफी हद तक ले चुके हैं और इनका प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है।

रुई की स्थिति

आइये अब प्रत्येक रेशे की अलग-अलग स्थिति का अध्ययन करें। ब्रिटिश पश्चिमी द्वीप समूह में पैदा होने वाली सर्वोत्तम किस्म की 'सी आइलैंड' रुई को छोड़ कर सबसे अच्छी किस्म की रुई मिस्र, सूडान और पेरू में पैदा की जाती है। मध्यम दर्जे की रुई मुख्य रूप से सं० रा० अमेरिका, ब्राजील, पाकिस्तान और मैक्सिको में पैदा की जाती है। भारतीय रुई आम तौर पर घटिया दर्जे की होती है लेकिन उसके रेशे की लम्बाई हाल के सालों में काफी बढ़ गई है।

सोवियत रूस और चीन को छोड़ कर शेष संसार की आधी कच्ची रुई आम तौर पर सं० रा० अमेरिका पैदा करता है और मध्यम वर्ग की रुई के विश्व बाजार को वह निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकता है। १९५१ के बाद से रुई की खपत उसके उत्पादन से कम होती चली आ रही है जिसका नतीजा यह हुआ है कि रुई का स्टाक हो रहा है जो खासकर अमेरिका में हुआ है। १९५५-५६ में सं० रा० अमेरिका ने निर्यात के लिये प्रतियोगिता पूर्ण ... की नीति अपनाई। जनवरी १९५६ में यह नीति सीमित पैमाने पर की गयी थी लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया।

संसार भर में १९५६-५७ की फसल में रुई का उत्पादन १४ अरब ३० करोड़ पौण्ड हुआ जो उससे पिछले वर्ष में स्थापित रिकार्ड उत्पादन से ३ प्रतिशत कम था। उत्पादन में यह कमी मुख्य रूप से सं० रा० अमेरिका में फसल कम होने के कारण हुई है जहां कपास उत्पादन के क्षेत्र को सीमित कर देने से उत्पादन में ५॥ प्रतिशत कमी हुई है। स्वतंत्र विश्व के अन्य देशों में उत्पादन कुछ ही कम हुआ है। सोवियत संघ और चीन का अनुमित उत्पादन भी शामिल कर लें तो सारे संसार में रुई का उत्पादन १९ अरब पौण्ड हुआ जो १९५५-५६ के उत्पादन से २ प्रतिशत कम था।

भारत में रुई का उत्पादन बढ़ा

१९५६-५७ में राष्ट्र मंडल का उत्पादन १० प्रतिशत बढ़ कर ३ अरब पौण्ड हो गया। इससे अधिकांश वृद्धि भारतीय फसल में हुई जो १५ प्रतिशत वृद्धि होने के कारण २ अरब पौण्ड हो गयी। पाकिस्तान में रुई का उत्पादन २ प्रतिशत कम हुआ। लेकिन राष्ट्र मंडल के शेष देशों में उत्पादन ५ प्रतिशत बढ़ कर ३० करोड़ पौण्ड से ३१ ६ करोड़ पौण्ड हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका और नाइजीरिया में हुई।

१९५६-५७ की फसल में रुई की खपत रूस आदि देशों को छोड़ कर बराबर बढ़ी है और १४ अरब पौण्ड तक जा पहुँची जो १९५५-५६ से ४ प्रतिशत अधिक थी। सोवियत रूस, चीन और पूर्वी यूरोप को मिला कर रुई की खपत १८ अरब ७० करोड़ पौण्ड हुई जो उससे पिछली फसल की अपेक्षा ३ प्रतिशत अधिक थी। हाल के सालों में रुई की खपत में वृद्धि मुख्य रूप से उन्हीं देशों में हुई है जो कपास पैदा करते हैं जैसे भारत और पाकिस्तान; जो पहले सूती माल की अपनी अधिकांश आवश्यकताएं आयात करके पूरी करते थे। लेकिन १९५६-५७ में रुई की खपत मुख्य रूप से यूरोप और एशिया के पुराने वस्त्र-निर्माता देशों में बढ़ी है। खपत बढ़ने के कारण मुख्य रूप से रुई के भावों में कमी होना और यह विश्वास होना है कि भाव इसी स्तर पर बने रहेंगे। लेकिन रुई की यह खपत उन देशों की आन्तरिक मांग बढ़ने से ही कारण बढ़ी है न कि निर्यात व्यापार बढ़ने के कारण। माल की उपलब्धि होने और अमेरिका के रुई निर्यात कार्यक्रम के फलस्वरूप रुई के भावों में स्थिरता होने से पिछली फसल में रुई की स्थिति रेयन की तुलना में सुधरी है इसलिये संसार भर में सभी रेशों की कुल खपत में रुई का भाग बढ़ गया है।

कच्ची रुई के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में दीर्घकालीन गिरावट का रुख १९५६-५७ की फसल में एकदम उलट गया। मुख्य उत्पादक देशों में से ११ देशों से कुल ६२० करोड़ पौण्ड रुई का निर्यात हुआ अर्थात् निर्यात में, पिछली फसल की तुलना में, ३४ प्रतिशत वृद्धि हुई है। लेकिन यह वृद्धि एकदम अमरीकी निर्यात के ३ गुना बढ़ने के कारण हुई है जो ३८० करोड़ पौण्ड के आसपास पहुँच गया है जबकि प्रायः अन्य सभी देशों का निर्यात घटा है। निर्यात बढ़ने के साथ अधिकांश मुख्य उपभोक्ता ब्रिटेन, जापान, पं० जर्मनी, फ्रांस और इटली ने साथ ही रुई का अधिक आयात किया।

ऊन

मोटे तौर पर ऊन की तीन मुख्य किस्में हैं—मैरिनो, क्रासब्रैड तथा गलीचों के काम आने वाली ऊन। पहली दो किस्मों की ऊन कपड़े बनाने के काम आती है। अभी तक ऊन के इस वर्गीकरण के बारे में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय करार नहीं हुआ है। लेकिन आम तौर पर स्वीकृत वर्गीकरण यह है कि ६० नम्बर या इससे ऊपर की ऊन मैरिनो ऊन कहलाती है; ४६ से ५८ नम्बर तक की क्रोसब्रैड तथा ४४ नम्बर तक की ऊन गलीचों के काम आने वाली ऊन होती है। लेकिन सं० रा० अमेरिका में ४६ नम्बर तक की ऊन गलीचों की ऊन मानी जाती है। स्वतंत्र विश्व में ऊन का उत्पादन १९५६-५७ में बढ़ कर ४२१.५ करोड़ पौण्ड हो गया जो १९५५-५६ से ४ प्रतिशत अधिक है। ऊन उत्पादन में यह वृद्धि गत नौ वर्षों से लगातार हो रही है। सोवियत रूस, चीन तथा पूर्वी यूरोप को मिला कर सारे संसार में ऊन का कुल उत्पादन ५०४ करोड़ पौण्ड (अशुद्ध रूप से) हुआ जो साफ ऊन के रूप में २९१.५ करोड़ पौण्ड था। इसका उत्पादन उससे पिछले साल की तुलना में ५ प्रतिशत अधिक हुआ। स्वतंत्र विश्व का ऊन-उत्पादन मुख्य रूप से आस्ट्रेलियाई उत्पादन में ११ प्रतिशत वृद्धि होने के कारण बढ़ा है। प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार १९५७-५८ से ऊन का उत्पादन १९४७-४८ के बाद पहली बार घटा है। आशा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल ऊन का उत्पादन २ प्रतिशत कम होगा जो मुख्य रूप से आस्ट्रेलिया के उत्पादन में गिरावट होने के कारण होगा।

ऊन की खपत में वृद्धि

१९५६-५७ में मुख्य निर्यातक देशों आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, द० अफ्रीका, अर्जेन्टाइना तथा यूरुग्वे से कच्ची ऊन का निर्यात २३०.२ करोड़ पौण्ड (या १४६.५ करोड़ पौण्ड साफ ऊन) हुआ जो पिछले वर्ष से ४ प्रतिशत अधिक था। संसार के १६ मुख्य आयातक देशों ने २४७.५ करोड़ पौण्ड या १६० करोड़ पौण्ड साफ-ऊन का आयात किया जो १९५५ से ६ प्रतिशत अधिक था। आयात में सब से अधिक वृद्धि जापान ने दिखायी और उसने संसार के चौथे बड़े आयातक का स्थान प० जर्मनी को हटाकर स्वयं ले लिया। १९५७ की पहली तीन तिमाहियों में स्वतंत्र संसार के १२ मुख्य देशों का ऊन का आयात १९५५ की इसी अवधि की तुलना में २ प्रतिशत अधिक रहा।

१९५६ की एक मुख्य बात ऊनी कपड़ा उद्योग की गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि होना है। संसार में कच्ची (बिना साफ की हुई) ऊन की खपत २८५.५ करोड़ पौण्ड तक पहुंच गयी। इसकी इतनी खपत पहले कभी नहीं हुई थी। यह खपत १९५५ से ६ प्रतिशत अधिक और १९५३ की सर्वाधिक खपत से ७ प्रतिशत अधिक थी। जापान में खपत सबसे अधिक बढ़ी अर्थात् वहां १९५५ से ४० प्रतिशत अधिक ऊन प्रयोग की गयी। इसके अलावा ऊन के अन्य उपभोक्ता देशों में भी ऊन की खपत बढ़ी। ब्रिटेन में ऊन की खपत अपरिवर्तित रही और स्वीडन में कुछ घटी है। ऊन के प्रयोग में होने वाली यह वृद्धि १९५७ के मध्य तक चलती रही, हालांकि वृद्धि की रफ्तार कुछ कम हो गयी। इस वर्ष कुल मिलाकर ऊन की खपत में १९५६ की अपेक्षा १ प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

ऊन की लगातार मांग होने और खपत बढ़ जाने से १९५६-५७ में ऊन के भाव तेजी से बढ़े। ऊनी कपड़ा बनाने के उद्योग में कच्ची ऊन के अलावा और पदार्थों जैसे छोटे रेशे वाली ऊन, रद्दी ऊन, पुराने ऊनी कपड़ों से प्राप्त ऊन, रेयन, स्टेपल तथा अन्य मानव-निर्मित रेशे, कच्ची और रद्दी रुई आदि की भी आवश्यकता होती है। इन रेशों का प्रयोग ऊन की कताई में अधिक होता है, और जब ऊन के दाम चढ़ रहे होते हैं तो ऊनी वस्त्र उद्योग कच्ची ऊन का प्रयोग कम करके इन सस्ते पदार्थों का प्रयोग बढ़ाता है।

रेयन का प्रयोग बढ़ा

हाल के वर्षों में रेयन तथा एसीटेट को प्राकृतिक तथा मानव-निर्मित अन्य रेशों के साथ मिलाकर प्रयोग करने में तथा पूर्णतः रेयन के कपड़ों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। उदाहरण के तौर पर पहनने के कपड़े बनाने में विस्कोस तथा एसीटेट तागा प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक काम की चीजें बनाने में अधिक प्रतिरोधक शक्ति वाली रेयन का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। १९५२ की मंदी में भी इसके प्रयोग पर कोई असर नहीं पड़ा था क्योंकि टायरों के निर्माण में रेयन ने सूत का काफी हद तक स्थान ले लिया है क्योंकि इसमें गरमी रोकने की क्षमता अधिक है।

१९५६ में संसार में रेयन और एसीटेट का उत्पादन १९५५ की अपेक्षा ४ प्रतिशत बढ़ गया। सोवियत रूस को छोड़ कर ब्रिटेन, सं० रा० अमेरिका आदि में इनका उत्पादन ४४६ करोड़ पौण्ड हो गया तथा चीन को छोड़ कर रूस आदि का उत्पादन ७७ करोड़ पौण्ड हो गया। इस प्रकार संसार भर में इनका उत्पादन शायद ५२३ करोड़ पौण्ड हो गया। १९५७ में रेयन और एसीटेट का कुल उत्पादन ५४०

करोड़ पौण्ड था जिससे ३११ करोड़ पौण्ड स्टैपल और २२६ करोड़ पौण्ड फिलामैण्ट तागा था। अनुमान है कि संसार में इनके उत्पादन की कुल क्षमता लगभग ६५० करोड़ पौण्ड है।

राष्ट्रमण्डल में ब्रिटेन इनका मुख्य उत्पादक बना रहा। कनाडा ने फिलामेण्ट तागे का उत्पादन १९२५ में और स्टैपल का उत्पादन १९४६ में, भारत ने फिलामेण्ट तागे का उत्पादन १९५० में और स्टैपल का १९५४ में और आस्ट्रेलिया ने तागे का उत्पादन १९५३ में आरम्भ किया था। आस्ट्रेलिया अभी स्टैपल का उत्पादन नहीं करता है। कुल मिलाकर राष्ट्रमण्डल ने १९५६ में २७.२ करोड़ पौण्ड फिलामैण्ट तागे का उत्पादन किया और २८.४ करोड़ पौण्ड स्टैपल का। इस प्रकार राष्ट्रमण्डल में इनका कुल उत्पादन ५५.६ करोड़ पौंड हुआ जबकि १९५५ में ५४.७ करोड़ पौंड ही हुआ था। इस प्रकार १९५६ में इसका उत्पादन २ प्रतिशत बढ़ा। १९५६ में भी सं० रा० अमेरिका इनका सबसे बड़ा उत्पादक बना रहा, लेकिन इसका ११४.८ करोड़ पौंड उत्पादन १९५५ के उत्पादन से ६ प्रतिशत कम था। एसीटेट और रेयन के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में १९५६ में स्वतन्त्र विश्व के उत्पादन का भाग बढ़ कर १६ प्रतिशत हो गया था जबकि १९५५ में यह १८ प्रतिशत ही था। स्वतन्त्र देशों से ८५ करोड़ पौंड रेयन और एसीटेट निर्यात हुआ।

सैलूलोज रहित मानव निर्मित रेशे

अनुमान है कि १९५६ में स्वतन्त्र विश्व में सैलूलोज रहित मानव निर्मित रेशों का उत्पादन ६४.३ करोड़ पौंड हो गया जो उससे पिछले वर्ष की तुलना में १६ प्रतिशत अधिक है। यह स्वतन्त्र विश्व के रेयन और एसीटेट के कुल उत्पादन के १४ प्रतिशत के बराबर है जबकि १९५५ में ११ प्रतिशत के बराबर ही था। इस उद्योग की क्षमता लगभग सभी उत्पादक देशों में बढ़ाई जा रही है और आशा है कि १९५८ के अन्त तक यह १९५६ की तुलना में दो गुनी हो जाएगी। सं० रा० अमेरिका अभी तक इन रेशों का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है और ४० करोड़ पौंड उत्पादन करता है लेकिन इनकी वृद्धि की रफ्तार एक साल पहले की अपेक्षा कम हो गयी है। इसलिए स्वतन्त्र विश्व के कुल उत्पादन में इसका भाग ६८ प्रतिशत से घटकर ६२ प्रतिशत रह गया है। दूसरे सब से बड़े उत्पादक के रूप में जापान ने ब्रिटेन का स्थान ले लिया है। उसका उत्पादन ६.५ करोड़ पौंड हो गया है जो १९५५ से दुगुना है। ब्रिटेन का उत्पादन १ करोड़ पौंड से बढ़कर ५.१ करोड़ पौंड हो गया है जबकि प० जर्मनी और फ्रांस के उत्पादन में क्रमशः २३ और ३२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है और उनका उत्पादन क्रमशः ३.२ करोड़ और २.३ करोड़ पौंड हो गया है। इसके अन्य प्रमुख उत्पादक देश हैं कनाडा, इटली और हालैण्ड। स्विटजरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, अर्जेन्टाइना तथा ब्राजील भी थोड़े थोड़े परिमाण में इनका उत्पादन करते हैं। सोवियत रूस और पूर्वी यूरोप का उत्पादन ४.१ करोड़ पौंड रहा जबकि उससे पिछले साल यह ३.३ करोड़ पौंड ही था। इसमें से सोवियत रूस का उत्पादन ६० प्रतिशत से कुछ अधिक था और शेष में से अधिकांश उत्पादन पूर्वी जर्मनी ने किया। पोलैण्ड और चैकोस्लोवाकिया ने भी थोड़े थोड़े परिमाण में इनका उत्पादन किया। नये नये रेशों की मांग बढ़ने के कारण, कुल उत्पादन में नाइलन का भाग अपेक्षाकृत कम है, फिर भी किसी एक रेशे की तुलना में उसका अंश सबसे अधिक है।

सैलूलोज रहित मानव निर्मित रेशों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अब तक मुख्यतः नाइलन का ही होता रहा है। मुख्य निर्यातक देशों (ब्रिटेन को छोड़ कर) से १९५६ में नाइलन तथा अन्य तागों का निर्यात २.७ करोड़ पौंड हुआ जो १९५५ से एक चौथाई अधिक था। (१९५५ के आंकड़ों में जापान के आंकड़े शामिल नहीं हैं)।

सैलूलोज रहित रेशों के प्रयोग में हाल में जो वृद्धि हुई है, उससे प्रकट है कि उनके विशेष गुणों को विशिष्ट औद्योगिक आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए अधिकाधिक परिमाण में प्रयोग किया जा रहा है। नाइलन का सौ से ऊपर विभिन्न औद्योगिक कार्यों में इस समय प्रयोग किया जाता है तथा इसके उपयोग और भी बढ़ रहे हैं। औद्योगिक कामों में सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग टायरों के लिए ऐंठन युक्त तागे का प्रयोग करना है जिसमें अकेले सं० रा० अमेरिका में ही १९५६ में ६.१ करोड़ पौंड नाइलन प्रयोग की गयी है। रस्से और रस्सियां, मछलियां पकड़ने के जाल, रक्षात्मक कपड़े, रोएंदार गलीचे, पट्टे, फिल्टर तथा प्रेस बनाव, सिलाई का धागा, मोजे और ब्रश बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सं० रा० अमेरिका में मोटरों में नाइलन के कपड़े के बेलोज (Bellows) का प्रयोग किया जाता है जिससे मोटर चलाते समय धक्का कम लगे।

कच्चा रेशम

पिछले कुछ वर्षों से "स्वतन्त्र" विश्व का कच्चे रेशम का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और १९५६ में बढ़कर ४.८ करोड़ पौंड हो गया हालांकि यह १९३८ के उत्पादन के आधे से कम था। उत्पादन में यह वृद्धि मुख्यतः जापान में उत्पादन बढ़ने के कारण हुई जो १९५० से ७५ प्रतिशत बढ़ गया और १९५६ में यह स्वतन्त्र विश्व के उत्पादन का ८६ प्रतिशत भाग था। १९५६ में भारत में रेशम का उत्पादन घटा है लेकिन उसने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रेशम का उत्पादन बढ़ाने का व्यापक कार्यक्रम बनाया है जिससे १९६१ तक यह इस क्षेत्र में आत्म-निर्भर हो जाएगा। कोरिया का उत्पादन भी बढ़ रहा है और वह दूना होकर करीब १२ लाख पौंड हो गया है। गैर सरकारी अनुमानों के अनुसार रूस और चीनों का उत्पादन भी बढ़ रहा है। इटली सरकार उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों को प्रोत्साहित कर रही है फिर भी रेशम उत्पादन से किसानों को अन्य कामों की अपेक्षा कम आमदनी

होती है इसलिए वहां तीसरे साल भी रेशम का उत्पादन बढ़ नहीं सका है।

१९५६ में उत्पादन बढ़ने पर भी रेशम के निर्यात में चीन के अलावा कोई वृद्धि नहीं हुई है। हां, रेशम उत्पादक सभी देशों में रेशम की खपत बढ़ी है। इस वर्ष जापान से कच्चे रेशम के निर्यात में १४ प्रतिशत कमी हुई है और उसका निर्यात घटकर १ करोड़ पौंड रह गया है। जापानी निर्यात में मुख्य कमी प० यूरोप के देशों को होने वाले निर्यात में हुई है जिसका मुख्य कारण चीनी रेशम की प्रतियोगिता है क्योंकि चीनी रेशम जापानी रेशम से सस्ता पड़ता है। इसके विपरीत जापान से रेशमी कपड़ों का निर्यात खासकर अमेरिका को होने वाला निर्यात १९५५ की अपेक्षा काफी बढ़ा है।

जापान में रेशम की खपत ४० लाख पौंड बढ़ कर ३.१ करोड़ पौंड हो गयी। यह वृद्धि कुछ अंशों में निर्यात योग्य कपड़ा बनाने से और मुख्य रूप से देश में रेशमी कपड़ों की मांग बढ़ने से हुई है। सामान्य आर्थिक स्थिति में सुधार होने से देश में मांग बढ़ी है। सं० रा० अमेरिका और यूरोप में भी रेशम की खपत बढ़ी और यूरोप को चीन ने अधिकाधिक परिमाण में माल भेजा है।

मोहेयर

मोहेयर नामक चिकनी ऊन तुर्की के स्टेप्स मैदानों में पाली जाने वाली अंगोरा जाति की बकरी के लम्बे चमकीले बालों से प्राप्त की जाती है। बालों की लम्बाई ४ इंच से लेकर १० इंच तक होती है और इससे २८ से लेकर ५० नम्बर तक का सूत काता जा सकता है। इसे ऊनी वस्त्र उद्योग के वर्स्टेड विभाग में अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। बढ़िया किस्म के मोहेयर को पशमीना बनाने के और घटिया किस्म के मोहेयर को कालीन बनाने के काम में लाया जाता है। व्यापारी इसे विशेष रेशों में गिनते हैं। फैशनों में परिवर्तन होने और अन्य प्रतियोगी रेशों खासकर ऊन के भाव घटने-बढ़ने पर इसकी मांग घटती-बढ़ती रहती है। संसार में मोहेयर का उत्पादन १९५६ में ४.७ करोड़ पौण्ड था जबकि १९५० में युद्ध के बाद सबसे कम अर्थात ३.१ करोड़ पौण्ड था। वस्तुतः तुर्की, सं० रा० अमेरिका तथा द० अफ्रीका में ही मोहेयर का उत्पादन होता है। तुर्की अब भी इस रेशे का सबसे बड़ा उत्पादक है लेकिन संसार में इसका सर्वाधिक निर्यात करने वाले का स्थान १९५६ में सं० रा० अमेरिका ने ले लिया। इस वर्ष अमेरिकी निर्यात १.२ करोड़ पौण्ड पर पहुँच गया जो १९५५ से दो गुना था और उसके कुल उत्पादन का दो तिहाई था। द० अफ्रीका में १९५६ में भी मोहेयर के उत्पादन में वृद्धि जारी रही। इस वर्ष वहां (बसूटोलैण्ड का उत्पादन मिलाकर) कुल ६० लाख पौण्ड मोहेयर पैदा हुआ। द० अफ्रीका का सबसे बड़ा बाजार ब्रिटेन है और वहां की मांग घटने या बढ़ने से द० अफ्रीका में मोहेयर के दामों पर सीधा असर पड़ता है। इस रेशे की खपत करने वाले देश मुख्यतः ब्रिटेन और सं० रा० अमेरिका हैं। ब्रिटेन में इसकी खपत बढ़ रही है और १९५६ में उसका कुल आयात १.९ करोड़ पौण्ड हो गया। इसके विपरीत हाल के वर्षों में इस के प्रयोग में तेजी से कमी हुई है।

सन

सन के पौधे से प्राप्त रेशों से मुख्यतः पहनने के कपड़े (लिनन) और घरेलू काम के अन्य कपड़े बनते हैं लेकिन अब इसका औद्योगिक कामों में भी प्रयोग होने लगा है। पिछली शताब्दी में सन का स्थान तब से रुई ने ले लिया है जब से रुई ओटने की मशीन का आविष्कार हुआ। अब इसे हाल के वर्षों में मानव निर्मित रेशों से प्रतियोगिता करनी पड़ी है। अब भी इसका प्रयोग पहनने के कपड़ों तथा घरेलू काम आने वाली लिनन बनाने में तो हो ही रहा है, इसके साथ इसका प्रयोग जूतों में सिलाई के तथा अन्य किस्म के धागे और सुतली में भी किया जाता है जहां मजबूत और टिकाऊपन की आवश्यकता होती है। युद्धकाल में सन को अनेक फौजी कामों में प्रयोग किया जाता है जैसे तम्बू और मोटा टिकाऊ कपड़ा बनाने में। ऐसे समय में सन की मांग विशेष रूप से बढ़ जाती है।

१९५६ में १९५५ की अपेक्षा संसार में सन का उत्पादन काफी बढ़ गया प्रतीत होता है लेकिन कितना बढ़ा है, इसका अन्य रेशों की भांति ठीक-ठीक अन्दाज नहीं लगाया जा सकता क्योंकि संसार के सबसे बड़े उत्पादक देश रूस के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कहते हैं कि १९५६ में संसार में १४,०६,००० टन सन पैदा हुआ जिसमें से रूस में ११,८०,००० टन सन हुआ। पूर्वी यूरोप के अलावा सन का उत्पादन १९५६ में १,३०,००० टन हुआ जो उससे पिछले साल की अपेक्षा ८ प्रतिशत कम था। इस वर्ष में सबसे बड़े उत्पादक फ्रांस, बेल्जियम तथा हालैण्ड हैं जिनका १९५६ में कुल उत्पादन ६२,००० टन हुआ। इसके उत्पादन के साथ इसकी मांग में भी सुधार हुआ है। इस वर्ष स्वतन्त्र विश्व के सन उपभोक्ता देशों ने १,२०,००० टन सन का आयात किया जो पिछले वर्ष की तुलना में ८ प्रतिशत अधिक है। इनके आयात में मुख्य रूप से यह वृद्धि इसलिए हुई कि सोवियत संघ ने पुनः प० यूरोप को माल भेजना आरम्भ कर दिया। रूसी प्रतियोगिता के कारण फ्रांस और बेल्जियम का निर्यात कुछ गिर गया।

हाल के सालों में सन की खपत बढ़ने के बाद भी लिनन उद्योग में सन की मांग अब भी युद्ध से पहले के स्तर से काफी कम है। इस स्थिति का मुख्य कारण इनके स्थान पर प्रयोग हो सकने वाले मानव निर्मित रेशों का प्रयोग बढ़ जाना है। उदाहरण के तौर पर १९५४ में ब्रिटेन के सन उद्योग ने कुल कच्चे मालों का एक चौथाई भाग रेयन स्टेपल फाइबर

प्रयोग किया जबकि युद्ध से पहले सिर्फ नगण्य परिमाण में इनका प्रयोग किया जाता था।

पटसन की स्थिति

कड़े रेशों में प्रमुख रेशे सिसल, मनीला, हैनेक्वेन पटसन आदि आते हैं। इनको मुख्य रूप से रस्सों, रस्सियों, सुतली आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है जबकि कुछ परिमाण में इसे घटिया कपड़ा बनाने में भी काम में लाया जाता है।

१९५६ में कड़े पटसन का उत्पादन और भी बढ़ कर ७,४४,००० टन पर पहुँच गया जो उससे पिछले साल के कुल उत्पादन ६,९०,००० टन से ७ प्रतिशत अधिक था। पटसन की यह वृद्धि मुख्य रूप से १९५०-५१ की रोपाई के कारण हुई है जबकि इसके दाम विशेष रूप से ऊंचे थे। यह वृद्धि तीनों प्रकार के पटसनों में हुई है। सिसल का उत्पादन ८ प्रतिशत बढ़कर ४,८१,००० टन, मनीला का उत्पादन ९ प्रतिशत बढ़कर १,२५,००० टन और हैनेक्वेन का उत्पादन १६ प्रतिशत बढ़कर, १,१६,००० टन हो गया है। लेकिन इसकी माग में इतनी तेजी से वृद्धि नहीं हुई है। हालांकि सिसल की खपत १९५५ की अपेक्षा बढ़ गयी है लेकिन यह कुल उत्पादन से कम ही रही जिससे इसके दामों में गिरावट आयी है और स्टाक बढ़ा है। ब्राजील सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देकर सिसल का असाधारण रूप से अधिक निर्यात करने के कारण १९५६ में बाजार मुलायम हो गया। मौसम के कारण यूरोप की सुतली सम्बन्धी आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और कुछ देशों में खास कर सं० रा० अमेरिका के आयात में तेजी से गिरावट आयी है। इसके विपरीत मनीला सन के उत्पादन के साथ साथ इसकी खपत भी बढ़ी है। सं० रा० अमेरिका, जापान तथा अन्य देशों में तेजी से जहाज निर्माण होने के कारण रस्सों के निर्माण के लिए मनीला पटसन की माग बढ़ी जिससे इसके भाव पिछले वर्ष की अपेक्षा बढ़ गये हैं। मैक्सिको ने हैनेक्वेन पटसन के बने रस्से अमेरिका के हाथ थोड़े परिमाण में बेचे लेकिन वहा इस पटसन का उत्पादन तेजी से बढ़ा है जिससे वहा माल फालतू पड़ गया है। मैक्सिको के रस्सा उद्योग में कच्चे माल की खपत कम हो गयी है और १९५७ के शुरू में स्टाक एक साल पहले से तीन गुना हो गया। राष्ट्रमंडल के देशों में कड़े पटसन का उत्पादन ५ प्रतिशत बढ़ कर २,३५,००० टन हो गया लेकिन विश्व उत्पादन में इसका भाग वही ३२ प्रतिशत ही रहा। टांगानीका में सिसल का उत्पादन १०,००० टन तथा केनिया में २००० टन बढ़ा है।

कड़े पटसन का विश्व व्यापार १९५६ में ६ लाख टन से बढ़ गया जो पिछले साल में स्थापित रिकार्ड से भी ५ प्रतिशत अधिक था। सिसल के निर्यात में सबसे प्रमुख वृद्धि ब्राजील, टांगानीका तथा हैटी ने की। अंगोला तथा इंडोनेशिया के निर्यात में हुई कमी इससे पूरी ही नहीं हो गयी बल्कि कुल निर्यात बढ़ भी गया। फिलिपाइन से मनीला पटसन का निर्यात ९ प्रतिशत बढ़ कर १,२०,००० टन हो गया जिससे मध्य अमेरिका के निर्यात में हुई कमी पूरी हो गयी। १९५६ के पूर्वार्द्ध में हैनेक्वेन पटसन का आयात निर्यात बहुत थोड़ा हुआ क्योंकि मैक्सिको ने कच्चे माल के निर्यात पर रोक लगा दी जिससे वहा के रस्सा उद्योग को कच्चा माल मिल सके। मैक्सिको का यह उद्योग मुख्य रूप से सं० रा० अमेरिका की आवश्यकताएं पूरी करता है। रस्सों के निर्यात में कमी आने के कारण इस नीति को बदल दिया गया और वर्ष के उत्तरार्द्ध में इन्हें पटसन का निर्यात करने की अनुमति दे दी गयी लेकिन निर्यात १९५५ की तिहाई ही रहा।

कच्चे जूट का उत्पादन अपरिवर्तित

१९५६-५७ में कच्चे जूट का विश्व भर में उत्पादन सरकारी तौर पर १८ लाख टन आंका गया था जो पिछले वर्ष के बराबर ही था। इसमें से पाकिस्तान ने लगभग १० लाख टन और शेष में से अधिकांश भाग भारत ने पैदा किया। इस वर्ष संसार में कच्चे जूट की खपत १९५५-५६ से कुछ कम रही जिसका मुख्य कारण भारत द्वारा अपनी खपत ६ प्रतिशत घटाकर ११ लाख टन कर देना है। ब्रिटेन और प० यूरोप में भी इसकी खपत घटी है लेकिन पाकिस्तान में यह १५ प्रतिशत और बढ़ा है। कुल मिलाकर संसार भर में कच्चे जूट की खपत उत्पादन के बराबर ही थी। और प्रतीत होता है कि इस अवधि में स्टाक में कुछ कमी भी आयी है।

हालांकि संसार में खेती की वस्तुओं का उत्पादन युद्ध से पहले की अपेक्षा एक चौथाई बढ़ गया है फिर भी इन वस्तुओं को भरने के काम आने वाले जूट के माल का उत्पादन युद्ध पूर्व के स्तर से कम ही है। माल ढोने के वैकल्पिक तरीकों का प्रयोग तथा जूट के स्थान पर प्रयोग हो सकने वाले रेशों के उपयोग से जूट को काफी हानि उठानी पड़ रही है। यह स्थिति भारत के लिये बहुत ही गम्भीर है क्योंकि जूट का सामान बनाने का उद्योग भारत का प्रमुख डालर उपार्जक उद्योग है। एक और तो यहा के निर्माताओं को जूट के स्थान पर प्रयोग होने वाले पदार्थों से तथा अन्य जूट निर्माता देशों से प्रतियोगिता करने की कोशिश में उत्पादन लागत घटाने की आवश्यकता है और दूसरी ओर उन्हें मजदूरी अधिक देनी होती है और पाकिस्तान से आये जूट का मूल्य अधिक देना होता है। विदेशी बाजारों में भारत को मुख्य प्रतिद्वंदिता पाकिस्तान से करनी होती है। उसे कच्चा माल सस्ता पड़ता है क्योंकि वह भारत तथा अन्य देशों को निर्यात होने वाले कच्चे जूट पर काफी शुल्क लगा देता है। अपने माल की प्रतियोगिता शक्ति बढ़ाने के लिये भारतीय मिल आधुनिकीकरण के व्यापक कार्यक्रम पर अमल कर रहे हैं और इसके साथ भारत सरकार जूट उत्पादकों को अच्छा तथा अधिक जूट पैदा करने के लिये प्रोत्साहित कर रही है जिससे दूसरी पंच वर्षीय योजना के अंत तक देश जूट के मामले में आत्म निर्भर हो सके। इस

मिलाकर संसार में जूट उद्योग की उत्पादन क्षमता संभावित योग से काफी अधिक है फिर भी पाकिस्तान और प० एशिया तथा पूर्वी एशिया में जूट मिलों की स्थापना की जा रही है। प० यूरोप में जूट का माल बनाने वाले देशों का रुख यह है कि वे उत्पादन थोड़ा-थोड़ा कम करते जायें, खास किस्मों का ही माल बनाएं तथा अपने देश की आवश्यकताओं की ही पूर्ति करें और घरेलू बाजार की रक्षा के लिए संरक्षणात्मक शुल्क लगाएं।

नारियल की जटा

नारियल की जटा वह रेशा होता है जो नारियल के ऊपरी भाग और अन्दर के कड़े भाग के बीच में होता है। नारियल की जटा के मुख्य उत्पादक देश भारत तथा लंका हैं हालांकि नारियल बड़े परिमाण में फिलिपाइन, इंडोनेशिया, मलाया, पाकिस्तान और अन्य देशों में भी पैदा होता है। यह उद्योग मुख्यतः कुटीर उद्योग है इस लिये इसके उत्पादन के विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर सकना कठिन है, फिर भी भारत और लंका का कुल उत्पादन २ लाख टन होने का अनुमान है। लंका से नारियल की जटा से बुने माल का निर्यात बढ़ने की प्रवृति १९५६ में रुक गयी जबकि इसका निर्यात ६६,००० टन से कम ही रहा। निर्यात में जो कमी हुई है, वह मुख्य रूप से कड़े रेशों में हुई है जिनसे पायदान आदि बनाए जाते हैं। चटाइयां बनाने के रेशों का उत्पादन लगभग अपरिवर्तित रहा। नारियल की जटा से बने माल का भारत से निर्यात पिछले ५ सालों में काफी बढ़ गया है और १९५६-५७ में उससे पिछले साल की अपेक्षा ९ प्रतिशत बढ़कर ८१,००० टन हो गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन नारियल के जटा उद्योग के विकास पर १ करोड़ रु० खर्च किया जाएगा। इसमें से कोयर बोर्ड की केन्द्रीय योजनाओं पर ३० लाख रु० और शेष धन राज्य सरकारों की योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। जो योजनायें स्वीकार की जा चुकी हैं उनमें से एक योजना केरल राज्य के अलेप्पी स्थान में सेन्ट्रल कोयर रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा कलकत्ते में एक ब्रांच इन्स्टीट्यूट खोलने की है।

लंका में नारियल की जटा से बने माल की मांग १९५५-५६ में कम हो जाने से वहां दोनों प्रकार के नारियल के रेशों के मूल्यों में गिरावट आयी। लेकिन १९५६ में पश्चिमी एशिया के संकट के कारण इनके भाव फिर बढ़े और कड़े रेशों के भाव विशेष रूप से चढ़े हैं। १९५७ में इसकी कुछ प्रतिक्रिया हुई लेकिन भाव फिर भी पिछले साल की अपेक्षा ऊंचे ही रहे। नारियल की सुतली के भाव तैयार माल के भावों की अपेक्षा अधिक स्थिर रहे।

घूहा

वृक्ष विशेष की बौंडियों से निकलने वाला तंतुमय पदार्थ घूहा होता है। यह बड़े पैमाने पर इंडोनेशिया (मुख्यतः जावा) में पैदा किया जाता है। भारत, पाकिस्तान तथा अन्य उष्ण कटिबंधीय देशों में इसका उत्पादन होता है लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं। घूहा का रेशा बहुत गुलगुला, हल्के वजन वाला तथा नमी निरोधक होता है जिससे यह गद्दों, तकियों तथा कोचों आदि में भरने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त रहता है। यह गरमी और आवाज रोकने वाला पदार्थ भी है। घूहा का प्रयोग जैकटें बनाने, गद्दे भरने में तथा निरोधक पदार्थ आदि इसी तरह के कामों में होता है।

राष्ट्र मंडल में घूहा के मुख्य उत्पादक भारत, पाकिस्तान, ब्रि० पूर्वी अफ्रीका, नाइजीरिया और लंका हैं। १९५६ में इसका संसार में उत्पादन ३.८ करोड़ पौंड हुआ जो १९५५ की तुलना में २ प्रतिशत अधिक है। हाल के वर्षों में राष्ट्र मंडल के देशों में इसके उत्पादन का भाग कुल उत्पादन से बढ़ रहा था लेकिन १९५६ में कुछ घट गया खास कर नाइजीरिया से होने वाला निर्यात घटा है। इंडोनेशिया से घूहे का निर्यात और भी कम हुआ है जो युद्धोत्तर काल के निर्यात का एक तिहाई और युद्ध पूर्व के औसत का छठा भाग था। इस कमी का मुख्य कारण देश में राजनीतिक और आर्थिक गड़बड़ होना तथा देश के अन्दर खपत बढ़ जाना है। अगस्त १९५७ में वहां एक सरकारी संस्था इंडोनेशिया कैपोक लि० स्थापित हुई जिसका मुख्य काम घूहा का निर्यात बढ़ाना है। शुरू में इसका काम सिर्फ खुदरा व्यापारियों से घूहा खरीदना था लेकिन १९५८ से इसका काम सीधे उत्पादकों से घूहा खरीदना तथा फसल तैयार होने से पहले माल बेच देने की प्रणाली को रोकना है। अन्य विदेशी उत्पादकों का निर्यात १९५५ से कुछ अधिक था और मुख्य रूप से यह वृद्धि स्याम तथा कम्बोडिया के निर्यात में हुई है। भारत से इसका निर्यात लगभग ६० लाख पौंड हुआ और उसके मुख्य प्रतियोगी देश इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडोचीन, लंका आदि हैं।

हमारे लघु उद्योग

छोटे औद्योगिकों को अनेक प्रकार से सहायता

★ सेवाशालाओं के प्रयत्नों से माल की किस्म में सुधार।

देश में लघु उद्योगों के विकास के लिये सरकार ने जो कार्य किये हैं उनमें औद्योगिक विस्तार सेवा का जारी किया जाना शायद सबसे महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है। इसके अन्तर्गत ऐसे छोटे कारखानों को प्रविधिक और व्यापार व्यवस्था सम्बन्धी निःशुल्क सहायता प्रदान की जाती है जो इन कार्यों के लिये रुपया देकर विशेषज्ञ रखने में असमर्थ होते हैं।

औद्योगिक विस्तार सेवा का कार्य चार प्रादेशिक लघु उद्योग सेवा शालाओं की मार्फत किया जाता है। ये सेवा शालाएं नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में खोली गई हैं। इनके अतिरिक्त अनेक बड़ी सेवा शालाएं और विस्तार केन्द्र भी चलाये जा रहे हैं जिनमें योग्य प्रविधिक तथा आर्थिक विशेषज्ञ अफसर रखे जाते हैं। ये विशेषज्ञ अफसर उन सभी औद्योगिकों को निःशुल्क परामर्श देते हैं जो उनसे परामर्श लेने आते हैं। इसके अतिरिक्त वे अपने क्षेत्र के छोटे कारखानों का निरीक्षण भी किया करते हैं और वहीं पर आवश्यक परामर्श भी प्रदान कर देते हैं।

प्रस्तुत स्तम्भ

प्रस्तुत स्तम्भ में लघु उद्योगों के विषय में कुछ उपयोगी जानकारी देने का यथाशक्य प्रयत्न किया जाता है। इस बार यह बताने का यत्न किया गया है कि (१) लघु उद्योगों के लिये बनायी गई प्रादेशिक सेवाशालाएं किस प्रकार छोटे-छोटे कारखानों की सहायता कर रही हैं, (२) उन्हें ऋण मिलने की क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं; और (३) व्यावसायिक प्रबन्ध और प्रशिक्षण का क्या कार्यक्रम चल रहा है। आशा है हमारे पाठकों को यह जानकारी उपयोगी सिद्ध होगी। —सम्पादक।

प्रविधिक सहायता

सेवाशालाएं भारतीय तथा विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं प्रस्तुत करती हैं। ये सेवाएं विभिन्न प्रकार के धन्धों के बारे में होती हैं, जैसे मैकेनिकल तथा मेकेनिकल इन्जीनियरिंग, लोहे तथा अन्य धातुओं की ढलाई, चमड़ा कमाना, चमड़े के जूते तथा अन्य वस्तुएं बनाना, रासायनिक पदार्थ, बढ़ई का काम, बर्तन बनाना, चीनी मिट्टी का काम, कांच का काम तथा औद्योगिक डिजाइनें बनाना।

सेवाशालाएं लघु उद्योगों के लिये डिजायनें, ड्राइंगें, माडल नमूने और प्रविधिक बुलेटिन आदि तैयार करती हैं।

कारीगरों को आधुनिक प्रविधियां समझाने के लिये सेवाशालाओं ने चलती फिरती वर्कशापों का प्रबन्ध किया है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों का प्रदर्शन करती हैं। इन कार्यों में बढ़ईगीरी, लोहारी, जूते बनाने, बिजली से पालिश करने, बर्तन बनाने, धातु का काम, इनेमिल का काम आदि उल्लेखनीय हैं। जो कारीगर इन प्रदर्शनों को देखने आते हैं उन्हें चलती फिरती गाड़ियों में लगी हुई मशीनों तथा अन्य औजारों को चलाना भी सिखा दिया जाता है।

प्रविधिक सहायता के अतिरिक्त सेवाशालाएं छोटे कारखानों को व्यापार व्यवस्था के बारे में भी अनेक प्रकार के परामर्श दिया करती हैं। उनमें लागत निकालना, भण्डार सम्भालना, भण्डार के माल का हिसाब रखना, बिक्री व्यवस्था करना, बिक्री बढ़ाना, प्रचार, कारखाने सम्बन्धी कानून, मजदूरों के सम्बन्ध कार्यालय की व्यवस्था आदि उल्लेखनीय हैं।

प्रशिक्षण

व्यापार व्यवस्था का प्रशिक्षण देने के लिये चारों प्रादेशिक सेवा

शालाओं तथा राजकोट और लुधियाना की बड़ी सेवाशालाओं में शाम को नियमित रूप से कक्षाएं चलाई जाती हैं। सेवाशालाएं थोड़े समय की कक्षाएं भी चलाती हैं जिनमें कारीगरों को तपाने, खाके पढ़ने आदि की शिक्षा दी जाती है जिससे उनका ज्ञान बढ़ जाय।

सामुदायिक प्रायोजना क्षेत्रों में खण्ड स्तर विस्तार अफसरों के प्रशिक्षण के लिये नियमित शिक्षण क्रम चलाये जाते हैं। इन शिक्षार्थियों को राज्य सरकारें चुनती हैं और फिर उन्हें प्रादेशिक शालाओं में शिक्षा दी जाती है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षार्थियों में ऐसी सामान्य तथा आर्थिक भावना उत्पन्न कर देना है जिससे वे यह निश्चय कर सकें कि उनके क्षेत्र में उपलब्ध साधनों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कौन से उद्योग चलाये जा सकेंगे।

सेवाशालाओं का एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य औद्योगिक सर्वेक्षण करना है। इन सर्वेक्षणों का मुख्य उद्देश्य सरकारी नीतियां निर्धारित किये जाने के लिये पृष्ठभूमि सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध करना है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी भी इकट्ठी की जाती है और भावी मांग का अनुमान लगाया जाता है तथा यह पता लगाया जाता है कि छोटे औद्योगिकों के लिये विभिन्न क्षेत्रों में कैसे कारखाने उपयुक्त सिद्ध होंगे। सप्लाई और डिसपोजल्स के डाइरेक्टर जनरल जो टेण्डर मांगते हैं उनकी जानकारी भी छोटे औद्योगिकों को सेवा शालाओं द्वारा दी जाती है। स्टेट बैंक ने छोटे कारखानों को ऋण देने की जो योजना चालू की है उसमें भी ये सेवाशालाएं सहायता देती हैं।

कुछ उदाहरण

सेवाशालाओं ने किस प्रकार छोटे औद्योगिकों को सहायता प्रदान की है इसके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं।

एक कारखाना सांचे ढाला करता था परन्तु उसका माल अच्छा नहीं निकलता था। वह बालफोर्स इस्पात एन० एस० एस०-३ का प्रयोग करता था जिसमें १ प्रतिशत कार्बन और कुछ मैंगनीज होता था। मशीन से निकलने के बाद सांचों को ७५० अंश सेण्टीग्रेड पर तपाया जाता था। इसके बाद इन्हें घिस कर अन्तिम रूप से तैयार किया जाता था।

मद्रास की प्रादेशिक शाला ने इस कारखाने की सांचे ढालने की विभिन्न प्रणालियों का अध्ययन किया और तैयार माल के कुछ नमूनों की भी परीक्षा की। नमूनों पर पालिश करके उनकी धातु की बनावट की खुर्दबीन द्वारा परीक्षा की गई। इसके बाद त्रुटियों का विश्लेषण किया गया और उन्हें दूर करने के उपाय सुझा दिये गये। कारखाने को यह परामर्श दिया गया कि वह अपने माल को ७५० अंश के बदले ७८० अंश पर तपाया करे जिससे कार्बन का अंश अधिक परिमाण में दूर हो जाया करे और इस प्रकार सांचों की धातु सब स्थानों पर भली प्रकार जमा करेगी। कारखाने की भट्टी की भी परीक्षा की गई। उसमें यद्यपि पायरोमीटर लगा हुआ था तथापि भट्टी को चलाने वाला कारीगर पायरोमीटर से गर्मी देखने के बदले अपने अन्दाज से ही काम चलाया करता था। ऐसा न करने के लिये कहा गया। सांचों में दरारें भी पड़ जाया करती थीं। इन्हें दूर करने के लिये कारखाने को मिट्टी के तेल के स्थान पर डाटन का नं० २ तेल बुझाने के लिये काम में लाने का परामर्श दिया गया। इन सुझावों को अमल में लाकर कारखाने के माल में बहुत सुधार हो गया।

साइकिल की गद्दियों के स्प्रिंग

कानपुर की एक फर्म लगभग एक टन एच० बी० तार को गलाने जा रही थी। यह तार कड़ा बहुत था इसलिये उससे साइकिल की गद्दियों के स्प्रिंग बनाने में कठिनाई हो रही थी। गरम करने पर वह बहुत मुलायम हो जाता था और मोड़ने पर तड़क जाता था। नई दिल्ली की सेवाशाला ने तार को कम तापमान पर गरम करने की प्रणाली इस कारखाने को समझाई। इस प्रणाली द्वारा इसी तार से गद्दियों के स्प्रिंग बड़ी सरलता से बन गए।

गिलट की नलियां

ढलाई करने वाले एक कारखाने ने एक बुनाई करने वाले कारखाने से गिलट की नलियां बना कर देने का आर्डर लिया। परन्तु उसे ८८ प्रतिशत तांबा और १२ प्रतिशत टीन मिला कर वांछित किस्म की गिलट बनाना नहीं आता था। मद्रास सेवाशाला के प्राविधिक अफसरों ने इस कारखाने में जाकर वांछित किस्म की गिलट बनाने की प्रणाली समझा दी। इसके अनुसार ढाली गई नलियां बहुत अच्छी किस्म की निकलीं।

ग्रेफाइट और मिट्टी की प्यालियां

बम्बई का एक कारखाना धातु गलाने के लिये ग्रेफाइट और मिट्टी की प्यालियां बनाया करता था। परन्तु ये प्यालियां अच्छी किस्म की नहीं होती थीं। बम्बई की सेवाशाला ने इस समस्या का अध्ययन किया और मिट्टी तथा ग्रेफाइट तैयार करने के लिए एक विशेष प्रकार की मशीन लगाने का सुझाव दिया। इसके फलस्वरूप कारखाना अच्छी किस्म की प्यालियां बनाने लगा।

चमड़े का समापन

कलकत्ते की एक फर्म को बकरी, भेड़ों और बछड़ों की खालों को सफेद रंग का तथा पनरोक बनाने में कठिनाई हो रही थी जिससे इस चमड़े से फैन्सी चीजें बनाई जा सकें। चूँकि खालें आधी कमायी हुई होती थीं और वनस्पति सामग्री से उनका समापन किया जाता था इसलिए उनपर जो रंग लगाया जाता था वह छूट जाता था। कलकत्ते की

सेवाशाला ने नाइट्रोसेलूलोज द्वारा इन खालों के समापन का प्रदर्शन किया। इस प्रकार तैयार हुई खालें पूरी तौर पर पानी रोकने वाली थीं, उनका रंग नहीं उड़ता था और न वे चटकती थीं। इस फर्म ने बाद में यही प्रणाली अपना ली।

लकड़ी का काम

मद्रास की एक फर्म को फिल्टर पम्पों में लगाए जाने वाले दस्तों का एक बहुत बड़ा आर्डर मिला। इस फर्म ने लकड़ी की खराद से ये दस्ते बनाये परन्तु इसमें खर्च बहुत पड़ता था। फर्म ने मद्रास सेवाशाला से परामर्श लिया जिससे ये दस्ते बड़े पैमाने पर और सस्ते मूल्यों पर तैयार किए जा सकें। सेवाशाला ने डोवल मशीन द्वारा दस्ते बनाने का परामर्श दिया। चूँकि यह मशीन भारत में उपलब्ध नहीं थी इसलिये सेवाशाला ने इस प्रकार की मशीन की रूपरेखा तैयार की जिसकी सहायता से फर्म ने देश में ही यह मशीन तैयार कर ली। मशीन का चाकू सेवाशाला में तैयार किया गया। इस मशीन की सहायता से फर्म ने अपने आर्डर का माल तैयार करके सरलता से दे दिया।

बिजली की पालिश

मद्रास का एक कारखाना नेनिस गेलवानेस जिंक साल्ट का प्रयोग करके जस्ते की पालिश किया करता था। जिस रसायनिक घोल का प्रयोग किया जाता था उसे ६० अंश फा० तक गर्म करना होता था और इसके लिए साधारण ईंधन काम में लाया जाता था। इससे सारा कारखाना धुएं के मारे काला हो रहा था। तापमान का ठीक नियंत्रण न होने के कारण पालिश भी कहीं कम कहीं ज्यादा हुआ करती थी। इस कारखाने को विदेशों से आने वाले रसायनिक पदार्थ प्राप्त करने में भी कठिनाई हुआ करती थी।

मद्रास सेवाशाला ने नीचे लिखे रसायनिक पदार्थों का घोल तैयार किया जिसके गर्म करने की आवश्यकता न थी और वह ठण्डा ही काम में लाया जा सकता था। इसमें जो रसायनिक पदार्थ काम में लाये गये वे देश में ही उपलब्ध थे :

जिंक ओक्साइड	५० ग्राम प्रति लीटर
सोडियम सायनाइड	६५ ग्राम प्रति लीटर
सोडियम हाइड्रोक्साइड	६५ ग्राम प्रति लीटर
सोडियम स्टेनेट	१ ग्राम प्रति लीटर

चूँकि यह घोल ठण्डा ही काम में लाया जाता है इसलिये इसे गरम करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह सस्ता भी पड़ता है और इस प्रणाली में धुँआ आदि भी नहीं होता।

सिलाई मशीनें

बम्बई सेवाशाला की सहायता से नवसारी की एक फर्म को सिलाई की मशीनें बनाने में सहायता मिली जिसके कारण न केवल उसका उत्पादन ही बढ़ गया वरन् उत्पादन लागत भी घट गई। सेवाशाला ने फर्म को पुर्जों की उचित डिजायन प्रदान की और उत्पादन, आयोजन तथा कार्यक्रम की प्रणालियों के बारे में भी परामर्श दिये।

तामचीनी का सामान

हैदराबाद के तामचीनी के एक कारखाने ने उचित प्राविधिक निर्देशन के अभाव में अपना काम बन्द कर दिया था। हैदराबाद की सेवाशाला ने इस समस्या का अध्ययन किया और इस कारखाने के लिये उचित प्रकार की भट्टी तैयार करा दी। उससे अच्छी किस्म की और कम लागत वाली तामचीनी की चीजें तैयार करने की प्रणालियां भी सुझाई तथा उन का प्रदर्शन करके भी दिखाया। इस सहायता के कारण कारखाने ने अपना उत्पादन फिर आरम्भ कर दिया।

घड़ियों का निर्माण

बम्बई की घड़ी बनाने वाली एक फर्म ने यहां की सेवाशाला से डायल तथा अन्य पुर्जे बनाने के बारे में परामर्श मांगा। सेवाशाला ने इसकी डिजायनें आदि देकर फर्म की कठिनाइयां दूर की और लाख काटने आदि की मशीनें खरीदने में भी सहायता प्रदान की। इससे फर्म का उत्पादन बढ़ गया।

टेनिस तथा बेडमिंटन के रैकट

टेनिस तथा बेडमिंटन के रैकट जल्दी टूट जाया करते थे। नई दिल्ली की सेवाशाला ने इस समस्या का अध्ययन किया तो ज्ञात हुआ कि रैकेटों के निर्माता लकड़ी को पक्का करने के लिये धूप में बहुत अधिक समय तक सुखाते थे। इससे लकड़ी की समस्त नमी दूर हो जाती थी और उसकी मजबूती कम हो जाती थी। सेवाशाला ने निर्माताओं को परामर्श दिया कि वे लकड़ी को छाया में सुखाया करें जिससे वह सूख भी जाय और उसकी नमी पूरी तौर पर दूर न हो। बहुत से निर्माताओं ने अब इसी प्रकार से लकड़ी का सुखाना आरम्भ कर दिया है जिसका अच्छा परिणाम हुआ है।

फुटबाल

फुटबाल निर्माताओं की यह आम शिकायत थी कि एक दो बार खेलने के बाद उनकी बनायी हुई फुटबालों की शक्ल बिगड़ जाती थी। नयी दिल्ली की सेवाशाला द्वारा सुझाये हुए पैटर्न के अनुसार बनायी गई फुटबालों की शक्ल खराब नहीं होती। इस पैटर्न का समस्त निर्माताओं में प्रचार करने का प्रस्ताव है।

[२]

लघु उद्योगों को ऋण की सुविधाएं

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योगों के विकास पर बहुत जोर दिया गया है। लघु उद्योगों से न सिर्फ बड़े पैमाने पर लोगों को तत्काल रोजगार मिलता है बल्कि इससे राष्ट्रीय आय का उचित वितरण भी होता है।

यह तो इनका महत्व रहा लेकिन इनके मार्ग में आने वाली कठिनाइयां भी थोड़ी नहीं हैं। उन्हें सहायता की आवश्यकता है। यह सहायता शैल्पिक सलाह के रूप में या कच्चा माल नियमित रूप से मुहैया करके दी जा सकती है।

लेकिन उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता ऋण और कारखाने में, शुरू में, लगाने के लिए पूंजी की होती है। व्यावसायिक तथा सहकारी बैंक इनकी सभी—खासकर दीर्घकालीन—आवश्यकताएं पूरी करने में समर्थ नहीं हैं। राज्यों के वित्त निगम इन्हें मध्य कालीन और दीर्घ कालीन ऋण देते हैं लेकिन प्रार्थना-पत्रों पर विचार करने के लिए उनकी कोई स्थानीय व्यवस्था नहीं है।

समन्वित प्रयास जरूरी

देश की अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण भाग अदा करने वाले लघु उद्योगों को वित्त सुलभ करने की आवश्यकता स्वीकार करते हुए यह अनुभव किया गया कि लघु उद्योगों की सारी आवश्यकताएं तभी भली प्रकार पूरी की जा सकती हैं जब वित्तीय सहायता देने वाली सभी संस्थाएं मिल जुल कर काम करें। उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए स्टेट बैंक आफ इंडिया ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया की सलाह से तथा राज्यों के उद्योग विभागों, राज्य वित्त निगमों तथा सहकारिता बैंकों के सहयोग से एक प्रायोगिक योजना शुरू की है जिससे लघु उद्योगों के लिए ऋण की समन्वित व्यवस्था की जा सके।

यह योजना अप्रैल १९५६ से ६ केन्द्रों में शुरू की गयी। इसके परिणामों से प्रोत्साहित होकर तथा अधिक से अधिक कारखानों को यह सुविधा प्रदान करने की इच्छा से प्रेरित होकर इस योजना का विस्तार किया गया। इसे और अधिकाधिक स्थानों पर लागू कर दिया गया। इस समय यह योजना देश के ५० से अधिक स्थानों में लागू है।

योजना की रूप रेखा

इस समन्वित योजना के अनुसार लघु उद्योगों को अपनी ऋण सम्बन्धी सारी आवश्यकताओं के लिए एक संस्था से ही ऋण मांगना चाहिए। ऋण लेने वाले का उद्योग अगर सहकारिता के आधार पर चल रहा है तो वह स्टेट बैंक आफ इंडिया के एजेन्ट को या सहकारी बैंक से ऋण के लिये प्रार्थना पत्र दे सकता है। यह स्थानीय संस्था या तो स्वयं ही प्रार्थना पत्र का निपटारा कर देगी या उसे अन्य उपयुक्त संस्था या संस्थाओं के पास भेज देगी जो वास्तविक कदम उठाते समय एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करेंगी। यह प्रायोगिक योजना ऋण ले सकने की वर्तमान व्यवस्था की पूरक ही है न कि उसके स्थान पर चालू की गयी है।

ऋण लेने की प्रणाली में सरलता

प्रायोगिक योजना चालू करने के बाद शीघ्र ही यह अनुभव किया गया कि अगर स्टेट बैंक ने ऋण ले सकने की प्रणाली सरल न की तो इससे लघु उद्योगों को भली प्रकार सहायता नहीं मिल पाएगी। इसके फलस्वरूप बैंक ने अपनी प्रणाली तथा कार्य-पद्धति को उदार बना दिया। इससे अब बैंक प्रायोगिक केन्द्रों में चल रहे लघु उद्योगों को संचालन पूंजी के लिए ऋण दे सकता है। यह ऋण कच्चा माल और/अथवा तैयार माल को ताले-चाभी के आधार पर या कारखाने के आधार पर बन्धक रखकर या स्टाक को बन्धक रख कर लिया जा सकता है। कुछ उपयुक्त मामलों में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हुए माल के आधार पर ऋण दिये जाते हैं। बिना कोई चीज गिरवी रखे भी ऋण दिया जा सकता है।

ऋण देने की उदार प्रणाली तभी अपनायी जाती है जब माल की बिक्री निश्चित हो या ऋण उस कच्चे माल के आधार पर लिया जा रहा हो जो ऐसी वस्तुओं के बनाने में प्रयोग होता है (माल बनाने की प्रक्रिया में काम आ रहे कच्चे माल पर भी ऋण मिल सकता है)। इस प्रणाली के अनुसार वह तैयार माल बन्धक रखकर भी ऋण दिया जा सकता है जिसका बाजार तो सीमित हो लेकिन आर्डर पूरे करने के लिए जिसे लिया जा सकता हो।

जब किसी कारखाने की स्थिति यह हो कि वह बैंक की इन शर्तों को तब तक पूरा न कर सके जब तक कि शैल्पिक दृष्टि से या अन्य दृष्टि से उसका पुनर्गठन न किया जाए तो उन्हें भी इस शर्त पर ऋण देने के बारे में विचार किया जा सकता है, कि सुधार कार्यक्रम पर राज्य सरकारों के उद्योग विभाग या लघु उद्योग सेवाशाला के प्रतिनिधि की देखरेख में अमल किया जाए।

जब ऋण लेने वाला कच्चे माल और/अथवा तैयार माल को किसी गोदाम या कमरे में बैंक के ताले चाभी में रखकर ऋण ले तो मामले को

उपयुक्तता देखकर उतने मूल्य के माल का विनिमय करने की अनुमति दे दी जाती है।

जहां इस तरह बैंक के ताले-चाभी में माल रखना संभव न हो और बंधक रखे जाने वाले कच्चे माल और/ अथवा तैयार माल को कारखाने में अलग लिया जा सके, वहां कारखाने के आधार पर भी ऋण दिए जा सकते हैं।

जहां ताले-चाभी अथवा कारखाने के आधार पर माल को बंधक नहीं रखा जा सकता, वहां उपयुक्त लोगों की गारंटी के आधार पर भी ऋण दिए जा सकते हैं।

जहां ऋण लेने वाला इनमें से कोई भी शर्त पूरी न कर सके, वहां बिना गिरवी रखे ऋण दिया जा सकता है। इसके लिए बैंक जमानत के तौर पर उसकी अचल संपत्ति को रहन रख लेगी, यह वह तभी करेगी जब उसे ऋण लेने वाले की साख का भरोसा हो। इस तरह के ऋण को हर छः महीने के बाद पुन: जारी किया जा सकता है, बशर्ते ऋण लेने वाला यह दिखा सके कि पहले मिले ऋण को उसने संतोषजनक ढंग से इस्तैमाल किया है।

जब ऋण लेने वाला कोई भी जमानत न दे सकता हो और तत्काल बिकने वाली चीजें तैयार करता हो जिस से उसकी व्यापारिक साख बाजार में जमी हो तो बैंक कोई भी जमानत लिए बिना या कोई चीज गिरवी रखे बिना ही उसे धन दे सकती है। यह धन कितना हो तथा किन नियमों तथा शर्तों पर दिया जाए, इसे बैंक ही तय करेगी।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से व्यवस्था

हाल ही में बैंक ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से भी एक व्यवस्था की है, जो ऋण लेने वालों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होगी क्योंकि उन्हें मार्जिन के धन की आवश्यकता न होगी जिसकी शर्त बैंक रखा करती है। इस व्यवस्था के अधीन जिन लघु उद्योगों को इस निगम की मार्फत सरकारी विभागों आदि से आर्डर मिले हों, उन्हें बैंक कच्चे माल की पूरी लागत के बराबर ऋण दे सकती है। इस ऋण में बैंक के सामान्य मार्जिन के बराबर धनराशि की गारंटी निगम देता है।

~~~~~~~~

[२]

व्यावसायिक प्रबंध का प्रशिक्षण

व्यवसाय के प्रबन्ध का पहलू लघु उद्योगों के लिए भी उतना ही आवश्यक होता है, जितना बड़े उद्योगों के लिए। कोई भी कारखाना चलाने के लिए आवश्यक साधन तो सुलभ हो सकते हैं लेकिन उनके अधिकतम तथा कुशलतम प्रयोग के लिए ऐसे कदम उठाने जरूरी हैं, जो 'वैज्ञानिक व्यावसायिक प्रबन्ध' के अंतर्गत आते हैं।

कोई भी कारखाना चलाना और उसे कुशलतापूर्वक तथा सुसंगठित रूप से चलाना दो अलग अलग बातें हैं। कारखाने को कुशलतापूर्वक चलाने में 'व्यावसायिक प्रबन्ध' अपना एक भाग अदा करता है। किसी व्यावसायिक संस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कुछ प्रणालियां और सिद्धान्त अपनाने होते हैं जिससे वे छोटे-छोटे सुधार सम्भव हो सकें, जो अपने आप में तो इतने महत्वपूर्ण नहीं होते जो कुछ उथल पुथल मचा सकें, लेकिन उनको सम्मिलित करने से सारी स्थिति पर बहुत असर पड़ता है।

उद्योग धंधे के इस महत्वपूर्ण अंग का लघु उद्योगों के संचालन में महत्व हो सकता है, उसे समझते हुए भारत सरकार के लघु उद्योग संगठन ने लघु उद्योगों के संचालकों को व्यावसायिक प्रबन्ध की शिक्षा देने के लिए कदम उठाए हैं।

लघु उद्योग बोर्ड की छठवीं बैठक श्रीनगर में मई १९५६ में हुई थी जिसमें छोटे उद्योगों के संचालकों को व्यावसायिक प्रबन्ध की शिक्षा देने की आवश्यकता पर प्रारम्भिक विचार विनिमय हुआ था। इस प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं का बाद में अध्ययन किया गया और बम्बई तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में व्यावसायिक प्रबन्ध की शिक्षा देने वाले कर्मचारियों, लघु उद्योगपतियों, वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय तथा शिक्षा मन्त्रालय की सलाह से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया गया।

लघु उद्योगपतियों में लोकप्रिय

व्यावसायिक प्रबन्ध का प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम एक साल पहले आरम्भ किया गया। इसे लघु उद्योगपतियों ने बहुत पसन्द किया और आशा है यह आगे भी चलता रहेगा। इन लोगों ने इसके महत्व तथा इसकी उपयोगिता का अनुभव कर लिया है।

इस समय नयी दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित चार प्रादेशिक शालाओं तथा राजकोट और लुधियाना स्थित मुख्य शाखाओं में यह प्रशिक्षण देने के लिए सायंकालीन कक्षाएं चलती हैं।
~~~~~~~~

इस प्रशिक्षण की अवधि ४ से लेकर ६ महीने तक होती है जिसे पूरा कर लेने पर हर प्रशिक्षणार्थी को प्रमाण-पत्र दिया जाता है। यह प्रशिक्षण निश्शुल्क दिया जाता है।

वैज्ञानिक आधार पर व्यावसायिक प्रबंध करने के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञ तथा विज्ञ प्रशिक्षक व्याख्यान देते हैं। वे बताते हैं कि लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं, सरकार उन्हें दूर करने के लिए क्या कर रही है। वित्तीय हिसाब और लागत का हिसाब कैसे रखा जा सकता है। बैंक और ऋण, औद्योगिक तथा व्यावसायिक संगठन, उद्योगों सम्बन्धी कानून, वाणिज्य-व्यापार सम्बन्धी विधियों, बिक्री-व्यवस्था, बिक्री बढ़ाने, प्रचार आदि के बारे में भी ये प्रशिक्षक शिक्षा देते हैं।

फिल्म प्रदर्शन

यह प्रशिक्षण हमेशा किसी एक कमरे में भाषणों के द्वारा नहीं होता बल्कि इनके व्याख्यान विचार विमर्श के रूप में होते हैं। प्रशिक्षक इस विचार विमर्श का श्री गणेश करते हैं और बाद में विभिन्न मामलों पर गौर किया जाता है। जिन मामलों पर विचार किया जाता है, वे या तो वर्तमान प्रशिक्षणार्थियों की अथवा पहले प्रशिक्षण पाकर गये लोगों की वास्तविक समस्याओं के बारे में होते हैं। प्रशिक्षणार्थियों को बताया जाता है कि वे इन सब बातों को लघु उद्योग चलाने में कैसे प्रयोग करें। विचार विमर्श करने तथा भाषण करने के अलावा व्यावसायिक प्रबन्ध से सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर फिल्में दिखाने की तथा सुसंचालित कारखानों में प्रशिक्षणार्थियों को ले जाकर काम दिखाने की भी व्यवस्था की जाती है। अभी तक विभिन्न शालाओं में ६२१ व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इस संख्या में वे लोग भी शामिल हैं, जिन्हें भावनगर, कोयम्बतूर तथा त्रिचूर में अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया गया था।

जो लघु उद्योग संचालक या उनके प्रबंधक इस प्रशिक्षण व्यवस्था से लाभ उठाना चाहें, वे इसका विवरण तथा प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने के लिए अपने-अपने क्षेत्र के लघु उद्योग सेवाशाला के डायरेक्टर से पत्र-व्यवहार करें या स्वयं मिलें।

(बुलेटिन आफ स्माल इंडस्ट्रीज से साभार)

समृद्धि की ओर

स्वतन्त्रता दिवस के उपलक्ष में प्रस्तुत विशेष सामग्रीः—

१. अभी और आगे बढ़ना है ।

२. भारत में विदेशी पूंजी ।

३. सामुदायिक विकास क्षेत्रों में उद्योग-धंधे ।

४. सरकारी परीक्षण शाला ।

५. निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय ।

६. माल बेचने की आदर्श व्यवस्था ।

उद्योग-व्यापार पत्रिका, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार, नयी दिल्ली ।

अभी और आगे बढ़ना है

स्वाधीनता के बाद देश का बहुमुखी विकास

१५ अगस्त १९५८ को हमारी स्वतन्त्रता के ११ वर्ष पूरे हो गये हैं। स्वाधीनता के बाद से हम बहुमुखी विकास के मार्ग पर चल पड़े हैं। गत ११ वर्षों में सभी दिशाओं में हम आगे बढ़े हैं। लेकिन प्रगति का आंचल कभी-कभी कठिनाइयों के कांटों में भी उलझ जाता है। पूंजी की कमी, विदेशी मुद्रा की तंगी, शैल्पिक-ज्ञान का अभाव आदि ऐसे ही कुछ कांटे हैं। हमें संभल कर और धैर्य के साथ कांटों से बचते हुए, उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ना है। हम अबतक जितना कुछ बढ़े हैं, वह तो हमारी मंजिल की सिर्फ शुरूआत है। हमें तो अभी बहुत आगे बढ़ना है। नीचे के लेखों में इन कठिनाइयों तथा इनके सिलसिले में की गयी कार्रवाइयों पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। —सम्पादक।

हमारे यहां नये तथा पुराने सभी उद्योग बढ़ाये जा रहे हैं और इनके बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज है। इसका अन्दाज हम इसी से लगा सकते हैं कि कुछ समय पहले जहां देश में सीमेंट, लोहे और चीनी आदि की कमी पड़ जाती थी, वहां अब ये वस्तुएं देश में काफी मात्रा में तैयार की जाने लगी है। केवल दो साल पहले हमें इन वस्तुओं के लिए अन्य देशों का मुंह ताकना पड़ता था और अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि देश में खपत के अलावा इनका निर्यात भी कर सकते हैं। दो तीन साल के भीतर देश में नयी-नयी वस्तुएं, जैसे विभिन्न प्रकार के यन्त्र, टाइपराइटर, पाइप और ट्यूब, पेनिसिलीन, डी० टी० टी०, कई प्रकार की दवाएं तथा अन्य कई वस्तुएं तैयार की जाने लगी हैं।

विदेशी मुद्रा की कठिनाई

यह ठीक है कि हमने काफी उन्नति कर ली है, परन्तु अभी और आगे बढ़ने में हमारे लिए विदेशी-मुद्रा की कठिनाई सबसे बड़ी रुकावट हो रही है।

अनेक योजनाओं के लिए हमें काफी संख्या में मशीनें तथा अन्य सामान विदेशों से मंगाना पड़ेगा। कुछ देशों ने हमें इनकी खरीद में काफी मदद दी है। फिर भी हमें काफी विदेशी-मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हमें यह खर्च कम करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए हमें निर्यात बढ़ाना चाहिए, जिससे हम अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकें, उत्पादन बढ़ाना चाहिए और देश की आर्थिक स्थिति को सुव्यवस्थित करना चाहिए। जब से विदेशी-मुद्रा की कठिनाई शुरू हुई, तब से हमने आयात पर काफी नियन्त्रण रखा है। परन्तु इसके माने यह नहीं है कि इससे हमारी उन्नति रुक गयी है।

विदेशी सहायता

विदेशों से हमें जो सहायता मिली है, उससे सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों की छोटी और बड़ी सभी योजनाएं उन्नति करती जा रही हैं। हम तो चाहते हैं कि उद्योगों को और भी बढ़ाएं तथा उनका विकास करें, किन्तु विदेशी-मुद्रा की कमी इसमें बहुत बाधक है। इन सब दिक्कतों के बावजूद उद्योगों में उत्पादन अब तक घटा नहीं, बल्कि उसमें वृद्धि ही हुई है। किन्तु अब धीरे-धीरे इन उद्योगों, विशेषकर इंजीनियरी उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी अनुभव की जाने लगी है। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत हमें कनाडा से अलौह धातु अधिक मिलने लगी है। किन्तु पहले की अपेक्षा अब इसकी मांग भी बहुत बढ़ गयी है। इस्पात, विशेष इस्पात और अलौह धातु की कमी ने हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। अन्य कई उद्योगों को भी कच्चा माल कम मिल रहा है। इस कमी को दूर करना बहुत जरूरी है।

कच्चे माल का आयात

वर्तमान विदेशी-मुद्रा की कठिनाई और कच्चे माल की कमी की वजह से वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की विकास शाखा का उत्तरदायित्व काफी बढ़ गया है। जो कुछ भी विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त है, उसे हमें विभिन्न उद्योगों को नियत मात्रा में देना है। मात्रा नियत करते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि किस उद्योग को प्राथमिकता दी जाय या कौन सा उद्योग अधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिये हरेक उद्योग की मांग की अच्छी तरह जांच करनी पड़ेगी। इस प्रकार अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी नये-नये उद्योग खोलने के लिए और पुराने उद्योगों को बढ़ाने के लिए आवेदनपत्र बराबर आ रहे हैं। विकास शाखा इनकी बारीकी से जांच करती है और प्रयत्न करती है कि नये और पुराने उद्योगों की निरन्तर उन्नति होती रहे।

नये उद्योगों के लिए विदेशों से शिल्पिक तथा आर्थिक सहायता ली जाती है। यह काम मंत्रालय की विकास शाखा की लाइसेंस समिति और पूंजीगत-वस्तु-समिति करती है। इन समितियों को अपना काम काफी सावधानी से करना पड़ता है, इसलिए कभी-कभी काम में देर भी हो जाती है। नये उद्योग खोलने और पुराने उद्योग बढ़ाने के लिए हर महीने लगभग ढाई, तीन सौ आवेदन-पत्र आते हैं। इस समय शाखा में केवल ४४७ आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं, बाकी सब पर कार्रवाई की जा चुकी है।

विदेशों से शिल्पिक विशेषज्ञ बुलाने के लिये अनेक समझौते किये जा चुके हैं और इस समय १३४ समझौतों के लिए बातचीत चल रही है। इन समझौतों के लिए हम विदेशी करार समिति नियुक्त करने के बारे में विचार कर रहे हैं। यह समिति विदेशों से शिल्पिक विशेषज्ञ बुलाने के बारे में उचित कार्रवाई करेगी और इस प्रकार समझौता करने में देर कम लगेगी।

निर्यात को बढ़ावा

पिछले कुछ महीनों में सरकार ने निर्यात बढ़ाने पर काफी जोर दिया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, विदेशी-मुद्रा का संकट तभी दूर हो सकता है जब हम स्वयं अपने पैरों पर खड़े हों और अपनी शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग करें। निर्यात बढ़ाने से विदेशी मुद्रा का ही नहीं और भी बहुत से लाभ होते हैं। निर्यात को बढ़ावा देने से उत्पादन में भी वृद्धि होने लगती है। विदेशी बाजार में अपने माल की खपत बढ़ाने के लिये माल भी अच्छे किस्म का बनाने लगता है। इन दो कारणों से उद्योगों के अन्दर एक जागरूकता आती है, जो उनकी उन्नति में सहायक होती है।

निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं, और प्रत्येक उद्योग उनमें से कोई उपाय करके निर्यात बढ़ा सकता है। जरूरत इस बात की है कि हर उद्योग के लिए निर्यात की एक योजना बना ली जाय और निश्चित अवधि के भीतर उसका लक्ष्य पूरा किया जाय।

निर्यात बढ़ाने वाले उद्योगों को प्राथमिकता देते समय उन वस्तुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिनका निर्यात अधिक होता है। इसी तरह हमें उस निर्माता को विदेशी मुद्रा की अधिक सुविधा देनी चाहिए, जो निर्यात की वस्तु बनाता हो, बनिस्बत उसके जो यह नहीं कर पाता। यह भी कहा जाता है कि हम घर में ही अपनी माग पूरी नहीं कर पाते तो विदेशों को कैसे भेजें? बात ठीक भी हो सकती है, किन्तु क्या आज की इस परिस्थिति में हमें इस तरह सोचना चाहिये?

युद्ध के बाद जापान और ब्रिटेन में भी यही स्थिति आई थी। उन्होंने अपने यहा घरेलू माग को चीजों पर नियन्त्रण लगा दिया। लोग लाइन लगा कर खड़े रहने लगे। किन्तु विदेशों को भरपूर माल भेजने की हर सम्भव कोशिश की गयी। इससे वे अपना पुनर्निर्माण कर पाये। इसी तरह हम भी आज की स्थिति में अपने उपभोग के बाद बचे माल के निर्यात पर ही निर्भर नहीं रह सकते।

देशी कच्चे माल का अधिक उपयोग

देशी कच्चे माल का हमारे कारखानों में अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिये। हो सकता है कि यह कच्चा माल कुछ घटिया होने के कारण उत्पादन पर कुप्रभाव डाले, किन्तु उत्पादन की वृद्धि के लिये तो यह जरूरी है ही। यह कहना गलत है कि मैं निर्यात बढ़ाने के लिये घरेलू बाजारों में चीजों की कीमत बढ़ाने का सुझाव देता हूं। किसी सामान के निर्यात के कोटे की घोषणा के बाद अथवा किसी कर आदि के उठा लिये जाने के बाद जब उसकी कीमतें देशी बाजारों में बढ़ने लगती हैं तो मुझे बड़ा दुःख होता है। इसे सरकार अकेले ही नहीं रोक सकती। इसका एक उपाय यह भी हो सकता है कि हर उद्योग से सम्बन्धित लोगों को चाहे वे उद्योगपति हों, चाहे थोक विक्रेता या चाहे फुटकर विक्रेता, अपना नैतिक-स्तर उच्च बनाये रखना चाहिए। दिल्ली, हापुड़ और मुजफ्फरनगर के गुड़ विक्रेताओं ने इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया है।

विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण कुछ उद्योगों को चला पाना आज कठिन हो गया है। उनमें से कुछ को कच्चे माल दिये जा रहे हैं, जिससे वे अपना उत्पादन कम से कम १९५६ के बराबर कर सकें। अगली आयात-नीति के बारे में अभी से कुछ कहना तो कठिन है। फिर भी उद्योगों में काम आने वाले कच्चे माल को यथासमय वरीयता दी ही जाएगी। उत्पादन की मात्रा न घटने देने के लिये हम सब कुछ करेंगे। मुझे विश्वास है, हमारी ये कठिनाइयां ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी। ये कठिनाइयां स्वाभाविक हैं। राजनीतिक स्वाधीनता के बाद इनका आना जरूरी था, क्योंकि हम अपने देश के आर्थिक-विकास में लगे हुए हैं।

मशीनों का अधिकतम निर्माण

मशीनें बनाने की बहुत सी योजनाएं हमने चालू कर रखी हैं; जिनकी प्रगति प्रशंसनीय है। आज सूती और चाय उद्योगों के लिए यहीं मशीनें बन रही हैं और शीघ्र ही चीनी, चाय, जूट और सीमेंट उद्योगों को भी हम बहुत सी मशीनें दे सकेंगे। हमारे यहां मशीनों के कल-पुर्जों का उत्पादन भी बढ़ रहा है इसका अधिकांश श्रेय बंगलौर के सरकारी कारखाने को है।

निजी क्षेत्र में भी बॉयलर, डीजल इंजन, मोटर, ट्रांसफार्मर, क्रेन आदि दूसरी मशीनों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। सरकारी क्षेत्र की कुछ योजनाओं के समाप्त होने ही नये कारखानों का बनाने में विदेशी मुद्रा का खर्च निश्चित ही कम हो जाएगा। और भी बहुत तरह की मशीनें बनाये जाने की सम्भावनाएं हैं। जैसे कागज बनाने की मशीनें, रासायनिक पदार्थ बनाने की मशीनें, वस्त्र-उद्योग में काम आने वाली मशीनें और विभिन्न प्रकार के कल-पुर्जे आदि।

पहली अक्टूबर से देश के कुछ चुने हुए स्थानों में दशमिक प्रणाली लागू की जाएगी। साथ ही सूती उद्योग, जूट, लोहा, इस्पात, सीमेंट और कागज जैसे बड़े उद्योगों में भी यह अपना ली जाएगी। इस परिवर्तन में आने वाली किसी भी कठिनाई में उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय हर फर्म की सहायता करने को तैयार है।

लघु उद्योग

बड़े उद्योगों की तरह छोटे उद्योगों की उन्नति को भी तरजीह देनी चाहिए। इन उद्योगों और घरेलू उद्योगों की उन्नति के लिए एक विशेष तरीका अपनाना चाहिए, जिससे सभी का उत्पादन बढ़ सके। हमें दूसरों का अन्धानुकरण भी नहीं करना है, क्योंकि हमारी अपनी अलग समस्याएं हैं। हमें अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या और रोजगार की हालत को भी ध्यान में रखना है। बेरोजगारी की समस्या तभी हल हो सकती है, जबकि छोटे उद्योगों और घरेलू उद्योगों का यथेष्ट विकास किया जाए। छोटे शहरों और गांवों की आर्थिक स्थिति सुधारने का केवल यही उपाय है। इसके लिए हमें आर्थिक दृष्टि से सोचना और विचारना होगा।

---

[२]

भारत में विदेशी पूंजी

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में उद्योगों को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए हमें काफी पूँजी चाहिये। इसलिये यदि देश के उद्योगपतियों के अलावा विदेशी भी यहां पूँजी लगाते हैं, तो हमें उद्योग बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी।

सन् १९४८ में यहां विदेशी उद्योगपतियों की २ अरब ८७ करोड़ ७० लाख रु० की पूँजी लगी हुई थी। १९५५ में यह पूँजी बढ़कर ४ अरब ८७ करोड़ ७० लाख रु० हो गयी। १९५७ के सरकारी आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हो सके, परन्तु गैरसरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष तक १ अरब ५० करोड़ रु० की विदेशी पूँजी और लगी।

पिछले क्रम को देखते हुए भारत सरकार का अनुमान है कि दूसरी आयोजना में एक अरब रु० की और विदेशी पूँजी लग सकती है। १९५६ में सरकार ने उद्योग नीति का जो प्रस्ताव पास किया है उसके अनुसार ऐसी कार्रवाई की गई है जिससे उद्योगपतियों को, खास तौर पर विदेशी उद्योगपतियों को विश्वास हो कि यहां उद्योगों में पूँजी लगाने की कितनी गुँजाइश है और क्या लाभ हैं। आवश्यकतानुसार उद्योग नीति में साधारण हेरफेर भी किया जाता है। मसलन, सरकारी नीति खनिज तेल उद्योग को सरकारी क्षेत्र में रखने की है परन्तु सरकार ने विदेशी पूँजीपतियों को सरकारी "आयल इंडिया" कम्पनी में हिस्सेदार बनने के लिये निमंत्रित किया है।

विदेशों से सहायता

देश की उन्नति के लिये जो उद्योग जरूरी हैं, उन्हें बढ़ाने में भारत सरकार विदेशी कम्पनियों को भारतीय उद्योगपतियों के साझे में पूँजी लगाने के हेतु प्रोत्साहन देती है। कारखाना लगाने के लिये जो मशीन और सामान विदेशों से खरीदना पड़ता है, उतनी पूँजी लगाने की मंजूरी तो दे ही दी जाती है। इस रकम को विदेशी कम्पनी का शेयर या हिस्सा, और ऋण माना जाता है। भारत सरकार चाहती है कि उद्योग में अधिकांश हिस्से भारतीयों के ही रहें, परन्तु जरूरत होने पर विदेशियों को भी अधिकांश हिस्सा रखने की अनुमति दी जाती है बशर्ते भारतीयों को काम सीखने का मौका मिले और प्रबन्ध भी उनकी राय से चले।

उन्हें कर आदि देने के बाद, अपने लाभ को अपने देश भेजने या अपनी पूँजी लौटा कर ले जाने का भी आश्वासन और सुविधा दी जाती है। अभी तक इस बात में भारत सरकार से किसी विदेशी कम्पनी को कोई शिकायत भी नहीं हुई है। हां, पूँजी लौटाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखा जाय कि बेइमानी से पूँजी बढ़ा-चढ़ा कर न बतायी जाय। यदि विदेशी और भारतीय कम्पनी मिलकर निर्णय करते हैं कि विदेशी पूँजी ऋण के रूप में ली जाये, तो सरकार उसपर उचित ब्याज दिलाती है। हाल में आयकर अधिनियम में जो संशोधन हुआ है, उसके अनुसार अर्जी देने पर इस प्रकार के ऋण पर आयकर नहीं लिया जायगा।

यहां यह उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत सरकार ने अमेरिका सरकार से ऐसा समझौता किया है कि यदि कोई अमरीकी पूँजीपति भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किसी उद्योग में पूँजी लगाता है तो, अमरीकी सरकार उसे गारण्टी देती है कि उसे उसका लाभ और बाद में पूँजी भी डालरों में मिलेगी।

शिल्पिक सहायता

भारत सरकार को मालूम है कि विदेशियों से यहां के लोगों को बहुत शिल्पिक लाभ मिलता है और इससे यहां और नये-नये उद्योग बढ़ेंगे। इसलिये सरकार कोलम्बो योजना आदि की मारफत यहां विदेशी विशेषज्ञों को बुलाने का प्रबन्ध करती है। भारतीय कम्पनियों को भी विदेशी विशेषज्ञ और सलाहकार बुलाने की इजाजत खुशी से दी जाती है। वैज्ञानिक, आविष्कारों का इस्तेमाल करने और शिल्पिक सलाह और विधि जानने के लिये विदेशियों को जो फीस देनी पड़ती है, उसकी सरकार बिना रोक टोक इजाजत देती है।

विदेशी कम्पनियों को मिलने वाली रायल्टी दो प्रकार की मानी गयी है:—एक सामान्य रायल्टी और दूसरी विदेशी साझेदार द्वारा विदेश में दी गयी, उद्योग में सहायता। दूसरे प्रकार की रायल्टी कर से मुक्त है। साधारणतः भारत सरकार ५ प्र० श० तक रायल्टी स्वीकार करती है पर विशेष स्थितियों में इससे अधिक भी स्वीकार की जा सकती है।

कर

भारत सरकार ने उद्योगों को कर सम्बन्धी अनेक रियायतें दी हैं, उनमें से मुख्य ये हैं:—

(१) नए उद्योग के शुरू होने से ५ वर्ष तक, उससे होने वाले लाभ पर आय-कर नहीं लगता;

(२) जिन नए उद्योगों के लाभ पर आयकर नहीं लगता, उनके हिस्सेदारों को जो लाभांश दिया जाता है, उस पर भी आयकर नहीं लगता;

(३) जो भारतीय कम्पनी ३१ मार्च, १९५८ के बाद स्थापित हुई और जो सरकार द्वारा निर्धारित किसी महत्व के उद्योग में लगी हो, उससे यदि किसी कम्पनी को लाभांश मिलता है तो उस पर अधिकर (सुपर टैक्स) नहीं लगता,

(४) सभी उद्योगों में नए कारखाने की मशीनें लगाने पर पहले साल जो खर्च पड़ता है उसका २५ प्रतिशत (जहाजों के लिए ४० प्रतिशत) 'विकास छूट' दी जाती है। इस प्रकार कुछ वर्षों में मशीन का पूरा दाम निकल जाता है और साथ ही मूल्य के २५ प्रतिशत पर कर से छूट भी मिल जाती है।

(५) उद्योग से सम्बन्धित वैज्ञानिक, आर्थिक या सामाजिक अनुसंधान में जो खर्च होता, उसे कर में से एकदम काटा जा सकता है, या पांच वर्ष तक बाद में दे दिया जाता है।

(६) कोई भारतीय कम्पनी अपनी किसी सहायक कम्पनी से जो लाभांश पाती है, उस पर रियायती दर पर अधिकर लगता है।

(७) नयी औद्योगिक कम्पनी पर ५ साल तक सम्पत्ति-कर नहीं लगता।

(८) नयी औद्योगिक कम्पनियों के हिस्सेदारों की इस हिस्सा-पूंजी पर पांच साल तक सम्पत्ति-कर नहीं लगता।

(९) कम्पनियों की जो पूंजी अन्य कम्पनियों में लगी है, उसे सम्पत्ति कर लगाने में बाद दे दिया जाता है।

कुछ आंकड़े

गैर-सरकारी सूत्रों के अनुसार इस समय भारतीय उद्योगों में ६ अरब ५० करोड़ रु० की विदेशी पूंजी लगी है। १९५५ में यहां जितनी विदेशी पूंजी लगी थी, उससे यह राशि १ अरब ७० करोड़ रु० अधिक है।

सन् १९१४ में भारत में २९ करोड़ ८० लाख पौंड (लगभग ४ अरब ५० करोड़ रु०) की विदेशी पूंजी लगी थी। लंदन के एक पत्र 'फाइनांशियल टाइम्स' के अनुसार १९३० में भारतीय उद्योगों में ७० करोड़ पौंड (९ अरब ३३ करोड़ रु०) की विदेशी पूंजी लगी थी।

रिजर्व बैंक ने १९४८ में भारत के विदेशी देने पावने की जांच-पड़ताल की और इस सम्बन्ध में कच्चे आंकड़े इकट्ठे किए। इसके अनुसार जून १९४८ में भारतीय उद्योगों में २ अरब ८८ करोड़ रु० की विदेशी पूंजी लगी थी। इसमें सरकारी क्षेत्र की विदेशी देनदारी शामिल नहीं है।

दिसम्बर १९५५ में विभिन्न उद्योगों में विदेशी पूंजी का ब्योरा इस प्रकार है:—विभिन्न किस्म का माल बनाने वाले उद्योगों में १ अरब ६३ करोड़ ३० लाख रु०, व्यापार में १ अरब २ करोड़ ३० लाख रु०; परिवहन आदि में ५३ करोड़ १० लाख रु०, खनन में ९ करोड़ ६० लाख रु०; बैंक उद्योग में २० करोड़ २० लाख रु०; अन्य वित्तीय कारबारों में १९ करोड़ १० लाख रु०; चाय बागान में ८७ करोड़ २० लाख रु० और अन्य व्यवसायों में २५ करोड़ ९० लाख रु०।

भारतीय उद्योगों में, जून १९४८ में, २ अरब, ८७ करोड़ ७० लाख रु० की विदेशी पूंजी लगी थी, जो बढ़कर दिसम्बर १९५३ में ४ अरब, १९ करोड़, ५० लाख रु० और दिसम्बर १९५५ में ४ अरब, ८० करोड़ ७० लाख रु० हो गयी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि ये रियायतें भारतीय और भारत में पूंजी लगाने वाले विदेशी, दोनों ही प्रकार के उद्योगपतियों को मिलती हैं। इसके अलावा विदेशियों को ये रियायतें भी मिलती हैं :—

(१) इस ब्याज पर इन्हें आयकर नहीं देना पड़ता :

(क) जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत, किसी विदेशी संस्था से भारत में किसी उद्योग को मिले ऋण से मिलता है;

(ख) यदि भारत के किसी उद्योग ने भारत सरकार की अनुमति से विदेश से कारखाना या मशीन उधार खरीदी है, या ऋण लेकर खरीदी है, तो इस रकम के ब्याज पर आयकर नहीं लगता।

(२) यदि कोई उद्योग किसी विदेशी विशेषज्ञ को नियुक्त करता है, तो उसे जो वेतन मिलता है, उस पर पहले ३६५ दिन तक आयकर नहीं लगता। यदि भारत सरकार की स्वीकृति के बाद वह कम्पनी में नियुक्त होता है, तो उसे चालू वित्त वर्ष और अगले दो वर्षों तक आयकर नहीं देना पड़ता।

दोहरा कर

विदेशी उद्योगपतियों को यहां पूंजी लगाने में एक बड़ी दिक्कत यह रही कि उन्हें दोनों देशों में कर देना पड़ता है। हाल ही में भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने दोहरा कर बचाने के बारे में समझौते करने के उद्देश्य से यूरोप के देशों से बातचीत की और फलस्वरूप प० जर्मनी और स्वीडन से समझौते हुए हैं। अन्य यूरोपीय देशों के साथ समझौतों की बातचीत चल रही है।

[२]

सामुदायिक विकास क्षेत्रों में उद्योग धंधे

दिल्ली से ६० मील दूर उत्तर प्रदेश का 'देवबन्द' अपने 'दारुल उलूम' नामक अरबी के विश्वविद्यालय के लिए सरनाम है। यहां एक प्रायोगिक योजना चलायी जा रही है। इसमें देहाती युवकों को कारीगरी सिखाकर कोई उद्योग-धन्धा चलाने को तैयार किया जाता है।

उल्लेखनीय बात यह है कि यहां से सीखकर और केवल २०० रु० की पूंजी लगाकर ये शिल्पी अपना कारोबार शुरू कर देते हैं। इसके लिए भी उन्हें ऋण और सहायता दी जाती है। जो इस क्षेत्र में स्थायी रूप से बसना चाहते हैं, उन्हें जमीन आदि भी दी जाती है। इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार की सहायता से चला रही है। अभी तक इसमें ६ लाख ६७ हजार ६ सौ रु० खर्च हो चुके हैं।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में चलने वाली यह योजना अपने ढंग की एक ही है। इसमें १५३ गांव हैं, जिनकी जनसंख्या १ लाख ४ हजार है और क्षेत्रफल १२७ वर्ग मील है। सन् १९५६ से इस वर्ष मार्च के अन्त तक यहां के १५ शिक्षण केन्द्रों में २७२ लोगों को बुनियादी धन्धों की शिक्षा दी गयी और १८८ आदमी सिखाये जा रहे थे। इस योजना में ८ लाख १५ हजार ३ सौ ३६ रु० का माल तैयार हुआ, जिसमें से ४ लाख ५२ हजार ४ सौ २४ रु० का माल सहकारी केन्द्रों और दूसरी संस्थाओं द्वारा बिक्री के लिए भेजा गया है।

जनता को इन उद्योग-धन्धों के कार्यक्रम में लगाने के लिए इस जिले में २१६ सहकारी और बहुधन्धी सहकारी समितियां खोली गयी हैं, जिनके सदस्यों की संख्या ६,०६१ तक पहुँच गयी है। इन सहकारी समितियों की चुकता पूंजी १ लाख २६ हजार ८ सौ ३३ रु० तक पहुँच गयी है और ४०,४२३ रु० तक के ऋण दिये जा चुके हैं।

देवबन्द में उद्योग बस्ती

योजना क्षेत्र में उद्योग-धन्धे शुरू करने के अलावा योजना के संचालकों ने देवबन्द में एक छोटी औद्योगिक बस्ती बनाने के लिए ६ लाख २३ हजार ५ सौ रु० की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली है। आरम्भ में यहां ३० कारखानों के लिए मकान आदि की व्यवस्था की जाएगी। बाद में ३० और कारखानों के लिए इमारत बनायी जाएंगी। बस्ती के लिए चुने गये स्थान पर काम शुरू भी हो गया है।

यहां के कारखानों में लड़के और लड़कियां उत्साह और प्रसन्नता से काम कर रहे हैं। लड़के कड़ी मेहनत के काम करते हैं, जबकि लड़कियां इसमें सीना-पिरोना, जरी और गंजी मोजा आदि बनाना सीखती हैं। कुछ को २५ रु० मासिक की वृत्ति भी मिलती है।

सस्ता सामान

यहां किये गये कामों के कुछ अच्छे नतीजे सामने भी आ रहे हैं। उदाहरण के लिए यहां बीज बोने का एक औजार बनाया गया है, जो

विदेशी औजार से अच्छा है। इसकी कीमत भी केवल ८० रु० बैठती है और यह बैलों से चलने वाले हल में भी लगाया जा सकता है। जबकि विदेशी औजार ६०० रु० का होता है और केवल ट्रैक्टर में लगाया जा सकता है। देवबन्द के किसानों में यह नया औजार प्रचलित हो गया है और इसकी काफी मांग है।

इसी तरह यहां के बने अच्छे हल की कीमत केवल ४० रु० बैठती है, जबकि विदेशी हल १२५ रु० में आता है। काम भी देशी हल ज्यादा अच्छा करता है।

यहां २७ रु० का एक कूलर (शीतक यन्त्र) भी बनाया गया है, जो दिल्ली में मिलने वाले सस्ते कूलरों से भी सस्ता है। यहां बना इस्पात का एक छोटा सन्दूक चार रु० में मिल सकता है। इसी तरह अचार, शरबत, खिलौने और दरी आदि चीजें भी यहां सस्ती मिल सकती हैं।

इस योजना को खादी ग्रामोद्योग कमीशन, अखिल भारतीय दस्तकारी मण्डल, और अखिल भारतीय हथकरघा मण्डल आदि संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त है।

लघु उद्योग मण्डल ने यहां की नयी औद्योगिक बस्ती को अनेक तरह से मदद दी है। जैसे नमूने के कारखाने और विलायती ढंग के जूते बनाना सिखाने का केन्द्र स्थापित करना, कारखाने को गाड़ी देना और किश्तों पर सिलाई की मशीनें देना आदि।

यह योजना सामुदायिक विकास क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करने के लिए चलायी गयी है। यहां की छोटी-छोटी योजनाएं गांवों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयोगशाला का काम दे रही हैं। १९५६ में गहन विकास के लिए २४ प्रायोगिक योजनाएं चलाई गयी थीं।

सर्वतोमुखी प्रगति

दूसरी दिशाओं में भी प्रगति हो रही है। यहां के किसान खेतों में रासायनिक खाद देने लगे हैं और जापानी तरीके से धान बोते हैं। प्रत्येक गांव में कुछ खेत निश्चित कर दिये गये हैं, जहां किसानों को नये तरीकों से खेती का लाभ दिखाया जाता है।

इसी क्षेत्र में, रणखण्डी गांव के निवासियों ने १ लाख २७ हजार रु० नकद और श्रमदान के रूप में दिया है। इसके साथ ही एक माध्यमिक स्कूल बनाने के लिए १०० एकड़ भूमि भी दी है, जिसकी कीमत ५० हजार रु० होती है। उन्होंने ४।। मील की एक सड़क और अपना पंचायतघर भी नकद और श्रमदान करके बना लिया है। गांव में गलियों को पक्का किया गया है। साफ पानी के १५ कुएं, चार सार्वजनिक टट्टियां और एक बीज गोदाम भी बनाया गया है। इस गांव में एक 'युवक संघ' भी चल रहा है, जो जनता को इन कार्यों में प्रवृत्त करता है।

[४]

सरकारी परीक्षणशाला

भारत के तेजी से हो रहे औद्योगिक विकास और बढ़ते हुए निर्यात को देखते हुए यह आवश्यक है कि हमारे यहां बना माल निर्धारित प्रतिमान या किस्म का हो। अलीपुर स्थित कलकत्ते की सरकारी परीक्षणशाला में इस बात की जांच होती है कि तैयार माल ठीक किस्म का है और उसमें प्रतिमान के अनुरूप कच्चा सामान लगाया गया है या नहीं। आज देश में इस परीक्षणशाला का अपना एक स्थान है। सरकारी, गैर-सरकारी और निजी फर्में अपने माल की जांच यहां करवाती हैं और अपने उत्पादन को सुधारने के लिए परीक्षणशाला से सलाह लिया करती हैं।

रेलवे मंडल ने इस विचार पर कि भारतीय रेलवे को यदि देशी सामान इस्तेमाल करना है तो उनके प्रतिमान स्थिर होने चाहिये, सन् १९१२ में कलकत्ते में इस सरकारी परीक्षणशाला की स्थापना की गयी। उस समय से आज इसका कई गुना विस्तार हो गया है और इसमें हर प्रकार की सामग्री की जांच का प्रबन्ध है।

सार्वजनिक सेवा

आरम्भ से ही सभी सरकारी और निजी कारखाने यहां अपना माल जंचवाते रहे हैं। परीक्षण का शुल्क भी तय कर दिया गया है। इस संस्था की सहायता से भारतीय निर्माता अपने माल की विदेशी माल से तुलना करने और उसकी त्रुटियों को सुधारने में सफल हुए। गुण और मूल्य में जब देशी माल विदेशी के बराबर होने लगे तो गैर-सरकारी

ग्राहक भी देशी माल खरीदने को प्रवृत्त हुआ। इस तरह परीक्षणशाला ने राष्ट्रीय हित को अपना लक्ष्य बना लिया।

पहले महायुद्ध के समय यहां अस्त्र-शस्त्रों और युद्ध-सामग्री की परीक्षा की जाने लगी और सन् १९२९ में सैनिक प्रयोगशालाओं के बनने तक फौजी सामान की जांच भी होती रही। दूसरे महायुद्ध के समय अमेरिकी सेनाओं ने इससे काम लिया। अब भी यहां फौजी और गैर-फौजी हवाई जहाजों में काम आने वाले तेल का परीक्षण किया जाता है। तेल कम्पनियां भी अपने तेल के नमूने वहीं जंचवाती हैं।

सन् १९२२ में इसे भारतीय भण्डार (स्टोर्स) विभाग में मिला दिया गया। सन् १९३४ में इसमें एक अनुसंधान विभाग और खोला गया, जिसमें औद्योगिक समस्याओं का समाधान खोजा जाता है। यह कार्य अब वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान निदेशालय करता है। १९३६-३७ में परिवहन विभाग की ओर से सड़कों की जांच-पड़ताल के लिए भी एक विभाग इसमें बनाया गया, जो अब पश्चिमी बंगाल की सरकार को सौंप दिया गया है।

स्वाधीनता के बाद

दोनों पंचवर्षीय आयोजनाओं से उद्योगों की जो बढ़ती हुई, उसके फलस्वरूप इस परीक्षणशाला का आधुनिकीकरण और विस्तार हुआ। इस समय इसके तीन भाग हैं—भौतिक विभाग (इंजीनियरिंग सहित), वस्तुओं को बिना तोड़े परीक्षा करने का विभाग और रासायनिक विभाग। प्रत्येक विभाग के अन्तर्गत कई प्रयोगशालाएं हैं। रासायनिक जांच के आधुनिकतम यन्त्र मंगाये गये हैं। इनमें हिल्जर कार्टिज स्पेक्टोग्राफ भी हैं। रंग-रोगन को जांचने वाली यहां की प्रयोगशाला देश में सबसे अच्छी मानी जाती है। सन् १९५६ में २०० टन वजन तक की मशीनों को जांचने वाला यन्त्र यहां लगाया गया है, जो देश में अपने किस्म का अकेला है। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को जांचने के लिए अति सूक्ष्मदर्शी यन्त्र भी लगाये गये हैं।

रंग-रोगन की चमक, लचक, मजबूती और जलवायु के प्रभाव को जांचने के लिए खुले में जांच की व्यवस्था है। इंजीनियरी के सामान की जांच के लिए २ लाख ५० हजार वोल्ट एक्सरे का एक यन्त्र १९४८ में लगाया गया था। ३ लाख वोल्ट का एक चलतू एक्स-रे यन्त्र पुलों के गाटर और रेलवे इंजनों की भट्टी जांचने के लिए खरीदा गया है। रेडियोग्राफी जांच के लिए गामा-रे वाले यन्त्र काम में लाये जा रहे हैं। इसी तरह अल्ट्रा सौनिक और दूसरे यन्त्र भी उपयोग में लाये जा रहे हैं।

गंगा पर बने पुल में लगे सामान का परीक्षण

मोकामा में २० करोड़ की लागत से बनने वाले गंगा पुल में लगने वाले इंजीनियरी के सामान का परीक्षण यहां इस समय पूरे तौर पर किया जा रहा है। यह विश्व में अपने ढंग की सबसे बड़ी योजना है। भारी और घुमावदार जोड़ों वाले गाटरों की रंचमात्र भी खामियों का ये एक्स-रे आदि यन्त्र पता लगा देते हैं।

परीक्षणशाला के प्रतिनिधि भारतीय प्रतिमान संस्था की १४२ समितियां और उप-समितियों में भी हैं। इसने भारतीय डाक-तार विभाग द्वारा जारी प्रतिमानों पर भी अपनी सम्मति दी है। कारखानों के कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक के लिए सलाह दी जाती है। केन्द्रीय खरीद विभाग को भी माल खरीदने में सलाह दी जाती है। परीक्षणशाला प्रतिमान स्थिर करने में बहुत से ऐसे विभागों की भी सहायता करती है, जिनके पास न तो प्राविधिक कर्मचारी ही हैं और न प्रयोगशालाएं ही।

परीक्षण खूब देखभाल कर किया जाता है और उसकी पूरी जानकारी प्रकाशित कर दी जाती है, जिससे खरीदने वाले को सन्देह की कोई गुंजाइश न रहे। माल के बारे में यदि खरीदने और बेचने वाले में विवाद होता है, तो उसे सुलझाने में इससे मदद मिलती है।

प्रशिक्षण की सुविधाएं

यह परीक्षणशाला प्राविधिक संस्थानों और सरकारी विभागों द्वारा भेजे गये लोगों को अपनी प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण भी देती है। इंजीनियरी के अध्यापक आदि भी छुट्टी के समय यहां आकर अपना ज्ञानवर्द्धन करते रहते हैं। परीक्षणशाला केन्द्रीय पुनर्वास मन्त्रालय की योजना के अनुसार विस्थापित व्यक्तियों को विभिन्न उद्योगों का प्रशिक्षण देने में भी हाथ बँटा रही है।

परीक्षणशाला को सलाह देने और सहायता करने के लिए भारत सरकार ने १४ व्यक्तियों का एक सलाहकार मंडल बनाया है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं। यह मंडल संस्था को शासन, विकास और यन्त्रादि खरीदने में अपनी सहायता देता है।

परीक्षणशाला का तिमंजिला भवन १९५६ में बनकर तैयार हुआ। इस भवन के दूसरे भाग का निर्माण, जिसमें एक नया कारखाना भी होगा, बहुत शीघ्र ही शुरू किया जायगा। इसमें ऊंचे वोल्टेज के यन्त्रों को जांचने की प्रयोगशाला भी होगी।

नयी प्रयोगशालाएं

मोटर, ट्रांसफार्मर, रबर, लकड़ी, मिट्टी, रेडियो जांच, कागज, कागज के बने सामान और चुम्बकीय सामानों की जांच के लिए नयी प्रयोगशालाएं बनाने का विचार है। इसके लिए मशीन आदि खरीदने की योजनाएं बना ली गयी हैं और कुछ खरीद भी ली गयी है।

आशा है कि परीक्षणशाला के परीक्षणों के फलस्वरूप हमारा माल हर कसौटी पर खरा उतरेगा और विदेशी बाजारों में भी पहुँचेगा और उपभोक्ताओं को संतोष भी देगा।

[५]

निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय

भारत सरकार ने निर्यात बढ़ाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्यातकों को कुछ सुविधाएं देने का निश्चय किया है ताकि ये समय पर आर्डर पूरा कर सकें। इनमें शुल्कों में रियायत, कच्चे माल की सप्लाई, परिवहन आदि की सुविधाएं, व्यापार-सम्बन्धी यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा आदि शामिल हैं।

निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिये जो कच्चा माल आवश्यक होता है उस पर आयात और उत्पादन-शुल्क में छूट दी जाती है। इस प्रकार की छूट फिलहाल ७५ जिन्सों पर दी जाती है। बहुत-सी वस्तुओं पर निर्यात शुल्क हटा दिया गया है और अन्य पाबन्दियां या तो दूर कर दी गयी हैं या ढीली कर दी गयी हैं। निर्यातकों को कच्चे माल के लिये आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिये विशेष सहायता दी जाती है। जो कच्चा माल देश में ही मिल सकता है वह भी उन्हें रियायती दरों पर दिया जाता है।

निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने हाल में दो घोषणाएं की हैं जिनके अनुसार निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं के निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल के आयात के लिये, विशेष लाइसेंस दिये जाएंगे।

एक सूचना के अनुसार, इस योजना के अन्तर्गत रजिस्टर्ड निर्यातक हर महीने पिछले महीने में किये निर्यात के आधार पर आयात के लाइसेंस लिये आवेदन कर सकेगा। अब तक ये आवेदन पत्र हर तिमाही लिये जाते थे।

दूसरी सूचना में विशेष आयात लाइसेंस के लिये कुछ और वस्तुओं के नाम बढ़ाए गये हैं—जैसे निर्यात होने वाले गंजों, प्लास्टिक और चमड़े के बेगों में लगने वाली जिप, क्रीमयुक्त मीठा जमा हुआ दूध और टाफी लपेटने के छपे हुए कागज, जिनमें अलमूनियम का पर्त लगा हो, चिकना तांबे का तार, जो रोशनी की नालियों में काम आता है, सत्त, चिपकना फीता, साइट्रिक एसिड और चपट या मिठाइयों में काम आने वाले रंग, बशर्ते कि ये निर्यात के लिये बनाई जाएं।

बिना जड़े मोती का भी आयात हो सकेगा, यदि उसका इस्तेमाल निर्यात के लिये गहना बनाने में हो।

इस आयात की शर्तें अप्रैल से सितम्बर १९५८ तक की अवधि की, लाल किताब की अनुक्रमणिका २३ के अनुसार ही होंगी।

विदेशी मुद्रा देने की सुविधा

जो निर्यातक व्यापार के सम्बन्ध में विदेश जाते हैं, उन्हें विदेशी मुद्रा देने की हर तरह से कोशिश की जाती है। इसके अलावा विदेशी बाजारों की पड़ताल और वहां माल के प्रचार के लिये भी विदेशी मुद्रा दी जाती है।

निदेशालय के बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित अधिकारी निर्यातकों की समस्याएं हल करने के लिये उनकी सहायता करते हैं। ये अधिकारी फैडरेशन आफ इन्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, एसोसियेटेड चैम्बर आफ कामर्स तथा अन्य व्यापारी संगठनों के साथ सम्पर्क रखते हैं और उनकी निर्यात संबन्धी समस्याएं हल करने का सब तरह से प्रयत्न करते हैं।

ऐसे निर्यातकों के नाम दर्ज कर लिये गये हैं जिन्होंने निर्यात का निर्धारित लक्ष्य पूरा करने का वायदा किया है। इन लोगों को इसे पूरा करने के लिये विशेष सहायता दी जाती है। माल की किस्म तय करने और उसे जहाज पर चढ़ाने से पहले उसकी जांच करने की व्यवस्था की गयी है। निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुएं विशेष किस्म की होना अनिवार्य कर दिया गया है।

निर्यात के माल को रेलों में प्राथमिकता

निर्यात प्रोत्साहन निदेशालय ने यह व्यवस्था भी की है कि निर्यात की जानी वाली वस्तुओं को रेल में प्राथमिकता दी जाय ताकि वह जल्दी से जल्दी बन्दरगाहों तक पहुँच जाय। माल के लिये जहाज में जगह की व्यवस्था करने के लिये हर प्रकार की सहायता दी जाती है। इस निदेशालय ने व्यापार सम्बन्धी झगड़े जल्दी से निबटाने की भी व्यवस्था की है। व्यापारियों द्वारा की गयी शिकायतों की जांच भी की जाती है।

रेलों पर जो सामान भेजा जाता है, उसमें अब निर्यात के लिये बन्दरगाहों को जाने वाले माल को प्राथमिकता दी जायगी।

अब निर्यात होने वाली सभी चीजें यातायात सूची 'डी' के अन्तर्गत रेल से बन्दरगाहों को भेजी जा सकेंगी। इसमें कच्चा लोहा और कच्चा मैंगनीज शामिल नहीं है, क्योंकि उनके निर्यात की व्यवस्था अलग से की जाती है।

माल भेजने वाले को सम्बन्धित स्टेशन मास्टर के पास फारवर्डिंग नोट के साथ यह सूचना भेजनी चाहिये :

१. विदेश में माल पाने वाले का नाम और पता।

२. उन साख पत्रों का विवरण, जिन्हें विदेशी माल पाने वाले ने भारतीय निर्यातक के नाम किया है।

३. उस जहाज का नाम, जिसमें माल भेजने के लिये स्थान लिया गया है।

४. जहाज के एजेन्ट का वह प्रमाणपत्र, जिसमें उसने स्थान सुरक्षित होने की सूचना दी है।

निर्यात के माल में लगे सामान पर शुल्क में छूट

निर्यात बढ़ाने की अपनी नीति के अनुसार, सरकार ने जूतों की पालिश या रंग, स्पार्किंग प्लग, बिजली के पंखे और साइकिलों को बनाने में काम आने वाले कच्चे माल पर सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-कर में छूट देने का निश्चय किया है। टाफी, चाकलेट आदि मिठाइयों को बनाने के लिए जो सामान आयात होता है, उस पर लगे सीमा-शुल्क को भी निर्यात के समय वापस करना स्वीकार कर लिया है। इसी तरह बाहर से आये नकली (कल्चर्ड) मोती जिनका भारत में गहना बनाया जाता है, निर्यात के समय उन पर भी सीमा-शुल्क वापस कर दिया जाएगा। इसी तरह रेडियो-सेट पर भी छूट देने की वर्तमान योजना में कुछ परिवर्तन किया गया है।

इस विषय में अधिक जानकारी और सलाह के लिए निर्यातकों को बन्दरगाहों में नियुक्त सीमा-शुल्क अधिकारियों से राय लेनी चाहिए।

कार्डस्टेव के निर्यात पर कर में छूट

निर्यात के लिए कार्ड स्टेव (पटसन बुनने में काम आने वाला एक औजार) बनाने के हेतु जो बीच उड (सफेदे के किस्म के पेड़ की लकड़ी) और इस्पात का उच्च कारबन युक्त तार बाहरी देशों से मंगाया जाता है, उस पर लगने वाले सीमा-शुल्क में छूट देने के लिए नियम प्रकाशित किये गये हैं। इस सिलसिले में निर्माता वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग से मिल सकते हैं। वे जो विवरण देंगे उसके आधार पर ही भारत सरकार छूट की दर निर्धारित करेगी।

[६]

माल बेचने की आदर्श व्यवस्था

खेती की उपज बढ़ाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि किसानों को इस बात का विश्वास हो कि उन्हें उनके परिश्रम का उचित फल मिलेगा और अपनी पैदावार का अच्छा दाम मिलेगा। इसीलिए सरकार ने खेती की चीजों की बिक्री के लिए कानून बनाया, जिसके अन्तर्गत कई राज्यों में नियन्त्रित मंडियां खोली गयी हैं। इस समय आंध्र प्रदेश, बम्बई, मैसूर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब में ऐसी ५३२ मंडियां हैं।

नियंत्रित मंडियों में पुरानी मंडियों की बुराइयां—कम तोलना, ऊंची आढ़त, तरह-तरह की कटौतियां और व्यापारी और किसानों की तकरार देखने को नहीं मिलती। यहां का काम व्यवस्थित और नियमित ढंग से होता है। यदि आप ऐसी ही किसी मंडी में जाएं, तो आपको अनाज और दूसरी चीजों की ढेरियां मंडी के चौक में लगी मिलेंगी। इतना ही नहीं, कुछ मंडियों में तो किसानों के ठहरने के लिए विश्रामघर और खाने-पीने की चीजों की दुकानें भी बनायी गयी हैं। इन सुविधाओं से आकृष्ट होकर अधिकाधिक किसान इन्हीं मंडियों में अपना माल बेचने आते हैं। पहले केवल दस प्रतिशत किसान ही अपना माल खुद बेचने जाते थे, अब मंडियों में आने वालों में ६० प्रतिशत ऐसे होते हैं, जो अपना माल लाकर वहां बेचते हैं।

नियंत्रित मंडियों से किसान, खरीदार और विक्रेता—तीनों को लाभ है। इनका प्रबन्ध ऐसी समितियां करती हैं, जिसमें किसानों, व्यापारियों तथा स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं। बहुमत किसानों का ही होता है, अक्सर वे ही सभापति भी होते हैं। इन समितियों का काम, ईमानदारी से सौदा कराना, खुली बोली से माल बिकवाना, व्यापारियों को लाइसेंस देना, आढ़त की दर नियत करना और उससे बेशी कटौती रोकना, सच्चे बाटों से माल की तुलाई कराना और छोटे-मोटे झगड़े निपटाना है। इसके अलावा, ये समितियां ताजे बाजार-भाव आदि की जानकारी भी देती हैं।

इस काम को और बढ़ाने के लिए केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के हाट तथा निरीक्षण विभाग में आवश्यक सलाह देने की व्यवस्था की गयी है। यह विभाग राज्य सरकारों और मंडी समितियों को इनकी कठिनाइयों को सुलझाने के बारे में सलाह देगा और इस प्रकार एक स्थान के अनुभव से दूसरे लोग भी लाभ उठा सकेंगे और धीरे-धीरे देश भर की मंडियों में बिक्री के एकसे ढंग और मंडी खर्च की समान दरें चलने लगेंगी।

नियंत्रित मंडियों से यह लाभ हुआ है कि किसान से जो मंडी खर्च लिया जाता था, उसमें २८ प्रतिशत से ६६ प्रतिशत तक कमी हुई है। फलस्वरूप किसान को यहां माल बेचने से प्रति सैकड़ा २ रु० से ५ रु० तक और मुनाफा होने लगा है। इसके अलावा खुले नीलाम में भी उसे अपने माल का दाम अधिक मिलता है।

कई मंडियों की यह सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनके पास बड़े-बड़े चौक नहीं हैं, जहां माल की ढेरियां लगायी जा सकें, तथा उचित देखरेख में उनका सौदा कराया जा सके। दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में मंडी समितियों को चौक बनाने के लिए ऋण देने की व्यवस्था की गयी है।

नियंत्रित मंडियों से किसानों को लाभ

आइये, अब यह देखें कि किसान को नियंत्रित मंडियों से क्या लाभ हुआ है।

पहली मुख्य बात तो यह है कि इन मंडियों में आढ़त, तुलाई, हमाली या पल्लेदारी आदि की दरें बंधी हुई हैं और उससे एक पैसा इधर-उधर नहीं होता।

इन मंडियों में अढ़तिया, व्यापारी, दलाल और तोला सब लाइसेंसदार होते हैं।

यहां के बाट और नपुए प्रमाणित होते हैं। बाजार भाव की सही और ताजी जानकारी मिल सकती है।

यहां खुली नीलामी या खुले सौदे से माल की बिक्री होती है।

माल बेचने तथा खरीदने वालों के बीच झगड़े निपटाने के लिए उपसमितियां नियुक्त हैं।

इन मंडियों में माल का नगद दाम दिलाया जाता है।

मंडी के प्रबन्ध में किसान का भी हाथ होता है।

किसानों को बैलगाड़ी खड़ी करने के लिए स्थान, ठहरने की जगह, खाने-पीने की दुकानें तथा आदमियों और जानवरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था है।

नियंत्रित मंडियों का काम सुचारु रूप से हो, इसके लिए यह जरूरी है कि इन मंडियों के मंत्री अपना काम ठीक से जानते हों, क्योंकि वे ही मंडियों का प्रबन्ध करते हैं। इसलिए हाट तथा निरीक्षण विभाग ने मंडी-मंत्रियों की ट्रेनिंग के लिए सांगली (बम्बई) और हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) में दो स्कूल खोले हैं, जहां हर साल १०० कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती है।

जानकारी विभाग

विशाल उद्योग

१९५७ में कपड़े का उत्पादन

सन् १९५७ में देश में ७ अरब ३५ करोड़ २० लाख गज से अधिक सूती कपड़ा तैयार हुआ। इसमें से मिलों में ५ अरब ३१ करोड़ ७० लाख गज कपड़ा तैयार हुआ और बिजली के करघों से ३० करोड़ ३० लाख गज तथा हथकरघों से १ अरब ९८ करोड़ गज कपड़ा बनाया गया। इस साल ४ करोड़ ११ लाख ७० हजार गज खादी और १ करोड़ ६ लाख १० हजार गज अम्बर खादी बनायी गयी।

इस साल यानी १९५७ में १९५५ और १९५६ से मिलों का अधिक कपड़ा बाहर भेजा गया, लेकिन १९५४ के मुकाबले इसका निर्यात कम रहा। १९५५ में ८१ करोड़ ५४ लाख ६० हजार गज, १९५६ में ७४ करोड़ ४२ लाख ३० हजार गज और १९५७ में ८४ करोड़ ४६ लाख २० हजार गज कपड़े का निर्यात हुआ।

हथकरघे के कपड़े का निर्यात इस साल पिछले चार सालों से कम रहा।

भारत में उद्योगों की उन्नति

पहली पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष १९५१ को आधार=१०० मानकर १९५३ में औद्योगिक उत्पादन का सूचक अंक बढ़कर १०५.६ हो गया और १९५७ में यह और भी बढ़कर १३७.१ तक पहुँच गया। १९५८ की पहली तिमाही में यह १४१.७ था।

सूचक अंक का घटना-बढ़ना बड़े-बड़े उद्योगों के उत्पादन पर निर्भर करता है। इस पर सूती वस्त्र और जूट जैसे पुराने जमे हुए उद्योगों का अधिक असर पड़ता है और इंजीनियरी के सामान, बिजली के सामान, रासायनिक पदार्थ, दवाएं, खाद, मिट्टी के बर्तन और सीमेंट आदि नये उद्योगों का कम।

इसलिये कपड़े को छोड़कर बाकी का सूचक अंक निकाला जाय तो नये उद्योगों के उत्पादन का ज्यादा अच्छा परिचय मिलता है। इस प्रकार १९५१ को आधार=१०० मानते हुए १९५७ का सूचक अंक १५६ होगा। १९५६ में यह १४४ और १९५५ में १३० पर आएगा।

पिछले दो-तीन सालों के भीतर देश में निम्न नये सामानों का बनना शुरू हुआ है—मशीनें, टाइपराइटर, रेलों में लगने वाले बिजली के डायनमो, नल और नलकियां, पेनिसिलीन, डी० डी० टी०, यूरिया फार्मेल्डीहाइड, पौलिस्ट्रीन, प्लास्टिक का चूरा, दवाएं, रासायनिक पदार्थ, रंग आदि।

कोयले का उत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिये कोयले का उत्पादन बढ़ाना भी जरूरी है, क्योंकि यह लोहा और इस्पात के कारखानों और अन्य अनेक उद्योगों में काम आता है।

दूसरी आयोजना के शुरू में, १९५५ में, देश में खानों से ३ करोड़ ८० लाख टन कोयला निकाला गया था। इसमें से केवल २८ लाख टन कोयला सरकारी खानों से निकाला गया और बाकी निजी खानों से। दूसरी आयोजना के अंत तक देश के कारखानों और रेलों आदि के लिये ६ करोड़ टन कोयले की जरूरत पड़ने लगेगी। इसलिए उस समय तक २ करोड़ २० लाख टन और कोयला निकालने का लक्ष्य रखा गया है—१ करोड़ २० लाख टन सरकारी कोयला खानों से और एक करोड़ टन निजी क्षेत्र की कोयला खानों से। इसके लिए वर्तमान कोयला खानों को बढ़ाया जाएगा और नयी खानों को खोदा जाएगा।

सरकारी क्षेत्र में १ करोड़ ६ लाख टन अतिरिक्त कोयला

निम्नलिखित नयी खानें खोदकर और वर्तमान खानों को बढ़ाकर निकाला जाएगा (इसमें सिंगरेनी कोयला खानें शामिल नहीं हैं):

	लाख टन	लाख टन
१. कोरबा		१६
२. कथारा		१५
३. मध्य भारत की खानें—		
(क) कोरिया	५	
(ख) कुरसिया (वर्तमान खानों को बढ़ाकर)	५	१०
४. करणपुर		
(क) गिद्दी	१५	
(ख) सौंदा	१२	
(ग) बछरा	६	
(घ) भुरकुण्डा II	७	
(च) चोरधारा	५	
(छ) सयाल और गिद्दी ए	५	५०
५. वर्तमान कोयला खानों को बढ़ाकर (३ (ख) को छोड़कर)		५
६. (यहां अभी फिर जांच करनी जरूरी है)		
(क) बलन्दा (उड़ीसा)	५	
(ख) कोतमा (मध्यभारत कोयला खानें)	५	१०
		१०६

सन् १६५६ में सरकार ने ५० करोड़ के मूलधन से नेशनल कोल डेवलपमेंट कार्पोरेशन नामक संस्थान खोला। इसका काम कोयले का उत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम बनाना और उसे पूरा कराना है।

काम में प्रगति

पिछले तीन वर्षों से सरकारी खानों में कोयले की खुदाई बढ़ती जा रही है। १६५५ में २८ लाख टन, १६५६ में २६ लाख ६० हजार टन और १६५७ में ३३ लाख ८० हजार टन कोयला निकाला गया।

कोयले की नयी खानों को चालू करने में काफी समय लगता है। मशीनें मंगाना, जमीन लेना, रेल लाइन बिछाना, कर्मचारियों को काम सिखाना, यह सब काफी समय लेते हैं। फिर भी कुछ खानों में काम अच्छा चलने लगा है। उनमें से मुख्य ये हैं:

कथारा—यहां १० लाख टन कोयला निकाला जा चुका है और दिसम्बर १६५८ तक रेल लाइन बिछने के बाद यहां से ढुलाई शुरू कर दी जाएगी।

सौंदा—यहां भी ६,००० टन कोयला निकाला जा चुका है। रेल लाइन बिछने के बाद और कोयला निकाला जाने लगेगा और ढुलाई शुरू कर दी जायेगी।

गिद्दी—यहां ६ स्थानों पर खुदाई शुरू हो गयी है, परन्तु दामोदर नदी पर पुल बनाने के बाद यहां से नियमित लदान शुरू हो सकेगा। बछरा में तीन स्थानों पर खुदाई हो रही है और इस साल अक्टूबर-दिसम्बर तक यहां से कोयला निकाला जाने लगेगा। भुरकुण्डा से सितम्बर १६५८ से कोयला बाहर भेजा जाने लगेगा।

कोरबा—यहां लगभग एक हजार टन कोयला प्रतिदिन निकाला जा सकता है। इससे *मध्यप्रदेश बिजली बोर्ड के बिजलीघर* को कोयला दिया जायेगा।

कुरसिया—*यहां की खानों को जून १६५८ से बढ़ाना शुरू कर दिया* गया। सितम्बर १६५८ तक यहां से और अधिक कोयला निकाला जाने लगेगा।

सिंगरेनी कोयला खानें:—सिंगरेनी कोयला खानों से १६५५ में १५ लाख टन, १६५६ में १६ लाख ८० हजार टन और १६५७ में १६ लाख २० हजार टन कोयला निकाला गया। चालू वित्त वर्ष के अंत तक २१ लाख ६० हजार टन कोयला निकालने का अनुमान है। १६५८ में, जनवरी में १ लाख ५० हजार टन, फरवरी में १ लाख ६० हजार टन, मार्च में १ लाख ६० हजार टन और अप्रैल में १ लाख ७६ हजार टन कोयला निकाला गया।

कोयला धोने के कारखाने

निजी क्षेत्र में—जमदोबा, पश्चिम बोकारो और लोदना कोयला खानों में—कोयला धोने के तीन कारखाने हैं। यहां से टाटा लोहा और इस्पात कंपनी तथा भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी को धुला कोयला भेजा जाता है।

नेशनल कोल डेवलपमेंट कार्पोरेशन ने करगली में कोयला धोने का कारखाना बनवाया है, जो *लगभग तैयार हो गया है। इसे जापान के* शिल्पी बना रहे हैं। यहां करगली और बोकारो खानों का कोयला धोया जाएगा। दुगदा, पाथरडीह और मोनडीह में भी एक एक कारखाना खड़ा *करने का निर्णय किया जा चुका है।*

कोयला खानों के लिए काफी संख्या में खान इंजीनियरों की जरूरत पड़ रही है। इसके लिए धनबाद के खान स्कूल में और *छात्रों की भर्ती* करने का *इंतजाम किया जा रहा है* और अनेक इंजीनियरी कालेजों को खान इंजीनियरी की कक्षाएं खोलने के लिए सहायता दी जा रही है।

नेशनल कोल डेवलपमेंट कार्पोरेशन ने चार कोयला-क्षेत्रों में कारीगरी शिक्षा के लिए ४ केन्द्र खोले हैं, जहां हर साल ५६० शिक्षार्थी काम सीखेंगे। केन्द्रों को खुले एक साल हो चुका है। अन्य स्थानों पर भी ऐसे केन्द्र खोलने का विचार है।

भारत-रूस करार

नवम्बर १९५७ में कोल डेवलपमेंट कार्पोरेशन ने मास्को के रूसी टेक्नोएक्सपोर्ट के साथ एक समझौता किया, जिसके अनुसार वह कोरबा क्षेत्र की निम्नलिखित योजनाओं पर अपनी रिपोर्ट देगा :—

१—कोरबा कोयला क्षेत्र में प्रति वर्ष १० लाख टन कोयला निकालने के लिए खुली खान।

२—कोरबा कोयला क्षेत्र में प्रति वर्ष १५ लाख टन कोयला निकालने के लिए २ या ३ खानें।

३—कोरबा क्षेत्र में प्रति घण्टे ५०० टन कोयला धोने का कारखाना।

४—कोरबा क्षेत्र में कोयला खानों की मशीनों की मरम्मत का कारखाना।

कोरबा क्षेत्र की खुली और भीतरी खानों को बढ़ाने का काम रूसी कम्पनी को देने के लिए ही यह करार किया गया। वास्तव में वहां तीसरी आयोजना के आरम्भ में ही कोयला निकालने का काम शुरू होगा।

चीनी का उत्पादन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के चीनी और वनस्पति निदेशालय ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है, जिसमें बताया गया है कि ३१ जुलाई, १९५८ तक देश में १९ लाख ६७ हजार टन चीनी बनायी गयी और १५ लाख २१ हजार टन चीनी का लदान हुआ। पिछले साल इसी मौसम में २० लाख १९ हजार टन चीनी बनायी गयी थी और १५ लाख ६० हजार टन चीनी का लदान हुआ था। ३१ जुलाई, १९५८ को कारखानों में ८ लाख ७० हजार टन से कुछ अधिक चीनी का भंडार था।

१५ जुलाई १९५८ तक चालू मौसम में देश के चीनी-कारखानों में १९ लाख ६७हजार टन चीनी का उत्पादन हुआ और १४लाख २५हजार टन चीनी की निकासी की गयी। पिछले साल इस अवधि तक २० लाख १८ हजार टन चीनी का उत्पादन हुआ था और १४ लाख ९३ हजार टन चीनी की निकासी हुई थी। १५ जुलाई १९५८ को कारखानों में ९ लाख ६६ हजार टन चीनी का भण्डार था।

अप्रैल ५८ में बिजली का उत्पादन

अप्रैल १९५८ में भारत के सार्वजनिक उपयोग के लिए बिजली पैदा करने वाले बिजलीघरों में ९९ करोड़ ६४ लाख किलोवाट घंटे बिजली बनी और ८१ करोड़ ५ लाख किलोवाट घंटे उपभोक्ताओं को दी गई।

अप्रैल, १९५७ के अप्रैल महीने में ८९ करोड़ ९४ लाख किलोवाट घंटे बिजली तैयार हुई थी और ७३ करोड़ ४५ लाख किलोवाट घंटे उपभोक्ताओं के काम आयी। १९३९ का उत्पादन और खपत क्रमशः २०, करोड़ ४७ लाख किलोवाट घंटे और १७ करोड़ २० लाख किलोवाट घंटे थी।

ये आंकड़े ८४१ सार्वजनिक बिजलीघरों के हैं। इनमें ७ नये बिजली घर भी शामिल हैं। नये बिजली घर आंध्र प्रदेश में चिंतापल्ली, पालवान्चा, बुरगमपद, सूर्यपेट में; बम्बई में पारली-वैजनाथ में, हिमाचल प्रदेश में ठियोग में और उड़ीसा में कुलदियाह में हैं।

देश में सीमेंट का उत्पादन

देश में १९५७ की अवधि में ५६ लाख टन सीमेंट का उत्पादन हुआ, जबकि १९५६ में ४९ लाख टन सीमेंट तैयार की गयी। १९५७ के आरम्भ में देश के कारखानों की उत्पादन-क्षमता ५७ लाख टन सीमेंट बनाने की थी, किन्तु साल के अन्त तक यह उत्पादन-क्षमता बढ़कर ६६ लाख ३० हजार टन हो गयी।

इस समय देश में सीमेंट के २९ कारखाने हैं। इनके अलावा केन्द्रीय सरकार ने अब तक २५ नये कारखाने खोलने की योजनाएं तथा चालू कारखानों को बढ़ाने की २९ योजनाएं स्वीकार की हैं। इन योजनाओं के चालू होने पर देश की उत्पादन-क्षमता ८६ लाख ७० हजार टन और बढ़ जाएगी।

अनुमान है कि इनमें से १५ योजनाएं (४ नये कारखाने खोलने और चालू कारखाने के विस्तार की ११ योजनाएं) १९५८ के अन्त तक पूरी हो जाएंगी और देश की उत्पादन-क्षमता १८ लाख टन सीमेंट की और बढ़ जाएगी। अन्य ११ योजनाएं १९५९ के अन्त तक पूरी होंगी और इनसे उत्पादन-क्षमता १० लाख ४० हजार टन सीमेंट की और बढ़ जाएगी। बाकी योजनाएं १९६०-६१ में पूरी होंगी।

देश में सीमेंट की मांग अधिक थी, किन्तु उतनी सीमेंट का उत्पादन नहीं हो पाता था। इस कमी को पूरा करने के लिए १९५६ में यह निर्णय किया गया था कि उस साल विदेशों से ७,००,००० टन सीमेंट मगायी जाए।

इसमें से राज्य व्यापार निगम ने सीमेंट मंगाने की व्यवस्था की थी, किन्तु स्वेज नहर के झगड़े के कारण १९५६ में विदेशों से केवल १ लाख ८ हजार टन सीमेंट ही देश में आ सकी। देश में सीमेंट का

उत्पादन बढ़ जाने से पर्याप्त मात्रा में सीमेंट मिलने लगी है। परिणाम-स्वरूप सीमेंट के नियंत्रण में थोड़ी ढलाई कर दी गयी है। भविष्य में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण देश में भी अधिक सीमेंट तैयार होने से विदेशों से सीमेंट मगाने की जरूरत नहीं रह जाएगी।

इन कारखानों में एस्बेस्टस सीमेंट के सायबान आदि तैयार करने के लिए उनमें नये यन्त्र लगाये गये हैं, जिससे इस उद्योग की उत्पादन-क्षमता बढ़कर २ लाख १० हजार टन एस्बेस्टस सीमेंट हो गयी। जबकि १९५६ में यह उत्पादन क्षमता केवल १,४१,४०० टन था और इन कारखानों में १,१६,८२८ टन एस्बेस्टस सीमेंट तैयार की जाती है, जबकि १९५६ में १,५३,७६१ टन एस्बेस्टस सीमेंट तैयार की जाती थी। लगभग सभी कारखानों में भरपूर काम हो रहा है।

पेट्रोल का उत्पादन

भारत में पेट्रोल और उसके उत्पादनों की सालाना माग ४७ लाख टन है। सन् १९६० तक इसके बढ़ कर ७० लाख टन हो जाने की आशा है। इस समय इनका सालाना उत्पादन ४ लाख टन है जो संसार के कुल उत्पादन का .०५ प्रतिशत है।

पेट्रोल के उत्पादन में अमेरिका संसार में सबसे आगे है। वहा प्रतिदिन ६७ लाख ६३ हजार बैरल पेट्रोल का उत्पादन होता है। वेनेजुएला प्रतिदिन २१ लाख ६ हजार, कुवैत ११ लाख, सऊदी अरब ९ लाख ५१ हजार, इराक ६ लाख ६० हजार और ईरान ३ लाख २० हजार बैरल पेट्रोल का उत्पादन करता है।

१९५७ में विशाखापत्तनम् में कालटेक्स की रिफाइनरी खुल जाने से देश में पेट्रोल आदि की पूर्ति के लिये सुविधाएं बढ़ गई हैं। दो शोधन शालाएं—स्टैन्डर्ड वैक्यूम और बर्मा शेल बम्बई में काम कर रही हैं। आशा है कि दो नयी शोधन शालाओं के खुलने से कमी कुछ पूरी हो जायगी।

रजिस्टर्ड कारखानों का उत्पादन दुगुना

देश भर के २८ प्रमुख उद्योगों के रजिस्ट्रीशुदा कारखानों के उत्पादन में १९४६ से १९५५ तक के दस वर्षों में दोगुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है।

'भारतीय उत्पादन के दस वर्ष' नाम की एक पुस्तिका हाल ही में प्रकाशित हुई है, जिसमें बताया गया है कि १९५५ में देश में १४ अरब ११ करोड़ रु० का माल बनाया गया, जबकि १९४६ में कुल ६ अरब १ करोड़ रु० का बनाया गया था। इस अवधि में उद्योगों में लगी पूंजी में भी वृद्धि हुई है। १९४६ में ३ अरब ६७ करोड़ रु० की पूंजी लगी थी, जो बढ़कर १९५५ में ८ अरब ६२ करोड़ रु० हो गयी थी। इसमें कारखानों की इमारतें, मशीनें आदि स्थिर और कच्चा, तैयार तथा अर्ध तैयार माल जैसी संचालन पूंजी शामिल है।

उक्त अवधि में रजिस्टर्ड कारखानों की संख्या ५० प्रतिशत बढ़ी। १९४६ में यह ५,०१३ थी, जो बढ़कर १९५५ में ७,४२४ हो गयी। इनमें काम करने वालों की संख्या भी १५ लाख १४ हजार से बढ़कर १७ लाख ८४ हजार हो गयी। उक्त अवधि में इन लोगों के वेतन में शत प्रतिशत की वृद्धि हुई। सन् १९५५ में इनको २ अरब ३१ करोड़ १४ लाख रु० वेतन दिया गया, जबकि १९४६ में १ अरब १ करोड़ ८० लाख रु० वेतन दिया गया था।

ऊपर दिये आंकड़े केवल उन रजिस्टर्ड कारखानों के बारे में है, जिनमें हर रोज २० से अधिक मजदूर काम करते हैं और जहां बिजली से मशीनें चलती हैं। फिलहाल केवल २८ प्रमुख उद्योगों के बारे में ही आकड़े इकट्ठे किये गये हैं। इन में सूती तथा ऊनी वस्त्र, पटसन, रासायनिक पदार्थ, लोहा और इस्पात, अलुमिनियम, तांबा और पीतल, साइकिल, सिलाई की मशीन, बिजली के पंखे और लैम्प, इन्जिनियरी का सामान, साबुन, वनस्पति तेल आदि के उद्योग शामिल हैं।

इस पुस्तिका में इन उद्योगों में लगी पूंजी, मजदूर, उत्पादन, मजदूरों के वेतन, उनके भलाई के कार्य आदि की विस्तृत जानकारी दी गयी है। यह जानकारी औद्योगिक श्रक अधिनियम, १९४२ के अनुसार इकट्ठी की गयी है। यद्यपि कारखानों के लिए इस प्रकार की जानकारी भेजना अनिवार्य कर दिया गया है, फिर भी १९५५ में ७ प्रतिशत कारखानों ने यह जानकारी नहीं दी थी। सन् १९५६ से नया श्रक-संकलन अधिनियम लागू हो गया है। इसके अनुसार उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम के अंतर्गत जो उद्योग अनुसूचित हैं, उनके बारे में आंकड़े संकलित करने का दायित्व केन्द्रीय सरकार पर है।

उद्योगों की क्षमता बढ़ाने के लाइसेंस

उद्योग अधिनियम के अन्तर्गत बहुत से उद्योगों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लाइसेंस दिए गए हैं। विस्तार की इन योजनाओं और वर्तमान क्षमता को मिलाकर इन उद्योगों की उत्पादन क्षमता दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के लक्ष्य के बराबर हो जाती है।

जून १९५८ के मध्य तक बिजली के पंखों के लिए लाइसेंस शुदा उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष ८,७१,८०० थी, जबकि लक्ष्य ६,००,००० पंखों का है। बिजली के लैम्पों के लिए लाइसेंस शुदा उत्पादन क्षमता ५,५५,४०,००० थी, जबकि लैम्पों के उत्पादन का लक्ष्य ५ करोड़ है। सिलाई की मशीनों के उत्पादन का लक्ष्य ८५,००० था, किन्तु लाइसेंस शुदा उत्पादन क्षमता १,३७,००० मशीनों की हो गयी है।

बैटरी का भी उत्पादन बढ़ गया है। साइकिल की लाइसेंस शुदा उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष लगभग १५ लाख ६० हजार साइकिलें बनाने की है, जो निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है।

सीमेंट के कारखानों में जल्दी ही लगभग दूसरी आयोजना में रित लक्ष्य के बराबर ही सीमेंट तैयार की जाने लगेगी और सान रखने के तथा रेगमाल निर्धारित लक्ष्य के बराबर तैयार किए जाने लगे हैं।

रिंग स्पिनिंग फ्रेम का उत्पादन, निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक बढ़ है, किन्तु धुनाई की मशीनों तथा बिजली से चलने वाली मोटरों का दन अभी उससे कुछ कम है। बिजली से चलने वाले पम्पों की सेंस शुदा उत्पादन क्षमता ७६,००० है, किन्तु यह निर्धारित लक्ष्य ०,००० पम्प कम है। इमारती काम के इस्पात की लाइसेंस शुदा दन क्षमता २,८१,००० टन की है, जबकि उत्पादन लक्ष्य ०,००० टन का है।

रसायन उद्योग में कास्टिक सोडा, रंगाई के सामान, कागज, उद्योगों मशीनों में काम आने वाला मद्यसार (एलकोहल) सोडा एश, स्पती का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य के बराबर होने लगा है।

मोटर आदि के टायरों तथा ट्यूबों के लिए लाइसेंस शुदा उत्पादन ता निर्धारित लक्ष्य से कम है।

उद्योगों की क्षमता के बारे में जो आंकड़े दिए गए हैं, वे उन जनाओं के सम्बन्ध में हैं, जो स्वीकार की जा चुकी हैं और जिनके इसेंस विभिन्न उद्योगों को दिए जा चुके हैं। ये आंकड़े विभिन्न द्योगों की वर्तमान उत्पादन क्षमता के आधार पर नहीं दिये गए हैं। सेंस दिए जाने के बाद उसमें दिए गए सामान के बराबर माल यार करने के लिए मशीनें आदि लगाने का काम मिल-मालिकों का गा।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड में १९ बड़े जहाज बने

हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने, ४ जुलाई १९५८ को सिन्धिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी के आर्डर के मुताबिक ७,००० टन के मेयरफार्म किस्म के अन्तिम पांच डीजल जहाजों का निर्माण पूरा कर लिया है। इस तरह वहां अब तक कुल १ लाख टन के जहाज बन चुके हैं।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड का शिलान्यास २१ जून, १९४१ को कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसाद ने किया था। इसकी मूल डिजाइन सर अलेक्जेण्डर गिब एण्ड पार्टनर्स ने तैयार की थी। कारखाने आदि के लिये ५६ एकड़ भूमि ली गयी थी, जिसे अब बढ़ाकर ७२ एकड़ कर दिया गया है।

दूसरे महायुद्ध के समय इसका निर्माण शुरू हुआ। इसमें काफी कठिनाइयां सामने आयीं। १९४३ में सरकार ने बहुत छोटे पैमाने पर इसे शुरू करने की अनुमति दी। इस तरह १९४५ में इसके निर्माण की पहली मंजिल पूरी हुई।

८००० टन के पहले समुद्री जहाज का निर्माण जून १९४६ में आरम्भ किया गया। "जलउषा" नाम के इस जहाज का मार्च १९४८ में प्रधान मंत्री पं० नेहरू ने जलावतरण किया।

उसके बाद १९५२ तक इस कारखाने ने इस तरह के आठ जहाजों का निर्माण किया। भारत सरकार ने मार्च १९५२ में इस कारखाने को अपने हाथ में ले लिया और इसका नाम 'हिन्दुस्तान शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड' कर दिया। इसमें दो-तिहाई शेयर सरकार के और एक-तिहाई सिन्धिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी के हैं।

भारत सरकार ने प्रथम चरण में इसके विकास के लिये लगभग दो करोड़ रुपए की एक योजना स्वीकार की है। आगे के विकास की योजनाएं भी विचाराधीन हैं।

अब इस शिपयार्ड में जहाजों को पानी में उतारने के चार बड़े घाट, आवश्यक कारखाने और जेटी बन गयी है। कर्मचारियों में कुछ विदेशी शिल्पियों को छोड़कर बाकी सब भारतीय ही हैं। इस समय ११० अधिकारी, ८११ कर्मचारी और ३,९७१ मजदूर काम कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के छोटे जहाजों के अलावा शिपयार्ड ने अब तक १९ बड़े जहाज बनाये हैं। इनमें भाप से चलने वाले १२ जहाज, ८,००० टन के 'जल उषा' किस्म के हैं।

देश में खनिज धातु का उत्पादन बढ़ा

सन् १९५७ में देश में २८ करोड़ ५० लाख रु० की खनिज धातु निकाली गयी। पिछले साल से इस साल ५० लाख रु० की धातु अधिक निकाली गयी। इसमें १८ करोड़ ५० लाख रु० मूल्य की लौहधातु और १० करोड़ रु० के अलौह धातु थी। यह जानकारी भारतीय खान कार्यालय से प्राप्त हुई है।

इस साल क्रोमाइट का उत्पादन पिछले साल की अपेक्षा २६ हजार टन अधिक रहा। यह अधिकतर उड़ीसा राज्य के कटक और केओंझर जिले में पाया गया। कच्चे लोहे के उत्पादन में भी लगातार वृद्धि हो रही है। इस साल ५१ लाख टन कच्चा लोहा निकाला गया, जो पिछले साल की अपेक्षा १,६०,००० टन अधिक है। देश और विदेशों में लोहे की मांग बढ़ने के कारण ही इसका उत्पादन बढ़ा है। १९५७ में कच्चे मैंगनीज का उत्पादन १० लाख ५७ हजार टन था, जो पिछले साल की अपेक्षा १ लाख १९ हजार टन से कम है।

मैंगनीज के उत्पादन में यह कमी विशेषतः आंध्र और मध्य प्रदेश में हुई है। आंध्र में घटिया किस्म का मैंगनीज मिलता है। इस वर्ष पुराना स्टाक जमा रहने के कारण १९५७ की दूसरी छमाही में मैंगनीज निकालना बन्द कर दिया गया था। मध्य प्रदेश में परिवहन की कठिनाइयों के कारण उत्पादन घटा।

१९५७ में अलौह धातु का उत्पादन पिछले साल की अपेक्षा कम हुआ है। इसका कारण सोने और इलमीनाइट के उत्पादन में कमी और तांबे की कीमत घट जाना है।

तांबे के उत्पादन में वृद्धि

इण्डियन कौपर कार्पोरेशन लि० के अपनी खानों का विस्तार करने के कारण तांबे के उत्पादन में वृद्धि हुई। देश में अलौह धातुओं की मांग बढ़ जाने के कारण मेटल कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० ने जावरा की खानों और मिलों का विस्तार आरम्भ किया। इससे बढ़िया किस्म के सीसे, जस्ते और शुद्ध चांदी का उत्पादन भी बढ़ा।

भारत का पटसन उद्योग

संसार भर के पटसन कारखानों में कुल जितने करघे हैं, उसके ५३ प्रतिशत यानी ७२,३६५ करघे भारत के पटसन उद्योग में हैं। यहां पटसन की कुल ११२ मिलें हैं, जिनमें से प० बंगाल में १०१, आसाम में चार, बिहार में तीन, उत्तर प्रदेश में तीन और मध्य प्रदेश में एक है। प० बंगाल की मिलें कलकत्ते के आसपास, हुगली नदी के दोनों किनारों पर हैं। देश की ११२ पटसन मिलों का प्रबन्ध ८२ पटसन कंपनियां देखती हैं।

इन मिलों में एक पारी में प्रति सप्ताह ४८ घंटे काम होता है और इस प्रकार इनमें हर महीने १,००,००० टन पटसन का माल बनाया जाता है। देश में हर साल लगभग १ अरब ३० करोड़ रु० की कीमत की पटसन की वस्तुएं तैयार होती हैं।

पटसन की चीजों के उत्पादन या वितरण पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन इस उद्योग पर इस विचार से नियंत्रण रखता है कि माल की मांग के साथ उत्पादन होता रहे। १९५७ में देश में पटसन का १०,९६,२४८ टन उत्पादन हुआ और लगभग ८,४८,००० टन निर्यात हुआ, जिससे देश को १ अरब १४ करोड़ २० लाख रु० की विदेशी मुद्रा मिली।

पटसन की मिलें पिछले दो सालों से भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने पर विशेष ध्यान दे रही हैं। इनमें अमेरिका के लिए रुई भरने की बोरिया, कालीनों के नीचे बिछाने का टाट, तिरपाल, कालीन, थान आदि हैं।

१९५५-५६ में भारत से ८,७१,५०० टन पटसन का निर्यात हुआ। आजकल विदेशी मान भी बाजारों में आ जाने के कारण स्पर्धा बढ़ रही है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर दूसरी आयोजना में हर साल ६,००,००० टन पटसन के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है।

भारत में रबड़-उत्पादन

अक्टूबर, १९५७ के अन्त तक ३७,२९३ रबड़-बागानों की रजिस्ट्री की गयी। ये बागान २,३८,११५.१२ एकड़ में हैं। इस प्रकार १९५७ में १९५६ से ४,००० अधिक एकड़ में रबड़-बागान लगाए गए। १९५७ में देश में कच्चे रबड़ का उत्पादन २४,००० टन हुआ, जबकि १९५६ में २३,४४४ टन हुआ था।

पहले यहां से रबड़ विदेशों को भेजा जाता था, किन्तु अब अधिकांश यहीं खप जाता है। १९५७ में यहां ३१,५०० टन रबड़ की जरूरत पड़ी थी, जिसमें कुछ बाहर से मंगाना पड़ा था। १९५४ में नियुक्त बागान जांच कमीशन ने सुझाव दिया था कि देश में रबड़ की मांग पूरी करने के लिए १९६५ तक १ लाख २० हजार एकड़ जमीन में अधिक रबड़ देने वाले पेड़ लगाए जाएं।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रबड़ के बाग कहां लगाये जा सकते हैं, इसका पता लगाने के लिए मार्च, १९५७ में रबड़ बागान कमिश्नर ने इन क्षेत्रों का दौरा किया था। कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिस पर भारत सरकार विचार कर रही है।

गांवों में बिजली

सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार भारत की ८२.७ प्रतिशत जनता यहां के ५५८०९८ गांवों में रहती है। पहली पंचवर्षीय आयोजना को शुरू करते समय अर्थात् १ अप्रैल, १९५१ को १० हजार से कम जनसंख्या वाले ३,०७५ गांवों में बिजली लगी थी जबकि इस आयोजना के पूर्ण होने पर अर्थात् १ अप्रैल, १९५६ को बिजली लगे गांवों की संख्या ६,५०० हो चुकी थी। दूसरी आयोजना में अनुमान किया जाता है कि १६,५०० गांवों में बिजली लग जायेगी।

पहली आयोजना के अन्तिम दो वर्षों में बिजली की सुविधाएं बढ़ जाने के कारण लोगों को रोजगार देने के लिए २० करोड़ ७० लाख रु० का खर्च निर्धारित था। दूसरी आयोजना की अवधि में यह व्यय लगभग ७५ करोड़ रु० बैठेगा जबकि बिजली सम्बन्धी योजनाओं का कुल खर्च ४२७ करोड़ रु० निर्धारित किया गया है। ये बिजली लगे गांव इन राज्यों में हैं—दक्षिण भारत में मद्रास, मैसूर, केरल और आंध्र और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार।

गांवों में बिजली लगाने में प्राविधिक और व्यवस्था की कठिनाइयां सामने आती हैं। साथ ही सभी गांवों में बिजली देने के लिये ३,००० करोड़ रु० की पूंजी भी लगेगी जिसे एक साथ जुटाना सरल काम नहीं। इसलिये भारत सरकार इस योजना को धीरे-धीरे चला रही है।

सन् १९५४ में इंजीनियरों की गोष्ठी ने गांवों में बिजली लगाने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए एक उपसमिति बनायी थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गांवों में बिजली लगने से खेती का उत्पादन बढ़ जाएगा, श्रम की उत्पादक शक्ति बढ़ जाएगी, गृह उद्योगों और लघु उद्योगों में घनिष्ठता बढ़ेगी और रोजगार की हालत भी बहुत कुछ सुधर जाएगी। शिक्षा, मनोरंजन तथा दूसरे कल्याणकारी साधनों की भी वृद्धि होगी। साथ ही गांव वाले रोजी-रोजगार के चक्कर में शहर की दौड़ लगाना भी छोड़ देंगे।

देश में ऐनक के शीशों का निर्माण

देश में विज्ञान और उद्योग की प्रगति में एक उल्लेखनीय बात यह है कि कलकत्ता के कांच और चीनी मिट्टी अनुसंधानशाला में ऐनक तथा खुर्दबीन आदि के शीशे तैयार करने का कारखाना चालू हो गया है।

जिन देशों में ऐनक या खुर्दबीन आदि के शीशे बनाये जाते हैं, वहां इनके निर्माण के तरीके बहुत गुप्त रखे जाते हैं। एशिया में केवल जापान में ही ये शीशे बनाये जाते हैं। यह पहला अवसर है, जब भारत में भी ये शीशे बनाये जाने लगे हैं।

वैज्ञानिक अनुसंधान और देश की प्रतिरक्षा में ये शीशे बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि खुर्दबीन न बना होता तो चिकित्सा-विज्ञान की प्रगति इतनी अधिक न हो पाती।

देश में हर साल लगभग ५-७ टन शीशों की जरूरत होती है। अब यह जरूरत देश में बने शीशों से ही पूरी हो जाएगी।

लघु उद्योग

औद्योगिक बस्तियों में २०० कारखाने शुरू

देश की विभिन्न औद्योगिक बस्तियों में छोटे उद्योगों के २०० कारखानों के लिए जगह दी गयी है। इनमें से ४६ कारखाने गिंडी (मद्रास) में, ३५ ओखला (दिल्ली) में, ३५ कटक (उड़ीसा) में, ३४ राजकोट (बम्बई) में, ३४ पालघाट और विचलों (केरल) में और १५ नैनी (उत्तर प्रदेश) में हैं।

अभी तक ११ औद्योगिक बस्तियां तैयार हो चुकी हैं और ३२ बस्तियां और बनायी जा रही हैं। केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में ७१ औद्योगिक बस्तियों के लिए धन देना मंजूर किया है। इसके लिए पिछले तीन सालों में राज्य सरकारों को ३ करोड़ २६ लाख रु० स्वीकार किया गया, जिसमें से १९५७-५८ तक ३ करोड़ रु० खर्च हो चुका है। अनुमान है कि चालू वर्ष में राज्यों को ७२ लाख रु० के ऋण मंजूर किये जाएंगे।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ओखला और नैनी में बस्तियों की व्यवस्था देखता है और अन्य बस्तियों का निर्माण तथा व्यवस्था का भार संबंधित राज्यों को सौंपा गया है। राज्य सरकारें बस्तियों के लिए जमीन लेकर उसे साफ करना, रास्ते बनाना, पानी, बिजली की व्यवस्था, मरम्मत के लिए कारखाने खोलना आदि काम करती हैं।

छोटे कारखानेदारों को कारखाने की इमारतें रियायती दरों पर किराये पर दी जाती हैं या किश्तों पर या एक बार ही पूरी दामों में बेच दी जाती हैं। भारत सरकार बस्तियों की पूरी लागत राज्यों को ऋण के रूप में देती है।

देश भर में कुल १०३ औद्योगिक बस्तियां बनायी जाएंगी। इनमें से २० सामुदायिक विकास खण्डों में और ९ प्रायोगिक योजना क्षेत्रों में होंगी। इनके निर्माण के लिए दूसरी आयोजना में १५ करोड़ रु० रखे गये हैं।

उद्योग-बस्तियां बन जाने से कारखानों को बिजली, पानी आदि सुविधाएं तो मिलती ही हैं, साथ में कई उद्योगों के एक स्थान पर आरम्भ होने से कारखानेदारों को सामूहिक रूप से अनेक लाभ होते हैं। जैसे मरम्मत के सामूहिक कारखाने खोले जा सकते हैं, उत्पादन के नये तरीके अपनाये जा सकते हैं और सामूहिक तौर पर कच्चे माल की खरीद और तैयार माल की बिक्री हो सकती है।

ओखला उद्योग पुरी में उत्पादन दुगुना हुआ

ओखला उद्योगपुरी के छोटे उद्योगों में अब हर महीने [illegible] ८ लाख रु० का सामान तैयार होने लगा है। छः महीने पहले वहां [illegible] महीने लगभग ४ लाख ५० हजार रु० का सामान तैयार होता था। [illegible] प्रकार अब वहां उत्पादन लगभग दुगुना हो गया है।

ओखला उद्योगपुरी में ३५ फैक्टरियां हैं। इनका प्रबन्ध राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम करता है। वहां रेडियो और साइकिलों के पुर्जे, मोटर [illegible] का सामान, बिजली का सामान, ब्लेड, मशीनी औजार, इस्पात के [illegible] और खिड़कियां, लोहे का इमारती सामान, थैले, प्लास्टिक का सामान तथा अन्य घरेलू चीजें बनाई जाती हैं।

उत्पादन में वृद्धि

वहां पहले हर मास १६,००० रु० के मूल्य के रेडियो के पुर्जे बनते

ो, अब ३२,००० रु० के बनने लगे हैं। आशा है कि आगे ५०,००० ३० के बनने लगेंगे। इसी प्रकार साइकिल के पुर्जे भी पहले १५,००० ३० के मूल्य के बनते थे, अब ४०,००० रु० के बनने लगे हैं और आगे ५०,००० रु० के बनने लगेंगे। मशीनें भी अब हर महीने ३०,००० रु० के मूल्य की बनने लगी हैं, पहले १५,००० रु० की बनती थीं।

सामान तैयार होने से पहले ही वहां बाहर से काफी आर्डर पहुँच जाते हैं। अब वहां से विदेशों को भी सामान भेजने का प्रयत्न किया जा रहा है, कुछ सामान तो भेजा जाने लगा है। इस प्रकार अब यहां सामान की बिक्री की कोई कठिनाई नहीं रह गयी है।

रोजगार बढ़ा

उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ वहां अब और अधिक लोगों को काम मिलने लगा है। वहां पहले ५०० कर्मचारी थे, अब उनकी संख्या बढ़कर १२५ हो गयी है। जब यहां के कारखानों में दो पाली काम होने लगेगा तब कर्मचारियों की संख्या भी बढ़कर लगभग १५,०० हो जाएगी।

सभी कारखानों को कह दिया गया है कि वे दिल्ली प्रशासन को बताएं कि उन्हें कितना कच्चा माल चाहिए। उसी के आधार पर उन्हें लाइसेंस दिए जाएंगे। दिल्ली प्रशासन ने पिछले साल वहां के कारखानों के मालिकों को ३ लाख रु० ऋण दिया। इस वित्त वर्ष में भी उनके लिए ऋण की व्यवस्था है।

कारखानों का विस्तार

अनेक उद्योग उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने कारखानों की क्षमता बढ़ा रहे हैं। इनमें रेडियो और साइकिल के पुर्जे तथा मशीनें बनाने वाले मुख्य हैं।

कुछ उद्योग दूसरे प्रकार का सामान बनाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। इस्पात के दरवाजे और खिड़कियां बनाने वाले उद्योग में अब गियर और क्लच भी बनाने का विचार किया जा रहा है। खुदाई की मशीन बनाने वाले कारखाने के मालिक ने एक बड़ी मशीन का डिजाइन तैयार किया है और उसे बनाना चाहता है। वह आग बुझाने के काम आने वाला सामान तैयार करने की भी योजना बना रहा है।

उद्योगपुरी में कर्मचारियों के लिए मकान, पानी, बिजली, बैंक, डाकखाना आदि की सुविधाएं हैं। उद्योगों को शिल्पिक सलाह दी जाती है। एक उद्योग को अब टेलीफोन भी दे दिया गया है। वहां उत्पादन बढ़ने के साथ साथ, अब कर्मचारियों की दक्षता भी बढ़ रही है।

बड़े परिमाण में दस्तकारी की चीजें बनायी जाएं

अखिल भारतीय दस्तकारी मंडल की दिल्ली में हुई सामान्य बैठक में भाषण करते हुए, उद्योग मंत्री श्री मनुभाई शाह ने इस बात पर जोर दिया कि दस्तकारी की अच्छी चीजों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि अब हमें दस्तकारी की चीजें राजा-महाराजाओं के लिये नहीं, आम लोगों के जीवन को सुखी और कलात्मक बनाने के लिये तैयार करनी चाहिएं।

उन्होंने आगे कहा कि दस्तकारी की चीजें बेचने की व्यवस्था सहकारी ढंग की होनी चाहिए और इनके उत्पादन केन्द्रों को कच्चा माल ऐसे क्षेत्रों से मिलना चाहिए, जहां वह बहुतायत से मिलता हो। राज्यों में, दस्तकारी की वस्तुओं की ओर अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिये और इनकी उन्नति के लिये निदेशक या संयुक्त निदेशक आदि विशेष अधिकारी नियुक्त होने चाहिएं। अच्छे संगठन के बिना दस्तकारियां पनप नहीं सकतीं।

दस्तकारी की चीजों का निर्यात बढ़ाने के बारे में श्री शाह ने कहा कि इसके लिए अच्छी किस्म की चीजें और बड़ी मात्रा में बननी जरूरी हैं। सरकार ने इनके निर्यात को बढ़ाने के लिए एक निगम बनाया है और अनुभवी व्यापारियों को भी इसमें साथ लिया जा सकता है।

मंत्री महोदय के भाषण के पहले मंडल की अध्यक्ष श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा कि दस्तकारियों को बढ़ाने की योजनाओं में यह ख्याल रखा जाना चाहिए कि कच्चा माल कहां अधिक मिलता है और कहां ये सस्ती बैठेंगी। उन्होंने दस्तकारियों की किस्म अच्छी और एक सी रखने पर भी जोर दिया।

श्रीमती चट्टोपाध्याय ने यह भी कहा कि हमें बाजार की मांग को जानने की और इन चीजों के प्रभावशाली प्रचार की व्यवस्था करनी चाहिये। दस्तकारियां हमारे देश की परम्परा और जीवन की सुन्दर देन हैं। इनका जैसा रूप, रंग, डिजाइन और खूबसूरती आज के युग के दूसरे साधनों से पैदा नहीं हो सकती।

भारत में नारियल रेशा उद्योग

नारियल रेशा उद्योग की उन्नति के लिए दूसरी आयोजना में, शुरू में १ करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी। इसमें ३० लाख रु० नारियल रेशा मण्डल की केन्द्रीय योजनाएं पूरी करने के लिये और ७० लाख रु० के नारियल पैदा करने वाले राज्यों की योजनाओं के लिये था।

बाद में यह जानकर कि इस उद्योग से विदेशी मुद्रा की आय हो सकती है, भारत सरकार ने इस योजना के लिये ७० लाख रु० की और मंजूरी दी है। इस प्रकार राज्यों को इस काम के लिए दूसरी आयोजना से कुल एक करोड़ ४० लाख रु० मिल जाएगा।

पिछले साल भारत के बन्दरगाहों से नारियल रेशे का ३५ हजार ३७० टन सामान, जिसकी कीमत ४ करोड़ २० लाख रु० है, विदेशों

को भेजा गया। १६५६ में ४ करोड़ २१ लाख रु० की कीमत का ३६,८६७ टन सामान भेजा गया था।

भारत सरकार ने अलेप्पी के पास नारियल रेशा अनुसंधान केन्द्र खोलने और कलकत्ते में छोटा केन्द्र खोलने की नारियल रेशा-मण्डल की योजना मंजूर कर ली है। इस पर २० लाख २८ हजार रु० खर्च आयगा। नारियल रेशा-मण्डल अब तक भारत में चार प्रदर्शनियों में हिस्सा ले चुका है और कई इनाम भी जीत चुका है। इसी कारण देश-विदेश के व्यापारी नारियल रेशे के बने सामान में रुचि ले रहे हैं और मण्डल से इस सम्बन्ध में पूछताछ कर रहे हैं।

नारियल रेशे से बनी चीजों की बिक्री के लिये १६५५ के अन्त में मण्डल ने नयी दिल्ली में एक प्रदर्शन और बिक्री-केन्द्र खोला था। नवम्बर, १६५७ के अन्त तक इस केन्द्र में ५४,५७६ रु० की बिक्री हो चुकी थी। दिल्ली क्षेत्र में नारियल रेशे से बनी चीजों के प्रचार के लिये इस केन्द्र को एक मोटर गाड़ी दी गयी है।

मण्डल की योजना चालू वर्ष में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में भी इसी तरह के केन्द्र खोलने की है। १६५८-५६ में बंगलौर और जालंधर में एक-एक केन्द्र खोलने की व्यवस्था की जा चुकी है।

भारत में रेशम उद्योग

भारत में रेशम के कीड़े पालने और रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए १६४६ में केन्द्रीय रेशम मण्डल की स्थापना की गयी। रेशम मण्डल ने दूसरी आयोजना के अन्त तक देश के रेशम उद्योग को आत्म-निर्भर बनाने का कार्यक्रम बनाया है।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों की रेशम के कीड़े पालने की योजनाओं पर दूसरी आयोजना में ५ करोड़ रु० खर्च किये जाएंगे। इसमें से १ करोड़ रु० केन्द्रीय रेशम मण्डल के कामकाज के खर्च और केन्द्रीय सरकार की योजनाओं पर खर्च किये जाएंगे। ये मण्डल द्वारा लागू की जाएंगी। १६५७-५८ में मण्डल की सिफारिशों पर राज्य सरकारों ३६,७६,५७५ रु० के अनुदान और २०,८७,०५० रु० के ऋण दि गये। बजट में ५०,००,००० रु० के अनुदान और ५०,००,००० रु के ऋण देने की व्यवस्था है।

१६५७-५८ में, केन्द्रीय निधि से इस उद्योग के विस्तार की योज नाओं को शत प्रतिशत सहायता (जमीन और इमारत का खर्च छोड़क· और सहकारी संस्थाओं के खर्च पर ७५ प्रतिशत हिस्सा ऋण के रूप दिया गया। केन्द्रीय और राज्य सरकारें अन्य योजनाओं का आधा-आ· खर्च उठाती हैं,परन्तु केन्द्र की ओर से ऋण के रूप में संचालन-पूंजी · जाती है। मण्डल के १६५७-५८ के कार्यक्रम में रेशम के कीड़े पालना शहतूत के बाग लगाना, कच्चे रेशम की बिक्री आदि और रेशम के · पालना सिखाने के लिए अखिल भारतीय केन्द्र खोलना शामिल है।

आजकल रेशम मण्डल श्रीनगर में विदेशी नस्ल के रेशम के · पालने का केन्द्र खोलने के महत्वपूर्ण कार्य में लगा है। यह योज १६५६-५७ में स्वीकार की जा चुकी थी। इस साल मैसूर में · किराये पर लेकर वहां अखिल भारतीय ट्रेनिंग संस्था खोलने की · की जा रही है।

जम्मू और कश्मीर और मैसूर के दो अधिकारी चीन में रेशम · कीड़े पालने का विशेष तरीका सीख कर आये हैं। जापान के एक विशेषज्ञ डा० वाई० तातिमा ने यहां रेशम के अनुसन्धान के विषय में [illegible] महीने तक पड़ताल की। इसके अलावा कोलम्बो योजना के [illegible] जापान के एक अन्य विशेषज्ञ, श्री कारासावा एक साल तक यहां · सम्बन्ध में काम करेंगे।

भारत में कच्चे रेशम का उत्पादन बराबर बढ़ता जा रहा है। १६५३ में कीड़ों का और दूसरी तरह का २४,६१,७५६ पौंड रेशम [illegible] हुआ। १६५६ में कच्चे रेशम का उत्पादन ३४,१३,२४५ पौंड तक पहुँच गया।

औद्योगिक गवेषणा

पौष्टिक खाद्य तैयार करने की विधि

केन्द्रीय खाद्य शिल्प विज्ञान अनुसंधानशाला, मैसूर ने बाजार में बिकने वाले दूध के चूर्ण और 'माल्ट' की तरह का एक पौष्टिक खाद्य बनाने की विधि विकसित की है, जो बच्चों, गर्भवती स्त्रियों, दूध पिलाने वाली माताओं और रोगियों आदि के लिए सहायक खुराक के रूप में काफी पुष्टिकर सिद्ध हुआ है।

अब तक ऐसे खाद्यों की मांग अधिकतर आयात से ही पूरी की जाती है। सन् १६५५-५६ में ६०,३४१ हंडरवेट दूध से बने खाद्यों का आयात हुआ, जिसका मूल्य लगभग १ करोड़ ६४ लाख रु० था।

विधि इस प्रकार है कि चने, जौ या गेहूँ जैसे अन्नों को 'माल्ट' में बदल लिया जाता है और फिर इनके दानों पर से छिलके उतार कर इतना बारीक पीस लिया जाता है कि वह १०० मैश की जाली में से

गुजर जाये। इसको फिर मूंगफली की खली के आटे के साथ मिलाया जाता है। यह आटा उस खली से बनाया जाता है जो चुने हुए और छिलका उतारे हुए मूंगफली के दानों को पानी में पीसने से मिलती है। इनके साथ फिर उचित अनुपात में भुनी हुई दालों का आटा, क्रीम निकले दूध का चूर्ण और चीनी मिला दी जाती है। इस मिश्रण को 'बी' और 'सी' किस्म के विटामिनों से समृद्ध किया जाता है। ए, डी और ई विटामिन वनस्पति घी के साथ मिलाकर इस मिश्रण में डाल दिये जाते हैं, जिससे पदार्थ को आवश्यक चिकनाई की मात्रा भी मिल जाए। अब इस मिश्रण में और आवश्यक खनिज तथा सोडियम फास्फेट, एसिड पोटाशियम फास्फेट, सोडियम सिट्रेट और सोडियम क्लोराइड जैसे प्रत्यारोधक मिलाये जाते हैं, जिससे मिश्रण को पानी में डालने से एक जैसा घोल प्राप्त होता है।

परीक्षणों से यह सिद्ध हो गया है कि यह पदार्थ बहुत पुष्टिकर है। ग्राहकों ने भी इसे काफी पसन्द किया है।

यह खाद्य अभी छोटे पैमाने पर तैयार किया गया है। इसके लिये प्रयुक्त संयन्त्र द्वारा ढाई सौ पौंड मात्र एक बार में ही तैयार किया गया है। इस पदार्थ को बड़े पैमाने पर बनाने के लिये आवश्यक उपकरण आसानी से देश में बनाये जा सकते हैं और वे अन्न को पानी में डुबोने के लिए पात्र, अन्न को माल्ट में बदलने के लिये थालियां, नियोजक (डिसइंटेग्रेटर), मिश्रण यन्त्र, ड्रायर और भूनने की मशीन आदि हैं।

जो व्यक्ति इस खाद्य को बनाने के इच्छुक हों, वे बिना शुल्क के पूरी जानकारी डायरेक्टर, सेंट्रल फूड टैक्नालाजिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट, मैसूर से प्राप्त कर सकते हैं

गन्ने से शोधित मोम बनाने की नयी विधि

राष्ट्रीय रसायनशाला, पूना ने गन्ने को साफ करके नये किस्म का मोम बनाने की एक विधि मालूम की है। इस विधि द्वारा शोधित और संपरिवर्तित मोम कई उद्योगों में कारनोबा या इसी प्रकार के अन्य मोमों के स्थान पर उपयोग में लाया जा सकता है।

कई उद्योगों में इसका उपयोग भी किया जा रहा है और इसके बारे में उत्साहवर्धक रिपोर्टें मिली हैं। इस समय चीनी के दो कारखाने अपरिष्कृत मोम बना रहे हैं। चालू मौसम में ये कारखाने प्रति दिन ६०० पौंड मोम तैयार करते हैं।

सल्फिटेशन विधि द्वारा चीनी बनाने वाले कारखानों में एक छानन निकलती है जिसको 'प्रेस मड' कहते हैं। इसी 'प्रेस मड' में गन्ने का मोम होता है। आजकल यह बेकार सा जा रहा है। इसी को उपयुक्त घोलक से मिलाकर, जिसमें मोम घुल जाय, घोलक से अपरिष्कृत मोम प्राप्त किया जा सकता है।

विधि इस प्रकार है कि अपरिष्कृत मोम को पोटाशियम या सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल से आक्सीकृत किया जाता है और फिर इसके एस्टर और एमाइड संजात बनाये जाते हैं। इस विधि का महत्व इस बात में है कि अपरिष्कृत मोम को उचित अवस्थाओं के अन्दर आक्सीकृत किया जाता है, जिससे काफी ऊंचे अम्लमान का पदार्थ बन जाता है। इसका फिर रासायनिक संपरिवर्तन किया जाता है, जिससे इसमें आवश्यक गुण आ जाते हैं, जैसे कि विलायकों में घुलना आदि। इस प्रकार का संपरिवर्तित मोम कई उद्योगों में काम में आता है, जैसे कि एस्टर मोम कार्बन के कागज बनाने के लिये और एमाइड मोम और एस्टर मोम का मिश्रण पालिशिंग मोमों के लिये उपयोग में लाया जाता है।

कारनोबा, मोनटन और इसी प्रकार के अन्य मोम चमड़े और फर्शों की पालिश, कार्बन के कागज और छापे की रोशनाई आदि बनाने के काम में लाये जाते हैं। सन् १९५७ में लगभग ८ लाख ५० हजार रु० के मूल्य के मोनटन, कारनोबा और अन्य खनिज तथा वनस्पतिक मोमों का आयात हुआ। इनमें पैराफिन मोम शामिल नहीं है और इनमें अधिक मात्रा कारनोबा मोम की थी। इस मोम की मात्रा १६७६ हन्डरवेट थी, जिसका मूल्य ६ लाख ६२ हजार रु० होता है। देश में ऐसे मोम या उनके स्थान पर उपयोग के लिये अन्य संतोषजनक पदार्थों का उत्पादन नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त दस लाख रु० के मूल्य की ऐसी वस्तुएं भी, जिनमें मोम पड़ता है, विदेशों से मंगाई जाती हैं।

मध्यम दर्जे का चीनी का एक भारतीय कारखाना प्रति दिन एक हजार टन गन्ना पेलता है और यह कारखाना १२० से १५० दिन तक चालू रहता है। गन्ने के भार का एक प्रतिशत 'प्रेस मड' मिलता है और इस 'प्रेस मड' में ७ से १५ प्रतिशत तक मोम होता है। इस प्रकार एक कारखाने से कम से कम ६६ टन अपरिष्कृत मोम मिल सकता है। इस समय भारत में १८० चीनी के कारखाने हैं, जिनमें से १५० सल्फिटेशन विधि द्वारा चीनी बना रहे हैं और उनसे निकले हुए 'प्रेस मड' से लगभग १४ हजार टन अपरिष्कृत मोम मिल सकता है।

इस विधि से मोम का शोधन करने पर बेसिक क्रोमियम सल्फेट भी मिलता है, जिसकी खपत चमड़ा रंगने वाले कारखानों में होने की सम्भावना है।

रसायन शाला में दस-दस पौंड मोम पर प्रयोग करने पर ७०-८० प्रतिशत आक्सीकृत मोम प्राप्त हुआ है। इससे सरलता से बड़े पैमाने पर शोधित तथा संपरिवर्तित मोम बनाया जा सकता है।

इसके लिये जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है, वे सीसे की तरह दिये हुये स्टीम जैकेटिड पात्र, गैस से गरम होने वाले स्टेनलैस स्टील

के पात्र और घोलने, पीसने और पपड़ियां बनाने वाली मशीनें हैं। यह सब उपकरण देश में ही बनाये जा सकते हैं।

जो व्यक्ति इस उद्योग के व्यापारिक विकास में रुचि रखते हों, वे और अधिक जानकारी के लिये निम्न लिखित अधिकारी को लिखें: 'सेक्रेटरी, नेशनल रिसर्च डेवेलपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया, मण्डी हाउस, लिटेन रोड, नयी दिल्ली—१'।

नकली दांतों का निर्माण

कलकत्ता की केन्द्रीय कांच और चीनी मिट्टी अनुसंधानशाला ने नकली दांत बनाने का तरीका निकाला है।

पहले चीनी मिट्टी और फेलस्पार (एक धातु) को उचित अनुपात में मिला कर उसमें से लौह तत्व निकाल दिया जाता है। फिर उसे पानी और अन्य रसायन मिलाकर लुगदी जैसा बना दिया जाता है। तब उसे ढांचे में ढाला जाता है, तपाया जाता है और उस पर अन्तिम पालिश की जाती है।

इस प्रकार बने नकली दांत हर प्रकार से विदेशों से मंगाये जाने वाले नकली दांतों की तरह होते हैं। कलकत्ता में दांत के कालेज और अस्पताल में तथा दांत के दो प्रसिद्ध डाक्टरों ने अलग-अलग उन नकली दांतों की जांच की और उन्हें हर प्रकार से ठीक पाया।

इस तरीके की एक विशेषता यह है कि इसमें काम आने वाला सभी कच्चा माल देश में आसानी से मिलता है।

शिल्प विद्यालय की स्थापना के लिए जर्मनी से करार

प० जर्मनी की राजधानी बोन में ७ अगस्त १९५८ को भारत और जर्मनी की ओर से एक ऐसे करार पर हस्ताक्षर किये गये, जिसके अनुसार मद्रास में एक उच्च-शिल्प विद्यालय स्थापित किया जायगा। करार पर, भारत की ओर से भारत के राजदूत, श्री तैयबजी ने और जर्मन संघीय गणराज्य की ओर से वहां के परराष्ट्र मंत्रालय के डा० वान शरपंनबग ने हस्ताक्षर किये।

करार के अनुसार जर्मन सरकार भारत को १ करोड़ ५० लाख मार्क के मूल्य का आवश्यक सामान और अध्यापक देगी। जुलाई, १९५९ में इस विद्यालय में पढ़ाई और अनुसंधान कार्य आरम्भ करने का विचार है।

शुरू में जर्मन अध्यापक इस विद्यालय में पढ़ायेंगे, लेकिन साथ ही भारतीयों को जर्मनी में शिक्षा के लिए भेजा जायगा, ताकि वहां से आकर ये लोग जर्मनों का स्थान ले लें।

प्रतिमानीकरण की प्रगति

भारतीय प्रतिमान संस्था ने हाल ही में अनेक प्रतिमान प्रकाशित किये हैं। इनका विवरण संक्षेप में नीचे दिया जाता है:—

सीसा, जस्ता और उनके मिश्रण

भारतीय प्रतिमान संस्था ने लोगों की राय जानने के लिए सीसे, जस्ते और उनकी मिश्र-धातुओं के चार प्रतिमान प्रकाशित किए हैं।

पहला प्रतिमान जस्ते की मिश्र धातुओं पर परत चढ़ाने के सम्बन्ध में है, ताकि नमी में उन धातुओं पर जंग न लगे। लोहे की तथा अलौह धातुओं की चीजों को अधिक समय तक अच्छी हालत में रखने के लिए उन्हें जंग लगने से बचाना जरूरी है। इसलिए जस्ते की मिश्र धातुओं को जंग से बचाने के लिए परत और परत चढ़ाने के बारे में यह प्रतिमान तैयार किया गया।

दूसरा प्रतिमान सीसे की मिश्र-धातु के ऐसे पिंडों के सम्बन्ध में है, जिनसे बिजली के केबिल बनाए जाते हैं। इस मिश्र-धातु से बिजली के अलावा टेलीफोन के केबिल भी बनाए जा सकते हैं।

तीसरा प्रतिमान जस्ते की चद्दरों और टुकड़ों के लिए है। इन चद्दरों और टुकड़ों से पानी की टंकियां, बैटरियों के खोल, ब्वायलर और जहाजों की प्लेटें आदि अनेक चीजें बनायी जाती हैं। इस प्रतिमान में पांच किस्म के जस्ते का विवरण दिया गया है।

चौथा प्रतिमान छापेखानों में ढलाई के काम आने वाले धातु के पिंडों के बारे में है। इनमें चार किस्म की धातुओं का विवरण दिया गया है: लीनोटाइप। इण्टरटाइप में काम आने वाली धातु, मोनोटाइप में काम आने वाली धातु, स्टीरियो मेटल और इलेक्ट्रोटेकिंग मेटल।

कीड़े मारने के पदार्थ

भारतीय प्रतिमान संस्था ने कीड़ा मारने के द्रव्यों के निम्न ७ प्रतिमानों ने मसविदे प्रकाशित किये हैं—आल्डरीन टेक्नीकल, आल्डरीन घोल, आल्डरीन का चूरा, एंड्रीन टेक्नीकल, एंड्रीन घोल, एथीलीन डिब्रोमाइड और मेथील ब्रोमाइड।

खेती को कीड़ों से बचाने के लिये आल्डरीन और एंड्रीज से बने अनेक पदार्थ बहुत उपयोगी साबित हुए हैं।

खेती की फसल, पशु जन्य पदार्थ, ताजे फल, तरकारी, अनाज, लकड़ी के सामान तथा कच्चे और पक्के चमड़े को कीड़ों से बचाने के लिये एथेलीन डिब्रोमाइड की धूप दी जाती है। यह कपड़ों तथा जमीन के कीड़ों को भी मार सकती है।

खेतों में दवा छिड़कने का मढ़ा हुआ पाइप

भारतीय प्रतिमान संस्था ने लोगों की राय जानने के लिए खेतों में दवा छिड़कने का रेयन या कपड़ा मढ़े मोटे पाइप का प्रतिमान प्रकाशित किया है।

इस पाइप से बगीचों, उद्यानों, चाय और कहवा के बागान आदि में कीड़े मारने की ऐसी दवा छिड़की जाती है, जिसमें तेल न हो। इस

पाइप से अधिक से अधिक ६०० पौण्ड वर्ग इंच दबाव पर दवा छिड़की जा सकती है।

इस प्रतिमान पर लोग अपने विचार १६ सितम्बर १९५८ से पहले "इंडियन स्टैण्डर्ड्स इंस्टिट्यूशन, ६ मथुरा रोड, नयी दिल्ली" को भेज सकते हैं।

लकड़ी के पेंचों के लिए मुलायम इस्पाती तार

भारतीय प्रतिमान संस्था ने लोगों की राय जानने के लिए लकड़ी के पेंच बनाने में काम आने वाले मुलायम इस्पात के तार का प्रतिमान प्रकाशित किया है।

पहले यह समझा गया था कि मुलायम इस्पात के तार का जो प्रतिमान (आई एस : २८०-१९५१) प्रकाशित किया गया है, वह लकड़ी के पेंच बनाने में काम आने वाले मुलायम इस्पात के तार के लिए भी ठीक रहेगा। परन्तु बाद में प्रतिमान तैयार करने वाली विभागीय समिति ने इसके लिए अलग प्रतिमान तैयार करने का निर्णय किया। इसीलिए उक्त प्रतिमान प्रकाशित किया गया है।

प्रतिमान पर अपने विचार, ३० सितम्बर १९५८ से पहले भेजे जा सकते हैं।

फ्लैश लाइट और इनर्ट सेल के लिए ड्राई बैटरी

भारतीय प्रतिमान संस्था ने लोगों की राय जानने के लिए फ्लैशलाइट और लेक्लेंच इनर्ट सेल में काम आने वाली ड्राई बैटरियों के संशोधित प्रतिमान प्रकाशित किये हैं। इससे पहले क्रमशः १९५० और १९५१ में भी इनके प्रतिमान प्रकाशित किए गए थे। अब ये प्रतिमान अन्तर्राष्ट्रीय बिजली शिल्पिक आयोग के द्वारा प्रकाशित प्रतिमान के आधार पर तैयार किए गए हैं।

टाइपराइटरों के कार्बन-कागज

भारतीय प्रतिमान संस्था ने लोगों की राय जानने के लिए टाइपराइटरों के लिए आवश्यक कार्बन कागज का प्रतिमान प्रकाशित किया है। इसमें कार्बन-कागज तथा उसके नमूने की जाच के तरीके आदि के बारे में जानकारी दी गयी है। अनुमान है कि कार्बन-कागजों के उत्पादकों को इससे लाभ होगा।

इस प्रतिमान पर लोग अपनी राय १५ सितम्बर, १९५८ से पहले 'भारतीय मानक संस्था, ६-मथुरा रोड, नयी दिल्ली' के पते पर भेज सकते हैं।

बिजली और गैस चालित मशीनों से हिफाजत

भारतीय प्रतिमान संस्था ने बिजली और गैस से झलाई और कटाई का काम करने वालों की सुरक्षा और स्वास्थ्य रक्षा के लिये एक कार्य विधि (आई एस. ८१८-१९५७) बनाई है।

इसके अनुसार काम करने से बिजली और गैस की मशीनों से लगने वाली चोट, बिमारी और आग की चिनगारी आदि से बचाया जा सकेगा। इस प्रतिमान में धातु काटने की इन मशीनों में लगाये जाने वाले सभी उपकरणों का भी विवरण दिया गया है।

अंग्रेजी में छपी हुई इस प्रतिमान की प्रतियां भारतीय मानक संस्था के नयी दिल्ली—१, बम्बई—१, कलकत्ता—१ और मद्रास—१ स्थित कार्यालयों से मगाई जा सकती हैं।

प्रतिमान संस्था के प्रमाण चिन्ह का लाइसेंस

भारतीय प्रतिमान संस्था ने मैसर्स एस्ट्रेला बैटरीज लि०, बम्बई को, अपने फ्लैश लैम्पों में काम आने वाले लेक्लेंच टाइप ड्राई सैलों और बैटरियों पर संस्था का प्रमाण चिन्ह लगाने का लाइसेंस दे दिया है।

प्रमाण चिन्ह में संस्था का नामांक और प्रतिमान का नाम लिया गया है। प्रमाण चिन्ह से अंकित सैल या बैटरी का मतलब यह होगा कि ये भारतीय प्रतिमान के अनुसार बनाये गये हैं। संस्था ने इस प्रकार का यह पहला लाइसेंस दिया है।

यदि किसी ग्राहक को प्रमाण चिन्ह-अंकित, उक्त कम्पनी के किसी भी सैल या बैटरी की किस्म के बारे में कोई सन्देह हो तो उसे उक्त कम्पनी और भारतीय मानक संस्था को लिखना चाहिये।

वाणिज्य-व्यवसाय

अमरीकी मन्दी से भारत का निर्यात घटा

लोकसभा में वित्त उपमंत्री, श्री बलिराम भगत ने बताया कि भारत सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि अमरीकी बाजारों की मन्दी का यहां की आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इससे हमारे निर्यात से होने वाली आय पर बुरा प्रभाव पड़ा है और यह आय जनवरी-मई १९५८ में पिछले साल की अपेक्षा २८ करोड़ रु० कम हुई है। डालर क्षेत्रों में निर्यात किये जाने वाले माल में २ करोड़ ५० लाख रु० की कमी हुई। अन्य क्षेत्रों में माल के निर्यात में जो कमी हुई है, उसके कुछ विशिष्ट कारण हैं, जैसे ब्रिटेन ने पहले से ही पर्याप्त मात्रा में चाय जमा कर ली थी। बाजारों की मन्दी के फल से कच्चे मैंगनीज, काली मिर्च के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा है। फिर भी निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है।

अप्रैल १९५८ में भारत का विदेशी व्यापार

वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन विभाग में अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार १९५८ में निजी और सरकारी रूप में जल, थल और हवाई मार्ग से भारत के विदेशी व्यापार के कच्चे आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

व्यापारी माल :—इसमें भारत से होकर पाकिस्तान तथा अन्य देशों—नेपाल, तिब्बत, सिक्किम और भूटान को आने जाने वाला माल शामिल नहीं है। निर्यात ४१ करोड़ ४२ लाख; पुनर्निर्यात—३१ लाख; आयात—६० करोड़; कुल व्यापार—१ अरब १ करोड़ ७३ लाख रु०।

कोष :—नोटों का निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)—१६ लाख रु०; सोना—कुछ नहीं; चालू सिक्के (सोने के सिक्कों के अलावा)—२लाख रु०; नोटों का आयात—२ करोड़ ९२ लाख; सोने का आयात—४ लाख रु०; चालू सिक्कों का आयात (सोने के सिक्कों के अलावा)—कुछ नहीं।

व्यापार तुला :—आयात के उक्त आंकड़ों में वह सरकारी सामान शामिल नहीं है, जिसका हिसाब होना बाकी है। इसे ध्यान में रखकर यदि आयात निर्यात की तुलना की जाए तो व्यापारी माल और सोने का कुल निर्यात (जिसमें पुनर्निर्यात भी शामिल है) आयात से १८ करोड़ ३१ लाख रु० कम रहा।

मई ५८ में भारत का विदेशी व्यापार

अब तक की जानकारी के अनुसार, मई १९५८ में निजी और सरकारी रूप में जल, थल और हवाई मार्ग से भारत के विदेशी व्यापार के कच्चे आंकड़े निम्नलिखित हैं—

व्यापारी माल :—इसमें भारत से होकर पाकिस्तान तथा नेपाल, तिब्बत, सिक्किम और भूटान को जाने वाला माल शामिल नहीं है। निर्यात ४४ करोड़ ८ लाख रु०, पुनर्निर्यात ६३ लाख रु०, आयात ६३ करोड़ २९ लाख रु०। कुल व्यापार १ अरब ८ करोड़ रु०।

कोष :—नोटों का निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)—५७ लाख रु०, सोना कुछ नहीं। चालू सिक्के (सोने के सिक्कों के अलावा) कुछ नहीं। नोटों का आयात—७ करोड़ ७१ लाख रु०। सोने का आयात—४ लाख रु०। चालू सिक्कों का आयात—(सोने के सिक्कों को छोड़कर) कुछ नहीं।

व्यापार-तुला :—आयात के उक्त आंकड़ों में वह सरकारी सामान शामिल नहीं है, जिसका हिसाब होना बाकी है। इसे ध्यान में रखकर यदि आयात-निर्यात की तुलना की जाए तो व्यापारी माल और सोने का कुल निर्यात (पुनर्निर्यात को लेकर) आयात से १८ करोड़ ६२ लाख रु० कम रहा।

इन्दोनेशिया से व्यापार-करार की अवधि बढ़ी

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति के अनुसार इन्दोनेशिया और भारत के बीच व्यापार करार की अवधि ३१ दिसम्बर,१९५८ तक बढ़ा दी गयी है।

जकार्ता में भारतीय दूतावास के निदेशार्थ और इन्दोनेशिया सरकार की ओर से वहां के परराष्ट्र मंत्रालय के महासचिव में इस आशय के पत्रों का आदान-प्रदान हुआ।

करार के अनुसार भारत से निम्नलिखित वस्तुएं इन्दोनेशिया को निर्यात की जाएंगी : सूती कपड़ा और धागा, पटसन का सामान, तम्बाकू, अलसी का तेल, लोहे का सामान, औषधियां, रासायनिक पदार्थ, चाय, खेल-कूद का सामान, रबड़ के टायर और ट्यूब, चीनी मिट्टी के बर्तन, कागज, मशीनें (जिनमें खेती के औजार भी शामिल हैं), डीजल इंजन, गन्ना पेरने के कोल्हू, सूती कपड़े बुनने की मशीनें, सिलाई की मशीनें, लालटेनें, और घरेलू बर्तन इत्यादि।

इन्दोनेशिया से भारत को जो वस्तुएं भेजी जाएंगी, उनकी सूची इस प्रकार है : नारियल और नारियल का तेल, सारीय तेल, मसाले, इमारती लकड़ी, टीन, रबड़, चमड़ा और खाल, बेंत, गोंद, रंगाई का सामान आदि।

पटसन और सीमेंट के उद्योग के लिए सामान

मारत सरकार ने पटसन और सीमेंट उद्योगों के लिये आवश्यक सामान और ट्रक तथा जीप गाड़ियों के बनाने में काम आने वाले

सामान के आयात के लिये लाइसेन्स देने का निर्णय किया है। इन लाइसेन्सों के लिये बाद में भुगतान करने की शर्त नहीं रखी जाएगी और यदि कोई योजना बहुत ही महत्व की हो तो उसके लिये अमेरिका की विकास-ऋण निधि से धन दिया जाएगा। अमेरिका की सरकार भारत को उक्त निधि में से डालर देने के लिये तैयार है। फिलहाल पटसन और सीमेंट उद्योग के सामान के आयात के तरीके बताये गये हैं।

सीमेंट उद्योग के लाइसेंसों से सम्बन्धित अर्जियां 'चीफ कंट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स' को औद्योगिक सलाहकार (रसायनिक पदार्थ) के मार्फत भेजी जाना चाहिये। अर्जी की एक प्रति वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उप-आर्थिक सलाहकार को भेजी जानी चाहिए। पटसन उद्योग के लाइसेंसों से सम्बन्धित अर्जियां 'ज्वाइंट चीफ कंट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स, कलकत्ता' को 'ज्यूट कमिश्नर कलकत्ता' की मार्फत भेजी जानी चाहिये और अर्जी की एक प्रति उप-आर्थिक सलाहकार को भी भेजी जानी चाहिए।

आयातकों को चाहिये कि यदि वे ३१ दिसम्बर १९५९ से पहले सामान चाहते हों तो उसके लिये अभी से लेकर दिसम्बर १९५८ तक करार कर लें। जो सामान अमेरिका से सप्लाई होगा उसका बीमा अमेरिकी कम्पनी की मार्फत और अमेरिका के *अलावा अन्य देश से* मंगाये जाने वाले सामान का बीमा भारतीय बीमा कम्पनी की मार्फत करवाना पड़ेगा।

इस प्रकार आयात किये जाने वाले सामान में मशीनों के अलावा कारखाने के निर्माण का सामान जैसे इस्पात, मिट्टी हटाने के यन्त्र, बिजली का सामान, मशीनों के पुर्जे आदि शामिल हैं। इन चीजों के आयात के लिये चालू नियम लागू होंगे और जो माल देश में मिल सकता है उसे बाहर से मंगाने की इजाजत नहीं दी जायेगी।

इस कार्यक्रम के अनुसार जो सामान आयात किया जायेगा उसकी शर्तें आदि आयात व्यापार नियंत्रण की सार्वजनिक विज्ञप्तियों में प्रकाशित की जा चुकी हैं।

यदि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आयात के लिए अर्जियां दी जा चुकी हैं तो पटसन और मोटर गाड़ियों के उद्योग के लिए दुबारा अर्जी देने की आवश्यकता नहीं है।

राई-सरसों के तेल का निर्यात कोटा

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार भारत सरकार ने राई-सरसों के तेल के निर्यात के बारे में अपनी नीति पर फिर से विचार करके सितम्बर, १९५८ के अन्त तक ५ हजार टन तेल निर्यात के लिए देने का निश्चय किया है। निर्यात अधिकारियों ने तेल के निर्यात के लिए लाइसेन्स देने की विधि बन्दरगाहों पर, विस्तार से प्रकाशित की है।

सीमेन्ट का निर्यात

लोक सभा में उद्योग मन्त्री श्री मनुभाई शाह ने बताया कि इस साल लगभग २ लाख टन सीमेन्ट निर्यात करने का प्रस्ताव है और इससे लगभग ८० लाख रु० के मूल्य की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

यह निर्यात राज्य व्यापार निगम की ओर से किया जायगा। निर्यात से जो हानि होगी, उसे कुछ तो राज्य व्यापार निगम उठायेगा और कुछ केन्द्रीय सरकार उठायेगी। इसके अलावा जहां तक सम्भव होगा सीमेन्ट उद्योग भी इस हानि का कुछ भाग उठायेगा। मोटे तौर पर भारत में बनी सीमेन्ट की लागत कई प्रमुख सीमेन्ट उत्पादक देशों से अधिक है, जबकि कुछ अन्य देशों की तुलना में यहां की सीमेन्ट का उत्पादन खर्च कम बैठता है।

राज्य व्यापार निगम सीमेन्ट के विभिन्न कारखानों से सीमेन्ट प्राप्त करता है और देश भर के विभिन्न सीमेन्ट व्यापारियों तथा वितरकों को देता है। इन सब कामों के लिए उसे केवल ६० नये पैसे प्रति टन मिलते हैं। इसमें से राज्य व्यापार निगम का, अलग सीमेन्ट शाखा खोलने पर तथा उनके कर्मचारियों पर २० से २५ नये पैसे प्रति टन खर्च बैठता है। यह अनुमान लगाया गया है कि सीमेन्ट मंगाने तथा बाटने के काम में राज्य व्यापार निगम को पूरे साल भर में लगभग ३० लाख रु० का फायदा हुआ। किन्तु वास्तव में कितना लाभ हुआ है यह ३० जून १९५८ को समाप्त होने वाले साल का पूरा लेखा-जोखा तैयार होने पर ही पता लग सकता है। श्री शाह ने बताया कि बहुत सम्भव है कि सीमेन्ट के निर्यात के कारण जो हानि होगी, उससे राज्य व्यापार निगम को इसमें कोई उल्लेखनीय लाभ न हो।

सरकार ने बाजार में सीमेन्ट का भाव प्रति टन ११७ रु० ५० नये पैसे निर्धारित किया है। इसमें गन्तव्य स्थान तक माल पहुँचाने का रेल भाड़ा शामिल नहीं है। यह भाव उत्पादकों को कारखाने के भाव, उत्पादन शुल्क, पैकिंग खर्च, दुलाई, बिक्री कर बेचने के खर्च आदि को ध्यान में रख कर निर्धारित किया गया है।

कर आदि की दर इस प्रकार निर्धारित की गयी है:—उत्पादकों को औसतन ५८ रु० १० नए पैसे, पैकिंग का खर्च १३ रु० ५० नये पैसे, दुलाई का औसतन खर्च, १८ रु०, उत्पादन शुल्क १४ रु०, बिक्री कर १ रु०, बेचने वाली संस्था को सीमेन्ट बेचने का खर्च १ रु० ५० नये पैसे, राज्य व्यापार निगम को ६० नये पैसे और फुटकर ३० नये पैसे।

बिनौले के तेल का निर्यात

सामुदायिक विकास खण्डों में लोगों को बिनौले से तेल निकालने और मवेशियों को उसकी खली खिलाने के बारे में बताया जाएगा।

इस प्रकार हम बिनौले का तेल बाहर भेजकर विदेशी मुद्रा कमा सकेंगे। यह काम शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

देश में लगभग १४ लाख टन बिनौला होता है, परन्तु इसमें से केवल १ लाख टन का तेल निकाला जाता है। बाकी बिनौला मवेशियों को खिलाने के काम आता है। जांच करने से पता चला है कि बिनौले में जो चिकनाई होती है, वह मवेशी पूरी तरह हजम नहीं करता और इस प्रकार काफी मात्रा में चिकनाई बेकार जाती है।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधानशाला में खोज करके यह भी पता चला है कि बलों को बिनौले या बिनौले की खली देने से लगभग एक ही प्रकार के पौष्टिक तत्व मिलते हैं। इसी प्रकार गायों को बिनौले या बिनौलों की खली देने से उनकी दूध की मात्रा में या दूध के पौष्टिक तत्वों में कोई अंतर नहीं आता। विस्तार खण्डों के कर्मचारी और ग्राम सेवक गांव वालों को मवेशियों को बिनौले की खली देने के बारे में बताएंगे।

हाल ही में आबू पहाड़ पर राष्ट्रीय सामुदायिक विकास सम्मेलन हुआ था। उसमें सिफारिश की गयी थी कि गांव के लोगों को बताने के अलावा इसका प्रयोग सरकार के सभी पशु-पालन केन्द्रों, डेरियों, पशु अनुसंधान केन्द्रों, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों आदि में भी होना चाहिये। मवेशियों को बिनौले की खली देने का प्रयोग निजी डेरियों में भी किया जाएगा।

चीनी का भाव और निर्यात

श्री जैन ने लोक सभा में बताया कि चीनी-निर्यात प्रोत्साहन अध्यादेश, १९५८, के जारी किये जाने के बाद जुलाई १९५८ तक मलाया, सूडान और फारस की खाड़ी के बन्दरगाहों को निर्यात के लिये १७ हजार टन चीनी बेची गयी। अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है, जिसमें निर्यात के लिये चीनी देने के वास्ते किसी कारखानेदार ने आना-कानी की हो।

सरकार ने ३० जुलाई, १९५८ को उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार के कारखानों के लिए चीनी का भाव ३६ रु० मन और पंजाब के कारखानों के लिए ३६.५० रु० प्रति मन तय कर दिया है। आजकल संसार के बाजारों में चीनी का जो भाव है, उसके अनुसार हमें ५० हजार टन चीनी के निर्यात पर लगभग १ करोड़ २५ लाख रु० की हानि उठानी पड़ेगी। चीनी के निर्यात की घोषणा करते समय यह अनुमान लगाया गया था कि कारखानों में चीनी के जो भंडार हैं, उन पर लगभग ८ आने प्रति मन के हिसाब से हानि उठानी पड़ेगी। देश में चीनी की बिक्री से इस कमी को पूरा कर लिया जायेगा।

चीनी की खुदरा बिक्री के भाव के बारे में उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न भागों में चीनी का भाव २ से ७ प्रतिशत तक बढ़ा, परन्तु अब वह गिर गया है।

खुली बिक्री के लिए चीनी

भारत सरकार ने १९५७-५८ में तैयार चीनी में से १ लाख ६५ हजार टन चीनी खुली बिक्री के लिए दे दी है। उत्तरप्रदेश, उत्तर बिहार और पंजाब की फैक्टरियों की चीनी उस भाव (एक्स फैक्टरी) से अधिक पर नहीं बेची जाएगी, जिसे भारत सरकार ने ३०-जुलाई, १९५८ को निर्धारित किया था।

छोटी मशीनों के निर्यात को प्रोत्साहन

साइकिलों, सिलाई की मशीनों आदि छोटी मशीनों या इंजीनियरी के माल का निर्यात बढ़ाने के लिये वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय तथा निर्यात वृद्धि परिषद विशेष प्रयत्न कर रहे हैं। मंत्रालय का निर्यात प्रोत्साहन विभाग इसके लिये कई प्रकार की योजनाएं चला रहा है। इन योजनाओं के अनुसार इन उद्योगों को कच्चा माल और मशीनें दी जाती हैं और विदेशों से आवश्यक सामग्री मंगाने के लिये लाइसेंस दिये जाते हैं।

इसके अलावा निर्यात होने वाली २० प्रकार की मशीनों में काम आने वाले पुर्जों आदि का उत्पादन-शुल्क या आयात-शुल्क भी वापस कर दिया जाता है। इन चीजों में डीजल इंजन, साइकिलें, सिलाई की मशीनें, मोटर-गाड़ियां, बसों के ढांचे, स्पार्किंग प्लग, बैटरियां और सैल, बिजली के पंखे, तार-टेलीफोन आदि के यन्त्र, रेडियो पंप, लालटेनें और तार की बनी चीजें आदि मुख्य हैं।

अल्मुनियम के बर्तन, मोटर-गाड़ियां और छाते बनाने वालों को माल पर रुपया उधार देने की भी व्यवस्था है। मालगाड़ी के डिब्बों और जहाजों में, निर्यात होने वाले माल के लिए, जगह दिलायी जाती है और विदेशी सरकारों से भारत सरकार के जो व्यापार करार होते हैं, उनमें भी इन चीजों के निर्यात की व्यवस्था की जाती है। राज्य व्यापार निगम, पूर्वी यूरोप के देशों और चीन से इस तरह की मशीनों के कारखानों को, आर्डर दिलाने में सहायता करता है।

भारत सरकार निर्यात बढ़ाने के लिये निर्यात वृद्धि परिषद को धन की सहायता देती है। यह परिषद विदेशी बाजारों की मांग का पता लगाती है और वहां भारतीय माल की खपत बढ़ाने के उपाय करती है। परिषद की ओर से विदेशों को व्यापारियों के प्रतिनिधि मण्डल भी भेजे जाते हैं।

१९५८ की पहली छमाही में १ करोड़ ९३ लाख रु० के मूल्य की ये मशीनें यानी इंजीनियरी का सामान बाहर भेजा गया।

सीमेंट सम्बन्धी नियंत्रण में ढिलाई

अधिकांश राज्यों में अब लोगों को बिना परमिट ही सीमेंट दिया जाने लगा है। अन्य राज्यों में भी सीमेंट पर जो नियंत्रण था, उसमें

काफी ढिलाई कर दी गयी है। साल के शुरू में देश में सीमेंट की कमी नहीं रह गयी थी, इसलिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सीमेंट के नियन्त्रण में ढिलाई करने को कहा था। उसी के फलस्वरूप अब सभी स्थानों में सीमेंट आसानी से मिलने लगा है।

इस समय निम्न राज्यों और केन्द्र-शासित क्षेत्रों में सीमेंट बिना परमिट दिया जाता है : आन्ध्र प्रदेश, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मैसूर, पंजाब, राजस्थान और प० बंगाल तथा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और पाण्डिचेरी।

उत्तर प्रदेश में कुल उपलब्ध सीमेंट का ८० प्रतिशत भाग बिना परमिट दिया जाता है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में ७५ प्रतिशत, मद्रास में ७५ प्र० श०, उड़ीसा में ५० प्रतिशत और बम्बई के ६ जिलों में ७५ प्रतिशत दिया जाता है।

असम और त्रिपुरा में अभी परमिट से सीमेंट दिया जाता है। परिवहन आदि की कठिनाइयों से वहां सीमेंट कम पहुंचता है, इसलिए वहां अभी परमिट लागू है।

विदेशों को भारतीय सीमेंट भेजने के लिए भी कोशिश की जा रही है। इस वर्ष विदेशों को २ लाख टन सीमेंट भेजने का निर्णय किया गया है। विदेशों से ६७,५५० टन के लिए आर्डर आ चुके हैं और ६५,००० टन सीमेंट के आर्डरों के बारे में बातचीत चल रही है।

कच्चे माल के आयात के लिए फर्मों की रजिस्ट्री

विदेशों से कच्चे माल के आयात के लाइसेंसों के लिए फर्मों को निर्यात वृद्धि योजना के अन्तर्गत, हर छः महीने पर अपनी फर्म का नाम रजिस्टर कराना पड़ता था। सरकारी तौर पर यह घोषित किया गया है कि अब ऐसा करना आवश्यक नहीं है।

आयात-नीति पुस्तक के परिशिष्ट—२३ के अनुसार, निर्यात-वृद्धि योजना के अन्तर्गत फर्मों को आयात के लिए लाइसेंस देने वाले संबंधित अधिकारियों के पास अपने नाम रजिस्टर करवाने पड़ते हैं। अब यह निर्णय किया गया है कि फर्मों को एक बार रजिस्ट्री करवाने के बाद दुबारा रजिस्ट्री करवानी नहीं पड़ेगी। उसका नाम तब तक रजिस्टर्ड रहेगा, जब तक किसी विशेष कारण से उसका नाम हटा न दिया गया हो। यदि कोई फर्म रजिस्ट्री करवाने के बाद योजना के अन्तर्गत १२ महीने तक लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र नहीं भेजती है, तो उसका नाम हटा दिया जाएगा।

अप्रैल और मई में नयी कम्पनियों की रजिस्ट्री

इस साल अप्रैल और मई में कम्पनी अधिनियम, १९५६, के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में १६८ नयी कम्पनियां रजिस्टर की गयीं। इनकी अधिकृत पूंजी २८ करोड़ रुपए से अधिक थी। इनमें से ६ कम्पनियां सरकारी हैं, जिनकी अधिकृत पूंजी १४ करोड़ ६० लाख रु० है और १६२ निजी कम्पनियां हैं, जिनकी अधिकृत पूंजी लगभग १३ करोड़ ६० लाख रु० है।

अप्रैल में तीन सरकारी कम्पनियां रजिस्टर की गयीं। इनमें से पहली हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, राजस्थान में; दूसरी केरल वाटर ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड केरल में और तीसरी इंडियन हैंडीक्राफ्ट डेवेलपमेंट, दिल्ली में स्थापित की गयी। इनमें से हरेक की अधिकृत पूंजी १ करोड़ रु० है। इसके अलावा बम्बई में २ करोड़ रु० की अधिकृत पूंजी वाली एक कम्पनी, पार्क डेविस इंडिया लिमिटेड रजिस्टर की गयी। इसी अवधि में बम्बई में रांचे प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड और प० बंगाल में ओरियन केमीकल्स लिमिटेड कम्पनियां खोली गयीं। इनमें से पहली की अधिकृत पूंजी २ करोड़ रु० तथा दूसरी की १ करोड़ रु० थी।

मई में तीन बड़ी कम्पनियां रजिस्टर की गयीं। इनमें से १० करोड़ रु० की अधिकृत पूंजी वाली बड़ौदा रेयन कार्पोरेशन लिमिटेड और १ करोड़ रु० की अधिकृत पूंजी वाली स्पेशल स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड, ये दो कम्पनियां बम्बई में तथा ३ करोड़ रु० की अधिकृत पूंजी वाली मैसूर सीमेंट लिमिटेड कम्पनी मैसूर में रजिस्टर की गयी थी।

इस अवधि में सबसे अधिक नयी कम्पनियां प० बंगाल में रजिस्टर की गयीं, जबकि बम्बई में सबसे अधिक अधिकृत पूंजी वाली कम्पनियां रजिस्टर की गयीं।

३,६०० से अधिक अर्जियों का निपटारा

कंपनी कानून सलाहकार आयोग के पास इस साल जून १९५८ तक ३,६४९ अर्जियां आयीं और उनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की गयी। यह आयोग केंद्रीय सरकार को कंपनियों के प्रबन्ध में परिवर्तन, प्रबन्ध-निदेशकों, एजेंटों, मैनेजरों या खजांचियों की नियुक्ति, निदेशकों या प्रबन्ध-निदेशकों या एजेंटों की वेतन-वृद्धि आदि मामलों में सलाह देता है।

आयोग के पास जो अर्जियां आई थीं, उनमें ३,६१५ मामलों में आयोग सलाह दे चुका है। बाकी ३४ मामलों में से १८ निपटाये जा चुके हैं तथा ४ के बारे में छानबीन की जा रही है। कंपनियों से १२ मामलों में पूरी जानकारी न मिलने के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकी।

आयोग ने अभी तक जितनी अर्जियों पर कार्रवाई की है, उनमें अधिकतर निदेशकों या मैनेजरों की वेतन-वृद्धि के ही मामले थे। इस प्रकार की ९९३ अर्जियां आईं। कंपनी कानून की धारा ३४६ के मातहत ७६५ अर्जियां दी गयी थीं, जिनमें व्यवस्था देखने वाली एजेंसी या निगम

के विधान में परिवर्तन करने का मामला था। इनके अलावा, प्रबन्धक-एजेंसियों के साथ करार में परिवर्तन कराने के बारे में ६५८ और प्रबन्ध निदेशकों या पूरे समय के लिए निदेशकों की नियुक्ति के बारे में ४५६ अर्जियां आईं। मैनेजिंग एजेंटों द्वारा कार्यालय तबदील कराने के सम्बन्ध में सबसे कम अर्जियां आईं।

वित्त

विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में ढिलाई सम्भव नहीं

वित्त मंत्री श्री मोरार जी देसाई ने लोकसभा में १३ अगस्त को विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में भारत की स्थिति पर वक्तव्य देते हुए कहा कि जो स्थिति आज है, उसमें हम ढिलाई से काम नहीं ले सकते। स्थिति को काबू में लाने के लिए सरकार ने उपाए किये हैं और उनका प्रभाव भी हुआ है, लेकिन जैसा १८ मार्च के अपने भाषण में प्रधान मंत्री ने लोकसभा में कहा था, हमें यह नहीं समझना चाहिए कि स्थिति पर पूरा काबू पा लिया गया है।

स्थिति का पूरा विवरण पेश करते हुए श्री देसाई ने कहा कि गर्मी के महीनों में हमारा निर्यात हमेशा ही कम रहता है। इसके अतिरिक्त विदेशों की आर्थिक दशा कुछ गिरी है, जिससे हमारी चीजों के दाम कुछ कम हो गये हैं। इसके बावजूद १६५८ वर्ष के पहले ७ महीनों में पौंड खाते के खर्चे को घटाकर औसतन ४.०६ करोड़ रु० प्रति सप्ताह कर दिया है। पिछले वर्ष इतने समय में यह खर्च ७.२ करोड़ रु० था।

अप्रैल से जुलाई, १६५८ तक हमारे विदेशी मुद्रा कोष में ११८ करोड़ रु० मूल्य के सोने के अतिरिक्त २६७ करोड़ रु० की पौंड राशि जमा थी। जुलाई, १६५८ में यह राशि केवल १६३ करोड़ रु० रह गयी। इसमें २२ करोड़ रु० की वह पौंड राशि भी शामिल है जो ब्रिटेन की सरकार ने फालतू पेंशन की वापसी सम्बन्धी समझौते की ३ पेशगी किश्तों के रूप में अप्रैल १६५८ में लौटायी। इस प्रकार अप्रैल से जुलाई तक के ४ महीनों में हमारे विदेशी मुद्रा कोष से ७४ करोड़ रु० की राशि खर्च हुई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी मुद्रा की यह स्थिति है कि इसको देखते हुये हमारे सामने यह प्रश्न है कि इसका आयोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जनवरी १६५७ से हमने जो प्रतिबन्ध लगाये हैं उनसे सार्वजनिक और निजी अर्थव्यवस्था में कुछ कठिनाइयां पैदा हुई हैं। लेकिन बराबर यही प्रयत्न किया जा रहा है कि हम अपने आयोजन के महत्वपूर्ण अंग को पूरा करें, जो योजनाएं काफी आगे बढ़ चुकी हैं उन्हें पूरा करें तथा साथ ही अर्थ-व्यवस्था को मौजूदा उत्पादन स्तर पर कायम रखें।

उन्होंने कहा कि आयात की कमी के कारण हमारे देश में चीजों के मूल्य कुछ बढ़े हैं, लेकिन उससे कोई परेशानी नहीं हुई। देशी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है, जिससे वे आयात होने वाली वस्तुओं की कमी पूरी कर सकें। ऐसी मशीनें आयात करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिनसे आयात की जाने वाली वस्तुएं देश में ही पैदा की जा सकें। यह आयात इस शर्त पर किया जा रहा है कि इनकी रकम की अदायगी मशीनों से पैदा होने वाली चीजों पर होने वाले लाभ से की जायेगी। हमने अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिये जो मशीनें खरीदी थीं उनकी रकम चालू वर्ष में अदा की जानी है। १ अप्रैल, १६५८ तक सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों की यह रकम लगभग ८८७ करोड़ रु० है।

वित्त मंत्री ने कहा कि आयोजन आयोग ने दूसरे आयोजन की प्रगति और भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जो जानकारी प्रकाशित की है उसके अनुसार अप्रैल, १६५८ से मार्च, १६६१ तक हमारे विदेशी मुद्रा खाते में अनुमानतः ५०० करोड़ रु० का अन्तर होगा। निर्यात की मौजूदा प्रतिकूल स्थिति को ध्यान में रखते हुए नवीनतम अनुमान के अनुसार चालू आयोजन के शेष ३ वर्षों में हमें ५६० करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें यह भी अनुमान किया गया है कि दूसरे आयोजन के अन्त में हमारे पौंड खाते में २०० करोड़ रु० की राशि जमा होगी। इसका यह अर्थ नहीं कि यह राशि कभी भी २०० करोड़ रु० से नीचे नहीं गिरेगी। यों देखा जाए तो इस समय भी यह राशि २०० करोड़ रु० से कम है। वास्तव में इसका अर्थ यह है कि जब हम अपना तीसरा आयोजन शुरू करें तब हमारे पौंड खाते में २०० करोड़ रु० से कम की राशि जमा नहीं होनी चाहिये। ऊपर १ अप्रैल, १६५८ तक ५६० करोड़ रु० के घाटे का जो अनुमान लगाया गया है, उसमें यह बात पूरी तरह ध्यान में रखी गयी है कि हमें ५१३ करोड़ रु० की विदेशी सहायता प्राप्त होगी। इसके बाद जुलाई १६५८ में पुनर्निर्माण और विकास की अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से दामोदर घाटी निगम योजना को १२ करोड़ रु० का ऋण मिला है। जो अन्तर बाकी रहा है उसे हम पूरा करने के लिये निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा किये गये विभिन्न प्रयत्नों का विस्तृत वर्णन देते हुए वित्त मंत्री ने विश्वास प्रकट किया कि इनसे देश के निर्यात को निश्चित ही बढ़ावा मिलेगा।

श्री देसाई ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और मित्र देशों को हम बराबर अपनी स्थिति की जानकारी दे रहे हैं। सही तरीके से विदेशी सहायता प्राप्त करने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर मैं सदन का यह बताना चाहूँगा कि पुनर्निर्माण और विकास की अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने इस महीने के अन्त में वाशिंगटन में अपने उन सदस्य देशों का एक सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया है जिनकी भारत में रुचि है। यह सम्मेलन विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में भारत की स्थिति तथा उसे सहायता देने के तरीकों पर विचार करेगा। अमरीका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी तथा जापान की सरकारों ने सम्मेलन में शामिल होना स्वीकार कर लिया है। सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि भी होंगे। हम इस सम्मेलन में भाग तो नहीं लेंगे लेकिन अपनी स्थिति के सम्बन्ध में आवश्यक पूर्ण विवरण देने को तैयार रहेंगे। विश्व बैंक और मित्र देश हमारी आर्थिक भलाई में जो रुचि ले रहे हैं, उसकी हम सराहना करते हैं।

वित्त मंत्री ने बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और भारत में रुचि रखने वाले देशों से इस स्थिति सम्बन्धी पूरी तथा उचित जानकारी का आदान-प्रदान करने तथा समझौते करने के लिये हम ने आर्थिक विषय विभाग में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की है। इसका मुख्य कार्यालय वाशिंगटन में होगा। इसी उद्देश्य से ब्रिटेन में भारत के आर्थिक अमात्य के कार्य भी बढ़ा दिये गये हैं।

श्री देसाई ने कहा कि मैं सदन को यह बताने की आवश्यकता नहीं समझता कि हम जो कर्ज ले रहे हैं उससे हमारी वर्तमान तथा भावी विकास की आवश्यकताएं पूरी होने में सहायता मिलेगी। लेकिन साथ ही हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी भी आयेगी। यह हमारी साख का सवाल है।

१ अप्रैल, १९५८ तक हमारे ऊपर ७५० करोड़ रु० का कर्जा हो चुका है। यह हमें विदेशी मुद्रा में चुकाना है। इसमें से ११० करोड़ रु० दूसरे आयोजन की शेष अवधि में, लगभग ३४० करोड़ रु० तीसरे आयोजन की अवधि में और शेष रकम उसके बाद चुकानी है। भविष्य में इन कर्जों की अदायगी हमारा पहला कर्तव्य होगा। यह वास्तव में कठिन काम है। लेकिन अगर हम कर्जे से प्राप्त इस धन को तथा अपने अन्य साधनों को उत्पादन के कार्यों में लगायें तो यह काम असम्भव नहीं।

विदेशी मुद्रा की स्थिति

लोकसभा में वित्त मन्त्री श्री देसाई ने बताया कि विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण सरकार को उपलब्ध साधनों पर ही अधिकाधिक निर्भर करना पड़ रहा है। इसलिये अब यह तय किया गया है कि विदेशी मुद्रा की जो राशि छः महीनों के लिए नियत की थी, उससे अब ६ महीनों तक काम निकालना होगा। विदेशी मुद्रा की पूरक सप्लाई के बारे में सितम्बर में स्थिति देखकर तय किया जाएगा। देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा कमाना हमारे लिए संभव नहीं, परन्तु फिर भी निर्यात को बढ़ावा देकर इस घाटे को पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि १ अगस्त, १९५८ को भारत के पास ३ अरब १० करोड़ ५० लाख रु० की विदेशी मुद्रा थी, जिसमें १ अरब १७ करोड़ ८० लाख रु० का सोना और १ अरब ६२ करोड़ ७० लाख रु० का पौंड-पावना था। डालर की राशि अलग से नहीं रखी गयी है और इसकी आवश्यकता की पूर्ति पौंड-क्षेत्र के सोना और डालर की केन्द्रीय निधि से की जाती है।

मझोले उद्योगों को २६ करोड़ रु० की मदद

गैर सरकारी मझोले उद्योगों को अमेरिका २६ करोड़ रु० का ऋण देगा। नयी दिल्ली में २६ जुलाई को इस आशय के करार पर हस्ताक्षर किये गये।

इस करार के अनुसार उद्योगों के मध्यस्थ-वित्त निगम के मार्फत मझोले उद्योगों को ३ से ७ साल तक ऋण दिया जायेगा जिससे गैर सरकारी मझोले उद्योगों में अधिक से अधिक माल तैयार किया जा सके। दूसरी आयोजना की अवधि तक यह ऋण सिर्फ गैर सरकारी उद्योगों को ही दिये जायेंगे।

यह २६ करोड़ रु० की रकम पी० एल० ४८० के अन्तर्गत किये गये समझौते के अनुसार भारत में अमेरिका की कृषि-उपज वस्तुओं की बिक्री की रकम का एक हिस्सा है। अगस्त १९५६ में भारत सरकार तथा अमरीकी सरकार के बीच कृषि उपज सम्बन्धी करार हुआ था। उस करार में यह व्यवस्था की गयी थी कि भारत में अमरीकी जिन्स की जो बिक्री होगी उसमें से ५ करोड़ ५० लाख डालर (लगभग २६ करोड़ रु०) भारत में गैर सरकारी उद्योगों को ऋण देने के लिए दिया जाएगा।

इसके लिए जून १९५८ में मध्यस्थ-वित्त-निगम की स्थापना की गयी, जिसकी जारी पूंजी १२ करोड़ ५० लाख रु० की थी। ये शेयर रिजर्व बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेन्स कार्पोरेशन तथा बड़े-बड़े बैंकों ने खरीदे।

निगम का उद्देश्य बैंकों को इस बात का प्रोत्साहन देना है कि वे मध्य अवधि के लिए मझोले उद्योगों को ऋण देने की अधिक से अधिक सुविधा दें। यह ऋण उन्हीं उद्योगों को दिया जायेगा जिनके पास अधिक से अधिक २ करोड़ ५० लाख रु० की पूंजी हो। इस प्रकार किसी उद्योग को ५० *लाख से अधिक ऋण नहीं दिया जायेगा।*

इस समय निगम के पास कुल ३८ करोड़ ५० लाख रु० हो गया है जिसमें अमेरिका द्वारा दिया गया २६ करोड़ रु० तथा १२ करोड़ ५० लाख रु० की जारी पूंजी शामिल है।

अमेरिकी निर्यात-आयात बैंक से प्राप्त ऋण

अमेरिकी निर्यात-आयात बैंक से १५ करोड़ डालर का जो ऋण मिला है; उसमें से ५० करोड़ रु० सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं पर और २१ करोड़ रु० निजी क्षेत्र की योजनाओं पर खर्च किये जायेंगे। अभी तक इस रुपये का आखिरी तौर पर योजनावार वितरण नहीं किया गया है।

जिन योजनाओं और कार्यक्रमों के लिये यंत्र और उपकरण खरीदने पर यह रुपया खर्च किया जाएगा, वे हैं:—सिंचाई तथा भूमि-सुधार, बिजली, खान, परिवहन और यातायात तथा औद्योगिक कार्यक्रम।

सीमा-शुल्क तथा उत्पादन शुल्क से आय

वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन विभाग की एक विज्ञप्ति के अनुसार मार्च, १९५८ में भारत को बन्दरगाहों, हवाई अड्डों और स्थल चौकियों पर सीमा-शुल्क से १३ करोड़ ८ लाख रु० की आमदनी हुई। पिछले साल भी यह आय १७ करोड़ ६७ लाख रु० थी।

इसमें से आयात शुल्क से ११ करोड़ ३३ लाख रु० (पिछले साल के इसी महीने १५ करोड़ ५० लाख रु०), निर्यात शुल्क से १ करोड़ ४० लाख रु० (पिछले साल १ करोड़ ६६ लाख रु०) और स्थल सीमा शुल्क से और फुटकर २८ लाख रु० (पिछले साल ४८ लाख रु०) तथा वायु सीमा शुल्क से ७ लाख रु० मिला।

इसी महीने देश को उत्पादन शुल्क से २६ करोड़ ५ लाख रु० की आमदनी हुई। पिछले साल मार्च की यह आमदनी १७ करोड़ ६५ लाख रु० थी।

अप्रैल, १९५७ से मार्च १९५८ तक के १२ महीनों में सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क से कुल ४ अरब ५४ करोड़ ८ लाख रु० मिला। इसके पिछले १२ महीनों की यह आय ३ अरब ६६ करोड़ १३ लाख रु० थी। इस साल की कुल आय में से १ अरब ४६ करोड़ ७७ लाख रु० आयात शुल्क से (पिछले साल १ अरब ४३ करोड़ १८ लाख रु०), २४ करोड़ ३२ लाख रु० निर्यात शुल्क से (पिछले साल ३० करोड़ ७ लाख रु०), ५ करोड़ ९ लाख रु० स्थल सीमा शुल्क से और फुटकर (पिछले साल ३ करोड़ ७६ लाख रु०), २ करोड़ २ लाख रु० वायु सीमा शुल्क से प्राप्त हुआ। उत्पादन शुल्क की आय इस साल २ अरब ७२ करोड़ ८८ लाख रु० और पिछले साल १ अरब ८६ करोड़ ९ लाख रु० थी।

जीवन बीमा निगम की पूंजी का विनियोग

श्री मोरारजी देसाई ने लोक सभा में बताया कि जीवन बीमा निगम की स्थापना से लेकर ३० जून, १९५८ तक इसकी ६७,३४,७०,१८४ रु० की पूंजी सरकारी हुँडियों, शेयरों, ऋण पत्रों आदि में लगी हुई थी। सरकार और अर्ध सरकारी संस्थाओं की स्वीकृत हुँडियों में इसी अवधि में कुल ५१,०२,१८,१६५ रु० लगाया गया। ३१ जुलाई १९५८ तक निजी उद्योगों में निगम ने १७,४२,१३,५५९ रु० लगाया।

श्रम

मई में औद्योगिक विवाद और सम्बन्ध

मई १९५८ में १२३ नये औद्योगिक विवाद हुए। नये और पुराने विवादों की कुल संख्या एक समय में अधिक से अधिक १६० रही। इनमें २१ विवाद तालाबन्दी के सम्बन्ध में थे। यह जानकारी भारत सरकार के श्रम कार्यालय से मिली है।

इस महीने ११० नये विवादों में ३७,१९८ मजदूर शामिल थे, जिससे १,६७,४७० जन-दिनों की हानि हुई। १४४ नये और पुराने विवादों में ५८,७३५ मजदूर शामिल थे, जिससे ५,६०,४५९ जन-दिनों की हानि हुई। इसमें २१ तालाबन्दी सम्बन्धी विवाद भी शामिल हैं। इसमें १८,८६३ मजदूर शामिल थे, जिससे ३,३०,७४५ जन-दिनों की हानि हुई।

अप्रैल १९५८ में एक समय में विवादों की अधिक से अधिक संख्या १७० रही, जिनमें से १२५ नये विवाद थे। १२२ नये विवादों में ५२,६३६ मजदूर शामिल थे, जिससे ३,४६,५२४ जन-दिनों की हानि हुई। १६५ नये और पुराने विवादों में ६५,०४९ मजदूर शामिल थे, जिससे ५,३०,१९२ जन-दिनों की हानि हुई।

इस प्रकार मई १९५८ में, अप्रैल की तुलना में, ३०,२६७ अधिक जन-दिनों की हानि हुई।

मई १९५८ में १२६ विवाद निपटाये गये। इनमें से ८३ विवाद ५ दिन से अधिक नहीं चले। केवल ५ विवाद ३० दिन से अधिक चले। ६६ विवादों में मजदूर पूरे अथवा आंशिक रूप से सफल रहे और ३२ विवादों में असफल रहे। १९ विवाद अनिर्णीत रहे और ९ विवादों का परिणाम विदित नहीं है।

औद्योगिक विवादों के कारण पश्चिम बंगाल में १,६०,६५८, बम्बई में १,५२,६५६, बिहार में १,०४,३३१ और मैसूर में ६३,०५३ जन-

दिनों की हानि हुई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश में भी पिछले महीने की तुलना में अधिक जन-दिनों की हानि हुई। अन्य राज्यों में जन-दिनों की हानि में कमी आई।

चीजें बनाने वाले उद्योगों में मई १९५८ में औद्योगिक विवादों का सूचक अंक (१९५१=१०० मानकर) १५२ रहा, जबकि अप्रैल में १२८ था।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना बंगलौर में चालू

२६ जुलाई, १९५८ की आधी रात से बंगलौर के ५० हजार मिल मजदूरों में भी कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू कर दी गयी।

इस योजना के अनुसार बीमा हुए लोगों की स्वास्थ्य की देखरेख, बीमारी में वेतन, प्रसव की सुविधा, अपंग होने पर सहायता और काम करते समय चोट लगने से मृत्यु हो जाने पर आश्रितों को आर्थिक सहायता मिलने की व्यवस्था है।

बंगलौर में ही सबसे पहले बीमायित व्यक्ति के परिवार की भी चिकित्सा व्यवस्था की जाएगी। किसी भी व्यक्ति के बीमा होने के १३ सप्ताह बाद उसका परिवार भी इस योजना के अन्तर्गत चिकित्सा का हकदार हो जाएगा।

यह योजना इस समय ६३ औद्योगिक केन्द्रों में चलाई जा रही है। १० लाख ८ हजार व्यक्ति इससे लाभ उठा रहे हैं। बंगलौर के इसमें शामिल हो जाने से योजना का और भी विस्तार हो गया है।

चिकित्सा की व्यवस्था राज्य सरकारें करेंगी। इसके लिए २६ राज्य बीमा चिकित्सालय बनाये जा रहे हैं। योजना के अनुसार नगद वितरण के लिए तीन स्थानीय कार्यालय, दो स्थानीय उपकार्यालय और तीन भुगतान कार्यालय खोले जाने वाले हैं।

अभी तक योजना के अन्तर्गत मिल-मालिकों को पूरे वेतन की रकम का ¾ प्रतिशत अंश दान करना पड़ता है। इस योजना के चालू हो जाने पर अब उन्हें १¼ प्रतिशत देना पड़ेगा। यह घोषणा केन्द्रीय सरकार ने १ फरवरी, १९५७ को अपनी सूचना नं० एस० एस० १११ (६) में की है।

आयोजन और विकास

विकास योजनाओं की प्रगति

आयोजना आयोग ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें विभिन्न राज्यों में योजनाओं की प्रगति का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि आयोजना के लिए कितना धन रखा गया है, प्रत्येक राज्य में कितना धन खर्च किया जाएगा और विभिन्न राज्यों में खेती, सिंचाई, बिजली आदि के बारे में कितना काम हो चुका है। राज्यों में योजनाएं चलाने के लिए आमदनी के क्या-क्या साधन हैं और केन्द्रीय सरकार उन्हें कितनी सहायता कर रही है।

आंध्र प्रदेश में दूसरी आयोजना की अवधि में १ अरब ७४ करोड़ ७१ लाख रु० खर्च किये जाएंगे। पहले तीन वर्षों में ८६ करोड़ ५७ लाख रु० से अधिक खर्च नहीं किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार राज्य को ५५ करोड़ १० लाख रु० देगी। दूसरी आयोजना में १४ लाख ८६ हजार टन और अधिक अनाज पैदा किया जाएगा। १९५६-५७ में १ लाख ४८ हजार टन अधिक अनाज पैदा हुआ था और १९५७-५८ में २ लाख १७ हजार टन और पैदा होने का अनुमान है। दूसरी आयोजना में ४ लाख ८७ हजार एकड़ जमीन में दरमियानी और बड़ी सिंचाई योजनाओं से सिंचाई करने का लक्ष्य है। इसमें से ८,००० एकड़ जमीन में १९५६-५७ से सिंचाई शुरू हो गयी है और १९५७-५८ में ३६ हजार एकड़ में होने लगेगी।

दूसरी आयोजना में असम में ५७ करोड़ ९४ लाख रु० खर्च किये जाएंगे। पहले तीन वर्षों में ३१ करोड़ ४८ लाख रु० खर्च किया जाएगा, जिसमें से १६ करोड़ ३० लाख रु० केन्द्रीय सरकार देगी। दूसरी आयोजना में वहां ३ लाख ७८ हजार टन और अनाज पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। १९५६-५७ में ३४ हजार टन अधिक अनाज पैदा हुआ और १९५७-५८ में ८७ हजार टन और पैदा होने का अनुमान है। छोटी सिंचाई योजनाओं से १२ लाख १२ हजार एकड़ अतिरिक्त जमीन में सिंचाई करने का लक्ष्य है। इसमें से पहले दो वर्षों में ३ लाख ६७ हजार एकड़ जमीन में सिंचाई की सुविधाएं पहुँचाई जा चुकी हैं।

बिहार में दूसरी आयोजना में १ अरब ६० करोड़ २९ लाख रु० खर्च किया जाएगा। इसमें से १६ करोड़ १५ लाख रु० कसी (सिंचाई) और ७ करोड़ ८३ लाख रु० दामोदर घाटी निगम (बिहार के क्षेत्र में) की योजनाओं पर खर्च होगा। पहले तीन वर्षों में ८३ करोड़ रु० खर्च

किया जाएगा, जिसमें से ४३ करोड़ ४० लाख रु० केन्द्रीय सरकार देगी। वहां दूसरी आयोजना में १५ लाख टन अतिरिक्त अनाज पैदा करने का लक्ष्य है। इसमें से ८४ हजार टन १९५६-५७ में पैदा किया गया और २ लाख ८५ हजार टन १९५७-५८ में पैदा होने का अनुमान है। १९५७-५८ तक बड़ी और दरमियानी सिंचाई योजनाओं द्वारा ३ लाख १० हजार एकड़ जमीन में सिंचाई होने लगी। इसमें नलकूप शामिल नहीं हैं। नलकूपों के द्वारा १ लाख १६ हजार एकड़ जमीन में सिंचाई होने लगी। दूसरी आयोजना में छोटी सिंचाई योजनाओं द्वारा १७ लाख ४० हजार एकड़ जमीन में सिंचाई करने का लक्ष्य है। इसमें से १९५६ से १९५८ तक ६ लाख ५३ हजार एकड़ जमीन में सिंचाई करने का प्रबन्ध कर दिया गया है।

दूसरी आयोजना में बम्बई राज्य में ३ अरब ५० करोड़ २२ लाख रु० खर्च किया जायगा। पहले तीन वर्षों में १अरब ७५ करोड़ रु० खर्च किया जाएगा जिसमें से ७४ करोड़ २० लाख रु० केन्द्रीय सरकार देगी। दूसरी आयोजना में राज्य में १५ लाख १४ हजार टन अतिरिक्त अनाज पैदा करने का लक्ष्य है। इसमें से १९५६-५७ में १ लाख ५७ हजार टन अनाज पैदा किया गया और १९५७-५८ में १ लाख २८ हजार टन अनाज पैदा होने का अनुमान है। ६४ हजार एकड़ जमीन में सिंचाई करने का प्रबन्ध कर दिया गया है। इसमें से १९५७-५८ में २ हजार एकड़ जमीन में सिंचाई होने लगी। छोटी सिंचाई योजनाओं से १७ लाख ३० हजार एकड़ जमीन में सिंचाई करने का लक्ष्य है। इसमें से १९५६-५७ में ३२ हजार और १९५७-५८ में ८८ हजार एकड़ जमीन में सिंचाई होने लगी है।

केरल

दूसरी आयोजना में केरल राज्य की योजनाओं पर ८७ करोड़ रु० खर्च किये जाएंगे। पहले तीन वर्षों में योजनाओं पर ४० करोड़ रु० खर्च किया जाने वाला है, जिसमें से १७ करोड़ ५० हजार रु० केन्द्रीय सरकार देगी। दूसरी आयोजना में केरल के लिए अनाज के उत्पादन का लक्ष्य २ लाख ७६ हजार टन निर्धारित किया गया है। इसमें से पहले वर्ष में २५ हजार टन अनाज पैदा किया गया। अनुमान है कि १९५७-५८ में ६ हजार टन अनाज पैदा किया जाएगा।

१९५६-५७ में सिंचाई की बड़ी और मध्यम योजनाओं द्वारा ४५ हजार एकड़ जमीन की और सिंचाई की गयी। दूसरी आयोजना में सिंचाई की छोटी योजनाओं द्वारा २ लाख ६० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। १९५६-५७ में इन योजनाओं से २० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई की गयी और अनुमान है कि १९५७-५८ में २४ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई होने लगी है। बिजली-योजनाओं के अन्तर्गत, दूसरी आयोजना में ८७ हजार किलोवाट बिजली तैयार करने का लक्ष्य है।

मध्य प्रदेश

पुनर्गठित मध्यप्रदेश पर, दूसरी आयोजना में १ अरब ६० करोड़ ८६ हजार रु० खर्च किया जाने वाला है। पहले तीन वर्षों में यानी १९५९ तक ७६ करोड़ १६ लाख रु० खर्च होंगे, जिसमें से केन्द्रीय सरकार ने पहले दो वर्षों में ३१ करोड़ ७६ लाख रु० दिये हैं। आयोजना-काल में मध्यप्रदेश को १४ लाख ६१ हजार टन अधिक अनाज पैदा करना है। इसमें से १९५६-५७ में ६१ हजार टन पैदा किया गया और १९५७-५८ में १ लाख ६६ हजार टन अनाज के पैदा होने का अनुमान है। दूसरी आयोजना में मध्यप्रदेश में १० लाख ८५ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई करने का लक्ष्य है। १९५७-५८ में ११ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई की जा सकती थी, परन्तु कुल ७ हजार एकड़ जमीन की ही की गयी। सिंचाई की छोटी योजनाओं के अन्तर्गत, १९५६-५७ में २५ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई की गयी और अनुमान है कि १९५७-५८ में १ लाख ५५ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई की जाएगी। दूसरी आयोजना में इन योजनाओं द्वारा ७ लाख ७५ हजार एकड़ जमीन सींचने का लक्ष्य रखा गया है।

मद्रास

दूसरी आयोजना में, मद्रास राज्य की योजनाओं के लिये १ अरब ५२ करोड़ २६ लाख रु० की व्यवस्था है। इसमें से पहले तीन वर्षों में ६० करोड़ ८५ लाख रु० खर्च होंगे, जिसमें से ४५ करोड़ २० लाख रु० केन्द्रीय सरकार देगी। इस राज्य के लिए अनाज का निर्धारित लक्ष्य १३ लाख १० हजार टन है। १९५६-५७ में २ लाख ३२ हजार टन अधिक अनाज पैदा किया जा चुका है और अनुमान है कि १९५७-५८ में ३ लाख ६६ हजार टन अनाज पैदा किया जा सकेगा। सिंचाई योजनाओं द्वारा २ लाख ६८ हजार एकड़ जमीन को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य है। सिंचाई की छोटी योजनाओं द्वारा ५ लाख ५ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई की जाएगी, जिसमें से १९५६-५७ में २५ हजार एकड़ जमीन की और १९५७-५८ में ४० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई किये जाने का अनुमान है।

मैसूर

दूसरी आयोजना में, मैसूर राज्य के लिए १ अरब ४५ करोड़ १३ लाख रु० की व्यवस्था की गयी है। इसमें पहले तीन सालों में ५५ करोड़ रु० खर्च किया जाएगा, जिसमें से केन्द्रीय सरकार ३५ करोड़ ६० लाख रु० देगी। आयोजना की अवधि में मैसूर के लिए अनाज के अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य ५ लाख ६१ हजार टन रखा गया है। इस राज्य ने १९५६-५७ में ५८ हजार टन अनाज अधिक पैदा किया। अनुमान है कि १९५७-५८ में ६१ हजार टन अनाज और पैदा होगा। आयोजना के पहले दो सालों में १ लाख १७ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई की गयी और सिंचाई की छोटी योजनाओं के अन्तर्गत, ६६ हजार एकड़

जमीन की सिंचाई की गयी। इनके द्वारा ३ लाख १५ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई करने का लक्ष्य है।

उड़ीसा

उड़ीसा राज्य की आयोजना पर ९९ करोड़ ९७ लाख रु० खर्च होना है, जिसमें से १६ करोड़ १२ लाख रु० हीराकुड के पहले भाग पर, ११ करोड़ ८८ लाख रु० चिपलीमा बिजलीघर पर और १२ करोड़ ३५ लाख रु० महानदी डेल्टा की सिंचाई योजना पर खर्च होना है। पहले तीन सालों में ५१ करोड़ ५३ लाख रु० यानी करीब ५२ प्र० श० खर्च होगा। दूसरी आयोजना के पहले दो सालों में केन्द्र ने २६ करोड़ ६० लाख रु० दिया। राज्य ने दूसरी आयोजना में ७ लाख ५२ हजार टन अनाज अधिक पैदा करने का लक्ष्य रखा है। इसके अनुसार १९५६-५७ में ५८ हजार टन अनाज अधिक पैदा हुआ और १९५७-५८ में ६५ हजार टन (अनुमानित)। आयोजना की अवधि में कुल २ लाख ९८ हजार एकड़ में छोटे साधनों से सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। १९५६-५८ में इसमें से ३७ हजार एकड़ में सिंचाई हुई।

पंजाब

पुनर्गठन के बाद पंजाब राज्य की आयोजना का खर्च १ अरब ६२ करोड़ ६८ लाख रु० है। पहले तीन सालों में ९२ करोड़ रु० यानी करीब ५६ प्रतिशत खर्च होगा। आयोजना के पहले दो सालों में राज्य को केन्द्र से ३५ करोड़ ८० लाख रु० की सहायता मिली। राज्य ने १४ लाख ४० हजार टन अनाज अधिक पैदा करने का लक्ष्य रखा। इसमें से १९५६-५७ में १ लाख ३१ हजार टन अनाज अधिक पैदा हुआ और १९५७-५८ में १ लाख ५३ हजार टन अधिक होने का अनुमान है। पांच वर्ष में राज्य में ४ लाख ८५ हजार एकड़ में छोटे साधनों से सिंचाई की जानी है। १९५६-५७ में ४ हजार एकड़ में और १९५७-५८ में १ लाख १९ हजार (अनुमानित) एकड़ में सिंचाई हुई। इसके अलावा, इन दो सालों में भाखड़ा-नंगल आदि अन्य योजनाओं से ४ लाख ४० हजार एकड़ अधिक क्षेत्र में सिंचाई हुई।

राजस्थान

पुनर्गठन के बाद राजस्थान की दूसरी पंचवर्षीय आयोजना का कुल खर्च १ अरब ५ करोड़ ९७ हजार रु० रखा गया है। पहले तीन सालों में इसका करीब आधा यानी ५२ करोड़ १६ लाख रु० खर्च होना है। इस अवधि में केन्द्रीय सरकार से २८ करोड़ रु० मिला। यहां ८ लाख ७ हजार टन अनाज अधिक पैदा करने का लक्ष्य है। १९५६-५७ में ४८ हजार टन और १९५७-५८ में ७६ हजार टन (अनुमानित) अनाज अधिक पैदा हुआ। छोटे साधनों से, आयोजना के पांच वर्षों में, राजस्थान में २ लाख ५ हजार एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की जानी है। इसमें से १९५६-५७ में ५८ हजार एकड़ में और १९५७-५८ में ७० हजार एकड़ में सिंचाई की गयी। दूसरी आयोजना की अवधि में कुल ९ लाख ९३ हजार एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की जानी है। पहले साल में २२ हजार एकड़ अधिक क्षेत्र में सिंचाई की गयी और दूसरे साल में ९४ हजार एकड़ में होने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की दूसरी पंचवर्षीय आयोजना पर २ अरब ५३ करोड़ १० लाख रु० खर्च होना है। पहले तीन सालों में करीब १ अरब ३३ करोड़ रु० खर्च होगा। पहले दो सालों में केन्द्र ने उत्तर प्रदेश को ४५ करोड़ ८५ लाख रु० की सहायता दी। राज्य का लक्ष्य २४ लाख टन अधिक अनाज पैदा करने का है। इसमें से १९५६-५७ में १ लाख ८५ हजार टन अधिक अनाज पैदा हुआ और १९५७-५८ में ३॥ लाख टन होने का अनुमान है। १९५६-५७ में राज्य में २॥ लाख एकड़ अधिक क्षेत्र में छोटे साधनों से सिंचाई हुई और १९५७-५८ में ३ लाख ८४ हजार एकड़ में। बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं से १९५६-५७ में २लाख ४६हजार एकड़ में और १९५७-५८ में ३लाख ६८हजार एकड़ अधिक क्षेत्र में सिंचाई की गयी। आयोजना के पहले दो सालों में राज्य की बिजली पैदा करने की क्षमता ९९ हजार किलोवाट बढ़ी। पांच सालों में यह क्षमता १ लाख ६३ हजार किलोवाट और बढ़ाने का लक्ष्य है।

पश्चिम बंगाल

राज्य की दूसरी आयोजना का कुल खर्च १ अरब ५७ करोड़ ६७ लाख रु० निश्चित किया गया है। पहले तीन सालों में ८३ करोड़ ६६ लाख रु० खर्च होगा। केन्द्र से पश्चिम बंगाल को शुरू के दो सालों में २८ करोड़ ३५ लाख रु० मिला। राज्य को आयोजना के पांच सालों में ९ लाख ३२ हजार टन अनाज अधिक पैदा करना है। १९५६-५७ में ८४ हजार टन और १९५७-५८ में १ लाख २७ हजार टन अधिक अनाज पैदा हुआ। छोटे साधनों से ३ लाख ८५ हजार एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई करने की योजना है। इसमें से १९५६-५७ में ३५ हजार एकड़ में और १९५७-५८ में ५२ हजार एकड़ (अनुमानित) में सिंचाई का प्रबन्ध हुआ। दामोदर घाटी, मयूराक्षी और कंगसावती बड़ी और मध्यम योजनाओं में गिनी जाती हैं। इस तरह की सिंचाई की योजनाओं से दूसरी आयोजना की अवधि में १२ लाख ४८ हजार एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में पानी पहुँचाने का विचार है, लेकिन १० लाख ७० हजार एकड़ में ही सिंचाई होने की आशा है।

जम्मू और कश्मीर

यहां की दूसरी आयोजना का खर्च ३३ करोड़ ९२ लाख रु० रखा गया है। इसमें से १४ करोड़ ७६ लाख रु० पहले तीन सालों में खर्च होगा। इस अवधि में केन्द्र से १२ करोड़ रु० मिलेगा। राज्य में २ लाख ६ हजार टन अधिक अनाज पैदा करने का लक्ष्य है। इसमें से १९५६-५७ में २५ हजार टन और १९५७-५८ में २ हजार टन (अनुमानित) अनाज अधिक पैदा हुआ। छोटे साधनों से १९५६-५७ में ५ हजार

एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में और १९५७-५८ में १ हजार एकड़ में सिंचाई की सुविधाएं दी गयीं। पांच सालों में छोटे साधनों से राज्य में १ लाख २५ हजार एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की जानी है।

बाढ़ से रक्षा की योजनाएं

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना का कुल खर्च ४,८०० करोड़ रु० से घटकर ४,५०० करोड़ रु० हो जाने के कारण, विभिन्न राज्यों की बाढ़-नियंत्रण योजनाओं के खर्च और प्राथमिकता का, केन्द्रीय सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय फिर से निर्णय कर रहा है। इस काम में मंत्रालय, राज्य सरकारों की भी सलाह ले रहा है।

दूसरी आयोजना में बाढ़-नियन्त्रण पर ६० करोड़ रु० खर्च करने की व्यवस्था थी। उसे बढ़ाकर अब ५१ करोड़ रु० करने का विचार है। इस राशि में कोसी और दामोदर की बाढ़-नियंत्रण की योजनाओं को १२ करोड़ रु०, केन्द्र शासित क्षेत्रों में होने वाले खर्च और केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच-पड़ताल का खर्च भी शामिल है।

इस वित्त वर्ष में केन्द्र से, राज्य सरकारों को ८ करोड़ रु० देने की सिफारिश की गयी है। १९५७-५८ में कुल ८ करोड़ १६ लाख रु० की और १९५६-५७ में ८ करोड़ ६४ लाख रु० कर्ज दिया गया।

सबसे पहले १९५४ में बाढ़ों पर काबू पाने का कुछ संगठित प्रयत्न किया गया था। उस साल जो बांध आदि बनाये गये थे, वे १९५५ और १९५६ की बाढ़ों में भी काम देते रहे।

दूसरी आयोजना के शुरू में बाढ़-नियंत्रण के कार्यों का दूसरा दौर शुरू हुआ और १९५६-५७ और १९५७-५८ में चारों तरफ जांच-पड़ताल शुरू हुई और इसके परिणाम के आधार पर हर नदी के क्षेत्र को बाढ़ से बचाने की योजनाएं बननी शुरू हुईं।

अभी तक ४६,८०० वर्गमील का विमानों से फोटो लिया गया और ३५,५०० वर्गमील क्षेत्र को समतल किया गया, ताकि नदियों का पानी इधर-उधर न फैले। केन्द्रीय जल-विद्युत आयोग, स्रुत्व विभाग और राज्यों की सरकारों ने बहुत से क्षेत्र की जांच-पड़ताल की है और बहुत स्थानों पर वर्षा, नदियों के प्रवाह और मिट्टी का जमाव नापने के केन्द्र बनाये गये हैं। इस काम में पड़ौसी देशों का भी सहयोग मिला है।

चूंकि वर्षा और नदियों के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी करने का काम काफी लम्बा है इसलिए भारत सरकार राज्य सरकारों को इस काम के लिए भी उसी आधार पर ऋण देती है, जिस आधार पर बाढ़ों की रोकथाम की योजनाओं के लिए दिया जाता है।

धन का बटवारा

अब तक केन्द्रीय जल-विद्युत आयोग राज्यों की ६५ बड़ी-बड़ी यो. नाओं की जांच कर चुका है, जिनमें से प्रत्येक पर १० लाख रु० [illegible] ऊपर खर्च होने का अनुमान है। इन सब योजनाओं पर ४० करोड़ [illegible] लाख रु० खर्च होगा। इनमें से ५६ योजनाओं की मंजूरी दी जा चुक[illegible] है, जिन पर २७ करोड़ ६ लाख रु० खर्च होने का अनुमान है। [illegible] की सरकारों ने १०-१० लाख रु० से कम खर्च की ६१६ छोटी यो. के लिए सहायता मांगी है, जिनमें से लगभग १० करोड़ ७० लाख रु० की ५०२ योजनाओं को सहायता देना स्वीकार किया गया है।

जो जानकारी उपलब्ध है, उसके आधार पर असम, बिहार उड़ीसा, पंजाब, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल ने कुछ [illegible] योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है, लेकिन सम्बद्ध क्षेत्रों की [illegible] की उचित योजना बनाने के लिए अभी बहुत सी जानकारी आवश्य[illegible] है। इस तरह की जानकारी के बिना, कुछ नदियों के पेटे के बारे आवश्यक योजनाएं नहीं बन सकतीं।

शहरों और गांवों का बचाव

बाढ़ से रक्षा के कुछ काम तुरंत करने होते हैं। ऐसे कामों [illegible] तटबंध बनाना, शहरों को बचाने के लिए पुश्ते आदि बांधना, गांवों [illegible] ऊंचाई पर बसाना तथा इसी तरह के और कई काम शामिल हैं डिब्रूगढ़ को बचाने के लिए जो पुश्ते आदि बनाये गये थे, उन [illegible] २॥ करोड़ रु० खर्च हुआ है। और ये कई बाढ़ों का मुकाबला कर [illegible] हैं। असम में और भी ६ शहरों तथा बहुत से गांवों को इसी तर[illegible] बचाया गया है।

पश्चिम बंगाल में ८ शहरों को बचाया गया तथा और भी बहु[illegible] से छोटे-मोटे तटबन्ध आदि बनाये गये। उड़ीसा में बहुत से स्थानों [illegible] तटबन्ध बनाये जा रहे हैं। बिहार में १२.५ लाख एकड़ क्षेत्र को पानी में डूबने से बचाने के उपाय किये गये हैं। कोसी पर १३५ मील लम्बा तटबन्ध बना कर २४ लाख एकड़ भूमि की रक्षा की गयी है। इ[illegible] भूमि में धान और पाट आदि खूब पैदा होता है।

उत्तरप्रदेश में, गांवों को ऊंचाई पर बसाने पर बहुत जोर दिया गया और अब तक करीब ४,००० गांवों को ऊंचाई पर बसाया जा चुका है। इस काम पर करीब ५.६ करोड़ रु० खर्च हुआ है। छितौनी बांध के बन जाने से करीब १.२१ लाख एकड़ भूमि में अब पानी नहीं भरता। इसी प्रकार की अन्य योजनाओं से दस लाख एकड़ भूमि की रक्षा हुई है।

पंजाब में पानी निकालने के लिये नालियां बनाने का काम शुरू हुआ है। आशा है, इससे ३०.२५ लाख एकड़ क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा। जम्मू और कश्मीर में बाढ़ों से रक्षा के जो काम चल रहे हैं, उनके पहले

भाग का ७५ प्रतिशत काम हो चुका है। इन कामों से श्रीनगर के बचाव के अलावा ६० हजार एकड़ भूमि की रक्षा होगी।

चंबल योजना शीघ्र पूरी की जाय

योजना समिति की सिंचाई तथा बिजली टोली ने चंबल योजना के काम में तेजी लाने के लिये अनेक सिफारिशें की हैं। चंबल योजना के बारे में रिपोर्ट देते हुए इसने कहा है कि यदि इन सिफारिशों पर अमल किया जाए तो दस वर्ष के बजाए पांच वर्ष में ही इन नहरों से सिंचाई शुरू की जा सकती है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि योजना का काम धीमे चल रहा है। टोली ने सलाह दी है कि राणा प्रताप सागर बांध का काम गांधी सागर बांध के साथ चलाया जाय, नहरों का निर्माण तेजी से किया जाय और नहरों में सीमेंट कंक्रीट के बजाय चूने का पलस्तर किया जाय। ऐसा करने से खर्च एक करोड़ रु० घटाया जा सकता है।

जहां नहर पथरीले इलाके से गुजरती हो, वहां चूना-सुर्खी का पलस्तर करने से १५-२० लाख रु० की बचत हो सकती है।

सिंचाई और बिजली टोली फरवरी १९५७ में बनायी गयी थी। इसके अध्यक्ष श्री एन० वी० गाडगिल हैं। अन्य सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं:—

सर्वश्री लाल सिंह, एम० नरसिंहप्पा, सी० एल० हांडा तथा जी० एन० पंडित। श्री डी० एस० बोरकर टोली के मंत्री हैं।

सदस्यों का कहना है कि नहरों से सिंचाई होने लगने पर खेती का वर्तमान ढांचा बिलकुल बदल जाएगा। पैदावार बढ़ जाएगी।

वर्तमान समस्याएं

रिपोर्ट में वर्तमान समस्याओं तथा उनके हल के उपायों पर भी विचार किया गया है। पानी के एक स्थान पर एकत्र हो जाने तथा गन्दे पानी की निकासी के लिये नाली की ठीक व्यवस्था न होने के बारे में भी विचार किया गया है। नलकूप बैठाने तथा पम्पों का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया गया है। खार न जमने देने के भी तरीके बताये गये हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंचाई का पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिये भूमि को समतल करना जरूरी है। इसके लिये प्रत्येक राज्य में लगभग १५-२० प्रतिशत भूमि को समतल करने की जरूरत है। इस काम के लिये राजस्थान में ३० लाख रु० और मध्यप्रदेश में ४६ लाख रु० तीन साल में खर्च होना चाहिये। यह रकम किसानों से पांच साल में वार्षिक किश्तों में वसूल की जानी चाहिए।

चम्बल योजना क्षेत्र में पड़ने वाली जंगली बेर की झाड़ियों को साफ करने की सलाह दी गयी है। इससे गल्ले की पैदावार प्रति एकड़ २-३ मन बढ़ सकती है।

बागवानी

रिपोर्ट में कहा गया है कि बागवानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा राज्यों में खेती की आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत सहायता मिल सकती है। चीनी उद्योग भी काफी बढ़ाया जा सकता है।

नहर के किनारे-किनारे पक्की सड़कें बनाने का सुझाव भी टोली ने दिया गया है।

राजस्थान तथा मध्यप्रदेश में जो खेती योग्य भूमि बेकार पड़ी है, उसके सम्बन्ध में सुझाव दिया गया है कि प्रगतिशील किसानों को लम्बी अवधि के लिये उसे पट्टे पर दे देना चाहिये या सहकारी खेती शुरू की जानी चाहिए।

टोली ने खेती के विकास के लिये जिन योजनाओं की सलाह दी है, उनको पूरा करने में राजस्थान में ५९ लाख ३० हजार रु० तथा मध्यप्रदेश में ५७ लाख रु० खर्च होगा। इनमें वह रकम भी शामिल है जो किसानों से वापस ली जाएगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंचाई के साधनों के बढ़ने से भूमि का दाम भी बढ़ेगा। अतएव सुधार कर लगाया जाना आवश्यक है, किन्तु भूमि के मूल्य में जितनी वृद्धि आंकी जाय, उसके आधे पर यह कर लगाया जाना चाहिए।

रिपोर्ट में यह सलाह दी गयी है कि देश की आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए राणा प्रताप सागर बिजली योजना के लिए विदेशी मुद्रा नहीं खर्च की जानी चाहिए।

गांधी सागर बिजली घर में बिजली पैदा करने का पांचवा यूनिट खोलने की सिफारिश की गयी है। इसके बन जाने से तथा अन्य ताप-बिजली कारखानों से १,२०,००० किलोवाट बिजली पैदा होने लगेगी।

चंबल योजना से जो बिजली पैदा होगी, उससे पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए राजस्थान तथा मध्यप्रदेश के राज्य बिजली बोर्डों को आपस में पूरे सहयोग से काम करना चाहिए।

प्रशासन

चंबल योजना के प्रशासन की खराबियों को दूर करने के लिए रिपोर्ट में सिफारिश की गयी है कि राज्य के वित्त सचिव नियंत्रण मण्डल के पदेन सदस्य होने चाहिए और प्राविधिक योजनाओं की जांच एक स्वतन्त्र प्राविधिक एजेंसी द्वारा होनी चाहिए। इसके अलावा खेती का एक विशेषज्ञ भी मण्डल का सदस्य होना चाहिए या नियमित रूप से उसकी राय ली जानी चाहिए।

पहले अनुमान लगाया गया था कि चंबल योजना पर कुल खर्च ७७ करोड़ रुपया होगा। इसमें से दूसरी आयोजना के अन्त तक पूरे होने वाले गांधी सागर और कोटा बांध पर खर्च का अनुमान ४८ करोड़ ३ लाख रु० था। किन्तु संशोधित अनुमान के अनुसार यह खर्च ६३ करोड़ ५६ लाख रु० होगा। अब तक इस योजना पर १४ करोड़ ६२ लाख रु० खर्च हो चुका है।

चंबल योजना के पूरी हो जाने पर १४ लाख एकड़ भूमि पर खेती हो सकेगी और २ लाख १० हजार किलोवाट बिजली पैदा की जा सकेगी। द्वितीय आयोजना के अन्त में ९२ हजार किलोवाट बिजली पैदा लगेगी।

चंबल योजना के काम के निरीक्षण के लिए भाकड़ा योजना तरह चीफ इंजीनियरों के मातहत एक विशेष जांच तथा नियंत्र. संगठन स्थापित करने का सुझाव भी रिपोर्ट में दिया गया है।

खाद्य और खेती

रबी की फसल में उत्पादन बढ़ाएं

खाद्य तथा कृषि मंत्री, श्री अजित प्रसाद जैन ने कुछ राज्यों से आग्रह-पूर्वक कहा है कि वे इस रबी की बुवाई के लिये पूरे जोर से काम करें और अपने सारे साधनों को इस काम में लगा दें। इस समय सारे राष्ट्र के सामने एक संकट खड़ा है और हर राज्य चुनी हुई चीजों को अच्छी प्रकार बोने की योजना करे।

हाल में ही प्रधान मंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से अपील की थी कि आगामी रबी की बुवाई पूरे जोर से की जाय और उपज बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाय। श्री जैन ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, बम्बई, मैसूर और आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों और दिल्ली के मुख्यायुक्त के नाम पत्र लिखकर उनकी सलाह मांगी है कि प्रधान मंत्री की इच्छा को किस प्रकार पूरा किया जाय। उन्होंने अपने पत्र में मुख्यमंत्रियों से इस काम की ओर स्वयं ध्यान देने की प्रार्थना की है। उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि यह काम अभी शुरू हो जाना चाहिये और इसके लिए बीज, खाद, अच्छे हल आदि औजारों आदि का प्रबन्ध भी फौरन होना चाहिये।

उनके विचार में मंत्रीगण, संसद तथा विधान मंडलों के सदस्य, किसान संगठन, कल्याण संस्थाएं आदि इस काम में हाथ बंटाकर अपनी कर्त्तव्य-शक्ति का परिचय दे सकते हैं और लोकप्रियता प्राप्त कर सकते हैं। इस समय विस्तार कार्यकर्ताओं को और अधिक सहायता मिलनी चाहिये। अनुसंधान तथा विकास के कामों में लगे हुए ऊंचे कर्मचारियों को भी मैदान में आकर विस्तार-कार्यकर्ताओं का साथ देना चाहिये। जहां सम्भव हो वहां बुवाई के लिए विशेष दल खड़े किए जाएं। इस समय का व्यावहारिक अनुभव भविष्य में आने वाली अनेक समस्याओं के हल करने में हमारे काम आएगा।

श्री जैन ने आगे कहा है कि फसल प्रतियोगिता को फिर से ... करने का निश्चय हो चुका है और अब ये १० चीजों की फसलों के [illegible] होगा। इनमें से ४ रबी की होंगी। किसानों को और भी किसी प्रकार प्रोत्साहन देने के बारे में सोचा जा सकता है।

मुख्य मंत्रियों को उन्होंने लिखा है कि अपने यहां की परिस्थिति अनुसार हर काम की योजना होनी चाहिये और यह भी निश्चित हो जान चाहिये कि अमुक काम अमुक समय तक पूरा हो जायगा। राज्यों, तथा कृषि मंत्रालय और सामुदायिक विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों क एक बैठक भी इस बारे में जल्दी ही होने वाला है।

गोदाम निगम

बम्बई, मैसूर, मद्रास, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, [illegible] प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश इन ११ राज्यों गोदाम निगम स्थापित किये गये हैं।

केन्द्रीय गोदाम निगम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में ९ गोदाम खोले गये। जिन स्थानों में गोदाम खोले गये हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं:— वारंगल (आंध्र प्रदेश), अमरावती, गोंदिया और सांगली (बम्बई), बंगिरि और गदा (मैसूर), बड़गढ़ (उड़ीसा), मोगा (पंजाब) और चंदौसी (उत्तर प्रदेश)।

इन गोदामों में ३० जून, १९५८ तक कौन सा अनाज कितनी मात्र में जमा किया गया, उसका ब्योरा इस प्रकार है:—गेहूं ७६,५१३.४५ मन, चावल ७८०३.२० मन, ज्वार ३७५३.६६ मन, धान १६२५.०५ मन और मक्का ६५४.२४ मन।

इसके अलावा इन गोदामों में २८८८९.१४ मन दाल और चना विभिन्न किस्म के कपास और कपास का बना सामान ३८५ मन, बिनौल

१५४.६० मन, अलसी १३३५.६३ मन, मूंगफली १७१.६८ मन, मिर्च ११५.६२ मन, हल्दी २३.३८ मन तथा अन्य सामान १०२५.३० मन जमा था।

गोदामों में अनाज सुरक्षित रखने की समस्या

भारत सरकार ने एक स्थायी सलाहकार समिति नियुक्त की है, इसका नाम खाद्य-भण्डार सलाहकार समिति होगा। यह सरकारी तथा व्यापारियों के गोदामों में खाद्यान्न सुरक्षित रखने की समस्या पर विचार करेगी।

समिति देश के गोदामों में अन्न जमा करने की समस्या पर विचार करने के अलावा उचित ढंग से अनाज भर कर रखने तथा उनके संरक्षण आदि के सम्बन्ध में समय समय पर सुझाव देगी। यह स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए देश के विभिन्न भागों में गोदामों में अनाज रखने के तरीकों में सुधार करने तथा उनके संरक्षण के सम्बन्ध में भी सुझाव देगी।

खाद्य और कृषि मंत्रालय के खाद्य महानिदेशक, पौध रक्षा सलाहकार तथा कृषि हाट व्यवस्था सलाहकार इस समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा इस समिति में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, केन्द्रीय खाद्य अनुसंधान संस्था, केन्द्रीय गोदाम निगम और केन्द्रीय सामुदायिक विकास मंत्रालय के एक-एक प्रतिनिधि भी इस समिति में होंगे। भारत सरकार इस समिति के लिए निजी व्यापारियों के दो प्रतिनिधियों को भी नामजद करेगी। खाद्य विभाग के भण्डार और निरीक्षण निदेशक, समिति के मंत्री होंगे।

भारत में कहवे की पैदावार

इस समय भारत में २,५४,००० एकड़ में कहवे की खेती हो रही है।

देश में कहवे की पैदावार लगातार बढ़ती जा रही है। १९५६-५७ में देश में ३३,७५५ टन कहवा पैदा हुआ जो १९५०-५१ की पैदावार से ६५ प्र० श० अधिक था। १९५७-५८ में कहवे की पैदावार ३७,००० टन तक पहुँच जाने की आशा है।

१९५६-५७ की फसल में से १५,००० टन कहवे का निर्यात हुआ। इसी साल ७२५ टन कहवा रूस को और ८०० टन पूर्वी जर्मनी को राज्य व्यापार निगम के हाथों बेचा गया।

देश में भी कहवे की खपत बढ़ रही है। इस बात को ध्यान में रख कर यह पड़ताल की गयी कि कहवे की खपत कहां कहां बढ़ सकती है। यह पड़ताल पिछले नवम्बर में खत्म हुई।

केन्द्रीय कहवा मंडल को, कहवे की पैदावार बढ़ाने की पंचवर्षीय आयोजना अक्टूबर १९५६ में शुरू हुई है। मंडल ने, बलेहन्नूर के कहवा अनुसंधान केन्द्र में, एक मिट्टी की परीक्षणशाला स्थापित करने के, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रस्ताव को, स्वीकार कर लिया है।

विविध

परिवहन का सुव्यवस्थित विकास

परिवहन के सुव्यवस्थित विकास के लिए और परिवहन के विभिन्न साधनों में तथा राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार की परिवहन सम्बन्धी नीति में मेल रखने के लिए, भारत सरकार ने तीन संगठन खोलने का निर्णय किया है। उन संगठनों के नाम ये हैं परिवहन विकास परिषद, सड़क तथा देश में जल परिवहन सलाहकार समिति और परिवहन में समन्वय रखने के लिए केन्द्रीय समिति। इससे पहले तीन संगठन थे परिवहन सलाहकार परिषद, केन्द्रीय परिवहन मंडल और केन्द्रीय परिवहन मण्डल की स्थायी समिति। इनके स्थान पर ही अब उक्त संगठन बनाए जाएंगे।

परिवहन विकास परिषद

यह परिषद भारत सरकार को सड़क, सड़क परिवहन और देश में जल-परिवहन की नीति के बारे में सलाह देगी। सरकार परिवहन के विभिन्न साधनों में समन्वय रखने के बारे में परिषद से जो पूछेगी, उस पर भी परिषद सलाह देगी।

राज्यों के परिवहन मंत्री, केन्द्रशासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय सरकार की ओर से परिवहन और संचार मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, रेल मंत्री, परिवहन और संचार मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा उपमंत्री और आयोजन आयोग के सदस्य (परिवहन) इस परिषद के सदस्य होंगे। केन्द्रीय परिवहन और संचार मंत्री परिषद के अध्यक्ष तथा भारत सरकार के परिवहन सचिव परिषद के सचिव होंगे। इसकी साल में कम से कम एक बैठक होगी।

सड़क और जल-परिवहन सलाहकार समिति

यह समिति सड़क, सड़क परिवहन और देश में जल-परिवहन की समस्याओं पर विचार करेगी और परिवहन विकास परिषद को अन्तिम

निर्णय के लिए सिफारिशें भेजेगी। इसमें सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्य होंगे और केन्द्रीय परिवहन और संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री इसके अध्यक्ष रहेंगे। यह समिति केन्द्रीय परिवहन मण्डल की स्थायी समिति के स्थान पर बनायी जाएगी। यह भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की परिवहन सम्बन्धी दिक्कतों पर विचार करेगी। भारत सरकार के परिवहन सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे।

अनाज के सूचक अंकों में गिरावट

इस साल सभी अनाजों के भाव के सूचक अंकों में गिरावट आयी है। गेहूँ के भाव का सूचक अंक पिछले साल के ८९ से गिरकर ८५ और चावल का १०७ से गिरकर १०५.६ रह गया है। मोटे अनाजों के सूचक अंकों में अधिक कमी आयी है। जैसे, ज्वार का सूचक अंक पिछले साल के १२५ से गिर कर ९०.३, बाजरे का १६८ से गिरकर १११.१, मक्के का १२१ से गिर कर १०९.६, जौ का ९९ से गिर कर ९३.७ और रागी का १०१ से गिरकर ९८.४ रह गया। कुल मिलाकर अनाजों का सूचक अंक पिछले साल के १०४ से गिर कर इस साल ९९ रह गया।

यह स्थिति इस बात की सूचक है कि एक क्षेत्र में अनाज की कमी का सारे देश पर असर न पड़ सके, इसके लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वे कारगर सिद्ध हुए हैं।

१९५७-५८ में उत्तर के चावल पैदा करने राज्यों में सूखा पड़ने के कारण उपज १९५६-५७ के २ करोड़ ८३ लाख टन से ३५ लाख टन कम हुई। फिर भी यह उपज पिछले कुछ सालों की औसत उपज से कम नहीं है। इस साल खरीफ के अन्य अनाजों, जैसे ज्वार, बाजरे और मक्के की उपज बढ़ी है। कुल मिलाकर खरीफ के अनाजों की उपज पिछले साल की उपज से १८ लाख टन कम हुई है।

चावल की फसल इस साल दक्षिण में अच्छी हुई। दक्षिण के चारों राज्यों—मद्रास, आंध्रप्रदेश, मैसूर और केरल—में चावल के भावों में अधिक घटबढ़ नहीं हुई।

इन चारों राज्यों को मिलाकर एक दक्षिणी-क्षेत्र बना लेने का परिणाम यह हुआ कि इन राज्यों में जहां चावल की कमी पड़ी, वहां अधिक चावल पैदा करने वाले राज्यों से चावल आ गया। इस प्रकार कहीं भी चावल के भाव में भारी घटबढ़ नहीं हुई। मध्यप्रदेश और उड़ीसा के चावल के बाहर जाने पर रोक लगा देने के कारण यहां स्थिति अच्छी रही। उत्तर प्रदेश की स्थिति भी सामान्यतः अच्छी रही। चावल की कमी मुख्यतया बिहार, असम और पश्चिमी बंगाल में है किन्तु यहां की सरकारों को विश्वास है कि उनके पास जो भंडार मौजूद है तथा जो चावल उन्हें बाहर से मिलने वाला है, उससे वे स्थिति सम्भाल लेंगे।

भारत-सरकार के पास भी इस समय ८ लाख टन गेहूं और ४ लाख टन चावल का भंडार है। राज्यों के पास भी काफी अनाज जमा है। इसके अलावा बर्मा से चावल और अमेरिका तथा कनाडा से गेहूँ मंगाया जाएगा।

जून, ५८ में थोक भावों का उतार-चढ़ाव

भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि जून १९५८ में थोक भावों का सूचक अंक (मार्च १९५३ में समाप्त वर्ष को आधार=१०० मानकर) ३.२ प्रतिशत बढ़कर १११.७ हो गया, जब कि मई १९५८ में यह अंक १०८.२ था। जून में 'खाद्य सामग्री' का सूचक अंक ५.८ प्रतिशत बढ़ कर ११३.४, 'तम्बाकू' का ०.१ प्रतिशत बढ़कर ९०.३, 'ईंधन, बिजली, प्रकाश, और तेल' का ०.७ प्रतिशत बढ़कर ११५.६, 'औद्योगिक कच्चे माल' का १.६ प्रतिशत बढ़कर ११५.३ और 'तैयार माल' का सूचक अंक ०.२ प्रतिशत बढ़कर १०७.९ हो गया।

खाद्य सामग्रीः—इस महीने चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का रागी, और दालों का भाव बढ़ा। इसके अलावा आलू, प्याज, काजू,दूध, घी, मूँगफली का तेल, सरसों और नारियल के तेल, मछली, अंडे, गुड़, तथा चाय, कहवा, मसाले, पान और नमक का भाव बढ़ा। संतरे और केले का भाव गिरा। इसके अलावा तिल के तेल का भाव भी गिरा।

तम्बाकूः—तम्बाकू का सूचक अंक ०.१ प्रतिशत बढ़कर ९०.३ हो गया।

इंधन, बिजली, प्रकाश और तेलः—सूचक अंक ०.७ प्रतिशत बढ़कर ११५.६ हो गया।

औद्योगिक कच्चा मालः—इस महीने कच्चे पटसन, सनई और रेशम का भाव गिरने से 'रेशे' का सूचक अंक ०.६ प्रतिशत गिर कर १०९.९ हो गया, परन्तु कच्चे ऊन का भाव बढ़ा। 'तिलहन' सूचक अंक ४.४ प्रतिशत बढ़कर १२३.७ 'खनिज' का अंक १०६.९ से बढ़कर १०७.३ और 'अन्य औद्योगिक कच्चे माल' का अंक ०.४ प्रतिशत बढ़कर ११०.५ हो गया।

अध तैयार मालः—सूचक अंक १.७ प्रतिशत बढ़कर १०९.८ हो गया। अलसी के तेल, रेयन, जस्ते, टीन, सीसे और जर्मन सिलवर का भाव बढ़ा और नारियल के रेशे, अलमूनियम तथा पीतल का भाव गिरा।

तैयार माल:—सूचक अंक ०.२ प्रतिशत बढ़कर १०७.९ हो गया। सूत, पटसन रेशम, और रेयन के सामान का भाव गिरने से "सूत" का सूचक अंक ०.६ प्रतिशत गिरकर १०६.७ रहा, पर ऊन के सामान का भाव बढ़ा। "रसायन" का सूचक ४.२ प्रतिशत बढ़कर १०३.७, "तेल की खली" का ७ प्रतिशत बढ़कर १२८.५; "मशीन और परिवहन सामग्री" का अंक १०२.९ से बढ़कर १०३.० हो गया। "धातु के सामान" के सूचक अंक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

ईंट और खपरेल का भाव गिरने से "अन्य तैयार माल" का सूचक अंक ०.६ प्रतिशत गिर कर ११३.४ हो गया।

थोक भावों के उतार-चढ़ाव की साप्ताहिक समीक्षा

१२ जुलाई १९५८ को समाप्त सप्ताह

इस सप्ताह में थोक भावों का अधिकारिक सूचक अंक (मार्च १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष को आधार=१०० मानकर) ०.६ प्रतिशत बढ़कर, ११४.४ हो गया। इससे पहले सप्ताह में यह ११३.४ था। यह पिछले महीने के इसी सप्ताह से ३.२ प्रतिशत अधिक था और गत वर्ष के इसी महीने के इसी सप्ताह से २.६ प्रतिशत अधिक था।

१९ जुलाई, १९५८ को समाप्त सप्ताह

इस सप्ताह में थोक भावों का सूचक अंक (मार्च, १९५३को आधार=१०० मानकर) उससे पिछले सप्ताह के सूचक अंक ११४.५ (संशोधित) से १.२ प्रतिशत बढ़कर ११५.६ हो गया। इस सप्ताह का सूचक अंक पिछले महीने के इसी सप्ताह के सूचक अंक से २.७ प्रतिशत और पिछले साल के इसी सप्ताह के सूचक अंक से ३.५ प्रतिशत अधिक रहा।

२६ जुलाई, १९५८ को समाप्त सप्ताह

इस सप्ताह में थोक भावों का सूचक अंक (मार्च १९५३ को आधार=१०० मानकर) ०.२ प्रतिशत बढकर ११६.१ हो गया। पिछले सप्ताह यह अंक ११५.६ था। इस सप्ताह का सूचक अंक पिछले महीने के इसी सप्ताह के सूचक अंक से २.५ प्रतिशत और पिछले साल के इसी सप्ताह के सूचक अंक से ३.३ प्रतिशत अधिक रहा। जुलाई, १९५८ का मासिक औसत ११५.० था, जबकि जून में १११.७ (संशोधित) और जुलाई, १९५७ में १११.६ था।

२ अगस्त १९५८ को समाप्त सप्ताह

भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार इस सप्ताह का सूचक अंक पिछले सप्ताह के सूचक अंक ११६.२ (मार्च, १९५३ को आधार=१०० मानकर) पर स्थिर रहा। यह सूचक अंक पिछले महीने के इसी सप्ताह के और पिछले साल के इसी सप्ताह के सूचक अंक से क्रमशः २.६ और २.७ प्रतिशत अधिक रहा।

आयात ------ ■

निर्यात* ------ ⊞

(रु० करोड़ों में)

१०० ८० ६० ४० २० ०

सा० म० जू० जु० अ० सि० अ० न० दि० ज० फ० मा०

१९५७ १९५८

*पुनर्निर्यात सहित

सिंघ, श्रीवास्तव

सी. एस. ओ. क्र० १७२/८ – ५८

आसाम की घाटी में मिट्टी के तेल की खोज की प्रगति*

जून १९५३ से जून १९५८ तक

सफल कुएं

जिन कुओं के बारे में अब भी परीक्षण हो रहे हैं

सूखे कुएं

गैस के कुएं

खोदे गये कुओं की कुल संख्या

४२

खोदे गये कुओं की गहराईयों का कुल योग ४,५९,५६६ फीट

गांगुली, पवार

(*नाहरकटिया और मोरन में आसाम आयल कं० द्वारा)

सी एल-ओ. क्र. ११२/८-५८

१. औद्योगिक उत्पादन*

[१] बुनाई उद्योग

वर्ष	१ सूत (लाख पौंड)	२ सूती कपड़ा (लाख गज)	३ [क] जूट का माल (००० टन)	४ [ख] ऊनी माल (धागा) (००० पौंड)	५ पट्टे (टन)
१९५०	११,७४८	३६,६४८	८३५.२	१८,०००	५१०.०
१९५१	१३,०४४	४०,७६४	८७४.८	१७,७००	६७५.६
१९५२	१४,४६६	४५,९८४	९५१.६	१६,५८४	७०९.२
१९५३	१५,०६०	४८,७८०	८६८.८	१९,२४८	७५८.४
१९५४	१५,६१२	४९,९८०	९२७.६	१९,३५६	८४०.०
१९५५	१६,३०८	५०,९४०	१,०२७.२	२०,७००	८२५.६
१९५६	१६,७१६	५३,०७६	१,०९३.२	२५,४४०	८१४.८
१९५७	१७,८०१	५३,१७४	१०२९.६	२७,७९२	७१२.८
१९५७ जुलाई	१,५०२	४,५८९	८५.९	२,४२७	४६.२
अगस्त	१,४४१	४,२०५	८१.९	२,४८५	४७.७
सितम्बर	१,५०९	४,४३७	८६.०	२,६२०	४५.७
अक्तूबर	१,४२४	४,२५४	८३.५	२,५८१	५४.२
नवम्बर	१,४९१	४,३१५	९१.९	२,६४२	६०.६
दिसम्बर	१,५२७	४,३८२	९२.८	२,६५९	७०.७
१९५८ जनवरी	१,४८७	४,३६५	९८.३	२,२६६	५७.९
फरवरी	१,३२९	३,९१४	८५.३	२,१९४	६६.९
मार्च	१,३८५	४,०५६	८५.३	२,५४४	७४.७
अप्रैल	१,३४१	४,०७८	८८.०	२,०५९	५२.८
मई	—	—	९४.९	२,६५०	५१.२
जून	...	...	—	...	...

[क] जनवरी १९४९ से ये आंकड़े इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन के सदस्य मिलों तथा एक गैर सदस्य मिल के उत्पादन के सम्बन्ध में हैं। [ख] इसमें जम्मू और काश्मीर के आंकड़े भी सम्मिलित हैं।

[२] लोहा और इस्पात

वर्ष	६ कच्चा लोहा (००० टन)	७ सीधी ढलाई (००० टन)	८ लौह मिश्रित धातु (००० टन)	९ इस्पात के पिण्ड और ढलाई (००० टन)	१० अधूरा तैयार इस्पात (००० टन)	११ तैयार इस्पात (००० टन)
१९५०	१,५६२.४	९८.४	१८.०	१,४३७.६	१,१४२.४	१,००४.४
१९५१	१,७०८.८	९२.४	२४.०	१,५००.०	१,२४९.२	१,०७६.४
१९५२	१,६८४.८	१२९.६	४०.८	१,५७८.०	१,३०८.०	१,१०२.८
१९५३	१,६५४.८	११५.२	७.२	१,५०७.२	१,२३०.०	१,०२३.९
१९५४	१,७९२.८	१२७.२	४०.८	१,६८४.८	१,४५२.०	१,२४३.२
१९५५	१,७५६.८	१२६.०	१२.०	१,७०४.०	१,४५६.८	१,२६०.०
१९५६	१,८०७.२	१२२.४	२८.८	१,७३७.६	१,४८४.४	१,३१६.४
१९५७	१७८९.२	११२.८	९.६	१,७१४.८	१,४४०.०	१,३४६.४
१९५७ जुलाई	१४२.०	७.६	०.८	१३३.७	११७.८	११०.३
अगस्त	१४४.७	९.२	०.७	१३६.७	११७.६	११३.०
सितम्बर	१४६.९	८.०	०.६	१४४.३	१२३.५	११२.५
अक्तूबर	१५४.५	८.९	०.३	१५०.४	११९.३	१०८.७
नवम्बर	१५३.३	११.७	०.७	१४६.१	११८.८	११६.४
दिसम्बर	१६०.२	७.८	३.२	१५४.७	१२४.२	११४.७
१९५८ जनवरी	१६२.६	७.५	५.०	१६४.५	१२३.५	११६.८
फरवरी	१५९.८	५.३	४.९	१४६.३	१२७.५	१०८.६
मार्च	१६०.८	५.४	५.१	१५१.१	१२८.८	११५.६
अप्रैल	१६८.४	६.८	१.१	१५७.१	१२५.२	१११.१
मई	—	—	—	...	...	...
जून	...	...	...	...	...	...

* नवीन रिपोर्टों के अनुसार इन अंकों में संशोधन हो सकता है।

स्रोत—(१) १९५० से १९५६ और जुलाई ५७ से मई ५८ तक के आंकड़े :—औद्योगिक अंक-संकलन निदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित 'भारत में चुनी हुई वस्तुओं के उत्पादन के मासिक आंकड़े' नामक पुस्तक से।

(२) जून १९५८ के आंकड़े :—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की विकास शाखा, नयी दिल्ली से।

१. औद्योगिक उत्पादन

[३] धातु-उद्योग

वर्ष	१२ लकड़ी के पेच (००० ग्रोस)	१३ मशीनी पेच (००० ग्रोस)	१४ रेज़र ब्लेड (लाख)	१५ हरीकेन लालटेनें (०००)	१६ गैस के लैम्प (०००)	१७ तामचीनी का सामान (००० संख्या)	१८ जालियां (टन)	१९ डुप्लिकेटर (संख्या)
१९५०	७०३.२	१५६.६	१०६.८	२,८०६.८	३८ ४	५,४४५ ६	२,१४८	७८६
१९५१	७६६.८	१२७ २	२२६.२	३,६७६.८	६२ ४	८,१३० ०	१,८६६	१,५६०
१९५२	१,३२६.६	१४७ ६	१०८.०	३,५२१.२	३४.८	७,६६०.८	२,०१६	१,०२०
१९५३	२,५७२.६	१६८.०	२३१.६	४,३१२.८	३० ६	६,४८३.६	१,६५६	६२४
१९५४	५,१६७.२	२२६.२	१,३१४.०	४,६८७.२	३७.२	१४,६७७ २	२,४१२	१,१२८
१९५५	६६६२.४	६४०.८	१,७४६.०	५,४८७.६	५८.८	१५,७१६.४	२,३२८	२,०८८
१९५६	७,७१४.८	१,२७९.०	२,६५२.०	५,१७६.२	८४ ०	१५,४६२.०	१,४१६	२,७८४
१९५७	८,३७२.४	१,३६०.२	३,३६४.८	४१४८.४	६८.४	१३,६५६ ०	१,१५२	२,८६८
१९५७ जुलाई	७८७.३	११५.४	२३०.३	३६०.३	८.५	१,००१.८	२१६	१८५
अगस्त	६२४.४	११७ ६	२३५.५	३६२.०	४ ७	१,२८१.३	१६८	६६
सितम्बर	६३५ ६	१४०.२	१८५.७	२६० ८	२.३	१,१६५ ३	१८६	६८
अक्तूबर	६७२.४	१२४.४	१८६.०	२४०.८	५.५	१,०२६.१	११२	१७३
नवम्बर	६४४ ८	१३०.८	२३८.३	२६७ ७	६.२	१,१२४ ७	२६६	३७०
दिसम्बर	६१३.६	११०.४	२१०.३	२७१.६	१०.०	१,२४६.५	३१६	३२६
१९५८ जनवरी	६७४ ६	१४८ ३	३१८ ८	२८५ ६	६.५	१,६६१.०	८६	३६४
फरवरी	५५३ २	१५४.४	२८४ ७	१७३ ४	७.६	१,६५८.१	६२	१८६
मार्च	६११.६	१६६.६	२८१.२	१४१.२	६ ८	१,२८३.८	५६	२०६
अप्रैल	६५३.४	१७४.३	३१३.३	२६५ ६	७.८	१,३४७ ६	५८	२८३
मई	४१०.३	१५१.५	२८७ ९	३३०.०	६ ६	...	३२	३२५
जून	...	...	...	...	...	...		३६४

[४] मशीनें (बिजली की मशीनों के अतिरिक्त)

वर्ष	२० डीज़ल इंजिन (संख्या)	२१ शक्ति चालित पम्प (०००)	२२ सिलाई की मशीनें (ग) (संख्या)	२३ मशीनी औज़ार (मूल्य ००० रुपये)	२४ ट्विस्ट ड्रिल्स (०००)	२५ कोलिको करघे (संख्या)	२६ रिंग स्पिनिंग फ्रेम (पूर्ण) (संख्या)	२७ सान रखने के चक्के (००० पौंड)	२८ धुनाई की मशीनें घूमने वाली चपटी (संख्या)
१९५०	४,५६६	३०.०	३८,८८८	२,६६० ४	४४५.२	...	...	५००.४	...
१९५१	७,२४८	४० ८	४४,४६०	४,७३०.४	१,०२७ ६	२,५०८	२७६	७०८.०	...
१९५२	४,२४८	३२ ४	५०,०४०	४,४३७ ६	७७५.२	३,३०४	२८८	८६५.२	१०९
१९५३	३,७२०	२५.२	६२,४२४	४,४०७.६	३३४.८	२,४२४	'२०४	८०७.३	१६२
१९५४	८,६५२	२८ ८	८०,१६६	५,००२.८	५३८.८	१,८८४	३६०	१,१३४.०	४१२
१९५५	१०,२२४	३४ ८	१,०१,४७२	७,४४० ०	७७८.८	२,७३६	८६४	१,४३८.८	३००
१९५६	११,६४०	४६.८	१,३०,३६२	८,२०२.८	१,५४६.२	२,८६८	१११६	२,४७८.०	७३२
१९५७	२६,५१२	६३६	१,६६,६२०	२५,००६ ८	२,२५८.४	२,८६८	१३६८	३,२३२.८	१०२०
१९५७ जुलाई	१,४३६	५.१	१२,६६१	२०७७.२	२७०.८	२१६	१०५	२६०.२	१०१
अगस्त	१,३८७	५.३	१४,१५१	२५४६.१	२४२.१	३६१	१३२	२६७ ६	१०७
सितम्बर	१,४५३	५.६	१३,७८६	२३४१.४	२४६.०	२७४	११५	२६४.४	६५
अक्तूबर	१,७११	४.६	८,५५८	२१२६.४	१६६.३	१६६	६२	२३८.०	५२
नवम्बर	१,६४६	५ ६	१७,०२८	२६३०.७	२२६.८	२२४	१०६	२४७.३	१०६
दिसम्बर	१,७४२	६.५	१७,७८०	२४७३.०	२२२.५	१६१	२०६	२३४.३	१३०
१९५८ जनवरी	२,०५५	६.०	१७,०६२	३६६३ ६	२१८.२	१७७	६८	२४४.३	१२३
फरवरी	१,६५६	६.१	१५,६१०	३५६५.२	२०७.८	१७१	७१	१८२.७	१११
मार्च	१,७८६	६.५	१६,०१६	४१०१.१	१६०.०	२११	६१	२२२.८	११६
अप्रैल	१,७३०	६.८	१७,२८७	२४०२.३	२०६.६	२०६	७०	२११ ६	८४
मई	...	४.८	१८,४८९	२३२५.६	६३ ८	२३६	६६	२१६.५	१००
जून	...	...	...	...	११८.८	...	...	...	...

[ग] वास्तविक उत्पादन, स्थापित उत्पादन क्षमता से काफी अधिक है। इसका कारण यह है कि स्थापित क्षमता की गणना एक पाली के आधार पर की गयी है और एक कारखाना एक से अधिक पालियां चला रहा है।

१. औद्योगिक उत्पादन

[५] अलौह धातुएं

वर्ष	२९ अलुमीनियम (टन)	३० सुरमा (टन)	३१ तांबा (टन)	३२ सीसा (टन)	३३ अलौह धातुओं के नल (टन)	३४ सोना (औंस) [घ]
१९५०	३,६६६.४	३७५.६	६,६२४.४	९२७.६	३३१.२	१,९९,६२०
१९५१	३,८४८.४	३२७.६	७,०८३.६	८५६.२	२४८.५	२,२६,३३८
१९५२	३,५६६.४	१८१.२	६,०७६.२	१,१३१.६	३७०.८	२,५३,२६०
१९५३	३,७५८.४	१३०.८	४,६२०.०	१,६६४.३	३५७.६	२,२३,०२०
१९५४	४,८८६.४	५३८.८	७,१६१.६	१,७८८.०	१८६.०	२,४०,७०८
१९५५	७,२२५.२	५०४.०	७,२८१.६	२,२३४.४	३४३.२	२,११,४६४
१९५६	६,५००.४	५८६.२	७,६२८.४	२,४६७.२	३६३.६	२,०६,०८८
१९५७	७,७७१.२	५०१.६	७८४८.०	३,१७४.०	३६४.८	२,७६,१९६
१९५७ जुलाई	६६४.७	५३.०	६७०.०	२६४.४	३०.३	१५,५३०
अगस्त	६६४.७	५०.०	६२०.०	२४५.२	४३.२	१३,८३८
सितम्बर	६५४.९	४५.०	६५५.०	३५०.०	३२.०	१५,४३७
अक्तूबर	६८७.०	४५.०	६७२.०	३१७.०	३४.३	१४,४७४
नवम्बर	६६६.०	४६.०	६७०.०	२७२.०	३४.७	१५,२७६
दिसम्बर	६३०.६	४८.१	७००.०	३१३.०	२७.०	१४,६७३
१९५८ जनवरी	७०३.३	३०.०	३०२.०	२७५.०	१८.१	१४,८२५
फरवरी	६२५.८	४०.०	६५५.०	२८८.०	२५.०	१५,२५७
मार्च	६८५.३	५४.०	७१०.०	४०७.१	२४.६	१४,४७२
अप्रैल	६६२ ६	३६.०	६८२.०	१६२.०	२३.६	१३,१३०
मई	७१०.१	५४.०	६९६.०	१५६.५	२७.८	११,३०३
जून	...	५६.०	६८०.०	१६८.१	२६.२	—

[घ] १९४८ से हैदराबाद में हुए सोने का उत्पादन भी इन आंकड़ों में सम्मिलित है।

[६] बिजली उद्योग

वर्ष	३५ उत्पादित बिजली [क] (लाख किलोवाट प्रति घण्टा)	३६ बिजली ले जाने की नलियां (००० फुट)	३७ सूखे सैल (लाख)	३८ संग्रह की बैटरी (०००)	३९ बिजली के मोटर (००० हार्स पावर)	४० बिजली के ट्रान्सफार्मर (००० के.वी.ए.)	४१ बिजली की बत्तियां (०००)
१९५०	५१,०७२	२,६६६.४	१,३८१.२	१८७.२	८१.६	१७१.६	१४,३०४
१९५१	५८,५८४	३,६६६.६	१,४३४.०	२१२.४	१४२.८	१६५.६	१५,५१६
१९५२	६१,३००	३,६६४.८	१,३०२.०	१५८.४	२५७.२	३२४.८	२०,८८०
१९५३	६६,२७६	३,७२५.२	१,४८४.४	१७६.४	२६२.०	३०८.४	२६,७६६
१९५४	७४,५००	५,६८३.२	१,४८६.८	१८८.४	१८७.२	३६६.६	२३,०७६
१९५५	७६,८३६	६,२४८.४	१,६१०.४	२३५.२	२५२.०	५६५.२	२४,२३४
१९५६	९६,१०८	१०,६३२.०	१,८२४.४	३१४.४	३५८.८	६१०.२	३०,७२८
१९५७	१०८,३४८	११,७८२.६	१,६६५.६	३२४.०	४६६.२	१,२१६.२	३३,१४६
१९५७ जुलाई	६,२६१	८६६.१	१६५.६	२८.६	४३.४	११३.०	३०११.६
अगस्त	६,२०८	६२१.६	१५८.२	२५.६	४०.२	१०५.४	२७१७.०
सितम्बर	६,२२६	८५४.५	१११.६	२६.८	४३.५	११०.४	३६७०.२
अक्तूबर	६,१२३	७०६.८	६७.२	२४.२	३७.७	१०२.२	२४१६.६
नवम्बर	६,२२३	८६६.५	११८.०	२६.२	४३.१	१०६.५	३७८५.४
दिसम्बर	६,५६६	१०३६.३	१३७.२	२८.५	४६.५	११४.०	२६५६.३
१९५८ जनवरी	६,७१४	६५६.५	१३१.८	२३.६	४५.०	१०१.३	२६१२.१
फरवरी	६,२४२	७२८.४	१२६.६	२७.८	४५.१	६७.१	२५६३.७
मार्च	६,६३०	७७०.६	१०६.५	२६.४	५१.८	११३.१	२४६५.७
अप्रैल	६,६६४	५६०.६	१२७.८	२८.४	४६.५	६६.६	२३५६.६
मई	...	५२७.२	१४०.६	२६.३	५०.७	८२.८	—
जून	...	—	१४६.१	३१.२	४६.६	—	—

[क] इसमें जम्मू और काश्मीर के आंकड़े भी शामिल हैं।

१. औद्योगिक उत्पादन

[६] बिजली के उद्योग (गत पृष्ठ से आगे)

वर्ष	४२ बिजली के पंखे (०००)	४३ रेडियो रिसीवर (संख्या)	४४ तार: तांबे के खुले हुए (टन)	४४ तार: लपेटने के [च] (टन)	४४ तार: रबड़ चढ़े हुए (लाख गज)	४५ घर में लगाने वाले मीटर (संख्या)	४६ घरेलू रेफ्रीजरेटर (संख्या)
१९५०	१९९.२	४४,३४०	५,६७३	२८२	३११.३	...	...
१९५१	२१२.४	८२,७८८	६,०००	३००	४११.३	...	...
१९५२	१६५.६	७१,४६१	५,६२८	३६६	३२८.८	१४,३५६	१००
१९५३	१६६.२	५१,२६८	७,३६८	२२८	४८४.८	८०,३७३	१,१४०
१९५४	२३८.८	५८,३०४	७,५७२	३२४	६२७.३	२,४८,८८४	१,००८
१९५५	२८२.०	८२,२०४	८,४३३	३१२	८६२.३	२,५५,३४८	५२८
१९५६	३३८.८	१५०,३००	१०,२३०	७२८	१०५८.०	२,३०,३०४	७८६
१९५७	५३४.४	१६०,२७२	८,५५६	१०२०	१०२८.४	३,३०,५४०	६४८
१९५७ जुलाई	४४.७	१५,३७३	५०७	७७	६१.७	३०,०४७	१००
अगस्त	४४.१	१४,५१७	६३१	१०३	६२.४	२२,५४०	५०
सितम्बर	४५.१	१६,२४३	६२६	६६	१०२.७	२६,८७८	५०
अक्तूबर	३७.४	१२,०४७	७८६	१००	६२.४	२७,३१६	६०
नवम्बर	५०.३	१७,२४८	७६१	६२	८६.६	२८,०२७	११४
दिसम्बर	५२.३	२१,७०६	६४०	६८	८६.२	२६,७८७	११८
१९५८ जनवरी	५१.१	११,२८८	५६४	१०६	१०३.३	३०,००१	८०
फरवरी	५०.७	१४,६५३	५६८	११०	७७.३	२६,६५१	८०
मार्च	५४.३	२५,७७२	६३६	११६	१०६.६	३१,७२१	१५४
अप्रैल	५२.६	१७,४०३	६२०	१२०	७५.४	२५,०३०	१०५
मई	५६.७	१६,१२७	२६६	१२२	८३.३	२८,४६१	१०६
जून	...	१८,१५७	—	...	...	२८,२६२	१०६

[च] १९५० से १९५३ तक के आंकड़े रबड़ चढ़े केबलों तथा लचीले तारों के ही हैं।

[७] रसायनिक पदार्थ

वर्ष	४७ गंधक का तेजाब (टन)	४८ कास्टिक सोडा (टन)	४९ सोडा ऐश (टन)	५० तरल क्लोरीन (टन)	५१ ब्लीचिंग पाउडर (टन)	५२ बाइक्रोमेट (टन)	५३ सुपर-फास्फेट (टन)	५४ अमोनियम सलफेट (टन)	५५ तूतिया (टन)
१९५०	१,०२,४८०	१०,८४८	४३,७८८	३,६७२	३,३१२	२,६८०	५४,४२८	४७,३०४	४१२
१९५१	१,०६,६३२	१४,७२४	४७,५१२	५,३१८	३,५८८	३,२७३	६१,०३०	५२,७०४	५०४
१९५२	६३,०८४	१७,०१४	४४,२२८	३,२४०	७६२	१,४३४	४६,३५३	२,३०,३०८	३३६
१९५३	१०६,०६२	२२,६०८	५६,८६८	८,३३६	१,६४४	२,५०८	४८,३००	३,२६,३३०	५१३
१९५४	२,५०,८७३	२६,३०४	४८,२८८	६,७८०	२,६२८	३,२४०	१,०५,०६०	३,४०,२२४	८४०
१९५५	२,३३,२००	३४,२४८	७७,२६८	११,५८०	२,७००	२,६२८	७४,३३०	३,६३,०६६	१,०४४
१९५६	२,३५,४०८	३६,४२०	८४,२४०	१५,०७२	४६,५६	१,२२४	८२,६६८	३,८८,६६२	२,६८०
१९५७	२,६२,२५६	४२,४८०	६२,६२०	१५,६६६	५,६४०	३,३७२	२,४१,३००	३,७६,१५६	२,८८४
१९५७ जुलाई	१८,४८२	३,२२५	३,६११	१,१७२	४५६	३२५	११,३३३	३०,३२२	१११
अगस्त	१७,३७०	३,३४५	७,५३०	२,३३२	५३६	३२१	२४,४३६	३१,६६२	१२१
सितम्बर	२५,६०४	३,३३५	६,८५६	२,२८०	५२४	३३०	१३,२०४	३०,४२३	२८६
अक्तूबर	२५,८६५	३,३४०	७,७४७	२,३२१	४६४	३२१	१२,३१२	३०,३३०	२२५
नवम्बर	३३,४१६	३,३००	७,८१५	२,२५१	५३३	२६८	१२,२३३	३५,७४५	११०
दिसम्बर	१८,५४८	३,६८२	८,३११	२,३३३	३२७	३३४	११,५३०	३७,४१७	१७६
१९५८ जनवरी	११,६८७	४,०८३	८,३५१	२,२६५	५१६	२३६	११,४२०	३३,५७२	१५८
फरवरी	१७,६११	३,७५२	७,६८१	२,२७५	५०५	३०४	११,३७४	३१,२२५	६६
मार्च	१६,२२७	४,२१६	८,३१४	२,३३७	५७०	३२४	११,७१३	३५,३३७	१८२
अप्रैल	११,५०३	४,३१५	६,६६३	२,२८०	५३६	३०४	१२,३०३	३१,५३६	१११
मई	—	...	७,३१६	...	४३३	—	—	—	—
जून	—	...	६,२११	२,३८३	३०४	...	—	—	—

१. औद्योगिक उत्पादन

[८] रसायनिक उद्योग

वर्ष	५६ रंगलेप और वारनिशें (टन)	५७ दियासलाई [छ] (००० पेटियां) [ज]	५८ साबुन [झ] (टन)	५९ सरेस (हंडरवेट)	६० गैसें धातुओं को जोड़ने की: आक्सीजन (लाख घन फुट)	एसिटलीन (लाख घन फुट)	६१ ग्लिसरीन (टन)	६२ फेनॉल [ञ] फार्मेलडीहाइड का ढलाई के काम का चूरा (००० पौंड)
१९५०	२७,९४८	५२३.२	७२,६९६	१३,५०८	...	...	२,००४	...
१९५१	३३,४६२	५७८.४	८३,४३६	१४,११२	१,४५२.०	२९८.८	२,४२४	४५९.६
१९५२	३२,१७२	६१९.२	८६,३७६	१४,६४०	१,६२९.६	३१५.६	२,२२०	६६७.२
१९५३	३२,०५२	६१८.०	८२,२००	१७,०८८	१,८८१.६	३४८.०	२,५०८	८३७.६
१९५४	३६,८१६	५२९.२	८७,९९६	१८,१२०	२,३४४.८	४२१.२	२,३८८	१,०५७.२
१९५५	३९,०३६	६१५.६	९९,०००	१९,४६४	२,८२८.४	४७४.०	२,५०८	१,६००.८
१९५६	४१,४२४	५८९.२	१,०९,९०८	२१,८२८	३,२८३.२	५५३.२	२,९१६	२,२०५.६
१९५७	४२,२७६	५७७.२	१,१२,७०४	२५,८१२	४,०२०.०	६४०.८	२,६६४	२,६३१.६
१९५७ जुलाई	२,८४७	४७.९	९,६००	१,८४५	३५०.६	५२.८	३१८	२३३.४
अगस्त	३,४००	४८.२	८,५२६	२,०५५	३६३.१	५१.६	१३७	२०८.३
सितम्बर	३,५००	४७.५	८,४५०	१,८४७	३५७.०	५३.७	१३५	२२३.०
अक्तूबर	३,५५६	४३.८	९,५०१	१,८२२	३३५.८	५२.२	१२८	२२३.१
नवम्बर	४,१६४	५१.३	९,२७३	२,४८३	३७१.९	५९.७	२९७	२३४.८
दिसम्बर	४,०५०	५०.३	९,६०७	२,११६	३७१.९	६३.८	३२१	२६२.४
१९५८ जनवरी	४,०२९	४९.७	१०,२८०	२२,८३	३७६.५	६१.६	२२२	१८८.१
फरवरी	३,६३६	४६.७	९,२००	२,२९९	३४१.४	५७.२	३६३	२२६.५
मार्च	३,८६५	४१.९	८,७९०	२,३३६	३६२.६	५७.८	१८१	२५८.२
अप्रैल	३,८१८	४५.५	९,२४३	२,०७७	३७४.६	५५.६	३१८	२३५.२
मई	५,२६७	...	...	१,८६९	—	...	...	२४६.३
जून	४,२१०	...	...	१,७३०	—	...	...	२३४.०

[छ] इसमें जम्मू और काश्मीर के आंकड़े भी शामिल हैं।
[झ] ये आंकड़े संगठित कारखानों के उत्पादन के हैं।
[ज] ६० तीलियों वाली डिबियों के ५० ग्रोस।
[ञ] जुलाई १९५६ से परिवर्तित।

[८] रसायनिक उद्योग

वर्ष	६३ लिवर का सत्व: इंजेक्शन (००० घ० सैं०)	खाद्य (००० पौंड)	६४ रेयन (टन): विसकोज धागा	स्टेपल फाइबर	एसिटेट धागा	६५ अलकोहल (००० गैलनों में खुला हुआ): इंजनों में जलने वाला	शुद्ध स्पिरिट	मिश्रित स्पिरिट	६६ लिनोलियम (००० वर्ग गज)	६७ प्लास्टिक के सांचे (००० ग्रोस)
१९५०	११,२४५.३	३०१.२	—	—	—	४,४९७.६	३,४३५.६	१,४७७.२	—	—
१९५१	१०,६८२.४	३१९.२	२,०४०	—	—	५,८०९.२	५,०१९.६	२,९६६.८	—	१,४४६.०
१९५२	१०,३७२.८	३१०.८	३,५८८	—	...	७,७४२.४	४,६६८.०	२,१७८.०	१५९.६	१,५४४.४
१९५३	१०,१३८.८	२८४.४	४,३५६	—	...	८,१२०.४	४,३७६.४	२,४९३.६	१६३.२	१,३५७.२
१९५४	१६,७८४.४	२५९.२	४,९४४	३,०८४	...	८,००७.६	४,६३०.८	२,८३५.६	३३६.०	१,३०८.०
१९५५	२४,२४०.२	२९४.०	५,७३६	५,७१२	१०४४	१०,४३२.८	५,२५६.४	२,८८९.२	३२२.८	२,४७८.८
१९५६	२४,१४२.४	२७९.६	७,२९६	७,८४८	१४१६	१०,१४३.२	३,९९९.६	३,३९२.८	३२०.४	३,६०३.१
१९५७	२८,१४०.०	२४७.२	९,३९६	८,००४	१६०८	१०,१३६.४	५,०६४.०	३,४३९.२	३२७.६	३,६९७.२
१९५७ जुलाई	१,६१६.९	२९.६	७२३	६८७	१४४	९३१.७	३६०.७	२६४.६	२९.७	३२९.१
अगस्त	२,१६४.४	२२.०	९०६	६२१	१३३	७८३.५	४३२.६	२७९.१	३७.२	३४८.२
सितम्बर	१,८५६.४	३०.५	८९२	७५४	१३०	५३७.३	४३९.६	२४५.४	४३.७	३०४.८
अक्तूबर	२,१८५.४	१५.०	८३१	५४८	१४३	६३८.१	४११.७	२८१.६	१८.२	३२८.०
नवम्बर	२,३८२.७	१७.७	८६७	४५७	१३४	७७८.३	४१९.२	३०२.६	२०.९	३३६.५
दिसम्बर	२,८८६.४	११.६	९७१	४८२	१२९	९९७.०	५१७.९	३२५.७	२४.३	३६७.५
१९५८ जनवरी	२,४१६.९	२५.३	९९६	६०७	१४०	९५४.४	५३९.६	३४४.७	१९.१	३०६.०
फरवरी	३,१७३.६	२८.३	९२७	९५५	१२५	१,००९.७	४७२.७	२७४.७	११.०	२९८.५
मार्च	३,७६१.०	२५.४	१,०५०	१,२४९	१४६	८२५.६	५०७.०	२९७.६	१२.३	२३०.०
अप्रैल	३,२१९.८	२४.८	९९३	१,११६	१५६	७३८.०	४५०.१	२९९.५	२२.०	—
मई	—	—	१,०३७	१,१६३	१५५	...	—	...	२१.५	—
जून	—	—	१,१६८	१,२४७	१४५	८१८.४	—	...	१८.८	२३४.०

१. औद्योगिक उत्पादन

[९] सीमेंट और चीनी मिट्टी का माल

वर्ष		६८ सीमेंट	६९ सीमेंट की चादरें, (एसबेसटस)	७० चीनी के बरतन	७१ स्वच्छता के उपकरण	७२ पत्थर का सामान	७३ चीनी की पालिश वाली टाइलें	७४ तापसह ईंटें	७५ घर्षक (एमरी पेपर)	७६ बिजली-अवरोधक (इन्सुलेटर) एच टी.	एल टी
		(००० टन)	(००० टन)	(टन)	(टन)	(००० टन)	(००० दर्जन)	(००० टन)	(००० रीम)	(०००)	(०००)
१९५०		२,९२२ ४	८६.४	३,०६०	१,७८८	२१ ४	६२ ४	२३१ ४	११ २	२७४ ०	१,२७६ २
१९५१		३,१९५ ६	८२ ८	३,११२	३४८	३० ०	३१० ८	२३७ ६	३७ २	२४४ ८	१,४३१ ८
१९५२		३,५३७ ६	८७ ६	३,०६०	४१२	३३ ६	३४५.६	२४३ ६	५५ २	३२५ २	३,०७८ ०
१९५३		३,७८० ०	७३ ६	१०,५४०	३४८	३१ ६	३७४ ४	२२८ ०	६१ २	४६३ २	२,४६० ०
१९५४		४,३९८ ०	७६ २	१०,६५३	१,३३२	४० ८	४१८ ८	२४० ०	७० ८	५०७ ६	२,३७४ ८
१९५५		४,४८६ ८	१०४ ४	१०,२२४	२,५८०	४२ ०	३८० ४	२७४ ८	७६ २	२५२ ०	३,२६४ ८
१९५६		४ ६२८ ४	१२० ०	१५,०२४	२,७१२	४४ ४	४५४ ८	३१८ ०	६८ ४	६२ ४	३,७३० ४
१९५७		५,६०२ ६	१५८ ४	१५ ५४०	३,४१२	५१ ६	५२० ८	३६२ ४	६१ २	१८६ ०	४,५५७ ६
१९५७	जुलाई	४२५ २	१२ ६	२,३०२	३०१	४ १	४५ ६	२६ ३	६ २	१७ ६	४१० ०
	अगस्त	४४६ ६	११ ४	२,३८२	३३५	४ ३	२६ ६	३५ ३	६ ५	२० ०	३७८ १
	सितम्बर	४४२ ४	११ २	२,२४३	३४५	३ ८	४३ ६	२६ ६	६ ६	२२ ४	३६८ २
	अक्तूबर	५६० ६	१२ ६	२,२२०	३५२	४.५	४२ ०	३० ५	८ ७	२८ ६	२५५ ५
	नवम्बर	५१० १	१४ ४	२ ५०८	३१८	५ ०	६१ ३	३२ ७	६ ६	२८ ५	३८८ ६
	दिसम्बर	५८७ ३	१५ ६	२,५४०	२४०	४ ०	४४ ०	३४ ६	८ ६	३५ ७	४४४.४
१९५८	जनवरी	५६४ ८	१६ ४	२,४८४	३२७	५ ६	४४ ६	३३ ३	६ ४	५५ ७	४७८ ८
	फरवरी	४६५ ४	१४ ३	२,३७०	३०६	४ ७	४३ २	३४ १	७ ६	३४ १	४२२ ४
	मार्च	५७८ ५	१५ २	२,३८३	३४०	५ ४	४७ ४	४६ ७	८ ६	३४ १	४४० ४
	अप्रैल	५३६.५	१४ ५	२,३६०	३१६	५ १	४१ ४	३४ ८	७ ८	२८ १	४५४ २
	मई	५३३ ०	१५ २		—			—	६ २	—	—
	जून	५०५ ६	१४ ७		—	—	४३ ०		—	—	

[१०] काँच और काँच का सामान

वर्ष		७७ काँच की चादरें (००० वर्ग फुट)	७८ प्रयोगशालाओं का सामान (टन)	७९ बिजली के बल्बों के खोल (लाख बत्तियाँ)	८० काँच का अन्य सामान (टन)
१९५०		६,५७० ०	२,११०	२२६ ६	७२,२१९
१९५१		११,०८६.१	२,६८०	१४४ ०	६०,३२४
१९५२		६,०४१ २	२,४७३	११६ ८	८५,३६८
१९५३		२२,७८६ ८	१,३२०	१६६.३	७२,४४४
१९५४		३३,१११ ८	१,५१२	२३४ ४	८५,०८८
१९५५		३८,८८३ ६	२,४६८	२६० ४	१,००,०६८
१९५६		४७ ७४६ २	३,५००	३३४ ८	१,२३,६८१
१९५७		४८,३०६	३,०९९	३११ २	१,२१,६४८
१९५७	जुलाई	२२५६ ५	२१७	३१ ४	६,०६३
	अगस्त	५२४१ ६	४०४	३१ ४	६,८६०
	सितम्बर	५,०३४ ६	४२०	३४ २	१०,३४३
	अक्तूबर	६,३३० ७	३५७	३२ ६	२०,००४
	नवम्बर	६ ४१० ५	३५६	३४ ५	१०,७७१
	दिसम्बर	७,२६६.२	२७८	३८ ५	१०,४३९
१९५८	जनवरी	७ ३७३ ६	३१८	३४ ५	२०,५९९
	फरवरी	६ ५४८ ३	३२०	३१ २	१०,३२१
	मार्च	६,८७८.१	३६५	१६ १	१०,३६०
	अप्रैल	६,५६७ ७	३८७	१६ ८	११,०१७
	मई	—	—	.	—
	जून	—			.

१. औद्योगिक उत्पादन

[११] रबड़ उद्योग

	८१ रबड़ के जूते (लाख जोड़े)	८२ रबड़ चढ़ा सामान, खिलौने, गुब्बारे आदि (लाख दर्जन)	८३ टायर: मोटर गाड़ियां (०००)	८३ टायर: साइकिलें (०००)	८३ टायर: ट्रेक्टर (संख्या)	८३ टायर: वायुयान (संख्या)	८३ टायर: तांगा आदि (०००फुट)	८४ ट्यूब: मोटर गाड़ियां (०००)	८४ ट्यूब: साइकिलें (०००)	८४ ट्यूब: ट्रेक्टर (संख्या)	८४ ट्यूब: वायुयान (संख्या)
	१९५.९	२०५.९	९३८.४	३,३२५.२	...	...	...	९६८.४	४,२०७.२	...	...
	२१०.४	११०.४	८७०.०	३,६४०.८	...	२,४७२	३७३.२	८२०.८	४,८६७.२	...	६६९
	२२८.०	१३८.०	७२१.२	४,१८६.२	३,८५२	९८४	३८५.२	९९१.२	४,१९९.४	५,४८४	६८४
	२४०.०	१२४.८	७३८.०	४,६४५.२	६,९१२	१,२६९	४४२.८	९५८.८	४,९००.८	८,१३९	५२८
	३१२.६	१८३.९	८३२.८	५,२२९.०	१९,१५२	३,५१९	३२४.०	७४८.८	५,५७७.९	१९,८८४	२,५७२
	३४६.२	१३६.२	८८२.०	५,७४८.०	२४,५२८	४,४०४	३७०.८	७८९.०	५,५६३.२	२३,११२	२,४४८
	३९१.२	२९०.४	६३८.४	९,३२०.४	३०,७९८	३,९००	२६०.४	६१८.०	९,३७३.२	३०,७२०	२,२६२
	३६६.९	१६८.०	६८८.८	७,१५२.०	४७,४००	४,४७९	३१०.८	६३९.०	७,०२७.९	४५,३४८	३,१३९
जुलाई	३२.२	२१.७	८४.४	६२२.६	४,५१८	३४१	१९.३	८९.४	५७४.२	४,५९४	१६१
अगस्त	२८.८	२५.५	८६.३	९०५.०	४,१२६	३४९	१६.०	७९.४	५६२.२	३,५४३	३०६
सितम्बर	३०.७	१८.९	८६.६	६६५.१	५,४१३	५३०	१५.४	७५.६	९९४.०	४,५३३	२३४
अक्तूबर	२६.७	१७.६	५७.६	३५१.५	२,५७०	२२४	२१.६	४५.२	३९३.९	२,५६१	१२
नवम्बर	३७.१	१७.५	८३.३	९१३.१	४,३५६	३५३	२६.५	७८.१	९५९.८	३,६६६	२३३
दिसम्बर	३६.२	१७.४	८४.५	९१२.२	२,५५२	४७८	४०.२	७२.२	५६७.४	४,४०५	१६९
जनवरी	३७.५	१६.७	६०.६	७४४.१	४,१३०	४९७	२५.५	८४.४	७२९.५	४,३१५	१८६
फरवरी	२६.४	१८.०	७७.६	९५०.६	२,५०२	२७३	३७.१	९५.२	९०९.४	३,१८३	१७५
मार्च	२७.०	१८.९	७९.७	९४५.१	२,२०८	२५७	२५.३	७५.१	५६७.०	२,३३५	७८
अप्रैल	२६.६	१८.३	७८.२	७०४.०	२,१६३	५७	२३.४	८०.६	९१२.३	२,३७८	२७
मई	३२.३	१८.५	८५.५	७९१.५	२,०१४	१९	२५.०	...	९८६.६	२,२६७	१२८
जून	२७.२	१६.७	...	७००.६	१,८४३	१५६	...	...	९४७.६	२,१८७	१४

[११] रबड़ उद्योग (शेषांश)

	८५ रबड़ के नल: रेडियेटर (०००)	८५ रबड़ के नल: वेक्यूम ब्रेक (०००)	८५ रबड़ के नल: अन्य प्रकार के (०००फुट)	८६ पंखों के पट्टे (०००)	८७ रेलों का रबड़ का सामान (०००)	८८ इबोनाइट (००० पौंड)	८९ वाटर प्रूफ कपड़े (००० गज)	९० रबड़ के स्पंज (००० पौंड)
	२०९.४	३३३.९	२,८२०.०	१९०.८	६९१.२	...	...	...
	२२०.८	४७२.८	३,४७४.०	२६८.८	७४८.८	२६६.२	१,५७९.८	४७१.९
	२५४.८	४४४.०	३,८४६.९	५५८.०	१,२१९.८	१२९.०	१,२६४.८	९३६.९
	२०४.४	४७२.८	४,४२२.०	४१२.०	१,२३३.९	८८.८	२,०९१.९	४६५.९
	१९२.०	९२०.४	४,८९९.०	५००.४	१,३२३.३	११९.४	२,०२८.०	६३८.४
	१८६.९	८०८.८	५,७३४.८	९५५.२	१,५३६.३	१३०.८	२,२१६.२	१,४७०.०
	२४८.४	५५२.०	८,०८१.५	७२४.८	१,६५९.०	२१०.०	२,५७४.०	१,७७७.२
	१७१.९	७७७.९	७,६८१.२	९५२.८	१,७९२.८	२४०.०	३,०७९.८	१,६५९.०
जुलाई	१७.५	७८.२	९९६.४	५८.२	१९२.३	२१.७	२९६.९	१३८.५
अगस्त	१५.४	७६.८	५७७.९	४८.०	२४६.८	२२.८	२४६.१	१९१.४
सितम्बर	१२.६	९७.१	३०७.०	४८.६	२४३.९	२३.६	२३७.६	२६७.७
अक्तूबर	६.७	५५.४	४९६.८	३७.०	१२०.५	१६.५	२४९.०	१५३.८
नवम्बर	१३.८	५५.२	३६५.३	९५.१	१८९.०	२०.३	२५६.६	२००.३
दिसम्बर	१४.०	७२.५	७३३.६	५६.१	१५०.५	२०.२	२२३.३	१७३.६
जनवरी	१५.३	४५.३	९७५.०	५७.६	१४९.७	१३.७	२३५.५	१८०.०
फरवरी	१०.५	४१.६	६४०.९	५९.१	११५.०	१८.३	२५७.६	१६४.१
मार्च	१३.७	४०.०	३६६.८	५७.५	१३५.३	१६.१	२९९.९	१७१.८
अप्रैल	८.१	५५.२	९५३.५	६१.५	११७.५	२०.२	२६५.०	१९९.०
मई	११.६	५३.२	७४६.५	...	१११.८	२०.६	३०२.७	१८६.३
जून	...	...	...	...	...	...	...	...

१. औद्योगिक उत्पादन

[१२] खाद्य और तम्बाकू

वर्ष	९१ [ट] गेहूँ का आटा (००० टन)	९२ [ठ] चीनी (००० टन)	९३ [ड] काफी (टन)	९४ [ढ] चाय (दस लाख पौंड)	९५ नमक (००० मन)	९६ वनस्पति तेल से बनी हुई वस्तुएं (टन)	९७ सिगरेट (लाख)
१९५०	४७७ ३	९७३ ८	२०,४६२	६१३ २	७१,३१६	१,७१,३३३	२,३३,२६२
१९५१	४८६ ०	१,११४ ८	१८,०६६	८२८ ८	७४,३७६	१ ७२,३२०	२,१४,४८८
१९५२	५१२ ४	१,४६४ ०	२२,०६६	६१४ ४	७३,८३०	१,६०,८१२	२,०१,१६२
१९५३	४८३ ३	१,२६१ ०	२२,५७२	६०८ ४	८३,११६	१,६१,३५२	१,८३,६३३
१९५४	४४२ ८	१,०८८ ०	२६,३६४	६४४ ४	७३,६०८	२,३०,७४८	१,६८,२७३
१९५५	४८८ ४	१५६४ ८	२४,६४८	६६८ ४	८१,०७२	२ ३०,७८४	२,२८,३८८
१९५६	५३७ ३	१८५४ ४	३४,४४०	६६७ २	८६,०१६	२,५५,३१२	२,३१,५७३
१९५७	३५५ २	२०३८ ८	४०,८८४	६६६ ०	६८,०००	३,०१,३५६	२ ८०,३४४
१९५७ जुलाई	६१ १	६ ६	१,४६२	८६ २	३,०३१	२२,६०२	२५,८५०
अगस्त	३५ १	७ ३	६६०	१०० ६	४,७१६	२१,१८७	२३,८१०
सितम्बर	३४ ५	८ २	६२५	१०४ ८	३,२४५	२०,६२०	२५,१७०
अक्तूबर	३१ १	१७ ४	१,४०४	१०५.६	२,३६०	२३,४३५	३१ ८१०
नवम्बर	३३ ६	१०५ ३	२,४४२	६० २	२,५२७	२५,४२८	२५,६३०
दिसम्बर	३१ ६	१५७ ५	१,४७८	२२ ४	३,३११	१८,००६	२२,५००
१९५८ जनवरी	३० १	४२६ ८	४,५६६	६ ६	३,५३१	२३,२८१	२१,५००
फरवरी	५३ ०	४११ ५	५,६६८	८ ३	३,३६२	२४,६३८	२२,३५०
मार्च	६१ ७	३७७ ३	७ ९२०	१४ ५	११,३६०	२६,१३७	२३,०६०
अप्रैल	५८ ०	१६७ ६	५,८७४	३५ ०	१६,०४१	२३,२२५	२३,११०
मई	३१ ३	५१ –	३,१३३	५६ ०	१७ ३७१	२७,६०५	२,८१५
जून	—	—	.	—	.		. .

[ट] ये आँकड़े केवल बड़ी आटा मिलों के हैं। [ठ] ये आँकड़े फसली साल (नवम्बर से अक्तूबर) तक के हैं और केवल गन्ने से बनने वाली चीनी के विषय म हैं। [ड] ये आँकड़े शोधने और पीसने के पश्चात् काफी भण्डार में दे दी जाने वाली काफी के विषय में हैं। [ढ] ये मासिक आँकड़े पंजाब (काँगड़ा) और हिमाचल प्रदेश के उत्पादन को छोड़ कर हैं।

[१३] चमड़ा उद्योग

वर्ष	९८ जूते, पश्चिमी ढग के (००० जोड़े)	९९ जूते, देशी ढग के (००० जोड़े)	१०० क्रोम से कमाया चमड़ा (०००)	१०१ वनस्पतियों से कमाया हुआ गाय भैंस का चमड़ा (०००)	१०२ चमड़े जैसा कपड़ा (००० गज़)
१९५०	२,८३१ ८	२,६६१ ८	४१५.१	१,५१४ ४	..
१९५१	३,३४० ८	२,०७१ १	८७६.१	१,७०४ ०	१,११८ ८
१९५२	३,३१७ २	२,८०१ ०	३५० ४	१,४७८ ४	६५४ ४
१९५३	३,३४८ ०	२,३०४ ४	७०० ८	१,२१८ ४	६८५ १
१९५४	३,२६७ १	२,०९१.८	११८ ४	१,३७० ४	१,२११.२
१९५५	३,२४२ ४	२,३०२ ८	३७१ ८	२,११५.१	२,१२१ २
१९५६	३,३२० ४	२,६११ २	७४१ १	२,०२१ १	२,११८ ४
१९५७	४,३११.२	३,०३८ ४	११० ०	२,७११ १	१५११ २
१९५७ जुलाई	४२१ ४	२७७ ६	६० २	१२५ २	११४ ७
अगस्त	३४१.४	२३७ ३	४१ २	१३५ १	२६७ २
सितम्बर	३७४ ३	२४४ ८	३५ २	१४१ १	२८३ ७
अक्तूबर	३११ १	१९१ ४	३० ७	१५१ ०	२८१ १
नवम्बर	३८५.१	२७४ २	३१ २	१६८ २	३५५ १
दिसम्बर	४२६ १	२६१ १	११ ०	१४८ ७	३३१ ५
१९५८ जनवरी	४३० ३	२६२ १	५४ ८	१६२ ८	११२ ६
फरवरी	३१० ५	२७१ ४	५२ ०	१८१ ०	२०३ ८
मार्च	३४० ८	२१४ ६	६० ३	१११ ८	२४६.२
अप्रैल	३५७ ८	३०१ ५	३१ २	१४१ ८	१८१ ५
मई	३५० १	२७४ १	३७ ४	१६४ ५	—
जून	३५० ८	२४२ २	३० १	१५१ ५	. .

१. औद्योगिक उत्पादन

[१४] अन्य उद्योग

वर्ष	१०३ खनिज कोयला (००० टन)	१०४ प्लाइवुड (००० वर्ग फुट)			१०५ कागज (टन)				
		चाय की पेटियां	व्यापारिक	योग	छपाई और लिखाई का	पैक करने का	विशेष किस्म का कटा	गत्ते	योग
१९५०	३१,९६२	४१,३७६	८,८४४	५०,२२०	७०,१५२	१४,३१६	५,१६६	१८,८४८	१,०८,८२२
१९५१	३४,२०८	६०,९४८	१०,२००	७०,८४८	७६,२९०	२५,४८८	३,१२०	२४,०४८	१,३१,६११
१९५२	३६,२२८	७८,२२८	१२,३१२	९०,५४०	९१,४२८	२१,५४०	२,८२०	२२,७२०	१,३७,५०८
१९५३	३५,८४४	४६,७८८	११,४१२	५८,२००	९५,९२८	२१,१४४	३,४२०	१६,५१२	१,३६,७०४
१९५४	३६,७९८	६४,१८८	१३,५८४	७७,७७२	१,०२,८७६	२४,१५९	४,७८८	१३,५०८	१,४५,३२८
१९५५	३८,२०८	९४,१२८	१६,३९२	११०,५२०	१,१६,४६९	२८,३२०	५,९०४	३३,४९४	१,८४,८८४
१९५६	३९,४३२	९७,८८४	२५,८३६	१२३,७२०	१,२२,९८८	३०,६२४	५,७७२	३३,७२०	१,९३,४०४
१९५७	४३,५३६	९३,४२०	३१,६३२	१,२५,०५२	१,२९,५१९	३८,०१९	७,२००	३८,४००	२,१३,१३८
१९५७ जुलाई	३,३३२	७,०६०	२,७०७	९,७६७	१०,३७२	३,०४१	७४६	३,३४६	१७,५११
अगस्त	३,३७६	६,६२६	२,६५७	९,२८३	१०,४२५	३,४६७	६२३	३,४७०	१८,०१५
सितम्बर	३,६४७	७,६२६	२,३९२	१०,०१८	१०,५४२	२,७८५	७००	३,५६६	१५,५६३
अक्तूबर	३,५५५	५,७१५	२,५७७	८,२९२	१०,७८३	३,४६५	५८२	३,४३७	१८,२६७
नवम्बर	३,६३०	७,१७३	२,८६२	१०,०३५	११,९८३	३,४१६	६५७	३,४५०	१९,२०६
दिसम्बर	४,०५१	८,१८३	२,३३२	१०,५१५	११,५१४	३,५५३	६५१	४,०६४	१९,८१२
१९५८ जनवरी	३,६४७	७,६३६	३,५३६	११,२७८	१३,०१८	३,४५०	४७३	३,७३६	२०,६८०
फरवरी	३,७१२	७,२६२	२,८१४	१०,०७६	११,३११	२,८१८	५१३	३,५७५	१८,२२७
मार्च	३,७०१	७,५४०	२,७१४	१०,२५४	१३,२१८	२,७१२	४८१	४,३९०	२०,७०१
अप्रैल	३,८०२	६,९४७	२,७४७	९,७१४	१२,४७३	२,४११	५४०	४,४८७	१९,९११
मई	—	...	...	—	...	—	...	...	२१,७००
जून	—	...	...	...	—	—	—	...	...

[१४] अन्य उद्योग (शेषांश)

परिवहन

वर्ष	१०६ मोटर गाड़ियां (संख्या)						१०७ साइकिलें	
	कारें	जीप तथा लैंडरोवर गाड़ियां	स्टेशन वैगन तथा अस्पताली गाड़ियां	ट्रक,	सवारी गाड़ियां	योग	पूरी तैयार (संख्या)	हिस्से (मूल्य ००० रुपये)
१९५०	९,५८८	...	...	—	—	१४९०४	१,०१,१५२	९,४५२.४ (ख)
१९५१	१२,३८४	—	—	—	—	२२२७२	१,१४,२७९	६,४८८.४
१९५२	९,६४८	—	—	—	—	१५३८८	१,६९,६५९	८,२४७.९
१९५३	४,६३२	—	—	—	—	१३६२०	२,९४,१९८	१०,१६४.०
१९५४	५,४९९	—	—	—	—	२४४९०	३,७२,३६०	१३,०८०.०
१९५५	६,४६२	३३३६	७९८	१४५९	३०१६	२३०८८	४,६२,१७२	१९,४१९.८
१९५६	१२,६८४	४१५०	९८४	८६२०	३४०८	२६८३९	५,५७,४२४	२१,२२४.८
१९५७	११,५०४	४०९८	९१२	११,८६२	३७५९	३१६३२	८,००,८३२	२७,५४१.९
१९५७ जुलाई	१,२३१	५७४	६३	७२२	३५७	२८८२	६३,४८६	२,४९७.८
अगस्त	८७७	४१५	७६	६८०	२२२	२२७३	६६,१५८	२,१८८.४
सितम्बर	६८०	३६९	४०	१०५२	२४५	२७१३	६१,३७२	२,३५२.३
अक्तूबर	७८२	२०२	३०	१११८	२१६	२४५०	६५,०१२	१,८८२.८
नवम्बर	१,०७१	१५२	१३	१०५४	१६७	२४६२	७५,८५३	२,७३७.७
दिसम्बर	८४२	१९८	६	११२६	३४६	२४६७	७८,०९२	२,७५६.०
१९५८ जनवरी	९४०	३५८	४१	११८०	४१५	२९३१	८२,२००	२,५१६.५
फरवरी	४९१	२१३	३१	११४८	३७७	२२१०	८२,४६५	२,१०२.६
मार्च	३६७	१६५	१३	१३५२	४६२	१७४८	८६,५६५	२,०३०.४
अप्रैल	४६२	—	—	...	२५८	१४०१	७१,१६२	१,७४०.३
मई	५०८	...	—	—	...	१५७०	८५,७४७	१,६११.६
जून	३०६	...	...	...	—	१७१०	...	१,८७७.६

[ख] १९४८ से १९५३ तक के वर्षों के अंकों में पूरी साइकिल बनाने वाली फर्मों द्वारा तैयार किये गये हिस्से शामिल नहीं हैं।

२. देश में वस्तुओं

इस तालिका में समस्त भाव प्रत्येक

वस्तुएं	बाजार	इकाई	जुलाई ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
खाद्य							
१. चावल							
(१) मध्यम	कलकत्ता	मन	२३.००	२५.००	२४.००	२२.२५	२२.२५
(२) लाल भीनाती	पटना	„	२३.००	२०.००	१९.००	२०.००	२१.००
(३) अक्कगड्डा	विजयवाड़ा	„	२१.२७	१६.८१	१७.००	१७.००	१७.००
२. गेहूं							
(१) साधारण	जबलपुर	„	१७.७५	अप्राप्त	१७.००	१७.७५	१७.७५
(२) „	अमृतसर	„	१४.१३	१५.३८	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
(३) „	हापुड़	„	१४.८१	१५.५०	१५.५०	१५.३७	१५.२५
३. ज्वार	अमरावती	„	१३.५०	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
४. बाजरा	हैदराबाद शहर	२४० पौण्ड	अप्राप्त	३६.३३	३५.००	३३.००	३४.५०
५. चना		प्रति पल्ला					
(१) देशी	पटना	मन	१४.००	१२.५०	११.५०	१२.५०	१३.००
(२) „	हापुड़	„	११.८७	११.३७	१०.८७	११.१२	११.२५
६. दाल							
अरहर	„	„	११.३७	१०.००	१०.२५	१०.७५	१२.१२
७. चाय							
(१) आंतरिक उपभोग के लिए	कलकत्ता	पौण्ड	१.७५	१.३८	१.३३	१.३२	१.३९
(२) निर्यात :—							
(क) निम्न मध्यम ब्रोक पीको	„	„	बिक्री नहीं	१.६०	१.५६	१.४४	१.५२
(ख) मध्यम ब्रोक पीको	„	„	२.२५	१.९९	१.६२	१.५४	१.६४
८. काफी							
(१) प्लाण्टेशन पीबेरी (गोल)	मंगलौर/कोयम्बतूर*	हंडरवेट	२३८.५०	२४७.५०	२४२.५०	२३२.५०	२३५.५०
(२) देशी चपटी	„ „	„	२००.००	१९२.५०	१९२.५०	१९३.५०	१९२.५०
९. चीनी							
(१) डी. २८	कानपुर	मन	३२.८७	३४.७५	३४.६२	अप्राप्त	३४.९४
(२) डी. २७	„	„	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
(३) ई. २७	„	„	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
१०. गुड़							
(१) खाने के लिए	अहमदनगर	„	१४.००	१३.५०	१३.००	१३.००	१४.००
(२) „ „	मुजफ्फरनगर	„	१४.००	१३.७५	१५.५०	१८.००	१८.००

मन=८२$\frac{2}{7}$ पौण्ड

* प्रतिवर्ष जनवरी से जून तक मंगलौर बाजार के मूल्य और जुलाई से सितम्बर तक कोयम्बतूर बाजार के मूल्य दिये जाते हैं।

के थोक भाव : १९५८

मास के दूसरे सप्ताह के दिये गये हैं ।

मई ५८	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८	अक्तूबर ५८	नवम्बर ५८	दिसम्बर ५८
रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु०न. पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै.
पदार्थ							
२२.८७	२३.८७	२५.२५					
२३.००	२३.५०	२४.००					
१७.००	१७.००	१७.००					
१८.८३	२०.६४	२०.६४					
अप्राप्त	अप्राप्त	१५.२५					
१५.३७	१७.८७	२०.००					
अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त					
३४.००	३३.००	३५.५०					
१२.००	१३.५०	१५.००					
११.२५	१२.८७	१४.३७					
११.८७	१४.६९	१६.००					
१.३३	१०.४०	बिक्री नहीं					
बिक्री नहीं	बिक्री नहीं	१.८६					
बिक्री नहीं	बिक्री नहीं	२.२५					
२५२.५०	२५६.५०	२५५.५०					
१९७.५०	२०३.००	२०२.५०					
३५.४४	अप्राप्त	३६.५६					
अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त					
अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त					
१४.२५	१४.२५	१४.५०					
१६.८७	१९.३७	२२.५०					

२. देश में वस्तुओं

वस्तुएं	बाजार	इकाई	जुलाई ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
११. नमक							
(१) साम्भर (न)	दिल्ली	मन	२.५०	२.५०	२.५०	२.५०	२.५०
(२) काला	बम्बई	,,	अप्राप्त	अप्राप्त	३.३७	अप्राप्त	अप्राप्त
१२. तम्बाकू							
जाती पूला मध्यम (साधारण औसत दर्जे का)	कलकत्ता	,,	१०६.१४	१०६.१४	१०६.१४	१००.१४	६७.१४
१३. काली मिर्च							
(१) ऐलेप्पी (बिना छंटी हुई)	,,	,,	६५.००	८०.००	६५.००	६५.००	६५.००
(२) छंटी हुई	कोचीन	हंडरवेट	१०३.१३	८७.५०	८५.००	६६.३८	१०८.७५
१४. काजू							
भारतीय	मंगलौर	मन	२५.३२	२४.०५	२२.७६	२२.७६	२०.२५

औद्योगिक

वस्तुएं	बाजार	इकाई	जुलाई ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
१. रुई कच्ची							
(१) जारीला एम. जी. एफ.	बम्बई	७८४ पौंड की कैंडी	बिक्री नहीं	७७०.००	७६२.००	७५०.००	७५०.००
(२) २१६ एफ. एम. जी.	,,	,,	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं
(३) बंगाल बढ़िया एम. जी.	,,	,,	बिक्री नहीं	६०५.००	५६०.००	५६०.००	५८५.००
२. जूट, कच्चा							
(१) फर्स्ट्स	कलकत्ता	४०० पौंड की गांठ	२२५.००	२४५.००	२३५.००	२२०.००	२२५.००
(२) काइटिनिंग	,,	,,	२०५.००	२१५.००	२०५.००	१६०.००	१६५.००
(३) बाट मिडिल	,,	,,	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
३. रेशम, कच्चा							
(१) २,४०० दाना सामरू	माल्दा	८० तोले का सेर	८०.००	६४.००	—	७२.००	७२.००
(२) मरला बढ़िया किस्म का	बंगलौर	३६ तोले का पौंड	२४.००	२६.००	—	२६.५०	२८.००
४. ऊन कच्चा							
(१) जोरिया सफेद बढ़िया	बम्बई	मन	२६४.४४	अप्राप्त	२४१.७१	२४१.७१	२४१.७१
(२) तिब्बती	कलिम्पोंग पहुंचने पर	,,	अप्राप्त	१७७.५०	१७७.५०	१७७.५०	१७७.५०

(न) नियन्त्रित मूल्य।

के थोक भाव : १६५८

मई ५८	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८	अक्तूबर ५८	नवम्बर ५८	दिसम्बर ५८
रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न. पै०	रु० न. पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै.
२.५०	२.५०	२.५०					
२.७५	२.७५	अप्राप्त					
६१.१४	६१.१४	८६.१४					
६५.००	६०.००	६०.००					
१०५.६३	१००.६३	११०.००					
२०.३०	२१.२०	१६.६१					
कच्चा माल							
७३०.००	७४५.००	७५५.००					
८६०.००	८६५.००	८७०.००					
६००.००	५६०.००	६१०.००					
२३०.००	२२०.००	२१५.००					
२००.००	१६५.००	१६०.००					
अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त					
६६.००	अप्राप्त	७६.००					
२५.०६	२५.८७	२६.०२					
२४१.७१	२१६.००	—					
१७७.५०	१७७.५०	—					

२. देश में वस्तुओं

वस्तुएं	बाजार	इकाई	जुलाई ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
५ मूंगफली							
(१) बड़ादाना	बम्बई	हंडरवेट	३७.००	३१.१२	३१.३७	३२.००	३३.८७
(२) मशीन से छिली हुई	कडालोर	मन	२६.३४	२३.२४	२३.२४	२२.४७	२२.४७
६. अलसी							
(१) बड़ादाना	बम्बई	हंडरवेट	२८.६२	३०.३७	२८.८७	२९.७५	३०.२५
(२) छोटा दाना	कलकत्ता	मन	२१.७५	२१.१२	२१.२५	२२.००	२३.००
७. अरण्डी का बीज							
(१) छोटा हैदराबादी	मद्रास	,,	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं
(२) साधारण औसत दर्जे का	बम्बई	हंडरवेट	३३.१२	२७.३७	२७.७५	२९.५०	२९.८७
८. तिल							
(१) बन्दु	,,	,,	४९.३४	४२.८८	४२.००	४२.३६	४४.२४
(२) मिश्रित (गाजर)	झांसी	मन	३१.००	२८.५०	२६.००	२६.५०	२७.५०
९. तोरिया							
(१) बड़ा दाना (कानपुरी)	कलकत्ता	,,	३५.००	३०.००	२८.००	२८.००	२९.५०
(२) पीला	बम्बई	मन	३१.८७	२९.४४	अप्राप्त	२९.३९	३२.२५
(३) सरसों साधारण औसत दर्जे की	कानपुर	,,	३७.६२	३२.००	२९.०९	३०.४७	३०.४७
१०. बिनौला							
(१) ,,	बम्बई	हंडरवेट	अप्राप्त	—	—	—	—
(२) ,,	अमरावती	८० पौंड का मन	अप्राप्त	—	८.८६	९.४९	—
११. नारियल का गोला							
साधारण औसत दर्जे का	कोचीन	६५५.६ पौंड की कैंडी	३४४.००	४५४.१२	४१३.००	४११.२५	४२८.००
१२. कोयला (न)							
(१) चुना हुआ झेरिया	कोलाइरी साईडिंग में पहुंचने पर	टन	२०.६२	२०.६२	२०.६२	२०.६२	२०.६२
(२) गिरीरगढ़ (प्रथम श्रेणी)	,,	,,	२०.९४	२०.९४	२०.९४	२०.९४	२०.९४
(३) म०प्र० (प्रथम श्रेणी)	,,	,,	२२.६९	२२.५९	२२.६९	२२.६९	२२.६९
१३. कच्चा लोहक							
निर्यात मूल्य	विशाखापत्तनम	,,	२०४.५५	१६२.६३	—	११४.६०	२१७.६७

(न) नियन्त्रित मूल्य

के थोक भाव : १९५८

मई ५८	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८	अक्तूबर ५८	नवम्बर ५८	दिसम्बर ५८
रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु०न. पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै.
३४.५०	३५.२५	३६.१२					
२३.२४	२५.१०	२५.१०					
३०.५०	३२.००	३२.८७					
२२.००	२२.७५	२४.००					
बिक्री नहीं	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं					
२९.७५	३०.३७	३०.५०					
४५.००	४५.००	४७.००					
२७.५०	२८.५०	३१.००					
२९.००	३०.५०	३१.५०					
२९.३९	३२.३३	३०.८६					
३०.४७	३२.००	३५.५५					
—	—	—					
—	१०.३४	१०.३४					
४१८.७५	४२४.८८	४३२.६३					
२०.६२	२१.३७	२१.३७					
२०.९४	२१.६९	२१.६९					
२२.६९	२३.४४	२३.४४					
११०.२८	११६.१८	१०६.८३					

२. देश में वस्तुओं

वस्तुएं	बाजार	इकाई	जुलाई ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
१४. चमड़ा, कच्चा							
(१) नमक लगा सूखा गाय का	कलकत्ता	२० पौंड	पूर्ति नहीं	पूर्ति नहीं	पूर्ति नहीं	पूर्ति नहीं	पूर्ति नहीं
(२) नमक लगा गीला भैंस का	कलकत्ता	२० पौंड	८.००	१२.००	१३.००	१४.००	१४.००
(३) नमक लगा गीला गाय का	कानपुर	कोड़ी	२०५.००	२७५.००	२६५.००	२८०.००	२६०.००
(४) नमक लगा गीला भैंस का	,,	२० पौंड	१०.५७	१२.५०	१२.६५	१२.६५	१२.६५
१५. खालें कच्ची							
बकरी की, औसत किस्म की	कलकत्ता	१०० थान	३५०.००	४००.००	३२५.००	३२५.००	३२५.००
१६. लाख							
(१) चपड़ा शुद्ध टी० एन०	,,	मन	७३.००	७८.००	८०.००	७२.५०	७०.००
(२) बटन शुद्ध	,,	,,	८५.००	९२.००	९२.५०	८८.५०	८५.५०
१७. रबड़							
RMA IX RSS	कोट्टायम	१०० पौंड	१५२.५०	१५२.५०	१५२.५०	१५२.५०	१५२.५०

अर्द्ध निर्मित

वस्तुएं	बाजार	इकाई	जुलाई ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
१. चमड़ा							
(१) गाय का चमड़ा	मद्रास	पौंड	२.६२	२.६८	२.६८	२.६८	२.६१
(२) भैंस का चमड़ा	,,	,,	१.६४	१.६८	१.६८	१.६८	२.०६
(३) भेड़ की खालें	,,	,,	६.६३	६.५०	६.५१	६.५६	६.३०
(४) बकरी की खालें	,,	,,	६.३८	६.४७	—	६.३५	६.३०
२. खनिज तेल							
(क) मिट्टी का तेल (न)							
(१) बढ़िया थोक	कलकत्ता	८ गैलन	९.६८	९.६८	९.६८	९.६८	९.६८
(२) घटिया थोक	,,	,,	९.५६	९.५६	९.५६	९.५६	९.५६
(ख) पैट्रोल (न)							
(१) थोक पम्प पर	,,	गैलन	२.९९	३.०१	३.०१	३.०१	३.०१
(२) ,,	दिल्ली	,,	३.२०	३.२०	३.२०	३.२०	३.२०
(३) ,,	मद्रास	,,	२.९९	२.९९	२.९९	२.९९	२.९९
३. वनस्पति तेल							
क. नारियल का तेल							
(१) साधारण औसत दर्जे का (तैयार)	कोचीन	३५५.६ पौंड की कैंडी	५४४.३०	६९७.०५	६१८.८०	६४६.८०	६७३.३०
(२) कोलम्बो का बढ़िया खुदरा	कलकत्ता	मन	९२.००	११०.००	१०५.००	१०५.००	११५.००
(३) खुला	बम्बई	क्वार्टर	२४.००	३०.५०	२६.२५	२८.७५	२९.००

(न) नियन्त्रित मूल्य।

के थोक भाव : १९५८

मई ५८	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८	अक्तूबर ५८	नवम्बर ५८	दिसम्बर ५८
रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु०न. पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
पूर्ति नहीं	पूर्ति नहीं	पूर्ति नहीं					
१४.००	१४.००	१२.००					
२६०.००	२५०.००	२३५.००					
१२.६५	१२.६५	१२.६५					
३२५.००	३५०.००	३५०.००					
६५.००	६५.५०	६५.५०					
८१.५०	८२.००	८१.५०					
१५२.५०	१५२.५०	१५२.५०					
वस्तुएं							
२.६१	२.६१	२.६१					
२.०६	२.०६	२.०६					
६.३०	६.३०	६.३०					
६.२०	६.२०	६.२०					
९.६८	९.६८	९.६८					
९.५६	९.५६	९.५६					
३.०१	३.०१	३.०१					
३.२०	३.२०	३.२०					
२.९९	२.९९	२.९९					
६५१.३०	६५०.३०	६७०.५७					
बिक्री नहीं	१२०.००	१२४.००					
२७.७५	३०.००	३०.००					

२. देश में वस्तुओं

वस्तुएं	बाजार	इकाई	जुलाई ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
ख. मूंगफली का तेल							
(१) खुदरा	मद्रास	५०० पौंड की मैंडी	३३६.००	२६१.००	२६६.००	३०१.००	३०७.५०
(२) खुला	बम्बई	क्वार्टर	२०.५६	१७.१६	१७.१२	१७.६२	१८.५०
(३) गुण्टूर (टीन बन्द)	कलकत्ता	मन	६३.००	५६.००	५६.००	६१.००	६२.००
ग. सरसों का तेल							
(१) खुदरा (मिल से निकलते समय)	"	"	८२.००	७५.००	७५.००	६८.००	७४.००
(२) "	पटना	"	८१.००	७३.००	६६.००	६६.००	७४.००
(३) साधारण औसत दर्जे का	कानपुर	"	८५.००	७०.००	६६.००	७०.००	७६.००
घ. अरण्डी का तेल							
(१) नं० १ बढ़िया पीला (जहाज पर)	कलकत्ता	"	८०.००	७८.००	७४.००	७४.००	७४.००
(२) "	मद्रास	५०० पौंड की मैंडी	३८०.००	४००.००	३४०.००	३४५.००	३४५.००
ङ. तिल का तेल							
खुला	बम्बई	क्वार्टर	२७.३६	२१.६०	२०.६५	२२.६५	२३.४०
च. अलसी का तेल							
(१) कच्चा खुदरा (मिल से निकलते समय)	कलकत्ता	मन	४६.३७	५३.००	५१.००	५१.५०	५१.००
(२) "	बम्बई	क्वार्टर	१४.५०	१६ ६२	१५.६२	१६.००	१६.१२
४. खली							
(१) मूँगफली	कलकत्ता	मन	६.१२	८.००	८.५०	८.५०	९.२५
(२) नारियल	बम्बई	१॥ हंडरवेट	२.५०	२५.००	२३.५०	२२.००	२३.००
(३) तिल	"	टन	३६०.००	३८०.००	३६०.६०	३५५.००	३६०.००
५. सूत (भूरे रंग का) भारतीय							
(१) १० नम्बरी	कलकत्ता	५ पौंड	७.५०	७.१३	६ ८४	६.६६	६.८१
(२) २० "	"	"	९.०३	८.८०	८.९२	८.४६	८.४७
(३) ४० "	"	"	१३.०६	१२.५०	१२.४४	१२.०९	११.८४
(४) सूत २० नम्बरी	बंगलोर	१० पौंड	१८.२५	१६.८१	१६.६२	१६.२५	१६.१२
६. नारियल की सुतली							
(१) असली अलापट	कोचीन	६ हंडरवेट की मैंडी	२७०.८३	२५०.००	२५०.००	२५५.८३	२४५.००
(२) अनर्जेंगो बढ़िया	"	"	२६५.००	२७५.००	२८०.००	२७५.००	२७०.००

के थोक भाव : १९५८

मई ५८	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८	अक्तूबर ५८	नवम्बर ५८	दिसम्बर ५८
रु० न.पै०	रु० नपै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न. पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
३१३.००	३१५.००	३२०.००					
१८.५०	१८.५०	१९.२५					
बिक्री नहीं	६०.००	६१.००					
७२.००	७०.००	७४.००					
७१.००	७०.००	७४.००					
७१.००	७३.५०	७४.००					
७१.००	६८.००	७२.००					
३३५.००	३३५.००	३३५.००					
२३.६५	२२.९०	२२.९०					
५१.००	५३.००	५५.००					
१६.००	१६.१२	१७.००					
१०.२५	१०.५०	१२.००					
२३.५०	२३.५०	२४.५०					
४१०.००	४१०.००	४१०.००					
६.८४	६.७८	६.५६					
८.२९	८.३९	८.३३					
११.९४	११.९१	१२.०५					
१५.३४	१५.३७	१५.६२					
२४५.००	२४९.१७	२५०.००					
२६०.००	२६०.००	२६०.००					

२. देश में वस्तुओं

वस्तुएं	बाजार	इकाई	जुलाई ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
७. लोहा और इस्पात							
क. कच्चा लोहा (न)							
(१) फाउंडरी नं० १	कलकत्ता पहुंचने पर	टन	२२५.००	२२५.००	२२५.००	२२५.००	२२५.००
(२) लोहा बेसिक	"	"	२०६.००	२०६.००	२०६.००	२०६.००	२०६.००
ख. अर्द्ध-शुद्ध (न) फिर गलाने के लिए टुकड़े	कलकत्ता	"	४७७.००	४७७.००	४७७.००	४७७.००	४७७.००
८. धातु (लोहे के अतिरिक्त)							
(१) जस्ता स्पेल्टर (बिजली वाला) मुलायम	"	हंडरवेट	८२.५०	५५.००	५३.५०	५४.००	५४.००
(२) पीतल पीली धातु-रंधान (चादरें) ४' × ४'	"	"	[illegible]	१६८.५०	१७०.००	१८५.००	१८०.००
(३) पीतल की चादरें (गिलियडरें)	बम्बई	"	१६७.००	१६२.००	१६२.५०	१६४.००	१६५.००
(४) ताम्बे की चादरें (इण्डियन)	"	"	२१७.५०	२००.००	२०२.५०	१९७.५०	बिक्री नहीं
. लकड़ी							
सागौन के गोल लट्टे ५ फीट और उससे अधिक परिधि वाले	बल्लारशाह (दक्षिण चांदा, मध्य प्रदेश)	घन फुट	१४.२५	१४.२५	१४.२५	१४.२५	१४.२५

निर्मित

वस्तुएं	बाजार	इकाई	जुलाई ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
१. टेक्सटाइल							
क. जूट का माल							
टाट							
(१) १०½ औंस ४०"	कलकत्ता	१०० गज	४४.६५	४५.६४	४१.४०	४०.७५	४१.७५
(२) ८ औंस ४०"	"	"	३४.४५	३२.३५	३२.०५	३१.३५	३१.९०
बोरिया							
(१) बी. ट्विल्स २½ पौं०	"	१०० बोरिया	११४.०५	१०४.१०	१०१.२५	९८.६०	९९.२५
(२) सी भारी बोरिया २½ पौं०	"	"	११५.५०	१०४.००	१००.७५	९८.२५	९९.२५
ख. सूती माल**							
(१) कोरा कमीज का कपड़ा १२१-३५" × ३८ गज × ७ पौंड	बम्बई	एक थान	१७.२२	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
(२) कोरा स्टैंडर्ड कमीज का कपड़ा—३५" × ३८ गज	"	पौंड	२.०५	१.८६	१.८१	१.८६	१.८२
(३) छींट (हिन्द मिल्स) ४५८८ ४३" × ३८ गज	"	एक थान	२४ ९४	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
(४) कोरी धोतियां (टाटा मिल्स) मध्यम ४३" × १०/२ गज × २ पौंड		एक जोड़ा	९.२५	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त

(न) नियन्त्रित मूल्य ** मिल से चलते समय माल के भाव

के थोक भाव : १९५८

मई ५८	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८	अक्तूबर ५८	नवम्बर ५८	दिसम्बर ५८
रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न० पै.	रु० न. पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
२२५.००	२२५.००	२२५.००					
२०६.००	२०६.००	२०६.००					
४७७.००	४७७.००	४७७.००					
५७.५०	५८.००	६७.००					
१७७.५०	१७४.००	१७५.००					
१६४.००	१६३.००	१७५.००					
बिक्री नहीं	२०७.५०	२२०.००					
१४.२५	१४.२५	१४.२५					

वस्तुएं

मई ५८	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८	अक्तूबर ५८	नवम्बर ५८	दिसम्बर ५८
४३.३५	४२.००	४३.००					
३३.००	३२.००	३२.७०					
१०१.००	६७.००	६७.८५					
१०१.६५	६७.२५	६७.७५					
अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त					
१.८२	१.८२	१.८२					
अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त					
अप्राप्त	६.३१	६.३१					

२. देश में वस्तुओं

वस्तुएं	बाजार	इकाई	जुलाई ५७	जनवरी ५८	फरवरी ५८	मार्च ५८	अप्रैल ५८
			रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
(५) रंगीन क्रेप—कमीज का कपड़ा एफ० एस०—१०५	मद्रास	गज	१.०६	१.०८	१.०८	१.०८	१.०८
(६) एम—१०१ ब्लीच किया मलमल ४८"×२०" गज	,,	२० गज	१६.६०	१६.६०	१६.६०	१६.६०	१६.६०
ग. रेयन और रेशम का माल							
(१) टफेटा कोरो २६-५०",४-३/४ बम्बई से ५ पौंड तक (रेयन)		गज	०.६४	०.७०	०.७४	०.७६	०.७६
(२) फ्यूजी (चीनी रेशम)	,,	५० गज का थान	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
२. लोहे और इस्पात से निर्मित वस्तुएं (न)							
लोहे और इस्पात की पनालीदार चादरें-२४ गेज	कलकत्ता	हंडरवेट	४३.२५	४३.२५	४३.२५	४३.२५	४३.२५
३. अन्य निर्मित वस्तुएं							
क. सीमेंट (न)							
भारतीय (स्वास्तिक)	,,	टन	११७.५०	११७.५०	११७.५०	११७.५०	११७.५०
ख. कांच (खिड़कियों का)							
(१) बड़ा साईज ३०"×२४" तक	,,	१०० वर्ग फुट	४५.००	४५.००	४०.००	४०.००	३८.००
(२) मध्यम साईज	,,	,,	४०.००	४२.००	३८.००	३८.००	३७.००
ग. कागज							
सफेद छपाई, डिमाई १४ पौंड और ऊपर	,,	पौंड	०.८०	०.८०	०.८०	०.८०	८३.५ न.पै०
घ. रसायनिक पदार्थ							
(१) फटकरी	,,	हंडरवेट	१८.००	१९.७५	अप्राप्त	२१.००	२१.००
(२) गंधक का तेजाब*	,,	टन	१७०.००	१७०.००	१७०.००	१७०.००	१७०.००
ङ. रंग लेप							
लाल सीसे का सस्ता असली	,,	हंडरवेट	९४.००	८२.००	८२.००	८४.००	—

(न) नियन्त्रित मूल्य

*१-२-५६ से गंधक के तेजाब का भाव कारखाने से निकलने वाले माल के भाव के बजाय संग्रह केन्द्र से निकलने वाले माल के १४७ रुपये=१०० के आधार पर दिया गया है।

के थोक भाव : १६५८

मई ५८	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८	अक्तूबर ५८	नवम्बर ५८	दिसम्बर ५८
रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०	रु० न० पै०	रु० न.पै०	रु० न. पै०	रु० न.पै०	रु० न.पै०
१.०८	१.०८	१.०८					
१६.६०	१६.६०	१६.६०					
०.७३	०.७०	०.७०					
अप्राप्य	अप्राप्त	अप्राप्त					
४३.२५	४३.२५	४३.२५					
११७.५०	११७.५०	११७.५०					
३७.००	३७.००	३७.००					
३६.००	३६.००						
८३.५० न.पै०	८३.०५ न.पै०	८३.०५ न.पै०					
२१.००	२१.००	२१.००					
१७०.००	१७०.००	१७०.००					
८४.००	८४.००	८४.००					

व्यापारिक और औद्योगिक शब्दावली

प्रस्तुत अंक में व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों के जिन विशिष्ट शब्दों का प्रयोग हुआ है उन्हें तथा उनके अंग्रेजी रूपों को पाठकों की सुविधा के लिये यहां दिया जाता है। ये केवल सुविधा की दृष्टि से दिये गये हैं। प्रामाणिकता की दृष्टि से इन्हें अन्तिम नहीं मान लेना चाहिये। —सम्पादक।

हिन्दी शब्द	*अंग्रेजी रूप*	*हिन्दी शब्द*	*अंग्रेजी रूप*
अत्यावश्यक प्रायोजनाएं	Core Projects	प्राकृतिक रेशे	Natural Fibres
अनिवार्य योजनाएं	Inescapable Schemes	प्राधिदत्त सम्पत्ति	Pledged property
अस्थायी रूप से निश्चित	Tentatively decided	प्रायोगिक योजना	Pilot Scheme
आंतरिक खर्चों में कमी	Internal economies	प्रारम्भिक प्रायोजना रिपोर्ट	Preliminary Project Report
आगे बढ़ चुकने वाली प्रायोजनाएं	Projects in Advanced Stage	प्रेरणा	Incentive
उचित वितरण	Equitable distribution	फिलामेंट धागा	Filament Yarn
उद्यमशील	Enterprising	बंधक रखना	Mortgage
उपप्राधीयन	Hypothecation	बिजली से पालिश करना	Electroplating
औद्योगिक रेशे	Industrial Fibres	बिना कुछ गिरवी रखे ऋण देना	Clean credit
औद्योगिक विस्तार सेवा	Industrial Extension Service	बीच का समय	Interragnum
औद्योगिक सर्वेक्षण	Industrial Survey	बेंत की लकड़ी	Willow wood
कमी	Deficiency	भूमिगत तना या मूल	Rhizones
कृषि उत्पादन	Agricultural Production	मशीन प्रधान उद्योग	Capital intensive industry
काम सौंपना	Assignment of Task	मानव निर्मित रेशे	Man Made Fibres
खंड स्तर विस्तार अफसर	Block level Extension Officer	मूल्यांकन	Evaluation
गिलट	Bronze	मैरीनो किस्म की ऊन	Merino wool
घुलनशील लुग्दी	Dissolving Pulp	मोजे आदि	Stokings
घोल	Bath	मोहेयर अंगोरा बकरी के लम्बे २ बाल	Mohair
चमकीला	Lustrous	रस्से और रस्सियां	Rope & Cordage
छोटे रेशे वाली ऊन	Wool noils	रेयन और एसीटेट	Rayon & Acetate
जमानत	Security	रेशेदार	Fibrous
जस्ते की पालिश	Zinc Plating	लकड़ी सिझाना	Wood Seasoning
जोरदार प्रयास	Concerted efforts	वाणिज्य व्यापार सम्बन्धी विधियां	Mercantile Laws
तपाना	Heat Treatment	वैज्ञानिक आधार पर व्यावसायिक प्रबन्ध	Scientific Business Management
धातु की बनावट	Molecular Structure	व्यावसायिक प्रबन्ध प्रशिक्षण	Training in Business Management
धूम्रतापन	Fumigation		
नाइलन से बनी तांत	Nylon Gut	श्रमिक प्रधान उद्योग	Labour intensive Industry
निर्यात योग्य वस्तुएं	Exportable goods		
पटसन	Hemp	सन	Flax
पश्मीना	Plushes	सुतली	Twine
पुनर्स्थापन भत्ता	Rehabilitation Allowance	सेलूलोज युक्त रेशे	Cellulosic Fibres
		सेलूलोज रहित रेशे	Non cellulosic Fibres
पैक करने के खर्चे	Packing Charges	सोंठ	Dry Ginger
प्रतिबन्धित सीमाएं	Restricted Limits	स्टैपल रेशे	Staple Fibres
प्रतिरोधक शक्तिवाली रेयन	Tenacity Rayon	हल्के पेय	Soft Drinks

परिशिष्ट—१

विदेशों में भारत सरकार के व्यापार-प्रतिनिधि

नाम और पता	कार्य-क्षेत्र
यूरोप	
(१) लन्दन श्री टी० स्वामीनाथन, आई० सी० एस०, ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर के मन्त्री (आर्थिक) 'इण्डियाहाउस', आल्डविच, लन्दन, डब्ल्यू० सी० २। तार का पता :—हिकोमिण्ड (HICOMIND) लन्दन।	ब्रिटेन और आयर
(२) पेरिस श्री एच० के० कोचर, भारतीय दूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), १५, रियू अलफ्रेड, डेहोडेनिक, पेरिस १६ एमे (फ्रांस)। तार का पताः—इण्डाट्रेकम (INDATRACOM), पेरिस।	फ्रांस और नारवे
(३) रोम श्री पी० एन० मेनन, आई० एफ० एस०, भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी, (व्यापारिक) वाया फ्रेन्सेस्को, डेन्ज़. ३६, रोम (इटली)। तार का पताः—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), रोम।	इटली और यूनान
(४) बोन डा० एस० पी० छबलानी, जर्मनी में भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), २६२ कोब्लेन्जर स्ट्रासे, बोन (प० जर्मनी)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), बोन।	जर्मनी
(५) हम्बर्ग श्री एस० बी० पटेल, आई० एफ० एस० भारतीय कौंसल-जनरल ६०८/५ ध्रिनवेनाप, हम्बर्ग-१ (प० जर्मनी) तार का पता :—इण्डिया (INDIA) हम्बर्ग।	हम्बर्ग, ब्रमेन और श्लेस्विग, हालस्टीन
(६) ब्रसेल्स श्री एन०डी० डाग, बेल्जियम में भारतीय राजदूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), ५.८१, अवेन्यू लौजि, ब्रसेल्स (बेलजियम)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) ब्रसेल्स।	बेलजियम
(७) श्री एच० एस० गोपाल राव, वाइस कान्सल, ४३, हिन्डेयरस्ट्राट, एन्टवर्प तार का पताः—कनसिन्डिया (CONSINDIA) एन्टवर्प।	
(८) बर्न श्री एम० सी० देव, आई० ए० एस०, भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), बर्न (स्वीजरलैण्ड)। तार का पताः—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) बर्न।	स्वीजरलैण्ड
(९) स्टाकहोम श्री के० सी० महाजन भारतीय राजदूतावास के सेकेन्ड सेक्रेटरी व्यापारिक स्ट्रण्डवेजेन ४७-४, स्टाकहोम (स्वीडन)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), स्टाकहोम।	स्वीडन, फिनलैण्ड और डेनमार्क
(१०) प्रेग श्री सी० शिवराव, चेकोस्लोवाकिया में भारतीय दूतावास के सेकेण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), २२, मुनेवाल्का, प्रेग-३। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) प्रेग।	चेकोस्लोवाकिया
(११) मास्को श्री पी० वैद्यनाथन, रूस में भारतीय दूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), नं० ६ और ८, उलित्सा ओबूखा, मास्को। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) मास्को।	रूस

नाम और पता	कार्य-क्षेत्र
(१२) बेलग्रेड भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक) बेलग्रेड (यूगोस्लाविया) तार का पता:—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) बेलग्रेड ।	यूगोस्लाविया, बल्गेरिया और रूमानिया
(१३) वारसा भारतीय राजदूतावास के सेकेण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक) वारसा (पोलैण्ड) ।	पोलैण्ड
अमेरिका	
(१४) ओटावा श्री एम० के० राव, कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), २००, मेकलेरन स्ट्रीट, ओटावा, ओन्टेरियो (कनाडा) । तार का पता:—हिकोमिण्ड (HICOMIND) ओटावा ।	कनाडा।
(१५) वाशिंगटन श्री एस० जी० रामचन्द्रन, आई०एफ०एस०, भारतीय दूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), २१०७, मैसेचुसेट्स एवेन्यू, एन० डब्ल्यू० वाशिंगटन—८ डी० सी० (संयुक्त राज्य अमेरिका) । तार का पता :— इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) वाशिंगटन ।	संयुक्तराज्य अमेरिका और मैक्सिको
(१६) सेन्टीआगो श्री पी० टी० बी० मेनन, भारतीय राजदूतावास के सेकेण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक) । सेन्टीआगो (चिली) । तार का पता:—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) चिली ।	चिली
अफ्रीका	
(१७) मोम्बासा श्री एफ० एम० दे मैलो कामत, आई० एफ० एस०, भारत सरकार के व्यापार कमिश्नर, ब्रुवली इन्श्योरेन्स बिल्डिंग, पो० बा० नं० ६१४, मोम्बासा (केनिया)। तार का पता :—इण्डोकम (INDOCOM), मोम्बासा (केनिया)।	पूर्वी अफरीका, केनिया, उगाण्डा, टांगानीका और जन्जीबार, दक्षिणी रोडेशिया, उत्तरी रोडेशिया और न्यासालैण्ड
(१८) काहिरा श्री के० आर० एफ० खिलनानी, आई० एफ० एस०, मिस्र में भारतीय दूतावास के कौंसलर (व्यापारिक) सुलीमान पाशा स्ट्रीट, काहिरा (मिस्र) । तार का पता:—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) । काहिरा ।	मिस्र, लेबनान, साइप्रस और लीबिया
(१९) खारतूम श्री एम० आर० वडानी, आई० एफ० एस०, भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), खारतूम (सूडान) ।	सूडान
आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड	
(२०) सिडनी श्री एच०एस०सुजान, भारत सरकार के व्यापार कमिश्नर, काल्टर हाउस, १०वीं मंजिल, १६७—१८७ केन्ट स्ट्रीट, सिडनी (आस्ट्रेलिया) । तार का पता:—आस्ट्रेण्ड (AUSTRAIND) सिडनी ।	आस्ट्रेलिया और उसके समुद्र पारीय प्रदेश जिनमें नौरूकी तथा नौरू भी शामिल हैं
(२१) वेलिंगटन श्री एस० के० चौधरी, आई० एफ० एस०, न्यूजीलैण्ड में भारत के हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), विगडर बिल्डिंग, ४६, विलिस स्ट्रीट, वेलिंगटन, (न्यूजीलैण्ड) । तार का पता :—ट्रैकोमिण्ड (TRACOMIND) वेलिंगटन न्यूजीलैण्ड ।	न्यूजीलैण्ड

नाम और पता	कार्यक्षेत्र
एशिया	
(२२) टोकियो श्री टी० हेजमदी, आई० एफ० एस०, जापान में भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), एम्पायर हाउस (नाइगई बिल्डिंग), मारूनौची, टोकियो (जापान)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), टोकियो।	जापान
(२३) कोलम्बो श्री वी०सी० विजय राघवन, आई० एफ० एस०, लंका में भारत के हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), गफूर बिल्डिंग, पो०ओ० बा० नं० ४७, फोर्ट, कोलम्बो (लंका)। तार का पता:—ट्रेडिण्ड (TRADIND) कोलम्बो।	लंका
(२४) रंगून श्री एन० केशवन, भारत के राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), रनदेरिया बिल्डिंग, फायरे स्ट्रीट, पो०बा०नं० ७५१, रंगून (बर्मा)। तार का पता:—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), रंगून।	बर्मा
(२५) कराची श्री एन० के० निगम, पाकिस्तान में भारत के हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), चार्टर्ड बैंक चैम्बर्स, "वलीका महल," एन० जे० सेठा रोड, न्यू टाउन, कराची-५ (पश्चिम पाकिस्तान) तार का पता:—इण्ट्राकम (INTRACOM), कराची।	पाकिस्तान
(२६) ढाका श्री बी०एम० घोष, पाकिस्तान में भारत के हाई कमीशन के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), ३, रामकृष्ण मिशन रोड, ढाका (पूर्वी पाकिस्तान)। तार का पता:—"गुडविल" (GOODWILL), ढाका।	पूर्वी पाकिस्तान
(२७) सिंगापुर श्री ए० के० दर, आई० एफ० एस०, मलाया में भारत सरकार के कमिश्नर के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), इण्डिया हाउस, ३१—ग्रांज रोड, पो० बा० नं० ८३६, सिंगापुर (मलाया)। तार का पता :—रिपेण्डिया (REPINDIA), सिंगापुर।	मलाया
(२८) बैंकाक श्री एन० पी० चेन, आई० एफ० एस०, भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी, ३७, प्याथाई रोड, बैंकाक (थाइलैण्ड) तार का पता —इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), बैंकाक।	थाइलैण्ड
(२९) मनीला व्यापारिक विभाग, भारतीय लीगेशन, ६१४-नेब्रास्का, मनीला (फिलिपाइन)। तार का पता :—इण्डलीगेशन (INDLEGATION), मनीला।	फिलिपाइन मनीला में भारतीय लीगेशन के मन्त्री के अधीन
(३०) जकार्ता श्री बी० आर० अभयंकर, भारतीय राजदूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक) पो० बा० १७८, ४४, लेवन सिरीह, जकार्ता (इण्डोनेशिया)। तार का पता:—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), जकार्ता।	इण्डोनेशिया
(३१) अदन श्री भगत सिंह, अदन में भारत सरकार के कमिश्नर, अदन। तार का पता :—कोमिण्ड (COMIND), अदन।	अदन, ब्रिटिश सोमालीलैण्ड और इटैलियन सोमालीलैण्ड
(३२) तेहरान श्री आर० अगनेलस्वा, भारतीय राजदूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), अवेन्यू शाह रजा, तेहरान (ईरान)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), तेहरान।	ईरान
(३३) बगदाद श्री एस० वरगोज, भारतीय राजदूतावास के सेकिण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), ८/८ अलि-उल-दीन-एल हिली स्ट्रीट, अर्जेरिया, बगदाद (ईराक)। तार का पता:—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), बगदाद।	ईराक, जोर्डन, फारस की खाड़ी कुवैत, बहरीन शेखडम्स शारजाह क्वार्टर और ट्रूशियल अम्मान।

नाम और पता	कार्यक्षेत्र
(३४) हांगकांग श्री टी० वी० गोपालपति, भारत सरकार के कमिश्नर के सैकिण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक) टावर कोर्ट, ११वीं मंजिल, हिस्यान एवेन्यू, हांगकांग। तार का पता :—कोमइंड (COMIND) हांगकांग।	हांगकांग
(३५) पेकिंग श्री पी० दास गुप्ता, चीन में भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक) ३२, तुंग च्याओमिन, स्यांग, पेकिंग (चीन)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), पेकिंग।	चीन
(३६) कम्बोडिया श्री डी० जे० सेन गुप्ता, भारतीय राजदूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी, पनोम पेन्ह। तार का पताः—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) पनोम पेन्ह।	कम्बोडिया

सूचना :—(१) तिब्बत में निम्नलिखित अधिकारी भारत के व्यापारिक हितों का ध्यान रखते हैं :—

१. गंगटोक, सिक्कम में भारतीय पोलिटिकल अफसर के व्यापारिक सेक्रेटरी।

२. भारत के व्यापार एजेण्ट, यातुङ्ग (तिब्बत)।

(२) जिन देशों में अलग व्यापार-प्रतिनिधि नहीं हैं, उनमें भारतीय राजदूत और कन्सलर अफसर भारत के व्यापारिक हितों का ध्यान रखते हैं।

भारत में विदेशी सरकारों के व्यापार-प्रतिनिधि

देश	पद	पता
१. अफ़गानिस्तान	भारत में शाही अफगान राजदूतावास के आर्थिक एटेची।	२४, रैटण्डन रोड, नयी दिल्ली।
२. अमेरिका	(१) भारत में अमेरिकन राजदूतावास के आर्थिक मामलों के कौंसिलर।	बहावलपुर हाउस, सिकन्दरा रोड, नयी दिल्ली।
	(२) भारत में अमेरिका के कौंसल जनरल।	५/१, हैरिंगटन स्ट्रीट, कलकत्ता-१६।
	(३) भारत में अमेरिका के कौंसल जनरल।	कन्स्ट्रक्शन हाउस, निकल रोड, बैलार्ड इस्टेट, बम्बई-१।
	(४) भारत में अमेरिका के कौंसल जनरल।	१५०-बी०, माउंट रोड, मद्रास—२।
३. आस्ट्रिया	भारत में आस्ट्रिया के व्यापार प्रतिनिधि।	रवीन्द्र मेनशन्स, बेलियन रोड, फोर्ट, पो० बा० नं० १३८५, बम्बई।
४. आस्ट्रेलिया	(१) भारत में आस्ट्रेलिया सरकार के व्यापार कमिश्नर।	मरकैंटाइल बैंक बिल्डिंग, ५२/६६, महात्मा गाँधी रोड, जनरल पो० आ० बा० नं० २१७, बम्बई।
	(२) भारत में आस्ट्रेलिया सरकार के व्यापार कमिश्नर।	२, फेअरली प्लेस, कलकत्ता।
५. इटली	भारत में इटली के राजदूतावास के व्यापारिक कौंसिलर।	१७, यार्क रोड, नयी दिल्ली।
६. इण्डोनेशिया	भारत में इण्डोनेशियन राजदूतावास के आर्थिक मामलों के मंत्री।	५०ए, चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली।
७. कनाडा	(१) भारत में कनाडा हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक)	४, औरंगजेब रोड, नयी दिल्ली।
	(२) भारत में कनाडा का व्यापार कमीशन।	मेंशन एश्योरेन्स हाउस, मिंट रोड, पो. आ. बा. ८८६, बम्बई-१।
८. घाना	अशोक होटल, नई दिल्ली।	
९. चीन	(१) भारत में चीनी गणतन्त्र के राजदूतावास के व्यापारिक मामलों के कौंसलर।	बींद हाउस, लिटन रोड, नयी दिल्ली।
	(२) चीनी जन गणराज्य के व्यापारिक एजेन्ट।	कालिम्पौंग।
	(३) ८, वैनक स्ट्रीट, कलकत्ता।	
१०. चेकोस्लोवाकिया	(१) चैकोस्लोवाकिया गणतंत्र के व्यापारिक प्रतिनिधि।	६५, गोल्फ लिंक एरिया, पो० बा० ३१३ नया दिल्ली।
	(२) चैकोस्लोवाक गणतंत्र के व्यापारिक प्रतिनिधि, बम्बई शाखा।	कस्तूरी बिल्डिंग्स, जमशेद जी टाटा रोड, बम्बई-१।
	(३) चैकोस्लोवाक गणतंत्र के व्यापारिक प्रतिनिधि, कलकत्ता शाखा।	पी० ३८, मिशन रो एक्सटेन्शन, कलकत्ता १३।
	(४) चैकोस्लोवाक गणतंत्र के व्यापारिक प्रतिनिधि, मद्रास शाखा।	३५/५, माउंट रोड, मद्रास-२।
११. जापान	भारत में जापानी राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक)।	प्लाट नं० ४ और ५, ब्लाक ५०-जी, चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली।
१२. डेनमार्क	भारत में डेनमार्क के व्यापार कमिश्नर।	पैलोन्जी मैनशन, न्यू केफे परेड, कोलाबा, बम्बई-५
१३. तुर्की	भारत में तुर्की दूतावास के व्यापारिक एटेची।	होटल अम्बेसेडर, नयी दिल्ली।

देश	पद	पता
२४. नारवे	(१) भारत में नारवे दूतावास के व्यापार कमिश्नर।	इम्पीरियल चेम्बर्स, विलसन रोड, बालार्ड ऐस्टेट पो० ग्रा० बा० नं० २६४, बम्बई-१।
	(२) भारत में नारवे दूतावास के सहायक व्यापार कमिश्नर।	१४, नेताजी सुभाष रोड, पो०बा० २२११, कलकत्ता
२५. नीदरलैण्ड	भारत में नीदरलैण्ड राजदूतावास के व्यापारिक एटेची।	२६८, बाजार गेट स्ट्रीट, बम्बई।
२६. न्यूज़ीलैण्ड	भारत में न्यूज़ीलैण्ड सरकार के व्यापार कमिश्नर।	मरकैंटाइल बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, महात्मा गांधी रोड, बम्बई-१।
२७. प० जर्मनी	(१) भारत में जर्मनी के संघीय गणराज्य दूतावास के व्यापारिक कौंसलर।	८६, सुन्दर नगर, मथुरा रोड, नयी दिल्ली।
	(२) जर्मनी के संघीय गणराज्य के कौंसल जनरल।	रुसी मैन्शन, २६ बुडहाउस रोड, कोलाबा, बम्बई-१५
	(३) जर्मनी के संघीय गणराज्य के कौंसल जनरल।	५६-सी, चौरंगी रोड, कलकत्ता।
	(४) जर्मनी के संघीय गणराज्य के कौंसल जनरल।	बम्बे म्यूचुअल बिल्डिंग, ३७८, नेताजी बोस रोड मद्रास।
२८. पाकिस्तान	भारत में पाकिस्तान हाई कमीशन के व्यापारिक सेक्रेटरी।	शेरशाह रोड मेस, नयी दिल्ली।
२६. पूर्वी जर्मनी	(१) जर्मनी के प्रजातान्त्रिक गणराज्य के व्यापार प्रतिनिधि।	२३, करजन रोड, नयी दिल्ली।
	(२) जर्मनी के प्रजातान्त्रिक गणराज्य के व्यापार प्रतिनिधि।	मिस्त्री भवन २२, दीनशावाचा रोड, बम्बई रिक्लेमेशन, बम्बई १।
३०. पोलैण्ड	(१) भारत में पोलिश गणतंत्र के राजदूतावास के व्यापारिक कौंसलर।	४२-४४, सुन्दर नगर, नई दिल्ली।
	(२) भारत में पोलिश गणतन्त्र के व्यापार प्रतिनिधि।	४०/ए, पेडर रोड, जुगलकिशोर बिल्डिंग, बम्बई-२६
	(३) भारत में पोलिश गणतन्त्र के व्यापार प्रतिनिधि।	२८, स्टीफन कोर्ट, १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता।
३१. फिनलैण्ड	(१) भारत में फिनिश लीगेशन के व्यापारिक कौंसलर।	१, हुमायूँ रोड, नयी दिल्ली।
३२. फ्रांस	(१) भारत में फ्रेंच राजदूतावास के आर्थिक मामलों के कौंसलर।	२, औरंगजेब रोड, नयी दिल्ली।
	(२) भारत में फ्रेंच राजदूतावास के व्यापार कमिश्नर।	'अडेल्फी बिल्डिंग, क्वीन्स रोड, बम्बई १।
	(२) भारत में फ्रेंच राजदूतावास के व्यापार कमिश्नर।	पार्क मेन्शन्स, १३, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता।
	(३) भारत में फ्रेंच राजदूतावास के व्यापार कमिश्नर।	मद्रास क्लब, मद्रास।
३३. बर्मा	(१) भारत में बर्मी राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक)।	२, किचनर रोड, नयी दिल्ली।
	(२) सहायक व्यापार कमिश्नर।	१२, डलहौसी स्क्वायर ईस्ट, कलकत्ता।
३४. बलगेरिया	(१) व्यापार प्रतिनिधि।	१६८, गोल्फ लिंक एरिया, नई दिल्ली।
	(२) भारत में बलगेरियन गणतन्त्र के सहायक व्यापार प्रतिनिधि।	"कामनवेल्थ" बिल्डिंग, नारीमन पौंइट, मरीन ड्राईव, बम्बई-१।
३५. ब्रिटेन	(१) भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर के आर्थिक सलाहकार और भारत में ब्रिटेन के सीनियर व्यापार कमिश्नर।	६, तीस जनवरी मार्ग, नयी दिल्ली।
	(२) बम्बई में ब्रिटेन के मुख्य व्यापार कमिश्नर।	पो० आ० बा० नं० ८१५, महात्मा गांधी रोड, बम्बई-१।
	(३) कलकत्ता में ब्रिटेन के मुख्य व्यापार कमिश्नर।	१, हैरिंगटन स्ट्रीट, कलकत्ता—१६।
	(४) मद्रास में ब्रिटेन के व्यापार कमिश्नर।	पो० बा० नं० १५७५, आरमीनियन स्ट्रीट, मद्रास।

देश	पद	पता
२६. बेलजियम	भारत में बेलजियम राजदूतावास के व्यापारिक कौंसलर।	थियेटर कम्यूनिकेशन बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नयी दिल्ली।
२७. मिस्र	भारत में मिस्री राजदूतावास के व्यापारिक एटेची।	कमरा नं० ३६, स्विस होटल, दिल्ली।
२८. रूमानिया	भारत में रूमानिया के व्यापार प्रतिनिधि।	स्टोलकोट हाउस, दीनशावाचा रोड, चर्च गेट रीक्लेमेशन, बम्बई-१।
२९. रूस	(१) भारत में रूस के व्यापार प्रतिनिधि।	ट्रावनकोर हाउस, नयी दिल्ली।
	(२) भारत में रूस के व्यापार प्रतिनिधि।	४, कमेक स्ट्रीट, कलकत्ता और १ विशप लेफ्राय रोड, कलकत्ता।
	(३) भारत में रूस के व्यापार प्रतिनिधि।	वसुन्धरा हाउस, बम्बई-२६।
३०. लङ्का	भारत में लंका के व्यापार कमिश्नर।	सीलोन हाउस, ब्रूस स्ट्रीट, फोर्ट बम्बई-१।
३१. स्पेन	भारत में स्पेन के सहायक व्यापार कमिश्नर।	"मिस्त्री कोर्ट", दीनशा वाचा रोड, चर्च गेट रीक्लेमेशन, बम्बई।
३२. स्विट्ज़रलैंड	(१) भारत में स्विस लीगेशन के व्यापारिक सेक्रेटरी।	थियेटर कम्यूनिकेशन बिल्डिंग नं० १, रेडियल रोड, नयी दिल्ली।
	(२) भारत में स्विस व्यापार कमिश्नर।	प्राइम एश्योरेन्स हाउस, पो. आ. बा. १०२, सर पी० एम० रोड, बम्बई-१।
३३. स्वीडन	स्वीडन के व्यापार कमिश्नर।	इन्डियन मरकेन्टाइल चैम्बर्स, निकल रोड, बैलार्ड इस्टेट, बम्बई।
३४. हंगरी	(१) भारत में हंगेरियन लीगेशन के व्यापारिक कौंसलर और व्यापार प्रतिनिधि।	१०, पूसा रोड, ब्लाक नं० ११, नारदर्न एक्सटेन्शन एरिया, नई देहली।
	(२) भारत में हंगेरियन लीगेशन का व्यापार कमीशन।	रेमिंग्स ४५, वेके परेड, बम्बई ५.

सूचना :—जिन देशों के अलग व्यापार-प्रतिनिधि नहीं हैं, उनके व्यापार हितों का ध्यान, भारत में स्थित उनके राजनीतिक और/अथवा कंसलर विभाग रखते हैं।

कार्यालय का पता :—४४२, उद्योग भवन, किंग एडवर्ड रोड, नयी दिल्ली।
फोन नं० ३२५३७

उद्योग व्यापार पत्रिका
इस्पात के कारखाने में लपट वाली भट्ठियों का दृश्य
आश्विन १८८०
अक्तूबर १९५८
आर्थिक प्रगति विशेषांक
इस अंक का
मूल्य एक रुपया
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली

... नारी के प्रकोप से
प्रलय आ सकती है !
स्त्री चाहे कितनी भी साधारण क्यों न हो, अपने घर की रानी है। उस की इच्छाओं, विचारों और सुझावों को ठुकरा कर उस के प्रकोप का पात्र कौन बने ? और फिर हमारा तो यह विश्वास है कि घर की जरूरतों को उस से बेहतर कोई नहीं जानता !
सच बात तो यह है कि हिन्दुस्तान लीवर के उत्पादनों में जो ख़ूबियाँ आप पाते हैं उस का श्रेय वास्तव में गृहलक्ष्मी को ही है। उस की जरूरतें जानने के लिए हम देश भर में 'मार्केटिंग रिसर्च' द्वारा पूरी पूछ ताछ करते हैं। हमारे उत्पादनों को जब नया रंग रूप दिया जाता है तो वह भारतीय नारी के सुझावों को ही सामने रख कर किया जाता है।
इन तबदीलियों के बाद, उत्पादनों की हर अवस्था पर उन की ख़ूबियों को बनाये रखने के लिए कड़ी जांच पड़ताल की जाती है ... और इस तरह हम आप की सुलझी हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए बढ़िया माल तय्यार करते हैं।

स्वास्थ्य वृद्धि की ओर . . .

गाड़ीवान रामू के लिये, कुछ वर्ष पहिले, एक पढ़े लिखे डाक्टर के दर्शन बड़ी अपूर्व बात थी; और उसके गांव के आस पास स्वास्थ्य केंद्र ऐसे थे जैसे शर्द ऋतु में आमों की फ़सल!

राष्ट्रीय योजनाओं के द्वारा अब स्थिति बदल चुकी है। आज डाक्टर से रामू के मित्रों जैसे सम्बंध हैं, और गांव गांव स्वास्थ्य केंद्र खुल चुके हैं। इन के कारण रामू ने रोगों की रोक थाम का सर्वोत्तम उपाय भी प्राप्त कर लिया है—यानी स्वास्थ्य शिक्षा। वह अब यह जानता है कि स्वास्थ्य और बीमारियों का मुक़ाबिला करने की शक्ति, उसके खान पान पर निर्भर है—यानी संतुलित आहार पर। ऐसी खुराक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ, विटामिन सभी कुछ होना चाहिये—और चिकनाइयाँ भी। गेहूँ और चावल से २½ गुना ज़्यादा शक्ति, हमें चिकनाइयों से मिलती है। और शरीर को बीमारियों का मुक़ाबिला करने की ताक़त भी इन ही से प्राप्त होती है।

खाना पकाने की चिकनाई 'डालडा' ही लीजिये। यह एक ऐसा वनस्पति है जो शहरों की तरह देहातों में भी प्रति दिन ज़्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है। 'डालडा' साफ़ वनस्पति तेलों से बनता है। इसके हर औंस में विटामिन ए के ७०० अंतरराष्ट्रीय यूनिट्स मिलाये जाते हैं—जितने कि अच्छे घी में होते हैं। इसके अलावा 'डालडा' में विटामिन डी के भी ५६ अं. यू. मिलाये जाते हैं। बनाते समय इसे हाथों से नहीं छूआ जाता और खाने की हर प्रकार की चीज़ें बनाने में यह आप के काम आता है। इन्हीं गुणों के कारण 'डालडा' केवल एक चिकनाई या पाक माध्यम ही नहीं-यह रामू और उसके सभी भारतीय भाइयों के लिये एक सुरक्षित और शक्तिदायक आहार भी है।

खुशी के इन दिनों में
मर्फी रेडियो
से
अपने घर में आनन्द
प्राप्त कीजिये
मुफ्त ! मर्फी रेडियो के साथ आपका दुकानदार आप को १२½"×१४½" आकार की पूर्ण रंगों वाली दुनिया की सब से अधिक मनमोहक मर्फी बेबी की तस्वीर भी देगा।
आजकल का समय शुभ दिनों का है, जब कि फूल, दीपावलियां और सजे हुए घर हमारे उल्लास-पूर्ण महान त्योहारों का स्वागत करते हैं। ऐसे दिवसों पर मर्फी लाखों आदमियों को प्रसन्नता प्रदान करता है। त्योहारों की चहल-पहल और संगीतमय वातावरण से अपने घर को झंकृत करने और वर्षों तक अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिये एक मर्फी रेडियो खरीदिये।
विभिन्न किस्मों में !
१२ सुपीरियर माडल
ए सी, ए सी/डी सी, ड्राई बैटरी
२१५ रु० से ५७५ रु० तक
तथा स्थानीय कर।
murphy radio

'भारत–१९५८ प्रदर्शनी'?
के
अवसर पर देहली में
पधारिये
बिजली की वस्तुओं के लिये हम से
मिलिये व लिखें
डा० सा० कृष्णा एण्ड कम्पनी
१५६३ ए, ईश्वर निवास, स्टेट बैंक के पीछे,
चांदनी चौक, देहली-६
तार का पता—
'COTTONWIRE'
फोन
२७१४३

प्रत्येक असली और उच्च कोटीकी
चावल और दालकी चक्की
दांडेकर
की माँग करो!
गत ६० वर्षों से—
आटे की चक्की
गन्ना पेरने की मशीन
सरक्युलर सौ बेंचीस
टूल फाउन्ड्री और
विशेष सम्मिश्रित धातुओं के
ढालने में सुविख्यात
जी. जी. दान्डेकर मशीन वर्क्स लि.

भारत सरकार द्वारा प्रसारित

विषय सूची

पृष्ठ

विशेष लेख

जानकारी विभाग

ग्राफ विभाग

सांख्यकी विभाग

परिशिष्ट

भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय के प्रकाशन-सम्पादक द्वारा प्रकाशित।

सूचना—इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का सम्बन्ध, जब तक विशेषतः स्पष्ट न लिखा जाय, भारत-सरकार अथवा उसके किसी भी मन्त्रालय से नहीं होगा।

कार्यालय का पता—५४२, उद्योग भवन, किंग एडवर्ड रोड, नयी दिल्ली।

निर्यात-संवर्द्धन के प्रयत्न

निर्यात संवर्द्धन सलाहकार परिषद् की पहली बैठक नई दिल्ली में गत २१ अगस्त १९५८ को हुई। वाणिज्य और उद्योग मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री बैठक में भाषण दे रहे हैं।

उद्योग-व्यापार पत्रिका

उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बम्बई और जम्मू-काश्मीर के शिक्षा विभागों द्वारा शिक्षा-संस्थाओं और पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत

वर्ष ६] नयी दिल्ली, अक्तूबर १९५८ [अङ्क ४

रहन-सहन के स्तर को ऊंचा करने के प्रयत्न

★ *ले० श्री एस० रंगनाथन आई० सी० एस०।*

पिछले तीन दशकों का भारतीय इतिहास एक पिछड़े हुए देश के उन वीरतापूर्ण प्रयत्नों की कहानी है जो उसने अपने विशाल जनसमुदाय के जीवनयापन का मान ऊंचा उठा कर एक उचित स्तर पर ले आने के लिये अनवरत किये हैं। आज भी तो ये प्रयत्न चल रहे हैं क्योंकि अब भी हमारे देश में प्रति व्यक्ति पीछे आय का औसत अनुमान केवल २८४ रु० वार्षिक है। अतः यदि औद्योगीकरण को हम इतना प्रमुख स्थान दे रहे हैं तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस सम्बन्ध में ब्रिटेन के आर्थिक विकास के लिये वहां के मजदूर दल ने जो नीति निर्धारित की है उसका कुछ उल्लेख कर देना भी अप्रासंगिक न होगा। इस नीति को वह 'प्रगति की योजना' नाम से सम्बोधन करता है। इसमें बताया गया है कि "सरकार तो केवल ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न कर सकती है जिनसे प्रगति सम्भव हो सके। उसके पास कोई जादू का डण्डा नहीं होता जिससे छूकर वह हमारी राष्ट्रीय दशा का तत्काल कायाकल्प कर दे। अन्त में हमारी सफलता हम में से प्रत्येक व्यक्ति के प्रयत्नों, कठिन तथा बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य और सामूहिक दायित्व की भावना पर निर्भर होगी।" इस सम्बन्ध में भारत द्वारा राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति का यह विशेष महत्व है कि इसी स्वतन्त्रता ने भारतीय जनसमुदाय में सामूहिक दायित्व की भावना को जन्म दिया है और 'काल्पनिक सन्तोष' के विरुद्ध उसे जाग्रत करके खड़ा कर दिया है।

औद्योगिक नीति का सिंहावलोकन

सरकार ने यद्यपि १९१८ में ही भारत में उद्योग स्थापित करने की सम्भावनाओं की परीक्षा करने के लिये सर टामस हालेन्ड की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया था तथापि १९२३ तक इस सम्बन्ध में प्रायः कुछ भी नहीं किया गया। १९२३ में जनमत से विवश होकर सरकार ने कुछ उद्योगों को संरक्षण देने की ओर कदम उठाया। द्वितीय महायुद्ध के दिनों में उन उद्योगों को सरकार से अवश्य प्रोत्साहन मिला जिनका सम्बन्ध युद्ध प्रयत्न से था। बाद को देश का विभाजन होने से भारत की आर्थिक स्थिति को भीषण धक्का लगा। स्वराज्य के बाद नयी राष्ट्रीय सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति घोषित की। बाद को १९५६ में इसमें संशोधन किया गया और इसी रूप में वह अमल में लाई जा रही है। योजना कमीशन की स्थापना और प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं तैयार होने से औद्योगीकरण में भारी सहायता मिली है। यह आशंका भी निर्मूल सिद्ध हो चुकी है कि सरकार उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है। वास्तव में ऐसे प्रयत्न किये गये हैं कि सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों का ही विकास एक दूसरे के पूरक रूप में हो। इनके फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त देश के आर्थिक संगठन में नये उद्योगों ने जन्म ले लिया है और वे अच्छी प्रगति कर रहे हैं। नीचे की तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है :—

क्रमांक	उद्योग का नाम	इकाई	द्वितीय योजना के आरम्भ में क्षमता	अमल में लाई जाने वाली योजनाएं पूर्ण होने पर क्षमता	योजना के मूल लक्ष्य
१	२	३	४	५	६
१.	लोहा और इस्पात (बिक्री का इस्पात)	दस लाख टन	१.३०	४.५०	४.६०
२.	अलुमीनियम	हजार टन	७.५०	२०.००	३०.००
३.	नाइट्रोजन वाले उर्वरक	हजार टन	८६.२०	१६०.००	३८२.००
४.	सोडा भस्म	हजार टन	६०.००	३२०.००	२५३.००
५.	कास्टिक सोडा	हजार टन	५६.३०	१२४.००	१५०.००
६.	पेट्रोलियम शोधन	दस लाख टन कच्चा	३.६०	४.३०	४.३०
७.	सीमेंट	दस लाख टन	४.७०	६.३०	१६.००
८.	रबड़ के उत्पादन (मोटर गाड़ियों के टायर)	संख्या हजारों में	६२५.२०	१७७४.००	१४५०.००
९.	सूती कपड़ा मिल की मशीनें	रु० करोड़ों में	अप्राप्त	१०.००	१७.००
१०.	जूट मिलों की मशीनें	रु० करोड़ों में	अप्राप्त	१.००	२.५०
११.	रेल इंजन	संख्या	१७६	४००	४००
१२.	ढांचे	टन हजारों में	१२६.००	२८८.००	५००.००
१३.	साइकिलें	संख्या हजारों में	६२७.६०	१३५०.००	८८५.००
१४.	डीजल इंजन (५० अश्व शक्ति और उससे अधिक के)	अश्व शक्ति हजारों में	अप्राप्त	३६.००	३०.००
१५.	ट्रांसफार्मर	किलोवाट हजारों में	४१४.००	१४६५.००	१५००.००
१६.	बिजली के मोटर	अश्व शक्ति हजारों में	२००.४०	७३६.००	६००.००
१७.	चीनी	टन हजारों में	१७४०.००	२२५०.००	२५००.००
१८.	कागज और गत्ता	टन हजारों में	२११.६०	४१०.००	४५०.००
१९.	बिजली उत्पादन	किलोवाट दस लाख में	३४	६३	६९

ऊपर के आंकड़ों से प्रकट होने वाली औद्योगिक उन्नति एक प्रकार से शून्य से आरम्भ की गई थी। प्रजातन्त्रीय व्यवस्था के अन्दर मुद्रा प्रसार को बचाते हुए और विदेशी विनिमय के खतरे सहन करते हुए आधुनिक उद्योगों की स्थापना जिस प्रकार भारत ने कर दिखाई है वह आर्थिक इतिहास में एक बड़ी करामात मानी जायगी। देश का औद्योगीकरण होने के साथ उसके विदेशी व्यापार का रूप बदल जाना भी निश्चित था। पहले जहां बाहर से उपभोग की तैयार वस्तुएं मंगाई जाती थीं वहां अब पूंजीगत माल, मशीनों और अर्द्ध तैयार माल अथवा कच्चे माल का आयात होता है जिसकी हमारे उद्योगों के लिये आवश्यकता है। इसी प्रकार अब केवल कच्चे माल का निर्यात करने के बदले हम विदेशों को अपने उद्योगों द्वारा निर्मित माल भी भेजते हैं।

राज्य व्यापार का क्षेत्र

हमारे व्यापार में एक विशेष प्रणाली का समावेश हुआ है जिसका उल्लेख करना आवश्यक है। मेरा अभिप्राय राज्य व्यापार निगम से है। इसके विषय में लोगों में बहुत भ्रम फैले थे जिनका कारण यही था कि लोग इस निगम के उद्देश्यों को समझने में असमर्थ रहे थे। राज्य व्यापार निगम का वास्तविक उद्देश्य चहुँमुखी है :—

(क) जो देश एकाधिकार युक्त संगठनों द्वारा व्यापार करते हैं और द्विपक्षीय सन्तुलन में विश्वास करते हैं उनके साथ व्यापार का विकास इस प्रकार से किया जाय कि उससे भारत को लाभ हो।

(शेषांश पृष्ठ १४३३ पर देखिये)

औद्योगिक विकास और सरकारी नीति

ले० श्री लक्ष्मीकान्त झा, आई० सी० एस०।

अन्य क्षेत्रों की भांति औद्योगिक दृष्टि से भी भारत बिल्कुल विपरीत अवस्थाओं वाला देश है। एक ओर तो यहां कुशल कारीगर अपनी सदियों पुरानी दस्तकारियां चलाते जा रहे हैं, अपने पुराने ढर्रे के हथकरघे पर सुन्दर जरी के वस्त्र आदि बुनते हैं, मनोरम कारीगरी के फूलदान आदि बनाते हैं, धातु में अनेक प्रकार की पच्चीकारी करते हैं और देवताओं के लिए लुभावने रथ और अपने लिए बांस और लकड़ी की भद्दी गाड़ियां बनाते हैं, तो दूसरी ओर यहां मशीनों और बिजली से चलने वाले आधुनिकतम उद्योग हैं जिनमें नवीनतम प्रविधियों से उत्पादन किया जाता है। प्रस्तुत लेख में इन्हीं आधुनिकतम कारखानों के बारे में प्रकाश डाला गया है।

इन उद्योगों में से बहुत से अब सौ वर्ष से भी अधिक पुराने हो चुके हैं। इनमें जूट, कपड़ा और कोयला उद्योग जैसे विशालतम तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योग विशेषतः उल्लेखनीय हैं। भारत के पहले इस्पात संयंत्र ने हाल में ही अपनी रजत जयन्ती मनायी थी। स्वतन्त्र होने के पूर्व हमारे औद्योगिक विकास की गति बहुत धीमी थी। कुछ दूरदर्शी औद्योगिकों की सूझ-बूझ और साहस के कारण, अथवा आयात की तुलना में कुछ वस्तुओं की उत्पादन लागत कम पड़ने, अथवा दो महायुद्धों के दिनों में उत्पन्न हुई असाधारण अवस्थाओं के कारण कुछ खास-खास उद्योगों की उन्नति हो गई। परन्तु देश को औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए कोई अनवरत प्रयत्न नहीं किया गया। १९४७ में जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार के हाथों में सत्ता आ जाने पर भारत के औद्योगिक विकास के पक्ष में एक नई भावना उत्पन्न हो गई।

नीति सम्बन्धी पहली बड़ी घोषणा

नई सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में सब से पहले जो बड़ी नीति घोषित की वह औद्योगिक विकास के बारे में ही थी। अप्रैल १९४८ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में इस बात पर बल दिया गया कि उत्पादन में निरन्तर वृद्धि करना हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण है और इसलिये सरकार को उद्योगों का विकास करने में अधिकाधिक सक्रिय भाग लेना चाहिए। विकास कार्य को आगे बढ़ाने में विदेशी पूंजी के महत्व को स्वीकार करते हुए एक वर्ष बाद प्रधान मन्त्री ने संसद् में एक वक्तव्य दिया जिसमें नयी सरकार की इस विषय में नीति स्पष्ट की। इस वक्तव्य की बाद में अनेक अवसरों पर पुष्टि की जा चुकी है। इसमें विदेशी पूंजी के साथ भारतीय पूंजी के समान व्यवहार करने का आश्वासन दिया गया है। इसके अतिरिक्त विदेशों से आकर भारत में पूंजी लगाने वालों को यह भी दिया गया है कि उन्हें मुनाफा अपने देश को भेज देने की स्वतन्त्रता होगी और यदि वे नयी पूंजी लगायेंगे तो अपनी पुरानी पूंजी को भी वापस ले जा सकेंगे।

अप्रैल १९५१ में भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना आरम्भ हुई। इस योजना में मुख्य जोर कृषि उत्पादन में वृद्धि करने पर दिया गया जिसके ऊपर ही राष्ट्रीय आय का स्तर ऊंचा उठाना, कपड़ा तथा जूट उद्योग जैसे देश के महत्वपूर्ण उद्योगों के लिये कच्चे माल का मिलना, और भारत का व्यापार सन्तुलन निर्भर था। परन्तु प्रथम योजना में भी औद्योगिक उन्नति के लिए काफी व्यवस्था की गई थी। योजना के पांच वर्षों की अवधि में एक सरकारी उर्वरक कारखाने तथा विदेशी पूंजी की सहायता से स्थापित तेल शोधन के दो कारखानों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया। निजी क्षेत्र के औद्योगिकों ने इस्पात, सीमेण्ट, चीनी और हल्के इंजीनियरी उत्पादनों में काफी विस्तार कर लिया।

नयी औद्योगिक नीति

अप्रैल १९५६ में द्वितीय पंच वर्षीय योजना आरम्भ हुई। इस समय पहले औद्योगिक नीति प्रस्ताव के स्थान पर एक नया प्रस्ताव प्रधान मन्त्री ने संसद् के समक्ष प्रस्तुत किया। इसने आर्थिक उन्नति की गति और औद्योगीकरण को तेज करने के महत्व पर जोर दिया गया। इसके अनुसार उद्योगों को तीन श्रेणियों में बांट दिया गया। 'क' श्रेणी में १७ उद्योग रखे गये हैं जिनके भावी विकास का दायित्व

सरकार पर रहेगा। इस श्रेणी में सम्मिलित करते समय उद्योगों के मूलभूत अथवा सैनिक महत्व अथवा सार्वजनिक सेवाओं अथवा उनमें लगायी जाने वाली पूंजी के विशाल परिमाण को ध्यान में रखा गया जिसे केवल सरकार ही इस समय लगा सकती है। किसी भी उद्योग को 'क' श्रेणी में शामिल कर लेने का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि इसी प्रकार के वर्त्तमान उद्योगों के लिए राष्ट्रीयकरण का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके विपरीत प्रस्ताव में स्पष्ट कहा गया है कि इसके होते हुए भी मौजूदा निजी कारखाने अपना विस्तार कर सकेंगे और जब कभी राष्ट्रीय हित की दृष्टि से आवश्यक होगा तो नये कारखाने स्थापित करने में सरकार निजी औद्योगिकों का सहयोग भी ले सकेगी। मई १९५६ में प्रधान मंत्री ने संसद् में यह बात और भी स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा, "सरकार को अपने साधनों के अनुसार अपने कारखाने और उद्योग स्थापित करने दीजिये। परन्तु हम इस निजी क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को निकालने में अपनी शक्ति क्यों नष्ट करें। इसलिये हमें न केवल निजी क्षेत्र को अनुमति देनी चाहिए वरन् प्रोत्साहित भी करना चाहिए।"

'ख' श्रेणी में १२ उद्योग रखे गये हैं जिनके नये विकास के लिये सरकार अधिकाधिक प्रयत्न करेगी परन्तु निजी क्षेत्र को भी विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जायगा। शेष अन्य उद्योग पूरी तौर पर निजी क्षेत्र के लिए खुले हैं और राज्य की यह नीति होगी कि वह निजी क्षेत्र के उन उद्योगों के विकास को पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत तैयार किये जाने वाले कार्यक्रमों के अनुसार प्रोत्साहन प्रदान करे और इसके लिए उन्हें परिवहन, बिजली आदि की सुविधाएं प्रदान करे तथा उनकी उन्नति के लिए वित्त आदि के उपयुक्त उपाय करे जिसमें धन की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहायता भी सम्मिलित है।

औद्योगीकरण के लिये पहला सुनिश्चित प्रयत्न

द्वितीय पंचवर्षीय योजना को भारत का औद्योगीकरण के लिये किया गया पहला सुनिश्चित प्रयत्न बताया गया है। देश में तीन नये इस्पात कारखानों की स्थापना और मौजूदा कारखानों का विस्तार औद्योगिक कार्यक्रमों की मुख्य विशेषता है। हमारे यहां खनिज लोहा और कोयला पास-पास पाये जाते हैं। उधर विदेशों से इस्पात मंगाने पर हमें बहुत अधिक विदेशी विनिमय खर्च करना पड़ता था। ऐसी दशा में इस्पात उत्पादन को इतना महत्व दिया जाना स्वाभाविक ही था। द्वितीय योजना में मशीन बनाने वाले उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला है। अब कपड़ा, जूट, चाय और चीनी का उत्पादन करने वाली मशीनें देश में पहले से अधिक परिमाण में तैयार की जा रही हैं। इमारतें बनाने के काम आने वाले इस्पात, उर्वरक और सीमेण्ट तथा भारी वैद्युत उपकरण तैयार करने वाली मशीनें बनाने की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। हमारे यहां बाक्साइट की अच्छी खानें हैं। इसलिये विदेशी पूंजी की सहायता से अल्यूमीनियम का उत्पादन भी बढ़ रहा है। भेषजों, रासायनिक पदार्थों, सीमेण्ट तथा कागज का उत्पादन भी काफी बढ़ा दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष १९५१ को आधार मानते हुए औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचक अंक १९५५ में जहां १२२.१ था वहां १९५७ में बढ़कर १३७.१ हो गया।

सरकारी और निजी क्षेत्र

औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार लोहे और इस्पात, कोयले, उर्वरकों, रेल के इंजन डिब्बों, कीटनाशक पदार्थों, मशीनी औजारों, भारी मशीनों और भारी वैद्युत यन्त्रों, आदि के उद्योगों के विकास का भार मुख्यतः सरकार पर रहा है, जबकि निजी क्षेत्र ने अपना अधिकांश ध्यान सीमेण्ट, कागज, रासायनिक पदार्थों, मोटर गाड़ियों और हल्के इंजीनियरी उत्पादनों पर केन्द्रित रखा है। परन्तु सरकारी तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों को बिल्कुल अलग-अलग श्रेणियों में नहीं कर दिया गया है। औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में यह बात साफ कह दी गई है। वास्तव में सरकारी तथा निजी उद्योगों का काफी क्षेत्र रखा मिला है। उदाहरण के लिये एक ओर तो सरकार इस्पात के तीन नये कारखाने स्थापित कर रही है लेकिन दूसरी ओर निजी क्षेत्र के दो इस्पात कारखानों का भी विस्तार किया जा रहा है। इसी तरह यद्यपि सीमेण्ट उद्योग अधिकतर निजी औद्योगिकों के हाथ में है तथापि सरकार भी कई सीमेण्ट कारखानों की स्वामी है।

यह बड़े सन्तोष का विषय है कि विकास कार्य इतनी तेजी से चलने पर भी देश में वस्तुओं के मूल्य उचित रूप से स्थिर रहे हैं और मुद्रा प्रसार को पर्याप्त नियन्त्रण में रखा गया है। स्वदेशी के बदले विदेशी वित्त के साधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये विदेशों से पूंजीगत वस्तुओं और कच्चे माल का आयात करने की अधिकाधिक आवश्यकता हुई है। इसके फलस्वरूप विदेशी विनिमय की भारी कमी पड़ गई है। इस समय अमल में लाई जाने वाली अधिकांश योजनाओं के लिये विदेशी विनिमय का प्रबन्ध कर दिया गया है परन्तु अब नये विकास कार्य के लिये विदेशी साधनों से सहायता मिलने की अत्यन्त आवश्यकता हो। विदेशी विनिमय की कमी के कारण द्वितीय योजना की बहुत सी प्रायोजनाओं को बाद के लिये स्थगित कर दिया गया है और केवल उन प्रायोजनाओं पर जोर दिया गया है जो कि योजना का आवश्यक अंग हैं। इनमें इस्पात के तीन कारखाने और उनसे सम्बद्ध परिवहन तथा खनन सुविधाओं का विकास और सिंचाई तथा बिजली क्षेत्र की कुछ प्रमुख प्रायोजनाएं सम्मिलित हैं। पुनर्निर्माण और विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, अमेरिका तथा जापान के निर्यात आयात बैंकों, अमेरिका के आर्थिक विकास ऋण कोष और रूस, जर्मनी तथा ब्रिटेन से मिली सहायता के फलस्वरूप बहुत सी प्रायोजनाएं

आगे बढ़ाई जा सकी हैं। इस सहायता के अभाव में इनका आगे बढ़ना असम्भव होता। १९४८ और १९५५ के मध्य २०० करोड़ रु० के लगभग नयी विदेशी पूंजी लगाई गई। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में विदेशों के निजी विनियोजन का भाग भी काफी रहा है।

विदेशी मुद्रा के बारे में हमारी वर्त्तमान कठिनाइयां बहुत बड़ी हैं। फिर भी हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में लम्बे काल तक टिके रहने की अच्छी आंतरिक क्षमता उपस्थित है। निर्यात हुआ हमारा उपार्जन इतना काफी रहा है कि उससे हमारी अर्थ-व्यवस्था को सुचारु रूप में बनाये रखने के लिए आवश्यक आयात किया जा सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि हाल के वर्षों में नया विकास कार्य किये जाने के कारण हमारे विदेशी व्यापार में काफी विषमता आ गई है परन्तु इस समय जो विनियोजन हो रहा है उसका उन वस्तुओं के उत्पादन के रूप में अच्छा फल प्रकट होगा जो पहले विदेशों से मंगाई जाती थी। इतना ही नहीं देश में बनाई जाने वाली इन वस्तुओं का निर्यात भी किया जा सकेगा। देश में अब जो मशीनें आदि बनाई जा रही हैं उनके उत्पादन की क्षमता बढ़ जाने के कारण भविष्य में हमारा औद्योगिक विकास विदेशों से मंगाई जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं पर इतना अधिक अवलम्बित नहीं रहेगा। इसलिये हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थ व्यवस्था की उन्नति का मार्ग भली प्रकार प्रशस्त हो चुका है।

रहन-सहन के स्तर को ऊंचा करने के प्रयत्न

(पृष्ठ १४३० का शेषांश)

(ख) बड़े पैमाने पर रेल द्वारा खनिज पदार्थों का परिवहन करके और जहाजों पर उनकी लदान का सुधार करके उनके निर्यात व्यापार को बढ़ाया जाय;

(ग) जो देश बहु-पक्षीय व्यापार के सिद्धान्त को नहीं मानते उनके साथ सौदे किये जाने की सुविधाएं प्रदान करना अथवा ये सौदे विशाल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिष्ठानों को देना; और

(घ) सोडा एश और कास्टिक सोडा जैसे औद्योगिक कच्चे माल का किफायत के साथ आयात करने की व्यवस्था करना और उनके मूल्यों को स्थिर रखना तथा उचित वितरण के यत्न करना। ये कच्चे माल पुराने व्यापार प्रतिष्ठानों की मार्फत आयात किये जाते हैं और साधारण व्यापारी साधनों द्वारा उनका वितरण किया जाता है। राज्य व्यापार निगम केवल विशाल परिमाण पर आयात करके उनके मूल्यों में किफायत कर देता है।

देश के हित में

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राज्य व्यापार निगम निजी क्षेत्र के प्रयत्नों के पूरक तथा समर्थक के रूप में काम करता है। वह ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न करता है जिनमें निजी व्यापारी या तो अपनी इच्छा से अथवा माल देने वाले वितरक के रूप में इस प्रकार से काम करते हैं कि उससे देश का हित होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यापार क्षेत्र में राज्य व्यापार निगम ठीक वही कार्य करता है जो उद्योग क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उद्योग करते हैं। इसलिये राज्य व्यापार निगम किसी भी दशा में साधारण निजी व्यापार साधनों का शत्रु नहीं है।

अन्त में कृषि क्षेत्र का भी थोड़ा सा विवेचन कर लेना उचित होगा क्योंकि इसका भी विशेष महत्त्व है। इस क्षेत्र में एक ओर तो हमें अपनी नित्य बढ़ती जाने वाली विशाल जनसंख्या का पेट भरने के लिये प्रतिवर्ष काफी बड़े परिमाण में विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता है, तथा दूसरी ओर देश में ही अनाज का उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न करने पड़ रहे हैं। विदेशों से अनाज मंगाने पर भी हमें बहुत सा विदेशी विनिमय खर्च करना पड़ता है। यदि अनाज का आयात घटाया जा सके तो उससे विदेशी विनिमय की बचत की जा सकेगी जिसे हम अन्य अधिक उपयोगी कार्यों पर खर्च कर सकेंगे। इसी प्रकार हमारे निर्यात के बढ़ने से भी अधिक विदेशी विनिमय हमारे लिये उपलब्ध हो सकेगा जिसकी सहायता से देश का औद्योगीकरण अधिक तेजी से किया जा सकेगा।

भारत समृद्धि की ओर जा रहा है

★ लेखक—श्री कृष्ण बिहारी लाल, आई० सी० एस०।

'भारत किधर जा रहा है?'—यह प्रश्न आज बहुत से क्षेत्रों में बारम्बार किया जा रहा है।

गत दो वर्षों में देश के विदेशी व्यापार की जो गति रही है उसी को देखकर यह प्रश्न किया जाता है। द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष १९५६ में व्यापार में २०० करोड़ रु० का घाटा हुआ था। उसके बाद वाले वर्ष में निर्यात से केवल तीन-चौथाई आयात का मूल्य चुकाया जा सका। योजना के पहले दो वर्षों में भारत का व्यापार सन्तुलन ६०० करोड़ रु० से उसके प्रतिकूल रहा। लगभग इतने ही रुपये का निर्यात भारत एक वर्ष में करता है। परन्तु यह कोई पहला अवसर नहीं है जब आयात निर्यात की अपेक्षा अधिक हुआ है। विभाजन के तत्काल बाद ही देश के विदेशी व्यापार में एक भारी खाई पैदा हो गई थी। १९४८-४९ में आयात की अपेक्षा निर्यात १८६ करोड़ रु० कम रहा था। इसके बाद वाले वर्ष में यह कमी १५० करोड़ से कुछ ही कम थी जबकि १९५१-५२ में सन्तुलन १९५६ की अपेक्षा अधिक प्रतिकूल रहा था। ये भारी घाटे हमारे हाथ से कच्चे जूट, कच्ची रुई, चमड़ा और खालों तथा गेहूं के पड़ोसी साधन निकल जाने के कारण हुए थे। इसके सिवा देश में लगातार कई वर्षों तक खेती की उपज भी अच्छी नहीं हुई। बाद को १९५३, १९५४ और १९५५ में स्थिति काफी सुधर गई। इसका श्रेय बुद्धिमत्तापूर्ण आयोजन, श्रमशील कृषकों, साहसी सिंचाई इंजीनियरों, आयात नियन्त्रण और अनुकूल वर्षा को था।

१९५६ के बाद से हमारे विदेशी व्यापार में फिर घाटे की खाई दिखाई देने लगी है। इस बार का घाटा औद्योगिक प्रायोजनाओं में बहुत अधिक पूंजी लगाये जाने के कारण हुआ है। इस प्रकार का घाटा भारत जैसे देश के लिये न तो अस्वाभाविक है और न अजीब ही। जिन अन्य देशों ने भी उत्पादकता बढ़ाने अथवा राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के प्रयत्न किये हैं उन्हें भी इसी प्रकार की स्थिति में से गुजरना पड़ा है। युद्ध से क्षतविक्षत हुए अत्यधिक विकसित देशों ने भी अपने आयात द्वारा की गई बचत के बल पर अपना औद्योगिक शक्ति को बढ़ाने के यत्न किये हैं। पश्चिमी जर्मनी के विदेशी व्यापार में १९४६-४७ में ७१४० लाख डालर का घाटा हुआ था। इसी अवधि में ब्रिटेन को ४५०० लाख पौंड का घाटा हुआ जबकि जापान का निर्यात उसके आयात की अपेक्षा १९४६-४९ की अवधि में प्रतिवर्ष ३४४० लाख डालर कम रहा।

आवश्यक आयात के कारण घाटा

भारत के विदेशी व्यापार में इतना भारी घाटा अनेक प्रकार के कारणों से हुआ है। मौसम खराब रहने से कृषि का उत्पादन घट गया। इसके फलस्वरूप १९५७-५८ में अनाज का आयात फिर बढ़कर १५२ करोड़ रु० पर पहुँच गया। इसके साथ ही औद्योगिक विकास के विनियोजन को भी रोका नहीं जा सका। १९५७ में भारत ने २३३ करोड़ रु० की मशीनों का आयात किया जबकि १९१३ में ४ करोड़ रु० की और १९३७-३८ में २४ करोड़ रु० का यह आयात किया था। १९५३ में इस्पात और तांबे पर क्रमशः ५२ और ६ करोड़ रु० खर्च करने पड़े थे। १९५७ में यह खर्च बढ़ कर क्रमशः १४७ करोड़ और १८ करोड़ रु० हो गया।

पिछले दो वर्षों में आर्थिक हलचल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विकास पर हुए सरकारी व्यय तथा निजी औद्योगिक विनियोजन की गतियां पहली योजना के औसत से लगभग दुगनी रही हैं। अगले तीन वर्षों में देश की औद्योगिक क्षमता को बढ़ाने के प्रयत्न किये जायेंगे। विनियोजन के कार्यक्रम को विवश होकर कम कर देना पड़ा है। परन्तु यदि देश संशोधित कार्यक्रम को भी अमल में ला सका तो योजना की समाप्ति पर अधिकांश उद्योगों की क्षमता में योजना आरम्भ होने के समय की तुलना में काफी वृद्धि हो जायगी। उदाहरण के लिये तैयार इस्पात की क्षमता १३ लाख टन से बढ़कर ४५ लाख टन, अलूमीनियम की ७५०० टन से बढ़कर २०,००० टन, सीमेंट की ४७.४ लाख टन से बढ़कर १०० लाख टन, साइकिलों की ६ लाख से बढ़कर १३ लाख हो जायगी।

हमारी औद्योगिक प्रायोजनाएं इस प्रकार से बनायी गई हैं कि हमारी औद्योगिक प्रगति आयात पर अधिक निर्भर न रहे। उदाहरण के लिये जूट, कपड़ा, चीनी, सीमेंट, मशीनी औजार और इस्पात जैसी महत्वपूर्ण वस्तुएं तैयार करने वाले कारखानों की मशीनें बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी प्रकार कास्टिक सोडा, सोडा एश, तापसह ईंटें, रंग, गन्धक का तेजाब और केबिल तथा तारों के उत्पादन से औद्योगिक उत्पादन की बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायंगी। आशा है कि इसके फलस्वरूप आगामी वर्षों में आयात पर हमारा खर्च घटाया जा सकेगा और इसके साथ ही हमारी आर्थिक हलचल की गति भी तेज की जा सकेगी।

उपभोग के प्रतिमानों में वृद्धि

औद्योगिक निर्माण की इस अवधि में भी उपभोग को उस निम्नतम स्तर पर ही रखना व्यावहारिक नहीं माना गया है जिसकी कि जनता स्वतन्त्र होने से पहले अभ्यस्त थी। उत्पादन में वृद्धि होने से जो सुविधाएं हो गईं उनसे लाभ उठाने का लोभ जनता संवरण न कर सकी। चीनी का खर्च दुगना हो गया है और कपड़ा भी २५ प्रतिशत अधिक उपयोग में लाया जाने लगा है। अब चाय पहले से बहुत अधिक घरों को स्फूर्ति और आनन्द प्रदान करने लगी है। काफी पीने वालों की संख्या भी पहले से अधिक हो गई है। अब पहले से अधिक व्यक्ति देश का पर्यटन करने लगे हैं और स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ गई है। कागज का खर्च पहले से अधिक हो गया है और लोगों के खानपान का ढंग भी बदल गया है। मोटे अनाजों की जगह अब गेहूँ और चावल का प्रयोग बढ़ गया है और फलों, तरकारियों तथा वनास्पति तथा तेल के खर्च में भी वृद्धि हो गई है। इस प्रकार उपभोग बढ़ जाने के कारण उत्पादन में जो वृद्धि हुई थी उसका हम अधिक परिमाण में निर्यात नहीं कर सके हैं। द्वितीय योजना में आयात में कोई भारी विस्तार करने की व्यवस्था नहीं की गई थी। निर्यात से होने वाले उपार्जन का अनुमान भी केवल ५०३ करोड़ रु० वार्षिक ही रखा गया था।

निर्यात का रूप बदला

१९५६ और १९५७ में हमारे व्यापार का जो स्तर रहा उससे अनुमानित औसत में वृद्धि हो जाने की आशा हुई। परन्तु १९५८ की पहली छमाही में हुए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हुई कमी के कारण यह आशा कुछ सीमा तक टूटने लगी। हाल में ही हुए भारतीय निर्यात को पहली बार देखने पर तो ऐसा लगता है कि उसमें वृद्धि नहीं हो रही है। परन्तु उस पर गहराई से विचार करने पर ज्ञात होता है कि स्थिति वास्तव में ऐसी नहीं है। हमारे निर्यात के रूप और दिशाओं दोनों में ही परिवर्तन हो गया है। अनाज, कच्चे जूट, कच्चे चमड़े और तेलहन का निर्यात होना अब लगभग बन्द हो गया है। प्रथम महायुद्ध से पहले इन वस्तुओं से भारत अपनी लगभग आधी विदेशी मुद्रा और द्वितीय महायुद्ध से पूर्व विदेशी मुद्रा के उपार्जन का १/५ भाग प्राप्त करता था। सूती कपड़े से १९३८-३९ की अपेक्षा अब पांच गुना विदेशी विनिमय प्राप्त होता है। लौह खनिज के निर्यात से तीन गुना और खनिज मैंगनीज के निर्यात से ३०० प्रतिशत अधिक विदेशी विनिमय का उपार्जन होने लगा है। तेलहन का निर्यात बन्द हो जाने से जो कमी हुई है उससे सात गुना लाभ अब वनस्पति तेलों के निर्यात से होने लगा है। नारियल की जटा की विदेशों में अब दुगनी बिक्री होने लगी है। इसके सिवा बहुत सी नयी वस्तुएं जैसे, जूते, चमड़े का अन्य सामान, पम्प, सिलाई की मशीनें, रंगलेप और वारनिशें आदि विदेशों से अच्छा उपार्जन करने लगी हैं। इनमें से अधिकांश के उद्योग देश में नये-नये स्थापित हुए हैं।

देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाने पर निर्यात के लिए बच रहने वाला माल और अधिक परिमाण में तैयार होने लगेगा। परन्तु इस बार भी विदेशी व्यापार का घाटा बहुत अधिक है। इसलिए इस समय आयात होने वाली वस्तुओं का मूल्य चुकाने के लिये जो ऋण लिये जा रहे हैं उन्हें अदा करने के लिये साधन बढ़ाने की ओर ध्यान दिया जाना परमावश्यक है। इसलिये इस घाटे को पूरा करने के लिये हमें अपना दूसरा प्रयत्न अधिक दृढ़ता और पक्के निश्चय के साथ करना होगा जो न केवल हमारे कृषि क्षेत्र में होगा वरन् उद्योग क्षेत्र में भी।

कृषि-उत्पादन में वृद्धि करनी होगी

कृषि उत्पादन के क्षेत्र में कुछ उन्नति हो चुकी है। परन्तु अभी जो उत्पादन हो रहा है वह कम है। धरती की उत्पादकता बढ़ाने से विदेशी व्यापार का घाटा दो तरफ से कम होता है। एक ओर तो गेहूं, चावल, जूट, रुई, नारियल और काजू के आयात पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत होती है और दूसरी ओर तेल, खली, दालों, फलों, तरकारियों, छोटे रेशे की रुई, तम्बाकू, मसालों, चाय और काफी का निर्यात बढ़ाया जा सकता है। भाकड़ा-नांगल और दामोदर घाटी प्रायोजनाओं तथा अन्य छोटे सिंचाई साधनों के फलस्वरूप उत्पादन बढ़ने की आशा है। अधिक परिमाण में उर्वरक उपलब्ध हो जाने से किसान सिंचाई के अधिक जल और उन्नत उपकरणों का प्रयोग कर सकेगा। सिंदरी जैसे दो नये कारखानों की योजना बनाई जा रही है और तृतीय योजना से ऐसे ही अन्य कारखाने भी बनाये जायंगे। इस प्रकार कृषि की अच्छी प्रणालियों की जानकारी हो जाने तथा धन और अन्य साधनों की अधिक सुविधाएं हो जाने पर हमारे अधिकांश किसान भी कृषि उत्पादन में वैसी ही उन्नति कर दिखायेंगे जैसी कि देश में इधर-उधर बिखरे हुए इने गिने लोग कर के दिखा चुके हैं।

(शेषांश पृष्ठ १५०५ पर देखिये)

६० लाख टन इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य

★ ले०—*श्री एस० भूतलिंगम्, आई० सी० एस०।*

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खाद्य के बाद इस्पात को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसका कारण भी स्पष्ट है। किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था में इस्पात का इतना महत्वपूर्ण स्थान होता है कि उसके उपभोग तथा उत्पादन को देख कर ही उस देश के विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। भारत ने १९६१ तक अपने इस्पात उत्पादन को बढ़ाकर ६० लाख टन तक पहुंचा देने की योजना बनाई है। इसकी तुलना में इस समय अमेरिका में १ अरब टन, रूस में ५० करोड़ टन से अधिक और ब्रिटेन तथा पश्चिमी जर्मनी में २ २ करोड़ टन से अधिक इस्पात का उत्पादन होता है।

इस्पात के परिमाण का अनुमान साधारणतः उसके कच्चे रूप पिण्डों से लगाया जाता है। इस्पात को किसी भी रूप में आने से पूर्व पिण्ड रूप में आना पड़ता है इसलिये इसके परिमाण की माप करने का यही सबसे सुविधाजनक उपाय है। परन्तु पिण्ड रूप में इस्पात बाजार में नहीं बिकता। पिण्डों को गढ़कर पटरियों, ढांचों, प्लेटों, चादरों, छड़ों अथवा सरियों का रूप दे दिया जाता है। १० लाख टन कच्चे इस्पात से लगभग ७.५ लाख टन बिक्री योग्य इस्पात तैयार हो जाता है। भारत में ६० लाख टन (लगभग ४५ लाख टन तैयार इस्पात) कच्चा इस्पात तैयार करने का जो लक्ष्य रखा गया है उसे जमशेदपुर और बर्नपुर के वर्तमान कारखानों का विस्तार करके भी पूरा करने का प्रस्ताव है। इन दोनों कारखानों में विस्तार हो जाने के बाद लगभग ३० लाख टन इस्पात तैयार होगा। इसके अतिरिक्त जो नये तीन कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं उनमें भी दस दस लाख टन इस्पात तैयार होगा।

लौह-खनिज का शोधन

इस्पात, लोहे तथा कार्बन का मिश्रण होता है। विभिन्न कोटि की शक्ति और किस्म वाला इस्पात तैयार करने के लिये इस मिश्रण में मैंगनीज, सिलिकन, क्रोमियम और वनाडियम धातुएं मिला दी जाती हैं। लोहा अपने प्राकृतिक दशा में आक्साइड रूप में पाया जाता है। उसमें मिट्टी, गन्धक, फासफोरस तथा अन्य खनिज पदार्थ भी मिले होते हैं। इसलिये लोहे को इन प्राकृतिक मिश्रणों से अलग करके उसमें कारबन आदि मिला देने से ही इस्पात तैयार हो जाता है। प्राचीन काल में लोहे को अन्य मिलावटों से अलग करने के लिये लकड़ी के कोयले से लौह खनिज को गलाया जाता था। परन्तु इस प्रकार काफी लोहा तैयार नहीं होता था। १८वीं शताब्दी के मध्य में यह अनुभव किया गया कि कोई अन्य प्रकार का ऐसा ईंधन इस्तेमाल किया जाय जो प्रचुर परिमाण में तथा सस्ते दामों में प्राप्त हो। यह ईंधन पत्थर का कोयला था। परन्तु इस कोयले में आवश्यक शक्ति तथा रासायनिक गुण नहीं होते। इसलिये इससे 'कोक' तैयार किया जाता है जिसमें शक्ति और गुण दोनों ही होते हैं। जब लौह खनिज के साथ कोक को जलाया जाता है तो कोक का कारबन खनिज की आक्सीजन से मिल कर कारबन मोनोआक्साइड बन जाता है जो गैस का रूप धारण करके वायु में उड़ जाता है। गन्धक, फासफोरस और मिट्टी आदि अन्य मिलावटें चूना मिलाकर दूर कर दी जाती हैं। यह चूना अन्य मिलावटों से मिलकर नीचे तलछट के रूप में जम जाता है।

इस्पात तैयार करने का संयंत्र

इस्पात तैयार करने के संयंत्र के चार मुख्य *विभाग* होते हैं —

१. कोक भट्टी—इसमें पत्थर का कोयला फूँक कर कोक बनाया जाता है।

२. लपट वाली भट्टी—इसमें लौह खनिज को गला कर लोहा बनाया जाता है।

३ इस्पात गलाने का संयंत्र—इसमें लोहे में कारबन तथा अन्य धातुएं मिला कर इस्पात बनाया जाता है।

(शेषांश पृष्ठ १५०६ पर देखिये)

सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति और समस्याएं

★ *ले०—श्री डी० सी० जोशी, आई० सी० एस०, वस्त्र आयुक्त।*

कपड़ा बुनने का उद्योग भारत का पुराना उद्योग है। आज कल बड़े पैमाने पर मिलों के विभिन्न भागों की सहायता से कपड़ा बुना जाता है, मशीनी शक्ति के बिना चलने वाले हथकरघों तथा विद्युत चालित करघों से भी कपड़ा तैयार होता है। कहीं इसे बनाने के कारखाने छोटे हैं तो कहीं मझोले आकार के और कहीं कुटीर कर्मचारी अपने एक करघे से ही कपड़ा तैयार करता है। उद्योग में लगी पूंजी, तैयार होने वाले माल के मूल्य, उद्योग में काम करने वाले लोगों की संख्या तथा राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में महत्व की दृष्टि से कोई भी बड़ा उद्योग वस्त्र उद्योग से अधिक महत्व का नहीं है। कपड़े की सिर्फ बड़ी बड़ी मिलों की प्राप्त पूंजी ११५ करोड़ रु० के आस पास है, उनका उत्पादन ४०० करोड़ रु० से अधिक है तथा उनमें ८ लाख से ऊपर लोग काम करते हैं। यह उद्योग अनेक सहायक उद्योगों का आधार है और बराबर बढ़ रहे वस्त्र मशीन उद्योग का तो मुख्य रूप से सहारा है। इस उद्योग के विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में लगभग २५ लाख हथकरघे वस्त्र उत्पादन में लगे हुए हैं, इनसे जितने परिवारों को रोजी मिलती है उन की संख्या हथकरघों की संख्या से कहीं अधिक है। सूती कपड़ा तैयार करने में कितने विद्युत चालित करघे लगे हुए हैं, उनकी ठीक ठीक संख्या तो उपलब्ध नहीं, परन्तु उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विद्युत चालित २७,६०० करघे सूती कपड़ा बनाते हैं और उनका उत्पादन २०—२२ करोड़ गज है।

उद्योग की स्थिति

१ जनवरी, १९५८ को देश में कपड़े की बड़ी मिलों की संख्या कितनी थी, उनमें लगे तकुओं तथा करघों की संख्या कितनी है, यह नीचे की सारणी में दिखाया गया है:—

कताई मिलों की संख्या	कताई बुनाई मिलों की संख्या	मिलों की कुल संख्या	तकुओं की संख्या	करघों की संख्या
१७५	२९५	४७०	१,३०,५४,०९८	२,०१,२८०

कपड़े की मिलों में अधिकांशतः साधारण अथवा कैलिको करघे लगे हुए हैं, जो उपेक्षाकृत कम लम्बा माल तैयार करते हैं। बहुत से मिलों के उत्पादक उपकरण बहुत पुराने हैं।

उत्पादन का स्वरूप

सूती कपड़ा मिलों में कपड़े का उत्पादन कुछ हद तक तो उपलब्ध मशीनों के अनुसार तथा बहुत हद तक देश में ही उपलब्ध रुई के अनुरूप होता है। उद्योग के लिए आवश्यक ८८ प्रतिशत रुई देश से ही हासिल की जाती है। इस समय देश में पैदा होने वाली रुई का अधिकांश भाग मोटे तथा मध्यम श्रेणी के कपड़े के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अच्छी किस्मों की रुई पैदा करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं, जिससे बढ़िया किस्मों के कपड़े का अधिक उत्पादन हो सके। कपड़ा मिलों में विभिन्न श्रेणी के कपड़े का उत्पादन कितना होता है यह नीचे की सारणी से ज्ञात होता है:—

(आंकड़े करोड़ गजों में)

वर्ष	मोटा कपड़ा	मध्यम	बारीक	बहुत बारीक	योग
१९५३	५९.६	३,१३.८	८३.६	३०.४	४८७.८
कुल का प्रतिशत	१२.३	६४.३	१७.२	६.२	
१९५४	५१.०	३,६९.१	४६.२	३३.५	४९९.८
कुल का प्रतिशत	१०.२	७३.९	९.२	६.७	
१९५५	५७.२	३,७५.९	४६.२	३०.१	५०९.५
कुल का प्रतिशत	११.२	७३.८	९.२	५.९	
१९५६	७१.९	३,७९.६	४४.४	३४.७	५३०.६
कुल का प्रतिशत	१३.६	७१.५	८.४	६.५	
१९५७	१,१६.३	३,५०.३	३८.३	२६.३	५३१.७
कुल का प्रतिशत	२१.९	६५.९	७.२	५.०	

उद्योग का विकास

देशी सूती कपड़ा मिल उद्योग के बढ़कर इस स्थिति तक आने में और खासकर १९१४ के बाद से उसका विकास होने में पूर्णतः नहीं तो मुख्यतः रूप से सहायक होने वाली बातें थीं—दो महायुद्ध, स्वदेशी आंदोलन, और देश में इस उद्योग के उत्पादन से विदेशी प्रतियोगिता धीरे-धीरे समाप्त होना। लेकिन सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली बात थी देश के अन्दर ही कपड़े की माग बहुत बढ़ जाना। द्वितीय महायुद्ध छिड़ते समय भारत में सूती कपड़े की ३८८ मिलें थीं जिनमें १ करोड़ तकुए और २ लाख करघे थे। १९४७ में भारत का विभाजन हो जाने के बाद भी १९५५ में मिलों की संख्या बढ़ कर ४६१ तथा तकुओं की संख्या १ करोड़ २१ लाख और करघों की संख्या २,०१,००० हो गयी। आज इस उद्योग में १ करोड़ ३० लाख ५ हजार तकुए और २,०१,२८० करघे हैं। करघों की संख्या में अपेक्षाकृत कम वृद्धि होने का कारण है भारत सरकार की वह नीति जिसका उद्देश्य हथकरघा उद्योग को संरक्षण देना है।

दोनों आयोजनाओं में प्रगति

प्रथम पंचवर्षीय आयोजना के अधीन ४७० करोड़ गज कपड़ा और १६४ करोड़ पौंड सूत पैदा करने के लक्ष्य रखे गये थे लेकिन वास्तव में उत्पादन के ये लक्ष्य योजना की अवधि समाप्त होने—३१ मार्च १९५८ से बहुत पहले ही पूरे कर लिये गये थे।

द्वितीय आयोजना के अन्तर्गत सूती वस्त्र उद्योग (मिल तथा हथकरघा दोनों क्षेत्रों) के लिए उत्पादन लक्ष्यों की घोषणा जून १९५६ में की गयी थी। यह मानकर कि १९६०-६१ तक प्रति व्यक्ति पीछे कपड़े की औसत खपत बढ़कर १८.५ गज हो जायगी, देश की ४० करोड़ जनता की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ७४० करोड़ गज कपड़ा प्रतिवर्ष तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। १०० करोड़ गज कपड़े का निर्यात होने का अनुमान लगाया था और इस प्रकार दूसरी आयोजना के अन्त तक कुल उत्पादन ८४० करोड़ गज होना चाहिए। उस समय मिलों, हथकरघों तथा विद्युत चालित करघों का वर्तमान उत्पादन ६७० करोड़ आंका जाता था इसलिए उत्पादन लक्ष्य के आधार पर तीनों क्षेत्रों के द्वारा शेष १७० करोड़ गज का उत्पादन करने के लिए व्यवस्था की गयी। यह भी सोचा गया था कि मिलों में १८,००० करघे और लगाये जाएं जो सिर्फ निर्यात के लिए ३५ करोड़ गज कपड़ा प्रतिवर्ष तैयार करें। *जहां तक इस उद्योग के मिल क्षेत्र का सम्बन्ध है,* देश में खपत के लिए उसे कितना उत्पादन बढ़ाना है, यह निश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया गया। ऐसा करने का उद्देश्य यह है कि *मिलों द्वारा कपड़े का उत्पादन ५०० करोड़ गज के आस पास ही स्थिर* रखा जाय जिससे कपड़े की जितना अतिरिक्त माग हो, उसे हथकरघों तथा विद्युत चालित करघों के उत्पादन से पूरा किया जाए।

प्रति व्यक्ति पीछे खपत

ऊपर कपड़े के *आयोजित उत्पादन* के जो आंकड़े दिये गये हैं वे इस मूल अनुमान पर आधारित हैं *कि दूसरी आयोजना के अन्त तक देश* में कपड़े की प्रति व्यक्ति पीछे खपत बढ़कर १८.५ गज हो जाएगी। हाल ही में इस प्रश्न पर वस्त्र जांच समिति (१९५८) ने विचार किया था। उसने *यह मत व्यक्त किया है कि चूंकि आर्थिक प्रगति उस गति* से नहीं हो रही है, जैसा द्वितीय आयोजना में सोचा गया था, इसलिए कपड़े की प्रति व्यक्ति पीछे खपत १७.५ गज से अधिक होने की सम्भावना नहीं है। १९५५, १९५६ तथा १९५७ में कपड़े *की प्रति व्यक्ति* पीछे उपलब्धि क्रमशः १५.८, १६.५ तथा १६.८ गज थी और जो आर्थिक स्थितियां इस समय हैं उन्हें देखते हुए समिति ने यह संभावना प्रकट की कि कपड़े की खपत बढ़कर १८.५ गज प्रति व्यक्ति नहीं हो पाएगी जैसा कि पहले सोचा गया था।

स्वदेशी बाजार की संभावनाएं

चालू उत्पादन की तुलना में कपड़े की प्रति व्यक्ति पीछे खपत या वस्त्र उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों की स्थापित उत्पादन क्षमता निर्धारित करने के अलावा जिस एक और बात पर अधिक जोर दिये जाने की जरूरत है, वह यह है कि भारत का अपना बाजार ही बहुत बड़ा है जिसे बढ़ाया जा सकता है। उसकी अर्थ-व्यवस्था विकसित हो रही है और जैसे जैसे विविध विकास योजनाओं के लाभ जनता को पहुँचते जाएंगे, वैसे वैसे कपड़े जैसी आवश्यक वस्तुएं की माग में वृद्धि का अनुभव हुए बिना नहीं रह सकता। माग में कभी कभी जो कमी आ जाती है और जिसके कारण कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा उत्पादन जरूरत से ज्यादा है, वह तो *संक्रमण कालीन दौर है। धीरे-धीरे विकसित होने वाली,* अल्प विकसित अर्थ व्यवस्था का विकास-क्रिया में आने वाले ये तनाव तथा जोर तो अनिवार्य होते ही हैं।

मशीनों का नवीकरण

जब से भारत स्वतन्त्र हुआ है, सूती वस्त्र उद्योग ने काफी प्रगति की है। तकुओं तथा कुछ हद तक करघों की संख्या बढ़ी है। हालांकि देश के *विभाजन के कारण देश में पैदा होने वाली लाखों गांठ रुई* कपड़ा मिलों को मिलनी बन्द हो गयी है, फिर भी उसका उत्पादन घटा नहीं बल्कि बढ़ा है और आज भारत संसार में कपड़े का दूसरा सबसे *बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा, युद्ध काल में मशीनों का अधिक* प्रयोग हुआ और युद्धकाल में तथा उसके बाद मशीनें मिलने में कठिनाई होने तथा उनकी कीमतें अधिक होने के कारण उन्हें बदला न जा *सका जिससे मौजूदा मशीनों तथा उपकरणों की टूट-फूट तथा घिसाई* बहुत अधिक हुई। इसलिए अब उद्योग के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या मशीनों के पुनः संस्थापन तथा आधुनिकीकरण की है। यह समस्या

उद्योग के विकास की दृष्टि से ही नहीं बल्कि स्वदेश और विदेश की निरन्तर बदलने वाली मांग को प्रभावपूर्वक पूरा करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वस्त्र उद्योग की कुछ मशीनें जैसे रिंग फ्रेम, करघे तथा धुनाई इंजन अब देश के अन्दर ही काफी परिमाण में बनाये जाने लगे हैं। स्वचालित करघे, फ्रेम, फ्लाई फ्रेम और रीलिंग मशीनें बनाने की शुरूआत भी की जा चुकी है। फिर भी अभी ऐसी कुछ मशीनों का आयात करना आवश्यक है जो मुख्य रूप से देश में बने कपड़े की किस्म सुधारने तथा माल के समापन के काम में लायी जाती हैं। देश में बनी कुछ मशीनें अभी प्रविधिक कारणों से आयातित मशीनों जैसी नहीं होती तथा अभी कुछ मशीनों का देश में निर्माण आरम्भ नहीं हुआ है इस लिए मशीनों का आयात किया जाता है।

भारत एक बड़ा निर्यातक

एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है भारतीय कपड़े का निर्यात न सिर्फ वर्तमान स्तर पर बनाये रखने बल्कि उसे और बढ़ाने की; जिससे विदेशों से आयात की जाने वाली ४०-५० करोड़ रु० की रुई, आवश्यक वस्त्र मशीनों, फालतू पुर्जों तथा अन्य माल के आयात का भुगतान किया जा सके और वर्तमान स्थितियों में मिल उद्योग में सामान्यतः आर्थिक स्थिरता बनी रह सके।

भारत अनेक वर्षों से कपड़े का एक बहुत बड़ा निर्यातक चला आ रहा है। पिछली लड़ाई के सालों में भारत का निर्यात काफी बढ़ा है। १९५० में उसका निर्यात ११०.९ करोड़ गज कपड़े का हो गया और कपड़े के विश्व व्यापार में उसका भाग १७.३ प्रतिशत हो गया। कोरियाई युद्ध में हमारा कपड़े का निर्यात १३० करोड़ गज हो गया जितना अब तक कभी नहीं हुआ। हाल के वर्षों में कपड़े का निर्यात निम्नानुसार रहा :—

वर्ष	मिल का बना कपड़ा
	(करोड़ गजों में)
१९५४	८९.८
१९५५	८१.५
१९५६	७४.४
१९५७	८२.८

निर्यात में कमी और उसके कारण

१९५७ की तीसरी तिमाही से कपड़े के हमारे निर्यात में महत्वपूर्ण कमी आ गयी है और १९५८ की प्रथम दो तिमाहियों में निर्यात में आयी कमी तो बहुत अधिक है जैसा नीचे के आंकड़ों से प्रकट है :—

१९५७	:	तीसरी तिमाही	१९.८७५ करोड़ गज
		चौथी तिमाही	१७.१२२ ,, ,,
१९५८	:	पहली तिमाही	१६.५ ,, ,, (अनुमानित)
		दूसरी तिमाही	१२.६ ,, ,, ,,

१९५८ की पहली और विशेषरूप से दूसरी तिमाही में निर्यात में तेजी से कमी होने का कारण मुख्यतः एशियाई देशों (खासकर बरमा; इंडोनेशिया, मलाया और सिंगापुर) द्वारा माल उठाने में अकस्मात कमी आ जाना है। चीन और जापान से प्रतियोगिता बढ़ जाने, जापान और इंडोनेशिया से होने वाले कपड़े के व्यापार में सिंगापुर का मध्य पत्तन व्यापार समाप्त होने की संभावना और कुछ देशों (जैसे पश्चिमी एशिया) में राजनीतिक उथल पुथल होने से भारतीय कपड़े के निर्यात व्यापार पर गंभीर असर पड़ा है।

अपने निर्यात को कम से कम १९५४ के स्तर पर बनाये रखने के लिए भारत की प्रतियोगिता स्थिति सुधारने के लिए जोरदार कोशिशें करने की आवश्यकता है। बराबर बदल रही मांग को ध्यान में रखकर विदेशी बाजारों का गहनतर अध्ययन करना होगा। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार आज ग्राहक प्रधान बाजार है, वहां ग्राहक की मर्जी चलती है। कपड़ों के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में नये नये तरीकों से प्रतियोगिता होने के कारण माल की किस्म तथा उसके मूल्य का ग्राहकों पर बड़ा असर पड़ता है। कपड़े के निर्यात व्यापार में जापान की श्रेष्ठता का आधार ही यही है कि वह माल की किस्म तथा भाव में प्रतियोगिता कर सकता है। लेकिन अब जापान को भी चीन की कड़ी प्रतियोगिता का अनुभव होने लगा है।

निर्यात व्यापार की मुख्य बातें

सूती कपड़े के हमारे निर्यात की महत्वपूर्ण बातें ये हैं :—

(१) हमारे कुल निर्यात का ९०-९२ प्रतिशत भाग मोटा तथा मध्यम श्रेणी का कपड़ा होता है।

(२) कपड़े के हमारे कुल निर्यात में बहुत बड़ा भाग बिना धुले कोरे कपड़े का होता है जिसे आयातक देश पुनर्निर्यात के लिये समापित करते हैं।

(३) हमारे निर्यात का अधिकांश भाग एशिया तथा अफ्रीका के देशों को जाता है।

(४) हमारे निर्यात का बहुत कम प्रतिशत रंगा या छपा और अन्य प्रकार से समापित किया हुआ होता है।

निर्यात करना आवश्यक

हमारा कपड़ा अब तक जिन बाजारों में बिकता आ रहा है, उनमें बिक्री बनाये रखने और बढ़ाने के अलावा उन बाजारों में अपना कपड़ा बेचने के लिए जबर्दस्त प्रयत्न करने होंगे जिनमें अब तक हमारे

कपड़े की बिक्री कोई खास बड़े पैमाने पर नहीं होती। पश्चिमी जर्मनी जैसे मध्य यूरोपीय देशों में हमारे कपड़े की खासी बिक्री हो सकती है बशर्ते हम उन बाजारों के प्रतिमानों के अनुसार माल उन्हें दे सकें। इसके लिए उच्च कोटि की व्यवस्था तथा विक्रय-कला अपनाने की जरूरत होगी। देश में बनने वाले माल में विविधता लाने तथा समाप्ति माल तैयार करने और उसका अधिक निर्यात करने से हमारी बिक्री बढ़ने के नये जरिये निकल सकते हैं। अपनी भौगोलिक स्थिति तथा कुछ अन्य बातों जैसे देश में ही रुई का उत्पादन होने के कारण भारत इस स्थिति में है कि वह अन्य देशों को उनकी आवश्यकता का कपड़ा निर्यात कर सकता है।

सरकारी सहायता और उद्योग का दायित्व

भारत सरकार की यह उत्कट इच्छा है कि इस देश में बने कपड़े का निर्यात बढ़े। सरकार ने इसके लिये कुछ कदम उठाये हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्न हैं :—

(१) विदेशों में सूती कपड़े के बाजारों की स्थितियों का गहन अध्ययन करने तथा निर्यात बढ़ाने के लिये सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद् की स्थापना।

(२) निर्यात होने वाले माल पर लगे उत्पादन शुल्क में छूट देना।

(३) निर्माताओं तथा निर्यातकों को निर्यात के लिये माल बनाने के लिये आवश्यक कच्चा माल समय पर तथा उचित दामों पर दिलाने में सहायता करना।

(४) व्यापारिक झगड़े निबटाने के लिये वाणिज्यिक मध्यस्थता के तरीके को लोकप्रिय बनाना।

(५) निर्यात किये जाने वाले कपड़े पर किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण की योजनाएं लागू करना और

(६) अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना तथा संसार के मुख्य केन्द्रों में व्यापार केन्द्र और वाणिज्यिक प्रदर्शन कक्ष चलाना।

ऐसे कुछ और उपाय करने पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है जो भारत में बनने वाले कपड़े की किस्म सुधारने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं।

दूसरी आयोजना में बिजली पैदा करने का कार्यक्रम

★ *ले०—श्री एम० हयात, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग।*

प्रथम पंचवर्षीय आयोजना की समाप्ति पर देश में बिजली पैदा करने के संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता ३४.२ लाख किलोवाट थी जिसमें कारखानों द्वारा अपने उपयोग की बिजली स्वयं पैदा करने के लिये लगाये गये बिजली घरों की क्षमता भी सम्मिलित थी। इस कुल क्षमता में से २४.६ लाख किलोवाट बिजली, कोयला और डीजल तेल का प्रयोग करके बनायी जाती थी और ६.६ लाख किलोवाट जल विद्युत संयंत्रों से।

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में बिजली पैदा करने के लक्ष्यों के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम बनाया गया है :—

(१) विद्युत उत्पादन की क्षमता में ३५.२ लाख किलोवाट की वृद्धि की जाएगी,

(२) २२० से ११ किलोवाट तक की ३५,००० मील लम्बी प्रेषण और वितरण लाइनें बनायी जाएंगी। इसमें ट्रांसफार्मर और छोटे बिजली घर भी सम्मिलित हैं जिनकी कुल उत्पादन क्षमता ५० लाख किलोवोल्ट एम्पियर होगी।

(३) औद्योगिक नगरों तथा अन्य नगरों को बिजली पहुंचाना जिसमें १०,००० गांवों में बिजली पहुंचाना भी सम्मिलित है।

दूसरी आयोजना में ३५.२ लाख किलोवाट बिजली पैदा करने का जो कार्यक्रम बनाया गया है, उसमें से १८ लाख किलोवाट बिजली उन योजनाओं से प्राप्त की जाएगी जो पहली योजना में शुरू की गयी थी और दूसरी आयोजना में चल रही हैं। दूसरी आयोजना में जो नयी योजनाएं शुरू की गयी हैं, उनसे १७.२ लाख किलोवाट बिजली दूसरी आयोजना की अवधि में पैदा होगी और तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में १० लाख किलोवाट बिजली पैदा होगी। ३५.२ लाख किलोवाट बिजली में से २६.२ लाख किलोवाट बिजली सरकारी क्षेत्र के बिजली घरों से और तीन लाख किलोवाट प्रायवेट बिजली घरों से पैदा की जाएगी। शेष ३ लाख किलोवाट बिजली सरकारी और गैरसरकारी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों द्वारा अपने काम के लिए लगाये गए बिजली घरों से पैदा की जाएगी। सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले बिजली घरों पर द्वितीय आयोजना काल में ४२७ करोड़ रु० खर्च आएगा जिसमें से १८० करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा खर्च होगी। इसके अतिरिक्त गैरसरकारी क्षेत्र में बिजली के उत्पादन पर ४२ करोड़ रु० लगाया जाएगा।

द्वितीय आयोजना में बिजली पैदा करने का कार्यक्रम

राज्य	स्थापित क्षमता-मेगावाट		द्वितीय आयोजना में वित्त व्यवस्था लाख रु० में (सरकारी क्षेत्र)	विशेष
	प्रथम योजना के अंत तक	द्वितीय आयोजना के अंत तक (लक्ष्य)		
१	२	३	४	५
आन्ध्र	१०२.६८	२८६.३६	२,७८१.८२	
असम	४.७४	२४.२३	३८०.००	
बिहार	२०४.४४	४११.०४	४,६८७.३८	इसमें दामोदर घाटी

			निगम का २,३४८ लाख रु० शामिल है
बंबई	७००.८६	१,१२०.०६	५,२३६.४४
जम्मू और कश्मीर	१२.३६	३१.६५	३२६.२४
केरल	८६.४६	१६३.००	२,३५६.४८
मध्य प्रदेश	८२.१४	२६५.२१	३,२४४.४५
मद्रास	२५६.७०	५७८.७०	५ ५२२ ६४
मैसूर	१८८.७०	२६४.२६	२,७४६ ५८
उड़ीसा	२१.००	२७७.७२	२,५५२.६०
पंजाब	१२६.७६	६७६.७६	३,५६३.३५
राजस्थान	४२.६०	११७.४७	१,६६६.५१
उत्तर प्रदेश	२६५.००	६८३.८०	५,४६२.००
प० बंगाल	५०६.६५	६८१.४६	४६६.६५
केन्द्र शासित प्रदेश :			
(क) दिल्ली	५४.००	१०४.००	४०३.८०
(ख) शेष	५.६५	११.८३	३७६.००
	२,६६४.२३	५,७२८.४३	४२,७१०.६६

सरकारी क्षेत्र में प्रगति

द्वितीय आयोजना के प्रथम दो वर्षों में सरकारी क्षेत्र में चलने वाली विद्युत उत्पादन योजनाओं पर लगभग १७० करोड़ रु० खर्च किए जा चुके हैं। ४,१०,००० किलोवाट बिजली पैदा करने वाले संयंत्र चालू करने की अनुमति दी जा चुकी है और १,४५,००० किलोवाट बिजली पैदा करने वाले बिजलीघरों का निर्माण काम बढ़ चुका है। १०,००० मील लम्बी प्रेषण तथा वितरण लाइनें डाली जा चुकी हैं और करीब ४,५०० गांवों में बिजली पहुँच चुकी है। पांच वर्षों में बिजली उत्पादन की जितनी क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है, उसके अनुपात में दो वर्षों की प्रगति देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि काम लक्ष्य से कम हुआ है। लेकिन यहां यह बता देना आवश्यक है कि इस अवधि में काम मुख्यतः उन्हीं योजनाओं पर हुआ जो पहली आयोजना में आरंभ की गयी थीं। इनमें से मुख्य योजनाएं जैसे भाकड़ा-नंगल, चम्बल, रिहन्द तथा कोयना हैं जो दूसरी आयोजना के अंत तक पूरी हो जाएंगी। १८ लाख में से १३ लाख किलोवाट बिजली इन्हीं योजनाओं से प्राप्त की जाएगी। पहली पंचवर्षीय आयोजना से चली आ रही मुख्य योजनाओं तथा अन्य मुख्य योजनाओं की प्रगति नीचे संक्षेप में दी जाती है।

भाकड़ा-नंगल

पहली पंचवर्षीय आयोजना के अंत में नंगल नहर पर स्थित गंगूवाल बिजली घर (४८,००० किलोवाट) चालू हो गया था। द्वितीय आयोजना में यह लक्ष्य था कि भाकड़ा बांध बनाया जाए और उस पर ६०,००० किलोवाट बिजली पैदा करने वाले पांच जैनेरेटिंग सैट लगाये जाएं। नंगल नहर पर स्थित दोनों बिजली घरों की क्षमता २६-२६ हजार किलोवाट बढ़ा दी जाएगी। इन योजनाओं के लिये जिन मशीनों तथा कलपुर्जों की आवश्यकता होगी, उनके आर्डर दिए जा चुके हैं। बांध का निर्माण तथा इन बिजलीघरों के लिये इमारतें आदि बनाने का काम चल रहा है।

दामोदर घाटी निगम

पहली आयोजना के अन्त में दामोदर घाटी निगम के अधीन बोकारो ऊष्मा विद्युत केन्द्र (१५०,००० किलोवाट) तथा तिलैया जल विद्युत केन्द्र (४००० किलोवाट) चालू हो गये थे। १९५७-५८ में मैथान जल विद्युत केन्द्र के तीन सैटों में से २०,००० किलोवाट का एक सैट चालू हो गया। अन्य दो सैटों का निर्माण-कार्य भी चल रहा है और आशा है कि पूरा बिजली घर १९५८-५९ में चालू हो जायगा। पंचेत हिल आयोजना पर निर्माण कार्य पूरी तेजी से चल रहा है। इस बिजली घरों की क्षमता ४०,००० किलोवाट की होगी और यह संभवतः १९५९-६० तक चालू हो जाएगा।

बिजली उत्पादन की क्षमता में मुख्य रूप से वृद्धि करने की जो योजनाएं आयोजना में सम्मिलित की गयी हैं, उनमें से मुख्य ये हैं:—(१) बोकारो के ऊष्मा विद्युत केन्द्र की क्षमता में वृद्धि करना और ७५,००० किलोवाट बिजली तैयार करने के लिये एक और कारखाना लगाना और (२) दुर्गापुर में १,५०,००० किलोवाट बिजली पैदा करने करने की क्षमता वाला एक नया ऊष्मा विद्युत केन्द्र स्थापित करना। दुर्गापुर में स्थापित किया जाने वाला बिजली घर १९५९ के मध्य तक चलने लगेगा। बिजली घर चालू करने का यह कार्यक्रम दुर्गापुर में बन रहे इस्पात कारखाने के काम के साथ साथ चलाया जा रहा है।

दुर्गापुर में बिजली घर स्थापित करने तथा बोकारो के बिजली घर की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये इमारतें आदि पूरी तेजी के साथ बनाया जा रही हैं। जहां तक इनके लिए वित्त व्यवस्था का सम्बन्ध है, इनके लिए धन उस तीसरे ऋण में से दिया जाएगा जिसके लिए विश्व बैंक से बातचीत चल रहा है। इन योजनाओं के लिए आवश्यक मशीनों तथा कलपुर्जों के लिए आर्डर दिए जा चुके हैं।

चम्बल जल-विद्युत आयोजना

इस योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत संतोषजनक गति कार्य से चल रहा है। गांधी सागर बिजली घर के लिये तीन जैनेरेटर सैटों के

आर्डर दिये जा चुके हैं। इनमें से प्रत्येक की क्षमता २३,००० किलोवाट बिजली पैदा करने की होगी। गांधी सागर बिजली घर के लिये भी ट्रांसफार्मर, स्विचगीयर तथा अन्य सहायक उपकरणों के लिये भी आर्डर दिए जा चुके हैं। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऐसे ही एक जैनेरेटर सैट के लिये टैण्डर आमंत्रित किए गये हैं। आशा है कि जल विद्युत केन्द्र १९५९-६० से चालू हो जाएगा।

इस बिजली घर से पैदा होने वाली बिजली मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में प्रयोग की जाएगी। दोनों ही राज्यों में आवश्यक प्रेषण लाइनें, उप-स्टेशन तथा वितरण सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

कोयना जल-विद्युत आयोजना

२,४००,०० किलोवाट बिजली पैदा करने वाली इस आयोजना के लिये इमारतें आदि बनाने का काम तेजी से चल रहा है। अधिकांश आवश्यक मशीनों तथा उपकरणों के लिए आर्डर दिये जा चुके हैं। कुछ छोटी-मोटी चीजों के लिये जिनमें इनडोर स्विचगीयर भी है, अभी आर्डर नहीं दिये गए हैं, इनके लिये टेंडर जारी कर दिए गये हैं। इस योजना पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होगी, वह विश्व बैंक से मिलने वाले उस ऋण में से दी जाएगी जिस के लिये बातचीत चल रही है।

तुंगभद्रा योजना

प्रथम आयोजना की समाप्ति के समय दो बिजली घर बनाने का काम चल रहा था। इनमें से एक बिजली घर तुंगभद्रा बांध के ठीक नीचे बना है और दूसरा हैम्पी के समीप नहर के अंत में। दोनों बिजली घरों में ९-९ हजार किलोवाट की दो-दो मशीनें लगी हैं। बांध के पास बने बिजली घर का ६,००० किलोवाट का एक भाग १९५६-५७ में चालू हुआ था और अब चारों सैट चालू हो चुके हैं। इनसे आंध्र प्रदेश तथा मैसूर राज्य ४ : १ के अनुपात में बिजली प्राप्त कर रहे हैं।

रिहंद आयोजना

इस बांध का निर्माण-कार्य चल रहा है। जहां तक इससे बिजली तैयार करने का सम्बन्ध है, ५ जैनरेटर सैटों के लिये आर्डर दिये जा चुके हैं। इनमें से प्रत्येक सैट की क्षमता ५०,००० किलोवाट बिजली तैयार करने की होगी।

हीरा कुड

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के प्रथम दो वर्षों में २४,००० किलोवाट की दो मशीनें तथा ३७,५०० किलोवाट की चौथी मशीन स्थापित करने के लिये निर्माण-कार्य चल रहा है। इसका पहला चरण पूरा हो चुका है और शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा। प्रेषण लाइनों तथा छोटे बिजली घरों के निर्माण का कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है। प्रथम चरण के साथ ही दूसरे चरण का काम भी दूसरी आयोजना में हाथ में ले लिया गया है। इसके अंतर्गत ७२,००० किलोवाट क्षमता का चिपलीमा बिजली घर बनाया जायगा और बांध पर बने बिजली घर की क्षमता ३७,५०० किलोवाट और बढ़ाई जाएगी। इनके लिये इमारतें बनाने का काम संतोषजनक ढंग से चल रहा है। बांध पर बने बिजली घर के विस्तार कार्यक्रम के लिए मशीनों के आर्डर शीघ्र ही दे दिए जाने की आशा है।

असम

८,४०० किलोवाट बिजली पैदा करने की क्षमता वाला उमत्रू जल विद्युत केन्द्र पिछली जुलाई में चालू कर दिया गया है। यह आयोजना कोलम्बो योजना के अंतर्गत कनाडा की सहायता से पूरी हुई है और इससे गोहाटी तथा आस-पास के क्षेत्रों को बिजली मिलती है। दूसरी आयोजना के अंतर्गत बनायी जाने वाली एक महत्वपूर्ण विद्युत उत्पादन योजना उमटिंगर में ऊष्मा बिजली घर स्थापित करने की है। शुरू में ६,००० किलोवाट बिजली पैदा करने की इसकी क्षमता होगी। इसे उमत्रू से सम्बद्ध किया जाएगा। उमटिंगर में प्रारंभिक कार्य चल रहा है।

आंध्र प्रदेश

मुचकुँद में १७,००० किलोवाट बिजली पैदा करने का तीसरा सैट जून १९५६ में चालू कर दिया गया था। यहां २१,२५० किलोवाट क्षमता के तीन यूनिट स्थापित करने का काम हाथ में लिया हुआ है। यह विस्तार कार्य १९५९ तक पूरा हो जाने की आशा है।

तुँगभद्रा-नैलोर प्रायोजना दूसरी आयोजना में शामिल कर ली गयी है। इसके अनुसार नैलोर में ३०,००० किलोवाट का ऊष्मा विद्युत केन्द्र स्थापित किया जाएगा और तुँगभद्रा बिजलीघर में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता स्थापित की जाएगी। इस संयंत्र के निर्माण के लिये प्रारम्भिक कार्य चल रहा है।

खिलेरू जल-विद्युत प्रायोजना के लिये जांच-पड़ताल हाल ही में पूरी कर ली गयी है और प्रायोजना रिपोर्ट बना ली गयी है। इस योजना पर काम शुरू करने का प्रस्ताव है जिसमें ६०,००० किलोवाट के दो यूनिट आरम्भ में चालू किए जाएंगे।

बिहार

बिहार के बिजली विभाग का मुख्य कार्य दामोदर घाटी निगम से मिलने वाली बिजली को व्यापक रूप से बांटने और डीजल से बिजली

तैयार करने वाला बिजली घर स्थापित करना रहा है। ये बिजली घर उन इलाकों में लगाये जाएंगे जो ग्रिड ट्रांसमिशन लाइनों से दूर पड़ते हैं (विशेष रूप से उत्तरी बिहार का क्षेत्र)। ३०,००० किलोवाट का वाष्प चालित बिजली घर बरौनी में स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके लिये विलम्बित भुगतान की बातचीत चल रही है।

बंबई

कोयना प्रायोजना के अतिरिक्त बम्बई राज्य का बिजली बोर्ड उत्तान ऊष्मा विद्युत केन्द्र का विस्तार करने में जोर शोर से लगा हुआ है। सूरत के पास स्थित इस बिजली घर में १५,००० किलोवाट के तीन यूनिट लगाये जाएंगे। इन सभी कार्यों में काफी प्रगति हो चुकी है। काइला में ६००० किलोवाट के ऊष्मा विद्युत केन्द्र के निर्माण में काफी प्रगति हो चुकी है। सौराष्ट्र में कई ऊष्मा विद्युत केन्द्र स्थापित करने तथा उत्तर गुजरात में बिजली प्रेषण और वितरण की कई योजनाएं हाथ में हैं। विदर्भ क्षेत्र में खापर खेड़ा बिजली घर की क्षमता में ३०,००० किलोवाट की वृद्धि करने तथा अकोला में ३०,००० किलोवाट का नया बिजली घर स्थापित करने की योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं।

जम्मू और कश्मीर

पानी से ४,५०० किलोवाट बिजली पैदा करने वाले चार सैटों के आर्डर दे दिये गये हैं। इनमें से दो सैट गंदरबल बिजली घर के लिये और दो मोहरा बिजली घर का विस्तार करने के लिये हैं। राज्य के विभिन्न भागों में वितरण लाइनों का विस्तार कार्य चल रहा है। पठानकोट से जम्मू तक ६६ किलोवोल्ट की एक दूसरा प्रेषण लाइन डाली जा रही है जिससे पंजाब के जोगिन्दर नगर बिजली घर से जम्मू को अधिक बिजली मिल सके।

केरल

पैरिंगलकुथू बिजली घर के ८,००० किलोवाट बिजली तैयार करने वाले तीनों यूनिटों से उत्पादन शुरू हो गया है। चौथे यूनिट से भी शीघ्र ही उत्पादन आरम्भ हो जाएगा।

१५,००० किलोवाट क्षमता के तीन यूनिटों वाली नेरियामंगलम् जल विद्युत प्रायोजना पर कार्यक्रम के अनुसार कार्य चल रहा है। सभी यंत्र तथा उपकरणों के लिये आर्डर दिए जा चुके हैं और आशा है कि यह १९५९ तक चालू हो जायेगी।

पन्नियर प्रायोजना के लिये इमारतें, बांध, सुरंग तथा अन्य सहयोगी कामों में अच्छी प्रगति हो रही है। १५,००० किलोवाट बिजली पैदा करने वाले यंत्र के लिये टेंडर आ चुके हैं और इसके लिये शीघ्र ही आर्डर दे दिये जायेंगे।

मध्य प्रदेश

चम्बल प्रायोजना के अलावा कोरबा ऊष्मा विद्युत केन्द्र और कोरबा को भिलाई में बन रहे लोहे तथा इस्पात कारखाने से मिलाने के लिये १३२ *किलोवाट की प्रेषण लाइनें डालने के काम में अच्छी* प्रगति हो रही है। इस बिजली घर का कुछ भाग १९५८-५९ तक चालू हो जाएगा।

दूसरी आयोजना में अन्तिम रूप से ये योजनाएं अभी शामिल होनी हैं :—सतना में १०,००० किलोवाट का और बीरसिंह पुर में ३०,००० किलोवाट का एक ऊष्मा बिजली घर।

मद्रास

मद्रास शहर के ऊष्मा बिजली घर में ३०,००० किलोवाट का एक नया यूनिट बढ़ाया गया है। ३५,००० किलोवाट के ३ यूनिटों वाली पेरियार जल विद्युत *योजना का निर्माण-कार्य काफी आगे बढ़* गया है और यह १९५८-५९ तक पूरी हो जाएगी।

१,८०,००० किलोवाट की क्षमता वाली कुंडा प्रायोजना की प्रगति संतोषजनक ढंग से चल रही है। इसके निर्माण में कनाडा सरकार यंत्र तथा उपकरणों से सहायता कर रही है। आशा है कि यह योजना १९६०-६१ के अंत तक पूरी हो जाएगी।

मैसूर

तुंगभद्रा (वाम तट) योजना के लिए ९,००० किलोवाट के दो यूनिटों के आर्डर दिये जा चुके हैं। इतनी ही क्षमता के तीसरे यूनिट के लिये ट्रांसफार्मरों और सम्बन्धित अन्य उपकरणों के लिये अभी आर्डर दिए जाने हैं। ३३,२०० किलोवाट वाली भद्रा योजना के लिए यंत्र तथा उपकरण के आर्डर दिये जा चुके हैं।

बिजली की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योजना शरावती घाटी जल विद्युत प्रायोजना है जिससे राज्य को बहुत अधिक तथा दीर्घ कालीन लाभ होगा। इस योजना के लिए निर्माण-कार्य आरम्भ हो चुका है।

उड़ीसा

हीरा कुड जल विद्युत प्रायोजना के अतिरिक्त उड़ीसा राज्य सरकार का बिजली विभाग राज्य के विभिन्न भागों में बिजली भेजने और उसका वितरण करने की कई योजनाओं पर अमल कर रहा है।

पंजाब

भाकड़ा-नंगल प्रायोजना के अलावा राज्य में और कई योजनाओं पर काम चल रहा है जिससे बिजली की सुविधाओं में विस्तार होगा।

राजस्थान

चम्बल प्रायोजना से पैदा की जाने वाली बिजली का आधा और भाकड़ा-नंगल योजना से पैदा होनेवाली बिजली का छठा भाग राजस्थान को मिलेगा। अपने हिस्से की इस बिजली का उपयोग करने के लिये आवश्यक प्रेषण लाइनें डालने, छोटे बिजली घर बनाने और बिजली बांटने की सुविधाएं देने के कार्य चल रहे हैं।

इसके अतिरिक्त राजस्थान ने पहली आयोजना की अवधि में जोधपुर जयपुर, भरतपुर और अलवर में ऊष्मा बिजली घरों के विस्तार का काम शुरू किया था, जो अभी चल रहा है।

उत्तर प्रदेश

अप्रैल १६५६ में १३,८०० किलोवाट का तीसरा यूनिट चल निकलने के बाद पानी से बिजली पैदा करने वाला सारदा बिजली घर पूरा हो गया। गोरखपुर, मऊ, सोहवाल तथा मैनपुरी में भाप से बिजली बनाने के बिजली घरों पर निर्माण-कार्य जारी है। इन बिजली घरों के संयंत्र का एक-एक भाग चालू भी हो गया है। ये बिजली घर शीघ्र ही बनकर पूरे हो जाएंगे।

यमुना योजना दो भागों में पूरी की जाएगी। पहले भाग के अन्तर्गत यमुना का पानी रोका जाएगा और पानी को पीछे ले जाकर दो स्थानों पर बिजली पैदा की जाएगी। दोनों बिजली घरों की क्षमता ५१,००० किलोवाट होगी। दूसरे भाग में पहले भाग के अनुसार जहां पानी रोका जायेगा, उससे ऊपर की ही ओर बांध बांधा जाएगा और नदी की धारा मोड़ने के लिए एक सुरंग तैयार की जाएगी जिससे १,५०,००० किलोवाट बिजली तैयार की जा सके। अब पता चला है कि इस योजना के पहले भाग के अन्तर्गत जिस स्थान पर काम हो रहा था, वह यमुना सम्बन्धी एक अन्य योजना-कोच बांध प्रायोजना के अन्तर्गत पड़ता है। इसलिये प्रस्ताव यह है कि इस योजना के पहले भाग का काम तब तक रोक रखा जाए, जब तक की कोच बांध प्रायोजना के बारे में अंतिम रूप से फैसला नहीं हो जाता। इस बीच यमुना योजना के दूसरे भाग के सिलसिले में प्रारम्भिक विस्तृत जांच-पड़ताल की जा रही है। हरदुआ गंज में ६०,००० किलोवाट का एक नया वाष्प चालित बिजली घर बनाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

पश्चिमी बंगाल

४,००० किलोवाट क्षमता वाली मयूराक्षी जल विद्युत योजना के अनुसार १६५६-५७ में बिजली तैयार की जाने लगी। दुर्गापुर में ६०,००० किलोवाट बिजली पैदा करने वाले ऊष्मा विद्युत केन्द्र के निर्माण कार्य में खासी प्रगति हो रही है। यह बिजली घर दुर्गापुर कोक ओवन प्लांट का एक भाग ही होगा।

५० बंगाल के उत्तरी भाग में जलढाका में पानी से बिजली तैयार करने की योजना के बारे में जांच-पड़ताल की जा रही है।

गैर सरकारी क्षेत्र

गैर सरकारी क्षेत्र में टाटा बिजली कम्पनी ने ट्राम्बे में ५०,००० किलोवाट के पहले दो यूनिटों को चालू कर दिया है। तीसरे सैट का निर्माण-कार्य काफी आगे बढ़ चुका है। अहमदाबाद बिजली कम्पनी ने ३०,००० किलोवाट की क्षमता का एक और सैट स्थापित करने के लिये प्रारम्भिक काम शुरू कर दिया है।

अभी बहुत कुछ करना है

भारत में योजनानुसार विकास आरम्भ होने से पहले २३.१ लाख किलोवाट बिजली पैदा करने की क्षमता थी जो पहली योजना के अंत तक बढ़ कर ३४ लाख किलोवाट हो गयी। दूसरी योजना में इसमें इतनी ही वृद्धि और करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि यह भी काफी बड़ा लक्ष्य है लेकिन यह हमारी वास्तविक आवश्यकताओं से काफी कम ही सिद्ध होगा। बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण होने और उसके फलस्वरूप लोगों के रहन-सहन के स्तर में सुधार होने से देश भर में बिजली की मांग तेजी से बढ़ेगी। जहां तक साधनों का सवाल है, हमारे पास पानी के विपुल साधन हैं, घटिया दर्जे का काफी कोयला है और अणुशक्ति बनाने की सम्भावना भी है। इसलिए हमारी आर्थिक आयोजना की सफलता इस बात में है कि हम बिजली का उत्पादन किस तरीके से बढ़ाते हैं। यह सफलता तभी हासिल हो सकेगी, जब हम बड़े बड़े बिजली घर ही स्थापित न करें, बल्कि उन्हें इस तरह स्थापित करें कि हमारी क्षमता वास्तविक मांग से हमेशा अधिक ही पड़ती रहे। विद्युत साधनों के विकास की योजना बनाने की एक विशेष बात यह है कि ये योजनाएं किसी योजना के क्रियान्वित होने से वर्षों पहले बनायी जाती हैं और यह मानकर बनायी जाती हैं कि जैसे-जैसे समय बीते और अनुमित मांग बढ़ती जाए, वैसे-वैसे बिजली पैदा करने की क्षमता भी बढ़ती जाए। औद्योगिक विकास के अन्य क्षेत्रों की भांति बिजली पैदा करने की कुछ योजनाओं के लिए भी विदेशी मुद्रा की कमी की सम्भावना है लेकिन औद्योगिक विकास के किसी भी कार्यक्रम के लिये हमें बिजली का महत्व भली भांति समझना होगा और इसे उच्च प्राथमिकता देनी होगी। इसलिए बिजली की योजनाओं को औद्योगिक कार्यक्रमों से तथा जनसाधारण को इससे होने वाले लाभों से अलग नहीं किया जा सकता।

हमारी दस्तकारियों का निर्यात

★ *लेखक—श्री के० शिवराव, उपाध्यक्ष, दस्तकारी बोर्ड।*

सारा संसार भारत की गणना उन देशों में करता है जहां सौन्दर्य तथा परम्परागत उत्कृष्ट कारीगरी आज के इस युग में भी जीवित है जब कि संसार के अनेक भागों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगने के फलस्वरूप इन कारीगरियों का बलिदान हो गया है। विदेशों में हुई दस्तकारी की अनेक *प्रदर्शनियों का* मेरा यह अनुभव है कि भारतीय प्रकोष्ठ (पैविलियन) में बहुत से अन्य प्रकोष्ठों की अपेक्षा बहुत अधिक भीड़ रहती है और उसकी सराहना की जाती है। भारत में बनी हाथी-दांत की चीजें, लकड़ी पर की गयी खुदाई, सोने-चांदी के जेवरों तथा सिलमा कढ़ाई, पीतल पर नक्काशी तथा परम्परागत रेशमी ब्रोकेड, हाथ के बुने रेशमी वस्त्रों तथा ऊनी गलीचों की प्रसिद्धि सदियों के बाद भी अक्षुण्ण है। इन नुमायशों में आने वाले हजारों व्यक्ति ये चीजें देखते हैं और हाथी दांत से बनी चीजें, जयपुर और मुरादाबाद के पीतल के पीतल के बर्तन, भारतीय छीटें, लकड़ी के परदों पर बारीक कटाई, कश्मीरी कढ़ाई में *रंग मिश्रण, बनारसी* रेशम *तथा सूती* कपड़े की बुनाई तथा अन्य दस्तकारियां देखकर लोग आश्चर्य चकित रह जाते हैं। अनेक कारणों से वे इन्हें खरीद न सकते हों, लेकिन हमारी वस्तुएं लोगों पर प्रभाव डालती हैं। जब स्थिति यह है तो हमें यह देखना होगा कि इस प्रभाव का कैसे इस्तेमाल किया जा सके जिससे यह मात्र प्रशंसा से कुछ अधिक उपयोगी हो सके।

बाजार गवेषणा

संसार के विभिन्न भागों विशेष रूप से सं० रा० अमेरिका तथा यूरोप में हुई प्रदर्शनियों को अ० भा० दस्तकारी बोर्ड ने *भारत की* सर्वोत्तम चीजें दिखाने और यह देखने के लिए प्रयोग किया है कि उनमें से क्या चीजें बिक सकती हैं और क्या नहीं अथवा अधिक परिमाण में बनाये जाने पर क्या क्या चीजें चल सकती हैं। बोर्ड यह भी देखता है कि किन चीजों की किस्म अच्छी नहीं है या क्या-क्या चीजें मूल्य अधिक होने के *कारण नहीं बिकतीं।* शुरू में तो हम दस्तकारी की सभी चीजें *प्रदर्शनार्थ* बाहर भेजा करते थे लेकिन बाद में हम उनको छांट-छांट कर भेजने लगे और अब तो हम सिर्फ वे ही चीजें भेजते हैं जिनके बारे में व्यापारिक पूछताछ की जाती है या आर्डर आते हैं। इन के अलावा बोर्ड कुछ नयी नयी चीजें भी भेजता है *जिसमें यह देखा जा सके कि उस बाजार में उस* चीज का चलन हो सकता है या नहीं।

जरी के बैगों की अमेरिका में मांग

हमारे पास यह पता लगाने के कोई आंकड़े नहीं हैं कि हमारी कुछ चीजों का निर्यात बढ़ रहा है या नहीं और अगर बढ़ रहा है तो कितना! और *यही हमारी सफलता में सबसे बड़ी बाधा है।* इसका पता हम उत्पादकों के पास आये आर्डरों से या किसी विशेष देश के स्टोर देख कर ही लगा सकते हैं कि वहां क्या क्या चीजें बिक रही हैं। संयुक्त रा० अमेरिका में मुझे बताया गया कि वहां बड़े परिमाण में काफी अरसे से आयात होने वाली चीजों में जरी के बैग भी हैं। ये बैग १९४६ *या ४७* से वहां बिकते आ रहे हैं, जबकि उन पर सोने चांदी के असली तारों से तारकशी का काम होता था। आज भी ये बैग वहां बिक रहे हैं लेकिन उनकी किस्म घटिया हो गयी है और उनमें नकली सोने चांदी के तारों का प्रयोग किया जाता है। १९४७ में न्यूयार्क के फिफ्थ एवेन्यू के एक *मंहगे स्टोर पर बिकने वाला बैग मैंने देखा तो वह दोनों तरफ असली* सोने चांदी के तारों से कढ़ा हुआ था और उसका मूल्य करीब १५० डालर था। आज वहां बिकने वाले बैगों पर एक तरफ नकली सोने चांदी के तारों की कढ़ाई होती है और साधारण स्टोरों पर ९४ सैन्टों में ही मिल जाते हैं।

पीतल के बर्तनों की मांग

जरी के बैगों के बाद दूसरी जिस चीज का वहां काफी अरसे से और काफी परिमाण में आयात होता है, वह है मुरादाबादी पीतल के बर्तन *इस आयात के लिए जो व्यक्ति मुख्यतः उत्तरदायी है,* वह हैं न्यूयार्क के भारतीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री एस० शरन जो अनेक वर्षों से

वहां तरह-तरह के पीतल के बर्तनों के सबसे बड़े आयातक हैं। आज वहां पीतल के बर्तनों के और भी कई आयातक हैं लेकिन बर्तनों की मांग बदल रही है। १९५७ में न्यूयार्क में हुए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले और १९५८ में न्यूयार्क तथा सीटल में हुए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में हम एक नई चीज अमेरिकी बाजार में जमा सके हैं और वह है पीतल की मेज जिसका स्टैंड लकड़ी का होता है और दिल्ली में बनता है। १९५७ में ऐसी एक मेज न्यूयार्क भेजी गयी थी और जब यह देखा गया कि इसमें लोगों ने काफी दिलचस्पी दिखाई तो १९५८ में सीटल तथा न्यूयार्क में हुए मेलों के लिए चार मेजों के आर्डर दिये गये जो विभिन्न आकारों तथा बनावटों की थीं। इन्हें देख कर इन मेजों के बड़े आर्डर आये और सं० रा० अमेरिका के लिए एक थोक की एजेन्सी स्थापित कर दी गयी। इसके बाद से सामान्य व्यापार होने लगा और ये मेजें अन्य किसी वस्तु की भांति निर्यात की जा सकती हैं बशर्ते कि मेजें उत्कृष्ट कोटि की बनती रहें और उत्पादन, मांग से कम न रहे।

छींटें और नमदे

अमेरिका के बाजार में चलने वाली अन्य भारतीय चीजें हैं फरुखाबादी छींटें, नमदे और कालीन। फर्रुखाबादी छींटों का कितना निर्यात होता है, इसके आंकड़े तो मुझे नहीं मालूम लेकिन इतना जरूर मालूम है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद उनका बड़े पैमाने पर निर्यात हो रहा है। मुझे बताया गया है कि सं० रा० अमेरिका में इसका काफी स्टाक जमा हो गया है लेकिन यह ऐसी चीज है जिसका निर्यात तथा उत्पादन अब भी बढ़ाया जा सकता है। नमदों के निर्यात पर बड़ा कुप्रभाव पड़ा है क्योंकि यहां से माल बराबर निर्यात नहीं होता और जो माल जाता है, वह सब अच्छा नहीं होता है।

अगर लगातार प्रयास किया जाए तो कालीनों का निर्यात भी बढ़ सकता है, अमेरिका में कालीनों पर २२॥ प्रतिशत आयात शुल्क लगता है, जिससे भारतीय कालीनों को अमेरिका में मशीनों से बने कालीनों से प्रतियोगिता करने में कठिनाई होती है। भारतीय निर्यातक एक सा माल नहीं भेजते तथा माल भेजने की जो तारीख निश्चित होती है, उस पर माल नहीं दे पाते इसलिए वहां के व्यापारी भारतीय उत्पादकों से सौदे करने के अधिक इच्छुक नहीं रहते हैं और भारतीय माल को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। चलने वाली डिजाइनों की जनकारी न होने तथा कालीनों की रंगाई एक सी न होने से भारतीय निर्याताओं को निर्यात करने में कठिनाई होती है। ये दोनों ही समस्याएं ऐसी हैं, जिनको समुचित व्यवस्था करके हल किया जा सकता है।

सींग की चीजों में दिलचस्पी

उड़ीसा, बम्बई और त्रिवेन्द्रम में सींग से बनने वाली चिड़ियों तथा जानवरों को अमेरिका में काफी पसन्द किया जाता और खरीदा जाता है। इन चीजों के प्रति १९५१ में हुए शिकागो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले से अमेरिकनों की दिलचस्पी बढ़ी है और आज तक बनी हुई है। लेकिन इस क्षेत्र में भारतीय उत्पादक मांग के अनुसार माल नहीं बना पाते हैं। माल न तो किस्म में, न परिमाण में और न पैकिंग में खरीदारों की मांग के अनुसार होता है। कोंडापल्ली में बने खिलौने, राजस्थान, यू० पी० और मध्य प्रदेश में बने लकड़ी और कागज की लुग्दी के जानवर, चिड़ियां और खिलौने भी इस कोटि में आते हैं। कश्मीर में बने छिलाई के चाकू भी हजारों की संख्या में निर्यात किये जाते हैं परन्तु ये चाकू भी अपेक्षित किस्म तथा परिमाण में निर्यात नहीं हो पाते।

चटाइयों का निर्यात

कला की और चीजें भी हैं, जो अमेरिका के लोगों को पसन्द तो आती हैं लेकिन मूल्य के क्षेत्र में टिक नहीं पातीं। उदाहरण के तौर पर चटाइयां ही लीजिये। ये चटाइयां त्रिचूर में बनती हैं और देश के किसी भी भाग में बनायी जा सकती हैं। फिलिपाइन, जापान तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अब अन्य देशों से अमेरिका में आयात होने वाली चटाइयां इतनी सस्ती होती हैं कि हम अपनी चटाइयां वहां नहीं बेच सकते; भले ही हमारी चटाइयों की डिजाइनें वहां खूब पसंद की जाएं। आखिर चटाइयां रोजमर्रा के काम आने वाली चीज ही तो हैं जिन्हें लोग एक निश्चित मूल्य तक ही खरीदना पसंद करते हैं लेकिन इस जैसी चीज के लिये इससे अधिक नहीं दे सकते। जो लोग अधिक दाम खरचने को तैयार होते हैं, वे इसे नहीं, कोई और ही चीज खरीदते हैं। अमेरिका में ये चटाइयां सैकड़ों की संख्या में बिकती हैं। अगर हम इन्हें सस्ती बेच सकें जोकि बिक्री बढ़ाने में सबसे प्रमुख बाधा है, तो इनकी बिक्री हजारों और दसियों हजार की संख्या में हो सकती है।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ हाथी दांत पर की गयी खुदाई से बनी हमारी चीजों, जेवरात आदि की अमेरिका में बहुत प्रशंसा की जाती है लेकिन उनकी खरीद नहीं की जाती। अमेरिका में हाथीदांत की चीजों की मांग नहीं है क्योंकि हमारे यहां कटाई-छिलाई करके जो आकृतियां बनायी जाती हैं वे बहुत ही सजी-धजी और बहुत ही मंहगी होती हैं और उन्हें साफ रखना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा छोटी और सादी चीजों की नकल करके वैसे ही प्लास्टिक की चीजें बनायी जा सकती हैं। हाथी के दांत की बनी, भीतरी खुदाई वाली चीजें तथा लकड़ी की छिलाई वाली चीजें भी बड़ी सजी-धजी होती हैं जिन्हें अमेरिकन अधिक-पसंद नहीं करते। अमेरिका के बाजार में इन्हें खपाया नहीं जा सकता क्योंकि वहां एक सी चीजों की अधिक मांग है।

प० जर्मनी में कालीनों की मांग

मैंने जानबूझ कर एक विदेशी बाजार—सं० रा० अमेरिका में विभिन्न चीजों की मांग और आवश्यकताओं का वर्णन किया है। जर्मनी में थोड़े

ही दिन रहने के कारण मेरा वहां का अनुभव थोड़ा ही है। लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूं कि वहां के लोगों की रुचि तथा आवश्यकताएं अमेरिका से भिन्न हैं। उदाहरण के तौर पर १९५८ में फ्राकफर्ट मेले में जब भारत के बने गादे तथा बढ़िया कालीनों का प्रदर्शन किया गया तो जर्मन, डच, बेल्जियम तथा स्विस आयातकों पर इनका बड़ा प्रभाव पड़ा। अभी तक इन क्षेत्रों में ब्रिटेन की मार्फत ही भारतीय कालीन पहुंचते थे इसलिये वहां पर महंगे पड़ते थे। इन कालीनों के सीधे आयात की संभावना उपस्थित होने और अब तक न देखी किस्मों का माल देखने पर इन देशों की हमारे कालीनों के प्रति दिलचस्पी बढ़ गयी है। जिन आयातकों ने ये कालीन देखे हैं, उन्होंने यह विचार व्यक्त किया है कि इनका व्यापार काफी बढ़ सकता है बशर्ते कि नमूने के तौर पर दिये गये आर्डर संतोषजनक ढंग से पूरे किये जाए और आगे भी आर्डर का माल बताये गये प्रतिमान के अनुसार बनाया जाए। उनका ख्याल है कि यह व्यापार चल निकलने में दो वर्ष के आस-पास लग जाएंगे लेकिन उन्हें आशा है कि दो वर्ष बाद माग काफी होगी और माग स्थिर होगी। जर्मनी भी मुरादाबादी पीतल के बर्तन आदि मंगाता है लेकिन पीतल की जिस मेज को सं० रा० अमेरिका में इतना पसंद किया गया था, उसे फ्राकफर्ट में जर्मन दर्शकों तथा आयातकों ने अधिक महत्व नहीं दिया।

ब्रिटेन का बाजार

यही बात इंग्लैंड के बारे में सच है। ब्रिटेन हमारे मुरादाबादी बर्तन, हाथी के दांत की छोटी छोटी मूर्तियां, छपे हुए रेशम के अंगोछे, फर्रुखाबादी छींटें तथा अन्य सस्ती दस्तकारियों को थोड़े परिमाण में खरीद करता है। एक ब्रिटिश आयातक ने बताया कि पिछली गरमियों में उसने १०,००० भारतीय चप्पलें बेचीं और अगर माल और उपलब्ध होता तो वह ३०,००० चप्पलें और आसानी से बेच सकता था।

पूर्वी यूरोप के देशों में भी दस्तकारी की चीजें बिकती हैं लेकिन वहां के बाजार में हमारा कितना माल चल सकता है, यह अन्दाज लगाना सम्भव नहीं है। वहां जिन उपभोग्य वस्तुओं की कमी है, उनके स्थान पर हमारी दस्तकारी की चीजें खरीदी जाती हैं। लेकिन रूस ने लाखों रुपये के नमदे यहां से खरीदे हैं और माल अच्छा है या नहीं, इसकी जाच यहीं कश्मीर में की है। उन्होंने काफी परिमाण में अंगोछे, बैग तथा अन्य चीजें भी खरीदी हैं जो रूसी आवश्यकताओं के अनुसार बनाये गये थे।

आज हमारे सामने प्रश्न यह नहीं है कि हमारी दस्तकारी की चीजें निर्यात की जा सकती हैं या नहीं बल्कि असली सवाल यह है कि निर्यात किस तरह अधिकाधिक परिमाण में किया जा सकता है, उत्पादन किस तरह बढ़ाया जा सकता है, उनकी उत्कृष्टता कैसे बनाये रखी जा सकती है, उनकी डिजाइनों में किस तरह सुधार किया जा सकता है और उनमें परिवर्तन कैसे किया जा सकता है।

अमेरिकी बाजार में प्रतियोगिता

मैं यूरोपीय बाजार की अपेक्षा अमेरिकी बाजार से अधिक परिचित हूँ क्योंकि मैंने उसका १९४७ से अध्ययन किया है। जिन व्यापारिक वस्तुओं में दस्तकारियां आती हैं, उन चीजों में उन दिनों स्कैंडिनेवियाई डिजाइनों का प्रभाव चल रहा था। अमेरिका और जापान में व्यापार सम्बन्ध फिर से स्थापित होने के कारण जापानी माल अधिकाधिक परिमाण में अमेरिकी बाजार में आने लगा। १९५५ तक अमेरिका के बड़े-बड़े डिपार्टमेंट स्टोर जापानी माल से भर गये। लगभग यही स्थिति आज भी है, हालांकि अब इटली का माल भी आने लगा है जिसे बड़ी सावधानी के साथ वहां के बाजार में पेश किया गया है। लेकिन इस बात के लक्षण दिखायी दे रहे हैं कि वहां पसंद की जाने वाली वस्तुओं की निर्माण शैली ही बदल जाएगी। फिर भी इस परिवर्तन का स्वरूप स्पष्ट होने में एक दो साल लग जाएंगे। 'प्राच्य' प्रभाव एक बार फिर लौट आने की संभावना है। इस बार यह और भी जबर्दस्त वेग से आएगा। जो लोग नवीनता चाहते हैं, उन्हें उन प्राचीन शैलियों में ही नवीनता मिलती है जो उनकी वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार अपना ली गई हैं।

यह मेरा अपना निष्कर्ष ही नहीं है, यही बात मुझे उन लोगों ने भी बतायी है जिनका काम ही काफी पहले यह पता लगाना है कि लोगों का झुकाव आगे चलकर किधर होगा जिससे उसी के अनुसार काम शुरू किया जाए। मेरे विचार से यह हमारी दस्तकारियों के लिये एक बहुत उपयुक्त अवसर होगा बशर्ते कि हम इसका पूरा-पूरा फायदा उठाने के लिये तैयार हो सकें।

जापानी अनुभव से सबक

जापानी तत्काल उपलब्ध बाजार में अधिकतर अपना माल नहीं भेजते। वे उसके लिए तैयारी करते हैं और व्यापारिक कार्यालय स्थापित करके वर्षों तक बाजार का सर्वेक्षण करते हैं। उसी के अनुसार वे माल बनाते और माल पैक करते हैं। उन्होंने यह अनुभव कर लिया है कि उन्हें सस्ते माल के स्थान पर (जिसमें उन्होंने बाजार पाट रखा है) बढ़िया माल बनाना चाहिए। अपनी दस्तकारियों का निर्यात करने की कला में हम उनके अनुभव से लाभ उठाना चाहिये। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हम शुरू में सस्ते माल की बजाए उच्च कोटि का बढ़िया माल तैयार करें। बढ़िया माल जब बाजार में चलने लगे तो उसके कुछ सस्ते होने की गुंजायश रहती है और सस्ते माल की अपेक्षा इसका आधार अधिक मजबूत रहता है। जरी के बैगों का जो हाल वहां हुआ है उसका जिक्र मैंने ऊपर किया ही है।

प्रदर्शनियों के बाद कोशिश करें

प्रदर्शनियां अपने माल का प्रदर्शन करने की दृष्टि से ही उपयोगी होती हैं लेकिन इसके लिये यह जरूरी होता है कि बाद में व्यापारिक सम्बन्ध बनाने के लिये इसको काम में लाया जाए। सं० रा० अमेरिका में पश्चिमी तट पर स्थित तथा न्यूयार्क स्थित अनेक डिपार्टमेंट स्टोरों के संचालक यह साफ कहते हैं कि हम किसी प्रदर्शनी में दिखाये माल के आधार पर ही उस चीज के लिए तब तक आर्डर नहीं देते हैं जब तक उनके लिये नियमित रूप से चलाने वाले कार्यालय स्थापित नहीं किये जाते। प्रदर्शनियों में दिखाये गये माल का आर्डर देने में उनका अनुभव कुछ संतोषजनक नहीं है और वे इस आधार पर बड़ा आर्डर देने को तैयार नहीं हैं। इसलिये यह जरूरी है कि वहां स्थायी कार्यालय खोले जाएं जो वहां से आर्डर लें, माल दें, मांग में होने वाले परिवर्त्तन पर निगाह रखें और सम्भावित आयातकों से सम्पर्क स्थापित करें।

चीजों के भाव

हमारे उत्पादकों को जो प्रमुख समस्याएं हल करनी हैं, उनमें से एक समस्या चीजों के भावों की है। हमारे उत्पादकों तथा निर्यातकों ने वहां के आयातकों तथा खुदरा बिक्री करने वाले स्टोरों को एक से ही भाव बताये हैं, इसका नतीजा यह हुआ है कि आयातक कोई भी माल खरीदना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि वह चीज डिपार्टमेंट स्टोर पर भी उसी भाव में मिल जाएगी। उत्पादकों को यह अनुभव करना होगा कि एक स्टोर सिर्फ एक बार आर्डर देगा और आयातक देश के विभिन्न भागों में स्थित स्टोरों को माल दे सकेगा इस प्रकार उनकी उस वस्तु की मांग अधिक स्थिर होगी।

माल देने का समय और किस्म

हमारे निर्यात में आने वाली अन्य मुख्य कठिनाइयां हैं माल की उत्कृष्टता बनाये रखना तथा माल देने का समय घटाना। आर्डर देने के बाद ४ से लेकर ६ महीने तक की अवधि में माल आयातक को मिल पाता है। समय का ख्याल रखना एक बड़ी जरूरी बात है क्योंकि सभी आयातक तथा आयातक स्टोर बजट बना कर चलते हैं और वे उस माल के लिये धन अलग नहीं रख सकते या अलग रखने को तैयार नहीं होते, जो उन्हें निर्धारित समय पर मिल न सके। सं० रा० अमेरिका को जहाज से माल भेजने में दो महीने लगते हैं और माल तैयार करने में २-३ महीने लगते हैं। इसके अतिरिक्त कभी-कभी माल तैयार करने में पूंजी या कच्चे माल की कमी के कारण विलम्ब हो जाता है और कभी-कभी भारतीय चुंगी अधिकारी देर कर देते हैं। इस तरह कुछ हफ्तों अथवा कभी-कभी १ महीने तक की और देर हो जाती है। मान लीजिए किसी चीज का आर्डर अप्रैल में दिया जाता है जिससे माल १ सितम्बर को न्यूयार्क पहुंच सके और बड़े दिन के उत्सव के लिये समय रहते बिक सके। अगर माल ६ हफ्ते बाद पहुँचता है तो सारा इन्तजाम धराधराया रह जाता है, आयातक को घाटा होता है और वह शायद आगे कभी उसका आर्डर न दे।

उत्पादन बराबर हो

इनमें से कुछ समस्याओं का उत्तर यही है कि वर्ष भर माल का उत्पादन लगातार होता रहा करे। यह तभी हो सकता है जब उत्पादकों को पता हो कि उन्हें क्या माल तैयार करना है और उसके लिए उनके पास सारे साल आर्डर आते रहें। खरीदारों में विश्वास जमाने के लिए किसी न किसी तरह की किस्म नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिये। ऐसा नियंत्रण लागू करना एक दम आवश्यक नहीं है। खरीदार की प्रार्थना पर इसे लागू किया जा सकता है। जब तक खरीदार के उत्पादक के साथ संतोषजनक स्थायी व्यापार सम्बन्ध स्थापित न हो जाएं, तब तक यह नियंत्रण लागू करना इतना जरूरी नहीं।

उत्पादक को यह ज्ञात होना जरूरी है कि उससे क्या अपेक्षा की जाती है, उसका कौनसा माल बिक सकेगा और क्यों?

अमेरिकन व्यापारी भारत आएंगे

श्री ई० जी० क्नौफ के नेतृत्व में एक गैर सरकारी व्यापार-मिशन अक्तूबर १९५८ में भारत आएगा। इसमें सबसे बड़े डिपार्टमेंट स्टोरों के शीर्षस्थ अधिकारी होंगे और उत्पादकों से स्वयं मिलेंगे तथा उनकी उत्पादन क्षमता देखेंगे। वे माल के लिये आर्डर देंगे तथा बतायेंगे कि रुचि के अनुरूप बनाने के लिए उनमें क्या परिवर्त्तन किये जाएं। वे नयी डिजाइनों तथा नमूनों के सुझाव भी दे सकते हैं। ये सुझाव वे डिजाइनरों की हैसियत से नहीं बल्कि संभावित खरीदारों की हैसियत से देंगे। इससे उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलेगा और नये-नये विचार मिलेंगे।

'प्रोडक्ट्स आफ एशिया' संस्था के अध्यक्ष श्री आस्टिन टी ग्रेव्स ने लगभग इसी समय भारत आने का वायदा किया है। इस संस्था ने करोड़ों डालर मूल्य का माल जापान में बनवाया है और अमेरिका में बिकवाया है। श्री ग्रेव्स यह देखेंगे कि क्या जापानी माल की तरह भारतीय माल बिकवाने की प्रायोजना अपनायी जा सकती है। आप पहले अमेरिका में बड़े डिपार्टमेंट स्टोरों से सम्बद्ध रहे हैं और श्री क्नौफ के मिशन के साथ सहयोग करते हुए काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि इस सहयोग से बड़े पैमाने पर निर्यात बढ़ सकता है।

फोर्ड फाउन्डेशन भी विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भारत आने के लिए आमंत्रित कर रहा है जिससे वे कुछ दस्तकारियों के उत्पादकों को यह सलाह दे सकें कि उनके माल की डिजाइनों में कैसे सुधार किया

जा सकता है, उनका समापन कैसे अच्छा किया जा सकता है जिससे वे बड़े बाजार में बिक सकें।

दस्तकारी विकास निगम

भारत सरकार ने अभी हाल में एक दस्तकारी विकास निगम स्थापित किया है जो दस्तकारियों के उत्पादन, विकास तथा व्यापारिक स्थिति पर निगाह रखेगा। इसे स्थापित करने का उद्देश्य उत्पादकों तथा निर्यातकों को सहायता देना है न कि उनके प्रयासों में पूरक होना। आशा है कि उत्पादन के क्षेत्र में यह कारपोरेशन उत्पादकों को ऋण तथा कच्चा माल देकर और जब भी संभव हो तब, शैल्पिक सहायता सुलभ करके मदद देगा।

मुझे आशा है कि सरकार भी कुछ समय के अंदर विदेशों में कार्यालय और प्रदर्शन कक्ष खोल सकेगी जहां वे लोग अपना माल प्रदर्शित कर सकेंगे। जो अपने कार्यालय अलग से खोल नहीं सकते उनके लिये यह प्रदर्शन कुछ शर्तों पर होगा और उन्हें बहुत सी अन्य वे सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी जिनकी आज बड़ी आवश्यकता है।

अगर ये सारे प्रयास समन्वय पूर्वक किये जाएं तो दस्तकारियों का *निर्यात आज की अपेक्षा कहीं अधिक परिमाण में हो सकता है।*

भारतीय रुपये का मूल्य : विभिन्न देशों की मुद्राओं में

देश	भारतीय मुद्रा		विदेशी मुद्रा
१. पाकिस्तान	१०० रु०	=	६६ पाकिस्तानी रु० १५ आ०
२. लंका	१०० रु० ४५ न.पै०	=	१०० लंका के रु०
३. बरमा	१०० रु० ३० न.पै०	=	१०० क्यात
४. अमेरिका	४७५ रु० २८ न पै०	=	१०० डालर
५. कनाडा	४६० रु० ७७ न.पै०	=	१०० डालर
६. मलाया	१५५ रु० ६० न.पै०	=	१०० डालर
७. हांगकांग	८२ रु० ६० न.पै०	=	१०० डालर
८. ब्रिटेन	१ रु०	=	१ शि० ५-२१/३२ पैंस
९. न्यूजीलैण्ड	१ रु०	=	१ शि० ५-२१/३२ पैंस
१०. आस्ट्रेलिया	१ रु०	=	१ शि० १०-५/१६ पैंस
११. दक्षिणी अफ्रीका	१ रु०	=	१ शि० ५-१५/१६ पैंस
१२. पूर्वी अफ्रीका	६७ रु० १३ न पै०	=	१०० शि०
१३. मिस्र	१३ रु० ८१ न.पै०	=	१ पौंड
१४. फ्रांस	१०० रु०	=	८७८५-२६/३२ फ्रांक
१५. बेलजियम	१०० रु०	=	१०३६-३/१६ फ्रांक
१६. स्विटजरलैण्ड	१०० रु०	=	६१-१३/३२ फ्रांक
१७. पश्चिमी जर्मनी	१०० रु०	=	८७ ६/१६ मार्क
१८. नीदरलैण्ड	१०० रु०	=	७६-७/३२ गिल्डर
१९. नारवे	१०० रु०	=	१४९-३/८ क्रोनर
२० स्वीडन	१०० रु०	=	१०८ ६/३२ क्रोनर
२१. डेनमार्क	१०० रु०	=	१४४ ७/१६ डेनमार्क क्रोनर
२२. इटली	१०० रु०	=	१३००६-१३/१६ लीरा
२३. जापान	१ रु०	=	७५.३ येन
२४ फिलिपाइन	२३८ रु० १७ न पै०	=	१०० पीसो
२५. इराक	१,३३८ रु०	=	१०० दीनार

(ये विनिमय दरें मई १६५८ में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार हैं।)

देश-विदेश में भारतीय चाय की खपत

★ ले० श्री वी० आर० वोहरा, सचिव चाय बोर्ड।

चाय उद्योग की गणना भारत के अत्यधिक महत्वपूर्ण उद्योगों में की जाती है। इसके द्वारा १० लाख से अधिक व्यक्तियों की जीविका चलती है। इतने अधिक व्यक्ति किसी भी अन्य उद्योग में काम नहीं करते। सबसे अधिक चाय आसाम में पैदा होती है और राज्य के कुल निवासियों की एक तिहाई संख्या इसमें लगी हुई है। परन्तु केवल जीविका चलाने की दृष्टि से ही चाय उद्योग का हमारी अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। चाय उद्योग से अन्य दूसरे उद्योगों को बहुत अच्छा समर्थन मिलता है। इन उद्योगों में लोहा और इस्पात, चीनी के बर्तनों, सीमेंट, उर्वरक और प्लाइवुड उद्योग प्रमुख हैं। प्लाइवुड उद्योग तो एक प्रकार से पूर्णतः चाय उद्योग पर ही निर्भर है।

विभिन्न करों के रूप में चाय उद्योग से केन्द्र तथा राज्यों को भी काफी आय होती है। यह प्रति वर्ष ३५ से ४० करोड़ रु० तक होती है। पर आजकल हमारे लिए चाय उद्योग से सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा हमें प्रतिवर्ष १ अरब २५ करोड़ रु० मूल्य का विदेशी विनिमय प्राप्त होता है। विदेशी विनिमय के सम्पूर्ण उपार्जन का यह लगभग चौथाई होता है।

चाय का उत्पादन

चाय भारत के कई क्षेत्रों में पैदा की जाती है। प्रतिवर्ष लगभग ६८०० लाख पौंड पैदा होने वाली चाय में से अकेले आसाम में ही लगभग ३७०० लाख पौंड पैदा होती है। इसके बाद पश्चिमी बंगाल का स्थान है जहां लगभग १६७० लाख पौंड होती है। दक्षिण भारत में मद्रास और केरल राज्य मुख्य चाय उत्पादक राज्य हैं। इनमें १४०० लाख पौंड चाय प्रतिवर्ष पैदा होती है। इनके सिवा बिहार, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और मैसूर में भी चाय पैदा होती है। परन्तु ये सब मिलकर लगभग १३० लाख पौंड ही पैदा करते हैं।

भारत के चाय उत्पादक क्षेत्र एक दूसरे से दूर-दूर हैं। उनकी मिट्टी तथा जलवायु भी एक दूसरे से बहुत विभिन्न हैं। इसलिये विभिन्न क्षेत्रों में पैदा होने वाली चाय की किस्मों में भी अन्तर होता है। प्रत्येक क्षेत्र की चाय की अपनी विशेषता होती है। आसाम की चाय अपनी तेज सुगन्ध और रंग के लिये प्रसिद्ध है। परन्तु पश्चिमी बंगाल के दारजिलिंग क्षेत्र में पैदा होने वाली चाय बहुत सुस्वादु होती है। दक्षिण भारत, विशेषतः नीलगिरि क्षेत्र में पैदा होने वाली कुछ चाय भी अपनी सुगन्ध और रंग के लिये प्रसिद्ध है। परन्तु दारजिलिंग की चाय न केवल भारत में ही वरन् विश्व भर में श्रेष्ठ मानी जाती है। दारजिलिंग की थोड़ी सी चाय भी आसाम अथवा दक्षिण भारत की चाय में मिला देने से उनका स्वाद और सुगन्ध भी दारजिलिंग की चाय के समान हो जाती है। भारत में अनेक किस्म की चाय पैदा होने के कारण खरीदारों को अपनी मन माफिक चाय चुन लेने में बड़ी आसानी रहती है।

चाय का निर्यात

विदेशी बाजारों में भारतीय चाय की अच्छी मांग है। वास्तव में भारत में पैदा होने वाली कुछ चाय का दो तिहाई भाग विदेशों को भेज दिया जाता है। भारतीय चाय खरीदने वाले देशों में ब्रिटेन, अमेरिका रूस, आयर, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, नीदरलैण्ड, आस्ट्रेलिया, मिस्र,सूडान, तुर्की और पश्चिमी एशिया के अन्य प्रमुख देश हैं। ब्रिटेन सदा से ही भारतीय चाय का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। विदेशों को निर्यात होनेवाली समस्त भारतीय चाय का लगभग ७० प्रतिशत भाग ब्रिटेन ही खरीदता है। गत तीन वर्षों में भारत से संसार के प्रमुख देशों को चाय का जो निर्यात हुआ है उसके आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

१९५५ से १९५७ तक हुआ निर्यात

(दस लाख पौंडों में)

देश	१९५५	१९५६	१९५७
१. ब्रिटेन	२५१	३६५	३०२
२. अमेरिका	२४	२८	२३
३. आयर	१८	१७	१९
४. कनाडा	१६	२३	१७
५. मिस्र	१३	२३	१७
६. रूस	—	१४	१६
७. ईरान	११	८	१०
८. आस्ट्रेलिया	६	९	८
९. तुर्की	३	६	७
१०. सूडान	३	७	४
११. पश्चिमी जर्मनी	३	६	४
१२. कुवैत	४	३	३
१३. अन्य देश	१५	१४	१२
योग	३६७	५२३	४४२

अन्य चाय उत्पादक देश

संसार में केवल भारत ही ऐसा देश नहीं है जहां चाय पैदा होती हो। लंका, इण्डोनेशिया, चीन, जापान और फारमोसा में भी बहुत दिनों से चाय पैदा होती आई है। उनके सिवा इधर कुछ अन्य देशों ने अपने यहां चाय पैदा करने के प्रयत्न आरम्भ किए हैं। इनमें ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका, न्यासालैन्ड, मोजाम्बिक, अर्जेन्टाइना और ईरान उल्लेखनीय हैं। लंका का उत्पादन गतवर्ष बढ़कर ४००० लाख पौंड प्रति वर्ष तक पहुंच गया। गत महायुद्ध में इण्डोनेशिया का उत्पादन तथा निर्यात घट गया था। अब वह फिर युद्ध से पूर्व तक की सीमा तक अपना निर्यात बढ़ा लेने का यत्न कर रहा है। परन्तु अफ्रीका के क्षेत्रों से चाय उत्पादन में विशेष उन्नति की है। यहां अब लगभग ७०० लाख पौंड चाय प्रतिवर्ष उत्पन्न होने लगी है। अनुमान है कि यहां के उत्पादन में प्रतिवर्ष १०० लाख पौंड की वृद्धि होती जायगी। जापान, चीन, अर्जेण्टाइना और ईरान में भी चाय का उत्पादन बढ़ाने के यत्न किये जा रहे हैं।

चाय उत्पादन में जो वृद्धि होती जा रही है वह हमारे लिये चिन्ता का विषय बन सकती है। समस्त संसार में चाय की जितनी मांग है उससे कहीं अधिक वह उत्पन्न की जा रही है। नीचे के आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है :—

(दस लाख पौंड)

	१९५४	१९५५	१९५६	१९५७
समस्त संसार में पैदा हुई चाय जिसमें गत वर्ष की शेष चाय भी शामिल है।	१,२९२	१,३८४	१,४२३	१,५२५

	१९५४	१९५५	१९५६	१९५७
समस्त संसार में हुई खपत	१,२८६	१,३४६	१३२०	१,४३६
शेष	+६	+३९	+१०३	+८८

यदि इसी प्रकार उत्पादन से खपत कम होती रही तो निश्चित है कि संसार में कहीं न कहीं पैदा हुई कुछ चाय बिना बिके शेष पड़ी रहेगी। इसलिये यह स्थिति चाय की खपत में वृद्धि करके ही सुधारी जा सकती है।

प्रचार की आवश्यकता

उपर बताई गई स्थिति को ध्यान में रखकर ही भारत सरकार अन्य चाय उत्पादक देशों और स्थानीय व्यापारियों के साथ सहयोग करके चाय का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रचार कर रही है। इसी के फलस्वरूप अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, नीदरलैण्ड्स और आयरलैण्ड में चाय परिषदें बनायी गई हैं। इनके प्रयत्न धीरे-धीरे अपने फल प्रकट कर रहे हैं। परन्तु अभी अमेरिका और कनाडा में चाय की खपत बढ़ाने के लिये काफी गुंजाइश है। उदाहरण के लिए अमेरिका में इस समय लगभग १००० लाख पौण्ड चाय खपती है। इसके अनुसार प्रति व्यक्ति पीछे १० औंस प्रति वर्ष चाय की खपत का औसत पड़ता है जबकि काफी की खपत का यह औसत १६ पौण्ड पड़ता है। चाय की खपत की दृष्टि से ब्रिटेन का स्थान मुख्य है। यहां अब प्रति व्यक्ति पीछे १० पौण्ड प्रतिवर्ष चाय खपती है।

चाय उत्पन्न करने वाले देशों में भी उसकी खपत में वृद्धि हो रही है। भारत में गत ४ वर्षों में चाय की खपत में २० प्रतिशत की वृद्धि हो गई है और अब २१०० लाख पौण्ड से अधिक चाय प्रति वर्ष खपती है। इसे देखते हुए चाय की खपत में जो वृद्धि हो रही है उसका एक कारण लोगों की रहन-सहन का प्रतिमान ऊंचा हो जाना है। परन्तु देश भर में चाय बोर्ड द्वारा चाय के पक्ष में जो जोरदार प्रचार किया जा रहा है उसके कारण भी खपत में अच्छी वृद्धि हुई है। भारतीयों की रहन-सहन का प्रतिमान ज्यों-ज्यों ऊंचा होता जायगा त्यों-त्यों देश में चाय की

हुगली नदी के तट पर जूट के कारखाने।

विदेशी विनिमय देने वाला

हमारा जूट उद्योग

जूट और उसके उत्पादन।

★

खेतों मे खडे जूट
की
कटाई

★

★

जूट की गाठें मिलों
को
जा रही हैं।

★

★

कच्चा जूट
मशीन
पर

★

☆

जूट मिल में टाट
की
बुनाई

☆

जूट की किरमिच तैयार
हो रही
है

☆

☆

टाट से बोरियां बनाई
जा रही
हैं

★

जूट की वस्तुओं का विदेशों को निर्यात।

खपत भी बढ़ती जायगी और फिर हमारे चाय उद्योग को विदेशों की मांग के भरोसे नहीं रहना होगा।

वैज्ञानिक गवेषणा

चाय जगत में भारत की बहुत ही प्रमुख स्थिति है। गहन वैज्ञानिक गवेषणा के सहारे से ही यह स्थिति प्राप्त हुई है। आसाम के टोकलाई स्थान का चाय गवेषणा केन्द्र संसार भर में अपने ढंग का सर्वश्रेष्ठ केन्द्र है। इस केन्द्र में पैदा होने वाली चाय की किस्म तथा परिमाण पर पड़ने वाले मिट्टी और जलवायु के प्रभाव सम्बन्धी गवेषणा की जाती है। इसके सिवा उर्वरकों, पौध लगाने की विभिन्न प्रणालियों, पौधों की छंटाई और पत्तियों के तोड़ने आदि के विषय में भली प्रकार गवेषणा की जाती है। इन गवेषणाओं की सहायता से भारतीय चाय की किस्म सुधारने के निरन्तर प्रयत्न किये जाते हैं। कारखानों में पत्तियों से सूखी चाय तैयार करने की विधियों में सुधार करने के उपाय भी बराबर किये जाते हैं। दक्षिण भारत के देवरशोला स्थान पर भी ऐसी ही गवेषणा करने का प्रबन्ध किया गया है। इस केन्द्र का विस्तार किया जा रहा है। इनके अलावा चाय बोर्ड पश्चिमी बंगाल के द्वार स्थान में भी एक और गवेषणाशाला खोलने जा रहा है जहां चाय के विषय में मूलभूत गवेषणा की जाया करेगी। इन गवेषणाओं के कारण भारतीय चाय की किस्म सुधरती जा रही है तथा भविष्य में और भी सुधर जाने की आशा है। इस प्रकार भविष्य में भारतीय चाय की मांग बढ़ने की अच्छी आशा है। एक दिन ऐसा भी हो सकता है जब चाय पान करने वाले सभी देशों के प्रत्येक घर में भारतीय चाय के लिये अवश्य स्थान होगा।

निर्यात बढ़ाने में प्रदर्शनियों का महत्वपूर्ण योग

★ भारतीय माल को विदेशों में लोकप्रिय करने का अमूल्य साधन।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में अब बड़ी कठिन प्रतिस्पर्धा होने लगी है। इनमें किसी भी माल का विज्ञापन और प्रचार करने के लिये प्रदर्शनियां और मेले अब अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन बन गये हैं। यह विज्ञापन और प्रचार निम्न तीन प्रकार से किया जा सकता है :—

(क) विदेशों में होने वाली प्रदर्शनियों में भाग लेकर;

(ख) एक मात्र भारतीय माल की ही प्रदर्शनियां का आयोजन करके, और

(ग) स्थान-स्थान पर व्यापार केन्द्रों और प्रदर्शन-कक्षों का संचालन करके।

प्रदर्शनियां और मेलों के पीछे चार शताब्दियों से अधिक लम्बा इतिहास है। यूरोप महाद्वीप के देशों में प्रतिवर्ष ऐसे १०० से अधिक व्यापारिक मेले हुआ करते हैं जिनमें भाग लेना लाभदायक होता है। इसी प्रकार अमेरिका और कनाडा में ऐसे लगभग १३७ मेले हुआ करते हैं। प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लगभग ४०-५० देश भाग लिया करते हैं। ये अपने निर्यात योग्य उत्पादनों का अच्छा प्रचार किया करते हैं। बहुत से देश महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में नियमित रूप से भाग लिया करते हैं और उन में अपने माल का प्रचार करने के लिये मोटी रकमें खर्च किया करते हैं। अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और जापान को छोड़कर सुदूरपूर्व के कई देशों में नियमित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मेले नहीं होते। अतः जो देश इन देशों में अपने माल का प्रचार करना चाहते हैं वे इनमें अपनी प्रदर्शनियों का आयोजन किया करते हैं। प्रतिस्पर्धा बढ़ जाने के कारण इन देशों में जापान, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया आदि अनेक देश अपनी प्रदर्शनियां किया करते हैं। इनमें वे केवल अपने देश के माल का ही प्रदर्शन किया करते हैं जापान ने तो अपने तैरते हुए मेले भी किये हैं। ये मेले जहाजों में किये जाते हैं जिनमें जापानी माल को प्रदर्शन के लिये रख दिया जाता है और फिर ये जहाज एक देश से दूसरे देशों को जाया करते हैं और इस प्रकार समस्त संसार में अपने माल का प्रदर्शन कर आते हैं।

निर्यात बढ़ाने के लिये प्रदर्शन आवश्यक

आजकल प्रत्येक देश के दूतावास में भी अपना व्यापार बढ़ाने और अपने यहां के माल का प्रचार करने पर बहुत ध्यान दिया जाने लगा है। इसलिये हमें भी अब विवश होकर विदेशों के मेलों और प्रदर्शनियों में अधिकाधिक भाग लेना पड़ रहा है। विदेशी विनिमय की हमें अत्यधिक आवश्यकता होने के कारण हमें अपना निर्यात बढ़ाना है और निर्यात बढ़ाने के लिये विदेशों की प्रदर्शनियों में अधिकाधिक भाग लेना बहुत जरूरी है।

आगे बढ़े हुए अन्य देशों की अपेक्षा हमारी नीति केवल चुनी हुई प्रदर्शनियों में भी भाग लेने की है। इसका कारण खर्च में किफायत करना ही है। इसलिये प्रदर्शनियों तथा देशों का चुनाव जहां तक सम्भव होता है बारी-बारी से करना होता है। इस प्रकार तीन चार वर्षों की अवधि में अधिक से अधिक क्षेत्रों में उपलब्ध रकम को खर्च करके अधिक से अधिक प्रचार करने का यत्न किया जाता है। इस तरह कोई भी क्षेत्र काफी दिनों के लिये हमारे प्रचार से सूना नहीं रह जाता। औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़े हुए देशों के औद्योगिकों के विपरीत हमारे औद्योगिक भारी खर्च के भय से दूसरे देशों में अपने माल का प्रचार करने की ओर से उदासीन रहा करते हैं। उन्हें अब भी सरकार द्वारा काफी प्रोत्साहन और सहायता दिये जाने की आवश्यकता है। इसलिये सरकार जिन प्रदर्शनियों का विदेशों में आयोजन करती है उनमें उत्पादनों के अनुसार प्रदर्शन का प्रबन्ध किया जाता है।

प्रदर्शन-कक्ष और व्यापार-केन्द्र

प्रदर्शन-कक्ष और व्यापार केन्द्र माल का प्रदर्शन करने के लिये अपेक्षाकृत अधिक स्थायी साधन हैं। किसी प्रदर्शनी अथवा मेले में प्रदर्शन करने के पश्चात माल में विदेशियों की जो रुचि उत्पन्न हो जाती है उसे इन प्रदर्शन कक्षों द्वारा ही बनाये रखा जाता है। बहुत से अविकसित देशों में भारतीय माल खपाने की अच्छी आशा है। परन्तु इनमें नियमित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां नहीं

होतीं। ऐसी दशा में इन देशों में एक प्रदर्शन-कक्ष भारतीय माल का प्रचार करने के लिये अमूल्य साधन सिद्ध होता है। अनेक कारणों को ध्यान में रख कर अभी तक हमारी इच्छानुसार काफी संख्या में प्रदर्शन-कक्ष नहीं खोले जा सके हैं।

१९५७-५८ में हमने विदेशों में लगभग २० प्रदर्शनियां कीं। इनके द्वारा बहुत सी व्यापारी फर्मों के माल का प्रदर्शन किया गया है। अमेरिका, इटली, जापान, पोलैण्ड, स्वीडन, फ्रान्स और जर्मनी (कोलोन) की प्रदर्शनियों में हमने भाग लिया। पेकिंग (चीन) और खारतूम (सूडान) में केवल भारतीय प्रदर्शनियां की गईं। किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी अथवा मेले में भाग लेने से क्या लाभ होता है इसका अन्दाज उस मेले अथवा प्रदर्शनी के थोड़े से समय में नहीं लगाया जा सकता। फिर कुछ देशों में इस प्रकार का अन्दाज लगाने की सुविधाएं भी नहीं होतीं। प्रदर्शनियों में प्रदर्शित माल के जो सौदे होते हैं वे चुपचाप बेचने वालों और खरीदने वालों के बीच हो जाते हैं। परन्तु भारतीय माल के विषय में जो पूछताछें होती हैं उनकी संख्याओं और किस्मों को देखने से प्रकट होता है कि भारतीय प्रदर्शनियां अब तक बहुत सफल होती आई हैं। १९५८-५९ में हम लगभग २० प्रदर्शनियों में भाग लेना चाहते हैं। ये इटली, अमेरिका, पोलैण्ड, कनाडा, स्वीडन, युगोस्लाविया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों अथवा मेलों में होंगी। सायगन (दक्षिण वियतनाम), रंगून, अर्जेण्टाइना आदि में हम केवल भारतीय माल की ही अपनी प्रदर्शनियां करना चाहते हैं।

व्यापार सचिवों के कार्य में सहायता

व्यापार-केन्द्रों और प्रदर्शन-कक्षों के विषय में भी यही स्थिति है। थोड़े समय के लिये होने वाली विशाल प्रदर्शनियों द्वारा भारतीय माल का जो प्रचार होता है उसका प्रभाव स्थायी होता है। आयातक, खरीदार और उपभोक्ता प्रतिदिन सैकड़ों वस्तुओं के विज्ञापन देखते रहते हैं। इसलिये वे किसी प्रदर्शनी आदि में देखी हुई वस्तुओं को वे प्रायः ही भूल जाया करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां या मेले बहुत दिनों के बाद हुआ करते हैं। चूंकि अफ्रीका, मध्यपूर्व, निकटपूर्व और सुदूरपूर्व (जापान को छोड़कर) के कुछ देशों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारी मेले या तो होते ही नहीं अथवा होते भी हैं तो बहुत कम, इसलिये इनमें प्रचार करने के दूसरे साधन अपनाने होते हैं।। विभिन्न देशों में नियुक्त हमारे व्यापार सचिव भारतीय माल को विदेशों में खपाने के लिये प्रयत्न किया करते हैं। उन्हें इस कार्य में सहायता देने के लिये किसी प्रदर्शन माध्यम और निर्यात योग्य वस्तुओं के नमूनों की आवश्यकता होती है। इसे पूरा करने के लिये १९५३ के आरम्भ से हम महत्वपूर्ण स्थानों पर व्यापारी प्रदर्शन-कक्ष और व्यापार केन्द्रों की स्थापना कर रहे हैं। परन्तु समस्त देशों में ऐसे प्रदर्शन कक्ष खोल देना भी सम्भव नहीं है। ऐसा करने में खर्च बहुत पड़ता है। इसलिये हम आरम्भ में एक छोटा प्रदर्शन-कक्ष खोलते हैं और बाद को आवश्यकतानुसार उसे दो तीन कमरों का काफी बड़ा केन्द्र बना देते हैं जिनमें वस्तुओं के नमूने रखे जाते हैं।

जानकारी प्रदान करने के साधन

बड़े प्रदर्शन-कक्षों को व्यापार-केन्द्र कहते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि इन केन्द्रों में कोई थोक अथवा खुदरा व्यापार होता है। जापान आदि कुछ देशों के कुछ प्रदर्शन कक्षों को व्यापार केन्द्र के नाम से ही पुकारते हैं। इन व्यापार-केन्द्रों में व्यापारियों को भारतीय माल तथा भारतीय व्यापारियों के साथ भली प्रकार परिचित कराने का यत्न किया जाता है। खरीदारों को भारतीय माल के बारे में सब प्रकार की जानकारी प्रदान की जाती है जिससे उन्हें उसके बारे में कोई लम्बा पत्र-व्यवहार न करना पड़े। इस कार्य के लिये विशेष कर्मचारी रखे जाते हैं। जब किसी नये उत्पादन को विदेशी बाजारों में चलाया जाता है तो उसके निर्यात को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है अन्यथा उसके विषय में कोई सौदे नहीं होते। इस समय विदेशों में भारत के लगभग २८ प्रदर्शन कक्ष हैं। इनमें से तीन व्यापार केन्द्र हैं। ये व्यापार केन्द्र जनेवा (स्विटजरलैण्ड), न्यूयार्क (अमेरिका) और मनीला (फिलिपाइन), बंकाक (थाईलैण्ड) जकार्ता (इंडोनेशिया), सिंगापुर (मलाया), ट्रिनीडाड (ब्रिटिश पश्चिमी इण्डीज), पोर्ट लुई (मारीशस) और तेहरान (ईरान) में हैं।

भारतीय जूट उद्योग की समस्याएं

★ ले०—श्री जे० आई० जेमीसन।

प्रस्तुत लेख में जूट उद्योग पर प्रकाश डालते समय युद्धोत्तर काल की पृष्ठ भूमि तथा देश के विभाजन से उत्पन्न हुई स्थितियों का भी कुछ उल्लेख कर देना अप्रासंगिक न होगा। जूट उद्योग के इतिहास में १९४५-१९५५ तक का दशक सबसे नाजुक रहा है। युद्धकाल में यद्यपि इस उद्योग की दशा बहुत अच्छी रही तथापि फौजी आवश्यकताओं के कारण गैर फौजी माग को पूरा करने के लिये जूट उत्पादनों की कमी ही रही। इसी कारण जूट के स्थान पर प्रयुक्त हो सकने वाली अन्य वस्तुओं की खोज की गई और माल को बाजारों तक पहुँचाने की ऐसी नयी प्रणालिया निकाल ली गई जिससे पैक करने के लिये जूट की बोरियो की आवश्यकता ही न रही। युद्ध समाप्त हो जाने पर भी जूट के उत्पादनों की कमी बनी रही। इसके बाद देश का विभाजन हो जाने से जूट उद्योग के आगे नयी कठिनाइया आ गई। यूरोप में युद्ध के कारण जूट उद्योग बिल्कुल ही उजड़ गया था।

नाजुक अवस्था की अवधि

देश का विभाजन होने के बाद कलकत्ता तथा उसके आसपास के मिलों को प्राय: तीन चौथाई कच्चा माल मिलना बन्द हो जाने के कारण जूट उद्योग के आगे बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। फिर १९४९ में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। इसके कारण पाकिस्तान के साथ मुद्रा विनिमय के क्षेत्र में नया संकट उत्पन्न हो गया और इसके फलस्वरूप मिलों को कच्चा जूट मिलना और भी कठिन हो गया। परिणाम यह हुआ कि मूल्य तेजी से चढ़ने लगे। इसी बीच कोरिया युद्ध शुरू हो गया और उसके कारण मूल्य और अधिक चढ़ गये। मूल्यों का नियन्त्रण शुरू किया गया। इसके साथ ही निर्यात शुल्क भी अधिक था। इसका फल यह हुआ कि यह उद्योग जो भारी लाभ कर सकता था और जिसकी सहायता से वह आधुनिक मशीनें लगा सकता था वह लाभ उसके हाथ से निकल गया। इस समय मूल्य ऊंचे रहने के कारण अन्य विषम परिणाम हुए। सभी जगह से माल को खुला भेजने के समाचार आने लगे। उपभोक्ताओं को माल देने के लिये पैक करने की नयी प्रणालिया निकलने लगीं। जूट के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नयी किस्म के रेशे खोज निकाले गये और अन्य देशों में नये उपकरणों से सुसज्जित नये जूट मिल खोले जाने लगे तथा पुराने मिलों का विस्तार होने लगा। जूट उद्योग को सहायता देने के उद्देश्य से १९५२ से निर्यात शुल्क में कमी की जाने लगी और अंत में १९५६ में वह बिल्कुल ही हटा दिया गया। अब उद्योग ने अपनी पहली समृद्धि पुनः प्राप्त कर लेने के यत्न आरम्भ किए। इसी बीच यूरोप के जूट उद्योग ने उन्नति करनी आरम्भ कर दी। निर्यात शुल्क से वह मुक्त था। कहीं-कहीं उसे धन की सरकारी सहायता भी मिलती थी। इधर मूल्य चढ़ जाने का भी उसने लाभ उठाया। फल यह हुआ कि भारतीय जूट मिल उससे प्रतिस्पर्धा करने में बड़ी कठिनाई अनुभव करने लगे।

उद्योग की मुख्य समस्याएं

इस समय जूट उद्योग के सामने जो मुख्य समस्याएं उपस्थित हैं वे इस प्रकार हैं :—

(१) कच्चा जूट प्राप्त करने की समस्या। इसे भारत में जूट का उत्पादन बढ़ा कर हल किया जाय और इस प्रकार जूट उद्योग स्वावलम्बी बन जाय। भारत में पैदा होने वाले जूट की किस्म सुधारी जाय जिससे वह पाकिस्तानी जूट के बराबर का हो जाय।

(२) उत्पादन विधियां युक्तियुक्त और उन्नत की जाय और इसके लिये नवीनतम ढंग की मशीनें तथा उपकरण लगाये जाय। जूट का माल तैयार करने के विषय में जो नई से नई उन्नति की गई है उससे लाभ उठाया जाय। उत्पादन को ऐसे कारखानों में ही केन्द्रित किया जाय जो श्रेष्ठ तथा आधुनिक ढंग के हों।

(३) ऊपर क्रमांक (१) तथा (२) में बताये गये उपायों की सहायता से लागत घटाई जाय और मूल्य ऐसे स्तर पर स्थिर किये जांय जो विदेशी उपभोक्ताओं को आकर्षित कर सकें।

(४) निर्यात संवर्द्धन का कार्यक्रम उत्साह के साथ चलाया जाय जिससे खोए हुए बाजार फिर हाथ में आ जांय और वर्तमान बाजारों में हमारे पैर न केवल जमे रहें वरन् और भी मजबूत हो जांय।

(५) उद्योग के उत्पादन विविध प्रकार के किये जांय और जूट का नये-नये कार्यों में प्रयोग किया जाय।

जूट उद्योग के आगे भारी असुविधाएं होते हुए भी उसने उल्लेखनीय उन्नति की है और उसने अपनी आधारभूत एकता, क्षमता, अवसर के उपयुक्त निर्वाह करने की कुशलता और अत्यन्त उच्चकोटि की संगठन शक्ति प्रदर्शित की है।

कच्चे जूट का उत्पादन बढ़ा

कच्चे जूट के उत्पादन के विषय में भारत सरकार बहुत पहले ही यह अनुभव कर चुकी है कि पाकिस्तान के भरोसे नहीं रहना चाहिये और इसलिये वह शीघ्रातिशीघ्र आत्मभरित हो जाने के प्रयत्न कर रही है। विभाजन के बाद भारत में उत्पन्न हुए जूट के आंकड़े देखने से प्रकट हो जाता है कि ये प्रयत्न कितने सफल हुए हैं। ये आंकड़े इस प्रकार हैं:—

भारतीय जूट की उपज

(हजार गांठ)

वर्ष	उपज
१९४७-४८	१६,५८
१९४८-४९	२०,५५
१९४९-५०	३०,८९
१९५०-५१	३२,८३
१९५१-५२	४६,७८
१९५२-५३	४५,९२
१९५३-५४	३०,९१
१९५४-५५	२६,२८
१९५५-५६	४१,९७
१९५६-५७	४२,८८
१९५७-५८	४०,८८

मौसम की खराबियों के कारण जूट की उपज पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जूट उपजाने के क्षेत्र में भी अन्य फसलें पैदा करने के कारण घटा बढ़ी होती रहती है। इन दोनों ही कारणों को ध्यान में रखते हुए भी जूट की पैदावार ने देश में अच्छी तरक्की की है। इसके फलस्वरूप जूट उद्योग अब इतना आत्मनिर्भर हो गया है कि उसे अपनी कुल आवश्यकता का केवल १० प्रतिशत कच्चा जूट ही पाकिस्तान से मंगाना पड़ता है। जूट उत्पादक विभिन्न राज्यों की हलचलों का एकीकरण करने के लिये भारत सरकार ने एक केन्द्रीय देखरेख संगठन स्थापित कर दिया है। जूट उत्पादन कार्यक्रम को अमल में लाने के अतिरिक्त यह संगठन प्रति एकड़ अधिक उपज करने, फसल की किस्म सुधारने आदि का भी ध्यान रखता है। इसके लिये वह अच्छे बीज, अच्छे उर्वरक, खेती की अच्छी प्रणालियों, पौधों की रक्षा, डंठल सड़ाने के लिये अधिक तालाबों की व्यवस्था करने की ओर भी अपना ध्यान देता है। ये सभी कार्य जूट उद्योग के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और इस सम्बन्ध में भारत सरकार जो साधन उपलब्ध करती है उससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है।

युक्तियुक्त संगठन और आधुनिकीकरण

जूट उद्योग के युक्तियुक्त संगठन और आधुनिकीकरण के प्रयत्न धीरे धीरे पिछले कई वर्षों से हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के द्वारा जूट उद्योग को जो सहायता दी है उसके लिये वह सरकार का कृतज्ञ है। आधुनिकीकरण का यह अर्थ नहीं है कि उसके सभी संयंत्रों तथा मशीनों को बदल दिया जाय। युद्धकाल में उद्योग पर अत्यधिक भार पड़ने और उस समय मरम्मत आदि की कठिनाइयां होने पर भी उद्योग की मशीनें अच्छी दशा में हैं और अच्छा उत्पादन कर सकती हैं। परन्तु कताई-बुनाई विभाग में नई मशीनें लगाने और आधुनिक प्रणालियां काम में लाने की आवश्यकता है जिससे काम अच्छा हो सके और उत्पादन की लागत घटाई जा सके। आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को भी उद्योग ५० प्रतिशत पूरा कर चुका है। कई अन्य मिल आगे की योजनाएं भी बना चुके हैं और राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के समक्ष आधुनिकीकरण के लिये दी गई ऋण सम्बन्धी अर्जियां प्रस्तुत हैं। जिन मिलों में नई मशीनें लग चुकी हैं उनमें तीन पालियां चलाई जाती हैं। इनके द्वारा तैयार की गई सुतली से अधिक करघे चलाये जा सकते हैं। अनुमान है कि दो तीन वर्षों में उद्योग के आधुनिकीकरण की प्रायोजना का ७५ प्रतिशत कार्यक्रम पूरा हो जायगा।

अच्छे कारखानों में उत्पादन किया जाय

उद्योग के युक्तियुक्त संगठन करने के उद्देश्य से यह भी आवश्यक है कि जो कारखाने अच्छे नहीं हैं उन्हें बन्द कर दिया जाय और उनमें होने वाला उत्पादन आधुनिक मशीनों वाले अन्य कारखानों में किया जाय। ऐसा करने की ओर पिछले दो वर्षों में बहुत ध्यान दिया गया है। ऐसा किये जाने के कारण न तो उद्योग का कुल उत्पादन ही घटा है और न मजदूरों की संख्या ही कम करनी पड़ी है। भारतीय जूट मिल्स ऐसोसियेशन द्वारा निर्धारित कार्य समय सम्बन्धी करार के अनुसार काम

करके ऐसा किया जा सका है। इस करार के अनुसार एक मिल के लिये निर्धारित किये गये साप्ताहिक करघा-घण्टे दूसरे मिल को दिये जा सकते हैं। कार्य समय सम्बन्धी करार एक ऐसा साधन है जो जूट उत्पादनों की विश्व व्यापी मांग के अनुसार उत्पादन नियमन कर देता है। उत्पादन का एकीकरण करने और अत्यधिक उत्पादन को रोकने में यह अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है।

उद्योग का युक्तियुक्त संगठन करना कितना उचित है यह इस बात से प्रकट होता है कि इससे उत्पादन लागत घट जाती है और उद्योग अन्य देशों के जूट उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हो जाता है। हाल के वर्षों में बहुत से मिलों ने अलाभप्रद आधार पर काम करके भारी हानि उठाई है। परन्तु अब स्थिति बदलती जा रही है। आधुनिकीकरण के कार्यक्रम के लाभ ज्यों ज्यों प्रकट होते जा रहे हैं हानि के स्थान पर इन मिलों को लाभ होने लगा है। इस दृष्टि से जूट उद्योग का भविष्य उज्जवल हो गया है।

बिक्री व्यवस्था का विकास

जूट उद्योग के ८० प्रतिशत उत्पादनों का निर्यात हो जाता है। इसलिये विश्व के बाजारों में अवस्था बदलते ही जूट उद्योग पर तुरन्त प्रभाव पड़ता है। इसलिये जूट उत्पादनों के उपभोग की प्रवृत्तियों का बराबर अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार उन आर्थिक घटनाओं पर भी निरन्तर ध्यान रखना होता है जिनका जूट उत्पादनों की खपत पर प्रभाव पड़ता है। १९४६ से उद्योग प्रतिवर्ष बिक्री के विकास और जन सम्पर्क कार्य पर अधिकाधिक धन व्यय करता रहा है। भारत सरकार ने भी इस कार्य में उसे उदारतापूर्वक सहायता दी है। भारतीय जूट मिल्स ऐसोसियेशन के ब्रिटेन और अमेरिका में शाखा कार्यालय हैं। ब्रिटेन का कार्यालय यूरोपीय क्षेत्र में व्यापारिक सम्पर्क करता है। इसी प्रकार अमेरिका का कार्यालय अमेरिका, कनाडा और मध्य तथा दक्षिणी अमेरिका में यह कार्य करता है। ऐसोसियेशन का एक सद्भावना मण्डल हाल में ही महत्वपूर्ण बाजारों का दौरा करके आया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के व्यापारिक शिष्ट मण्डलों में भी जूट उद्योग के प्रतिनिधियों ने अनेक देशों की यात्रा की है। निर्यात संवर्द्धन के इस महत्वपूर्ण कार्य की ओर उद्योग तथा सरकार दोनों ही अधिकाधिक ध्यान दे रहे हैं। इसी वर्ष एक जूट व्यापार शिष्टमण्डल आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य महत्वपूर्ण बाजारों को जायगा। विभिन्न देशों में पत्रों तथा विज्ञापन के अन्य साधनों द्वारा जूट उद्योग के पक्ष में ऐसोसियेशन प्रचार कराता है। समस्त संसार में जो प्रदर्शिनियां तथा मेले होते हैं उनमें जूट उद्योग के उत्पादनों के नमूने प्रदर्शित किये जाते हैं। भारत सरकार के विदेशों में जो व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त हैं उनके पास से विभिन्न बाजारों के विषय में जो महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त होते हैं उन्हें भारत सरकार ऐसोसियेशन को बतलाती रहती है। इस प्रकार जूट उद्योग अपने उपभोक्ताओं से बराबर सम्पर्क बनाये रखता है।

उत्पादनों की विविधता

कुछ देशों में जूट उद्योग चालू हो जाने के कारण वे अपना काम अपने उत्पादनों से ही चलाने लगे हैं। इसलिये अब इन देशों में भारत का माल जाना बन्द हो गया है। विशाल परिमाण पर खुली वस्तुएं भेजने की व्यवस्था हो जाने के कारण भी कहीं कहीं जूट का माल खरीदा जाना कम हो गया है। यद्यपि संसार में कृषि उत्पादन बढ़ गया है तथापि उसे भरने के लिये जूट की बोरियों की मांग उसी अनुपात में नहीं बढ़ी है। इन सब बातों को देखते हुए जूट उत्पादनों को और भी विविध प्रकार का करने की आवश्यकता है। जूट की वस्तुओं का नये नये कामों में प्रयोग करने की भी आवश्यकता है। भारतीय जूट मिल्स ऐसोसियेशन ने स्थिति को भली प्रकार समझ लिया है और इस सम्बन्ध में अनेक परीक्षण करा रहा है। इस सम्बन्ध में हाल में ही एक नयी गवेषणा की गई है जिसके अनुसार अमेरिका की सड़कों में एस्फाल्ट के पलस्तर के साथ टाट का अस्तर भी लगाया जा सकता है। ऐसा हो सका तो जूट के टाट की अमेरिका में अच्छी खपत हो सकेगी। यदि यह प्रयोग अमेरिका में सफल हो गया तो अन्य देशों में इसे अपनाया जा सकेगा। दरियों के नीचे अस्तर लगाने में भी जूट का इधर प्रयोग आरम्भ हुआ है। जूट उद्योग ने इस काम के लिये काफी टाट तैयार किया है।

इस समय भारत ८,५०,००० टन से अधिक जूट का माल प्रतिवर्ष निर्यात करता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्यात का यह स्तर बढ़ा कर ६,००,००० टन कर देने का लक्ष्य रखा गया है। इधर हाल के महीनों में जो व्यापारिक मन्दी आई है उसके कारण जूट उद्योग की प्रगति में कुछ बाधा पड़ी है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि ये बाधाएं अब समाप्त होने पर हैं। यदि यह ठीक हुआ तो विश्वास है कि जूट उद्योग अपना तात्कालिक लक्ष्य निर्धारित समय में ही प्राप्त कर लेगा और फिर अपने व्यापार का और अधिक विस्तार करने का यत्न करेगा।

निर्यात करने योग्य हाथकरघे के उत्पादन

★ ले० *श्रीमती पुपुल जयकर।*

हाथकरघे के उत्पादनों के निर्यात का महत्व आंकते समय हमें न केवल विदेशी विनिमय के उपार्जन को ही ध्यान में रखना चाहिए वरन् यह भी सोचना चाहिए कि भारत के आर्थिक स्वरूप में हाथकरघे के उत्पादन का कितना प्रमुख स्थान है और उसके द्वारा कितने अधिक व्यक्तियों को काम मिलता है।

भारत में हाथकरघों की संख्या २५ लाख है जिनसे लगभग ७० लाख व्यक्तियों को काम मिलता है और १६,००० लाख गज से अधिक कपड़ा बनता है। इस उत्पादन के लिये निर्यात बाजार प्राप्त करने की समस्या कोई आजकल की नहीं है। वास्तव में भारत अत्यन्त प्राचीन काल से विदेशों को कपड़ा भेजता आया है। मिस्र की प्राचीन समाधियों से निकली ममी में भारत के बने हुए हाथकरघे के कपड़े लिपटे हुए पाये गये हैं। अनेक प्राचीन ग्रन्थों में भी भारतीय हाथकरघे के कपड़ों का उल्लेख मिलता है। भारत मध्य युग में भी यूरोप, सुदूरपूर्व और अफ्रीका को हाथकरघे का कपड़ा भेजा करता था। आज भी भारत के अनेक स्थानों पर हाथकरघे के कपड़े के ऐसे केन्द्र हैं जहां मुख्यतः निर्यात के ही लिये कपड़ा तैयार होता है। इसमें से अनेक प्रकार के कपड़े के विशेष नाम हैं।

हमारे पड़ोसी बाजार

बीसवीं शताब्दी में हाथकरघे का निर्यात मुख्यतः मध्य पूर्व, दक्षिण पश्चिमी एशिया, बरमा, लंका, मलाया और नाइजेरिया आदि देशों को ही हुआ है। इन प्राचीन बाजारों को १९५६ में लगभग ९ करोड़ रुपये का यह निर्यात हुआ है। १९५७ में हाथकरघे के कपड़े के निर्यात में भारी कमी हो गई और वह घटकर ५.५ करोड़ रु० रह गया। लंका और बरमा आदि देश मुख्यतः लुंगियों का भारत से आयात करते हैं। उन देशों में अनेक प्रकार के आयात प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण ही भारतीय हाथकरघे के कपड़े का आयात घटा है। इसलिये इन देशों को निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा ही वहां की सरकारों से बातचीत करनी होगी।

नाइजेरिया का बाजार

नाइजेरिया की समस्या बिल्कुल भिन्न प्रतीत होती है। वहां भारत से जो कपड़ा भेजा जाता है उसमें मुख्यतः वनस्पती रंग से रंगा हुआ चैक और धारीदार लुंगी का कपड़ा होता है जो दक्षिण भारत में बनाया जाता है। यह व्यापार कई सौ वर्षों से चला आ रहा है। इसलिये इसमें कमी होने से हमारे हाथकरघे के उद्योग को भारी धक्का लगेगा। कपड़े के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य एशियाई देशों द्वारा प्रतिस्पर्धा बढ़ जाने के कारण भारत के कपड़े का निर्यात सामान्यतः गिरा है। नाइजेरिया को होने वाले निर्यात में हुई कमी का भी यह एक कारण हो सकता है।

रहन-सहन के परम्परागत ढंग में परिवर्तन हो जाने और रहन-सहन का मान ऊंचा हो जाने के कारण लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े की किस्मों में भी अन्तर हो जाता है। इसलिये सम्भव है कि पूर्वी अफ्रीका में प्राचीन काल की रहन-सहन बदल जाने के कारण नयी फैशनें चलेंगी। इसलिये जो देश यहां कपड़ा भेजना चाहेंगे वे नयी फैशनों के अनुरूप ही बना कर भेजेंगे। परन्तु इसके साथ ही इस कपड़े के मूल्य भी ऐसे होंगे जो अन्य देशों के कपड़े के मूल्यों से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। ज्ञात हुआ है कि पूर्वी अफ्रीका के नर तथा नारी दोनों ही अब पाश्चात्य ढंग के कपड़ों का अधिकाधिक प्रयोग करने लगे हैं। इसलिये यदि हाथकरघे के कपड़े को वहां डटे रहना है तो उसे इन नये प्रकार के कपड़ों के अनुरूप तैयार करना होगा। इसके सिवा यह भी पता लगाना होगा कि नाइजेरिया में हाथ करघे के कपड़े की खपत में जो कमी हुई है उसके क्या कारण हैं। इसके साथ ही ऐसे उपाय भी करने होंगे जिनसे कि हाथकरघे के बने हुये भारतीय कपड़े फिर वहां के निवासियों के चित्त पर चढ़ जांय। उच्चकोटि के प्रचार साधन अपनाने होंगे।

हाथ करघे के कपड़े की बिक्री

भारत में हाथकरघे के कपड़े की बिक्री व्यवस्था करने के लिये अखिल भारतीय हाथकरघा कपड़ा बिक्री व्यवस्था सहकारी समिति

बम्बई एककेन्द्रीय संगठन है। यह हमारे प्राचीन बाजारों में बिक्री करने के लिये एक देशी बिक्री योजना का संचालन करा रही है। इस संगठन की ओर से खुदरा बिक्री करने वाले भन्डार चलाये जाते हैं। उनके द्वारा अच्छा प्रचार होता है। आशा है कि हाथकरघे के विभिन्न प्रकार के कपड़े बिक्री के लिये प्रस्तुत किये जाने पर उपभोक्ताओं की नये प्रकार की मांगों का अनुमान लगाया जा सकेगा। परन्तु प्रचार के अन्य साधन अपनाने की भी आवश्यकता है अथवा पूर्वी अफ्रीका का विशाल बाजार भारतीय हाथकरघे के व्यवसाय के हाथ से निकल जायगा।

परम्परागत बाजारों में भारतीय हाथकरघे के कपड़े की मांग में तेजी से जो कमी हो रही है उसके लिये उसे तैयार रहना चाहिए। इनमें से अधिकांश देश अपने यहां ही कपड़ा उद्योग का विकास करेंगे और इसके फलस्वरूप भारत से इन देशों को होने वाला हाथकरघे के कपड़े का निर्यात घट जायगा। इसलिये हाथकरघे के बुनकर को अपने माल के लिये ऐसे नये बाजारों की खोज करनी होगी जहां उसकी कारीगरी की कद्र हो सके और उसके उत्पादनों को विशाल परिमाण पर तैयार किये गये उस कपड़े से प्रतिस्पर्धा न करनी पड़े जो कपड़ों का मूल्य गिरा देता है।

अमेरिका में उत्साहजनक मांग

हाल के वर्षों में हाथकरघा कपड़े के निर्यात क्षेत्र में एक नयी उत्साहजनक बात देखने में आई है। वह यह है कि अमेरिका तथा यूरोप में हाथकरघे के कपड़ों में लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है। इस समय इन देशों को हाथकरघे के कपड़ों का थोड़ा निर्यात ही होता है परन्तु भविष्य में इसके बहुत अधिक हो जाने की आशा है। अब तक इन देशों को निर्यात अधिक क्यों नहीं हुआ है इसका एक मुख्य कारण यह है कि हाथकरघे के कपड़े एकसी डिजायनों के नहीं तैयार किये गये हैं जिससे कि उनके प्रतिमान और किस्म की गारण्टी हो सकती। इसके अतिरिक्त ये कपड़े अमेरिकन खरीदार जिस समय पर चाहते हैं उस समय तैयार करके नहीं भेजे जा सके हैं।

हाल में भारत सरकार ने फोर्ड फाउण्डेशन के सहयोग से एक हाथकरघा पर्यवेक्षण दल बुलाया था जो अमेरिका को हाथ करघे का कपड़ा भेजने की सम्भावनाओं के बारे में परामर्श दे। इस दल ने अत्यन्त उत्साहजनक रिपोर्ट दी है। दल का विचार है कि यदि कपड़े की उचित किस्म का निश्चय हो सके और अच्छी बिक्री व्यवस्था की जा सके तो अकेले अमेरिका को ही हाथकरघा कपड़ा भेजकर इतना विदेशी विनिमय प्राप्त किया जा सकता है जो अन्य सभी परम्परागत बाजारों से प्राप्त किया जाता है। दल ने अपनी रिपोर्ट में सावधानी के साथ योजना पूर्वक उत्पादन करने पर बल दिया है और कहा है कि ऐसा करते समय अच्छी किस्म का माल बनाने, अच्छी डिजाइनें निकालने और अच्छी कारीगरी के नमूने प्रस्तुत करने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रिपोर्ट में विस्तार के साथ उत्पादन प्रणाली पर विचार किया है जिससे अच्छी किस्म का माल निर्यात किया जा सके। इसमें ऐसे सेवा केन्द्रों का भी सुझाव दिया गया है जो हाथकरघा उत्पादन के विभिन्न कार्यों जैसे कच्चे माल, रंगाई, ताना बाना, डिजाइनें और नमूने बनाना, बुनाई, निरीक्षण आदि के विषय में परामर्श दे सकें।

अच्छी किस्म के माल के लिये डिजायन केन्द्र

हाथकरघा उद्योग की उन्नति का दायित्व अखिल भारतीय हाथ-करघा बोर्ड पर है। उसने अच्छी किस्म का माल तैयार किये जाने की समस्या पर गम्भीरता के साथ विचार किया है। बोर्ड के तत्वावधान में डिजायन केन्द्र खोले जा रहे हैं जो डिजायनों, बुनाई, रंगों, सूत आदि के विषय में प्रविधिक परामर्श देंगे। ये केन्द्र निर्यात योग्य कपड़ों के नमूने तैयार कर रहे हैं। इनमें प्रविधिक ज्ञान रखने वाले कर्मचारी रखे गये हैं जो निर्यात किये जाने वाले माल की विशेष समस्याओं के सुलझाने में सहायता करते हैं। अमेरिका में हाथकरघे का कपड़ा खपाने के दो मुख्य क्षेत्र हैं, एक तो घर सजाने के कपड़ों का और दूसरा फैशन सम्बन्धी। निर्यात के लिये तैयार किये जाने वाले नमूनों के विषय में राय लेने के लिये अमेरिका से विशेषज्ञ बुलाये जाने की आशा है जो यह बतायेंगे कि किन किस्मों के कपड़े विशेषतः तैयार किये जायें। इस सम्बन्ध में पाश्चात्य डिजायनों और स्टाइलों से बचने की बहुत आवश्यकता है। वास्तव में हमें अपनी भारतीय डिजायनों पर ही बल देना चाहिए।

विविधता का महत्व

दल ने नये-नये रंगों के विविध प्रकार के कपड़े बनाने पर भी जोर दिया है। भारत रंगाई में अत्यन्त प्रवीण है। इसलिये हमारी रंगाई प्रयोगशालाओं में नये रंगों का प्रयोग कर सकना कोई कठिन नहीं होना चाहिए। यह भी सम्भव है कि निकट भविष्य में ही एक हाथकरघा निर्यात निगम भी स्थापित किया जाय। इस निगम के द्वारा हाथकरघा कपड़े के उत्पादक तथा व्यापारी अपना माल यूरोप तथा अमेरिका के बाजारों में भेज सकेंगे।

नमूने प्रदर्शन करने वाले कक्षों की भी आवश्यकता है। बम्बई में एक ऐसा कक्ष खोलने की बहुत आवश्यकता है जहां पूरी व्यापारिक जानकारी तथा निर्यात योग्य कपड़े के सभी प्रकार के नमूने प्रदर्शन के लिये उपलब्ध रहें। इसी प्रकार प्रदर्शन कक्ष आरम्भ में न्यूयार्क तथा पश्चिमी जर्मनी में भी खोले जायेंगे। आशा है कि हाथकरघा कपड़ा निर्यात निगम, डिजायन केन्द्रों और हाथकरघा बोर्ड की अन्य उत्पादन

सम्बन्धी हलचलों के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किये जायेंगे। इसके फलस्वरूप विदेशी खरीदारों के लिये नई नई डिजायनों, नई बुनावटों और नये रंगों के कपड़े उपलब्ध किये जा सकेंगे। यदि निश्चित रंगों और प्रतिमानों वाले अच्छी किस्म के कपड़े तैयार करने पर ध्यान देते हुए समस्त योजना अमल में लाई जा सकी तो हाथकरघे के कपड़े के निर्यात को अत्यधिक प्रोत्साहन मिल सकेगा।

शुद्ध रेशमी कपड़े

अमेरिका में शुद्ध रेशमी माल तथा टसर, मूंगा आदि के रेशमी कपड़ों में भी बहुत अधिक रुचि प्रकट की जा रही है। इसके फलस्वरूप इस प्रकार के कच्चे रेशम का उत्पादन बढ़ेगा और फिर और अधिक करघे सूती कपड़ा छोड़ कर रेशमी कपड़ा तैयार करने में लग जायेंगे।

दीर्घकालीन कार्यक्रम में हाथकरघे के कपड़ों की निर्यात स्थिति का अनुमान लगाते समय यह बात नहीं भूल जाना चाहिए कि एक मात्र भारत ही ऐसा देश है जहां बड़े पैमाने पर हाथकरघा उद्योग जमा हुआ है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों के लिये उच्च कोटि का कपड़ा तैयार कर सकता है। ऐसी अवस्था में आवश्यकता यह है कि निर्यात के लिये हाथकरघा का कपड़ा बनाने वाले कारखानों की स्थिति की फिर से परीक्षा की जाय। ये करघे इस समय मुख्यतः सस्ते ढंग के कपड़े तैयार करते हैं। इनके बदले अच्छी किस्म के कपड़े बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए।

आर्थिक प्रगति में रेलों का योग

★ *लेखक—श्री के० पी० माथुर।*

भारत में रेलों के प्रचलन के साथ-साथ आर्थिक प्रगति के एक नये युग का अभ्युदय हुआ। विभिन्न स्थानों के बीच की दूरी समाप्त हुई और बड़े पैमाने पर तेजी से परिवहन का एक माध्यम सामने आया। इसने हमारी प्रतिबन्धित अर्थ-व्यवस्था में एक नया जीवन ला दिया जो कालान्तर में परिपक्व होना था और मनोयोग तथा दृढ़ निश्चय के साथ विकास करके अधिकाधिक महत्वपूर्ण हो जाना था। इस परिवर्तन का प्रारम्भिक प्रभाव यह पड़ा कि हमारी देशी अर्थ-व्यवस्था में आयातित वस्तुओं का स्थान और औद्योगिक कच्चे मालों का निर्यात लगातार बढ़ता गया। यह सब मुख्य रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक तथा सामरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया इसलिये यह पूर्णतः हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं था। लेकिन परिवर्तन के इस कठोर बाह्य आवरण के भीतर विशाल शक्ति-स्रोत भी छिपा हुआ था। रेलों के प्रचलन से व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योगों के क्रमिक विकास द्वारा हमारी अर्थ-व्यवस्था को हुए दीर्घकालीन लाभ के जो मूर्त चिन्ह प्रकट हुए हैं, उन्हें आज कोई भी देख समझ सकता है।

कोयला परिवहन

ब्रिटेन के प्रतिभाशाली उद्योगपतियों तथा व्यापारियों ने इस देश में विद्यमान संभावनाओं को शीघ्र ही समझ लिया और धीरे-धीरे अनेक उद्योग स्थापित किये। बाद में भारतीय उद्योगपति तथा व्यापारी भी आगे आये। इन दोनों के सम्मिलित प्रयास से उद्योगों का बीजारोपण हुआ। लेकिन यह सब उसी समय हुआ जब रेलों की स्थापना की जा रही थी। ईस्ट इंडिया रेलवे द्वारा कलकत्ते से रानीगंज तक रेल लाइन चालू करने के बाद से ही रानीगंज और झरिया की व्यापक कोयला खानों का उपयोग आरम्भ हुआ है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, इस उद्योग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सारे इलाके में रेलवे लाइन बना दी गयी। रेलवे लाइन का कितना जाल यहां बिछा हुआ है यह इसी से ज्ञात होता है कि पूर्वी रेलवे के आसनसोल और धनबाद डिवीजनों में जहां यात्रा के लिए रेल लाइन ६४० मील लम्बी है वहां कोयला खानों के बीच रेल लाइन १६०० मील लम्बी है और ३२०० वैगन रोज लदते हैं। इन कोयला खानों के काम में १६० इंजन लगते हैं जो रोजाना नियमित रूप से खाली वैगन लेकर निकलते हैं। इस क्षेत्र में कोयले की साइडिंगों की संख्या ५६० है और इन में ७२२ खानों का काम चलता है। जिन कोयला खानों में कोयला लादने की मशीनें लगी हुई हैं, उनके लिये खुले वैगन देने होते हैं। अन्य वैगनों से खुले वैगनों को अलग करके भेजने के लिये काफी शंटिंग करनी होती है। देश की सभी कोयला खानों से साल में ४ करोड़ टन कोयला इधर से उधर लाया ले जाया जाता है जिससे प्रतिदिन ५,००० वैगनों के लदान की आवश्यकता होती है।

रुई और जूट की ढुलाई

रेलों द्वारा माल ढोने की दृष्टि से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग वस्त्र-उद्योग है जो पहले बम्बई में स्थापित हुआ और धीरे-धीरे बढ़कर बम्बई, अहमदाबाद तथा कानपुर में काफी बड़े पैमाने पर चलने लगा। इनकी आवश्यकताओं के अनुसार इन स्थानों के चारों ओर रेलों का जाल बिछाया गया। १९५७-५८ में बड़ी लाइन से २५,१७८ वैगन कपास तथा १७,५०० वैगन निर्मित रुई की ढुलाई की गयी जबकि छोटी लाइन से २०,४३५ वैगन कपास और ६५३१ वैगन निर्मित रुई इधर से उधर ले जायी गयी।

एक और महत्वपूर्ण उद्योग जूट का है जो कलकत्ते के आस-पास केन्द्रित है। यह १९वीं सदी के मध्य में स्थापित हुआ था और संसार का सबसे बड़ा जूट उद्योग बन गया। रेलों का विस्तार कलकत्ते के आसपास बहुत अधिक हुआ और कलकत्ते के चारों ओर रेलें मकड़ी के जाले की भांति फैली हुई हैं। रेल विभाग ने आने वाले जूट को रखने के लिये बड़े-बड़े गोदाम चीतपुर में स्थापित किये हैं। यहां जूट का नियमित बाजार है जहां आम तौर पर लाखों-करोड़ों रु० के सौदे हुआ करते हैं। उत्पादन केन्द्रों से कारखाने तक बड़ी लाइन के ३१४४१

वैगन तथा छोटी लाइन पर चलने वाले ७५,१६३ वैगन जुट ढोया गया।

चाय के परिवहन में सहायता

चाय एक और उद्योग है जो पिछली सदी के आठवें दशक में स्थापित हुआ था और इस किस्म का संसार का सबसे बड़ा उद्योग बन गया है। असम से कलकत्ते तक चाय की ढुलाई रेलों तथा नदियों के द्वारा होती है। रेलों द्वारा बड़ी लाइन के ५२२४ वैगन तथा छोटी लाइन के २२१२६ वैगन चाय की ढुलाई होती है।

ये हैं हमारे कुछ मुख्य उद्योग जो देश की सारी मांग पूरी करने के के बाद लगभग ५० प्रतिशत विदेशी मुद्रा भी कमाते हैं। इस छोटे से लेख में उन बहुत से अन्य उद्योगों का उल्लेख नहीं किया जा सकता जिन्हें रेलों द्वारा प्राप्त परिवहन सुविधाओं के कारण बड़ा सहारा प्राप्त है। लेकिन इस्पात और इंजीनियरी उद्योगों का उल्लेख यहां करना आवश्यक है।

इस्पात उद्योग के लिए परिवहन सुविधाएं

स्वर्गीय जमशेद जी नसरवानजी टाटा ने इस देश में इस्पात कारखाना खोलने की बात सबसे पहले सोची थी। १६११ में उनकी योजनाएं रंग लायीं जब बिहार के कोयला और लोहा प्रधान क्षेत्र में १००० टन इस्पात बनाने का कारखाना स्थापित हुआ। धीरे-धीरे बढ़कर यह कारखाना देश का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना बन गया है। भूतपूर्व बंगाल-नागपुर रेलवे ने उसी समय इस नवजात उद्योग की सहायता की। खनिज लोहे की खानों तक रेलवे लाइन डाली, टाटानगर को बड़ा स्टेशन बनाया, खनिज लोहा और चूने का पत्थर ढोने के लिए विशेष प्रकार के वैगनों की व्यवस्था की और कच्चे माल तथा समापित इस्पात के परिवहन के लिए ढुलाई भाड़े की रियायती दरें लागू कीं। आसनसोल में स्थित इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और भद्रावती स्टील वर्क्स टाटा के इस कारखाने की स्थापना के बाद स्थापित हुए। पिछले महायुद्ध के अन्त तक भारत में इस्पात का कुल उत्पादन १२ लाख टन हो पाया था जो हमारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिलकुल अपर्याप्त था और विश्व उत्पादन का एक नगण्य भाग था।

युद्ध से इंजीनियरी उद्योगों के विकास को बड़ा प्रोत्साहन मिला। उस समय यह उद्योग बहुत ही छोटा था लेकिन इस बीज से अंकुर फूट निकले थे और अधिक प्रोत्साहन पाकर यह उद्योग एक पूरा वृक्ष बना जा रहा है और इसका, पूर्व में, एक महत्वपूर्ण उद्योग बन जाना निश्चित ही है। यह उद्योग न सिर्फ हमारे अन्य उद्योगों के विकास में सहायक होगा और उनको भांति भांति की अधिकाधिक मशीनें तथा औजार दे सकेगा बल्कि भविष्य में यह पड़ोसी अल्प-विकसित देशों को विकास में भी पर्याप्त मदद करेगा।

सभी उद्योगों की जरूरत के डिब्बे

माल ढोने के सिलसिले में हर उद्योग की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। इनमें से अधिकांश उद्योगों को अपने दरवाजे पर साइडिंग की सुविधाओं की जरूरत होती है और इस समय इस तरह की सैकड़ों साइडिंगें हैं भी। उनकी सुविधा के अनुसार पाइलटों की भी विशेष व्यवस्था उनके लिए की जाती है। बहुत से उद्योगों को विशेष प्रकार के डिब्बों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर तेल शोधक कारखानों को पेट्रोल, डीजल तेल तथा मिट्टी का तेल ढोने के लिए विशेष प्रकार के डिब्बों की और शीरे, तारकोल, क्लोरीन, गन्धक के तेजाब, तरल कास्टिक सोडा आदि के लिए अलग-अलग किस्म के टैंक वैगनों की आवश्यकता होती है। भारी मशीनों तथा बड़े आकार के माल के लिए विशेष प्रकार के वैगनों की आवश्यकता होती है। इसलिए रेलों के पास तरह-तरह के डिब्बे होते हैं जो विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। रेलों के पास इतने बड़े डिब्बे हैं जो एक बार में १३० टन तक वजन ले जा सकते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि ढोये जाने वाले माल का आकार-प्रकार वैगन की क्षमता से बड़ा होता है, ऐसी स्थिति में जहां तक संभव होता है इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था कर दी जाती है।

प्रथम आयोजना में पुनर्स्संस्थापन

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद बहुत सी सुप्त आकांक्षाएं जाग उठीं उसके बाद ही देश ने आयोजित आर्थिक विकास का मार्ग अपनाया सभी क्षेत्रों में विकास करने के लिए १६५१ में पहला पंचवर्षीय आ योजन उपस्थित किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य कृ का विकास तथा बिजली और सिंचाई की बहुत सी बहु-उद्देश्यी योजनाएं उस सीमा तक क्रियान्वित करना था, जहां तक वे कृषि उत्पाद बढ़ाने में सहायक हों।

प्रथम आयोजना में रेलों के पुनरर्स्थापन पर और युद्ध में जो का बिना किये छोड़ दिये थे, उन्हें पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था उद्योगों के क्षेत्र में विकास कार्यक्रम कुछ लम्बा चौड़ा नहीं था औ १६५१ तथा १६५५ के बीच की अवधि में औद्योगिक उत्पादन सूचक अंक सिर्फ २२ प्रतिशत बढ़ा है। इतने पर भी रेलवे द्वा माल की ढुलाई का परिमाण बढ़ा है। १६५१ में जहां ६.१४ करो टन माल ढोया गया, वहां १६५५ में यह बढ़कर ११.४१ करोड़ टन गया अर्थात् औसतन ४.६७ प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि हुई। लेकि अंतिम दो वर्षों में यह वृद्धि ८ प्रतिशत तक रही।

द्वितीय आयोजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया ग है। इसमें तीन नये इस्पात संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं जिनमें प्रत्येक की उत्पादन क्षमता १०-१० लाख टन की होगी। वर्तमान क खानों का भी विस्तार किया जा रहा है जिससे आयोजना की समाप्ति उत्पादन ४५ लाख टन इस्पात का हो जाए। योजना के अनुसार को

का उत्पादन ३.८ करोड़ से बढ़ाकर ६ करोड़ टन करने और सीमेंट का ५० लाख टन से बढ़ाकर १ करोड़ टन करने का है। इस प्रकार माल का परिवहन ५ प्रतिशत वार्षिक या इससे भी अधिक बढ़ेगा। दुर्भाग्य से विदेशी मुद्रा की तंगी तथा अन्य कठिनाइयों के कारण इनमें से कुछ विकास कार्यक्रम पूरे न हो सकेंगे और अब यह अनुमान लगाया जाता है कि रेलों को द्वितीय आयोजना के अन्त तक १६.८ करोड़ टन माल की ढुलाई करना होगी जब पहली आयोजना के अन्त में ११.४ करोड़ टन की हुई थी।

द्वितीय आयोजना में रेलों का विकास

द्वितीय आयोजना में रेलों को अपना दायित्व पूरा करने के उद्देश्य से क्षमतावान बनाने के लिए ११२५ करोड़ रु० खर्च करने की व्यवस्था की गयी है। एक व्यापक विकास कार्यक्रम पर अमल किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत ८५० मील लम्बी नयी लाइन बनायी जाएगी जिसमें से अधिकांश लाइनें कोयला तथा लोहा पैदा करने वाले इलाके में होंगी, १६०० मील लम्बी लाइन को दुहरा किया जाएगा जो मौजूदा दुहरी लाइन की ५० प्रतिशत है, १४५० मील लम्बी रेल को बिजली से चलाया जाएगा और डीज़ल से भी रेलें चलायी जाएंगी। नये इस्पात कारखानों के लिए विशाल मार्शलिंग यार्ड बनाये जाएंगे मौजूदा यार्डों का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण किया जायगा, मोकामा तथा पाड़ में बड़े-बड़े पुल बनाये जाएंगे तथा ऐसी ही अन्य अनेक विकास योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी। जब ये सारी योजनाएं क्रियान्वित हो जाएंगी तो रेलें इस स्थिति में पहुँच जाएंगी कि उद्योगों के आयोजित विकास से बढ़ने वाली ढुलाई का भार भली प्रकार उठा सकें।

जब इन विकास कार्यों पर काम चल रहा है, और आवश्यक क्षमता स्थापित की जा रही है उस समय ढुलाई के बढ़ते हुए काम को समुचित आयोजन और कुशल संचालन के द्वारा तथा लगातार सतर्क रह कर पूरा किया जा रहा है। जहां काम चल रहा है, उन स्थानों तक करोड़ों टन इस्पात इधर से उधर ढोया गया। यहां यह नोट करने की बात है कि अधिकांश माल रेलों द्वारा ही ढोया गया। जहां औद्योगीकरण की रफ्तार तेज है वहां वर्तमान क्षमता कुछ कम ही पड़ती है।

आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भाग

गत २० वर्षों में भारतीय रेलों पर माल का परिवहन बहुत बढ़ गया है। गत दो आयोजनाओं में हुई प्रगति के सूचक अंकों से भली प्रकार यह विदित होता है कि हमारे आर्थिक विकास में रेलों ने कितना महत्वपूर्ण भाग अदा किया है। औद्योगिक उत्पादन (*वस्त्र उत्पादन छोड़कर*) का सूचक अंक १६५१ को आधार वर्ष अर्थात् १०० मान कर १६५५ में १३०, १६५६ में १४४ और १६५७ में १५६ था। इससे भी उपरोक्त बात सिद्ध होती है।

चाहे निर्यात संवर्द्धन हो, या खाद्य आयात, चाहे माल की सीमित उपलब्धि के गलत विवरण से हुई भावों की वृद्धि हुई हो या किसी और कारण से आर्थिक असंतुलन आया हो, रेलें सदा ही हमारे लिए सहायक सिद्ध हुई हैं। निर्यात संवर्द्धन के क्षेत्र में रेलों ने खनिज माल, और तैयार माल ढोने तथा जहां आवश्यक हो, निर्यात होने वाले माल को प्राथमिकता देकर सहायता दी है। जहां उपयुक्त हो, ढुलाई भाड़े में रियायत देने का भी विचार है।

उद्योगों से अपने लिए माल खरीदकर रेलों ने उद्योगों के विकास में जो सक्रिय भाग लिया है, वह भी काफी महत्वपूर्ण है। बहुत से उद्योग रेलों के आर्डरों के बल पर ही चल रहे हैं। रेलों ने अपना यह पक्का लक्ष्य बना लिया है कि सवारी डिब्बों, माल ढोने के डिब्बों, इंजनों आदि, साज सामान तथा माल के बारे में कम से कम समय में आत्म निर्भरता प्राप्त की जाए। इसके लिए दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास किये जा रहे हैं। इस उद्देश्य से एक संस्था अलग से बना दी गयी है। हम उद्योगपतियों को यहां दिलाते हैं कि इसे उनकी कहां जरूरत है। हम नये आगन्तुकों का स्वागत करते हैं और पारस्परिक लाभ के लिए उन्हें सहायता देने तथा उनका मार्गदर्शन करने के लिए सदा तैयार हैं।

डिब्बों आदि का देश में निर्माण

रेलों ने माल गाड़ी के डिब्बों, सवारी गाड़ी के डिब्बों तथा भाप से चलने वाले इंजनों का आयात बन्द कर दिया है और वास्तव में हम इस सुखद स्थिति में आ गये हैं कि हम इनका निर्यात तक कर सकते हैं। सिर्फ डीज़ल तथा बिजली से चलने वाले इंजन रह गये हैं जिनका आयात होता है लेकिन उनका निर्माण भी देश में आरम्भ करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

हमने किस सीमा तक सफलता प्राप्त कर ली है, यह इसी बात से प्रकट है कि १६५६-५७ में रेलों ने देश में से ही १२६ करोड़ रु० का माल खरीदा था। आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्त तक काफी सीमा तक हम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकेंगे।

इस प्रकार हमारे आर्थिक पुनरुत्थान में रेलों का योगदान काफी सराहनीय है। वास्तव में परिवहन के विकास के बिना औद्योगीकरण की सारी बात निरर्थक ही रहती है। आर्थिक विकास की परिवहन पर निर्भरता स्वयं सिद्ध है और हमारे लिए परिवहन का अर्थ है रेलें। ये तो वास्तव में आर्थिक विकास का एक शक्तिशाली अस्त्र हैं। यह सौभाग्य की बात है कि हमारी रेलों में इतनी शक्ति है कि ये मौसमी उतार चढ़ाव, असंतुलित यातायात तथा आजकल अनुभव होने वाले उलटे क्रमों (जैसे भारत के *अन्नागारों को बड़े परिमाण में अन्न पहुँचाने*) का सामना कर सकती हैं। हमारे देश के स्वस्थ तथा अनवरुद्ध विकास के लिए ऐसा लचीलापन आवश्यक है और उसे बनाये रखना चाहिए क्योंकि हमारे जैसे विशाल देश में जिसमें महान प्रगति हो रही है ऐसे असंतुलन आने समय ही हैं और उन्हें परिवहन की सहायता से ही फौरन सम्भाला जा सकता है।

रेयन, रेशम तथा ऊनी वस्त्र उद्योग

★ *उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विविध उपाय किये गये।*

इस समय रेयन का कपड़ा बनाने का उद्योग मुख्यतः आयातित कच्चे माल के बल पर चल रहा है। रेयन उद्योग के लिये आवश्यक सैलूलोज लुग्दी बनाने के साधन और रसायनिक पदार्थ देश में ही उपलब्ध हैं लेकिन अभी इनका पूरी तरह से उपयोग किया जाना है और उनकी किस्म का प्रतिमानीकरण किया जाना है। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में यह व्यवस्था की गयी है कि रसायनिक लुग्दी बनाने के एक या दो कारखाने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की देखरेख में बनाये जायंगे और उनका उत्पादन लक्ष्य ६ करोड़ ७२ लाख पौंड होगा।

रेयन के तागे का देश में होने वाला उत्पादन अभी तक परिमाण में इतना नहीं होता जो इस उद्योग की सारी विविध आवश्यकताएं पूरी कर सके। नक्ली रेशम/कृत्रिम तागे की हमारी मौजूदा आवश्यकताएं लगभग ७॥ करोड़ पौंड प्रति वर्ष हैं जब कि १९५७ में देश में इनका उत्पादन २॥ करोड़ पौंड ही था। भारत में इस समय रेयन के चार कारखाने हैं जिनमें से तीन कारखानों ने विस्कोस प्रणाली अपना ली है और चौथा एसीटेट रेयन का तागा बनता है। रेयन फिलामेंट उद्योग के अतिरिक्त नागदा में एक संयंत्र स्थापित किया गया है जो विस्कोस स्टैपल रेशा तैयार करता है।

उत्पादन क्षमता

रेयन का कपड़ा बुनने के देशी उद्योग की उत्पादन क्षमता ५४ करोड़ गज प्रति वर्ष आंकी जाती है। लेकिन रेयन के कपड़े का वास्तविक उत्पादन इससे काफी कम है जिसका मुख्य कारण रेयन तागे की उपलब्धि अपर्याप्त होना है। पिछले तीन वर्षों में नकली रेशम तथा मिले-जुले कपड़े की देश में कितनी उपलब्धि थी, यह नीचे दिया गया है :—

(लाख गजों में)

वर्ष	देशी उत्पादन	आयात	निर्यात	देश में खपत के लिये उपलब्ध कपड़ा
१९५५	२४३१.४	८७.५४	२९.२२	२४८९.७२
१९५६	२९५७.५	७४.६७	३१.७५	३०००.४२
१९५७	२७०७ ५	२५.४६	२३.६७	२७०९.२९

निर्यात

भारत अब रेयन का कुछ कपड़ा विदेशों को खासकर एशिया और अफ्रीका के बाजारों को भेजता है। द्वितीय पंच वर्षीय आयोजना के अन्तर्गत रेयन का १ करोड़ गज कपड़ा निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन ऊपर दिया गया निर्यात लक्ष्य से तिहाई ही है। विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता करने की भारत की क्षमता इसलिये कम है क्योंकि भारतीय रेयन उद्योग को आयातित रेयन तागे पर निर्भर रहना होता है। देश में बनने वाले रेयन के तागे की कीमत विदेशी निर्माताओं द्वारा बनाये गये तागों से अधिक होती है जिसका कारण यह है कि रेयन का तागा बनाने वालों को आयातित कच्चे माल पर निर्भर रहना होता है।

रेशमी तथा रेयनी कपड़े का निर्यात बढ़ाने के लिये भारत सरकार ने एक निर्यात सम्वर्द्धन परिषद् स्थापित कर दी है। यह परिषद् भारतीय रेयन वस्त्र की विदेशों में मांग बढ़ाने के लिये विभिन्न तरीकों से प्रचार कर रही है। विदेशी उपभोक्ताओं की कपड़े सम्बन्धी आदतों तथा रुचियों के बारे में भी यह परिषद् बाजारों का अध्ययन कर रही है।

निर्यात के लिये उत्तेजन

नकली रेशम के कपड़ों का निर्यात बढ़ाने के लिये भारत सरकार ने निम्न कदम उठाये हैं :—

(१) नकली रेशम के कपड़ों के निर्यातकों को नकली रेशम का तागा आयात करने के लिये लाइसेंस दिये जाते हैं। ये लाइसेंस साड़ियों के अलावा निर्यात हुए अन्य माल के जहाज पर मूल्य (एफ० ओ० बी०) के बराबर मूल्य का तथा निर्यात की गयी साड़ियों के जहाज पर मूल्य के दो तिहाई मूल्य का रेयन तागा आयात करने के लिये होते हैं। जिन लोगों के पास ये लाइसेंस हैं, वे यदि चाहें तो, लाइसेंस के १५ प्रतिशत मूल्य के नकली रेशम के कपड़े तथा १० प्रतिशत तक मूल्य की नकली रेशम के कपड़े बनाने की मशीनें आयात कर सकते हैं।

(२) नकली रेशम का कपड़ा बनाने वालों को नकली रेशम के कपड़े के संभावित निर्यात के आधार पर नकली रेशम का तागा आयात करने के लिये सम्भावित लाइसेंस दे दिये जाते हैं।

(३) निर्यात किये जाने वाले कपड़ों में प्रयुक्त नकली रेशम के तागे पर लगा आयात शुल्क वापस कर दिया जाता है।

इस उद्योग का निरन्तर विकास होने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि रेयन के कपड़े के निर्यात व्यापार का स्वस्थ विकास हो। इसके लिए जिन बातों पर अधिक ईमानदारी से ध्यान देने की जरूरत है वे हैं : तैयार माल का प्रतिमानीकरण, शैल्पिक तथा बाजार सम्बन्धी गवेषणा, उत्पादन की युक्तियुक्त प्रणाली अपनाना और आधुनिकतम उत्पादन-प्रणाली अमल में लाना।

रेशम वस्त्र उद्योग

रेशमी कपड़ा बुनने का उद्योग, जो मुख्य रूप से हथकरघों के रूप में चल रहा है, कलात्मक तथा सुरुचिपूर्ण कपड़े तैयार करता है। नकली रेशम तथा मानव-निर्मित रेशों से बने कपड़े सस्ते होने के कारण हाल के वर्षों में भारत में कच्चे रेशम की खपत कम हुई है। इस उद्योग की मुख्य समस्या यह है कि भारत में कच्चे रेशम की उत्पादन लागत बहुत अधिक है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने बहुत सी योजनाएं चालू की हैं जिनका उद्देश्य रेशम उद्योग के सभी अंगों—शहतूत पैदा करने से लेकर रेशम का कपड़ा बुनने तक—का सुधार करना है। लेकिन इन योजनाओं का प्रभाव प्रकट होने में कुछ समय लगेगा। इस बीच रेशमी कपड़ा बुनने का उद्योग काफी हद तक आयातित कच्चे रेशम पर निर्भर है।

विदेशी मांग

कलात्मक डिजाइनों वाले रेशमी कपड़े विशेषतः ब्रोकेडों, अंगोछों, साड़ियों, दुपट्टों, पहनने के कपड़ों, पर्दों के लिए सादे कपड़ों आदि तथा बिछाने की चादरों और मेजपोशों की अमेरिका, मध्य पूर्व के देशों, ब्रिटेन, लंका, मलाया, हांगकांग आदि में में काफी मांग है। पिछले तीन वर्षों में रेशमी कपड़े का जो निर्यात हुआ वह नीचे की सारिणी में दिखाया गया है:—

वर्ष	परिमाण (गजों में)	मूल्य रु० में
१६५५	१,६८,३००	२३,६०,६०५
१६५६	२,१६,३४८	२५,८०,४८६
१६५७	२,३०,६४०	१७,६५,३२५

निर्यात संवर्द्धन

सारे कच्चे रेशम का आयात सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है और व्यापारियों तथा वास्तविक उपभक्ताओं को भी इसके आयात के लाइसेंस नहीं दिये जाते। रेशम के कपड़ों के निर्यातकों को अपने निर्यात के आधार पर उचित दामों पर आयातित कच्चा रेशम मिल सके तथा इन कपड़ों का निर्यात बढ़ सके, इस उद्देश्य से भारत सरकार ने १ जनवरी, १६५८ से एक योजना शुरू की है जिसके अनुसार खालिस रेशम के निर्यातित कपड़ों के जहाज पर मूल्य (एफ० ओ० बी०) का ६६⅔ प्रतिशत कच्चा रेशम मिल सके। निर्यातकों को कच्चा रेशम लागत, बीमा, भाड़ा मूल्य पर दिया जायगा, जिसके साथ आयात शुल्क तथा अन्य खर्चे भी देने पड़ेंगे। भारत से टसर रेशम के कपड़ों तथा मैसूर को छोड़ कर और कहीं के रद्दी रेशम का निर्यात अनुमति प्राप्त सभी स्थानों को बेरोक टोक किया जा सकता है। टसर रेशम के कपड़े का स० रा० अमेरिका को निर्यात करने के सम्बन्ध में यह प्रमाणित करने की एक योजना चालू की गयी है कि यह माल भारतीय ही है। इस योजना पर अमल किया जा रहा है।

ऊनी वस्त्र उद्योग

ऊनी वस्त्र उद्योग का विस्तार मुख्य रूप से १६१६-२० और १६५०-५७ के बीच हुआ है। ऊन उद्योग सम्बन्धी दल की रिपोर्ट के अनुसार जो मई १६४६ में प्रकाशित हुई थी, इस उद्योग की क्षमता निम्न थी —

ऊन कातने के तकुए	५०,०००
वरटेड कातने के तकुए	३७,५००
शक्ति चालित करघे	२,३००

इसके बाद से उत्पादन क्षमता काफी बढ़ गयी है और वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :—

ऊन कातने के तकुए	६०६,७६
वरस्टेड कातने के तकुए	१,१७,३५६
शक्ति चालित करघे	४,०४२

ऊन और कपड़े का उत्पादन

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में उत्पादन के लक्ष्य निम्न रखे गये हैं:—

ऊनी तागा	१.२ करोड़ पौंड
वरस्टेड तागा	१.५ करोड़ पौंड
ऊन। वरस्टेड कपड़ा	१.५ करोड़ गज

पिछले तीन वर्षों में उत्पादन निम्नानुसार रहा :—

	१९५५	१९५६	१९५७
ऊनी तागा (लाख पौंड)	१०२.८	११६.२	१३१
वरस्टेड तागा ,,	१०४.१	१३६.७	१४७.२
ऊनी। वरस्टेड कपड़ा (लाख गज)	१३६.६	१६३.४	१८४

अब भी ऊन के लच्छे तैयार करने के लिए कौम्बिग क्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता है। इनकी आवश्यकताएं लगातार बढ़ रही हैं और १९५१-५२ के ५६ लाख पौंड से बढ़कर १९५७-५८ में २५१.१ लाख पौंड हो गयीं।

निर्यात

ऊनी माल में सबसे अधिक निर्यात होने वाली चीज है प्राच्य डिजाइनों के गलीचे और कम्बल जोकि हथकरघों पर बनाये जाते हैं। ये गलीचे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, भदोई, बनारस तथा आगरा में और जम्मू तथा कश्मीर राज्य के श्रीनगर में बनते हैं। पिछले तीन वर्षों में इनका निम्नानुसार निर्यात हुआ :—

वर्ष	परिमाण (लाख पौं० में)	मूल्य (लाख रु० में)
१९५४-५५	६६.४	३८६.६
१९५५-५६	६६.६	३६७
१९५६-५७	७२.४	४१०

विकास परिषद्

ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए १९५५ में एक विकास परिषद् स्थापित की गयी थी और उसे निम्न काम सौंपे गये हैं:—

(१) उत्पादन के लक्ष्यों की सिफारिश करना, उत्पादन कार्यक्रमों में समन्वय करना तथा समय-समय पर प्रगति का सिंहावलोकन करना।

(२) बरबादी बचाने, अधिकतम उत्पादन करने, किस्म सुधारने तथा उत्पादन लागत घटाने के लिए कार्यकुशलता के मानदण्डों के बारे में सुझाव देना,

(३) स्थापित उत्पादन-क्षमता का पूर्णतर उपभोग करने तथा उद्योग की कार्य-पद्धति में विशेषतः कम लाभप्रद कारखानों में सुधार करने के लिए उपायों की सिफारिश करना,

(४) बिक्री की अच्छी व्यवस्था करना तथा उद्योग द्वारा बनाये जाने वाले माल के वितरण तथा बिक्री की एक ऐसी प्रणाली निकालने में मदद देना जो उपभोक्ताओं के लिए सन्तोषप्रद हो।

(५) उत्पादित माल का प्रतिमानीकरण करना।

(६) आंकड़े इकट्ठे करने और उन्हें विधिवत व्यवस्थित करने की शुरुआत करना या जो व्यवस्था है, उसे बढ़ाना।

(७) श्रमिकों द्वारा उत्पादकता बढ़ाने के उपाय अपनाने को बढ़ावा देना। इनमें कारखानों में काम करने की सुरक्षित तथा अच्छी स्थितियां बनाने तथा मजदूरों की सुविधाओं में सुधार करना तथा उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करना।

इस परिषद् को ऊनी माल के निर्यात संवर्द्धन का काम भी सौंप दिया गया है। इसने निर्यात बढ़ाने की एक योजना शुरू भी की है जिसके अनुसार ऊनी माल के निर्यातक आवश्यक कच्चे माल का आयात कर सकते हैं। विकास परिषद् की निर्यात संवर्द्धन समिति ने ऊनी माल का प्रचार करने का एक कार्यक्रम भी बनाया है, जिसके अनुसार यह उद्योग अपना उत्पादन बढ़ा सके।

नारियल का जटा उद्योग

कोयर या 'कोको' नामक कड़ा तन्तु एक प्राकृतिक उत्पादन है और नारियल की जटा से निकाला जाता है। विश्व बाजार में यह तन्तु रेशे के रूप में, सुतली के रूप में तथा फर्श के बिछावन के रूप में चलता है। प्राकृतिक लचक, टिकाऊपन, नमी निरोधक तथा अन्य बहुत से गुणों के कारण इसकी बड़ी मांग है। भारत के पश्चिमी तट की जिसमें मुख्यतः केरल राज्य आता है, अर्थ व्यवस्था में इस उद्योग का बड़ा महत्त्व है क्योंकि इससे १ लाख से अधिक परिवारों को रोजगार मिलता है।

इस उद्योग के लिए कच्चा माल है पके हुए नारियल छीलने पर ऊपर से उतरने वाला छिलका। भारत में १४,३८,००० एकड़ भूमि में नारियल होता है। नारियल का ऊपर का छिलका उतारने, उससे जटा निकालने तथा जटा का माल तैयार करने का उद्योग काफी दृढ़

तक केरल राज्य के तटवर्ती इलाके में केन्द्रित है क्योंकि यहा जटा उतारने और उससे नारियल का रेशा प्राप्त करने की प्राकृतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

जटा से फर्शों का निर्माण

नारियल की जटा से फर्शों पर बिछायी जाने वाली चटाइयां, फर्श, कालीन और मोरजोक (Mourzouk) बनाने का उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है जो केरल राज्य के कुछ भागों में विकसित हो गया है। इस उद्योग का उत्पादन २१,००० टन प्रतिवर्ष है जिसका मूल्य लगभग ४ करोड़ रुपये होता है। इस उद्योग की बनी मुख्य वस्तुएं हैं विभिन्न साइजों, किस्मों तथा नमूने के पायदान, तीकुरदार पायदान, बुनी हुई चटाइयां, फर्श तथा मोरजोक। दरवाजों पर रखे जाने वाले पायदान या तो सादे होते हैं या तीकुरदार। इनकी किस्म आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रहती है। चटाइयों की बड़ी आकर्षक डिजाइनें बनायी जाती हैं। इनमें या तो बुनते समय ही डिजाइनें निकाली जाती है या सादा बुनाई के बाद ऊपर से लगायी जाती हैं। सादी चटाइयों के अलावा इनका भी निर्यात होता है।

नारियल की जटा की चटाइयां तरह तरह के आकर्षक रंगों और डिजाइनों वाली होती हैं जो उन्हें खपाने वाले बाजारों की रुचि के अनुकूल होती हैं। टिकाऊपन, आवाज न होने देने और नमी रोकने के गुणों में ये सर्वोत्तम होती हैं और संसार भर में प्रसिद्ध हैं। इन्हें आम तौर पर दफ्तरों और कारखानों के लम्बे गलियारों में बिछाया जाता है। नारियल की जटा के बिछावन या तो लम्बी बुनी हुई चटाइयों में से उपयुक्त लम्बाई के काट कर और इनमें डिजाइनें निकालकर बनाये जाते हैं या रंगीन बुनी हुई डिजाइनों से तैयार किये जाते हैं। विदेशी बाजारों में आकर्षक डिजाइनों वाले बिछावनों की बड़े पैमाने पर बिक्री होती है। मनमोहक रंगों से फर्शों के ये बिछावन बड़े ही आकर्षक लगते हैं। विदेशों खासकर ब्रिटेन और यूरोप की गृहिणियां तो इनके आकर्षक तथा सस्तेपन के कारण इन्हें विशेष रूप से पसन्द करती हैं।

सारे भारत में प्रतिवर्ष १,३०,००० टन नारियल की जटा का उत्पादन होता है। लगभग सारे के सारे रेशे को कात लिया जाता है। भारत से रेशे का निर्यात प्रायः नगण्य है और औसतन ६०० टन रेशा प्रतिवर्ष भारत से निर्यात होता है। सुतली का उत्पादन अनुमानतः १,२०,००० टन प्रतिवर्ष है।

उत्पादन और निर्यात

नारियल की जटा से बनी चीजों के वार्षिक २१,००० टन उत्पादन में से देश के अन्दर १००० टन से भी कम माल खपता है। इस प्रकार यह उद्योग मुख्य रूप से विदेशी बाजारों में नारियल की सुतली और जटा की बनी चीजों की मांग पर निर्भर है। पिछले अनेक वर्षों से इन चीजों की मांग न्यूनाधिक रूप में स्थिर है। जब इन चीजों की मांग बढ़ेगी तो इनका उत्पादन बढ़ाना कठिन न होगा, क्योंकि अभी भी इसकी स्थापित उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है।

नारियल की जटा की चटाइयों तथा बिछावनों का जो निर्यात होता है, उसका मूल्य १९५१ से १९५७ तक न्यूनाधिक रूप से २१५ लाख और २५० लाख रु० के बीच में ही रहा है। १९५७ में २८२,०० हंडरवेटमाल निर्यात किया गया जिसका मूल्य २१७ लाख रु० था। नारियल के जटा के माल का हमारा मुख्य बाजार ब्रिटेन ही बना रहा। महत्व की दृष्टि से दूसरे मुख्य बाजार सं० रा० अमेरिका और आस्ट्रेलिया हैं। भारत से नारियल की जटा का आयात करने वाले अन्य महत्वपूर्ण देश हैं स्वीडन, चैकोस्लोवाकिया, कनाडा, केनिया, बेनेजुयला सऊदी अरब और इराक।

सुतली का निर्यात

यह पहले ही बताया जा चुका है कि भारत से नारियल की सुतली का निर्यात बहुत ही थोड़ा होता है। भारत से औसतन ४८,००० टन सुतली का प्रतिवर्ष निर्यात होता है। इस सुतली का आयात करने वाले मुख्य देश हैं ब्रिटेन, प० यूरोप के देश, सं० रा० अमेरिका, कनाडा आस्ट्रेलिया, जापान, और बरमा। आम तौर पर सब से अधिक सुतली हालैण्ड आयात करता है। जापान मछलियां पकड़ने के जाल बनाने के लिए ही नारियल की सुतली को मंगाता है। अमेरिका के पश्चिमी तट के देश खेती के कामों में इसका प्रयोग करते हैं पूर्वी तट के देश आयातित सुतली का ३० प्रतिशत भाग फर्शों पर बिछाने की चीजें बनाने तथा शेष माल अन्य कामों में प्रयोग करते हैं। इसके विपरीत ब्रिटेन द्वारा आयात की गयी सुतली का काफी बड़ा भाग तथा हालैण्ड, इटली जर्मनी तथा यूरोप के अन्य देशों द्वारा आयात की जाने वाली ... की सारी सुतली फर्शों पर बिछायी जाने वाली चीजें बनाने के लिये ... की जाती है। १९५७ में ५५७ लाख मूल्य की ११ लाख हंडरवेट सुतली का निर्यात किया गया। इसमें से हालैण्ड ने १०३ लाख रु० मूल्य की १७६,००० हंडरवेट, और ब्रिटन ने ६६ लाख मूल्य की १३४,००० हंडरवेट सुतली मंगाई। अन्य आयातक देशों ने निम्न परिमाण में सुतली मंगायी :—प० जर्मनी १,६५,००० हंडरवेट, इटली ६८,००० हंडरवेट, फ्रांस ८०,००० हंडरवेट, पुर्तगाल ३६,०० हंडरवेट, जापान, ७०,००० और सं० रा० अमेरिका ८६,०० हंडरवेट।

कुल निर्यात

१९५७ में नारियल की जटा का कुल १४,००,००० हंडरवेट माल निर्यात किया गया जिसका मूल्य ८६८ लाख रु० था। इस निर्यात का ब्योरेवार विवरण निम्न है :—

किस्म	परिमाण (हजार हंडर० में)	मूल्य (लाख रु० में
१. रेशा	१६	८
२. सुतली	१०,८५	५५७
३. रस्से और रस्सियां	४५	२३
४. चटाइयां आदि	२८२	२१७
५. फर्श पर बिछाने की चीजें	७७	६३
	१५,०५	८६८

निर्यात बढ़ाने के लिए उपाय

नारियल के जटा उद्योग का विकास करने तथा इससे बनने वाली चीजों का निर्यात बढ़ाने के लिये १६५३ में कायर बोर्ड नामक संस्था बनायी गयी थी। इस बोर्ड ने अनेक देशी और विदेशी प्रदर्शनियों में भाग लिया है। इसके फलस्वरूप देशी और विदेशी विक्रेताओं ने इस माल के बारे में पूछताछ की है। बोर्ड ने देश और विदेशों दोनों में प्रचार किया है। भारत सरकार ने एक योजना की मंजूरी दे दी है जिसके अनुसार दूसरी आयोजना की अवधि में २० लाख रु० की कुल लागत पर बोर्ड एक कोयर रिसर्च इन्स्टीट्यूट स्थापित करेगा। नारियल की जटा और उसके माल का निर्यात करने वालों का पंजीकरण करने तथा लाइसेंस देने सम्बन्धी नियम अंतिम रूप से बना लिये गये हैं। विदेशी मुद्रा कमाने वाला उद्योग होने की दृष्टि से उसके महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने द्वितीय आयोजना में इस उद्योग के विकास पर खर्च की जाने वाली धनराशि १०० लाख रु० से बढ़ा कर १७० लाख रु० कर दी है। राज्य की योजनाओं के लिये स्वीकृत धन राशि ७० लाख से बढ़ा कर १४० लाख रु० कर दी गयी है।

भारत की औद्योगिक और व्यापारिक नीति

★ *सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के मध्य समन्वय।*

इस लेख में भारत की व्यापारिक तथा औद्योगिक नीति पर विस्तार से विचार करने का प्रयत्न नहीं किया जायगा। यहां तो इस नीति की मोटी रूपरेखा प्रस्तुत की जायगी और उसके निर्धारित किये जाने के कारणों तथा उसके व्यवहार में आने से होने वाले परिमाणों का कुछ विवेचन किया जायगा।

यद्यपि प्रथम महायुद्ध के फलस्वरूप भारत सरकार ने देश का औद्योगिक विकास करने की आवश्यकता समझ ली थी तथापि दूसरा महायुद्ध आरम्भ होने तक उसने देश के औद्योगिक ढांचे का निर्माण करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये। भारत सरकार ने देश की औद्योगिक समस्या की छानबीन करने के लिये सबसे पहला बड़ा प्रयत्न १९१८ में भारतीय उद्योग कमीशन नियुक्त करके किया। सर टामस हालैंड इसके अध्यक्ष थे। कमीशन ने औद्योगिक विकास करने के लिये अनेक सिफारिशें कीं। इनका मुख्य उद्देश्य इस प्रकार के विकास के लिये देश में उपलब्ध साधनों का प्रयोग करना और देश की फालतू जनशक्ति को कृषि के धन्धे से अलग करना था। कमीशन की रिपोर्ट में प० मदन मोहन मालवीय ने अपना असहमतिसूचक नोट अलग लिखा था। इसमें उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ बताया था कि देश का औद्योगिकरण करना कितना आवश्यक है और उसकी कितनी अच्छी सम्भावना भी है।

दोनों महायुद्धों के बीच की अवधि

इस रिपोर्ट के आधार पर कोई भी ठोस कार्य करने का प्रयत्न नहीं किया गया। मालवीय जी के असहमतिसूचक नोट की तो कोई चिन्ता भी नहीं की गयी जिसमें कि अधिकांशतः देश की जनता का मत व्यक्त किया गया था। सरकार का ध्यान अधिकतर मूल्य तथा विनिमय सम्बन्धी संकट की ओर लगा रहा जोकि प्रथम महायुद्ध के तत्काल बाद ही उत्पन्न हो गया था और १९२६ तक बराबर जारी रहा। जनमत को सन्तुष्ट करने के लिए जो मुख्य कार्य किया गया वह यह था कि १९२१ में भेदमूलक संरक्षण देने की नीति घोषित की गई। बाद को दोनों महायुद्धों के बीच की अवधि में इसे अमल में लाया गया और इसके लिये तटकर बोर्ड बनाये गये, विशिष्ट उद्योगों को संरक्षण देने के लिये तटकर सम्बन्धी जांच की गई और भारतीय बाजार में विदेशी प्रतिस्पर्धा से कुछ उद्योगों की रक्षा करने के लिये उपयुक्त तटकर नीतियां अपनाई गईं। यदि किसी उद्योग के हाथ में कोई विशाल घरेलू बाजार था, वह अपना कच्चा माल देश में ही प्राप्त कर लेता था और संरक्षण की अवधि के बाद अपने पैरों पर खड़े होने योग्य था तो उसे संरक्षण प्रदान कर दिया गया। यह नीति भेदमूलक संरक्षण नीति कहलाई, क्योंकि उद्योगों का ऊपर बताई गई शर्तों के आधार पर ही संरक्षण प्रदान किया जाता था। इस संरक्षण नीति का सहारा पाकर इस्पात, कागज, चीनी, ऊनी वस्त्र, रेशम, कपड़ा मिल आदि के उद्योगों की उन्नति हुई। यह विकास उस समय हुआ जब समस्त संसार में गहरी आर्थिक मन्दी छाई हुई थी।

इसके बाद भी १९३९ तक भारतीय उद्योगों का जो विकास होता गया उसका श्रेय तत्कालीन सरकार को किसी नीति को नहीं था। इस शताब्दी के आरम्भ से ही जनता में उग्र राष्ट्रीय भावना जाग्रत हो रही थी जिसके कारण भारत में बने स्वदेशी माल को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा था। इसी राष्ट्रीय भावना के कारण भारत में बने भारतीय उद्योगों के माल की जनता में बराबर मांग बढ़ती रही और इसके कारण ही बहुत से उद्योगों का विकास हो सका। इसी अवधि में बहुत से भारतीय औद्योगिक आगे आये और उन्होंने अपने साहस तथा सूझबूझ के बल पर भारी असुविधाएं एवं विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी देश में उद्योगों का बहुमुखी विकास किया।

द्वितीय महायुद्ध के दिनों में नीति

द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होने के समय यह स्थिति था। १९०० और १९१४ के बीच भारत का विदेशी व्यापार तेजी के साथ बढ़ा। इसका कारण यह था कि पश्चिम के जिन देशों में औद्योगिक विकास

हो रहा था वे भारत के कच्चे मालों की बराबर अधिकाधिक मांग कर रहे थे। प्रथम महायुद्ध में भारत को अनेक प्रकार के औद्योगिक उत्पादनों की कमी का सामना करना पड़ा था। देश में सर्वत्र यह अनुभव किया जाने लगा कि औद्योगीकरण होना चाहिए और इसके लिये विशाल क्षेत्र उपस्थित है। परन्तु भेदमूलक संरक्षण नीति के अतिरिक्त अन्य कोई विशाल नीति देश की इस चेतना के फलस्वरूप नहीं अपनाई गई। फिर भी इस नीति तथा जनता की राष्ट्रीय भावना और योग्य भारतीय औद्योगिकों के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप देश में एक प्रकार के औद्योगिक ढांचे का रूप प्रकट हो ही गया जो कपड़ा तथा चीनी आदि उपभोग की वस्तुएं तैयार करता था।

इतना औद्योगिक विकास हो जाने पर भी द्वितीय महायुद्ध में देश को अनेक वस्तुओं की भारी कठिनाई अनुभव करनी पड़ी। यह महायुद्ध पहले से अधिक बड़े परिमाण पर हुआ और भारत के निकट भी आ पहुंचा। पहले महायुद्ध की अपेक्षा भारत का इससे अधिक प्रत्यक्ष सम्बन्ध था और इसी लिये इसके परिणामों का उसपर अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। इस गम्भीर स्थिति में खाद्य नियन्त्रण, मूल्य नियन्त्रण और अन्य प्रकार के नियन्त्रण लागू करने पड़े। भारत को इस बार पहले से बहुत अधिक युद्ध प्रयत्न करना पड़ा। इसी को करते समय सरकार ने विवश हो कर पहली बार यह अनुभव किया कि भारत में प्रत्यक्ष और विशाल औद्योगिक नीति न अपना कर युद्ध प्रयत्न में उसे कितनी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। परन्तु ऐसी दशा में भी देश के औद्योगिक साधनों का यथासम्भव पूरी तौर पर प्रयोग किया गया। विशाल, लघु और कुटीर उद्योगों को मुख्यतः युद्ध प्रयत्न के लिये अधिकतम तेजी के साथ चलाया गया। उसका फल यह हुआ कि महायुद्ध के अन्तिम दिनों में हमारे उद्योगों का उत्पादन चरम सीमा पर जा पहुँचा और उनमें बहुत से लोगों को काम भी मिला। अमेरिकन और ब्रिटिश विशेषज्ञों से भारत में उद्योगों के विकास की सम्भावना की जांच करने को कहा गया। देश की औद्योगिक स्थिति तथा सम्भावनाओं की जांच करने के लिये डा० पी० जे० टामस से कहा गया। बहुत से नये उद्योगों को यह आश्वासन दिया गया कि युद्धोत्तर काल में उन्हें संरक्षण दिया जायगा। उनमें मुख्यतः इंजीनियरी तथा वे उद्योग थे जिनका युद्ध प्रयत्न से सम्बन्ध था। आयोजन और विकास विभाग खोला गया और उनके औद्योगिक सलाहकार ने देश का सुनियोजित विकास करने के लिये एक मोटी रूपरेखा तैयार की। विशिष्ट उद्योगों का विकास करने के लिये अनेक औद्योगिक तालिकाएं बनायी गई।

युद्धोत्तर अवधि

इस समय द्वितीय महायुद्ध समाप्त हो गया। फिर युद्ध से शान्ति आधार पर आने की समस्याएं उत्पन्न हो गईं। उद्योगों की मशीनें युद्धकाल में बहुत अधिक चलाई गई थीं इसलिये उनके स्थान पर नई मशीनें लगाने अथवा पुर्जे बदलने की समस्या बड़ी उग्र थी। भारत ने स्टर्लिंग पावने की बहुत बड़ी राशि ब्रिटेन में एकत्र कर ली थ इन कार्यों के लिये वह उपलब्ध नहीं हो सकी और यदि भी हो सकती तो भी उससे कोई लाभ न होता से हत विक्षत हुए यूरोप को पहले अपनी दशा ठीक करन उसके बाद ही वह भारत को मशीनें दे सकता था के बाद मशीनों की लागत बहुत अधिक पड़ती थी। इसलिये प्राप्त होने में कठिनाई हुई। इसके अतिरिक्त इसका भी कोई न था कि मशीनें मिल जाने पर भी कब भारत पहुंच सकेंगी लिये युद्ध के बाद केवल १९४८ से ही बहुत थोड़ी संख्या में भारत पहुँचनी शुरू हुई।

महायुद्ध के बाद इधर भारत में भारी राजनीतिक परिवर्त्त हो गये। ब्रिटिश सरकार ने दो वर्ष तक बातचीत करने के बाद १९४७ में भारत की राष्ट्रीय सरकार को भारतीय शासन का भार सौं दिया। परन्तु सत्ता हस्तान्तरित होने के साथ ही देश का विभाजन हो और पाकिस्तान का एक नया राष्ट्र बना दिया गया। विभाजन से अनेक पेचीदी आर्थिक समस्याएं उठ खड़ी हुईं। जहां तक औद्योगिक संगठन का सम्बन्ध था उसे भारी धक्का लगा हमारे दो सबसे बड़े उद्योगों अर्थात् जूट तथा कपड़ा मिलों के माल के साधन पाकिस्तान में ही रह गये। कुछ अन्य प्रकार के मालों की भी यही दशा हुई। इसके फलस्वरूप हमारे व्यापार का स्व बदल गया। बहुत से कच्चे मालों का हम पहले बड़े परिमाण में नि किया करते थे। पर अब नहीं कर सकते थे। ये था तो हमारे फालतू रहे ही नहीं अथवा स्वयं हमारे उद्योगों को ही इनकी श्यकता थी। अब हमारे व्यापार का नया स्वरूप धीरे-धीरे प्रकट हो जा रहा है। पहले हम जहां बड़े, पैमाने पर कच्चे माल का निय करते थे वहां अब तैयार किये हुए माल विदेशों को भेजने लगे हैं।

नई औद्योगिक नीति

राष्ट्रीय सरकार ने शासन भार सम्हालते ही देश के लिये ऐसी निश्चित औद्योगिक नीति निर्धारित करने के विषय में विचार कर आरम्भ कर दिया जिसके फलस्वरूप भारत संसार का एक विशा औद्योगिक राष्ट्र बन सके। अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पाद कर सके और पहले की अपेक्षा बहुत लोगों को काम दे सके। इ उद्देश्य से प्रेरित हो कर अप्रैल १९४८ में प्रधान मन्त्री ने संसद औद्योगिक नीति प्रस्ताव की घोषणा की। इस प्रस्ताव का मूलभूत आद यद्यपि अब भी यथावत बना हुआ है तथापि उसके व्यवहार में आ पर ज्ञात हुआ कि कुछ स्पष्टिकरण की आवश्यकता है और कु विषयों को नया रूप देने अथवा उन पर पुनः बल देने की भी जरूर है। इसलिये अप्रैल १९५६ में संशोधित नीति सम्बन्धी एक वक्त दिया गया। जहां तक भारत की चालू औद्योगिक नीति का सम्बन्ध यही संशोधित नीति अब भी चालू है। देश का तेजी के साथ त

व्यवस्थित रूप में विकास करने के लिये यह नीति सर्वोत्तम है जिससे देश का अत्यधिक हित होगा। इसके द्वारा समस्त संशयों अथवा भ्रमों का निवारण करके समस्त स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। इसके द्वारा सरकार तथा जनता दोनों को इस विशाल प्रयत्न के दो बराबर के एवं एक दूसरे के पूरक साझेदार बना दिया गया है जिसका उद्देश्य जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाना है। यद्यपि मूलभूत आदर्श अन्ततोगत्वा देश में समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना करना है तथापि इसके द्वारा राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के सामंजस्य पूर्वक और एक दूसरे के पूरक रूप में विकास करने की व्यवस्था की गई है जिससे प्रत्येक व्यक्ति देश के समस्त मानव समाज के सुख में अपना पूर्णतम योगदान कर सके। इसका लक्ष्य कम से कम अवधि में देश को संसार का एक शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र बना देना है। इस काम में सच्ची दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं का स्वागत है। विदेशी सहायता, विदेशी योगदान और विदेशी सहयोग दिलाने की भी व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीयकरण के प्रयत्न नहीं किये गये

नयी औद्योगिक नीति के बारे में अनेक विषयों को ठीक तौर से समझाने की आवश्यकता है। सबसे पहले राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है। संशोधित नीति सम्बन्धी वक्तव्य दिये जाने के बाद यद्यपि इस विषय पर सार्वजनिक विवाद शांत हो गया है, तथापि इस पर कुछ देर के लिये विचार कर लेना उचित है, क्योंकि देश की आधारभूत नीति अब भी समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना करना ही है। प्रधान मन्त्री अनेक बार इस बात पर जोर दे चुके हैं कि देश की नीति किसी वाद के अनुसार नहीं बनाई जाती। इसे तो मुख्यतः इस व्यावहारिक दृष्टिकोण से बनाया जाता है कि किसी कार्यक्रम अथवा नीति विशेष को अपनाने से देश और देशवासियों को किस प्रकार सबसे अधिक लाभ पहुँचेगा। यद्यपि यह दृष्टिकोण आधारभूत विचार के विरुद्ध नहीं जा सकता तथापि एक ऐसी नीति का अवलम्बन किया जा रहा है जिससे रंचमात्र भी यह प्रकट नहीं होता कि राष्ट्रीयकरण अब होने वाला ही है। बात यह है कि यद्यपि नीति सम्बन्धी पहली घोषणा हुए दस वर्ष होने आये तथापि निजी क्षेत्र के किसी भी उद्योग का अब तक राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। निजी क्षेत्र को अपनी हस्ती कायम रखने और विकास करने की अनुमति दी गई है। सरकार निजी क्षेत्र में भली प्रकार चलने वाले किसी उद्योग को अपने अधिकार में लेने के बदले किसी नये उद्योग की स्थापना पर अपने साधन लगाना अच्छा समझती है।

सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत केवल ऐसे उद्योगों को ही चलाने का विचार किया जाता है जिन्हें राष्ट्रीय महत्त्व का माना जाता है और जिन्हें सरकारी प्रयत्न के बिना काफी तेजी अथवा पूर्णता के साथ प्रारम्भ अथवा विकसित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिये इस्पात उद्योग को लीजिये। विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिये देश को निकट भविष्य में ही ६० लाख टन इस्पात पिण्डों की आवश्यकता होगी। निजी क्षेत्र के इस्पात उद्योग को अपना विकास करने के लिये अनेक प्रकार की सहायता दी गई है। उसके विस्तार की वर्तमान योजनाएं जब पूरी हो जायंगी तो उत्पादन ३० लाख टन बढ़ जायगा। इस प्रकार ३० लाख टन की कमी रह जायगी जिसे निकट भविष्य में पूरा कर लेना चाहिए। अन्यथा विकास कार्य भली प्रकार आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिये सरकार इसे पूरा करने के लिये आगे आई है और उसने सरकारी क्षेत्र में इस्पात के तीन कारखाने चालू किये हैं जिनके द्वारा इस्पात की शेष कमी पूरी हो जायगी। इस प्रकार सरकारी तथा निजी क्षेत्र एक दूसरे के पूरक रूप में काम करते हैं जो देश का विकास करने में मिल कर हाथ बंटा रहे हैं। इसी प्रकार आवश्यकता पड़ने पर सरकार ने निजी क्षेत्र के जहाज निर्माण उद्योग की सहायता की। इसके फलस्वरूप हम अल्प अवधि में ही १,००,००० टन के व्यापारी जहाज बना चुके हैं। मशीनी औजारों के क्षेत्र में भी सरकारी तथा निजी क्षेत्र एक दूसरे के पूरक रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे और भी अनेक उदाहरण दिये जाते हैं कि सरकारी क्षेत्र केवल राष्ट्रीय हित की दृष्टि से ही किसी उद्योग को उठाता है और निजी क्षेत्र को भली प्रकार अपना विकास करने की स्वतन्त्रता है। इसी दृष्टि से वायुयान, उर्वरक, टेलीफोन, केबिल्स, रेल इंजन, डिब्बे, पेनिसिलीन, डी० डी० टी० आदि के उद्योग सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये गये हैं।

निजी क्षेत्र के लिए सम्भावनाएं

निजी उद्योग के विकास के लिये कितना बड़ा क्षेत्र प्रस्तुत है यह इसी से प्रकट होता है कि पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र में ४० से अधिक उद्योगों के विकास की व्यवस्था की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी ५० से अधिक उद्योगों के लिये व्यवस्था की गई है। प्रथम योजना में जो उद्योग निजी क्षेत्र के लिये रखे गये थे उनकी आश्चर्यजनक उन्नति हुई है। इनमें से कुछ तो अपने लक्ष्य से भी आगे बढ़ गये। कपड़ा मिल उद्योग इसका ज्वलन्त प्रमाण है। द्वितीय योजना के पहले दो वर्षों में भी निजी क्षेत्र के उद्योगों की सन्तोषजनक उन्नति हुई है। जहां तक दोनों क्षेत्रों में नयी पूंजी लगाने का सम्बन्ध है पहली योजना में सरकारी क्षेत्र में ९४ करोड़ और निजी क्षेत्र में २३३ करोड़ रु० लगाने की व्यवस्था की गई थी। द्वितीय योजना में क्रमशः ५५९ करोड़ रु० और ५३५ करोड़ रु० रखे गये हैं। इससे प्रकट होता है कि निजी क्षेत्र के उद्योगों का विकास करने के लिये कितनी बड़ी व्यवस्था की गई है। १९५१ से अप्रैल १९५८ तक औद्योगिक उत्पादन में ३.८ प्रतिशत की जो वृद्धि हुई है वह अधिकांश में निजी क्षेत्र के उद्योगों का विकास होने के कारण हुई है।

जहां कहीं यह समझा गया कि किसी उद्योग के निजी क्षेत्र में विकसित होने की अच्छी सम्भावना है, वहां सरकार ने उसे निजी क्षेत्र को सौंप देने में कोई हिचकिचाहट अनुभव नहीं की है। उदाहरण के लिये पेट्रोलियम साफ करने और मोटर गाड़ियां बनाने जैसे राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों को भी निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया है।

सुनियोजित विकास की नीति

औद्योगिक सुनियोजन को विकास का माध्यम बनाया गया है। प्रथम योजना में कृषि पर बल दिया गया था जो स्वाभाविक था। परन्तु उसमें भी औद्योगिक लक्ष्य काफी ऊंचे और प्रभावशाली रखे गये थे। उसमें उद्योगों पर होने वाला खर्च कुल योजना के खर्च का १० प्रतिशत था। निजी क्षेत्र के अनेक प्रकार के उद्योगों के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के भी कई उद्योगों का विकास करने का प्रस्ताव किया गया था। विकास के सम्बन्ध में भारी और आधारभूत उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था जिससे भारत के औद्योगिक ढांचे का आधार अधिक व्यापक हो जाय। उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन का भी आवश्यकतानुसार विकास किया गया जो मुख्यतः निजी क्षेत्र में हुआ। वांछित दिशाओं में काफी सफलता प्राप्त हो चुकी है। १९५१ को आधार अवधि मानते हुए औद्योगिक उत्पादन का सूचक अंक प्रथम योजना के अन्तिम वर्ष १९५५ में १२२ हो गया। द्वितीय योजना मे उद्योगों पर अधिक जोर दिया गया। योजना के कुल खर्च का १८ प्रतिशत भाग उद्योगों के लिये रखा गया। द्वितीय योजना में पहली से भी अधिक ध्यान भारी और आधारभूत उद्योगों की ओर दिया गया है। इनमें सरकारी क्षेत्र का इस्पात उद्योग और निजी क्षेत्र का सीमेण्ट उद्योग मुख्य हैं। द्वितीय योजना में भी उपभोग की वस्तुएं तैयार करने वाले उद्योगों का विस्तार करने के लिये काफी व्यवस्था की गई है। ये उद्योग मुख्यतः निजी क्षेत्र में हैं। द्वितीय योजना में होने वाले औद्योगिक विस्तार की यह विशेषता है कि इसमें बिजली के भारी सामान तथा मशीनें बनाने वाली मशीनों के उद्योगों पर बहुत ध्यान दिया गया है। बिजली का भारी सामान हमारी जल विद्युत योजनाओं के लिये और मशीनें बनाने वाली मशीनों की कुछ विशिष्ट उद्योगों के लिये आवश्यकता है। इस प्रकार उद्योगों को न केवल वांछित दिशा में यथाशीघ्र विकास करने की नीति अपनाई गई है वरन् इस विकास को इस प्रकार करने की भी जिससे भारत का औद्योगिक ढांचा सन्तुलित रहे। इसलिये भारी उद्योगों, हल्के उद्योगों, आधारभूत उद्योगों, उत्पादक वस्तु उद्योगों, उपभोग्य वस्तु उद्योगों और मशीनी औजार तथा मशीन उद्योगों के विकास की योजनाएं बनाई जा रही हैं।

विनियमित विकास की व्यवस्था

सुनियोजित विकास का स्वतः ही यह अर्थ है कि कुछ सीमा तक विनियमन किया जाय। परन्तु राष्ट्रीय हित की दृष्टि से निजी क्षेत्र के उद्योगों के विकास का विनियमन करना आवश्यक माना गया जिससे हमारे उपलब्ध साधनों से अधिकतम लाभ हो सके। इस उद्देश्य से १९५१ में उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य विनियमन द्वारा उद्योगों का विकास करना था। देश के भीतरी और बाहरी साधनों का इस प्रकार उपयोग होना चाहिए जिसमे औद्योगिक उत्पादन में विविधता आ जाय और केवल किसी एक दिशा में उन्नति होकर न रह जाय। उद्योगों को कहां स्थापित किया जाय यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के सभी भागों को औद्योगीकरण से लाभ पहुँचना चाहिए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर अधिनियम की सहायता से औद्योगीकरण विकास का नियमन किया जाता है। पुराने उद्योगों में विस्तार करने अथवा नये उद्योग खोलने के लिये लाइसेंस आवश्यक होता है। इस सम्बन्ध में निजी क्षेत्र से आये हुए आवेदन पत्रों की परीक्षा एक लाइसेंस समिति करती है। एक बार दे दिये जाने के बाद सरकार निजी क्षेत्र के औद्योगिक विकास में अनेक प्रकार से सहायता देती है। वह प्रविधिक परामर्श देती है, विदेशों से प्रविधिक सहयोग प्राप्त करने की सुविधाएं देती है और उत्पादन की किस्म अच्छी रखने तथा उत्पादकता बढ़ाने आदि के बारे में भी वह सहायता करती है। उत्पादन के लक्ष्य निश्चित कर दिये जाते हैं और सम्बद्ध उद्योगों को ये लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। मशीनों, उनके हिस्सों तथा कच्चे माल का विदेशों से आयात करने की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। निजी क्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय सहायता देने, औद्योगिक तथा वैज्ञानिक गवेषणा कराने तथा अन्य अनेक प्रकार की सहायता देने के लिये अनेक संस्थाएं बनायी गयी हैं। लघु तथा ग्रामोद्योगों और दस्तकारियों के लिये भी ऐसी ही सहायता उपलब्ध है। जिन उद्योगों के उत्पादनों का निर्यात हो सकता है उन्हें विदेशी बाजारों से लाभ उठाने के लिये अनेक प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। इन सुविधाओं के बिना वे इन बाजारों से अधिक लाभ न उठा पाते। वास्तव में निजी क्षेत्र के उद्योगों को उचित और अच्छे ढंग से अपना विकास करने में सब प्रकार की सहायता एवं प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उनसे केवल इतनी अपेक्षा की जाती है कि वे अपना विकास उस नियमन तथा नियन्त्रण के अनुसार करें जो कि राष्ट्र हित की दृष्टि से आवश्यक हो।

उद्योगों को संरक्षण

औद्योगिक विकास के लिये तटकर संरक्षण की बड़ी प्रभावशाली सहायता दी जाती है। यह सहायता ऐसे उद्योगों को दी जाती है जिनकी उन्नति देश के लिये आवश्यक मानी जाती है। तटकर संरक्षण प्रदान करके देश के बाजारों में इन उद्योगों के उत्पादनों की विदेशों से आयात की गई सस्ती वस्तुओं से होने वाली प्रतिस्पर्धा से रक्षा की जाती है। इस प्रकार गत १० वर्षों में ४० से अधिक उद्योग जमाये जा चुके हैं। इनमें अधिकांश उद्योग द्वितीय महायुद्ध

के बाद स्थापित अथवा विकसित हुए हैं। तटकर संरक्षण की नीति पहले की अपेक्षा अब बहुत उदार हो गई है। सबसे पहली बात तो यह है कि अब संरक्षण भेदमूलक शर्तों के आधार पर नहीं दिया जाता जिनका दोनों युद्धों के बीच की अवधि में अधारभूत रूप से विचार किया जाता था। किसी भी उद्योग को तभी संरक्षण दिया जाता है जब कि उसे राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है और यदि उसका विकास करने के लिये देश में उचित सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। दूसरी बात यह है कि सहायता केवल संरक्षण शुल्क लगा कर ही नहीं दी जाती वरन् अन्य प्रकार से भी। तीसरे यह कि किसी उद्योग को संरक्षण देने के लिये पहले के समान अब उस स्थिति में विचार नहीं किया जाता जबकि वह चालू हो चुकता है परन्तु बिना संरक्षण पाये हुए उसका आगे बढ़ना असम्भव हो गया हो। संरक्षण देने का प्रश्न तभी उठाया जाता है जबकि उस उद्योग का विकास करना आवश्यक माना जाता है। ऐसी दशा में भी संरक्षण दिया जा सकता है जब कि उद्योग शुरू तो न हुआ हो परन्तु यह माना जा रहा हो कि संरक्षण देने से उक्त उद्योग शुरू होकर जम जायगा। तटकर जांच संगठन अब कोई तदर्थ संस्था नहीं है जो किसी विशेष उद्देश्य से बनाई गई हो। यह एक स्थायी कानूनी संगठन है जिसे एक स्वतन्त्र कमीशन के रूप में स्थापित किया गया है। यह अपना काम निरन्तर करता रहता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संरक्षित उद्योगों की यह बराबर निगरानी करता रहता है।

एकीकृत औद्योगिक विकास

उद्योगों का विकास करते समय यह नीति रखी गयी है कि देश का सर्वांगीण औद्योगिक ढांचे के रूप में विकास किया जाय। भारत में उद्योगों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है विशाल उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। देश की अर्थ व्यवस्था के लिये तीसरे प्रकार, अर्थात् कुटीर उद्योग विशेषत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनका समृद्धि पर डेढ़ दो करोड़ व्यक्ति का निर्वाह निर्भर है। इसलिये उद्योगों के एकीकृत और समन्वित ढांचे की स्थापना करने की नीति का अवलम्बन किया जा रहा है जिससे प्रत्येक एक क्षेत्र शेष दो क्षेत्रों से सहायता ले सके। प्रत्येक क्षेत्र में उद्योगों का विकास करने के लिये अनेक संगठन भी किये जा चुके हैं। द्वितीय योजना में कुटीर उद्योगों के विकास के लिये २ अरब ८० रखे गये हैं। समन्वित विकास की नीति का उदाहरण कपड़ा उत्पादन तथा सूत का वितरण है। कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में विशाल मिल उद्योग, लघु शक्तिचालित करघा उद्योग और छोटा हाथकरघा उद्योग सम्मिलित हैं, जिनसे ६० लाख से अधिक व्यक्तियों को काम मिला हुआ है। इसके सभी क्षेत्रों का एक दूसरे के पूरक रूप में विकास किया जा रहा है जिससे कि इतना कपड़ा तयार हो सके कि वह घरेलू आवश्यकताएं पूरी करने के बाद इतना बच सके कि निर्यात के लिये उसमें से १ अरब गज कपड़ा बच रहे। मध्यम दर्जे के कुछ उद्योगों का विशाल उद्योगों के सहायक उद्योगों के रूप में विकास हो रहा है। साइकिलों के हिस्सों तथा पुर्जों का उत्पादन इसका उदाहरण है।

औद्योगिक विकास में विदेशी सहयोग

औद्योगिक विकास के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय हितों और उद्देश्यों की रक्षा करते हुये विदेशी सहयोग और सहायता को अधिकतम प्रोत्साहन देना सरकार की नीति है। यह सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों पर लागू होता है। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का निर्माण करने में विदेशी हितों ने गत १० वर्षों में सरकार के साथ खुल कर सहयोग किया है। उर्वरक, बिजली के केबिल, टेलीफोन, मशीनी औजार, जहाज निर्माण और रेल के डिब्बा बनाने के उद्योग इसी प्रकार बनाये गये हैं। सरकारी क्षेत्र में पश्चिमी जर्मनी, रूस और ब्रिटेन की सहायता से इस्पात उद्योग का जो विकास हो रहा है वह भी विदेशी सहयोग का उदाहरण है। इसी प्रकार मशीन बनाने के उद्योग का रूस के सहयोग से विकास किया जा रहा है।

निजी क्षेत्र में भी विदेशी सहयोग से अनेक उद्योग चलाये गये हैं। मोटरगाड़ी उद्योग इसका एक अच्छा उदाहरण है। 'प्रविधि ज्ञान' प्राप्त करने के अतिरिक्त प्रविधिक ज्ञान रखने वाले कर्मचारी मशीनें आदि भी इस सहयोग के अन्तर्गत प्राप्त होती हैं। विदेशी सहयोग लेने की अनुमति दे देने के बाद उसके प्रति कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता। विदेशियों के साथ भी देशवासियों के समान ही व्यवहार किया जाता है और उन्हें कुछ अवस्थाओं में मुनाफा, आदि अपने देश में वापस भेजने की भी सुविधाएं दी जाती हैं।

व्यापार नीति : ऐतिहासिक सिंहावलोकन

भारत सरकार की व्यापार नीति में गत ६० वर्षों में बहुत परिवर्तन हुए हैं। दोनों महायुद्धों के वर्षों में व्यापार का नियन्त्रण सैनिक आवश्यकताओं के अनुसार किया गया था। इन वर्षों के अलावा १९३९ तक सरकार ने औद्योगिक विकास के समान विदेशी व्यापार के विषय में भी मुक्त व्यापार की नीति का अवलम्बन किया। मोटे तौर पर यह नीति व्यापार के एक विशेष ढंग के अनुरूप थी। इसके अनुसार भारत से कच्चे माल का अधिकतर निर्यात किया जाता था और उसके बदले में निर्मित माल, जिसमें मुख्यत उपभोग वस्तुएं होती थीं, का आयात किया जाता था। १९०० और १९१४ के बीच भारत के विदेशी व्यापार में बराबर उन्नति होती रही और पाश्चात्य देशों के औद्योगिक बाजारों में भारत के कच्चे माल की मांग बढ़ती रही। १९१८ में महायुद्ध समाप्त होने पर स्वर्ण विनिमय प्रमान के आधीन विदेशों में रुपये का मूल्य घटते बढ़ते रहने के कारण हमारा विदेशी व्यापार स्थिर नहीं हो सका। १९२६ से रुपये को स्वर्ण से एक आधार पर सम्बद्ध कर दिया गया। इसके बाद १९३० की अल्प अवधि में हमारे विदेशी व्यापार में समृद्धि दिखाई दी।

बाद विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी आ गई जिससे भारतीय व्यापार को धक्का लगा। वह काफी घट गया। सबसे बुरी बात यह हुई कि भारतीय निर्यात का मूल्य विदेशी देनदारी को निपटाने के लिये काफी नहीं रहा। इससे भारत से सोना विदेशों को तेजी के साथ जाना शुरू हुआ और यह १९३१ और १९३९ के बीच बराबर चलता रहा। सितम्बर १९३१ में जब इंग्लैण्ड ने अपने स्वर्ण प्रतिमान का परित्याग कर दिया तब तो यह स्थिति विशेषतः टेढ़ी हो गई।

वर्त्तमान नीति का विकास

द्वितीय महायुद्ध ने भारत को इस कठिन स्थिति से मुक्त कर दिया। युद्धकाल में जो व्यापार नियन्त्रण लागू किए गये थे वे युद्धोत्तर काल में भी लागू रहे। विदेशी विनिमय की विश्व व्यापी उलझनों और अन्य राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से विवश होकर ही ये नियन्त्रण जारी रखे गये थे। परन्तु इनके विषय में समय-समय पर विचार करके परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किये जाते रहे।

परन्तु जहां तक निर्यात नियन्त्रण का प्रश्न था उसे धीरे-धीरे शिथिल कर देने की नीति रखी गई। देश में कच्चा माल और औद्योगिक उत्पादन बढ़ जाने के कारण निर्यात का नियन्त्रण करने के बदले निर्यात का संवर्द्धन करने पर जोर दिया जाने लगा। केवल कुछ वस्तुओं को छोड़ कर जिनके निर्यात का नियन्त्रण करना आवश्यक है, शेष सभी निर्यात व्यापार को लगभग नियन्त्रण से मुक्त कर दिया गया है। निर्यात बढ़ाने के लिये प्रत्यक्ष कदम उठाये जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में दो निर्यात संवर्द्धन समितियां स्थापित की जा चुकी हैं जिससे निर्यात की समस्याओं की जांच करके निर्यात बढ़ाने के लिये सिफारिशें की जा सकें। लगभग दो वर्ष से एक निर्यात संवर्द्धन संगठन भी काम कर रहा है उससे निर्यात संवर्द्धन परिषदें आदि अन्य संगठन भी सम्बद्ध हैं। इस संगठन का उद्देश्य निर्यात व्यापार के रुख पर बराबर निगाह रखना और उसको बढ़ाने के लिये समय समय पर उपयुक्त उपाय सुझाना जो वस्तु विशेष अथवा देश विशेष के विषय में हो सकते हैं।

जहां तक आयात व्यापार का सम्बन्ध है इसे बराबर नियन्त्रित किया है। यह नियन्त्रण कभी कड़ा तो कभी शिथिल रहा है। विदेशी निमय को बचाने की आवश्यकता के अनुसार ही यह नियन्त्रण रखा या है। इसके बारे में भी स्थिति पर समय-समय पर विचार किया जाता है और देश की आवश्यकताओं तथा उपलब्ध विदेशी साधनों को रखते हुए आयात नियन्त्रण नीति में हेरफेर कर लिया जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि व्यापार पर जो नियन्त्रण किसी विशेष राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को सम्हालने के लिये स्थायी रूप से लागू किये थे उनका देश की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये प्रयोग किया जा रहा है।

आयात नियन्त्रण : वर्तमान और भविष्य

निर्यात नियन्त्रण के विषय में अब अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके बदले अब निर्यात संवर्द्धन पर जोर दिया दिया जा रहा है। इस समय हमारी नीति यह है कि निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ाया जाय जिससे कि हम अपने विदेशी विनिमय का उपार्जन कर के देनदारी को अदा कर सकें। अब आयात व्यापार के विषय में हमारा नियन्त्रण कठोरता पूर्वक लागू किया जा रहा है और आशा है कि अभी और कुछ समय तक इसी प्रकार किया जाता रहेगा जिससे कि हम अपनी द्वितीय योजना के लिये आवश्यक माल मंगा कर उसका विदेशी मुद्रा द्वारा मूल्य चुकता कर सकें। देश में खाद्य की कमी हो जाने के कारण बड़े पैमाने पर अनाज का आयात करने की आवश्यकता हो गयी है। इसके लिये भी हमें विदेशी विनिमय चाहिये। जब तक देश में इतना अनाज उत्पादन नहीं होने लगता कि उससे हमारा काम चल सके तब तक हमें विदेशों से अनाज का आयात करना ही पड़ेगा। देश में सिंचाई की जो विभिन्न प्रायोजनाएं अमल में लाई जा रही हैं उनके पूर्ण होने तक देश में अनाज की यह कमी बनी रहेगी।

उद्योगों के लिये आवश्यक कच्चे माल को भी काफी बड़े परिमाण में विदेशों से मंगाना पड़ता है जिससे कि हमारे औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों को अमल में लाने में बाधा न पड़े। कच्ची रुई और कच्चे जूट के विषय में यह बात विशेषतः लागू होती है। परन्तु इन दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन देश में ही बढ़ाने के लिये बराबर प्रयत्न हो रहे हैं और जब हम दोनों ही वस्तुओं में कुछ वर्षों में आत्म-निर्भर हो जाएंगे तो इनके आयात पर हमें विदेशी विनिमय खर्च करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारे यहां अभी लोहे और इस्पात का उत्पादन भी काफी नहीं होता इसलिये इनकी कमी को पूरा करने के लिये भी हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है और इसके लिये भी विदेशी विनिमय की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। कुछ ही वर्षों में इस्पात का उत्पादन बढ़ा कर ४५ लाख टन करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो हमें विदेशों से इस्पात मंगाने की आवश्यकता भी कम हो जाएगी। परन्तु यदि इसका उत्पादन देश में नहीं बढ़ा तो भविष्य में भी हमें बड़े परिमाण में इस्पात का आयात करना होगा। विदेशों से औद्योगिक मशीनें और पूंजीगत वस्तुएं भी बड़े पैमाने पर मगायी जाती हैं। हमें ऐसा उस समय तक करना होगा जब तक कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चलायी जाने वाली हमारी औद्योगिक तथा अन्य प्रकार की प्रायोजनाओं के लिये आवश्यक मशीनें काफी परिमाण में प्राप्त नहीं हो जाएंगी। इनके लिये भी विदेशी-मुद्रा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य आवश्यक वस्तुओं को भी विदेशों से मंगाना पड़ता है और इनके लिये भी विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध करना पड़ता है।

यद्यपि विदेशों से ऋण, सहायता और सहयोग मिल रहा है तथा विलम्बित भुगतान की सुविधाएं हो गई हैं, तथापि हमें जो आव-

श्यक वस्तुएं मंगानी पड़ती हैं उनके मूल्य का भुगतान हमें अपने निर्यात द्वारा प्राप्त होने वाले विदेशी विनिमय से ही करना होगा। इसलिये विदेशी विनिमय के उपार्जन से ही सबसे पहले हमें आयात की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं का मूल्य चुकाना होता है। बहुत से उद्योगों ने अपनी उत्पादन-क्षमता बढ़ा ली है। इनमें बनने वाली वस्तुओं के आयात के कोटे घटा दिये गये हैं। इस नीति के फलस्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से हमारे औद्योगिक संगठनों में स्थिरता और उन्नति के लक्षण प्रकट हो रहे हैं।

आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिये विदेशी विनिमय की जो आवश्यकता होती है उसे पूरा करने के पश्चात् अनावश्यक अथवा विलासिता की सामग्री का आयात करने के लिये बहुत कम विदेशी विनिमय शेष रह जाता है। इसलिये वर्तमान परिस्थितियों में ऐसी वस्तुओं के आयात की सामान्यतः अनुमति नहीं दी जाती। अब इन वस्तुओं के आयात के लिये बहुत अधिक जोर भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अब इनके उद्योग देश में ही चालू हो गये हैं और यह यहां बनाई जा रही हैं। यह उद्योग भविष्य में और उन्नति कर लेंगे तब इनके आयात की आवश्यकता और भी कम हो जाएगी।

औद्योगीकरण और आत्म-निर्भरता

देश में उपभोग्य तथा उत्पादक वस्तुओं के उद्योगों का तेजी से जो विकास हो रहा है, यथासम्भव सभी कच्चे माल देश में ही उत्पन्न कर लेने के जो प्रयत्न हो रहे हैं और अनाज के विषय में भी स्वावलम्बी हो जाने की जो नीति अपनायी गयी है उसे देखते हुये यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि क्या हमारा देश विभिन्न औद्योगिक उत्पादनों की दृष्टि से किसी समय बिल्कुल स्वावलम्बी हो जाएगा। परन्तु प्रजातन्त्रीय प्रणाली की अर्थ-व्यवस्था में ऐसा होना सम्भव नहीं है। ब्रिटेन और अमरीका दोनों ही अपने उद्योगों का विकास कर चुके हैं परन्तु इन में से कोई भी आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। इसके विपरीत उनका विदेशी व्यापार घटने के बदले बढ़ा ही है। भारत की भी यही दशा होगी। हमारे बहुत से उद्योग अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक माल तैयार करेंगे और इस प्रकार फालतू बचे हुये माल को अन्य देशों को निर्यात करना पड़ेगा; और जब निर्यात करना होगा तो उसके हाथ उन देशों से विवश होकर आयात भी करना होगा। इस समय देश का सुनियोजित आर्थिक विकास करके जनता के रहन-सहन का प्रतिमान ऊंचा किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप अन्य देशों के साथ हमारा व्यापार घटने के बदले बढ़ेगा। यह बात दूसरी है कि हमारे व्यापार का रूप बदल जाय। इसलिये भविष्य में भारत के विदेशी व्यापार के घटने की सम्भावना नहीं है। वास्तव में उसके बढ़ने की ही आशा करनी चाहिये। यह व्यापार नये देशों से और नयी वस्तुओं के बारे में हो सकता है।

अपने सुझाव भेजिए

'उद्योग-व्यापार पत्रिका', उद्योग और व्यापार से सम्बन्ध रखने वाले पाठकों की सेवा गत पांच वर्षों से कर रही है। इस अवधि में ही पत्रिका ने अपना एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। देश के औद्योगिक और व्यापारी क्षेत्रों में इसका हृदय से स्वागत किया गया है।

'पत्रिका' को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया जाता है। परन्तु इस सम्बन्ध में हम अपने प्रिय पाठकों के सुझाव भी चाहते हैं। अतः निवेदन है कि पाठकगण अपने सुझाव हमें शीघ्र लिख भेजने की कृपा करें। सुझाव इसी दृष्टि से होने चाहिए कि 'पत्रिका' को उनके लिये किस प्रकार और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है।

उद्योग-व्यापार पत्रिका,
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय,
भारत सरकार, नयी दिल्ली।

सिंचाई के साधनों का अधिकतम उपयोग हो

☆ ले०—श्री के० एल० राव, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग।

पहली और दूसरी आयोजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रायोजनाओं से सिंचाई की जो सुविधाएं उपलब्ध हो सकी हैं, उसमें से कितनी सुविधाओं का प्रयोग हो रहा है तथा किस रफ्तार से हो रहा है, इस बारे में लोगों में बड़ा मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि उपलब्ध साधनों का बड़ा भाग बिना प्रयुक्त पड़ा है। ये तो यहां तक कहते हैं कि नयी प्रायोजनाएं तब तक शुरू न की जाएं, जब तक सिंचाई के मौजूदा सभी साधनों का प्रयोग न किया जाने लगे। दूसरे लोगों का ख्याल यह है कि सिंचाई की उपयुक्त सुविधाएं अपेक्षाकृत बहुत थोड़ी हैं। इतनी सुविधाएं प्रयुक्त न होना तो साधारण बात ही है। हमारे देश के लिए भी जहां सिंचाई की सुविधाओं का तेजी से प्रयोग किया जाना चाहिए, वहां सिंचाई की सुविधाओं का इतना भाग बिना प्रयुक्त रहना साधारण बात ही है। इसलिए इस बात का वस्तुगत अध्ययन करना इस समय उपयुक्त ही रहेगा कि अब तक सिंचाई की कितने साधनों की व्यवस्था हो चुकी है, इसमें से कितने भाग का प्रयोग किया जाता है और इंजीनियर कौन से आवश्यक कदम उठाएं जिनसे सिंचाई के साधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जा सके।

सिंचाई के साधनों का आकलन

वर्तमान विवाद उठ खड़े होने के कारणों में से एक कारण सिंचाई की कुल क्षमता का अन्दाज लगाने का तरीका है। पहली आयोजना में शुरू की गई प्रायोजनाएं पूर्णतः तथा आंशिक रूप से पूरे होने से सिंचाई की कितनी व्यवस्था हो चुकी है, इसका हिसाब आयोजना आयोग ने राज्यों से मिली जानकारी के आधार पर लगाया था। यह जानकारी भी तुलनात्मक आधार पर नहीं बनायी गयी है। सिंचन सम्भावनाओं में 'संभावनाओं' शब्द का अर्थ भी एक सा नहीं लगाया जाता। इससे भिन्न अवसरों पर भिन्न आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रस्तुत लेख में सिंचन सम्भावनाओं की निम्न परिभाषा अपनायी गयी है—"वह भूमि जिसकी सिंचाई, प्रायोजनाएं पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से पूरी होने पर की जा सकेगी अर्थात् वह भूमि जिसके लिए नदी मोड़ कर या नदी बांधकर बनाये गये जलाशय से सिंचाई हो सकेगी या जिसकी सिंचाई के लिए नहरें बना दी गई हैं।" इस प्रकार भाखड़ा प्रायोजना के अधीन उस सारे इलाके की सिंचाई के लिए नहरें बना दी गयी हैं, जिसकी सिंचाई इस योजना के अन्तर्गत होगी। लेकिन अभी तक भाखड़ा बांध नहीं बना है और न जलाशय तैयार हुआ है। इसलिए अभी इस योजना से उतनी ही जमीन की सिंचाई हो सकती है जितनी नदी के वर्त्तमान पानी से सम्भव है। नदी के पानी के परिमाण में प्रतिवर्ष घट-बढ़ी होती रहती है। उदाहरण के तौर पर भाखड़ा बांध की सिंचाई क्षमता में से राजस्थान के हिस्से ५.७ लाख एकड़ भूमि सींचे जा सकने का अन्दाज आयोजना आयोग के अधिकारियों ने लगाया है जबकि भाखड़ा जलाशय के बिना उसे सिर्फ १.५ लाख एकड़ की सिंचाई के लिए ही पानी दिया जा सकता है। इस प्रकार सिंचाई की क्षमता और वास्तविक सिंचन सुविधाओं में ४.२ लाख एकड़ का अंतर है। इसी प्रकार काकरापाड़ा योजना में बांध तो तैयार हो गया है और पानी को मोड़ा भी जा सकता है लेकिन मुख्य नहरों में से सहायक नहरें निकालने का काम पूरा नहीं हुआ है इसलिए गणना के लिए सिंचाई की क्षमता उतनी ही मानी जा सकती है, जितनी भूमि के लिए नहरें तैयार हैं। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो सिंचाई की क्षमता से तात्पर्य है "सिंचाई की कारगर क्षमता।" विभिन्न राज्यों में सिंचाई की कितनी कारगर क्षमता उपलब्ध है, यह तालिका सं० १ में दिया गया है :

तालिका सं० १

भारत में सिंचाई की सुविधाएं और उनका उपयोग

राज्य	अंततः जितनी भूमि की सिंचाई हो सकेगी	मार्च १९५६ तक सिंचाई की क्षमता	मार्च १९५६ तक सिंचाई की सुविधाओं का उपयोग	मार्च १९५७ तक उपलब्ध सिंचाई की क्षमता	मार्च १९५७ तक सिंचाई की सुविधाओं का उपयोग	मार्च १९५७ के अन्त तक अप्रयुक्त सिंचाई क्षमता
	(…………	…………	लाख एकड़ों में	…………	…………	…………)
आंध्र	२.६४	०.८८	०.३७	१.९४	०.७३	१.२१
असम	—	—	—	—	—	—
बिहार	३ ९७	३.६	२.३१	३.६१	२.९५	०.६६
बम्बई	८.२७	१.१४	०.४७	१.५२	०.६९	०.८३
जम्मू और कश्मीर	०.२६	०.३६	०.११	०.३६	०.११	०.२५
केरल	१.३५	०.७४	०.७४	०.९०	०.९०	कुछ नहीं
मध्य प्रदेश	०.१०	०.१०	०.१०	०.१०	०.१०	कुछ नहीं
मद्रास	३.०३	२.०२	१.८०	२.५५	२.०८	०.४७
मैसूर	१०.९८	१.२८	०.६०	२.२२	१.०४	१.१८
उड़ीसा	६६.७२	कुछ नहीं	कुछ नहीं	० ८९	०.८९	कुछ नहीं
पंजाब	३८.५३	१६.२७	१४.५९	१८ ८५	१८.०३	०.८२
राजस्थान	६.९२	१.८५	१.८५	१.९७	१.९७	कुछ नहीं
उत्तर प्रदेश	१८.७८	१५.३१	३ ९४	१६.९२	६ ९६	९.९६
प० बंगाल	२०.७९	३.२९	२.२८	४.८७	२.६४	२.२३
योग	१२२.४४	४६.९४	२९.१६	५६ ७०	३९.०९	१७ ६१

नोट:—(१) ऊपर के आंकड़ों में नलकूप योजनाओं तथा छोटी सिंचाई योजनाओं से उपलब्ध सिंचाई क्षमता तथा वास्तविक सिंचाई के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं। प्रथम आयोजना में "मुख्य में सिंचाई क्षेत्र" के "अन्य योजनाएं" शीर्षक के अंतर्गत इनका उल्लेख आया है।

(२) *अंततः सिंचाई को जितनी क्षमता प्राप्त होगी तथा मार्च १९५७ तक जितनी क्षमता उपलब्ध हुई, इनके बीच ६५ लाख एकड़* का अन्तर है। यह कमी मुख्य रूप से बड़ी बड़ी आयोजनाओं जैसे भाखड़ा, दामोदर घाटी निगम, हीराकुड, काकरापाड़ा, तुंगभद्रा, तथा मयूराक्षी के कारण है जिनसे अभी ५३ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई क्षमता विकसित होनी शेष है।

आयोजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि मार्च १९५६ तक ५३ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकती थी जिसमें से ३० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी जबकि केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के अनुमान से ४७ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकने की क्षमता मौजूद है और २९ लाख एकड़ भूमि की वास्तव में सिंचाई होती थी। दोनों ही संस्थाओं के अनुमानों में से नलकूपों तथा छोटी सिंचाई योजनाओं से हो सकने वाली तथा वास्तव में होने वाली सिंचाई के आंकड़े शामिल नहीं हैं। पहले ये योजनाएं पहली आयोजना के अंतर्गत मुख्य सिंचाई क्षेत्र में थी और अब उसमें से निकाल ली गई है तथा इसका काम कृषि मन्त्रालय को सौंप दिया गया है।

यहां ध्यान देने योग्य दिलचस्प बात यह है कि सिंचाई की सुविधाएं प्रयोग करने के आंकड़े दोनों अनुमानों में बराबर ही है, लेकिन सिंचाई की क्षमता के आंकड़ों में बहुत अन्तर है।

सिंचाई क्षमता का प्रयोग धीरे धीरे सम्भव

भारत में इस सदी के पूर्वार्द्ध में कुछ नहर प्रणालियों के अंतर्गत हुए सिंचाई साधनों के विकास का सिंहावलोकन करना अनुपयुक्त न होगा। १९२६ में बनी प्रवर नहरों से ५७,००० एकड़ भूमि सींची जा सकती थी लेकिन पहले दस वर्षों में सिर्फ ५० प्रतिशत साधनों का

प्रयोग किया गया था। मैसूर प्रायोजना के अंतर्गत २० साल बाद भी ७० प्रतिशत से अधिक भूमि की सिंचाई आरम्भ नहीं हुई थी। केन और नीरा नहरों की स्थिति भी यही रही थी।

अमेरिका जैसे आर्थिक प्रगति में आगे बढ़े-चढ़े देशों में उपलब्ध सिंचाई-साधनों का प्रयोग आरम्भ होने में समय लगता है। अमरीकी ब्यूरो आफ रिक्लेमेशन के श्री नेलसन ने 'पानी और हमारा भविष्य' (वाटर एण्ड अवर फ्यूचर) में लिखा है कि "सिंचाई प्रायोजनाएं न तो रातोंरात बनायी जाती, न ठीक की जाती हैं और न उनसे पूर्ण उत्पादन आरम्भ होता है। इनके लिये कम से कम २ से लेकर २० वर्ष तक और कभी कभी इससे भी अधिक समय की आवश्यकता होती है। स० रा० अमेरिका की कुछ प्रायोजनाओं के विकास का स्वरूप तालिका सं० २ में दिखाया गया है। इस तालिका में कोलम्बिया बेसिन प्रोजेक्ट का विकास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस प्रायोजना से १० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है लेकिन १९५२ में सिर्फ १५,००० एकड़ भूमि सींची गयी और १९५५ में ३॥ लाख एकड़ की सिंचाई होने लगी थी हालांकि इसका ग्रांड कूली बांध १९४२ में बनकर पूरा हो गया था।

तालिका सं० २

सं० रा० अमेरिका की कुछ योजनाओं के विकास की गति

प्रायोजना का नाम	सिंचाई की कुल क्षमता (लाख एकड़ों में)	विकास
साल्ट रिवर प्रायोजना (एरिजोना)	२.१३	योजना पूरी होने के ६ साल बाद पूरा विकास
याकीमा (वाशिंगटन)	२.६२	योजना पूरी होने के १२ साल बाद ८७ प्रतिशत विकास
रियो ग्रांडे (न्यू मैक्सिको—टैक्सास)	१.५५	योजना पूरी होने के २१ साल बाद ७५ प्रतिशत ,,
क्लामथ (ओरगन—कैलिफोर्निया)	०.८	योजना पूरी होने के २६ साल बाद ८३ प्रतिशत ,,
ओवेही (ओरगन—इडाहो)	१.१	योजना पूरी होने के १२ साल बाद १२ प्रतिशत ,,
सेण्ट्रल वैली (कैलीफोर्निया)	७.० (१९५७ में)	सिंचाई शुरू होने के १० साल बाद ६७ प्रतिशत ,,
कोलम्बिया बेसिन (वाशिंगटन)	१.६* (१९५४ में)	सिंचाई शुरू होने के ६ साल बाद ५५ प्रतिशत ,,

*इस योजना के जलाशय में पानी से १० लाख एकड़ की सिंचाई हो सकती है।

उपयोग में विलम्ब अनिवार्य

इससे प्रकट होगा कि अतीत काल में सिंचाई की सुविधाओं का पूरा पूरा प्रयोग होने लगने में १० वर्ष से भी अधिक और कभी कभी २० वर्षों से भी अधिक समय लगता है। पहले की अपेक्षा आजकल सिंचाई प्रायोजनाओं पर अधिक धन खर्च किया जा रहा है और आज अन्न का उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, इन तथ्यों को अनुभव करते हुए, इस बात पर बड़ा जोर दिया जाने लगा है कि सिंचाई साधनों का जल्दी से जल्दी अधिकाधिक उपयोग किया जाए। फिर भी सिंचाई के साधनों का पूरा पूरा उपयोग करने में समय तो लगेगा ही। किसी भी हालत में यह तो संभव न होगा कि सिंचाई की उपलब्ध क्षमताओं का तत्काल पूरा पूरा प्रयोग होने लगे। अनेक कठिनाइयों का आना तो इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग है जिन्हें हर व्यवहार निपुण इंजीनियर को अनुभव करना ही होता है। नयी बनी नहरों का परीक्षण करने में और यह पक्का करने में कुछ समय लगेगा कि ये वांछित परिमाण में पानी ले जा सकेंगी या नहीं। नहरें कई जगह से टूट सकती हैं और उनमें पूरा पानी छोड़ने से पहले उन्हें ठीक किया जाता है। कुछ वर्षों में पानी छोड़ने से पहले, उनकी भलीप्रकार देखभाल करनी होती है, भले ही उनका कितनी ही सावधानी से पहले क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्यों न किया गया हो। खुद किसान को अपना खेत तैयार करने में समय लगता है। विशेषरूप से उस समय जब भूड़ किस्म की जमीन की या पठारी ऊबड़-खाबड़ जमीन की सिंचाई करनी हो, जैसे दक्षिण भारत की जमीन को समतल करने की आवश्यकता होती है। किसान से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह पहले ही से तैयार रहे और नहरों में पानी आने से पहले ही खेत को पानी प्रयोग करने के लिए तैयार कर ले। इसके अतिरिक्त किसानों को बैल, खाद तथा खेती के औजार खरीदने के लिए धन जुटाना पड़ता है जिस से उन्हें अपने बजट में खींचतान करके तालमेल बैठानी होती है। इसलिए यह समझ लेना बहुत ही आवश्यक है कि सिंचाई की व्यवस्था हो जाने पर उसका प्रयोग करने में सामान्यतः कुछ समय लगता है और यह अवधि कम से कम ५ वर्ष मानी जा सकती है।

मार्च १९५७ के अन्त तक ५६.७ लाख एकड़ तक सिंचाई हो सकने की व्यवस्था हो गयी थी इसमें से ३९.१ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हुई थी और १७.६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई क्षमता का प्रयोग नहीं किया जा सका। इस प्रकार पिछले दो तीन सालों में सिंचाई की जो कारगर क्षमता उपलब्ध हो सकी है (जो मुख्यरूप से प्रथम पंचवर्षीय आयोजना में शुरू हुई योजनाओं से हुई है) उसका लगभग ७० प्रतिशत भाग ही प्रयोग किया जा सका है। वास्तव में जितनी सिंचाई हो सकी है, उसकी तुलना उससे पिछली साल मौजूद सिंचन-क्षमता से करनी चाहिए। इस प्रकार मार्च १९५७ तक ३९.१ लाख एकड़ की सिंचाई हुई थी जबकि मार्च १९५६ तक ४६ ६ लाख एकड़ की सिंचन क्षमता थी। इस प्रकार उपलब्ध क्षमता का ८४ प्रतिशत प्रयोग किया गया। साधारण अवस्था में सिंचन क्षमता का इतना उपयोग एक सफलता समझी जानी चाहिए थी। और यह कहना ठीक नहीं समझा जा सकता कि भारत में सिंचाई प्रायोजनाओं का पूरा प्रयोग नहीं हो रहा है इसलिए नयी प्रायोजनाएं चालू करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रयोग बढ़ाने के लिए कदम

प्रायोजनाओं से सिंचाई के लिए जो जल उपलब्ध है, उसका पूरा पूरा प्रयोग पांच सालों के अन्दर करने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं।

नालियां खोदना—खेतों तक पानी पहुँचाने वाली नालियों के अभाव के कारण कुछ प्रायोजनाओं के पानी का प्रयोग नहीं हो सका। यह भी बताते हैं कि कुछ प्रायोजनाओं, जैसे हीराकुड, के पानी का प्रयोग तेजी के साथ हो सका है, इसका कारण यह है कि सरकार ने वहां नालियां आदि बनवा रखी थीं। आमतौर पर ये नालियां किसान बनवाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में नालियों की परिभाषा अलग अलग है। १ क्यूजिक (घन फुट प्रति सैकेंड) से ५ क्यूजिक तक पानी बहा ले जा सकने वाली नालियां इस श्रेणी में रखी जाती हैं। अगर नालियों की एक सी परिभाषा भारत भर के लिए अपना ली जाये तो बहुत उपयोगी रहे। हम उसे 'नाली' कह सकते हैं जिसमें १ क्यूजिक पानी निकल सके। इतनी नाली तक की तो सरकार खुदाई करवा सकती है लेकिन इससे बड़ी नाली होने पर सरकार उसमें सिर्फ सहायता कर सकती है। यह २५ एकड़ तक जमीन हासिल करने में मदद देगी, लेकिन वह इन्हें बनवाएगी नहीं। अगर सरकार इन्हें बनवाती भी है तो लोगों की आत्म प्रेरणा तथा आत्म निर्भरता की भावना समाप्त हो जाएगी जिसे इस देश में इतनी सदियों से भली प्रकार पाला पोसा जा रहा है। किसी विशेष प्रायोजना के अन्तर्गत कारणों की जांच किये बिना हमें नालियां खोदने का काम दौड़ कर अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये नालियां तथा बम्बे बनाने में बहुत बड़ी धन राशि फंस जाएगी और इन नालियों पर लगा रुपया किसानों से वसूल करना कठिन काम होगा। यह सभी मानते हैं कि अगर सरकार नालियां बनवाएगी तो इनकी लागत किसानों द्वारा नालियां बनाने की अपेक्षा अधिक आएगी। इसलिए जब तक बहुत ही असाधारण स्थितियां न हों, तब तक सरकार द्वारा इन नालियों के निर्माण को प्रोत्साहन देना वाछनीय नहीं है।

जल-कर

यह पाया गया है कि पानी का प्रयोग मुख्य रूप से उन इलाकों में नहीं किया गया है, जहां अनिवार्य रूप से जल कर नहीं लगता। आम तौर पर दक्षिण भारत की सभी सिंचाई प्रायोजनाओं के लिये अनिवार्य जलकर लगता है। इससे यह होता है कि किसान समय पर और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पानी ले लेता है। अगर पानी लेने और उसके लिए कर देने का फैसला खुद किसान पर छोड़ दिया जाता है, तो वह पानी तभी लेता जब वर्षा नहीं होती है। जगह-जगह नहरें और बम्बे काट लिये जाते हैं, जिससे कितनी जमीन की वास्तव में सिंचाई हुई, इसके ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं होते। इसलिए इस बात पर जोर दिया जाना जरूरी है कि आयोजनाओं के अन्तर्गत बनायी जाने वाली सभी प्रायोजनाओं के लिए जल कर अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाना चाहिए, चाहे फिर किसी साल विशेष में पानी लिया गया हो या न लिया गया हो।

नहरें न बनना

ऐसे भी कुछ मामले हो सकते हैं, जहां हैड वर्क्स तो बन गये हों लेकिन उसके लिए नहरें बनकर तैयार न हुई हों। जाहिर है कि नहरें बन जाने पर ही सिंचाई की क्षमता पूरी तरह सुलभ हुई समझी जा सकती है। पहले ऐसे कुछ मामले हुए हैं जैसे भाकरापाड़ा में, जहां बांध तो बंध गया है, और काफी धन खर्च हो गया तथा काफी काम हो गया है, फिर भी इससे उतनी भूमि के पांचवे भाग की भी सिंचाई नहीं हो सकी है, जितनी इसके पानी से अवश्य होगी। इसका कारण यह है कि मुख्य नहर तथा छोटी नहरों पर निर्माण-कार्य पूरा नहीं हो सका है। ऐसे मामलों में बांध के आसपास के इलाके की नहरों को पहले पूरा किया जा सकता है और दूरवर्ती भागों पर काम बाद में हो सकता है।

दूरवर्ती इलाकों में पानी पहुँचाने के लिए बम्बे आदि बनवाने में कई वर्ष लगते हैं इसलिए समय पर काम पूरा करने के लिए यह जरूरी होता है कि काम पहली साल से ही शुरू कर दिया जाए। बांध से उपलब्ध पानी का प्रयोग हो सकने के लिए नहर-प्रणाली निर्माण की योजना तैयार करने के लिए इस बात की सही जानकारी होनी जरूरी है कि प्रतिवर्ष इस काम के लिए कितना धन उपलब्ध हो सकेगा। शायद यही बात है जिसे हमने पिछले दिनों, कम से कम समय में अधिक से अधिक काम करने की जल्दी में, नजरन्दाज कर दिया है।

इंजीनियर का काम

सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी का प्रयोग करने में विलम्ब होने के जो कारण हैं, उनमें से इंजीनियर से सम्बन्ध रखने वाली बात है नहरों के निर्माण की समुचित योजना बनाना जिससे बांध से दूर के इलाकों में पानी पहुँचाने के लिए समय पर नहरें बनकर पूरी हो जाएं।

मार्च ५७ तक १७.६ लाख एकड़ भूमि सींचने की जो क्षमता बिना प्रयुक्त पड़ी रही, उसका विश्लेषण करने से पता चलता है कि इसमें से १० लाख एकड़ की क्षमता उत्तर प्रदेश में बेकार पड़ी रही। उत्तर प्रदेश में इंजीनियरों ने हाल में सिंचाई क्षमता का दुबारा जो अंदाज लगाया है, उसके अनुसार मार्च १९५७ तक के लिए ३.६ लाख एकड़ सिंचाई-क्षमता का अधिक अंदाज लगाया गया था। पहले जो बताया गया है कि १० लाख एकड़ की सिंचाई क्षमता उत्तर प्रदेश में बेकार पड़ी रही, उसमें से इसे घटा देना चाहिए। पता चला है कि १९५७-५८ से इस अप्रयुक्त सिंचाई क्षमता में से आधे से अधिक का प्रयोग कर लिया गया है और बाकी को प्रयोग करने में विलम्ब इसलिए हुआ है कि वहां समुचित नहरें, बम्बे या नालियां नहीं बनायी गयीं तथा पानी के प्रयोग होने लगने में कुछ समय लगता है। मयूराक्षी तथा दामोदर घाटी निगम प्रायोजनाओं से करीब २॥ लाख एकड़ की सिंचाई क्षमता अभी प्रयोग नहीं की गयी। इसका कारण यह है कि समय पर पानी बरस जाने से नहरी पानी की जरूरत नहीं पड़ी। तुंगभद्रा योजना में करीब १.७ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए पानी प्रयोग नहीं किया गया। इसका कारण यह कि सूखा वाले इलाके में पहली बार पानी पहुँचने पर उसका प्रयोग सिखाने में कठिनाई आयी। लेकिन यहां यह बात ध्यान में रखने की है कि तुंगभद्रा जलाशय का पानी बेकार नहीं गया क्योंकि उसे कृष्णा डेल्टा में चावल की दूसरी फसल उगाने के लिए प्रयोग किया जाता है।

हीराकुड, काकरापारा, तुंगभद्रा, दामोदर घाटी निगम तथा मयूराक्षी प्रायोजनाओं के लिए सारी नहरें बनकर अभी तैयार नहीं हो हैं। अगर नहर बनाने के इस काम को प्राथमिकता दी जाए तो सिंचाई-क्षमता का प्रयोग बढ़ सकता है क्योंकि इन प्रायोजनाओं के जलाशय बनकर तैयार हो गये हैं।

निष्कर्ष

यहां यह बात उल्लेखनीय है कि पहली आयोजना में शुरू की गयी प्रायोजनाओं को पूरा करने के लिए जो ८६७ करोड़ रु० खर्च किये जाने हैं, उनमें से आधे से कुछ ही अधिक धन मार्च ५७ तक खर्च किया जा सका है। इससे प्रकट है कि बहुत सी बड़ी प्रायोजनाएं अभी बन कर तैयार नहीं हुई हैं। उनका जो भी भाग तैयार हुआ है और उनसे सिंचाई की जो क्षमता उपलब्ध हुई है उसमें से ७० प्रतिशत का प्रयोग होने लगना वास्तव में बहुत ही बड़ी बात है। इससे प्रकट है कि सिंचाई साधनों का प्रयोग करने के लिए किसान कितने उत्सुक हैं। इससे यही एक निष्कर्ष निकलता है कि सिंचाई की और अधिक प्रायोजनाएं हाथ में ली जाएं जिससे पानी प्रयोग करने की वर्तमान गति बनी रहे और अधिक बढ़ सके ताकि देश में अन्न की खपत की तुलना में उसके उत्पादन में जो कमी है, वह पूरी की जा सके। कुछ ही योजनाएं ऐसी हैं जिनमें किसानों ने कठिनाइयों तथा गरीबी के कारण पानी प्रयोग नहीं किया है।

पहली आयोजना की प्रायोजनाओं से २ करोड़ २० लाख एकड़ भूमि सींची जा सकेगी। जिन योजनाओं से पानी मिलना शुरू हो गया है, उनसे अंततः १ करोड़ २० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी लेकिन अभी तक इससे आधी जमीन की ही सिंचाई होती है। सिंचाई साधनों का पूरा पूरा प्रयोग करने के लिए जाहिर है कि नहर निर्माण कार्य की रफ्तार तेज करनी होगी। यहां यह जोर देकर कहा जा सकता है कि सिंचाई की जितनी कारगर क्षमता उपलब्ध है, उसे प्रयोग करने में देश पीछे नहीं है। इसके विपरीत अभी तक सिंचाई की क्षमता का प्रयोग सही दिशा में चल रहा है। इससे यह बात उचित ठहरती है कि दूसरी आयोजना में जो नयी योजनाएं चालू करने का विचार किया गया है, उन पर और खर्च किया जाना चाहिए तथा अधिक से अधिक अन्न पैदा किया जाना चाहिए जिससे गल्ला आयात करने पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचायी जा सके। प्रथम आयोजना में चालू की गयी योजनाएं पूर्ण करना ही गल्ले की कमी दूर करने के लिए पर्याप्त न होगा। बल्कि अगर दूसरी आयोजना में सम्मिलित मध्यम आकार की सिंचाई योजनाएं भी पूरी कर ली जाएं तो संभव है कि गल्ले की कमी दूर हो सके। आबादी बढ़ने से गल्ले की जो मांग बढ़ेगी वह तभी पूरी हो सकेगी जब आने वाले वर्षों में और प्रायोजनाएं शुरू की जाएं।

('भागीरथ' से साभार)

हमारे नये बाट और उनके प्रयोग की समस्या

★ श्री के० श्रीनिवास राव, विकास अफसर (मैट्रिक) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

मीटर प्रणाली अपनाकर भारत सरकार ने एक ऐसा सुधार शुरू किया है जिसका बहुत व्यापक और अच्छा फल होगा। यह सुधार जब पूरी तौर पर अमल में आ जायगा तो सारे देश में पहली बार एक से बाट और पैमाने चलने लगेंगे जिससे हमारे सभी तरह के कामों में बड़ी आसानी हो जायगी। आजकल के युग में इतना बड़ा सुधार एक रूस को छोड़कर और किसी देश में नहीं हुआ है। रूस ने १९१९ में अपने यहां मीटर प्रणाली चलाने का निश्चय किया और उसे पूरी तौर पर अमल में लाने में लगभग १५ वर्ष लगाये। हमने भारत में इसे केवल १० वर्ष में ही पूरी तौर पर चालू कर देने का निश्चय किया है। रूस की तुलना में हमारे आगे यह कठिनाई भी है कि १९१९ में रूस उद्योगों की दृष्टि से जितना आगे था उससे कहीं अधिक आगे आज भारत है। इसलिये नये बाट चलाने की समस्या हमारे आगे रूस की अपेक्षा अधिक टेढ़ी है। इतने पर भी हमें अपना काम १९६६ से पहले कर डालना है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि यदि हमारे उद्योगों के आगे नयी प्रणाली चलाने से जो समस्याएं उठ खड़ी होंगी उनका शीघ्र और सन्तोषजनक हल हो गया तथा देश की जनता ने हृदय से सहयोग दिया तो यह परिवर्तन कर लेना हमारे लिये कोई कठिन काम नहीं होगा। किसी भी पुरानी प्रणाली बदलने के समय कुछ न कुछ विरोध होता ही है। इस विरोध को दूर अथवा कम करने के लिये जनता को अपने साथ ले लेना आवश्यक है। इसलिये इस परिवर्तन को धीरे-धीरे और क्रमशः करना उचित होगा। सरकार यही करने की कोशिश कर रही है और उसने इस परिवर्तन को क्रमशः करने के लिये सभी सम्बद्ध लोगों से परामर्श किया है।

मीटर प्रणाली के बाट तथा पैमानों का लोगों के नित्यप्रति के सौदों पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिये इस बारे में विचार कर लेना भी उचित ही होगा। चूंकि १ अक्तूबर १९५८ से केवल मीटर प्रणाली के बाट ही चलने आरम्भ होंगे और पैमाने बाद को चलाये जायेंगे, इसलिये इस लेख में केवल बाटों की समस्या पर ही विचार किया जायगा।

बाटों की जांच का प्रबन्ध

बाटों को ठीक तौर से चालू रखने के लिये किसी प्रतिमानित बाट से मिलाकर जांच करते रहना आवश्यक होता है। इस प्रतिमानित बाट की किसी अन्य शुद्ध बाट से भी जांच की जाती है। अन्त में जाकर उस बाट से मिला करके जांच कर ली जाती है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से शुद्ध और प्रतिमानित माना जाता है। मीटर प्रणाली के बाटों और पैमानों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिमान मीटर और किलोग्राम के वे आद्यरूप हैं जो फ्रांस के सेवरे नामक स्थान पर बाट और पैमानों के अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो में रखे हुए हैं। भारत के लिये इनके जो राष्ट्रीय आद्यरूप बनाये जायेंगे वे इन्हीं अन्तर्राष्ट्रीय रूपों से बिलकुल मिलते जुलते हुए होंगे। इन्हें नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में रखा जायगा। इन आद्यरूपों से भौतिक प्रयोगशाला केन्द्रीय प्रतिमान बनायेगी, जिनका प्रयोग निर्देश प्रतिमानों की परीक्षा करने के लिये किया जायगा। इस प्रकार राष्ट्रीय आद्यरूपों का प्रयोग केवल कभी-कभी ही किया जाया करेगा। हमारे राष्ट्रीय आद्यरूपों की जांच हर दसवें वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय आद्यरूपों से मिलान करके कर ली जाया करेगी।

बाटों के निर्देश प्रतिमान राज्यों में रखे जायेंगे और उनसे मिला कर गौण प्रतिमानों की जांच की जाया करेगी। निर्देश प्रतिमान के बाटों का सैट अत्यन्त शुद्ध बनाया जायगा और इसकी जांच राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में रखे जाने वाले केन्द्रीय राष्ट्रीय प्रतिमान से मिलान करके की जाया करेगी। निर्देश प्रतिमान प्रत्येक राज्य को दिये जायेंगे और उनमें से होने वाली त्रुटियों की प्रामाणिक सूची भी साथ में बनाकर दे दी जायगी। इन्हें प्रत्येक राज्य के बाट और पैमाना विभाग में रखा जायगा। केन्द्रीय प्रतिमानों के साथ मिलान करके इनकी जांच हर पांचवें साल ही की जाया करेगी।

गौण प्रतिमानों का प्रयोग

गौण प्रतिमानों का प्रयोग कामकाजी प्रतिमानों की जांच करने के लिये किया जाया करेगा। इन्हें बाट और पैमाना विभाग की जिला

प्रयोगशालाओं में रखा जायगा। राज्यों की राजधानियों में रखे जाने वाले निर्देश प्रतिमानों से मिलान करके हर पांचवें वर्ष इनकी जांच की जाया करेगी।

अब हम कामकाजी प्रतिमान के बारे में विचार करते हैं। बाजारों में चलने वाले बाटों की जांच इसी कामकाजी प्रतिमान से मिलान करके की जाया करेगी। व्यापारियों द्वारा काम में लाये जाने वाले प्रत्येक बाट की शुद्धि को प्रमाणित किया जायगा। उसके शुद्ध सिद्ध हो जाने पर अधिकारीगण उस पर अपनी मोहर लगा दिया करेंगे। इसलिये प्रत्येक इन्सपेक्टर के पास कामकाजी प्रतिमान के बाटों का एक सैट रहा करेगा। कामकाजी प्रतिमानों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ करेगा। इसलिये गौण प्रतिमानों से मिलाकर इनकी शुद्धता की जांच जल्दी-जल्दी होनी चाहिए। इस जांच के लिये १२ महीने अथवा उससे भी कम की अवधि रखी गई है। ये कामकाजी प्रतिमान सम्भ अशुद्धियों को ध्यान में रखते हुए टकसालों में तैयार किये जा रहे हैं और प्रत्येक राज्य को दिये जा रहे हैं।

इस प्रकार विभिन्न प्रतिमानों की स्थिति इस प्रकार रहेगी:—

अन्तर्राष्ट्रीय आद्यरूप
(बाट तथा पैमानों का अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो, सेवरे फ्रांस)

राष्ट्रीय आद्यरूप
(राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली)

केन्द्रीय प्रतिमान
(राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली)

निर्देश प्रतिमान
(राज्यों की राजधानियों में। हर पांचवें वर्ष जांच)

गौण प्रतिमान
(क्षेत्रों के प्रधान केन्द्र पर। हर पांचवें वर्ष जांच)

कामकाजी प्रतिमान
(प्रत्येक इन्सपेक्टर के पास एक सैट। १२ महीनों में एक बार जांच)

व्यापारियों द्वारा काम में लाये जाने वाले बाट
(बनने के बाद जांच और मोहर। इसके बाद हर दूसरे वर्ष फिर जांच)

प्रतिमानित बाटों की प्राप्ति

बाटों के अन्तर्राष्ट्रीय आद्यरूप उनके अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो में सुरक्षित हैं। इनके बाद भारतीय आद्यरूपों का स्थान है।

अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो से इन्हें प्राप्त करना है और इसके लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। परन्तु भारत भेजे जाने से पहले इनकी अन्तर्राष्ट्रीय आद्यरूपों से भली प्रकार मिलान करके परीक्षा कर ली जायगी। यह काम इस समय हो रहा है और आशा है कि हमारे बाटों के राष्ट्रीय आद्यरूप हमें यह वर्ष समाप्त होने तक मिल जायेंगे।

अब निर्देश, गौण और कामकाजी प्रतिमानों को लीजिये। इन प्रतिमानों के बाटों को भी अत्यन्त शुद्ध बनाने की आवश्यकता है। भारत सरकार की टकसालें ही ऐसे शुद्ध बाट तैयार कर सकती हैं। इसलिये उन तीन प्रकार के प्रतिमानित बाटों का निर्माण कार्य सरकारी टकसालों को सौंपना पड़ा है। टकसालें जितनी जल्दी ये बाट तैयार करके दे देंगी उतनी ही जल्दी देश में मीटर प्रणाली के बाट चालू किये जा सकेंगे। यही कारण है कि १ अक्टूबर १९५८ से केवल कुछ क्षेत्रों में ही मीटर प्रणाली के बाट चालू किये जा रहे हैं। इसके बाद इन क्षेत्रों को जितनी जल्दी हो सकेगा बढ़ाया जायगा। कुछ क्षेत्रों में नये बाट चालू किये जाने से जनता को इनसे परिचित होने में भी सुविधा रहेगी। इसके साथ ही यह भी पता चल सकेगा कि जनता का इनके विषय में क्या मत रहता है।

जांच का प्रबन्ध

अनुमान है कि समस्त राज्यों में बाट और पैमानों के जो विभाग खोले जा रहे हैं उन्हें पूर्णतः सुसज्जित करने के लिये निर्देश प्रतिमानों के १६ सैट, गौण प्रतिमानों के ३०० सैट और कामकाजी प्रतिमानों के १००० से अधिक सैटों की आवश्यकता होगी। इनमें से १६ निर्देश प्रतिमान तैयार हो चुके हैं। जहां तक गौण प्रतिमानों का सम्बन्ध है आरम्भ में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को इनका केवल एक सैट दिया जा सकेगा। यह सैट किसी केन्द्रीय स्थान में रखा जायगा जिससे इंसपेक्टर उनके साथ मिलान करके कामकाजी प्रतिमानों की जांच कर सकें। इससे शुरू में इन्सपेक्टरों को कुछ असुविधा अवश्य होगी परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय भी नहीं है।

कामकाजी प्रतिमानों का प्रतिदिन प्रयोग होगा। इसलिये इन्हें अधिक से अधिक इन्सपेक्टरों को दिया जायगा। सरकारी टकसालें कामकाजी प्रतिमानों के बाट तैयार करने का ही प्रयत्न कर रही हैं। आशा है कि अप्रैल १९५८ तक कामकाजी प्रतिमान के लगभग २०० सैट उपलब्ध हो जायेंगे और अप्रैल १९६० तक इनकी आधी आवश्यकता पूरी हो जायगी। शेष आधी आवश्यकता १९६० के कुछ दिन बाद ही पूरी हो जायगी। १ अक्टूबर १९५८ को जितने सैट उपलब्ध होंगे उन्हें राज्यों की प्रारम्भिक आवश्यकताओं के अनुसार उनमें बांट दिया जायगा।

प्रतिमानित तराजुएं

बाटों की जांच करने के लिये शुद्ध तराजुओं की आवश्यकता होती है और इन्हीं तराजुओं की कमी के कारण मीटर प्रणाली के बाटों को चालू करने में कुछ विलम्ब हो सकता है। हमारे पास समय कम है और इतने कम समय में ये तराजुएं आवश्यक संख्या में तैयार नहीं की जा सकतीं, क्योंकि देश में इन्हें तैयार करने वाले निर्माताओं की

भी बहुत कमी है। आमकाजी प्रतिमानों से मिलान करके व्यापारियों के बाटों की जाच करने के लिये भी बहुत सी तराजुओं की आवश्यकता होगी। सौभाग्य से बम्बई, बिहार, पंजाब, मैसूर, आन्ध्र और दिल्ली में पहले से ही बाट और पैमाना विभाग मौजूद हैं। इनके पास जाच करने योग्य तराजुएं हैं परन्तु ये मीटर प्रणाली की नहीं हैं। परन्तु इनसे शुरू में काम चलाया जा सकता है। नयी तरह की तराजुएं उन राज्यों को दी जा सकती हैं जहां अभी तक बाट और पैमाना विभाग नहीं है। इन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में आसाम, केरल, मद्रास, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल इत्यादि सम्मिलित हैं। जब तराजुएं अधिक संख्या में बनने लगेंगी तो इन्हें सभी राज्य अपनी आवश्यकतानुसार ले सकेंगे। अनुमान है कि अगले ३ या ४ वर्षों में तराजुओं के कुल १०० सैटों की आवश्यकता होगी। प्रत्येक सैट में विभिन्न प्रकार की ४ तराजुएं होंगी। आशा है कि तराजुओं के निर्माता निर्माण कार्य को तेजी से करके यह आवश्यकता शीघ्र पूरी कर देंगे।

ऊपर बताया जा चुका है कि नये बाट १ अक्तूबर १९५८ से केवल चुने हुए जिलों और क्षेत्रों में ही चालू किये जायेंगे। दो वर्ष तक उनके साथ पुराने बाट भी चलते रहेंगे। अन्य देशों में अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि व्यापारी लोग पुराने बाटों से ही तब तक काम चलाते रहते हैं जब तक कि उनके हट जाने का अन्तिम समय नहीं आ पहुँचता। वे यह नहीं सोचते कि अन्त में ऐसा करने से बड़ी असुविधाएं होती हैं। इसलिये हमें यह समस्या या तो जनता को समझा बुझा कर उसकी सद्भावना के साथ सुलझानी होगी अथवा ऐसी दशा उत्पन्न करनी जबकि पुराने धीरे धीरे अपने आप कम होने चले जाय। उचित तो यह होगा कि ये दोनों ही उपाय काम में लाये जाय।

जहां कानून लागू है

कुछ राज्यों में बाट तथा पैमाने सम्बन्धी कानून पहले से ही मौजूद हैं। इनके द्वारा बाटों की जाच करके उन पर मोहर लगाने का प्रबन्ध है। इन राज्यों में व्यापारियों को नये बाट यथासम्भव जल्दी से जल्दी काम में लाने के लिये तैयार कर लेना चाहिए। जनता से भी अनुरोध करना चाहिए कि वह नये बाटों से तोलवा कर ही सामान खरीदा करे। व्यापारियों को उचित है कि जब उनके पुराने बाटों की जाच का समय आये तो वे नये बाट खरीद कर उनका प्रयोग करने लगें। बाट बनाने वालों को चाहिए कि वे पुराने बाटों का बनाना बन्द करके नये बाटों का निर्माण आरम्भ करदें, क्योंकि एक समय के बाद जब उन्हें पुराने बाट बेचने की अनुमति नहीं दी जायगी तो उनके पुराने बाटों का स्टाक बेकार पड़ा रहेगा और इस तरह उन्हें हानि उठानी पड़ेगी। इस प्रकार एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिए जिसमें पुराने बाट गायब हो जाय और उनके स्थान पर नये बाट चलने लगें।

जिन राज्यों में बाट और पैमानों सम्बन्धी कोई कानून अभी नहीं है उनमें नये बाटों को चलाना अपेक्षाकृत आसान होगा। उन राज्यों में अभी बाटों की जांच करके मोहर नहीं लगाई जाती। इनमें १ अक्टूबर १९५८ से ६ महीने अथवा एक वर्ष की ऐसी अवधि निश्चित की जा सकती है जिसके अन्दर-अन्दर सब लोग अपने पुराने बाटों को हटाकर नये बाट चलाने लगें। जिन क्षेत्रों में नये बाट चलाये जाय उनमें इस अवधि के बाद किसी को पुराने बाट काम में लाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से बाटों के निर्माता भी अपने आप पुराने बाट बनाना बन्द करके नये बाट बनाने लगेंगे। बिना मोहर वाले और अनधिकृत बाटों का उपयोग भी इन क्षेत्रों में रोकना चाहिए। दिल्ली में १९५२ में जब उड़ीसा बाट और पैमाना अधिनियम लागू किया गया था तो यही उपाय किया गया था और इसका फल भी अच्छा हुआ था। परन्तु यह सब कुछ करने से काफी पहले नये बाटों के बारे में सुचार होना चाहिए और इनकी सूचना भी अक्टूबर १९५८ से पहले दे दी जानी चाहिए जिससे जनता अकस्मात नये बाट आ जाने से कष्ट अनुभव न करे।

तोलने की मशीनें

बाटों के साथ ही तोलने की मशीनों का भी प्रश्न है, जिनमें प्लेटफार्म मशीनें, वे ब्रिज, स्टीलयार्ड, काउण्टर मशीनें आदि उल्लेखनीय हैं। ये एक नयी श्रेणी में आती हैं और एक बार खरीद लेने के बाद बहुत वर्षों तक काम देती हैं। इसलिए उन सबको हटा देना उचित नहीं होगा। परन्तु इनमें मीटर प्रणाली के बाटों के चिन्ह अंकित किये जा सकते हैं और इस प्रकार ये नयी प्रणाली की बन जायगी। इसके उपाय भारतीय मानक संस्था कर रही है। जो व्यक्ति ऐसी नयी मशीनें लगाना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे अब मीटर प्रणाली मशीनें खरीदें। जब तक पुरानी मशीनों को बदल कर मीटर प्रणाली का नहीं कर लिया जाता तब तक परिवर्तन तालिकाएं काम में लायी जानी चाहिए।

परिवर्तन काल में

नये सिक्कों के बारे में प्रायः ही कहा जाता है कि पुराने सिक्कों को एकदम हटा कर उनके स्थान पर नये सिक्के चला देने चाहिएं। परन्तु यह टकसालों की नये सिक्के बनाने की क्षमता पर निर्भर है। नये सिक्के एकदम इतने परिमाण में नहीं ढाले जा सकते कि पुराने सिक्कों के बिना काम चल जाय। यही बात बाटों पर भी लागू होती है। नये बाट चालू हो जाने पर जनता पुराने बाट छोड़ कर जल्दी से जल्दी नये बाट ले लेने को उत्सुक हो सकती है और इस प्रकार दो तरह की प्रणालियों की गड़बड़ी से मुक्त हो जाना चाह सकती है। इस प्रकार उसे परिवर्तन तालिकाओं का प्रयोग भी नहीं करना पड़ेगा। सौभाग्य से देश में बाट बनाने की काफी क्षमता मौजूद है। इसलिये नये बाट अपेक्षाकृत कम समय में ही बनाये जा सकेंगे। इसलिये नये बाटों के सेट भी यथासम्भव शीघ्र बनाये जा सकेंगे। इस प्रकार नये और पुराने बाटों के बीच का अन्तरकाल न्यूनतम किया जा सकेगा। जनता भी जब यह देखेगी कि दशमिक सिक्कों के साथ मीटर प्रणाली के बाट भी प्रयोग करने से हिसाब लगाने में कितनी सुविधा होती है तो वह नये बाटों का स्वागत करने लगेगी और उनका बड़े उत्साह से प्रयोग करेगी।

भारत में ईंट-उत्पादन

★ *लेखक—श्री जी० सी० माथुर, राष्ट्रीय इमारत संस्था।*

भारत में ईंटों के उत्पादन की स्थिति पर विचार करने के हेतु राष्ट्रीय इमारत संस्था, केन्द्रीय कर्म, आवास तथा संभरण मंत्रालय द्वारा कलकत्ता में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में देश के प्रत्येक भाग से एक सौ पचास से अधिक प्रमुख इंजीनियर, ईंटों के उत्पादक और ठेकेदार सम्मिलित हुए। संगोष्ठी में ईंटों के उत्पादन के अनेक पहलुओं पर विचार किया गया जैसे ईंटों को ठीक तरह पकाना और ईंट उत्पादन में वैज्ञानिक अनुसन्धानों को अपनाकर अच्छी, अधिक और सस्ती ईंटें तैयार करना। इन विषयों पर विशेषज्ञों ने १४ लेख संगोष्ठी में विचारार्थ प्रस्तुत किये। ईंट उत्पादन को संगठित करने के हेतु संगोष्ठी में सम्मिलित ईंट उत्पादकों ने एक अखिल भारतीय ईंट उत्पादक संस्था बनाने का विचार किया।

संगोष्ठी में हुए वादविवाद पर आधारित ईंट उत्पादन पर कुछ विचार प्रस्तुत लेख में दिये गए हैं। —सम्पादक।

भारत में ईंट एक प्रमुख निर्माण-पदार्थ माना गया है। ईंट बनाने का काम प्राचीन काल से चला आ रहा है। यद्यपि आजकल सीमेंट, इस्पात और अन्य नवीन पदार्थों का प्रचलन अधिक हो गया है फिर भी ईंटों की उपयोगिता का अपना महत्व है।

वास्तुनिर्माण कला की दृष्टि से ईंट का आविष्कार संभवतः प्रागैतिहासिक काल की घटना है। इसका प्रमाण देश में स्थित स्थान-स्थान पर ईंटों द्वारा निर्मित ऐतिहासिक और प्राचीन इमारतें हैं जिनमें कई तो अपनी विशालता एवम् सुन्दरता के लिए जगत विख्यात है। मोहनजो-दारो और अन्य खुदाइयों से यह पता चलता है कि ईंट बनाने का कार्य और इनके उपयोग की कला बहुत पहिले ही चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी। आज भी देश के लगभग सभी प्रान्तों में इमारती ईंटों का उत्पादन किया जाता रहा है क्योंकि इनके बनाने का काम साधारण, सरल और सस्ता बैठता है।

ईंटों की मांग

लगभग सभी निर्माण कार्यों में ईंटों की आवश्यकता होती है। मकान और इमारतें बनाने के कार्य में इमारती ईंटों का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। भवन-निर्माण का कोई अंग, उपांग ऐसा नहीं है जो ईंट के उपयोग की अपेक्षा न रखता हो। नींव-भरण, दीवार चुनाई, फर्श और छत आदि सभी स्थानों पर ईंटों की आवश्यकता रहती है। यह अनुमान किया जाता है कि ईंट, ईंटों के टुकड़े, झामा, सुर्खी आदि किसी मकान की कीमत का एक चौथाई अंश होते हैं।

ईंटों का उपयोग सभी प्रकार के भवन निर्माण में किया जाता है जैसे विद्यालय, व्यापारिक केन्द्र, औद्योगिक भवन, फैक्ट्री, गोदाम, मिल, कारखाने, दुकानें बैंक, सार्वजनिक केन्द्र, अलंकारिक भवन, इत्यादि। यही नहीं अपितु पुल, पुलिया, सड़कें इत्यादि बनाने में ईंटों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। लोकस्वास्थ्य कार्य जैसे पक्के नाले, गटर, इत्यादि जल प्रापण कार्य के लिए हौज इत्यादि बनाने में भी ईंटों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार सिंचाई के लिए बांध, नहर इत्यादि के निर्माण में ईंटों की आवश्यकता होती है।

अधिक पकी हुई ईंटों के टुकड़ों से तथा झामों से भरत भरने का काम लिया जाता है और ईंट-टुकड़ों का उपयोग ईंट-कंकरीट में भी किया जाता है। अधपकी ईंटों को पीस कर सुर्खी बना कर चूने और सीमेंट के साथ मिला संदले के रूप में काम में लाते हैं।

इस प्रकार ईंटों की मांग निर्माण के लगभग सभी क्षेत्रों में होती है। वास्तव में आजकल ईंटों की मांग इतनी बढ़ गई है कि इनका सस्ते दामों पर मिलना सुलभ नहीं। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्र निर्माण के सभी निर्माण कार्यों में ईंटों की आवश्यकता भारी मात्रा में है। इसलिए ईंटों के उत्पादन की ओर उचित ध्यान देना चाहिए जिससे आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में, पक्की, अच्छी और सस्ती ईंटें मिल सकें।

भारत में ईंटों का उत्पादन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रायः सारे देश में लोचदार और अच्छी तरह पक जाने वाली मिट्टी बहुतायत से पाई जाती है जिससे अच्छे किस्म की ईंटें बनाई जाती हैं उत्पादन के तरीके सरल और साधारण होने के कारण ईंट बनाने का उद्योग ग्रामीण उद्योग है जो देश की आर्थिक स्थिति के अनुकूल है। गावों में ईंट बनाना एक मौसमी व्यवसाय है जबकि किसान अपना बेकार समय इस कार्य में लगा कर जीविका कमाता है और साथ ही अपने मकान बनाने के लिए ईंटे बना लेता है।

उत्पादन की स्थिति

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्था के हाल में किये सर्वेक्षण से यह अनुमान लगाया गया है कि हमारे देश में लगभग ५०० करोड़ ईंटें जिनका मूल्य ४०-५० करोड़ रुपया बैठता है, प्रतिवर्ष तैयार की जाती हैं। उत्पादन के आंकड़े केवल अनुमानित ही हैं क्योंकि देश में यह उद्योग सुचारु रूप से संगठित नहीं और न ही ऐसी औद्योगिक संस्थाएं हैं जो उत्पादन के आंकड़े सही बता सकें।

ईंटों का उत्पादन सारे देश में फैला हुआ है। आम तौर पर यह देखा गया है कि मैदानों में नदियों के किनारे ईंट बनाने के प्रमुख क्षेत्र पाये जाते हैं क्योंकि वहां अच्छी मिट्टी आसानी से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, पंजाब और बिहार में स्थान-स्थान पर आवश्यकता की पूर्ति के लिए अच्छी किस्म की ईंटों का उत्पादन किया जाता है। देश के प्रमुख उत्पादन केन्द्र मुख्यतः यहीं विद्यमान हैं। मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर ईंटें बनाई जाती हैं। आसाम में गौहाटी और लखीमपुर ईंट बनाने के केन्द्र हैं। बम्बई प्रांत में पूना, अहमदाबाद इत्यादि स्थानों पर काफी मात्रा में ईंटें बनाई जाती हैं। दक्षिणी भारत में प्राय सभी स्थानों पर जहां अच्छी मिट्टी पाई जाती है ईंटों का उत्पादन किया जाता है। ईंटों के समान बनने वाली खपरैल "टाइल" दक्षिणी भारत में अधिकतर बनाई जाती है।

उत्पादन का तरीका

ईट बनाने का तरीका अत्यन्त साधारण होता है। हमारे देश में प्रचलित उत्पादन प्रथा इस प्रकार है।

१. *मिट्टी खोदना:*—अच्छी ज़मीन देख कर मिट्टी खोदी जाती है और ईंट बनाने के स्थान तक पहुँचाई जाती है। मजदूर फावड़ा या कुदाली लेकर मिट्टी खोदते हैं और सर पर भार लादकर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। कभी कभी जानवरों को भी मिट्टी ढोने के काम में लाया जाता है जबकि वह स्थान जहां मिट्टी जमा करनी है कुछ दूरी पर हो। खुदी हुई मिट्टी को एक जगह एकत्र कर लिया जाता है जिससे आवश्यकता की पूर्ति के लिए मिट्टी की एकदम कमी न हो। मिट्टी के ढेर लगे रहने से मिट्टी में मौसमी परिवर्तन हो जाता है जिससे घढ़त में आसानी होती है और अच्छी ईंटें बनती हैं।

२. *मिट्टी की तैयारी:*—पड़े हुए मिट्टी के ढेर से कंकर, पत्थर और अन्य दूसरे पदार्थ, यदि हों तो चुनकर निकाल दिये जाते हैं और एक रात पहिले पानी छिड़क कर मिट्टी को ढीला कर लिया जाता है।

३. *मिट्टी को रौंदना:*—तैयार की हुई मिट्टी को जानवरों या मजदूरों के पैरों से पानी डालकर रौंदा जाता है। यह आवश्यक है कि केवल जल की उपयुक्त मात्रा ही पड़े और रौंदन पूर्णरूप से हो, जिससे ठीक आकार की ईंट थापी जा सके।

४. *मिट्टी का ढालना:*—मिट्टी को फिर सांचों की सहायता से ईंटों के आकार में ढाला जाता है। प्रायः सांचे लकड़ी के होते हैं, और कभी-कभी लोहे की चादर के बने सांचे भी काम में लिए जाते हैं। पहिले कुछ बालू रेत खाली सांचों में बुरका दी जाती है, उसके बाद मिट्टी का लौंदा सांचे में झटके से डाला जाता है और सांचे को पूरी तरह भर कर थपथपा दिया जाता है। कुछ बालू रेत दोबारा बुरका दी जाती है और सांचे को उलटा कर गीली ईंट बाहर निकाल कर धरती पर रख दी जाती है।

५. *ईंटों का सुखाना* .—ढालने के बाद गीली ईंटों को सुखाने के लिए धूप में जमाकर रख दिया जाता है। जमावट इस प्रकार की जाती है कि हवा और धूप ईंट को चारों ओर से सुखा सकें।

६. *ईंटों का पकाना:*—कुछ दिनों बाद धूप में सूखी हुई ईंटों को भट्टियों में जमाया जाता है और इन्हें मिट्टी से ढककर भट्टी में आंच लगा कर पकाया जाता है।

ईंटों के पकने के बाद, धीरे धीरे ठंडी होने पर, इन्हें भट्टी से बाहर निकाला जाता है और इनकी जांच पड़ताल की जाती है। पकने की किस्म के अनुसार जो कि रंग और रूप इत्यादि देख कर पहिचानी जाती है अलग अलग किस्मों की ईंटों को छांटा जाता है। मांग के अनुसार ईंटों को निर्माण स्थल पर पहुँचाया जाता है जहां उनका उपयोग उनकी किस्म के अनुसार किया जाता है।

उत्पादन के तरीकों में दोष

ईंटों के उत्पादन के इन सरल तरीकों में निम्नलिखित दोष होते हैं जिनके कारण ईंटों की किस्म हल्की और कीमतें अधिक बैठती हैं।

(१) हाथ से काम करने के कारण अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है जिससे समय भी अधिक लगता है तथा उत्पादन की मात्रा कम होती है।

(२) ठीक रौंदन जो कि मशीनों द्वारा किया जा सकता है मजदूरों

द्वारा नहीं हो पाता और इससे सम्मिश्रण ठीक प्रकार नहीं होता और मिट्टी में भी उपयुक्त लोच का अभाव रह जाता है।

(३) बिना अंकुश के सुखाने से ईंट तड़क जाती है जो पकने पर खराब हो जाती है।

(४) ईंटों को पकाने का तरीका भी हानिकारक होता है। इसमें अधिक ईंधन खर्च होता है, तपन का क्षय होता है, और भट्टी में बराबर तपन न लगने के कारण कहीं अधपकी और कहीं ज्यादा पकी ईंटें रह जाती हैं। इस प्रकार देखा गया है कि अच्छी पकी हुई ईंटें साधारणतः केवल पचास प्रतिशत ही रह जाती हैं। ३०-५० प्रतिशत ईंटें पूरी तरह पकी हुई न होने के कारण हल्की किस्म की रह जाती हैं, तथा २०-३० प्रतिशत बेकार हो जाती हैं।

सुधार के उपाय

ईंट-उत्पादन में निम्नलिखित प्रयत्नों द्वारा सुधार किया जा सकता है।

१. प्रयोगशालाओं में मिट्टी की जांच :—प्रयोगशालाओं में मिट्टी की भौतिक तथा रासायनिक प्रकृति की जांच करने से ईंट बनाने की सही क्रिया का अनुमान किया जा सकता है, जैसे उपयुक्त लोच पैदा करने के लिए अन्य पदार्थों के मिश्रण की आवश्यकता तथा नियत समय के लिए ईंटों को सुखाने और भट्टी में आवश्यक ताप इत्यादि। इस प्रकार ईंटों में जो दोष पाए जाते हैं उनको कम किया जा सकता है।

२. मशीनों का उपयोग—मिट्टी को मशीनों द्वारा रौंदने से शीघ्र ही मिट्टी में उपयुक्त लोच और जल का सम्मिश्रण किया जा सकता है। मशीनों की बनावट और ईंट ढालने के तरीके मिट्टी की किस्म और जिस प्रकार की ईंटों की आवश्यकता हो, पर आधारित होती है। मशीनों की सहायता से और सही सांचे से ईंटों को अधिक मात्रा में ढाला जा सकता है।

दबाव से ईंट बनाने की मशीन, सही सांचे और रौंदने की मशीन के चित्र यहां दिये गये हैं।

ईंट बनाने की मशीन (प्रेस)

धातु का सांचा

रौंदने की मशीन 'पगमिल'

३. ईंटों को पकाना—सूखी हुई ईंटों को भट्टी में क्रम से लगाया जाता है जिससे आंच सर्वत्र एक समान लगे और ईंटें पूरी तरह पक जाएं। प्रायः यह देखा गया है कि अब तक के ईंट पकाने के तरीकों से भारी नुकसान होता रहा है। अधिक आंच लगने से ईंटें झामा बन जाती हैं और कम आंच लगने से कमजोर तथा कच्ची रह जाती हैं। इस प्रकार अनुमान लगाया जाता है कि लगभग ५० प्रतिशत ईंटें ही पूरी तरह पकती हैं। इसका मुख्य कारण भट्टियों की दोषपूर्ण रचना है, जिसके कारण सब जगह ताप समान नहीं रहता और ताप पर कोई नियंत्रण न होने के कारण अधिक ईंधन भी खर्च होता है। इसलिए अच्छी और सस्ती ईंटें बनाने के लिए यह अनिवार्य है कि वैज्ञानिक ढंग से बनी हुई भट्टियों का, जिसमें ईंधन की बचत हो, प्रयोग किया जाय।

लगातार चालू रहने वाली "बुल,भट्टी" और "हाफमैन-भट्टी" के चित्र यहां देखिये।

'बुल भट्टी'

'हाफमैन भट्टी'

साधारणतः ईंटों को पकाने में कोयले की चूरी का प्रयोग किया जाता रहा है किन्तु देखने में यह आया है कि कोयला आवश्यकतानुसार प्राप्त नहीं होता। इस कारण या तो 'सिंडर' कोयले के स्थान पर प्रयोग में आने लगा है, जिसके उपयोग से ईंटें पूर्णतः नहीं पकतीं, या कोयले के अभाव के कारण ईंटों के उत्पादन का काम रोक दिया जाता है। कोयले के अभाव के अतिरिक्त रेल द्वारा कोयला पहुँचाने की सुविधा भी संतोषजनक नहीं है। रेल द्वारा कोयला लाने और ले जाने का काम यदि और अच्छी तरह किया जा सके तो ईंटों के उत्पादन में भारी वृद्धि की आशा है। भट्टियों में तेल या बिजली ईंधन के रूप में उपयोग में लाना भी एक महत्वपूर्ण सुझाव कहा जा सकता है।

ईंट उत्पादन में अनुसन्धान

प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए अनुसंधानों का उपयोग ईंट बनाने के कार्य में लाभकारी सिद्ध होगा। केन्द्रीय इमारत अनुसंधान संस्था, रुड़की ने यह पता लगाया है कि भट्टी में अगर २०-३० प्रतिशत चिकनी मिट्टी (क्ले) ४० ६५ प्रतिशत 'सिल्ट' और द्रव सीमा (लिक्विड लिमिट) २५-३८ प्रतिशत, लोच सूचक (प्लास्टिसिटी इंडेक्स) ७-१६ और आयतन-संचय (वाल्यूमेट्रिक श्रिनकेज) १५ २५ प्रतिशत हो, तो ऐसी मिट्टी से अच्छी ईंट बनती है।

काली मिट्टी में, जो कि अधिक सिकुड़ती है, कोयले की राख मिलाने से लोच में सुधार पाया जाता है और अच्छी ईंटें बनाई जा सकती हैं।

चूने का फूटना जो कि ईंटों को हानिकारक होता है, ईंट बनाने की मिट्टी में चूने के कण होने के कारण होता है। ऐसी मिट्टी में १.५ से ०.७५ प्रतिशत सोडियम या पोटेशियम क्लोराइड मिलाने से, ५-१० प्रतिशत कोयले की राख मिलाने से, ईंटों को मंदी आंच में पका कर भट्टी से ठंडी करने के बाद पानी में डुबोने से चूने का फूटना रोका जा सकता है।

इसी प्रकार से ईंट बनाने की मिट्टी में रसायनिक पदार्थ मिला कर एक से रंग की, बिना धब्बेदार ईंटें बनाई जा सकती हैं।

नए प्रकार की ईंटें

अनुसंधान द्वारा नए प्रकार की ईंटें बनाई जा सकती हैं जिनमें कि आम ईंटों की अपेक्षा अधिक गुण हो सकते हैं। नई प्रकार की ईंटें जैसे खोखली ईंट, छिद्रित ईंट आदि आधुनिक भवन निर्माण में उपयुक्त सिद्ध होती है।

ईंट उद्योग को सुचारु रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है ईंट उत्पादन के सभी क्षेत्रों में निश्चित क्रम और तरीकों द्वारा काम किया जाय जिससे निश्चित किस्म की ईंट सदैव प्राप्त की जा सकें। भारतीय मानक संस्था, इस क्षेत्र में काम कर रही है और आशा है कि शीघ्र ही उनके बनाए हुए नियम प्रकाशित होंगे।

२०×१०×१० सेंटीमीटर की ईंट जिसकी कम से कम सहनशक्ति ३५ किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो मानक मानी गई है।

ईंटों के उत्पादन के लिए सहकारी संस्था द्वारा काम करना लाभदायक सिद्ध होता है। इस प्रकार की संस्थाएं उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई हैं जिनकी संख्या ७७२ है और इनमें ५५,००० आदमी काम करते हैं और ६७ करोड़ से अधिक ईंटें जिनकी कीमत १.६५ करोड़ रुपया सालाना बैठती है, बनाई जाती हैं। इन सहकारी संस्थाओं द्वारा उत्पन्न की हुई ईंटों की कीमत कहा गया है १५.५० से १७.०० रुपये प्रति हजार बैठी है। यह अनुमान लगाया जाता है कि सहकारी संस्था की एक इकाई साल में १० लाख ईंटें पैदा कर सकती है। इस प्रकार इन संस्थाओं द्वारा आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्थानीय और सस्ता ईंटें सहयोग से पैदा की जा सकती हैं। इसलिए देश में अन्य स्थानों पर ऐसी संस्थाओं का प्रचलन होना चाहिये।

ईंट उत्पादकों को लगभग एक ही प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे, कोयले की प्राप्ति तथा लाने ले जाने की समस्या, ईंटों की किस्म में सुधार, मशीनों के प्रयोग की सम्भावना, आधुनिकीकरण पर विचार, अनुसन्धान को अपनाना आदि। देश के लगभग

सभी प्रांतों में ईंटों का उत्पादन होता है, और ईंट उत्पादकों की संस्थाएं कुछ प्रांतों में विद्यमान हैं, किन्तु फिर भी यह उद्योग सुचारु रूप से संगठित नहीं है, इसलिए एक अखिल भारतीय संस्था ईंट उत्पादन के उद्योग के लिए अवश्य लाभकारी सिद्ध होगी। अखिल भारतीय संस्था

'नए प्रकार की ईंटें'

'इमारती ईंट'

'खोखली ईंट'

'छिद्रित ईंट'

'टी' आकार की ईंट'

'चेनल ईंट'

का देश की विभिन्न प्रांतीय संस्थाओं से गहरा नाता होने के कारण ईंट उत्पादन की समस्याओं का समाधान राष्ट्रीय तल से किया जा सकेगा विशेषतः उन समस्याओं का जैसे कोयले की प्राप्ति, उसके लाने की समस्या, जनता को ईंटों के उपयोग के लिए प्रेरित करना आदि-आदि।

संगोष्ठी में सम्मिलित ईंट उत्पादकों ने अखिल भारतीय ईंट-उत्पादक संस्था की स्थापना पर विचार किया और एक उप-समिति को संस्था के नियम इत्यादि बनाने का काम सौंपा। आशा है कि यह संस्था शीघ्र ही स्थापित हो जायगी किन्तु इसके लिए ईंट-उत्पादकों का सहयोग आवश्यक है।

संगोष्ठी से कुछ निर्णय

संगोष्ठी में सम्मिलित सभी लोगों का यह मत था कि अधिक, सस्ती और अच्छी ईंटें बनाने की चेष्टा की जानी चाहिए, क्योंकि ईंटों की मांग बहुत बढ़ गयी है, तथा उनका मूल्य भी। संगोष्ठी में उपस्थित व्यक्तियों ने उन साधनों पर विचार-विमर्श किया जिनके द्वारा उक्त उद्देश्य की पूर्ति शीघ्रातिशीघ्र हो सके।

अधिक उत्पादन के लिए कोयले की पर्याप्त मात्रा की प्राप्ति और रेल द्वारा कोयले को स्थान-स्थान पर पहुंचाने की सुविधा सुव्यवस्थित किये जाने पर जोर दिया गया।

रेलवे अधिकारियों से यह मांग की गई कि ईंटों को पकाने के लिए कोयला पहुँचाने के कार्य को वही स्थान दिया जावे जो कि कोयले को सीमेण्ट उत्पादन के लिए प्राप्त है।

ईंटों के उत्पादन के वर्तमान तरीकों में सुधार करना आवश्यक है। जहां-जहां सम्भव हो आर्थिक दृष्टिकोण से मशीनों का उपयोग किया जाय किन्तु यह अवश्य ध्यान रहे कि ईंट उद्योग भारत में ग्रामीण उद्योग माना गया है तथा देश में बाहुबल की अधिकता होने के कारण मशीनों का उपयोग किस सीमा तक किया जा सकता है, यह विचारशील प्रश्न है।

इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ईंटों की किस्म को अच्छी बनाने के लिए प्रयोगशालाओं द्वारा ईंट बनाने की मिट्टी की जांच करा ली जाय और उसी पर आधारित उत्पादन के तरीकों को अपनाया जाय तथा आवश्यक सुधार किये जाएं।

अच्छी और सस्ती ईंटें बनाने के लिए यह आवश्यक है कि ईंटों के पकाने के तरीकों में सुधार किया जाए। नये और वैज्ञानिक ढंग से बनी ईंट भट्टियों का प्रयोग किया जाय और ईंधन को जलाने के तरीकों में भी सुधार किया जाय जिससे ईंधन कम खर्च हो और सब ईंटें अच्छी तरह पकाई जा सकें।

आधुनिक गगन चुम्बी भवनों के निर्माण के लिए मजबूत तथा हल्की ईंटों की आवश्यकता को ध्यान में रख कर नये प्रकार की ईंटें जैसे छिद्रित ईंट, खोखली ईंट इत्यादि के उत्पादन पर ध्यान दिया जावे। साथ ही दूसरे निर्माण क्षेत्रों में उपयोग के लिए विविध प्रकार की ईंटें बनाने के प्रयत्न किये जावें। ईंट उत्पादन और ईंटों के उपयोग में अनुसन्धान की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिससे इस उद्योग की वृद्धि हो और अच्छी किस्म की ईंटों के उत्पादन से अच्छे किस्म के भवनों का निर्माण किया जा सके।

संगोष्ठी में उपस्थित विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया कि अधिक मात्रा में अच्छी किस्म की ईंटों के उत्पादन के लिए सरकारी निर्माण विभाग द्वारा प्रदर्शनात्मक एवम् प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं जहां आधुनिक

और वैज्ञानिक रीतियों से मशीनों के उपयोग द्वारा ईंटें बनाना सिखाया जाय।

ढाका (पाकिस्तान) से आये हुए प्रमुख उत्पादक श्री हिरजी, जिन्होंने ईंट बनाने की एक आधुनिक फैक्टरी ढाका में खोल रखी है जहां मशीनों द्वारा सफलतापूर्वक सस्ती और अधिक ईंटें बनाई जा रही हैं, अपने व्यक्तिगत अनुभव से यह बताया कि मशीनों द्वारा ईंटों का उत्पादन सस्ता और लाभकारी रहता है।

राष्ट्रीय इमारत संस्था द्वारा कलकत्ता में 'भारत में ईंट-उत्पादन' पर आयोजित संगोष्ठी में प्रस्तुत किए गए लेखों की सूची :

१. पश्चिमी बंगाल में ईंट उद्योग की वर्तमान स्थिति तथा इनमें सुधार के सुझाव :—
   श्री एन० बी० पाल
   "बंगाल ब्रिक फील्ड ओनर्स एसोसिएशन" कलकत्ता

२. ईंट और टाइल के उत्पादन में आधुनिकीकरण की सम्भावना :—
   श्री पी० वी० वैन्कटरामा अय्यर
   "दी टाइल मैन्यूफैक्चरर्स फेडरेशन आफ इंडिया" मंगलोर

३. ईंट बनाने की क्रिया में आधुनिकरण की सम्भावना:—
   श्री एस० रे
   "बंगाल सिरेमिक इंस्टिट्यूट" कलकत्ता

४. उत्तर प्रदेश की ईंट-भट्टा सहयोगी संस्था:—
   श्री टी० पी० सिंह व एम० के० गर्ग
   "प्लानिंग एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट उत्तर प्रदेश" लखनऊ

५. ईंट के समान किन्तु पृथक पदार्थ:—
   श्री ए० सी० मुकर्जी
   "बंगाल इंजीनियरिंग कालेज" सिबपुर

६. ईंटों का विद्युत द्वारा पकाना:—
   प्रोफेसर सी० एन० खदिलकर
   "सेण्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट" रुड़की

७. ईंट और टाइल उत्पादन के लिए मशीनें:—
   श्री केशव बोस
   "कुसुम इंजीनियरिंग वर्क्स" कलकत्ता

८. ईंट तथा टाइल उत्पादन में सुखाने तथा पकाने की क्रिया में आधुनिकरण की सम्भावना :—
   श्री एस० के० नंजुण्डा स्वामी
   बाबनकोर

९. ईंट-भट्टियों को तेल से जलाना :—
   श्री पी० गोविन्द कृष्णय्या
   "बर्माशैल आइल कम्पनी" बम्बई

१०. अनुसन्धान तथा ईंट उत्पादन में इसको अपनाना:—
   डा० एन० के पटवर्धन
   "सेण्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट" रुड़की

११. मानकीकरण तथा ईंट उद्योग का भारत में विस्तार:—
   श्री सी० एस० चन्द्रशेखर
   "भारतीय मानक संस्था" दिल्ली

१२. ईंट भट्टियों की स्थापना के लिए प्रयोगशालाओं में मिट्टी की जांच का महत्व :—
   श्री एच० सी० वर्मा
   "पी० डब्ल्यू० डी० रिसर्च इन्स्टीट्यूट" लखनऊ

१३. ईंटों की किस्मों पर मिट्टी का प्रभाव :—
   डा० एस० सेन
   "सेण्ट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इन्स्टीट्यूट" कलकत्ता

१४. भवन तथा अन्य निर्माण में सुधार :—
   प्रोफेसर आर० बी० घोष
   "भूतपूर्व प्रोफेसर बंगाल इंजीनियरिंग कालेज" सिबपुर

(इस सम्बन्ध में और अधिक जानकारी के लिये, राष्ट्रीय इमारत संस्था, केन्द्रीय कर्म, आवास तथा संभरण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से पत्र-व्यवहार करना चाहिए।)

—सम्पादक

पर्यटन : विदेशी विनिमय प्राप्त करने का नया साधन

★ श्री एस० एन० मित्र।

गत महायुद्ध के बाद पर्यटन भी एक संगठित रूप से चलाये जाने वाला धंधा बना गया है। युद्ध के बाद के पहले पांच वर्षों में यूरोप के बहुत से देशों ने यह देखा कि युद्ध के कारण विध्वस्त हुई उनकी अर्थ-व्यवस्था को ठीक करने में पर्यटन का विकास करने से भी अच्छी सहायता मिल सकती है। मार्शल सहायता कोष के बड़े भाग को होटलों तथा पर्यटकों के लिये आवश्यक अन्य सुविधाओं का प्रबन्ध करने पर व्यय किया गया। बहुत से यूरोपीय देशों ने विकट संकटकाल होते हुए भी पर्यटन के विकास के लिये धन खर्च किया।

इस नये धन्धे के विकास के लिये किये गये प्रयत्नों का आश्चर्यजनक फल हुआ। १९५२ तक पश्चिमी यूरोप के १६ देशों के लिये पर्यटन डालर उपार्जन का सबसे महत्वपूर्ण साधन बन गया। अब उनकी यह स्थिति यथावत् बनी हुई है। उदाहरण के लिये १९५७ में अमरीकी पर्यटकों ने अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन पर लगभग २० लाख डालर खर्च किये। पर्यटन के फलस्वरूप दूसरी आर्थिक हलचलों को भी प्रोत्साहन मिलता है। पर्यटन से उपार्जित विदेशी विनिमय का देश की अर्थ-व्यवस्था के लगभग सभी अंगों पर प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा गतवर्ष किये गये पर्यवेक्षण से प्रकट हुआ है कि पर्यटकों ने देश में जो खर्च किया उसका विश्लेषण इस प्रकार है :—

भोजन तथा निवास पर	—	४९ प्रतिशत
खरीदारी पर	—	१८ प्रतिशत
मनोरंजन पर	—	३ प्रतिशत
भारत में परिवहन पर	—	३० प्रतिशत

१९५७ में १६ करोड़ रु० की आय

भारत को पर्यटन से कितना लाभ होता है उसका अनुमान लगाने के लिये कुछ तथ्य विचारणीय हैं। १९५१ में २०,००० विदेशी पर्यटक भारत आये। १९५७ में इनकी संख्या बढ़ कर ८०,००० हो गई। इनमें थोड़े समय के लिये आने वाले १० लाख से अधिक वे यात्री शामिल नहीं हैं जो पाकिस्तान से आये थे। १९५५ में पर्यटन से भारत को १० करोड़ रु० से अधिक का विदेशी विनिमय प्राप्त हुआ। ध्यान रहे १ डालर ४.७५ रु० के बराबर होता है। १९५७ में यह उपार्जन बढ़कर १६ करोड़ रु० हो गया। १९५७ में भारत ने विदेशों को ६ अरब रु० का माल भेजा था। दूसरे शब्दों में पर्यटन से जो उपार्जन हुआ वह प्रत्यक्षतः निर्यात किये गये माल के मूल्य का २.७ प्रतिशत था। यह यद्यपि कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है तथापि यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इससे होने वाले विदेशी विनिमय के उपार्जन में जितनी वृद्धि हो रही है उतनी किसी भी अन्य वस्तु के निर्यात से होने वाले उपार्जन में नहीं हो रही है। यह वृद्धि आगे भी होती रह सकती है और आशा है कि पांच वर्षों में उससे अच्छी आय होने लगेगी।

भारत में पर्यटन की समस्याएं

पर्यटन से होने वाली आय को बढ़ाने के लिये साधनों के रूप में कोई भारी पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक भी है, क्योंकि पर्यटकों के हाथ हम बेचते भी क्या वस्तुएं हैं—प्राकृतिक दृश्य, ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन, खाद्य तथा पेय, स्मृति चिन्ह स्वरूप विशेष वस्तुएं, दस्तकारी का सामान और मनोरंजन जो कि देश के नित्यप्रति के जीवन का अंग होता है। पर्यटकों के लिये इन्हें तैयार करने पर हमारी कोई विशेष लागत नहीं आती। परन्तु भारत में पर्यटन की अपनी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या भारत के बहुत से दर्शनीय ऐतिहासिक स्मारकों तक पहुँचने के साधन प्रस्तुत करने की है। दूसरी समस्या न केवल बड़े नगरों में प्रथम श्रेणी के होटलों में ठहरने के अधिक स्थान की व्यवस्था करने की है वरन् पर्यटन केन्द्रों में आरामदार स्थान का प्रबन्ध करने की भी है। तीसरी समस्या पर्यटन विषयक प्रचार करने की है।

यदि निजी व्यापारियों को ऋण आदि की थोड़ी सी सहायता दे दी जाय तो बड़े नगरों में होटलों की व्यवस्था हो सकती है। परन्तु पर्यटन केन्द्रों में सरकार को पर्यटकों के लिये होटल आदि बनाने होंगे। पर्यटकों को सुविधाएं देने के लिये हमने जो योजना बनाई है उसका आधार भी यही है। इस कार्य पर ३ करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान लगाया गया है। पर्यटन से होने वाली विदेशी विनिमय की आय में इस समय जिस गति से वृद्धि हो रही है उसे देखते हुए आशा है कि तीन चार वर्ष में यह दुगनी हो जायगी। इस समय भी पर्यटन भारत के लिये विदेशी विनिमय का उपार्जन करने वाले प्रथम ६ स्रोतों में से एक है। कुछ वर्षों में उसका स्थान शायद चौथा हो जायगा। तब वह चाय, जूट और कपड़े के बाद ही होगा।

पर्यटन की विशेषता

विदेशी विनिमय का उपार्जन करने में पर्यटन की अपनी विशेषता है। एक उदाहरण लीजिये। भारत लौह खनिज तथा अन्य खनिज पदार्थों के निर्यात से प्रतिवर्ष लगभग २५ करोड़ रु० का विदेशी विनिमय प्राप्त करता है। इन खनिज पदार्थों का निर्यात बढ़ाने के लिये पूर्वी तट पर विशाखापत्तनम् के बन्दरगाह में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रबन्ध करना है और वहां से देश के भीतरी भागों तक परिवहन तथा संचार सुविधाएं भी बढ़ानी हैं। इन पर लगभग ३० करोड़ रु० व्यय होंगे जिनमें से लगभग ६ करोड़ रु० का विदेशी विनिमय खर्च करना होगा। इतना खर्च करने के बाद खनिज पदार्थों के निर्यात से विदेशी विनिमय के उपार्जन में जो वृद्धि होगी वह लगभग १० करोड़ रु० वार्षिक ही होगी। दूसरी ओर पर्यटन की सुविधाओं पर ३ करोड़ रु० खर्च कर देने से १० करोड़ रु० से अधिक का विदेशी विनिमय प्रतिवर्ष सरलता से प्राप्त हो सकेगा।

पर्यटन की एक और विशेषता है। वह यह कि पर्यटन के विषय में पड़ोसी राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्धा होने से पर्यटन के धंधे में रुकावट के बजाय और भी वृद्धि होती है। जापान और चीन की प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय कपड़े के निर्यात व्यापार को धक्का लगा है, परन्तु लंका, पाकिस्तान, थाईलैंड और जापान द्वारा पर्यटन के विषय में प्रतिस्पर्धा किये जाने के कारण भारत के पर्यटन के धन्धे को लाभ हुआ है। कोई भी अमरीकी अथवा यूरोपीय पर्यटक केवल भारत की ही सैर करने नहीं आता। वह जब पूर्व में आता है तो एक ही बार में कम से कम आधे दर्जन देशों की यात्रा करने का प्रयत्न करता है। इसलिए समस्त क्षेत्र में पर्यटन की सुविधाओं का विकास करना लाभदायक होता है। इस सम्बन्ध में विभिन्न देशों की सीमाओं के प्रतिबन्ध यदि दूर न किये जा सकें तो कम से कम उन्हें एक समान आधार पर ढीला अवश्य कर देना चाहिए। यूरोपीय देश इसे बहुत पहले अनुभव कर चुके हैं। कई देश मिलकर इस सम्बन्ध में प्रचार प्रारम्भ कर चुके हैं। उन सबका एक ही नारा होता है—"यूरोप की सैर कीजिये।" अनेक वर्षों से यह प्रचार बड़ी तेजी से और विचार पूर्वक किया जा रहा है जिससे अच्छा लाभ हुआ है।

पूर्व में भी क्षेत्रीय प्रचार हो

पूर्व में भी दो क्षेत्रीय संगठन ऐसी ही प्रचार योजनाएं बना रहे हैं। पैसिफिक एशिया ट्रैविल एसोसियेशन गत पांच छः वर्षों से अच्छा प्रचार कर रहा है। भारत भी इसका सदस्य है। सीटो ट्रैविल कमीशन ने प्रचार की एक योजना बनाई है जो अभी अमल में नहीं आई है। भारत, लंका, पाकिस्तान आदि देश इसके सदस्य हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन की एक और सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि पर्यटक के कारण विदेशी विनिमय का जो अदृश्य निर्यात अथवा आयात होता है वह विवाद से सर्वथा मुक्त रहता है। इसके विषय में किसी प्रकार का संरक्षण देने का प्रश्न भी नहीं उठता। कुछ अमरीकी विशेषज्ञों के कथनानुसार पर्यटकों से उपार्जित डॉलर ही सबसे पाक साफ डालर होता है। इसके कारण किसी भी पक्ष को कोई दिक्कत अथवा असुविधा नहीं होती।

तिलैया बांध

आर्थिक प्रगति के सुदृढ़ आधार

नदियों के ये सुदृढ़ बांध

जो बिजली और सिंचाई के अमूल्य साधन हैं

हम्पी का बिजली घर—तुंगभद्रा बांध

हीराकुद, उड़ीसा

नागल, पजाब

मणिमुथर मद्रास राज्य

★

★

तिलैया बांध

तुंगभद्रा बांध, मैसूर राज्य

हीराकूड बांध का एक अन्य दृश्य

नांगल नहर पर कोटला का बिजली घर

तुंगभद्रा बांध का एक अन्य दृश्य

इंजीनियरी उद्योग की प्रशंसनीय प्रगति

★ देश की मांग पूरी करने के लिये अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता।

किसी भी देश की स्वाधीनता का उसके मूल, भारी, मध्यम तथा हलके इंजीनियरी उद्योगों के विकास से घनिष्ट सम्बन्ध होता है। अगर एक बार हम इनका विकास कर सके तो अपने आप विदेशी आयात पर हमारी निर्भरता कम हो जाती है और अंत में समाप्त हो जाती है। इंजीनियरी की भारी तथा हलकी चीजें बनाने वाले उद्योग पूँजीगत वस्तुएं तथा मशीनें बनाने वाली मशीनें बनाते हैं और दोनों मिल कर देश के औद्योगीकरण के लिये सम्पूर्ण प्रेरक शक्ति प्रदान करते हैं।

इसलिये यह हर्ष का विषय है कि हम इस अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गये हैं। आधार वर्ष १९५१ (=१००) की तुलना में १९५८ के प्रथम दो महीनों में इन्जीनियरी की चीजों के उत्पादन का सूचक अंक २७२.० पर पहुंच गया जबकि १९५७ में समस्त औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचक अंक १३७.१ ही था। हमारे इन्जीनियरी उद्योगों की यह एक उल्लेखनीय सफलता है। इससे जाहिर है कि हमारे देश में औद्योगीकरण के शुरूआत भली प्रकार तथा सच्चे अर्थों में हो गयी है। उद्योगों, योजना-निर्माताओं तथा सरकार ने इस उद्योग को जो प्राथमिकता दी है, उसका अब सुफल प्रकट हुआ है। यह बात उल्लेखनीय है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था के इस क्षेत्र के विकास की रफ्तार हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों जैसे उपभोक्ता वस्तुएं, कृषि उत्पादन, खनिज उत्पादन तथा इन्जीनियरी के अलावा आम उद्योगों की अपेक्षा तीन गुनी है।

हलके वैद्युत उद्योग

जबकि हमारे सामने विदेशी मुद्रा की बड़ी किल्लत है, उस समय बिजली के काम आने वाले हलके सामान का उत्पादन १९५७ में काफी बढ़ गया है। १९५६ की तुलना में देश में संग्रह बैटरियों का उत्पादन ४६ प्रतिशत, सर्विस मीटरों का ४३ प्रतिशत, तांबे के अनावृत तारों के कंडक्टरों का १६ प्रतिशत, लपेटने के तारों का ४५ प्रतिशत, रेडियो रिसीवरों का २० प्रतिशत तथा बिजली के पंखों का ५१ प्रतिशत बढ़ा है। एक साल के अन्दर इतनी प्रगति होना बहुत ही मार्के की बात है। अगर पिछले दशक की सारी स्थिति का हिसाब लगा कर देखें तो हमें पता चलता है कि बिजली के काम आने वाली हलकी इन्जीनियरी वस्तुओं का उत्पादन १९४८ के ५ करोड़ रु० से बढ़कर १९५७ में २५ करोड़ रु० प्रतिवर्ष हो गया है।

हालांकि यह बड़ी स्वागत योग्य तथा उल्लेखनीय प्रगति है, जिसके लिये यह उद्योग बधाई का पात्र है, तथापि यह याद रखने की बात है कि हलके वैद्युत सामान का उत्पादन १९६०-६१ तक बढ़ाकर ४० करोड़ रु० प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिये अभी १५ करोड़ रु० प्रतिवर्ष के उत्पादन को पूरा करना बाकी है। देश में बढ़ती हुई मांग को देखते हुये हमें हलके वैद्युत उद्योगों के उत्पादन का लक्ष्य ५० प्रतिशत तक बढ़ाना पड़ सकता है। इसलिये कोई भी भली प्रकार यह समझ सकता है कि हमें अभी कितना और आगे बढ़ना है। जहां तक बिजली के बल्बों का सम्बन्ध है मुख्य कमी प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा छोटे बल्बों, कांच के ट्यूबों तथा सलाखों, कैपों, लैन्डिंग-इन-वायरों, फिलामेंट वायरों तथा अनेक विशेष किस्मों के लैम्पों की है। रेडियो निर्माण के क्षेत्र में हमें अभी पर्याप्त परिमाण में वाल्व, कन्डैन्सर, रेसिस्टैन्स, पोटेन्शियो मीटर, आवाज नियन्त्रक पुर्जे, ध्वनि विस्तारक आदि का निर्माण करना है। हालांकि इनमें से कुछ चीजें बनाने की कुछ योजनाएं स्वीकार की जा चुकी हैं, फिर भी अभी शीघ्र ही बहुत सी चीजों का उत्पादन शुरू करना होगा जिससे, कमी पूरी की जा सके। हालांकि हाउस सर्विस मीटर बनाने में काफी प्रगति की जा चुकी है, फिर भी पौलीफेज मीटरों का उत्पादन अभी किया जाना शेष है।

हलके मशीनी उद्योगों की प्रगति

हलके मशीनी उद्योगों ने भी अच्छी प्रगति की है। पिछले एक साल में सिलाई की मशीनों का उत्पादन २७ प्रतिशत, साइकिलों का २० प्रतिशत, साइकिल के पुर्जों का ५० प्रतिशत, रेजर ब्लेडों का ३७

प्रतिशत तथा रेफ्रीजरेटरों का २० प्रतिशत बढ़ा है। १९५६ की तुलना में १९५७ में बालबेयरिंगों का उत्पादन ६० प्रतिशत और पानी के मीटरों का ६० प्रतिशत बढ़ा है। एक साल के अन्दर होने वाली यह प्रगति बड़ी उल्लासजनक है। स्वाधीनता से पहले हलके मशीनी इन्जीनियरी की चीजें बनाने का उद्योग एक तरह से स्थापित ही नहीं हुआ था। किन्तु आज इसमें ३५ करोड़ रु० से अधिक का माल प्रतिवर्ष बनता है जबकि १९४८ में सिर्फ दो करोड़ रु० का ही बनता था।

भारी वैद्युत उद्योग

जब हम भारी वैद्युत उद्योगों की प्रगति पर दृष्टिपात करते हैं तो उल्लेखनीय तेज़ी से हुए इस उद्योग के विकास को देखकर आश्चर्य-चकित रह जाना पड़ता है। बिजली के मोटरों, ट्रांसफार्मरों, स्विचगीयरों, कन्ट्रोलगीयरों, कंडक्टरों, केबिलों और तारों का उत्पादन १९४८ के ४.८ करोड़ से बढ़कर १९५७ में २८.५ करोड़ रु० हो गया। वर्तमान कारखानों में भारी वैद्युत इंजीनियरी उद्योग की अनेक चीजें बनायी जाती हैं। १९५७ में भारी वैद्युत इन्जीनियरी उद्योगों की चीजों का उत्पादन पिछले साल की अपेक्षा, ३५ प्रतिशत बढ़ गया। यह वास्तव में बहुत ही संतोषजनक बात है। उत्पादन इतना बढ़ने के बाद भी बिजली की भारी चीजों के निर्माताओं को जो कुछ अभी करना शेष है, वह बहुत अधिक है। हमें द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अंत तक उत्पादन बढ़ाकर ६० करोड़ रु० प्रतिवर्ष करना है। इसलिये उद्योग को वास्तव में इस बात का गहन तथा भलीप्रकार अध्ययन करना होगा कि द्वितीय आयोजना के अंत तक करीब ३२ करोड़ रु० वार्षिक का उत्पादन बढ़ाने के अलावा, देश में इस समय न बनने वाली अनेक चीजों का भी उत्पादन किस तरह शुरू किया जा सकता है।

भारी इंजीनियरी उद्योग

भारी इन्जीनियरी उद्योगों के वर्ग में आने वाले उद्योगों में से मोटर गाड़ी उद्योग ने काफी प्रगति की है। इसका १९४८ में जहां वार्षिक उत्पादन ६ करोड़ रु० वार्षिक का था वहां १९५७ में ५० करोड़ रु० का हो गया। इस सम्बन्ध में यह बात भी बहुत उल्लास पूर्ण है कि ट्रकों, जीपों और कारों के पुर्जों का देश में उत्पादन बढ़कर ५० प्रतिशत तक हो गया है और सवारी कार तथा ट्रक में तो देशी पुर्जों का अनुपात ६०-६५ प्रतिशत तक पहुंच गया है। इसलिये यह आशा करना अनुचित न होगा कि अगले दो या तीन सालों में हमारे कारखाने ७५ से ८० प्रतिशत तक देशी पुर्जे बनाने लगेंगे।

मशीनी औजार : अभी बहुत कुछ करना है

मशीनी औजारों के क्षेत्र में हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसमें शक नहीं कि खरादें, बर्में, मिलिंग मशीनें, बोरिंग मशीनें, रन्दाई की मशीनें, शेपिंग मशीनें, कटिंग मशीनें तथा अन्य प्रकार के मशीनी औजार बनाने की विधियां बहुत कठिन होती हैं फिर भी हमें इस दिशा में बढ़ना है। श्रेष्ठतम प्रयास करने के बाद भी १९५७ में हम सिर्फ ३.५ करोड़ रु० के मशीनी औजार बना सके। यह उत्पादन १९५६ की अपेक्षा १.५ करोड़ रु० अधिक था। वास्तव में हमें लगभग शुरूआत से ही बढ़ना पड़ा है। इस समय भी हम लगभग १०-१५ करोड़ रु० के मशीनी औजार विदेशों से मंगाते हैं और दूसरी आयोजना की समाप्ति तक इनकी मांग बढ़कर १८-२० करोड़ रु० की हो जाने का अनुमान है। देश में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में चल रहे मशीनी औजार उद्योग को अवसर के अनुकूल आगे आना चाहिये तथा अगले तीन वर्षों में उत्पादन बढ़ाकर कम से कम १० करोड़ रु० प्रतिवर्ष कर लेना चाहिये। विश्वासपूर्वक यह अनुमान लगाया जाता है कि देश इस लक्ष्य को पूरा कर सकेगा। सरकारी क्षेत्र के लिये यह योजना बनायी गयी है कि अगले तीन सालों में उत्पादन २ करोड़ रु० से बढ़ाकर ६ करोड़ रु० कर दिया जाए।

ढांचों का उत्पादन

ढांचे बनाने का क्षेत्र बहुत व्यापक है। ढांचों आदि के रूप में बनने वाली तरह-तरह की चीजें बनाने की कोशिशें की जानी चाहिए जैसे कि ट्रैवलिंग क्रेनें, वार्फ क्रेनें, चलती-फिरती क्रेनें, नींचे के फ्रेम, बड़े-बड़े पुलों के भारी सेक्शन तथा मध्यम एवं भारी ढांचे। भारी इंजीनियरी की चीजें बनाने वाले सभी प्रमुख कारखानों में से जहां ढांचे बनाने का काम शुरू नहीं किया गया है, वहां शुरू किया जाना चाहिये। देश में तब तक भारी इंजीनियरी की चीजें बनाने का उद्योग स्थापित नहीं हो सकता जब तक देश में उनके लिये बने बनाये ढांचे उपलब्ध न हों। इसलिये हमें इस तरफ खास तौर से १९६० के बाद बहुत ध्यान देना होगा जबकि देश में इस्पात आसानी से और काफी परिमाण में मिल सकेगा।

मशीनें बनाने का उद्योग

मशीनें बनाने का उद्योग इंजीनियरी उद्योग का सब से अधिक महत्वपूर्ण अंग है। भारी मशीनों तथा पूंजीगत वस्तुओं के लिये हम एक दम विदेशों पर निर्भर हैं, यह बात सर्वविदित है। १९५७ में हमने १५० करोड़ रु० की मशीनों का आयात किया था और १९५८ के लिये इस आयात की गति १६८ करोड़ रु० के स्तर पर चल रही है। यह सच है कि १९४८ में हम पूंजीगत वस्तुओं तथा मशीनों का बिलकुल उत्पादन नहीं करते थे और इसकी तुलना में अब हम कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग तथा कई तरह की भारी मशीनें बनाने लगे हैं जिनका १९५७ में उत्पादन ३५ करोड़ रु० का था। लेकिन अब इस की तुलना १५० रु० वार्षिक के आयात से करें तो अपनी कमी स्पष्ट दिखायी देने लगती है। अगर हमने तेजी से कदम न उठाये तो यह अभाव दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा क्योंकि

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में हमने उद्योग-धंधों को बढ़ाने के बड़े-बड़े कार्यक्रम शुरू कर रखे हैं।

गढ़ाई-ढलाई का कारखाना

इसलिए यह बात बहुत ही स्वागत योग्य है कि सरकार ने इस दिशा में बड़ी तेजी से कदम उठाये हैं। केन्द्रीय भारी मशीन निर्माण संयंत्र रूसी सहयोग से रांची में स्थापित किया जायगा। जब यह कारखाना पूरी तरह से चलने लगेगा तो दो सालों में इस्पात बनाने का एक कारखाना तैयार कर लिया करेगा। इस कारखाने की लागत ६० करोड़ से लेकर १ अरब रुपया तक आएगी। चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से रांची में ही गढ़ाई और ढलाई का एक और कारखाना स्थापित किया जा रहा है जो भारी मशीनें बनाने के कारखाने के लिए भारी चीजें ढालकर तथा गरम इस्पात पीटकर बनाया करेगा। यह एक सम्बद्ध कारखाना होगा जिससे ये दोनों कारखाने मिलकर इस्पात कारखाने की सभी मशीनें, उपकरण और हिस्से तथा रासायनिक, इंजीनियरी और अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक भारी मशीनें बना सके। इन कारखानों का महत्व तब समझ में आएगा जब हम यह जान लें कि इनमें ११० टन वजन तक का एक एक पुर्जा ढाला जा सकेगा और ३० टन तक का पुर्जा गढ़कर बनाया जा सकेगा।

मशीनें बनाने की प्रायोजनाएं

खानों के भारी उपकरण बनाने का एक कारखाना रूसियों के सहयोग से दुर्गापुर में स्थापित किया जा रहा है। इसकी लागत ३० करोड़ रु० आएगी और इनमें खानों के ३०,००० टन उपकरण बन सकेंगे। भारी प्लेटें तथा वैसल बनाने का एक कारखाना तथा भारी ढांचे बनाने का एक कारखाना ब्रिटिश सहयोग से स्थापित करने की बातचीत चल रही है। इसके साथ ही जर्मन सहयोग से भारी मशीनी औजार बनाने का एक कारखाना स्थापित किया जायगा। इस प्रकार हमारे देश में भारी मशीनें बनाने के लिए दृढ़ तथा व्यापक नींव डालने के हमारे महान प्रयास का पहला चरण पूरा हो जाएगा।

भारी वैद्युत उपकरण संयन्त्र

भोपाल में भारी वैद्युत उपकरण संयंत्र स्थापित करने का काम शुरू हो चुका है। ब्रिटिश सहयोग से चालू की जाने वाली इस प्रायोजना के पहले चरण में भारी ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, भारी स्विच-गीयर और कण्ट्रोल गीयर तथा बिजली की ट्रैक्शन मोटरें बनायी जाएंगी। दूसरे चरण में इस कारखाने में हाइड्रोलिक टरबाइनें और जैनेरेटर, भारी विद्युत मोटरें, क्रेन मोटरें, डीजल से चलने वाले जैनेरेटर, वैल्डिंग ट्रांसफार्मर, भारी रैक्टीफायर्स, सिन्क्रोनस कैपेसिटर आदि बनाये जाएंगे। इस प्रायोजना पर ३० करोड़ रु० की लागत आएगी और यह दो शिफ्टों में २५ करोड़ रु० प्रतिवर्ष का माल बनाया करेगा।

इस प्रकार तीसरी आयोजना शुरू होने से पहले हम भारी मशीनें और पूंजीगत माल बनाने के लिए व्यापक आधार तथा नींव डाल चुकेंगे। इन कदमों से सारे राष्ट्र तथा देश को फायदा होना है। मशीनें बनाने के कारखानों से सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में अनेक प्रकार के उद्योग स्थापित करने के लिये बहुत प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

अलौह धातुओं की हमारी आवश्यकताएं

अब मैं उस कठिनतम विषय की चर्चा करता हूँ जिसका हमारे इंजीनियरी उद्योग को सामना करना होता है और वह है अलौह धातुओं का उत्पादन। जहां तक कच्चे लोहे और इस्पात का सम्बन्ध है, हमने इनके उत्पादन का दृढ़ आधार स्थापित कर लिया है। १९६०-६१ तक ४५ लाख टन या इससे भी अधिक समापित इस्पात तैयार करना उल्लेखनीय सफलता है। उसके बाद अगले ५ वर्षों के इस्पात का उत्पादन १ करोड़ टन प्रतिवर्ष हो जाने से सारी अर्थ-व्यवस्था निस्संदेह बहुत आगे बढ़ जायगी। लेकिन अलौह धातुओं के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना होगा।

हमारे यहां बहुत अच्छी किस्म का बौक्साइट उपलब्ध है लेकिन खनिज तांबा, खनिज सीसा, खनिज जस्त अधिक नहीं है। कोई भी इंजीनियरी उद्योग इन धातुओं की सहायता के बिना नहीं बढ़ सकता। अलौह धातुओं की हमारी आवश्यकता इस समय ३० करोड़ रु० की है और १९६०-६१ तक बढ़कर करीब ४५ करोड़ रु० की हो जायगी। इस हमारे देश में ये चीजें सिर्फ ७ करोड़ रु० की ही बनती हैं। परिमाण की दृष्टि से हमें १९६०-६१ तक ४०,००० टन अलूमीनियम ४५,००० टन तांबा, ५०,००० टन जस्त और २०,००० टन सीसे की आवश्यकता है।

अलूमीनियम का उत्पादन बढ़ेगा

हीराकुड संयंत्र प्रतिवर्ष १०,००० टन अलूमीनियम तैयार किया करेगा, इसका उत्पादन बढ़ाकर २०,००० टन प्रतिवर्ष किया जाएगा। रिहन्द प्रायोजना से भी पूरा उत्पादन होने पर इतना ही अलूमीनियम तैयार किया जाएगा। मैसूर-प्रायोजना से भी १० से लेकर २० हजार टन तक अलूमीनियम पैदा होने लगेगा। जेकेनगर संयंत्र से भी ७,५०० से लेकर १०,००० टन उत्पादन होगा। इस प्रकार इस समय देश में जहां ७,५०० टन अलूमीनियम बनता है, वहां चार साल बाद ४०,००० टन अलूमीनियम का उत्पादन होने लगेगा और कुछ समय बाद बढ़कर ५०,००० से लेकर ६०,००० टन हो जायगा। अलूमीनियम का यह सब उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में हो रहा है। जहां तक अलूमीनियम की हमारी आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, यह उत्पादन सन्तोषजनक है। वैसे अलूमीनियम के निर्यात की भी गुंजाइश है क्योंकि हमारे यहां बढ़िया किस्म का बौक्साइट उपलब्ध है।

लेकिन जहां तक जस्त, तांबा, सीसा तथा अन्य धातुओं का सम्बन्ध है, हमें इस समस्या का अधिक गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। केन्द्रीय सरकार राजस्थान में जस्त बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिए मदद दे रही है। इसके लिए खनिज पदार्थ जावरा की खानों से प्राप्त किया जाएगा। इस कारखाने में प्रतिवर्ष १२,००० से लेकर १५,००० टन तक जस्त बन सकेगा। इस समय देश में तांबे का उत्पादन ७,५०० टन प्रति वर्ष है, इसे बढ़ा कर १०,००० टन या इससे अधिक कर दिया जाएगा। इस प्रकार तांबे, जस्त तथा सीसे की उपलब्धि, मांग से बहुत कम है और यह कमी बहुत स्पष्ट है।

आयातित खनिज से धातु उत्पादन

यह सच है कि संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें उसकी आवश्यकता की प्रत्येक धातु का खनिज पदार्थ उसके यहां ही मिलता हो और अगर हम अपनी उत्पादन-व्यवस्था सिर्फ उन्हीं खनिज पदार्थों के आधार पर बनायें, जो देश में ही मिलते हों तो ऐसा करना ठीक न रहेगा। इसलिए एक ओर तो हमें देश में हो खनिज पदार्थ खोजने की पूरी पूरी कोशिशें करनी चाहिए जिससे यथा सम्भव अधिक खनिज पदार्थ देश में ही उपलब्ध हो सकें लेकिन दूसरी ओर हमें याद रखना चाहिए कि औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़े हुए देशों ने धातुओं तथा धातु मिश्रणों का उत्पादन आयात किये हुए खनिजों से शुरू किया है। बौक्साइट, खनिज तांबा, खनिज लोहा, खनिज मैंगनीज, खनिज जस्त आदि को समुद्र पार करके एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता है जिससे वहां धातु तथा धातु मिश्रण बनाए जा सकें। इसलिए हमें भी जहां लाभप्रद हो तथा लागत कम आए, वहां खनिज गलाने, साफ करने और धातु बनाने की क्षमता स्थापित करने के बारे में गौर करना चाहिए। बहुत से देशों में बढ़िया खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं ही।

तैयार माल निर्यात करने की जरूरत

यहां तैयार माल खासकर इंजीनियरी की चीजों का निर्यात करने की महान आवश्यकता पर जोर दिये बिना नहीं रहा जा सकता। निर्यात के क्षेत्र में इंजीनियरी उद्योगों का काम बुरा नहीं रहा है, भले ही यह अभी शुरूआत मात्र है। इंजीनियरी की चीजों का निर्यात ४-५ करोड़ रु० प्रतिवर्ष है। यह निर्यात तेजी से बढ़ाने के लिए सभी पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए और इस ओर बड़ी सावधानी से ध्यान देना चाहिए। हमारी साइकिलों, सिलाई की मशीनों, बिजली के पंखों, मशीनी औजारों, बिजली की मोटरों, रेडियो तथा इंजीनियरी उद्योग की अन्य चीजों की किस्म बहुत अच्छी है। इनकी किस्म में और सुधार किया जा सकता है और कीमतें घटाई जा सकती हैं।

मोटर गाड़ी उद्योग

मोटर गाड़ी उद्योग के लिये द्वितीय आयोजना में सभी किस्म की ६५,००० गाड़ियां बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिनमें लगने वाले पुर्जे मूल्य की दृष्टि से १९६०-६१ तक ७५ से ८० प्रतिशत होने हैं। यह परिमाण तथा देशी माल के अनुपात दोनों, की दृष्टि से पहली आयोजना की समाप्ति के समय की स्थिति से १०० प्रतिशत अधिक है। १९५० में जहां २५ करोड़ रु० की कीमत की मोटर गाड़ियां देश में बनी थीं वहां १९५७ में ५० करोड़ रु० की बनीं और १९६० तक ११० करोड़ रु० तक बनने की आशा है। मोटर गाड़ियां बनाने के उद्योग तथा इसके अन्य सहयोगी उद्योगों में २५ करोड़ रु० की पूंजी लगी है और इसमें २३,००० से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

टटकर आयोग द्वारा मोटर गाड़ी उद्योग की पहली जांच के अनुसार कुछ कड़े कदम उठाये गये जैसे सिर्फ पुर्जे जोड़कर मोटरें बनाने वाले कारखाने बन्द कर दिये गये जिससे यह उद्योग अधिक मजबूती से जम सके। इसके बाद भी बाकी के देशी कारखानों की स्थिति अस्पष्ट तथा अनिश्चित रही। टटकर आयोग ने १९५६ के उत्तरार्द्ध में अपनी दूसरी रिपोर्ट दी जिससे उद्योग को और खींचा गया। विदेशी मुद्रा की स्थिति विषम होने से इस उद्योग को और भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कहा गया और यह जोर दिया गया कि यह उद्योग अपनी बनी मोटरों और देशी पुर्जों की अनुपात बढ़ाए, उत्पादन के तरीकों में सुधार करे और कुछ ही किस्मों की मोटर गाड़ियां बनाए। इससे अंततः इस उद्योग का लाभ होगा। इस उद्योग की कार्य-पद्धति तथा जिस लगन से यह उद्योग काम करता है, उसकी जांच करने से यह भली प्रकार अनुमान लगाया जा सकता है कि सभी कठिनाइयों के बाद भी द्वितीय आयोजना में रखे गये सभी लक्ष्य पूरे कर सकने की क्षमता तथा सामर्थ्य इस उद्योग में है।

उत्कृष्टता तथा लागत

भारतीय मोटर गाड़ियां—जीपों, कारों तथा ट्रकों की उत्कृष्टता का प्रश्न काफी हद तक हल हो चुका है और सरकार के मार्ग दर्शन तथा उद्योग के सहयोग से इस उद्योग द्वारा बनाये जा रहे माल की किस्मों में और भी सुधार होता जा रहा है। इनकी उत्पादन लागत का सवाल अभी हल नहीं हो पाया है क्योंकि इनका उत्पादन अधिक नहीं है वैसे भारत में बनने वाली कारों, जीपों तथा व्यापारिक गाड़ियों के माडलों तथा किस्मों की संख्या संसार के सभी देशों से कम है। मोटरें बनाने वाला संसार का कोई भी देश हमारे देश की अपेक्षा कम किस्मों तथा माडलों का न तो आयात करता है और न निर्माण करता है। लेकिन इसके बाद भी उत्पादन कम होने के कारण हमारे देश में बनी मोटरगाड़ी की लागत अन्य उत्पादक देशों की तुलना में अधिक

पड़ती है। उत्पादन कम होने के कारण ये हैं कि इनके लिए देशी तथा विदेशी साधनों (खासकर विदेशी मुद्रा) की कमी और देश में मांग खूब न होना है। लेकिन जैसे-जैसे हमारा उत्पादन व्यवहार्य उच्चतम सीमा पर होने लगेगा वैसे वैसे उत्पादन की लागत भी कम होती जाएगी।

सीमेण्ट उद्योग

पिछले दस वर्षों में सीमेण्ट के उत्पादन की प्रगति निम्नानुसार है:—

वर्ष	कारखानों की संख्या	उत्पादन टनों में	उत्पादन क्षमता के उपयोग का प्रतिशत
१६४७	१८	१४,४७,६६०	७०
१६५१	२२	३१,६५,४४२	६०
१६५५	२७	४४,६५,६२०	६५
१६५७	२८	५५,६८,०००	८५

देश में इस समय सीमेंट बनाने की स्थापित उत्पादन क्षमता ६६ लाख टन है और १६५७ में उत्पादन ५६ लाख टन हुआ था। इस प्रकार कुल क्षमता का ८६ प्रतिशत प्रयोग हुआ। इस उद्योग में २६ कारखाने हैं जिनमें ३५-४० करोड़ रु० की पूँजी लगी हुई है और इससे ३०,००० लोगों को रोजगार मिलता है। अनुमान है कि इस उद्योग ने १६५७ में ६६० लाख टन चूना पत्थर तथा मिट्टी, ३ लाख टन जिप्सम, २४ लाख टन कोयला, १८०-२४० लाख गैलन पानी, ७२ करोड़ किलोवाट घंटा बिजली तथा ६६० लाख बोरियां प्रयोग कीं। सीमेंट बनाने में चूने के लिये चूने का पत्थर तो मुख्य साधन है ही, इसके अतिरिक्त शंख, चिकनी मिट्टी और रासायनिक मेल भी काफी परिमाण में प्रयोग किया जाता है।

चालू मांग

आयोजना आयोग ने १६५१ से १६५६ तक के लिये बनाये औद्योगिक विकास कार्यक्रम में १६५२-५३ तक सीमेंट की मांग ३३ लाख टन और १६५५-५६ तक ३८ लाख टन होने का अनुमान लगाया था। इस अनुमान में बहुउद्देश्यीय योजनाओं तथा सड़क निर्माण की आवश्यकताएं सम्मिलित नहीं थी। इनको शामिल करके १६५५-५६ तक इसकी मांग ४५ लाख टन आंकी गयी थी। लेकिन बाद की स्थितियों से पता चला कि ये अनुमान अनुदार ही थे और सीमेंट की मांग इससे कहीं अधिक थी जैसा कि वास्तविक उत्पादन तथा मांग के अनुमान से प्रकट है। इस समय सीमेंट की कुल आवश्यकता ६० लाख से लेकर १ करोड़ टन तक प्रतिवर्ष है। १६६०-६१ तक सीमेंट की मांग बढ़ कर १ करोड़ ४० लाख टन तक पहुंच गयी है जिसके लिये १ करोड़ ६० लाख टन सीमेंट उत्पादन की क्षमता होनी जरूरी है। तीसरी पंचवर्षीय आयोजना, १६६१-६६, में सीमेंट की मांग बढ़कर २-२॥ करोड़ टन प्रतिवर्ष हो जाएगी। अगर हमारी अर्थ-व्यवस्था सम्मिलित रूप से तेजी से बढ़ी तो सीमेंट की मांग ३ करोड़ टन तक भी पहुंच सकती है।

उद्योग का विस्तार कार्यक्रम

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में सीमेंट उद्योग की उत्पादन क्षमता १ करोड़ ६० लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस समय इसकी स्थापित उत्पादन क्षमता वाली ६६ लाख टन से ऊपर है। ८७ लाख टन की वार्षिक क्षमता वाली नयी योजनाएं तथा विस्तार योजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं। इन ५५ योजनाओं में से २६ योजनाएं तो वर्तमान कारखानों का ही पर्याप्त विस्तार करने की हैं जिससे ४० लाख टन सीमेंट अतिरिक्त पैदा करने की क्षमता स्थापित होगी और २६ नये कारखाने स्थापित किये जाएंगे जिनसे ४७ लाख टन सीमेंट बन सकेगा। जब ये योजनाएं क्रियान्वित हो जाएगा तो उद्योग की क्षमता प्रतिवर्ष १॥ करोड़ टन सीमेंट से अधिक बनाने की हो जाएगी। इनके अतिरिक्त ७.४ लाख टन क्षमता की ३ और योजनाओं पर सरकार विचार कर रही है। इनमें १ एक योजना नया कारखाना स्थापित करने और २ योजनाएं वर्तमान कारखानों का विस्तार करने की हैं। जाब्ते की कुछ कार्रवाइयां पूरी होने पर इन योजनाओं के लिये भी लाइसेंस दे दिये जाएंगे। इस प्रकार १६६०-६१ तक सीमेंट उद्योग की कुल लाइसेंस शुदा क्षमता १ करोड़ ६० लाख टन हो जाएगी।

सीमेंट की मशीनों का निर्माण

सीमेंट बनाने की मशीनें बनाने की दिशा में भी देश ने काफी प्रगति की है। दो फर्मों को सीमेंट बनाने की कुछ मशीनें जैसे, भट्ठी, क्लिंकर कूलर, क्लिंकर ब्रेकर आदि अपने प्रयोग के लिये बनाने लगी हैं। इनके अलावा एक इंजीनियरी फर्म को प० जर्मनी के सहयोग से सीमेंट बनाने का पूर्ण संयंत्र बनाने का लाइसेंस दे दिया गया है। यह फर्म साल में ऐसे दो संयंत्र बना सकेगी। इनमें से प्रत्येक संयंत्र से ३०० से लेकर ५०० टन तक सीमेंट प्रतिदिन बन सकेगा।

सीमेंट निर्माताओं के सबसे बड़े ग्रुप ने दो विख्यात ब्रिटिश फर्मों के सहयोग से सीमेंट बनाने की भारी-भारी मशीनें जैसे पत्थर पीसने का मिल, ट्यूब मिल, एयर सैपरेटर, रोटरी किल्न, माल ले जाने तथा परिवहन के उपकरण, स्लरी मिक्सर बेसिन, स्लरी पम्प, वाश मिल, पंखे और ब्लोअर आदि बनाने की योजना बनायी है। यह योजना अन्तिम रूप से तैयार होने के अंतिम चरण में है। इस योजना में विशाल, मध्यम तथा उच्च दबाव वाले बोइलर तथा कुछ खनन मशीनें जैसे वाइन्डर, क्रेन, स्किप्स, हौलर आदि बनाने की भी परिकल्पना की गयी है।

भारत में रसायनिक उद्योगों का विकास

★ आत्म निर्भर होने के लिए आकांक्षापूर्ण-कार्यक्रम।

शांतिकाल हो चाहे युद्धकाल रसायनिक उद्योगों का महत्व कभी कम नहीं होता क्योंकि इस उद्योग में बनी चीजें अन्य आवश्यक [उ]द्योगों जैसे वस्त्र, विस्फोटक, धातु, वनास्पती, चमड़ा, कागज, काच, [पे]ट्रोलियम, प्लास्टिक, रबड़, औषध, साबुन, चीनी आदि में प्रयोग की [जा]ती हैं। जो रसायनिक पदार्थ बड़े परिमाण में तैयार किये जाते हैं [औ]र अन्य उद्योगों में कच्चे माल या अर्ध-तैयार माल के रूप में प्रयोग [कि]ये जाते हैं, उन्हें भारी रसायनिक उद्योग कहते हैं। रसायनिक [उ]द्योग, खासकर भारी रसायनिक उद्योग किसी भी देश के आर्थिक विकास [में] महत्वपूर्ण भाग अदा करते हैं।

भारतीय रसायनिक उद्योग अभी अपनी शैशवावस्था में ही है [औ]र पिछले कुछ वर्षों में ही यह कुछ पनपा है। लेकिन इस उद्योग [ने] अपनी तेज तथा सुदृढ़ बढ़वार के प्रमाण देने शुरू कर दिये हैं। [प्र]थम आयोजना में विकास के नये मार्ग बताने के अलावा १९५१ से [१]९५६ तक की अवधि के लिए क्षमता और उत्पादन के लक्ष्य भी [नि]र्धारित किये गये थे। ये लक्ष्य जानबूझ कर कुछ कम ही रखे गये थे [जि]ससे कम से कम उस सीमा तक तो विकास बिना किसी कठिनाई के [हो] जाए जितने के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। बाद में रसायनिक उद्योग को उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत ले आया गया और अब इस उद्योग के भावी योजना निर्माण का नियमन भारत सरकार करती है।

आत्म-निर्भर होना हमारा उद्देश्य

इस उद्योग का पहला उद्देश्य यह है कि हम १९५५ से पहले जिन रसायनिक पदार्थों का आयात करते थे और अब भी काफी हद तक आयात करते हैं उनका दूसरी आयोजना की अवधि में देश में ही उत्पादन होने लगे जिससे उनके बारे में हम आत्म निर्भर हो सकें। निम्न पदार्थों के बारे में यह उद्देश्य पूरा हो गया है:—हाइड्रोजन पर आक्साइड, वाई क्रोमेट, कार्बन ब्लेक, काच की चादरें, सीमेण्ट, सेलूलोज एसीटेट, तागा, स्टेपल रेशा, टायर और ट्यूब, रंग और वारनिशें तथा स्याहियां। आशा है कि १९६१ तक इन मुख्य वस्तुओं के बारे में हम आत्म निर्भर हो जाएंगे—सोडा एश, कास्टिक सोडा, हाइड्रो सल्फाइट आफ सोडा, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम कारबाइड, एण्टी बायोटिक्स, बहुत सी औषधें तथा भेषज, पोलीथीन जैसे प्लास्टिक तथा सभी प्रकार के कागज (अखबारी कागज को छोड़ कर)।

१९६१ तक की संभावनाएं

कुछ महत्वपूर्ण रसायनिक पदार्थों का वर्त्तमान तथा सम्भावित उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ रहा है और उनका आयात बराबर घटता जा रहा है। इनके उत्पादन तथा आयात के आंकड़े देखने से यह आशा होती है कि सोडा एश और कास्टिक सोडे का उत्पादन १९५१ से १९६१ तक के वर्षों में क्रमशः ५ तथा ८ गुना हो जाएगा। जहां तक कैल्शियम खारभाइड का सम्बन्ध है, १९५१ से इसका बिलकुल उत्पादन नहीं होता था, लेकिन आशा है कि इसकी उत्पादन क्षमता स्थापित हो जाएगी और १९६१ तक इसका उत्पादन कम से कम २५,००० टन हो जाएगा और उस समय न सिर्फ देश की सारी आवश्यकताएं पूरी की जा सकेंगी बल्कि कुछ परिमाण में इसका निर्यात भी किया जा सकेगा। कागज के सम्बन्ध में ऐसा लगता है कि १९५१ में भी भारत को अखबारी कागज के अलावा २५,००० टन कागज आयात करना होगा। यह संख्या उस वर्ष के सभी प्रकार के कागज के अनुमानित उत्पादन ३,५०,००० टन की तुलना में ही कम है। १९६१ तक बहुत ही विशेष किस्मों का कागज भारत में आयात होने दिया जाएगा। सम्भवतः पोलीथीन का १९६१ तक इतना निर्माण होने लगे जो देश की कुल आवश्यकताओं से भी अधिक हो और इस प्रकार हम इस माल के विदेशों से होने वाले आयात पर निर्भर रहने के बदले इसे निर्यात करने तक की स्थिति में होंगे।

समापित रंगों का जहां तक सम्बन्ध है, इनका आयात १९५१ के १४.२७ करोड़ रु० से घटकर १९६१ में २ करोड़ रु० से भी कम रह जाएगा। लेकिन यह सम्भव है कि इन रंगों को बनाने के काम आने वाले अर्ध तैयार मालों का आयात तब तक बढ़ता जाए जब तक सरकारी क्षेत्र में खोली जाने वाली प्रायोजनाओं से मूल कच्चे मालों जैसे बैंजीन, टोलयून तथा नेफथलीन से इनका उत्पादन शुरू न हो जाए।

उद्योग की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं

यह अनुमान लगाया गया है कि रसायनिक पदार्थ तथा इससे सम्बद्ध उद्योगों द्वारा इस वर्ष बनायी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य ३५० करोड़ रु० के आस पास होगा। रसायनिक पदार्थ उद्योग को इस बात का लाभ प्राप्त है कि इसकी अधिकांश चीजों के उत्पादन के लिए देशी कच्चे माल उपलब्ध हैं। लेकिन कुछ कच्चे माल, अर्ध तैयार माल और सहायक रसायनिक पदार्थ अब भी आयात करने होते हैं तथा आवश्यक फालतू पुर्जे और रखरखाव के लिए आवश्यक सामान आयात करने पर काफी धन खर्च करना होता है। १९५८ में ३५० करोड़ रु० का उत्पादन करने के लिए इन चीजों का आयात करने पर इस मूल्य का २० प्रतिशत भाग खर्च करना होगा।। इसका अर्थ यह हुआ कि रसायनिक पदार्थ तथा इससे सम्बद्ध उद्योगों को लगभग ७० करोड़ रु० का आयात करना होगा। कुछ आवश्यक कच्चे मालों जैसे रेयन बनाने के काम आने वाली लुग्दी, गन्धक, तेल, रंग तथा औषध उद्योग के काम आने वाले अर्ध तैयार माल, मूल प्लास्टिक जैसे पोलीविनील क्लोराइड और यूरिया फार्मेल डीहाइड तथा फास-फोरस और फासफोरिक एसिड का आयात घटाने की योजनाएं पहले से ही सरकार के विचाराधीन हैं। यद्यपि ऐसे कारखाने स्थापित करने से काफी हद तक विदेशी मुद्रा का वर्तमान खर्चा घट जाएगा, और इंजीनियरी की चीजें बनाने के प्रत्येक प्रयास भी किये जा किये जा रहे हैं, तथापि यह सम्भव है कि आने वाले कुछ वर्षों तक हमें कच्चे मालों, फालतू पुर्जों और रखरखाव के सामान के आयात पर उतना ही धन खर्च करना पड़े जितना हम आज कर रहे हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि सभी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने की आशा है।

आयात के लिए निर्यात करें

जहां तक आयात विषयक आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, रसायनिक उद्योग को संतुलित बनाने के लिये यह जरूरत है कि जितनी जल्दी संभव हो, उतनी जल्दी इसकी बनी चीजों का निर्यात बढ़ाया जाए जो अगले ५ वर्षों में कम से कम ७० करोड़ रु० का तो हो जाए। इस समय रसायनिक पदार्थों के निर्यात का मूल्य बहुत थोड़ा है। अगर हम तेलों, खलों, उड़नशील तेलों तथा हड्डी के चूरे को निकाल दें (जो बने बनाये रसायनिक पदार्थों की अपेक्षा कच्चे माल अधिक हैं) तो रसायनिक पदार्थ तथा उनसे सम्बन्ध रखने वाले अन्य पदार्थों का निर्यात ७ करोड़ रु० वार्षिक से अधिक का न रह जाएगा।

मद्यसार का निर्यात

आइये पहले हम उन चीजों के निर्यात की संभावनाओं पर विचार करें, जिनके दाम अन्य देशों की अपेक्षा कम हैं और कभी कभी तो संसार में न्यूनतम हैं। उदाहरण के तौर पर चीनी मिलों से प्राप्त शीरे से बनने वाला मद्यसार भारत में बड़े परिमाण में फालतू है और कारखाने में उसकी उत्पादन लागत या बंदरगाह में जहाज पर उसका मूल्य सं०रा० अमेरिका तथा यूरोप की तुलना में बहुत कम है। मद्यसार समिति ने सिफारिश की है कि इस उद्योग का इतना विस्तार किया जाए कि १९६१ तक इस का उत्पादन ४६८लाख गैलन हो जाए जबकि इस समय सभी प्रकार के मद्यसार का उत्पादन १६०लाख गैलन है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि १९६१ तक जिन उद्योगों की स्थापना की परिकल्पना की गयी है उसके लिए कच्चे माल के रूप में अलकोहल रखकर तथा इस समय बन रहे नये उद्योगों के लिए १करोड़ गैलन शक्ति मद्यसार रखकर भी १ करोड़ गैलन मद्यसार निर्यात के लिए उपलब्ध होगा। अगर रसायनिक उद्योगों में मद्यसार को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने की कुछ योजनाएं स्थापित न हो पायीं जैसी कि संभावना अपनी विदेशी मुद्रा की स्थिति को देखकर है, तो निर्यात योग्य बचा हुआ मद्यसार और भी अधिक होगा। इसलिए व्यवहारिकता की बात यह होगी कि निकट भविष्य में अधिक से अधिक मद्यसार का निर्यात किया जाए।

चाय की पेटियों के निर्यात की गुंजाइश

चाय की पेटियां तथा व्यापारिक काम आने वाला प्लाईवुड एक ऐसा उद्योग है, जिसके निर्यात बढ़ सकने की गुंजाइश है। एक समय था जब,चाय की पेटियां बनाने के लिए,प्लाईवुड विदेशों से आयात करना होता था। चाय की पेटियांबना ने के लिए प्लाईवुड के आयात पर अब रोक लगा दी गयी है और देश में इसका उत्पादन बढ़कर ९.५करोड़ वर्ग फीट होगया है जिसका मूल्य २.५ करोड़ रु०है। इसकी तुलना में चायकी पेटियों का निर्यात सिर्फ ७लाख रु०प्रतिवर्ष है। जब यह विचार किया जाए कि हमारे कुछ पड़ोसी देश चाय के तो निर्यातक हैं और चाय की पेटियों का आयात करते हैं, तो जाहिर है कि चाय की पेटियों के प्लाईवुड का पर्याप्त निर्यात किया जा सकता है। इस चीज के बारे में हमें यह और लाभ प्राप्त है कि प्लाईवुड बनाने के हमारे कारखाने बड़े बन्दरगाहों के समीप हैं। व्यापारिक तथा सजावट के काम आने वाले प्लाईवुड का निर्यात हो सकने की भी अच्छी संभावना है।

क्लोरीन का निर्यात संभव

कुछ महीने पहले तक हमें क्लोरीन की बहुत ही कमी का सामना करना पड़ रहा था जिसका कारण उत्पादन गिर जाना नहीं, बल्कि सफाई

के कामों में तथा कीटनाशक पदार्थों, ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीच किया हुआ कागज बनाने में इसका प्रयोग बहुत ही तेजी से बढ़ गया था। कास्टिक सोडा बनाने के चार और कारखानों में उत्पादन शुरू होने से स्थिति फिर सुगम हो गयी है। अनुमान है कि १९६१ तक हमारे पास प्रतिवर्ष ५ से १० हजार टन तक क्लोरीन फालतू होगी। क्लोरीन बनाने से निर्माता को ही लाभ नहीं होता बल्कि कास्टिक सोडा का दाम भी गिराया जा सकता है जो मूल रासायनिक पदार्थ के रूप में बड़ा मूल्यवान है और क्लोरीन के साथ ही पैदा किया जाता है। अधिकांशिक कारखाने बन्दरगाहों पर स्थापित किये गये हैं, इस बात से तथा अन्य दृष्टियों से क्लोरीन का निर्यात करने पर विचार करना व्यवहारिक बात हो गयी है।

इनके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जिनके निर्यात से थोड़ी थोड़ी विदेशी मुद्रा कमायी जा सकती है लेकिन इन सबका योग करने से इनका परिमाण काफी अधिक हो सकता है। निर्यात सम्वर्द्धन से हम हजार या लाख रु० कमाने में उतनी ही दिलचस्पी लेते हैं जितने करोड़ों रु० कमाने में। इसलिये जिन वस्तुओं का भी निर्यात संभव है, उनका निर्यात करना ही चाहिए। इन वस्तुओं में हाइड्रोजन पर आक्साइड, बाइक्रोमेट, काच का सामान, फिटकरी, साबुन तथा सौन्दर्य प्रसाधन आदि उल्लेखनीय हैं। सामान्यतः ये चीजें तभी निर्यात की जा सकती हैं, जब ये उत्कृष्ट कोटि की हों और इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे निर्माता बढ़िया से बढ़िया किस्म का माल तैयार करें।

गंधक के तेजाब के लिए देशी कच्चा माल

अब मुख्य रासायनिक उद्योगों की प्रगति तथा आगे की संभावनाओं का सिंहावलोकन कर लिया जाए। पहले गंधक का तेजाब बनाने के उद्योग को ही लीजिए। पिछले महायुद्ध में भारत में गंधक के तेजाब का उत्पादन २७,००० टन प्रतिवर्ष था। गंधक के तेजाब का उत्पादन किसी भी देश के औद्योगिक विकास का सूचक अंक समझा जाता है। लड़ाई का प्रोत्साहन पाकर इसका काफी विकास हुआ और स्वतंत्रता के पहले उत्पादन बढ़कर ६३,००० टन प्रतिवर्ष हो गया। दस सालों के अन्दर यह उत्पादन बढ़कर अब १,९५,००० टन हो गया है अर्थात् उसमें ३०० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उत्पादन इतना बढ़ने के बाद भी इस मूल रासायनिक पदार्थ के भाव बहुत ऊंचे रहे जो इसका प्रयोग बढ़ने और इसका विकास होने में बाधा ही बने रहे। सरकार तथा उद्योगपतियों से हुई बातचीत के फलस्वरूप तेजाब का उच्चतम मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। इस उद्योग में गंधक होने वाली एक और बात है कारखानों का आकार छोटा होना। तेजाब की उत्पादन लागत गंधक के मूल्य के अलावा कारखाने के आकार पर भी निर्भर है। उत्पादन लागत में मितव्ययता करने के लिए, नये कारखानों के आकार के बारे में यह निर्धारित कर दिया गया है कि वे कम से कम ५० टन या इससे अधिक गंधक बनाने लायक हों। गंधक का तेजाब बनाने के संयंत्रों का देश में ही निर्माण करने की दिशा में हमने शुरूआत कर दी है। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में गंधक के तेजाब के उत्पादन का लक्ष्य ५ लाख टन रखा गया है। इतना उत्पादन करने के लिए जो कारखाने स्थापित करने की आवश्यकता है, उनके लिए लाइसेंस दे दिये गये हैं। चूंकि अभी तक देश के अन्दर ही गंधक की खानें नहीं मिली हैं, इसलिए भारत में ही मिलने वाले ऐसे पदार्थों का प्रयोग करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिनमें गंधक होता है। ऐसे पदार्थों में से मुख्य पदार्थ हैं सोना मक्खी (पाइराइट) तथा खड़िया (जिप्सम)। देशी कच्चे मालों, खासकर सोना मक्खी से गंधक बनाने का उद्योग स्थापित करने का विचार सरकार कर रही है। बताते हैं कि बिहार में करोड़ों टन सोना मक्खी के भंडार हैं और इसे खोजने का काम अभी चल रहा है। इस खनिज पदार्थ का विश्लेषण करने से पता चला है कि यह अच्छी किस्म का है और जितना खनिज उपलब्ध है, इसका परिमाण ज्ञात होने पर इसका लाभप्रद प्रयोग करने के बारे में विचार किया जाएगा।

कास्टिक सोडा

बहुत से उद्योगों में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ, कास्टिक सोडा, के निर्माण की प्रगति कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। १९४७ में इस सोडे का उत्पादन जहां ४००० टन था वहां अब ४२,००० टन हो गया है। साबुन, सूती कपड़ा, कागज, रेयन, सूखे रंग, रासायनिक तथा बनास्पती उद्योगों में ही कास्टिक सोडा की मांग १,००,००० टन प्रतिवर्ष है और आशा है कि यह मांग द्वितीय आयोजना के अन्त तक बढ़कर १,५०,००० टन हो जायेगी। जो विस्तार कार्यक्रम हाथ में लिए हुए हैं तथा जो नये कारखाने स्थापित होने हैं, उनके स्थापित होने पर कास्टिक सोडे के उत्पादन की कुल क्षमता १९६१ तक १,५०,००० टन हो जायगी। इस प्रकार देश की सारी मांग संतोषजनक रूप से देशी उत्पादन से ही पूरी हो सकेगी। कुछ नये कारखाने अधिक शुद्ध कास्टिक सोडा भी तैयार करेंगे जो रेयन उद्योग तथा अन्य उद्योगों में काम आ सकेगा।

तरल क्लोरीन : मांग उत्पादन से अधिक

पिछले कुछ सालों में क्षार उद्योग के विकास की मुख्य बात यह है कि विभिन्न उपभोक्ता उद्योगों द्वारा क्लोरीन के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि क्लोरीन की वर्तमान मांग उसके उत्पादन से आगे निकल गयी है। देश के रासायनिक उद्योग की यह महत्वपूर्ण प्रगति है। देश में पहली बार स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर बनाया गया और उसका उत्पादन ५,००० टन प्रतिवर्ष की दर से किया जा रहा है। स्वाधीनता से पहले तरल क्लोरीन का उत्पादन बड़ा मुश्किल से १,५०० टन था वहां अब १५,५०० टन हो गया है। आशा है कि इसकी मांग द्वितीय आयोजना के अंत तक बढ़कर ७५,००० टन हो जाएगी क्योंकि कपड़ा और कागज उद्योगों में

इसका प्रयोग बढ़ गया है, पानी साफ करने के लिये इसका अधिकाधिक प्रयोग होने लगा है तथा क्लोरीन से विविध रसायनिक पदार्थ बनाये जाने लगे हैं।

क्लोरीन से बनने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन भी १९५१ के २००० टन से बढ़कर अब ११,३०० टन हो गया है क्योंकि अप्रांगारिक क्लोराइडों, प्रांगारिक रसायनिक पदार्थों तथा सूखे रंगों में क्लोरीन की खपत बढ़ गयी है। पिछले पांच वर्षों में क्लोरीन के प्रयोग से बनने वाले नये पदार्थों में इन चीजों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है—अमोनियम क्लोराइड, दुर्लभ मृतिका क्लोराइड, डी० डी० टी०, बी० एच० सी० तथा ओथीन।

कास्टिक सोडा क्लोरीन उद्योग का भावी विकास क्लोरीन के अधिकाधिक प्रयोग पर निर्भर है और इसका एक प्रयोग क्लोरीन प्रांगारिक पदार्थ बनाना है। स्वतन्त्रता के बाद से इस दिशा में काफी प्रगति हुई है और सरकारी क्षेत्र में डी० डी० टी० तथा दुर्लभ मृत्तिका क्लोराइडों का उत्पादन शुरू किया गया है। दिल्ली स्थित डी० डी० टी० कारखाने की उत्पादन क्षमता ७०० टन प्रतिवर्ष है। अलवाय स्थित दूसरे कारखाने की क्षमता १४०० टन प्रतिवर्ष है। दूसरी आयोजना के अंत तक इन दोनों कारखानों का उत्पादन बढ़कर २८०० टन हो जाएगा। बी० एच० सी० बनाने के दो कारखाने गैर सरकारी क्षेत्र में हैं जिनकी कुल क्षमता इस समय २,५०० टन प्रतिवर्ष और बढ़कर संभवतः ३,००० टन हो जायगी।

सोडा एश का उत्पादन बढ़ा

पिछले महायुद्ध के दौरान में सोडा एश का उत्पादन मुश्किल से १२,००० टन था। तब से इसका उत्पादन बढ़ ही रहा है और १९४७ के १३,६४२ टन से बढ़कर १९५३ में ५७,००० टन हो गया। आज इसकी उत्पादन क्षमता ६०,००० टन है। दो अन्य बड़े कारखाने भी स्थापित किये जाने हैं। पोरबंदर में जो कारखाना है, उसकी विस्तार योजना भी है, जिसके अनुसार इसकी उत्पादन क्षमता २०० टन प्रति दिन से बढ़ाकर ४०० टन प्रतिदिन हो जाएगी। टाटा कैमीकल्स ने अपने वर्त्तमान कारखाने की क्षमता बढ़ाकर २०० टन करने के कदम उठाये हैं, और इसे बढ़ाकर ४०० टन करने के प्रस्ताव भी हैं। सौल्वेय प्रणाली से सोडा एश बनाने का एक कारखाना बनारस में स्थापित किया जाना है। जब इन सारे कारखानों में उत्पादन होने लगेगा तो देश की आवश्यकताएं कमोबेश पूरी हो सकेंगी। दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अंत तक सोडा एश के उत्पादन का लक्ष्य २,३०,००० टन रखा गया है। इस समय भारी सोडा एश का उत्पादन देश में नहीं होता है। कांच तथा बाइक्रोमेटों का उत्पादन करने के लिये ५०,००० टन भारी सोडा एश आयात करना होता है। देश में ही भारी सोडा एश बनाने की योजनाएं तैयार की गयी हैं जिससे द्वितीय आयोजना के अन्त तक हम अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

नाइट्रोजन युक्त उर्वरक

देश का खाद्य उत्पादन बढ़ाने में उर्वरकों का भाग बहुत महत्वपूर्ण होता है। लड़ाई से पहले कोक ओवन संयंत्रों से अमोनियम सल्फेट प्राप्त किया जाता था और इसका उत्पादन २०,००० टन प्रतिवर्ष होता था। कृत्रिम अमोनियम का उत्पादन तथा उससे अमोनियम सल्फेट बनाने का काम लड़ाई के दौरान में शुरू हुआ और ६,६०० टन उत्पादन क्षमता का एक कारखाना स्थापित किया गया। स्वतन्त्रता मिलने के बाद इस दिशा में तेजी से विकास हुआ है। कृत्रिम अमोनियम सल्फेट का दूसरा कारखाना १९४८ में स्थापित हुआ जिसकी उत्पादन क्षमता ४८,००० टन थी। हाल के वर्षों में हुई प्रगति की मुख्य बात है सरकार द्वारा सिंदरी में खाद तथा रसायनिक पदार्थ बनाने के कारखाने की स्थापना। इसमें जिप्सम प्रणाली से १००० टन अमोनियम सल्फेट प्रतिदिन बनता है। अब यह कारखाना पिछले ५ सालों से बराबर उत्पादन कर रहा है। शुरू में कुछ कठिनाइयां आने के बाद जो इतने विशाल कारखानों की स्थापना पर आया ही करती हैं—यह कारखाना पूर्ण क्षमता से उत्पादन करने लगा है। इसकी क्षमता और बढ़ाने के प्रस्ताव हैं जिससे यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट सल्फेट से ४७,००० टन नाइट्रोजन बन सके। इस प्रकार सिंदरी का उत्पादन लगभग १६०० टन प्रतिदिन अथवा अमोनियम सल्फेट के रूप में ५,००,००० टन होगा।

अमोनियम सल्फेट का उत्पादन १९४८ तथा १९५२ के बीच २-३ लाख टन प्रतिवर्ष था लेकिन अब बढ़कर १० लाख टन हो गया है। नाइट्रोजन युक्त खादों की खपत में तेजी से होने वाली इस वृद्धि के लिये उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, जिसके लिये कदम उठाये जा चुके हैं। नंगल में अमोनियम नाइट्रेट (७०,००० टन नाइट्रोजन), नैवेली में यूरिया (७०,००० टन नाइट्रोजन) तथा राउरकेला इस्पात कारखाने से नाइट्रोलाइम स्टोन (८०,००० टन नाइट्रोजन) तैयार करने के प्रस्ताव हैं। तेल शोधक कारखानों से निकलने वाली गैसों को उर्वरकों के उत्पादन में प्रयोग करने के भी प्रस्ताव हैं।

फास्फेट वाले उर्वरक

लड़ाई से पहले देश में बनाये जाने वाले सुपर फौस्फेट का उत्पादन बहुत थोड़ा, २,००० टन प्रतिवर्ष था। स्वतन्त्रता से पहले उत्पादन के आंकड़े ५,००० टन थे। बाद के वर्षों में सुपर फौस्फेट के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। १९४८ में इनका उत्पादन जहां २१,००० टन था वहां १९५३ में ४८,२९४ टन हो गया। फौस्फेट वाले उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार तरह-तरह के उपायों से प्रेरणा प्रदान कर रही है अर्थात् आर्थिक सहायता, ऋण आदि दे रही है और इसका परिणाम यह हुआ है कि उर्वरकों का प्रयोग पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गया है। चालू वर्ष में इनका उत्पादन १,५०,००० टन हो जाने की आशा है। द्वितीय आयोजना

के अन्त तक सुपर फास्फेट के रूप में इनके उत्पादन का लक्ष्य ७,२०,००० टन रखा गया है। जब वर्तमान कारखानों के विस्तार तथा नये कारखानों की स्थापना की योजनाएं पूरी हो जाएंगी तो इतना उत्पादन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

देश में उर्वरकों की ढुलाई पर आने वाले खर्चे को देखते हुए, जाहिर है कि समीकृत उर्वरक का उत्पादन करना लाभप्रद होगा। फौस्फेट युक्त उर्वरकों के सम्बन्ध में, अमोनियम फौस्फेट (नाइट्रोजन : पी०₂ ओ०₅—१६ : २०) के उत्पादन की एक योजना पर काम चल रहा है। इलैक्ट्रो थर्मल प्रणाली से प्राप्त प्रारम्भिक फास्फोरस से त्रिगुणित सुपर फौस्फेट बनाने की एक प्रायोजना राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के विचाराधीन है।

बाइक्रोमेटों के निर्यात की सम्भावना

देश में बाइक्रोमेटों के उत्पादन का इतिहास द्वितीय महायुद्ध के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। इसका उत्पादन युद्धकाल में ही आरम्भ हुआ और बाद में भी होता रहा। इसके बाद इस उद्योग को संरक्षण दे दिया गया। इस समय इनका उत्पादन मुख्य रूप से तीन कारखानों में होता है, जिनकी स्थापित उत्पादन क्षमता ४,००० टन प्रतिवर्ष है। यह उद्योग भारत की बाइक्रोमेटों तथा क्रोम लवण आदि की सारी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। भारतीय बाइक्रोमेटों की किस्म उतनी ही अच्छी होती है, जितनी विदेशी माल की होती है। इस रासायनिक पदार्थ के निर्यात की भी गुंजाइश है।

फोटोग्राफी के काम का रसायन

फोटोग्राफी के काम आने वाले रसायनों के उत्पादन का विकास युद्धकाल में और उसके बाद एक सा ही रहा है। यह उद्योग युद्धजन्य स्थितियों में स्थापित हुआ था लेकिन तटकर संरक्षण मिलने से बाद में यह जम गया। अब हमारा देश हाइपो, सोडियम सल्फेट, सोडियम तथा पोटाशियम, मेटा बाईसल्फाइट, सोडियम एसीटेट, पोटाशियम क्लोराइड तथा पोटाश क्रोम एलम के मामले में आत्म निर्भर हो गया है। स्वतन्त्रता मिलने के बाद से फिटकरी, अल्यूमीना फैरिक, सोडियम सिलीकेट, कैल्शियम और मैग्नेशियम क्लोराइडों तथा मैग्नेशियम सल्फेटों का उत्पादन काफी बढ़ गया है। ये सभी रसायनिक पदार्थ देश की मांग पूरी करने के बाद निर्यात के लिए भी उपलब्ध हैं।

कैल्शियम कारबाइड की मांग में वृद्धि

इस समय कैल्शियम कारबाइड की मांग प्रतिवर्ष १० से १२ हजार टन की है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से एसिटिलीन गैस बनाने में किया जाता है जिसे झलाई करने और रोशनी के लिए प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरी उद्योगों के विकास के साथ साथ इसकी मांग बढ़ने की भी आशा है। पी० वी० सी० प्लास्टिक का निर्माण ही कैल्शियम कारबाइड से शुरू होता है। १० लाख पौण्ड पी० वी० सी० राजिन बनाने की एक योजना पर अमल किया जा रहा है। इस निर्माण में २८७५ टन क्लोरीन और ६००० टन कैल्शियम कारबाइड प्रयोग किया जायगा। युद्धकाल में तथा उसके बाद कारबाइड तैयार करने की परीक्षात्मक कोशिशें की गयी थीं। स्वतन्त्रता मिलने के बाद कैल्शियम कारबाइड बनाने के लिए एक कारखाना स्थापित किया गया जिसका उत्पादन ३,००० टन प्रतिवर्ष है। आशा है कि १६६०-६१ तक कैल्शियम कारबाइड की मांग बढ़कर २५,००० टन हो जाएगी इतना उत्पादन करने के लिए कारखाने स्थापित करने के प्रस्ताव हैं।

कपड़ा उद्योग के लिए रसायन

कपड़ा उद्योग में प्रयोग किये जाने वाले रसायनिक पदार्थों में हाइड्रोजन पर आक्साइड तथा सोडियम हाइड्रो सल्फाइट महत्वपूर्ण हैं। रेयन आदि नरम कपड़ों की तेजी के साथ [illegible] के लिए हाइड्रोजन पर आक्साइड को अधिक पसन्द किया जाता है। इस पदार्थ की वर्तमान मांग १००० टन प्रतिवर्ष है और इसे देश में बने माल से ही पूरा किया जाता है। सोडियम हाइड्रो सल्फाइट का मुख्य रूप से रंगने के काम में तथा कुछ हद तक चीनी बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसकी सम्भावित मांग ३,५०० टन वार्षिक की है। इस रसायनिक पदार्थ के उत्पादन के लिए दो योजनाओं पर अमल किया जा रहा है और आशा है कि अगले दो वर्षों में कम से कम २,५०० टन उत्पादन होने लगेगा।

वनस्पतियों तथा पशुओं से प्राप्त स्लिट फैटी एसिडों जैसे स्टीयरिक एसिड में काफी दिलचस्पी दिखाई जा रही है और वस्त्र उद्योग के लिए बढ़िया किस्म के ये एसिड बनाने में विशेष रुचि ली जा रही है। सामान्य स्तर पर कृत्रिम शोधक पदार्थ भी बनाये जा रहे हैं, जिनमें या तो पैट्रोलियम उत्पादन या चर्बी युक्त अलकोहल प्रयोग किये जाते हैं। ये इस समय आयात किये जाते हैं। आप्टीकल ब्लीचिंग पदार्थों का निर्माण भी हाल ही में शुरू हो गया है।

मद्यसार उद्योग का काफी विस्तार संभव

चीनी उद्योग के रद्दी माल शीरे से मद्यसार बनता है। यह उद्योग काफी बढ़ सकता है और १६६१ तक इसका उत्पादन ४.५ करोड़ गैलन करने का लक्ष्य रखा जा सकता है। इसका विस्तार अन्य महत्वपूर्ण प्रागारिक रसायनिक पदार्थों, घोलकों तथा प्लास्टिकों के निर्माण से सम्बद्ध किया जा सकता है क्योंकि भारतीय स्थितियों में इन चीजों का उत्पादन मद्यसार से आरम्भ किया जा सकता है। शैल्पिक विशेषज्ञ यह मानते हैं कि ब्यूटाडीन तथा कृत्रिम रबड़ बनाने के लिए मद्यसार एक सस्ता कच्चा माल है और यह आशा की जाती है कि निकट भविष्य में ही यह उद्योग स्थापित हो जाएगा।

प्लास्टिक उद्योग की प्रगति में एक महत्वपूर्ण बात पोलीस्टीरीन का उत्पादन देश में शुरू होना है। इस थर्मो प्लास्टिक कच्चे माल का सबसे अधिक प्रयोग होता है। इस कारखाने की क्षमता ६० लाख पौण्ड प्रतिवर्ष है। इस समय इसका उत्पादन आयातित स्टीरीन से किया जाता है लेकिन इसे देशी मद्यसार तथा बैंजीन से बनाने की योजनाओं की जांच पड़ताल की जा रही है।

मद्यसार से बने रसायनिक पदार्थ

एसीटेट रेयन के लिए एसेटिक एसिड और एसीटोन जैसे रसायनिक पदार्थ मद्यसार का प्रयोग करके देश में बनाये जाने लगे हैं। एसेटिक एसिड का देश में जो उत्पादन होता है वह उसकी मांग की तुलना में अभी बहुत कम है। इस समय लगभग १,५०० टन एसिड आयात किया जाता है। एसेटिक एसिड बनाने की दो योजनाएं हैं। ये योजनाएं दूसरी आयोजना में क्रियान्वित हो जाने पर, इसका उत्पादन इस समय के २,६०० टन से बढ़कर ६००० टन हो जाने की आशा है। इससे हमारे देश की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। आशा है कि १९५९ के अन्त तक ब्यूटाइल अलकोहल, ब्यूटाइल एसीटेट, एथीलीन ग्लाइकोल तथा इनसे बनने वाली चीजें बनने लगेंगी। मद्यसार के प्रयोग की एक महत्वपूर्ण बात है अनेक काम आ सकने वाला प्लास्टिक बनाने का कच्चा माल पोलीएथीलीन का निर्माण। आशा है कि १९५९ तक इस वस्तु की उत्पादन क्षमता ५००० टन प्रतिवर्ष हो जाएगी। कुल मिलाकर यह अनुमान लगाया जाता है कि इन महत्वपूर्ण रसायनिक पदार्थों तथा रसायनों से बनी चीजों के निर्माण में ३,०३१ करोड़ गैलन मद्यसार भली प्रकार खप जाएगा। देश को आत्म निर्भर बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा लेकिन इससे भी अधिक महत्व की बात है कि इस उत्पादन कार्य के कच्चे माल के स्थायी साधन—खेती की फसलों पर आधारित किया जाए।

रेयन स्टैपल फाइबर

अब हम रसायन उद्योगों से सम्बन्धित उद्योगों की भी कुछ चर्चा कर लें। स्वाधीनता के बाद रंजक पदार्थ (पिगमैंट) बनाने के क्षेत्र में हुआ महत्वपूर्ण कार्य है चमकदार सफेद पिगमैंट टिटानियम डाइ आक्साइड बनाना। इसे दक्षिण भारत के समुद्र तटवर्ती रेत में मिलने वाले एक काले खनिज इलमेनाइट से बनाया जाता है। एक्टिवेटेड कैल्शियम कारबोनेट बनाने की क्षमता भी स्थापित कर दी गई है।

देश की एक और सफलता है रेयन का तागा और स्टैपल फाइबर का उत्पादन जो स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद शुरू किया गया। इस समय देश में तीन कारखाने फिलामैंट विस्कोस तागा और एक कारखाना एसीटेट तागा तैयार करता है। विस्तार कार्यक्रम पूरे कर लेने पर इन कारखानों की कुल क्षमता ४.४ करोड़ पौण्ड हो जाएगी। विस्कोस स्टैपल फाइबर बनाने का एक कारखाना स्थापित कर लिया गया है जिसकी उत्पादन क्षमता लगभग ३.२ करोड़ पौण्ड प्रतिवर्ष होगी। रेयन के तागे की मांग इस समय अनुमानतः ७ करोड़ पौंड तथा स्टैपल फाइबर की मांग ५ करोड़ पौंड होगी। रेयन तागा तथा स्टैपल फाइबर तैयार करने की और योजनाएं विचाराधीन हैं। जब ये योजनाएं क्रियान्वित हो जाएंगी तो बुनाई उद्योग की तागे सम्बन्धी सभी आवश्यकताएं देशी साधनों से पूरी हो सकेंगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि रेयन बनाने वाले कारखाने अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मूल रसायनिक पदार्थ जैसे गन्धक का तेजाब, एसेटिक एसिड, कारबन डाइसल्फाइड, एसीटोन आदि के उत्पादन की अपनी व्यवस्था स्वयं करेंगे।

सूखे रंगों का निर्माण

सूखे रंग बनाने का उद्योग छोटे पैमाने पर युद्ध काल में भारत में शुरू हुआ था जबकि तेजी से पक्के होने वाले रंग, डेवलपिंग साल्ट तथा कुछ सोलूबिलाइज्ड वाट रंग बनाये गये थे। आजादी के बाद इन चीजों का उत्पादन बढ़ाया गया और वस्त्र उद्योग द्वारा प्रयोग किये जाने वाले तथा आयात होने वाले रंगों का उत्पादन भी धीरे-धीरे शुरू किया गया। १९५४ में देश में बने रंगों का मूल्य जहां २ करोड़ रु० था वहां १९५७ में बढ़कर ५ करोड़ रु० हो गया। रंगों का आयात १९५४-५५ के १६.६ करोड़ रु० से घट कर १९५६-५७ में १२.२ करोड़ रु० रह गया। यह उद्योग इस समय बहुत से तेजाबी तथा प्रत्यक्ष रंग बनाता है जैसे सोलूबिलाइज्ड वाट, फास्ट कलर, रैपिड फास्ट कलर, रैपिडोजिन तथा सल्फर ब्लैक। वाट रंग, नेफथोल तथा फास्ट कलर हाल ही में भारत में बनने शुरू हुए हैं। आशा है कि अगले तीन वर्षों में रंग उद्योग देश के वस्त्र निर्माताओं की अधिकांश जरूरतें पूरी कर सकेगा।

अर्ध तैयार माल बनाने की जरूरत

इस समय हमारे देश का रंग उद्योग बने हुए माल तथा उपान्तिम माल से रंग बनाता है। कुछ रंग अर्ध तैयार माल से भी बनाये जाते हैं। हमारे लिये यह वांछनीय है कि हमारा रंग उत्पादन देशी कच्चे मालों जैसे बैंजीन, टोल्यून तथा नेफथलीन से किया जाए। ये पदार्थ पर्याप्त परिमाण में हमारे नये इस्पात कारखानों से उपलब्ध हो सकेंगे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर विदेशी विशेषज्ञों की सलाह से विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार कराये गये हैं। भारतीय शैल्पिकों के एक दल ने भी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। यह निश्चय किया गया है कि मूल प्रांगारिक रसायनिक पदार्थों तथा अर्ध तैयार मालों—जिनकी आवश्यकता विभिन्न उद्योगों को पड़ती है, का उत्पादन राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की देखरेख में सरकारी

क्षेत्र से किया जाए। प० जर्मनी की फर्मों के संघ का सहयोग प्राप्त करने के लिये बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है।

विस्तार योजनाएं तथा नये निर्माण कार्यक्रम स्वीकार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इनका निर्माण जहां तक हो उन अध तैयार मालों से किया जाए, जिनकी उत्पादन क्षमता देश में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वित होने से न सिर्फ तैयार माल की देश की अधिकांश आवश्यकताएं देश में बने माल से ही भली प्रकार पूरी हो सकेंगी, बल्कि इससे उस विदेशी मुद्रा की काफी बचत हो सकेगी जो इस समय उपान्तिम पदार्थों तथा अध तैयार मालों के आयात पर खर्च करनी होती है।

औषध निर्माण में वृद्धि

पिछले दस वर्षों में भारत में औषधों तथा भेषजों के उत्पादन में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है। तैयार भेषजों का आयात धीरे-धीरे हटाने तथा मूल कच्चे मालों और अध तैयार माल से देश में उनका उत्पादन करने की नीति का लाभप्रद परिणाम निकला है। दवाओं में बढ़िया रासायनिक पदार्थ प्रयोग करने की दिशा में कुछ प्रगति हुई है। मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों में प्रगति हुई है, वह है भेषजों का सैक्रीन वर्ग। एण्टीबायोटिक औषधों खासकर पेनिसिलीन, वनस्पति जन्य भेषजों जैसे कैफीन, स्ट्राइक्नीन तथा अफीम अलकलाइड, ग्लिटियों से बनी चीजों जैसे लिवर एक्सट्रैक्ट, संश्लेषित भेषज जैसे सल्फा औषधें और तपेदिक निरोधक, कुष्ट निरोधक तथा दस्त निरोधक औषधों के उत्पादन में काफी प्रगति हुई है। विस्मय लवण, कैल्शियम लैक्टेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, निकोटीनामाइड आदि के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है।

शानदार प्रगति

सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में हाल के वर्षों में जो शानदार प्रगति हुई है वह नीचे की तालिका से प्रकट होती है:—

वस्तु	टन	
	१९४६	१९५७
		अनुमानित
गंधक का तेजाब	६०,०००	१,६५,०००
अमोनियम सल्फेट	२३,४६०	३,७०,०००
सुपर फौस्फेट	४,५००	१,६०,०००
कास्टिक सोडा	२,९००	४२,०००
सोडा एश	१२,०००	९०,०००
तरल क्लोरीन	२,९००	१५,५००

ऊपर के आंकड़े ऐसे हैं कि जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। उद्योग ने यह शानदार सफलता प्राप्त करने में उल्लेखनीय भाग अदा किया है। लेकिन अभी बहुत सी कमी बाकी है जिसे शीघ्र ही पूरा करना होगा। जिस भी क्षेत्र में उद्योगपतियों ने आगे आने में ढिलाई दिखाई है, वहीं सरकार आगे आयी है और उसने रिक्त स्थान की पूर्ति की है।

आकांक्षापूर्ण कार्यक्रम

द्वितीय आयोजना में हमारे सामने रासायनिक उद्योगों के विकास का विशाल तथा आकांक्षापूर्ण कार्यक्रम रखा गया है। कुछ रासायनिक पदार्थों के उत्पादन लक्ष्य निम्नानुसार हैं:—

वस्तु	टन		
	१९५१	१९५७ (अनुमानित)	१९६१ के लिए लक्ष्य
अमोनियम सल्फेट	५२,६०४	३७०,०००	१,६००,०००
सुपर फौस्फेट	६१,०२०	१६०,०००	७२०,०००
गन्धक का तेजाब	१०६,९३२	१६५,०००	४७०,०००
सोडा एश	४७,५३२	९०,०००	२३०,०००
कास्टिक सोडा	१४,७२४	४२,०००	१३५,०००
तरल क्लोरीन	५,२६८	१५,५००	१७,०००
ब्लीचिंग पाउडर	३,५८८	५,२००	१५,०००
बाइक्रोमेट	३,२७१	३,५००	६,०००
सोडियम बाइकारबोनेट	१,६२०	४,४००	८,०००
पोटाशियम क्लोरेट	१,५९३	२,३००	३,८००
कैल्शियम कारबाइड	—	३,६००	२४,०००
फिटकरी तथा अलूमीनियम सल्फेट	२१,८१०	३७,१५०	५०,०००
कौपर सल्फेट	५०५	१,९००	३,०००
अमोनियम क्लोराइड	—	४,८००	५,०००
एसेटिक एसिड	—	२,६००	—
बैंजीन हैक्सा क्लोराइड	—	२,५००	३,०००
डी० डी० टी०	—	१,४००	३,०००
हाइड्रोजन पर आक्साइड	—	५५०	१,५००
सोडियम हाइड्रो सल्फाइट	—	—	४,०००

इससे प्रकट है कि भविष्य में हम कितनी द्रुत गति से आगे बढ़ना चाहते हैं। वास्तव में हमारी योजना तो यह है कि दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अंत तक अधिकांश मूल रासायनिक पदार्थों के बारे में देश आत्म निर्भर हो जाए और कुछ पदार्थों का उत्पादन इतना हो सके कि उसका कुछ भाग हम निर्यात भी कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र को कन्धे से कन्धा मिलाकर आगे बढ़ना होगा और अपने प्रयासों से समन्वय स्थापित करना होगा।

भारत समृद्धि की ओर जा रहा है

(पृष्ठ १४३५ का शेषांश)

उद्योगों का उत्पादन करने में हमें किस्म सुधारने और लागत घटाने पर ध्यान देना चाहिए। देश में संरक्षित व्यापार क्षेत्र प्राप्त हो जाने के कारण बहुत से औद्योगिक इन आवश्यक बातों की ओर ध्यान नहीं देते। परन्तु प्रगतिशील औद्योगिकों के अनुभव ने प्रकट कर दिया है कि भारतीय उद्योग इतना अच्छा माल तैयार कर सकते हैं कि वह विदेशी बाजार में अन्य देशों के माल से अच्छी प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अधिकांश निर्यात-उद्योगों के लिये कच्चा माल शीघ्र ही कम लागत पर प्राप्त होने लगेगा। भारतीय कारीगर भी प्रकट कर चुके हैं कि यदि उन्हें अवसर और प्रोत्साहन मिले तो वे उत्पादकता और कौशल दोनों ही दृष्टियों से संसार के किसी भी देश के कारीगरों से पीछे नहीं रहेंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी सुविधाजनक है कि वह पूर्व तथा पश्चिम दोनों ही ओर के मैत्रीपूर्ण देशों को अपना माल किफायत के साथ भेज सकता है। इन सुविधाओं के कारण ही यूरोप और अमेरिका के अनेक औद्योगिकों ने इन देशों को अपने सहयोगी भारतीय कारखानों से माल भेजना आरम्भ कर दिया है।

कुछ वर्ष और लगेंगे

देश के प्राकृतिक साधनों द्वारा विदेशों से होने वाली आय में अच्छी वृद्धि कुछ वर्षों बाद ही हो सकेगी। हमारे उद्योग धीरे-धीरे विदेशी बाजारों को माल भेजने की क्षमता प्राप्त करते जा रहे हैं। हमारा व्यापारी वर्ग भी नयी-नयी वस्तुओं का निर्यात करने के प्रयत्न कर रहा है। स्थल, जल और हवाई मार्गों द्वारा परिवहन से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति भी यह अनुभव कर रहे हैं कि भारत के विदेशी व्यापार का विकास करने के लिये इस प्रकार के परिवहन में इस समय जो बाधाएं हैं वे दूर हो जानी चाहिए। आशा है कि निकट भविष्य में ही भारतीय वस्तुएं एशिया और अफ्रीका के देशों की समृद्धि और विकास में योगदान करने लगेंगी।

१९५७ में ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल के देशों को छोड़ कर प्रायः अन्य सभी देशों के साथ भारत का व्यापार घाटे के साथ चला है। पश्चिमी जर्मनी से हुआ आयात वहां को हुए निर्यात की अपेक्षा १०० करोड़ रु० अधिक रहा। ब्रिटेन के साथ हुए व्यापार में यह अन्तर ७७.४ करोड़ रु० का रहा। अमेरिका के साथ हुए व्यापार का सन्तुलन उसके अनुकूल ३८.४ करोड़ रु० से रहा। इसी प्रकार इटली, स्विटजरलैंड और फ्रांस के साथ हुआ व्यापार क्रमशः २३, १६.५ और १८.४ करोड़ रु० से उनके अनुकूल रहा। सामान्य बाजार भविष्य के लिये एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। संरक्षण देने की प्रवृत्तियां और द्वि-पक्षीय व्यापार के रुख के कारण भारत से लौह खनिज, खनिज मैंगनीज, अभ्रक और चपड़ा जैसे कच्चे माल तथा सूती कपड़ा, बोरियां, जूते और अनेक प्रकार के अर्द्ध-निर्मित माल का निर्यात करने में बाधा पड़ रही है। कभी-कभी राजनीतिक कारणों, विशेषतः सुरक्षा के विचार से भी विदेशी व्यापार के रूप में अन्तर पड़ जाता है। फिर औद्योगिक दृष्टि में आगे बढ़े हुए देशों में यह अनुभव किया जा रहा है कि व्यापार दोनों ओर से चलने पर ही अच्छा रहता है और यदि भारत जैसे देशों ने अपने आयात का मूल्य चुकाने योग्य क्षमता उत्पन्न न कर ली तो समृद्धिशाली देशों की अर्थ-व्यवस्था में भी गड़बड़ी पड़ेगी।

संगठन का अभाव

यह सत्य है कि भारतीय व्यापारियों में अपर्याप्त संगठन और साहस का अभाव होने के कारण हाल के वर्षों में उपलब्ध अवसरों से भी वे लाभ नहीं उठा सके हैं। उदाहरण के लिये भारतीय कला-पूर्ण वस्तुएं विदेशों में बहुत पसन्द की जाती हैं। परन्तु संगठन की कमी के कारण विदेशों में इनकी बिक्री का प्रबन्ध नहीं किया जा सका है। इसी प्रकार रूस और चीन जैसे देशों के साथ भी, जो द्विपक्षीय आधार पर भी व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने को प्रस्तुत हैं, व्यापार का सन्तुलन हमारे अनुकूल नहीं हो सका है। दक्षिणी अमेरिका के अविकसित देशों के साथ भी हमने अनेक प्रकार का व्यापार करने के प्रयत्न नहीं किये हैं।

प्राचीन काल में भारतीयों ने समुद्र पार जाकर व्यापार करने तथा

विक्रयकला में बड़ी निपुणता प्राप्त की थी। परन्तु इधर पिछले कुछ वर्षों में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने के अच्छे अवसर नहीं मिले थे। अब स्वराज्य हो जाने के बाद हमारे व्यापारियों की व्यावसायिक वृत्ति और साहस भावना नये-नये क्षेत्रों में कदम जमाने के लिये उन्हें प्रेरित कर रही है।

अभी केवल दो-तीन वर्ष में ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास सम्बन्धी रूप को अनुभव किया गया है और आशा है कि सरकार द्वारा की गई पहल से व्यापारियों को विदेशी व्यापार में वैसी ही सफलता प्राप्त होगी जैसी कि औद्योगिक उत्पादन में प्राप्त हो चुकी है। अब देश के उपभोक्ताओं की माग को विदेशी माग पर तरजीह नहीं दी जा रही है। निर्यात नियन्त्रण के बन्धन से २०० से अधिक वस्तुएं मुक्त की जा चुकी हैं और बहुत सी वस्तुओं से निर्यात शुल्क का बोझ भी हटा दिया गया है। वस्तुओं सम्बन्धी बोर्ड तथा विकास परिषदें उत्पादन बढ़ाने, किस्म सुधारने और विदेशी बाजारों का संगठन करने के प्रयत्न कर रही हैं। निर्माताओं और व्यापारियों को निर्यात संवर्द्धन परिषदों में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। इनका खर्च भी अधिकतर सार्वजनिक कोषों से चल रहा है। इनका संगठन संवर्द्धन के अवसर पर बढ़ाने तथा भारतीय उत्पादनों में विदेशियों का विश्वास उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया गया है। विदेश स्थित भारतीय व्यापार प्रतिनिधि और व्यापारिक अंक संकलन, प्रदर्शनी तथा प्रचार के सरकारी डाइरेक्टरेट नये उत्साह के साथ निर्यात संवर्द्धन के प्रयत्न कर रहे हैं। विदेशी व्यापार बोर्ड निर्यात संवर्द्धन के प्रयत्न करता है और निर्यात संवर्द्धन डाइरेक्टरेट निर्यातकों को अवसरों से लाभ उठाने में सुविधा कराता है। राज्य व्यापार निगम ने भी विशाल परिमाण पर निर्यात करने के ठेके प्राप्त करने और नयी-नयी वस्तुओं का निर्यात करने में निजी व्यापारियों को सहायता दी है।

निराश होने की आवश्यकता नहीं

आगामी महीनों में भी स्थिति बहुत आशाजनक नहीं हो सकती है, क्योंकि निर्यात उपार्जन में वृद्धि कर लेना केवल भारत के प्रयत्नों पर ही निर्भर नहीं है। भारत यद्यपि एक प्राचीन देश है तथापि औद्योगिक उन्नति के क्षेत्र में पदार्पण किये हुए उसे अधिक दिन नहीं हुए। परन्तु ज्योंही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार फिर जोर पकड़ने लगेगा त्योंही उसमें भारत का भाग भी बढ़ने लगेगा।

हमारी अन्तिम सफलता अन्य देशों में होने वाले उन प्रयत्नों से बंधी हुई है जो अभाव एवं आशंका से मुक्त एक नये संसार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किये जा रहे हैं। इस समय अनेक संस्थाओं और संगठनों द्वारा जो प्रयत्न हो रहे हैं उनके कारण यदि व्यापार तथा आर्थिक प्रयास के क्षेत्रों में ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो सका जिससे रहन-सहन का प्रतिमान ऊंचा उठ सके और विभिन्न देशों के साधनों का पूर्ण प्रयोग हो सके तो भारत इस समय दूसरे देशों से जो ऋण ले रहा है उसे केवल अदा ही नहीं कर देगा वरन् जीवन को समृद्ध बनाने के लिये समस्त संसार में होने वाले सामान्य प्रयत्नों में भी अच्छा योगदान कर सकेगा।

---

६० लाख टन इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य

(पृष्ठ १४२६ का शेषांश)

४. ढलाई मिल—इसमें इस्पात को ढाल कर पटरियां, सरिये, चादरें आदि बनायी जाती हैं।

इस्पात संयंत्र में जो अन्य यन्त्र होते हैं उनमें ये प्रमुख होते हैं: बिजली पैदा करने के लिये बिजली घर, लपटवाली भट्ठी में तेजी के साथ हवा धौंकने का संयन्त्र, मुख्य इस्पात संयन्त्र की मरम्मत करने के लिये ढांचों तथा मशीनों का कारखाना, पानी पहुंचाने तथा ठण्डा करने की व्यवस्था, परीक्षण तथा प्रयोग करने के लिये प्रयोगशालाएं, कच्चा माल तथा अन्य सामान भरने के गोदाम और प्रशासन, बिक्री आदि के कार्यालय।

टाटा का विस्तार कार्यक्रम

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की विस्तार योजनाओं से उसका तैयार इस्पात का उत्पादन ७,५०,००० टन से १९५८ के अन्त तक बढ़कर १५ लाख टन तक हो जाने की आशा है। यह वृद्धि दो चरणों में होगी। प्रथम चरण को आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम का चरण कहते हैं। इसमें उत्पादन क्षमता बढ़कर ९,३१,००० टन तक हो जायगी। दूसरे चरण में यह बढ़कर २० लाख टन इस्पात पिंड तक पहुँचेगी जिनसे १५ लाख टन साफ इस्पात तैयार होगा।

भारत सरकार ने इस कारखाने को आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिये १० करोड़ रु० दिये हैं। इसके अतिरिक्त उसने इस कारखाने को विश्व बैंक से मिलने वाले क्रमशः ७५० लाख डालर तथा ३२५ लाख डालर के दो ऋणों की भी गारन्टी की है। इन ऋणों से कारखाने की विदेशी विनिमय सम्बन्धी वह आवश्यकता पूरी हो जायगी जो उसे अपना २० लाख टन का कार्यक्रम पूरा करने के लिये चाहिये। टाटा कम्पनी ने केसर्स नामक सलाहकार इंजीनियरों की एक अमेरिकन फर्म को अपनी विस्तार योजनाओं में सलाह देने के लिये नियुक्त किया है।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी

इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की विस्तार योजनाओं से उसकी उत्पादन क्षमता ३००,००० टन से बढ़ कर ८००,००० टन इस्पात प्रतिवर्ष और ४००,००० टन कच्चा लोहा (बिक्री के लिये) प्रतिवर्ष हो जायगी। यह विस्तार दिसम्बर १९५९ तक हो जाने की आशा है।

भारत सरकार ने इस कम्पनी को ७.९ करोड़ रु० का एक ऋण दिया है जिस पर ब्याज लिया जायगा। इसके सिवा १० करोड़ रु० की विशेष राशि और भी दी है जिसे कम्पनी वापस कर देगी। विदेशी विनिमय की आवश्यकता पूरी करने के लिये विश्व बैंक इसे ३००.२ लाख डालर और २०० लाख डालर के दो ऋण देगा। भारत सरकार ने इन ऋणों की गारन्टी की है। इंटरनेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी नामक ब्रिटिश फर्म इंडियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी की विस्तार योजना में सहायता करती है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में ५ लाख टन इस्पात पिण्ड तैयार करने की क्षमता वाला एक लोहा तथा इस्पात का कारखाना स्थापित करने का कार्यक्रम रखा गया था। उस समय विदेशी सहयोग प्राप्त करना कठिन था इसलिये दिसम्बर १९५३ में दो जर्मन फर्में क्रप और डेमाग से यह कारखाना खोलने में प्रविधिक सहायता देने के लिये एक करार किया गया। नवम्बर १९५५ में इस सम्बन्ध में एक विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई और अप्रैल १९५६ में कोक भट्टी तथा लपट वाली भट्टियों के आर्डर दे दिये गये। अन्य यन्त्रों के लिये छः महीने बाद आर्डर दिये गये। यह कारखाना राउरकेला में स्थापित किया गया है।

भिलाई और दुर्गापुर

इस्पात के पहले कारखाने की जांच पड़ताल करते समय एकत्रित की गई जानकारी तथा इस सम्बन्ध में हुई बातचीत के अनुभव को ध्यान में रखते हुए भिलाई तथा दुर्गापुर के कारखानों के लिये कुछ दूसरे प्रकार का प्रबन्ध किया गया। भिलाई के कारखाने की लगभग सभी मशीनें और उपकरण रूस देगा। निर्माण कार्य के रेखा चित्र तथा निरीक्षक कर्मचारी भी रूस से ही आयेंगे। दुर्गापुर के कारखाने की डिजाइनें देने तथा निर्माण कार्य आदि सभी का भार ब्रिटिश फर्मों के एक समूह को सौंपा गया है। इन कारखानों के मुख्य भागों की मशीनों के आर्डर भिलाई के लिये अप्रैल १९५६ में और दुर्गापुर के लिये अक्टूबर १९५६ के अन्त में दिये जाने की व्यवस्था की गई।

इस्पात के तीनों कारखानों पर ४३,१०० लाख रु० की लागत आयेगी। इसमें नगरों के निर्माण, खानों, भूमि, सर्वेक्षण, डिजाइनें बनाने, पानी तथा बिजली की सुविधाओं, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, सीमाशुल्क चिकित्सा खर्च, कार्यालय तथा अन्य सम्बद्ध व्यवस्था की लागत शामिल नहीं है। इन सब पर १२,००० लाख रु० व्यय होने का अनुमान है। इन कारखानों की लागत के विदेशी विनिमय भाग का प्रबन्ध करने के लिये पश्चिमी जर्मनी की सरकार ने ६६० लाख डूश मार्क (७५०० लाख रु०) का भुगतान तीन वर्ष के विलम्ब से करा लेने की सुविधा दी है। रूस सरकार मुख्य संयंत्र की मशीनें तथा उपकरण, इस्पात के ढांचे आदि दे रही है जिसका मूल्य ६३१० लाख रु० होगा। रूस में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का खर्च भी वही वहन करेगी। यह समस्त खर्च १२ वार्षिक किश्तों में अदा किया जायगा। दुर्गापुर के कारखाने की लागत के लिये ब्रिटेन के बैंकों की एक सिंडीकेट ११५ लाख पौंड और ब्रिटिश सरकार १५० लाख पौंड दे रही है।

राउरकेला का निर्माण-क्रम

इतने विशाल तीन कारखानों का एक साथ निर्माण करना बहुत टेढ़ा काम है। ऐसा अब तक कहीं नहीं हुआ। बहुत से लोग यह समझते थे कि भारत बिना सोचे समझे इसमें फंस गया है। वास्तव में कठिनाइयां भी कदम-कदम पर आईं। उपयुक्त ठेकेदार मिलने में, आवश्यक सामान प्राप्त करने में, माल लाने के लिये जहाजों की और बन्दरगाहों में माल को उतारने आदि अनेक प्रकार की कठिनाइयां सामने आईं। परन्तु इन सब को दूर कर लिया गया और अब तक जो कुछ हो चुका है वह भारत के लिये अभिमान की बात है। राउरकेला की पहली लपट वाली भट्टी दिसम्बर १९५८ के अंत तक तैयार हो जाने की आशा है। दूसरी अगस्त १९५९ तक और तीसरी नवम्बर १९५९ तक बन जायगी। खुली भट्टियां मई और जुलाई १९५९ के मध्य तक तैयार हो जायंगी। एल० डी० कनवर्टर अक्टूबर अथवा नवम्बर १९५९ में बन जाएंगे। ब्लूमिंग और स्लेबिंग मिलों में तीन महीने के लगभग का विलम्ब होगा और वे सितम्बर १९५९ तक तैयार होंगे। प्लेट मिल, स्ट्रिप मिल और कोल्ड रोलिंग मिल १९६० में तैयार हो जाएंगे।

भिलाई में कोक ओवन भट्टी दिसम्बर १९५८ के अंत तक चालू हो जाने की आशा है और पहली लपट वाली भट्टी उसके बाद ही

चालू हो जायगी। दूसरी और तीसरी लपट वाली भट्टियां १९५९ की क्रमशः दूसरी और तीसरी तिमाहियों में तैयार हो जायंगी। १९५६ की तीसरी तिमाही में इस्पात तैयार होने लगेगा। समूचा कारखाना दिसम्बर १९५९ के अंत तक चालू हो जायगा।

दुर्गापुर में जिस तेजी से काम हो रहा है उससे आशा की जाती है कि इस कारखाने में निश्चित कार्यक्रम के अनुसार काम आरम्भ हो जायगा। पहली लपट वाली भट्टी अक्टूबर १९५९ तथा दूसरी अप्रैल १९६० में तैयार हो जायगी। ब्लूमिंग तथा बिलेट मिल्स भी इसके साथ बन जायंगी। शेष कारखाना जुलाई १९६१ तक तैयार हो जायगा।

कोयले की निकटता

इस्पात के कारखानों का संचालन उनके निर्माण से भी अधिक कठिन होता है। प्रत्येक कारखाने के लिये १५ लाख टन से अधिक लौह खनिज, इतने ही कोयले, ५ लाख टन चूने और ५ लाख टन अन्य प्रकार के कच्चे माल डोलोमाइट, खनिज मैंगनीज आदि की आवश्यकता होगी। इसलिये नये कारखानों के स्थान चुनते समय यह ध्यान रखा गया है कि वहां से कोयला निकट ही हो, बिजली पानी भी काफी उपलब्ध हो और परिवहन की सुविधाएं भी हों।

राउरकेला के लिये लगभग वहां से ५० मील दूर लोहे की एक खान का विकास किया जा रहा है। इसी प्रकार भिलाई से भी लगभग ५० मील पर एक ही खान होगी। दुर्गापुर के कारखाने में वर्द्धमान साधनों से ही लौह खनिज प्राप्त किया जायगा। इन सभी साधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक अन्य खान तैयार की जा रही है।

तीनों कारखानों के लिये बोकारो, झरिया और रानीगंज की खानों से कोयला आयेगा। बोकारो के कोयले को धोने के लिये भी एक कारखाना लगभग तैयार हो गया है। झिरिया क्षेत्र में कोयला धोने के तीन कारखाने खोले जायंगे। दुर्गापुर के कारखाने के कोयले को धोने का कारखाना वहीं बन रहा।

कर्मचारियों का प्रशिक्षण

इस्पात के प्रत्येक कारखाने के लिये ६७० इंजीनियर तथा अन्य उच्च निरीक्षक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इनके अतिरिक्त ,३०० कारीगर और शिक्षित मजदूर भी चाहिएं। जिन देशों में यह उद्योग विकसित हो चुका है वहां कारीगर और कर्मचारी अन्य साधनों से प्राप्त हो जाते हैं। भारत में इस्पात उद्योग के नाम पर टाटा और इण्डियन आयरन का नाम ही है। उन दोनों कारखानों का भी विस्तार हो रहा है। इसलिये इनमें से कर्मचारी मिलने असम्भव हैं। इनके साथ सरकार को प्रतिस्पर्धा न करके सहयोग करना है। ऐसी दशा में नये आदमियों को शिक्षित करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। भरती किये गये बहुत से व्यक्ति कारखानों के निर्माण काल में अनुभव प्राप्त कर लेंगे। यह अनुभव मशीनों की देखभाल और मरम्मत के लिये बहुत मूल्यवान सिद्ध होगा क्योंकि मशीनें चलाने की अपेक्षा यह बहुत अधिक आवश्यक और उपयोगी होता है। मशीनें चलाने के लिये भी बहुत से इंजीनियरों और दक्ष कारीगरों को शिक्षा देनी होगी। टाटा, इण्डियन आयरन और मैसूर आयरन तथा स्टील वर्क्स प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद और अधिक अनुभव प्राप्त करने के लिये कुछ इंजीनियरों और दक्ष कारीगरों को विदेशों में भेजना पड़ेगा। प्रशिक्षण की व्यवस्था इस प्रकार से की जा रही है कि जिन कारखानों के विभाग बनकर तैयार होते जाएंगे उन्हीं के कर्मचारी भी प्रशिक्षित होकर तैयार होते जाएंगे। २४१ इंजीनियर रूस में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजे गये थे। इनमें से १२४ इस वर्ष प्रशिक्षण समाप्त करके लौट आये हैं। कार्यक्रम के अनुसार ६८६ आदमियों को प्रशिक्षण देना है। इसके पूर्ण हो जाने में कोई कठिनाई होने की आशंका नहीं दिखाई देती।

राउरकेला और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों के बहुत से इंजीनियरों को फोर्ड फाउण्डेशन की सहायता से अमेरिका में प्रशिक्षण दिया जायगा। १९८ व्यक्तियों को २ दलों में अमेरिका भेजा जा चुका है। १०० व्यक्तियों का तीसरा दल सितम्बर १९५८ में भेजा जायगा। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत दुर्गापुर के कारखाने के लिए ३०० इंजीनियरों को ब्रिटेन में प्रशिक्षित करने का प्रबन्ध किया गया है। ६७ इंजीनियर वहां इसके लिये पहुंच चुके हैं और १ शिक्षण प्राप्त करके लौट आया है। आया है। ५ इंजीनियर प्रशिक्षण लेकर आस्ट्रेलिया से और एक कनाडा से लौट आया है। कनाडा और आस्ट्रेलिया ने प्रशिक्षण की और भी सुविधाएं देना स्वीकार कर लिया है। राउरकेला इस्पात कारखाने के ६३ इंजीनियरों को पश्चिमी जर्मनी में प्रशिक्षित किया जा चुका है और ४६ को वहां प्रशिक्षित किया जा रहा है।

जमशेदपुर आदि में प्रशिक्षण का प्रबन्ध

जमशेदपुर में प्रशिक्षण का एक विशाल केन्द्र चल रहा है जिसमें प्रत्येक युवक इंजीनियर का विदेशों में प्रशिक्षण के लिये भेजने से पूर्व प्रारम्भिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

कारीगरों और दक्ष मजदूरों की आवश्यकता पूरी करने के लिये ७० इंजीनियरी फर्मों में १६०० व्यक्तियों को एक बार में प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध किया गया है। देश के मौजूदा इस्पात कारखानों में विशेषज्ञों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है यह उसके अतिरिक्त है। मुख्य-मुख्य स्थानों पर काम करने वाले विशेषज्ञों को विदेशों में वैसे ही कारखानों में काम करने के लिये भेजा जा रहा है जिस में कि वे राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में काम करेंगे। अब तक ऐसे २२६ कारीगर रूस को और ३२ पश्चिमी जर्मनी को जा चुके हैं। प्रशिक्षण के बाद इंजीनियरों और

(शेषांश पृष्ठ १५१४ पर देखिये)

भारतीय अर्थ-व्यवस्था मूलतः शक्तिशाली

★ *गैर सरकारी क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त गुंजाइश।*

भारत की भुगतान स्थिति के वर्त्तमान असंतुलन से शायद सामान्य प्रेक्षक के मन पर यह प्रभाव पड़े कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सभी कुछ ठीक-ठाक नहीं है। लेकिन वर्त्तमान आर्थिक स्थिति, हाल के वर्षों में उसके विकास तथा निकट भविष्य में उसकी सम्भावित प्रवृत्तियों का बारीकी से विश्लेषण करने पर यह बात भली प्रकार स्पष्ट हो जाती है कि भारत की अर्थ व्यवस्था मूल रूप से शक्तिशाली और सुदृढ़ है।

गतिहीनता से गतिशीलता की ओर

इस सम्बन्ध में जो बात बहुत अच्छी तरह ध्यान से रखने की है, वह यह है कि भारतीय अर्थ व्यवस्था तालाब का बंधा पानी नहीं रह गयी है। स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद से उसमें गतिशीलता आनी शुरू हो गयी है और अब उसकी गति उत्तरोत्तर द्रुततर होती जा रही है। अब यह सोद्देश्य तथा प्रवाहमान हो गयी है। भारत दशाब्दियों की कमी तथा अल्प विकास की स्थिति को प्रजातांत्रिक पद्धति के द्वारा यथा सम्भव कम से कम समय में दूर करने के लिये महान प्रयास कर रहा है। वह दीर्घ काल से स्थापित प्रवृत्तियों की धारा उलटी मोड़ देने तथा गरीबी, न्यून उत्पादकता तथा बेरोजगारी के परम्परागत दुश्चक्र को तोड़ने के लिये योजनाएं बनाकर प्रयास कर रहा है। योजना-निर्माण तथा विकास की इस प्रक्रिया में अर्थ-व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में असंतुलन आना स्वाभाविक ही है और अर्थ-व्यवस्था में इस समय जो दबाव और तनाव दिखायी देते हैं, वे मुख्यतः औद्योगिक प्रगति की बढ़ी हुई रफ्तार के परिणाम हैं या दूसरे शब्दों में 'विकास जन्य संकट' है।

खपत में वृद्धि

देश में आर्थिक गतिविधि बढ़ने तथा विभिन्न विकास कार्यों और सामाजिक सेवाओं पर होने वाले अधिकाधिक खर्चे से क्रय शक्ति अधिकाधिक लोगों खासतौर पर छोटे औद्योगिकों, व्यापारियों, कारीगरों, मजदूरों आदि के हाथों में पहुंच रही है। यह बात बहुत सी चीजों तथा निर्मित वस्तुओं की मांग में तेजी से हुई वृद्धि में प्रतिबिम्बित होती है। पिछले दस वर्षों में बहुत सी चीजों की खपत दुगुनी हो गयी है। उदाहरण के तौर पर भारत में चीनी की खपत १० लाख टनों से बढ़कर अब लगभग २० लाख टन हो गयी है। मिल के बने तथा हाथ करघे के बने कपड़े की खपत पिछली लड़ाई से पहले जहां ४ अरब गज थी वहां अब बढ़कर ६॥ अरब गज हो गई है। द्वितीय महायुद्ध से पहले काफी का प्रयोग मुश्किल से ८-६ हजार टन प्रतिवर्ष था जबकि आज उसकी खपत २७ हजार टन होने का अनुमान है। यही हालत चाय, बनास्पती आदि की है जिनमें से अधिकांश की खपत पिछले १० वर्षों में १०० प्रतिशत से अधिक बढ़ी है।

खान-पान की आदतों में परिवर्त्तन

इसके साथ ही लोगों के खान-पान की आदतों में भी परिवर्त्तन आ गया है। नौकरी मिलने के अवसर बढ़ने और बहुत सी विकास योजनाएं क्रियान्वित होने से लोगों की द्रव्य आय बढ़ने के फलस्वरूप निम्न मध्यम वर्ग और देहात के काफी अधिक लोगों ने मोटे अनाजों के स्थान पर गेहूं तथा चावल खाना शुरू कर दिया है। निस्संदेह इन का मांग के स्वरूप तथा वस्तुओं के भावों के चढ़ाव-उतार पर प्रभाव पड़ा है। आज भारतीय अर्थ व्यवस्था में असंतुलन तथा उथल-पुथल के जो लक्षण दिखायी देते हैं, वे बहुत हद तक इन अप्रकट शक्तियों का परिणाम हैं जिनका ठीक-ठीक प्रभाव आंक सकना कठिन है।

तनाव तो आते ही हैं

किसी भी देश का बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास करने पर तरह तरह के तनाव तथा दबाव तो आते ही हैं। अर्ध विकसित देशों के आर्थिक विकास में ये तनाव और भी अधिक आते हैं। पहली आयोजन- में भारत मुख्यतः अपने प्रयासों के बल पर ही बढ़ने का प्रयास कर रह था। इसके अलावा उस आयोजना के जोर पकड़ने में कुछ समय

लगा लेकिन दूसरी आयोजना अपेक्षाकृत पहले ही ज़ोर पकड़ गयी। पहली आयोजना में भारत के विदेशी मुद्रा साधनों पर अधिक ज़ोर नहीं पड़ा था क्योंकि उसमें कुल खर्च की सिर्फ ११ प्रतिशत ही विदेशी मुद्रा खर्च हुई जबकि १७ प्रतिशत खर्च होने का अनुमान लगाया गया था।

दूसरी आयोजना का स्वरूप

दूसरी आयोजना का आकार बड़ा है और इसका स्वरूप पहली से भिन्न है। इसमें सरकार द्वारा मूल उद्योगों के विकास पर विशेष रूप से ज़ोर दिया गया है। इसमें भारतीय अर्थ व्यवस्था को अधिक तेज़ी से तथा अविराम गति से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। भारत में जैसी स्थितियां हैं, उनमें तेज़ी से वृद्धि करने के लिये स्वभावत: न सिर्फ पर्याप्त उच्चतर गति से पूँजी लगाने की आवश्यकता होगी बल्कि देश में मूल उत्पादक उद्योग भी स्थापित करने होंगे। एक बार यदि उच्चतर गति से पूँजी लगनी शुरू हो जाए तो उससे उत्पादन की रफ्तार अधिक हो जाने की आशा है। इसलिये जिस सीमा तक यह आयोजना सफल होती है, उससे न सिर्फ आयोजना की अवधि में होने वाली प्रगति निर्धारित होगी, बल्कि उससे एक खास हद तक विकास की वह गति भी निर्धारित होगी, जिसे बाद की आयोजनाओं में हासिल करने की कोशिश की जा सकती है।

आयोजना और विदेशी मुद्रा

शुरू में यह हिसाब लगाया गया था कि दूसरी आयोजना में कुल खर्च की १८ प्रतिशत विदेशी मुद्रा खर्च होगी लेकिन अब यह बढ़कर ३० प्रतिशत के आस पास हो गयी है। इस आकस्मिक वृद्धि ने खर्च का सोचा हुआ हिसाब किताब गड़बड़ कर दिया लगता है और भारत की भुगतान स्थिति में वर्तमान असंतुलन ला दिया है। जिन अनेक कारणों से स्थिति और भी बिगड़ गयी उनमें स्वेज़ कांड तथा १९५७ की अन्तिम तिमाही में अमेरिका में आर्थिक मंदी की खबरें उल्लेखनीय हैं। सौभाग्य से यह मंदी इस समय काफी हद तक दूर हो गयी प्रतीत होती है। स्वेज़ कांड से पूँजीगत वस्तुओं, मशीनों तथा औद्योगिक कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं जिन्हें भारत अपनी द्वितीय आयोजना को पूरा करने के लिये खरीदता है और इस प्रकार उसके आयात का मूल्य बढ़ा है। इसके विपरीत आर्थिक मंदी की खबरों ने भारत के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जिससे १९५८ की पहली छमाही में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में निर्यात का मूल्य ५० करोड़ रु० घट गया है। यही नहीं मशीनों तथा इस्पात आदि निर्यात करने वाले देशों में मुद्रा स्फीति होने और पिछले दो सालों में मौसम खराब होने से अन्न का काफी आयात करने के कारण हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति पर तनाव और भी बढ़ गये।

आय तथा विकास-व्यय में अपूर्व वृद्धि

हाल के वर्षों में भारत विकास कार्यों पर जितना खर्च कर सका है वह उसके इतिहास में एक तरह से अभूतपूर्व है हालांकि औद्योगिक दृष्टि से बहुत बढ़े चढ़े देशों से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। लड़ाई से पहले केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा विकास कार्यों के लिये निर्धारित धन बहुत ही थोड़ा होता था। उस समय केन्द्रीय सरकार की आय ९० करोड़ रु० और सभी राज्य सरकारों की मिलाकर १०० करोड़ रु० के आस पास होती थी। पहली आयोजना शुरू होने के समय पूँजी लगाने की रफ्तार राष्ट्रीय आय की ५ प्रतिशत थी। पहली आयोजना की समाप्ति पर पूँजी लगाने की रफ्तार काफी बढ़ गयी थी।

नीचे की तालिका में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा पिछले कुछ सालों में किये गये विकास व्यय का रुख दिखाया गया है:—

करोड़ रु० में

वित्त वर्ष	पूंजी निवेश	कुल विकास परिव्यय
१९५१-५२	१८६	२५६
१९५२-५३	१८८	२६७
१९५३-५४	२४६	३४३
१९५४-५५	३६१	४७६
१९५५-५६	४६०	६१४
१९५६-५७	अप्राप्त	६३५
१९५७-५८	अप्राप्त	८६१
१९५८-५९	अप्राप्त	९६०

आय का स्तर ऊंचा करना

सभी मानते हैं कि जनता के रहन-सहन का स्तर बहुत नीचा है, उसे ऊंचा करने के लिए सरकार द्वारा इतना खर्च किया जाना निहायत आवश्यक है। भारत में १९५६-५७ में प्रति व्यक्ति औसत आय २८४ रु० (१९४८-४९ के भावों के आधार पर) है जो हमारे कुछ पड़ोसी देशों की प्रति व्यक्ति आय से काफी कम है। हमारी आमदनी का यह निम्न स्तर तब और भी दुखद मालूम पड़ता है, जब हम उसकी तुलना औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़े हुए देशों अमेरिका (१९३१ रु०) आदि से करें। आखिर द्वितीय आयोजना में अन्तर्राष्ट्रीय आय २५ प्रतिशत ही बढ़ाने (जो ५ प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ेगी) तथा कुल खपत २१ प्रतिशत बढ़ाने का आयोजन है, जबकि इस अवधि में जन संख्या ७ प्रतिशत बढ़ेगी। जनता का रहन-सहन का स्तर ऊंचा करने का यह काम उठाने में भारत ने सामान्य जोखिम ही उठाया है।

भारी अन्न आयात के कारण असंतुलन

भारत की विदेशी मुद्रा की स्थिति में पिछले एक या दो सालों से जो असंतुलन आया है, वह बड़े पैमाने पर अन्न के आयात का परिणाम

है। भारत जैसे देश में अधिकांश कृषि उत्पादन मुख्यतः वर्षा की स्थिति पर निर्भर होता है, जो बहुत ही अनिश्चित होती है। कभी वर्षा न होने या कभी बहुत अधिक होने तथा कभी बिलकुल न होने से अन्न के उत्पादन में कमी पड़ जाती है और काफी अन्न आयात करना आवश्यक हो जाता है। अन्न के उत्पादन में ५ प्रतिशत भी कम हो जाने का मतलब ३० लाख टन अन्न की कमी होना है जिसका मूल्य १२० करोड़ रु० से अधिक होता है। जब उत्पादन की कमी को आयात करके पूरा किया जाता है तो हमारे व्यापार संतुलन की प्रतिकूलता स्वभावतः बढ़ जाती है। एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष अन्न के आयात में कितनी घट बढ़ होती रहती है, यह नीचे के अंकों से ज्ञात होता है:—

१९५१-५२ में भारत ने २२८ करोड़ रु० का अन्न आयात किया जबकि १९५५-५६ में सिर्फ २९ करोड़ रु० का करना पड़ा। लेकिन १९५७-५८ में यह बढ़कर फिर १५२ करोड़ रु० का हो गया। पहली आयोजना में अन्न उत्पादन की स्थिति में काफी सुधार हुआ था जो उस अवधि में भारत की भुगतान संतुलन की स्थिति सुधर जाने से प्रकट है।

मशीनों का अधिकाधिक आयात

अन्न के आयात के साथ-साथ मशीनों का भारी आयात करने के कारण भारत के विदेशी मुद्रा साधनों में तेजी से कमी आयी है। १९५७-५८ में ११७५ करोड़ रु० का कुल आयात हुआ जबकि उससे एक साल पहले १,०९९ करोड़ रु० का आयात हुआ था। इस प्रकार उन वर्षों में व्यापार संतुलन क्रमशः ५८० करोड़ रु० तथा ४६१ करोड़ रु० से प्रतिकूल रहा था। जाहिर है कि यह असंतुलन अपने पौण्ड पावने की राशि में कमी करके विदेश से ऋण आदि लेकर ही दूर किया जा सकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि मशीनों तथा धातुओं का आयात, खासकर औद्योगिक क्षेत्र में कमोबेश पूर्व अनुमानित स्तर पर ही हुआ है। १९५७-५८ में इस आयात का मूल्य ५३४ करोड़ रु० पर पहुँच गया जबकि १९५६-५७ में यह ४४२ करोड़ रु० और १९५५-५६ में २९९ करोड़ रु० का था। दूसरे शब्दों में इन महत्वपूर्ण आयातों में करीब ८० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यही नहीं १९५७-५८ में यह आयात कुल आयात का ४६ प्रतिशत था। भारत में मशीनों का जो आयात होता है, उसकी तुलना कुछ दशकों पहले हुए मशीनों के आयात से करें तो बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें पता चलता है कि भारत अपने औद्योगिक कार्यक्रमों में कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है। द्वितीय महायुद्ध से पहले भारत में सिर्फ २० करोड़ रु० की मशीनें आयात की जातीं थीं जबकि १९१३ में इन का आयात सिर्फ ४ करोड़ रु० का होता था। १९५७ में यह आयात २३ करोड़ रु० का हुआ था।

इसी पृष्ठ भूमि में हमें भारतीय अर्थ-व्यवस्था के तनाव और दबावों की समस्या को देखना चाहिए। इनमें से अधिकांश तनाव संक्रमणका[ल] हैं और अगले कुछ वर्षों में जब, इस समय आयातित भारी मशीनें [म] मशीनें बनाने वाली मशीनें लग जाएंगी और इनसे उत्पादन होने लग[ेगा] तब हमारे देश की अर्थ व्यवस्था का काफी सीमा तक सुदृढ़ हो[ना] सुनिश्चित है।

राष्ट्रीय आय में वृद्धि

इस बात के बहुत से संकेत हैं कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था बहुत दृढ़ त[था] स्वस्थ है। पिछले कुछ सालों में हमारी राष्ट्रीय आय बराबर बढ़ रही [है] जो मुख्यतः विशाल विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप संभव हुआ है। १९५६-५७ में—इसी वर्ष तक के प्रारम्भिक अनुमान उपलब्ध हैं—राष्ट्रीय आय बढ़ने की गति १९५५-५६ की अपेक्षा अधिक थी औ[र] राष्ट्रीय आय में कृषि तथा कृषीतर (non agricultural) क्षे[त्रों] का भाग बराबर हा था। प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार १९४८-४९ [के] मूल्य स्तर पर १९५६-५७ में राष्ट्रीय आय, ११,०१० करोड़ रु० [थी] जबकि १९५५-५६ में संशोधित राष्ट्रीय आय १०,४८० करोड़ रु० [थी] और पहली आयोजना के प्रथम वर्ष १९५१-५२ में यह आय ९१०[०] करोड़ रु० थी। १९५६-५७ में वृद्धि की रफ्तार ५.१ प्रतिशत [थी] जबकि १९५५-५६ में १.९ प्रतिशत ही थी। १९५६-५७ में स्थिर भाव[ों] के आधार पर प्रतिव्यक्ति औसत आय ३.८ प्रतिशत बढ़कर २८४ रु[०] हो गयी जबकि उससे पिछले साल २७३.६ रु० और १९५१-५२ [में] २४० रु० थी।

कम अन्न उत्पादन

कृषि उत्पादन, पशुपालन तथा ऐसे ही अन्य धधों से इस समय भारत की ५० प्रतिशत राष्ट्रीय आय होती है। यद्यपि भारत इस सम्बन्ध में आत्म निर्भर होने की जबर्दस्त कोशिशें करता है, फिर भी पिछले दो वर्षों से उसे बड़े परिमाण में अन्न आयात करने के लिए विवश होना पड़ा है। यह आयात फसल उगते समय प्रतिकूल मौसम होने, सूखा पड़ने तथा बाढ़ आने के कारण करना पड़ा है। निरन्तर बढ़ रही आबादी को जो ५० लाख प्रतिवर्ष बढ़ती है, भोजन देने के लिए भारी अन्न आयात करने के बाद भी देश ने इस क्षेत्र में पिछले दस सालों में काफी प्रगति की है। १९४८-४९ में अनाजों का उत्पादन ४ करोड़ ३३ लाख टन था जो १९५०-५१ में घट कर ४ करोड़ १७ लाख टन रह गया। सबसे अधिक उत्पादन १९५३-५४ में हुआ जब ५ करोड़ ८३ लाख अन्न पैदा हुआ था। इस प्रकार १॥ करोड़ टन अन्न उत्पादन बढ़ा था। यह वृद्धि ३५ प्रतिशत के आसपास बैठती है। उसके बाद से अनाज का उत्पादन कम हुआ है और १९५६-५७ का उत्पादन ५ करोड़ ७३ लाख टन था। द्वितीय आयोजना की अवधि में अनाजों का जिनमें दालें भी शामिल हैं, उत्पादन लक्ष्य संशोधित करके ८ करोड़

५ लाख टन कर दिया गया है। यद्यपि यह लक्ष्य पूरा करने के लिए काफी कुछ करना होगा, तथापि अन्न उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

कृषि उत्पादन का रुख

नीचे की तालिका से प्रकट होता है कि कृषि जन्य उत्पादन बढ़ाने की प्रगति असन्तोषजनक नहीं है :—

कृषि जन्य उत्पादन का सूचक अंक

१९५०-५१ से १९५६-५७ तक (आधार वर्ष १९४९-५०=१००)

वस्तु	कुल का प्रतिशत	१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५४-५५	१९५५-५६	१९५६-५७
अन्न	६६.९	९०.१	९१.१	१०१.१	११९.४	११४.५	११३.५	११९.६
तेलहन	९.९	९८.५	९७.४	९१.९	१०३.७	१२१.७	१०९.२	११५.९
गन्ना	८.७	११३.७	१२२.८	१०१.६	८९.५	११६.७	१२१.२	१३६.७
रूई	२.८	११०.७	११९.२	१२१.०	१५१.८	१६३.१	१५१.६	१७९.३
जूट	१.४	१०६.३	१५१.४	१४८.६	१००.०	९४.७	१३५.७	१३६.५
सभी कृषि उत्पादन	१००.०	९५.६	९७.५	१०२.०	११४.३	११६.४	११५.९	१२३.०

स्रोत : कृषि मंत्रालय, भारत की कृषि स्थिति, अगस्त १९५७ (पृष्ठ ४५५-५६)

व्यापारिक फसलें

खेती में भी व्यापारिक फसलों जैसे रूई और जूट के उत्पादन में हुई प्रगति बहुत संतोषजनक है। विभाजन के समय भारत में सिर्फ २२ लाख गांठ रूई और १७ लाख गांठ कच्चा जूट पैदा होता था। उस समय भारत पाकिस्तान पर बुरी तरह निर्भर था क्योंकि उससे हमें ११ लाख गांठ रूई और ३५ लाख गांठ कच्चा जूट आयात करना होता था। इस समय भारत ५५ लाख गांठ रूई का उत्पादन स्वयं कर लेता है और कई वर्षों से हमने पाकिस्तान से रूई मंगाना बन्द कर दिया है। कच्चे जूट का हमारा उत्पादन ४३ लाख गांठ हो गया है जिसमें १५ लाख गांठ मेस्ता जूट शामिल नहीं है जिसे बोरे बनाने में जूट के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। जूट का पाकिस्तान से होने वाला आयात अब घटकर कुल ६ लाख गांठ रह गया है।

औद्योगिक विकास

उद्योगों के क्षेत्र में बहुत सी कठिनाइयों के बाद भी देश की सफलताएं शानदार हैं। औद्योगिक उत्पादन में धीरे-धीरे लेकिन शानदार वृद्धि हो रही है जो पिछले ६-७ सालों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस अवधि में बहुत से नये उद्योग स्थापित हुए हैं जिनसे देश का औद्योगिक ढांचा मजबूत हुआ है। अब तक जो चीजें देश में नहीं बनती थीं, वे अब बनने लगी हैं। औद्योगीकरण की रफ्तार बढ़ाने में सरकार के योगदान की नयी नीति अपनायी गयी है। सरकार उद्योगों की मित्र, दार्शनिक तथा मार्ग दर्शक बन गयी है। सरकार की औद्योगिक नीति और सरकारी क्षेत्र को उत्प्रेरणा देने तथा उद्यमशील बनाने के लिए खासतौर से व्यापक आधार बनाया गया है। सरकार की हमेशा ही यह इच्छा रही है कि उद्योगों का विकास सामंजस्यपूर्ण, संतुलित तथा देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए अधिकतम लाभ पहुँचाने वाला हो। सामान्य तौर पर सरकार की नीति गति हीनता की नहीं बल्कि गतिशीलता की रही है। यह नीति इस प्रकार की बनायी गई है जिससे उद्योग स्वयं अपने ही अनुभव से लाभ उठाते हुए आगे बढ़ सकें। व्यवहार में सरकार ने उन उद्योगों के संस्थापक उद्योगपति का स्थान भी ले लिया है, जिनमें विशाल पूंजी लगानी होती है, विदेशी तैकनिक सहायता तथा सहयोग मुश्किल से मिलता है और जिनसे उत्पादन होने में लम्बा समय लगता है।

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि

१९५१ को आधार मानकर औद्योगिक उत्पादन का सूचक अंक बराबर बढ़ रहा है और १९५४ के बाद से सूचक रेखा तेजी से ऊंची बढ़ी है। प्रगति की रफ्तार १० प्रतिशत वार्षिक है। आने वाले वर्षों में यह रफ्तार और भी तेज हो जाएगी जब बहुत से उन मुख्य उद्योगों में उत्पादन शुरू हो जाएगा जो इस समय स्थापित हो रहे हैं या जिनकी योजना निर्माण बहुत आगे बढ़ी हुई अवस्था में है।

नीचे की तालिका से हाल के कुछ वर्षों में औद्योगिक उत्पादन की दिशा प्रकट होती है :—

औद्योगिक उत्पादन के सूचक अंक
१६५१—१६५८

वर्ष	(आधार वर्ष=१६५१) सूचक अंक
१६५१	१००.०
१६५२	१०३.६
१६५३	१०५.६
१६५४	११२.६
१६५५	१२२.१
१६५६	१३३.०
१६५७	१३७.२
१६५८ (मई)	१४१.०

इंजीनियरी तथा रसायनिक उद्योग

उत्पादन वृद्धि के इन आंकड़ों से यह भली प्रकार प्रकट नहीं होता कि हाल के वर्षों में देश में औद्योगीकरण कितना हुआ है। इस समय सरकार औद्योगिक उत्पादन के जो सूचक अंक एकत्र करती है, उनमें बुनाई उद्योगों का भाग काफी बड़ा (४८ प्रतिशत) होता है लेकिन ये उद्योग विकासमान उद्योग नहीं हैं। दूसरे शब्दों में कपड़े और जूट उद्योग की उत्पादन वृद्धि उतनी शानदार नहीं है जितनी कुछ नये उद्योगों की है। जूट और कपड़ा उद्योग का सूचक अंक जून १६५८ में सिर्फ १०५.६ था। इसके विपरीत इंजीनियरी तथा रसायनिक पदार्थ उद्योगों ने हाल के वर्षों में जोरदार प्रगति की है और औद्योगिक उत्पादन का सूचक अंक बढ़ाने में काफी योग दिया है। उदाहरण के तौर पर रबड़ की वस्तुओं के निर्माण का सूचक अंक १६२.७, रसायनिक पदार्थों का २०४.०, खनिज उत्पादनों (पेट्रोलियम उत्पादन और कोयला को छोड़कर) का २०८.३ तथा इंजीनियरी और विद्युत उद्योगों का २४१.० था। अगर इन उद्योगों के सूचक अंकों को अलग से देखें तो इनकी प्रगति की रफ्तार हाल के वर्षों में लगभग १५ से २० प्रतिशत वार्षिक तक बैठती है। इससे यह भलीभांति प्रकट होता है कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था गतिशील तथा सोद्देश्य है।

गैर-सरकारी क्षेत्र

भारतीय अर्थ-व्यवस्था की एक और खास बात यह है कि इसमें गैर-सरकारी क्षेत्र को विकसित होने की पर्याप्त गुंजाइश मिल रही है। यही नहीं, इस क्षेत्र के उद्योगों को और बढ़ने तथा विस्तार करने के लिए वित्तीय तथा वैधिक सभी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। एशिया तथा सुदूरपूर्व के आर्थिक कमीशन ने १६५७ की अपनी रिपोर्ट में आर्थिक विकास पर विभिन्न देशों द्वारा किये जाने वाले सरकारी खर्चे के बारे में जो कुछ कहा है, वह महत्वपूर्ण है। उसमें कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र के विस्तार के बाद भी भारत में आर्थिक विकास के क्षेत्र में गैर सरकारी क्षेत्र के लिए व्यापक गुंजाइश मौजूद है। उसमें कहा गया है कि "भारत की जैसी मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में मुक्त व्यवसाय तथा निजी पूंजी के लिए बहुत गुंजाइश विद्यमान है। यह स्पष्ट नहीं है कि भारत में औद्योगिक विकास का मार्ग अनिवार्यतः पश्चिम की उद्योग प्रधान अर्थ-व्यवस्थाओं से भिन्न होगा। प्रसंगवश यहां इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि आर्थिक गतिविधियों में सरकार का योगदान कितना है, इस दृष्टि से यदि देखें तो भारत अधिकांश अन्य देशों से जिनमें मुक्त व्यवसाय के सिद्धांतों को अपनाने वाले देश भी सम्मिलित हैं, काफी नीचे है; उदाहरण के तौर पर १६५४ में एशिया तथा सुदूरपूर्व के आर्थिक कमीशन के देशों में—भारत को छोड़कर विकास कार्यों पर सरकार द्वारा किया हुआ खर्च, कुल खर्च का ८ प्रतिशत से लेकर २५ प्रतिशत तक रहा है जबकि सं० रा० अमेरिका की संघ सरकार का यह खर्च १६ प्रतिशत है। इसकी तुलना में भारत की केन्द्रीय सरकार का यह खर्च ८ प्रतिशत है और अगर राज्य सरकारों द्वारा किया गया खर्च भी इसमें शामिल कर लें तो यह लगभग १२ प्रतिशत बैठता है।

निजी क्षेत्र को सहायता

देश के औद्योगिक कार्यक्रम में सरकार का जो प्रत्यक्ष योग है, उसे हमें इस पृष्ठ भूमि में समझना चाहिए। पिछले एक या दो वर्षों में सरकारी क्षेत्र में सरकार का खर्च बढ़ा है। फिर भी गैर सरकारी उद्योगों को भारत में विकास करने के बहुत अवसर प्राप्त हैं। गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के विस्तार में उद्योग विकास तथा नियमन अधिनियम लागू करने, विभिन्न विकास परिषदें स्थापित करने और राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम बनाने से बहुत सुविधाएं मिली हैं। वित्तीय क्षेत्र में विभिन्न वित्त निगमों द्वारा उद्योगों को पर्याप्त सहायता दी जा रही है। इनमें से कुछ निगम ये हैं औद्योगिक वित्त निगम, विभिन्न राज्य निगम, औद्योगिक ऋण तथा पूंजी निवेश निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम आदि। गैर सरकारी क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए बहुत बड़ी गुंजाइश है; यह पहली आयोजना की इस बात से प्रकट है कि उस आयोजना में गैर सरकारी क्षेत्र में ४० से अधिक उद्योगों के योजना बद्ध विकास की व्यवस्था की गयी थी। दूसरी आयोजना में इस क्षेत्र के लगभग ५० उद्योगों का विकास करने का विचार है। दोनों ही आयोजनाओं में अनुसूचित उद्योगों का विकास संतोषजनक रहा है और बहुत से उद्योगों का विकास तो आशातीत रहा है। पहली आयोजना की पूर्ति पर कुछ उद्योगों का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से आगे निकल गया और लगभग सभी उद्योगों ने अपने लक्ष्यों के अनुसार उत्पादन कर लिया था।

मूल्यों में घटबढ़

भारत में भावों के सामान्य स्तर में घटबढ़ सीमाओं के अन्दर ही हुई है हालांकि कुछ वस्तुओं के भावों में समय-समय पर अधिक घटबढ़

भी हुई है। यह तथ्य भी इस बात का एक लक्षण है कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था स्वस्थ मार्ग पर अग्रसर हो रही है। योजनाबद्ध विकास की शुरुआत में तथा पहली आयोजना की अवधि समाप्त होते समय बाहरी प्रभावों जैसे कोरियाई युद्ध तथा संसार के उद्योग प्रधान देशों के मुद्रा बाहुल्य के कारण भारत में भाव चढ़े थे। निर्यात शुल्क आदि लगाकर विदेशों में हुई मूल्य वृद्धि का भारत पर होने वाला प्रभाव कुछ दूर तक रोक गया लेकिन जब आयातित वस्तुओं के भाव काफी बढ़ गये तो इसका प्रभाव देश में मूल्य स्तर पर भी पड़े बिना न रहा। १९५३-५५ में सामान्य मूल्य स्तर नरम ही रहा क्योंकि इन वर्षों में देश में फसल अच्छी हुई।

हाल में हुई मूल्य वृद्धि

१९५६ के बाद से हुई मूल्य वृद्धि का कारण अंशतः तो इस अवधि में विदेशों में भाव चढ़ना और अंशतः स्वेज संकट है जिसके कारण वस्तुओं की ढुलाई बढ़ गयी थी। विदेशों में भाव बढ़ने से हमारी आयातित मशीनों तथा मशीनें बनाने वाली मशीनों के दाम विशेष रूप से बढ़ गये। कुछ के दामों में तो ३३ प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई। द्वितीय आयोजना के प्रथम दो वर्षों में भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति विषम करने में इस मूल्य-वृद्धि का काफी हाथ है। उपलब्ध उत्पादन पर निरंतर बढ़ रही खपत का तथा पूंजी लगाने के व्यय का भी मूल्य स्तर पर प्रभाव पड़ा है जिस पर पिछली फसल में अन्न की कमी का असर भी पड़ा। यह संतोष की बात है कि भाव की वृद्धि में मुद्रास्फीति के कोई आसार प्रकट नहीं हुए वरन बाद में तो मूल्यों की वृद्धि रुकने के स्वागत योग्य लक्षण प्रकट हुए हैं।

विकास का स्वरूप

यह अधिकाधिक अनुभव किया जाने लगा है कि भारत में आर्थिक विकास का स्वरूप अन्य देशों से कुछ भिन्न होना चाहिए और भारत को आर्थिक विकास के बारे में एक नया मार्ग तथा नया दर्शन निकालना चाहिए। इसके फलस्वरूप हमारे यहां पूंजी प्रधान तथा श्रमिक प्रधान दोनों प्रकार के उद्योगों को उचित महत्व दिया जाता है। पूंजी प्रधान उद्योगों से देश का मूल औद्योगिक ढांचा मजबूत होता है और श्रमिक प्रधान उद्योगों से लोगों को अधिक रोजगार मिलता है, उद्योगों का विकेन्द्रीकरण तथा विविधीकरण होता है। समन्वित आर्थिक विकास करने के लिए लघु उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों के उत्थान के लिए सरकार व्यापक आधार पर सहायता देती है जो शैल्पिक, वित्तीय तथा शिक्षा सम्बन्धी होती है। सामान्य रूप से सरकार उत्पादन के तरीकों में शैल्पिक सुधार करने के लिए उत्सुक है जिससे उत्पादन लागत घटे, इनसे बने माल की किस्म में सुधार हो तथा लघु उद्योग बड़े उद्योगों के साथ-साथ उनके सहायक के रूप में चल सकें।

भारतीय अर्थ व्यवस्था अनिवार्यतः सुदृढ़

संक्षेप में भारतीय अर्थ-व्यवस्था, कुछ दिशाओं में विद्यमान तनाव तथा दबावों के बावजूद अनिवार्य रूप से सुदृढ़ है। बहुत से क्षेत्रों में भारतीय अर्थ-व्यवस्था उत्तरोत्तर तेजी से बढ़ रही है। बहुत से बड़े उद्योग तथा मूल उद्योग, जो आज स्थापित हो रहे हैं, हमारी अर्थ-व्यवस्था की बुनियाद को मजबूत बनाएंगे तथा उसे व्यापक आधार प्रदान करेंगे जिससे देश आगामी वर्षों में अधिक तेजी से बढ़ सकेगा। देश की राष्ट्रीय आय बराबर बढ़ रही है और पूंजी लगाने की रफ्तार भी बढ़ रही है। अधिकाधिक प्रशिक्षित तथा कुशल कर्मियों को प्रशिक्षण देकर तैयार किया जा रहा है जिससे वे भविष्य में स्थापित होने वाले कारखानों को चला सकें। खेती के क्षेत्र में सिंचाई के लिए बड़े बड़े बांध बनाने के अतिरिक्त अधिक अन्न तथा व्यापारिक फसलें पैदा करने के लिए गहन प्रयास किये जा रहे हैं। उर्वरक, कृषि उपकरण, तथा कीट नाशक पदार्थ आदि के उत्पादन को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार तथा जनता के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप भारत दिनों दिन शक्तिशाली होता जा रहा है और आगामी कुछ वर्षों में भारत का शक्तिशाली राष्ट्र बनना, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़, भौतिक दृष्टि से समृद्ध और औद्योगिक दृष्टि से गतिमान होना सुनिश्चित है।

---

६० लाख टन इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य

(पृष्ठ १५०८ का शेषांश)

दक्ष मजदूरों को कारखाने की मशीनें तथा उपकरण स्थापित करने के काम में लगा दिया जाता है। इस प्रकार उन्हें इन मशीनों और उपकरणों का पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है जो बाद में जबकि वे इन्हें चलायेंगे काम आयगा।

उत्पादन की लागत

कभी-कभी यह प्रश्न किया जाता है कि इन कारखानों के निर्माण पर अपेक्षाकृत जो अधिक खर्च पड़ रहा है क्या उसके कारण इनमें तैयार होने वाले इस्पात की लागत भी अधिक नहीं पड़ेगी। चूंकि इन कारखानों पर पूंजी अधिक लगानी पड़ी है इसलिये उसके कारण उत्पादन लागत अधिक पड़नी चाहिए। परन्तु आशा है कि संचालन लागत कम पड़ने के कारण यह अधिकता घट जायगी। नये कारखानों के संयंत्र आधुनिक होंगे। इसलिये उन्हें चलाने के लिये कम आदमियों की आवश्यकता होगी। आशा है कि इनका संगठन अच्छा होगा जिसके फलस्वरूप पूंजीगत लागत अधिक होने पर भी उत्पादन लागत के बराबर हो पड़ेगी।

भारतवर्ष में हीरों का उत्पादन

— ले० डा० अनन्त गोपाल झिंगरन, सुपरिंटेंडिंग जियालाजिस्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे।

अत्यन्त प्राचीन समय से भारतवर्ष अपने हीरों के लिए प्रसिद्ध रहा है। अधिकांश बहुमूल्य हीरे भारतवर्ष में ही उत्पन्न हुए हैं। किन्तु प्रायः तीन शताब्दियों से, विशेषकर, जब से दक्षिणी अफ्रीका के किम्बरली प्रदेश में अति घनी व उपजाऊ हीरे की खानें मिली हैं, भारत में इनका उत्पादन बहुत ही कम हो गया है। स्वतन्त्रता के बाद से सरकार ने पुनः इस मूल्यवान खनिज पर ध्यान दिया है और समस्त हीरकमय प्रदेशों का सर्वेक्षण नवीन ढंग से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश (भूतपूर्व विन्ध्य प्रदेश) में पन्ना के चतुर्दिक प्रांत में आशातीत सफलता मिली है।

रासायनिक संरचना में हीरक खनिज शुद्ध कार्बन का एक रूप है। यह बहुधा वर्णहीन होता है, किन्तु कभी-कभी इसमें पीले-नीले अथवा काले प्रभृति रंग भी पाये जाते हैं। मूल्य अवर्ण हीरे का ही सबसे अधिक होता है। इसके स्फटों की आकृति साधारणतया अष्टानीक या अष्टपहलू होती है, जो सम्भवतः दो चतुर्नीकों से जुड़कर बनती है और ये इसी तरह तोड़े भी जा सकते हैं। कठोरता में यह पदार्थ अद्वितीय है, संसार में कोई और ऐसा पदार्थ नहीं, जो इसे काट सके। कहावत प्रसिद्ध है कि हीरा ही हीरे को काट सकता है। इस खनिज में एक अपनी विशिष्ट द्युति होती है, जो हीरक-द्युति कही जाती है। किन्तु प्राकृतिक रूप में हीरों के ऊपरी तलों पर द्युति के स्थान पर साधारणतया एक विशिष्ट प्रकार की चिकनाहट सी होती है।

सघन रवेदार तथा गहरे रंग के हीरे 'बोर्ट' कहलाते हैं। काले रंग वाले 'बोर्ट' को कार्बोनाडो कहते हैं। इन जातियों में सुभाज्यता का नितान्त अभाव होता है तथा साधारण हीरों की अपेक्षा भंगुरता भी कम होती है। इस कारण ये जातियां घर्षण पदार्थों के निर्माण में अति मूल्यवान होती हैं। अति कठोर वेधन-यन्त्रों के अग्र भाग में इन्हें लगाया जाता है। हीरे की छोटी कनी कांच काटने में एवं इसका चूरा हीरे तथा अन्य मणियों को काटने तथा पालिश करने में काम आता है। धातुओं के तार खींचने में भी हीरे का प्रयोग किया जाता है।

भारतवर्ष में प्राप्ति-स्थान

प्राचीन काल में भारत के मध्यवर्ती प्रदेश से लेकर दक्षिण में पनार नदी के बीच का प्रदेश हीरों के लिए प्रसिद्ध रहा है। हैदराबाद के निकट गोलकुण्डा में हीरों का बहुत बड़ा हाट लगा करता था और इसी से इस प्रदेश के रत्न 'गोलकुण्डा के हीरे' कहे जाते रहे हैं। देश के हीरकमय क्षेत्र ३ भागों में बांटे जा सकते हैं :—(१) मध्य, (२) दक्षिणी तथा (३) पूर्वी। इन सभी क्षेत्रों में हीरे कैम्ब्रियन-पूर्व युग की फासिल-विहीन शिलाओं में पाये जाते हैं, जिन्हें उत्तर भारत में विन्ध्य तथा दक्षिण भारत में कडप्पा एवं कुर्नूल शैल श्रेणी कहते हैं।

मध्य-भारतीय क्षेत्र उपज की दृष्टि से तीनों क्षेत्रों में सबसे अधिक मूल्यवान है। देश में प्रायः शत-प्रतिशत हीरे इसी क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। अन्य क्षेत्रों में आजकल कोई नियमित रूप से उत्पादन नहीं होता, एवं कभी-कभी एक दो हीरे मिल जाते हैं। यह क्षेत्र प्रायः ६० मील लम्बा और १० मील चौड़ा है तथा इसमें पन्ना, अजयगढ़ चरखारी, कछार, कोठी, पटार, चौबेपुर तथा बरौंधा के अंग सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की खानें तीन वर्गों में बांटी जा सकती हैं :

हीरकमय संपिण्डित शैलः—मध्य भारतीय क्षेत्र के हीरों के सबसे प्रधान स्रोत संपिण्डित शैल की स्तरें हैं, जिन्हें स्थानीय लोग "मुड्डा" कहते हैं। इसकी दो प्रधान स्तरें हैं, जिनमें से एक विंध्य श्रेणी की कैमूर तथा रीवा पहाड़ियों के बीच स्थित है तथा दूसरी रीवा एवं भण्डेर की पहाड़ियों के बीच है।

इनमें से कैमूर व रीवा प्रस्तर मालाओं के बीच वाला मुड्डा अधिक उपजाऊ है। इसकी मोटाई प्रायः ५ फुट है तथा इसमें विभिन्न जाति की स्फटिक पत्थर की बटियां तथा पिण्ड प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं, जिनमें जैस्पर का बाहुल्य है। रीवा तथा भण्डेर प्रस्तर मालाओं के बीच वाले मुड्डे में जैस्पर की मात्रा कम है तथा

साधारण स्फटिक का बाहुल्य है। पन्ना से प्रायः बारह मील दूर मझगवां पर एक ऐसी हीरकमय अग्लोमरेट शैल पाई जाती है, जो ज्वालामुखी उद्भव की है तथा जिसकी भौतिक आकृति, लक्षण तथा खनिज संरचना अफ्रीका की सुप्रसिद्ध किम्बरलाइट शैल के सदृश है। इससे यह अनुमान किया जाता है कि कम से कम कुछ हीरे अवश्य ही मझगवां की अग्लोमरेट से प्राप्त हुए होंगे।

हीरकमय अल्युवियम तथा बजरी:—उप-अर्वाचीन एवं अर्वाचीन युगों में मुड्ढा तथा अन्य विन्ध्य शैल-श्रेणियों के क्षरण और टूटने से उत्पन्न (रेत मिट्टी) अल्युवियम तथा बजरी भी अनेक स्थानों पर हीरकमय पाई गयी है। अत्यधिक कठोरता तथा रासायनिक सुदृढ़ता के कारण हीरा मौसम के थपेड़ों को सहज ही सहन कर लेता है। जहां अन्य खनिज टूट-फूटकर बजरी व बालू बन जाते हैं, वहां हीरा ज्यों का त्यों बना रह जाता है। इस प्रकार हीरकमय मुड्ढे के विलयहन से हीरकमय बालू व बजरी का निर्माण होता है। अतः यों कहना चाहिए कि मुड्ढा पहली पीढ़ी का हीरकमय स्पिण्डवत शैल है तथा हीरकमय बालू व बजरी इसकी दूसरी पीढ़ी है।

हीरकमय अग्लोमरेट (अग्निपिंड) शैलः—यह हीरों का एक प्राथमिक निक्षेप है, जो पन्ना से प्रायः १२ मील दक्षिण-पश्चिम की दिशा में पाया जाता है। यद्यपि साधारणतया देखने में यह मुड्ढे से बहुत भिन्न है, फिर भी स्थानीय लोग इसे बहुदा मुड्ढा ही कहते हैं। सम्भवतः इसका कारण यह होगा कि यह भी हीरकमय है। इस अग्लोमरेट में हरे रंग के सर्पेन्टीन खनिज का बाहुल्य है, *जिसमें* श्वेत कैलसाइट की अगणित रगें इस प्रकार घुसी हैं कि उनका एक जाल सा बन गया है। लोहे के कण इसमें बहुतायत से पाये जाते हैं। शैल में सघनता का अभाव है तथा साधारण आकृति में यह बहुधा मटीली दिखाई देता है। अफ्रीका की हीरकमय किम्बरलाइट की कुछ जातियां भी देखने में ऐसी ही हैं और इस कारण कुछ लोग इस अग्लोमरेट शैल को भी किम्बरलाइट कहते हैं किन्तु वास्तव में दोनों की खनिज संरचना में अन्तर है। जहां पन्ना शैल में सर्पेन्टीन की प्रधानता है, अफ्रीका की शैल में ओलीवीन खनिज की बहुलता है।

मझगवां के अग्लोमरेट शैल के दृश्यांश का आकार नाशपाती जैसा है, जिसकी अधिकतम लम्बाई १६०० फुट तथा चौड़ाई १००० फुट के लगभग है और इसका क्षेत्रफल लगभग १,१२,५०० वर्गगज है। इसके चारों ओर कैमूर बलुआ पत्थर की शिलाएं हैं। इसकी गहराई की थाह लेने के लिये रीवा राज्य के भूवैज्ञानिक के० पी० सिनोर के निरीक्षण में एक गहरा वेध किया गया था। २४० फुट की गहराई तक जाने पर भी इसका पेंदा नहीं मिला और इससे यह अनुमान किया गया कि यह पाताली है और ज्वालामुखी श्रीवा प्रदर्शित करती है।

इस अग्निपिण्ड में हीरों की मात्रा के विषय में विश्वस्त आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। दक्षिण अफ्रीका की एंग्लो-अमरीकन कार्पोरेशन के इंजीनियर श्री ए० ग्रैमडन हैरीसन तथा मुख्य भूशास्त्री डा० ए० ई० वाटर्स ने १९५० ई० में यहां की एक खान के मुख पर पड़े हुये ढेर में से ३०५ घनफुट पत्थर को धोने का प्रयोग किया, जिसमें ६ हीरे प्राप्त हुए, जिनका संयुक्त भार ३.३२ कैरट था। प्रायः दो वर्ष हुए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे एवं भारतीय खान विभाग की ओर से मझगवां की शैल में हीरों की मात्रा आंकने का प्रयास किया गया था, जिससे मालूम हुआ कि प्रायः प्रति १०० टन चट्टान से १२.५ कैरट हीरे प्राप्त होते हैं, जिनका औसत मूल्य पौने दो हजार रुपये के लगभग होता है।

हीरों की खुदाई

हीरों की खुदाई अभी भी अधिकतर पुराने ढंग से मजदूरों द्वारा ही की जाती है, औजारों में साधारण फावड़े, कुदाली, घन, छेनी और साबल से काम लिया जाता है। अधिकांश खानें साधारण गड्ढों की तरह ऊपर से खुली हैं किन्तु कहीं-कहीं वे सुरंग के सदृश भी हैं। ये सुरंगें बहुत संकरी होती हैं और कहीं-कहीं तो उनमें घुसने के लिये दुबले-पतले मनुष्य को भी पेट के बल रेंगना पड़ता है। इस संकीर्णता का मुख्य कारण शिलाओं की कठोरता है। यद्यपि आज उत्खनन के लिये शक्तिशाली विस्फोटक व अन्य आधुनिक यन्त्र उपलब्ध हैं, किंतु हीरे की खानें प्रायः प्राचीन ढंग से ही चल रही हैं, क्योंकि एक तो हीरे के क्षेत्र इतने धनी नहीं हैं कि उनमें अधिक रुपया लगाया जा सके, दूसरे हीरों की खुदाई में ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय साधारण किसानी है और वे लोग केवल ऐसे मौसम में, जबकि खेती का अधिक काम नहीं होता, ऊपरी धन्धे के तौर पर इस काम को करने लगते हैं। किन्तु इधर कुछ वर्षों से मझगवां की खान को अधिक यन्त्रों से सुसज्जित किया जा रहा है और ऐसी आशा है कि इससे हीरों के खनन में विशेष वृद्धि होगी।

मुड्ढे में से हीरे निकालने की विधि

जैसा कि ऊपर बताया गया है मुड्ढे में साधारण खदानें छोटे-छोटे गड्ढों के सदृश हैं। ये गड्ढे साधारण औजारों से खोद लिए जाते हैं। ऊपरी मिट्टी, बलुआ पत्थर व शैल आदि चट्टानों को खोद कर गड्ढों को इतनी गहराई तक ले जाते हैं जहां मुड्ढे की स्तर मिल जाती है। इसके बाद फावड़े व कुदाली आदि से खोदना बन्द कर देते हैं, क्योंकि यह स्तर इतनी कठोर है कि इन साधारण औजारों से नहीं टूट सकती। इसे तोड़ने के लिए पहले इसे अग्नि से तपाते हैं। खूब तप जाने पर एकाएक पानी डालकर इसे ठण्डा कर देते हैं। अति तीव्रता से ताप परिवर्तन होने के कारण चट्टान में दरारें पड़

जाती है और तब छेनी व हथौड़ों की सहायता से उसे तोड़ डालते हैं।

टूटे हुए मुड्ढे को खान से बाहर निकालकर बड़े-बड़े घनों से कूट कर इसका चूरा कर डालते हैं, जिससे हीरे चट्टान से पृथक हो जाते हैं। हीरों के टूटने की आशंका कम होती है, क्योंकि ये अत्यधिक कठोर होते हैं। चूर्ण चट्टानों में से महीन बालू व मिट्टी को जल की धार से बहा देते हैं और फिर बचे हुए चूरे को स्वच्छ, समतल स्थान पर फैला देते हैं और पूर्णतया सूख जाने पर उसमें से बीन-बीन कर हीरे निकाल लेते हैं। यह क्रिया प्रायः वैसी ही है जैसे अनाज को थाली में फैलाकर कचरा बीनने की। इसे करने के लिए अधिकतर बच्चे व स्त्रियां ही लगाई जाती हैं, क्योंकि पुरुषों से उनमें अधिक धैर्य होता है, जिसके बिना एक-एक कण को बीनना प्रायः असम्भव है। अनुभवी कार्यकर्त्ताओं की तीव्र दृष्टि तथा दक्ष उंगलियों से कोई भी हीरा छूटने नहीं पाता।

हीरकमय अलूवियम तथा बजरी के उत्खनन की विधि मूल सिद्धांत में वैसी ही है जैसी कि मुड्ढे की। अन्तर केवल इतना है कि मुड्ढे से कमजोर होने के कारण इसकी खुदाई साधारण औजारों से हो जाती है और तपाकर पानी डालकर एकाएक ठण्डा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अतिरिक्त अलूवियम की खदानें सदैव एकदम खुली होती हैं। किसी-किसी स्थान पर हीरकमय अलूवियम के ऊपर १५-२० फुट ऊंची साधारण मिट्टी व बजरी की स्तरें होती हैं, अतः हीरकमय अलूवियम तक खोदने के लिए पतली-पतली सीढ़ी बनाते हुए क्रमशः गहराई पर जाते हैं। इस प्रकार की किसी-किसी खान में २,००० मजदूर तक प्रतिदिन कार्य करते हैं यथा रामखिरिया की खदान में। खुदी हुई अलूवियम व बजरी को धोकर हीरा निकालने का कार्य तो एकदम वैसे ही होता है जैसा मुड्ढे में से निकालने का।

मझगवां में उत्खनन के लिए आधुनिक यन्त्रों का प्रयोग आरम्भ हो गया है। पत्थर व मिट्टी की खुदाई, ढुलाई, चूरा करने, धोने सभी क्रियाओं के लिए उपयुक्त यन्त्रों की आयोजना की गयी है। हीरे चुनने का काम भी मशीन द्वारा ही किया जाता है। इसके लिये कटा हुआ पत्थर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में नियन्त्रित मन्द गति से ऐसी मेजों पर लुढ़काया जाता है, जिन पर एक ऐसी ग्रीज लगी रहती है, जिस पर हीरे तो चिपक जाते हैं, किन्तु कैलसाइट, सर्पेन्टीन आदि के कण निकल जाते हैं।

दक्षिणी क्षेत्र

हीरकमय प्रस्तर कडप्पा, अनन्तपुर, कर्नूल, कृष्णा, गुण्टूर एवं गोदावरी जिलों में फैला हुआ है। इन जिलों में कर्नूल श्रेणी की चट्टानें पायी जाती हैं, जिनका एक खण्ड बानगनापल्ली है जो हीरकमय है। स्थान-स्थान पर खोद कर इनमें से हीरे निकाले जाते हैं। इनसे उत्पन्न बजरी व मिट्टी (अलूवियम) भी हीरकमय होती है और इसी से इन जिलों की नदियों की घाटियों की मिट्टी व बजरी में बहुधा हीरे देखने में आ जाते हैं। किन्तु यह अलूवियम कहीं भी इतनी घनी नहीं पायी गयी कि उनमें लगकर काम किया जा सके। प्रायः भीषण वर्षा के बाद स्थानीय किसान नदी-घाटियों में उपयुक्त स्थानों पर बजरी कुरेदकर तसलों में धो-धोकर हीरे खोदने का प्रयत्न करते हैं और कभी-कभी अच्छी सफलता भी पाते हैं। अनन्तपुर जिले में बज्रकरूर स्थान पर एक ज्वालामुखी ग्रीवा है, जो मझगवां के अग्लोमरेट शैल की ज्वालामुखी ग्रीवा की तरह है। किन्तु मझगवां की शैल अधिकांशतः सर्पेन्टीन तथा कैलसाइट से बनी है, बज्रकरूर की ग्रीवा की शैल मुख्यतः प्लेजिओक्लेज तथा ओजाइट खनिजों से बनी है तथा अत्यन्त परिवर्तित और अनुत्तारित अवस्था में है। आधुनिक समय में बहुत खोज करने पर भी इनमें से एक भी हीरा नहीं पाया गया है। प्राचीन काल में इसी ग्रीवा के आसपास सवा लाख से भी अधिक मूल्य का हीरा पाया गया था और सन् १८६१ ई० में पौने ६८ कैरट भार का एक हीरा पुनः उसी स्थान से प्राप्त हुआ। पर प्रतिवर्ष वर्षा के बाद ग्रीवा के चारों ओर ३-४ मील की दूरी तक कुछ हीरे ऊपर ही पृथ्वी पर पड़े हुए पाये जाते हैं और इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये हीरे ग्रीवा की शैल से ही प्राप्त होते हैं। बरसाती पानी मुलायम सतह को बहा ले जाता है तथा कठोर व भारी हीरे पड़े रह जाते हैं।

कडप्पा जिले में पैनार नदी के तट पर बेन्नूर व कानूपर्ती स्थानों पर प्राचीनकाल में हीरे की खानें रही हैं, पर आजकल वहां उत्खनन नहीं होता। यहां की हीरकमय बजरी में स्फटिक, चर्ट व जैसपर की बटियां पाई जाती हैं। इस बजरी के ऊपर काली मिट्टी की स्तरें हैं, जो ४ फुट से १२ फुट तक मोटी हैं। कर्नूल जिले में बानगनापल्ली में अनेकों प्राचीन खानें मिलती हैं। उत्खनन के मुख्य केन्द्र बानगनापल्ली, रामुलकोटा, लांनापोलार, धौनी एवं विरेपल्ले रहे हैं। यहां हीरकमय संपिण्डित शैल की मोटाई ३ इंच से लेकर २४ इंच तक पायी गयी है। सन् १९१०-१२ के लगभग श्री० ए० घोष ने विरेपल्ले पर संपिण्डित शैल का विस्तृत सर्वेक्षण किया था तथा उपलब्ध हीरों की मात्रा आंकने का प्रयत्न किया था। उनके आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक १६ घनफुट शैल में से ३।१६ से १।४ कैरट तक हीरे निकले तथा ये रत्न बहुत ही सुडौल तथा निर्मल थे।

कृष्णा जिले में गोलापिल्ली बलुआ पत्थर के साहचर्य में हीरे पाये जाते हैं। इस शैल के टूटने फूटने से बनी अलूवियम तथा बजरी में भी हीरे पाये जाते हैं और इस जिले की अधिकांश हीरे की खान अलूवियम तथा बजरी में ही स्थित है। मुख्य उत्पादन केन्द्रों में परतियाल और गोलापिल्ली हैं।

गुण्टूर जिले में कोल्लुर, मालावरम तथा माडगुला में हीरों की खुदाई होती रही है तथा गोदावरी जिले में भद्राचलम् के समीप नदी की बालू व बजरी में से हीरे निकाले जाते रहे हैं।

पूर्वी क्षेत्र

यह क्षेत्र महानदी की घाटी में है तथा इसमें मुख्य उत्पादन केन्द्र सम्भलपुर व चादा जिलों में है यद्यपि यहां नदी की बालू व बजरी अनेक स्थानों पर हीरकमय पाई गई है, फिर भी स्थानीय विन्ध्य शैल श्रेणी व कर्नूल श्रेणी के किसी स्तर में हीरे नहीं पाये गये। नदी की पर्वतीय घाटी में शिलाओं के बीच यत्र-तत्र रुकावट पड़ जाने के कारण धार का वेग कुछ कम हो जाता है, ऐसे स्थानों पर, नदी में बहते हुये पदार्थ में से वे कण जो अधिक भारी होते हैं तल में बैठ जाते हैं। इस प्रकार बैठे हुये पदार्थ में हीरा सम्मिलित होता है। इन स्थानों की बजरी को धोने से हीरा व अन्य बहुमूल्य पदार्थ यथा स्वर्ण प्राप्त होता है। सम्भलपुर के पास हीराकुड नाम के स्थान पर जहां आजकल एक विशाल बांध बनाया गया है, प्राचीन समय में कई हीरे प्राप्त हुये हैं, जिनमें से सबसे बड़े रत्न का भार ६६.३ कैरट था। किन्तु आधुनिक समय में इस क्षेत्र में कहीं भी हीरे की खुदाई नहीं हुई है।

भारत में उत्पन्न कुछ प्रसिद्ध हीरे

कोहनूर:—भारतीय रत्नों में कोहनूर सम्भवतः सबसे अधिक प्रसिद्ध रहा है। इस अद्वितीय रत्न का इतिहास भी अति प्राचीन है। कुछ लोगों का कथन है कि ईसा से २००० वर्ष पूर्व यह आर्य राजाओं की सम्पत्ति थी किन्तु इसका प्रामाणिक इतिहास सन् १३०४ ई० से मिलता है, जब यह मुगल सम्राटों के मुकुट की शोभा बढ़ाता था। सन् १८५० ई० में पंजाब के सिक्ख राजाओं से यह ईस्ट इंडिया कम्पनी को मिला और फिर लार्ड डलहोजी ने इसे महारानी विक्टोरिया को भेंट में दिया। आजकल इंगलैण्ड की महारानी एलीजबेथ के राजमुकुट में सुशोभित है। १९४७ में भारतवर्ष के स्वतन्त्र हो जाने के बाद भारत सरकार ने इसे अंग्रेजों से पुनः प्राप्त करने के विषय में कुछ लिखा-पढ़ी आरम्भ की किन्तु अभी तक कुछ निश्चित निर्णय नहीं हो पाया है। सम्राज्ञी विक्टोरिया को भेंट के समय इसका भार १८६ कैरट था। सन् १८६२ ई० में इसे काट-छांटकर संवारने की चेष्टा की गयी। इससे इसका भार केवल १०६ कैरट रह गया। ऐसा विश्वास है कि यह हीरा दक्षिण में कोल्लूर की खान से प्राप्त हुआ था।

पिट हीरा.—यद्यपि कोहेनूर हीरे ने ख्याति अधिक प्राप्त की किन्तु सबसे सुन्दर, सुडौल व बड़ा हीरा 'पिट' है। इसका उपनाम 'रिजेन्ट' भी है। यह सन् १७०१ ई० में परतियाल की खान से प्राप्त हुआ था। उस समय इसका भार ४१० कैरट था। काट-छांट के बाद इसमें से १३६.९ कैरट भार का एक रत्न बना जो ३० मिलीमीटर लम्बा, २५ मिलीमीटर चौड़ा तथा १६ मिलीमीटर मोटा है तथा जिसकी आकृति अंग्रेजी जौहरियों की भाषा में 'ब्रिलियन्ट' है। इस का नाम मद्रास के भूतपूर्व गवर्नर विलियम पिट के ऊपर पड़ा है और जब यह उनके पास था, तभी इसमें से काटकर "ब्रिलियन्ट" बनाया गया था। बाद में फ्रांस के युवराज ड्यूक ऑफ ओरलियन्स ने इसे मोल ले लिया था और तब से यह फ्रांस राष्ट्र की सम्पत्ति है। सम्राट प्रथम नैपोलियन इसे अपनी तलवार की मूठ में रखते थे और उनका विश्वास था कि उनकी समस्त सफलताओं की कुंजी यह 'पिट' हीरा ही था। आजकल यह पैरिस के संग्रहालय में अपोलो गैलरी में रखा है।

ओरलोफ:—तीसरा भारतीय हीरा "ओरलोफ" है। यह कावेरी नदी में श्रीरंगमद्वीप पर बने हुये मन्दिर में ब्रह्माजी की मूर्ति की एक आंख में लगा था। वहां से एक फ्रांसीसी सिपाही उसे चुरा ले गया तथा एक फ्रांसीसी जहाजी कप्तान के हाथ बेच दिया। इधर-उधर घूमता हुआ अन्ततः यह हीरा युवराज ओरलोफ के हाथ लगा, जिनके नाम पर इसका नामकरण हुआ। उन्होंने इसे रूस की महारानी को भेंट में दिया और तब से यह रूसी सम्पत्ति है। इसका भार १९४.७ कैरट है। इसका वर्ण हल्का पीला है तथा द्युति अति दीप्त व उज्ज्वल है।

'महान मुगल':—इस नाम की मणि का इतिहास बहुत रहस्यमय है। सन् १६५० ई० में यह कोल्लूर की खान से प्राप्त हुआ था। इसका आदि भार ७८७.५ कैरट था। उस समय वेनिस का प्रसिद्ध कारीगर बोरगिर भारतवर्ष में ही था। उसने इसे काटकर २४० कैरट भार की सुन्दर मणि का रूप दिया। फ्रांसीसी राजदूत टैवरनियर जब भारतवर्ष का भ्रमण कर रहा था तब उसने इस मणि को देखा था किन्तु उसके बाद से कुछ पता नहीं चलता कि इसका क्या हुआ। कुछ लोगों का अनुमान है कि 'ओरलोफ' यही मणि है तथा कुछ लोग उसे कोहनूर भी बताते हैं।

'होप':—यह हल्के रंग की आभा लिये हुये नीले रंग का हीरा है। यह भी कोल्लूर की खान से प्राप्त हुआ था। यह भी एक मन्दिर में था। फ्रांसीसी राजदूत टेवरनियर इसे यहां से ले गया था। उसने इसे लुई चतुर्दश के हाथ बेच दिया। फ्रांस के विप्लव के बाद से यह इधर-उधर भटकता रहा अन्त में सन् १९११ ई० में श्री एवर्ड एम० लीन ने उसे प्राय: ८ लाख रु० में मोल लिया। रंगीन हीरों में यह संसार भर में सबसे बड़ा है। इसका आदि भार ११२.२ कैरट था फिर ६६ कैरट हो गया और एक बार पुनः टूटने से ४४.२ कैरट मात्र रह गया। कहते हैं कि यह हीरा अपने स्वामी के लिये अनिष्टकर रहा है।

"निजाम":—यह रत्न गोलकुण्डा में प्राप्त हुआ था। आदि में इसका भार ३४० कैरट था तथा उसे काटकर २७७ कैरट का रत्न बनाया गया। यह हैदराबाद निजाम परिवार की सम्पत्ति है तथा उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अन्य प्रसिद्ध भारतीय

हीरों ये हैं:—सान्सी (५३.५ कैरट), फ्लोरेन्टीन ब्रिलिएण्ट (१३९.५ कैरट), दरियायेनूर (१८६ कैरट) तथा पिगट (८२.२५करट)।

भारत में हीरों का उत्पादन

सन् १६२७ तक भारत में हीरे का उत्पादन नगण्य रहा। सन१६२७ के बाद इसमें वृद्धि के लक्षण पाये गये। सबसे अधिक उत्पादन १६५० में हुआ, जबकि उत्पन्न हीरों का भार २,७६६ कैरट था, जिनका मूल्य ४,१७,८५७ रु० प्राप्त हुआ। मूल्य की दृष्टि से सबसे अधिक उत्पादन १६५३ में हुआ था जब २,२०७ कैरट हीरों का उत्पादन हुआ जिनका मूल्य ५,६१,६१० रु० था। देश में मणि एवं घर्षण व्यवसाय दोनों में ही हीरों की खपत इससे कहीं अधिक है और उसे ध्यान में रखते हुए इस व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि करने की नितान्त आवश्यकता है।

पन्ना के समस्त हीरकमय क्षेत्र में भूभौतिकीय विधि से अन्वेषण का कार्य होना है और आशा है कि मझगवां जैसी हीरकमय अभिपिण्ड राशियां और भी स्थानों पर अवश्य मिलेंगी। छतरपुर जिले में अंगौर नाम के गांव के पास एक ऐसी ही अग्लोमरेट शैल मिली है, किन्तु अभी यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि यह हीरकमय है या नहीं।

"इण्डियन मिनरल्स" से साभार

जानकारी विभाग

विशाल उद्योग

खम्भात में तेल की सतह मिली

"खम्भात के पास तेल की खोज में खुदाई करते हुए हम उस तह तक पहुँच गये हैं जिसमें तेल मौजूद मालूम देता है।" यह सूचना लोकसभा में १२ सितम्बर को खान और तेल मन्त्री, श्री केशवदेव मालवीय ने दी।

उन्होंने बताया कि पिछले २॥ वर्ष से देश के विभिन्न भागों में हम तेल की खोज कर रहे हैं। तेल की खोज में किसी एक ही स्थान पर अपने प्रयत्नों को केन्द्रित करने के बजाय हमने विभिन्न स्थान चुनकर काम करने की नीति अपनाई है। ज्वालामुखी में तेल की खोज में खुदाई का काम चल रहा है। हाल ही में होशियारपुर में भी खुदाई शुरू की गयी है। पश्चिमी बंगाल में इण्डो-स्टानवेक प्रोजेक्ट ने खुदाई का काम शुरू किया है। खंभात में भी हाल ही में खुदाई का काम शुरू किया गया था।

खंभात में खुदाई का काम भारतीय विशेषज्ञों ने स्वतन्त्र रूप से शुरू किया है। इस क्षेत्र में लगभग ३,००० फुट खुदाई करने के बाद गैस का पता लगा। तदनुसार १०,००० फुट तक खुदाई करने का निश्चय किया गया।

आवश्यक तैयारी के बाद २५ जुलाई, १९५८ से रूसी उरलमेश-इकी टर्बी से खुदाई शुरू की गयी और ३ सितम्बर तक ५,३६८ फुट तक खुदाई कर ली गई। ४ सितम्बर को सुबह जब फिर खुदाई शुरू की गयी तो मिट्टी साथ कुछ-कुछ तेल भी आने लगा। ८ सितम्बर को जब फिर खुदाई की गयी तो मिट्टी के साथ तेल निकला और लगभग १५ मिनट तक तेल बाहर आता रहा। इससे ऐसा अनुमान किया गया कि यहां तेल का दबाव है।

श्री मालवीय ने कहा कि जितनी सफलता मिली है उसके आधार पर हम काफी आशा कर सकते हैं। लेकिन अभी खुदाई जारी रखने और लगभग ३ से १२ महीने तक प्रयोग करने की आवश्यकता है। उसके बाद हम यह निश्चित कर सकेंगे कि तेल वास्तव में है या नहीं। इतना अवश्य है कि इस क्षेत्र में तेल मिलने से ऐसी आशाएं काफी बढ़ गई हैं कि जो क्षेत्र अब तक उपेक्षित पड़ा था वहां तेल मिल सकेगा।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में तथा ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में हम तेजी से खुदाई शुरू करने का विचार कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि एक बिल्कुल अनजाने क्षेत्र में इतनी कम गहराई पर कम समय में और कम खर्च से हम तेल प्राप्त कर रहे हैं। इसका श्रेय हमारे तरुण भारतीय इंजनियरों के निश्चय और उत्साह को है। हम रूसी और रूमानियाई विशेषज्ञों के भी कृतज्ञ हैं जो इस काम में हमारी सहायता कर रहे हैं।

श्री मालवीय ने कहा कि ज्वालामुखी में खुदाई के समय हाल ही में हमें वहां गैस मिली है और अभी वहां हमारी खोज जारी है।

इंडियन रिफाइनरीज प्रा० लिमिटेड की स्थापना

इस्पात, खान और ईंधन मन्त्रालय के खान और ईंधन विभाग की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि सरकार तेल साफ करने के दो कारखाने खोल रही है। उनका संचालन और प्रबन्ध करने के लिए कम्पनी अधिनियम १९५६ के अंतर्गत २२ अगस्त, १९५८ को दिल्ली में एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी रजिस्टर की गयी। इसका नाम "इण्डियन रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड" है और इसकी प्राधिकृत पूंजी ३० करोड़ रु० है। इस कम्पनी को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त १० निदेशकों का एक मण्डल चलाएगा।

संसद् सदस्य श्री फीरोज गांधी इसके अध्यक्ष और श्री जे० एम० श्रीनागेश, आई० सी० एस० प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किये गए हैं।

भारी मशीनों और औद्योगिक माल का उत्पादन

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम भारी औद्योगिक मशीनों के उत्पादन और महत्वपूर्ण औद्योगिक माल, जैसे कच्ची फिल्में और औषधि,

रंग और प्लास्टिक उद्योगों के प्राथमिक अर्ध तैयार माल बनाने का उद्योग स्थापित करने का विशेष प्रयत्न कर रहा है।

निगम की स्थापना भारत सरकारने ने उद्योगों का विकास करने के लिए की है, विशेषकर देश के औद्योगिक ढांचे में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। कई योजनाओं के सम्बन्ध में निगम ने शिल्पिक अध्ययन समाप्त कर लिया है।

ऋण अथवा आस्थगित भुगतान की व्यवस्था के सम्बन्ध में सफल वार्ता कर लेने के बाद देश में एक भारी मशीन बनाने वाला कारखाना स्थापित करने का समझौता हो गया है, जो लोहे और इस्पात के लिए मशीनें तैयार करेगा। इस कारखाने के लिए मशीनें ढालने के लिए और खानों से कोयला निकालने के काम आने वाले यन्त्र बनाने के लिए भी कारखाना खोला जाएगा। चश्मों का शीशा बनाने के लिए एक और कारखाना खोलने के लिए भी समझौता हो गया है।

औषधियों, रंगों और प्लास्टिक उद्योगों के अर्ध तैयार पदार्थ, कच्ची फिल्में, मिलावटी रबड़, गन्ने की खोइयों से अखबारी कागज तैयार करने आदि के सम्बन्ध में निगम ने योजनाओं का अध्ययन लगभग पूरा कर लिया है। उनकी प्रगति अब मशीनें और उपकरण खरीदने के लिए विदेशी-मुद्रा के सम्बन्ध में होने वाली वार्ता के फल पर निर्भर है।

जर्मन कंपनियों से वार्ता

औषधि, रंग और प्लास्टिक उद्योगों के अर्ध तैयार पदार्थ तैयार करने में योग देने के लिए पश्चिम जर्मनी की प्रमुख कम्पनियों के दल से बातचीत हो रही है। इटाली की एक फर्म ने भी योजना में दिलचस्पी दिखाई है और उसके प्रतिनिधि से बातचीत की जा चुकी है।

फोटो खींचने के काम आने वाले कागज और फिल्में तथा सिनेमा-फिल्मों के उत्पादन की योजना पूरी तौर पर तैयार कर ली गयी है। आशा है कि पूर्वी जर्मनी से विशेषज्ञों का एक दल शीघ्र ही आस्थगित भुगतान के सम्बन्ध में बातचीत के लिए यहां आएगा।

अलुमीनियम, कार्बन, सिलूलोज की लुगदी और टंगस्टन कारबाइड के सम्बन्ध में निगम ने सर्वे किया था। इसके बाद निजी क्षेत्र में विदेशी शिल्पिक और वित्तीय सहायता से कारखाने स्थापित कराने की कोशिश की गयी है। यदि औद्योगिकों के प्रयत्न सफल न हुए तो निगम इन योजनाओं को पूरा करने के लिए पुनः विचार करेगा।

जून १९५८ के अन्त तक, निगम ने, जिसे पटसन और सूती वस्त्र उद्योगों के अभिनवीकरण में सहायता देने का काम भी सौंपा गया है, जूट मिलों को २ करोड़ ९३ लाख रु० और सूती वस्त्र मिलों को २ करोड़ २८ लाख रु० का ऋण स्वीकृत किया है। अल्पकालीन आधार पर सूती वस्त्र और पटसन मिलों के अभिनवीकरण के लिए वित्त मुहय्या करने की एक नयी योजना निगम के विचाराधीन है। है। मशीनी औजार तैयार करने वाले कारखानों को भी निगम ऋण देगा।

१९५१ से बिजली का उत्पादन और खपत

लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि भारत में १ अप्रैल, १९५६ से ३१ जुलाई, १९५८ तक सार्वजनिक उपयोग के बिजलीघरों में २५ अरब ४ करोड़ ५८ लाख ६० हजार किलोवाट घंटे बिजली बनी। १९५१ से १९५६ तक का बिजली का कुल उत्पादन ३५ अरब ७४ करोड़ १० लाख ९८ हजार किलोवाट घंटे रहा।

१ अप्रैल, १९५६ से ३१ जुलाई, १९५८ तक कल-कारखानों के लिये १३ अरब ६० करोड़ ४ लाख ६६ हजार किलोवाट घंटे और सिंचाई के लिये ९७ करोड़ ७७ लाख ६१ हजार किलोवाट घंटे बिजली बेची गयी। १९५१ से १९५६ तक उद्योगों को १९ अरब २१ करोड़ ५३ लाख ३७ हजार किलोवाट घंटे और सिंचाई के लिये १ अरब १४ करोड़ ९८ लाख ३७ हजार किलोवाट घंटे बिजली दी गयी।

इस प्रकार १९५७-५८ के अन्त में आबादी की वृद्धि आदि का हिसाब लगाकर बिजली की प्रतिव्यक्ति खपत का औसत २३.१४ किलोवाट घंटे बैठा। पहली पंचवर्षीय आयोजना के शुरू में यह औसत १०.११ किलोवाट घंटे और अन्त में १८.७२ किलोवाट घंटे था। दूसरी आयोजना के अन्त में बिजली के उपभोक्ताओं की संख्या ४२ लाख होगी, जो पहली आयोजना के अन्त में २५ लाख और शुरू में १५ लाख थी।

१९५१ से अब तक घरों में भी बिजली का इस्तेमाल बहुत बढ़ा है। दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अंत तक ३० लाख घरों में बिजली पहुंच जाएगी। पहली आयोजना के शुरू में केवल ११ लाख ५० हजार और अन्त में १९ लाख घरों में ही बिजली थी।

मई में बिजली का उत्पादन

मई १९५८ में, देश के बिजलीघरों में १ अरब ३ करोड़ ७१ लाख किलोवाट घन्टे बिजली पैदा की गयी, जिसमें से ८४ करोड़ ३ लाख किलोवाट घंटे बिजली घरेलू इस्तेमाल के लिये दी गयी। पिछले साल इसी महीने में ९३ करोड़ २ लाख किलोवाट घंटे बिजली पैदा की गयी थी और ७५ करोड़ ६७ लाख किलोवाट घंटे बिजली घरेलू इस्तेमाल के लिये दी गयी थी।

मई १९५८ में, देश में बिजली पैदा करने वाली ७६६ कम्पनियां थीं, जबकि अप्रैल १९५८ में ८४१ थीं। बिजलीघरों की संख्या कम होने का कारण यह है कि कुछ छोटे बिजलीघरों को बड़े बिजलीघरों के साथ मिला दिया गया था।

डी० डी० टी० का उत्पादन

अगस्त के महीने में दिल्ली के सरकारी कारखाने में पहले की अपेक्षा सबसे अधिक डी० डी० टी० तैयार की गयी। इस महीने १२४ टन डी० डी० टी० तैयार की गयी, जबकि इसकी मासिक उत्पादन क्षमता औसतन ११७ टन है। आलोच्य अवधि में डी० डी० टी० तैयार करने के काम आने वाले मोनो-क्लोरोबैंजीन पदार्थ का भी उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुआ। जबकि इसका मासिक उत्पादन औसतन २८,००० गैलन है, इस महीने ३०,००० गैलन तैयार किया गया।

इस कारखाने में १९५५ में काम शुरू हुआ है और तब से इसके उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है। १९५७ में ६२३ टन डी० डी० टी० तैयार की गयी जो १९५६ के उत्पादन से २५ प्रतिशत अधिक है। कारखाने की उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष १ हजार ४०० टन तक बढ़ाने के लिये एक योजना चालू की गयी थी और वह योजना मार्च १९५० में पूरी हो गयी तथा उत्पादन में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है।

कारखाना खोलने में संयुक्त राष्ट्र के बाल आपात कोष तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सहायता पहुँचायी थी और उन्होंने ही इसके विस्तार कार्यक्रम में सहायता पहुँचायी है।

इस कारखाने के मजदूर भी कारखाने की प्रबन्ध व्यवस्था में भाग ले सकें, इसके लिये पिछले महीने एक संयुक्त प्रबंध समिति नियुक्त की गयी है। यह दूसरा सरकारी कारखाना है जहां प्रबन्ध व्यवस्था में मजदूरों का भी हाथ होता है। पहला कारखाना बंगलौर का हिन्दुस्तान मशीन टूल फैक्टरी है।

केन्द्रीय सरकार ने केरल राज्य में अल्वई में डी० डी० टी० का दूसरा कारखाना खोला है। यहां काम चालू हो गया है।

९ लाख साइकिलों का निर्माण

देश में साइकिल के बीस बड़े कारखानों में पिछले साल, १९५७ में ७ लाख ९१ हजार; १९५६ में ६ लाख ६४ हजार और १९५५ में ४ लाख ९१ हजार साइकिलें बनायी गयीं। इन बड़े कारखानों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है:—उत्तर प्रदेश में ६, पंजाब में ६, प० बंगाल में ३, दिल्ली में २ और मद्रास, बम्बई और बिहार में एक-एक।

देश में पिछले साल १९५७ में छोटे कारखानों में एक लाख से अधिक साइकिलें बनायी गयीं, जबकि १९५६ में २२ हजार बनायी गयी थीं। छोटे कारखानों में मार्च, १९५६ से साइकिलें बनायी जानी लगी हैं।

देश में कुल ७८ छोटे कारखाने हैं, जहां साइकिलें बनायी जाती हैं इनमें से २२ पंजाब में, १४ दिल्ली में, १० प० बंगाल में, ९ उत्तर-प्रदेश में, ८ बम्बई में, ४ मध्य प्रदेश में, और दो मद्रास में हैं। जल्द ही राजस्थान के पाच, मैसूर के दो और आंध्रप्रदेश तथा उड़ीसा के एक-एक कारखाने में साइकिलें बनायी जानी लगेंगी।

इस प्रकार जहां तक पूरी बनी हुई साइकिलों की मांग का प्रश्न है, देश इसमें आत्मनिर्भर है और जल्दी ही यहां साइकिलों के हिस्से भी इतनी संख्या में बनने लगेंगे कि देश को विदेशों का मुंह न जोहना पड़ेगा और वह उसमें भी आत्मनिर्भर हो जायगा। देश में साइकिल उद्योग में ३ करोड़ ३९ लाख रु० भारतीय पूँजी और १९ लाख ८१ हजार रु० विदेशी पूंजी लगी है।

निर्यात बढ़ाने को प्रोत्साहन

इंजीनियरी, निर्यात-वृद्धि परिषद् की एक शाखा के हाथ में सिर्फ साइकिलों के निर्यात की देख-रेख का काम है और इस काम में मदद पहुंचाने के लिये विकास परिषद् ने स्थायी सम्पर्क समिति बनायी है।

कई अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां में भारत की बनी साइकिलें रखी गयी हैं और विदेशों में भारत सरकार के प्रदर्शन कक्ष में भी ये साइकिलें नमूने के तौर पर रखी हैं।

जो निर्माता साइकिलें बनाकर बाहर भेजते हैं, उनको उनकी साइकिलों के बदले में लोहे और इस्पात का १३३ प्रतिशत कोटा देने की व्यवस्था की गयी। निर्यात की जाने वाली साइकिलों के लिए जो कच्चा माल या पुर्जे आदि मंगाये जाते हैं, उनके आयात शुल्क में रियायत दी जायगी। इसी प्रकार इन पर उत्पादन शुल्क सम्बन्धी छूट भी दी जायगी।

देश में चीनी की खपत

यह अनुमान है कि १९५८-५९ की अवधि में देश में लगभग २० लाख टन चीनी की खपत होगी। १९५४-५५ में खपत के लिए कारखानों से १७ लाख २३ हजार टन चीनी की निकासी हुई और १९५५-५६ में १९ लाख १७ हजार टन तथा १९५६-५७ में १९ लाख ८९ हजार टन चीनी की निकासी हुई।

उत्पादन और निकासी

चालू मौसम में ३१ अगस्त, १९५८ तक देश में १९ लाख ६८ हजार टन चीनी बनी और १७ लाख ४ हजार टन की निकासी हुई। पिछले साल इन्हीं दिनों का उत्पादन २० लाख २१ हजार टन और निकासी १८ लाख टन थी। ३१ अगस्त १९५८ को चीनी मिलों के पास ६ लाख ९७ हजार टन चीनी का स्टाक था।

चालू मौसम में १५ अगस्त, १९५८ तक देश में १९ लाख ६७ हजार टन चीनी बनी और १५ लाख ९८ हजार टन की निकासी हुई। पिछले साल इन्हीं दिनों का उत्पादन २० लाख २० हजार टन और

निकासी १६ लाख ८६ हजार टन थी। १५ अगस्त, १९५८ को चीनी मिलों के पास ७ लाख ६६ हजार टन चीनी का स्टॉक था।

खंडसारी का उत्पादन

लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि खंडसारी कारखानों में जो चीनी तैयार की जाती है, उस पर गन्ने का निम्नतम भाव सम्बन्धी नियम लागू नहीं होता है। गन्ने से खंडसारी की प्राप्ति ६ से ७ प्रतिशत तक होती है, जबकि चीनी की प्राप्ति ९.६ प्रतिशत तक हो जाती है।

अनुमान है कि १९५७-५८ के मौसम में २ से ३ लाख टन खंडसारी बनायी गयी और इसके लिए ३१ से ४६ लाख टन गन्ना पेरा गया।

खंडसारी थोड़ी सस्ती होती है और इसका भाव विभिन्न स्थानों में २८ से लेकर ३५ रु० प्रति मन तक है, जबकि चीनी का भाव ३६ रु० से लेकर ३७ रु० प्रतिमन है।

नकली रेशम के उत्पादन में वृद्धि

पिछले तीन सालों के अन्दर देश में नकली रेशम के तागे के उत्पादन में ६० प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई। पिछले साल २ करोड़ ५१ लाख ८० हजार पौंड नकली रेशम का तागा तैयार किया गया था, जबकि १९५६ में १ करोड़ ६३ लाख २० हजार पौंड और और १९५५ में १ करोड़ ५४ लाख ५० हजार पौण्ड तैयार किया गया था।

देश भर में इसकी कुल ४ मिलें हैं, जिनमें से २ बम्बई में, १ केरल में और १ आंध्र प्रदेश में है।

देश में नकली रेशम के कपड़े और मोजे, आदि चीजें बुनने वाली मिलों के लिए प्रतिवर्ष ७ करोड़ ५० लाख पौंड नकली रेशम के तागे की आवश्यकता पड़ती है। १९५७ में विदेशों से ४ करोड़ ७० लाख पौंड तागा मंगाना पड़ा, जबकि १९५६ में ६ करोड़ पौंड तथा १९५५ में ४ करोड़ ७० लाख पौंड तागा मंगाना पड़ा था। इस साल की पहली छमाही में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण केवल १ करोड़ २७ लाख ५० हजार पौंड तागा मंगाया गया। जिन बड़ी-बड़ी मिलों में तथा बिजली के और हथकरघों में नकली रेशम का तागा काम में लाया जाता है, उन्हें उचित मात्रा में तागा दिया जा सके, इसके लिए एक योजना चालू की गयी है।

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्त तक नकली रेशम के तागे की मिलों की उत्पादन क्षमता का लक्ष्य बढ़ा कर प्रतिवर्ष १० करोड़ पौंड कर देने का निर्णय किया गया है। अब तक ८ करोड़ पौंड रेयन तागा तैयार करने के लिए लाइसेंस दिये जा चुके हैं। ये लाइसेंस उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम के अंतर्गत दिये गये हैं। इसके अलावा पर्लान का तागा भी तैयार करने का विचार है।

रेयन के तागे के उत्पादन के लिए जो तीन योजनाएं बनायी जा रही हैं, अनुमान है कि इस साल के अन्त तक ये पूरी हो जाएंगी। अन्य दो योजनाएं १९५९ के अन्त तक पूरी हो जाएगी और छठी योजना पूरी होने में अभी काफी समय लगेगा। इनमें से तीन योजनाएं वर्तमान मिलों को बढ़ाने के लिए हैं और बाकी तीन योजनाएं नयी मिलें खोलने के लिए हैं।

१९४७ में देश में बिजली के ऐसे २००० करघे थे, जहां रेयन के कपड़े की बुनाई होती है। किन्तु १९५८ में इनकी संख्या बढ़कर ४५,००० हो गयी। पिछले सालों के बनिस्बत अब काफी अधिक कपड़ा तैयार किया जाने लगा है और इसके अलावा अब कई तरह के कपड़े भी जैसे मखमल, शार्कस्किन आदि भी तैयार किये जाने लगे हैं।

समय-समय पर नकली रेशम उद्योगों का उत्पादन-लक्ष्य निर्धारित करने, विभिन्न मिलों के उत्पादन कार्यक्रमों में मेल तथा प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक विकास परिषद् नियुक्त की गयी है। यह अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने, किस्म में सुधार करने तथा कपड़े के दाम सस्ते करने के सम्बन्ध में भी सुझाव देती है।

रेशमी तथा रेयन के कपड़ों का निर्यात बढ़ाने के लिए एक निर्यात वृद्धि परिषद् भी नियुक्त की गयी है।

सिलाई की मशीनों का निर्माण बढ़ाया जायगा

सन् १९५७ से सिलाई की मशीनों के निर्माण में पिछले साल की अपेक्षा २५ प्रतिशत वृद्धि हुई। उस साल लगभग १ लाख ६७ हजार मशीनें बनायी गयी थीं। सन् १९५८ के पहले चार महीनों में सिलाई की ६५,००० मशीनें बनायी गयीं।

देश में सिलाई की मशीनें बनाने वाली ३५ छोटी और सात बड़ी कम्पनियां हैं। छोटी १४ कम्पनियां पंजाब में, ९ दिल्ली में, ४ राजस्थान में, तीन उत्तर प्रदेश में, २ जम्मू और कश्मीर में और एक-एक बम्बई, मध्य प्रदेश और आंध्र में हैं। बड़ी पैमाने की सात कम्पनियों में से तीन-तीन प० बंगाल और पंजाब में और एक दिल्ली में हैं।

भारत सरकार इनका, विशेषतः छोटी कम्पनियों का, उत्पादन बढ़ाने के लिये उपाय कर रही है।

सरकार छोटे उत्पादकों को तरजीह देती है, और उन्हें प्रति मशीन प्रति साल १० रु० के पुर्जे बाहर से मंगाने की इजाजत दी गयी है। इसके अलावा लघु-उद्योग सेवा संस्थाओं द्वारा उन्हें शिल्पिक सहायता दी जाती है, जिससे वे उत्पादन के नये तरीके अपना सकें। उन्हें बिजली से पालिश आदि करना भी बताया जाता

है और मरम्मत केन्द्रों द्वारा उन्हें आवश्यक औज़ार बनाने की सब सुविधाएं दी जाती हैं।

छोटी कम्पनियों को धीरे-धीरे उद्योग बढ़ाने की सुविधा दी जाती है, ताकि कुछ अरसे बाद यह मध्यम श्रेणी की और बाद में बड़ी कम्पनियां बन सकें।

इन कम्पनियों को इस्पात, लोहा जैसा कच्चा माल भी सप्लाई किया जाता है और विदेशी मुद्रा उपलब्ध होने पर, देश में न मिलने वाला कच्चा माल विदेशों से मंगाने की इजाजत दी जाती है।

ऐनक के शीशे का कारखाना

भारत सरकार ने दुर्गापुर (प० बंगाल) में ऐनक के शीशे का कारखाना खोलने का निर्णय किया है। इस कारखाने में वैज्ञ यन्त्रों के १० टन और ऐनक के २०० टन शीशे तैयार किये जायेंगे। यह योजना १९६१-६२ तक पूरी हो जायगी और इस पर लगभग २ करोड़ ३० लाख रु० खर्च होगा।

लघु उद्योग

छोटे उद्योगों को तांबे की सप्लाई

भारत सरकार ने छोटे उद्योगों को तांबे के बिजली के तार, तांबे के बर्तन और जरी का सामान बनाने के लिए तांबा देने का विशेष प्रबन्ध किया है।

छोटे उद्योगों को, अप्रैल-सितम्बर १९५८ की अवधि में, उनके १९५७ के काम को देखते हुए, ५,५०० टन तांबा दिया जायगा। १९५७ में उन्होंने ११,००० टन तांबे की वस्तुएं तैयार की थीं। इससे स्पष्ट है कि उन्हें इस साल छः महीने में पिछले साल के बराबर ही तांबा दिया जायगा।

छोटे उद्योगों को ५,५०० टन में से ४,५०० टन तांबा पहले ही दिया जा चुका है। राज्य सरकारों के उद्योग निदेशकों ने तांबे की खपत के जो प्रमाण-पत्र भेजे थे, उनके आधार पर निर्माताओं को केन्द्रीय सरकार ने उक्त तांबा दिया।

अब सरकार ने निर्णय किया है कि राज्य सरकारें ही निर्माताओं को तांबा देंगी। इसके लिए राज्य सरकारों को कुछ तांबा अलाट कर दिया जायगा।

तांबे पर *नियन्त्रण*

२ अप्रैल, १९५८ से तांबे के वितरण और भाव पर नियन्त्रण है। तांबे का आयात कम था और भाव चढ़ रहे थे, इसलिए उक्त निर्णय किया गया था।

छोटी मोटरों का निर्माण

लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि सीमित विदेशी मुद्रा में अधिक से अधिक मोटरें तैयार करने के उद्देश्य से हाल ही में उत्पादकों ने यह निर्णय किया है कि हर एक फर्म सिर्फ एक ही किस्म की मोटर बनायेगी, क्योंकि इसके लिए प्रति मोटर के लिए बहुत कम विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। यह व्यवस्था लगभग एक साल तक लागू की जा सकेगी।

विदेशी मुद्रा की कमी के कारण जनवरी १९५७ से मोटर के हिस्सों के आयात पर पाबन्दी लगा दी गयी है और इसीलिए देश में नयी मोटरें बहुत कम तैयार हो पाती हैं।

पिछले कुछ सालों में छोटी मोटरों (१४ अश्व शक्ति तक) के निर्माण का ब्यौरा इस प्रकार है :

१९५५ में	—	७,३१७ मोटरें
१९५६ में	—	१०,५७१ ,,
१९५७ में	—	६,७५६ ,,
१९५८ (जनवरी-जून)	—	२,८५५ ,,

छोटे औद्योगिकों को सलाह और सूचना

भारत सरकार ने १४ लघु उद्योग सहायक संस्थाएं खोली हैं, जो छोटे उद्योगपतियों को आर्थिक और व्यावसायिक मामलों की सूचनाएं दिया करती हैं।

ये संस्थाएं बताती हैं कि किस उद्योग की क्या गुंजाइश है, देश में उनकी संख्या, उनकी उत्पादन-क्षमता, माल की खपत, भविष्य में मांग बढ़ने और निर्यात की क्या गुंजाइश है।

ये बताती हैं कि नये उद्योग की स्थापना में कितनी पूंजी, मशीनरी और कच्चा माल लगेगा और उत्पादन की खपत कहां हो सकती है।

ये १६ संस्थाएं इन नगरों में हैं—नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, आगरा, जयपुर, लुधियाना, बंगलौर, इन्दौर, राजकोट, पटना कटक, गुवाहटी और श्रीनगर, हैदराबाद और त्रिवेन्द्रम। उद्यम करने वालों को इन संस्थाओं से सम्पर्क करना चाहिए।

गुलमर्ग, कश्मीर में
बर्फ का आनन्द

हमारे दर्शनीय स्थल

निशात बाग
कश्मीर

चित्र परिचय

१. खजुराहो के मन्दिर। (दाईं तरफ ऊपर)
२ मान मन्दिर ग्वालियर। (दाईं तरफ नीचे)

१. सांची के स्तूप का प्रवेश द्वार। (बाईं तरफ ऊपर)
२ कलकत्ते का जैन मन्दिर। (बाईं तरफ नीचे)

चित्र परिचय

१. विश्व विख्यात ताज महल। (बाईं ओर ऊपर)
२. वृन्दावन उद्यान मैसूर। (बाईं ओर नीचे)

रामेश्वरम् के प्रसिद्ध मन्दिर का गोपुरम्।
(चित्र पृष्ठ ४ पर देखिये)

विजय स्तम्भ, चित्तौड़।

दस्तकारी सिखाने के ५८ केन्द्र और खोले जाएंगे

भारत सरकार ने अखिल भारतीय दस्तकारी मंडल की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न राज्यों में दस्तकारी सिखाने के ५८ केन्द्र खोलने की अनुमति दी है। राज्य सरकारों की ४१ नयी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार ने इस साल ७ लाख ५२ हजार रु० की सहायता दी है और अन्य १७ योजनाओं के लिए भी सहायता देने का विचार कर रही है।

इन केन्द्रों में काम सीखने वाले कारीगरों को दस्तकारी की वस्तुएं बनाने के नये और सुधरे तरीके सिखाये जाएंगे। प्रत्येक कारीगर को हर महीने २५ से लेकर ३० रु० तक वेतन दिया जाएगा और काम सीख लेने के बाद उनको इस बात के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा कि वे सहकारी समितियां स्थापित करें। इनके लिए सरकार सहायता देगी।

मद्रास में इस प्रकार के सात केन्द्र खोले जाएंगे। ये पेराम्बलूर, गोपालसमुद्रम, स्वामीमलाई, नचियारकोइल, पल्लवरम और महाबलीपुरम् में होंगे। इनमें कम्बल, कालीन, दरियां, सन की दरियां और कालीन, धातु और चमड़े की वस्तुएं, आदि बनाना सिखाया जाएगा। इन केन्द्रों के लिए राज्य सरकार को १ लाख ६६ हजार रु० मंजूर किये गये हैं। केन्द्र से अधिक सहायता मिलने पर लकड़ी की खुदाई, चूड़ियां बनाना आदि सिखाने के लिए तीन केन्द्र और खोले जाएंगे।

बिहार सरकार को आठ प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए ६५ हजार से भी अधिक रकम दी गयी है। इनमें से दो केन्द्रों में माल भी बनाया जाएगा। इनमें से तीन केन्द्र बिहारशरीफ, राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड, और रांची में होंगे, जिनमें कपड़े की छपाई और खिलौने बनाना सिखाया जाएगा। अन्य केन्द्रों में गुड़िया, टोकरियां, चूड़ियां, पेपीरमेशी, लाख, और लाख की रंगाई की चीजें बनाना सिखाया जाएगा। बुनाई, कसीदाकारी और मिट्टी के सजावटी बर्तन बनाना सिखाने के दो और केन्द्र खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

आंध्र प्रदेश में खिलौने बनाना सिखाने के तीन केन्द्र खोले जाएंगे। ये इट्टिकाप्पाक, तिरुचानूर और कोंडापल्ली में होंगे और इनमें लकड़ी के, लाख के तथा कोंडापल्ली खिलौने बनाना सिखाया जाएगा। इनके अलावा, सिकन्दराबाद में हाथीदांत और सींगों की वस्तुओं के लिए और नेल्लोर, कुडूर और थामपोला में टोकरियां बनाने के केन्द्र होंगे। इन केन्द्रों के लिए राज्य सरकार को ६१ हजार रु० किये गये हैं।

मैसूर राज्य को ८८ हजार रु० मिले हैं, जो राज्य में तीन प्रशिक्षण केन्द्र खोलने और धारवाड़ के दस्तकारी स्कूल की सहायता के लिए खर्च किये जाएंगे। ये केन्द्र नागमंगलम, कुर्ग और किन्नल, में होंगे और इनमें लकड़ी के खिलौने, पीतल के बर्तन आदि बनाना सिखाया जाएगा। दक्षिण कानडा में सेलखड़ी की वस्तुओं के लिए केन्द्र खोलने का सरकार का इरादा है, जिसके लिए केन्द्र से सहायता दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में केन्द्र

उत्तर प्रदेश में दरी, हाथी दांत, बेंत, बांस की वस्तुएं और लकड़ी के खिलौने बनाना सिखाने के लिए चार केन्द्र खोले जाएंगे, जिसके लिए राज्य सरकार को ६३ हजार रु० दिये गये हैं।

राजापुर में सन के रेशे की वस्तुएं, कोल्हापुर में चटाइयां और राष्ट्रीय विस्तार खंडों में खिलौने तथा गुड़ियां बनाना सिखाने के लिए बम्बई सरकार को ५१ हजार रु० दिये गये हैं। इनके अलावा, अमरेली में रंगाई और छपाई केन्द्र और पूने में सजावटी बर्तन, काले में लाख की वस्तुएं और बाजारगांव में मिट्टी के बर्तन के लिए केन्द्र खोलने के बारे में सरकार विचार कर रही है।

पश्चिमी बंगाल में खड्डी की छपाई सिखाने, बरूसाल में दरियां बनाने का एक और लाख की वस्तुओं के तीन चलते-फिरते केन्द्रों के लिए ३८ हजार रु० मंजूर किये गये हैं। इनके अलावा, सींग की वस्तुएं बनाना और चटाइयां बुनना सिखाने के लिए दो केन्द्र और खोले जाएंगे।

आसाम में गुड़िया और खिलौने, बेंत और बांस की वस्तुएं बनाना सिखाने के लिए दो केन्द्र खोले जाएंगे, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार ३६ हजार रु० देगी।

मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान को एक-एक योजना अभी मंजूर की गयी है। इन्दौर (मध्यप्रदेश) में रंगाई और छपाई का, उड़ीसा में सोने-चांदी के तारों तथा सींग की वस्तुओं का और पालनपुर में कालीन बुनने का केन्द्र खोला जाएगा। जयपुर की आर्टिस्टिक क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के लिए राजस्थान को १ लाख ४ हजार रु० दिये जाएंगे।

इनके अलावा मंदसौर में मिट्टी के बर्तन और रीवा में खिलौने बनाने के केन्द्र खोलने के लिये मध्यप्रदेश की सरकार को सहायता दी जाएगी। लकड़ी के खिलौने बनाने और पत्थर की खुदाई की दो योजनाओं के लिए उड़ीसा सरकार को और होशियारपुर के सरकारी स्कूल में दस्तकारी सिखाने की शाम की कक्षाएं खोलने के लिए पंजाब सरकार को सहायता दी जाएगी।

औद्योगिक गवेषणा

लवण जलशेष से पोटेशियम क्लोराइड

समुद्री पानी से नमक तैयार करते समय जो चिकना तरल पदार्थ रह जाता है उसे लवण जलशेष (बिटर्न) कहते हैं। देश में यह अब तक बेकार फेंक दिया जाता था। अब भावनगर की केन्द्रीय नमक अनुसंधानशाला ने इससे पोटेशियम क्लोराइड निकालने का सरल और सस्ता तरीका निकाला है।

देश में समुद्री पानी से प्रतिवर्ष लगभग ३० लाख टन नमक तैयार किया जाता है। अनुमान लगाया गया है कि नमक बनाने के बाद जो लवण जलशेष फेंक दिया जाता है, उससे ८०-८५ हजार टन पोटेशियम क्लोराइड तैयार किया जा सकता है। भावनगर अनुसंधानशाला ने अब तक जो खोज की है, उनमें यह काफी महत्वपूर्ण है। पोटेशियम क्लोराइड खेतों में खाद के काम आता है।

लवण जलशेष से पोटेशियम क्लोराइड तैयार करने का तरीका मोटे तौर पर यह है : लवण जलशेष को निश्चित तापमान पर धूप में सुखाया जाता है और उसमें चूना सानकर मिला दिया जाता है, ताकि उसमें से मेगनेशियम सल्फेट निकाला जा सके। इसके बाद उसमें पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड शेष रह जाता है। इसे और सुखाया जाता है, जिससे सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के कण बन जाते हैं। इसके बाद पोटेशियम क्लोराइड को उन कणों से अलग कर दिया जाता है।

औजार पैक करने के लिए प्लास्टिपील

छोटे औजार, मशीन के पुर्जे और अन्य यंत्र रखने वालों तथा पैक करने और भेजने वालों के सामने एक कठिनाई यह रही है कि औजारों, पुर्जों आदि को किस तरह रखा जाय, जिससे वे आपस की रगड़, जंग आदि से बचे रहें।

दिल्ली के श्रीराम इंस्टिट्यूट फार इंडस्ट्रियल रिसर्च ने उनकी यह कठिनाई दूर करने का तरीका निकाल लिया है। उसने देशी सामान से ही एक पदार्थ प्लास्टिपील तैयार किया है, जिसकी परत चढ़ाने के बाद औजारों, पुर्जों आदि पर जंग नहीं लगता और अधिक नमी का भी असर नहीं पड़ता। प्लास्टिपील छोटे और नाजुक औजारों, यंत्रों आदि को पैक करने और भेजने में काफी सहायक सिद्ध होगा। यह चीनी मिट्टी और कांच के बर्तन पैक करने में भी काम आ सकता है।

विदेशों में औजारों आदि को पैक करने, भेजने तथा रखने के लिए अनेक प्रकार के पदार्थ इस्तेमाल किये जाते हैं। देश में इनका प्रयोग बहुत कम होता है और यह विदेशों से ही मंगाया जाता है। श्रीराम अनुसंधानशाला की इस खोज से अब यह देश में ही बनने लगेगा।

मिलावटी घी की पहचान

गृहणी अब इसका आसानी से पता लगा सकती है कि उसके घर में जो घी आया है, वह शुद्ध है या उसमें वनस्पति आदि मिला हुआ है।

मैसूर की केन्द्रीय खाद्य शिल्प-विज्ञान अनुसंधानशाला एक छोटी सी डिबिया देती है, जिसकी मदद से यह पता लगाया जा सकता है। यह डिबिया बहुत सस्ती है और पता लगाने का तरीका भी बहुत सरल है।

इस डिबिया में ये उपकरण होते हैं : चिन्ह लगा हुआ एक टेस्ट ट्यूब; सील किया हुआ एक कैपसूल जिसमें थोड़ा सा तेजाब होता है, कुछ रसायनों की सल लगी हुई एक शीशी और एक कार्ड। इन उपकरणों की मदद से बहुत आसानी से घी में मिलावट का पता लगाया जा सकता है।

डिबिया की एक विशेषता यह है कि इसका दाम केवल ८ नए पैसे है। दूसरी बार जांच करने के लिए केवल ३ नए पैसे का और सामान खरीदना पड़ता है।

देश में सफेद सीमेण्ट बनाने की योजना

लोकसभा में वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा संस्कृति मन्त्री, श्री हुमायूं कबीर ने देश में यहीं के च्याजों से सफेद सीमेंट बनाने की योजना पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सीमेंट बनाने का, एक घूमने वाला भट्ठा मंगाया जा चुका है और दूसरे भट्ठे के बनाने के लिए आवश्यक यन्त्रादि मंगाये जा रहे हैं। प्रायोगिक यन्त्र हैदराबाद की प्रादेशिक अनुसन्धानशाला में लगाया गया है और उसके द्वारा चूने के पत्थर, खड़िया और फेल्सपार से सफेद सीमेण्ट बनाया गया है। यहां जो सीमेण्ट बना है, वह मजबूती और चिपकने में विदेशी सीमेण्ट से कम नहीं पाया गया।

वाणिज्य-व्यवसाय

निर्यात बढ़ाना जरूरी

"देश में जिस तरह निर्यात का काम बढ़ रहा है, उसे देखते हुए हम अनुमान लगा सकते हैं कि व्यापार के क्षेत्र में हमारा देश भी कुछ समय बाद अन्य उन्नत देशों का मुकाबला करने लगेगा। इसके लिए हमें काफी मेहनत करनी होगी और व्यवस्थित तथा संगठित रूप से काम करना होगा,"—ये शब्द नयी दिल्ली में निर्यात-वृद्धि सलाहकार परिषद् की पहली बैठक में भाषण करते हुए, वाणिज्य और उद्योग मन्त्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहे। यह परिषद् निर्यात वृद्धि समिति की सिफारिशों के अनुसार बनायी गयी है।

वाणिज्य संघ के महत्वपूर्ण काम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संघ ने जो किया और जो करने जा रहा है, वह प्रशंसनीय है। साथ ही देश के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने में व्यापारियों ने भी काफी सहायता की। निर्यात बढ़ाने में किसानों और निर्माताओं के अलावा, व्यापारियों का भी प्रमुख हाथ होता है। कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में हमारा देश बहुत पीछे था, परन्तु अब स्थिति बदल गयी है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की कठिनाई का जिक्र करते हुए, श्री शास्त्री ने कहा कि इसका एकमात्र हल यही है कि हम निर्यात को इतना बढ़ाएं, जिससे आयात होने वाले सामान का मूल्य दिया जा सके। इस साल के पहले कुछ महीनों में अमेरिका में मन्दी आने तथा कुछ अन्य कारणों से हमारे निर्यात में कमी आयी। नवम्बर, १९५७ में ५८ करोड़ ७४ लाख रु० का सामान निर्यात किया गया था, जबकि अप्रैल, १९५८ में केवल ४१ करोड़ ४२ लाख रु० का सामान निर्यात किया गया। मई में निर्यात कुछ बढ़ा, परन्तु जून में गोदी-कर्मचारियों की हड़ताल के कारण निर्यात गिरकर केवल २७ करोड़ ७८ लाख रु० का का रह गया। जुलाई और अगस्त के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु आशा है कि इन महीनों में निर्यात बढ़ा होगा। परन्तु यह सत्य है कि १९५७ के पहले ६ महीनों की अपेक्षा, इस साल के पहले ६ महीनों में ५० करोड़ रु० के मूल्य का निर्यात घटा है। इसी अवधि में हमने भी अपने आयात में १ अरब रु० की कटौती की।

इससे, आयात और निर्यात में जो अंतर था, उसमें थोड़ी-बहुत कमी हुई होगी, परन्तु इतना पर्याप्त नहीं है। हमें इस अंतर को कम से कम करने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए।

चाय के निर्यात में वृद्धि

उन्होंने कहा कि हमने कुछ वस्तुओं का निर्यात बढ़ाया है। इस साल अप्रैल से जुलाई तक उत्तर भारत से ८ करोड़ ८ लाख पौंड चाय बाहर भेजी गयी, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में केवल ६ करोड़ २ लाख पौंड चाय बाहर भेजी गयी थी। इसी अवधि में दक्षिण भारत से इस साल ३ करोड़ ५ लाख पौंड चाय बाहर भेजी गयी, जबकि पिछले साल १ करोड़ ७४ लाख पौंड चाय भेजी गयी थी।

मन्त्री महोदय ने कहा कि देश में ऐसी अनेक चीजें हैं, जिनका निर्यात बढ़ा है और प्रयत्न करने से जिनका निर्यात और बढ़ाया जा सकता है। नये उद्योगों से तैयार सामान का निर्यात बढ़ाने में हमें काफी सफलता मिली है। चाय, कपड़ा और पटसन के सामान के निर्यात से हमें काफी आमदनी होती है। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि इनका निर्यात किसी प्रकार कम न हो। विदेशों में प्रचार करने से चाय और कहवा की काफी बिक्री हो सकती है। कपड़े के निर्यात में जो गिरावट आयी है, उसके कारणों का पता लगाया जा रहा है और निर्यात-वृद्धि के जो सुझाव आये हैं, उनकी जांच की जा रही है। पटसन के सामान और खाद्य-तेल की विदेशों में बिक्री ठीक ढंग से चल रही है।

उन्होंने कहा कि निर्यात में कमी आने के कुछ ऐसे भी कारण हैं, जो हमारे वश से बाहर हैं। हमें उम्मीद है कि संसार में मन्दी आदि दूर होने के बाद निर्यात फिर बढ़ने लगेगा। फिर भी हमें अपना काम संगठित रूप से करना चाहिए।

श्री शास्त्री ने कहा कि यदि हम तेलहन, कपास और तम्बाकू आदि व्यापारिक फसलों की पैदावार और कोयले का उत्पादन बढ़ा दें, तो इनके निर्यात से हम पर्याप्त विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। पूर्व और पश्चिम के हमारे मित्र-देशों में हमारे नये उद्योगों का सामान भी काफी बिक सकता है।

निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयत्न

इस समय देश में ११ निर्यात-वृद्धि परिषदें हैं, जो सूती कपड़े, नकली रेशम और रेयन, प्लास्टिक, चमड़ा, काजू और काली मिर्च, अबरक, चपड़ा, इंजीनियरी-सामान, रसायन आदि और खेल के सामान की विदेशों में बिक्री बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

हाल ही में फीचर-फिल्मों के लिए भी निर्यात-वृद्धि समिति बनायी गयी है और इसी प्रकार अन्य अनेक वस्तुओं के निर्यात के लिए भी समितियां आदि बनायी जा जा रही हैं। प्रदर्शनी और प्रचार निदेशालय भी सामान की बिक्री में काफी मदद दे रहा है

निर्यात के नियमों में परिवर्तन

उन्होंने कहा कि निर्यात नियन्त्रण आदेश और उसके नियमों में काफी परिवर्तन कर दिया गया है और अनेक चीजों के निर्यात के

लिए पूरी छूट दे दी गयी है। निर्यात-वृद्धि निदेशालय ने निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं बनायी हैं। अनेक निर्माता निर्यात के लिए अपना माल सस्ते दामों पर दे रहे हैं और मुझे आशा है कि अन्य निर्माता भी उनका अनुकरण करेंगे। यह भी प्रसन्नता की बात है कि रेल-अधिकारियों ने निर्यात होने वाले माल के लिए कुछ रियायतें दे दी हैं। जहाजों से माल भेजने की कठिनाइयों के बारे में अध्ययन करने और उन्हें दूर करने के लिए एक कार्यालय खोलने का विचार है।

राज्य व्यापार निगम

श्री शास्त्री ने कहा कि राज्य व्यापार निगम ने निर्यात बढ़ाने का काफी प्रयत्न किया है। निर्यात जोखिम-बीमा निगम की हाल ही में स्थापना हुई है और मुझे आशा है कि आगे यह व्यापारियों के लिए काफी सहायक होगा।

उन्होंने कहा कि दूसरी आयोजना देश की विकास-योजनाओं की कड़ी-मात्र है, इसलिए हमें विदेशी मुद्रा की आमदनी आदि बारे में काफी लम्बी अवधि को ध्यान में रखकर विचार करना चाहिए, ताकि हम अपनी विकास योजनाओं का आसानी से लगातार चला सकें।

आयात में १ अरब रु० की कमी

नयी दिल्ली में ३० अगस्त ५८ को आयात सलाहकार परिषद् की बैठक में भाषण करते हुए वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री, श्री लालबहादुर शास्त्री ने कहा कि हम दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के मध्य में आ पहुँचे हैं और अनेक कठिनाइयों के होते हुये भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का हमने भरसक प्रयत्न किया है। आयात घटा कर विदेशी मुद्रा बचाने में भी हम काफी सफल रहे हैं और १९५७ की पहली छमाही की तुलना में, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन मदों में, १९५८ की पहली छमाही में १ अरब रु० का आयात कम किया गया। फिर भी उद्योगों के उत्पादन में कमी नहीं होने दी गयी।

उन्होंने बताया कि इस्पात, अलौह धातुओं, मशीनों, मोटर-गाड़ियों, रसायनों, रासायनिक पदार्थों, बिजली के सामान, फोटो-सामग्री, सूत, कपड़े और कागज के आयात में कमी की गयी किन्तु अब भी हमें बहुत घाटा पूरा करना है और इसके लिये और भी अधिक सावधानी से चलना होगा।

ढील की गुंजाइश नहीं

श्री शास्त्री ने कहा कि आयात में कटौती करने से सभी को दिक्कत हुई है, पर मुझे हर्ष है कि देश की औद्योगिक उन्नति के लिये इस दिक्कत को खुशी से स्वीकार किया गया है। आज हमारे सामने छः महीने पहले से अधिक कठिनाइयां हैं, इसलिये किन्हीं अपवादों को छोड़कर आयात में किसी प्रकार की ढील सम्भव नहीं, फिर भी आपसे सुझावों का मैं स्वागत करूंगा।

किस चीज को प्राथमिकता दी जाय, इसका जिक्र करते हुए श्री शास्त्री ने कहा कि इसके लिये कोई क्रम निश्चित होना चाहिये। मैं मानता हूँ कि उद्योगों की मांग को हमें प्राथमिकता देनी चाहिये। उद्योगों में भी उन उद्योगों का हमें अधिक ख्याल रखना होगा, जिससे बहुत से लोगों को काम मिलता है। साथ ही जनसाधारण की जरूरत की चीजें बनाने वाले उद्योगों को भी उनकी जरूरत की चीजें विदेशों से मिलनी ही चाहिएं। जो उद्योग थोड़ा सा माल बाहर से मंगाकर, उससे कहीं अधिक माल बनाकर बाहर भेजते हैं, उनको भी प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

इनके अलावा अन्य उद्योगों का स्थान बाद में ही आता है। अभी तक मैं बड़े उद्योगों की बात कर रहा था, लेकिन छोटे उद्योगों और किसानों के लिये रासायनिक खाद जैसी चीजों की भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। इसके अलावा बच्चों के खाद्य-पदार्थ, दवाएं और अखबारी कागज आदि भी कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनके बिना काम नहीं चलता। किन्तु ऐसी चीजों में भी हमें कमी करनी होगी। उदाहरण के लिये कागज में कमी की जा सकती है और सबसे पहले मैं सब सरकारी विभागों को ही कागज का खर्च १५ प्रतिशत घटाने का सुझाव दूंगा।

समान बंटवारा

इस स्थिति में जितना भी हम बाहर से मंगाते हैं, उसका ठीक बंटवारा होना चाहिये। व्यापारियों को भी उचित लाभ मिलना चाहिये और उपभोक्ता को भी हर चीज उचित दाम पर मिलना चाहिये। किन्तु देखने में आ रहा है कि महंगाई बेहद बढ़ गया है। इसके लिये यदि व्यापारी आपस में ही कुछ अच्छी व्यवस्था कर लें और कीमतें न बढ़ने दें, तो अच्छा हो।

जून १९५८ में भारत का विदेशी व्यापार

वाणिज्य सूचना तथा अंक विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार जून १९५८ में निजी और सरकारी रूप में जल, स्थल और हवाई मार्ग से भारत के विदेशी व्यापार के कच्चे आंकड़े निम्नलिखित हैं :

व्यापारी माल :—इसमें भारत से होकर पाकिस्तान तथा अन्य देशों—नेपाल, तिब्बत, सिक्किम और भूटान—को आने-जाने वाला माल शामिल नहीं है। निर्यात—२७ करोड़ ७८ लाख रु० ; पुनर्निर्यात—३४ लाख रु० ; आयात—६३ करोड़ ९३ लाख रु० ; कुल व्यापार—९२ करोड़ ५ लाख रु०।

शेष —नोटों का निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) ६६ लाख रु०; चालू सिक्के (सोने के सिक्कों के अलावा)—नगण्य। आयात—सोना—

४ लाख रु० ; नोट—३ करोड़ ३६ लाख रु०; चालू सिक्के (सोने के सिक्कों के अलावा)—नगण्य।

व्यापार तुला :—आयात के उक्त आंकड़ों में वह सरकारी सामान शामिल नहीं है, जिसका हिसाब होना बाकी है। इसे ध्यान में रखकर यदि आयात-निर्यात की तुला की जाए, तो व्यापारी माल और सोने का कुल निर्यात (जिसमें पुनर्निर्यात भी शामिल है) आयात से ३५ करोड़ ८५ लाख रु० कम रहा।

जौ, चना और मटर की कीमतों पर नियन्त्रण

केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक पदार्थ अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उपधारा (३ ए) के अनुसार मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में चना, चने की दाल और जौ की कीमतें नियन्त्रित करने के लिए एक आदेश जारी किया है। यह आदेश ११ सितम्बर १९५८ से अगले तीन माह तक लागू रहेगा।

इस कानून की इसी धारा के अनुसार एक दूसरा आदेश भी जारी किया गया है, जिसके अनुसार सरकार उत्तर प्रदेश में मटर की कीमतें तय कर सकेगी। यह आदेश भी ११ सितम्बर से अगले तीन माह तक के लिए लागू रहेगा।

उपर्युक्त राज्यों में इन अनाजों की बढ़ती हुई कीमतों तथा इन्हें संचित करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ये आदेश जारी किये गये हैं। इसका परिणाम शीघ्र ही यह होगा कि इस आदेश के लागू होते ही इन अनाजों के भाव पिछले तीन महीनों के औसत भाव पर आ जाएंगे।

अमरीका को निर्यात बढ़ाया जाएगा

भारत सरकार के आमन्त्रण पर अमेरिका के ६ प्रमुख व्यापारियों की एक टोली अगले माह भारत आयगी। यह टोली दस्तकारियों और हथकरघे के माल का थोक और फुटकर व्यापार करती है।

इस टोली के सदस्य स्त्रियों के पहनने के काम आने वाले विविध वस्त्र, पुरुषों और स्त्रियों के खेल के कपड़े, पुरुषों के कपड़े, फैशन की चीजें, उपहार की चीजें और घरेलू काम में आने वाली चीजें खरीदना चाहते हैं, क्योंकि इन की राय में अमेरिका में इनकी काफी मांग हो सकती है।

इन पदार्थों के निर्यात की सम्भावनाएं काफी बढ़ गयी हैं, क्योंकि इन की बिक्री के लिए काफी प्रयास भी किए गये हैं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और बाजारों में इन्हें प्रदर्शन के लिए रखा गया और इसी तरह व्यापारियों की टोली को भी भारत बुलाया गया। आशा है, अब विदेशी खरीदार इधर आकृष्ट होंगे।

टोली के सदस्य भारत के विभिन्न दस्तकारी और हथकरघे के केन्द्रों से घूमेंगे और इनका निर्यात बढ़ाने के लिए अपनी सलाह भी देंगे।

यह टोली अक्टूबर के मध्य तक दिल्ली आयगी और पांच सप्ताह तक भारत का दौरा करेगी। दिल्ली के बाद ये लोग बम्बई, कलकत्ता, वाराणसी, श्रीनगर, हैदराबाद और मद्रास भी जाएंगे। इन केन्द्रों में इन्हें दस्तकारी और हथकरघे के कपड़ों के नमूने दिखाये जाएगे।

इस टोली में फैशन आदि की चीजों के विषय में सलाह देने के लिए एक सहायक भी रहेगा। रिपोर्ट तैयार करने और अमेरिका में उसके अनुसार काम करने के लिए सलाहकारों की एक फर्म भी उनका साथ देगी। आशा है, इस तरह के प्रयत्नों द्वारा निर्यात बढ़ाने में हमें काफी सफलता मिलेगी।

प० जर्मनी को निर्यात बढ़ाने की कोशिश

पश्चिमी जर्मनी को भारत के माल का निर्यात उतना नहीं है, जितना वहां से आयात होता है। इस अंतर को पूरा कर के लिए, भारत सरकार कई प्रकार के उपाय कर रही है।

पश्चिमी जर्मनी में एक व्यापार वृद्धि संगठन स्थापित किया जा रहा है, जो भारत के निर्यातकों और जर्मन व्यापारियों में सम्पर्क रखेगा। इसके अलावा, जर्मन व्यापारियों के एक दल को भारत निमंत्रित किया जाएगा, जो यहां आकर देखेगा कि उन्हें भारत से क्या-क्या चीजें मिल सकती हैं। भारत, जर्मनी को कौनसा माल दे सकता है, इस दृष्टि से भी जर्मन के बाजारों की पड़ताल की जा रही है।

प० जर्मन सरकार को इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि वह अपने व्यापारियों को भारत से पटसन और सूती कपड़ा मगाने के लिए अधिक आयात कोटा दे। व्यापार सम्बन्धी झगड़ों को तय करने के लिए जहाजों पर माल लदने से पहले, माल के निरीक्षण कराने की भी व्यवस्था की जा रही है।

प० जर्मनी के शहरों में भारत की दस्तकारियों की चीजों की बिक्री बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय दस्तकारी मण्डल वहां के व्यापारियों से बातचीत कर रहा है। वहां की सरकार ने एक विशेषज्ञ भारत भेजने का प्रस्ताव किया है, जो हथकरघे के कपड़े, तम्बाकू और अन्य वस्तुओं का जर्मनी को निर्यात बढ़ाने के बारे में भारत की सहायता करेगा।

इस साल के शुरू के पांच महीनों में, भारत ने पश्चिमी जर्मनी से ४२ करोड़ ७६ लाख रु० का माल मंगाया और इसके बदले ६ करोड़ ४२ लाख रु० का वहां भेजा। १९५७ में पश्चिमी जर्मनी से १ अरब २२ करोड़ ८२ लाख रु० का माल भारत आया था और १६ करोड़ २२ लाख रु० के माल का निर्यात हुआ था।

चीनी का निर्यात

लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि देश में चीनी की माग को पूरा करने के लिये १९५४ से १९५६ के बीच विदेशों से चीनी मंगानी पड़ी थी। इसलिए १९५६ में चीनी के निर्यात का प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में चीनी का उत्पादन बढ़ जाने के कारण, विदेशी मुद्रा कमाने के विचार से जनवरी १९५७ में चीनी का निर्यात करने का निश्चय किया गया। चीनी के विक्रेताओं में होड़ न होने पाये, इसलिए भारतीय चीनी मिल संघ की मार्फत विदेशों को चीनी भेजने का सरकार ने निश्चय किया और उसके लिए उक्त संघ को आवश्यक सुविधाएं दी गयीं।

जुलाई १९५७ से विदेशी बाजारों में चीनी का भाव गिरने लगा, जिससे उत्पादन शुल्क और गन्ने पर उपकर की पूरी रकम लौटा देने के बावजूद प्रति मन ६ या १० रु० घाटा उठाकर ही चीनी का निर्यात सम्भव हो सका। चूंकि यह घाटा उठाकर भी कारखानेदार बाहर चीनी भेजते थे, सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा उनके लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वे चीनी का निर्धारित कोटा चीनी संघ की मार्फत विदेशों को भेजें।

जूतों का निर्यात

लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उद्योग मन्त्री श्री मनुभाई शाह ने बताया कि रूस और पोलैंड के आर्डर से अधिक जो जूते बन गये हैं, उनके बेचने के लिए सोवियत सरकार और पूर्वी यूरोप के देशों की सरकारों से बातचीत की जा रही है। रूस से जितने जूतों का आर्डर मिला था, बाद में और भी आर्डर मिलने की आशा से ५४,५६४ जोड़े जूते अधिक बना लिये गये। पोलैंड के खरीदारों ने जो नमूना स्वीकार किया था, उसके अनुसार जूते बनने लगे, लेकिन जब उनका निरीक्षक भारत आया, तो उसने कुछ ऐसी बातें सुझायीं, जो बने बनाये जूतों में नहीं हो सकती थीं और उस तरह के नये जूते बनाने में हानि थी। इन फालतू जूतों को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम बेचने की कोशिश कर रहा है। इसी को रूस और पोलैंड से आर्डर मिले थे। ये जूते बढ़िया किस्म के हैं। विदेशों को बेचने के बाद जो जूते बचेंगे, उन्हें देश में बेचा जाएगा और इस सारे सौदे में कोई घाटा होने की आशा नहीं है।

सोवियत संघ से भारत को जूतों का नया आर्डर मिला है। १९५७ में रूस को जूतों की ५,७६,६०० जोड़ियां और चालू वर्ष की पहली छमाही में २,४२,७५० जोड़ियां भेजी गयीं।

प्लास्टिक की वस्तुओं का निर्यात बढ़ा

सन् १९५७-५८ में भारत में बनी प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्यात में पिछले साल की अपेक्षा ७० प्रतिशत वृद्धि हुई। इस वर्ष में १२ लाख ३१ हजार रु० की प्लास्टिक की चीजें बाहर भेजी गयीं, जबकि १९५६-५७ में ७ लाख ६ हजार रु० की भेजी गयी थीं।

भारत की प्लास्टिक की वस्तुओं का सबसे बड़ा ग्राहक श्रीलंका है। इसके अलावा बर्मा, कुवैत, केनिया, सऊदी अरब, टांगानिका, मारीशस और मोजाम्बिक भी भारत से यह माल खरीदते हैं।

प्लास्टिक और लिनोलियम निर्यात वृद्धि परिषद् ने पिछले साल मार्च अप्रैल में एक प्रतिनिधि मंडल ब्रिटिश पूर्व अफ्रीका, युगांडा, सूडान, इरीट्रिया, इथियोपिया और एडन और इस साल श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, मलाया, सिंगापुर, दक्षिण वियतनाम, हांगकांग और कम्बोडिया भेजा था। प्रतिनिधि मंडल की इन यात्राओं से यह लाभ हुआ कि विदेशी व्यापारियों को, इस बात का पता चल गया कि भारत में बनी प्लास्टिक की चीजें वास्तव में बढ़िया किस्म की होती हैं।

पिछले कुछ वर्षों में इन वस्तुओं के बनाने के तरीकों में सुधार हुआ है। सन् १९४७ में इनके कारखानों की संख्या ४० थी, जो अब बढ़कर १२० हो गयी है। उस साल कुल १ करोड़ रु० के मूल्य की और १९५७ में १० करोड़ रु० की वस्तुएं बनायी गयीं।

प्लास्टिक उद्योग की उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट यह है कि इसके लिये आवश्यक कच्चा माल विदेशों से मंगाना पड़ता है। इस स्थिति में सुधार किया जा रहा है और कुछ आवश्यक माल यहीं तैयार किया जाने लगा है। इसके लिये भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों की सहायता ली है।

आजकल देश में विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक की चीजें, जैसे-टेलीफोन, ग्रामोफोन के रिकार्ड, कंघे, खिलौने, बुश, चश्मों का फ्रेम, बटुए, फिल्म आदि बनाई जाती हैं और किस्म, डिजाइन आदि के बारे में इनका मुकाबला विदेशों में बनी वस्तुओं से आसानी से किया जा सकता है।

मेंगनीज का निर्यात

इस्पात, खान तथा ईंधनमंत्री ने लोकसभा में बताया कि राज्य व्यापार निगम-अमेरिका के कमोडिटी क्रेडिट कारपोरेशन से ४,५०,००० टन गेहूँ के आयात के मूल्य के रूप में कच्चा मेंगनीज, लौह मेंगनीज, तथा अन्य वस्तुएं भेजने के बारे में बातचीत कर रहा है। पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ ऐसा प्रबन्ध किया जा रहा है, जिससे अन्य वस्तुओं के साथ कच्चे मेंगनीज को भी भेजा जा सके।

राज्य व्यापार निगम जहाज/खान के मालिकों के साथ मिलकर कच्चे मेंगनीज की बिक्री का प्रबन्ध कर रहा है, ताकि विदेशों में व्यापारी इसके नियमित खरीदार बन सकें।

भारतीय व्यापारियों के द्वारा विदेशों में अधिक मात्रा में खरीद करने वालों के साथ लम्बी अवधि के लिये ठेका करने की भी बातचीत चल रही है। भारतीय मेंगनीज की बिक्री बढ़ाने और नए स्थानों में व्यापार

करने के लिये एक प्रतिनिधि मंडल भेजने पर भी विचार किया जा रहा है।

निगम के पास कच्चे मेंगनीज का केवल ५० प्रतिशत कोटा है, बाकी कोटा व्यापारियों को बांटा गया है। उन व्यापारियों को सहकारी संस्था बनाने को कहा जा रहा है, ताकि उनमें बेकार की प्रतियोगिता न हो।

कच्चे मेंगनीज के निर्यात-शुल्क की बराबर समीक्षा की जाती है और जरूरत पड़ने पर उसमें घटा-बढ़ी भी की जाती है।

यह पूछे जाने पर कि मेंगनीज की कुछ खानें बन्द क्यों की गयीं, मंत्री महोदय ने कहा कि अमेरिका में और इस्पात तैयार करने वाले अन्य देशों में मन्दी आने के कारण कच्चे मेंगनीज का भाव गिर गया, इसलिये ऐसी हालत में घटिया मेंगनीज निकालने और बेचने में नुकसान होता। साथ ही ढुलाई के लिये परिवहन पर्याप्त नहीं था। इसलिये कुछ खानें बन्द करनी पड़ीं।

१९५७ में ५४ और जून, १९५८ तक ८२ खानें बन्द करनी पड़ीं। इनमें से कुछ खानें ऐसी थीं, जिनसे काफी घटिया मेंगनीज निकलता था और उसकी बिक्री नहीं हो पाती थी।

रेशम के कपड़े का निर्यात बढ़ाने का यत्न

केन्द्रीय रेशम मंडल ने उन लोगों को, जो रेशम का आयात करते हैं, विदेशों से कच्चा रेशम मंगा कर देने की एक नयी योजना चलाई है।

इस योजना के अनुसार मंडल निर्यातकों को निर्यात होने वाले खालिस रेशम के कपड़े के दो-तिहाई के बराबर कच्चा रेशम दिलवाएगा। इसके लिये मंडल निर्यातकों का तिमाही जरूरत का अनुमान लगाकर कच्चा रेशम मंगवाने की व्यवस्था करेगा। निर्यातक अपने रेशमी कपड़े में कितना रेशम लगाते हैं, इसकी जांच के लिये भी रेशम उद्योग के बड़े-बड़े केन्द्रों में प्रबन्ध किया जायगा। इसी के हिसाब से निर्यातकों को रेशम का कोटा दिया जायगा।

अभी तक इस योजना को रेशम तथा रेयन वस्त्र निर्यात वृद्धि परिषद् चलाती थी लेकिन अब यह काम रेशम मंडल करेगा। परिषद् के विचाराधीन अर्जियों को भी मंडल ही निपटायेगा।

रेशमी कपड़े के प्रमाणीकरण केन्द्र खुलेंगे

केन्द्रीय रेशम मण्डल जल्दी ही, देश के बड़े-बड़े रेशम-उद्योग केन्द्रों में, विदेशों को निर्यात होने वाले रेशमी कपड़े के प्रमाणीकरण के लिए कुछ केन्द्र खोलने वाला है।

बम्बई का प्रमाणीकरण केन्द्र रेशम मण्डल के अधीन हो गया है और चार अन्य केन्द्र, वाराणसी, मद्रास, कलकत्ता और बंगलौर में खोले जाएंगे। इन केन्द्रों से रेशमी कपड़े के निर्यातकों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएंगी। जो लोग इन केन्द्रों का लाभ उठाना चाहते हैं, वे सैक्रेटरी, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, मेघदूत, ९५-बी, मेरीन ड्राइव, बम्बई-१ से या इन केन्द्रों से पत्र-व्यवहार कर सकते हैं :

(१) टैक्नीकल सिल्क इंस्पैक्टर, मार्फत सेंट्रल सिल्क बोर्ड, सेंट्रल वीविंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, आल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, चौकघाट, वाराणसी; (२) टैक्नीकल सिल्क इंस्पैक्टर, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, लियाजां आफिस आफ दि सेंट्रल सिल्क बोर्ड 'नारायणी' बिल्डिंग, २७।२९ ब्रबोर्न रोड, कलकत्ता; (३) डिपो-असिस्टेंट, सिल्क ट्रेडिंग सेक्शन आफ सेंट्रल सिल्क बोर्ड, ११।१२ फर्स्ट लाइन, बीच, मद्रास और (४) टैक्नीकल सिल्क इंस्पैक्टर, लियाजां आफिस, चामराज पेट, बंगलौर-२।

इस्पात के निर्यातित सामान के कर पर छूट

वित्त मन्त्रालय के राजस्व विभाग की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि देश में तैयार जिस इस्पात से निर्यात के लिए सामान बनाया जाता है, उस पर लगने वाले सीमा-शुल्क और उत्पादन-कर में छूट देने के सम्बन्ध में भारत सरकार ने नियमों का मसौदा तैयार किया है।

खेती के औजार, पेटी का बकसुआ, पेटी, नट, बाल्टियां, पीपे, कीलें, पाइप, पेच, ट्रंक, फर्नीचर आदि सामान पर छूट दी जाएगी। यह छूट एक टन इस्पात पर ५० रु० के हिसाब से दी जाएगी।

मुलायम इस्पात का आयात और बंटवारा

जनवरी से जून, १९५८ तक विदेशों से कुल ३,७४,४६७ टन मुलायम इस्पात मंगाया गया, जबकि १९५७ में ११,४५,९९४ टन मंगाया गया था।

देश के इंजीनियरी उद्योग को हर साल १० लाख टन मुलायम इस्पात की आवश्यकता है। सरकार को इस बात की पूरी जानकारी है कि इस उद्योग के लिए मुलायम इस्पात की कमी पड़ती है और वह इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। सरकार देश में तैयार इस्पात का उत्पादन १९६०-६१ तक १३ लाख टन से बढ़ाकर, ४५ लाख टन करने का प्रयत्न कर रही है। इसके अलावा, वह पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध होने पर बाहर से भी इस्पात मंगायेगी। सीमित मात्रा में प्राप्त इस्पात का पूरा-पूरा उपयोग किया जा सके, इसके लिए विभिन्न उद्योगों के उत्पादन, उनके महत्व आदि को ध्यान में रखकर इस बात का निर्धारण किया गया है कि किस उद्योग को कितना इस्पात दिया जाए।

विदेशों से जहाज खरीदने की कठिनाई

विदेशी मुद्रा की सुविधा के अनुसार ही नये या पुराने जहाज खरीदे जायेंगे। किसी देश से जहाज खरीदना इसी पर निर्भर करता

है कि वह देश कितनी विदेशी मुद्रा देगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के पास दो देशों से प्रस्ताव आये हैं। जापान, भारत को येन मुद्रा में ऋण देगा तथा यूगोस्लाविया अपने यहां बने जहाजों का मूल्य रुपयों में लेगा।

पश्चिमी जहाजरानी निगम ने (वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन) ७,५०० टन भार के ट्रैम्पर के लिए जापान को आर्डर दिया है। बहुत सम्भव है कि यही कम्पनी या दूसरी कम्पनी, पूर्वी जहाजरानी निगम (ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन) जापान को एक या दो जहाज भेजने का और आर्डर दे।

यूगोस्लाविया की एक कम्पनी के साथ भी इस सम्बन्ध में बातचीत हुई थी और यदि कुछ मामला तय हुआ तो जल्दी ही वहां से भी जहाज मंगाने के एक या दो आर्डर दे दिये जायेंगे।

उर्वरक के आयात कोटे में वृद्धि

अप्रैल से सितम्बर १९५८ तक की अवधि में उर्वरक, पोटाश सल्फेट के आयात का कोटा ६६·२/३ प्रतिशत से बढ़ाकर १०० प्रतिशत कर दिया गया। भारत सरकार ने देश में इस उर्वरक की बढ़ती हुई मांग को देखकर ही इसके आयात का कोटा बढ़ाने का निर्णय किया है।

चैकोस्लोवाकिया से फाउण्ड्री फोर्ज के बारे में करार

१६ अगस्त, १९५८ को नयी दिल्ली में भारत सरकार और चैकोस्लोवाकिया के "टैक्नोएक्सपोर्ट" से फाउंड्री फोर्ज के लिए भारत को १० करोड़ रु० की मशीनें और सामान देने के बारे में एक करार हुआ। मशीनों का दाम बाद में भुगताया जाएगा। इसके पहले जनवरी में दोनों सरकारों में इस बारे में सहमति हो चुकी थी। करार पर भारत की ओर से वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय के संयुक्त सचिव, श्री एम० नागराजराव और टैक्नोएक्सपोर्ट के सहायक मैनेजिंग डाइरेक्टर ने हस्ताक्षर किये।

इस करार के अनुसार टेक्नोएक्सपोर्ट, ढलाई और गढ़ाई के इस कारखाने के लिये विस्तार से योजना और नक्शे आदि बनायेगा। इसके पहले भाग के लिये मशीनें देगा, मशीनें लगवाएगा और आवश्यक सलाह और विशेषज्ञ देगा। सलाह देने, योजना की रिपोर्ट लाने, कारखाना बनवाने, मशीनों की देखभाल करने, मशीनें लगवाने और शिल्पिक जानकारी देने के लिये इस संस्था को अलग पारिश्रमिक दिया जाएगा।

यह कारखाना भारी मशीनों के कारखाने के लिए ढाली जाने वाली आवश्यक चीजें बनायेगा। इस कारखाने में हर साल ५०-५० टन वजन तक की २५,००० टन लोहे की और इतनी ही भारी १४ हजार टन इस्पात की चीजें ढाली जाएंगी। इसके अलावा ।।२० टन तक की ३०० टन अलौह धातु की चीजें और १७ टन तक की ११,६५० टन की चीजें धातु को पीटकर बनायी जायेंगी।

इस कारखाने के पहले भाग में २,६०० टन का प्रैस लगाने की भी व्यवस्था है, जो ३०-३० टन तक की और साल भर में १८,५०० टन तक की चीजें धातु को पीटकर बना सकेगा।

टेक्नोएक्सपोर्ट, चैकोस्लोवाकिया में अपने कारखाने में भारतीयों को काम सिखायेगा। यह कारखाना बिहार में रांची के पास हटिया में बनेगा। आगे चलकर इस कारखाने में और भी भारी चीजें ढाली और बनायी जा सकेंगी।

उत्तरी क्षेत्र में ५४ कम्पनियां और रजिस्टर हुईं

इस साल अप्रैल से जून तक की अवधि में १९५६ के कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत उत्तरी क्षेत्र में ५४ कम्पनियां रजिस्टर हुईं। इनके अलावा इसी अवधि में दो ऐसे एसोसिएशन रजिस्टर हुये, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। इन कंपनियों और एसोसिएशनों की प्राधिकृत पूँजी १७ करोड़ ३४ लाख रु० है। इसी अवधि में इस क्षेत्र में ३६ कंपनियां परिसमापित (लीक्वीडेट) हुईं। उत्तरी क्षेत्र में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आते हैं।

पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ४ लि० कंपनियां और एक एसोसिएशन (लाभ कमाने के लिए नहीं) रजिस्टर किया गया, १३ कंपनियां परिसमापित हुईं और कंपनी अधिनियम की धारा-५०७ के अन्तर्गत रजिस्ट्रार ने २३ के नाम काट दिये।

इस अवधि में कंपनी अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के उल्लंघन करने के बारे में अदालतों में ३६ शिकायतें दायर हुईं। इस तिमाही में जिन मामलों का अदालतों ने फैसला किया, उन में से २१ में सजाएं हुईं और कुल १,१६० रु० जुर्माना किया गया।

दिल्ली में ३५ कंपनियां और एक एसोसिएशन (लाभ के लिये नहीं) रजिस्टर हुईं और २० कंपनियां परिसमापित हुईं। ११ कंपनियों के नाम रजिस्टर से काट दिये गये। कंपनियों के रजिस्ट्रार ने विभिन्न कंपनियों के खिलाफ ६१ मुकदमे चलाये और अदालतों के विचाराधीन मामलों में से १३ में दंड दिया गया और कुल १,२६० रु० जुर्माना किया गया।

उत्तर प्रदेश में १० कंपनियां रजिस्टर हुईं और दो परिसमापित हुईं। १३ कम्पनियों के नाम रजिस्टर से हटा दिये गये। इस अवधि में ५ मुकदमों का फैसला हुआ और सब में अभियुक्तों को सजाएं हुईं।

राजस्थान में ५ कंपनियां दर्ज हुईं और ४ परिसमापित हुईं। ४ कंपनियों का नाम रजिस्टर से निकाल दिया गया और २ नये मामले कंपनियों के विरुद्ध अदालतों में चलाये गये। इस तिमाही में १ मामले में अदालत ने, एक कंपनी के अधिकारियों पर ३०० रु० जुर्माना किया।

निर्यात जोखिम बीमा निगम का कार्य

भारत सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिये निर्यात जोखिम बीमा निगम की स्थापना की है। इसने अभी तक ६ करोड़ २५ लाख रु० के मूल्य के निर्यात का बीमा कराया है। बीमे की यह पालिसियां अधिकतर छोटे और मझोले निर्यातकों के नाम जारी की गयी हैं।

निगम ने अपना कारोबार अक्टूबर १९५७ में आरम्भ किया। वह उस माल का बीमा कराता है जो भारत से विदेशों में उधार भेजा जाता है और अन्य व्यापारिक बीमा कंपनियां जिसका बीमा नहीं करतीं।

खरीदार का दिवाला निकलने या उसके द्वारा भुगतान की तारीख निकल जाने के बाद ६ महीने के भीतर मूल्य की अदायगी न करने, युद्ध या गृह युद्ध आरम्भ होने, आदि की हालत में निगम निर्यात का जोखिम उठाता है।

विदेशी सरकार जब माल स्वयं खरीदती है या खरीदार की ओर से गारंटी देती है, उस हालत में, ग्राहक द्वारा समझौते की शर्तों को पूरा करने का जोखिम निगम उठाता है। परन्तु यह तभी हो सकता है जब निर्यातक ने समझौते की शर्तें न तोड़ी हों।

माल को जहाज पर चढ़ाने से पहले जोखिम उठाया गया हो तो उसमें निर्यात-नियंत्रण का जोखिम भी शामिल होता है। यदि निर्यातक चाहे तो बीमा और किराये की दर में वृद्धि का जोखिम भी उसमें शामिल किया जा सकता है।

खरीदार का दिवाला निकल जाने पर या उसके द्वारा भुगतान की नियत तारीख के बाद ६ महीने के भीतर अदायगी न करने पर निगम ८० प्र०श० तक का जोखिम उठाता है। इसके अलावा वह अन्य मामलों में ८५ प्र०श० तक का जोखिम उठाता है। अब तक इस प्रकार का केवल एक दावा दायर किया गया है।

आशा है कि निगम की स्थापना से निर्यात व्यापार की एक मुख्य कठिनाई दूर की जा सकेगी जिससे निर्यात बढ़ेगा।

अखबारी कागज की सप्लाई

समाचार-पत्रों के अखबारी कागज के कोटे में १५ प्रतिशत कटौती की गयी है परन्तु उन्हें यह इजाजत दी गयी है कि लाइसेंस के चालू मौसम में इस कमी की पूर्ति के लिये वे नेपा मिल्स से कागज खरीद सकते हैं।

समाचारपत्रों ने अखबारी कागज के कोटे में स्वेच्छा से १५ प्रतिशत कटौती मंजूर की है। यह नियम उन समाचारपत्रों पर लागू नहीं होता था, जिनका कोटा ५ टन से कम है। अब यह रियायत उन समाचार-पत्रों को भी दी गयी है, जिनका कोटा १० टन का है। यह कटौती इसलिये की गयी है कि विदेशी मुद्रा में बचत की जा सके।

ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसायटी ने अखबारी कागज के आयात में १५ प्रतिशत कटौती समाप्त करने के लिए कहा था तथा समाचार-पत्रों के प्रकाशकों के सम्मेलन ने भी इस आशय का एक प्रस्ताव पास किया था।

६८०० टन दूध-चूर्ण का आयात होगा

राज्य व्यापार निगम अमेरिका से, पी० एल० ४८० कार्यक्रम के अंतर्गत ६,८०४ मीट्रिक टन दूध-चूर्ण और मंगायेगा। इसमें से ४,३०४ मीट्रिक टन कलकत्ता बंदरगाह पर उतरेगा और बाकी २,५०० मीट्रिक टन मद्रास पर। अमेरिका से दो जहाज, सारा दूध-चूर्ण लेकर चल दिये हैं। देश में दूध-चूर्ण राज्य सरकारों के जरिये लोगों को दिया जाएगा। अपने-अपने राज्य में इसके भाव की घोषणा राज्य सरकारें जल्दी ही करेंगी।

वित्त

विदेशों का ऋण

वित्त उपमंत्री श्री भगत ने लोक सभा में बताया कि दूसरी आयोजना के पहले दो वर्षों में मशीनें आदि मंगाने के लिए विदेशों से १ अरब ४८ करोड़ रु० ऋण लिया गया।

उन्होंने वित्त मंत्री के इस महीने के आरम्भ में विदेशी मुद्रा की स्थिति पर दिए गए भाषण का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि "विदेशों से सरकारी और निजी क्षेत्रों में जो माल मंगाया जा रहा है उसके मूल्य के रूप में १ अप्रैल, १९५८ को ८ अरब ८७ करोड़ रु० देना बाकी था। उन्होंने कहा कि इसमें से मशीनों आदि का मूल्य ६ अरब ६० करोड़ रु० था।

लोकसभा की मेज पर रखे एक विवरण में बताया गया है कि सरकारी क्षेत्र में जो मशीनें आदि तथा अन्य माल आया है, उसका विभिन्न देशों को ३१ मार्च, १९५८ को कितना मूल्य देना था। विवरण इस प्रकार है :

अमेरिका २५.८२ करोड़ रु०, ब्रिटेन २३७.३४ करोड़ रु०, प० जर्मनी ८२.२१ करोड़ रु०, फ्रांस २७.६८ करोड़ रु०, जापान १२.३५ करोड़ रु०, स्विटजरलैण्ड ४.६७ करोड़ रु०, रूस ५१.७२ करोड़ रु०, इटाली १२.३८ करोड़ रु०, यूगोस्लाविया ६.२७ करोड़ रु०, आस्ट्रेलिया १.४२ करोड़ रु०, बेल्जियम ५.८६ करोड़ रु०, चेकोस्लोवाकिया ३.५० करोड़ रु०, पोलैण्ड ३.२४ करोड़ रु०, स्वीडन ०.६१ करोड़ रु०, हंगेरी ०.३४ करोड़ रु०, कनाडा १३.८४ करोड़ रु०, आस्ट्रिया ०.२४ करोड़ रु०, डेनमार्क ०.२० करोड़ रु०, नार्वे ०.४६ करोड़ रु०, हालैण्ड ०.४३ करोड़ रु०, पू० जर्मनी ०.६८ करोड़ रु०, अन्य देश ५०.६५ (इसमें वह रकम शामिल है जिसका देशवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।) इस प्रकार कुल जोड़ ५४६.५४ करोड़ रु० हुआ।

उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र का देशवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी

देश में ऐसे कारखानों और तेल आदि निकालने की कम्पनियों की संख्या २०७ है, जिसमें ४० प्रतिशत से अधिक हिस्सा विदेशियों का है। इनके अलावा १५० बागान कम्पनियां हैं, जो अधिकतर किसी विदेशी कम्पनियों की ही शाखाएं हैं।

निर्यात कर

लोकसभा में यह पूछे जाने पर कि 'कुछ विशेष सामानों पर निर्यात कर हटाने या घटाने का राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा है', केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने पिछले महीने तेलहनों से निर्यात कर हटाने का उल्लेख किया और बताया कि इन की निर्यात गति को देखते हुए लगभग ५० लाख रु० प्रतिवर्ष का वित्तीय घाटा आंका गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह घाटा केवल ख्याली है क्योंकि कर को यदि न हटाया जाता तो निर्यात में कमी आ जाती।

यह पूछने पर कि राजस्व की इस कमी की पूर्ति के लिये क्या किया जा रहा है, मंत्री महोदय ने बताया कि तटकर से मिलने वाले पूरे राजस्व को देखते हुए यह हानि कुछ विशेष नहीं है। फिर भी सरकार इस हानि की पूर्ति के लिये उचित समय पर आवश्यक उपाय करेगी।

आयकर और सम्पदा-शुल्क की बकाया रकम

वित्त उप-मन्त्री श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने राज्यसभा में दो विवरण सदन की मेज पर रखे। पहले विवरण में बताया गया है कि ३१ मार्च १९५७ को आयकर के २ अरब, ८७ करोड़ ३१ लाख रुपया बकाया थे, जिसमें से ५२ करोड़ ६६ लाख रु० का भुगतान ३१ मार्च के बाद होना था और १३ करोड़ ६४ लाख रु० की राशि ऐसी थी, जिसका हिसाब होना बाकी था। इसके अलावा २७ करोड़ ४८ लाख रु० की रकम के सम्बन्ध में अर्जियों का निपटारा नहीं हुआ था।

विवरण में बताया गया है कि कुल ४६ करोड़ ५६ लाख रु० की रकम ऐसी है, जो सरकार को नहीं मिल सकती। इसमें से ७ करोड़ ७५ लाख रु० उन लोगों से लेना है, जो पाकिस्तान चले गये हैं और पीछे कोई जायदाद वगैरा नहीं छोड़ गये; छः करोड़ ६३ लाख रु० उन कम्पनियों की ओर निकलते हैं जो तोड़ दी गयी हैं, २० करोड़ ८६ लाख रु० के बारे में कलेक्टरों को एस-४६(२) के अंतर्गत प्रमाण-पत्र भेज दिये गये हैं परन्तु यह रकम मिलने की कोई सम्भावना नहीं है और शेष ११ करोड़ ३१ लाख रु० भी अन्य ऐसे ही कारणों से नहीं मिल सकते। इसके अलावा शेष १ अरब ४६ करोड़ ६८ लाख रु० वसूल करने के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है।

दूसरे विवरण में बताया गया है कि मार्च ३१, १९५८ को सम्पदा-शुल्क का १,६३,८१,६४२ रु० बकाया था। इसके भुगतान में विलम्ब का कारण यह था कि कानून के अनुसार भुगतान की अवधि बढ़ा दी गयी थी और लोगों को यह सुविधा दी गयी थी कि यदि वे चाहें तो सम्पदा-शुल्क ८ वार्षिक या १६ छमाही किश्तों में ब्याज सहित अदा कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी राशि निर्धारित करने के सम्बन्ध में झगड़े पैदा हो गये थे और कोई मामले ऐसे भी हैं, जिनमें सम्पदा-शुल्क की वसूली इसलिये नहीं की जा सकती कि करदाता सम्पदा-शुल्क की रकम एक मुश्त देने में असमर्थ होता है और उसे जायदाद बेचने या गिरवी रखकर रकम इकट्ठी करने में बहुत समय लग जाता है।

आयकर पर विशेष छूट

भारत सरकार ने किसी भी कम्पनी को आयकर पर ऐसी छूट नहीं दी, जो कानून के विरुद्ध हो। फिर भी, स्टैंडर्ड वैक्यूम आयल कंपनी को छूटें दी जाने वाली हैं। वह इस समय भारत सरकार के साथ प० बंगाल में तेल खोजने और निकालने का काम कर रही है। भारत सरकार और इस कम्पनी के बीच २४ दिसम्बर, १९५३ को जो समझौता हुआ था, उसमें कम्पनी को आयकर के सम्बन्ध में दिये गये भारत सरकार के आश्वासनों का जिक्र है। ये छूटें देश-हित की दृष्टि से दी जा रही हैं। इसके लिए कानून में संशोधन करना होगा।

लाभांश कर और बोनस शेयर कर

१९५६-५७ में अधिक लाभांश के अतिरिक्त अधिकर से १ करोड़ ६७ लाख रु० मिलना था। इसी कर से १९५७-५८ में ४

करोड़ ११ लाख रु० मिलने का हिसाब लगाया गया था। इसी प्रकार इन दो सालों में बोनस पर लगने वाले कर से २६ लाख ५० हजार रु० और १ करोड़ ६४ लाख ४० हजार रु० प्राप्त होना चाहिये था। जिन कम्पनियों पर ये दोनों प्रकार के कर नहीं लगने थे, उनका वित्त अधिनियम में उल्लेख कर दिया गया था और किसी कम्पनी को इनसे मुक्त नहीं किया गया।

६० करोड़ रु० के दो नये ऋण

वित्त मन्त्रालय के अर्थ-विषयक विभाग की एक विज्ञप्ति में भारत सरकार के ३०-३० करोड़ रु० के दो ऋण जारी करने के निश्चय की घोषणा की गयी है।

भारत सरकार १९६८ तक के लिए, ३॥ प्रतिशत ब्याज और ९८.५ प्रतिशत पर ३० करोड़ रु० जनता से कर्ज लेगी। इसके अलावा १९६७ के ३॥ प्रतिशत वाले और ९८.८ प्रतिशत पर ३० करोड़ रु० के नेशनल प्लान बॉंड तीसरी किश्त, (३॥ प्रतिशत १९६७) भी जारी करने का निश्चय किया गया है।

पाल-जहाज उद्योग को आर्थिक सहायता

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री श्री राजबहादुर ने बम्बई में अखिल भारतीय पाल-जहाज उद्योग संघ के प्रतिनिधियों के सम्मुख भाषण करते हुए कहा कि भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि १०० टन और उससे अधिक के पाल-जहाजों पर मशीनें लगवाने के लिए जहाजों के मालिकों को धन दिया जाय। मशीनों की कुल लागत का ७५ प्रतिशत खर्च पांच या छः साल में वापस करने की शर्त पर मालिकों को ऋण के रूप में दिया जायगा। इस राशि पर सरकार हर साल ३ प्रतिशत ब्याज लेगी।

इस बातचीत के समय जहाजरानी के महानिदेशक डा० नगेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे।

श्री राजबहादुर ने बताया कि सरकार यह ऋण जमानत पर देगी या इसके लिए मालिकों को अपने जहाज और मशीनें सरकार के पास गिरवी रखनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है और सरकार इसकी सहायता के लिये उपाय कर रही है। दूसरी आयोजना के समाप्त होने तक देश का तटवर्ती व्यापार और बढ़ेगा, जिससे पाल-जहाजों का महत्व भी बढ़ेगा। इसलिये सरकार ने पाल-जहाज उद्योग के लिये नियुक्त समिति की सिफारिशें मंजूर कर ली हैं और उद्योग को मजबूत बनाने के लिए उन पर अमल किया जा रहा है।

इसके बाद श्री राजबहादुर ने प्रतिनिधियों को नाविकों के प्रशिक्षण की योजनाएं समझायीं। उन्होंने बताया कि कच्छ से काकीनाडा तक के समुद्र किनारे को चार भागों में बांटा जायगा और प्रत्येक भाग एक क्षेत्रीय अधिकारी के अधीन होगा। यह अधिकारी मल्लाहों के हितों की भी रक्षा करेगा। नयी योजनाएं कच्छ सौराष्ट्र और मालाबार के बन्दरगाहों में लागू होंगी। पाल-जहाजों के लिए एक केन्द्रीय और चार क्षेत्रीय समितियां होंगी, जो सरकार को इनसे सम्बन्धित मामलों में सलाह देंगी। समिति में इस उद्योग के प्रतिनिधि, विधानसभा और संसद् के सदस्य, केन्द्रीय सरकार के और तटवर्ती राज्यों के प्रतिनिधि होंगे।

श्रम

तेल निकालने वाले शिल्पियों को बोनस

सरकार ने एक नयी योजना की घोषणा की, जिसके अनुसार तेल निकालने के काम में लगे शिल्पियों को बढ़ावा देने के लिये बोनस दिया जायगा। तेल निकालने के काम में लगे हुए शिल्पियों ने तेजी से काम करके जो बचत की है, उसमें से उन्हें बोनस मिलेगा।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग जैसी संस्था में सुस्ती से काम नहीं किया जाना चाहिए। यहां वरिष्ठता के क्रम से कर्मचारियों की पदोन्नति न करके, योग्यता के अनुसार करनी चाहिए। यह बात खान और तेल मन्त्री श्री के० दे० मालवीय ने आयोग के अधिकारियों के सामने भाषण करते हुए कही।

विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। आप लोग जो काम कर रहे हैं, उससे हमारी कठिनाइयां दूर होंगी। आप लोगों का काम बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आप पूरे उत्साह से काम करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। देश के लोग आपसे काफी आशाएं कर रहे हैं, इसलिये आपका उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है।

औद्योगिक झगड़ों से समय की अधिक हानि

जून, १९५८ में पिछले महीने की अपेक्षा औद्योगिक झगड़ों से ६,६४,३७६ जन-दिनों की अधिक हानि हुई। जून में विवाद की अवधि औसतन ६.८ दिन रही, जबकि मईमें यह अवधि ६.७ दिन थी।

जून में १०६ नये औद्योगिक झगड़े हुये। इस प्रकार इस महीने में नये और पुराने झगड़ों की कुल संख्या एक समय में अधिक से

अधिक १५१ रही। उनमें से २४ झगड़े तालाबन्दी के सम्बन्ध में थे। १०४ झगड़ों का निपटारा जून में हो गया। इनमें से ५६ झगड़े ५ दिन से अधिक नहीं और ११ झगड़े ३० दिन से अधिक चले।

आलोच्य अवधि में परिवहन और संचार वर्ग में समय की क्षति बढ़कर ७,२६,६६३ हो गयी। तैयार चीजें बनाने वाले उद्योगों में ४,६०,१६६; बिजली गैस, पानी और सफाई सेवाओं में १,७७,८२६ और 'कृषि' वर्ग में २४,२०६ जन-दिनों की अधिक हानि हुई। अन्य वर्गों में जन-दिनों की क्षति में कमी हुई।

इस महीने बम्बई में सबसे अधिक समय की (६,६२,१३३ जनदिनों) हानि हुई। इसके बाद क्रमशः प० बंगाल (३,५४,७३२) मद्रास (१,३६,६८०) और बिहार (८३,७६१) का नम्बर आता है। इस प्रकार पिछले महीने की अपेक्षा इस महीने बम्बई, मद्रास, प० बंगाल, आन्ध्र, आसाम और राजस्थान राज्यों में औद्योगिक विवादों के कारण अधिक समय की हानि हुई। बाकी अन्य राज्यों में कम समय की हानि हुई।

जून में माल तैयार करने वाले उद्योगों में औद्योगिक झगड़ों का सूचक अंक २०६ था जबकि पिछले महीने यह अंक १५२ था।

खाद्य और खेती

अनाज की कमी दूर करने के उपाय

देश को बाहर से कम से कम अनाज मंगाना पड़े, इसके लिये सरकार तत्काल जो काम कर रही है, उसे दो भागों में बांटा जा सकता है: (१) पैदावार बढ़ाने के लिये काम और (२) देश में पैदा होने वाले अनाज का उपयोग इस तरह करना जिससे देश की अधिक से अधिक मांग पूरी हो सके। यह सूचना लोकसभा में खाद्य और कृषि मंत्री ने एक विवरण में दी।

विवरण में बताया गया है कि पैदावार बढ़ाने के लिए ये काम किए जा रहे हैं:—(१) कुएं खोदने और उनकी मरम्मत करने, तालाब, जलाशय, छोटे बांध, नलकूप, कूलें आदि बनाने की छोटी योजनाएं; (२) किसानों को रासायनिक खाद तथा अन्य खाद का वितरण; (३) अच्छे बीज का वितरण; (४) मछली पालन योजनाएं; (५) मेंड़ बांधने, बेकार जमीन को साफ करने और उसे खेती योग्य बनाने की योजनाएं (६) पौधों की रक्षा और उन्हें रोग से बचाने की योजनाएं; (७) प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिये अन्य अधिक अन्न उगाओ योजनाएं, तथा (८) रबी की फसल—गेहूं, जौ, चना और ज्वार—बढ़ाने के लिये विशेष काम किये जा रहे हैं। किसानों को खेती के अच्छे तरीके बताए जा रहे हैं; उन्हें समय पर अच्छे बीज, खाद, उर्वरक आदि दिया जा रहा है; गांवों के कार्यकर्ताओं और किसानों में सहयोग पैदा करके उनमें प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिये उत्साह भरा जा रहा है।

देश में पैदा होनेवाले अनाज का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिये ये काम किए जा रहे हैं, (१) उन क्षेत्रों को ध्यान में रखना जहां काफी अनाज होता है, ताकि सरकार वहां से अनाज लेकर उन स्थानों को भेज सके, जहां बहुत कम अनाज होता है; (२) जिन क्षेत्रों में बहुत कम अनाज होता है और वहां अनाज की काफी खपत है, उन्हें ध्यान में रखना, ताकि सरकार अपने गोदामों से वहां अनाज भेज सके और (३) अधिक और कम अनाज पैदा करने वाले क्षेत्रों को मिलाकर एक क्षेत्र बनाना, ताकि वे मिलकर आत्मनिर्भर हो सकें।

सरकार ने अनाज के ठीक-ठीक वितरण के लिये अनाज की सस्ती दुकानें खोली हैं, ताकि सरकार के पास जो अनाज आता है वह देश के विभिन्न स्थानों में जरूरतमन्दों को मिल सके। इस समय देश में ऐसी ४५,००० दूकानें हैं, जहां गेहूं, चावल और अन्य अनाज निर्धारित मूल्य पर मिलता है।

लोग अनावश्यक रूप से अनाज जमा न करें और बनावटी ढंग से अनाज की कमी पैदा न करें, इसके लिये भी सरकार अनेक काम कर रही है।

देश में सहकारी खेती की प्रगति

लोकसभा में खाद्य तथा कृषि मंत्री ने विभिन्न राज्यों में सहकारी खेती की प्रगति के सम्बन्ध में एक विवरण संसद की मेज पर रखा। इसमें बताया गया है कि इस साल देश भर में कुल २५८ समितियां बनायी गयीं। उनका राज्यवार ब्योरा इस प्रकार है:—

आंध्र प्रदेश:—राज्य सरकार ने जमीन साफ करके बस्ती बसाने वाली एक समिति स्थापित करने की स्वीकृति दी है। इसके लिये सरकार ने १४,५०० रु० का ऋण, १०,२०० रु० की आर्थिक सहायता तथा मूली खेती के लिये ३०० एकड़ सरकारी बेकार भूमि दी है। इस समिति ने १६ मार्च, १९५८ से काम शुरू कर दिया है। इसमें सिवाय जमींदार तथा भूमिहीनों के ६० सदस्य होंगे।

आसाम:—यहां ३८ समितियां खोली गयीं। इन्हें राज्य सरकार ने कोई प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता नहीं दी। हालांकि ऋण देने वाली स्थानीय सहकारी संस्थाओं ने इन्हें थोड़ी अवधि तथा मध्य अवधि

के ऋण दिये। यहां इस दिशा में अधिक प्रगति नहीं हुई। किन्तु चीनी के कारखानों के क्षेत्र में किसानों ने छोटे-छोटे तथा कम लाभ वाले खेतों को मिलाकर खेती की उपज बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया है।

बिहार:—यहां सहकारी खेती के प्रमुख अधिकारी, संयुक्त रजिस्ट्रार ने सहकारी खेती समिति स्थापित करने के लिये सारे राज्य का दौरा किया। इस सम्बन्ध में प्रचार भी काफी किया गया। इन सब प्रयत्नों के परिणामस्वरूप इस साल १५ समितियां खोली गयीं। इन समितियों को राज्य सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी।

बम्बई:—इस साल सहकारी खेती की १५ समितियों की रजिस्ट्री की गयी। इन समितियों को राज्य सरकार की ओर से भूमि-सुधार करने, कुएं खोदने, बीज और खाद आदि खरीदने के लिए ऋण दिया गया तथा व्यवस्था आदि के खर्च के लिए सरकार ने आर्थिक सहायता दी।

केरल:—यहां चार समितियां खोली गयीं।

मध्य प्रदेश:—इस साल एक समिति खोली गयी।

मद्रास:—१९५७ से पहले यहीं काश्तकारों से खेती कराने के लिए भूमि साफ करके बस्ती बसाने वाली संस्थाएं ही सहकारी संस्थाएं बनाती थीं। १९५७-५८ में राज्य सरकार ने ६ ग्राम-दान सर्वोदय सहकारी खेती समितियां खोलीं। राज्य सरकार ने उन्हें उदारता से आर्थिक सहायता देने की भी व्यवस्था की है।

मैसूर:—इस साल सहकारी खेती की १० समितियां बनायी गयीं। राज्य सरकार ने उन्हें ५४,००० रु० का ऋण और ११,००० रु० की सहायता दी।

उड़ीसा:—सहकारी खेती की १० समितियां बनायीं गयीं।

पंजाब:—इस साल यहां ६५ संयुक्त समितियां बनायी गयीं। राज्य सरकार ने दूसरी आयोजना के अंतर्गत ३१ मार्च १९५८ तक सहकारी खेती की १९७ समितियों को ४,३०,००० रु० की आर्थिक सहायता दी।

राजस्थान:—इस साल यहां दो समितियां बनायी गयीं।

उत्तर प्रदेश:—इस साल २१ समितियां रजिस्टर की गयीं।

पं० बंगाल:—इस साल राज्य सरकार ने ५८ समितियां खोलीं। इन समितियों ने सहकारी खेती के प्रबंधकों को ट्रेनिंग देने का भी प्रबन्ध किया है।

जम्मू-कश्मीर:—राज्य सरकार ने एक समिति बनायी।

दिल्ली:—यहां इस साल एक समिति खोली गयी और,

त्रिपुरा:—यहां भी इस अवधि में एक समिति स्थापित की गयी।

उपज बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन

भारत सरकार ने किसानों को खेती की उपज बढ़ाने को प्रोत्साहन देने के लिए फिर से अखिल भारतीय उपज प्रतियोगिता योजना चालू करने का निर्णय किया है। यह प्रतियोगिता १९५५ में बन्द कर दी गयी थी। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अपने यहां रबी फसल से ही इस प्रतियोगिता को शुरू करने के लिए उचित कार्रवाई करना शुरू कर दें।

यद्यपि सभी राज्यों में विभिन्न स्तर पर इस प्रकार की प्रतियोगिताएं की जाती हैं और इसके लिए भिन्न-भिन्न नियम हैं, उपज बढ़ाने के लिये यह बहुत जरूरी है कि ये प्रतियोगिताएं बड़े पैमानों पर की जाएं। सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है कि ये प्रतियोगिता गांवों, खण्डों, जिलों और राज्यों में हों, इसके अलावा अखिल भारतीय प्रतियोगिता भी होनी चाहिए।

ये प्रतियोगिताएं करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों में उपज की किस्म सुधारने तथा प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने के बारे में परस्पर होड़ की भावना पैदा करना है।

अखिल भारतीय फसल प्रतियोगिता में ६ प्रकार की फसलों की प्रतियोगिता होगी जैसे:—धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, गेहूं, चना, ज्वार, (रबी की) और आलू।

प्रारम्भिक प्रतियोगिता उन सभी गांवों में होगी, जहां भी किसान प्रतियोगिता में भाग ले सकें। यह प्रतियोगिता ग्राम पंचायत के सरपंच की अध्यक्षता में समिति करवायेगी और यही प्रतियोगिता में निर्णायक भी होगी। जीतने वाले किसान को २५ रु० का पुरस्कार दिया जायगा। पहले १० रु० का पुरस्कार दिया जाता था। यह चांदी के पदक, तलवार आदि के रूप में दिया जाएगा।

तम्बाकू की किस्म सुधारने की योजनाएं

दूसरी आयोजना में तम्बाकू की किस्म सुधारने आदि की योजनाओं पर १९५६-५७ में ४०,१२५ रु० और १९५७-५८ में ४७,६७३ रु० खर्च किया गया। किसानों को तम्बाकू की खेती करने, उसे सिझाने आदि के अच्छे तरीके बताकर तम्बाकू की किस्म सुधारना ही इन योजनाओं का ध्येय है। इसलिए तम्बाकू की पैदावार का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। किसानों को कहा जाता है कि वे उसी किस्म का तम्बाकू बोएं, जिस किस्म का उस जमीन में होता है; उतने ही क्षेत्र में तम्बाकू की खेती करें जितने क्षेत्र की वे ठीक तरह देखभाल कर सकते हों; अच्छे बीज बोएं, अच्छी खाद इस्तेमाल करें आदि।

मूंगफली की खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अर्थ और अंक विभाग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पहले अखिल भारतीय प्राक्कलन के अनुसार, चालू

वर्ष, १९५८-५९ में मूंगफली की खेती का क्षेत्रफल १ करोड़ ३ लाख ६४ हजार एकड़ होने का अनुमान है। १९५७-५८ में मूंगफली की खेती का क्षेत्रफल १ करोड़ १ लाख ३२ हजार एकड़ था। इस प्रकार इस साल इसके क्षेत्रफल में २ लाख ३२ हजार एकड़ या २.३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मूंगफली की खेती का क्षेत्रफल मुख्यतः बम्बई, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में बढ़ा है। इसका कारण बुवाई के समय, पिछले साल की अपेक्षा, मौसम का अच्छा होना था। मैसूर और आन्ध्र प्रदेश में, मूंगफली पिछले साल से कम क्षेत्र में बोयी गयी है।

यह जानकारी जुलाई १९५८ के अन्त तक की है और उस समय तक मूंगफली की फसल प्रायः सब जगह अच्छी थी।

१९५७-५८ में आलू की खेती

केन्द्रीय खाद्य और कृषि मन्त्रालय के अर्थ और अंक निदेशालय की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि १९५७-५८ में पूरे भारत में लगभग ७ लाख ६६ हजार एकड़ भूमि में आलू बोया गया था। यह इस प्रकार का दूसरा अनुमान था। १९५६-५७ में लगभग ७ लाख एकड़ में आलू बोने का अनुमान किया गया था। इस तरह १९५७-५८ में १९५६-५७ से ६६ हजार एकड़ अधिक भूमि में अर्थात् ९.४ प्रतिशत अधिक भूमि में आलू बोया गया।

आलू पैदा करने वाले सभी राज्यों में पहले से अधिक भूमि पर आलू बोया गया। बिहार और उत्तर प्रदेश में यह वृद्धि उल्लेखनीय थी क्योंकि इस साल आलू बोते समय जलवायु १९५६-५७ की अपेक्षा अधिक अनुकूल थी।

दूसरे अनुमान के ये आंकड़े मई १९५८ तक के हैं। पुराने अनुभव के आधार पर कहा जा सकता कि अन्तिम अनुमान के आंकड़े दूसरे अनुमान के आंकड़ों से कुछ अधिक ही होते हैं।

विविध

जुलाई, ५८ में थोक भावों का उतार-चढ़ाव

भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार की एक *विज्ञप्ति* के अनुसार थोक भावों का सरकारी सूचक अंक जुलाई १९५८ में पिछले महीने से २.७ प्रतिशत बढ़कर ११४.७ हो गया। जून का यह सूचक अंक १११.७ था।

खाद्य वस्तुएं:—"अनाज" का सूचक अंक ४.२ प्रतिशत बढ़कर ०९.६ हो गया। दूसरे उप-समूह "दालों" में, अरहर, मूंग, मसूर गैर उड़द की महगाई के कारण ६.३ प्रतिशत की वृद्धि हुई और न-समूह का सूचक अंक ९९.७ प्रतिशत हो गया। आलू, प्याज, ंवरे और केले के भाव ऊंचे जाने से "सब्जियों और फलों" उप-समूह ा सूचक अंक भी ७.७ प्रतिशत बढ़कर १२०.१ हो गया। "दूध-ी" उप-समूह का सूचक अंक ०.४ प्रतिशत घटकर ११०.७ रह गया। ाल्डा वनस्पति को छोड़कर बाकी "खाने के सब तेलों" के दाम बढ़े और इनके उप-समूह का सूचक अंक १२६.४ हो गया। "मछली" अण्डे और मांस" उप-समूह और "चीनी तथा गुड़" उप-समूह में क्रमशः ३.५ प्रतिशत और ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। "अन्य खाद्य वस्तुओं" के उप-समूह में ७.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसका सूचक अंक १६०.४ हो गया।

तम्बाकू:—कच्चे तम्बाकू में तेजी आने से इस समूह के सूचक अंक में ०.७ प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह ९०.९ हो गया।

ईंधन, बिजली, रोशनी और तेल:—रेंडी के तेल के दाम बढ़ने से इस समूह का सूचक अंक ०.२ प्रतिशत बढ़कर ११६.४ हो गया।

औद्योगिक कच्चा माल:—कपास, पटसन, कच्चे ऊन और रेशम की महगाई के कारण "रेशे" उप-समूह का सूचक अंक ०.६ प्रतिशत बढ़कर ११०.६ हो गया। "तिलहन" उप-समूह ५.१ प्रतिशत ऊपर गया और "खनिज पदार्थ" उप-समूह ३.२ प्रतिशत नीचे आया।

अध तैयार माल:—अलसी के तेल, सूत, नारियल के रेशे, अल्यूमीनियम, पीतल, सीसा और जर्मन सिलवर आदि ऊपर गये और रेयन के धागे में गिरावट आई, जिसके कारण इस समूह का सूचक अंक १.६ प्रतिशत बढ़कर १११.७ हो गया।

तैयार माल:—सूती माल में २.६ प्रतिशत की कमी के कारण वस्त्र उप-समूह में ०.९ प्रतिशत की गिरावट आई और उसका सूचक अंक १०२.९ रहा, यद्यपि पटसन, रेशम और रेयन के कपड़े में तेजी आई। धातु की चीजों के उप-समूह का सूचक अंक पिछले महीने के बराबर ही यानी १४१.० रहा। रसायनिक पदार्थों का सूचक अंक ०.६ प्रतिशत बढ़कर १०४.३ हो गया और खलियों का ५.१ प्रतिशत बढ़कर १३५.१। "मशीनों और परिवहन की चीजों" उप-समूह में ०.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसका सूचक अंक १०३.४ हो गया। "अन्य तैयार माल उप-समूह" ११३.५ पर स्थिर रहा। तैयार माल

समूह" का सूचक अंक, कुल मिलाकर ०.२ प्रतिशत गिरकर १०७.५ हो गया।

थोक भावों के चढ़ाव उतार की साप्ताहिक समीक्षा

९ अगस्त, १९५८ को समाप्त सप्ताह

थोक भावों का अधिकारिक सूचक अंक (मार्च १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष को आधार=१०० मानकर) ९ अगस्त, १९५८ को समाप्त हुए सप्ताह में ०.४ प्रतिशत घटकर ११५.८ रह गया। इससे पहले सप्ताह में यह ११६.३ (संशोधित) था। यह पिछले महीने के इसी सप्ताह से १.१ प्रतिशत अधिक था और गत वर्ष के इसी महीने के इसी सप्ताह से २.६ प्रतिशत अधिक था।

१६ अगस्त, १९५८ को समाप्त सप्ताह

भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि १६ अगस्त, १९५८ को समाप्त सप्ताह में थोक भावों का सूचक अंक (मार्च १९५३ में समाप्त वर्ष को आधार=१०० मानकर) ११५.७ रहा। पिछले सप्ताह यह अंक ११५.६ (संशोधित) और पिछले महीने के इसी सप्ताह का अंक लगभग इतना ही था। पिछले साल के इसी सप्ताह से यह अंक ३.३ प्रतिशत अधिक रहा।

२३ अगस्त १९५८ को समाप्त सप्ताह

इस सप्ताह में थोक भावों का सूचक अंक (मार्च १९५३ को आधार=१०० मानकर) पिछले सप्ताह के संशोधित सूचक अं ११५.९ पर ही स्थिर रहा। पिछले महीने के इस सप्ताह में भी सूच अंक इतना ही था लेकिन पिछले साल के इसी सप्ताह के सूचक अं से यह ३.९ प्रतिशत अधिक था।

३० अगस्त, १९५८ को समाप्त सप्ताह

इस सप्ताह में थोक भावों का सूचक अंक (मार्च, १९५३ के आधार=१०० मानकर) ०.२ प्रतिशत बढ़कर ११६.२ हो गया। पिछले सप्ताह का सूचक अंक ११६.० (संशोधित) था। यह सूचक अं पिछले महीने के इसी सप्ताह के सूचक अंक से ०.२ और पिछले साल के इसी सप्ताह के सूचक अंक से ४.८ प्रतिशत अधिक है। अगस्त महीने का मासिक औसत ११६.० था, जबकि पिछले महीने यह ११४.७ (संशोधित) और पिछले साल अगस्त में ११२.० था।

भूल सुधार—'नदियों के ये सुदृढ़ बांध' शीर्षक चित्रावली का प्रथम चित्र 'तिलैया बांध' भूल से उल्टा छप गया है। पाठक कृपया क्षमा करें। —सम्पादक।

औद्योगिक उत्पादन सूचक अंक

आधार १९५१=१००

सूचक अंक

३००

२७५

२५०

२२५

२००

१७५

१५०

१२५

१००

१९५१

१९५७

साइकिलें

सामान्य इंजीनियरी की वस्तुएं

चीनी

पैदा की गई बिजली

रसायनिक पदार्थ और उनके उत्पादन

सीमेण्ट

रबड़ उत्पादन

कागज तथा गत्ता

अलोह धातुएं

मोटर गाड़ियां

सामान्य सूचक अंक

कोयला

लोहा और इस्पात

कपड़ा और सूत

थोक मूल्यों का सूचक अंक

सेन गुप्त, प्रधान

सी एस.ओ. क्र. २१०/६.५८

मशीनों का आयात
रुपये करोड़ों में
१०५०
९००
७५०
६००
४५०
३००
१५०
0
१९५६
१९५७
कुल आयात
वैद्युत मशीनें
अन्य प्रकार की मशीन

भारत का व्यापार सन्तुलन
आयात
निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)
सन्तुलन
रुपये करोड़ों में
१०००
८००
६००
४००
२००
०
-२००
-४००
१९५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७ *
* इसमें उधार खाते वाली अमेरिका को बेची गई चांदी का मूल्य २७.७ करोड़ रुपये शामिल नहीं है।
सी. एस. ओ. क्र. २०८/८-५८
प्रधान

औद्योगिक स्रोत से हुई राष्ट्रीय आय
(१६४८-४६ के मूल्यों पर)
रु अरब
१०५
६०
७५
६०
४५
३०
१५
0
धन्धे और सेवाएं सरकारी प्रशासन सहित
व्यापार, परिवहन और संचार
खनन, निर्माण और छोटे उद्योग
कृषी, पशुपालन तथा सम्बद्ध कार्य
१६५१-५२
१६५६-५७ (प्रारम्भिक)
श्रीवास्तव, प्रधान
सी एस ओ क्र २१७/६.५८

१. औद्योगिक उत्पादन*

[१] बुनाई उद्योग

वर्ष	१ सूत (लाख पौंड)	२ सूती कपड़ा (लाख गज)	३ [क] जूट का माल (००० टन)	४ [ख] ऊनी माल (धागा) (००० पौंड)	५ पट्टे (टन)
१९५०	११,७४८	३६,६४८	८३५.२	१८,०००	५१०.०
१९५१	१३,०४४	४०,७६४	८७४.८	१७,७००	६७५.६
१९५२	१४,४९६	४५,९८४	९५१.६	१६,५८४	७०९.२
१९५३	१५,०६०	४८,७८०	८६८.८	१९,२४८	७४८.४
१९५४	१५,६१२	४९,९८०	९२७.६	१९,३५६	८४०.०
१९५५	१६,३०८	५०,९४०	१,०२७.२	२०,७००	८२५.६
१९५६	१६,७१६	५३,०७६	१,०९३.२	२५,४४०	८१४.८
१९५७	१७,८०१	५३,१०४	१०२९.६	२७,७९२	७१२.८
१९५७ अगस्त	१,४४१	४,२०५	८१.९	२,४८५	४७.७
सितम्बर	१,५०९	४,४३७	८६.०	२,६२०	४५.७
अक्तूबर	१,४२४	४,१५४	८३.५	२,५८१	५४.२
नवम्बर	१,४९१	४,३१५	९१.९	२,६४२	६०.६
दिसम्बर	१,५२७	४,३८२	९२.८	२,६५९	७०.७
१९५८ जनवरी	१,४८७	४,३५५	९८.३	२,८६६	५७.९
फरवरी	१,३२९	३,९१४	८५.२	२,१९४	६६.९
मार्च	१,३८५	४,०५६	८५.३	२,५४४	७४.७
अप्रैल	१,३४१	४,०७८	८८.०	२,०५९	५२.८
मई	१,३८७	४,२१३	९४.९	२,३५०	५१.२
जून	१,२९१	३,८८२	८२.४	२,४२७	५१.६
जुलाई	...	...	...	...	...

[क] जनवरी १९४९ से ये आंकड़े इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन के सदस्य मिलों तथा एक गैर सदस्य मिल के उत्पादन के सम्बन्ध में हैं। [ख] इसमें जम्मू और काश्मीर के आंकड़े भी सम्मिलित हैं।

[२] लोहा और इस्पात

वर्ष	६ कच्चा लोहा (००० टन)	७ सीधी ढलाई (००० टन)	८ लौह मिश्रित धातु (००० टन)	९ इस्पात के पिण्ड और ढलाई (००० टन)	१० अधूरा तैयार इस्पात (००० टन)	११ तैयार इस्पात (००० टन)
१९५०	१,५६२.४	९८.४	१८.०	१,४३७.६	१,१४२.४	१,००४.४
१९५१	१,७०८.८	९२.४	२४.०	१,५००.०	१,२४९.२	१,०७६.४
१९५२	१,६८४.८	१२९.६	४०.८	१,५७८.०	१,३०८.०	१,१०२.८
१९५३	१,६५५.८	११५.२	७.२	१,५०७.२	१,३३०.०	१,०२३.६
१९५४	१,७९२.८	१२७.२	४०.८	१,६८४.८	१,४५२.०	१,२४३.२
१९५५	१,७५६.८	१२६.०	१२.०	१,७०४.०	१,४५६.८	१,२६०.०
१९५६	१,८०७.२	१२२.४	२८.८	१,७३७.६	१,४८४.४	१,३१६.४
१९५७	१७८९.२	११२.८	९.६	१,७१४.८	१,४४०.०	१,३४६.४
१९५७ अगस्त	२४४.७	९.२	०.७	१३४.७	११७.६	११३.०
सितम्बर	२४६.९	८.०	०.६	१४४.३	१२३.५	११२.५
अक्तूबर	२५४.५	८.९	०.६	१५०.४	१११.३	१०८.७
नवम्बर	२५३.२	११.७	०.७	१४६.२	११८.८	११६.४
दिसम्बर	२६०.२	७.८	३.२	१५४.७	१२४.२	११४.७
१९५८ जनवरी	२६२.६	७.५	५.०	१३४.५	१३६.५	११६.८
फरवरी	२५९.८	५.३	४.९	१४६.३	१२७.५	१०८.६
मार्च	२६०.८	५.४	५.२	१५१.१	१२८.८	११५.६
अप्रैल	१९८.४	६.८	१.१	१५७.१	१२५.२	१११.२
मई	१२८.७	८.०	०.५	१००.४	८५.७	८७.८
जून	२५५.०	४.६	०.७	१३१.७	११७.०	९३.३
जुलाई	..	...	...	..	...	...

* नवीन रिपोर्टों के अनुसार इन अंकों में संशोधन हो सकता है।

स्रोत—(१) १९५० से १९५६ और अगस्त ५७ से जून ५८ तक के आंकड़े :—औद्योगिक अंक-संकलन निदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित 'भारत में चुनी हुई वस्तुओं के उत्पादन के मासिक आंकड़े' नामक पुस्तक से।

(२) जुलाई १९५८ के आंकड़े :—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की विकास शाखा, नयी दिल्ली से।

१. औद्योगिक उत्पादन

[३] धातु-उद्योग

वर्ष	१२ लकड़ी के पेच (००० ग्रोस)	१३ मशीनी पेच (००० ग्रोस)	१४ रेजर ब्लेड (लाख)	१५ हरीकेन लालटेनें (०००)	१६ गैस के लैम्प (०००)	१७ तामचीनी का सामान (००० संख्या)	१८ जालिया (टन)	१९ इन्फिकेटर (संख्या)
१६५०	७०३ २	१५६.१	१०१ ८	२,८०१ ८	१८ ४	५,४४५ १	२,१४८	७५१
१६५१	७६६ ८	१२७ २	२२६ १	३,६७१ ८	३२ ४	८,२३० ०	१,८६१	१,५६०
१६५२	१,३२६.१	१४७ १	१०८ ०	३,५२३ २	३४ ८	७ ३६० ८	२,०१६	१,०१०
१६५३	२,५७१ ३	१६८ ०	२३१ १	४,३१२ ८	३० ०	६,४८३ १	१,३५१	६२४
१६५४	५,३६७ २	२२६.२	१,११४ ०	४,६८७ १	३७ २	१४,६७७ १	२,४१२	१,११८
१६५५	६१६२ ४	३४० ८	१,७४६ ०	५,४८७ १	५८ ८	१५,०१६ ४	२,३०८	२,०८८
१६५६	७ ७२४ ८	१,२७८ ०	२,१५२ ०	५,१७६ २	८४ ०	१५,४३१ ०	१,४१६	२ ७ ४
१६५७	८,३७२ ४	१,३६० ३	३,११४ ८	४१४८ ४	६८ ४	१३,६५१ ०	१,६५२	२,८१८
१६५७ अगस्त	६२४ ४	३१७ १	२३५ ५	३१२ ०	४ ७	१,२८१ ३	१६८	६१
सितम्बर	६३५ ६	२४० १	१८५ ७	२६० ८	२ ३	१,१६५ ३	१८१	१८
अक्तूबर	१७२ ४	१२४ ४	१८६ ०	२४० ८	५.५	१,०२१ १	११२	१०१
नवम्बर	६४४ ८	१३० ८	२३८ ३	२६७ ७	३ २	१,१२४ ७	२६१	१७०
दिसम्बर	६११ १	११० ४	२१० १	२७३ ६	१० ०	१ २४१ ५	२२१	१२६
१६५८ जनवरी	६७४ १	१४- ३	२३८ ८	२८५ १	३ ५	१ ६६१ ०	८१	३१४
फरवरी	५५१ २	१५४ ४	२८४ ७	१७३ ४	७ ३	१,६५८ १	९१	१८१
मार्च	६११ १	१११ ६	२८१ २	१०१ २	३ ८	१,२४३ १	१३१	२०६
अप्रैल	६५३ ४	१७४ ३	३११ ३	२६५ ६	७ ८	१,३४५ ८	५८	३८१
मई	४१० ३	१५१ ५	२-७ ८	३३० ०	३ १	१,११० १	१३	३२५
जून	५०५ ०	२४० ०	११० ०	२८६ ७	५ ३	१,३१७ ६	११	३६४
जुलाई	७६ १	—		१४० ७	१ १	...	—	१०१

[४] मशीनें (बिजली की मशीनों के अतिरिक्त)

वर्ष	२० डीजल इंजिन (संख्या)	२१ शक्ति चालित पम्प (०००)	२२ सिलाई की मशीनें (ग) (संख्या)	२३ मशीनी औजार (मूल्य ००० रुपये)	२४ ट्विस्ट ड्रिल्स (०००)	२५ कोनिकल करघे (संख्या)	२६ रिंग स्पिनिंग फ्रेम (पूर्ण) (संख्या)	२७ सान रखने के चक्के (००० पौंड)	२८ धुनाई की मशीनें घूमने वाली चपटी (संख्या)
१६५०	४,५६६	३० ०	३०,८८८	२,६१० ४	४४६.२			५०० ४	
१६५१	७,२४८	४० ८	४४,४६०	४ ७३० ४	१,०१७ ३	२ ३०८	२७३	७०८ ०	
१६५२	४,२४८	३२ ४	५०,०४०	४,४३७ १	७७५ २	२,३०४	२८८	८६५ २	१०८
१६५३	३,७२०	२५.२	६२,४२४	४,४०७ १	३३४ ८	२,४२४	३०४	८०७ ३	१६१
१६५४	८,६५२	२८ ८	८०,११६	५,००२ ८	५३८ ८	१,८८४	३६०	१,११४ ०	४३१
१६५५	१०,२२४	३४ ८	१,०१,४७२	७ ४४० ०	७७८ ८	२ ७३६	८६४	१,४१८ ८	६००
१६५६	११,६४०	४१ ८	१,३० ३६२	८,२०२ ८	१,५४६ २	२,८६८	११२१	२,४७८ ०	७३१
१६५७	११ ५१२	६३ ६	२ ६१ ६२०	२५,००१ ८	२,२५८ ४	२ ८६८	११३८	३,२३२ ८	१०३०
१६५७ अगस्त	१,३८७	५ ३	१४ ६६१	२५४६ २	२४२ १	११३	१३२	२६७ ६	१०७
सितम्बर	१ ४५३	५ ३	१३,७८६	२३४१ ४	२४६ ०	२७४	१७५	१६४ ४	६५
अक्तूबर	१ ७३१	४ ६	८ ५५८	३२२६ ४	२६३ ३	२६१	६२	३३८ ०	५२
नवम्बर	१,६४१	५ ६	१७ ०२८	२६३० ७	२२१ ८	२२४	१०३	२४७ ३	१०६
दिसम्बर	१,७४२	३ ५	१७ ७-०	२४७३ ०	२२२ ५	१६१	१०६	३३४ ३	११०
१६५८ जनवरी	२ ०५५	६ ०	१७ ०६२	३६६१ ६	२१८ २	१७७	६८	२४४ ३	१२३
फरवरी	१ ६१६	६ १	१५ ६१०	३५६५ २	२०७ ८	१७१	७२	१८२ ७	१११
मार्च	१ ८३७	६ ५	१६ ०१६	४१०१ १	१६० ०	२१२	६१	२२२ ८	११६
अप्रैल	१ ७५५	३ ८	२७ १८७	२५१२ ३	१०६.१	२०१	७०	२११ १	८४
मई	१ ६०१	४ ८	१८ ४८८	३४०३ ८	६३ ८	२१६	६१	२१६ ७	१००
जून	२,८४८	५ ६	१६ ५३१	२४४६ १	११८ ८	१८०	५१	२०१ ६	१०५
जुलाई	८१६	५ ३		१२७४ ४	१२७ ३	--	--	२०८ २	

[ग] वास्तविक उत्पादन, स्थापित उत्पादन क्षमता से काफी अधिक है। इसका कारण यह है कि स्थापित क्षमता की गणना एक पाली के आधार पर की गयी है और एक कारखाना एक से अधिक पालियां चला रहा है।

१. औद्योगिक उत्पादन

[५] अलौह धातुएं

वर्ष	२९ अलुमीनियम (टन)	३० सुरमा (टन)	३१ तांबा (टन)	३२ सीसा (टन)	३३ अलौह धातुओं के नल (टन)	३४ सोना (औंस) [घ]
१९५०	३,६९६.४	३७५.६	६,६१४.४	६२७.६	३३१.२	१,९६,९२०
१९५१	३,८४८.४	३२७.६	७,०८३.६	८५९.२	२४८.४	२,२६,३३८
१९५२	३,५६६.४	१८१.२	६,०७९.२	१,२११.९	३७०.८	२,५३,२६०
१९५३	३,७५८.४	१३०.८	४,९२०.०	१,६९४.३	३५७.६	२,२३,०२०
१९५४	४,८८६.४	५३८.८	७,१६१.६	१,७८८.०	१८६.०	२,४०,७०८
१९५५	७,२२५.२	५०४.०	७,२८१.६	२,२३४.४	३४३.२	२,११,४६४
१९५६	६,५००.४	५८९.२	७,६२८.४	२,४९७.२	३९३.६	२,०६,०८८
१९५७	७,७७१.२	५०१.६	७८४८.०	३,१७४.०	३९४.८	१,७९,१९६
१९५७ अगस्त	६६४.७	५०.०	६२०.०	२४५.२	४३.२	१३,८३८
सितम्बर	६५४.९	४५.०	६५५.०	३५०.०	३२.०	१५,४३७
अक्तूबर	६८७.०	४५.०	६७२.०	३१७.०	३४.३	१४,४७४
नवम्बर	६६९.०	४६.०	६७०.०	२७२.०	३४.७	१५,२०९
दिसम्बर	६३०.९	४८.१	७००.०	३१३.०	२७.०	१४,६७३
१९५८ जनवरी	७०३.३	३०.०	३०२.०	२७५.०	२८.१	१४,८२५
फरवरी	६२५.८	४०.०	६५५.०	२८८.०	२५.०	१५,२५७
मार्च	६८५.३	५४.०	७१०.०	४०७.१	२४.६	१४,४७२
अप्रैल	६६३.०	३६.०	६८२.०	३६२.०	२३.६	१३,१३०
मई	७१०.९	५४.०	६९६.०	३५६.५	२७.८	११,३०३
जून	६८६.०	५६.०	६६५.०	२९८.२	२९.२	१३,८६६
जुलाई	–	४५.०	६९२.०	२८८.०	—	...

[घ] १९४८ से हैदराबाद में हुए सोने का उत्पादन भी इन आंकड़ों में सम्मिलित है ।

[६] बिजली उद्योग

वर्ष	३५ उत्पादित बिजली [क] (लाख किलोवाट प्रति घण्टा)	३६ बिजली ले जाने की नलियां (००० फुट)	३७ सूखे सैल (लाख)	३८ संग्रह की बैटरी (०००)	३९ बिजली के मोटर (००० हार्स पावर)	४० बिजली के ट्रान्सफार्मर (००० के.वी.ए.)	४१ बिजली की बत्तियां (०००)
१९५०	५१,०७२	२,९६६.४	१,३८१.२	१८७.२	८१.६	१७१.६	१४,३०४
१९५१	५८,५८४	३,९६९.६	१,४३४.०	२१२.४	१४२.८	१९५.६	१५,५१६
१९५२	६१,२००	३,९९४.८	१,३०२.०	१५८.४	१५७.२	२१४.८	२०,८८०
१९५३	६६,२७६	३,७१५.२	१,४८४.४	१७६.४	१६२.०	३०८.४	१९,७५६
१९५४	७४,४००	५,९८३.२	१,४८६.८	१८८.४	१८७.२	३९९.६	२३,०७६
१९५५	७६,८३६	६,२४८.४	१,६१०.४	२३५.२	२५२.०	५६५.२	२४,२३४
१९५६	९६,१०८	१०,९३२.०	१,८१४.४	३२४.४	३५८.८	९२०.२	३०,७२८
१९५७	१०८,३४८	११,७८२.६	१,६६५.६	३२४.०	४६९.२	१,२१९.२	३३,१४६
१९५७ अगस्त	९,२०८	९२१.९	१५८.२	३५.९	४०.२	१०५.४	२७१७.०
सितम्बर	९,२२६	८५४.५	१३१.९	२६.८	४३.५	११०.४	२६७०.२
अक्तूबर	९,१२३	७०९.८	९७.२	२४.२	३७.७	१०२.२	२४१६.३
नवम्बर	९,२२३	८६९.५	११८.०	२९.२	४३.१	१०९.५	२७८५.४
दिसम्बर	९,५६६	१०३९.३	१३७.१	२८.५	४९.५	११४.०	२६५३.२
१९५८ जनवरी	९,७१४	६५६.५	१३१.८	२३.९	४५.०	१०१.३	२६२२.१
फरवरी	९,१४२	७२८.४	१२९.६	२७.८	४५.१	९७.१	२५६३.७
मार्च	९,६३०	७७०.६	१०६.५	२९.४	५१.८	११३.३	२४६५.७
अप्रैल	९,९६४	५६०.९	१२७.८	२८.४	४९.५	९६.९	२६३०.६
मई	—	५२७.२	१४०.६	२९.३	५०.७	८२.८	२६७०.४
जून	—	३७१.८	१४९.१	३१.१	५०.०	७८.८	२३८७.७
जुलाई	—	३७१.६	१६४.९	२६.५	२५.७	८४.५	...

[क] इसमें जम्मू और काश्मीर के आंकड़े भी शामिल हैं ।

१. औद्योगिक उत्पादन

[६] बिजली के उद्योग (गत पृष्ठ से आगे)

वर्ष	४२ बिजली के पंखे (०००)	४३ रेडियो रिसीवर (संख्या)	४४ तार: तांबे के खुले हुए (टन)	४४ तार: लपेटने के [च] (टन)	४४ तार: रबड़ चढ़े हुए (लाख गज)	४५ घर में लगाने वाले मीटर (संख्या)	४६ घरेलू रेफ्रीजरेटर (संख्या)
१९५०	१९९.२	४४,३४०	५,३७१	३१२	३३६.३	...	...
१९५१	२१२.४	८१,७८८	६,०००	१००	४११.६	...	...
१९५२	१९५.६	७१,४१६	५,६२८	१६१	३२८.८	३४,१५१	१००
१९५३	१९९.२	५६,२३८	७,३१८	२२८	४८४.८	८०,३७६	१,१४०
१९५४	२३८.८	५८,३०४	७,५७२	३२४	६२०.३	१,४८,८८४	१,०७८
१९५५	२८२.०	८१,२०४	८,४३६	३१२	८६१.६	२,५५,३४८	५१८
१९५६	३३८.४	१५०,३००	१०,२६०	७३८	१०५८.०	२,३०,३०४	७५६
१९५७	५२४.४	२६०,२७२	८,५५६	१०२०	१०२८.४	३,३०,५४०	६४८
१९५७ अगस्त	४४.३	१४,५२७	६३१	१०३	६१.४	२१,५४०	५०
सितम्बर	४५.३	१९,२४३	६२६	६६	१०२.७	२६,८७८	५०
अक्तूबर	३७.४	१२,०४७	७८६	१००	९१.४	२७,३१६	६०
नवम्बर	५०.२	१७,२४८	७६१	६२	८३.६	२८,०२७	२३४
दिसम्बर	५२.३	२२,७०३	६४०	६८	८६.२	२३,७८७	११८
१९५८ जनवरी	५१.१	१९,१८८	५६४	१०६	१०३.३	३०,००१	८०
फरवरी	५०.७	२४,३५६	५६८	११०	७७ ३	२३,६५१	८०
मार्च	५४ ३	३५,७७२	६३६	७११	७०५ ५	२३,७२३	१५४
अप्रैल	५२.६	३७,४०६	३८६	१२०	७५.४	३५,०३०	१०५
मई	५३.७	२६,१२७	७१६	१२१	८३ ३	२८,४३२	१०६
जून	४८.४	१८,३५७	४८८	१५३	६३.८	२८,२६२	१०३
जुलाई	७५ ३	४,६३१	२५४	...	२७.२	३३,३००	—

[च] १९५० से १९५३ तक के आंकड़े रबड़ चढ़े केबलों तथा लचीले तारों के ही हैं।

[७] रसायनिक पदार्थ

वर्ष	४७ गंधक का तेजाब (टन)	४८ कास्टिक सोडा (टन)	४९ सोडा ऐश (टन)	५० तरल क्लोरीन (टन)	५१ ब्लीचिंग पाउडर (टन)	५२ बाइक्रोमेट (टन)	५३ सुपर-फास्फेट (टन)	५४ अमोनियम सलफेट (टन)	५५ यूरिया (टन)
१९५०	२,०२,४८०	१०,८४८	४३,७८८	३,६७२	३,३१२	१,६८०	५४,४२८	४७,३०४	४११
१९५१	२,०१,६१२	१४,७२४	४७,५२२	५,२३८	३,५८८	३,२०३	३१,०२०	५२,७०४	५०४
१९५२	९९,०८४	२०,०६४	४४,३२८	३,२४०	७६२	१,४६४	४२,३५६	२,२०,३०८	३११
१९५३	१०६,०६२	२२,६०८	५६,८३८	८,२२३	१,६४४	२,५०८	४८,३००	३,१६,३२०	५११
१९५४	१,५०,८७३	२६,३०४	४८,२८८	६,७८०	२,६२८	३,२४०	१,०५,०३०	३,४०,२२४	८४०
१९५५	१,९३,३००	३४,२४८	७७,११८	११,५८०	२,७००	३,६२८	७४,२३०	३,६१,०६६	१,०४४
१९५६	२,८५,४०८	३६,४२०	८४,२४०	१५,०७२	४२,५६	३,२९४	८१,२३८	३,८८,६६२	१,३८०
१९५७	२,६२,२५६	४२,४८०	६२,६२०	१५,३६३	५,३४०	३,३७२	२,४१,३००	३,७६,३५६	१,८८४
१९५७ अगस्त	१७,३७०	३,६४५	७,५२०	१,३३३	५३६	३२१	१४,४१६	३१,३६२	१२३
सितम्बर	१५,३०४	३,३३५	६,८५६	१,२८०	५२४	३३०	१३,१०४	३०,४७३	१८६
अक्तूबर	१५,८६५	३,३४०	७,७४७	१,३२२	४६४	३२१	१२,३१२	३०,६१०	२२५
नवम्बर	१३,४२६	३,३००	७,८१५	१,३५१	५३६	२६८	१२,२३६	३४,७४५	२६०
दिसम्बर	१८,५४८	३,६८२	८,३११	१,३३३	३२७	३३४	११,५३०	१७,४२७	२७६
१९५८ जनवरी	११,६८७	४,०८२	८,३५१	१,२६५	५३६	३३६	११,४२०	३३,५७२	१५८
फरवरी	१७,१२६	३,७७१	७,६८१	१,२७५	५०५	३०४	२२,३७४	३१,२३५	६३
मार्च	२६,१३७	४,३३५	८,३३४	१,३३७	५७०	३१२	२३,७११	३३,००६	२८२
अप्रैल	१३,५०३	४,४३०	६,६११	२,२८०	५३६	१०४	२२,३०३	३२,५११	१३३
मई	२८,७०८	४,४३०	७,३१६	१,२३७	४३३	२४३	१४,३७६	३०,२३८	१५२
जून	१७,१२२	४,३८०	६,२६२	१,१८३	१०४	३१८	२३,८४४	२८,४५५	१४६
जुलाई	३,१०६	५,२२२	४,७४८	१,३४३	५६४	३३०	२,३१६	१,८८०	१११

१. औद्योगिक उत्पादन

[८] रसायनिक उद्योग

वर्ष	५६ रंगलेप और वारनिशें (टन)	५७ दियासलाई [छ] (००० पेटियां) [ख]	५८ साबुन [झ] (टन)	५९ सरेश (हंडरवेट)	६० गैसें धातुओं को जोड़ने की — आक्सीजन (लाख घन फुट)	६० गैसें धातुओं को जोड़ने की — एसिटिलीन (लाख घन फुट)	६१ ग्लिसरीन (टन)	६२ फेनॉल [ञ] फार्मलडीहाइड का ढलाई के काम का चूरा (००० पौंड)
१९५०	२७,६४८	५३१.२	७२,६६६	१३,५००	...	...	२,००४	...
१९५१	३३,४६२	५७८.४	८३,४३३	१४,११२	१,४५२.०	२६८.८	२,४२४	४५६.३
१९५२	३२,२७२	५१६.२	८३,३७३	१४,१४०	१,३२८.३	३१५.३	२,२२०	३३७.२
१९५३	३२,०५२	६१८.०	८२,२००	१७,०८८	१,८८१.३	३४८.०	२,५०८	८३७.६
१९५४	३३,८१३	५२६.२	८७,६६६	१८,१२०	२,३४४.८	४२१.२	२,३८८	१,०५७.२
१९५५	३६,०३३	६२५.६	९९,०००	१६,४६४	२,८२८.४	४७४.०	२,५०८	१,३००.८
१९५६	४१,४२४	५८६.२	१,०६,६०८	२२,८२८	३,२८३.२	५५३.२	२,६१३	२,२०५.६
१९५७	४२,२७३	५७७.२	१,१२,७०४	२५,८१२	४,०२०.०	६४०.८	२,३३४	२,६३१.३
१९५७ अगस्त	३,४००	४८.२	८,५२३	२,०५५	३६३.१	५१.३	१३७	२०८.३
सितम्बर	३,५००	४७.५	८,४५०	१,८४७	३५७.०	५३.७	१३५	२२३.०
अक्तूबर	३,५५३	४१.८	९,५०१	१,८२२	३३५.८	५२.२	१२८	२२३.१
नवम्बर	४,१६४	५१.३	९,२७३	२,४८३	३७१.९	५६.७	२६७	२३४.८
दिसम्बर	४,०५०	५०.३	९,३०७	२,११६	३७१.९	६३.८	३२१	२६२.४
१९५८ जनवरी	४,०२९	४६.७	१०,२८०	२२,८१	३७३.५	६१.६	३२२	१८८.१
फरवरी	३,६३६	४६.७	९,२००	२,२९९	३४१.४	५७.२	३३३	२२३.५
मार्च	३,८३५	४२.८	८,७९०	२,३३३	३३२.३	५७.८	१८१	२५८.२
अप्रैल	३,८८३	४३.९	९,२६०	२,०७७	३७४.३	५५.६	३१८	२३५.२
मई	५,२७५	५३.३	९,३९०	१,८९९	३७८.७	५५.७	२४१	२४३.३
जून	४,२२४	५१.२	९,२६०	१,७३०	३८३.८	५४.७	२७८	२१४.०
जुलाई	३,६१०	...	३,८४४	१.५५३	२२४.४	०.८६	१४७	...

[छ] इसमें जम्मू और काश्मीर के आंकड़े भी शामिल हैं।
[झ] ये आंकड़े संगठित कारखानों के उत्पादन के हैं।
[ख] ६० तीलियों वाली डिबियों के ५० ग्रोस।
[ञ] जुलाई १९५६ से परिवर्तित।

[८] रसायनिक उद्योग

वर्ष	६३ जिगर का सत्व — इंजेक्शन (००० घ० सें०)	६३ जिगर का सत्व — खाद्य (००० पौंड)	६४ रेयन (टन) — विसकोज धागा	६४ रेयन (टन) — स्टेपल फाइबर	६४ रेयन (टन) — एसिटेट धागा	६५ अलकोहल (००० गैलनों में खुला हुआ) — ईंधनों में मिलाने वाला	६५ अलकोहल — शुद्ध स्पिरिट	६५ अलकोहल — मिश्रित स्पिरिट	६६ लिनोलियम (००० वर्ग गज)	६७ प्लास्टिक के सांचे (००० ग्रोस)
१९५०	११,२४५.३	३०१.२	...	—	—	४,४६७.१	३,४३५.६	१,४७७.२	—	—
१९५१	१०,३८२.४	३१६.२	२,०४०	—	—	५,८०६.२	५,०२६.३	१,६६३.८	—	१,४४३.०
१९५२	१०,३७२.८	३१०.८	३,५८८	—	...	७,७४२.४	४,३६८.०	२,२०८.०	१५६.३	१,५४४.४
१९५३	१०,१३८.८	२८४.४	४,३५३	—	...	८,१२०.४	४,३७३.४	२,४६२.३	१३३.२	१,३५७.२
१९५४	१३,७८४.४	२५६.२	४,६४४	३,०८४	...	८,००७.३	४,६३०.८	२,८३५.३	३३६.०	१,३०८.०
१९५५	२४,२४०.२	२६४.०	५,७३३	५,७१२	१०४४	१०,४३२.८	५,१५३.४	२,८८६.२	३२२.८	२,४७८.८
१९५६	२४,१४२.४	२७६.३	७,२६३	७,८४८	१४१३	१०,१४३.२	३,६६६.३	३,३६२.८	३२०.५	३,३०३.६
१९५७	२८,१४०.०	२४७.२	६,३६३	८,००४	१६०८	१०,१३३.४	५,०३४.०	३,४३६.२	३२७.३	३,६६७.२
१९५७ अगस्त	२,१३४.४	२२.०	६०३	६२१	१३३	७८३.५	४६२.६	२७६.१	३७.२	३४८.२
सितम्बर	२,८५३.४	३०.५	८९२	७५४	१३०	५३७.३	४३६.३	२४५.४	४३.७	३०४.८
अक्तूबर	२,१८५.४	२५.०	८३१	५४८	१४३	६३८.१	४११.७	२८१.३	१८.२	३२८.०
नवम्बर	२,३८२.७	२७.७	८३७	४५७	१३४	७७८.३	४१९.२	३०२.३	२०.९	३३३.५
दिसम्बर	२,८८३.४	११.३	९७२	४८२	१२६	९९७.०	५१७.९	३२५.७	२४.३	३६७.५
१९५८ जनवरी	२,४१३.९	२५.३	९९३	३०७	१४०	९५५.४	५३९.६	३४४.७	१९.१	३०३.०
फरवरी	३,२७३.३	२८.३	९२७	९५५	१२५	१,००९.७	४७२.७	२७४.७	११.०	२९८.५
मार्च	३,७३१.०	२५.४	२,०५०	२,१४३	१४३	८३५.३	५०७.०	२९७.३	१२.३	२३०.०
अप्रैल	३,२१९.८	२४.८	९९३	१,११३	१५३	७३८.०	४९८.९	३१५.५	२२.०	—
मई	२,९७८.०	२२.९	२,०३०	१,२९३	१५५	७९७.८	४५५.३	३५९.५	२२.५	—
जून	३,१४३.०	२०.४	२,१३८	२,१४७	१४५	८१८.४	३४७.०	२८९.९	१८.८	२३४.०
जुलाई	२,७०२.८	९.४	५५२	—	१५९	५०१.८	३५६.४	२२२.०	...	—

१. औद्योगिक उत्पादन

[९] सीमेंट और चीनी मिट्टी का माल

वर्ष		६८ सीमेंट (००० टन)	६९ सीमेंट की चादरें, (एसबेसटस) (००० टन)	७० चीनी के बरतन (टन)	७१ स्वच्छता के उपकरण (टन)	७२ पत्थर का सामान (००० टन)	७३ चीनी की पालिश वाली टाइलें (००० दर्जन)	७४ तापसह ईंटें (००० टन)	७५ धर्षक (पत्रे सिवस) (००० रीम)	७६ बिजली-अवरोधक (इन्सुलेटर) एच टी (०००)	७६ बिजली-अवरोधक (इन्सुलेटर) एल टी (०००)
१९५०		२,११२ ४	८६.४	६,०६०	१,७८८	२९ ४	६२ ४	२११ ४	३२ २	२७४ ०	१,२७६.१
१९५१		३,१९५.३	८२ ८	६,२६१	३४८	३० ०	३१० ८	२३७ ६	३७ १	३४४ ८	१,४११.८
१९५२		२,५३७ ६	८७ ६	६,०६०	४३२	३३ ३	३४५.६	२४३ ६	५५ २	३३५.२	३,०७- ०
१९५३		३,७८० ०	७९ ३	१०,४४०	६४८	३३ ३	३७४ ४	२२८ ०	६१.२	४६३ २	२,५३० ०
१९५४		४,३६८ ०	७६.२	१०,६५६	१,३३२	४० ८	४१८ ८	२४० ०	७० ८	५०७ ६	२,६७४ ८
१९५५		४,४८६ ८	१०४ ४	१०,२२४	२,५८०	४२ ०	३८० ४	२७४ ८	७६ २	२५३ ०	३,३६४ ८
१९५६		४,९२८ ४	१३० ०	१५,०२४	३,७१२	४४ ४	४५४ ८	३१८ ०	६८ ४	६२ ४	३,०३० ४
१९५७		५,६०१ ६	१५८ ४	१५ ५४०	३,४१२	५१ ६	५२० ८	३१२ ४	६१ २	१८६ ०	४ ५५७ ६
१९५७	अगस्त	४४६ ६	१३ ४	१,१८२	३३५	४ ३	२९ ६	३५ ३	६ ५	२० ०	३७- १
	सितम्बर	४४१ ४	१३ २	१,३४१	३४५	३ ८	४३ ६	२६ ६	६ ६	२१ ४	३६८ २
	अक्तूबर	५१० ६	१२ ६	१,११०	३५२	४ ५	४२ ०	३० ५	८ ७	२८ ६	२५५.५
	नवम्बर	५१० २	१४ ४	१,५०८	३१८	५ ०	३१ ३	३२ ७	६ ६	२८ ५	३८८ ६
	दिसम्बर	५८७ ३	१५ ६	१,५४०	२४०	४ ०	४४ ०	३४ ६	८ ६	३५.७	४४४ ४
१९५८	जनवरी	५६४ ८	१६ ४	२,४८४	३२७	५ ३	४४ ६	३३ ३	६ ४	५५ ७	४७- ८
	फरवरी	४६५ ४	१४ ३	१,३७८	३०६	४ ७	४२ २	३४ १	७ ३	३४ १	४१६.४
	मार्च	५७- ५	१५.२	१,३८३	३४०	५ ४	४७ ४	४३ ७	८ ६	३४ १	४४० ४
	अप्रैल	५३६.५	१४ ५	१,३६०	३१९	५.१	४२ ४	३४ ८	७ ८	२८ ६	४६४ १
	मई	४३३ ०	१५ २	१,४४२	३६०	५ ४	५१ ०	३५ ८	६ ३	५१ ०	४७६ ६
	जून	५०५ ६	१४ ७	१,२३२	३८६	५ १	४३ ०	३३ ३	६ १	७३ ७	
	जुलाई	४८३ ९	१५ ३	३२३	२३७	-	४३ ५	२५ ३	१ ३	३१ २	६७८

[१०] काँच और काँच का सामान

वर्ष		७७ काँच की चादरें (००० वर्ग फुट)	७८ प्रयोगशालाओं का सामान (टन)	७९ बिजली के बल्वों के खोल (लाख बत्तियां)	८० काँच का अन्य सामान (टन)
१९५०		६,५७० ०	२,२९०	२२६.९	७२,२१९
१९५१		११,०८६.२	१,६८०	२४४ ०	६०,३२४
१९५२		६,०४३ २	१,७०६	२३३ ८	८५,३६८
१९५३		२२,७८९ ८	१,३२०	२२६.२	७२,४४४
१९५४		३३,११२ ८	१,५२२	२२४ ४	८५,०८८
१९५५		३८,८८३ ६	२,४६८	२३० ४	१,००,०६८
१९५६		४७,७४६ ९	३,५००	३३४ ८	१,११,६८१
१९५७		४८,३०६	३ ०६३	३६१ २	१,२१,६४८
१९५७	अगस्त	५२४२ ६	४०४	३१ ४	६,८३०
	सितम्बर	५,०१४ ६	४२०	३४ २	१०,३४२
	अक्तूबर	३ ३१० ७	३५७	३१ ६	१०,००४
	नवम्बर	३,४१० ५	३५६	३४ ५	१०,७०१
	दिसम्बर	७,३१९.३	२७८	३८ ५	१०,४३६
१९५८	जनवरी	७ ३०१ ६	३२८	३४ ५	१०,३१५
	फरवरी	३,५४८ १	३२०	३१ २	१०,८८८
	मार्च	६,८७५.३	३०२	२३ २	११,३१६
	अप्रैल	३,५६७ ७	३०६	२५.८	११,५०३
	मई	५,४१८ ०	४१५	१७ -	११,६४०
	जून	३ ४०८ ६	४४७	२३.२	११,४१३
	जुलाई	१,०८० ०	२८३	२३ ६	३,१५३

१. औद्योगिक उत्पादन

[११] रबड़ उद्योग

वर्ष		८१ रबड़ के जूते (लाख जोड़े)	८२ रबड़ चढ़ा सामान, खिलौने, गुब्बारे आदि (लाख दर्जन)	८३ टायर: मोटर गाड़ियां (०००)	साइकिलें (०००)	ट्रेक्टर (संख्या)	वायुयान (संख्या)	तांगा आदि (०००फुट)	८४ ट्यूब: मोटर गाड़ियां (०००)	साइकिलें (०००)	ट्रेक्टर (संख्या)	वायुयान (संख्या)
१९५०		१६५.६	१०५.६	६३८.४	३,३२५.२	...	...	...	६६८.४	४,२०७.२	...	...
१९५१		२३०.४	११०.४	८७०.०	३,६४०.८	...	२,४७२	३७३.२	८२०.८	४,८६७.२	...	६६६
१९५२		२२८.०	१३८.०	७२१.२	४,१८६.२	३,८५२	६८४	३८५.२	६६१.२	४,१६६.४	५,४८४	६८४
१९५३		२४०.०	१२४.८	७६८.०	४,६४५.२	६,६१२	१,२६६	४४२.८	६५८.८	४,६००.८	८,१३६	५२८
१९५४		३१२.३	१८३.६	८३२.८	५,२२६.०	१६,११२	३,५१६	३२४.०	७४८.८	५,५७७.६	१६,८८४	१,५७२
१९५५		३४६.२	१३६.२	८८२.०	५,७४८.०	२४,५२८	४,४०४	३७०.८	७८६.०	५,५६३.२	२३,११२	२,४४८
१९५६		३६१.२	२६०.४	९३८.४	६,३२०.४	३०,७६८	३,६००	२६०.४	९१८.०	६,३७३.२	३०,७२०	२,२६२
१९५७		३६६.६	१६८.०	९८८.८	७,१५२.०	४७,४००	४,४७६	३१०.८	९३६.०	७,०२७.६	४५,३४८	३,१३६
१९५७	अगस्त	२८.८	१५.५	८३.३	६०५.०	४,१२६	३४६	१९.०	७६.४	५९२.२	३,५४३	३०६
	सितम्बर	३०.७	१८.६	८९.९	६६५.१	५,४२३	५३०	१५.४	७५.९	६६४.०	४,५३३	७३४
	अक्तूबर	२९.७	१७.९	५७.९	३५१.५	२,५७०	२२४	२१.९	४५.२	३६३.६	२,५६१	१२
	नवम्बर	३७.१	१७.५	८३.३	६१३.१	४,३५९	३५३	२९.५	७८.१	६५६.८	३,९९९	२३३
	दिसम्बर	३९.२	१७.४	८४.५	६१२.२	२,५५२	४७४	४०.२	७२.२	५९७.४	४,४०५	१६६
१९५८	जनवरी	३७.५	१९.७	९०.९	७४४.१	४,१३०	४६७	२५.५	८४.४	७२६.५	४,३१५	१८९
	फरवरी	२९.४	१८.०	७७.९	६५०.९	२,५०२	२७३	३७.१	६५.२	६०६.४	३,१८३	१७५
	मार्च	२७.०	१८.६	७६.७	६४५.१	२,२०८	२५७	२५.३	७५.१	५९७.०	२,३२५	७८
	अप्रैल	२९.९	१८.३	७८.१	७०४.०	२,१९३	५७	२३.४	८०.९	६१२.३	२,३७८	२७
	मई	३२.३	१८.५	८५.५	७६१.५	२,०१४	१६	२५.१	८१.०	६८९.९	२,१६७	१२८
	जून	२७.२	१९.७	७०.५	७०१.०	१,८४३	१५९	११.८	८२.१	६४७.९	२,१८८	१४
	जुलाई	३१.३	८.७	...	७७८.४	२,२६२	३४३	८.३	...	७४१.७	२,९६२	१२७

[११] रबड़ उद्योग (शेषांश)

वर्ष		८५ रबड़ के नल: रेडियेटर (०००)	वेक्यूम ब्रेक (०००)	अन्य प्रकार के (०००फुट)	८६ पंखों के पट्टे (०००)	८७ रेलों का रबड़ का सामान (०००)	८८ इबोनाइट (००० पौंड)	८९ वाटर प्रूफ कपड़े (००० गज)	९० रबड़ के सर्जन (००० पौंड)
१९५०		२०६.४	३३३.६	२,८२०.०	१६०.८	६९१.२	...	...	...
१९५१		२२०.८	४७२.८	३,४७४.०	२९८.८	७४८.८	१९९.२	१,५७६.८	४७१.६
१९५२		१५४.८	४४४.०	३,८४९.६	५५८.०	१,२१६.८	१२९.०	१,२९४.८	६३९.६
१९५३		१०४.४	४७२.८	४,४२२.०	४१२.०	१,२३३.६	८८.८	२,०६१.६	४६५.६
१९५४		१६२.०	६२०.४	४,८६६.०	५००.४	१,३२३.६	११६.४	२,०२८.०	९३८.४
१९५५		१८६.६	८०८.८	५,७३४.८	६५५.२	१,५३९.६	२३०.८	२,११९.२	१,४७०.०
१९५६		२४८.४	५५२.०	७,०८१.५	७२४.८	१,६५६.०	२१०.०	२,५७४.०	१,७७७.२
१९५७		२०१.६	७७७.६	७,९८२.२	६५२.८	१,७५२.८	२४०.०	३,०७६.८	१,९५६.०
१९५७	अगस्त	१५.४	७९.८	५७७.६	४८.०	१४६.८	२२.८	२४६.१	२६१.४
	सितम्बर	१२.९	६७.१	६०७.०	४८.९	१४२.६	२३.९	२३७.९	२६७.७
	अक्तूबर	९.७	५५.४	४६६.८	३०.०	१२०.५	१९.५	२४६.०	१५३.८
	नवम्बर	१३.८	५५.२	६६५.३	६५.२	१८६.०	२०.१	२५९.९	२००.३
	दिसम्बर	१४.०	७२.५	७३३.९	५९.१	१५०.५	२०.२	२२३.३	१७३.९
१९५८	जनवरी	१५.६	४५.३	६७५.०	५७.९	१४६.७	१३.७	२३५.५	१८०.०
	फरवरी	१०.५	४१.६	६४०.६	५६.१	११५.०	१८.३	२५७.९	१९४.२
	मार्च	१३.७	४०.०	६९९.८	५७.५	१३५.३	२९.२	२६६.६	१७१.८
	अप्रैल	८.१	५५.१	६५३.५	६२.५	११७.५	२०.२	२६५.०	१६६.०
	मई	१०.०	५३.२	७४८.१	५७.२	१११.८	२०.७	३४०.५	२०६.३
	जून	१०.३	४३.८	७६३.७	५४.२	१५३.९	१९.२	३३५.०	२०१.१
	जुलाई	११.५	५२.५	८६२.५	६२.६	६१.८	१७.८	२७३.४	२०९.९

१. औद्योगिक उत्पादन

[१२] खाद्य और तम्बाकू

वर्ष		९१ [ट] गेहूँ का आटा (००० टन)	९२ [ठ] चीनी (००० टन)	९३ [ड] काफी (टन)	९४ [ढ] चाय (दस लाख पौंड)	९५ नमक (००० मन)	९६ वनस्पति तेल से बनी हुई वस्तुएं (टन)	९७ सिगरेट (लाख)
१९५०		४७७.६	६७३.८	२०,५३२	६१३.२	७१,२१९	१,७१,३१६	२,३१,२११
१९५१		४८६.०	१,११४.८	१८,०६९	८२८.८	७४,३७१	१,७२,३२०	२,२४,४८८
१९५२		५१२.४	१,४९५.०	२१,०६६	६१४.४	७१,८६०	१,९०,८१२	२,०१,१११
१९५३		४८१.६	१,२९९.०	२२,५७२	६०८.४	८६,३११	१,९१,३५२	१,८१,६११
१९५४		४४२.८	१,०८८.०	२६,३६४	६४४.४	७१,६०८	२,१०,७४८	१,९८,३७६
१९५५		४८८.४	१५९४.८	२४,९४८	६६८.४	८१,०७२	२,३०,७८४	२,२८,३८८
१९५६		५२७.१	१८५४.४	३४,४४०	६६७.२	८६,०१६	२,५५,६१२	२,११,५७१
१९५७		६५५.२	२०३६.८	४०,८८४	६६६.०	९८,०००	३,०१,३५९	२,८०,३३४
१९५७	अगस्त	३५.२	७.६	९६०	१००.६	४,७१६	२१,२८७	२३,८१०
	सितम्बर	३४.५	८.२	९२५	१०४.८	३,१४५	२०,६५०	२५,१७०
	अक्तूबर	३१.२	१७.४	१,४०४	१०५.६	२,३१०	२९,४९५	२२,८१०
	नवम्बर	३३.६	२०५.३	१,४४२	६०.२	१,५२७	२५,४३८	२५,६९०
	दिसम्बर	३१.९	३५७.५	१,४७८	२१.४	३,६११	१८,००६	२२,५००
१९५८	जनवरी	३०.३	४२६.८	४,५६६	६.३	३,५१३	२६,२८१	२२,५००
	फरवरी	५९.०	४१२.५	५,६६८	८.३	३,३६२	२४,६९८	२२,३५०
	मार्च	६१.७	३०७.३	७,६२०	१४.५	११,१६०	१५,१९७	२३,०६०
	अप्रैल	५८.२	१६७.६	५,८८४	३५.०	१६,०४१	२९,२१५	२९,२१०
	मई	५१.३	५१.८	६,१३३	५६.०	२७,३७१	२७,६०५	२८,१५०
	जून	५१.२	३.६	२,२४६	—	२४,१८२	...	२६,३००
	जुलाई	३६.४	...	...	...	...	...	१५,०३०

[ट] ये आँकड़े केवल बड़ी आटा मिलों के हैं। [ठ] ये आँकड़े फसली साल (नवम्बर से अक्तूबर) तक के हैं और केवल गन्ने से बनने वाली चीनी के विषय में हैं। [ड] ये आँकड़े शोधने और पीसने के पश्चात् काफी भण्डार में दे दी जाने वाली काफी के विषय में हैं। [ढ] ये मासिक आँकड़े पंजाब (काँगड़ा) और हिमाचल प्रदेश के उत्पादन को छोड़ कर हैं।

[१३] चमड़ा उद्योग

वर्ष		९८ जूते, पश्चिमी ढंग के (००० जोड़े)	९९ जूते, देशी ढंग के (००० जोड़े)	१०० क्रोम से कमाया चमड़ा (०००)	१०१ वनस्पतियों से कमाया हुआ गाय-भैंस का चमड़ा (०००)	१०२ चमड़े जैसा कपड़ा (००० गज)
१९५०		२,८३६.८	१,६६९.८	४१५.६	१,५२४.४	...
१९५१		३,३४०.८	२,०७३.१	८७३.६	१,७०४.०	१,६१८.८
१९५२		३,३१७.२	२,८०६.०	९५०.४	१,४७८.४	६५४.४
१९५३		३,३४८.०	२,१०४.४	७००.८	१,२९८.४	९८५.१
१९५४		३,३१७.६	२,०१२.८	६६८.४	१,३७०.४	१,२६१.२
१९५५		३,२४२.४	२,३०२.८	६७३.८	१,६३५.६	१,३२१.२
१९५६		२,३२०.४	२,९११.२	७४१.६	१,७१३.६	१,३७८.४
१९५७		४,१९९.२	३,०३८.४	६३०.०	२,७६१.६	१५११.२
१९५७	अगस्त	३४९.४	२३७.१	४१.१	१३५.१	१६७.२
		३७४.३	२४४.८	३५.१	१४२.१	१८१.७
		३११.९	२९३.४	३०.७	१५१.०	१८१.१
		३८५.९	२७४.१	३३.२	१३८.२	१६५.१
		४२१.१	२६९.१	३९.०	१४८.७	१६१.५
		४३०.३	२९२.१	५४.८	१६२.८	१३२.६
		३९०.५	२७३.४	५१.०	१८३.०	२०१.८
		३४०.८	२९४.६	४०.३	१६६.८	१४९.३
		३५७.८	२०१.५	३३.१	१४९.८	१८१.५
		३५०.९	२७४.६	३७.४	१७०.५	१७२.६
		३५२.३	२४२.३	३०.१	१६१.०	१५५.१
		५६.०	४९.०	५८.३	१७१.०	८१.६

१. औद्योगिक उत्पादन

[१४] अन्य उद्योग

वर्ष	१०३ खनिज कोयला (००० टन)	१०४ प्लाइवुड (००० वर्ग फुट) चाय की पेटियां	व्यापारिक	योग	१०५ कागज (टन) छपाई और लिखाई का	पैक करने का	विशेष किस्म का कटा	गत्ते	योग
१९५०	३२,६६२	४१,३७६	८,८४४	५०,२२०	७०,१५२	१४,९१९	५,१६६	१८,८४८	१,०८,८२२
१९५१	३४,२०८	६०,९४८	१०,२००	७०,८४८	७६,२९०	२५,४८८	३,१२०	२४,०४८	१,२१,६३९
१९५२	३६,२२८	७८,२२८	१२,३१२	९०,५४०	६१,५२८	२१,५४०	२,८२०	२१,७२०	१,३७,५०८
१९५३	३५,८४४	४६,७८८	११,४१२	६१,२००	६५,९२८	२२,१४४	३,४२०	२६,५१२	१,३६,७०४
१९५४	३६,७९८	६४,१८८	१३,५८४	७७,७७२	१,०१,८७६	२४,१५६	४,७८८	२३,५०८	१,४५,३२८
१९५५	३८,२०८	९१,१२८	१९,३९२	११०,५२०	१,१६,४६९	२८,३२०	५,६०४	३१,४६४	१,८४,८८४
१९५६	३९,४३२	९७,८८४	२५,८३६	१२३,७२०	१,२२,९८८	३०,९२४	५,७७२	३३,७२०	१,९३,४०४
१९५७	४३,५३६	९३,४२०	३१,९३२	१,२५,०५२	१,२६,५१६	३८,०१६	७,२००	३८,४००	२,१०,१३२
१९५७ अगस्त	३,३७६	६,६२६	२,६५७	९,२८३	१०,४२५	३,४६७	६२३	३,४७०	१८,०१५
सितम्बर	३,६४७	७,६२६	२,३६२	०,०१८	१०,५४२	२,७८५	७००	१,५६६	१५,५६३
अक्तूबर	३,५५५	५,७१५	२,५७७	१८,२९२	१०,७८३	३,४६५	५८२	३,४३७	१८,२६७
नवम्बर	३,६३०	७,२७३	२,८९२	१०,०९५	११,९८३	३,४१६	६५७	३,४५०	१६,२०६
दिसम्बर	४,०५१	८,१८३	२,३३२	१०,५१५	११,५१४	३,५५३	९५१	४,०६४	१६,८१२
१९५८ जनवरी	३,६४७	७,६३६	३,५३६	११,१७८	१३,०१८	३,४५०	४७३	३,७३६	२०,९८०
फरवरी	३,७१२	७,१९२	२,६१४	१०,०७३	११,३११	२,८१८	५१३	३,५७५	१८,२२७
मार्च	३,७०१	७,४४०	२,७१४	१०,१५४	१३,२१८	२,७१२	४८१	४,२६०	२०,७०१
अप्रैल	३,८०२	९,६४७	२,७४७	१०,२४१	१२,४७३	२,४३१	५४०	४,४८७	१९,६३१
मई	३,८८४	७,७१५	३,०२१	१०,८१६	१३,१८०	३,५२८	५२३	४,४९६	२१,७००
जून	...	७,२५६	२,८१६	१०,०७५	...	...	...	...	...
जुलाई	...	४,७७२	१,२१२	५,९८४	...	...	...	...	...

[१४] अन्य उद्योग (शेषांश)

परिवहन

वर्ष	१०६ मोटर गाड़ियां (संख्या) कारें	जीप तथा लैंडरोवर गाड़ियां	स्टेशन वैगन तथा अस्पताली गाड़ियां	ट्रक,	सवारी गाड़ियां	योग	१०७ साइकिलें पूरी तैयार (संख्या)	हिस्से (मूल्य ००० रुपये)
१९५०	६,५८८	...	...	...	...	१४९०४	१,०३,११२	९,४५२.४ (घ)
१९५१	१२,३८४	...	...	...	...	२२२७२	१,१४,२७६	६,४८८.४
१९५२	९,६४८	...	...	...	...	१५२८८	१,६९,६५९	८,२४७.९
१९५३	४,६३२	...	...	...	...	१३६२०	२,९४,१९८	१०,१६४.०
१९५४	५,४३६	...	...	...	...	१४४९०	३,७२,३९०	१३,०८०.०
१९५५	६,४६२	३३३७	७९८	९४५९	३०३६	२३०८८	४,६२,१७२	१९,४१९.८
१९५६	१२,६८४	४१५०	९८४	८९२०	९४०८	२६८३९	६,५७,४२४	२३,२२५.८
१९५७	११,५०४	४०९८	९१२	११,८६२	३७५९	३१६३२	८,००,८३२	२७,५४३.९
१९५७ अगस्त	८७७	४२५	७६	९८०	३२२	२२७३	६६,१५८	२,१८८.४
सितम्बर	६८०	३६९	४०	१०५२	२४५	२७१९	६९,३७२	२,३५१.३
अक्तूबर	७८१	२०२	३०	१२१८	२१९	२४५०	६५,०३२	१,८८२.८
नवम्बर	१,०७३	२५१	२३	१०५४	१६७	२४६१	७५,८५३	२,७३७.७
दिसम्बर	८४२	१६८	६	११२९	३४६	२४६७	७८,०९२	२,७५६.०
१९५८ जनवरी	९४०	३५८	४३	११८०	४२५	२९३३	८१,२००	२,५१६.५
फरवरी	४६१	२१३	३१	११४८	३७७	२२३०	८२,४६५	२,९०२.९
मार्च	९६७	१६५	२२	१३५३	४६१	२७४८	८९,५६५	२,०९०.४
अप्रैल	४७१	१२९	२१	९२५	२५८	१४०१	७५,९५४	१,७४०.३
मई	४८२	१२२	२६	७२५	२१५	१५७०	८५,७४७	१,६६१.६
जून	५६४	२८२	१५	५६०	२२३	१७१०	७२,२०३	१,८७७.६
जुलाई	४४०	५८७	३२	४७६	२३०	१३६५	३०,६४३	१,२७१.५

[घ] १९४८ से १९५३ तक के वर्षों के अंकों में पूरी साइकिल बनाने वाली फर्मों द्वारा तैयार किये गये हिस्से शामिल नहीं हैं।

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

इस तालिका में समस्त भाव प्रत्येक मास के दूसरे सप्ताह के दिये गये हैं।

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	अगस्त ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०
अनाज						
१. चावल						
मोटा	जयनगर	मन	२५.००	२५.५०	२६.७५	२७.००
"	रायपुर	"	सूचना नहीं	१६.५०	१७.५०	१७.००
"	कानपुर	"	२२.८७	२३.७०	२६.६७	२६.६७
"	सहारनपुर	"	२३.५०	२३.५०	२६.००	२६.१२
मध्यम	कलकत्ता	"	२४.००	२३.८७	२६.७५	२६.५०
२. गेहूं						
लाल	खगरिया	"	सूचना नहीं	१९.७५‡	१९.००	१९.५०
"	बम्बई शहर	"	"	२०.८३‡‡	२१.३९	२०.२८
साधारण	अबोहर	"	१४.७५	१३.४७	१४.६२	१४.८४
५९१	मोगा	"	१५.३७	१४.५०	१५.५०	१५.६२
औसत दर्जे का	हापुड़	"	१६.२५	१७.८७	२०.००	२१.५०
लाल	कानपुर	"	१५.२५	१६.४१	१९.३९	१८.२८
मोटा	दिल्ली	"	१५.५०	१३.५०	१५.५०	१५.३७
३. ज्वार						
—	नागपुर	"	१४.२५	१२.००	१२.७५	१२.८७
पीला	उज्जैन	"	१३.००	सूचना नहीं	१२.५०	१२.६२
—	झालावाड़	"	सूचना नहीं	११.००	१२.००	१२.५०
—	झाँसी	"	१२.११	११.७५	१२.८०	१३.४१
४. बाजरा						
—	हिसार	"	सूचना नहीं	१४.००	१५.००	१६.५०
—	जोधपुर	"	"	१५.००	१६.००	सूचना नहीं
—	आगरा	"	१६.००	१४.१२	१४.७५	१४.७५
५. जौ						
—	मोगा	"	११.५०	११.५०	१३.५०	१३.३१
औसत दर्जे का	जौनपुर	"	१३.००	१४.२५	१४.५०	१६.००
"	हापुड़	"	११.५०	१२.५०	१४.००	१४.७५
६. मक्का						
—	खगरिया	"	सूचना नहीं	१४.००	सूचना नहीं	१६.००
साधारण	लुधियाना	"	१५.५०	१४.००	भाव नहीं	१३.५०
—	भीलवाड़ा	"	सूचना नहीं	१३.७५	बिक्री नहीं	१५.००

‡ ७ जून १९५८ से लाल गेहूँ के स्थान पर सफेद किस्म का गेहूँ १५.५० रु० = ६०.४ सूचक अंक के आधार पर।
‡‡ देशी गेहूँ के खुले बाजार के भाव ७-६-५८ से मूल आधार पर चालू किये गये।

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	अगस्त ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०
दालें						
१. चना						
साधारण	दिल्ली	,,	१२.२५	१०.२५	१५.१२	१५.५०
—	पटना	,,	१४.००	१४.५०	१५.७५	१६.००
—	हापुड़	,,	१२.३१	१२.८७	१४.३७	१५.६२
देशी	मोगा	,,	११.८७	१२.७५	१५.१६	१५.२५
२. अरहर						
साधारण देशी (दाल)	दिल्ली	,,	१६.७५	२०.००	२२.००	२२.००
साबुत (औसत)	हापुड़	,,	११.५०	१४,६६	१६.५०	१६.५०
३. मूंग						
—	पटना	,,	२५.००	२७.००	३४.५०	३२.००
—	बम्बई	,,	सूचना नहीं	२६.७५	३३.३३	२८.८६
४. मसूर						
—	पटना	,,	२४.००	२०.००	२४.५०	२४.००
—	बम्बई	,,	सूचना नहीं	२४.५०	२३.३३	२४.४४
५. उड़द						
काला	दिल्ली	मन	२४.५०	२३.५०	२५.००	२१.५०
,,	पटना	,,	२६.००	२५.००	२६.००	२६.००
तिलहन						
१. मूंगफली						
बड़ा दाना	बम्बई	हंडरवेट	३३.६२	३५.२५	३८.७५	३८.७५
छिलके समेत	हैदराबाद	२४० पौंड का पल्ला	६०.२५	५८.६१	६३.५०	६१.५०
२. अलसी						
बड़ा दाना	बम्बई	हंडरवेट	२८.२५	३२.००	३५.१२	३३.७५
छोटा दाना	कलकत्ता	मन	२२.३७	२२.७५	२५.००	२६.००
औसत दर्जे का	कानपुर	,,	सूचना नहीं	२२.५०	२५.७५	२४.२५
३. अरण्डी						
छोटा दाना						
हैदराबादी साधारण	बम्बई	हंडरवेट	३३.२५	३०.३७	३२.२५	३१.२५
—	भागलपुर	मन	१६.००	सूचना नहीं	१६.२५	१६.५०

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	अगस्त ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०
४. तिल						
सफेद बड़ा ८५%	बम्बई	हंडरवेट	सूचना नहीं	४५.००	४७.००	४६.०[illegible]
मिश्रित (गाजर)	झांसी	मन	३४.००	२८.५०	३३.००	अप्राप[illegible]
५. तोरिया						
बड़ा दाना कानपुरी	कलकत्ता	,,	३५.५०	३०.५०	३२.००	३२.०[illegible]
सरसों औसत दर्जे का	कानपुर	,,	सूचना नहीं	३२.००	३७.६७	३५.५[illegible]
६. बिनौला						
जरीला, देशी और बड़ी औसत	अमरावती	,,	११.२६	१०.३४	१२.८६	१२.१
—	हैदराबाद	२४० पौं० का पल्ला	३१.५०	३१.६७	३५.००	३५.१
तेल						
१. मूंगफली						
खुला	बम्बई	२८ पौण्ड	१९.३७	१८.५०	२०.१२	२०.१
गुरट्टूर (टिन बन्द)	कलकत्ता	मन	६४.००	६०.००	६३.००	६५.[illegible]
२. तिल						
खुला	बम्बई	,,	सूचना नहीं	६७.२६	६८.७७	७१.७
औसत दर्जे का	मद्रास	,,	७४.०६	६६.६४	६३.३१	६१.१
३. सरसों						
औसत दर्जे का	कानपुर	,,	सूचना नहीं	७३.५०	७८.००	बाजार ब[illegible]
कच्ची घानी	दिल्ली	,,	८१.०८	६७.५०	७१.५०	७१.[illegible]
४. अलसी						
कलकत्ता मिल्स कच्चा (खुदरा) मिल पर	कलकत्ता	,,	५१.६२	५३.००	५७.००	५६.[illegible]
—	बम्बई	क्वार्टर	१४.७५	१६.१२	१८.६२	१७[illegible]
५. अरण्डी						
न० १ बढ़िया पीला (जहाज पर)	कलकत्ता	,,	८०.००	६८.००	७१.००	७२.[illegible]
औसत दर्जे का	कानपुर	,,	सूचना नहीं	५०.५०	५२.००	बाजार ब[illegible]

* जरीला और देशी के सम्बन्ध में।

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	अगस्त ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०
६. नारियल						
औसत दर्जे का	कोचीन	६५५.६ पौ०	५६०.३०	६५०.३०	६६८.८०	६७४.३
कोलम्बो बढ़िया	कलकत्ता	मन	८७.००	१२०.००	१२८.००	१३०.०
खली						
१. मूंगफली						
—	कानपुर	मन	सूचना नहीं	९.००	१०.२५	बाजार ब
—	कलकत्ता	,,	९.००	१०.५०	१२.५०	१२.०
२. अलसी						
—	बम्बई	,,	सूचना नहीं	११.३८	१२.४९	१२.४
—	कानपुर	,,	,,	११.००	१२.५०	बाजार बन
—	कलकत्ता	,,	१२.२५	११.५०	१५.५०	१४.२
३. अरण्डी						
—	बम्बई	,,	सूचना नहीं	७.७५	७.७१	७.६
—	कानपुर	,,	,,	७.३३	८.२५	बाजार बन्द
४. सरसों						
—	,,	,,	,,	११.५०	११.५०	,,
५. तिल						
—	बम्बई	,,	,,	१४.६६	१५.०४	१५.०
६. नारियल						
—	,,	१½ हण्डरवेट	१९.५०	२३.५०	२४.७५	२५.२
—	कोझीकोड	मन	११.७६	१४.६६	१३.५२	१३.५
मसाले						
१. काली मिर्च						
छंटी हुई	कोचीन	हंडरवेट	१०४.८१	१००.६३	११६.२५	११०.६
आफिस	मदरास	२५ पौंड	२५.००	२५.००	२७.००	२६.५
२. लालमिर्च						
पटना लाल नई	कलकत्ता	मन	१०५.००	६०.००	७४.००	बिक्री न
लाल	पटना	,,	८२.००	५०.००	५३.००	५८.०

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	अगस्त ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०
३. लौंग						
—	कलकत्ता	मन	३८०.००	६००.००	६२०.००	६००.००
४. हल्दी						
देशी (पुरानी)	कलकत्ता	,,	१८.००	२०.००	२१.००	भाव नहीं
. जीरा						
—	कलकत्ता	मन	९५.००	१३५.००	१६०.००	१८०.००
. इलायची						
मैसूर की	मंगलोर	,,	८२२.८६	७०५.३१	६७५.९२	६६०.६१
छोटी	कलकत्ता	सेर	२२.००	२०.००	२०.५०	२०.५०
७. सुपारी						
साबुत (देशी)	कलकत्ता	,,	१४०.००	१९०.२०	२३०.००	भाव नहीं
साफ की हुई	मंगलोर	,,	१५०.९४	१८३.६७	१९१.०१	१६६.५३
रु						
सांभर	दिल्ली	,,	२.६२	२.५०	२.५०	२.५०
ढला	बम्बई	,,	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं
गी						
डी. २८	कानपुर	,,	३३.२५	सूचना नहीं	३७.११	३५.६१
चाक्कू	मुजफ्फर नगर	,,	१५.००	१९.३७	२२.२५	२१.८७
. काजू						
देशी	मंगलोर	मन	२५.३२	२१.२०	२१.२०	२०.३०
अफ्रीकी	क्विलोन	टन	८२०.००	६८५.००	७२५.००	६७५.००
. नारियल का गोला						
औसत दर्जे का	कोचीन	६५५.६ पौ०	३४९.००	४२४.८८	४२८.८८	४४१.००
धूप में सुखाया	एलेप्पी	,,	३६५.००	४४०.००	४३५.००	४४०.००
ईं						
कों						
६० तीलियों वाली डिब्बी	रेलवे स्टेशन पर	ग्रोस	८.०५	८.०५	८.०५	८.०५

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	अगस्त ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०
रबड़						
R.M.A. IX R.S.S.	कोट्टायम	१०० पौ०	१५२.५०	१५२.५०	१५२.५०	१५२.५०
चाय						
१. आन्तरिक उपभोग (औसत बिक्री)	कलकत्ता	पौ०	१.४१	१.४०	१.८२	१.५९
२. निर्यात						
निम्न मध्यम बी०पी०	,,	,,	भाव नहीं	भाव नहीं	१.८६	१.६८
मध्यम बी० पी०	,,	,,	१.८४	,,	२.४०	१.९५
काफी						
प्लांटेशन ए०	कोयम्बतूर	हंडरवेट	२४०.५०	२४६.५०	२४०.५०	२३१.५०
रोबस्टा	,,	,,	१७७.५०	१८३.५०	१७६.५०	१७५.००
तम्बाकू						
धूम्रतापी पत्तियां ए. जी. मार्क प्रथम वर्ग	गुंटूर	पौण्ड	भाव नहीं	भाव नहीं	भाव नहीं	भाव नहीं
बीड़ी तम्बाकू	कलकत्ता	,,	२३०.००	२४०.४०	२४०.४०	२४०.४०
नसवार	मद्रास	५०० पौण्ड	६००.००	५००.००	५००.००	५००.००
फल और तरकारियां						
१. आलू						
देशी मध्यम आकार का	फरुखाबाद	मन	सूचना नहीं	सूचना नहीं	भाव नहीं	१२.००
सफेद	पटना	,,	१५.००	६.५०	१०.००	१०.००
२. प्याज						
सूखी	दिल्ली	मन	९.५०	४.४५	५.५०	५.५०
३. केले						
सावरी	कलकत्ता	१०० संख्या	९.००	सूचना नहीं	९.००	१०.००
खानदेश पहले दर्जे का	बम्बई	१००० ,,	२५.००	७.००	८.५०	८.००
रुई और सूत						
१. कच्ची रुई (भारतीय)						
सूरती एम-जी. बढ़िया ७/८ इंच	बम्बई	७८४ पौं० की कैण्डी	भाव नहीं	९९५.००	१००२.००	९९५.००

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव । १९५८

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	अगस्त ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०
विजय एम-जी. बढ़िया १३/१६ इंच	,,	,,	,,	९११.००	९०२.००	८८५.००
जरीला एम-जी. बढ़िया २५/३२ इंच	,,	,,	,,	७४५.००	७४२.००	७२०.००
एम-जी. उमरा स्पाट	अमरावती	३९२ पौंड	,,	२८०.००	अप्राप्त	अप्राप्त
बंगाल एम-जी. बढ़िया	बम्बई	७८४ पौंड	,,	५९०.००	६१५.००	६४०.००
२. रुई आयातित						
मिस्री गिजा ३० टी. २०७	,,	,,	१०९९.००	१६८९.००	१६१०.००	१६५१.००
अशमौनी टी. ३	,,	,,	भाव नहीं	१४९०.००	१४५०.००	१४६१.००
पाकिस्तान पी./ए. २८६ एफ. आर. जी.	कलकत्ता	,,	११६४.००	१२००.००	११८४.००	११८९.००
३. सूत (कोरा भारतीय)						
१० नम्बर	कलकत्ता	५ पौंड	७.४१	६.७८	६.६६	६.६६
१६ ,,	बम्बई	पौण्ड	१.६८	१.५३	१.५३	१.५४
२० ,,	,,	,,	१.७८	१.६२	१.६२	१.६१
४० ,,	मदरास	१० पौंड	सूचना नहीं	२४.८३	२६.२५	२४.८०
सूती माल (मिल का बना)						
१. लट्ठा						
कोरा हिन्दुस्तान मिल्स ३-सितार ६५००— ४३"×३८ गज	बम्बई	गज	०.९०	०.९०	०.९०	०.८७
कोरा इन्दू—५१०३८ ४३"/४४"×३८ गज	,,	,,	०.७५	०.७१	०.७३	०.७२
२. शर्टिंङ्ग						
एफ-एस १०५ ए० रंगीन क्रेप ३०/३१"	मदरास	,,	१.१८	१.२०	१.२०	१.१८
बम्बई रंगाई का कोरा स्टैण्डर्ड शर्टिंङ्ग ३५"×३८ गज	बम्बई	पौ०	२.६४	२.४२	—	२.२१
३. चादरें कोरे						
मैसूर स्पिनिंग २६०, दो चिड़िया ६०"×५ गज	,,	जोड़ा	६.०६	६.०२	६.२१	५.९०

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	अगस्त ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०
४. धोतियां कोरी						
इन्दू ६२४३ चक्कर ४४"×१०/२ गज	,,	,,	७.७२	७.७८	७.९०	७.६६
क्राउन मिल्स—सम्राट ४४"×१० गज	,,	,,	८.७३	भाव नहीं	भाव नहीं	१०.४३†
५. साड़ियां कोरी						
बी. आर. काटन मिल्स मालिनी (२" किनारी) ४४"×१०/२ गज	,,	,,	८.१३	८.१६	७.६४	७.६३
कमला—२४१२ बिच्छू छाप (२" एफ. बी.) ३६"×१२/२ गज	,,	,,	७.८३	७.५१	७.३०	६.७८
६. ड्रिल ब्लीच्ड						
कोहिनूर—१६३७ २७½"×४२ गज	बम्बई	गज	१.३३	१.०६	१.०६	१.०५
डब्ल्यू० बी० ११ सफेद ड्रिल २८/२६"	मदरास	,,	१.३५	१.३४	१.३४	१.३३
हथकरघे द्वारा निर्मित						
चौड़ाई २७" सूत न. ८-१०	सेवाग्राम (वर्धा)	,,	१.१२	१.१२	१.१२	१.१२
चौ० ३६" सूत न. १२-१४	,,	,,	१.५६	१.५६	१.५६	१.५६
लुंगियां ६० एस×४० एस ४४" चौड़ाई	मद्रास	,,	सूचना नहीं	१.९०	१.६३	—
सादा गद्दा २० एस ५०" चौ०	,,	,,	,,	७४.०५	७६.०५	०.७६
जूट सुतली और बारदाना						
१. कच्चा जूट						
पाक० जाट बौटम्स	,,	मन	३३.००	२९.००	२६.००	२६.५०
फस्र्ट्स (मिल पर)	,,	४०० पौंड की गांठ	२२०.००	२२०.००	२२०.००	२१५.००
डंडी देसी २/३	,,	,,	१९०.००	१७५.००	१८०.००	१८५.००
२. टाट						
७½ औंस×४०"	,,	१०० गज	३१.९५	२६.००	३१.८०	३२.३५
१० औंस×४०"	,,	,,	४१.५५	४०.००	४२.९५	४३.३०

† क्राउन मिल्स—सम्राट के स्थान पर स्वदेशी मिल्स ४४ जी० डी० २०, ४४ इंच×१० गज रु० १०.०८=१३४.३ (सूचक अंक ९-८-५८ लागू।

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	अगस्त ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०
३. बोरियां						
बी० ट्विल्स २½ पौं० (४४"×२६½" ८"×६")	,,	१०० बोरियां	११२.६०	९७.००	९९.५०	१००.००
सी० भारी २½ पौं० (४०"×२८")	,,	,,	११३.५०	९७.२५	१०.०००	१०१.००
ए० ट्विल्स २¼ पौं० (४"×२६½")	,,	,,	१३८.५०	११७.२५	११९.५०	१२०.२५
रेशम और रेयन						
१. कच्चा रेशम						
२४०० ताना (खामरू)	मालदा	८० तोले का सेर	६८.००	सूचना नहीं	८०.००	८२.००
चरखा बढ़िया किस्म	बंगलौर	१६ तो० का पौं०	२६.००	२५.८७	२६.७५	२७.००
बंगलौरी	बनारस	पौं०	२३.००	—	२२.००	२२.५०
२. रेयन का धागा (गुच्छिया)						
१२० चमकीला एन आर.सी. (भारतीय)	,,	,,	३.९४	६.६९	अप्राप्त	अप्राप्त
३. रेशम और रेयन का माल						
साटिन मिक्स फ्लावर एन० एस० ३२"—२१११	बम्बई	गज	१.८९	२.००	२.०६	२.०१
जार्जेट सादा ४२"—४४" विनिन—२१२१	,,	,,	१.८१	१.९४	२.००	२.००
टफेटा कोरो २६" बढ़िया किस्म	,,	,,	०.९४	०.७०	०.८०	०.८०
साटिन सादा ३१–३२" नेशनल—२५०१	,,	,,	१.६२	१.७५	१.८४	१.८४
स्लिट साटिन फ्लावर २६" (न्यू महालक्ष्मी)	,,	,,	१.३७	१.४१	१.४४	१.४७
ऊन और ऊनी माल						
१. कच्चा ऊन						
जोड़िया सफेद बढ़िया	बम्बई (रेल पर)	मन	२८२.४४	२१६.००	२४१.७१	२४७.००
तिब्बती	कालिम्पोंग	,,	१७७.५०	१७७.५०	१७७.५०	१७७.५०
मध्यम चकला सफेद	ब्यावर	,,	सूचना नहीं	१४५.००	१५०.००	सूचना नहीं
२. निर्मित माल						
आर/६३० लक्ष्मी लोई (९०"×४६"×१८ औं.)	बम्बई	प्रति नग	११.८६	११.८१	११.८१	११.३६
(३२ औं० १०८"×५४")	,,	,,	२१.७३	२१.६६	२१.६६	२१.००

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	अगस्त ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०
आर/७०१ अलवान						
२५३ औं. १०२"×५४"	बम्बई	प्रति नग	२८.७७	३०.१२	३०.१२	३१.४५
आर/१२६० शर्टिङ्ग ५२"	,,	गज	७.६५	७.६३	७.६३	८.७५
ब्लेजर-फलालेन डी० सी०						
६५—५६"/५७" चौड़ी	कानपुर	,,	१४.११	१५.६०	१५.६०	१५.६०
स्वेटर—'लाल-इमली'						
सफेद 'एम' साइज	,,	प्रति नग	१४.७५	१४.७५	१४.७५	१५.२५
हिमालय कम्बल ८'×४३'	,,	,,	४६.८१	४५.००	४५.००	४५.००
वर्स्टेड—धारीवाल	धारीवाल	गज	१६.६५	२१.७२	२१.७२	२१.७२
ट्वीड धारीवाल	,,	,,	७.७३	७.२५	७.२५	७.२५
बुनाई की ऊन धारीवाल	,,	पौं०	११.५०	११.७५	११.७५	११.७५
बुनाई का अन्य माल						
१. कच्चा सन						
बनारसी सन खुला	कलकत्ता	मन	२३.००	२३.००	२३.००	२३.००
बंगाली सन गांठें	,,	४०० पौण्ड	पूर्ति नहीं	१८५.००	१७५.००	१७५.००
२. नारियल की रस्सी						
असली अलापट	कोचीन	६ हंडरवेट की कैंडी	२६७.५०	२४६.१७	२५०.००	२४५.००
अरेटरी बढ़िया	एलैप्पी	,,	२३५.००	२३५.००	२३०.००	२३०.००
चमड़ा और खालें						
१. कच्चा चमड़ा						
नमक लगा गीला गाय का	कलकत्ता	२० पौंड	१५.००	१६.००	१८.००	१५.००
नमक लगा गीला गाय का (उत्तरी भारत)	कानपुर	कोड़ी	२३०.००	२५०.००	२३५.००	२३५.००
नमक लगा गीला भैंस का	कलकत्ता	२० पौंड	८.००	१४.००	१२.००	११.००
नमक लगा गीला भैंस का (उत्तरी भारत)	कानपुर	,,	११.७२	१२.६५	१२.५०	१०.५०
२. कच्ची खालें						
बकरी की, औसत किस्म	कलकत्ता	१०० खालें	३५०.००	३५०.००	३५०.००	३१०.००
बकरी की सूखी	दिल्ली	,,	२८३.३३	२६१.६७	२६१.६७	२५०.००
३. कमाया हुआ चमड़ा						
भैंस का नं० १ (बड़ा)	कानपुर	पौं०	२.१६	२.१६	२.१६	२.१६
भैंस का नं० १ (मझोला)	,,	,,	२.१६	२.१६	२.१६	२.१६
भैंस का नं० १ (छोटा)	,,	,,	२.०६	२.०६	२.०६	२.०६

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	अगस्त ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०
क्रोम से कमाया गाय का	,,	वर्ग फीट	२.१२	२.१२	२.१२	२.१२
धनस्पतियों से कमाया हुआ गाय का	,,	पौं०	४.००	४.००	४.००	४.००
भेड़ की खालें	मदरास	,,	६.६३	६.३०	६.३०	६.१५
बकरी की खालें	,,	,,	६.४४	६.२०	६.२०	६.१०
वन्य उत्पादन						
१. लाख						
चपड़ा शुद्ध टी० एन०	कलकत्ता	मन	८५.००	६५.५०	६५.००	६५.००
बटन शुद्ध	,,	,,	९५.००	८२०.००	८०.००	८२.००
कच्ची लाख वैशाखी	बलरामपुर	सेर	१.१९	सूचना नहीं	सूचना नहीं	.९४
दाना लाख मानभूमि	कलकत्ता	मन	८७.००	सूचना नहीं	६८.००	७०.००
२. लट्ठे और इमारती लकड़ी						
सी. पी. सागवान, ५ फुट और अधिक के गोल लट्ठे	बल्लारशाह	घनफुट	१४.२५	१४.२५	१४.२५	१४.२५
साल (इमारती)	बरेली	,,	७.८१	७.८१	७.८१	७.८१
३. चमड़ा कमाने का सामान						
हरड़ बड़ेड़ा न. १ खुदरा	कलकत्ता	म०	१०.००	भाव नहीं	भाव नहीं	६.५०
अवारम की छाल	मदरास	,,	१०१.००	९९.००	९२.५०	८५.५०
खनिज पदार्थ						
१. खनिज लोहा (६०%)	कलकत्ता जहाज पर	टन	४७.५०	४०.००	४०.००	४०.००
२. अभ्रक						
न० ६ सी. एस. खण्ड	,,	पौ०	९.००	९.००	९.००	९.००
न० ६ प्र. व. खुली परतें	,,	,,	१.२५	१.२५	१.२५	१.२५
३. खनिज मैंगनीज ४९.२५ म.श.	विशाखापत्तनम्	टन	२४०.७७	भाव नहीं	२३८.९५	भाव नहीं
लोहा और इस्पात						
१. कच्चा लोहा*						
फाउंड्री न० १	कलकत्ता (रेल पर)	टन	२२५.००	२२५.००	२२५.००	२२५.००
लोहा बेसिक	,,	,,	२०९.००	२०९.००	२०९.००	२०९.००
२. अर्ध शुद्ध						
पुनः गलाने के लिए टुकड़े	कलकत्ता	,,	४७७.००	४७७.००	४७७.००	४७७.००

* निर्धारित मूल्य ।

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १६५८

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	अगस्त ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०
३. निर्मित माल						
पनाली दार चादरें २४ गेज	,,	हंडरवेट	४३.२५	४३.२५	४३.२५	४३.२५
नरम इस्पात की चादरें ३/८ इंच और ऊपर, अपरीक्षित	,,	,,	३५.७५	३५.७५	३५.७५	३५.७५
इस्पात की छड़ें और सलाखें गोल और चौकोर ३ इंच से कम और चपटी तथा ५ इंच चौड़ी—परीक्षित	,,	,,	३४.००	३४.००	३४.००	३४.००
टान की चादरें आकार २०×१४, शीटेल ११२ ई०, १०८ पौं० ३० गेज	,,	बक्स	५३.५७	५८.६२	५८.६२	५८.६२
आकार २०×१४ शीटेल ११२ ई०, ७० पी. ३४ गेज	,,	,,	४३.६७	४८.१८	४८.१८	४८.१८
गोल पट्टे १"×१८"	,,	हंडरवेट	४०.५०	४०.५०	४०.५०	४०.५०
वर्टीकली ढले लोहे के एस. एण्ड एस. पाइप्स	कुलटी	,,	२३.६२	२३.८६	२३.८५	२३.८५
काली चादरें १०/१४ गेज परीक्षित	कलकत्ता	टन	६७५.००	६७५.००	६७५.००	६७५.००
भारी पटरियां ३० पौंड और अधिक	,,	,,	६३०.००	६३०.००	६३०.००	६३०.००
अन्य धातुएं						
१. अलूमीनियम						
गोल टुकड़े (भारतीय)	,,	,,	१.६४	२.०६	२.०६	२.०६
देगचियां ५ ई. से १० ई.	कलकत्ता	,,	३.७५	३.७५	३.७५	३.७५
२. जस्ता स्पेल्टर						
वैद्युत (पिण्ड)	बम्बई	हंडरवेट	७४.००	६०.००	७३.००	६८.००
वैद्युत (मुलायम)	कलकत्ता	,,	७५.००	५८.००	६६.००	६७.००
३. पीतल						
पीली चादरें (४'×४')	,,	,,	—	१७४.००	१७६.५०	१८४.००
पीतल की चादरें (गिलेएडर्स)	बम्बई	,,	१७८.००	१६३.००	१७८.००	१६३.००
४. तांबा						
वैद्युत (पिण्ड)	,,	,,	१७४.००	भाव नहीं	भाव नहीं	भाव नहीं
चादरें (४'×४')	मदरास	५०० पौ०	१२७२.००	भण्डार नहीं	भण्डार नहीं	भण्डार नहीं

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	अगस्त ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०
५. टिन						
विशुद्ध (पेनांग)	कलकत्ता	हंडरवेट	५५५.००	५१७.००	५७२.००	५७०.००
६. सीसा						
कच्चा बी० एम० (शुद्ध)	"	"	७४.००	६१.००	६८.००	६९.००
कोयला (न)						
चुनाहुआ भैरिया (कोकिंग) (वर्ग प. और बी का औसत)	खान की साइडिंग पर	टन	२०.६२	२१.३७	२१.३७	२१.३७
रानीगंज (काजोरा वर्ग अ.)	"	"	१९.०६	१९.८१	१९.८१	१९.८१
मध्यप्रदेश (प्रथम श्रेणी)	"	"	२२.६९	२३.४४	२३.४४	२३.४४
खनिज तेल						
मिट्टी का तेल बढ़िया थोक	कलकत्ता	८ इम्पीरियल गैलन	९.६८	९.६८	९.६८	९.६८
राइजिंग सन बढ़िया थोक	बम्बई	"	९.५९	९.५९	९.५९	९.५९
रसायनिक पदार्थ और रंग						
कास्टिक सोडा ठली ९८/९९ प्र० श०	कलकत्ता	हंडरवेट	३६.००	३६.००	३६.००	३६.००
सोडियम कार्बोनेट ९९ प्र.श.	"	"	१९.५०	१९.५०	१९.५०	१९.५०
फिटकरी (फेरिक)	"	"	१८.००	२१.००	२१.५०	२४.००
गंधक का तेजाब व्यापारिक एस.जी. १.७४० (भण्डारघर)	"					
नाइट्रिक एसिड व्यापारिक १.४०० एस० जी०	कलकत्ता	पौ०	०.७२	०.७२	०.७२	०.७२
हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्यापारिक १.४५ से १.५० एस. जी.	"	"	०.१९	०.१९	०.१९	०.१९
ब्लीचिंग पाउडर	पत्तन में रेल पर	हंडरवेट	४१.३६	३७.३०	५७.३०	३६.८०
नेफथलीन (बंगाल केमीकल)	कलकत्ता	"	७८.००	७८.००	७८.००	७८.००
नेफथलीन नारंगी जी० एस०	बम्बई	"	२.९५	२.०५	२.९५	२.९५
नील ६० प्र० श० दाना	"	"	६.२०	६.२०	६.२०	६.२०
लाल सीसा सूखा असली	कलकत्ता	"	१०२.००	९२.००	९२.००	९२.००
पाम ड्री कोपल वार्निश (५ गैलन का ड्रम)	"	गैलन (ओ० एम०)	८.००	८.००	८.५०	८.५०
नेवी लाल वार्निश (५ गैलन का ड्रम)	"	"	२८.२५	२८.२५	२८.२५	२८.२५
अमोनियम सल्फेट (डी) (उर्वरक)	गन्तव्य स्थान रेल पर	टन	३५०.००	३५०.००	३५०.००	३५०.००

(न) नियन्त्रित भाव।

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	अगस्त ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०
रबर के टायर और ट्यूब						
डनलप मोटर ट्यूब्स ५.२५—१६	कलकत्ता	प्रत्येक	१०.०६	१०.०६	१०.०६	१०.०६
डनलप साइकिल कवर्स २८×१½ डबल्यू० ओ०	,,	,,	३.६३	३.६३	३.६३	३.६३
कागज						
सफेद छपाई का, डिमाई आकार १४ पौ. और ऊपर	कलकत्ता	पौंड	०.८०	८३.५ न. पै०	८३.५ न. पै०	८३.५ न.पै.
पैकिंग और रैपिंग क्राफ्ट पेपर-स्वीडन	बम्बई	,,	१.१६	१.३७	—	—
सीमेन्ट						
भारतीय (स्वस्तिका) एफ. डबल्यू. एल. १६½ से २८ टन (ए. सी. सी. की दरें)	कलकत्ता	टन	११७.५०	११७.५०	११७.५०	११७.५०
चीनी के बर्तन						
प्याले और तश्तरियां ६ से १० औं. बी-एफ	ग्वालियर	प्रति नग	०.६५	६.६५	०.६५	०.६५
कांच का सामान						
खिड़कियों के शीशे बड़ा आकार ३०"×२४"	कलकत्ता	१०० घनफुट	४५.००	३७.००	३७.००	३७.००
गिलास ½ पिन्ट मजबूत पुराना नमूना	ओगेल वाड़ी	गौस	३४.५०	३७.००	३७.००	३७.००
चूड़ियां रेशमी लाल पीली आकार नं० २	फीरोजाबाद	दो गुरुस का तोड़ा	१.५०	१.३७	१.५६	१.५६
चूना						
बिना बुझा हुआ (वर्ग १ और २ का औसत)	सतना	१०० मन	१४७.५०	१४७.५०	१४७.५०	१४७.५०

व्यापारिक और औद्योगिक शब्दावली

प्रस्तुत अंक में व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों के जिन विशिष्ट शब्दों का प्रयोग हुआ है उन्हें तथा उनके अंग्रेजी रूपों को पाठकों की सुविधा के लिये यहां दिया जाता है। ये केवल सुविधा की दृष्टि से दिये गये हैं। प्रामाणिकता की दृष्टि से इन्हें अन्तिम नहीं मान लेना चाहिये। —सम्पादक।

हिन्दी शब्द	*अंग्रेजी रूप*	*हिन्दी शब्द*	*अंग्रेजी रूप*
अनवरत यत्न	Sustained Efforts	पैक करने का सामान	Packing Material
अन्तर्निहित	Inherent	पैनी दृष्टि	Acumen
अभिन्न अंग	Integral part	प्रचुर	Abundant
अशुद्धियां	Impurities	प्रतिबंधित अर्थ-व्यवस्था	Restricted Economy
असंतुलन	Imbalance	प्रविधि	Technique
असाधारण	Abnormal	प्रसंगवश	Incidently
आंतरिक आकांक्षाएं	Inner Urges	बड़े पैमाने पर उत्पादन	Mass Production
इस्पात पिण्ड	Steel Ingots	बिक्री योग्य	Saleable
इस्पात संयंत्र	Steel Plant	भाड़ा	Freight
उद्यमकर्त्ता	Entrepreneur	भेद मूलक संरक्षण	Discriminating Protection
उपार्जक	Earner	मर्यादाएं	Limitations
उर्वरक संयंत्र	Fertiliser Plant	मशीनें बनाने वाली मशीनें	Producer goods
औद्योगिक नीति प्रस्ताव	Industrial Policy Resolution	मिश्रित अर्थ-व्यवस्था	Mixed Economy
कच्चा इस्पात	Crude Steel	मूल उद्योग	Key Industries
कलाबत्तू	Imitation Gold Thread	मूल्य-स्तर	Price Level
कागज की लुग्दी	Papier Mache	योजना बद्ध	Planned
काट छांट करना	Pruning	रजत जयन्ती	Silver Jubilee
कीट नाशक पदार्थ	Insecticide	राष्ट्रीय आय	National Income
गतिशीलता	Dynamism	विकास व्यय	Developmental Expenditure
गतिहीनता	Stagnation	विकीर्ण	Scattered
चिकनी मिट्टी	Marl	विदेशी पूंजी	Foreign Capital
चुनना	Plucking	विदेशी वित्त	External Finance
ढुलाई	Cartage	विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration
तलछट	Slag	व्यापारिक फसलें	Commercial Crops
तेलशोधक कारखाना	Refinery	शक्ति चालित	Power propelled
दबाव	Strain	शानदार	Impressive
दूरदर्शी औद्योगिक	Far-sighted Industrialist	समग्रता	Cumulativeness
धौंकनी संयंत्र	Blower Plant	सम्मिलित प्रयास	Combined efforts
नमूने के आर्डर	Sample Orders	सहायक संयंत्र	Ancillary Plants
निर्बाध उद्योग	Free Enterprise	सींग की बनी चीजें	Horn Articles
पच्चीकारी	Inlaying	सुगन्ध	Aroma
पटरियां	Rails	सूखा	Draught
पट्टेदार	Lessee	सोद्देश्य	Purposeful
परिकल्पित	Envisaged	स्वदेशी वित्त	Internal finance.
पर्यटन	Tourism		

भारतीय डाक-तार विभाग का

सचित्र मासिक पत्र

'डाकतार'

१. हिन्दी और अंग्रेजी में सचित्र लेखों, कविताओं का अपूर्व समन्वय।

२. डाक-तार से सम्बन्धित सभी विषयों पर विचारपूर्ण लेख।

३. डाक-तार विभाग के प्रयोगात्मक कार्यों, बहुमुखी प्रवृत्तियों, कार्यवाहक सेवाओं की जानकारी।

४. डाक-तार विभाग के वभिन्न केन्द्रों में कहाँ किस प्रकार क्या कुछ हो रहा है, इसकी जानकारी।

५. जनता को बेहतर सेवाएं देने की डाक-तार विभाग की योजनाएँ क्या हैं और किस तरह उन पर अमल हो रहा है, इसकी सूचना।

६. डाक-तार की दुनियाँ से सम्बन्धित लेख, कविताएँ, कहानियाँ, रेखा-चित्र, हर तरह की विभागीय सूचनाएँ।

७. डाक-तार विभाग के महानिदेशक के समय-समय पर प्रसारित किए गए आदेश-निर्देश का पूरा विवरण आदि 'डाकतार' में मिलेगा।

वार्षिक मूल्य छः रुपये : एक प्रति का मूल्य आठ आने।

'डाकतार' की प्रतियां भारत के सभी मुख्य डाक-घरों में मिल सकती हैं।

विशेष जानकारी के लिए लिखें :—

सम्पादक—'डाकतार'

डाक-तार के महानिदेशक का कार्यालय

चर्च रोड, नई दिल्ली

परिशिष्ट—१

विदेशों में भारत सरकार के व्यापार-प्रतिनिधि

नाम और पता	कार्य-क्षेत्र
यूरोप	
(१) लन्दन	
श्री टी॰ स्वामीनाथन, आई॰ सी॰ एस॰, ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर के मन्त्री (आर्थिक) 'इण्डियाहाउस', आल्डविच, लन्दन, डब्ल्यू॰ सी॰ २। तार का पता :—हिकोमिण्ड (HICOMIND) लन्दन।	ब्रिटेन और आयर
(२) पेरिस	
श्री एच॰ के॰ कोचर, भारतीय दूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), १५, रियू अलफ्रेड, डेहोडेनिक, पेरिस १६ एमे (फ्रांस)। तार का पताः—इण्डाट्रेकम (INDATRACOM), पेरिस।	फ्रांस
(३) रोम	
श्री पी॰ एन॰ मेनन, आई॰ एफ॰ एस॰, भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी, (व्यापारिक) वाया फ्रेन्सेस्को, डेन्ज, ३६, रोम (इटली)। तार का पताः—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), रोम।	इटली, यूनान
(४) बोन	
डा॰ एस॰ पी॰ छबलानी, जर्मनी में भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), २६२ कोब्लेन्जर स्ट्रासे, बोन (प॰ जर्मनी)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), बोन।	जर्मनी
(५) हम्बर्ग	
श्री एस॰ बी॰ पटेल, आई॰ एफ॰ एस॰ भारतीय कोंसल-जनरल ६०८/५ श्रिनकेनाफ, हम्बर्ग—१ (प॰ जर्मनी) तार का पता :—इण्डिया (INDIA) हम्बर्ग।	हम्बर्ग, ब्रमेन और श्लेसिंग हालस्टीन
(६) ब्रसेल्स	
श्री एच॰ सी॰ हाग, बेलजियम में भारतीय राजदूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), ५८५, अवेन्यू लौजि, ब्रसेल्स (बेलजियम)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) ब्रसेल्स।	बेलजियम
(७) श्री एच॰ एस॰ गोपाल राव, वाइस कन्सलेट, ४३, हिन्डेयरस्ट्राट, एन्टवर्प तार का पताः—कनसिन्डिया (CONSINDIA) एन्टवर्प।	
(८) बर्न	
श्री एम॰ सी॰ देव, आई॰ ए॰ एस॰, भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), बर्न (स्वीजरलैण्ड)। तार का पताः—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) बर्न।	स्वीजरलैण्ड
(९) स्टाकहोम	
श्री के॰ सी॰ सद्गन, भारतीय राजदूतावास के सेकेन्ड सेक्रेटरी, व्यापारिक स्ट्रण्डवेजेन ४७-४, स्टाकहोम (स्वीडन)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), स्टाकहोम।	स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क
(१०) प्रेग	
श्री सी॰ शिवराव, चेकोस्लोवाकिया में भारतीय दूतावास के सेकेण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), २२, मुनोवास्का, प्रेग—३। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) प्रेग।	चेकोस्लोवाकिया
(११) मास्को	
श्री पी॰ वैशनायन, रूस में भारतीय दूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), नं॰ ६ और ८, यूलित्सा ओबूखा, मास्को। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) मास्को।	रूस

नाम और पता	कार्य-क्षेत्र
(१२) बेलग्रेड भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक) बेलग्रेड (यूगोस्लाविया) तार का पताः—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) बेलग्रेड।	यूगोस्लाविया, बल्गेरिया और रूमानिया
(१३) वारसा भारतीय राजदूतावास के सेकेण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक) वारसा (पोलैण्ड)।	पोलैण्ड
अमेरिका	
(१४) ओटावा श्री एम० के० राय, कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), २००, मेकलेरन स्ट्रीट, ओटावा, ओन्टोरियो (कनाडा)। तार का पताः—हिकोमिण्ड (HICOMIND) ओटावा।	कनाडा
(१५) वाशिंगटन श्री एस० वी० रामचन्द्रन, आई०एफ०एस०, भारतीय दूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), २१०७, मैसेचुसेट्स एवेन्यू, एन० डब्ल्यू० वाशिंगटन—८ डी० सी० (संयुक्त राज्य अमेरिका)। तार का पता :— इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) वाशिंगटन।	संयुक्तराज्य अमेरिका और मैक्सिको
(१६) सेन्टीआगो श्री पी० टी० वी० मेनन, भारतीय राजदूतावास के सेकेण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक)। सेन्टीआगो (चिली)। तार का पताः—इण्डम्बेसी (INDEMBASSY) चिली।	चिली
अफ्रीका	
(१७) मोम्बासा श्री एफ० एम० दे मैलो कामत, आई० एफ० एस०, भारत सरकार के व्यापार कमिश्नर, ब्रुवली इन्श्योरेन्स बिल्डिंग, पो० बा० नं० ६१४, मोम्बासा (केनिया)। तार का पता :—इण्डोकम (INDOCOM), मोम्बासा (केनिया)।	पूर्वी अफरीका, केनिया, उगाण्डा टांगानीका और जन्जीबार, दक्षिणी रोडेशिया, उत्तरी रोडेशिया और न्यासालैण्ड
(१८) काहिरा श्री के० आर० एफ० खिलनानी, आई० एफ० एस०, मिस्र में भारतीय दूतावास के कौंसलर (व्यापारिक) सुलीमान पाशा स्ट्रीट, काहिरा (मिस्र)। तार का पताः—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY)। काहिरा।	मिस्र, लेबनान, साइप्रस और लीबिया
(१९) खारतूम श्री एम० आर० थडानी, आई० एफ० एस०, भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), खारतूम (सूडान)।	सूडान
आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड	
(२०) सिडनी श्री एच०एल०सुजान, भारत सरकार के व्यापार कमिश्नर, काल्टर हाउस, १०वीं मंजिल, १६७—१८७ केन्ट स्ट्रीट, सिडनी (आस्ट्रेलिया)। तार का पताः—आस्ट्रेण्ड (AUSTRAIND) सिडनी।	आस्ट्रेलिया और उसके समुद्र-पारीय प्रदेश जिनमें नौरफोक तथा नौरू भी शामिल हैं
(२१) वेलिंगटन श्री एस० के० चौधरी, आई० एफ० एस०, न्यूजीलैण्ड में भारत के हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), विंगजर बिल्डिंग, ४६, विलिस स्ट्रीट, वेलिंगटन, (न्यूजीलैण्ड)। तार का पता :—ट्रेकोमिण्ड (TRACOMIND) वेलिंगटन न्यूजीलैण्ड।	न्यूजीलैण्ड

नाम और पता	कार्यक्षेत्र
एशिया	
(२२) टोकियो श्री डी० हेमवती, आई० एफ० एस०, जापान में भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), एम्पायर हाउस (नाइगई बिल्डिंग), मारुनौची, टोकियो (जापान)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), टोकियो।	जापान
(२३) कोलम्बो श्री वी०सी० विजय राघवन, आई० एफ० एस०, लंका में भारत के हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), गफूर बिल्डिंग, पो०ओ० बा० नं० ४७, फोर्ट, कोलम्बो (लंका)। तार का पता:—ट्रेडिण्ड (TRADIND) कोलम्बो।	लंका
(२४) रंगून श्री एन० केशवन, भारत के राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), इनडेरिया बिल्डिंग, फायरे स्ट्रीट, पो०बा० नं० ७५१, रंगून (बर्मा)। तार का पता:—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), रंगून।	बर्मा
(२५) कराची श्री एन० के० निगम, पाकिस्तान में भारत के हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), चारटर्ड बैंक चेम्बर्स, "वलीका महल," एन० जे० सेठा रोड, न्यू टाउन, कराची-५ (पश्चिम पाकिस्तान) तार का पता:—इण्ट्राकम (INTRACOM), कराची।	पाकिस्तान
(२६) ढाका श्री बी०एम० घोष, पाकिस्तान में भारत के हाई कमीशन के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), ३, रामकृष्ण मिशन रोड, ढाका (पूर्वी पाकिस्तान)। तार का पता:—"गुडविल" (GOODWILL), ढाका।	पूर्वी पाकिस्तान
(२७) सिंगापुर श्री ए० के० दर, आई० एफ० एस०, मलाया में भारत सरकार के कमिश्नर के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), इण्डिया हाउस, ३१—ग्राग रोड, पो० बा० नं० ८३६, सिंगापुर (मलाया)। तार का पता :—रिपोइण्डिया (REPINDIA), सिंगापुर।	मलाया और सिंगापुर
(२८) बैंकाक श्री एन० पी० जैन, आई० एफ० एस०, भारतीय राजदूतावास के थर्ड सेक्रेटरी, १७, प्याथाई रोड, बैंकाक (थाइलैण्ड) तार का पता:—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), बैंकाक।	थाइलैण्ड
(२९) मनीला व्यापारिक विभाग, भारतीय लीगेशन, ६१४-नेबरास्का, मनीला (फिलिपाइन)। तार का पता :—इण्डलीगेशन (INDLEGATION), मनीला।	फिलिपाइन मनीला में भारतीय लीगेशन के मन्त्री के अधीन
(३०) जकार्ता श्री बी० आर० अभयंकर, भारतीय राजदूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक) पो० बा० १७८, ४४, लेचन सिरीह, जकार्ता (इण्डोनेशिया)। तार का पता:—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), जकार्ता।	इण्डोनेशिया
(३१) अदन श्री जगत सिंह, अदन में भारत सरकार के कमिश्नर, अदन। तार का पता :—कोमिण्ड (COMIND), अदन।	अदन, ब्रिटिश सोमालीलैण्ड और इटैलियन सोमालीलैण्ड
(३२) तेहरान श्री आर० अगरवाला, भारतीय राजदूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), अवेन्यू शाह रजा, तेहरान (ईरान)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), तेहरान।	ईरान
(३३) बगदाद श्री एस० वरगीज, भारतीय राजदूतावास के सैकिण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), ८/८ सफि-उल-दीन-एल हिली स्ट्रीट, वजीरिया, बगदाद (ईराक)। तार का पता:—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), बगदाद।	ईराक, जोर्डन, फारस की खाड़ी कुवैत, बहरीन शेखडम्स धारकी क्वार्टर और ट्रूशियल अमान।

नाम और पता	कार्यक्षेत्र
(३४) हांगकांग श्री टी० वी० गोपालपति, भारत सरकार के कमिश्नर के सैकिण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक) टावर कोर्ट, ११वीं मंजिल, हिस्यान एवेन्यू, हांगकांग । तार का पता :—कोमइंड (COMIND) हांगकांग ।	हांगकांग
(३५) पेकिंग श्री पी० दास गुप्ता, चीन में भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक) ३२, तुंग च्याओमिन, स्यांग, पेकिंग (चीन) । तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), पेकिंग ।	चीन
(३६) कम्बोडिया श्री डी० जे० सैन गुप्ता, भारतीय राजदूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी, फ्नोम पेन्ह । तार का पता:—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) फ्नोम पेन्ह ।	कम्बोडिया

सूचना :—(१) तिब्बत में निम्नलिखित अधिकारी भारत के व्यापारिक हितों का ध्यान रखते हैं :—

१. गंगटोक, सिक्कम में भारतीय पोलिटिकल अफसर के व्यापारिक सेक्रेटरी ।

२. भारत के व्यापार एजेण्ट, यातुङ्ग (तिब्बत) ।

(२) जिन देशों में अलग व्यापार-प्रतिनिधि नहीं हैं, उनमें भारतीय राजदूत और कन्सलर अफसर भारत के व्यापारिक हितों का ध्यान रखते हैं ।

भारत में विदेशी सरकारों के व्यापार-प्रतिनिधि

देश	पद	पता
१. अफ़गानिस्तान	भारत में शाही अफगान राजदूतावास के आर्थिक एटेची।	२४, रेटण्डन रोड, नयी दिल्ली।
२. अमेरिका	(१) भारत में अमेरिकन राजदूतावास के आर्थिक मामलों के कौंसिलर।	बहावलपुर हाउस, सिकन्दरा रोड, नयी दिल्ली।
	(२) भारत में अमेरिका के कौंसल जनरल।	५/१, हैरिंगटन स्ट्रीट, कलकत्ता-१६।
	(३) भारत में अमेरिका के कौंसल जनरल।	कन्सट्रक्शन हाउस, निकल रोड, बैलार्ड इस्टेट, बम्बई-१।
	(४) भारत में अमेरिका के कौंसल जनरल।	१५०-बी०, माउंट रोड, मद्रास-२।
३. आस्ट्रिया	भारत में आस्ट्रिया के व्यापार प्रतिनिधि।	क्वीन्स मेनशन्ज, बेस्टियन रोड, फोर्ट, पो० बा० नं० ११८५, बम्बई।
४. आस्ट्रेलिया	(१) भारत में आस्ट्रेलिया सरकार के व्यापार कमिश्नर।	मर्कैंटाइल बैंक बिल्डिंग, ५२/६०, महात्मा गांधी रोड, जनरल पो० आ० बा० नं० २१७, बम्बई।
	(२) भारत में आस्ट्रेलिया सरकार के व्यापार कमिश्नर।	२, फेअरली प्लेस, कलकत्ता।
५. इटली	भारत में इटली के राजदूतावास के व्यापारिक कौंसिलर।	१७, यार्क रोड, नयी दिल्ली।
६. इण्डोनेशिया	भारत में इण्डोनेशियन राजदूतावास के आर्थिक मामलों के मंत्री।	५०ए, चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली।
७. कनाडा	(१) भारत में कनाडा हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक)	४, औरंगजेब रोड, नयी दिल्ली।
	(२) भारत में कनाडा का व्यापार कमीशन।	ग्रेशम एश्योरेन्स हाउस, मिंट रोड, पो. आ. बा. ८८६, बम्बई-१।
८. घाना	अशोक होटल, नई दिल्ली।	
९. चीन	(१) भारत में चीनी गणतन्त्र के राजदूतावास के व्यापारिक मामलों के कौंसलर।	बींद हाउस, लिटन रोड, नयी दिल्ली।
	(२) चीनी जन गणराज्य के व्यापारिक एजेन्ट।	कालिम्पौंग।
	(३) ८, फैनक स्ट्रीट, कलकत्ता।	
१०. चैकोस्लोवाकिया	(१) चैकोस्लोवाकिया गणतंत्र के व्यापारिक प्रतिनिधि।	६५, गोल्फ लिंक एरिया, पो० बा० ३१३ नयी दिल्ली।
	(२) चैकोस्लोवाक गणतंत्र के व्यापारिक प्रतिनिधि, बम्बई शाखा।	कस्तूरी बिल्डिंग्स, जमशेद जी टाटा रोड, बम्बई-१।
	(३) चैकोस्लोवाक गणतंत्र के व्यापारिक प्रतिनिधि, कलकत्ता शाखा।	पी० ३८, मिशन रो एक्सटेंशन, कलकत्ता १३।
	(४) चैकोस्लोवाक गणतंत्र के व्यापारिक प्रतिनिधि, मद्रास शाखा।	३५/५, माउंट रोड, मद्रास-२।
११. जापान	भारत में जापानी राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक)।	प्लाट नं० ४ और ५, ब्लाक ५०-जी, चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली।
१२. डेनमार्क	भारत में डेनमार्क के व्यापार कमिश्नर।	पोलोन्जी मैनशन, न्यू कैफे परेड, कोलाबा, बम्बई-५
१३. तुर्की	भारत में तुर्की दूतावास के व्यापारिक एटेची।	होटल अम्बैसेडर, नयी दिल्ली।

देश	पद	पता
१४. नारवे	(१) भारत में नारवे दूतावास के व्यापार कमिश्नर।	इम्पीरियल चेम्बर्स, विलसन रोड, बालार्ड ऐस्टेट पो० आ० बा० नं० २६४, बम्बई-१।
	(२) भारत में नारवे दूतावास के सहायक व्यापार कमिश्नर।	१४, नेताजी सुभाष रोड, पो०बा० २२११, कलकत्ता
१५. नीदरलैण्ड	भारत में नीदरलैण्ड राजदूतावास के व्यापारिक एजेन्ची।	२६८, बाजार गेट स्ट्रीट, बम्बई।
१६. न्यूज़ीलैण्ड	भारत में न्यूज़ीलैण्ड सरकार के व्यापार कमिश्नर।	मरकैंटाइल बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, महात्मा गांधी रोड, बम्बई-१।
१७. प० जर्मनी	(१) भारत में जर्मनी के संघीय गणराज्य दूतावास के व्यापारिक कौंसलर।	८६, सुन्दर नगर, मथुरा रोड, नयी दिल्ली।
	(२) जर्मनी के संघीय गणराज्य के कौंसल जनरल।	रुसी मैन्शन, २६ वुडहाउस रोड, कोलाबा, बम्बई-१५
	(३) जर्मनी के संघीय गणराज्य के कौंसल जनरल।	५६-सी, चौरंगी रोड, कलकत्ता।
	(४) जर्मनी के संघीय गणराज्य के कौंसल जनरल।	बम्बे म्यूचुअल बिल्डिंग, ३७८, नेताजी बोस रोड, मद्रास।
१८. पाकिस्तान	भारत में पाकिस्तान हाई कमीशन के व्यापारिक सेक्रेटरी।	शेरशाह रोड मेस, नयी दिल्ली।
१९. पूर्वी जर्मनी	(१) जर्मनी के प्रजातान्त्रिक गणराज्य के व्यापार प्रतिनिधि।	२३, करजन रोड, नयी दिल्ली।
	(२) जर्मनी के प्रजातान्त्रिक गणराज्य के व्यापार प्रतिनिधि।	मिस्त्री भवन २२, दीनशावाचा रोड, बम्बई रिक्लेमेशन, बम्बई १।
२०. पोलैण्ड	(१) भारत में पोलिश गणतंत्र के राजदूतावास के व्यापारिक कौंसलर।	४२-४४, सुन्दर नगर, नई दिल्ली।
	(२) भारत में पोलिश गणतन्त्र के व्यापार प्रतिनिधि।	४०/ए, पेडर रोड, जुगलकिशोर बिल्डिंग, बम्बई-२६
	(३) भारत में पोलिश गणतन्त्र के व्यापार प्रतिनिधि।	२८, स्टीफन कोर्ट, १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता।
२१. फिनलैण्ड	(१) भारत में फिनिश लीगेशन के व्यापारिक कौंसलर।	१, हुमायूँ रोड, नयी दिल्ली।
२२. फ्रांस	(१) भारत में फ्रेंच राजदूतावास के आर्थिक मामलों के कौंसलर।	२, औरंगजेब रोड, नयी दिल्ली।
	(२) भारत में फ्रेंच राजदूतावास के व्यापार कमिश्नर।	'अडेल्फी बिल्डिंग, क्वीन्स रोड, बम्बई १।
	(२) भारत में फ्रेंच राजदूतावास के व्यापार कमिश्नर।	पार्क मेन्शन्स, १३, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता।
	(३) भारत में फ्रेंच राजदूतावास के व्यापार कमिश्नर।	मद्रास क्लब, मद्रास।
२३. बर्मा	(१) भारत में बर्मी राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक)।	२, किचनर रोड, नयी दिल्ली।
	(२) सहायक व्यापार कमिश्नर।	१२, डलहौजी स्क्वायर ईस्ट, कलकत्ता।
२४. बलगेरिया	(१) व्यापार प्रतिनिधि।	१९८, गोल्फ लिंक एरिया, नई दिल्ली।
	(२) भारत में बलगेरियन गणतन्त्र के सहायक व्यापार प्रतिनिधि।	"कामनवेल्थ" बिल्डिंग, नारीमन पौइंट, मरीन ड्राईव, बम्बई-१।
२५. ब्रिटेन	(१) भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर के आर्थिक सलाहकार और भारत में ब्रिटेन के सीनियर व्यापार कमिश्नर।	६, तीस जनवरी मार्ग, नयी दिल्ली।
	(२) बम्बई में ब्रिटेन के मुख्य व्यापार कमिश्नर।	पो० आ० बा० नं० ८१५, महात्मा गांधी रोड, बम्बई-१।
	(३) कलकत्ता में ब्रिटेन के मुख्य व्यापार कमिश्नर।	१, हैरिंगटन स्ट्रीट, कलकत्ता—१६।
	(४) मद्रास में ब्रिटेन के व्यापार कमिश्नर।	पो० बा० नं० १५७५, आरमीनियन स्ट्रीट, मद्रास।

देश	पद	पता
२६. बेलजियम	भारत में बेलजियम राजदूतावास के व्यापारिक कौंसलर।	थियेटर कम्यूनिकेशन बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नयी दिल्ली।
२७. मिस्र	भारत में मिस्री राजदूतावास के व्यापारिक एटैची।	कमरा नं० ३६, स्विस होटल, दिल्ली।
२८. रूमानिया	भारत में रूमानिया के व्यापार प्रतिनिधि।	स्टीलक्रीट हाउस, दीनशावाचा रोड, चर्च गेट रीक्लेमेशन, बम्बई-१।
२९. रूस	(१) भारत में रूस के व्यापार प्रतिनिधि।	ट्रावनकोर हाउस, नयी दिल्ली।
	(२) भारत में रूस के व्यापार प्रतिनिधि।	४, कमैक स्ट्रीट, कलकत्ता और १ बिशप लेफ्राय रोड, कलकत्ता।
	(३) भारत में रूस के व्यापार प्रतिनिधि।	वसुन्धरा हाउस, बम्बई-२६।
३०. लङ्का	भारत में लंका के व्यापार कमिश्नर।	सीलोन हाउस, ब्रूस स्ट्रीट, फोर्ट बम्बई-१।
३१. स्पेन	भारत में स्पेन के सहायक व्यापार कमिश्नर।	"मिस्त्री कोर्ट", दीनशा वाचा रोड, चर्च गेट रीक्लेमेशन, बम्बई।
३२. स्विट्ज़रलैण्ड	(१) भारत में स्विस लीगेशन के व्यापारिक सेक्रेटरी।	थियेटर कम्यूनिकेशन बिल्डिंग नं० १, रेडियल रोड, नयी दिल्ली।
	(२) भारत में स्विस व्यापार कमिश्नर।	माहम एश्योरेन्स हाउस, पो. आ. बा. १०२, सर पी० एम० रोड, बम्बई-१।
३३. स्वीडन	स्वीडन के व्यापार कमिश्नर।	इण्डियन मरकेन्टाइल चेम्बर्स, निकल रोड, बैलार्ड इस्टेट, बम्बई।
३४. हंगरी	(१) भारत में [illegible]रियन लीगेशन के व्यापारिक कौंसलर और व्यापार प्रतिनिधि।	१०, पूसा रोड, ब्लाक नं० ११, वारटर्न एक्सटेन्शन एरिया, नई देहली।
	(२) भारत में हंगेरियन लीगेशन का व्यापार कमीशन।	रेयिलस ४५, घे.फे परेड, बम्बई ५.

सूचना :—जिन देशों के अलग व्यापार-प्रतिनिधि नहीं हैं, उनके व्यापार हितों का ध्यान, भारत में स्थित उनके राजनीतिक और/अथवा कौंसलर विभाग रखते हैं।

कार्यालय का पता :—४४२, उद्योग भवन, किंग एडवर्ड रोड, नयी दिल्ली।
फोन नं० ३२५३७

व्यापार बढ़ाने के लिये

उद्योग-व्यापार पत्रिका

में विज्ञापन दीजिये

उद्योग व्यापार पत्रिका में विज्ञापन प्रकाशित किये जाते हैं। विज्ञापन छपाई का मूल्य अग्रिम लिया जाता है। न दरें इस प्रकार हैं :—

	पूरा पृष्ठ	आधा पृष्ठ	चौथाई पृष्ठ
	रु०	रु०	रु०
१२ महीनों के १२ अंक	१,०००	५५०	३००
६ महीने के ६ अंक	५५०	३००	१७५
३ महीने के ३ अंक	३००	१७५	१००
एक बार	१२५	६५	३५

वेशेष स्थानों के दर :

इटिल का दूसरा पृष्ठ	पूरे पृष्ठ से २० प्रतिशत अधिक।
,, ,, तीसरा पृष्ठ	,, ,, ,, १० ,, ,, ।
,, ,, अन्तिम पृष्ठ	,, ,, ,, ५० ,, ,,

विशेष सूचनायें

१. गृह-उद्योग द्वारा तैयार की गई वस्तुओं के विज्ञापन में २५ प्रतिशत की छूट दी जायगी। इसके लिये अपने राज्य इरेक्टर आफ इण्डस्ट्रीज से इस आशय का सर्टिफिकेट लेकर साथ में भेजना होगा। विज्ञापन दरों में यह रियायत चाहने वाले सज्जनों स सम्बन्ध में सम्पादक से सीधा पत्र-व्यवहार करना चाहिये।

२. नियमित विज्ञापन एजेण्टों को विशेष कमीशन दिया जायगा। इसकी दरें भी सम्पादक से पत्र-व्यवहार करके की जा सकती हैं।

३. किसी भी विज्ञापन को कोई कारण बताये बिना अस्वीकार कर देने का अधिकार सम्पादक को है।

४. छोटे व्यापारियों और औद्योगिकों की सुविधा के लिये पत्रिका में एक वर्गीकृत विज्ञापन स्तम्भ देने की योजना उसकी दर १०० रु० वार्षिक होगी।

विशेष विवरण के लिये इस पते पर पत्र लिखिये :—

सम्पादक,

उद्योग-व्यापार पत्रिका,

व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार,

नयी दिल्ली।

—सीता प्रिंटिंग प्रेस ४० नयी सब्जीमण्डी दिल्ली।

विशेष लेख

१. क्या विदेशी सहायता लेना जरूरी है ?
२. चीनी लोक गणराज्य के साथ व्यापार।
३. भारत में विदेशी पूंजी का विनियोजन
४. योजना-निर्माण के मूलभूत सिद्धान्त।

भारत १९५८ प्रदर्शनी का एक दृश्य जो आजकल नई दिल्ली में हो रही है।

सत्यमेव जयते
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली
(५४२, उद्योग भवन, किंग एडवर्ड रोड)
मूल्य ५० नये पैसे या ।।)
नवम्बर
१९५८

माडल ०७२४

* ६ वाल्व * आल वेव
* ८ बैन्ड, पूर्णतया बन्डस्प्रेड
* ए सी या ए सी/डी सी (दो माडल)
* ४६५.०० रु० तथा स्थानीय कर

murphy radio

घर को आनन्द प्रदान करता है !

मरफी रेडियो आफ इन्डिया लि० बम्बई-१२।

MR/50

उड़िशा सिमेंट लिमिटेड
की
ऊष्मसह निर्माणी
आधुनिक उत्पादन विधि से निरन्तर भारी परिमाण में
उच्च कोटि की ऊष्मसह निर्मितियां बनाने में समर्थ है
★ अग्निमृत (फायरक्ले) ★ सैकता (सिलिका)
★ आजांगिज (मैग्नेसाइट) ★ वर्णक (क्रोम)
★ विसवाहन (इंसूलेशन) आदि
सभी प्रकारों, मापों और आकारों में
वज्रायस, वज्रचूर्ण, कांच एवं अन्य उद्योगों की
परिभ्रामी और स्थावर भट्ठियों का
सभी आवश्यकताओं की पूर्ति
के लिये निर्मित होंगे ।
निर्माणी के सैकता और अग्नीष्टका विभागों में
उत्पादन आरम्भ हो गया है
पैटिक ऊष्मसहों का उत्पादन इस वर्ष के
अन्त तक आरम्भ हो जायगा
डा० सी० ओटो एण्ड कम्पनी
जर्मनी के सहयोग से स्थापित
पूछताछ के लिये कृपया लिखें. –
उड़िशा सीमेंट लिमिटेड, राजगांगपुर, उड़िशा
प्रबन्ध-अभिकर्ता
डालमिया एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड

विषय सूची

भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय के प्रकाशन-सम्पादक द्वारा प्रकाशित।

सूचना—इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का सम्बन्ध, जब तक विशेषतः स्पष्ट न लिखा जाय, भारत-सरकार अथवा उसके किसी भी मन्त्रालय से नहीं होगा।

कार्यालय का पता—५४२, उद्योग भवन, किंग एडवर्ड रोड, नयी दिल्ली।

उद्योग-व्यापार पत्रिका

उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बम्बई और जम्मू-काश्मीर
के शिक्षा विभागों द्वारा शिक्षा-संस्थाओं और पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत

वर्ष ६] नयी दिल्ली, नवम्बर १९५८ [अङ्क ५

क्या विदेशी सहायता लेना जरूरी है ?

ले० श्री एच० वी० आर० आयंगर, आई० सी० एस०

आधुनिक शिल्प विज्ञान की मदद से अपने प्रकृतिदत्त साधनों का विकास करने की हमारी बुनियादी नीति है। कोई भी देश अपना आर्थिक विकास मूलतः अपने साधनों के बलबूते पर ही कर सकता है। इसी पहलू पर हम बार-बार जोर देते आये हैं, फिर भी यह सच है कि हमें विदेशों से मदद लेनी पड़ रही है। क्यों? इसका विश्लेषण प्रस्तुत लेख में पढ़िए। —संपादक।

भारत सरकार की नीति का मूलाधार यह है कि आर्थिक विकास करने के लिए देश अपने ही साधनों पर यथासम्भव अधिक से अधिक निर्भर रहें। विदेशी सहायता की आस लगाये रखने की प्रवृत्ति के खिलाफ प्रधान मन्त्री समय-समय पर कहते आये हैं। उदाहरण के तौर पर नयी दिल्ली में १० मार्च १९५८ को हुए भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डलों के संघ के ३१वें वार्षिक अधिवेशन में भाषण करते हुये नेहरू जी ने यह चेतावनी दी। उन्होंने उन देशों के प्रति जिन्होंने भारत की सहायता की है, खासकर हाल के महीनों में जब विदेशी मुद्रा की कठिनाइयां बहुत अधिक थीं; जहां आभार प्रकट किया है, वहां अपने देश के लोगों को यह याद रखने को भी कहा है कि "मुल्क सिर्फ बाहरी मदद से ही तरक्की नहीं कर सकता। बाहरी मदद खुद नहीं बदलती बल्कि दूसरों को बदलती है। इसमें शक नहीं, बाहरी सहायता काफी सहायक होती है। कभी-कभी यह बहुत महत्वपूर्ण चीज भी होती है। लेकिन तरक्की का मुख्य बोझा खुद उन्हीं लोगों पर पड़ना चाहिए, जिनकी तरक्की होती है। आखिरकार तरक्की की बुनियाद इसी बात पर होती है कि उस देश के आदमी और औरतें कैसी हैं, वे कितनी मशक्कत कर सकते हैं और उनके ख्यालात और जज्बात कैसे हैं। जैसे ही इनमें कमजोरी आयी, वैसे ही मुल्क गया। जिस वक्त कोई यह सोचने लगता है कि उसकी मुसीबतों में कोई और आकर मदद करे या वह खतरों और जोखमों से बचने लगता है, तभी उसकी आजादी की मनोवैज्ञानिक बुनियाद खत्म हो जाती है।"

कर-स्तर में बहुत वृद्धि

उक्त नीति के अनुरूप ही—और वितरण-न्याय की दृष्टि से भी—भारत सरकार ने कर-स्तर बढ़ाने की जबर्दस्त कोशिश की है। इस नीति का कितना जोरदार दबाव जनता पर पड़ रहा है, इसका कुछ ज्ञान इस बात से होता है कि द्वितीय आयोजना की अवधि में केन्द्रीय सरकार को नये करों से २ अरब २५ करोड़ रु० की अतिरिक्त आय होनी थी; लेकिन जब से आयोजना शुरू हुई है तब से लगाये गये करों से ७ अरब २५ करोड़ रु० की आमदनी होने का अनुमान है। भारत में व्यक्तिशः लगने वाले करों की दर संसार के अन्य देशों की उच्चतम दरों के बराबर है। इसके अलावा भारत में संपदा शुल्क, सम्पत्ति कर तथा नया व्यय कर भी लगता है। इस प्रकार कुल मिलाकर भारत में कर-भार बहुत अधिक है। लेकिन इतने कर-भार के बाद तथा विदेशी सहायता पर निर्भर न रहने की सरकार की बुनियादी नीति के बावजूद भारत को अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा उन देशों से जो सहायता कर सकते हैं, विदेशी मुद्रा और अन्न की सहायता मांगनी पड़ी क्योंकि ऐसा न करते तो अन्न के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती। तब ऐसी क्या परवशताएं थीं, जिनके कारण हम इस स्थिति में आये?

कुछ क्षेत्रों में यह विश्वास है कि भारत को यह स्थिति पैदा ही नहीं होने देनी चाहिए थी। अगर भारत ने अपनी आयोजना का आकार उतना ही रखा होता जितने उसके साधन हैं या जितना धन आदि

प्राप्त होने की उसे पक्की आशा थी, तो भारत अपने आप को आज की जैसी विषम स्थिति में न पाता। हिसाब-किताब बैठाकर चलने की दृष्टि से यह बात बिलकुल ठीक हो सकती है। लेकिन सामान्य व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार चलने की जो बात एक कम्पनी के लिए ठीक हो सकती है, वही बात भारत की जैसी स्थितियों में कोई भी देश नहीं अपना सकता। हिसाब-किताब बैठाकर चलने का दृष्टिकोण तेजी से बदलने वाली और वास्तव में क्रांतिकारी सामाजिक तथा राजनीतिक स्थितियों के जबर्दस्त तनावों की उपेक्षा का खतरा उठाये बिना नहीं अपनाया जा सकता।

इस समस्या का अध्ययन करने के लिए हमें यह देखना होगा कि भारत की वर्तमान आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति की कुछ बुनियादी बातें क्या हैं तथा देश की पूंजी निर्माण और उसकी योजना बद्ध अर्थ-व्यवस्था के स्वरूप एवं आकार से इनका क्या सम्बन्ध है।

गरीबी : बुनियादी समस्या

भारत की स्थिति की पहली बुनियादी बात है, उसकी जनता की बेहद गरीबी। अब—व्यापक रूप से अत्यन्त सफल मानी जाने वाली प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद—हमारी जनता की प्रति जन औसत आय ५६ डालर प्रतिवर्ष के आसपास बैठती है जो एशिया के अत्यन्त निम्नतम स्तरों से भी कम है। हमारे पड़ोसी देश लंका की प्रतिजन औसत आय इससे दोगुनी है। इसकी तुलना में औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़े देशों में से अमेरिका की प्रतिजन औसत आय १९६० डालर, ब्रिटेन की ८३६ डालर और जापान की २१२ डालर है। प्रतिजन आय के ये आंकड़े यदि प्रतिबिम्बित खपत के आंकड़ों के रूप में पेश किये जाएं तो अप्रासंगिक न होगा। भारत में सभी खाद्य पदार्थों की प्रति जन खपत १८८० किलोरी है जबकि ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में ३२०० है। १८८० किलोरी की प्रति जन खपत तो औसत खपत है लेकिन जनता के एक बड़े भाग की (जो शायद कुल का दो तिहाई हो) वास्तविक प्रति जन खपत तो इससे कहीं कम है। किसी देश में कितनी खुशहाली है, इसका अंदाज उस देश में इस्पात की खपत से लगता है जो भारत में अमेरिका की प्रतिजन खपत का १ प्रतिशत और जापान का ७ प्रतिशत ही है। इसी प्रकार बिजली की प्रति जन खपत भी अमेरिका की खपत का १ प्रतिशत और जापान का ११ प्रतिशत है।

जनसंख्या में भीषण वृद्धि

रहन-सहन के बेहद गिरे हुए स्तर का ऊपर जो दिग्दर्शन कराया गया है, वह आबादी की भीषण वृद्धि के कारण और भी गिरता ही जा रहा है। १९५१ की जन गणना में भारत की जन संख्या ३६ करोड़ १० लाख थी। विश्वास है कि भारत में ५०-६० लाख जन संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है और अब कुल जनसंख्या बढ़कर ३९ करोड़ हो गयी है। १९६१ तक यह बढ़कर ४० करोड़ हो जाएगी। जब दूसरी आयोजना बनायी गयी थी, उस समय यह ख्याल किया गया था कि जनसंख्या की वृद्धि १.२५ प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी। लेकिन नवीनतम प्रमाणों के आधार पर यह विश्वास किया जाता है कि यह वृद्धि १.५ प्रतिशत प्रतिवर्ष हुई है। जिस रफ्तार से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारने और इलाज की सुविधाएं दी जा रही हैं, उनसे मृत्यु संख्या घट रही है तथा आयु लम्बी हो रही है। इस प्रकार आबादी बढ़ने की रफ्तार शीघ्र ही १.७५ प्रतिशत अथवा २ प्रतिशत प्रतिवर्ष तक हो जाएगी। आबादी बढ़ने की यह रफ्तार अपने आप में कुछ बहुत अधिक नहीं है लेकिन वृद्धि की यदि कुल संख्या देखते हैं तो यह बहुत बड़ी हो जाती है। निस्संदेह जनसंख्या बढ़ने की समस्या, भारत की बुनियादी समस्या है। परिवार नियोजन के तरीकों से इस समस्या को हल करने की सरकारी नीति है। कुछ और देशों में अपनाये जाने वाले तरीके, जैसे गर्भपात को कानूनी करार देना, हमारे देश की धर्म भावना के विपरीत पड़ते हैं और गर्भाधान रोकने के अन्य तरीके या तो बहुत खर्चीले हैं या पूरी तरह कारगर नहीं हैं। इसलिए भारत उस गवेषणा को दिलचस्पी के साथ देख रहा है, जो गर्भाधान रोकने के सस्ते और कारगर तरीके खोज निकालने के लिए की जा रही है। इस दिशा में कितनी भी तेजी से गवेषणा कार्य चले, यह निश्चित है कि भारत के लिए जनसंख्या की समस्या आने वाले कई वर्षों तक उसके आर्थिक विकास के लिए एक निश्चित बाधा बनी रहेगी।

बड़े पैमाने पर पूंजी लगाना जरूरी

तेजी से बढ़ रही आबादी के दबाव के कारण रहन-सहन का वर्तमान स्तर बनाये रखने के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी लगाना जरूरी होगा और अगर हमें उसका स्तर ऊंचा करना है, तो और भी अधिक पूंजी लगाने की जरूरत होगी। १९५६-५७ में भारत की शुद्ध राष्ट्रीय आय ११० अरब रु० होने का अनुमान है। जब जनसंख्या में १.७५ और २ प्रतिशत की वृद्धि हो रही हो तब रहन-सहन का वर्तमान स्तर गिरने न देने के लिए राष्ट्रीय आय में लगभग २ अरब रु० की वृद्धि होनी चाहिए। राष्ट्रीय आय में इतनी वृद्धि करने के लिए कितनी पूंजी लगाने की आवश्यकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि लगायी जाने वाली पूंजी और उससे होने वाले उत्पादन का अनुपात क्या है। प्रथम पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में यह अनुपात १.८ : १ का था। लेकिन उत्पादन के मुकाबले पूंजी लगाने का यह कम अनुपात दो साल वर्षा अच्छी हो जाने के कारण संभव हुआ था क्योंकि इससे खेती का उत्पादन बढ़ने में सहायता मिली थी। इसके अतिरिक्त देश में बहुत सी अप्रयुक्त औद्योगिक क्षमता विद्यमान थी जिसे थोड़ी सी पूंजी लगा कर ही प्रयोग कर लिया जा सका था। अनुमान है कि दूसरी आयोजना में यह अनुपात २.३ : १ का होगा। पिछले दो वर्षों में वास्तविक काम के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि वास्तव में दूसरी आयोजना में यह अनुपात काफी ऊंचा होगा।

५ साल के लिए ६० अरब की जरूरत

इस तरह की गणना करने पर एकदम निश्चित आंकड़े जान

सकना तो मुश्किल होता है, लेकिन अनुमान है कि प्रति जन आय का वर्तमान स्तर बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि ६ अरब रु० की पूंजी प्रतिवर्ष लगायी जाए। अगर हम प्रति जन औसत आय में २ प्रतिशत की वृद्धि करना चाहते हैं तो प्रतिवर्ष १२ अरब रु० की पूंजी लगाने की जरूरत पड़ेगी और ५ वर्षों में ६० अरब रु० लगाने होंगे। दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों को मिला कर इतनी ही पूंजी लगाने का आयोजन है।

अपर्याप्त बचत

देश में की जाने वाली बचत में से कितना भाग विदेशी मुद्रा का है, इस प्रश्न को अभी न उठायें, तो प्रश्न यह उठता है कि क्या इतनी धन-राशि देश के अन्दर से प्राप्त की जा सकती है। १९५१ में जब पहली पंचवर्षीय आयोजना शुरू की गयी थी तो देश में कुल राष्ट्रीय आय की ५ प्रतिशत बचत की जाती थी। १९५६ में पहली आयोजना की समाप्ति पर आंतरिक बचत राष्ट्रीय आय की ७ प्रतिशत हो गयी थी। इस हिसाब से कुल बचत ७ अरब ७० करोड़ रु० ही होती है जबकि आवश्यकता १२ अरब रु० की है। जो बचत होगी भी वह सब भी पूंजी निर्माण के लिए उपलब्ध नहीं होगी। द्वितीय आयोजना में यह अनुमान लगाया गया था कि राष्ट्रीय आय के अधिकाधिक भाग की बचत होगी और बचत की दर बढ़कर १० प्रतिशत तक हो जाएगी। अभी तक के संकेतों से पता चलता है कि बचत की यह दर हो सकनी कतई संभव नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि किसान अपने पैदा किये हुए अन्न का अधिकाधिक भाग खुद ही खा रहे हैं। देश में अन्न की खपत का निम्न स्तर देखते हुए किसानों द्वारा अधिक अन्न स्वयं खाया जाना एक स्वस्थ लक्षण ही समझा जाएगा। इस प्रवृत्ति को कड़ी कार्रवाई के बिना रोका नहीं जा सकता और कोई भी इसके लिए कठोर कदम उठाना नहीं चाहेगा।

अब यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारत की अर्थ-व्यवस्था से उतना धन नहीं बचाया जा सकता जितनी पूंजी दूसरी आयोजना में लगाने के लिए सोची गयी थी। यह बात कष्टपूर्ण अनुभव से ज्ञात हो गयी है और इसलिए दूसरी आयोजना की काटछांट कर दी गयी है और केवल अति आवश्यक योजनाएं जैसे इस्पात, कोयला, बिजली और परिवहन आदि की आयोजनाएं ही क्रियान्वित की जाएंगी। अगर भारत की सहायता न की गई तो वह २ प्रतिशत वार्षिक की गति से भी राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ा पाएगा।

भारत की राजनीतिक स्थितियों और विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आय के स्तरों में जो असमानता दिनों दिन बढ़ती जा रही, उसके प्रकाश में हमें अपनी राष्ट्रीय आय बढ़ने की रफ्तार को देखना होगा।

उभरती अभिलाषाओं की क्रांति

भारतीय स्थिति का एक गम्भीर पहलू यह है कि हमारे संविधान में वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है और गत दो आम चुनावों में जनता यह जान गयी है कि मत देने के अधिकार को किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक अपूर्व बात है। पश्चिमी यूरोप के देशों को वयस्क मताधिकार तब तक नहीं दिया गया जब तक वहां औद्योगिक क्रांति नहीं हो गयी अर्थात् जब तक वहां शक्तिशाली मध्यवर्ग स्थापित नहीं हो गया और औद्योगिक आधार नहीं बन गया। भारत में वयस्क मताधिकार ऐसे देश को दिया गया है, जहां बेहद गरीबी है और जिसका कृषि तथा उद्योग का ढांचा ऐसा है, जो कई बातों में बहुत पिछड़ा हुआ है और उसे अपने आप विकास का भार उठाने लायक बनाने के लिए बहुत अधिक पूंजी लगाने की जरूरत होगी। यहीं नहीं सरकार द्वारा जानबूझ कर अपनायी गयी नीति के फलस्वरूप जनता यह विश्वास करने लगी है कि यदि प्रयास किया जाए तो रहन-सहन का स्तर ऊंचा किया जा सकता है। भारत के बारे में अच्छी जानकारी रखने वाले एक अमेरिकी अर्थशास्त्री ने गतवर्ष सारी स्थिति को "उभरती अभिलाषाओं की क्रांति" कहा था, जो ठीक ही था।

मर्यादानुकूल आयोजन

जो लोग यह कहते हैं कि भारतीय आयोजना का आकार बड़ा है, उनके लिए हमारा उत्तर यही है कि भौतिक लक्ष्यों तथा जन कल्याण की दृष्टि से हमारी योजना सर्वथा मर्यादा के अंदर है। आयोजकों ने २५ वर्षों में प्रतिजन औसत आय दुगुनी करके १०० डालर के करीब करने का लक्ष्य रखा है। दूसरी आयोजना में विकास की रफ्तार का जो अनुमान लगाया है, वह इस लक्ष्य से कम ही पड़ता है। इस बीच, आगे बढ़े हुए देश और भी आगे बढ़े जा रहे हैं। कुछ अन्य देशों की आगे बढ़ने की रफ्तार क्या है, यह नीचे की तालिका से देखा जा सकता है :—

देश	अवधि	प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय में प्रति वर्ष होने वाली औसत वृद्धि का प्रतिशत
पश्चिमी जर्मनी	१९५०-५५	८.४
आस्ट्रिया	१९५०-५५	७.४
जापान	१९५१-५४	६.२
इटली	१९५०-५५	४.६
फ्रांस	१९४९-५५	४.१
स्वीडन	१९४८-५५	३.५
आस्ट्रेलिया	१९४७-५५	२.५

अगर विकास की वर्तमान रफ्तार जारी रही तो भारत तथा संसार के अन्य अल्प विकसित देशों और औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़े देशों

में असमानता बढ़ते-बढ़ते इतनी अधिक हो जायगी कि विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है।

अभी तक तो हम इसी बात पर विचार करते आये हैं कि पूंजी लगाने को वास्तव में जितनी जरूरत है, उतना धन हमारे देश में बचाया नहीं जाता और इसीलिए साधारण गति से भी आर्थिक विकास करने के लिए हमें विदेशी सहायता की जरूरत है। अब हम विदेशी सहायता के दूसरे पहलू पर भी गौर करें जो भारतीय अर्थ-व्यवस्था के ढांचे की कमजोरियां का परिणाम है।

अविकसित औद्योगिक ढांचा

भारत सरकार ने जब पहली पंचवर्षीय आयोजना शुरू की थी तो भारत का औद्योगिक ढाचा अपेक्षाकृत अविकसित था। देश में इस्पात का उत्पादन सिर्फ १० लाख टन था हालांकि हमारे यहां बढ़िया किस्म का लौह खनिज उपलब्ध है। एक भी फाउण्ड्री तथा फोर्ज शाप देश में नहीं थी (और आज भी नहीं है) और न भारी मशीनें बनाने का उद्योग ही स्थापित हुआ था। मशीनी औजार बनाने की सिर्फ शुरूआत ही हुई थी। रसायनिक उद्योग की स्थिति भी यही थी।

भारत में योजना-निर्माण का मूल सिद्धांत यह है कि देश में आधुनिक शिल्प विज्ञान के आधार पर अपने साधनों का विकास किया जाए और वह एक औद्योगिक राष्ट्र बन जाए। यह सही है कि इसमें कुछ हेर फेर करने पड़ सकते हैं और भारत में करने पड़ेंगे भी।

आधुनिक शिल्प विज्ञान अपनायें

उदाहरण के तौर पर हमारी खेती में छोटे-छोटे खेत और अपेक्षाकृत जो सादा उत्पादन-विधियां आज चल रही हैं, वे कुछ समय तक और भी चलती रहेंगी। इसके अलावा गावों में बहुत से लोग बेकार हैं तथा बहुतों को उनकी योग्यतानुसार काम नहीं मिला हुआ है। ऐसी स्थिति में आधुनिक शिल्प विज्ञान के साथ-साथ अपेक्षाकृत प्रारम्भिक उत्पादन-विधियों को भी रखना होगा। इसके अलावा बहुत से कुटीर उद्योगों के विकास की भी गुंजाइश है जो कि किसी और देश में पूंजी और श्रम का अनुपात भिन्न होने से सम्भव न हो। भारत को अपने औद्योगिक साधनों का विकास करना है और अपने बल-बूते पर शिल्प विज्ञान में बढ़ा चढ़ा राष्ट्र बनना है, इस मूल आधार को अगर हम छोड़ दें तो हमारी सारी आयोजना तथा हाल के वर्षों में उठाये गये अन्य सभी कदम निरर्थक हो जायेंगे। हम ऐसा आत्म-निर्भरता की दृष्टि से नहीं कर रहे बल्कि देश की जनता के रहन-सहन का स्तर ऊंचा करने के लिए आवश्यक तथा साधारण कदम उठा रहे हैं।

विदेशों से आयात

विकास की इस प्रक्रिया में विदेशों में बहुत सा खर्च करना होगा क्योंकि हमें वहां से मशीनें, मशीनी औजार, धातुएं, रसायनिक पदार्थ तथा ऐसी ही अन्य चीजें आयात करनी होंगी। उदाहरण के तौर पर मशीनें और औजार बनाने के कारखाने देश में न होने के कारण सारे इस्पात कारखानों तथा बिजली घरों की मशीनों का आयात विदेशों से करना होगा। आधुनिक शिल्प विज्ञान के अनुसार बनी मुख्य वस्तुओं का आयात करने के कारण हमें बहुत विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। विदेशी मुद्रा के साधनों पर दबाव अगले कुछ वर्षों तक और भी रहेगा जब तक कि भारत अपनी आवश्यकता की अधिकांश मशीनें, साधारण मशीनी औजार तथा रसायनिक पदार्थों का स्वयं निर्माण न करने लगे।

दीर्घकालीन विदेशी सहायता जरूरी

यह तो अभी कल्पना की बात है कि भारत को यह सब करने में कितना समय और लगेगा तथा आर्थिक विकास की सन्तोषजनक रफ्तार को अपने ही बल पर बनाये रख सकेगा या नहीं। अगर हम यह अवधि १० वर्ष रखें तो कुछ अनुपयुक्त न होगा। इतनी अवधि तक के लिए भारत को बराबर सहायता मिलती रहनी चाहिए और अगर महाजन देशों तथा भारत को कोई असुविधा न हो तो यह सहायता दीर्घकालीन आधार पर होनी चाहिए।

भारत ने बहुत कड़ी बाजी लगा रखी है। हमें ४०-५० करोड़ लोगों को पूर्ण तथा स्वतन्त्र प्रजातन्त्र बनाये रखकर मूल भौतिक साधन जुटाने हैं। हमारी बाजी इससे किसी कदर कम नहीं हो सकती। यह सौभाग्य की बात है कि संसार के समृद्ध देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दूरदर्शी नेताओं ने हमारी इस बाजी की गुरुता को समझा है।

चीनी लोक गण राज्य के साथ व्यापार

★ *भारतीय व्यापारियों के काम की कुछ जानकारी ।*

चीनी लोक गणराज्य में आयात और निर्यात दोनों पर विशेषत सरकारी संस्थाओं का नियंत्रण है । इन संस्थाओं की संख्या लगभग १७ है । आयात के लक्ष्य देश की आवश्यकताएं देखकर तथा राष्ट्रीय साधनों को सुरक्षित रखने और राष्ट्रीय उद्योगों का विकास तीव्रगति से करने के उद्देश्य से निर्धारित किये जाते हैं । आमतौर पर उपयोग्य वस्तुओं पर बहुत अधिक तट कर लगाया जाता है । चीन बहुत सी चीजों का निर्यात-व्यापार बढ़ा रहा है । वह रेशम और दस्तकारी की चीजों से लेकर इस्पात, सीमेंट, कुछ रासायनिक पदार्थ, मशीनों आदि तक निर्यात करता है । जहां तक भारत का सम्बन्ध है, चीन से होने वाला अधिकांश व्यापार आमतौर पर राज्य व्यापार निगम ही शुरू करता है, माल लेता देता है तथा व्यापारियों का मार्गदर्शन करता है । विशेष वस्तुओं का क्रय-विक्रय करने वाले भारतीय व्यापारी भी निगम के कहने के मुताबिक चीन की संस्थाओं से सीधे सौदे कर सकते हैं लेकिन पीकिंग स्थित भारतीय दूतावास के प्रथम सेक्रेटरी (व्यापारिक) से उन्हें इस बारे में सलाह अवश्य कर लेनी चाहिए ।

इस सम्बन्ध में व्यापारियों को यह जान लेना चाहिए कि चीन का सारा आयात तथा निर्यात इस समय कुछ कारपोरेशनों के द्वारा ही होता है । इन कारपोरेशनों के अलावा किसी भी प्रायवेट संस्था को चाहे वह सार्वजनिक हो या सहकारी संस्था हो, व्यापार करने के उद्देश्य से विदेशी आयातक या निर्यातक के साथ सौदा करने की अनुमति नहीं है । सरकार द्वारा नियंत्रित वैदेशिक व्यापार की इस स्थिति में, जो भी विदेशी संस्थाएं चीन से व्यापार शुरू करना या बढ़ाना चाहें, उन्हें इन्हीं सम्बद्ध कारपोरेशनों से बातचीत करनी होती है ।

आयात और निर्यात की संस्थाएं

विभिन्न वर्गों की वस्तुओं का व्यापार करने के लिए विभिन्न संस्थाएं हैं । इनके प्रधान कार्यालय पीकिंग में हैं और शाखा कार्यालय शंघाई, तिएन्त्सिन, कैन्टन तथा सियांगताओ जैसे मुख्य शहरों में है । इन कारपोरेशनों के नाम उनके पते तथा जिन वस्तुओं का वे व्यापार करते हैं, उनके नाम नीचे दिये जाते हैं :—

संस्था का नाम तथा वस्तु का नाम जिसका वह व्यापार करती है ।	डाक का पता
१. चाइना नेशनल सिल्क कारपोरेशन— निर्यात तथा आयात : कच्चा रेशम रेशमी कपड़ा, टस्सा रेशम की पौंगियां रेशम के उपोत्पादन, तैयार रेशम तथा नकली रेशम का तागा आदि ।	फौरेन ट्रेड बिल्डिंग तुंग चांग एन स्ट्रीट, पीकिंग ।
२. चाइना नेशनल टी एक्सपोर्ट कारपोरेशन : आयात तथा निर्यात : सभी प्रकार की चाय, काफी तथा कोको आदि ।	५७, लीशीह हुतुंग, तुंग रजु पाई-लु, पीकिंग ।
३. चाइना नेशनल मिनरल्स कारपोरेशन : निर्यात तथा आयात : लौह तथा अलौह धातुएं, खनिज सारभूत पदार्थ, कोयला, सीमेंट तथा बहुत से अधात्विक खनिज ।	३, पाओ चान स्जे स्ट्रीट, पीकिंग ।
४. चाइना नेशनल एनीमल बाई प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन : निर्यात तथा आयात : ऊन तथा बाल, खालें और चमड़े, पंख, कड़े बाल, घोड़े की पूंछ और उससे बनी चीजें, केसिंग तथा नस्ल सुधारने वाले जानवर आदि ।	४, वोग चिया हुतुंग ईस्ट सिटी, पीकिंग ।
५. चाइना नेशनल सीरियल्स, आइल्स, एण्ड फैट्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन :	५७ चू शीह ता चीह, पीकिंग ।

आयात और निर्यात : अन्न, खाद्य तथा औद्योगिक वनस्पति जन्य तेल, तेलहन तथा तेल बीज, नमक आदि।	
६. चाइना नेशनल फूड स्टफ्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन : निर्यात तथा आयात : जीवित पशु तथा मुर्गे मुर्गियां, मांस और उससे बनी चीजें, पशुओं की चरबियां, सब्जियां, फल तथा समुद्री चीजें, शराबें, चीनी और मिठाइयां, डिब्बा बन्द चीजें और सहायक खाद्य पदार्थ।	३८, चिआओ त्जे, हुतुंग, कुआंग, एन मैन स्ट्रीट, पीकिंग।
७. चाइना नेशनल नेटिव प्रोड्यूस एक्सपोर्ट कारपोरेशन : निर्यात तथा आयात : तम्बाकू और रेशेवाली नरम छाल से बनी चीजें, कच्ची लकड़ी, लकड़ी और इमारती लकड़ी, रालें, अशोधित लाख, माजूफल, मैन्थोल, क्रिस्टल, पिपरमेंट का तेल, तारपीन का तेल, मसाले और उड़नशील तेल, मेवे, सूखी सब्जियां, मिट्टी तथा चीनी, मिट्टी के बर्तन, फीते, मेजपोश तथा दस्तकारी की और चीजें, चीनी दवाइयां आदि।	४६, हू फांग चिआओ स्ट्रीट, पीकिंग।
८. चाइना नेशनल सन्ड्रीज एक्सपोर्ट कारपोरेशन : निर्यात और आयात : कच्ची रुई, ऊनी, सूती तथा छाल के रेशों के बने कपड़े, इमारती सामान, स्टेशनरी, खेल का सामान, लोहे का सामान और दैनिक उपयोग की चीजें।	३२ ए, चिक विआओ हुतुंग, ईस्ट सिटी, पीकिंग।
९. चाइना नेशनल इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कारपोरेशन : आयात और निर्यात : रासायनिक पदार्थ तथा औषधें, चिकित्सा के उपकरण, उर्वरक, सूखे रंग, पिगमेंट, रबड़ तथा रबड़ की बनी चीजें, पैट्रोलियम और पैट्रोलियम की चीजें।	इर्च ली कोऊ, हसी चीह मेन के बाहर, पीकिंग।
१०. चाइना नेशनल टेक्नीकल इम्पोर्ट कारपोरेशन : आयात और निर्यात : कारखानों के उपकरणों के पूरे सेट।	”
११. चाइना नेशनल मैटल्स इम्पोर्ट कारपोरेशन : आयात तथा निर्यात : लौह मिश्रण, सेक्शन स्टील, इस्पात के ट्यूब और ढले हुए पाइप, इस्पात की चादरें और प्लेटें, रेलों का सामान, अलौह कच्चा माल और ढला हुआ माल, धातुओं का अर्ध तैयार माल, बिजली के केबिल और तार आदि।	इर्च ली कोऊ, हसी चीह मेन के बाहर, पीकिंग।
१२. चाइना नेशनल मशीनरी इम्पोर्ट कारपोरेशन : आयात और निर्यात : मशीनी औजार, बिजली से चलने वाली मशीनें, खान खोदने तथा धातु शोधन की मशीनें, बिजली की मशीनें और उपकरण, एयर कम्प्रेसर, क्रेनें, मिट्टी खोदने के यंत्र, शुद्ध माप करने वाले औजार, काटने के औजार तथा अन्य औजार।	”
१३. चाइना नेशनल ट्रांसपोर्ट मशीनरी इम्पोर्ट कारपोरेशन : आयात और निर्यात : परिवहन के साधन, मकान बनाने तथा खेती के काम आने वाले रासायनिक पदार्थ, सूती कपड़ा, कागज और छपाई की मशीनें और छोटे उद्योगों की अन्य मशीनें तथा उनके पुर्जे आदि।	”
१४. चाइना नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स इम्पोर्ट कारपोरेशन : आयात तथा निर्यात : उपकरण, तार संचार का सामान, फोटोग्राफी की चीजें, हिसाब लगाने की मशीनें, टाइपराइटर आदि।	”
१५. चाइना नेशनल फोरेन ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन कारपोरेशन : यह कारपोरेशन तटकर सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों, तटकर सम्बन्धी जांच-पड़ताल, बीमा, हानि सम्बन्धी सर्वेक्षण, दावों तथा स्वीकृति, सरकारी उद्योगों द्वारा मंगाये गये माल का संग्रह तथा वह माल उन्हें भेजने, तथा	”

निर्यात होने वाले माल को सीमा पर स्थित स्टेशन तक पहुँचाने का प्रबन्ध यह कारपोरेशन करता है।

२६. चिनो फ्रैट शिप चार्टरिंग एण्ड ब्रोकिंग कारपोरेशन : जहाज की व्यवस्था करना। ,,

२७. चाइना रिसोर्सेज कम्पनी : चीन के राष्ट्रीय कारपोरेशनों की हांग कांग स्थित एजेन्सी। — १२वीं मंजिल, बैंक आफ चाइना बिल्डिंग, डी वोक्स रोड सेन्ट्रल, हांग कांग।

आयात पर सरकारी नियंत्रण

सामान्यतः सभी आयात सरकार द्वारा तथा उसके नियंत्रण में होता है, इसलिए भारत की भांति चीन में आम जनता की सूचना के लिए आयात नीति घोषित नहीं की जाती। देश की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए आयात के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं और जहां आवश्यक होता है, सम्बन्धित कारपोरेशन को विदेशी मुद्रा और आयात के लाइसेंस दिये जाते हैं। ये लाइसेंस भी विभिन्न देशों से हुए द्विपक्षीय करारों का ख्याल रख कर दिये जाते हैं।

यह सर्व विदित है कि चीन अपनी दूसरी पंचवर्षीय आयोजना क्रियान्वित करने में लगा हुआ है। इस आयोजना में कृषि तथा उद्योगों का समन्वय पूर्वक विकास करने की योजना है जिसमें भारी उद्योगों पर विशेष रूप से बल दिया गया है। इस आयोजना को तेजी से और कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए यह जरूरी समझा जाता है कि राष्ट्रीय साधनों को खास कर विदेशी मुद्रा को जहां तक हो सके, वहां तक अधिक से अधिक सुरक्षित रखा जाए। इस समय देश में किफायत सारी का जो आन्दोलन चल रहा है, उसका उद्देश्य उपलब्ध साधनों का संग्रह करना तथा उनको राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में लगाना है। इसके साथ ही लोगों का उपभोग कम से कम रखा जाए। इस समूची नीति के अनुरूप ही देश का सारा आयात नियंत्रित रखा जाता है ताकि अनावश्यक खर्चा बचाया जा सके। इसलिए आमतौर पर भारी मशीनों और उपकरणों, औद्योगिक कच्चे मालों, कृषि उपकरणों उर्वरकों, रसायनिक पदार्थों तथा ऐसी ही और चीजें, जिनका देश में या तो उत्पादन नहीं होता या जिनका उत्पादन आवश्यकताओं से कम है, आयात किया जाता है।

उपभोग्य वस्तुओं पर अधिक तटकर

चीन जिन-जिन व्यापारिक मालों का आयात करता है, उन सब पर आयात शुल्क लगते हैं। केवल कच्ची रुई, कच्चा लोहा और खनिज पदार्थ ही इस शुल्क से मुक्त हैं। आम तौर पर शुल्क अधिक ही लगता है और कुछ चीजों पर तो आयात शुल्क मूल्यानुसार ४० प्रतिशत तक होता है। जाहिर है कि इतना अधिक तटकर लगाने का उद्देश्य देशी उद्योगों को संरक्षण देना है। आम तौर पर दस्तकारी की चीजों तथा हथकरघे से बने कपड़ों का आयात नहीं करने दिया जाता है क्योंकि चीन स्वयं ही इन चीजों के उत्पादन में काफी आगे बढ़ा हुआ है। कुछ वस्तुओं पर कितना-कितना आयात शुल्क लगा हुआ है, यह नीचे दिया जाता है:—

आयात शुल्क

वस्तु	मूल्यानुसार शुल्क की प्रतिशत दर
खाद्य पदार्थ	
चावल	१७½ से २०
ज्वार बाजरा	२५ से ३५
गेहूँ	१७½ से २०
चीनी	७० से ८०
वनस्पति तेल	८० से १२०
मिठाइयां	१२० से १८०
डिब्बे बंद खाद्य पदार्थ	१०० से १५०
काली चाय	१०० से १५०
काफी	१२० से १८०
औद्योगिक कच्चे माल	
तम्बाकू	५० से ७०
दवाइयां और जड़ी बूटियां	६० से ८०
खली	५० से ७०
उड़नशील तेल	३० से ३५
अभ्रक	२५ से ३०
बहुमूल्य रत्न (बिना तराशे हुए)	२० से २५
रसायनक पदार्थ	४० से १२०
कच्ची रुई	—
खनिज पदार्थ	—
रद्दी रुई	५० से ७०
कच्चा जूट	१२½ से १७
कच्चा लोहा	३० से ४०
कच्चा इस्पात	३० से ४०
कृत्रिम रेशम	८० से १००
एस्फाल्ट	२५ से ३०
इमारत बनाने का सामान	
लोहा और इस्पात	३० से ४०
इस्पात की प्लेटें	७½ से १०

इस्पात के पाइप और ट्यूब	३० से ४०
बिना जोड़ के पाइप	१० से १२½
इस्पात के एंगल तथा ट्राइंगल	१० से १२½
लोहे की चेनें (नावों तथा क्रेनों की) नयी	१२½ से १५
„ „ पुरानी	३५ से ४५
गैल्वनाइज्ड लोहे की चादरें	२० से २५
इस्पात के तार	१० से १२
तांबे के पिंड	५ से ७½
तांबे की चादरें	७½ से १०
तांबे की ट्यूबें	७½ से १०
तांबे के तार	७½ से १०
सीमेन्ट	४० से ६०

मशीनें

कृषि उपकरण	७½ से १२½
खानों के उपकरण	१२½ से १५
पेट्रोलियम की मशीनें	७½ से १०
वस्त्र उद्योग की मशीनें	१२½ से १५
छपाई की मशीनें	१२½ से १५
चीनी मिल की मशीनें	४० से ६०
सिगरेट बनाने की मशीनें	४० से ६०
खरादें तथा उनके काम का सामान	७½ से १०
मशीनी औजार (वैद्युत उपकरण)	१० से १२½
बिजली के जैनेरेटर तथा ट्रांसफार्मर	७½ से १०

उपकरण

घरेलू बिजली के (बिजली की घंटियां इस्त्रियां, पंखे और स्टोव)	८० से १२०
बिजली के बल्ब	८० से १२०
रेफ्रीजरेटर	१०० से १५०
रेडियो	५० से ७०

निर्मित वस्तुएं

सूती कपड़े (धुले, कोरे, रंगे तथा छपे)	६० से ८०
ऊनी कम्बल	१०० से १५०
ऊनी कपड़े	१०० से १५०
रेशमी कपड़े	७० से १००
ऊनी कालीन	८० से १२०
ऊनी टोप	१०० से १५०
अंगोछे, दस्ताने तथा मोजे	१०० से १५०
तौलिए और रूमाल	८० से १२०
मच्छरदानियां	८० से १२०
रेशमी फीते	२०० से ४००
रेशमी बोर्डर	२०० से ४००
रंगलेप और रंग	६० से १००

उपभोग्य वस्तुएं

सिगार	२०० से ४००
सिगरेट	२०० से ४००
बूट और जूते	८० से १२०
प्लास्टिक की चीजें	८० से १२०
खेल कूद का सामान	८० से १२०
खिलौने	१०० से १५०
दवाइयां	२५ से १५०

विविध

जूट के बोरे (नये और पुराने)	२० से २५
लकड़ी का फर्नीचर	१०० से १५०
इस्पात का फरनीचर (कैबिनेट, कुर्सियां, चारपाइयां, सेफ)	१०० से १५०

आयात नीति के उद्देश्य

इन आयात शुल्कों के अलावा उपभोग्य वस्तुओं पर अन्य शुल्क भी लगते हैं जो वास्तविक उपभोक्ताओं के हाथ तक पहुँचने से पहले लग जाते हैं। यही नहीं, विदेशों से आयात की गयी वस्तुओं को देशी माल से प्रतियोगिता नहीं करने दी जाती। आयातित माल का मूल्य उसी प्रकार के देशी माल के मूल्य से ऊंचा रखा जाता है, चाहे देश में आकर वह कितने का ही क्यों न पड़ा हो। इसके अलावा किसी भी चीज का आयात उसकी अनिवार्य आवश्यकता को ही ध्यान में रखकर किया जाता है। राष्ट्रीय साधनों को सुरक्षित रखने तथा राष्ट्रीय उद्योगों का विकास करने के सर्वोच्च उद्देश्य को सामने रखकर आयात का कड़ा नियंत्रण किया जाता है।

निर्यात को प्रोत्साहन

हाल के वर्षों में चीन संसार के विभिन्न देशों से व्यापार बढ़ा रहा है। इस क्षेत्र में भी चीन निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। वह रेशमी कपड़ों और दस्तकारियों से लेकर इस्पात, सीमेंट,

कास्टिक सोडा, सोडा एश और सूती कपड़े तथा चीनी कारखानों की पूरी मशीनों तक का निर्यात करता है। आमतौर पर इन पर कोई शुल्क नहीं लगता और विदेशों में उनके भाव देश में प्रचलित भावों से कम ही होते हैं।

चीन-भारत व्यापार

भारत का चीन से दीर्घकालीन व्यापार करार है और इसे क्रियान्वित करने में दोनों पक्ष एक दूसरे की सलाह से वे तरीके खोजते रहते हैं जिससे दोनों देशों के लाभ के लिए व्यापार के परिमाण में वृद्धि हो। चीन सरकार की ओर से विभिन्न कारपोरेशन व्यापार की समस्याएं सुलझाते हैं। ये कारपोरेशन वैदेशिक व्यापार मंत्रालय की देख रेख में काम करते हैं। भारत की तरफ से चीन से होने वाले सारे व्यापार को स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन शुरू करता और चलाता है। इस कारपोरेशन का प्रधान कार्यालय नयी दिल्ली में है। इसलिए भारतीय व्यापारियों के लिए यह सुविधा जनक रहेगा कि कारपोरेशन के प्रधान कार्यालय से या उसके बंबई, कलकत्ता और मद्रास स्थित शाखा कार्यालयों से संपर्क स्थापित करें, ताकि कारपोरेशन से सभी संभव सहायता तथा मार्ग प्रर्शन प्राप्त कर सकें। इस कारपोरेशन की हिदायत पर भारतीय व्यापारियों को चीन की सम्बद्ध संस्थाओं से सीधे बात चीत करने की आवश्यकता पड़ सकती है लेकिन इसकी जानकारी प्रथम सेक्रेटरी (व्यापारिक) भारतीय दूतावास, ३२, तुंग चिआओ मिन हसियांग, पीकिंग को देते रहना चाहिए। वह भारत और चीन के मध्य व्यापार बढ़ाने में हर संभव सहायता देने को सदैव तैयार रहते हैं।

भारत में विदेशी पूंजी का विनियोजन

★ श्री एस० जगन्नाथन, आई० सी० एस०, अतिरिक्त सचिव, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार।

२०वीं शताब्दी विभिन्न वर्गों के लिये विभिन्न प्रकार का महत्व रखती है। वैज्ञानिकों के लिये इसका महत्व प्रणालियों और प्रविधियों का इतनी तेजी के साथ विकास होने के कारण है जिसकी पहले कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की गयी थी। समाज-शास्त्रियों के लिये इसका महत्व रहनसहन के प्रतिमान में तेजी से वृद्धि होने के कारण है। इसके फलस्वरूप मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ इन आवश्यकताओं को पूरा भी किया जा रहा है। अर्थ-शास्त्रियों के लिये इसका महत्व उस असन्तुलन के कारण है जो कि विनियोजन के लिये उपलब्ध साधनों का विस्तार हो जाने तथा दूसरी ओर विनियोजन की आवश्यकताओं के बढ़ जाने के कारण उत्पन्न हो गया है। विदेशी पूंजी के विनियोजन की समस्या इस असन्तुलन का ही एक रूप है। सम्भवतः यह रूप ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गत महायुद्ध के पश्चात् सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा दी गयी सहायता का युद्ध से स्वतन्त्र हुए तथा पिछड़े हुए बहुत से देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण हाथ रहा है। इन सभी देशों में इस प्रकार का विकास कार्य करने के लिये विदेशी निजी पूंजी का विनियोजन समान रूप से नहीं हुआ है। बहुत से लोगों को यह देख कर आश्चर्य होता है कि विदेशी निजी पूंजी-विनियोजन से ही कुछ देशों की आर्थिक कठिनाइयां अन्य देशों के समान हो क्यों नहीं दूर हो सकतीं। लोगों का अनुमान है कि जिन देशों में विदेशी निजी पूंजी बहुत कम लगायी गयी है उसका कारण निस्सन्देह यह है कि वहां उसके लिये पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिलता।

अच्छी रहनसहन की कामना

अविकसित अर्थ-व्यवस्था वाले प्रत्येक देश में दो मुख्य प्रवृत्तियां पायी जाती हैं। विकास-कार्य होने के कारण लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ जाती है जिसके फलस्वरूप वस्तुओं का उपभोग अधिक होता है और रहन-सहन का प्रतिमान अच्छा बनाने के प्रयत्न किये जाते हैं। दूसरी प्रवृत्ति यह होती है कि विकास के कारण लोगों में जो अतिरिक्त क्रय-शक्ति उत्पन्न हो जाती है उसके फलस्वरूप और अधिक विकास सम्बन्धी हलचलें होने लगती है। इन दोनों प्रवृत्तियों को किसी न किसी स्तर पर सतुंलित करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिये गत शताब्दी में कुछ देशों का विकास हुआ है। उस समय प्रजातन्त्र, वयस्क मताधिकार और आमदनी में अधिक से अधिक समानता करने और कल्याण राज्य की स्थापना आदि पर इतना अधिक जोर नहीं दिया जाता था जितना कि अब दिया जा रहा है। इसलिये उस समय उपभोग में होने वाली वृद्धि पर प्रतिबन्ध लगाना सम्भव था। इस शताब्दी में और विशेषतः गत महायुद्ध के बाद, जीवन में सामाजिक सुख-सुविधाओं और कल्याण राज्य की स्थापना पर अधिकाधिक जोर दिया जा रहा है। इस लिये उपभोग में वृद्धि करने की जो मांग हो रही है उस पर अब प्रतिबन्ध लगाना कठिन है। अर्द्ध विकसित देशों में उपभोग के स्तर सभी अर्थों में उक्त सिद्धान्त के अनुसार ऊंचे किये जा सकते हैं। इस कारण इस समय यह प्रतिबन्ध लगाना विशेषतः कठिन है। जनता के लिये अच्छे पोषक खाद्यों, निवास और कार्य के लिये स्वास्थ्यकर स्थानों, पर्याप्त वस्त्र और अन्य आवश्यक सामग्री का प्रबन्ध करने से आंख नहीं चुराई जा सकती।

इस प्रकार विकास-प्रमुख अर्थ व्यवस्था वाले प्रत्येक देश में विनियोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पहले से हो चुकने वाले विकास कार्य के फलस्वरूप घरेलू उपभोग का स्तर ऊंचा हो जाता है और इसलिये बचत अपेक्षाकृत कम हो पाती है। दूसरी ओर विकास कार्य को तेजी से निरन्तर जारी रखने के लिये और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है।

जिन देशों में विकास कार्य किया गया है उनमें रहन सहन का स्तर ऊंचा करने की कामना अधिक न होते हुए भी विदेशी पूंजी का विनियोजन आवश्यक सिद्ध होता है। अब समस्या यह है कि इस बढ़ती हुई आमदनी में से ही जो कुछ बचत की जा सकती है वह उन आवश्यकताओं के लिये बहुत कम पड़ता है जो कि विकास कार्य को और आगे बढ़ाने के लिये जरूरी होता है।

विदेशी पूंजी पर अच्छा लाभ

अर्ध-विकसित देशों की स्थिति इस कारण और भी पेचीदा हो जाती है कि अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता ऐसे समय में उत्पन्न हुई है जब कि विज्ञान की उन्नति के कारण नित्य प्रति अनेक प्रकार की सुविधाएं, सेवाएं और वस्तुओं की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है। इसका फल यह होता है कि समृद्ध देशों की जो पूंजी निर्धन देशों के विकास के लिये उपलब्ध हो सकती थी उसकी आवश्यकता स्वयं समृद्ध देशों को ही अपने नवीन विकास के लिये होती है। अर्ध विकसित देशों की एक कठिनाई यह होती है कि वे विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिये इतनी अच्छी शर्तें प्रस्तुत नहीं कर सकते जितनी कि समृद्ध देशों में उपलब्ध होती हैं। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि अर्ध विकसित देशों में जो पूंजी लगायी जाती है उस पर समृद्ध देशों की अपेक्षा कम लाभ होता है। हमारे रिजर्व बैंक ने हाल ही में इस सम्बन्ध में जो अध्ययन किया है उससे यह सिद्ध होता है कि भारत में जो विदेशी पूंजी लगायी गयी है उस पर १३ प्रतिशत लाभ आसानी से हो जाता है। परन्तु यह बात भी सच है कि अर्ध विकसित देशों में एक ओर तो साधन सीमित होते हैं और दूसरी ओर विकास सम्बन्धी आवश्यकताएं लगभग असीमित होती हैं। इस कारण उन्हें विवश हो कर विकास सम्बन्धी कुछ योजनाओं को छोड़ देना पड़ता है और केवल कुछ को ही आगे चलाना होता है। विदेशी पूंजी लगाने वालों की समझ में यह सोचते हैं कि जब विदेशी पूंजी उपलब्ध है तो कुछ योजनाओं को छोड़ कर कुछ दूसरी योजनाओं को ही क्यों चुना जा रहा है। उदाहरण के लिये पूंजी लगाने वाले यह नहीं समझते कि सरकार उपभोग की सामग्री बनाने वाले किसी ऐसे कारखाने की स्थापना में क्यों रुकावट डालती है जिसमें कि केवल विदेशी पूंजी ही लगायी जा रही हो। उनकी समझ में यह नहीं आता कि जिस कारखाने के उत्पादन द्वारा विदेशी विनिमय का उपार्जन नहीं हो सकता और केवल किसी विलासितापूर्ण सामग्री का ही उत्पादन हो सकता है उसका भार अन्त में जाकर हमारे विदेशी विनिमय के साधनों पर ही पड़ता है जिनकी कि आज हमें बहुत आवश्यकता है और जिनकी कि हमारे पास आज कमी भी बहुत अधिक है।

आज संसार के प्रत्येक भाग में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है उसको ध्यान में रख कर पूंजी लगाने वाले प्रायः सदा ही ऐसे कार्यों में पूंजी लगाना अधिक पसन्द करते हैं जिनका कि उन्हें पहले से ही व्यक्तिगत अनुभव और ज्ञान होता है। इसका अर्थ यह है कि पूंजी उन्हीं देशों में लगायी जाती है जिनमें कि वह पहले से ही लगी हुई हो और जो इस प्रकार से कुछ न कुछ आर्थिक उन्नति कर चुके हों। विदेशी पूंजी लगाने वाले ऐसे ही देशों से परिचित होते हैं। अर्ध विकसित देशों का उन्हें बहुत कम ज्ञान होता है। इसलिये पूंजी लगाये जाने से ये देश वंचित रह जाते हैं। आर्थिक कारणों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारणों का भी पूंजी के लगाये जाने पर प्रभाव पड़ता है। इनमें देश की भौगोलिक स्थिति, लोगों का रहन-सहन ढंग और विचारधारा, परम्परागत अथवा ऐतिहासिक सम्पर्क ए[illegible] प्रमुख हैं।

विदेशी निजी पूंजी

पिछले दिनों में हुए अनुभवों से प्रकट होता है कि पिछड़े देशों की अर्थ-व्यवस्था का विकास करने के लिये विदेशों से जो प्राप्त होती है वह केवल विदेशी निजी पूंजी के रूप में ही न होती। परन्तु इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि बहुत से ऐसे अविकसित देशों में विदेशी पूंजी से उनकी विकास [illegible] को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया है, जो कि इन विकसित देशों के बहुत निकट स्थित थे अथवा प्राचीन रीति-रिवाजों और परम्पराओं के कारण उनके अधिक समीप थे। परन्तु यह केवल अपवाद रूप में ही है। अत्यन्त सघन आबादी वाले जो पिछड़े हुए देश इस समय अपना विकास करने में संलग्न हैं उनकी दशा उनसे सर्वथा भिन्न है। उनकी अपनी समस्याएं इस प्रकार की हैं कि उन्हें ध्यान में रखते हुए हाल के वर्षों में सरकार अथवा संस्थाओं द्वारा सहायता दिया जाना आवश्यक हो गया है।

परन्तु फिर भी अर्ध विकसित देशों के लिये विदेशी निजी पूंजी के महत्व को कम नहीं माना जाना चाहिये। हमारी द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत यह मान लिया गया है कि इस अवधि में लगभग १ अरब रुपया विदेशी पूंजी के रूप में आकर लगेगा। विदेशों से जो सहायता मिलने की अपेक्षा की गयी थी और बाद में जिसको अत्यावश्यक मान लिया गया था, उसका यह विदेशी पूंजी एक बहुत छोटा भाग ही है। परन्तु फिर भी इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे देश में ऐसी अवस्था उपलब्ध है जो विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के उपयुक्त है।

विदेशी पूंजी भारत में लगाने के विषय में जो अनुमान लगाये गये थे वे व्यावहारिक दृष्टि से कहां तक सफल हुए हैं, इसे सिद्ध करने के लिये अभी पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु अब तक जो अनुमान लगाये गये हैं उनसे प्रकट होता है कि वह अत्यन्त आशाजनक हैं। ३० जून, १९४८ तक भारत में जो विदेशी पूंजी लगायी जा चुकी थी उसका योग २८८ करोड़ रु० है, जिसमें से २१० करोड़ रु० ब्रिटेन से आये हैं। इसके लगभग ५ वर्ष के बाद अर्थात् ३१ दिसम्बर, १९५३ को विदेशी पूंजी का योग ४१९.५ करोड़ रु० था। इनमें से ३४९ करोड़ रु० ब्रिटेन से आये थे। इसके दो वर्ष बाद भारत में लगी दे[illegible] पूंजी का योग ४८०.६४ करोड़ रु० था जिसमें से ब्रिटेन का [illegible] ३६१.६६ करोड़ रु० था। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्[illegible] दृष्टि से आगे बढ़े हुए पाश्चात्य देशों से पर्याप्त विदेशी पूंजी [illegible] में लगायी जा रही है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकांश विदेशी पूंजी ब्रिटेन से लगायी गयी है जिसके साथ हमारे ऐतिहासिक सम्बन्ध रहे हैं।

भारत की नीति

इन आंकड़ों से प्रकट होता है कि विदेशी निजी पूंजी के लगाये जाने के विषय में भारत की नीति विरोधपूर्ण नहीं है, जैसा कि कुछ आलोचनाओं से प्रतीत होता है। विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिये हमारे नियम, विनियमादि को अभी ढीला करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता तो यह है कि हम इस सम्बन्ध में विदेशी पूंजी लगाने वालों को पर्याप्त जानकारी दे सकें जिससे कि भारत की नीति को वे समझ सकें कि किस प्रकार हमारे उद्योगों में विदेशी पूंजी का सहयोग लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रचार करने के लिये विचार किया जा रहा है। बहुत से देशों की पूंजी-विनियोजन सम्बन्धी नीतियों का अध्ययन करने से प्रकट होता है कि भारत ने इस सम्बन्ध में एक ऐसी नीति अपनायी है जिसके अनुसार सरकारी और निजी क्षेत्रों का स्पष्ट अलग-अलग निर्धारण कर दिया गया है। इस प्रकार निजी पूंजी लगाये जाने के क्षेत्र साफ तौर से प्रकट हो गये हैं। विदेशी पूंजी को भी वे समस्त सुविधाएं दी गयी हैं जो कि भारतीय पूंजी को प्राप्त हैं। इस प्रकार विदेशी पूंजी को भारत में केवल विदेशी होने के कारण ही कोई असुविधा नहीं है। १९५६ में भारतीय संसद ने औद्योगिक नीति सम्बन्धी जो प्रस्ताव पास किया उसमें उद्योगों की सूचियां दी गयी हैं। सरकार ने इन में स्पष्ट बता दिया है कि किन उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में रखा गया और कौन से उद्योग केवल निजी क्षेत्र में माने जायगे। इसके साथ ही यह भी बता दिया गया है कि ऐसे कौन से उद्योग हैं जो कि सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में रहेंगे।

उद्योगों के लिये अनुमति देने का आधार

निजी उद्योग के लिये जो क्षेत्र निर्धारित किया गया है उसमें स्थापित होने वाले कारखानों को अनुमति देते समय मुख्यतः यह विचार किया जाता है कि उनके कारण हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सम्बन्ध में यह देख लिया जाता है कि नये कारखाने स्थापित होने के कारण हमारे विदेशी विनिमय की भावी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और यह भार उचित है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त यह भी देख लिया जाता है कि नये कारखानों के उत्पादन द्वारा हमारे विदेशी विनिमय के उपार्जन में किस सीमा तक सहायता मिलेगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विदेशी पूंजी के ऐसे विनियोजन को उचित नहीं माना जा सकता जिसके फलस्वरूप भारत में विलास सामग्री का उत्पादन हो, क्योंकि इस समय हमें अन्य आवश्यक कार्यों के लिये विदेशी विनिमय की बहुत अधिक आवश्यकता है। सरकार नये कारखाने खोलने अथवा पुराने कारखानों का विस्तार करने के लिये दिये जाने वाले आवेदन पत्रों पर स्वीकृति देते समय इसी दृष्टि से विचार किया करती है। एक बार यह निश्चय हो जाने पर कि निजी क्षेत्र में कोई नया कारखाना खोला जायगा अथवा किसी कारखाने का विस्तार किया जायगा तो विदेशी पूंजी द्वारा उसके उपकरण आयात करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है, जिनकी कि उस कारखाने के लिये आवश्यकता होगी। इसलिये सरकार से स्वीकृति मिल जाने के पश्चात कारखाना खोलने के इच्छुक भारतीयों को विदेशी सहयोग के लिये इसी दृष्टि से खोज करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के सहयोग से दो लाभ होते हैं। एक तो विदेशी औद्योगिकों और भारतीय औद्योगिकों के मध्य सहयोग की वृद्धि होती है और दूसरे इससे भारतीयों को औद्योगिक प्रविधियों में विशेषज्ञता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यदि विदेशों के साथ भारतीय औद्योगिकों का सहयोग न हुआ होता तो यह विशेष ज्ञान प्राप्त होने में कठिनाई होती।

भारत में पूंजी लगाने के इच्छुक समृद्ध देशों के पूंजीपतियों के समक्ष कर लगाने की समस्या कठिनाई उत्पन्न करती रही है। लाभ के ऊपर आयकर इस आधार पर लगाया जाता है कि वह आय किस स्थान पर होती है। इसलिये विदेशी पूंजी को भारत में जो लाभ होता है उस पर भारत में आयकर लगाया जा सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण मिले हैं जब कि विदेशी पूंजी द्वारा हुई आमदनी में दो बार कर लगाया गया है; अर्थात् एक तो भारत में और दूसरा उस देश में जहां से यह पूंजी भारत में लायी गयी थी और जहां कि उस पर हुआ लाभ ले जाया गया था। इससे निश्चय ही कुछ सीमा तक विदेशी पूंजी के आने में रुकावट पड़ती है। हाल ही में भारत सरकार ने अनेक देशों के साथ इस प्रकार की बातचीत की है जिसके द्वारा दो बार कर लगाया जाना रोका जा सकेगा। आशा है कि इस सम्बन्ध में ऐसे प्रत्येक देश के साथ किसी न किसी प्रकार का करार हो जायगा जहां से कि विदेशी पूंजी भारत में आने की सम्भावना हो।

सहायता मिलने में सफलता

विदेशी पूंजी लगाये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार ने प्रत्येक मामले पर उसके महत्व के अनुसार विचार करने की नीति अपनायी है। रायल्टी दिये जाने और विदेशी ऋणों पर ब्याज की दरों आदि के विषय में कोई अटल सिद्धान्त नहीं बनाया गया है और प्रत्येक मामले पर उसकी स्थिति के अनुसार विचार करके निश्चय किया जाता है। इस प्रकार सहयोग के बारे में हमारे प्रयत्न अत्यन्त उदार नीति के अनुसार होते हैं और इसका फल यह हुआ है कि किसी भारतीय अथवा विदेशी पूंजीपति के मध्य सहयोग के लिये होने वाली वार्ता शायद ही कभी विफल हुई हो।

इस प्रकार के कारखानों में काम करने के लिये जो विदेशी विशेषज्ञ अथवा कारीगर आते हैं उनके विषय में भारत सरकार ने अत्यन्त उदार नीति का अवलम्बन किया है। परन्तु वह यह देखने का पूरा प्रयत्न करती है कि प्रत्येक उद्योग में काम करने के लिये भारतीयों को विशेष प्रविधियों आदि का भली प्रकार ज्ञान हो जाय और

वे उन्हें सीख कर विदेशी विशेषज्ञों के समान प्रवीणता प्राप्त कर लें। भारत में विदेशों से नये उद्योग सिखाने के लिये जो विशेषज्ञ आते हैं उन्हें कर सम्बन्धी अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं।

विदेशी पूंजी के विनियोजन के बारे में सरकार की जो नीति है उस पर पूर्ण विस्तार से तो इस छोटे से लेख में प्रकाश डालना सम्भव नहीं है पर इसके लिये पुस्तक रूप में अलग से प्रकाशन किया जा रहा है। यह पुस्तक सम्भवतः निकट भविष्य में ही तैयार हो जायगी।

परन्तु ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में विदेशी पूंजी लगाने के लिये जो अवस्थाएं और सुविधाएं उपलब्ध हैं वे औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़े हुए किसी भी देश में उपलब्ध सुविधाओं से कम नहीं हैं। इसके साथ ही उन्हें यह भी बतलाना आवश्यक है कि आगे बढ़े हुए देशों में उत्पादित माल को खपाने की जो सम्भावना है उससे कहीं अधिक सुविधाएं और सम्भावनाएं उन देशों में उपलब्ध हैं जहां इस समय विकास हो रहा है और जिसके लिये विदेशी पूंजी लगाने की आवश्यकता है।

भारतीय रुपये का मूल्य : विभिन्न देशों की मुद्राओं में

देश	भारतीय मुद्रा		विदेशी मुद्रा
१. पाकिस्तान	१०० रु०	=	६६ पाकिस्तानी रु० १५ आ०
२. लंका	१०० रु० ४५ न.पै०	=	१०० लंका के रु०
३. बरमा	१०० रु० ३० न.पै०	=	१०० क्यात
४. अमेरिका	४७७ रु० ४ न.पै०	=	१०० डालर
५. कनाडा	४६६ रु० १२ न.पै०	=	१०० डालर
६. मलाया	१५५ रु० ७ न.पै०	=	१०० डालर
७. हांगकांग	८२ रु० ६० न.पै०	=	१०० डालर
८. ब्रिटेन	१ रु०	=	१ शि० ५-३१/३२ पैंस
९. न्यूजीलैण्ड	१ रु०	=	१ शि० ५-३१/३२ पैंस
१०. आस्ट्रेलिया	१ रु०	=	१ शि० १०-५/१६ पैंस
११. दक्षिणी अफ्रीका	१ रु०	=	१ शि० ५-१५/१६ पैंस
१२. पूर्वी अफ्रीका	६७ रु० १३ न.पै०	=	१०० शि०
१३. मिस्र	१३ रु० ८१ न.पै०	=	१ पौंड
१४. फ्रांस	१०० रु०	=	८७२६-६/१६ फ्रांक
१५. बेलजियम	१०० रु०	=	१०३७-२१/३२ फ्रांक
१६. स्विटजरलैण्ड	१०० रु०	=	६१-३/३२ फ्रांक
१७. पश्चिमी जर्मनी	१०० रु०	=	८७-७/३२ मार्क
१८. नीदरलैण्ड	१०० रु०	=	७८-७/८ गिल्डर
१९. नारवे	१०० रु०	=	१४६-६/३२ क्रोनर
२०. स्वीडन	१०० रु०	=	१०७-११/१६ क्रोनर
२१. डेनमार्क	१०० रु०	=	१४४-५/१६ डेनमार्क क्रोनर
२२. इटली	१०० रु०	=	१२६७५ लीरा
२३. जापान	१ रु०	=	७५.३ येन
२४ फिलिपाइन	२३६ रु० ११ न.पै०	=	१०० पीसो
२५. इराक	१,३३८ रु०	=	१०० दीनार

(ये विनिमय दरें अगस्त १६५८ में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार हैं।)

योजना-निर्माण के मूलभूत सिद्धान्त

★ ले० श्री तरलोक सिंह, आई० सी० एस०।

भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का हाल में जो मूल्यांकन किया गया है, उसका महत्व देश के अन्दर तथा विदेशों में समझे जाने की आवश्यकता है। यह पुनर्मूल्यांकन क्यों करना पड़ा तथा इसका क्या महत्व है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना अनुपयुक्त न होगा।

गैर-सरकारी उद्योग-धन्धों वाली अर्थ-व्यवस्था में पूंजी नियोजन और आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वे तरीके नहीं अपनाये जाते जो योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्थाओं में काम में लाये जाते हैं। इन तरीकों में जो आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन करने होते हैं, उन्हें सामान्य तथा जरूरी समझा जाता है; हालांकि सरकारी नीति तथा उसके तरीके महायुद्ध के पहले की तुलना में आर्थिक आयोजना के अधिक निकट आ गये हैं। योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था वाले देशों में अक्सर उनकी योजनाओं में जबर्दस्त परिवर्तन किये जाते हैं लेकिन भारत की राष्ट्रीय योजना में जो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं, उनके लिए जनता की टीकाटिप्पणी का लाभ हमें प्राप्त था। अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे अपनी स्थिति स्पष्ट करें और जो परिवर्तन किये हैं, उनको उचित ठहराएं और जनता की आलोचना में जो उचित बातें हैं, उन सबकी पूर्ति करें। इसमें तनिक भी शक नहीं कि आगे चलकर भविष्य के लिये जनता का यह समझ लेना कि किसी आयोजना में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं और हमारे योजना निर्माण में कहां कमी रह गयी, हमारे लिये एक मूल्यवान पूंजी है जो भावी सफलता का शुभ लक्षण है।

भविष्य के लिए परिश्रम

भारत जैसे देशों में योजना बनाने या आने वाली कुछ सालों के लिए कुछ करने का निश्चय करना और उनमें इतना लचीलापन भी रख लेना कि जरूरत होने पर फौरन उसमें हेरफेर कर लिया जा सके, इन दोनों बातों में सामंजस्य स्थापित कर लेना आसान काम नहीं होता है। विकसित देशों में जो आर्थिक विकास कार्य शुरू न करने पर भी आर्थिक स्थिरता बनाये रखना सरकारी नीति का एक मुख्य लक्ष्य होता है। अल्प विकसित देशों में अल्पकालीन स्थिरता भी कभी-कभी बड़े महत्व की होती है लेकिन पर्याप्त आर्थिक विकास के बिना स्थिरता दिखना असफलता तथा गड़बड़ी का पूर्वाभास ही सिद्ध हो सकता है। क्योंकि अल्प विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में समस्याएं दीर्घकाल न होती हैं। खेती की उत्पादकता बढ़ाना, नये नये कामों के लिए लोगों को ट्रेनिंग देना, बिजली पैदा करनी तथा परिवहन व्यवस्था बढ़ाना जिससे अर्थ-व्यवस्था को आधुनिक आधार पर लाया जा सके तथा आरंभिक सामाजिक सेवाओं का विस्तार करना ऐसे काम हैं जिनके लिए पीढ़ी कर डालने की भावना लेकर लगातार मेहनत करनी पड़ती है। इनके लिए भविष्य को ध्यान में रखकर स्वेच्छा पूर्वक और असल में अनिवार्य तौर पर अपने दायित्वों को समझना पड़ता है तथा उन्हें पूरा करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है।

कुछ अनिश्चित बातें

किसी भी देश के आर्थिक विकास की योजना बनाने में सूझ-बूझ के साथ निर्णय करने होते हैं। इनमें से कुछ निर्णय तो ज्ञात तथ्यों के आधार पर होते हैं और कुछ निर्णय अनुमानों तथा पूर्वाभासों के आधार पर करने होते हैं। जिन अनिश्चित बातों के आधार पर चलना होता है, उनकी संख्या निश्चित बातों से किसी कदर कम नहीं होती है। जो अल्प विकसित देश अंतर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के अंग बनकर चलना चाहते हैं, उनके सामने ऐसे बहुत से प्रमुख परिवर्तन आते हैं जो उनकी अपनी कृति नहीं होते हैं। बाहरी संसार के परिवर्तनों की ये लहरें आंतरिक अनिश्चितताओं से मिल जाती हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कृषि उत्पादन में घट-बढ़ होना तथा आयात-निर्यात का अनुपात प्रतिकूल होना है। ये सब मिल कर सारी अर्थ व्यवस्था को घपले में डाल सकते हैं। गल्ले की कमी, देश में भावों का चढ़ना, भुगतान संतुलन प्रतिकूल होना तथा औद्योगिक उत्पादन में कमी ये बातें कभी भी हो सकती हैं।

विदेशी साधन

अन्य स्थितियां सर्वोत्तम रहें तब भी विदेशी साधनों के बारे में तो अनिश्चितता बहुत कुछ बनी ही रहती है। लेकिन ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं जिनमें देश के आंतरिक वित्तीय साधन उपलब्ध होना भी संदिग्ध हो जाए। फिर भी देशीय साधनों का ख्याल रखा जा सकता है, जो अपने आप में कोई आसान काम नहीं है। जहां तक विदेशी साधनों का प्रश्न है, उन पर कितना निर्भर रहा जा सकता है, यह कह सकना अत्यधिक कठिन है। विदेशी मुद्रा के उतने ही साधनों पर हम भरोसा कर सकते हैं, जो अपनी अर्थ-व्यवस्था के द्वारा ही अर्जित किये जाते हैं। बाहर के देश तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्था के लिए यह बिलकुल ठीक है कि वह सहायता देने के बारे में उपयुक्त समय पर सोच विचार करने की स्वतन्त्रता रखें। अगर अत्यधिक समझदारी बरती जाए और लागत सम्बन्धी सभी अनुमान काफी विश्वसनीय हों, तब भी विदेशी साधनों के बारे में बहुत अधिक अनिश्चित स्थिति बनी रहती है। फिर भी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो योजना सम्बन्धी निर्णय करने ही होते हैं चाहे वे कितने ही अस्थायी क्यों न हों। उन्हें पूरा करने के लिए तैयारी भी करने ही होती है। छोटी-मोटी गलतियां बचायी जा सकती हैं, एक बार हुई गलतियां आगे नहीं होने दी जा सकतीं लेकिन भविष्य के बारे में अनुमान लगाने से थोड़े ही बचा जा सकता है। अगर बचा जाता है तो योजना निर्माण का विचार ही त्याग देना होगा।

तीन बुनियादी बातें

जब कोई सरकार या उसकी कोई संस्था भविष्य के बारे में योजना सम्बन्धी कोई निर्णय करती है तो उसके निर्णय में साधारण निर्णय से तीन बातें विशेष होती हैं। इनमें पहली बात यह है कि सरकारी निर्णय व्यापक मुद्दों को ध्यान में रखकर करने होते हैं और उनसे निजी निर्णयों की अपेक्षा अधिक व्यापक लाभ होने चाहिएं। इन दोनों की पूरी तरह तुलना नहीं की जा सकती। दूसरी विशेष बात यह है कि सरकारी योजना-निर्माण में समस्त समुदाय की ओर से पूंजी लगाने का निर्णय करना होता है जो दीर्घकालीन आधार पर होता है। इन निर्णयों को जल्दी-जल्दी बदला नहीं जा सकता। एक बार ये निर्णय कर लिये जाएं तो फिर उनकी अपनी भी एक गति बन जाती है। अक्सर एक प्रकार का पूंजी विनियोजन दूसरे प्रकार के विनियोजन का पूरक होता है और चलकर दोनों एकाकार हो जाते हैं। योजना-निर्माण सम्बन्धी तीसरी विशेष बात यह होती है कि ये निर्णय स्वयं उस जन-समुदाय, उसकी अर्थ-व्यवस्था तथा अन्य जन-समुदायों के आचरण सम्बन्धी कुछ अनुमानों आदि पर आधारित होते हैं। इनमें बहुत से परिवर्तनशील तत्व रहते हैं और उनकी निश्चित भविष्य वाणी नहीं की जा सकती।

पर्याप्त अनुभव की कमी

इसके साथ यह बात भी निस्संकोच स्वीकार करनी चाहिए कि ज्ञान का काफी प्रसार हो सकने के बाद भी हमें अभी योजना निर्माण का तथा ऐसी जटिल अर्थ-व्यवस्थाओं के संचालन का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव नहीं हुआ है, जिनमें व्यक्ति स्वातंत्र्य भी हो और विशाल अविकसित देश होने के कारण शेष संसार की अर्थ-व्यवस्था का जिस पर बहुत प्रभाव पड़ता हो। इसलिए इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं कि अगर राष्ट्रीय विकास की उस आयोजना में नये सिरे से जांच पड़ताल करने और नये नये आकलन की जरूरत पड़ गयी जो मानव तथा सामाजिक विकास की समस्याओं पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण की परिचायक है और छोटे तथा बड़े हजारों निर्णयों को अमल में लाने का कार्यक्रम है।

योजना का पुनर्मूल्यांकन

हमारी दूसरी योजना का ऐसा आकलन हाल ही में किया गया है। पुनर्मूल्यांकित योजना में बहुत से परिवर्तन किये गये हैं जिनसे पता चलता है कि विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या प्रगति हो चुकी है और समूचे योजनाकाल के लिए क्या संशोधित अनुमान हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो साधनों के अभाव में छोड़ दी गयी हैं। लेकिन मोटे तौर पर भारत की पुनर्मूल्यांकित योजना बहुत कुछ उसी तस्वीर से मिलती-जुलती है जो लगभग तीन साल पहले बनायी गयी थी। योजना की नीति सम्बन्धी मूल बातों में तो परिवर्तन करना ही क्या था? नीचे की तालिका में बताया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए मूल योजना में कितना धन रखा गया था, उसमें संशोधन करके कितना किया गया और अब उसे कितना रखा गया है। मई १९५८ में राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष आयोजना के भाग 'क' में ४५०० करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया था, जबकि मूल लक्ष्य ४८०० करोड़ रु० का था।

विकास की मुख्य मदों के लिए परिव्यय

(करोड़ रु० में)

मद	मूल योजना में निर्धारित धनराशि	कुल का प्रतिशत	संशोधित वितरण (जिससे कुछ योजनाओं का बढ़ा हुआ खर्च ४८०० करोड़ रु० की राशि में से ही किया जा सके)	कुल का प्रतिशत	अब प्रस्तावित परिव्यय जो उपलब्ध साधनों से पूरा किया जा सकेगा	कुल का प्रतिशत
१. खेती तथा सामुदायिक विकास	५६८	११.८	५६८	११.८	५१०	११.३
२. सिंचाई तथा बिजली	९१३	१९.०	८६०	१७.९	८२०	१८.२
३. ग्राम तथा लघु उद्योग	२००	४.२	२००	४.२	१६०	३.६
४. उद्योग तथा खनिज	६९०	१४.४	८८०	१८.४	७९०	१७.५
५. परिवहन तथा संचार	१३८५	२८.९	१३४५	२८.०	१३४०	२९.८
६. सामाजिक सेवाएं	९४५	१९.७	८६३	१८.०	८१०	१८.०
७. विविध	९९	२.०	८४	१.७	७०	१.६
योग	४८००	१००.०	४८००	१००.०	४५००	१००.०

विदेशी मुद्रा की उपलब्धि

जो भी लोग योजना को क्रियान्वित किये जाने से परिचित हैं, उनको यह बात भली प्रकार ज्ञात है कि आर्थिक विकास की योजना में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा विषयक लागत तथा विदेशी मुद्रा के साधनों के कारण करने होते हैं। विकास के आरम्भिक चरणों में योजना को इन बातों के प्रभाव से कितना अछूता रखा जा सकता है, यह तत्कालीन स्थितियों पर तथा विकास के वेग पर निर्भर होता है। लेकिन मूल्यवान सबक हमने सीख लिये हैं। कुछ और परिवर्तन भी किये गये हैं जो उदाहरण के तौर पर देश में अपर्याप्त पूंजी निर्माण के फलस्वरूप किये गये हैं और जिनके लिए हम अपेक्षाकृत आसानी से कुछ उपाय कर सकते थे। भारतीय योजना का यह पुनर्मूल्यांकन यदि विदेशी मुद्रा की दृष्टि से हमें सावधान रहना सिखाता है तो स्वदेशी साधनों की दृष्टि से यह अधिकाधिक तथा गहन प्रयास करने के लिए देश को कमर कसने का आह्वान करता है।

लघु उद्योगों के लिए औद्योगिक बस्तियां

★ *अनेक सुविधाएं एक ही जगह सुलभ करने की व्यवस्था।*

लघु उद्योगों के मार्ग में आने वाली अनेक कठिनाइयों में से एक कठिनाई जगह का अभाव है। इस कठिनाई के कारण बहुत से जो लोग छोटे धंधे खोलना चाहते हैं, वे हतोत्साहित हो जाते हैं और जो कारखाने चल रहे हैं, उन्हें उत्पादन करने में कठिनाई आती है और उनका आगे विस्तार नहीं हो पाता।

यदि छोटा उद्योगपति नया उद्योग खोलना चाहता है, तो न तो उसके पास अपना इतना धन होता है जो जमीन खरीदकर कारखाने की इमारत बना ले और न इतना धन दूसरों से उधार ही ले सकता है। अगर कहीं से वह धन जुटा भी ले तो उसे बहुत सी बाधाओं का सामना करना होता है जैसे उपयुक्त जमीन न मिलना, म्युनिसिपल तथा अन्य अधिकारियों से कारखाने का नक्शा पास कराना, स्वास्थ्य तथा कारखाने सम्बन्धी कानूनों के अनुसार कारखाने की इमारत बनवाना और पानी तथा बिजली के कनैक्शन लेना। यही नहीं, वह यह भी चाहता है कि उसका कारखाना ऐसी सुविधापूर्ण जगह पर हो जहां उत्पादन में तथा माल बिकने में किसी किस्म की कठिनाई न आए। दूसरे शब्दों में कारखाना ऐसे स्थान पर हो जहां, कच्चा माल, मजदूर, बिजली और पानी मिल सकता हो और उसमें बना माल बिकने के केन्द्र पास ही हों।

उक्त सब बातों को ध्यान में रखते हुए लघु औद्योगिक शहरी इलाकों में खासकर बड़े-बड़े शहरों में किराये पर मकान ले लेते हैं। शहरों में कारखानों की जगह आसानी से नहीं मिलती इसलिये जो भी जगह मिलती है, वही जगह उन्हें लेनी पड़ती है। यह जगह या तो कोई पुराना गिरता हुआ मकान होता है या किसी गन्दी बस्ती में बदबूदार जगह होती है जिसका किराया बहुत ही अधिक होता है। वह अधिक आबादी वाला शहर पसंद करता है क्योंकि वहां बिजली, परिवहन आदि की सुविधाएं उसे मिल सकती हैं।

उद्योगों का शहरों में इकट्ठा होते जाना अस्वास्थ्यकर तो है ही लेकिन जन-हित की दृष्टि से भी बड़ा जोखिम वाला है। कारखाने की इमारत स्वास्थ्यकर न होने से न सिर्फ जनता तथा म्यूनिसिपल अधिकारियों को कठिनाई तथा परेशानी होती है बल्कि उनसे कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा कुशलता पर भी कुप्रभाव पड़ता है जिससे अन्ततः उत्पादन गिरता है।

संचार साधन बढ़ जाने, विज्ञान तथा इंजीनियरी में प्रगति होने और जन हित बढ़ाने की दृष्टि से उद्योगों की योजना बनाने और नियंत्रण पर बल दिये जाने से, इस विषय में भी नये-नये विचार सामने आये हैं कि उद्योग कहां स्थापित किये जाएं। औद्योगिक बस्तियों का निर्माण ऐसा ही एक नया विचार है जो आने वाले जमाने में चलेगा। लघु उद्योगों के विकास में औद्योगिक बस्तियों के महत्व को समझते हुए भारत सरकार इन बस्तियों की स्थापना का कार्यक्रम लेकर आगे आयी है।

औद्योगिक बस्तियों का महत्व

औद्योगिक बस्तियां बनाने का उद्देश्य वे कठिनाइयां दूर करना है जो लघु औद्योगिकों के सामने आती हैं क्योंकि इन बस्तियों में उनको आवश्यक सुविधाएं दी जाएंगी। स्वास्थ्य तथा म्युनिसिपल नियमों के अनुसार कारखानों की इमारतें बनायी जाती हैं और उनमें उद्योगपतियों को पानी, बिजली तथा नालियों आदि की पूरी-पूरी सुविधा रहती है। ये बस्तियां ऐसे स्थानों पर बनायी जाती हैं जो रेलों तथा सड़कों से भली प्रकार सम्बद्ध होते हैं।

जैसी औद्योगिक बस्तियों की योजना आजकल बनायी जाती हैं, वे दो श्रेणियों में आती हैं—बड़ी बस्तियां जिनके बनाने में २० से ४० लाख रु० तक खर्च होते हैं और जो कस्बों तथा बड़े शहरों के पास बनायी जाती हैं; तथा छोटी बस्तियां जिनके बनाने पर ३ से ५ लाख रु० तक खर्च होते हैं और जो सामुदायिक विकास खंडों में तथा देहाती इलाकों में बनायी जाती हैं। बड़ी औद्योगिक बस्तियां बनाने का मुख्य उद्देश्य बड़े-बड़े शहरों की भीड़-भाड़ कम करना तथा

छोटे उद्योगों को कारखाने का आदर्श स्थान दान करना है। इसी प्रकार देहातों में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक बस्तियां योजना-बद्ध तरीके से औद्योगिक विकास करने में विशेष योग देंगी।

औद्योगिक बस्तियों की योजना

औद्योगिक बस्ती कहां स्थापित की जाएं, यह निर्णय करते समय बहुत सी बातों का ख्याल रखना होता है। कारखाने की जगह की कितनी मांग है, इसका आकलन करते समय वर्तमान मांग तथा संभावित मांग दोनों का हिसाब लगाया जाता है।

इसके लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि जहां बस्ती बसाई जाए, वहां से बाजार नजदीक हो। बाजार से दूर पड़ने वाले स्थानों में लघु उद्योगों का विकसित होना कठिन है। उन्हें लगातार अपने खरीदार से सम्पर्क रखना होता है चाहे वह थोक व्यापारी हो, या कोई कारखाना हो अथवा कोई और हो। इसलिये महत्वपूर्ण मण्डियों के निकट जो औद्योगिक बस्तियां बनायी जाती हैं, उन्हें सबसे पहले और सर्वाधिक काम मिलता है।

परिवहन की समुचित सुविधाएं होना एक और महत्वपूर्ण बात है। औद्योगिक बस्तियां किसी रेलवे स्टेशन के समीप अथवा किसी ऐसे स्थान में स्थापित की जाएं जहां मुख्य सड़कों द्वारा पहुँचा जा सके। जहां स्टेशन हो वहां, उनके लिए रेलवे साइडिंग भी बनी होनी चाहिए ताकि कच्चा माल मंगाने में और बना हुआ माल भेजने में मितव्ययता हो सके। यह भी देखना पड़ता है कि वहां बिजली और पानी भी उचित दरों पर मिल सके।

बस्ती के लिए स्थान चुनते समय जिन अन्य बातों का ख्याल रखना होता है, वे ये हैं कि वह स्थान ऐसा हो जहां मेहनती मजदूर पास में ही सुलभ हों और उनके रहने के लिए मकानों की तथा मजदूरों को लाने ले जाने की सुविधाएं भी हों।

उस स्थान पर इमारत बनाना शुरू करने से पहले वैज्ञानिक आधार पर उसकी योजना बनानी पड़ती है, भूमि को समतल करना होता है, नालियां, मलवाहक नालियां एवं सड़कें निकालनी होती हैं तथा बाग और खुली जगह छोड़नी होती हैं। बस्तियों के अंदर वास्तुशिल्पी, कारखानों सम्बन्धी कानूनों तथा नियमों के अनुरूप कारखानों की इमारतों की आधुनिकतम डिजाइनें बनाते हैं। उनमें बिजली और खिड़कियों की समुचित व्यवस्था होती है तथा दफ्तर के लिए, कच्चा माल तथा बना बनाया माल रखने के लिए जगह का इन्तजाम होता है।

संक्षेप में जो लोग औद्योगिक बस्तियों में कारखाने की जगह किराये पर लेते हैं, उन्हें भली प्रकार आयोजित क्षेत्र में जगह मिलती है जिसमें सड़कों, संचार साधनों, पानी, बिजली तथा पावर के कनेक्शनों की पूरी व्यवस्था रहती है।

सामान्य सेवा सुविधाएं

कारखाने के लिए आदर्श जगह मिलने के अलावा औद्योगिक बस्तियों में और भी लाभ रहता है। ये बस्तियां बसाने की योजना का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक इस सहायता के साथ सहायता का अन्य कार्यक्रम भी सम्बद्ध न हो। औद्योगिक बस्ती के कारखाने अपनी संस्थाएं बना सकते हैं जिससे वे सम्मिलित रूप से कच्चा माल खरीद सकें और तैयार माल बेच सकें। ऐसा करने से उनमें न सिर्फ सहयोग की भावना पैदा होती है बल्कि इससे उन्हें काफी बचत भी हुआ करेगी। औद्योगिक बस्तियों का एक महत्वपूर्ण लाभ सामान्य सेवा सुविधाएं स्थापित करना जैसे बिजली से पालिश करने, वस्तुएं तपाने, धातु की परीक्षा करने तथा तामचीनी आदि करने के एक एक कारखाने से ही सभी औद्योगिकों का काम चल सकेगा।

एक ही स्थान पर अनेक प्रकार के उद्योग केन्द्रित होने से एक उद्योग दूसरे उद्योग का माल ले सकेगा और मरम्मत आदि सेवा कार्य कर सकेगा। इससे सभी काम सुविधापूर्वक हो जाने के कारण उत्पादन लागत काफी घटेगी।

औद्योगिक बस्तियों में कारखानों की इमारतों के अलावा बैंकों, डाकखानों, टेलीफोन एक्सचेंज, बीमा के दफ्तर, श्रम दिलाऊ दफ्तर आदि की भी व्यवस्था होगी। उनमें कैंटीनें, दुकानें, औषधालय, क्लब, आमोद-प्रमोद की अन्य सुविधाएं तथा वाचनालय भी होंगे।

सरकारी सहायता

इन बस्तियों में छोटे उद्योग एक ही स्थान पर होने के कारण सरकार की बहुत सी संस्थाओं के लिए लघु उद्योगों को सहायता देना तथा उन्हें अनेक सेवाएं प्रदान करना अधिक सुविधाजनक रहेगा। सरकार ने जो औद्योगिक विस्तार सेवा संस्थाएं बनायी हैं, उनको इससे यह सुविधा रहेगी कि वे उत्पादन की उन्नत विधियों का प्रदर्शन कर सकेंगी और निर्माण की विशेष विधियों का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर सकेंगी। इसी प्रकार राज्य सरकारों तथा ऋण देने वाली अन्य संस्थाओं को भी एक ही स्थान पर काम कर रहे लघु उद्योगों से कारबार करने में सुविधा होगी। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा उसके सहायक निगम भी अपनी किराया-खरीद योजना के अंतर्गत उनको मशीनें देंगे, सरकारी विभागों के लिए माल के ठेके दिलाएंगे, बड़े-बड़े कारखानों के लिए छोटी-छोटी चीजें बनवाएंगे तथा अपनी चलती-फिरती गाड़ियों और थोक के डिपो आदि से उनका तैयार माल बिकवाने में सहायता करेंगे।

अधिक रोजगार

अन्त में इस बात जोर दिया जाना चाहिए कि देश में औद्योगिक

बस्तियां स्थापित करने का जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ होगा वह देहातों तथा शहरों में लोगों को अधिक रोजगार मिलने के रूप में होगा। औद्योगिक बस्तियों की स्थापना से नये उद्योग शुरू करने के लिए न सिर्फ अनुकूल भूमि मिलेगी बल्कि इससे आवश्यक वातावरण बनेगा जो इनके विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। कारीगरों और कर्मचारियों को उत्पादन की नयी-नयी विधियों के अलावा बहुत सी नयी कारीगरियों तथा यन्त्रों की ट्रेनिंग मिल सकेगी।

औद्योगिक बस्तियों का कार्यक्रम

औद्योगिक बस्तियां या व्यापार बस्तियां द्वितीय महायुद्ध से पहले ब्रिटेन में स्थापित की गई थीं जिससे सबसे अधिक बेरोजगारी वाले इलाकों में नया जीवन फूंका जा सके और उद्योग-धंधे बढ़ सकें। इन बस्तियों ने वहां के जीवन में जो परिवर्त्तन किया, उसका विश्वास तभी किया जा सकता है, जब उसे स्वयं देखा जाए। पहले के 'चिन्ता पूर्ण' इलाके अब इतने बदल गये हैं कि उन्हें 'विकास क्षेत्र' कहा जा सकता है।

ब्रिटेन में औद्योगिक बस्तियों की सफलता से प्रभावित होकर लघु उद्योग बोर्ड ने भारत सरकार को सुझाव दिया था कि हमारे देश में भी लघु उद्योगों का योजना-बद्ध विकास करने के लिए ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जाए।

लघु उद्योग बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करके तथा औद्योगिक बस्तियों के प्रस्तावित कार्यक्रम पर देश की विकास परक अर्थ-व्यवस्था की पृष्ठ-भूमि में जांच पड़ताल करके भारत सरकार ने निश्चय किया कि देश की अवस्थाएं देखते हुए, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें देश में औद्योगिक बस्तियों का जाल फैला दें।

इस प्रकार भारत सरकार और राज्य सरकारों ने लघु उद्योगों के विकास के अपने कार्यक्रम में औद्योगिक बस्तियों को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इनके लिए १० करोड़ रु० की व्यवस्था पहले की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर १५ करोड़ कर दिया गया है।

देश में औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने की योजना बनायी गई है जिसमें से ६५ बस्तियों की योजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं। योजना कमीशन द्वारा निर्धारित नवीनतम पद्धति के अनुसार ७ औद्योगिक बस्तियों को टेकनीकल मंजूरी दी जा चुकी है और इस प्रकार मंजूर शुदा योजनाओं की संख्या ७२ हो गई है।

अन्य सुविधाएं

इनमें से ओखला (दिल्ली) तथा इलाहाबाद की दो बस्तियां तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम बनवा रहा है और शेष बस्तियां सम्बन्धित राज्य सरकारें बनवा रहीं हैं। राज्य सरकारें जमीनें लेती हैं, उसे संभालती-सुधारती हैं, सड़कें बनवाती हैं, कारखानों आदि की अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करतीं तथा सभी के लिये मिली-जुली मरम्मत वर्कशाप बनवाती हैं। इसके बाद कारखाने की इमारतों को रियायती किराये पर उठा दिया जाता है, या बेच दिया जाता है या किराया-खरीद प्रणाली के आधार पर छोटे औद्योगिकों को दिया जाता है। इन बस्तियों पर आने वाली सारी लागत का धन केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को ऋण के रूप में देती है।

अब तक मंजूर शुदा ६५ औद्योगिक बस्तियों में चार आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम्, सनतनगर, विजयवाड़ा तथा समालकोट में; दो आसाम में गोहाटी तथा ढेकियाजुली नामक स्थानों में; चार बिहार में पटना, दरभंगा, बिहार शरीफ और रांची में; आठ बम्बई में राजकोट, सूरत (उद्‌ना); बम्बई, (कुर्ला) पूना (हादपसुर), कोल्हापुर, बड़ौदा, भावनगर और गांधीधाम में; जम्मू और कश्मीर राज्य में एक जम्मू में; ६ केरल राज्य में कोल्लावाडवू, पालघाट, एट्टूमनूर, ओल्लूर, पाप नामकोडे और कुथानाड़ में; ७ मध्यप्रदेश में इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर, भोपाल, सतना और खंडवा में; आठ मद्रास में गिन्डी, विरुधुनगर, इरोड, मार्तंडम्, तिरिचनापल्ली तिरुनेलवेल्ली, कोयम्बटूर तथा मदुराई में; आठ मैसूर राज्य में मैसूर, बंगलौर, बालगांव हरीहर, गुलबर्गा, राम नगरम, हुबली तथा मंगलौर में; तीन उड़ीसा में भारसुगुडा, केन्द्रपाड़ा और कटक में; १ पंजाब के लुधियाना में; तीन राजस्थान में जयपुर, भीलवाड़ा और मारवाड़ में; ५ उत्तरप्रदेश में कानपुर, आगरा, देवबंद, वाराणसी और लूनी में; दो पश्चिमी बंगाल में कल्याणी और बरुईपुर में स्थापित की जा रही हैं। ओखला (दिल्ली) तथा नैनी (इलाहाबाद) की दो औद्योगिक बस्तियां राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम बनवा रहा है।

जिन सात औद्योगिक बस्तियों की योजना को टैक्निकल मंजूरी दी जा चुकी है, वे नन्दयाल (आंध्रप्रदेश), श्री नगर तथा अनंतनाग (जम्मू और कश्मीर), बरहामपुर तथा राउरकेला (उड़ीसा) तथा बटाला और मलेरकोटला (पंजाब) में स्थापित की जाएंगी।

चालू औद्योगिक बस्तियां

११ औद्योगिक बस्तियों में काम चालू हो गया है। २३ बस्तियों में निर्माण काफी आगे के दौर में चल रहा है। विभिन्न ... बस्तियों में १६६ वर्कशापें चल निकली हैं। जिन औद्योगिक बस्तियों में काम चल निकला है, वे निम्न हैं:—

ओखला (दिल्ली) :—भारत में अपनी किस्म की सबसे ... औद्योगिक बस्ती दिल्ली से ७ मील दक्षिण में ओखला में स्थापित की गयी है। ४० एकड़ क्षेत्रफल वाली यह बस्ती ३५ कारखानों के घर्र-घर्र स्वर से गूंजती रहती है। ये कारखाने तरह-तरह की चीजें बनाते हैं। कोई ढलाई का काम करता है, कोई रेडियो के पुर्जे बनाता है, तो कोई बिजली के केबिल, मोटरों के पुर्जे, साइकिलों के पुर्जे, ... के लिए लोहे का सामान, सेफ्टी रेजर ब्लेड, ड्राइंग के उपकरण तो कोई सैनेटरी फिटिंग्स आदि बनाते हैं।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम इस बस्ती के निर्माण पर लगभग ४५ लाख रु० खर्च कर चुका है। इसमें चल रहे कारखानों में ५०० व्यक्ति काम करते हैं और जैसे ही इन कारखानों में पूरी क्षमता से उत्पादन होने लगेगा, इनकी संख्या बढ़कर १५०० तक हो जाने की आशा है।

नैनी (इलाहाबाद) :—नैनी औद्योगिक बस्ती इलाहाबाद से ६ मील दूर मिर्जापुर रोड पर स्थित है और इसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने बनवाया है। २३ एकड़ में फैली इस बस्ती का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और ३४ में से २६ कारखानों की इमारतें अलाट की जा चुकी हैं। इसे बनाने में २६ लाख रु० खर्च हुआ है।

राजकोट (बम्बई) :—इसमें बने ६२ शेडों में से ६५ लघु औद्योगिकों को दिये जा चुके हैं। इस बस्ती में चल रहे उद्योगों में ३६५ मजदूर काम कर रहे हैं। इनमें इपकरणे के कपड़े की रंगाई, मशीन शाप तथा फाउन्ड्री, प्लास्टिक की चूड़ियां, रोलिंग शटर, बिजली का सामान, जिप फेसनर, जूते का सामान आदि बनता है।

गिन्डी (मद्रास) :—गिन्डी की औद्योगिक बस्ती बनाने में ३४.७६ लाख रु० खर्च हुआ है। इसमें ५२ कारखानों की इमारतें बनायी गयी हैं जिनमें से ४६ इमारतें लघु उद्योगों को दी जा चुकी हैं। इस बस्ती में चलने वाले उद्योग निम्न चीजें बनाते हैं :—गीयर और गीयर बक्स, धातु की ढली चीजें, साइकिलें और साइकिलों का सामान, चमड़े का सामान, चश्मे के फ्रेम, ट्रांसमीशन लाइनों के टूल तथा फिटिंग्स, वाल्वे, कागज की पिनें और क्लिपें, मोटरों के फालतू पुर्जे, बिजली का फुटकर सामान, एम्पलीफायर तथा ट्रांसफार्मर। इनमें ३७८ कर्मचारी लगे हुए हैं।

कटक (उड़ीसा) :—कटक की औद्योगिक बस्ती के बनाने पर अब तक ६.४४ लाख रु० खर्च हो चुके हैं। इसमें चलने वाले उद्योग हैं:—लकड़ी का काम, रंगरोगन और वारनिश, साइकिलें तथा साइकिल के पुर्जे, कोलेप्सीबल गेट, फाउन्टेनपेन की स्याही, ड्राइ बैटरियां, कृषि उपकरण, रसायनिक पदार्थ, सेफ्टीरेजर ब्लेड, पीतल के बर्तन, गत्ते के बक्स बनाने के उद्योग।

पापनामकोडे (केरल) :—इस बस्ती में बने ३२ कारखानों में से ३० कारखाने लघु औद्योगिकों को दिये जा चुके हैं। इनमें ६१ कर्मचारी काम करते हैं। इसे बनाने पर मार्च १९५८ तक ६.७१ लाख रु० खर्च किया जा चुका है। इस बस्ती में बढ़ईगिरी, लोहारी, मशीनी औजार, शुद्ध माप उपकरण, जूते, नारियल की पिथ आदि के उद्योग चल रहे हैं।

कोल्लाकाडवू (केरल) :—मार्च १९५८ तक इस बस्ती के निर्माण पर १०.०४ लाख रु० खर्च किया जा चुका है। इसमें बनी ४२ कारखानों की इमारतों में से १७ इमारतें लघु औद्योगिकों को दी जा चुकी हैं। इस बस्ती में चलने वाले उद्योग दियासलाई, रसायनिक पदार्थ, तेल, साबुन आदि बनाते हैं। इन उद्योगों में १४० लोग काम करते हैं।

एट्टूमनूर (केरल) :—इसमें बनी २१ इमारतों में से १० में कारखाने आ गये हैं। इस बस्ती में मशीनी औजार तथा हाथ के औजार बनाये जाते हैं जिनमें ३० लोग काम करते हैं। मार्च १९५८ तक दो वर्षों में इस बस्ती पर ८.२३ लाख रु० खर्च किया जा चुका है।

पालघाट (केरल) :—मार्च १९५८ तक इस बस्ती के निर्माण पर ४.७ लाख रु० खर्च हो चुका है। इसमें बनी ३२ इमारतों में से ८ इमारतों में लघु औद्योगिकों ने काम शुरू कर दिया है।

ओल्लूर (केरल) :—४२ कारखानों की इमारतों में १६ में लघु औद्योगिकों ने काम शुरू कर दिया है। इसमें फरनीचर, धातु के बर्तन कृषि उपकरण, मोटर गाड़ियों के पुर्जे, बोबिन, तथा बुनाई उद्योग का सामान बनता है। इस बस्ती के निर्माण पर अभी तक १०.२० लाख रु० खर्च आ चुका है।

गौहाटी (आसाम) —इसमें बने ५२ कारखानों में से ४८ शेड बनाये जा चुके हैं। इनके निर्माण पर अब तक १०.४३ लाख रु० खर्च आ चुका है। इनमें से २१ शेड लघु उद्योगों को अलाट किये जा चुके हैं और १६ शेड शिक्षित बेरोजगारों को काम दिलाने की केन्द्रीय सरकार की प्रायोजना के लिए रखे गये हैं।

द्वितीय योजना में परिवर्त्तन कैसा और क्यों ?

★ *प्रगति और लक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन का विवरण।*

एक वर्ष पूर्व संसद् ने तत्कालीन आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना पर विचार किया था। उस समय आयोजना के विभिन्न चरणों में परिवर्त्तन करने से सम्बन्ध रखने वाली कई प्रकार की समस्याओं का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सका था। तब संशोधनों के विषय में केवल मोटे तौर पर ही संकेत किया जा सका था। इसके बाद कई महीनों तक आयोजना आयोग इस विषय में और भी विचार करता रहा। उस समय तक जो नई घटनाएं हो चुकी थीं उन पर विचार करने के बाद उसने मई १९५८ में राष्ट्रीय विकास परिषद् तथा संसद् के समक्ष द्वितीय आयोजना के मूल्यांकन एवं सम्भावनाओं के विषय में एक स्मरण-पत्र प्रस्तुत किया। इस स्मरण-पत्र में आयोजना आयोग ने द्वितीय आयोजना के पहले दो वर्षों में प्राप्त हुई सफलताओं तथा तीसरे वर्ष के लक्ष्यों का सिंहावलोकन किया। इसके अतिरिक्त उसने आयोजन के शेष दो वर्षों की सम्भावित प्रवृत्तियों एवं आवश्यकताओं का अनुमान लगाने का भी प्रयत्न किया। अन्य तथ्यों के साथ स्मरण-पत्र में यह भी बताया गया कि आयोजना अवधि में उपलब्ध समस्त साधनों के योग का अनुमान लगभग ४२०० करोड़ रु० होगा। यदि आयोजना को काट छांट कर इस स्तर तक लाया गया तो उसका हमारी अर्थ-व्यवस्था पर अनेक प्रकार से अवांछनीय प्रभाव पड़ेगा। समाज सेवाओं के कार्यक्रमों में भारी कटौती करनी होगी। उत्पादन में होने वाली वृद्धि तथा नियोजन की गति भी घट जायगी। इसके अतिरिक्त आयोजना के अंतर्गत की गई धन की व्यवस्था में भी भारी उलट-फेर हो जायगा। इसलिये आयोजना आयोग ने कहा कि आयोजना पर खर्च की जाने वाली धनराशि किसी भी दशा में ४५०० करोड़ रु० से कम नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार उपलब्ध साधनों को देखते हुए २४० करोड़ रु० की कमी पड़ेगी जिसे देश में अधिक प्रयत्न करके पूरा कर लेना चाहिए।

आयोजना का दो भागों में विभाजन

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने एक प्रस्ताव पास किया। इसके अनुसार ४८०० करोड़ रु० की सीमा के अंतर्गत चलाई जाने वाली प्रायोजनाओं और कार्यक्रमों को दो भागों में बांटने का निश्चय किया गया। भाग 'क' में जो प्रायोजनाएं और कार्यक्रम रखे गये उन पर कुल ४५०० करोड़ रु० खर्च होने वाले थे। इनमें कृषि-उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी प्रायोजनाओं के अतिरिक्त अन्य आवश्यक प्रायोजनाएं तथा पर्याप्त आगे बढ़ चुकने वाली प्रायोजनाएं एवं ऐसी योजनाएं थीं जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता था। इनके अलावा शेष योजनाओं को भाग 'ख' में रखा गया जिन पर कुल ३०० करोड़ रु० खर्च होने को थे। इस प्रकार आयोजना के भाग 'क' पर वर्तमान अनुमानों के अनुसार शेष अवधि में निश्चित की गई राशि खर्च की जा सकती थी। भाग 'ख' की योजनाओं पर अतिरिक्त साधन उपलब्ध होने की दशा में खर्च किया जा सकता था। दोनों भागों के अंतर्गत रखी जाने वाली प्रायोजनाओं का निश्चय करने के लिये केन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्य सरकारों के साथ और भी बातचीत करने का निश्चय किया गया।

कम विकसित क्षेत्र

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह मत भी प्रकट किया कि धन का निर्धारण करते समय कम विकसित क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। समाज सेवाओं तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को ऊंची प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह भी निश्चय किया गया कि केन्द्र तथा राज्य दोनों ही मिल कर अतिरिक्त करों, छोटी बचतों तथा खर्च में किफायत द्वारा अतिरिक्त साधन उपलब्ध करने का प्रयत्न करें।

प्रस्तुत लेख में उस प्रगति पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है

जो मई १९५८ से अब तक हुई है। अब तक आयोजना की जो और भी परीक्षा की गई है उसके परिणामों का भी विवेचन किया गया है। राज्यों के मुख्य मन्त्रियों और वित्त मन्त्रियों के साथ परामर्श करके यह निश्चय किया जायगा कि योजना के अंतिम दो वर्षों में वित्तीय साधन किस प्रकार बढ़ाये जायें। विदेशी विनिमय की समस्या के विषय में स्थिति स्पष्ट होने में अभी कुछ और भी समय लग जायगा। राज्यों और मन्त्रालयों से होने वाली वार्ता के परिणाम, आशा है नवम्बर १९५८ में होने वाली राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किये जायेंगे।

महत्वपूर्ण निष्कर्ष

मई १९५८ में राष्ट्रीय विकास परिषद् की जो बैठक हुई उसमें निम्न निष्कर्ष निकले :—

(१) चूंकि योजना के भाग 'क' का खर्च ४५०० करोड़ रु० तक सीमित करने का प्रस्ताव है, इसलिये राज्य सरकारों और आयोजना आयोग को ऐसी किसी प्रायोजना के विषय में कोई खर्च करने का निश्चय आयोजना आयोग से पूछे बिना नहीं कर लेना चाहिए जो अभी आरम्भ नहीं की गई है।

(२) १९५८-५९ के लिये राज्यों ने जो योजनाएं तैयार की हैं उन्हें अमल में लाना चाहिए परन्तु शर्त यह है कि प्रत्येक राज्य यह निश्चय करले कि उसने जिन साधनों को प्राप्त करना स्वीकार किया था उन्हें वह वर्ष में प्राप्त कर लेगा। किसी प्रायोजना विशेष के महत्व और आवश्यकता को देखते हुए यदि कोई विशेष सुझाव दिये जायें तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए।

(३) २४० करोड़ रु० की कमी को यथासम्भव पूरा करने के लिये राज्य सरकारों को ऐसे वित्तीय साधनों के विषय में नये अनुमान लगाने चाहिए जो १९५९-६१ के वर्षों में उनकी योजनाओं के लिये उपलब्ध हो सकते हों। ये अनुमान तैयार करते समय उन्हें ये साधन उस स्तर से अधिक करने के बारे में विचार करना चाहिए जो द्वितीय योजना तैयार करते समय १९५५ में निर्धारित किये गये थे।

(४) राज्यों को चाहिए कि वे उन प्रायोजनाओं की सूचियां तैयार करें जो अभी शुरू नहीं की गई हैं अथवा जिन पर अपेक्षाकृत कम धन व्यय किया गया है। इन योजनाओं को प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध करना चाहिए।

(५) आयोजना आयोग ने अपने स्मरण-पत्र में धन निर्धारण के विषय में जो सुझाव दिये हैं उन पर विभिन्न मन्त्रालयों के साथ विचार विमर्श किया जाना चाहिए।

प्रस्तुत लेख में जो सामग्री दी गई है वह सुविधा की दृष्टि से नीचे लिखे विभागों में बांटी गई है :—

(१) आयोजना आयोग द्वारा किये गये धन निर्धारण के प्रस्तावों में परिवर्तन,

(२) धन निर्धारण के विषय में केन्द्रीय मन्त्रालयों के साथ हुई बातचीत के परिणाम,

(३) आंतरिक साधन,

(४) विदेशी साधन,

(५) पुनर्मूल्यांकन की दृष्टि से आयोजना के लक्ष्यों में परिवर्तन।

[१]

आयोजना आयोग द्वारा किये गये धन निर्धारण के प्रस्तावों में परिवर्तन

आयोजना आयोग के स्मरण-पत्र में विभिन्न क्षेत्रों के लिये निर्धारित की गई राशियों का दो चरणों में पुनरावलोकन किया गया है। पहले तो उन परिवर्तनों के विषय में विचार किया गया है जो आन्तरिक अनुमानों तथा विदेशी विनिमय की लागत बढ़ जाने पर भी आयोजना का कुल खर्च पूर्ववत् ४८०० करोड़ रु० रखने पर भी करने पड़ेंगे। खर्च की अधिकतम सीमा ४८०० करोड़ रु० रखने पर भी लक्ष्यों को कुछ घटाना पड़ता है। इसके फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को संक्षेप में नीचे की तालिका में दिया गया है:—

मूल और संशोधित राशियां

	मूल				संशोधित			
	केन्द्र	राज्यों की	योग	कुल का प्रतिशत	केन्द्र	राज्यों की	योग	कुल का प्रतिशत
१. कृषि तथा सामुदायिक विकास	६५	५०३	५६८	११.८	६५	५०३	५६८	११.८
२. सिंचाई और बिजली	१०५	८०८	९१३	१९.०	७२	७८८	८६०	१७.९
३. ग्राम तथा लघु उद्योग	८०	१२०	२००	४.२	६०	१४०	२००	४.२
४. उद्योग और खनिज	६६७	२३	६९०	१४.४	८५७	२३	८८०	१८.४
५. परिवहन तथा संचार	१,२०३	१८२	१,३८५	२८.९	१,१८१	१६४	१,३४५	२८.०
६. समाज सेवाएं	३९६	५४९	९४५	१९-७	३२१	५४२	८६३	१८.०
७. विविध	४३	५६	९९	२.०	३७	६७	८४	१.७
योग	२,५५९	२.२४१	४,८००	१००.०	२,५९३	२,२०७	४,८००	१००.०

यदि आयोजना का कुल खर्च घटाकर ४५०० करोड़ रु० कर दिया जाय तो स्मरण-पत्र के अनुसार ये राशियां निम्न प्रकार रखनी होंगी :—

	योजनाओं में पहले रखी गई राशियां	कुल का प्रतिशत	कुल आयोजनाओं का बढ़ा हुआ खर्च पूरा करने के लिये संशोधित राशियां	कुल का प्रतिशत	साधनों की स्थिति के अनुसार प्रस्तावित राशियां	कुल का प्रतिशत
	१	२	३	४	५	६
१. कृषि तथा सामुदायिक विकास	५६८	११.८	५६८	११.८	५१०	११.३
२. सिंचाई तथा बिजली	९१३	१९.०	८६०	१७.९	८२०	१८.२
३. ग्राम तथा लघु उद्योग	२००	४.२	२००	४.२	१६०	३.६
४. उद्योग और खनिज	६९०	१४.४	८८०	१८.४	७९०	१७.५
५. परिवहन तथा सचार	१,३८५	२८ ९	१,३४५	२८.०	१,३४०	२९.८
६. समाज सेवाएं	९४५	१९.७	८६३	१८.०	८१०	१८.०
७. विविध	९९	२.०	८४	१.७	७०	१.६
योग	४,८००	१००.०	४,८००	१००.०	४,५००	१००.०

राज्यों की योजनाओं पर प्रभाव

विभिन्न राशियों में परिवर्तन करने के फलस्वरूप राज्यों की योजनाओं पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके कारण राष्ट्रीय विकास परिषद् को विशेषतः चिन्ता हुई थी। आयोजना के पहले तीन वर्षों और अन्तिम दो वर्षों के लिये जिस प्रकार राशियां निर्धारित करने के प्रस्ताव किये गये हैं उन्हें नीचे के विवरण में दिया गया है:—

विकास का शीर्षक	आयोजन में निर्धारित राशि (पहले)			आयोजना का खर्च १९५६-५९			खर्च १९५९-६१ (आयोजना का 'क' भाग)			कुल खर्च १९५६-६१ (आयोजना का 'क' भाग)			१९५६-६१ का खर्च (आयोजना का 'ख' भाग)		
	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१. कृषि उत्पादन	८२	१०	७२	४०	४	३६	५०	५	४५	९०	९	८१	(−) ८	१	(−) ९
२. छोटी सिंचाई योजनाएं	६६	३	६३	४४	२	४२	४८	१	४७	९२	३	८९	(−)२६	—	(−)२६
३. भूमि विकास	२२	५	१७	११	३	८	८	१	७	१९	४	१५	३	१	२
कृषि	१७०	१८	१५२	६५	९	८६	१०६	७	९९	२०१	१६	१८५	(−)३१	२	(−३३)
४. पशुपालन, दुग्धशालाएं और दुग्ध सप्लाई	५६	५.८	५०	१७	२	१५	१६	२	१४	३३	४	२९	२३	१.८	२१
५. वन तथा भूमि का कटना	४६	६	४०	१६	२	१४	१६	२	१४	३२	४	२८	१४	२	१२
६. मछली पालन	१२	३.८	८	३	—	३	६	३	३	९	३	६	३	०.८	२
७. गोदाम तथा बिक्री-व्यवस्था और सहयोग	४७	४	४३	१८	२	१६	१४	२	१२	३२	४	२८	१५	—	१५
८. विविध	१०	०.६	९.५	३	—	३	३	१	२	६	१	५	४	(−)०.४	४.५
कृषि कार्यक्रम	३४१	३८	३०३	१५२	१५	१३७	१६१	१७	१४४	३१३	३२	२८१	२८	६	२२
९. राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास कार्यक्रम	२००	१२	१८८	८७	२	८५	८३	५	७८	१७०	७	१६३	३०	५	२५
१०. ग्राम पंचायतें	१२	—	१२	८	—	८	४	—	४	१२	—	१२	—	—	—
११. स्थानीय विकास कार्य	१५	१५	—	१४	१४	—	१	१	—	१५	१५	—	—	—	—
१. कृषि तथा सामुदायिक विकास	५६८	६५	५०३	२६१	३१	२३०	२४९	२३	२२६	५१०	५४	४५६	५८	११	४७
१२. बहुउद्देशीय आयोजनाएं	—	—	—	१४६	७	१३९	१०९	—	१०९	२४८	—	२४८	(−)२४८	—	(−)२४८

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१३. सिंचाई	३८१	—	३८१	१११	—	१११	७७	—	७७	१८८	—	१८८	१९३	—	१९३
१४. बिजली	४१५	—	४१५	१९३	—	१९३	१२८	—	१२८	३२१	—	३२१	९४	—	९४
१५. बाढ़ नियंत्रण और सीमावर्ती प्रायोजनायें	९५	९५	—	२७	२७	—	२०	२०	—	४७	४७	—	४८	४८	—
१६. गवेषणा तथा अन्वेषण	९	९	—	२	२	—	२	२	—	४	४	—	५	५	—
१७. सिंचाई योजनाओं में सार्वजनिक सहयोग	१	१	—	—	—	—	०.२	०.२	—	०.२	०.२	—	०.८	०.८	—
१८. ग्राम समुदायों के विकास में केन्द्र का भाग	१२	—	१२	—	—	—	५	५	—	१२	१२	—	—	(—)१२	१२
२. सिंचाई और बिजली	९१३	१०५	८०८	४७९	३६	४४३	३४१.२	२७.२	३१४	८२०	६३	७५७	९३	४२	५१
३. ग्राम तथा लघु उद्योग	२००	८०	१२०	९१	४८	४३	६९	७	६२	१६०	५५	१०५	४०	२५	१५
२०. विशाल तथा मध्यम उद्योग	६१७	५९६	२१	३९५	३८५	८	३१०	३०५	५	७०५	६९२	१३	(—)८८	(—)९६	८
२१. खनिज विकास	७३	७१	२	२५	२५	—	६०	५८	२	८५	८३	२	(—)१२	(—)१२	—
४. उद्योग तथा खनिज	६९०	६६७	२३	४२०	४१२	८	३७०	३६३	७	७९०	७७५	१५	(—)१००	(—)१०८	८
२२. रेलवे	९००	९००	—	५३९	५३९	—	३६१	३६१	—	९००	९००	—	—	—	—
२३. सड़क	२४९	८२	१६४	१२७	४०	८७	९२	२९	६३	२१९	६९	१५०	२७	१३	१४
२४. सड़क परिवहन	१६.५	३	१३.५	८	१	७	२.५	०.८	१.७	१०.५	१.८	८.७	६	१.२	४
२५. पत्तन और बन्दरगाह	४५.५	४३.५	२	२९	२७.५	१.५	१६	१६	—	४५	४३.५	१.५	०.५	—	०.५
२६. जहाजरानी	४७.५	४६	१.५	२९	२८.५	०.५	२७	२६	१	५६	५४.५	१.५	(—)८.५	(—)८.५	—
२७. आन्तरिक जल परिवहन	३	३	—	—	—	—	०.५	०.५	—	०.५	०.५	—	२.५	२.५	—
२८. नगरीय वायु परिवहन	४३	४३	—	२८	२८	—	१५	१५	—	४३	४३	—	—	—	—
२९. अन्य परिवहन	७	६	१	३	२	१	२	२	—	५	४	१	२	२	—
३०. डाक तथा तार	६३	६३	—	३१	३१	—	२०	२०	—	५१	५१	—	१२	१२	—
३१. अन्य संचार साधन	४	४	—	२	२	—	१.५	१.५	—	३.५	३.५	—	०.५	०.५	—
३२. ब्राडकास्टिंग	९	९	—	४	४	—	२.५	२.५	—	६.५	६.५	—	२.५	२.५	—

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
५. परिवहन तथा संचार	१३८५	१२०३	१८२	८००	७०३	६७	५४०	४७४	९६	१३४०	११७७	१६३	४४.५	२५.२	१९.३
३३. शिक्षा	३०७	९५	२१२	१०९	२७	८२	१६६	४१	१२५	२७५	९८	२०७	३२	२७	५
३४. स्वास्थ्य	२७४	९०	१८४	१०७.५	३९.५	६८	१३७.५	३५.५	१०२	२४५	७५	१७०	२९	१५	१४
३५. निवास	१२०	४७	७३	४०.५	५.५	३५	४१.५	१४.५	२९	८४	२०	६४	३६	२७	९
३६. पिछड़े वर्गों का कल्याण	६१	३२	५६	३५	१२	२३	३७	७	३०	७२	१९	५३	१९	१३	६
३७. सामाजिक कल्याण	२९	१९	१०	७	५	२	११	५	६	१८	१०	८	११	६	२
३८. श्रमिक तथा श्रमिक कल्याण	२९	१८	११	८	४	४	१६	१०	६	२४	१४	१०	५	४	१
३९. पुनर्वास	६०	६०	—	५३	५३	—	३७	३७	—	६०	६०	—	—	—	—
४०. बेकार शिक्षितों के लिए योजनाएं	५	५	—	—	—	—	२	२	—	२	२	—	३	३	—
६. समाज सेवाएं	६४५	३६६	५४६	३६०	१४६	२१४	४५०	१४२	२९८	८१०	२९८	५१२	१३५	९८	३७
७. विविध	६६	४३	५६	४५	१८	२७	२५	१२	१३	७०	३०	४०	२९	१३	१६
पूर्ण योग	४८००	२५५९	२२४१	१४५६	१३६४	१०६२	२०४४	१०५८	९८६	४५००	२४५२	२०४८	३००	१०७	१९३

+ ग्राम समुदाय के विकास में केन्द्र के भाग की राशि बहुउद्देश्यीय प्रायोजनाओं में शामिल है।

(क) बहुउद्देश्यीय प्रायोजनाओं के लिए रखी गई राशि सिंचाई तथा बिजली में बांट दी गई है।

टिप्पणी:—राज्यों के आंकड़ों में केन्द्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। केन्द्रीय प्रदेशों के अलग आंकड़े इस प्रकार हैं:—

पंचवर्षीय योजना में निर्धारित राशि ७० करोड़ रु०। १९५६-५९ में खर्च होने की आशा—३० करोड़ रु० और १९५६-६१ तक खर्च होने की आशा—६० करोड़ रु०।

प्रस्तावित निर्धारणों का केन्द्र तथा राज्यों की राशियों पर जो प्रभाव पड़ेगा वह संक्षेप में नीचे के विवरण में दिया गया है :—

(करोड़ रु०)

	योग	केन्द्र	राज्य	केन्द्र शासित प्रदेशों की वे राशियां जो राज्यों की राशियों में शामिल हैं
१. पंचवर्षीय आयोजना में निर्धारित राशियां (पहले)	४,८००	२,५५६	२,२४१	७०
२. पंचवर्षीय आयोजना में निर्धारित राशियां (संशोधित)	४,८००	२,५६३	२,२०७	७०
३. १६५६-६१ में होने वाला सम्भावित खर्च	४,५००	२,४५२	२,०४८	६०
४. १६५६-५६ में होने वाला सम्भावित खर्च	२,४५६	१,३६४	१,०६२	३०
५. १६५६-६१ (२-४) के लिये निर्धारित राशियां	२,३४४	१,१६६	१,१४५	४०
६. १६५६-६१ (३-४) के लिये सम्भावित खर्च	२,०४४	१,०५८	६८६	३०

उद्योगों के लिये वृद्धि

ऊपर जिन परिवर्तनों का संक्षेप में उल्लेख किया गया है उनसे प्रकट हो जाता है कि उद्योगों और खनिजों के लिये विवश होकर जो वृद्धि करनी पड़ी है उसके अलावा अन्य निर्धारित राशियों का रूप प्रायः यथावत् रहा है और उनमें कम से कम संशोधन किये गये हैं। फिर आयोजना पर होने वाले ४५०० करोड़ रु० के खर्च में १६५६-६१ के दो वर्षों में राज्य के लिये खर्च के जो स्तर रखे गये थे वे पहले तीन वर्षों की अपेक्षा कुछ अधिक ही हो गये हैं। १६५६-६० और १६६०-६१ की वार्षिक योजनाओं को अमल में लाने के फलस्वरूप विकास सम्बन्धी विभिन्न कार्यों के सीमान्तक खर्चों में थोड़े बहुत परिवर्तन होने की आशा है।

आयोजना के भाग 'क' के बाहर पड़ने वाली प्रायोजनाओं के विस्तृत विवरणों का अन्तिम रूप से निश्चय करने में अभी कुछ और समय लगेगा। राज्यों की जिन प्रायोजनाओं का पहले उल्लेख किया गया है उनकी सूचियां कुछ राज्यों से प्राप्त हो गई हैं। प्रत्येक राज्य की प्रायोजनाओं पर विचार करते समय निश्चय किये जायगे। नीचे के विवरण में सिंचाई तथा बिजली क्षेत्र की प्रमुख प्रायोजनाओं का वर्णन किया गया है जिनपर कि आयोजना के पहले तीन वर्षों में किये गये खर्च का योग अपेक्षाकृत कम अथवा कुछ नहीं रहेगा :—

(लाख रु०)

राज्य	प्रायोजना का नाम	आयोजना में रखी गई राशि	१६५६-५६ में होने वाले खर्च का अनुमान
(क) *सिंचाई*			
आंध्र प्रदेश	वामसधारा	८५	२
	तुंगभद्रा ऊंची सतह की नहर	३००	१०
	सोन बांध आदि	५००	५६
बिहार	चन्दन	६०	७
	स्वर्णरेखा	६०	—
बम्बई	कुरनूर	२६०	२७
	उकाई	७५०	१००
	नरमदा	२२५	—
केरल	पोंथुड़ी	७०	—
मध्यप्रदेश	जसैया	५७	१
	तवा	४००	१३
	बरना	२१८	—
	चन्द्रकेशर	८५	—
	महानदी को फिर से ठीक करना	२००	३७

मद्रास	पश्चिम को बहने वाली नदियों को पूर्व की ओर मोड़ना	७०	—
मैसूर	मालप्रभा आदि कर्नाटक क्षेत्र के लिये व्यवस्था	१००	—
	कबिनी	१२५	१५
उड़ीसा	सलकी	५२	६
	सालन्दी	२५०	२६
	सालिया	५०	२
	पीपलदला और भागुआ	६५	—
राजस्थान	गुड़गांव नहर	६५	१०
	राणा प्रताप सागर	५०	५
	बनास	२००	—
	माही	११८	—
	जालम	७०	६

(ख) बिजली

आन्ध्र प्रदेश	देवनूर जलविद्युत योजना	२२०	१
आसाम	उमत्यगर थर्मल केन्द्र	१४६	६
बिहार	बरौनी थर्मल केन्द्र	२६४	४२
बम्बई	कोयना शोलापुर ट्रांसमिशन योजना	३००	३०
	पूर्णा जलविद्युत योजना	२१०	—
केरल	पम्बयार जल विद्युत प्रायोजना	२२०	२६
	शोलायार जल विद्युत प्रायोजना	२६२	२७
मध्यप्रदेश	बीरसिंहपुर थर्मल केन्द्र	४६३	४०
	चांदनी-सुसावल ट्रांसमिशन लाइन	५३	५
	राना प्रताप सागर बांध बिजलीघर	२०५	—
मद्रास	साम्पनाला जलभण्डार योजना	६७	—
राजस्थान	राणाप्रताप सागर बांध	२३०	—
उत्तर प्रदेश	गढ़वाल को बिजली देने के लिये भाप घर केन्द्र	१००	—

इसके अतिरिक्त नीचे के विवरण में उद्योग तथा परिवहन क्षेत्र की उन प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजनाओं के विषय में जानकारी दी गई है जिन पर द्वितीय योजना अवधि में अपेक्षाकृत कम अथवा कुछ नहीं खर्च होगा:—

(रु० करोड़ों में)

प्रायोजना का नाम	निर्धारित राशि
(क) उद्योग	
नवेली योजना के अन्तर्गत कार्बन की ईंटें बनाने का संयंत्र	१२.४
सुरक्षा कागज का मिल	४.०
भारी चादरें और जहाजी काम	१.१
भारी मशीनी औजार	५.०
भारी ढांचों का कारखाना	१.१
मैसूर आयरन और स्टील वर्क्स (फैरो सिलिकन संयंत्र के अतिरिक्त)	४.०
मेरीन डीजल इंजन	३.०
हिन्दुस्तान शिपयार्ड सूखे घाट	२.१
नकली रबड़	१५.०
गन्ने की छोई से अखबारी कागज	५.५
आधारभूत तापसह ईंटें	०.८
रेयन वर्ग की लुग्दी	८.६
कारबन ब्लैक	२.०
टंगस्टन कारबाइड	१.०
सेलम का अलूमीनियम संयन्त्र	११.०
(ख) परिवहन	
रेलवे	
बिजली से चलाने की योजनाएं	१२.६
(१) दुर्गापुर-घाट	६.८
(२) हावड़ा-खड़गपुर	
नई लाइनें	
(१) गुना-उज्जैन	१२.६
डिब्बे बनाने का कारखाना	
सुसज्जित करने का कारखाना	२.६
मीटर गेज के डिब्बों का कारखाना	६.६

पत्तन

बम्बई का पत्तन

(१) प्रिन्स और विक्टोरिया घाटों के लिए न्यूनतम योजना ५.०

(२) मुख्य बन्दरगाह की नहर की खुदाई ५.०

सड़कें+

(१) मद्रास के निकट पामबन का पुल १.०

(२) बिहार में सोन नदी के पुल की प्रायोजना २.०

+सड़कों के कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

[२]

केन्द्रीय मन्त्रालयों से हुई बातचीत के परिणाम

मई में राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक होने के बाद विभिन्न क्षेत्रों के लिये प्रस्तावित राशियों के विषय में अधिकांश मन्त्रालयों के साथ बात करके पुनः विचार किया जा चुका है। केन्द्रीय योजनाओं के लिए पंचवर्षीय अवधि और १६५६-६१ के लिये जो अधिक राशियां रखी गई हैं वे नीचे के विवरण में दी गई हैं :—

(रु० करोड़ों में)

	१६५६-६१ के लिये निर्धारित राशि		१६५६-६१ के लिये निर्धारित राशि	
	आयोजना आयोग के स्मरण-पत्र के अनुसार	हाल में हुए विचार विमर्श के अनुसार	आयोजना आयोग के स्मरण-पत्र के अनुसार	हाल में हुए विचार विमर्श के अनुसार
१. कृषि और सामुदायिक विकास	५४	५६	२३	२५
२. सिंचाई और बिजली	६३	७५	२७	३६
३. ग्राम तथा लघु उद्योग	५५	६७	७	१६
४. उद्योग और खनिज	७७५	८६७	३६३	४५५
५. परिवहन और संचार	१,१७७	१,१८५	४७४	४८२
६. समाज सेवाएं	२६८	२६८	१५२	१५२
७. विविध	३०	३३	१२	१५
योग	२,४५२	२,५८१	१,०५८	१,१८७

केन्द्रीय योजनाओं में वृद्धि

हाल में हुए विचार विमर्श के फलस्वरूप केन्द्रीय योजनाओं में १२६ करोड़ रु० की वृद्धि की गई है। मुख्य वृद्धि उद्योगों और खनिजों में की गई है, जो नीचे दिये गये विवरण में दिखाई गई है। इसके अतिरिक्त अभी कुछ प्रस्तावों पर विचार होना शेष है। इस प्रकार केन्द्रीय योजनाओं के लिये लगभग १५० करोड़ रु० की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि सरकारी योजनाओं का खर्च स्मरण-पत्र में दिये गये स्तरों पर ही बना रहे और मन्त्रालयों के सुझावों के अनुसार राशियां निर्धारित की जायें तो भी आयोजना के भाग 'क' पर कुल ४,६५० करोड़ रु० खर्च करने होंगे :—

(रु० करोड़ों में)

प्रायोजना	पहले प्रस्तावित की हुई संशोधित राशि (७६० करोड़ रु० का विवरण)	मन्त्रालयों से हुए विचार विमर्श के आधार पर अब प्रस्तावित राशि	पहली राशि की अपेक्षा अब हुई वृद्धि
१	२	३	४
(क) विशाल उद्योग			
इस्पात खान और ईंधन मन्त्रालय			
राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	४६५.०	४६५.००	—
राउरकेला उर्वरक कारखाना	१०.०	१०.००	—
मिश्रित तथा औजारों का इस्पात	२.०	२.००	—
मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स	१.३०	†	(—१.३)
दक्षिणी अरकाट लिगनाइट प्रायोजना	४५.०	४६.५०	१.५०
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय			
सिंदरी उर्वरक कारखाना	८.४०	१०.००	१.६०
नंगल उर्वरक कारखाना	२२.००	२७.००	५.००
भारी वैद्युत संयंत्र	१०.४६	२०.००	६.५१
हिन्दुस्तान मशीनी औजार	२.२६	२.३६‡	—
डी० डी० टी० फैक्टरियां	०.६८	१.००	०.०२
हिन्दुस्तान केबिल्स	०.५०	०.५०	—
हिन्दुस्तान एण्टी बायोटिक्स	१.६६	२.१०	०.४४
नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी	०.६५	०.६५	—
नमक विकास	०.७८	१.६०	०.८२
ढलाई । गलाई, भारी मशीनें, खनन मशीनें	२४.००	२५.००	१.००
चश्मों का शीशा	१.५०	२.००	०.५०
कच्ची फिल्में	४.००		
रंगों और भेषजों के लिये अर्ध तैयार माल रूसी भेषज प्रायोजना	४,००	१५.००	७.००
कपड़ा तथा जूट मिलों और अन्य उद्योगों को दिये गये ऋण	१०.४०	१८.४०	८.००
निजी क्षेत्र की इस्पात कम्पनियों को दिये गये ऋण	...	१२.०७	१२०७
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की विविध योजनाएं	३.३६	३.५०	०.११
उद्योगों को सीधे दिये गये ऋण और निजी प्रतिष्ठानों की हिस्सा पूंजी में लगाई गई राशि	...	३.००	३.००
भारी मशीनी प्रायोजना के लिये बिजली संयंत्र	...	६.००	६.००
परिवहन मंत्रालय			
हिन्दुस्तान शिपयार्ड	६.००	६.५०	०.५०
वित्त मंत्रालय			
औद्योगिक वित्त निगम	२२.२५	२२.२५	...
सुरक्षा कागज का मिल	०.४०	०.४०	...
वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक विषय मंत्रालय	१५.००	२२.४६	७ ४६
राज्यों की औद्योगिक योजनाएं	१२.६४	१३.३७	०.४३
योग 'क'	७०५.००	७७१.६६	६६.६६
(ख) खनिज योजनाएं			
इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय			
कोयला	२८.३७	४०.००	११.६३
कोयला धोने के कारखाने	६.८४	६.८४	...
तेल की खोज	११.३४	१६.६४	८.६०
रुपया कम्पनी	६.००	६.००	...
पाइपलाइन	८.००	८.००	...
तेल शोधक कारखाने	१०.००	१०.००	...
कोयले की खोज	३.३१	३.३१	...
जी० एस० आई०	४.१६		
आई० बी० एम०	१ ८२	६.६८	१.००
केरीबुरु की खानों का विकास		२.००	२.००
स्टेनवैक प्रायोजना		२.१०	२.१०
सरकारी खनिज योजनाएं	२.६६	२.००	—०.६६
योग 'ख'	८५.५०	११०.१७	२४ ६७
पूर्ण योग	७६०.५०	८८१.८३	६१.३३

† अब राज्य औद्योगिक योजनाओं में शामिल ।

‡ ढलाई प्रायोजना के लिये १.२ करोड़ की आवश्यकता हो सकती है ।

[३]

आन्तरिक साधन

स्मरण-पत्र में आयोजना के अन्तिम दो वर्षों में वित्तीय साधनों का अनुमान १८०४ करोड़ रु० और पांच वर्षों के लिये ४२६० करोड़ रु० लगाया गया है। इस प्रकार खर्चे के न्यूनतम लक्ष्य ४५०० करोड़ रु० और अनुमानित साधनों के मध्य २४० करोड़ रु० का अन्तर रह जाता है। मन्त्रालयों के साथ हुए विचार विमर्श से प्रकट होता है कि उनकी आवश्यक मांगों को ४५०० करोड़ रु० के खर्चे की सीमा के अन्दर रखना अत्यन्त कठिन होगा। खर्चे के अनुमानों में होने वाली सम्भावित भूलों और अनुमानों में हो जाने वाले परिवर्त्तनों के फलस्वरूप यह अन्तर २४० करोड़ रु० से बढ़कर ३०० से ३५० करोड़ रु० तक हो सकता है। इसका यह अर्थ हुआ कि योजना की शेष अवधि में हमें आन्तरिक साधनों में वृद्धि करने के लिये अतिरिक्त प्रयत्न करने होंगे। विदेशी विनिमय प्राप्त करने के लिये जो प्रयत्न किये जा रहे हैं उन्हें देखते हुए पुनर्मूल्यांकन की मुख्य समस्या शेष अवधि में आन्तरिक साधनों को बढ़ाने की रह जाती है। इस सम्बन्ध में स्मरण-पत्र में दिए गए अनुमान अब भी मोटे तौर पर लागू होते हैं। ये नीचे की तालिका में दिये गये हैं :—

	पहले तीन वर्षों का अनुमान	अंतिम दो वर्षों के अनुमान	अतिरिक्त प्रयत्न	अन्तिम दो वर्षों के अनुमान, विशेष प्रयत्नों के साधनों सहित	पांच वर्षों की अवधि का अनुमान	पांच वर्षों की अवधि का अनुमान, अतिरिक्त प्रयत्न सहित	आयोजना में दिये गये अनुमान
१	२	३	४	५	६	७	८
१. घरेलू बजट सम्बन्धी साधन							
(क) चालू राजस्व का शेष	४३९	३२०	१४०	४६०	७५९	८९९	१,२००‡
(ख) रेलों का योगदान	१२९	१२१	—	१२१	२५०	२५०	१५०
(ग) ऋण तथा छोटी बचतें	५४४	४४०	६०	५००	९८४	१,०४४	१,२००
(घ) कोष में न दिया हुआ तथा विविध पूंजीगत प्राप्ति (—)	११	४०	४०	८०	२९	६९	२५०
योग (क से घ तक)	१,१०१	९२१	२४०	१,१६१	२,०२२	२,२६२	२,८००
२. विदेशी सहायता	४३८	६००	—	६००	१,०३८	१,०३८	८००
३. घाटे की वित्त व्यवस्था	९१७	२८३	—	२८३	१,२००	१,२००	१,२००
४. कुल साधनों का खर्चे	२,४५६	१,८०४	२४०	२,०४४	४,२६०	४,५००	४,८००

‡पहली योजना के अनुसार ८०० करोड़ रु० और ४०० करोड़ रु० का अन्तर मुख्यतः नये करों से दूर हो गया।

सरकारी ऋणों से प्राप्ति

सरकारी ऋणों द्वारा धन देने में इधर जनता ने जो उत्साह दिखाया है वह आयोजना आयोग का स्मरण-पत्र तैयार होने के बाद बड़ी ही आशाजनक घटना है। स्मरण-पत्र में ऐसे ऋणों से चालू वर्ष में १३७ करोड़ रु० प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था। इसमें से १२५ करोड़ रु० केन्द्रीय ऋणों से और १२ करोड़ रु० राज्यों के ऋणों से मिलने की आशा थी। परन्तु वास्तव में इससे कहीं अधिक रुपये मिल गये हैं। इस वर्ष मई में केन्द्र ने कुल १४२ करोड़ रु० का ऋण प्राप्त किया। हाल में ही केन्द्रीय सरकार ने ६० करोड़ रु० के दो नये ऋण जारी किये थे। यदि हम पुराने ऋणों की अदायगी आदि की रकमें निकाल दें तो वर्ष भर में केन्द्र को १८२ करोड़ रु० ऋणों से मिलने की आशा है। स्मरण-पत्र में राज्य सरकारों को जहां ऋणों से केवल १२ करोड़ रु० मिलने का अनुमान लगाया गया था वहां उन्हें ४३ करोड़ रु० मिले हैं। इस प्रकार केन्द्र तथा राज्यों के ऋणों द्वारा इस वर्ष लगभग २२५ करोड़ रु० प्राप्त होने की आशा है जब कि स्मरण-पत्र में १३७ करोड़ रु० की ही आशा की गई थी।

प्राप्ति के दो अन्य साधनों के विषय में भी थोड़ा विचार कर लेना उचित होगा। प्रथम तो १९५७-५८ में छोटी बचत से हुई प्राप्ति और दूसरे, राज्यों में अतिरिक्त करों द्वारा ५ वर्षों में होने वाली आय का अनुमान।

१९५७-५८ में छोटी बचत से ६९.६ करोड़ रु० मिले हैं जबकि पहले इसका अनुमान केवल ५५ करोड़ रु० ही था। चालू वर्ष के पहले चार महीनों में हुई कुल प्राप्ति विशेष उत्साहजनक नहीं थी परन्तु आशा है कि बाद के महीनों में अधिक प्राप्ति होगी।

राज्यों में अतिरिक्त कर

पहले तीन वर्षों में राज्यों को अतिरिक्त करों से होने वाली आय का अनुमान स्मरण-पत्र में १७२.९ करोड़ रु० लगाया गया था। बाद को प्राप्त हुई अन्य जानकारी के अनुसार यह आय बढ़कर १९४.८ करोड़ रु० हो जाने की आशा की गई। स्मरण-पत्र में दिये गये अनुमानों के अनुसार राज्यानुसार यह आय इस प्रकार होने वाली थी :—

(रु० करोड़ों में)

राज्य	स्मरण-पत्र के अनुमान	अब लगाये गये अनुमान	आयोजना में दी गई अतिरिक्त करों की आय का पहला लक्ष्य
१. आन्ध्र प्रदेश	१७.२	१८.७	११.०
२. आसाम	—	—	५.०
३. बिहार	१२.८	१२.७	२७.०
४. बम्बई	९.०	२२.५	२३.०
५. केरल	१२.०	११.९	९.०
६. मध्य प्रदेश	११.२	१०.९	२३.०
७. मद्रास	१६.०	१९.०	१३.०
८. मैसूर	११.४	१२.८	९.०
९. उड़ीसा	११.७	५.७	८.०
१०. पंजाब	१५.६	१५.८	२३.०
११. राजस्थान	१०.४	१०.७	९.०
१२. उत्तर प्रदेश	३१.३	२८.०	४६.०
१३. पश्चिमी बंगाल	१२ ६	२४.४	१५.०
१४. जम्मू और कश्मीर	१.४	०.७	—
योग	१७२.९	१९४.८	२२१.०

अगले दो वर्षों में साधनों की कमी को पूरा करने के लिये केन्द्र तथा राज्यों दोनों ही द्वारा भारी प्रयत्न करने होंगे। राज्यों के लिये तो यह प्रयत्न आवश्यक है अन्यथा उन्हें अपनी योजनाओं पर स्मरण-पत्र में निर्धारित किया हुआ खर्च चलाने में भी कठिनाई होगी। इसलिये आयोजना आयोग ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे वर्तमान अवस्थाओं के प्रकाश में उन सिफारिशों पर पुनः ध्यान देकर विचार करें जो कर जाँच आयोग ने राज्यों में तथा स्थानीय रूप से लगाये जाने के विषय में की हैं। राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे नीचे लिखे साधनों से अपनी आय बढ़ाने का प्रयत्न करें:—

(१) उन्नत स्थिति सम्बन्धी शुल्कों का निर्धारण और वसूली।

(२) अकृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली कृषि भूमि और विकास प्रायोजनाओं अथवा सामान्य आर्थिक विकास के कारण आबादी के काम आने वाली कृषि भूमि पर विशेषतः कर लगाने के प्रयत्न।

(३) सम्पत्ति के वर्तमान करों, विशेषतः बिक्री कर और उत्पादन शुल्कों से वसूली में सुधार करके और

(४) तकावी तथा अन्य ऋणों की बकाया रकमें वसूल करके।

छोटी बचतें

राज्यों से यह भी कहा गया है कि छोटी बचत के आंदोलन को और तेज करें तथा आयोजना से सम्बन्ध रखने वाले खर्चे घटायें एवं आयोजना सम्बन्धी खर्चों, विशेषतः निर्माण में किफायत करें। १९५५ में राज्यों द्वारा की जाने वाली प्राप्ति के अनुमानों का पहली बार हिसाब लगाया गया था। उसके बाद वित्त आयोग के निश्चय के अनुसार केन्द्र से राज्यों को जो साधन हस्तांतरित किये गये हैं उनसे आयोजना अवधि में १५० करोड़ रु० मिलने की आशा है। आयोजना में ४०० करोड़ रु० का ऐसा घाटा छोड़ा गया था जिसे पूरा करने के कोई साधन निश्चित नहीं किये गये थे। उस समय यह मान लिया गया था कि केन्द्र तथा राज्यों द्वारा अतिरिक्त कर लगाये जाने के कारण यह घाटा पूरा हो जायगा। इधर आयोजना से सम्बन्ध न रखने वाले खर्चों में भी वृद्धि हो गई है और समाज सेवाओं का खर्च यथावत् बनाये रखना आवश्यक माना गया है। इसलिये राज्यों के लिये आय के साधन और भी बढ़ाना आवश्यक हो गया है। अतः अगले दो वर्षों में अतिरिक्त साधनों से १४० करोड़ रु० प्राप्त करने हैं। इसमें से ६० करोड़ रु० अतिरिक्त करों से, ५० करोड़ रु० ऋणों तथा छोटी बचत से और ३० करोड़ रु० आयोजना से सम्बन्ध रखने वाले खर्चों में किफायत करके प्राप्त करने होंगे।

[४]

विदेशी साधन

आयोजना के पुनर्मूल्यांकन सम्बन्धी स्मरणपत्र में बताया गया है कि आयोजना अवधि में पहले ११०० करोड़ रु० का घाटा होने का अनुमान था। परन्तु अब यह लगभग १७०० करोड़ रु० का होगा। जितनी विदेशी सहायता मिलने की स्वीकृति हो चुकी है वह सब की सब उपयोग में नहीं लाई गई है। उपयोग करने के लिये अभी जो शेष पड़ी है उसके अतिरिक्त आयोजना के पिछले तीन वर्षों में ५०० करोड़ रु० के विदेशी विनिमय की और आवश्यकता होगी। स्मरण-पत्र प्रकाशित होने के बाद अनुमान लगाया गया है कि ५६० करोड़ रु० के लगभग आवश्यकता होगी। इसका अनुमान नीचे लिखे आधारों पर लगाया गया है :—

१. साधारण खरीद के अलावा जो भी खाद्यान्न आयात किये जायेंगे वे पी० एल० ४८० के अन्तर्गत ही होंगे।

२. आयोजना के आवश्यक अंग को पूरा करने और मरम्मत आदि का खर्च चलाने के लिये जितने विदेशी विनिमय की आवश्यकता होगी वह उपलब्ध करना होगा। और

३. स्टर्लिंग पावने को २०० करोड़ रु० के लगभग बनाये रखने के लिये सभी प्रयत्न करने होंगे।

विदेशी विनिमय के सुरक्षित भन्डार में होने वाली कमी पर एक लेखे में विस्तार से विचार किया जा चुका है जो मार्च १९५८ में संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसके अनुसार द्वितीय आयोजना आरम्भ होने के बाद १९५६-५७ में २४ लाख टन और १९५७-५८ में ३७ लाख टन खाद्य का आयात किया गया था। १९५८-५९ में यह आयात ३५ लाख टन होने की आशा है। पहले दो वर्षों में कुल २५६ करोड़ रु० का खाद्य आयात किया गया जिसमें से १७३ करोड़ रु० की राशि विशेष करारों द्वारा दी गई थी। सितम्बर १९५७ की समाप्ति पर ९९० करोड़ रु० का विदेशी विनिमय देना था और मार्च १९५८ को समाप्ति पर ८८८ करोड़ रु० का। ८८८ करोड़ में से ५४७ करोड़ सरकारी लेखे पर और ३०० करोड़ रु० निजी लेखे पर दिये जाने को थे। ४१ करोड़ रु० लोहे और इस्पात के आयात के लिये थे जो सरकारी तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में प्रयुक्त होने के लिये था।

आयात घटाने के उपाय

विदेशी विनिमय में १९५६-५७ में २२१ करोड़ रु० की और १९५७-५८ में २६० करोड़ रु० की भारी कमी हो जाने के कारण आयात लाइसेन्सों तथा सरकारी मांगों में काटछांट करने के लिये अनेक उपाय किये गये हैं। १९५५ में कुल ८७६ करोड़ रु० के लाइसेन्स जारी किये गये थे। १९५६ में इनकी राशि बढ़ कर १३२२ करोड़ रु० हो गई। परन्तु १९५७ में यह घटा कर ७८२ करोड़ रु० कर ली गई। अक्तूबर १९५७ से मार्च १९५८ तक की छमाही में ३५० करोड़ रु० के आयात लाइसेन्स जारी किये गये। अप्रैल से सितम्बर १९५८ की छमाही के लिये जो विदेशी विनिमय दिया गया है वह कुछ अपवादों के साथ दिसम्बर १९५८ तक के लिये बढ़ा दिया गया है। खाद्य पदार्थों, सरकारी तथा निजी क्षेत्रों की प्रायोजनाओं और प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये जो लाइसेन्स दिये गए थे उनके अलावा भी द्वितीय आयोजना में विदेशी विनिमय की अधिक आवश्यकता हुई और इस प्रकार पूर्वानुमान गलत सिद्ध हुए। इसका एक कारण यह था कि विकासशील भारतीय अर्थव्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये जो खर्च करना पड़ा वह आशा से कहीं अधिक निकला। विदेशी विनिमय सम्बन्धी चालू नीति में इस खर्च को ऊंची प्राथमिकता दी गई है। यह निश्चय किया गया है कि विदेशी विनिमय अब आयोजना के आवश्यक अंग अर्थात् इस्पात संयंत्र, कोयला खनन, रेलें और कुछ बिजली प्रायोजनाओं के लिये ही दिया जाना चाहिये। आवश्यक अंग की प्रायोजनाएं इस प्रकार हैं :—

१. सरकारी क्षेत्र

१. *इस्पात :—*

(क) रूरकेला इस्पात संयंत्र

(ख) भिलाई इस्पात संयंत्र

(ग) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, और

(घ) मैसूर आयरन एन्ड स्टील वर्क्स (फेरो सिलिकन एक्सपेंशन)

१. *कोयला और लिगनाइट :*

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम योजना

१. कथारा
२. कोरबा (खुली हुई)
३. कोरबा (ढलानें)
४. गिडी
५. सावंडा
६. कोरिया
७. वर्तमान सरकारी खानें

(ख) सिगरेनी की खानें

(ग) कोयला धोने के कारखाने।

(घ) नेवेली लिगनाइट प्रायोजना (खनन भाग)

(३) रेलवे विकास कार्यक्रम (इसमें रेलवे वैद्युतीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी डाक तथा तार विभाग की आवश्यकताएं भी शामिल हैं।

(४) बन्दरगाहों के विकास के कार्यक्रम

१. बम्बई

२. कलकत्ता

३. मदरास

४. विशाखापत्तनम

५. ड्रेजर पूल

(५) बिजली प्रायोजनाएं :

१. कोरबा थर्मल केन्द्र (मध्य प्रदेश)

२. खापर खेड़ा अकोला थर्मल केन्द्र का विस्तार (बम्बई)

३. हीराकुड प्रायोजना (द्वितीय चरण) उड़ीसा

४. लक्कावली (भाद्र) प्रायोजना (मैसूर)

५. भाखड़ा नंगल जल विद्युत प्रायोजना (पंजाब तथा राजस्थान)

६. चम्बल प्रायोजना प्रथम चरण (मध्य प्रदेश)

७. रिहन्द प्रायोजना (उत्तर प्रदेश)

८. तुगभद्रा जल विद्युत योजना (मैसूर)

९. नारायणमंगलम् जल विद्युत योजना (केरल)

१०. सौराष्ट्र क्षेत्र (बम्बई) में थर्मल केन्द्र

११. गन्दर्बल तथा मोहरा बिजली केन्द्र (जम्मू और कश्मीर)

१२. बिजली की ट्रान्समिशन, वितरण और विस्तार योजनाएं (उपकेन्द्रों के उपकरण, कन्डक्टर, स्विचगीयर, आदि)

२. निजी क्षेत्र

१. इस्पात

(क) ताता आयरन एन्ड स्टील वर्क्स।

(ख) इन्डियन आयरन एन्ड स्टील वर्क्स

२. कोयला

विदेशी सहायता

आवश्यक प्रायोजनाओं के अतिरिक्त विदेशी विनिमय केवल उन्हीं प्रायोजनाओं के लिए दिया जाता है जो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं अथवा जिनकी विदेशी विनिमय सम्बन्धी आवश्यकता विदेशी पूंजी विलम्बित भुगतान आदि से पूरी होती है इन दो वर्षों में क्रमशः ११० करोड़ और २५२ करोड़ रु० का विदेशी विनिमय काम में लाया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना में से १३२ करोड़ रु० की विदेशी सहायता शेष रही थी। फिर अप्रैल १९५६ से लेकर अप्रैल १९५८ तक ७४७ करोड़ की नई सहायता स्वीकृत की गई। इस प्रकार कुल ८७९ करोड़ रु० की विदेशी सहायता उपलब्ध थी। इसमें से एक अप्रैल १९५८ तक ५१७ करोड़ रु० काम में लाने को शेष थे।

हाल के वर्षों में भारतीय निर्यात लगभग स्थिर हो रहा है। निर्मित माल के निर्यात का विस्तार होने में समय लगता है जबकि कच्चे माल तथा खाद्य उत्पादनों सम्बन्धी देश की भारी मांगें पूरी करनी ही होती हैं। फिर भी यह मान लिया गया है कि विकास कार्य को बढ़ाते रहने के लिये निर्यात का बढ़ाना आवश्यक है। निर्यात बढ़ाने के लिये लगातार प्रयत्न करने होते हैं। देशवासियों को कुछ वस्तुओं का त्याग करना होता है। पिछले साल में निर्यात संवर्द्धन परिषदें स्थापित की गई हैं। निर्यात जोखिम बीमा निगम, विदेशी व्यापार बोर्ड, और निर्यात संवर्द्धन निदेशालय स्थापित किये गए हैं। निर्यात के कोटे बराबर उदार किये जाते रहे हैं। २०० वस्तुओं के विषय में निर्यात नियम हाल में ही ढीले किये गए हैं। जिन वस्तुओं के निर्यात पर अब भी नियन्त्रण हैं उनके बारे में विचार किया जा रहा है। अधिकांश निर्यात शुल्क या तो रद्द कर दिए गये हैं अथवा घटा दिये गए हैं। अब केवल चाय, कड़ी रद्दी रुई और खनिज मैंगनीज पर ही ये शुल्क रह गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में मूंगफली के तेल, चीनी, सीमेंट आदि के निर्यात पर केवल घरेलू आवश्यकताएं पूरी करने के लिये ही प्रतिबन्ध रखा जा रहा है। इतना ही नहीं निर्यातकों को अनेक प्रकार की विशेष सुविधाएं भी दी जा रही हैं।

[५]

पुनर्मूल्यांकन के सम्बन्ध में लक्ष्यों में परिवर्तन

आर्थिक विकास की आयोजना में लक्ष्यों के अनुमान कुछ कल्पनाओं पर आधारित किये जाते हैं। ये कल्पनाएं (क) आंतरिक और विदेशी साधनों, (ख) प्रशासनीय प्रयत्न और केन्द्र तथा राज्यों में प्रायोजनाएं अमल में लाने की किस्म, और (ग) जनशक्ति तथा अन्य साधनों के कारगर ढंग से प्रयुक्त किये जाने की सीमा के बारे में होती हैं। इन कल्पनाओं पर बराबर ध्यान रखना होता है और जहां

कहीं भी कार्य योजनानुसार सम्पन्न होने में कमी रह जाती है वहीं उसे ठीक करने के उपाय किये जाते हैं। कुछ लक्ष्य अधिक सीमा तक आंतरिक साधनों पर निर्भर होते हैं, जैसे समाज सेवाएं। परन्तु कुछ लक्ष्य विदेशी विनिमय की उपलब्धि पर निर्भर होते हैं, जैसे उद्योग और परिवहन। फिर कुछ लक्ष्य ऐसे भी होते हैं जिनके लिये आवश्यक वित्त का प्रबन्ध हो जाने पर भी सरकार एवं जनता के संगठनात्मक प्रयत्नों पर ही जिनकी पूर्ति निर्भर होती है, जैसे कृषि। आयोजना आयोग के स्मरण-पत्र में निर्धारित किये गये लक्ष्यों का अनुमान लगाने में इन सभी कारणों का कुछ न कुछ सीमा तक प्रभाव पड़ा है। उत्पादन के लक्ष्यों में परिवर्त्तन कर देने से राष्ट्रीय आय और नियोजन में भी अंतर पड़ जाता है। परन्तु इनका ठीक ठीक अनुमान लगाना बहुत कठिन है।

द्वितीय आयोजना में जो महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गये हैं उनमें से कुछ का सिंहावलोकन नीचे किया जाता है।

कृषि

आयोजना आयोग के स्मरण-पत्र में इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया गया है कि कृषि उत्पादन में २ से २.५ प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि, जो अब तक हो सकी है, उसका हो जाना ही अधिक विकास की विशाल आयोजना को सफल बनाने के लिये काफी नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में कृषि उत्पादन के जो लक्ष्य पहले निर्धारित किये गये थे उनके अनुसार खाद्यान्नों के उत्पादन में १०० लाख टन तक वृद्धि हो जाने की आशा की गई थी। सितम्बर और अक्टूबर १६५६ में राज्य सरकारों से परामर्श करके यह लक्ष्य बढ़ा कर १५५ लाख टन कर दिया गया। बढ़ा हुआ लक्ष्य पंचायतों तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले स्थानीय प्रयत्नों पर आधारित किया गया था जिसके अंतर्गत जनशक्ति और खाद साधनों का अच्छा उपयोग किया जाना था। यह भी आशा की गई थी कि विशाल तथा मध्यम दर्जे की नई सिंचाई योजनाओं से शीघ्र ही लाभ उठाया जायगा और छोटी प्रायोजनाओं का जन-कार्यक्रम के रूप में प्रयोग किया जायगा। साधारण तथा हरी खादों के साथ रसायनिक उर्वरक भी आयोजना के अनुसार उपलब्ध हो सकेंगे। परन्तु ये सब कल्पनाएं काफी सीमा तक सत्य सिद्ध हुईं। परन्तु रसायनिक उर्वरकों के लिये जितने विदेशी विनिमय की आवश्यकता होगी वह उपलब्ध किया जा सकता है। इसलिये १६५६ में कृषि उत्पादन में संशोधन करके जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उनके पूर्ण न होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्मरण-पत्र में बताया गया है कि १६५६-५७ में उत्पादन क्षमता अनुमानतः १३ लाख टन और १६५७-५८ में २३ लाख टन हो जायगा। आशा है कि १६५८-५६ तक के तीन वर्षों में जो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी वह योजना के लिये रखे गये संशोधित लक्ष्य के आधे से कम होगी। स्मरण-पत्र प्रकाशित होने के बाद आयोजना आयोग तथा खाद्य और कृषि मन्त्रालय इन अनुमानों की आधार सामग्री पर विचार करके सम्पूर्ण प्रयत्न को और भी तेज करने के उपाय निकालने में लगे हुए हैं। १६५७-५८ में मौसम प्रतिकूल रहने के कारण खाद्य उत्पादन में ६.८ प्रतिशत की कमी हो गई। अब कृषि उत्पादन के कार्यक्रमों को अत्यन्त तत्परता के साथ अमल में लाने पर जोर दिया गया है।

रबी के लिये आंदोलन

उपर्युक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के सहयोग से राज्य सरकारें रबी उत्पादन के आन्दोलन का संगठन कर रही हैं। इस वर्ष के आरम्भ से ही आयोजना आयोग ने सिंचाई के साधनों का उपयोग करने के लिये राज्य सरकारों के साथ अलग-अलग विस्तार के साथ बातचीत शुरू कर दी है। कार्यक्रम प्रशासन सलाहकारों ने ६ राज्यों का दौरा किया। अब सिंचाई साधनों का तेजी के साथ उपयोग करने के लिये प्रत्येक राज्य की राजधानी में उपयुक्त व्यवस्था हो गई है। केन्द्रीय जल तथा बिजली आयोग की ओर से दो सीनियर इंजीनियर विभिन्न प्रायोजनाओं का निरीक्षण करके राज्य सरकारों के सहयोग से यह निश्चय करने में लगे हुए हैं कि सिंचाई सम्बन्धी लक्ष्यों को जल्दी से पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जाने आवश्यक हैं। पुनर्मूल्यांकित आयोजना के अंतर्गत सिंचाई के लिये २६ करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि दी जायगी। इसे उन क्षेत्रों में रजबहे बनाने में लगाया जायगा जहां पानी इकट्ठा करने का प्रबन्ध हो गया है। जहां जनता द्वारा सिंचाई के छोटे साधन चालू किये जायेंगे वहां भी इस अतिरिक्त राशि में से धन खर्च किया जायगा। स्मरण-पत्र में बताया गया है कि सिंचाई साधनों से पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिये नीचे लिखे कार्य आवश्यक हैं:—

(१) खेतों में पानी पहुँचाने वाली नालियां और कूलें बनाना तथा अन्य सहायक निर्माण कार्य करना आवश्यक है।

(२) कुछ प्रायोजनाओं से सींचे जाने वाले क्षेत्रों के निर्धारण में शीघ्रता की जानी चाहिए।

(३) ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसकी सहायता से उन सभी व्यक्तियों से अनिवार्य रूप से आबियाना वसूल किया जाना चाहिए जिनकी भूमि सिंचाई की अधिकारी हो जाय।

(४) सिंचाई वाली खेती के प्रदर्शन स्थलों, उपयुक्त ढंगों और निर्देशन की व्यवस्था की जाय।

(५) ग्रामस्तर पर बीज पैदा करने की व्यवस्था की जाय।

(६) हरी खाद तैयार करने का आंदोलन तेजी से चलाया जाय।

(७) उन फारमों पर सुधरे हुए बीज उत्पन्न करने में शीघ्रता की जाय जिनके लिये भूमि प्राप्त की जा चुकी है। बीज फारम स्थापित करने के समस्त कार्यक्रम को शीघ्रतापूर्वक अमल में लाया जाय।

राज्य सरकारों का ध्यान उन कार्यों की ओर दिलाया जा चुका है और इनकी प्रगति पर बराबर ध्यान रखा जा रहा है।

सिंचाई और बिजली

योजना में सिंचाई और बिजली के लिये रखे गये ९१३ करोड़ रु० की राशि घटाकर ८३२ करोड़ रु० कर दी गई है। इसका सिंचाई तथा बिजली दोनों के ही लक्ष्यों पर प्रभाव पड़ेगा। अब तक हुई प्रगति और उपलब्ध हो सकने वाली राशि को ध्यान में रखते हुए विशाल तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं से आयोजना के अन्तर्गत जो १२० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया था वह अब आशा है कि घटकर १०४ लाख एकड़ रह जायगा। यह संशोधित लक्ष्य भी पर्याप्त इस्पात मिल जाने पर ही निर्भर होगा क्योंकि अनेक सिंचाई योजनाओं को इस समय वांछित परिमाण में इस्पात नहीं मिल रहा है। बिजली के लक्ष्यों पर विदेशी विनिमय का स्पष्ट ही प्रभाव पड़ रहा है। द्वितीय आयोजना में अतिरिक्त क्षमता का लक्ष्य ३५ लाख किलोवाट रखा गया था। इसमें से २९ लाख किलोवाट सरकारी क्षेत्र में, ३,००,००० किलोवाट निजी क्षेत्र में, और ३,००,००० किलोवाट उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में स्थापित होने वाली थी जो अपनी बिजली आप बनाते हैं। इन लक्ष्यों के पूरा हो जाने पर भी औद्योगिक और अन्य उपभोक्ताओं की माग किसी प्रकार पूरी हो सकेगी। गत दो वर्षों में अनेक क्षेत्रों में बिजली की माग बराबर बढ़ती गई है। परन्तु अब आशा है कि सरकारी क्षेत्र में २५ लाख किलोवाट की, निजी क्षेत्र में १,७५००० किलोवाट की और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ३,००,००० किलोवाट की क्षमता स्थापित की जा सकेगी। इस प्रकार ३० लाख किलोवाट की कुल अतिरिक्त क्षमता स्थापित हो सकेगी जो योजना में अपेक्षित लक्ष्य से ५ लाख किलोवाट कम होगी। बिजली की देश भर में कमी है। इसका कुछ क्षेत्रों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। यदि बिजली का लक्ष्य पूरा न होने के कारण नियोजन की स्थिति पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ने देना है तो अब आगे प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में अनुद्योगिक कार्यों पर खर्च होने वाली बिजली का बड़ी सावधानी के साथ नियमन करना होगा।

उद्योग और खनिज पदार्थ

द्वितीय आयोजना में सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के विशाल उद्योगों में १०९४ करोड़ रु० लगाये जाने की आशा की गई थी। सरकारी क्षेत्र के लिये ५२४ करोड़ रु० रखे गये थे जो उन ६०-६५ करोड़ रु० के अतिरिक्त थे जो राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के लिये रखे गये थे। इनमें से ३५ करोड़ रु० नये मूलभूत और भारी उद्योगों के लिये थे। कुछ योजनाओं की लागत के अनुमानों में संशोधन करने पड़े। अन्य के लिये योजना में बताये गये धन से अधिक रुपये की आवश्यकता हुई। नीचे के लिये विवरण से वे परिवर्तन प्रकट होते हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा आरम्भ की गई सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक प्रायोजनाओं के अनुमानों में किये गये हैं।

(रु० करोड़ में)

	आयोजन में व्यवस्था		विदेशी विनिमय	
	पहले	संशोधित	पहले	संशोधित
१. राउरकेला	३५०.००	४६५.००	८६.००	१२०.००
२. भिलाई			६७.५०	८१.६७
३. दुर्गापुर			७२.००	९१.९०
४. दक्षिणी अरकाट लिग-नाइट प्रायोजना	५२.००	४६.५०	१८.००	२४.००
५. सिंदरी उर्वरक	७.००	१०.००	४.८०	६.००
६. नंगल उर्वरक	२२.००	२७.००	१२.५०	१५.००
७. हिन्दुस्तान शिपयार्ड	९ ८०	६.५०	०.७२	०.७२
८. भारी विद्युत संयंत्र (प्रथम चरण)	२० ००	२०.००	अप्राप्त	६.००
९ हिन्दुस्तान मशीन टूल	२.००	२.३६	०.४५	०.४५
१०. डी.डी.टी. कारखाने	१.००	१.००	०.८५	०.८५
११. हिन्दुस्तान केबिल्स	०.५०	०.५०	०.३४	०.३४
१२. हिन्दुस्तान एन्टी-बायोटिक्स	१.००	२.१०	०.२५	०.२५
१३. राउरकेला उर्वरक कारखाना	८.००	१०.००	१२ ००	७.००
१४. औद्योगिक वित्त निगम	१२.५०	२५.२५	—	—
१५. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	५५ ००	७१.४०	२५.००	२६ ४०
योग	५४१ ८०	७१४.६१	३०३.४१	३८८.५८

आयोजना में पहले औद्योगिक तथा खनिज विकास की योजनाओं के लिये ६९० करोड़ रु० रखे गये थे। पुनर्मूल्यांकन के बाद स्मरण-पत्र में इसके लिये ७९० करोड़ रु० का उल्लेख किया गया। केन्द्रीय मन्त्रालयों के साथ हाल में ही विचार विमर्श करने के बाद ८८२ करोड़ रु० रखे गये हैं जिनमें से १५ करोड़ रु० राज्यों की योजनाओं के लिये हैं।

आयोजना आयोग के स्मरण-पत्र में बताया गया है कि १९९ करोड़ रु० के खर्च वाली १२ प्रायोजनाएं तृतीय आयोजना के शुरू के वर्षों में पूर्णतः अमल में आ जायेंगी। १० केन्द्रीय तथा राज्यों की अनेक प्रायोजनाएं, जिन पर ६४ करोड़ रु० खर्च होने की आशा है, संभवतः बाद के लिये स्थगित कर दी जायेंगी अथवा काफी धीरे-धीरे चलायी जायगी। कुछ उद्योगों के लक्ष्य पूरे न होने की भी सम्भावना है।

इनमें उर्वरक, भारी ढलाई और गलाई के उद्योग उल्लेखनीय हैं। चूंकि विदेशी विनिमय मिलने के लिये उद्योगों की प्राथमिकता का क्रम बांधा जाने को था इसलिये आयोजना के आवश्यक अंग से बाहर के उद्योगों को या तो स्थगित कर दिया गया अथवा उन्हें पर्याप्त विदेशी विनिमय नहीं दिया गया। आवश्यक अंग की प्रायोजनाओं पर ही कुल १६०० करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान रहा। इनके लिये ६६२ करोड़ रु० के विदेशी विनिमय की भी आवश्यकता थी। निजी क्षेत्र की औद्योगिक प्रायोजनाओं की प्रगति के बारे में स्मरण-पत्र में मुख्य-मुख्य तथ्य दिये गए हैं। अन्त में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इस समय विदेशी विनिमय के जो साधन उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए द्वितीय आयोजना सम्बन्धी जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उनके ७० से ७५ प्रतिशत भाग तक पूरे होने की आशा है। अलुमीनियम, लोह मैंगनीज, कास्टिक सोडा और रंगों के लक्ष्यों में काफी कमी रहने की सम्भावना है। आयोजना आरम्भ होने के बाद हुई घटनाओं को देखते हुए सीमेंट के लक्ष्य पर पुनः विचार किया गया है। इजीनियरिंग उद्योगों के क्षेत्र में ढांचा निर्माण तथा मशीन निर्माण (चीनी बनाने की मशीनें छोड़ कर) के लक्ष्यों में कमी रहेगी। परन्तु रेल के इंजन, डिब्बे और साइकिलें बनाने के लक्ष्य पूरे हो जायेंगे। विदेशी विनिमय की कमी होने के कारण निर्माण कार्य के कई क्षेत्रों में आत्म निर्भर होना कठिन है। उपभोग की वस्तुओं के जो लक्ष्य रखे गये हैं उनमें से केवल कुछ को छोड़कर शेष सबके पूरे हो जाने की आशा है।

सरकारी क्षेत्र के समान निजी क्षेत्र की आवश्यकताओं को भी बढ़ाना पड़ा है। आयोजना में इनपर कुल ६८६ करोड़ रु० के विनियोजन की आशा की गई थी। इसमें से ५३५ करोड़ रु० नये उद्योगों पर और १५० करोड़ रु० पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगाने के लिये रखे गये थे। विदेशी विनिमय का अनुमान ३२० करोड़ रु० रखा गया था। परन्तु कुल विनियोजन में लगभग १५५ करोड़ रु० की वृद्धि हो गई। विदेशी विनिमय की आवश्यकता में भी लगभग १२० करोड़ रु० बढ़ गये। आशा है कि पांच वर्षों की अवधि में नये उद्योगों पर लगभग ४७५ करोड़ रु० और आधुनिकीकरण तथा मशीनें बदलने के कार्यक्रमों पर लगभग १०० करोड़ रु० लगाये जाने की आशा है। इस प्रकार इनका योग ५७५ करोड़ रु० हो जाता है जबकि आयोजना में ६८५ करोड़ रु० लगाने की आशा की गई थी।

खानों की विकास सम्बन्धी योजनाओं के लिये अब ११० करोड़ रु० की आवश्यकता बतायी जा रही है जबकि आयोजना आयोग के स्मरण-पत्र में ८५.५ करोड़ रु० की आवश्यकता बतायी गई थी। मुख्य मुख्य वृद्धियां कोयले (२८.४ से बढ़कर ४० करोड़ रु०) और तेल की खोज (११.३ से बढ़कर २० करोड़ रु०) के क्षेत्रों में हुई हैं। आयोजना अवधि के अन्त तक कोयले के उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाकर ६०० लाख टन रखा गया है। इसमें ३० से ४० लाख टन तक की कमी रह सकती है।

परिवहन और संचार

परिवहन और संचार साधनों के क्षेत्र में क्या लक्ष्य थे और कितनी सफलता मिलने की सम्भावना है, यह आयोजना आयोग के स्मरण-पत्र में बताया गया है। परिवहन और संचार साधनों पर अब १३४० करोड़ रुपये का कुल परिव्यय रखा गया है जबकि द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में १३८५ करोड़ रु० रखा गया था। मूल आयोजना में से जो प्रायोजनाएं आगे के लिये स्थगित कर दी जाएंगी, वे ये हैं :—बिजली की रेलें चलाने की कुछ योजनाएं, छोटी लाइन की कोच फैक्टरी तथा पैरम्बूर के सवारी डिब्बा कारखाने का फर्निशिंग यूनिट। आयोजना में जितनी अतिरिक्त जहाजी क्षमता बढ़ सकेगी, वह १,८०,००० जी० आर० टी० होगी जबकि शुरू में लक्ष्य ३,६०,००० जी० आर० टी० का रखा गया था। हाल ही में एक जहाजरानी विकास फंड स्थापित किया गया है जिसका काम आयोजना की शेष अवधि में और जहाज खरीदने के लिये जहां तक संभव हो, सहायता देने का है। बन्दरगाहों की माल चढ़ाने उतारने की क्षमता आयोजना में परिकल्पित २.५ करोड़ टन से बढ़ाकर ३.३ करोड़ टन कर दी जाएगी। बन्दरगाहों का विकास कार्यक्रम पूरा करने में २०.६७ करोड़ रु० के उस ऋण से बड़ी सहायता मिलेगी जो विश्व बैंक कलकत्ता और मद्रास बन्दरगाहों के विकास के लिए दे रहा है। सड़कें बनाने के २०,००० मील के लक्ष्य में कुछ कमी रहने की संभावना है क्योंकि आयोजना में मूल रूप से इसके लिये २४६ करोड़ रु० की राशि निर्धारित की थी लेकिन अब केवल २१६ करोड़ रु० ही मिल सकेगा।

सामाजिक सेवाएं

सामाजिक सेवाओं सम्बन्धी लक्ष्य उसी सीमा तक पूरे किये जा सकेंगे जिस सीमा तक राज्य सरकारें इनके लिये आवश्यक साधन जुटा सकेंगी। अगर सारी आयोजना का कुल परिव्यय ४८०० करोड़ रु० से

घटाकर जहां ४५०० करोड़ रु० कर दिया गया है और उद्योगों तथा खनिजों परिव्यय बढ़ा दिया गया है वहां सामाजिक सेवाओं का खर्च ९४५ करोड़ रु० से घटाकर ८१० करोड़ रु० कर दिया गया है। इसका विवरण नीचे दिया जाता है :—

(करोड़ रु० में)

विकास की मदें	पचवर्षीय आयोजना में निर्धारित मूल राशि			आयोजना के अन्तर्गत स्मरण-पत्र में ५ सालों के लिए निर्धारित राशि		
	योग	केन्द्र	राज्य	योग	केन्द्र	राज्य
१. शिक्षा	३०७	९५	२१२	२७५	६८	२०७
२. स्वास्थ्य	२७४	९०	१८४	२४५	७५	१७०
३. आवास	१२०	४७	७३	८४	२०	६४
४. पिछड़े वर्गों का कल्याण	९१	३२	५९	७२	१९	५१
५. पुनर्वास	९०	९०	—	९०	९०	—
६. सामाजिक कल्याण, श्रम कल्याण और शिक्षित बेरोजगारों को काम देने की योजना	६३	४२	२१	४४	२६	१८
योग	९४५	३९६	५४९	८१०	२९८	५१२

इनमें से राज्य की योजनाओं में ३७ करोड़ रु० और केन्द्रीय योजनाओं में ९८ करोड़ रु० की कटौती की गई है। केन्द्र की सामाजिक सेवा योजनाओं के लिए वित्तीय साधन कम कर देने का मतलब यह होगा कि केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को मिल सकने वाली सहायता कम रह जायगी और उनको अब अपनी सामाजिक सेवाओं पर स्वयं अधिक धन खर्च करना होगा।

कटौती का प्रभाव

आयोजना आयोग ने अपने स्मरण-पत्र में यह भी बताया है कि विभिन्न क्षेत्रों खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मकान आदि बनाने की योजनाओं के लिए धन की कटौती करने का क्या सम्भावित प्रभाव पड़ सकता है। यहां यह उल्लेख कर देना अनुपयुक्त न होगा कि आयोजना की प्रथम तीन सालों में शिक्षा की प्रगति अपेक्षित गति से कहीं अधिक तेजी से हुई है। आयोजना में कल्पना की गयी थी कि मार्च १९६१ तक ६ से ११ वर्ष तक की आयु के ७७ लाख बच्चों के लिए स्कूल, ११ से १४ वर्ष की आयु के १३ लाख बच्चों के लिए और १४ से १७ साल तक की आयु के करीब आठ लाख बच्चों के स्कूल उपलब्ध हो सकेंगे। आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक इन आयु वर्गों के क्रमश: ६० लाख, ८ लाख और ७५ हजार बच्चों के लिए स्कूल हो जायगे। कुल आयोजना के लिए यह लक्ष्य रखा गया था कि २,२४,००० प्राइमरी अध्यापकों की वृद्धि होगी लेकिन आयोजना के पहले तीन वर्षों में २ लाख से कुछ कम अध्यापकों की वृद्धि हो चुकेगी। शिक्षा की बढ़ती हुई मांग पूरी करने तथा पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देने के लिए १९५८-५९ से ६०,००० प्राइमरी अध्यापक और नियुक्त करने की एक नयी योजना लागू करने का निश्चय किया गया है। इस योजना के अनुसार १९५८-५९ में १५,०००, १९५९-६० में २०,००० और १९६०-६१ में २५,००० अध्यापक नियुक्त किये जाएंगे। प्रारम्भिक शिक्षा खासकर देहाती इलाकों में कितनी तेजी से बढ़ सकेगी, यह इसी बात पर निर्भर है कि कितनी तेजी से अध्यापक उपलब्ध हो सकेंगे। इस दृष्टि से हाल के इस निश्चय से प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार में तेजी आएगी। टैक्नीकल शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। टैक्नीकल शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था ४८ करोड़ रु० से बढ़ाकर ५७ करोड़ रु० कर दी गयी है। इंजीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमा धारियों की ट्रेनिंग के लक्ष्य भी ३१२२ तथा ८१८४ से बढ़ाकर क्रमश: ४५३३ तथा १०,२८५ कर दिये गये हैं। बहुत सी वर्तमान ट्रेनिंग शालाओं का विस्तार किया जा रहा है और ११ नये इंजीनियरी कालेज भी खोले जा रहे हैं जिनमें बम्बई, मद्रास तथा कानपुर के उच्च टैक्नीकल शिक्षा देने वाले कालेज भी होंगे।

रोजगार तथा राष्ट्रीय आय

आयोजना में अनुमान लगाया गया था कि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र से बहुत से विकास कार्यक्रम क्रियान्वित करने से लगभग ८० लाख लोगों को नये रोजगार मिलेंगे (इस में खेती से मिलने वाला रोजगार शामिल न होगा।) अगर सरकारी क्षेत्र का पूंजी परिव्यय ४८०० करोड़ रु० ही रखा जाए और गैर-सरकारी क्षेत्र का पूंजी परिव्यय भी मूल आयोजना के अनुसार हो रहे तो योजनाओं की असली लागत अनुमानित लागत से बढ़ जाने के कारण रोजगारी के अतिरिक्त लग-

भग ७० लाख लोगों को ही रोजगार मिल सकेगा। सरकारी क्षेत्र का पूंजी परिव्यय ४५०० करोड़ रु० रह जाने से रोजगार की सम्भावना और भी घट कर ६५ लाख लोगों की ही रह जायगी। इस समय जो गणना सम्भव है, उसके आधार पर अब तक २५ लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। इससे प्रकट है कि खेती में उस संख्या से अधिक लोगों को काम मिला है, जो अब से तीन साल पहले सोची गयी थी। यह स्थिति हाल ही में और भी गम्भीर हो गयी है, क्योंकि कच्चा माल और आयातित पुर्जे हासिल करने में कठिनाइयां बढ़ गयी हैं।

राष्ट्रीय आय

आयोजना आयोग के स्मरण-पत्र की तैयारी के समय से ही यह अनुमान लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आयोजना के पुनर्मूल्यांकन का राष्ट्रीय आय के लक्ष्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रीय आय की वृद्धि पर अनेक बातों का प्रभाव पड़ता है इसलिए राष्ट्रीय आय के बारे में कोई भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है। यह कठिनाई खेती के उत्पादन की अनिश्चितता और हमारी अर्थ-व्यवस्था के लघु उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों की उत्पादन सम्बन्धी जानकारी के अभाव में और भी मुश्किल है। आयोजना में यह कल्पना की गयी थी कि ५ वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत वृद्धि होगी और उसमें से एक तिहाई भाग खेती से प्राप्त होगा। हमें जिन अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उनके बावजूद सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में पूंजी विनियोजन बड़े ऊंचे स्तर पर हुआ है। इससे विकास में तेजी आयी है खास कर अर्थ-व्यवस्था के कृषीतर क्षेत्रों (Non-Agricultural Sectors) में। आयोजना के पुनर्मूल्यांकन से कुल मिलाकर उत्पादक पूंजी विनियोजन में कोई विशेष अंतर न पड़ेगा। दूसरी ओर उत्पादन का वर्तमान स्तर बना रहना, कच्चे मालों, पुर्जों आदि की सुलभता पर निर्भर रहेगा और दूसरी आयोजना में किये गये कुछ पूंजी विनियोजन का परिणाम अगली आयोजना के आरम्भिक वर्षों तक सामने नहीं आ पायगा। सारा हिसाब-किताब बैठाकर देखें तो कृषीतर क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय, आयोजना में परिकल्पित स्तर तक शायद बढ़ सकेगी। लेकिन कुल मिलाकर राष्ट्रीय आय आयोजना में की गई मूल कल्पना के अनुसार बढ़ सकेगी या नहीं, यह खेती के संशोधित लक्ष्यों की पूर्ति पर निर्भर होगा।

अन्त में, पुनर्मूल्यांकन से हमें जो मुख्य सीख मिलती है, उसका उल्लेख करना अनुपयुक्त न होगा। यह सीख 'द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना का मूल्यांकन और संभावनाएं' पर प्रस्तुत स्मरण-पत्र की भूमिका में निम्न शब्दों में वर्णित किया गया है :—

"हाल ही में समाप्त हुए वर्ष सफलता तथा तनाव के वर्ष थे। अब यह भलीभांति स्पष्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के आकार-प्रकार की योजना को पूरा करने के लिये हमें पूर्व अनुमान की अपेक्षा कहीं अधिक तथा ज्यादा मेहनत के साथ प्रयास करने होंगे। इस का कारण वे अतिरिक्त खर्चे होना जिनका शुरू में ख्याल नहीं था, तथा देश और विदेशों में चीजों के भावों से वृद्धि होना है।........अब जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उन्हें पूरा करने की सामर्थ्य देश में है। अगर हम उन्हें पूरा करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि कृषि उत्पादन तथा देश के अतिरिक्त साधन बढ़ाने के लिये गहन प्रयास किए जाएं।"

जानकारी विभाग

विशाल उद्योग

इंजीनियरी उद्योग में मैट्रिक प्रणाली चलेगी

जल्दी ही इंजीनियरी उद्योग में नाप तौल की मैट्रिक प्रणाली चालू की जायगी। इस उद्योग से सम्बन्धित स्थायी मैट्रिक प्रणाली समिति की एक उपसमिति की बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि इंजीनियरी उद्योग में मैट्रिक प्रणाली शुरू करने के लिए क्या तरीके अपनाए जाएं। यह बैठक वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय के संयुक्त सचिव श्री के० वी० वैंकटाचलम् की अध्यक्षता में हुई थी।

बैठक में तौलने की वर्तमान मशीनें नयी तौल के अनुसार बदलने के प्रश्न पर भी विचार किया गया और बताया गया कि ८० प्रतिशत मशीनों को बदलने के लिए बाहर से कुछ यन्त्र मंगाने यानी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रेलों के कारखाने में रेलों की तुलाई-मशीनों को नयी प्रणाली में बदलना शुरू कर दिया गया है।

बैठक में यह भी निर्णय किया है कि एक कार्यकारी दल नियुक्त किया जाए, जो इस बात का अनुमान लगायेगा कि देश में हो कितनी मशीनें नयी नाप-तौल प्रणाली के अनुसार बदली जा सकती हैं और कितनी मशीनों के लिए पुर्जे विदेशों से मंगाने पड़ेंगे। इंजीनियरी उद्योग के सभी कर्मचारियों को अपने काम में नयी प्रणाली का इस्तेमाल सिखाने के लिए उन्हें नाप-तौल प्रणाली में परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी देना बहुत जरूरी है। वर्तमान छोटे उद्योगों में इस सम्बन्ध में पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

सिंदरी कारखाने को ३॥ करोड़ रु० का लाभ

सिंदरी के उर्वरक और रसायन कारखाने को १९५७-५८ में कुल ३,५२,११,२४६ रु० का लाभ हुआ। यह बात इस सरकारी कारखाने के, वार्षिक प्रतिवेदन से ज्ञात हुई है, जो हाल में ही इस कम्पनी की साधारण बैठक में स्वीकार किया गया है।

प्रतिवेदन में यह भी कहा गया कि १३ करोड़ रु० की लागत से इस कारखाने को बढ़ाने की योजना भी करीब-करीब पूरी हो गयी है। विभिन्न मदों की राशि को निकालकर अगले साल के लिए खाते में २०,००,३८७ रु० होगा।

सबसे अधिक उत्पादन

प्रतिवेदन में बताया गया है कि कारखाने में इस साल ३,१२,०३१ टन अमोनियम सलफेट बना। इस साल का उत्पादन लक्ष्य ३,३०,००० टन था। साल में भी सबसे अधिक उत्पादन, ३२,८९१ टन दिसम्बर १९५७ में हुआ और दैनिक औसत १,०६१ टन का पड़ा। यह अब तक का सबसे ऊंचा औसत है। कर्मचारियों की भलाई के कामों पर इस साल पिछले साल के १३,१४,५६६ रु० के मुकाबले, १५,०५,७५४ रु० खर्च हुआ।

शिल्पियों को काम सिखाने की योजना में भी इस साल काफी प्रगति हुई। इस साल ७० इंजीनियरी के स्नातक और ६३ कारीगर काम सीखते रहे। इसके अलावा नंगल के उर्वरक कारखाने के ६० इंजीनियरी स्नातक और हिन्दुस्तान स्टील के ४३ विद्यार्थी काम सीखने आये।

उर्वरकों की आवश्यकता

१९५८-५९ में रसायनिक उर्वरकों की कुल जरूरत इस प्रकार है—नत्रजन युक्त उर्वरक—१५ लाख २० हजार टन, फासफोरस वाले उर्वरक—२ लाख टन और पोटास वाले उर्वरक—४१ हजार टन।

१९६०-६१ में (दूसरी आयोजना के अन्त में) इन उर्वरकों क अनुमानित आवश्यकता इस तरह होगी:—नत्रजन उर्वरक—२५ लाख टन, फासफोरस वाले उर्वरक—८ लाख टन और और पोटास वाले उर्वरक ७५ हजार टन।

तीसरी आयोजना के अन्त तक इनकी जरूरत का अस्थायी रूप से यह अनुमान लगाया गया है—नत्रजन उर्वरक—५० लाख टन

फास्फोरस वाले उर्वरक—३० लाख टन और पोटाश वाले उर्वरक—२ लाख ५० हजार टन।

चीनी का उचित भाव निर्धारित होगा

भारत सरकार ने टटकर आयोग से चीनी बनाने के लागत खर्च की नये सिरे से जांच करने और चीनी का उचित भाव निर्धारित करने के लिये अपनी रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है।

चीनी उद्योग को संरक्षण देने के लिये पुराने टटकर मण्डल ने जो रिपोर्ट दी थी, उसमें सुझाव दिया गया था कि इस उद्योग में लागत खर्च की जांच के लिये अनुसूची तैयार की जाय। इसके अनुसार विशेषज्ञों की एक समिति ने अनुसूची तैयार की। एक दूसरी समिति ने इसकी जांच की और इस पर अपने कुछ संशोधन भी पेश किये। इस दूसरी समिति ने यह भी सुझाव दिया कि हाल तक के आंकड़ों के अनुसार एक नयी अनुसूची तैयार की जाय और इस संशोधित अनुसूची को भी काम में लाया जाय।

चीनी उद्योग का कहना है कि पहली समिति ने जो अनुसूची तैयार की थी और दूसरी समिति ने उसमें जो वृद्धि की, चीनी बनाने का खर्च इधर कुछ वर्षों में उससे भी बढ़ गया है। इसी तरह चीनी उद्योग के विविध खर्चों को देखते हुए इसमें लाभ का अंश भी अपर्याप्त है। दूसरी ओर गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि सोचते हैं कि अनुसूची में जो कीमत दी गयी है, वह जरूरत से ज्यादा है।

इसलिये सरकार सोचती है कि इस विषय में नए सिरे से जांच की जाय। अतः टटकर आयोग से कहा गया है कि वह तीन महीने के भीतर या इससे भी जल्दी अपना प्रारम्भिक प्रतिवेदन दे कि चीनी उद्योग को कितना पुनर्स्संस्थापन खर्च और नफा मिलना चाहिये। अन्य चीजों के बारे में अंतिम रिपोर्ट बाद में यथाशीघ्र देने को कहा गया है। जो व्यक्ति अथवा फर्म, इस विषय में रुचि रखते हैं, उन्हें अपने विचार सेक्रेटरी, टटकर आयोग, बम्बई' के पास भेजने चाहिये।

चीनी का उत्पादन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (चीनी तथा वनस्पति निदेशालय) की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि चालू मौसम में, ३० सितम्बर, १९५८ तक देश में १९ लाख ७२ हजार टन चीनी तैयार की गयी, जबकि इसी अवधि में पिछले साल २० लाख २४ हजार टन चीनी तैयार की गयी थी। आलोच्य अवधि में कुल १८ लाख ६५ हजार टन चीनी की निकासी हुई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में १९ लाख ४२ हजार टन चीनी की निकासी हुई थी।

इसकी तुलना में १५ सितम्बर, १९५८ तक देश में १९ लाख ७० हजार टन चीनी तैयार की गयी, जबकि पिछले साल इसी अवधि में २० लाख २२ हजार टन चीनी तैयार की गयी थी। इस अवधि में चीनी की कुल निकासी १७ लाख ९९ हजार टन थी, जबकि पिछले साल १८ लाख ६४ हजार टन चीनी की निकासी हुई थी।

कारखानों में ३० सितम्बर तक ५ लाख १७ हजार टन चीनी जमा थी जबकि १५ सितम्बर, को कारखानों में ६ लाख ६ हजार टन चीनी जमा थी।

जून ५८ में बिजली का उत्पादन और खपत

जून १९५८ में देश के बिजलीघरों में १ अरब ९१ लाख किलोवाट घंटे बिजली तैयार की गयी इसमें से ८१ करोड़ ७ लाख किलोवाट घंटे बिजली उपभोक्ताओं को बेची गयी। जून १९५७ में ८९ करोड़ ९१ लाख किलोवाट घंटे बिजली तैयार की गयी थी और ७२ करोड़ ९१ लाख किलोवाट घंटे बिजली बेची गयी। जून १९३९ में ये संख्याएं क्रमशः २० करोड़ ९९ लाख और १७ करोड़ ७२ लाख किलोवाट घंटे थीं।

जून १९५८ में ७७३ बिजलीघर चालू थे। इस महीने बिजली तैयार करने के दो कारखाने महबूबाबाद (आंध्रप्रदेश) और चांदपली (बिहार) में खड़े किये गये। इनके अलावा बिहार में घटशिला, जम्मू-कश्मीर में बसोली, बजौरी और ऊधमपुर तथा मध्यप्रदेश में भीखनगांव में बिजली खरीद स्थान खड़े किये गये।

कपड़े के उत्पादन में ३१ प्रतिशत की वृद्धि

देश में १९५७ में १९४८ की अपेक्षा कपड़े के उत्पादन में ३१ प्रतिशत की वृद्धि हुई। उस साल ७ अरब ३४ करोड़ ७० लाख गज सूती कपड़ा बनाया गया, जबकि १९४८ में ५ अरब ५८ करोड़ ५० लाख गज बनाया गया था। इस साल की पहली छमाही में ३ अरब ४६ करोड़ ७० लाख गज कपड़ा बनाया जा चुका है।

अब, देश में प्रति व्यक्ति के हिस्से प्रति साल १६.२ गज कपड़ा पड़ता है। इस साल की पहली छमाही में मिलों में २ अरब ४५ करोड़ १० लाख गज कपड़ा, हथकरघों पर ८५ करोड़ ८० लाख गज और बिजली के करघों पर १५ करोड़ ८० लाख गज कपड़ा तैयार किया गया। सन् १९५७ में, मिलों में ५ अरब ३१ करोड़ ७० लाख गज, हथकरघों पर १ अरब ६७ करोड़ ८० लाख गज, बिजली के करघों पर ३० करोड़ ३० लाख गज कपड़ा और ४ करोड़ ६ लाख गज खादी तैयार की गयी। उस साल बम्बई की मिलों में सबसे अधिक अच्छा ३ अरब ५८ करोड़ ५० लाख गज कपड़ा बनाया गया। १९५८ की पहली छमाई में बम्बई की मिलों में १ अरब ६५ करोड़ ३० लाख गज कपड़ा तैयार किया गया। इस छमाही में कपड़े का राज्यवार उत्पादन इस प्रकार है:—

मध्य प्रदेश—लगभग २० करोड़ ७० लाख गज, उत्तर प्रदेश—१६ करोड़ ५० लाख गज से अधिक, पश्चिम बंगाल—लगभग १३ करोड़ ३० लाख गज, बिहार—लगभग ८ करोड़ १० लाख गज, मद्रास-

लगभग ५ करोड़ ६० लाख गज, मैसूर—लगभग ४ करोड़ ९० लाख गज, पंजाब—लगभग ३ करोड़ गज, उड़ीसा—लगभग १ करोड़ ६० लाख गज, पांडिचेरी—१ करोड़ ५० लाख गज से अधिक, केरल—लगभग १ करोड़ गज, और बिहार—२० लाख गज से अधिक।

राउरकेला में उपोत्पादन

राउरकेला के उपोत्पादन कारखाने में कोलतार, अमोनिया लिकर और बैनजोल बनाया जाएगा। ये चीजें कोक भट्ठी से मिलती हैं। उपोत्पादन कारखाने में कोलतार के भारी और हल्के तेल, पिच, फीनोल, नैफ्थलीन, एन्थ्रालीन, बैनजोल, शुद्ध बैनजीन, शुद्ध टोल्यून, तेज अमोनिया लिकर, लिकर सल्फ्यूरिक एसिड, (गंधक का तेजाब) और फीनोल की अन्य चीजें बनायी जाएंगी।

उस समय यह भी कहा गया था कि अभी तक भिलाई और दुर्गापुर में उपोत्पादन कारखानों की लागत का अनुमान नहीं लगाया गया है। इस बारे में असलियत यह है कि दुर्गापुर की कोक भट्ठी, गंधक के तेजाब बनाने के यन्त्र, बैनजोल साफ करने के यंत्र और कोलतार से और चीजें बनाने के यन्त्र पर ६ करोड़ ४० लाख रु० खर्च होने का अनुमान है। भिलाई के उपोत्पादन कारखाने का खर्च यहां के इस्पात कारखाने आदि के खर्च से अलग करके बताना कठिन है, फिर भी इस कारखाने पर करीब ३-४ करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान है।

इस्पात कारखानों के लिए धुला कोयला

अनुमान है कि सरकारी तीन नये इस्पात कारखानों में और जो प्राइवेट इस्पात कारखाने बढ़ाये गये हैं, उनमें लगभग ६० लाख टन धुला कोयला खर्च होगा। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम करगली में कोयला धोने का कारखाना स्थापित कर रहा है। उससे राउरकेला को ११ लाख टन और भिलाई को ५ लाख टन धुला कोयला दिया जाएगा।

टाटा के बोकारो और जमदोबा के कारखानों को सुधारने के बाद वहां से भी १५ लाख टन धुला कोयला दिया जाने लगेगा। लोदना कारखाना इंडियन आयरन एण्ड स्टील वर्क्स को २ लाख २० हजार टन कोयला देता है।

करगली में कारखाने के खुलने और टाटा के कारखाने सुधारने के बाद लगभग ४५ टन धुला कोयला देने के लिये कारखाने खोलने पड़ेंगे। दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिए जो करार किया गया है, उसमें यह भी कहा गया है कि इस्पात कारखाने को कोयला देने के लिए कोयला धोने का कारखाना भी खोला जाएगा, जो झरिया कोयला खान का कोयला धोएगा। बाकी ४८ लाख टन कोयला धोने के लिए दुगदा, भोजुडीह और पाचेरडीह में कारखाने खोले जाएंगे।

दुगदा में झरिया का कोयला धोकर भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों को; भोजुडीह से टाटा आयरन एण्ड स्टील वर्क्स को और पाचेरडीह से इंडियन आयरन एण्ड स्टील वर्क्स को भेजा जाएगा।

देश में लाख का उत्पादन

पिछले साल १९५७-५८ में लाख का उत्पादन कम हुआ। इस कमी का मुख्य कारण यह था बिहार और पश्चिम बंगाल में सूखा पड़ा, जिससे वहां लाख के उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ा। पिछले तीन सालों में लाख का उत्पादन इस प्रकार था। १९५५-५६ में १२,४८,००० मन १९५६-५७ में १३,१५,००० मन और १९५७-५८ में १२,४०,५०० मन। दूसरी आयोजना में लाख उद्योग के विकास के लिए ५५ लाख रु० की कुछ योजनाएं भी शामिल हैं।

भारत में अखबारी कागज की खपत

देश में दूसरे महायुद्ध के पहले अखबारी कागज की खपत लगभग ३७,००० टन थी। आजकल वह ८०,००० टन के करीब है और अनुमान है कि १९६०-६१ तक १,००,००० टन हो जायगी।

सन् १९५७ में विदेशों से ५५,६४९ टन अखबारी कागज मंगाया गया। जनवरी १९५५ में नेपा मिल में अखबारी कागज बनाना आरम्भ हो गया था। तब तक देश इसके लिये विदेशों पर ही निर्भर था।

मई १९४१ में पहला अखबारी कागज नियंत्रण कानून बना। इसके जरिये अखबारी कागज की खरीद, बिक्री, आयात और अखबारों के अलावा अन्य कार्यों के लिये इसका उपयोग करने पर पाबन्दी लगा दी गयी।

मई १९४२ में दूसरा अखबारी कागज नियंत्रण कानून बनाया गया। इसके जरिये अखबारी कागज की खपत नियंत्रित करने के लिए अखबारों के पृष्ठों की संख्या और कीमत निर्धारित कर दी गयी। सन् १९४३ में अखबारों के वितरण पर भी नियंत्रण लगा दिया गया। अप्रैल १९४३ से जुलाई १९४९ के बीच अखबारों पर पृष्ठ संख्या सम्बन्धी प्रतिबन्ध विशेष तौर पर कड़े रहे, जो १९४६ में हटाये गये। अगस्त १९४९ से अखबारी कागज के आयात के लिये खुले लाइसेन्स दिये जाने लगे।

अक्टूबर १९५७ में वित्त मंत्रालय के मितव्ययिता-मंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया कि विभिन्न अखबारों को उनके के अनुसार अखबारी कागज दिया जाय।

उक्त निर्णय के अनुसार वाणिज्य तथा उद्योग और सूचना प्रसार मंत्रालयों के कतिपय अधिकारियों को मिलाकर एक विभाग गया। इसको यह जानकारी इकट्ठी करनी थी कि प्रत्येक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विदेशों से कितना अखबारी मंगाना पड़ेगा। अखबारी कागज बनाने वाली देश की एकमात्र नेपा मिल में १९५५ में उत्पादन आरम्भ हुआ और उस साल

२,५६३ टन कागज बनाया गया। सन् १६५७ में वहां १४,८८६ टन अखबारी कागज बनाया गया।

दूसरी आयोजना में देश में अखबारी कागज की एक और मिल खोलने की व्यवस्था है। इसमें हर साल ३०,००० टन अखबारी कागज बनाया जा सकेगा। देश में अखबारी कागज बनाने के लिए यहां उपलब्ध कच्चे माल का ही उपयोग करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अखबारी कागज की दूसरी मिल आंध्र प्रदेश में शक्कर नगर में खोली जायगी। इससे यह लाभ होगा कि निजाम शुगर फैक्टरी में बहुतायत में मिलने वाली गन्ने की खोई काम में लायी जा सकेगी।

चमड़ा उद्योग की उन्नति के लिये समिति नियुक्त

देश में चमड़े की चीजों के उद्योगों की उन्नति के लिये भारत सरकार ने २१ सदस्यों की एक समिति नियुक्त की है। यह समिति विभिन्न प्रकार की चमड़े की चीजों के वर्त्तमान उत्पादन और मांग का अन्दाज लगायेगी और यह भी देखेगी कि भविष्य में चमड़े के माल की मांग कितनी बढ़ सकती है।

समिति इस बात की भी जांच-पड़ताल करेगी कि चमड़ा उद्योग के लिये कितनी खालों, मशीनों और मसालों आदि की जरूरत है। साथ ही यह इस जरूरत को देश में ही पूरा करने के उपाय भी सुझायेगी।

चमड़ा उद्योग में आजकल किन विधियों से काम होता है, इसका अध्ययन करके समिति इस उद्योग में नयी और उन्नत विधियों की सिफारिश करेगी। इसके अलावा समिति यह भी पता लगायेगी कि इस समय उद्योग की उत्पादन-क्षमता कितनी है और यह भी बतायेगी कि अतिरिक्त क्षमता को निर्यात के लिये अधिक माल तैयार करने में कैसे उपयोग किया जा सकता है। माल की किस्म सुधारने के बारे में भी समिति आवश्यक सुझाव रखेगी।

बाटा शू कम्पनी, कलकत्ता के श्री एम० एल० खेतान इस समिति के अध्यक्ष हैं। इनके अलावा, चमड़ा निर्यात वृद्धि परिषद्, केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधानशाला, वनों के महानिरीक्षक तथा सरकारी विभागों के प्रतिनिधि और प्रमुख व्यापारी भी इनमें रखे गये हैं।

औद्योगिक गवेषणा

नदियों के पानी में खनिज तत्व

शायद यह बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि दो नदियों का पानी एकसा नहीं होता। उनके गुण अलग अलग होते हैं। परन्तु सिंचाई और उद्योग में पानी का उपयोग करने वाले इसे जानते हैं और इस जानकारी का लाभ उठाते हैं।

पूना स्थित केन्द्रीय पानी और बिजली अनुसंधानशाला में १६५५ से पानी के खनिज तत्वों पर खोज हो रही है। वहां हर महीने राज्यों के विभिन्न स्थानों से नदी का पानी भेजा जाता है। पानी के खनिज तत्वों की जांच करके यह चार्ट तैयार किया जाता है कि किस स्थान पर किस नदी के पानी में कितनी अवधि तक कितना खनिज तत्व रहता है।

१६४६ में केन्द्रीय सिंचाई और बिजली मंडल की अनुसंधान समिति ने पानी की जांच करने का निर्णय किया था; क्योंकि पता चला था कि जिस पानी में अधिक खनिज तत्व होते हैं या जो पानी 'भारी' होता है वह सिंचाई और उद्योग के लिये अधिक उपयोगी होता है।

खोज करने से काफी मनोरंजक बातों का पता लगा। बरसात में देश की सभी नदियों में नमक की मात्रा बहुत कम होती है और गर्मियों में बढ़ जाती है। खास तौर पर अप्रैल, मई और जून के महीने में दक्षिण भारत की नदियों—ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा—में नमक की मात्रा काफी अधिक हो जाती है। चम्बल और यमुना के अलावा उत्तर भारत की अन्य नदियों में गर्मियों में नमक की मात्रा अधिक नहीं होती।

इसका एक कारण है—उत्तर भारत की नदियां हिमालय से निकलती हैं। वहां से नदियों में जो बर्फ पिघलकर आता है, उसमें नमक की मात्रा बहुत कम होती है। दूसरी ओर दक्षिण भारत तथा हिमालय क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में गर्मियों में काफी नीचे की जमीन और चट्टानी परतों से नदियों में पानी आता है, इसलिये इसमें काफी मात्रा में नमक घुल जाता है। केवल कावेरी नदी में ऐसा नहीं होता। इस नदी में पूर्वी और पश्चिमी मानसून से पानी आता है, इसीलिये शायद इसमें नमक अधिक नहीं होता।

पक्की स्याही तैयार करने का तरीका

नयी दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने हाल में ऐसी विभिन्न प्रकार की स्याहियां तैयार करने का तरीका निकाला है, जो काफी समय तक खराब नहीं होंगी।

देश में छापेखाने की स्याही, डुप्लिकेटिंग स्याही आदि की काफी खपत है। समाचारपत्र तथा अन्य प्रकाशनों के प्रेसों में प्रतिवर्ष २० लाख पौंड स्याही खर्च होती है। इसमें से अधिकांश स्याही विदेशों से मंगाई जाती है। देश में ऐसी स्याही बहुत कम तैयार की जाती है और वह भी अच्छी नहीं होती। इसे अधिक समय तक रखने से इसके कण तल पर जमा हो जाते हैं।

प्रयोगशाला ने जो तरीका निकाला है, उससे तैयार की गयी स्याही काफी समय तक टिकती है और उसमें कोई खराबी नहीं आती। प्रयोगशाला में परीक्षा के तौर पर एक कारखाना खड़ा किया गया था। उससे कम खर्च पर अच्छी स्याही बनी और बाजार में काफी बिकी।

विद्युत-रासायनिक अनुसंधान

जंग या मोर्चा लोहा और इस्पात का घोर शत्रु है। बड़े से बड़े जहाज से लेकर छोटी सी पिन तक उसके विनाशकारी प्रभाव से नहीं बचती। कारइकुडी की केन्द्रीय विद्युत-रासायनिक प्रयोगशाला अपने इस अल्प जीवन (जन्म, जनवरी १९५३) में इस शत्रु से धातुओं की रक्षा करने के उपाय खोजने में निरंतर लगी हुई है।

प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों का एक दल, धनुषकोडि के पास मंडपम कैम्प में समुद्र के किनारे बियाबान में जंग लगने या संक्षरण के बारे में अनुसंधान कर रहा है। यहां धातुओं को संक्षरण से बचाने के उन पदार्थों और विधियों की परीक्षा की जाती है, जो कारईकुडी की प्रयोगशाला में निकाली जाती हैं।

देश में बिजली का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। इसी को देखकर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने विद्युत-रसायन अनुसंधान के लिये एक अलग प्रयोगशाला स्थापित करने का विचार किया। प्रयोगशाला ने पहले लोहे और इस्पात को हानि पहुँचने वाले इस संक्षरण को रोकने की ही तरकीबें निकालने का काम हाथ में लिया।

लोहा उद्योग की जरूरतें

सबसे पहले मशीन औजारों, बिजली के सामान, साइकिल, मोटर-गाड़ियों, रेल के डिब्बों और जहाजों तथा धातु की चादरें बनाने के उद्योगों की समस्याओं की ओर ध्यान दिया गया। इन उद्योगों में हर साल ३ अरब ३५ करोड़ रु० का माल तैयार होता है और दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में इस उत्पादन के ६ गुना बढ़ जाने की उम्मीद है।

प्रयोगशाला ने जल्दी ही कई ऐसे पदार्थ खोज निकाले जिनके लगाने से धातुओं को जंग नहीं लगता। मंडपम् कैंप में देखा जाता है कि कौन पदार्थ खराब से खराब जलवायु में कितना कारगर हो सकता है।

संक्षरण ही एकमेव ऐसी समस्या नहीं जिसकी ओर प्रयोगशाला को ध्यान देना है। वास्तव में उसका उद्देश्य देश में विद्युत-रसायन उद्योग को बढ़ाने के लिए मूल जानकारी और शिल्पी तैयार करना है। इस उद्योग के बढ़ने से देश में ही मिलने वाली कई चीजों का उपयोग हो सकता है और इससे कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ तैयार किये जा सकते हैं। दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में देश में बिजली का उत्पादन बढ़कर ६६ लाख किलोवाट हो जाने की आशा है। तब तो इस उद्योग का भविष्य और भी उज्ज्वल है। आजकल देश के प्रमुख विद्युत रासायनिक उद्योग हैं : उर्वरक, इस्पात, अल्युमीनियम, अलौह धातुएं, लोहे और अन्य धातुओं के मिश्रण तथा क्षारीय रसायन। वास्तव में उन्हीं उद्योगों को इस प्रयोगशाला का लाभ पहुँच रहा है।

हाल के अनुसन्धान

विद्युत रसायन उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, विद्युदंशिक या इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यही सेल धातुओं या धातु-मिश्रणों, रासायनिक पदार्थों के शुद्ध करने या अलग करने और बिजली संग्रह करने के काम आता है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि एक प्रकार का सेल हर काम आ जाए। किस उपयोग के लिए कौनसा और कैसा सेल चाहिए, यह मालूम करने और वैसा सेल तैयार करने के लिए गहन अनुसन्धान करना होता है।

प्रयोगशाला की इलेक्ट्रोलिटिक सेल शाखा ने, एक ऐसा सेल निकाला है, जो देश में ही मिलने वाली और बहुत सस्ती चीजों से बनाया जा सकता है। रेलों और डाक-तार विभाग ने, इस सेल का परीक्षण किया है और इसे पूर्ण उपयोगी पाया है। अब इस सेल को बड़े-बड़े कामों में इस्तेमाल करके देखा जा रहा है और आशा है कि इन विभागों में भविष्य में इन्हीं सेलों का प्रयोग होने लगेगा। इस सेल की विशेषताएं ये हैं : इस की गर्म छड़ (एनोड) विदेशी जस्त की बजाय देशी अलमुनियम और मैगनीशियम की बनती है, इसमें विदेशी और महंगे अमोनियम क्लोराइड के घोल की जगह नमक जैसी सस्ती और सुलभ चीज का घोल काम आता है और इसमें इस्तेमाल होने वाली व्यवधियां (डायफ्राम) भी घरेलू उद्योगों में बनायी जा सकती हैं, जिससे यह सेल आम सेलों से बहुत हल्का हो गया है।

बारीक और बढ़िया रासायनिक पदार्थ

स्वाद देने वाली चीजों, दवाओं, रंगों, सुगन्धित पदार्थों आदि में काम आने वाले कई प्रकार के बढ़िया और बारीक रासायनिक पदार्थ बिजली से काफी सस्ते और शुद्ध बन सकते हैं। इन सब चीजों के लिए अभी तक हर साल हमारा लाखों रु० विदेश जाता है। प्रयोगशाला में इन चीजों के बनाने के व्यापक प्रयोग किये जा रहे हैं।

...और लीजिये। अभी तक हमारे देश में मैंगनीज का कोई उप... नहीं होता और खनिज मैंगनीज ही विदेश भेज दिया जाता है। ... प्रयोगशाला ने फैरो मैंगनीज, इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज, मैंगनीज ...नेट और मैंगनीज डाइ-आक्साइड बनाने की पूरी विधि ...ल ली है।

उद्योगों से सम्पर्क

मूल्यवान अनुसन्धान कार्य करने और इसके व्यावहारिक उपयोग ...लने के अलावा कारइकुडी की प्रयोगशाला अपनी निकाली हुई ...ों को बड़े पैमाने पर बनाने के यन्त्र भी लगाती है, देश भर के ...सन्धान-कर्त्ताओं और गवेषकों और उद्योग-धन्धों से सम्पर्क रखती ... कई प्रकार के कच्चे माल और तैयार माल का मानक निर्धारित करती ...और उपयोगी जानकारी एकत्र करती और बांटती है।

प्रयोगशाला के वैज्ञानिक अन्य विद्युत रासायनिक कल-कारखानों ...जाते हैं और उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों को समझने की कोशिश ...ते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक अनुसन्धान और उद्योगों के आदान-...दान द्वारा अनेक समस्याओं को हल किया जाता है। देश की अन्य ...ीय प्रयोगशालाओं की तरह, यह प्रयोगशाला भी अनुसन्धान को ...त्साहन देने के साथ, देश के उद्योग-धंधों की सहायता ... करती है।

...ल्का मैगनीशियम कार्बोनेट बनाने की विधि

भावनगर स्थित केन्द्रीय नमक गवेषणशाला ने हल्का मैगनीशियम ...र्बोनेट बनाने की एक विधि निकाली है। हल्का मैगनीशियम कार्बोनेट ...बर उद्योग, सिगरेट बनाने और अन्य बढ़िया किस्म के कागजों के ...र्माण में काम आता है। भाप और गरम गैसों आदि के पाइपों ...के ऊपर मैगनीशिया प्रतिरोधक तह लगाने में भी इसका बहुत उपयोग ...होता है।

उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार ...देश में १९५७ में मैगनीशियम कार्बोनेट बनाने वाले कारखानों की ...क्षमता १२०८ टन थी, परन्तु उत्पादन बहुत कम हुआ। प्रायः यह ...विचार किया जाता है कि स्वदेशी पदार्थ इतना अच्छा नहीं होता, ...जितना उद्योगों में उपयुक्त होने के लिए होना चाहिए। इसलिए ...विदेशी पदार्थ ही काम में लाया जाता है। भारत के विदेशी व्यापार ...के आयात आंकड़ों के अनुसार १९५७ में लगभग ११९३ टन हल्के ...मैगनीशियम कार्बोनेट का आयात हुआ, जिसका मूल्य ११.६६ लाख ...रुपये था।

केन्द्रीय नमक गवेषणशाला ने हल्का मैगनीशियम कार्बोनेट बनाने के लिए बहुत से प्रयोग किये हैं और समुद्री 'बिटर्न' से जो कि अब ...तक व्यर्थ जाते रहे हैं, इसके बनाने की विधि मालूम की है। अर्ध-प्रायोगिक संयन्त्र बनाकर किये गये अध्ययन में देखा गया है कि इस विधि से ८० प्रतिशत तक मैगनीशियम कार्बोनेट की प्राप्ति हो जाती है।

इसके बनाने के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है, वे प्रतिक्रिया पात्र, घूमने वाले निर्वात फिल्टर, सुखाने और पीसने वाले यन्त्र और भण्डारित करने वाले पात्र हैं। एक टन प्रतिदिन माल बनाने वाले कारखाने की स्थापना करने के लिए लगभग २.५ लाख रुपये की पूंजी की आवश्यकता होगी।

जो व्यक्ति इस विधि के व्यापारिक विकास में रुचि रखते हों, वे और अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित पते पर लिखें : सैक्रेटरी, नेशनल रिसर्च डिवेलपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया, मण्डी हाउस, लिटेन रोड, नयी दिल्ली-१।

प्रतिमानीकरण की प्रगति

भारतीय मानक संस्था ने हाल ही में अनेक मानक प्रकाशित किये हैं। इनमें से कुछ का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है। इन मानकों की प्रतियां भारतीय मानक संस्था के नयी दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास कार्यालय से मिल सकती हैं।

सीमेंट-कंकरीट की टाइलें

भारतीय मानक संस्था की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि संस्था ने फर्श, दीवाल, सीढ़ी आदि पर टाइलें बिछाने और उन्हें चमकाने के तरीके का मसौदा प्रकाशित किया है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि टाइलें बिछाने और चमकाने के लिए कौन से पदार्थ इस्तेमाल करने चाहिए। टाइलें देखने में अच्छी लगती हैं और ये आसानी से बिछाई जा सकती हैं। यदि ये ठीक ढंग से अच्छे पदार्थों की मदद से बिछाई और चमकाई जाएं, तो अधिक टिकाऊ रहेंगी और इनकी सुन्दरता भी बनी रहेगी।

मसौदे पर अपने विचार ११ नवम्बर, १९५८ से पहले नयी दिल्ली की भारतीय मानक संस्था को भेजे जा सकते हैं।

डिब्बा बंद गाढ़ा दूध

भारतीय मानक संस्था ने डिब्बा बन्द गाढ़े (कन्डेन्स्ड) दूध का मानक (आई एस : ११६६–१९५७) प्रकाशित किया है। इस मानक में डिब्बा बन्द गाढ़े दूध की आवश्यकता, दूध के डिब्बे के पैक करने तथा उन पर मुहर लगाने के तरीके और आजमाइश के लिए दूध के नमूने तैयार करने के तरीके बताये गये हैं। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि किस प्रकार यह पता लगाया जा सकता है कि दूध में कितनी मात्रा में विभिन्न पदार्थ शामिल हैं।

यह दूध मीठा या फीका दोनों प्रकार का होता है और इसे मक्खन निकाले दूध या निखालिस दूध को गाढ़ा करके बनाया जाता है। मीठा

दूध तैयार करते समय उसमें सक्रोज मिलाया जाता है। यह एक प्रकार की चीनी होती है। गाढ़ा किया हुआ यह दूध जल्दी खराब नहीं होता और काफी दिनों तक काम में लाया जा सकता है।

इमारत आदि के लिए रंग

भारतीय मानक संस्था की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि संस्था ने इमारत तथा अन्य सजावटों के काम आने वाले रंगों के मानक का मसौदा प्रकाशित किया है।

इमारतों की दीवारों, दरवाजों, हार्डबोर्डों आदि पर अनेक प्रकार के रंग लगाए जाते हैं। इसलिए भवन-निर्माण कला में और इमारत की अन्दरूनी सजावट के लिए यह देखना जरूरी है कि किस प्रकार की वस्तु पर कैसा रंग लगाया जाय। साथ ही यह देखना भी आवश्यक है कि रंग के चुनाव के साथ-साथ उसके अनुकूल सामग्री उपलब्ध है या नहीं।

उक्त दोनों बातों को ध्यान में रखकर मानक का मसौदा तैयार किया गया है। मसौदे में चिकने कागज पर रंगों के छाप भी दिए गए हैं, जिससे पता चल सके कि वे रंग दिन की रोशनी में कैसे दिखाई देंगे।

मसौदे पर अपने विचार ११ नवम्बर १९५८ तक 'इण्डियन स्टैण्डर्ड इंस्टिट्यूशन, नयी दिल्ली' को भेजे जा सकते हैं।

इमारती पत्थर की मजबूती की परख

भारतीय मानक संस्था ने इमारती पत्थरों की मजबूती परखने के तरीके का एक मानक प्रकाशित किया है। इमारतों की सीढ़ियां, फर्श और दालान आदि बनाने में जो इमारती पत्थर काम में लाये जाते हैं, वे बहुत जल्दी टूट जाते हैं या घिस जाते हैं। सीढ़ियों आदि के पत्थर ज्यादा जल्दी घिसें नहीं और वे अधिक मजबूत रहें, इसके लिए यह जरूरी है कि वे काफी सख्त तथा पुख्ता होने चाहिए। इस मानक में बताया गया है कि प्रयोगशाला में इमारती पत्थरों की मजबूती की जांच किस प्रकार की जानी चाहिए।

लोगों को चाहिए कि इस सम्बन्ध में अपने सुझाव २० नवम्बर, १९५८ से पहले निम्नलिखित पते पर भेज दें : भारतीय मानक संस्था, ९ मथुरा रोड, नयी दिल्ली।

इस्पात की चौकोर टंकियां

भारतीय मानक संस्था ने इस्पात की चौकोर टंकियों का मानक (आई. एस. : ८०४-१९५८) प्रकाशित किया है। मुलायम इस्पात की ऐसी टंकियां अब काफी इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। इसके अलावा इसे तोड़ना और फिर से बनाना भी आसान है। इस प्रकार की टंकियों में गर्म या ठंडा पानी और अन्य साधारण तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं।

यह मानक उन टंकियों के लिए नहीं है, जिन पर हवा के अलावा, अन्य वस्तुओं (जैसे मिट्टी आदि) का दबाव पड़ता हो या जिनमें १०० डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक के तरल पदार्थ रखे जाते हों।

चश्मों आदि के शीशे

भारतीय मानक संस्था ने चश्मों के शीशों के मानक का मसविदा प्रकाशित करके राय जानने के लिए सम्बद्ध व्यक्तियों के पास भेजा है। मसविदे में आम इस्तेमाल के चश्मों के कांच की किस्मों, अच्छाई, बुराइयों और विशेषताओं का विवरण दिया गया है।

चश्मों का कांच आम कांच से भिन्न होता है और इसके बनाते समय काफी सावधानी की जरूरत होती है। इसमें किसी भी प्रकार का रंग भी नहीं होना चाहिए। रंगीन शीशा तैयार करने के लिए कुछ विशेष पदार्थ मिलाए जाते हैं। इसी कांच से अन्य वीक्षण यंत्र भी बनाये जाते हैं। इस कारण अच्छे किस्म का कांच बनाने का विशेष महत्व है।

मसविदे के बारे में राय, १२ दिसम्बर १९५८ तक, 'इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, नयी दिल्ली' के पास पहुँच जानी चाहिए।

अन्य मानक

इनके अतिरिक्त अंदरदाह इंजनों के चार मानक, भट्टियों के दो मानक, टंगस्टन तार के बिजली के बल्ब के दो मानक और बेसिक मैग्नेशियम कार्बोनेट, टेनिस के बल्ले के ढांचे, बिजली के मोटे तार, स्टैंसिल की स्याही, लोहे के धातुमिश्रण, बरसाती पानी के पाइप और मैट्रिक नाप के भारतीय मानक भी प्रकाशित किये गये हैं।

वाणिज्य-व्यवसाय

सिलाई की मशीनों का निर्यात

इस साल की पहली छमाही में सिलाई की मशीनों के निर्यात से श को ३ लाख ७८ हजार रु० के मूल्य की विदेशी मुद्रा की आय हुई, जबकि पिछले साल कुल ५ लाख ५१ हजार रु० की और १९५६ ं ४ लाख ६६ हजार रु० की हुई थी। पिछले साल ४,४६५ सिलाई की मशीनों का निर्यात किया गया, जबकि इस साल की पहली छमाही में ३,४५६ मशीनें निर्यात की जा चुकी हैं।

इस अवधि में ब्रिटेन को १,०००, अफगानिस्तान को ६८२, थाई देश को ५४०, श्रीलंका को ३२६, मलाया को २०० और सिंगापुर को १७० मशीनें भेजी गयीं। इस प्रकार ब्रिटेन को सबसे अधिक मशीनें भेजी गयी हैं। इसके अलावा केन्या, जार्डन, मेडागास्कर, तंगनायिका, सूडान, पाकिस्तान, यूगान्डा, ईराक, सियरालियोन, रोडेशिया, सऊदी अरब, जंजीबार मारीशस, बर्मा, नेपाल और वियतनाम को भी भेजी गयीं।

इंजीनियरी निर्यात वृद्धि परिषद् ने यहां की बनी सिलाई की मशीनों का निर्यात बढ़ाने के लिये कई उपाय किये हैं। परिषद् ने इस साल अगस्त में एक प्रतिनिधि मण्डल पश्चिमी अफ्रीका भेजा है, जो इस बात का पता लगायेगा कि वहां के बाजारों में इंजीनियरी के सामान तथा सिलाई की मशीनों आदि की कितनी मांग है। निर्यात बढ़ाने के लिये एक अध्ययन दल भी जल्दी ही यूरोप भेजा जाएगा।

विदेशों में भारत की बनी सिलाई की मशीनों का प्रचार करने तथा उनकी बिक्री बढ़ाने के लिये वे अंतर्राष्ट्रीय मेलों या प्रदर्शनियों में भी रखी जाती हैं। कुछ देशों के, जैसे श्रीलंका, इन्दोनेशिया, पाकिस्तान और मिस्र आदि में स्थित भारतीय दूतावासों के प्रदर्शन कक्षों में भी वे प्रदर्शन के लिये रखी जाती हैं।

इन सब बातों के अलावा उत्पादकों को भी विशेष सुविधाएं दी जाती हैं; जैसे : सिलाई की मशीनों के लिये लोहे के पिंड और इस्पात के लिये पहले से कोटा देना, रियायती दर पर इस्पात का निर्यात, आदि। सिलाई की मशीन बनाने के ७ बड़े कारखानों के अलावा ३६ छोटे कारखाने भी हैं।

बर्मा से बीज के आलू का आयात

भारत-बर्मा व्यापार करारनामे पर हस्ताक्षर होने के बाद, भारत सरकार ने अक्टूबर, १९५८-मार्च १९५९ की छमाही में बर्मा से सीमित मात्रा में बीज के आलू मंगाने की अनुमति देने का निर्णय किया है। बीज का मूल्य रुपयों में दिया जाएगा।

बीज के आलू या आयात अच्छी साख वाले आयातक और सहकारी संस्थाएं राज्य व्यापार निगम की मारफत करेंगी। आयातकों ने १९५४-५५, १९५५-५६ या १९५६-५७ में बीज के जो आलू मंगाये, उसके आधार पर ही उन्हें इस छमाही का लाइसेंस दिया जाएगा। बीजों के वितरण और फुटकर भाव का निर्णय राज्य व्यापार निगम करेगा।

जो आयातक इस योजना के अन्तर्गत बर्मा से बीज के आलू मंगाना चाहते हों, वे कलकत्ता और बम्बई के लाइसेंस अधिकारियों से अपना आयात कोटा निर्धारित करा लें। मद्रास क्षेत्र के निर्यातक ये अर्जियां ज्वाइंट चीफ कंट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स, मद्रास को और अन्य क्षेत्रों के निर्यातक ज्वाइंट चीफ कंट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स, कलकत्ता को भेजें।

जिन सरकारी संस्थाओं ने १९५६-५७ में या उससे पहले के दो वित्त वर्षों में से किसी एक वर्ष में बीज के आलू आयात किये हैं, वे यदि अब फिर आयात करना चाहते हों तो उक्त अधिकारियों को पिछले आयात के प्रमाण सहित अर्जियां भेज दें।

आयात-शुल्क की माफी

भारत सरकार ने, भारत में बने माल या इसके कुछ भाग के, मरम्मत या पुनर्नियात के लिए भारत में दुबारा आयात किये जाने पर शुल्क की माफी की सुविधाओं को और बढ़ाने का निश्चय किया है। देश में उद्योगों के तेजी से बढ़ने और बनी-बनायी चीजों का निर्यात बढ़ने से इस सवाल पर सरकार को विचार करना आवश्यक हो गया था।

मरम्मत या दुबारा निर्यात के लिए भारत आने वाले भारतीय माल के आयात पर शुल्क की छूट सम्बन्धी १८७८ के समुद्री शुल्क अधिनियम की व्यवस्था, पर्याप्त नहीं थी। इस कारण वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) ने एक अधिसूचना निकाल कर इस सुविधा को और बढ़ा दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह छूट उसी हालत में दी जाएगी, जबकि भारतीय माल, मरम्मत या पुनर्निर्यात के लिए, पहले निर्यात के ३ साल के अन्दर ही वापस आया हो और पहले निर्यात के समय किसी प्रकार की छूट न ली गयी हो।

वापस आने के ६ महीने के अन्दर माल की मरम्मत आदि करके फिर निर्यात करना होगा। यदि कस्टम्स कलक्टर आवश्यक समझे, तो यह अवधि एक साल तक बढ़ायी जा सकती है। मरम्मत के बाद माल का पुनर्निर्यात होगा, इस बारे में निर्यातक को बाकायदे

बांड फिरसे देना होगा। इस बात का भी उसे प्रमाण देना होगा कि यही माल लौटकर आया है, जो पहले भेजा गया था। इस सुविधा से, भारतीय उद्योग-मालिक विदेशी ग्राहकों को माल की मरम्मत की भी गारण्टी दे सकेंगे और इससे भारतीय माल की विदेशों में साख बढ़ेगी।

यदि इस व्यवस्था में कोई कठिनाई आए, तो निर्यातकों को वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय को लिखना चाहिए। मंत्रालय इस समस्या के बारे में और भी विचार करेगा।

जुलाई १९५८ में विदेशी व्यापार

वाणिज्य सूचना तथा आंक विभाग की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि अब तक जानकारी के अनुसार जुलाई १९५८ में निजी और सरकारी रूप में जल, थल और हवाई मार्ग से भारत के विदेशी व्यापार के कच्चे आंकड़े इस प्रकार हैं :

व्यापारी माल:—इसमें भारत होकर पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, सिक्किम तथा भूटान को जाने वाला माल शामिल नहीं है। निर्यात—५३ करोड़ ५० लाख रु०; पुनर्निर्यात—८१ लाख रु०; आयात—६६ करोड़ ७९ लाख रु०; कुल व्यापार—१ अरब २१ करोड़ १० लाख रु०।

कोष:—नोटों का निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)—७० लाख रु०; सोना—कुछ नहीं, चालू सिक्के (सोने के सिक्कों के अलावा)—१ लाख रु०; नोटों का आयात—६ करोड़ १८ लाख रु०; सोना—१७ लाख रु०; चालू सिक्के (सोने के सिक्कों के अलावा)—१ लाख रु०।

व्यापार तुला.—आयात के उक्त आंकड़ों में वह सरकारी सामान शामिल नहीं है, जिसका हिसाब होना बाकी है। इसे ध्यान में रखकर यदि आयात-निर्यात की तुलना की जाए तो व्यापारी माल और सोने का कुल निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) आयात से १२ लाख ६५ हजार रु० कम रहा।

जहाज खरीदने के लिये विदेशी मुद्रा

भारत सरकार को जहाज खरीदने के लिए केवल जापान से विदेशी मुद्रा का ऋण मिला है। जापान ने हाल में १८ अरब येन ऋण दिया है, जिसमें से ५ अरब येन वहाँ से जहाज खरीदने के लिए हैं। बैंक आफ बड़ोदा, सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, लन्दन के *मर्केन्टाइल बैंक* आफ इण्डिया आदि ने कुछ भारतीय जहाज कम्पनियों को पुराने जहाज खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा में ऋण देने की व्यवस्था की है। जापान की एक मध्यस्थ कम्पनी ने भारत सरकार को अमरीका से २ करोड़ ५० लाख डालर तक का ऋण दिलाने का निश्चय किया है।

कैल्शियम कारबाइड उद्योग को संरक्षण

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार ने, टटकर आयोग के प्रतिवेदन (१९५८) पर, जो कैल्शियम कारबाइड उद्योग को संरक्षण देने और बिरला जूट मैनुफैक्चरिंग कम्पनी के कैल्शियम कारबाइड का, कारखाने पर का, मूल्य निश्चित करने के बारे में है, अपना संकल्प सूचना पत्र (गजट) में प्रकाशित कर दिया है।

सरकार ने, टटकर आयोग की यह सिफारिश मान ली है कि इस उद्योग को ३१ दिसम्बर १९५८ से ३ साल बाद तक, मूल्यानुसार ५० प्रतिशत संरक्षण शुल्क लगाकर संरक्षण दिया जाए। सरकार ने आयोग की *निम्न सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया है* और इन पर अमल करने का फैसला *किया है* :

(१) धुला हुआ एसिटिलीन बनाने वालों और कैल्शियम कारबाइड के दूसरे उपभोक्ताओं को जो अलग-अलग मूल्य देना होता था, वह आगे एक ही हो जाना चाहिये।

(२) भिन्न-भिन्न प्रकार के कैल्शियम कारबाइड के, कारखाने पर के, मूल्य, निम्न क्रम से निश्चित कर देने चाहियें और वे १९६० के अन्त तक रहने चाहियें।

आकार	१ हंडरवेट का पैकिंग	२ हण्डरवेट का पैकिंग
	(प्रति हंडरवेट)	(प्रति हंडरवेट)
४ । ८० एम एम	४३.५० रु०	४३.०० रु०
२५ । ८० एम एम	४५.५० रु०	४४.२५ रु०
१५ । २५ एम एम	४१.५० रु०	४०.५० रु०
४ । १५ एम एम	३५.०० रु०	३४.०० रु०

इन कीमतों में स्थानीय कर, एजेन्ट का कमीशन और कारखाने से की ढुलाई आदि शामिल नहीं हैं।

(३) १९६१ के शुरू में या कारखाने में एक नयी भट्टी लगाने से और अन्य यन्त्रों के लग जाने पर, उत्पादन व्यय के काफी कम हो जाने पर इससे पहले भी इन कीमतों पर फिर से विचार करना चाहिए।

एजेंटों को कमीशन

एजेंटों को कमीशन के बारे में यह फैसला किया गया है:—

(१) निर्माता, धुली हुई एसीटिलीन गैस बनाने वालों (इंडियन आक्सीजन लिमिटेड, एशियाटिक आक्सीजन एंड एसीटिलीन क०, इंडस्ट्रियल गैसेज लिमिटेड और मोदी वनस्पति मैनु-

फैक्टरिंग पं० (ह०) को उनके बोतलों में एसीटिलीन भरने के कारखाने के इस्तेमाल के लिए, कारखाने पर के शुद्ध मूल्य पर ही, कैल्शियम कारबाइड देते रहेंगे और एजेंटों के कमीशन आदि की मद में और कुछ नहीं लेंगे।

(२) अन्य उपभोक्ताओं को एजेंटों के जरिये ही माल दिया जायगा और उनके कमीशन के लिए कारखाने पर के मूल्य पर ५ रु० प्रति किलोग्राम के हिसाब से और लिया जायगा।

सरकार के संकल्प में कैल्शियम कारबाइड उद्योग से, अपने माल की किस्म को सुधारकर, भारतीय मानक संस्था के निर्धारित स्तर पर लाने का अनुरोध किया गया है।

सूती कपड़ा सलाहकार मंडल स्थापित

भारत सरकार ने ११ सदस्यों का एक सूती कपड़ा सलाहकार मंडल स्थापित किया है। वाणिज्य मंत्री श्री नित्यानंद कानूनगो इस मंडल के अध्यक्ष हैं। मंडल का मुख्य काम कपड़ा उद्योग के मामलों में, विशेषतः कपड़े का उत्पादन, वितरण और निर्यात के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देना है। इस उद्योग के लिये आवश्यक मशीनें, कच्चा माल आदि विदेशों से मंगाने के बारे में भी मंडल से सलाह ली जायगी।

अध्यक्ष के अलावा मंडल के अन्य सदस्यों के नाम ये हैं :—
उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह, उपाध्यक्ष; श्री कस्तूरभाई लालभाई, अध्यक्ष, फैडरेशन आफ मिल ओनर्स असोसिएशन, बम्बई; श्री कृष्णराज एम० डी० ठाकरसी, उपाध्यक्ष, फैडरेशन आफ मिल ओनर्स असोसिएशन, बम्बई; श्री मदन मोहन आर० रुइया, अध्यक्ष, ईस्ट इंडिया काटन असोसिएशन बम्बई; श्री नेविल एन० वाडिया, अध्यक्ष, काटन टैक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल, बम्बई; श्री प्यारे लाल सेकसरिया; श्री जे० के० श्रीवास्तव, कानपुर; श्री आर० वैंकटस्वामी नायडू, अध्यक्ष, साउथ इंडिया मिल ओनर्स, असोसिएशन कोयमुत्तूर; श्री सी० एस० रामचंद्रन, संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और श्री डी० एस० जोशी, टैक्सटाइल्स कमिश्नर, भारत सरकार।

गैर-सरकारी सदस्यों को दो साल के लिए नामजद किया गया है।

मंहगाई रोकने के उपाय

तैयार माल की कीमतों का हद से बढ़ना रोकने के लिये भारत सरकार सब सम्भव उपाय काम में ला रही है। सरकार ने इस्पात, सीमेंट और कोयला बनाने में होने वाले लागत खर्च की जांच करके इनके भाव निश्चित कर दिये हैं। टटकर आयोग ने टायर, ट्यूब और कैलशियम कारबाइड की कीमतों की जांच की और उसके अनुसार सरकार ने इनका मूल्य भी निर्धारित कर दिया है जो बिना सरकार को बताये बढ़ाया नहीं जा सकता। हाल ही में टटकर आयोग से कहा गया है कि वह कागज के भावों की भी जांच करे।

निर्यात होने वाली चाय, जूट जैसी बहुत सी चीजों का मूल्य, एक प्रकार से दुनियां के बाजारों में उनकी खपत के अनुसार निश्चित होता है। यही स्थिति एक सीमा तक सूती कपड़े की भी है।

सरकार ने सभी सम्बन्धित लोगों से अपील की है कि वे कीमतों को अनुचित हद तक न बढ़ने दें। भावों का बढ़ना रोकने के लिए उद्योगों की केन्द्रीय सलाहकार परिषद्, आयात सलाहकार परिषद् और निर्यात वृद्धि सलाहकार परिषद् की बैठकों में विचार हुआ था। इस अपील का परिणाम सन्तोषप्रद रहा है। कीमतों की बढ़ती रोकने का सबसे अच्छा उपाय उत्पादन में वृद्धि करना है। दूसरी योजना के अनुसार जब योजनाएं कार्यान्वित हो जायेंगी तो कीमतें अपने आप स्थिर होने लग जायेंगी।

केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम

भारत सरकार ने, १ अक्टूबर, १९५८ से, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, १९५६ की धारा १५ को लागू कर दिया है।

इस धारा के अनुसार राज्य सरकारों के, कुछ ऐसी वस्तुओं की खरीद और बिक्री पर कर लगाने के अधिकार पर पाबन्दियां लगायी जाएगी, जिनका अंतरराज्य व्यापार होता है। इस सूची में, कपास, सूती धागे, कोयला, कच्चा चमड़ा और खाल, लोहा और इस्पात, पटसन, तिलहन, चीनी, तम्बाकू और तम्बाकू की बनी अन्य वस्तुएं आती हैं। चीनी, तम्बाकू और तम्बाकू की बनी अन्य वस्तुओं पर दिसम्बर १९५७ से बिक्री-कर के बदले उत्पादन-कर लगाया जाता था। इन वस्तुओं पर अब भी बिक्री-कर नहीं लगाया जाएगा।

वित्त

विश्व बैंक : संगठन और कार्य

पुनर्निर्माण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसे विश्व बैंक भी कहा जाता है, की स्थापना ब्रेटेनवुड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, में जुलाई १९४४ में हुए वित्त सम्मेलन में हुई। जून, १९४६ में इसने काम करना शुरू किया। यह बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में काम करता है।

इसका लक्ष्य सदस्य देशों के आर्थिक विकास में सहायता देना और विश्व के लोगों का जीवन-स्तर उठाना है। बैंक सब सदस्य सरकारों, सरकारी एजेंसियों तथा निजी उद्योगों को ऋण दे सकता है। गैर-सरकारी उद्योगों को ऋण देने के लिए सदस्य सरकार की गारण्टी आवश्यक है।

शुरू-शुरू में बैंक ने १९४७ में, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् यूरोप के पुनः निर्माण के लिए ५० करोड़ डालर के ऋण दिये थे। १९४८ में बैंक ने विकास के लिए ऋण देना शुरू किया और इसके कोष का अधिकाधिक भाग विश्व के कम विकसित क्षेत्रों को मिलने लगा। जुलाई, १९५५ तक ४६ देशों या क्षेत्रों की ६०० से अधिक योजनाओं के लिए विश्व बैंक कोई २०० ऋण दे चुका है, जिसकी रकम ३७० करोड़ डालर से अधिक होगी। बैंक द्वारा दिये गये ऋणों का वितरण क्षेत्रानुसार इस प्रकार रहाः—अफ्रीका—४७ करोड़ ६० लाख डालर; एशिया—१४ करोड़ ८० लाख डालर; आस्ट्रेलिया—३१ करोड़ ८ लाख डालर; यूरोप—११८ करोड़ ६० लाख डालर और पश्चिमी गोलार्द्ध—८६ करोड़ ८० लाख डालर।

बैंक के ऋणों का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को अपने आर्थिक विकास का आधार सुदृढ़ करने में मदद देना होता है। विकास के लिए बैंक ने जो ऋण दिये हैं, उनमें से लगभग तिहाई विद्युत योजनाओं के लिए रहे हैं और उनसे लगभग ८० लाख किलोवाट बिजली अधिक पैदा करने में मदद मिलेगी; एक-तिहाई परिवहन के विकास के लिए रहा है, जिसमें रेलों, सड़कों, वैमानिक और समुद्रीय सभी प्रकार के परिवहन का विकास सम्मिलित है; बाकी एक-तिहाई ऋण कृषि—विशेषकर सिंचाई, उद्योग—विशेषकर इस्पात-उत्पादन और साधारण विकास कार्यों के लिए रहा है।

बैंक के सदस्यों में ६७ देशों की सरकारें हैं, जिनके पास विश्व बैंक के शेयर हैं। प्रत्येक देश की सरकार अपनी आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता के अनुसार इसकी पूंजी में अपना भाग देती है। प्रत्येक सदस्य देश बैंक के गवर्नर-मण्डल के लिए एक गवर्नर मनोनीत करता है। इस मण्डल की बैठक प्रतिवर्ष एक बार होती है। गवर्नरों ने अपने अधिकांश अधिकार कार्यकारी निदेशकों को दे रखे हैं। कार्यकारी निदेशक बैंक की नीति निर्धारण के लिए उत्तरदायी हैं और बैंक द्वारा दिये जाने वाले सभी ऋणों पर उनकी स्वीकृति आवश्यक है।

बैंक की दिन-प्रतिदिन की कारवाई, जिसमें कार्यकारी निदेशकों को ऋण और नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर सिफारिशें करना भी सम्मिलित है, बैंक के अध्यक्ष का दायित्व है, जो कार्यकारी निदेशक मण्डल का भी अध्यक्ष होता है। इस समय बैंक के अध्यक्ष एक अमेरिकी श्री यूजेने आर० ब्लैक हैं, जिन्हें तीसरी बार यह पद सौंपा गया है। बैंक के लगभग ५५० कर्मचारियों में ४० से अधिक देशों के लोग हैं, जिनमें बैंकर, वित्त-शास्त्री, एकाउंटेंट, इंजीनियर और अन्य विशेषज्ञ हैं। बैंक का मुख्य कार्यालय वाशिंगटन में है। पेरिस और न्यूयार्क में भी इसके कार्यालय हैं।

शिल्पिक सहायता

ऋण देने के अतिरिक्त, विश्व बैंक अपने सदस्य देशों को कई प्रकार की शिल्पिक सहायता भी देता है। यह शिल्पिक सहायता सदस्य देश की विकास क्षमता के विस्तृत सर्वे से लेकर—इस प्रकार के ११ सर्वे किये जा चुके हैं—क्षेत्रीय जांच-पड़ताल और किसी विशेष योजना के सम्बन्ध में सलाह हो सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए भी बैंक की सहायता ली जा सकती है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंध घाटी की नदियों के पानी के बंटवारे और स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के लिए मिस्र को क्षतिपूर्ति की कितनी रकम देनी चाहिए, आदि के लिए।

विश्व बैंक ऋण देता ही नहीं, ऋण लेता भी है; क्योंकि सदस्य सरकारें जो धन देती हैं, उनसे सभी योजनाओं के लिए वित्त पूरा नहीं हो सकता। विश्व के बाजार में ऋण जारी कर बैंक और पूंजी मुहैया करता है। जुलाई, १९५८ तक बैंक इस प्रकार १७० करोड़ डालर ऋण ले चुका है।

बैंक अपने ऋणों का कुछ भाग बेच कर निजी पूंजी लगाने वालों की सहायता प्राप्त करता है। इस प्रकार विकास के लिए उपलब्ध धन में लगभग ४० करोड़ डालर की वृद्धि की गयी है। पिछले ऋणों से प्राप्त धन और उससे हुई आमदनी का उपयोग नये ऋण देने में किया जाता है। बैंक के ब्याज की दर वही होती है, जो यदि वह स्वयं ऋण लेता तो उसे देनी पड़ती। इसके अतिरिक्त १ प्रतिशत वार्षिक कमीशन लिया जाता है, जो एक विशेष कोष में जमा हो जाता है। साधारणतः विश्व के मुख्य बाजारों की स्थिति के अनुसार बैंक की ब्याज की दर ४ प्रतिशत से ६ प्रतिशत रही है। एक ही समय में बैंक विभिन्न ऋण लेने वालों में ब्याज की दर के सम्बन्ध में भेदभाव नहीं करता।

विश्व बैंक के ऋण तीन सिद्धान्तों पर दिये जाते हैं—पहला यह है कि ऋण लेने वाला देश ऋण वापस करने की स्थिति में हो; दूसरा, जिस योजना या कार्यक्रम के लिए ऋण लिया जा रहा है, आर्थिक दृष्टि से इतना लाभदायक है कि उसके लिए विदेशी मुद्रा में ऋण लेना न्यायोचित हो और तीसरा यह कि योजना सुनियोजित हो और पूरी की जा सके।

बैंक साधारणतः योजना के लिए आवश्यक आयातित माल और सेवाओं की कीमत ही ऋण के रूप में देता है, स्थानीय खर्च का नहीं। स्थानीय खर्च की व्यवस्था ऋण देने वाला देश स्वयं करता है और यह खर्च ऋण की मात्रा के *लगभग बराबर या* अधिक होता है। बैंक ने जिन विभिन्न योजनाओं के लिए ४०० करोड़ डालर का ऋण दिया है, उनकी कुल लागत १२०० करोड़ होगी और इन योजनाओं से जो लाभ होगा, कीमत आंकना मुश्किल है।

भारत और विश्व बैंक

अपने ६७ सदस्य देशों में से विश्व बैंक का सम्बन्ध भारत से संभवतः सबसे अधिक रहा है। पिछले अगस्त में बैंक ने वित्त सम्बन्धी अंतर्राष्ट्रीय वार्ता का आयोजन किया, जिसमें भारत की द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के लिए अभी भी आवश्यक विदेशी पूंजी देने के तरीके निकाले गये। कुछ दिन के बाद बैंक ने भारत को १० करोड़ डालर देने की घोषणा की, जिसमें से ८॥ करोड़ डालर का ऋण भारतीय रेलों के लिए है।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की १२ और निजी क्षेत्र की ७ योजनाओं के लिए बैंक अब तक ५१ करोड़ डालर का ऋण दे चुका है। इतना न बैंक ने किसी भी अन्य देश में नहीं लगाया। निजी क्षेत्र की योजनाओं को जो ऋण दिया गया है, उनकी गारण्टी भारत सरकार ने दी है।

भारत को बैंक का पहला ऋण १६४६ में प्रथम पंचवर्षीय आयोजना के शुरू होने के पहले मिला। तब से बैंक दोनों आयोजनाओं के कार्यक्रमों के लिए महती सहायता दे चुका है, विशेषकर उन योजनाओं के लिए जो भारत के विकास के लिए हमारी दूसरी आयोजना के 'अनिवार्य अंग' में रखी गयी हैं। भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए बैंक ने जिन योजनाओं के लिए ऋण दिया है, उनके फलस्वरूप लगभग ५ लाख किलोवाट बिजली पैदा की जा रही है, लगभग १२॥ लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि का सुधार किया गया है और लगभग १० लाख एकड़ के लिए सिंचाई के साधनों की व्यवस्था हो रही है, जिनसे प्रतिवर्ष चावल और गेहूं का उत्पादन ७॥ लाख टन बढ़ेगा। ११ लाख २५ हजार टन तैयार इस्पात पैदा करने की क्षमता की मशीनें लगायी जा रही हैं, जो १६५२ में भारत की कुल उत्पादन क्षमता थी। रेलों की उन्नति और बढ़ोत्तरी हो रही है, जिसमें १० हजार मील रेलों की नयी लाइनें बिछाना भी सम्मिलित है।

जहां तक भारत का सम्बन्ध है, विश्व बैंक से मिले ऋणों का पूर्ण सदुपयोग किया गया है। भारत सरकार और अन्य भारतीय ऋण लेने वालों ने बैंक द्वारा स्वीकृत ऋणों में से २४ करोड़ डालर लिया है और लगभग २ करोड़ ७० लाख डालर का ऋण चुकाया जा चुका है। भोपाल में भूमि साफ करने के लिए आवश्यक ट्रैक्टरों के लिए ७० लाख डालर का ऋण पूरा-पूरा चुकाया जा चुका है।

अन्य ऋण

बैंक के माध्यम से भारत में अन्य पूंजी लगाने वालों की दिलचस्पी भी बढ़ी है। मार्च १६५७ में विश्व बैंक के ऋण के साथ ही साथ एयर इंडिया इंटरनेशनल ने ४ निजी अमेरिकी बैंकों से १ करोड़ १० लाख डालर का ऋण लिया। यह पहला मौका था, जब कोई भी भारतीय ऋण लेने वाला सीधा अमेरिकी पूंजी बाजारों में पहुंचा था। उसी वर्ष नवम्बर में ६ अमेरिकी और कनाडियन निजी बैंकों ने टाटा आयरन और स्टील कम्पनी को विश्व बैंक के ऋण [illegible] लगभग १॥ करोड़ डालर की पूंजी लगायी। विश्व बैंक के ऋणों में इतना भाग पहली ही बार निजी बैंकों ने लिया था। विश्व बैंक ने भारत को जो ऋण दिये हैं, उनमें से लगभग ४ करोड़ डालर के ऋण इन अमेरिकी, कनाडा और यूरोप के पूंजी लगाने वालों को बेचे जा चुके हैं।

इस विस्तृत सम्बन्ध के फलस्वरूप [illegible] विश्व बैंक से इन परामर्श करते रहे हैं। अपने सामान्य कार्यक्रम के अनुसार बैंक के विशेषज्ञ अन्य देशों की भांति यहां भी ऋणों के प्रस्तावों की जांच करने या जिन योजनाओं के लिए विश्व बैंक ने ऋण दिए हैं, उनकी प्रगति देखने के लिए भारत आते रहे हैं। क्योंकि बैंक भारत को २० ऋण दे चुका है, इसलिए समय-समय पर इस प्रकार का परामर्श होता रहता है। भारत और उसकी समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी रखने के लिए बैंक के विशेषज्ञ भारत आते रहते हैं। बैंक का एक प्रतिनिधि दिल्ली में रहता है।

एशिया में भारत ही पहला देश है, जिसे इस विश्व संस्था से वित्तीय सहायता मिली। पहली बार १६४६ में बैंक ने भारतीय रेलों को कनाडा और अमेरिका से कई सौ रेल के इंजन मंगाने के लिए ३ करोड़ ३० लाख डालर की सहायता दी थी। जिस समय यह ऋण मिला, उस समय इंजनों की कमी के कारण रेलों को जितना माल लादने के लिए दिया जाता था, उसका एक चौथाई नहीं ले जाया जा सकता था। उसके बाद ही बैंक की सहायता से मिले इंजनों और साज-सज्जा के फलस्वरूप वह समस्या हल हो गयी और हमारी आर्थिक उन्नति में खड़ी होने वाली एक बड़ी बाधा पर अस्थायी रूप से विजय पा ली गयी। लेकिन उसके बाद उत्पादन में और अधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप रेल व्यवस्था पर फिर बहुत जोर पड़ने लगा और दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में यात्रियों को ले जाने की क्षमता ड्योढ़ी बढ़ाने और माल ले जाने की क्षमता लगभग ड्योढ़ी करने के लिए आवश्यक रेल इंजन माल के डिब्बे और अन्य सामानों के लिए लगभग पौने दो करोड़ डालर का ऋण दे चुका है।

दूसरी योजनाओं के लिये सहायता

अन्य यातायात सुविधाएं बढ़ाने के लिए बैंक ने दूसरी योजनाओं के लिये भी सहायता दी है। कलकत्ता और मद्रास में जहाजरानी और माल ढोने की सुविधाएं बढ़ाने के लिये इसने ४ करोड़ ३० लाख डालर का ऋण दिया है। नये विमानों के लिये बैंक ने एयर इंडिया इंटरनेशनल को ५६ लाख डालर का जो ऋण दिया है, उसकी सहायता से इस जेट युग में यह एयर लाइन अपनी स्थिति बनाये रख सकेगी।

दामोदर घाटी के कृषि और औद्योगिक विकास में बैंक काफी रुचि लेता रहा है। बिहार में बोकारो नामक स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा बिजली घर बनाने के लिये १९५० में बैंक ने १ करोड़ ८५ लाख डालर का ऋण दिया था। दामोदर घाटी निगम के लिये १ करोड़ ९५ लाख डालर का दूसरा ऋण १९५३ में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण योजनाएं पूरी करने के लिये दिया गया, जिसमें माईथान, पंचेट और दुर्गापुर के बांध सम्मिलित हैं। ये सब कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं और इनके फलस्वरूप नदियों में बाढ़ आने पर भी निचली घाटी इनसे बची रहेगी।

हाल ही में बैंक ने २॥ करोड़ डालर का ऋण दामोदर घाटी को और अधिक बिजली का उत्पादन करने के लिये दिया, जिससे बोकारो में चौथा बिजलीघर बनेगा, जो अन्य उद्योगों के अतिरिक्त दुर्गापुर में बनने वाले इस्पात कारखाने को बिजली पहुँचायेगा। भारतीय रेलों के लिये बैंक का ऋण सबसे अधिक रहा है। दूसरा नम्बर दामोदर घाटी में इस्पात के कारखाने के लिये दिये गये ऋण का है। दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में इस्पात की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसका आधे से भी अधिक दो कम्पनियां पूरा करेंगी— इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, लि० और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड। बैंक ने विभिन्न मुद्राओं में इन दोनों को १५ करोड़ ६० लाख डालर की सहायता दी है। इंडियन आयरन और स्टील कम्पनी को प्रतिवर्ष ८॥ लाख टन अधिक इस्पात तैयार करने के लिये ५ करोड़ १५ लाख और टाटा आयरन और स्टील कम्पनी को अपने इस्पात की उत्पादन क्षमता १५ लाख टन प्रतिवर्ष बढ़ाने के लिये १० करोड़ ७५ लाख डालर का ऋण दिया है।

भारतीय औद्योगिक ऋण और नियोजन निगम की स्थापना के लिये विश्व बैंक ने १ करोड़ डालर का ऋण दिया था, जिसका मुख्य कार्यालय बम्बई में है। बम्बई क्षेत्र में अधिक बिजली तैयार करने के लिये बैंक ने टाटा बिजली उद्योगों को १९५४ में एक नया कारखाना लगाने के लिये ऋण दिया था और पिछले साल इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये दूसरा ऋण स्वीकृत हो चुका है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उन राष्ट्रों का संगठन है, जिन्होंने विश्व व्यापार के विस्तार और आपस में आर्थिक सहयोग करने का करार किया है।

इस संस्था के मुख्य उद्देश्य ये हैं :—१—सदस्य राष्ट्रों के बीच विदेशी विनिमय की दरें तय करना और उसे स्थिरता देना, २—इसकी व्यवस्था करना कि बिना अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श के विदेशी विनिमय प्रणाली में कोई परिवर्तन न हो; और ३—चालू विदेशी विनिमय में पड़ने वाली बाधाओं को हटाना।

करार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को यह भी अधिकार है कि वह सदस्य राष्ट्रों के साथ स्वयं भी विदेशी विनिमय या सोने का लेन-देन करे।

सदस्यता और पूंजी

३१ मई, १९५८ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ६७ राष्ट्र सदस्य थे। इस कोष के सदस्यों के लिये पुनर्निर्माण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय बैंक (विश्व बैंक) का सदस्य होना भी जरूरी है। कोष के हर सदस्य का कोटा (कि वह कितनी पूंजी जमा करे) बंधा है। इसी के हिसाब से वह कोष से विदेशी मुद्रा खरीद सकता है और बेच दे सकता है। सदस्यों का कोटा आज भी वही है, जो करार के समय ब्रिटनवुड में तय किया गया था, पर कुछ सदस्य राष्ट्रों की प्रार्थना पर उसमें कुछ तब्दीलियां भी की गयी हैं। हर सदस्य राष्ट्र को अपने कोटे के बराबर पूंजी जमा करनी पड़ती है। इसका कुछ हिस्सा सोने में और कुछ सदस्य राष्ट्र की अपनी मुद्रा में जमा करना पड़ता है। ब्रिटेन का कोटा १ अरब ३० करोड़ डालर है; अमेरिका का कोटा २ अरब ७५ करोड़ डालर है और भारत का कोटा ४० करोड़ डालर है। ३१ मई १९५८ को कोष के पास १ अरब ४४ करोड़ १० लाख डालर की विदेशी मुद्राएं जमा थीं। (इसमें ७२ करोड़ ६ लाख अमेरिकी डालर भी शामिल हैं।) कोष को कुछ सदस्य राष्ट्रों से अभी ८६ करोड़ ८४ लाख डालर की उनकी मुद्रा लेनी है, क्योंकि अभी उनकी मुद्रा की विनिमय दर तय नहीं हो पायी है। इस तरह ३१ मई को बैंक के पास कुल पूंजी लगभग ९ अरब डालर थी।

कोष का कार्य

कोष अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये ये उपाय काम में लाता है—

१. इसके संचालक मंडल की लगातार बैठकें होती रहती हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और विनिमय की स्थिति पर विचार होता रहता है, २. सदस्य राष्ट्रों को, उनकी प्रार्थना पर आर्थिक और मुद्रा सम्बन्धी समस्याएं सुलझाने के लिये कोष कुशल सलाहकार भेजता है और ३. सदस्य राष्ट्रों को अल्प अवधि के चालू भुगतान करने के लिये उचित जमानत पर विदेशी विनिमय देता है।

सदस्य राष्ट्रों से सलाह करके कोष विदेशी विनिमय के नियम भी बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुद्रा की सुविधा देने से सब राष्ट्रों का हित है। कोष सदस्य राष्ट्रों से उनकी अंतर्राष्ट्रीय वित्त स्थिति के बारे में परामर्श करता रहता है और विशेष समस्याओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या विचार भी कराता है। मुद्रा कोष के सदस्य बनते समय राष्ट्र विनिमय और व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय कायदों को स्वीकार कर लेते हैं। सदस्य राष्ट्र कोष से बराबर राय लेते रहते हैं कि हमारा व्यापार इन कायदों के अनुसार चल रहा है या नहीं। मुद्रा

निमय को विभिन्न दरों और बाहरी माल पर रोक लगाने से अंतर्रा-
ीय व्यापार में पड़ने वाली रुकावटों आदि के बारे में सदस्य राष्ट्रों
मुद्रा कोष से समय-समय पर परामर्श किया है।

कोष सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक और मुद्रा सम्बन्धी स्थिति पर
शेष ध्यान रखता है। करार के अनुसार सदस्य राष्ट्र कोष को इस
षय में जानकारी देते रहते हैं।

इस प्रकार कोष के सदस्य राष्ट्र विश्व की बदलती हुई आर्थिक
स्थिति की पूरी जानकारी रखते हैं। कोई देश चाहे पिछड़ा हुआ हो
उन्नत हो, उसे कोष से अपनी समस्याओं पर सब तरह की सलाह
लेने का अधिकार है।

प्रविधिक सलाह

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विषयों का अध्ययन
करने, उन पर रिपोर्ट तैयार करने और साहित्य प्रकाशित करने के लिये
र्मचारियों का दल भी रखता है, जिन्हें वह समय-समय पर विश्व
के विभिन्न भागों में भेजता रहता है।

विदेशी विनिमय की दरों के घटते-बढ़ते समय, यह कोष अपने
सदस्य राष्ट्रों को सलाह देता है और विदेशी व्यापार में पड़ने वाली
बाधाओं को दूर करने के लिये राय देता रहता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय
भुगतान और दूसरे मुद्रा सम्बन्धी मामलों को सुलझाने में सदस्य
राष्ट्रों की काफी सहायता की है। इसके सलाहकारों ने सदस्य राष्ट्रों को
अपने यहां केन्द्रीय बैंक और लेन-देन की व्यवस्था कायम करने में भी
सलाह दी है। अनेक देशों को आर्थिक आंकड़े तैयार करने के तरीके
बताये हैं। देश में विकास कार्य का वित्त पर क्या असर होता है, मुद्रा
कोष के साधनों को कैसे उपयोग किया जाय, दूसरे राष्ट्रों से सोने का
लेन-देन या अन्य व्यवहार कैसे किया जाय, इन सब बातों पर भी
मुद्रा कोष ने अपने सदस्यों को सलाह दी है।

लेन-देन

मुद्रा कोष कुछ शर्तों पर सदस्य राष्ट्रों को, विदेशी मुद्रा बेचता है।
इन शर्तों के अनुसार कोई भी सदस्य राष्ट्र १२ महीने के भीतर
अपने कोटे के एक-चौथाई के विदेशी मुद्रा खरीद सकता है। विशेष
परिस्थितियों में अधिक की भी मुद्रा खरीदने की इजाजत मिलती है।
खरीददार कोष को अपनी मुद्रा में ही भुगतान करता है। कोष की
यह भी शर्त है कि खरीददार राष्ट्र को कोष से अपनी मुद्रा भी सोना
या दूसरी विनिमय योग्य मुद्रा देकर खरीदनी पड़ेगी। ये नियम इस लिये
हैं कि कोष के पास सभी सदस्य राष्ट्रों की पर्याप्त मुद्रा रहे, जिससे
उनको जरूरी विदेशी विनिमय दिया जा सके।

फरवरी १९५२ में कोष ने यह नीति निर्धारित की कि कोष जिस
राष्ट्र की मुद्रा खरीदे, उसे ३ साल से पांच साल के भीतर अपनी मुद्रा
पुनः खरीद लेनी चाहिए या इस समय में अन्य राष्ट्र उसकी मुद्रा खरीद
सकता है। सदस्य राष्ट्र कोष से इस प्रकार का भी समझौता कर सकते
हैं कि एक वर्ष में हम कितनी मुद्रा लेंगे।

३१ मई १९५८ तक बेल्जियम के फ्रैंक, ब्रिटेन के पौंड, कनाडा
के डालर, हालैण्ड के गिल्डर, पश्चिमी जर्मनी के ड्यूश मार्क और
अमेरिका के डालर, लगभग ३ अरब १ करोड़ ६० लाख डालर के
बेचे गये और इस दिन तक खरीददार राष्ट्रों ने १ अरब २२ करोड़
डालर की अपनी मुद्रा सोने या अमेरिकी डालरों में पुनः खरीदी।

विदेशी विनिमय बेचते समय ½ प्रतिशत के हिसाब से सेवा खर्च
लिया जाता है, जिसे स्वर्ण में या कुछ स्वर्ण और बाकी सदस्य राष्ट्र की
मुद्रा में चुकाना पड़ता है। इसके साथ ही यदि कोष के पास सदस्य राष्ट्र
के कोटे से अधिक पूंजी जमा हो जाती है, तो उन्हें उस पर, जितने
समय रखें, उस हिसाब से बढ़ती दर पर चार्ज देना पड़ता है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त कार्पोरेशन

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त कारपोरेशन निजी उद्योगों में पूंजी लगाने वाली
अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है। यह विश्व बैंक से सम्बद्ध है। इसकी पूंजी ९
करोड़ ३० लाख डालर है, जो इसके ५५ सदस्य-राष्ट्रों की सम्मिलित पूंजी
है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त कारपोरेशन का उद्देश्य अपने अल्पविकसित सदस्य
देशों में निजी उद्योगों को पूंजी देकर उनका आर्थिक विकास करना है।
कारपोरेशन न तो स्वतः कोई उद्योग चलाता है और न किसी उद्योग का
प्रबन्ध लेता है।

पूंजी लगाने के लिए कुछ मुख्य बातें

निजी उद्योग—अंतर्राष्ट्रीय वित्त कारपोरेशन केवल निजी उद्योगों
में ही पूंजी लगाता है। पूंजी लगाने के लिए उसे सरकार की गारन्टी
की आवश्यकता नहीं और न वह सरकार की गारन्टी को स्वीकार करता
है। जिस उद्योग में पूंजी लगानी होती है, कारपोरेशन स्वयं ही उससे
सीधी बातचीत करता है।

कारपोरेशन सरकारी अथवा सरकार द्वारा संचालित उद्योगों को पूंजी
नहीं देता। वह उन उद्योगों को भी पूंजी नहीं देता, जिनके प्रबन्ध में
सरकार का मुख्य हाथ हो। हां, कुछ ऐसे उद्योगों को, जो मूल रूप से
निजी हैं किन्तु उनमें सरकार की भी कुछ पूंजी लगी है, कारपोरेशन
पूंजी दे देता है।

केवल सदस्य देशों के उद्योग—कारपोरेशन केवल उन उद्योगों
में पूंजी लगाता है जो कारपोरेशन के सदस्य देश में अथवा किसी
सदस्य देश के अधीन क्षेत्र में होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त कारपोरेशन
केवल अफ्रीका, एशिया, पश्चिमी एशिया, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका
और यूरोप के कुछ कम उन्नत देशों जैसे अल्पविकसित क्षेत्रों में ही
पूंजी लगाता है।

कारपोरेशन मुख्यतः उत्पादक उद्योगों में ही पूंजी लगाता है। पूंजी लगाने का उसका उद्देश्य उस उद्योग का विस्तार या सुधार करना होता है। नये उद्योग शुरू करने के लिए भी कारपोरेशन पूंजी देता है। अधिकांशतः जिन औद्योगिक योजनाओं की कुल पूंजी ५ लाख डालर से कम होती है, उनको कारपोरेशन सहायता नहीं देता।

पूंजी

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त कारपोरेशन किसी भी योजना को उसकी कुल लागत के आधे से अधिक की पूंजी नहीं देता। सामान्यतः वह १ लाख से २ लाख डालर तक की पूंजी देता है। कारपोरेशन किसी बंधे सूद पर केवल कर्ज के रूप में या केवल साझे के रूप में पूंजी नहीं देता। वह जो पूंजी लगाता है, उस पर कुछ सूद भी लेता है तथा योजना के लाभ और विकास में भी हिस्सेदार होता है। इस हिस्सेदारी में कारपोरेशन को यह अधिकार होता है कि (१) वह अपने ऋण या ऋण के कुछ भाग को शेयर के रूप में बदल दे, या (२) अतिरिक्त लाभ में से हिस्सा बांट ले, या (३) दोनों ही अधिकार इस्तेमाल कर ले।

पूंजी लगाते समय अन्तर्राष्ट्रीय वित्त कारपोरेशन उद्योग विशेष की लाभ कमाने की क्षमता तथा पूंजी के संतुलित रूप को बहुत महत्व देता है। कारपोरेशन पूंजी लगाने में कुछ और भी शर्तें रख सकता है।

कारपोरेशन की पूंजी डालर में होने के कारण उसने अब तक जो भी सहायता दी है, वह डालर में दी है, लेकिन लागत की शर्तें और मुद्रा की स्थिरता को देखकर वह अन्य मुद्राओं में भी पूंजी दे सकता है।

कारपोरेशन का उद्देश्य निजी औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना है, अतएव वह जिस योजना को सहायता देता है, उसके पूर्ण विकसित होते ही वह अपने हिस्से को बेच देता है और इस तरह उस योजना में से अपना हाथ हटा लेता है।

रेल सम्बन्धी विकास कार्यक्रमों पर खर्च

जब से दूसरी पंचवर्षीय आयोजना शुरू हुई है, यानी १ अप्रैल, १९५६ से लेकर जुलाई १९५८ तक रेलों के विकास पर ४ अरब ८४ करोड़ २२ लाख रु० खर्च किया जा चुका है।

इस खर्च का ३/४ भाग देश के आन्तरिक साधनों से प्राप्त हुआ है और १/४ भाग विदेशों से मिला। विश्व बैंक से ४२ करोड़ ८४ लाख रु० ऋण लेने की व्यवस्था की गयी है। यह रकम इस साल के अन्त तक खर्च की जाएगी और अभी तक कुल ३८ करोड़ २२ लाख ऋण लिया जा चुका है। इस सम्बन्ध में एक प्रतिनिधि मण्डल वाशिंगटन भेजा गया है। ८ करोड़ ५० लाख डालर के ऋण की और व्यवस्था की गयी है। यह रकम ४० करोड़ ५० लाख रु० के बराबर है।

रेल योजना के लिए ११ अरब २५ करोड़ रु० की जरूरत पड़ेगी। इसमें ३ अरब ९१ करोड़ रु० विदेशों से प्राप्त होगा। सरकार की देश में और विदेशों से अधिक धन प्राप्त करने की जो योजना है, वह पूरी दूसरी पंचवर्षीय आयोजना को पूरा करने के लिए है, न कि केवल रेल विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए।

अप्रैल-मई १९५८ में शुल्कों से आय

वाणिज्य सूचना तथा अंक विभाग को जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे पता चलता है कि मई १९५८ में भारत को बन्दरगाहों, हवाई अड्डों और स्थल चौकियों पर सीमा शुल्क से ११ करोड़ ६५ लाख रु० की आमदनी हुई। पिछले साल की इसी महीने की यह आमदनी १५ करोड़ ३१ लाख रु० थी।

सीमा शुल्क की कुल आय में से, आयात शुल्क से ९ करोड़ ७ लाख रु० (पिछले साल के इसी महीने १३ करोड़ ३९ लाख रु०) निर्यात शुल्क से १ करोड़ ४८ लाख रु० (पिछले साल १ करोड़ २७ लाख रु०) स्थल चौकियों पर तथा अन्य मदों से ३२ लाख रु० (पिछले साल ३४ लाख रु०) और हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क से २० लाख रु० (पिछले साल ३१ लाख रु०) मिला।

इसी महीने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से २६ करोड़ ७५ लाख रु० प्राप्त हुआ, जबकि पिछले साल इसी महीने की यह आमदनी २१ करोड़ ५३ लाख रु० थी।

अप्रैल-मई १९५८ के दो महीनों में सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क से केन्द्रीय सरकार को कुल ७५ करोड़ ६४ लाख रु० की आमदनी हुई। पिछले साल इन्हीं दो महीनों की यह आय ६९ करोड़ ४० लाख रु० थी। इन दो महीनों में आयात शुल्क से १९ करोड़ ८८ लाख रु० (पिछले साल इन्हीं दो महीनों में २७ करोड़ ३७ लाख रु०), निर्यात शुल्क से ३ करोड़ ३१ लाख रु० (पिछले साल २ करोड़ ६४ लाख रु०) स्थल चौकियों पर और फुटकर ३ करोड़ ३१ लाख रु० (पिछले साल ६४ लाख रु०), हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क से १७ लाख रु० (पिछले साल ७२ लाख रु०) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से ५१ करोड़ ७८ लाख रु० (पिछले साल ३८ करोड़ ३ लाख रु०) मिला।

विदेशी वित्तीय संस्थाओं से ऋण

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की एक विज्ञप्ति में बताया गया कि भारत के जो उद्योग भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किसी विदेशी वित्त संस्था से कर्ज लेंगे उन्हें उस रकम पर, आय-कर से छूट दे दी जाय जो वे इस कर्ज के सूद के रूप में अदा करेंगे।

निम्नलिखित तीन विदेशी संस्थाओं को भारत सरकार की स्वीकृति दी गयी है : इन्टरनेशनल फाइनेंस कार्पोरेशन, वाशिंगटन; एक्सपोर्ट

इम्पोर्ट बैंक आफ वाशिंगटन तथा कामनवेल्थ डेवलेपमेंट फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड लन्दन। हाल ही में टोकियो के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक आफ जापान का भी नाम इस सूची में शामिल कर लिया गया है।

इस प्रकार संस्थाओं को स्वीकृति देने का यह अभिप्राय है कि स्वीकृत संस्थाओं से ऋण लेने वाले उद्योगों को सूद की रकम पर आयकर से छूट के लिये हर बार सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

मध्य वित्त निगम

निजी उद्योगों के लिए स्थापित मध्य वित्त निगम की चुकता पूंजी १२ करोड़ ५० लाख रु० है। जिसमें १ लाख रु० के १,२५० शेयर हैं। इनमें से ४० प्रतिशत पूंजी के हिस्से ले लिये गये हैं। उन संस्थाओं के नाम जिनको ये शेयर दिये गये हैं, इस प्रकार हैं: (१) रिजर्व बैंक आफ इंडिया—५ करोड़ रु०, (२) जीवन बीमा निगम—२ करोड़ ५० लाख रु०, (३) स्टेट बैंक आफ इंडिया—२ करोड़ ३० लाख रु०, (४) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया—२५ लाख रु०, (५) पंजाब नेशनल बैंक—२५ लाख रु०, (६) बैंक आफ इंडिया—२२ लाख रु०, (७) बैंक आफ बड़ौदा—२२ लाख रु०, (८) नेशनल ओवरसीज एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक—२२ लाख रु०, (९) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक—२२ लाख रु०; (१०) लायड्स बैंक—२२ लाख रु०, (११) इलाहाबाद बैंक—२० लाख रु०; (१२) चार्टर्ड बैंक—२० लाख रु०, (१३) इंडियन बैंक—२० लाख रु०, (१४) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया—२० लाख रु०, (१५) मर्केन्टाइल बैंक—१० लाख रु०, (१६) देवकरन नानजी बैंकिंग कम्पनी—१० लाख रु० और (१७) स्टेट बैंक आफ हैदराबाद—१० लाख रुपया।

श्रम

मालिक-मजदूरों के सम्बन्धों में सुधार

बेलूर (प० बंगाल) के भारतीय अलुमीनियम कारखाने में मालिक-मजदूरों के सम्बन्धों की जांच से पता चला है कि आपसी सहयोग से उनके सम्बन्ध सुधरे हैं और मत-भेद कम हुए हैं।

जमशेदपुर की जेवियर इंस्टिट्यूट आफ लेबर रिलेशन्स ने श्रम तथा नियोजन मन्त्रालय के तत्वावधान में यह जांच की। इस प्रकार की गयी यह दूसरी जांच है, सबसे पहले जमशेदपुर के टाटा इस्पात कारखाने में जांच की गयी थी। जांच का उद्देश्य उन बातों का पता लगाना है जिनके कारण उद्योगों में मालिक-मजदूरों के सम्बन्धों में सुधार होता है।

बेलूर कारखाने की जांच से पता चला है कि वहां मालिक और मजदूर-संगठन का अपने कार्यक्षेत्र के बारे में कोई मत-भेद नहीं है। मजदूर-संगठन कारखाने को सुचारु रूप से चलाने और उत्पादन बढ़ाने में मालिकों की सहायता करता है। मजदूरों की भलाई के कामों में मालिक मजदूर-संगठन की सहायता करते हैं तथा उसके आपसी झगड़ों में दखल नहीं देते। महत्वपूर्ण मामलों पर मजदूरों की सलाह ली जाती है और मत-भेदों और शिकायतों को आपसी बातचीत से निपटाया जाता है।

जांच के अनुसार उक्त कारखाने में झगड़े न होने के मुख्य कारण हैं—वहां का मजदूर-संगठन केवल मजदूरों की भलाई के काम करता है, यह किसी अन्य मजदूर संघ का सदस्य नहीं है और उसमें एक व्यक्ति को सारे अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इसके विपरीत मालिकों का दृष्टिकोण भी समझदारी का रहा है। उन्होंने प्रतिस्पर्धी मजदूर-संगठन स्थापित करने के लिये मजदूरों को कभी प्रोत्साहित नहीं किया और न ही कभी उनमें फूट डालने की कोशिश की। उन्होंने मजदूरों के मामले हमेशा मजदूर-संगठन की मार्फत ही निबटाये।

कारखाने की स्थापना से, १९४४ से १९५० तक वहां मालिक-मजदूरों के झगड़े होते रहे, परन्तु १९५१ में आपसी सम्बन्ध सुधारने के हेतु दोनों ने एक पंचवर्षीय समझौता किया। इसकी सफलता के फलस्वरूप १९५६ में दूसरे पंचवर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।

व्यवहार की वस्तुओं के मूल्य का सूचक अंक

अगस्त १९५८ में श्रमिकों के व्यवहार की वस्तुओं के मूल्य का सूचक अंक (१९४९ को आधार = १०० मानकर) १३ केन्द्रों में बढ़ा।

यह जानकारी भारत सरकार के श्रम कार्यालय से प्राप्त हुई है। सबसे अधिक वृद्धि मुंगेर के सूचक अंक में हुई, जहां यह ७ अंक बढ़कर ११२ हो गया। झरिया और तिनसुखिया में ५-५ अंक बढ़कर क्रमशः ११४ और १२३; अजमेर, जमशेदपुर और गवाहाटी में ३-३ बढ़कर क्रमशः १०९, १२५ और १०८ और कटक में दो बढ़कर १२३ हो

गया। दिल्ली, शिल्चर, अकोला तथा बागान केन्द्रों में (आधार जनवरी से जून १९४९ = १००), भोपाल में (आधार १९५१ = १००) और रतलाम में (आधार १९५३=१००), एक एक अंक बढ़कर क्रमशः ११७, १११, १०४, ११३, ११७ और १०८ हो गया।

सभी १३ केन्द्रों में खाद्य सामग्री का, तीन केन्द्रों में ईंधन, प्रकाश और कपड़े का और एक केन्द्र में फुटकर सामग्री का सूचक अंक बढ़ा। मरकारा में (आधार १९५३ = १००) खाद्य-सामग्री का सूचक अंक ७ घटकर ११८ रह गया और जबलपुर में ३ घटकर ११२ रह गया।

बहरामपुर, लुधियाना और खड़गपुर में सूचक अंक में बहुत ही कम परिवर्तन हुए और वह क्रमशः ११७, ९८ और ११८ पर ही स्थिर रहा। देहरी-आन-सोन और ब्यावर में (आधार अगस्त १९५१ से जुलाई १९५२ = १०० मानकर) अस्थायी सूचक अंक क्रमशः १०८ और १०४ रहा।

अगस्त १९५८ में अखिल भारतीय अस्थायी सूचक अंक एक बढ़कर १२० हो गया। जुलाई १९५८ का अखिल भारतीय अंतिम सूचक अंक ११९ था।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के १९५७-५८ के काम के प्रतिवेदन में कहा गया है कि यह वर्ष बड़े संकट का रहा और इस वर्ष यह योजना केवल ३४,००० कर्मचारियों के लिए ही बढ़ाई गई, जबकि १९५६-५७ में इस योजना को १,०९,००० लोगों पर लागू किया गया था।

योजना का विस्तार कम होने के प्रतिवेदन में कई कारण बताए गये हैं। इनमें से एक कारण तो यह था कि १९५५-५६ के अन्त तक इलाहाबाद, शोलापुर, मंगलौर, कलकत्ता के कुछ भाग और बिहार के उद्योग केन्द्रों को छोड़कर बाकी सब बड़े बड़े केन्द्रों में यह योजना लागू हो चुकी थी और बड़े केन्द्र बचे ही नहीं थे। बाद के दो सालों में यद्यपि उतने ही केन्द्रों में इस योजना को लागू किया गया, जितने केन्द्रों में पहले सालों में, लेकिन इन केन्द्रों में मजदूरों की आबादी उतनी नहीं थी जितने पहले सालों के केन्द्रों में थी। दूसरे, राज्य सरकारों के पास धनाभाव होने और डाक्टरों से उनके शुल्क के बारे में कोई समझौता न हो सकने के कारण भी काम अधिक नहीं बढ़ सका।

परिवारों की चिकित्सा

प्रतिवेदन में कहा गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की यही कोशिश है कि कर्मचारियों के परिवारों को सब राज्यों में इलाज की एकसी सुविधाएं मिलें। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, परिवारों की चिकित्सा की सुविधा देने में जो खर्च बढ़े उसका राज्य सरकारों से केवल ½ लेने का ही निश्चय किया गया। फिर भी इस में अधिक सफलता मिली। आखिर निगम को उन्हीं राज्यों तक ही, परिवारों की चिकि की सुविधा को सीमित रखना पड़ा, जहां की सरकारें इस काम में ... देने को तैयार हुई। यद्यपि यह स्थिति खेदजनक है फिर भी कुछ सरकारों ने, अगले वित्त वर्ष में खर्च का प्रबन्ध करने की इच्छा की है, इसलिए आगे चिकित्सा के विस्तार के बारे में अधिक ... बंधती है।

आलोच्य वर्ष यूं इस योजना की परीक्षा का वर्ष रहा, क्योंकि वर्ष इनफ्लुएंजा के फैलने के कारण सारी व्यवस्था एक बार ... अस्त-व्यस्त होती दिखाई पड़ी। फिर भी विशेष प्रयत्न पूर्वक इस ... का मुकाबला किया गया। यह ठीक है कि इस वर्ष योजना का अधिक वि... नहीं हुआ फिर भी चिकित्सा सम्बन्धी कई नई सुविधाएं बढ़ायी गयीं मरीजों की विशेषज्ञों द्वारा और अस्पतालों में रखकर चिकित्सा करने भी प्रबंध हुआ। आशा है अगले साल बम्बई, मद्रास, कानपुर, बंग... और कलकत्ता में केवल बीमा शुदा व्यक्तियों के लिए ही अस्पताल ... जाएंगे। अन्य कई स्थानों पर भी स्थायी अस्पताल जल्दी ही ... वाले हैं।

नकद सहायता

प्रतिवेदन में कहा गया है कि इस साल तपेदिक के रोगियों और नकली हाथ पैर लगवाने के लिए अधिक धन देने की व्यवस्था गयी। मेडीकल बोर्ड के सामने जाने के लिये वेतन की जो हानि हो... उसकी पूर्ति की और सहायता के धन में से, धनादेश शुल्क (मनीआ... कमीशन) न काटने की, सुविधा भी दी गयी। निगम ने कई काम सरल कर दिया है और ऐसे कई काम जो पहले प्रादेशिक कार्यालय आदेश से ही होते थे, अब स्थानीय कार्यालय में होने लगे हैं।

स्त्री-पुरुष मजदूरों के लिए बराबर वेतन

भारत सरकार ने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के स्त्री पुरुष मजदूरों बराबर वेतन देने के करार की पुष्टि कर दी है। जून १९५१ में अंत... ष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने एक से काम के लिए स्त्रियों और पुरुषों को एक वेतन देने का प्रस्ताव किया था। सम्मेलन में भारत सरकार ने स्पष्ट दिया था कि जब तक उसके पास इस सिद्धांत को लागू करने की व्यवस्था नहीं है, तब तक वह इस करार की पुष्टि नहीं कर सकती।

विशेषज्ञ समति

इसके बाद श्रम संगठन ने विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त ... जिसने उन देशों की रिपोर्टों की छानबीन की, जिन्होंने इस करार की ... नहीं की थी। भारत भी इन देशों में था। समिति इस निष्कर्ष ... पहुँची कि यह करार सदस्य देशों को मजबूर नहीं करता कि वे हर हाल...

मैं इस करार को मानें। सरकार उन्हीं उद्योगों या व्यवसायों में इस बात पर अमल कर सकती है, जिनमें उसे वेतन या मजूरी निश्चित करने का अधिकार है। विशेषज्ञों की इस राय की, १६५६ के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में पुष्टि की गयी। करार के इस नये अर्थ के बारे में भारत सरकार ने राज्य सरकारों और विभिन्न मन्त्रालयों की राय ली और इसकी पुष्टि करने का निश्चय किया।

भारत के संविधान में भी स्त्री-पुरुषों के बराबर वेतन का सिद्धान्त माना गया है। इस करार की पुष्टि के अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय में रजिस्ट्री होने के १२ महीने बाद इसे लागू किया जाएगा। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ८० सदस्य देशों में से २४ इसकी पुष्टि कर चुके हैं।

खाद्य और खेती

रेगिस्तान में हरियाली

राजस्थान के गंगानगर जिले में सूरतगढ़ नाम का एक स्थान है। यह रेगिस्तान से घिरा हुआ है। इसके आसपास कुछ गांव भी हैं। यहां रेतीले तूफान उठते रहते हैं और गर्मी की ऋतु में यहां का तापमान १२० अंश तक चढ़ जाता है। यहां पानी का अभाव है और साल भर में केवल ४-६ इंच पानी पड़ता है। भोजन का अकाल तो है ही, न दस्तकारियां हैं और न यातायात के साधन ही हैं।

आज उस रेगिस्तान के बहुत बड़े भाग में हरियाली छा गयी है। इस फार्म में पिछले दो वर्षों में ३७,००० मन पैदावार हुई है। आप जानना चाहेंगे—आखिर यह कैसे हुआ? रेगिस्तान में खेती! यह सच है और इसकी कहानी १६५५ से शुरू होती है, जब रूसी नेता मार्शल बुलगानिन और श्री ख्रुश्चेव भारत पधारे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में तराई का कृषि फार्म देखा और बम्बई की आरे दूध कालोनी भी देखी। इससे वे प्रभावित हुए और ३० हजार एकड़ का एक कृषि फार्म बनाने के लिए उन्होंने यांत्रिक और प्रविधिक सहायता देने का प्रस्ताव किया। भारत सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया।

सूरतगढ़ फार्म

यह वही सूरतगढ़ का यांत्रिक कृषि फार्म है, जहां की ३० हजार एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए यन्त्र सज्ज ५०० कर्मचारी अनवरत प्रयत्न कर रहे हैं। देश के आर्थिक विकास की यह एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। इस फार्म को अपने यहां खोलने के लिए ६ राज्य सरकारों ने प्रार्थना की थी। पर कृषि, सिंचाई और यांत्रिक विशेषज्ञों ने इसके लिए सूरतगढ़ को ही चुना।

यहां की मट्टी कछारी है, इसकी तहें काफी गहराई तक हैं और यह अच्छी किस्म की भी है। भूमि समतल है। वर्षा कम होती है, इसलिए खेती की मशीनें साल भर काम में लाई जा सकती हैं। सिंचाई के अस्थायी साधन हैं, पर भाखड़ा बांध के बन जाने पर १६५६ से स्थायी रूप से सिंचाई होने लगेगी। यह स्थान बाग लगाने और पशु पालन के लिए भी उपयुक्त है। रेल की लाइन यहां से नजदीक है और दूसरी योजना के अन्त तक यहां पक्की सड़कें भी बन जाएंगी। यह गंगानगर की बड़ी मण्डी से सिर्फ ६० मील दूर है।

१६५६ के आरम्भ के दो-तीन महीनों के भीतर ही सोवियत रूस से यांत्रिक सामान लेकर पांच जहाज बम्बई पहुँच गये। इसमें छोटी बड़ी शक्ति के ६६ ट्रैक्टर, ७५ हल, ५० कल्टिवेटर, ८० सीड ड्रिल, ५०८ टेढ़े-मेढ़े हैरो, ४२ कपुलर, ३० रोलर (बेलन), अनाज ओसाने के ५० यन्त्र, फसल काटने के ६० यन्त्र, बीज ढोने वाले ३ यंत्र और अनाज साफ करने की दो मशीनें थीं। यातायात के लिए पर्याप्त ट्रकें, मोटरकार, जीप और बाउजर भी थे। कारखाना बनाने के लिए खरादने, पीसने और कूटने की मशीनें और दूसरे यांत्रिक उपकरण भी थे। इनमें १५ किलोवाट बिजली पैदा करने वाला एक जेनेरेटर और १०० लाइन का स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज भी था।

इनके साथ पांच रूसी कृषि विशेषज्ञ भी आये थे। उन्होंने भारतीय कारीगरों को यांत्रिक खेती की शिक्षा दी। भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था ने यहां की मिट्टी की जांच करके बताया कि १८,३०० एकड़ भूमि में सिंचाई होने पर खेती अच्छी तरह की जा सकती है। ४,८०० एकड़ भूमि क्षारयुक्त है, जिसमें जिप्सम देने पर खेती की जा सकती है और ७,५०० एकड़ भूमि खारी है, जो कम उपजाऊ है।

अतः निश्चय किया गया कि ३०,६७० एकड़ भूमि में से २२,६७० एकड़ भूमि में खेती की जाए, २,००० एकड़ में बगीचे लगाये जाएं, १,५०० एकड़ में पशु-पालन किया जाए और ४,५०० एकड़ भूमि में सड़क, मकान, सिंचाई के लिए नालियां बनायी जाएं और जंगल

लगाये जाएं। इस फार्म में अनाजों के उन्नत बीज, उन्नत फलों के बीज, अच्छी नस्ल के सांड और मेंढ़े और अच्छी नस्ल की मुर्गियां भी तैयार की जाएंगी।

फार्म का उद्‌घाटन

१५ अगस्त, १६५६ को स्वाधीनता दिवस के दिन २६ ट्रैक्टरों के कोलाहल के बीच इस फार्म का उद्‌घाटन हुआ। सिंचाई के साधनों और मजदूरों की कमी के बावजूद पिछले दो सालों में १० हजार एकड़ भूमि खेती योग्य बनायी गयी और खेती से ३७,००० मन पैदावार हुई, जो लगभग ६ लाख रु० की होगी। १०० मील के करीब सड़क और उतनी ही पानी की नालियां बन चुकी हैं। १० हजार पेड़ लगाये गये थे, जिनमें से आधे पानी के अभाव में सूख गये। फलों की पौध के तैयार करने के लिए दो नर्सरी भी लगायी गयी हैं।

बड़े पैमाने पर यान्त्रिक खेती का देश के लिये यह नया प्रयोग था। इसमें हम काफी सफल भी रहे और समस्याएं भी धीरे-धीरे हल की जा रही हैं। ४० प्रतिशत से अधिक मशीनें काम में लाई जा रही हैं। सिंचाई की योजनाओं में सुधार किया गया है। मजदूरों का बड़ा अभाव है। अतः उनको आकर्षित करने के लिए अच्छी मजदूरी और रहने की सुविधाएं दी जा रही हैं। कर्मचारियों के रहने के लिए और कार्यालयों के लिए कई मकान बन चुके हैं और आशा है कि बाकी भी ६ महीने के अन्दर तैयार हो जाएंगे।

भाखड़ा बांध से पानी आ जाने पर यह फार्म अच्छी तरह फलने-फूलने लगेगा। दूसरी योजना के अन्त तक यह अनुमान लगाया गया है कि यहां शुद्ध गेहूँ का बीज लगभग ७० हजार मन, उच्च कोटि के बिनौले लगभग १२ हजार मन और दूसरी किस्म के बीज पर्याप्त मात्रा में पैदा होने लगेंगे। इसके साथ ही तब तक यहां की पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए १५० हरियाना और मुर्रा नस्ल के सांड, बीकानेरी नस्ल के २०० मेंढ़े और सुघरी नस्ल की १० हजार मुर्गियां उपलब्ध होंगी। नर्सरियों में भी ५० हजार पौधे हर साल तैयार होने लगेंगे।

प्रगति की यह मंजिल जब पूरी होगी तो दुख और गरीबी के मारे हुए वहां के निवासी, अपने पुराने दिन बीती बात की तरह याद करेंगे और आर्थिक उन्नति और व्यापार के नये युग में प्रवेश करेंगे।

सूरतगढ़ में यह काम आदमी और मशीन मिलकर कर रहे हैं।

हरी खाद की उपयोगिता

देश में हरी खाद का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा है। मिट्टी का उपजाऊ होने के लिए उसमें पोटाश, फास्फेट, चूना और नाइट्रोजन का होना जरूरी है। इन्हीं से पौधों को खुराक पहुंचती है। हमारे देश की मिट्टी में साधारणतः नाइट्रोजन बहुत कम पाया जाता है। यहां की मुख्य फसलें साल में ३८ लाख टन से भी अधिक नाइट्रोजन मिट्टी से ले लेती हैं, परन्तु खेतों में जो खाद डाली जाती है उससे मिट्टी साल में १० लाख टन से भी कम नाइट्रोजन ले पाती है। इससे पैदावार में कमी आती जा रही है।

भारत और विदेशों में जो खोज हुई है, उनसे पता चला है कि हरी खाद और कूड़े-करकट की खाद में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। परीक्षण के लिए कुछ खेतों में हरी खाद का प्रयोग किया गया। इससे धान और गेहूँ की पैदावार में २० से ३० प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

हरी खाद के पौधे ऐसे होने चाहिए, जो सभी प्रकार की जमीन में उग सकें, जिनकी जड़ें साथ-साथ उगने वाले अनाज की जड़ों को नुकसान न पहुँचाएं; जो तेजी से उगें, ताकि मवेशी उसकी पत्तियां न चर सकें; और जिनमें काफी मात्रा में पत्तियां हों। हरी खाद के पौधों को पाले सूखे में और बाद में खूब पानी में उगना चाहिये। धान की फसल को हरी खाद देने के लिये ऐसे पौधे उगाने चाहिए, जो तेजी से बढ़ सकें और बुवाई—अगस्त से पहले ही ४-६ सप्ताह के अन्दर प्रति एकड़ में ४ से ८ हजार पौंड तक हरी खाद दे सकें। इन बातों को ध्यान में रखकर पता चलता है कि केवल कुछ ही ऐसे पौधे हैं, जो हरी खाद के काम आ सकते हैं।

आयोजन आयोग हरी खाद तैयार कराने पर विशेष ध्यान दे रहा है। आयोग ने अगस्त, १६५७ में राज्यों को एक विस्तृत ब्यौरा भेजा था, जिसमें बताया गया था कि प्रत्येक गांव और खेत के लिये किस तरह से भरपूर हरी खाद तैयार की जा सकती है। अक्तूबर, १६५७ में श्रीनगर में राज्यों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, जिस में सिफारिश की गयी थी कि राज्यों में इस सिलसिले में जोरदार काम किया जाना चाहिये, जिससे दो साल के अन्दर ही प्रत्येक खेत में अपने लायक हरी खाद तैयार होने लगे। इसी प्रकार की सिफारिश राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खंड की योजना समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में की। अप्रैल-मई, १६५८ में आयोजन आयोग ने राज्यों के विकास आयुक्तों और कृषि निदेशकों से इस सम्बन्ध में फिर से बातें कीं।

राज्यों के कार्य

उक्त सिफारिशों का सभी क्षेत्रों ने स्वागत किया। दक्षिण क्षेत्र में केरल ने १६५८-५६ में बीज और कलम के रूप में हरी खाद के करोड़ पौधे उगाने का लक्ष्य रखा। जून में केरल सरकार ने गिलिरिसिडिया (हरी खाद के लिये एक प्रकार का पौधा) सप्ताह मनाया। स्कूलों, सरकारी दफ्तरों और सामुदायिक विकास कर्मचारियों की ओर से

भी इसमें काफी सहयोग रहा। राज्य ने सूचना भेजी है कि उसने १ करोड़ पौधे लगाने का अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। उसने पांच वर्षों में २६ करोड़ ६० लाख पौधे उगाने का लक्ष्य रखा है।

आंध्र प्रदेश के कृषि विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में गिलरिसिडिया और ढैंचा (सेस्बानिया) उगाने के लिये काफी प्रचार किया। राज्य ने किसानों को हरी खाद में आत्मनिर्भर बनाने के लिये उन्हें बीज देने की योजना बनायी है। उसने चालू मौसम में बीजों के ३,२०,००० पैकेट देने का निश्चय किया है। प्रत्येक पैकेट में ४ औंस बीज होता है और उसका मूल्य लगभग ८-१० नए पैसे है।

मद्रास पिछले दस वर्षों से हरी खाद के बारे में प्रचार कर रहा है। वहां से केरल, उड़ीसा तथा अन्य राज्यों को भी बीज भेजे जाते हैं। मद्रास अब गिलरिसिडिया उगाने के बारे में एक प्रतियोगिता शुरू करने पर भी विचार कर रहा है।

मध्य तथा पश्चिम क्षेत्र

मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में भी हरी खाद का काफी प्रचार किया गया। १६५७-५८ में उत्तर प्रदेश में हरी खाद के पौधों के बीज पैदा कराने का काम शुरू किया गया। उस साल किसानों को खेतों की मेढ़ों पर और फसलों के साथ बोने के लिये लगभग २६३ टन बीजों के ७ लाख ५० हजार पैकेट दिए। १६५८-५६ में यह योजना है कि प्रत्येक गांव सभा अपने लिये बीज पैदा करे। इसके लिये प्रत्येक गांव सभा को १४ सेर बीज दिए जाएंगे। गांव सभा इन बीजों को किसानों में बांटेगी। बाद में नये बीज पैदा होने के बाद किसान उसका ४० गुना बीज गांव सभा को लौटा देंगे।

बम्बई राज्य ने किसानों को सनई के बीज देने का निर्णय किया है। इसका २५ प्रतिशत मूल्य राज्य सरकार देगी और बाकी मूल्य किसान देंगे। इस साल लगभग १६ हजार एकड़ जमीन में हरी खाद देने का विचार है।

पूर्वी क्षेत्र

आसाम सरकार किसानों को अब तक २-२ औंस बीज वाले ३ लाख पैकेट दे चुकी है। बिहार सरकार इस साल १० लाख पैकेट देगी और ३ लाख एकड़ जमीन के लिये हरी खाद तैयार करायेगी। इसके लिये फिल्में दिखा कर तथा डेढ़ लाख प्रचार-पत्र बांटकर प्रचार किया गया है।

पश्चिम बंगाल में १६५८-५६ में बीज के लगभग ४ लाख पैकेट बांटे जाएंगे। इन पैकेटों को बांटने का काम ग्रामसेवकों और कृषि सहायकों को दिया गया है।

उत्तर क्षेत्र

राजस्थान में कम और अनिश्चित वर्षा के कारण हरी खाद तैयार करना बहुत कठिन है। फिर भी बीज तैयार करने के लिये १६५८-५६ में ४० हजार एकड़ जमीन में बीज बोने का लक्ष्य रखा गया है। मक्का और ज्वार के साथ दलहनी फसलें बोने का भी प्रयत्न किया जा रहा है, ताकि मक्का और ज्वार काटने के बाद दलहनी फसलों को गाड़ कर हरी खाद तैयार की जा सके।

पंजाब में हरी खाद के लिये एक विशेष प्रकार की झाड़ी होती है। इन झाड़ियों को उगाने के लिये हाल ही में प्रचार किया गया। मणिपुर में हरी खाद तैयार करना दिखाने के लिये अप्रैल, १६५८ में ७७ एकड़ जमीन ली गयी। १६५८-५६ में इस काम के लिये १७५ एकड़ जमीन ली जायेगी।

उत्तर भारत में भूमि-सुधार सम्बन्धी कानून

उत्तर भारत के सभी राज्यों में भूमि सम्बन्धी सुधार व्यापक रूप से किये जा रहे हैं। दिल्ली में अब किसान सरकार को सीधे लगान देते हैं और जमींदारों को बेदखली करने का अधिकार नहीं रह गया है। इस क्षेत्र के दूसरे राज्यों में जमींदार कुछ शर्तों के साथ खुद काश्त के लिये भूमि के एक भाग को बेदखल करा सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर और पुराने पेप्सू राज्यों में जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गयी है। दिल्ली में नये खेतों की और हिमाचल प्रदेश में वर्त्तमान जोतों की सीमा बांध दी गयी है। पुराने पंजाब राज्य में सरकार को यह अधिकार है कि सीमा से अधिक भूमि को वह ले ले और बेदखल हुये काश्तकारों में बांट दे। यहां भी नयी आबादी में जोत की सीमा निर्धारित कर दी गयी है।

पंजाब, पुराने पेप्सू और दिल्ली राज्यों में, चकबन्दी का काम तेजी से हो रहा है। आशा की जाती है कि दूसरी योजना के अंत तक पूरे पंजाब में चकबन्दी हो जाएगी। जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी चकबन्दी के लिये कानून बनाये गये हैं।

जम्मू और कश्मीर

जम्मू-कश्मीर सरकार जमींदारों और बिचवइयों को हटाने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है। काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम १६५५ को लागू करते समय शिकमी किसानों के पास जो जमीन थी, उस पर उन्हें संरक्षित घोषित कर दिया गया था। कश्मीर के इलाके में जमींदार आबी में से २ एकड़ और खाकी में से ४ एकड़ भूमि खुदकाश्त के लिये बेदखल करा सकते हैं। जम्मू के इलाके में यह सीमा आबी के लिये ४ एकड़ और खाकी के लिये

६ एकड़ निर्धारित की गयी है। किन्तु यदि किसी जमींदार के पास कश्मीर में ४ एकड़ आबी और ६ एकड़ खाकी और जम्मू में ६ एकड़ आबी और ८ एकड़ खाकी से अधिक भूमि हो तो उसे संरक्षित किसान के पास कम से कम २ एकड़ से ६ एकड़ तक भूमि छोड़ देनी होगी।

जिन शिकमी काश्तकारों के पास १२½ एकड़ से अधिक भूमि होगी, उनसे आबी भूमि में कुल पैदावार के चौथे हिस्से और खाकी में एक-तिहाई हिस्से से अधिक लगान नहीं लिया जा सकता। दूसरे शिकमी काश्तकारों से भी कुल पैदावार का आधे से अधिक लगान नहीं लिया जा सकता। जोत की अधिकतम सीमा २२¾ एकड़ रखी गयी है। यह सीमा जमींदारों के लिये है।

पंजाब

पंजाब और पुराने पैप्सू राज्य में बिचवइयों को हटा दिया गया है और लगान के लिये भी तय कर दिया गया है कि यह कुल पैदावार अथवा उसके मूल्य के एक तिहाई से अधिक न हो।

पुराने पंजाब राज्य में जमींदार ३० पक्के एकड़ (विस्थापित ५० पक्के एकड़) तक की भूमि की बेदखली करा सकता है, किन्तु इसके साथ उसे बेदखल होने वाले शिकमी काश्तकार के पास कम से कम ५ एकड़ भूमि छोड़ देनी होगी या राज्य सरकार उसे इतनी ही भूमि और देगी।

वे शिकमी काश्तकार जो ६ साल से किसी भूमि को जोत रहे हैं, और जिससे वे बेदखल नहीं किये जा सकते, उसमें से ३० पक्के एकड़ तक खरीद सकते हैं। इसके लिये उन्हें पिछले दस सालों में जो औसत जमीन की कीमत रही है, वह चुकानी होगी। यह कीमत छमाही किश्तों में, जो दस से अधिक न हो सकेंगी, चुकानी होगी।

राज्य सरकार को अधिकार है कि वह बेदखल हुये अथवा होने वाले काश्तकारों को देने के लिये उन भूस्वामियों से, जिनके पास ३० पक्के एकड़ (विस्थापितों के लिये ५० पक्के एकड़) से अधिक जमीन है, फालतू जमीन ले ले।

पहले के पैप्सू राज्य के इलाकों में उन किसानों को जो ३ दिसम्बर, १९५३ तक किसी भूमि को लगातार १२ साल से जोत रहे थे, १५ पक्के एकड़ तक भूमि पर अधिकार दिया गया है। दूसरे शिकमी काश्तकारों से जमींदार खुद काश्त के लिये ३० पक्के एकड़ (विस्थापितों के लिये ४० एकड़) तक भूमि बेदखल करा सकता है, किन्तु किसान के पास कम से कम ५ एकड़ भूमि या तो छोड़ देनी होगी या राज्य सरकार उसके लिये इतनी भूमि की व्यवस्था करेगी। आगे से यदि कोई जमीन शिकमी उठायी जाएगी तो काश्तकार से ३ साल तक वह जमीन नहीं छुड़ाई जा सकेगी।

शिकमी किसान उस भूमि को जिससे वे बेदखल नहीं किये जा सकते, सरकारी लगान का ९० गुना या २०० रु० प्रति एकड़ के हिसाब से (इन दोनों में से जो भी कम हो) दे कर खरीद सकते हैं यह कीमत इन्हें ६ साल तक के भीतर चुकता करनी होगी।

नई आबादी के लिये भी जोत की वैसी ही सीमा बाँध दी गई है। जमींदार बाग लगाने के लिये अपने पास १० पक्के एकड़ तक अधिक भूमि भी रख सकते हैं।

३० जुलाई, १९५८ को एक अध्यादेश द्वारा पुराने पंजाब के क्षेत्रों में नये पंजाब राज्य के क्षेत्रों की ही तरह नई आबादी जोत की भी सीमा बाँध दी गयी है। इस प्रकार जमींदारों की मनमानी से किसानों को बचाने के लिये काफी व्यवस्था की गयी है।

पटियाला डिवीजन में किसानों को बेदखली से बचाने के लिए सन् १९५५ में पैप्सू काश्तकारी और कृषि योग्य भूमि कानून में संशोधन करके एक और भी अध्यादेश जारी किया गया है।

पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में पंजाब और पैप्सू में चकबन्दी के काम में बड़ी प्रगति हुई है। ६१ लाख एकड़ भूमि में चक बना लिये गये हैं। आशा है, दूसरी योजना के अन्त तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में चकबन्दी कर ली जाएगी।

राजस्थान

पुराने राजस्थान क्षेत्र में जागीरों के उन्मूलन के लिए १९५२ में कानून बनाया गया था, जिसे लागू किया जा रहा है। जमींदारी और बिस्वेदारी को मिटाने के लिए कानून बनाने पर विचार हो रहा है।

जागीरदारी के उन्मूलन में धर्मादा भूमि को छोड़ दिया गया था, किन्तु बाद में एक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि उनकी वास्तविक आय के बराबर रकम प्रति वर्ष धर्मार्थ देकर उन्हें भी लिया जा सकता है।

हर शिकमी या दर शिकमी अपने पास इतनी भूमि रखने का अधिकारी है, जिससे उसे प्रति वर्ष १,२०० रु० की आमदनी हो। इसमें उसके और उसके परिवार के श्रम का मूल्य भी शामिल है। यदि उसके पास इससे अधिक भूमि हो तो जमींदार दो साल के भीतर उसे खुद-काश्त के लिए बेदखल करा सकता है। लगान भी कुल पैदावार के ⅙ से अधिक न होना चाहिये।

जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार ने एक समिति बनाई थी, जिसने सितम्बर १९५७ में अपनी रिपोर्ट दे दी है और राज्य सरकार उस पर विचार कर रही है।

पुराने अजमेर क्षेत्र में बिचवइयों को हटाने के लिए १९५५ में कानून बनाया गया था, जो अब लागू होने वाला है।

जनवरी १९५८ तक उन जागीरों पर दखल कर लिया गया था, जिनकी सालाना आमदनी २ करोड़ ६० लाख रुपये या इससे अधिक थी। सभी जागीरों से मिलाकर लगभग ३ करोड़ ३४ लाख रु० लगान मिलता है। इनके लिए लगभग ३६ करोड़ रु० मुआवजा देना होगा। पूरे राज्य में एकसी व्यवस्था चालू करने के लिए राजस्थान के काश्तकारी और लगान सम्बन्धी नियमों को अजमेर, आबू और सुनेल क्षेत्र में भी लागू कर दिया गया है।

दिल्ली

दिल्ली की पुरानी राज्य सरकार ने १९५४ में भूमि-सुधार के लिए एक कानून बनाया था। इसके अन्तर्गत शिकमी या दर शिकमी काश्तकारों को बेदखल नहीं दिया जा सकता, जो काश्तकारों की प्रथा के अनुसार लगान का ४ से लेकर ४० गुना तक बतौर मुआवजे के जमा कर दें।

दिल्ली भूमि-सुधार अधिनियम में अक्तूबर, १९५६ में एक संशोधन किया गया, जिससे दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा नियंत्रित, सूचित, ग्रहीत और अधीन भूमि पर यह कानून लागू न होगा। कानून को लागू करने में जो त्रुटियां नजर आयी हैं, उन्हें दूर करने पर विचार हो रहा है।

आठ एकड़ से छोटी जोतों के मालिकों या अपाहिजों को छोड़कर बाकी लोगों के लिए पट्टे पर जमीन उठाने की मनाही कर दी गयी है। आगे से किसी भी शिकमी को पांच साल से कम के लिए जमीन न दी जा सकेगी। लगान भी कुल पैदावार का अधिकतम ⅕ हिस्सा देना होगा। जोत की अधिकतम सीमा ३० पक्के एकड़ नियत कर दी गयी है।

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के जागीरदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून के अनुसार, बिचवइयों को मिटाने की व्यवस्था की गयी है। शिकमी काश्तकारों को बेदखली से बचाया गया है। चम्बा के इलाके में जोत की अधिकतम सीमा ३० एकड़ और बाकी जिलों में १२५ रु० प्रतिवर्ष लगान की भूमि रखी गयी है। १९५७-५८ में एक हजार से भी अधिक शिकमी काश्तकारों को भूमिधर बनाया गया है।

दखीलकार काश्तकार यदि चाहे तो, मुआवजा देने पर भूमिधर बन सकता है। मुआवजे के लिए गैर दखीलकार काश्तकार से ⅙ तक भूमि बेदखल करायी जा सकती है, परन्तु इस प्रकार ५ एकड़ से ज्यादा बेदखली नहीं करायी जा सकती। जो जमीन बेदखल नहीं करायी जा सकती, उसे काश्तकार सरकारी लगान और अबवाब का ४८ गुना देकर ले सकता है। यह मुआवजा उन्हें १० किश्तों में ५ साल के भीतर चुका देना होगा।

सरकार को यह भी अधिकार है कि वह अधिसूचना निकाल कर जमींदारी पर कब्जा कर सकती है। जमीन का लगान भी अधिक से अधिक कुल पैदावार के एक-चौथाई तक नियत कर दिया गया है।

बिहार

बिहार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम १९५० में बना और जनवरी १९५६ तक पूरी तरह से लागू हो सका। जून १९५७ तक ३ लाख जमींदारों को करीब १½ करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में दिया गया।

शिकमी काश्तकार से यदि उसने रजिस्टर्ड पट्टे पर जमीन ली हो तो, जमींदार सरकारी लगान से ५० प्रतिशत तक अधिक से अधिक लगान ले सकता है। दूसरे शिकमियों से सरकारी लगान के २५ प्रतिशत से अधिक नहीं लिया जा सकता। यदि पैदावार के हिस्से के रूप में लगान दिया जाता हो तो वह कुल पैदावार के $\frac{7}{20}$ से अधिक न होना चाहिए।

जिन रैयतों की जबानी बातचीत पर जमीनें दी गयी हैं, उन्हें भी बेदखल नहीं किया जा सकता। जिन्हें लिखित पट्टे पर जमीनें दी गयी हैं, वह उसकी अवधि तक उन्हीं के पास रहेंगी, बशर्ते इस बीच में १२ साल तक खेती करने के कारण वे इस पर काबिज न हो गये हों।

बिहार भूमि आयोग ने विभिन्न राज्यों के भूमि सुधारों के अध्ययन के लिए चार टोलियां नियुक्त की हैं। इनकी रिपोर्ट मिल जाने पर भूमि सम्बन्धी कानूनों में और भी सुधार किया जायगा।

उड़ीसा

उड़ीसा में जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम बनाकर दिसम्बर १९५७ तक स्थायी बन्दोबस्त क्षेत्र की सभी जमींदारियां सरकार ने ले लीं और अस्थायी बन्दोबस्त क्षेत्र में जमींदारी अधिकार सरकार को मिल गये। जागीरदारों या जमींदारों को दिये जाने वाले मुआवजे का अंदाज लगभग १०॥ करोड़ रु० है।

शिकमियों को बेदखली से बचाने की व्यवस्था सन् १९५५ में की गयी। इसके अनुसार जमींदार को खुदकाश्त के लिये ७ एकड़

आबी या १४ एकड़ खाकी जमीन तक लेने का अधिकार दिया गया। लगान के रूप में कुल पैदावार का १/४ हिस्से से अधिक न लिया जा सकेगा। इसकी अधिकतम सीमा खाकी भूमि के लिए प्रति एकड़ ४ मन धान और सिंचित या आबी भूमि के लिए प्रति एकड़ ६ मन धान निर्धारित की गयी है। नकद लगान भी यदि रजिस्टर्ड पट्टे का हो तो सरकारी लगान के ५० प्रतिशत से अधिक नहीं लिया जा सकता। दूसरे मामलों में यह सरकारी लगान के २५ प्रतिशत से अधिक न होना चाहिए।

राज्य सरकार ने भूमि सुधारों के बारे में सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। आशा है, राज्य सरकार इस पर विचार करने के बाद भूमि सुधारों के लिये और भी व्यापक कानून बना सकेगी।

पश्चिमी बंगाल

पश्चिमी बंगाल की सरकार ने अप्रैल १९५५ में जमींदारी के सभी अधिकार अपने हाथ में ले लिये। जमींदारों को लगभग ७० करोड़ रुपया मुआवजा निर्धारित किया गया। अप्रैल १९५६ में एक सरकारी अधिसूचना जारी की गयी, जिसके अनुसार अधिकतम जोत २५ एकड़ निर्धारित कर दी गयी।

लगान लेने का एक मात्र अधिकार राज्य सरकार को ही है और रैयत तथा उनके बटाईदारों को सीधे सरकार से सम्बन्ध रखना होगा और सरकारी खजाने में लगान जमा करना होगा।

भूमि सुधार कानून १९५५ के अनुसार बर्गादार (बटाईदार) से जमींदार पैदावार का आधा हिस्सा ले सकेगा यदि स्वयं भी खेती में कुछ लगाया हो, अन्यथा वह कुल पैदावार का ४० प्रतिशत ही ले सकेगा। कोई भी रैयत अपने शिकमी काश्तकारों को बेदखल नहीं कर सकता। जिन्हें गैर-कानूनी ढंग से बेदखल किया जा चुका है, उन्हें फिर से जमीन देने के लिए, जनवरी, १९५८ में उक्त कानून में संशोधन किया गया था। शामिल खेतों के पट्टों में रैयत अगर ७॥ एकड़ से कम जमीन का मालिक हो तो अपने पट्टेदार से पूरी जमीन बेदखल करा सकता है। जो ७॥ एकड़ से अधिक भूमि का मालिक है वह अपनी भूमि का दो-तिहाई तक बेदखल कर सकता है। यदि कोई शिकमी काश्तकार रैयत बन जाता है तो उसे भी जमींदारी उन्मूलन के ही हिसाब से मुआवजा देना होगा; अर्थात् शुद्ध आय के अनुसार २ से लेकर २० गुना तक मुआवजा देना होगा।

आयोजन और विकास

मध्य भारत में बिजली उत्पादन की व्यापक सम्भावना

देश के मध्यवर्ती पठार से निकल कर दो नदियां—नर्मदा और ताप्ती—पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं और तीन महानदी, वैतरणी और ब्राह्मणी पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में।

इन नदियों की एक विशेषता यह है कि इनमें न कहीं ऊंचे झरने हैं और खड़े ढाल। साथ ही इनमें अपार जल राशि बहकर समुद्र में जाती है। इस कारण यदि इनके प्रवाह को नियन्त्रित किया जा सके, तो इनसे बहुत अधिक बिजली बन सकती है। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है, नदियों को बांधकर जलाशय बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की। यहां ऐसे स्थान, पश्चिमी घाटों या हिमालय जैसे प्रचुर नहीं। इन नदियों पर केवल बांध बनाने में काफी खर्च आयेगा, या यूं कहिये कि सिंचाई और बिजली की योजना में बांध बनाने का खर्च ही सबसे अधिक पड़ेगा।

बांधों के लिए स्थान चुनने में यह भी ख्याल रखना होगा कि ये स्थान ऐसे होने चाहिए, जहां बांध इस ढंग से बनाये जा सकें कि नदियों का पानी आगे चलकर भी बार-बार बिजली बनाने के काम आ सके। इस प्रकार मध्यभारत की नदियों का सुनियोजित विकास होने से बहुत से लाभ होंगे।

नर्मदा का क्षेत्र

नर्मदा के जल का सदुपयोग करने के लिए बांध के लिए सबसे उपयुक्त स्थान मध्यप्रदेश में पुनासा के पास है। यहां नदी एक गहरी और सकरी घाटी में से निकलती है। यहां तक, करीब २८ हजार वर्ग मील क्षेत्र का जल नर्मदा में बहकर आता है। इस स्थान पर ३१० फुट ऊंचा बांध बनाने से ३,७५,००० किलोवाट बिजली बनायी जा सकती है। नर्मदा के काटे के ऊपरी भाग में कई स्थानों पर थोड़ी-थोड़ी और कुल ३,३८,००० किलोवाट बिजली बनने की व्यवस्था हो सकती है और सिंचाई के लिए भी पानी मिल सकता है। ऊपर की ओर बिजलीघर और बांध बनाने से नर्मदा के पानी पर कुछ नियंत्रण

होगा, पर साथ ही सिंचाई के लिए नहरें निकालने से इसका काफी पानी खर्च हो जाएगा। इस प्रकार ऊपर की तरफ छोटे-छोटे बिजलीघर बनने से पुनास के बिजलीघर की क्षमता ३,८५,००० किलोवाट से बढ़ कर ४,५०,००० किलोवाट हो सकती है और यहां पानी का प्रवाह २१,००० घनफुट प्रति सैकिंड होगा।

पुनास में पानी के प्रवाह पर नियन्त्रण होने से नीचे धरयाहा, हरिनफाल, वेली और भड़ोच में ४ छोटे-छोटे बांध और बन सकते हैं और इनसे कुल १० लाख ४० हजार किलोवाट बिजली बन सकती है। ये बिजलीघर बम्बई राज्य के उद्योग-बहुल गुजरात क्षेत्र के पास होने से बहुत उपयोगी हो सकते हैं।

इतना ही नहीं, बांधों से जो विशाल जलाशय बनेंगे, उन सबके जुड़ जाने पर नावें चलाने की भी बड़ी सुविधा हो जायगी और अरब सागर से लेकर मध्यप्रदेश में होशंगाबाद तक एक लम्बा जल-मार्ग बन जायगा। इस प्रकार इस सारे क्षेत्र की खूब उन्नति हो सकती है। बचे हुए पानी से नर्मदा और ताप्ती के डेल्टा में भी काफी सिंचाई हो सकती है।

महानदी क्षेत्र

हीराकुड बांध के बन जाने से महानदी में वर्ष भर आने वाले ७ करोड़ ४० लाख एकड़ फुट पानी में से केवल ४५ लाख १० हजार एकड़ फुट पानी ही जमा हो सकता है, जिससे १,२७,००० किलोवाट बिजली पैदा हो सकती है और सिंचाई हो सकती है।

हीराकुड से नीचे जो बांध या बिजलीघर बनाये जाएंगे, उन्हें ११ हजार घन फुट प्रति सेकिंड पानी नियंत्रित रूप से सूखे मौसम में भी मिल सकता है।

हीराकुड से नीचे १२० मील पर टीकरपाड़ा की संकरी घाटी दूसरे बांध के लिए बड़ा उपयुक्त स्थान है। यहां पर १३५ फुट ऊंचा छोटा-सा बांध बनने से ६४ लाख एकड़ फुट पानी जमा हो सकेगा और ३,३०,००० किलोवाट बिजली बन सकेगी।

इसके अलावा नारज में भी पहाड़ियों के बीच करीब ५,४०० फुट लम्बे और ११० फुट ऊंचे बांध से ५० लाख एकड़ फुट पानी जमा हो सकता है और इसके पानी से २,२५,००० किलोवाट बिजली बन सकती है।

ब्राह्मणी और वैतरणी

इन नदियों में महानदी के बराबर पानी नहीं रहता, फिर भी इनसे बिजली बन सकती है। इन दोनों के क्षेत्र में क्रमशः १० लाख किलोवाट बिजली बन सकती है। इसी प्रकार कोयल-कारो नदियों से भी करीब १,५२,००० किलोवाट बिजली तैयार हो सकती है। शंख नदी से भी २,५८,००० किलोवाट बिजली बन सकती है।

कोयल और शंख के बचे हुए पानी को ऊपरी ब्राह्मणी बांध पर इस्तेमाल करके ४०,००० किलोवाट बिजली और तैयार की जा सकती है। निचले ब्राह्मणी बांध और बराकोट बांध से भी क्रमशः १,६०,००० किलोवाट और ५५,००० किलोवाट बिजली और इस प्रकार ब्राह्मणी घाटी में कुल ७,५०,००० किलोवाट बिजली बन सकती है।

वैतरणी में करीब २,५०० वर्ग मील का पानी बहकर आता है। क्योंझर-मयूरभंज क्षेत्र में भीमकुंड गांव से १० मील में यह नदी ७०० फुट नीचे उतर जाती है और इस कारण यहां इसकी धारा बिजली बनाने के उपयुक्त है। भीमकुंड बहुमुखी योजना के अंतर्गत २,७५,००० किलोवाट बिजली बनाने और सिंचाई के लिए बांध बनाने का विचार है। इससे ३ लाख एकड़ में सिंचाई होगी।

बांध महंगे नहीं होंगे

मध्य भारत की नदियों के बारे में पूरी जांच-पड़ताल से पता चलता है कि इनके बांधों आदि पर खर्च बहुत अधिक नहीं बैठेगा, बल्कि इनसे होने वाले लाभ को देखते हुए इन्हें सस्ता ही कहा जाएगा।

पुनास योजना से ७ लाख ३० हजार किलोवाट बिजली बन सकती है और १८ हजार घनफुट प्रति सेकिंड के प्रवाह वाले पानी का सिंचाई के लिए उपयोग हो सकता है। इसके अलावा, नाव चलाने की जो सुविधा हो जाएगी, वह अलग। पुनास के नीचे के बांध काफी नीचे होंगे, इसलिए ये काफी सस्ते में बन जाएंगे। इस प्रकार नर्मदा की योजनाओं में खर्च अपेक्षाकृत काफी कम रहेगा।

ब्राह्मणी पर कोयल-कारो नदियों के बारे में इस समय काफी जांच-पड़ताल की जा रही है और बिहार के अधिकारियों ने हिसाब लगाया है कि यहां प्रति किलोवाट बिजली प्राप्त करने के लिए १,५०० रु० खर्च होगा।

भू-गर्भी जल-भंडार

पानी—मीठा पानी—अत्यन्त मूल्यवान है। आज संसार के लगभग सभी देशों में पानी की कमी अनुभव की जा रही है। ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें मौसम के अनुसार अथवा सदा ही पानी की तंगी बनी रहती है। अपने देश के विभिन्न भागों में गर्मी के दिनों में कुएं और जल स्रोते सूख जाते हैं, जिससे मनुष्यों को बहुत कष्ट भोगना पड़ता है और हजारों पशु मर जाते हैं।

आर्थिक विकास की आरम्भिक अवस्थाओं में सिंचाई के लिये जो पानी उपयोग में लाया जाता है, उसकी मात्रा अन्य काम में आने वाले जल से अधिक होती है। पर ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, इसमें वृद्धि नहीं होती। उद्योगों की विभिन्न क्रियाओं में पानी की जो मात्रा इस्तेमाल की जाती है, वह औद्योगीकरण की प्रगति के साथ-साथ तेजी से बढ़ती है और अंत में सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मात्रा से भी अधिक हो जाती है। हिसाब लगाया गया है कि आज संसार में प्रत्येक मनुष्य के पीछे ६०० घन मीटर पानी प्रति वर्ष अथवा १,८०० लिटर पानी प्रति दिन इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पर संयुक्त राज्य अमरीका ही अकेला देश है, जहां पानी का वास्तविक उपयोग इस मात्रा से अधिक हो रहा है। पानी के पुराने स्रोत मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं, इसीलिए संसार के सभी देशों में पानी के नये स्रोत खोज निकालने के लिए बहुत प्रयत्न किया जा रहा है।

पिछले दिनों झरनों, नदियों और झीलों के पानी को इस्तेमाल करने और धरती के भीतर के स्रोत से पानी निकालने के अतिरिक्त ऐसे उपाय निकाले गये हैं, जिनके द्वारा समुद्र से मीठा पानी तैयार किया जा सकता है और बादलों से ५-१५ प्रतिशत अधिक वर्षा प्राप्त की जा सकती है। पर इन दोनों उपायों की सीमायें हैं। समुद्र से मीठा पानी तैयार करने का काम इतना मंहगा है कि उसे इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता; और बादलों को "दुहने" से अतिरिक्त वर्षा ऐसे क्षेत्रों पर हो सकती है, जहां अधिक पानी की आवश्यकता न हो।

नया ज्ञान और नया शिल्प

अभी हाल तक पानी के संचय और इस्तेमाल करने के संबंध में यही सम्भव समझा जाता था कि नदी-घाटियों का विकास किया जाए। इसका अर्थ यह होता था कि जिन सूखे रेगिस्तानी क्षेत्रों में नदियां नहीं हैं उनका भी विकास नहीं हो सकता और उनका भविष्य सदा अंधकारमय रहेगा। पर मनुष्य की प्रतिभा और उसकी शिल्पिक प्रगति शांत बैठने वाली नहीं है। पिछले कुछ दशकों में, धीरे-धीरे, धरती में छेद करने तथा दूसरी भूगर्भिक क्रियाओं से भूतल के नीचे के पानी के बारे में जानकारी और सूचनाएं इकट्ठी होती रही हैं।

यूगोस्लाविया, आस्ट्रिया और इटली की सीमाओं के कार्स्ट क्षेत्र में, जहां नदियां पृथ्वी के भीतर समा जाती हैं, धरातल के नीचे अनेक गुफाओं का पता चला है। इन गुफाओं में भूगर्भीय जल का निरीक्षण किया जा सका है।

विशेष जल भण्डार

पृथ्वी के गर्भ में जल के ऐसे भंडारों का पता चला है, जो समझा जाता है कि पृथ्वी के इतिहास के हिमयुग के अंतिम कालों में, आज से १०-१०० हजार वर्ष पहले, बने थे। पृथ्वी के धरातल के ऊपर इस प्रकार के पुरातन "फासिल" जल के अवशेष उत्तरी अमरीका की झीलें हैं। यह अनुमान किया जाता है कि पृथ्वी के नीचे पानी के ये भंडार पृथ्वी के ऊपर के पानी के भंडार से ५-१० गुने बड़े हैं।

भूगर्भीय जल के भंडार, ऊपर की नदियों और मीठे पानी के भंडारों को मिलाकर भी उनसे बहुत अधिक विशाल हैं। प्रतिवर्ष जो पानी आता-जाता है, उसके कारण उनके तल में बहुत थोड़ा परिवर्तन होता है। यदि कई वर्ष लगातार सूखा पड़ता रहता है तो नदियों का पानी बहुत अधिक घट जाता है। पर "भूगर्भी" जल-भंडार, माध्यम आकार के भी, जल्दी जलहीन नहीं होते। सूखे के दिनों में भूगर्भी पानी अपनी मात्रा की अति विशालता और गति की मन्दता के कारण नदियों के जल का मुख्य स्रोत होता है। वास्तव में नदियों में जो जल बहता है, उसका एक-तिहाई से अधिक भूगर्भी जल स्रोतों से आता है।

धरती के भीतर का पानी बहुत सी चट्टानी बनावटों में होकर छनता है। इसलिए वह अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। इसके इस्तेमाल से जलवाहित बीमारियों के फैलने का खतरा नहीं होता। उसमें जो खनिज पदार्थ घुले होते हैं, अधिकांश दशाओं में वे मनुष्य, पशु, पौधों और धरती के लिए लाभकारी होते हैं। जिस धरती की सिंचाई भूगर्भी जल की जाती है, उसे नदी सिंचित धरती की अपेक्षा कम खाद की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय है कि ऐसे ही पानी के इस्तेमाल से मनुष्य को यह पता चला कि क्लोरीन मनुष्य के दांतों के लिए लाभकारी है और उनकी रक्षा करती है। इस ज्ञान का उपयोग अब बहुत से देशों में किया जा रहा है। वहां पानी के पीने में क्लोरीन अलग से मिलायी जाती है।

पृथ्वी के नीचे भूगर्भी जल सागर केवल ध्रुव के निकट के अतिरिक्त और कहीं नहीं जमता। गर्म देशों में वह गर्म नहीं होता। इस कारण नदियों में निकाले गये पानी को गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती और गर्मियों में निकाला गया पानी ठण्डा करने के काम में लाया जा सकता है। भूगर्भी जल-भण्डार वायुमंडल के सम्पर्क में नहीं आते। परमाणु युग में यह महत्वपूर्ण बात है। यह पानी वायुमंडल में उपस्थित परमाणु कणों से बचा रहता है और परमाणु शक्ति उत्पादक उपकरणों को शीतल करने के काम में लाया जा सकता है। इन भण्डारों पर हवाई हमलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनका पानी उड़ने के कारण छीजता नहीं। यदि पानी का स्तर ऊंचा उठ जाता है तो पम्प से पानी निकालकर उसे इच्छानुसार नीचा किया जा सकता है।

यदि इन भूगर्भी जल-भण्डारों में पानी कम हो जाता है तो उन्हें धरातली पानी से भरा जा सकता है। सूखे रेगिस्तानी क्षेत्र में बाढ़ के पानी को धरती के भीतर इस प्रकार भर कर उसे भावी उपयोग के लिए रखा जा सकता है। आर्थिक और इंजीनियरिंग दृष्टि से भी जल

के भूगर्भी संचय में लाभ है। धरातल-जल उपयोग की बहुत सी योजनाएं, विशेषतया बांध, उस समय तक लाभकारी नहीं हो सकतीं, जब तक कि वे बिलकुल पूरी नहीं हो जातीं और जब वे पूरी हो जाती हैं, तो अचानक बहुत सा पानी प्राप्त हो जाता है, जिसके पूर्ण उपयोग में काफी समय लगता है। भूगर्भी जल का उपयोग धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता है।

जल के ये भूगर्भी भंडार पृथ्वी पर से दिखायी नहीं देते। इसलिए उन्हें खोजना होता है। इस काम के लिए मनुष्य ने कुदाल की टहनी से लेकर इलैक्ट्रोनिक पेंडुलम तक अनेक उपकरण बनाये हैं और वह उनका उपयोग करता है। पानी के खोजने का काम बहुत कुछ जमीन में पैट्रोलियम के खोजने के काम के समान है। दोनों की खोज में जो भौतिकी और भौतिक सिद्धांत काम में आते हैं, वे एक ही हैं। तेल की खोज में उसकी गहरी स्थिति (३,०००-७,००० मीटर) के कारण धरातल-कम्पन और धराकर्षण विधियां इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि पानी (५००-१,५०० मीटर) की खोज में भू-विद्युतीय रीतियां काम में लायी जाती हैं। ये रीतियां अनेक तरह से इस्तेमाल की जा सकती हैं तथा सस्ती और सरल हैं। भूगर्भी जल-भंडार का काफी पूर्ण चित्र भौतिकी तिथि निश्चयन, भूरसायन, सूक्ष्मदर्शन, विद्युतीय लागिंग और दूसरी तरकीबों के साथ धरातली छानबीन और भूभौतिकी खोज से मिली जानकारी को मिलाकर तैयार किया जाता है।

बीरशेवा के कुएं

पिछली दो पीढ़ियों में नल धंसाने और पानी निकालने के पम्प लगाने के उल्लेखनीय शिल्पों में प्रगति हुई है। यरूशलम के दक्षिण बीरशेवा के क्षेत्र में ६०० मीटर गहरे नल कुएं बनाये गये हैं और २००-२५० मीटर गहरे जल-स्तर से १००-५०० घन मीटर पानी प्रति घंटे निकालने का प्रबन्ध किया गया है। धरती के ऊपर आकर इस पानी की जो लागत पड़ती है, वह इतनी कम है कि इस पानी को शहरी और औद्योगिक कामों के अलावा, सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि मनुष्य को भूगर्भी पानी काफी मात्रा में प्राप्त हो जाए, तो पृथ्वी के वे अधसूखे क्षेत्र, जहां कृषि की लगभग आदर्श परिस्थितियां उपस्थित हैं, खाद्य और औद्योगिक फसलों से लहलहा सकते हैं। आजकल मनुष्य की जल-आवश्यकताओं का ९० प्रतिशत भाग धरातली जल साधनों से पूरा किया जा रहा है। ये साधन पृथ्वी पर प्राप्य मीठे पानी के सम्पूर्ण साधनों के अधिक से अधिक लगभग २० प्रतिशत हैं।

सन् १९५५ की फरवरी में नयी दिल्ली में भूभौतिकी के केन्द्रीय बोर्ड और नेशनल इंस्टीट्यूट आफ साइंसेज ने भारत के भूगर्भी जल-स्रोतों के विषय में एक गोष्ठी की थी। जल की उपस्थिति के विषय में विभिन्न क्षेत्रों की चट्टानों की बनावटों और स्थितियों से अनुमान लगाया जाता है। नदी-तलछट से बनी घाटियों (जैसे गंगा का मैदान) और टरशरी तथा जूरा-क्रिटेशस रेतिया पत्थर के क्षेत्रों (जैसे सौराष्ट्र और राजस्थान) में नलकुएं बनाने के लिए काफी पानी मिल सकता है। दक्षिण के समुद्री किनारे पर और हिमालय की तलहटी में भी ऐसा भूगर्भी पानी होने की संभावना है, जो कुओं द्वारा निकाला जा सकता है। पर भारत का तीन चौथाई से अधिक भाग कठोर चट्टानी बनावटों से निर्मित है। ऐसे क्षेत्रों में पानी की जो मात्रा मिलती है, वह साधारणतया कम होती है।

भूगर्भी पानी का उपयोग, सर्वेक्षण और खोजबीन के बाद ही किया जा सकता है। इस काम के लिए भारत सरकार ने एक स्थायी भूगर्भी जल साधन कमेटी (ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कमेटी) बनायी है। यह कमेटी विभिन्न राज्यों के जल साधनों के सम्बन्ध में सूचनाएं इकट्ठी करती है और आगे का कार्यक्रम बनाती है। देश की बढ़ती हुई पानी की मांग को पूरा करने के लिए यह स्वाभाविक ही है कि सरकार और विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा मिलजुल कर सभी प्रकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रयत्न किये जाएं।

ग्रामदान और सामुदायिक विकास

"संसार में केवल भारत ही एक ऐसा देश है, जहां जनतन्त्रीय शासन के अंतर्गत देश के योजनाबद्ध विकास का प्रयत्न चालू है" ये शब्द आयोजन आयोग के सदस्य श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल ने एक लेख में कहे हैं।

आपने आगे कहा है कि "अभी तक इस प्रकार का प्रयोग रूस और पूर्वी यूरोप के कुछ देशों ने किया है। चीन ने भी हाल में रूस के नमूने पर अपने यहां आर्थिक आयोजन आरम्भ किया है। जहां तक पश्चिमी यूरोप के देशों का सवाल है वहां कुछ-कुछ क्षेत्रों में तो योजना बनायी गयी, परन्तु राष्ट्र के सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। अमेरिका में संसारव्यापी आर्थिक मंदी के बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने उस संकट का सामना करने के लिए विशेष कानून बनाकर प्रयत्न किया। ब्रिटेन में लार्ड बीवरेज ने सामाजिक सुरक्षा की योजना बनायी। परन्तु यहां राष्ट्र जीवन के सभी पहलुओं के एकसाथ विकास के लिए सिलसिलेवार आयोजन किया गया।

"देश की प्रथम पंचवर्षीय आयोजना अत्यन्त सफल रही। इतना ही नहीं, कहीं-कहीं तो इसके निर्धारित लक्ष्यों को भी पार किया गया। अब दूसरी पंचवर्षीय आयोजना चालू है और तमाम कठिनाइयों के के बावजूद, उसे पूरा करने के लिए राष्ट्र कटिबद्ध है।

भूदान आन्दोलन

आचार्य विनोबा भावे महात्मा गांधी के रचनात्मक काम करने वाले महान शिष्य हैं। उन्होंने सात साल पहले भूदान आंदोलन आरम्भ किया और अनेक गांवों की पैदल यात्रा करके लगभग ४५ लाख एकड़ भूमि प्राप्त की। भूदान आंदोलन में किसी पर जुलुम-जबरदस्ती नहीं की जाती। जनता ने अपनी इच्छा से अपनी भूमि का दान दिया है। भूदान के बाद ग्रामदान आंदोलन हुआ। ग्रामदान में किसी गांव के लोग

गाव की सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा विषयक उन्नति के लिए अपने समस्त साधनों जैसे भूमि आदि को इकट्ठा कर लेते हैं। इन साधनों पर फिर व्यक्ति का नहीं पूरे गाव का अधिकार हो जाता है। उसका यह मतलब नहीं कि इस प्रकार गाव की सारी भूमि का एक अविभाज्य खण्ड बना लिया जाता है। गाव-पंचायत कुछ जमीन उन परिवारों को दे डालती है, जो भूमिहीन होते हैं। इन परिवारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे वहां सहकारी ढंग पर खेती आदि करें और जहां तक सम्भव हो हर काम मिल-जुल कर करें। ग्रामदान भी अपनी इच्छा से किया जाता है। इसमें लोगों को इस बात के लिये प्रेरित किया जाता है कि वे स्वावलंबन और सहयोग के जरिये अपनी उन्नति आप ही करें।

सामुदायिक विकास योजना पर विनोबा जी के इस आंदोलन का बहुत प्रभाव पड़ा है। इन दोनों योजनाओं को मिला कर, ग्रामोन्नति का एक कार्यक्रम बनाने का प्रयत्न किया जा चुका है। पिछले साल येलवाल (मैसूर) में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें इस बात की चर्चा हुई और इन दोनों कार्यक्रमों को मिलाने का मार्ग प्रशस्त किया गया। सामुदायिक विकास मंत्रालय ने ग्रामदान आंदोलन के मुख्य उद्देश्यों को स्वीकार कर लिया है और भूदान और ग्रामदान कार्यकर्त्ताओं की सहायता से गांवों में जन-जागरण का काम किया जा रहा है।

स्वावलम्बन की भावना

"अब यह अनुभव किया जाने लगा है कि यदि प्रायोजनाओं को सफल बनाना हो तो जनता में स्वावलम्बन की भावना पैदा करना नितान्त आवश्यक है। जब तक गांव गाव और मोहल्ले-मोहल्ले में लोग अपनी उन्नति के लिए आप ही प्रयत्न नहीं करते, तब तक पंचवर्षीय आयोजना और बड़ी-बड़ी विकास योजनाओं को पूरा करना शायद ही संभव हो। या यों कहिये कि यदि किसी जनतन्त्री देश का योजनाबद्ध विकास करना हो तो उसकी जनता का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करना जरूरी है। भारत के संविधान में गावों और पंचायतों को शासन और आयोजन का बुनियादी आधार माना गया है। विनोबा जी के आंदोलन से इस महत्वपूर्ण बात की ओर सब का ध्यान आकर्षित किया गया है। उसका यही प्रयत्न है कि प्रत्येक गाव आत्मनिर्भर बनाया जाय, ताकि वह एक दूसरे के साथ इस प्रकार सहयोग करें, जिससे राष्ट्र के समस्त भौतिक साधनों और जन-शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग किया जा सके। उनमें इतनी क्षमता निर्माण की जाय, जिससे वे अपनी उन्नति का कार्यक्रम आप ही बनायें और हर बार सरकार का मुंह न जोहें। आरम्भ में सरकार ने सामुदायिक विकास का कार्यक्रम बनाया और लोग उसमें शामिल हुए। अब उसे "जनता का कार्यक्रम" बनाया जा रहा है और सरकार उसमें केवल सहायता, सहयोग और सामान्य मार्गदर्शन के लिए भाग ले रही है। परन्तु कोशिश यही है कि सच्चे अर्थ में यह कार्यक्रम जनता का हो, जनता के लिए हो और उसी के द्वारा सम्पन्न किया जाय।

"आचार्य विनोबा जी को विभिन्न राज्यों में ग्रामदान में लगभग ५,००० गाव मिले हैं। इनमें से बहुत से गावों में अखिल भारतीय सर्व-सेवा संघ ने भरपूर रचनात्मक कार्य शुरू कर दिया है। इस प्रकार और गावों में भी काम आरम्भ करने की योजना है। सामुदायिक विकास मन्त्रालय इस काम में ग्रामदान कार्यकर्ताओं की हर तरह से सहायता कर रहा है। देश के सभी राजनैतिक दलों ने इस क्रांतिकारी आंदोलन की सहायता करने की शपथ ली है। आशा की जाती है कि ग्रामदान और सामुदायिक विकास आंदोलन आपसी सहयोग से अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल होंगे। इससे देश की भलाई तो होगी ही, परन्तु संसार के सामने राष्ट्र विकास का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया जायगा,"

विविध

थोक भावों के उतार-चढ़ाव की साप्ताहिक समीक्षा

६ सितम्बर १९५८ को समाप्त सप्ताह

इस सप्ताह में थोक भावों का सूचकअंक (मार्च १९५३ को आधार = १०० मानकर) पिछले सप्ताह के सूचक अंक ११६.३ (संशोधित) से बढ़कर ११६.४ हो गया। इस सप्ताह का सूचक अंक पिछले महीने के इसी सप्ताह के सूचक अंक से ०.७ प्रतिशत और पिछले साल के इसी सप्ताह के सूचक अंक से ५.८ प्रतिशत अधिक रहा।

१३ सितम्बर, १९५८ को समाप्त सप्ताह

इस सप्ताह में थोक भावों का सूचक अंक (मार्च १९५३ को आधार = १०० मानकर) पिछले सप्ताह के सूचक अंक ११६.६ से ०.२ प्रतिशत बढ़कर ११६.८ हो गया। इस सप्ताह का सूचक अंक पिछले महीने के इसी सप्ताह के सूचक अंक से ०.८ प्रतिशत और पिछले साल के इसी सप्ताह के सूचक अंक से ६.७ प्रतिशत अधिक रहा। या जानकारी भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार की एक विज्ञप्ति में दी गयी है।

२० सितम्बर, १९५८ को समाप्त सप्ताह

इस सप्ताह में थोक भावों का सूचक अंक (मार्च १९५३ को समाप्त वर्ष को आधार = १०० मानकर) ०.२ प्रतिशत गिरकर ११६.७ रह गया। पिछले सप्ताह यह सूचक अंक ११६.९ (संशोधित) था। यह सूचक अंक पिछले महीने के इसी सप्ताह से ०.६ प्रतिशत और पिछले साल के इसी सप्ताह के सूचक अंक से ६.३ प्रतिशत अधिक रहा।

२७ सितम्बर, १९५८ को समाप्त सप्ताह

इस सप्ताह का सूचक अंक ०.३ प्रतिशत गिरा। पिछले सप्ताह यह सूचक अंक ११६.४ (संशोधित) था। यह सूचक अंक पिछले महीने के इसी सप्ताह के सूचक अंक से ०.२ प्रतिशत कम है, किन्तु पिछले साल के इसी सप्ताह के सूचक अंक से ६.७ प्रतिशत अधिक है।

१. औद्योगिक उत्पादन*

[१] बुनाई उद्योग

वर्ष	१ सूत (लाख पौंड)	२ सूती कपड़ा (लाख गज)	३ [क] जूट का माल (००० टन)	४ [ख] ऊनी माल (धागा) (००० पौंड)	५ पट्ट (टन)
१९५०	११,७४८	३६,६४८	८३५.३	१८,०००	५२०.०
१९५१	१३,०४४	४०,७१४	८७४.८	१७,७००	६७५.३
१९५२	१४,४६६	४५,९८४	९५१.६	१६,५८४	७०९.३
१९५३	१५,०३०	४८,७८०	८६८.८	१६,२४८	७५८.४
१९५४	१६,३१२	४९,९८०	९२७.३	१६,६५६	८४०.०
१९५५	१६,३०८	५०,९४०	१,०२७.२	२०,७००	८२५.३
१९५६	१६,७२६	५३,०७३	१,०६३.२	२५,४४०	८१४.८
१९५७	१७,८०१	५३,१०४	१०२६.६	२७,७६२	७१३.८
१९५७ सितम्बर	१,५०६	४,४३७	८३.०	२,६३०	४५.७
अक्तूबर	१,४२४	४,१५४	८३.५	२,५८१	५४.२
नवम्बर	१,४६१	४,३१५	९१.६	२,६४२	६०.३
दिसम्बर	१,५२७	४,३८२	९२.८	२,६५६	७०.७
१९५८ जनवरी	१,४८७	४,३३५	९८.३	२,२६३	५७.६
फरवरी	१,३२६	३,९१४	८५.३	२,१६४	६३.९
मार्च	१,३८५	४,०५३	८५.३	२,५४४	७४.७
अप्रैल	१,३४२	४,०७८	८८.०	२,०५८	६७.३
मई	१,३८७	४,२१३	९४.६	२,३५०	५७.१
जून	१,२३१	३,८८३	८२.४	२,४२७	५१.३
जुलाई	—	...	८६.८	२,४१७	६५.८
अगस्त	...	...	...	...	—

[क] जनवरी १९४९ से ये आंकड़े इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन के सदस्य मिलों तथा एक गैर सदस्य मिल के उत्पादन के सम्बन्ध में हैं। [ख] इसमें जम्मू और काश्मीर के आंकड़े भी सम्मिलित हैं।

[२] लोहा और इस्पात

वर्ष	६ कच्चा लोहा (००० टन)	७ सीधी ढलाई (००० टन)	८ लौह मिश्रित धातु (००० टन)	९ इस्पात के पिण्ड और ढलाई (००० टन)	१० अधूरा तैयार इस्पात (००० टन)	११ तैयार इस्पात (००० टन)
१९५०	१,५६२.४	९८.४	१८.०	१,४३७.६	१,२४२.४	१,००४.४
१९५१	१,७०८.८	६२.४	२४.०	१,५००.०	१,२४६.२	१,०७३.४
१९५२	१,६८४.८	१२६.३	४०.८	१,५७८.०	१,३०८.०	१,१०२.८
१९५३	१,६५४.८	११५.२	७.२	१,५०७.२	१,२३०.०	१,०२३.३
१९५४	१,७६२.८	१२७.२	४०.८	१,६८४.८	१,४५२.०	१,२४३.२
१९५५	१,७५३.८	१२३.०	१२.०	१,७०४.०	१,४५६.८	१,२३०.०
१९५६	१,८०७.२	१२२.४	२८.८	१,७३७.६	१,४८४.४	१,३१३.४
१९५७	१७८६.२	१२२.८	६.३	१,७१४.८	१,५४०.०	१,३४३.४
१९५७ सितम्बर	१४३.६	८.०	०.३	१४४.३	१२३.५	११२.५
अक्तूबर	१५४.५	८.६	०.३	१५०.४	१११.३	१०८.७
नवम्बर	१५३.३	११.७	०.७	१४३.२	११८.८	११३.४
दिसम्बर	१६०.२	७.८	३.२	१५५.७	१२४.२	११५.७
१९५८ जनवरी	१६२.३	७.५	५.०	१३५.५	१३३.५	११३.८
फरवरी	१५६.८	५.३	४.६	१४३.३	१२७.५	१०८.३
मार्च	१६०.८	५.४	५.१	१५१.१	१२८.८	११५.६
अप्रैल	१६८.४	६.८	१.१	१५७.१	१२५.२	१११.२
मई	१२८.७	८.०	०.५	१००.४	८५.७	८७.८
जून	१५५.०	४.६	०.७	१३४.७	११७.०	९७.३
जुलाई	...	...	...	...	...	...
अगस्त	...	—	...	—	—	...

* नवीन रिपोर्टों के अनुसार इन अंकों में संशोधन हो सकता है।

स्रोत—(१) १९५० से १९५६ और सितम्बर ५७ से जुलाई ५८ तक के आंकड़े :—औद्योगिक अंक-संकलन निदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित 'भारत में चुनी हुई वस्तुओं के उत्पादन के मासिक आंकड़े' नामक पुस्तक से।

(२) अगस्त १९५८ के आंकड़े :—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की विकास शाखा, नयी दिल्ली से।

१. औद्योगिक उत्पादन

[३] धातु-उद्योग

वर्ष	१२ लकड़ी के पेच (००० ग्रोस)	१३ मशीनी पेच (००० ग्रोस)	१४ रेज़र ब्लेड (लाख)	१५ हरीकेन लालटेनें (०००)	१६ गैस के लैम्प (०००)	१७ तामचीनी का सामान (००० संख्या)	१८ जालियां (टन)	१९ इन्फिलेटर (संख्या)
१९५०	७०१.२	२५६.९	१०९.८	२,८०९.८	१८.४	५,४४५ ३	२,१४८	७६६
१९५१	७६६ ८	२२७.२	२२६.२	३,६७३.८	३२.४	८,३१० ०	१,८३६	१,५६०
१९५२	१,११६.६	१४७ ३	१०८.०	३,५२३.२	३४.८	७,६६० ८	२,०१६	१,०२०
१९५३	२,५७१.६	१३८.०	२११.३	४,३१२.८	३०.०	६,४८३.६	१,६५६	११४
१९५४	५,१६७.२	२१६.२	१,३१४.०	४,६८७.२	३७.२	१४,६७७.२	२,४१२	१,११८
१९५५	६६६२.४	३४०.८	१,७४९ ०	५,४८७.६	५८.८	१५,७१६.४	२,३२८	२,०८८
१९५६	७,७१४.८	१,२०८.०	२,६५२.०	५,२७६.२	८४.०	१५,४९३.०	१,४३३	२,७८४
१९५७	८,३७२.४	२,६६०.२	३,३६४.८	४१४८.४	६८.४	१३,९५६.०	१,५५२	२,८६८
१९५७ सितम्बर	६६५.६	१४०.२	१८५ ७	३६०.८	२ ३	२,१६५.३	१८६	६८
अक्तूबर	६७२ ४	२२४.४	१८६.०	२४०.८	५.५	१,०२३.१	१११	२७१
नवम्बर	६४४.८	१३०.८	२३८ ३	२६७ ७	३ २	१,३२४.७	३५६	३७०
दिसम्बर	९११.१	१२०.४	२१०.३	२७१.६	१० ०	१,२४९.५	२११	३१६
१९५८ जनवरी	६७४ १	१४८ ३	२३८ ८	२८५ ३	६.५	१,६६६.०	८६	३१४
फरवरी	५५३.२	१५४.४	२८४ ७	१७३.४	७ ३	१,३५८.२	९२	२८३
मार्च	६१२.५	१६६.६	२६६ ६	२५७ ६	६.८	१,२४३.१	२३६	२०६
अप्रैल	६७५.७	१७५.०	३११.१	३६५.९	७ ८	१,३४५.८	५८	२८३
मई	६२८.४	१५१.५	२८७.८	३१०.०	७ ३	१,४२२.२	११	३२५
जून	५०५.०	१४६.२	२५५.२	२८६.७	५.३	१,३१७ ६	११	२८४
जुलाई	५०१.८	१४० ८	३११.६	३२१.६	५.६	१,४६५.९	१६	३८३
अगस्त	...	...	—	...	—	—	...	—

[४] मशीनें (बिजली की मशीनों के अतिरिक्त)

वर्ष	२० डीज़ल इंजिन (संख्या)	२१ शक्ति चालित पम्प (०००)	२२ सिलाई की मशीनें (ग) (संख्या)	२३ मशीनी औज़ार (मूल्य ००० रुपये)	२४ ट्विस्ट ड्रिल्स (०००)	२५ कोलिको करघे (संख्या)	२६ रिंग स्पिनिंग फ्रेम (पूर्ण) (संख्या)	२७ सान रखने के चक्के (००० पौंड)	२८ बुनाई की मशीनें घूमने वाली चपटी (संख्या)
१९५०	४,५६३	३०.०	३०,८८८	२,३६०.४	४४५.२	...	...	५००.४	...
१९५१	७,२४८	४०.८	४४,४६०	४,७३० ४	१,०१७.३	२,५०८	२७३	७०८.०	...
१९५२	४,२४८	३२ ४	५०,०४०	४,४३७ ३	७७५.२	२,३०४	२८८	८३५.२	१०८
१९५३	३,७२०	२५.२	६२,४२४	४,४०७.३	३३४.८	२,४२४	२०४	८०७.३	१६१
१९५४	८,६५२	२८.८	८०,२६६	५,००२.८	५३८.८	१,८८४	३६०	१,२३४.०	४६१
१९५५	१०,३२४	३४.८	१,०१,४७२	७,४४०.०	७७८.८	२,७६६	८६४	१,४३८.८	३००
१९५६	११,६४०	४३ ८	१,३०,३६२	८,२०२.८	१,५४६.२	२,८६८	१११६	२,४७८.०	७३२
१९५७	१६,५१२	३३ ३	१,६६,६३०	१५,००६ ८	२,२५८.४	३,८६८	१३६८	३,३१३.८	१०२०
१९५७ सितम्बर	१,४५३	५ ३	१३,७८६	२३४१.४	२४६.०	२०४	२१५	१६५.४	६५
अक्तूबर	१,७१३	४.६	८,५५८	२१३६.४	१६३ ३	२६३	३२	११८.०	५१
नवम्बर	१,६४३	५ ६	१७,०२८	२६३०.७	२२३ ८	२२४	१०३	२४७ ३	१०६
दिसम्बर	१,७४१	३.५	१७,७८०	३४७३.०	२२२ ५	१६१	१०६	२३५.३	१३०
१९५८ जनवरी	२,०५५	३.०	१७,०६२	३६९३ ६	२१८.२	१७७	६८	२४४ ३	१२३
फरवरी	१,६५१	३ ३	१५,६१०	३५९५.२	२०७ ८	१७२	७२	१८३.७	१११
मार्च	२,८३७	३ ५	१३,७१४	४१०१.१	२६० ०	२११	३३	२२१.८	११६
अप्रैल	१,७११	३.८	१७,२८७	२५३३.३	११० २	२०६	७०	२११ ६	८४
मई	२,०४५	७.३	१८,४८८	२४७३ ८	६३ ८	२३६	११	२१६ ७	१००
जून	१,८४८	६.२	१६,५३६	२५३६ ४	११८.८	१८०	५६	२०३ ६	१०५
जुलाई	८१६	४.६	१७,५६५	११७४.४	१३५.७	३६६	६६	२४०.३	८७
अगस्त	---	...	—	—	...	...	—	...	—

[ग] वास्तविक उत्पादन, स्थापित उत्पादन क्षमता से काफी अधिक है। इसका कारण यह है कि स्थापित क्षमता की गणना एक पाली के आधार पर की गयी है और एक कारखाना एक से अधिक पालियां चला रहा है।

१. औद्योगिक उत्पादन

[५] अलौह धातुएं

वर्ष	२९ अलूमीनियम (टन)	३० सुरमा (टन)	३१ तांबा (टन)	३२ सीसा (टन)	३३ अलौह धातुओं के मल (टन)	३४ सोना (औंस) [घ]
१९५०	३,६६६.४	३७५.६	६,३१४.४	९२७.६	३११.२	१,९९,६९०
१९५१	३,८४८.४	३२७.६	७,०८३.६	८५६.२	२४८.४	२,२६,३३८
१९५२	३,५६६.४	२८१.२	६,०७९.२	१,१११.६	३७०.८	२,५३,२६०
१९५३	३,७५८.४	१९०.८	४,९२०.०	१,९६४.६	३१७.६	२,३३,०१०
१९५४	४,८८६.४	५३८.८	७,२९१.६	१,७८८.०	१८३.०	२,४०,७०८
१९५५	७,२२५.२	५०४.०	७,९८१.६	२,२३४.४	१४३.२	२,१२,४६४
१९५६	६,५००.४	५८९.२	७,६१८.४	२,४९७.२	१६६.६	२,०३,०८८
१९५७	७,७७१.२	५०१.९	७८४८.०	३,२०४.०	९६४.८	१,७९,११९
१९५७ सितम्बर	६५४.६	४५.०	६५५.०	९५०.०	३२.०	१४,४२७
अक्तूबर	६८७.०	४५.०	६७२.०	९१७.०	१४.३	१४,४७४
नवम्बर	६९३.०	४७.०	६७०.०	२७२.०	१४.७	१४,२७६
दिसम्बर	६१०.६	४८.१	७००.०	३१३.०	२७.०	१४,९७३
१९५८ जनवरी	७०३.३	३०.०	३०२.०	२७५.०	१८.१	१४,८२५
फरवरी	६२५.८	४०.०	६५५.०	२८८.०	२५.०	१५,२५७
मार्च	६८५.३	५४.०	७१०.०	४०७.१	२४.६	१४,४७२
अप्रैल	६६३.०	३६.०	६८२.०	१९२.०	२१.६	१३,११०
मई	७१०.६	५४.०	६६६.०	२५६.५	२०.८	१२,३०३
जून	६८६.०	५६.०	६६५.०	११८.१	२६.२	१३,८६६
जुलाई	६६२.६	४५.०	६६२.०	२८८.०	—	१३,८४२
अगस्त	७०१.२	५४.३	६३०.०	३०६.०	...	...

[घ] १९४८ से हैदराबाद में हुए सोने का उत्पादन भी इन आंकड़ों में सम्मिलित है।

[६] बिजली उद्योग

वर्ष	३५ उत्पादित बिजली [क] (लाख किलोवाट प्रति घण्टा)	३६ बिजली ले जाने की नलियां (००० फुट)	३७ सूखे सेल (लाख)	३८ संग्रह की बैटरी (०००)	३९ बिजली के मोटर (००० हार्स पावर)	४० बिजली के ट्रान्सफार्मर (००० के.वी.ए.)	४१ बिजली की बत्तियां (०००)
१९५०	५१,०७२	२,६९९.४	१,३८१.२	१८७.२	८१.६	१७१.९	१४,३०४
१९५१	५८,५८४	३,६९६.६	१,४३४.०	२२२.४	१४२.८	१६५.९	१५,५११
१९५२	६२,२००	३,६९४.८	१,३०२.०	२५८.४	१५७.२	२१४.८	२०,८८०
१९५३	६६,२७६	३,७१५.२	१,४८४.४	१७९.४	१९२.०	३०८.४	१६,७६६
१९५४	७४,४००	५,६८३.२	१,४८९.८	१८८.४	१८७.२	३६६.६	२३,०७६
१९५५	७६,८३६	९,२४८.४	१,९१०.४	२३५.२	२५२.०	५९५.२	२४,२३४
१९५६	८९,२०८	१०,६३२.०	१,८१४.४	३१४.४	३५८.८	६१०.२	३०,७२८
१९५७	१०८,३४८	११,७८२.९	२,९९५.९	३२४.०	४६६.२	१,२१६.२	३३,२४६
१९५७ सितम्बर	६,२२६	८५४.५	२११.६	२९.८	४३.५	११०.४	२६७०.२
अक्तूबर	६,१२३	७०६.८	६७.२	२४.२	३७.७	२०१.२	२४१६.३
नवम्बर	६,२२३	८९६.५	११८.०	२६.२	४३.१	२०९.५	२७८५.४
दिसम्बर	६,४९९	२०३६.३	२३७.१	२८.५	४६.५	११४.०	२९५३.३
१९५८ जनवरी	६,७२४	९५९.५	२३१.८	२३.६	४५.०	१०१.३	२९१२.१
फरवरी	६,२४२	७२८.४	१२६.९	२७.८	४५.१	६७.१	२५६३.७
मार्च	६,९३०	७७०.९	२०६.५	२६.४	५१.८	११३.६	२४९५.७
अप्रैल	६,६९४	८९७.१	१२७.८	२८.४	४६.५	६९.६	२३३०.६
मई	१०,३७६	८८७.५	१४०.९	२६.३	५०.७	८२.८	२९७०.४
जून	१०,०६१	३७१.८	१४६.१	२६.७	४८.६	७८.८	२३८७.७
जुलाई	—	२७१.६	१९४.६	२८.८	६३.८	६७.१	...
अगस्त	—	—	२४४.८	२६.६	५२.६	...	—

[क] इसमें जम्मू और काश्मीर के आंकड़े भी शामिल हैं।

१. औद्योगिक उत्पादन

[६] बिजली के उद्योग (गत पृष्ठ से आगे)

वर्ष	४२ बिजली के पंखे (०००)	४३ रेडियो रिसीवर (संख्या)	४४ तार: तांबे के खुले हुए (टन)	४४ तार: लपेटने के [च] (टन)	४४ तार: रबड़ चढ़े हुए (लाख गज)	४५ घर में लगाने वाले मीटर (संख्या)	४६ घरेलू रेफ्रीजरेटर (संख्या)
१९५०	१११.२	४४,१४०	५,९७६	२५२	११६.३	...	...
१९५१	२१२.४	८२,७८८	६,०००	३००	४११ ३	...	...
१९५२	१९५.३	७१,४६६	५,६२८	३६६	३२८.८	१४,३५६	३००
१९५३	१९९.२	५६,२१८	७,३६८	३१८	४८४.८	८०,३७६	१,१४०
१९५४	२१८.८	५८,३०४	७,५७२	३२४	६२७.३	२,४८,८८४	१,००८
१९५५	२८२.०	८२,२०४	८,४३६	३१२	८११.३	२,५५,३४८	५१८
१९५६	३१८.४	१५०,३००	१०,२३०	७३८	१०५८.०	३,६०,३०४	७५१
१९५७	५२४.४	२६०,२७२	८,५५३	१०२०	१०२८.४	३,६०,५४०	६४८
१९५७ सितम्बर	४५.१	२१,२४६	४२६	६१	१०२.७	२६,८७८	५०
अक्तूबर	३७ ४	११,०४७	७८६	१००	९२.४	२७,३११	६०
नवम्बर	५०.२	१७,१४८	७६१	६२	८१.१	२८,०१७	११४
दिसम्बर	५२.३	२२,७०६	३४०	६८	८१.२	३१,७८७	११८
१९५८ जनवरी	५१.१	२६,९८८	५६४	१०६	२०१.३	३०,००१	८०
फरवरी	५०.७	२४,३५३	५६८	११०	७७ ३	३१,६५१	८०
मार्च	५४.१	२५,७७२	३३६	१२६	१०५ ५	३३,७३३	१५४
अप्रैल	५१.६	२७,४०३	३८३	१३०	७५.४	३५,०३०	६४
मई	५३.७	२५,४१८	७६६	१२१	८१.३	२८,४११	६१
जून	४८.४	२७,९९५	४८८	१५३	६३.८	२७,०४१	१०६
जुलाई	५४ ६	८,१७१	७६५	१५०	१११.४	३१,५७५	१२२
अगस्त	५०.४	१५,८५१	—	१५०	१०६.३	२६,०३३	—

[च] १९५० से १९५३ तक के आंकड़े रबड़ चढ़े केबलों तथा लचीले तारों के ही हैं।

[७] रसायनिक पदार्थ

वर्ष	४७ गंधक का तेजाब (टन)	४८ कास्टिक सोडा (टन)	४९ सोडा ऐश (टन)	५० तरल क्लोरीन (टन)	५१ ब्लीचिंग पाउडर (टन)	५२ बाइक्रोमेट (टन)	५३ सुपर-फास्फेट (टन)	५४ अमोनियम सलफेट (टन)	५५ तूतिया (टन)
१९५०	१,०२,४८०	१०,८४८	४३,७८८	३,९७२	३,३६२	१,९८०	५४,४२८	४७,३०४	४३३
१९५१	१,०६,९३२	१४,७२४	४७,५३२	५,३१८	३,५८८	३,२७६	३१,०२०	५२,७०४	५०४
१९५२	९३,०८४	१७,०६४	४४,३२८	३,२४०	७६२	१,४३४	४३,३५६	२,२०,३०८	३३६
१९५३	१०६,०९२	२२,६०८	५३,८३८	८,१३३	१,९४४	२,५०८	४८,३००	३,१९,३२०	५३३
१९५४	१,५०,८७३	२६,३०४	४८,३८८	९,७८०	२,९२८	३,२४०	१,०५,०६०	३,४०,३२४	८४०
१९५५	२,३३,२००	३४,२४८	७७,२३८	११,५८०	३,७००	२,९२८	७४,११०	३,९३,०६३	१,०४४
१९५६	२,३५,४०८	३६,४२०	८४,२४०	१५,०७२	४३,५३	३,३१४	८६,११८	३,८८,६६२	१,६८०
१९५७	१,६१,२५३	४२,४८०	६२,६२०	१५,३३३	५,३४०	३,३७२	१,४६,३००	३,७६,३५६	१,८८४
१९५७ सितम्बर	२५,३०४	३,११५	३,८५६	१,२८०	५२४	३१०	११,१०४	३०,४२१	१८६
अक्तूबर	२५,८६५	३,३४०	७,७४७	१,३२२	४६४	३३३	११,३१२	३०,६६०	२१५
नवम्बर	१६,४२६	३,३००	७,८१५	१,२५१	५१६	२६८	११,२६३	३५,७४५	२६०
दिसम्बर	१८,५४८	३,६८१	८,३११	१,३१३	३२७	३१४	११,५३०	३०,४२७	२७६
१९५८ जनवरी	३१,९८७	४,०८२	८,६५१	१,२२५	५१६	२१६	११,४३०	३३,५७२	३५८
फरवरी	२७,११६	३,७७१	७,६८६	१,२७५	५०५	३०४	११,३७४	३३,३१५	६३
मार्च	३१,११७	४,२६५	८,३३४	१,६३७	५७०	३१३	२४,७३३	३३,००६	२८३
अप्रैल	३१,११७	४,४३०	९,६१२	१,२८०	५१६	३०४	२२,३५७	३३,५३१	२३३
मई	२८,३४४	४,६३४	७,३१६	१,३६७	४६८	२४३	२४,३७६	३०,२१८	२२३
जून	२७,६२२	४,८५५	३,२३२	१,३८३	३०४	२१८	२३,८४४	२८,४५५	२४६
जुलाई	२६,६९८	५,३०२	४,७४८	१,३४१	३६४	३१५	२७,२४६	३०,२७८	२६६
अगस्त	—	...	५,०३३	...	४८५	—	—	—	—

१. औद्योगिक उत्पादन

[८] रसायनिक उद्योग

वर्ष	५६ रंगलेप और वारनिशें (टन)	५७ दियासलाई [छ] (००० पेटियां) [ज]	५८ साबुन [झ] (टन)	५९ सरेस (हंडरवेट)	६० गैसें धातुओं को जोड़ने की: आक्सीजन (लाख घन फुट)	एसिटिलीन	६१ ग्लिसरीन (टन)	६२ फेनॉल [ञ] फार्मल्डीहाइड का ढलाई के काम का चूरा (००० पौंड)
१९५०	१७,६४८	५११.२	७२,६६६	११,५००	...	...	१,००४	—
१९५१	११,४६२	५७८.४	८६,४११	१४,११२	१,४५१.०	१६८.८	२,४२४	४२६.६
१९५२	११,१७१	६११.२	८६,३७६	१४,६४०	१,६२६.६	३१५.६	२,३२०	६६७.२
१९५३	१२,०५१	६१८.०	८२,३००	१७,०८८	१,८८१.६	१४८.०	२,५०८	८१७.६
१९५४	११,८२१	५२६.२	८७,६६६	१८,१२०	२,१४४.८	४२१.२	२,३८८	१,०५७.२
१९५५	१६,०३१	६१५.६	६६,०००	१६,४६४	२,८२८.४	४७४.०	२,५०८	१,६००.८
१९५६	४१,४२४	५८६.२	१,०६,६०८	२१,८२८	३,२८१.२	५५१.२	२,६१६	२,२०५.६
१९५७	४२,२७६	५७७.२	१,१२,७०४	२५,८१२	४,०१०.०	६४०.८	२,६६४	२,६११.६
१९५७ सितम्बर	३,५००	४७.५	८,४५०	१,८४७	३५७.०	५६.७	१३५	२२६.०
अक्तूबर	३,५५६	४३.८	६,५०१	१,८२२	३६५.८	५२.२	१२८	२२३.१
नवम्बर	४,१६४	५१.३	६,२७३	२,४८६	३७१.६	५६.७	२६७	२१४.८
दिसम्बर	४,०५०	५०.३	६,६०७	२,११६	३७१.६	६३.८	३२१	३६२.४
१९५८ जनवरी	४,०२६	४६.७	१०,२८०	२२,८३	३७६.५	६१.६	२२२	१८८.१
फरवरी	३,६६३	४६.७	६,२००	२,२६६	३४१.४	५७.२	३६३	३६६.५
मार्च	३,८६५	४२.८	८,७६०	२,३६६	३६२.६	५७.८	१८१	२५८.२
अप्रैल	३,८८८	४७.६	६,२३०	२,०७७	३७४.६	५५.६	३१८	२३५.२
मई	५,२७५	५४.४	६,६८१	१,८६६	३७८.७	५५.७	२४१	२४६.३
जून	४,२२४	५०.६	६,२६०	१,७६०	३८३.८	५४.७	२७८	२३४.०
जुलाई	३,८२०	५८.४	६,८४४	१,५५३	४०६.३	६३.६	३०३	२३५.०
अगस्त	—	५७.८	...	...	...	...	—	२४८.५

[छ] इसमें जम्मू और काश्मीर के आंकड़े भी शामिल हैं।
[झ] ये आंकड़े संगठित कारखानों के उत्पादन के हैं।
[ज] ६० तीलियों वाली डिबियों के ५० ग्रोस।
[ञ] जुलाई १९५६ से परिवर्तित।

[८] रसायनिक उद्योग

वर्ष	६३ जिगर का सत: इंजेक्शन (००० घ० सैं०)	खाद्य (००० पौंड)	६४ रेयन (टन): विसकोज धागा	स्टेपल फाइबर	एसिटेट धागा	६५ अलकोहल (००० गैलनों में खुला हुआ): इंजनों में जलाने वाला	शुद्ध स्पिरिट	मिश्रित स्पिरिट	६६ सिलोफियम (००० ली० गज)	६७ प्लास्टिक के सांचे (००० ग्रोस)
१९५०	११,१४५.६	३०१.२	—	—	—	४,४६७.६	३,४१५.६	१,४७७.२	—	—
१९५१	१०,६८२.४	३१६.२	२,०४०	—	—	५,८०६.२	५,०२६.६	१,६६६.८	—	१,४४६.०
१९५२	१०,३७२.८	३१०.८	३,५८८	—	—	७,७४२.४	४,६६८.०	२,१७८.०	१५६.६	१,५५५.४
१९५३	१०,१३८.८	२८४.४	४,३५६	—	—	८,१२०.४	४,३७६.४	२,४६२.६	१६६.२	१,३५७.२
१९५४	१६,७८४.४	२५६.२	४,६४४	३,०८४	—	८,००७.६	४,६३०.८	२,८३५.६	१६६.०	१,३०८.०
१९५५	२४,२४०.२	२६४.०	५,७३६	५,७१२	१०४४	१०,४३२.८	५,१५६.४	२,८८६.२	१२२.८	२,४७८.८
१९५६	२४,१४२.४	२७६.६	७,२६६	७,८४८	१४१६	१०,२४३.२	३,६६६.६	३,३६२.८	१२०.४	३,५०३.६
१९५७	२८,२४०.०	२४७.२	६,३६६	८,००४	१६०८	१०,१३६.४	५,०६४.०	३,४३६.२	१२७.६	३,६६७.२
१९५७ सितम्बर	२,८५६.४	३०.५	८६२	७५४	१३०	५३७.३	४३६.६	२४५.४	४६.७	३०४.८
अक्तूबर	२,१८५.४	२५.०	८३१	५४८	१४३	६३८.१	४११.७	२८१.६	१८.२	३२८.०
नवम्बर	२,३८२.७	१७.७	८६७	४५७	१३४	७७८.३	४२६.२	३०२.६	२०.६	३३१.५
दिसम्बर	२,८८६.४	११.६	६७१	४८२	१२६	६६७.०	५१७.६	३२५.७	२४.३	३३७.५
१९५८ जनवरी	२,४१६.६	२५.६	६६६	३०७	१४०	६५५.४	५३६.६	३४४.७	१६.१	३०६.०
फरवरी	३,१७३.६	२८.३	६२७	६५५	१२५	१,००६.७	४७२.७	२७५.७	२२.०	३६६.७
मार्च	३,७६१.०	२५.४	१,०५०	१,२४६	१४६	८२५.६	५१५.५	३००.६	२२.१	३५७.८
अप्रैल	३,२१६.८	२४.८	६६३	१,२२६	१५६	७४६.८	४६८.६	३१५.५	२२.०	३०८.२
मई	२,६७८.०	२२.६	१,०३७	१,२६३	१५५	७६७.८	४५४.३	३५६.५	२१.५	३३७.२
जून	३,१४३.०	१७.४	१,२६८	१,२४७	१४५	६६३.४	३४७.०	२८६.६	१८.८	३३४.६
जुलाई	३,६६६.६	२२.८	६७७	१,१५२	१५६	६०७.२	५०५.५	२७४.६	२३.६	—
अगस्त	—	...	१,१६७	१,२४७	१७२	—	—	—	—	—

१. औद्योगिक उत्पादन

[९] सीमेंट और चीनी मिट्टी का माल

वर्ष	६८ सीमेंट (००० टन)	६९ सीमेंट की चादरें, (एसबेसटस) (००० टन)	७० चीनी के बरतन (टन)	७१ स्वच्छता के उपकरण (टन)	७२ पत्थर का सामान (००० टन)	७३ चीनी की पालिश वाली टाइलें (००० दर्जन)	७४ तापसह ईंटें (००० टन)	७५ घर्षक (एमरे सिवस) (००० रीम)	७६ बिजली-अवरोधक (इन्सुलेटर) एच.टी. (०००)	एल.टी (०००)
१९५०	२,६१२.४	८९.४	१,०९०	१,७८८	२१.४	९२.४	२११.४	११.२	१७४.०	२,२७६.२
१९५१	३,१६५.९	८२.८	६,११२	६४८	३०.०	३१०.८	२३७.९	३७.२	२४४.८	२,४१६.८
१९५२	३,५३७.३	८७.३	६,०६०	४९२	३३.३	३४५.३	२४३.९	५५.२	३३५.२	३,०७८.०
१९५३	३,७८०.०	७३.३	१०,४४०	६४८	३३.३	६७४.४	२३८.०	९३.३	४६३.२	२,४२०.०
१९५४	४,३६८.०	७६.२	१०,६५१	१,३३२	४०.८	४१८.८	२४०.०	७० ८	५०७.६	२,३७४.८
१९५५	४,४८३.८	१०४.४	१०,२२४	२,६८०	४३.०	३८०.४	२७४.८	७६.२	२४३.०	३,२१४.८
१९५६	४,९२८.४	१२०.०	१५,०२४	२,७१२	४४.४	४५४.८	३१८.०	६८.४	९३.४	३,०३०.४
१९५७	५,६०१.६	१५८.४	१५,५४०	३,४१३	५१.१	५२०.८	३९३.४	६१.२	१८३.०	४,५५७.६
१९५७ सितम्बर	४४३.४	१३.२	१,३४३	३४५	३.८	४३ ३	२६ ६	६ ६	३२.४	३६८.३
अक्तूबर	५१०.३	१२.३	१,२२०	३५२	४.५	४२.०	३०.५	८ ७	२८.६	३५५.५
नवम्बर	५१०.२	१४.४	१,५०८	३१८	५.०	६३.३	३३.७	६.६	२८.५	३८८ ६
दिसम्बर	५८७.३	१५.३	१,५४०	२४०	४.०	४४.०	३४ ३	८ ६	३५.७	४४४.४
१९५८ जनवरी	५६४.८	११.४	१,४८४	३२७	५.३	४४ ६	३६ ३	६.४	५५.७	४७८.८
फरवरी	४६५.४	१४ ३	१,३६६	३०६	४.७	४२.२	३४.६	७ ३	३४ १	४२३.४
मार्च	५७८.५	१५.२	१,४३१	३५७	५ ४	४७.४	४१.७	८ ६	३४.१	४४० ४
अप्रैल	५३६.५	१४.५	१,४०८	३१६	५.२	४१.४	३४.८	७ ८	२८.६	४६४ ६
मई	५३३.०	१५.२	१,४४३	४०५	५.४	५२ ०	३६.२	६.२	५२.०	४७६.६
जून	४६६.२	१४.७	१,२९६	३८६	५.२	५३.०	३३.३	६.२	७३.७	४८३.६
जुलाई	४८३.३	१५.३	१,२१२	४११	...	४६.२	३५ ३	२.३	७७ ७	३३५.३
अगस्त	—	—	...	...	...	—	—	—	—	—

[१०] काँच और काँच का सामान

वर्ष	७७ काँच की चादरें (००० वर्ग फुट)	७८ प्रयोगशालाओं का सामान (टन)	७९ बिजली के बल्बों के खोल (लाख बत्तियां)	८० काँच का अन्य सामान (टन)
१९५०	६,५७०.०	२,११०	१११.३	७२,३१६
१९५१	११,०८६.२	२,३८०	१४४ ०	६०,३२४
१९५२	६,०४१.२	२,४७३	१९३.८	८५,३१८
१९५३	२३,७८३.८	२,३३०	१९६.२	७२,४४४
१९५४	३३,२२२.८	२,५३२	२३४.४	८५,०८८
१९५५	३८,८८३.१	२,४६८	२१०.४	१,००,०६८
१९५६	४०,७४३.२	३,५००	३३५.८	१,११,६८३
१९५७	४८,३०३	३,०६३	३६६.२	१,२३,६४८
१९५७ सितम्बर	५,०१४.६	४२०	३४.३	१०,३४३
अक्तूबर	३,२३०.७	३५७	३२ ६	१०,००४
नवम्बर	३,४२०.५	३५६	३४.५	१०,७०६
दिसम्बर	७,२६६.३	२७८	३८.५	१०,४१९
१९५८ जनवरी	७,३७३ ६	३२८	३४.५	१०,११५
फरवरी	३,५४८.३	३२०	३१.२	१०,८८८
मार्च	३,८७५.३	३७२	२९.२	११,११६
अप्रैल	३,५६७ ७	३७३	२५.८	११,५७३
मई	५,४६८ ०	४०६	२७ ६	११,५००
जून	३,४०८.६	४४७	३१.३	११,४१६
जुलाई	४,३३४.६	४८८	१८ ६	११,६६६
अगस्त	—	—	...	—

१. औद्योगिक उत्पादन

[११] रबड़ उद्योग

वर्ष	८१ रबड़ के जूते (लाख जोड़े)	८२ रबड़ का बड़ा सामान, खिलौने, गुब्बारे आदि (लाख दर्जन)	८३ टायर: मोटर गाड़ियां (०००)	८३ टायर: साइकिलें (०००)	८३ टायर: ट्रैक्टर (संख्या)	८३ टायर: वायुयान (संख्या)	८३ टायर: तांगा आदि (०००फुट)	८४ ट्यूब: मोटर गाड़ियां (०००)	८४ ट्यूब: साइकिलें (०००)	८४ ट्यूब: ट्रैक्टर (संख्या)	८४ ट्यूब: वायुयान (संख्या)
१९५०	१९५.६	१०५.६	६३८.४	३,२२५.२	...	...	...	६९८.४	४,२०७.२	...	...
१९५१	२३०.४	११०.४	८७०.०	३,६४०.८	...	२,४७२	२७१.२	८२०.८	४,८९७.२	...	६६१
१९५२	२२८.०	१३८.०	७२१.२	४,१८६.२	३,८५२	६८४	१८५.२	६९१.२	४,२९३.४	५,४८४	६८४
१९५३	२४०.०	१२४.८	४३८.०	४,६४५.२	६,६१२	१,२६९	४४२.८	६५८.८	४,६००.८	८,१३६	५२८
१९५४	३१२.३	१८३.६	८३२.८	५,२२९.०	१९,१५२	३,५१६	३२४.०	७४८.८	५,५७७.३	१९,८८४	१,५७२
१९५५	३४५.२	१३६.२	८८२.०	५,७४८.०	२४,५२८	४,४०४	३७०.८	७८९.०	५,५६३.२	२३,११२	२,४४८
१९५६	३६१.२	२६०.४	६३८.४	६,३२०.४	३०,७६८	३,६००	२६०.४	६१८.०	६,३७३.२	३०,७२०	२,२६२
१९५७	३६६.६	१६८.०	६८८.८	७,१५२.०	४७,४००	४,४७९	३१०.८	६३९.०	७,०२७.३	४५,३४८	३,१३६
१९५७ सितम्बर	३०.७	१८.६	८६.६	६६५.१	५,४१३	५३०	१५.४	७५.६	६६४.०	४,५३३	७३४
अक्तूबर	२६.७	१७.६	५७.६	३५१.५	२,५७०	२२४	२१.६	४५.२	३६३.३	२,५६१	१२
नवम्बर	३७.१	१७.५	८३.३	६१३.१	४,३५६	३५३	२६.५	७८.१	६५६.८	३,६६६	२३३
दिसम्बर	३६.२	१७.४	८४.५	६२२.२	२,५५२	४७४	४०.२	७२.९	५६७.४	४,४०५	१६६
१९५८ जनवरी	३७.५	१६.७	६०.६	७४४.१	४,१३०	४९७	२५.५	८४.४	७२६.५	४,३१५	१८६
फरवरी	३६.४	१८.०	७७.६	६५०.६	२,५०२	२७३	३७.१	६५.२	६०९.४	३,१८३	१७५
मार्च	२७.०	१८.९	७६.७	६४५.१	२,२०८	२५७	२५.३	७५.१	५६७.०	२,३३५	७८
अप्रैल	२६.६	१७.६	७८.१	७०४.०	२,१६३	५७	३३.४	८०.६	६१८.३	२,३७८	२७
मई	३२.४	१८.५	८५.५	७९१.५	२,०१४	१९	२५.१	८१.०	६८६.६	२,१६७	१२८
जून	२९.७	१६.७	७०.५	६६५.१	१,८४३	१५६	११.८	८२.१	९५२.२	२,१८८	१४
जुलाई	३१.३	२१.२	६१.७	७७८.४	२,३९२	३४३	१७.८	८६.१	७४१.७	२,३६१	१२७
अगस्त	२९.४	२१.०	...	७१३.१	२,५६२	२७३	...	—	७१८.६	२,३४५	१७७

[११] रबड़ उद्योग (शेषांश)

वर्ष	८५ रबड़ के नल: रैडिएटर (०००)	८५ रबड़ के नल: वेक्यूम ब्रेक (०००)	८५ रबड़ के नल: अन्य प्रकार के (०००फुट)	८६ पंखों के पट्टे (०००)	८७ रेलों का रबड़ का सामान (०००)	८८ इबोनाइट (००० पौंड)	८९ वाटर प्रूफ कपड़े (००० गज)	९० रबड़ के स्पंज (००० पौंड)
१९५०	२०६.४	३३३.९	२,८२०.०	१९०.८	६९१.२	...	...	—
१९५१	२२०.८	४७२.८	३,४७४.०	२६८.८	७४८.८	१९९.२	१,५७९.८	४७१.६
१९५२	२५४.८	४४४.०	३,८४६.९	५५८.०	१,२१९.८	१२९.०	१,२६४.८	३१६.६
१९५३	२०४.४	४७२.८	४,४२२.०	४३२.०	१,२३३.९	८८.८	२,०९१.९	४६५.६
१९५४	१९२.०	९२०.४	४,८९९.०	५००.४	१,३२३.९	११९.४	२,०२८.०	६३८.४
१९५५	१८६.३	८०८.८	५,७३४.८	९५५.२	१,५२६.९	१३०.८	२,२१६.२	१,४७०.०
१९५६	२४८.४	५५२.०	७,०८२.५	७२४.८	१,६५९.०	११०.०	२,५७५.०	१,७७७.२
१९५७	१७१.९	७७७.९	७,६८१.२	९५२.८	१,७९२.८	२४०.०	१,०७९.८	१,६५९.०
१९५७ सितम्बर	१२.६	३७.१	३०७.०	४८.६	१४३.९	२३.६	२३७.६	१९७.७
अक्तूबर	६.७	५५.४	४९६.८	३७.०	१२०.५	१९.५	२४१.०	१५३.८
नवम्बर	१३.८	५५.२	३६५.३	९५.१	१८९.०	२०.१	२५९.६	२००.३
दिसम्बर	१४.०	७२.५	७३३.६	५६.२	१५०.५	२०.२	२२३.३	१७३.६
१९५८ जनवरी	१५.९	४५.३	९७५.०	५७.६	१४९.७	१३.७	२३५.५	१८०.०
फरवरी	१०.५	४१.९	९४०.९	५९.२	११५.०	१८.३	२५७.६	१९४.२
मार्च	१३.७	४०.०	९६६.८	५७.५	१३५.३	१९.१	२४९.९	१७२.८
अप्रैल	८.१	५५.१	९५३.५	६१.५	१२७.५	२०.२	२६५.०	१९९.०
मई	१०.०	५३.२	७४८.१	५७.१	१११.८	२०.७	३४७.५	२०६.३
जून	१०.३	४३.८	७९३.७	५४.२	१५३.९	१९.२	३३१.०	२०१.२
जुलाई	११.५	५२.५	८९२.५	३१.९	६१.८	१७.८	२७३.४	२०६.६
अगस्त	१९.७	५४.८	८१४.५	५६.६	६६.०	२१.१	२३६.७	१६३.५

१. औद्योगिक उत्पादन

[१२] खाद्य और तम्बाकू

वर्ष	९१ [ट] गेहूँ का आटा (००० टन)	९२ [ठ] चीनी (००० टन)	९३ [ड] काफी (टन)	९४ [ट] चाय (दस लाख पौंड)	९५ नमक (००० मन)	९६ वनस्पति तेल से बनी हुई वस्तुएं (टन)	९७ सिगरेट (लाख)
१९५०	४७७.६	९७६.८	२०,५१२	६११ २	७१,६११	१,७१,६११	२,११,२६१
१९५१	४८६.०	१,११४.८	१८,०६९	८९८ ८	७४,६७६	१,७२,६९०	२,१४,४८८
१९५२	५१२.४	१,४६४.०	२१,०६६	६१४.४	७६,८६०	१,६०,८११	२,०१,१११
१९५३	४८१ ६	१,२६६.०	२२,५७२	६०८ ४	८६,६११	१,६१,६५२	१,८१,६११
१९५४	४४२.८	१,०८८.०	२६,६१४	६४४.४	७१,६०८	२,३०,७४८	१,६८,२७६
१९५५	४८८.४	१५६४.८	२४,६४८	६६८.४	८१,०७२	२,६०,७८४	२,२८,१८८
१९५६	५६७ ६	१८५४.४	३४,४४०	६६७.२	८६,०११	२,५५,६११	२,६१,५०६
१९५७	६५५.२	२०६८.८	४०,८८४	६६६.०	६८,०००	३,०१,६५६	२,८०,१४४
१९५७ सितम्बर	५४ ५	८ २	६२५	१०४.८	३,२४५	२०,६६०	२५,१७०
अक्तूबर	६१.२	१७.४	१,४०४	१०५ ६	२,६१०	२६,४६५	२२,८२०
नवम्बर	६१ ६	१०५.६	२,४४२	१०७.१	१,५२७	२५,४६८	२५,६६०
दिसम्बर	६१.६	६५७.५	२,४७८	६२ २	३,६११	२८,००६	२२,५००
१९५८ जनवरी	६०.१	४२६ ८	४,५६६	२२.५	३,५६६	२६,२८१	२२,५००
फरवरी	५६.०	४११.५	५,६६८	८.६	३,६६२	२४,६६८	२२,६५०
मार्च	६१.७	३७७.६	७,६२०	१४.५	११,६६०	२६,२६७	२६,०६०
अप्रैल	६१ २	१६७ ६	५,८७४	६५.०	१६,०४१	२६,११५	२६,३१०
मई	६३.०	५१ ८	६,१६६	५६ २	२७,३७१	२७,६०५	२८,१५०
जून	५६.२	३.६	३,२४६	६६.१	२४,१८२	२४,५०४	२६,३००
जुलाई	६० ०	४.२	२,१६४	६७ ६	...	२५,०४१	२५,०६०
अगस्त	...	...	...	...	...	...	...

[ट] ये आँकड़े केवल बड़ी आटा मिलों के हैं। [ठ] ये आँकड़े फसली साल (नवम्बर से अक्तूबर) तक के हैं और केवल गन्ने से बनने वाली चीनी के विषय में हैं। [ड] ये आँकड़े शोधने और पीसने के पश्चात् काफी भण्डार में दे दी जाने वाली काफी के विषय में हैं। [ट] ये मासिक आँकड़े पंजाब (काँगड़ा) और हिमाचल प्रदेश के उत्पादन को छोड़ कर हैं।

[१३] चमड़ा उद्योग

वर्ष	९८ जूते, पश्चिमी ढंग के (००० जोड़े)	९९ जूते, देशी ढंग के (००० जोड़े)	१०० क्रोम से कमाया चमड़ा (०००)	१०१ वनस्पतियों से कमाया हुआ गाय-भैंस का चमड़ा (०००)	१०२ चमड़े जैसा कपड़ा (००० गज)
१९५०	२,८६६.८	२,६६६.८	४६५ ६	२,५६४.४	...
१९५१	३,६४०.८	२,०७६.६	८७६.६	२,७०४.०	२,६१८.८
१९५२	३,३६७.२	२,८०६.०	६५०.४	२,४७८.४	६५४.४
१९५३	३,६४८.०	२,२०४.४	७०० ८	२,२६८.४	६८५.२
१९५४	३,२६७.६	२,०६६.८	६६८.४	२,३७०.४	२,२६६.२
१९५५	३,२४२.४	२,३०२.८	२७६.८	२,६३५.६	२,६२६.२
१९५६	२,६२०.४	२,६२२.२	७४६ ६	२,७६२.६	२,६६८.४
१९५७	४,२६६.२	३,०३८.४	३६०.०	२,७६२.६	६५६६.२
१९५७ सितम्बर	३७४ ६	२४४ ८	६५.२	१४२.६	२८६.७
अक्तूबर	२६६.६	२६६.४	३० ७	१५६.०	२८६.६
नवम्बर	३८५.६	२७४.२	६३ २	१६८.२	६५५.१
दिसम्बर	४२६.२	२६६.२	६६.०	१४८.७	६६६.५
१९५८ जनवरी	४६०.६	२६२.१	५४ ८	१६२.८	३६२ ६
फरवरी	३६०.५	२७६.४	५१.०	१८६.०	३०६.८
मार्च	३४०.८	२६४.६	६१.३	१६६.८	२४६.२
अप्रैल	३५७ ८	३०१ ५	६६.१	१४६.८	२८६.५
मई	३५०.६	२७४.७	३७ २	१००.५	२७२ ६
जून	३५१ ३	२४६.३	५६ ६	१६६.०	३०६.४
जुलाई	४२२ ६	२६० ६	५८ ३	१७१.२	३५६.७
अगस्त	३४६.३	२८४.८	५८ २	११७.३	...

१. औद्योगिक उत्पादन

[१४] अन्य उद्योग

वर्ष	१०३ खनिज कोयला (००० टन)	१०४ प्लाइवुड (००० वर्ग फुट) चाय की पेटियां	व्यापारिक	योग	१०५ कागज (टन) छपाई और लिखाई का	पैक करने का	विशेष किस्म का कागज	गत्ते	योग
१९५०	३२,९६२	४१,३७६	८,८४४	५०,२२०	७०,३५२	१४,९१६	५,२६६	१८,८४८	१,०८,८१२
१९५१	३४,३०८	६०,६४८	१०,२००	७०,८४८	७६,२६०	२५,४८८	७,१२०	२४,०४८	१,३२,९१६
१९५२	३६,२२८	७८,२२८	१२,३१२	९०,५४०	९१,४२८	२१,५४०	२,८२०	२१,७२०	१,३७,५०८
१९५३	३५,८४४	४६,७८८	१२,४१२	५९,२००	९५,९२८	२१,१४४	३,४२०	२६,४१२	१,४६,७०४
१९५४	३६,७९८	६४,१८८	१३,५८४	७७,७७२	१,०२,८७६	२४,१५९	४,७८८	३३,५०८	१,६५,३२८
१९५५	३८,२०८	९१,१२८	१९,३९२	११०,५२०	१,१६,४६९	२८,३२०	५,९०४	३१,४९४	१,८४,८८४
१९५६	३९,४९२	९७,८८४	२५,८३६	१२३,७२०	१,२२,९८८	३०,९२४	५,७७२	३३,७२०	१,९३,४०४
१९५७	४३,५३९	९३,४२०	३१,६३२	१,२५,०५२	१,२६,५१९	३८,०१९	७,२००	३८,४००	२,१०,१३८
१९५७ सितम्बर	३,९४७	७,६२६	२,३९२	१०,०१८	१०,५४२	२,७८५	७००	१,५६९	१५,५९६
अक्तूबर	३,५५५	५,७९५	२,५६७	८,३६२	१०,७८३	३,४६५	५८२	३,४३७	१८,२६७
नवम्बर	३,६३०	७,१७३	२,८६२	१०,०३५	११,९८३	३,४१६	९५७	३,४५०	१९,८०६
दिसम्बर	४,०५१	८,१८३	२,३३२	१०,५१५	११,५१४	३,५५३	६५१	४,०९४	१९,८१२
१९५८ जनवरी	३,९४७	७,६४२	३,५३६	११,१७८	१३,०१८	३,४५०	४७३	३,७३९	२०,६८०
फरवरी	३,७१२	७,०९४	२,९१४	१०,००८	११,३२१	२,८१८	५१३	३,५७५	१८,२२७
मार्च	३,७०१	७,५११	२,७१४	१०,२२५	१३,२१८	२,७१२	४८१	४,२९०	२०,७०१
अप्रैल	३,८०२	७,३७८	२,८६३	१०,२४१	१३,४७३	२,४३१	५४०	४,४८७	२०,९३१
मई	३,८८४	७,७६५	३,२४९	१०,६५२	१३,१८०	३,४२८	५२३	४,४९६	२१,७००
जून	३,५५४	७,२५९	२,८१६	१०,०७५	११,८८४	२,६८४	४६९	४,१२०	१९,१८४
जुलाई	३,७४६	३,५७६	३,८२७	५,९८४	...	...	—	...	२१,८५८
अगस्त	...	...	...	...	...	...	...	—	...

[१४] अन्य उद्योग (शेषांश)

परिवहन

वर्ष		१०६ मोटर गाड़ियां (संख्या) कारें	जीप तथा लैंडरोवर गाड़ियां	स्टेशन वैगन तथा अस्पताली गाड़ियां	ट्रक,	सवारी गाड़ियां	योग	१०७ साइकिलें पूरी तैयार (संख्या)	हिस्से (मूल्य ००० रुपये)
१९५०		३,५८८	...	—	...	—	१४९०४	१,०३,१५२	९,४५२.४ (ग)
१९५१		१२,३८४	...	...	—	—	२२२७३	१,२४,२७९	९,४८८.४
१९५२		९,६४८	—	—	...	...	२५२८८	१,६९,६५६	८,२४७.९
१९५३		४,६३२	—	...	—	...	२९६२०	२,९४,१९८	१०,१६४.०
१९५४		५,४३१	—	...	...	...	२४४९०	३,७२,३९०	१३,०८०.०
१९५५		६,४६२	३३३९	७६८	९४५९	३०३९	२३०८८	४,६१,१७२	१९,४२९.८
१९५६		१२,६८४	४२४०	९८४	८९२०	३४०८	२६८३९	६,५७,४२४	२३,२२४.८
१९५७		११,५०४	४०६८	३२१	११,८६२	३७५९	३११९२	८,००,८३२	२७,५४३.९
१९५७	सितम्बर	६८०	३६६	४०	१०५२	२४५	२७१६	९९,३७२	२,३५२.३
	अक्तूबर	७८२	२०१	६०	१२१८	२१६	२४५०	९५,०३२	२,८८२.८
	नवम्बर	१,०७९	१५२	११	२०५४	१६७	२४६१	७५,८५६	२,७३७.७
	दिसम्बर	८४२	१३८	६	११२६	३४६	२४६७	७८,०९२	२,७५६.०
१९५८	जनवरी	६४०	३५८	४३	११८०	४१५	२६३६	८१,२००	२,५१६.५
	फरवरी	४९१	२१३	३१	११४८	३७७	२२६०	८२,१४५	२,९०७.०
	मार्च	३६७	१६५	१२	१३५३	४६१	२७४८	८९,५६५	२,३८८.०
	अप्रैल	४७१	१२३	२१	५२५	२५८	१४०१	७५,९५४	२,७३७.१
	मई	४८२	१२२	२९	७२५	२१५	१५७०	८५,७४७	२,७५२.७
	जून	५६४	२८१	१५	५६७	२२३	१७१०	७२,२०३	२,९१७.७
	जुलाई	४४०	५८७	३२	४७४	२३०	१७९३	९०,२९५	२,१७१.५
	अगस्त	८२२	—	...	—	...	२५१७	...	...

[ग] १९४८ से १९५३ तक के वर्षों के अंकों में पूरी साइकिल बनाने वाली फर्मों द्वारा तैयार किये गये हिस्से शामिल नहीं हैं।

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

इस तालिका में समस्त भाव प्रत्येक मास के दूसरे सप्ताह के दिये गये हैं।

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	सितम्बर ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
अनाज							
१. चावल							
मोटा	जयनगर	मन	२३.००	२५.५०	२६.७५	२७.००	२६.००
,,	रायपुर	,,	२०.००	१६.५०	१७.५०	१७.००	१७.००
,,	कानपुर	,,	२२.०६	२३.७०	२६.६७	२६.६७	२४.६१
,,	सहारनपुर	,,	२३.००	२३.५०	२६.००	२६.१२	२५.२५
मध्यम	कलकत्ता	,,	२४.००	२३.८७	२६.७५	२६.५०	२८.००
२. गेहूं							
लाल	खगरिया	,,	१७.००	१६.७५‡	१९.००	१९.५०	१६.५०
,,	बम्बई शहर	,,	सूचना नहीं	२०.८३‡‡	२१.३९	२०.२८	२२.७०
साधारण	अबोहर	,,	१३.६४	१३.४७	१४.६२	१४.८४	१६.००
५९१	मोगा	,,	१४.७५	१४.५०	१५.५०	१५.६२	१६.०
औसत दर्जे का	हापुड़	,,	१५.७५	१७.८७	२०.००	२१.५०	२३.२
लाल	कानपुर	,,	१५.२३	१६.४१	१९.३९	१८.२८	१८.८१
मोटा	दिल्ली	,,	१५.५०	१३.५०	१५.५०	१५.३७	१५.६१
३. ज्वार							
—	नागपुर	,,	१२.१६	१२.००	१२.७५	१२.८७	१३.००
पीला	उज्जैन	,,	११.१२	सूचना नहीं	१२.५०	१२.६२	१३.००
—	झालावाड़	,,	९.००	११.००	१२.००	१२.५०	१३.५०
—	झांसी	,,	१०.६६	११.७५	१२.८०	११.६१	११.६१
४. बाजरा							
—	हिसार	,,	१३.५०	१४.००	१५.००	१६.५०	१५.१२
—	जोधपुर	,,	१५.५०	१५.००	१६.००	सूचना नहीं	१७.००
—	आगरा	,,	१५.००	१४.१२	१४.७५	१४.७५	१६.००
५. जौ							
—	मोगा	,,	१०.५०	११.५०	१३.५०	१३.३१	सौदे नहीं
औसत दर्जे का	जौनपुर	,,	१३.३५	१४.२५	१४.५०	१६.००	१७.००
,,	हापुड़	,,	११.७५	१२.५०	१४.००	१४.७५	१५.७५
६. मक्का							
—	खगरिया	,,	१३.००	१४.००	सूचना नहीं	१९.००	१३.७५
साधारण	लुधियाना	,,	१३.००	१४.००	भाव नहीं	१३.५०	सौदे नहीं
—	भीलवाड़ा	,,	१२.००	१३.७५	बिक्री नहीं	१५.००	१३.७५

‡ ७ जून १९५८ से लाल गेहूँ के स्थान पर सफेद किस्म का गेहूँ १५.५० रु०=६०.४ सूचक अंक के आधार पर।

‡‡ देसी गेहूँ के खुले बाजार के भाव ७-६-५८ से मूल आधार पर चालू किये गये।

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	सितम्बर ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
दालें							
१. चना							
साधारण	दिल्ली	,,	११.३७	१०.२५	१५.१२	१५.५०	१६.५०
—	पटना	,,	१३.७५	१४.५०	१५.७५	१६.००	१७.००
—	हापुड़	,,	११.५०	१२.८७	१४.३७	१५.६२	१६.२५
देशी	मोगा	,,	११.३७	१२.७५	१५.१६	१५.२५	१६.६२
२. अरहर							
साधारण देशी (दाल)	दिल्ली	,,	१५.५०	२०.००	२२.००	२२.००	२२.००
साबुत (औसत)	हापुड़	,,	११.००	१४,६६	१६.५०	१६.५०	१८.६२
३. मूंग							
—	पटना	,,	२५.००	२७.००	३४.५०	३२.००	३३.००
—	बम्बई	,,	२४.४४	२६.७५	३३.३३	२८.८६	३३.२२
४. मसूर							
—	पटना	,,	२३.००	२०.००	२४.५०	२४.००	२५.००
—	बम्बई	,,	२१.६६	२४.५०	२३.३३	२४.४४	२४.२२
५. उड़द							
काला	दिल्ली	मन	२२.००	२३.५०	२५.००	२१.५०	२१.५०
,,	पटना	,,	२८.५०	२५.००	२६.००	२६.००	२६.००
तेलहन							
१. मूंगफली							
बड़ा दाना	बम्बई	हंडरवेट	३१.००	३५.२५	३८.७५	३८.७५	४०.७५
छिलके समेत	हैदराबाद	२४० पौंड का पल्ला	५१.७४	५८.६१	६३.५०	६१.५०	६७.१६
२. अलसी							
बड़ा दाना	बम्बई	हंडरवेट	२८.१२	३२.००	३५.१२	३३.७५	३३.७५
छोटा दाना	कलकत्ता	मन	२२.५०	२२.७५	२५.००	२६.००	२६.००
औसत दर्जे का	कानपुर	,,	२२.५०	२२.५०	२५.७५	२४.२५	२५.३७
३. अरण्डी							
छोटा दाना हैदराबादी साधारण	बम्बई	हंडरवेट	३३.२५	३०.३७	३२.२५	३१.२५	३०.८७
—	भागलपुर	मन	सूचना नहीं	सूचना नहीं	१६.२५	१६.५०	१६.३७

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १६५८

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	सितम्बर ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
४. तिल							
सफेद बड़ा ८५%	बम्बई	हंडरवेट	४५.४२	४५.००	४७.००	४६.००	४५.११
मिश्रित (गाजर)	झांसी	मन	सूचना नहीं	२८.५०	३३.००	अप्राप्त	३२.५०
५. तोरिया							
बड़ा दाना कानपुरी	कलकत्ता	"	३५.२५	३०.५०	३२.००	३२.००	३३.००
सरसों औसत दर्जे का	कानपुर	"	३५.५५	३२.००	३७.६७	३५.५५	३५.५५
६. बिनौला							
जरीला, देशी और बड़ी औसत	अमरावती	"	११.२६	१०.३४	१२.८६	१२.१४*	११.३१
—	हैदराबाद	२४० पौं० का पल्ला	२८.००	३१.६७	३५.००	३५.१७	३६.३१
तेल							
१. मूंगफली							
खुला	बम्बई	२८ पौण्ड	१८.१२	१८.५०	२०.१२	२०.१६ —	२१.२१
गुपदूर (टिन बन्द)	कलकत्ता	मन	भाव नहीं	६०.००	६३.००	६५.००	६८.००
२. तिल							
खुला	बम्बई	"	६६.६२	६७.२६	६८.७७	७१.७१	७१.७१
औसत दर्जे का	मदरास	"	७२.४४	६६.६४	६३.३१	६३.३६	६१.२१
३. सरसों							
औसत दर्जे का	कानपुर	"	८६.५०	७३.५०	७८.००	बाजार बन्द	७६.००
कच्ची घानी	दिल्ली	"	७७.००	६७.५०	७१.५०	७१.००	७१.००
४. अलसी							
कलकत्ता मिल्स	कलकत्ता	"	५०.३७	५३.००	५७.००	५६.५०	५७.००
कच्चा (खुदरा) मिल पर							
—	बम्बई	क्वार्टर	१५.००	१६.१२	१८.६२	१७.५०	१७.७५
५. अरण्डी							
नं० १ बढ़िया पीला (अदाज पर)	कलकत्ता	"	८०.००	६८.००	७१.००	७२.००	६४.००
औसत दर्जे का	कानपुर	"	५४.००	५०.५०	५२.००	बाजार बन्द	५२.५०

* जरीला और देशी के सम्बन्ध में।

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	सितम्बर ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
६. नारियल							
औसत दर्जे का	कोचीन	६५५.६ पौ०	५७३.८०	६५०.२०	६६८.८०	६७४.३०	६६१.०५
कोलम्बो बढ़िया	कलकत्ता	मन	८६.००	१२०.००	१२८.००	१३०.००	१४०.००
नी							
१. मूंगफली							
—	कानपुर	मन	७.५०	९.००	१०.२५	बाजार बन्द	११.००
—	कलकत्ता	,,	९.५०	१०.५०	१२.५०	१२.००	१२.२५
२. अलसी							
—	बम्बई	,,	१०.२५	११.३८	१२.४९	१२.४९	१२.४९
—	कानपुर	,,	११.५०	११.००	१२.५०	बाजार बन्द	१२.००
—	कलकत्ता	,,	१२.२५	११.५०	१५.५०	१४.२५	१४.५०
३. अरण्डी							
—	बम्बई	,,	५.७५	७.७५	७.७१	७.६२	७.७१
—	कानपुर	,,	६.५०	७.३३	८.२५	बाजार बन्द	८.००
४. सरसों							
—	,,	,,	१०.५८	११.५०	११.५०	,,	१२.२५
५. तिल							
—	बम्बई	,,	१३.१२	१४.६६	१५.०४	१५.०४	१५.०४
६. नारियल							
—	,,	१½ हण्डरवेट	२०.५०	२३.५०	२४.७५	२५.२५	२६.५०
—	कोझीकोड	मन	११.७६	१४.६६	१३.५२	१३.५२	१४.११
मसाले							
१. काली मिर्च							
छंटी हुई	कोचीन	हंडरवेट	१०२.५०	१००.६३	११६.२५	११०.६३	१०५.००
आफिस	मदरास	२५ पौंड	२५.००	२५.००	२७.००	२६.५०	२६.००
२. लालमिर्च							
पटना लाल नई	कलकत्ता	मन	९५.००	६०.००	[७४.००	बिक्री नहीं	बिक्री नहीं
लाल	पटना	,,	८३.००	५०.००	५३.००	५८.००	६२.००

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	सितम्बर ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
३. लौंग							
—	कलकत्ता	मन	३८०.००	४००.००	४२०.००	४००.००	४४०.००
४. हल्दी							
देशी (पुरानी)	कलकत्ता	,,	१६.००	२०.००	२३.००	भाव नहीं	भाव नहीं
५. जीरा							
—	कलकत्ता	मन	१०२.५०	१३५.००	१९०.००	१८०.००	१६०.००
६. इलायची							
मैसूर की	मंगलौर	,,	७३५.७०	७०५.३१	६७५.९२	६६०.६१	७१२.६५
छोटी	कलकत्ता	सेर	२२.००	२०.००	२०.५०	२०.५०	२०.५०
७. सुपारी							
साबुत (देशी)	कलकत्ता	,,	१४५.००	१६०.२०	२३०.००	भाव नहीं	भाव नहीं
साफ की हुई	मंगलौर	,,	१५९.७८	१८३.६७	१९१.०१	१६६.५३	१६१.०१
नमक							
साँभर	दिल्ली	,,	२.६२	२.५०	२.५०	२.५०	२.५०
काला	बम्बई	,,	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	सूचना नहीं	२.५०
चीनी							
डी. २९‡	कानपुर	,,	३२.९२	सूचना नहीं	३७.३१	३५.६९	३५.६९
गुड़							
चाक्कू	मुजफ्फर नगर	,,	१४.००	१९.३७	२२.२५	२१.८७	२२.१२
मेवे							
१. काजू							
देशी	मंगलौर	मन	२५.००	२१.२०	२१.२०	२०.३०	१९.६१
अफ्रीकी	क्विलोन	टन	७५०.००	६८५.००	७२५.००	६७५.००	६१०.००
२. नारियल का गोला							
औसत दर्जे का	कोचीन	६५५.६ पौ०	३६३.५०	४२४.८८	४२८.८८	४४१.००	४४९.६३
धूप में सुखाया	एलेप्पी	,,	३७५.००	४४०.००	४३५.००	४४०.००	४७५.००
दियासलाई							
विमको							
६० तीलियों वाली डिब्बी	रेलवे स्टेशन पर	ग्रोस	८.०५	८.०५	८.०५	८.०५	८.०५

‡ नियंत्रित मूल्य, कारखाने पर

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	सितम्बर ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
रबड़							
R.M.A. IX R.S.S.	कोट्टायम	१०० पौ०	१५२.५०	१५२.५०	१५२.५०	१५२.५०	१५२.५०
चाय							
१. आन्तरिक उपभोग (औसत बिक्री)	कलकत्ता	पौ०	१.३२	१.४०	१.८२	१.५७	१.६३
२. निर्यात							
निम्न मध्यम बी०पी०	,,	,,	भाव नहीं	भाव नहीं	१.८६	१.६८	१.७२
मध्यम बी० पी०	,,	,,	१.७६	,,	२.४०	१.९५	१.९०
काफी							
प्लांटेशन ए०	कोयम्बतूर	हंडरवेट	२४२.५०	२४६.५०	२४०.५०	२३१.५०	२२५.५०
रोबस्टा	,,	,,	१८२.५०	१८३.५०	१७६.५०	१७५.००	१७२.५०
तम्बाकू							
धूम्रतापी पत्तियां							
ए. जी. मार्क प्रथम वर्ग	गुंटूर	पौण्ड	भाव नहीं	भाव नहीं	भाव नहीं	भाव नहीं	भाव नहीं
बीड़ी तम्बाकू	कलकत्ता	,,	२३०.००	२४०.४०	२४०.४०	२४०.४०	२४०.४०
नसवार	मद्रास	५०० पौण्ड	६००.००	५००.००	५००.००	५००.००	५००.००
फल और तरकारियां							
१. आलू							
देशी मध्यम आकार का	फर्रुखाबाद	मन	१३.००	सूचना नहीं	भाव नहीं	१२.००	१३.५०
सफेद	पटना	,,	१५.५०	६.५०	१०.००	१०.००	१३.५०
२. प्याज							
सूखी	दिल्ली	मन	९.७५	४.४५	५.५०	५.५०	६.५०
३. केले							
सावरी	कलकत्ता	१०० संख्या	९.००	सूचना नहीं	९.००	१०.००	११.००
खानदेश पहले दर्जे का	बम्बई	१००० ,,	२४.००	७.००	८.५०	८.००	७.५०
रुई और सूत							
१. कच्ची रुई (भारतीय)							
सूरती एम-जी. बढ़िया ७/८ इंच	बम्बई	७८४ पौं० की कैण्डी	भाव नहीं	९९५.००	१००२.००	९९५.००	९९३.००

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	सितम्बर ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
विजय एम-जी. बढ़िया १३/१६ इंच	बम्बई	"	भाव नहीं	९११.००	९०२.००	८८५.००	८८८.००
जरीला एम-जी. बढ़िया २५/३२ इंच	"	"	"	७४५.००	७४२.००	७२०.००	७२८.००
एम-जी. उमरा रपाट	अमरावती	३९२ पौंड	"	२८०.००	अप्राप्त	अप्राप्त	सूचना नहीं
बंगाल एम-जी. बढ़िया	बम्बई	७८४ पौंड	"	५६०.००	६१५.००	६४०.००	६२५.००
२. <u>रुई आयातित</u>							
मिस्री गिजा १० टी. २०७	"	"	२२७८.००	१६८९.००	१६३०.००	१६५१.००	१७२२.००
अशमोनी टी. ३	"	"	१९२४.००	१४६०.००	१४५०.००	१४६१.००	१४९६.००
पाकिस्तान पी./ए. २८६ एफ. आर जी.	कलकत्ता	"	११८२.००	१२००.००	११८४.००	११८९.००	१२२५.००
३. <u>सूत</u> (कोरा भारतीय)							
१० नम्बर	कलकत्ता	५ पौंड	७.४४	६.७८	६.६९	६.६६	६.८८
१६ "	बम्बई	पौण्ड	१.६८	१.५३	१.५३	१.५४	१.५७
२० "	"	"	१.७८	१.६२	१.६२	१.६२	१.६४
४० "	मद्रास	१० पौंड	सूचना नहीं	२४.८३	२६.२५	२४.८०	२४.६१
सूती माल (मिल का बना)‡							
१. <u>लट्ठा</u>							
कोरा हिन्दुस्तान मिल्स ३-सितार ६५००— ४३"×३८ गज	बम्बई	गज	०.९०	०.९०	०.९०	०.८७	०.८७
कोरा इन्दू—५१०३८ ४३"/४४"×३८ गज	"	"	०.७५	०.७१	०.७३	०.७२	०.७२
२. <u>शर्टिङ्ग</u>							
एफ-एस १०५ ए० रंगीन क्रेप ३०/३१" बम्बई रंगाई का	मद्रास	"	१.१८	१.२०	१.२०	१.१८	१.१८
कोरा स्टैण्डर्ड शर्टिङ्ग ३५"×३८ गज	बम्बई	पौ०	२.६४	२.४२	—	२.२१	२.२१
<u>चादरें कोरे</u>							
मैसूर स्पिनिंग २६०, दो चिड़िया ६०"×५ गज	"	जोड़ा	५.९८	६.०२	६.२१	५.९०	५.९०

‡ उत्पादन कर, हथकरघा उपकर, अतिरिक्त उत्पादन कर तथा अधिभार (सरचार्ज) आदि मिलाकर मिल पर भाव।

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	सितम्बर ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
४. धोतियां कोरी							
इन्दु ६२४३ चक्कर ४४"×१०/२ गज	,,	,,	७.७२	७.७८	७.९०	७.६१	७.६६
काउन मिल्स—सम्राट ४४"×१० गज	,,	,,	८.७३	भाव नहीं	भाव नहीं	१०.४१†	१०.४१
५. साड़ियां कोरी							
बी. आर. काटन मिल्स मालिनी (२" किनारी) ४४"×१०/२ गज	,,	,,	८.१३	८.१९	७.९४	७.६३	७.६३
कमला—२४१२ बिच्छू छाप (२" एफ. बी.) ३६"×१२/२ गज	,,	,,	७.८४	७.५१	७.३०	६.७८	६.७८
६. ड्रिल ब्लीच्ड							
कोहिनूर—१६३७ २७½"×४२ गज	बम्बई	गज	१.३३	१.०६	१.०६	१.०५	१.०५
डब्ल्यू० बी० ११ सफेद ड्रिल २८/२६"	मदरास	,,	१.३५	१.३४	१.३४	१.३३	१.३३
हथकरघे द्वारा निर्मित							
चौड़ाई २७" सूत न. ८-१०	सेवाग्राम (वर्धा)	,,	१.१२	१.१२	१.१२	१.१२	१.१२
चौ० ३६" सूत न. १२-१४	,,	,,	१.५६	१.५६	१.५६	१.५६	१.५६
लुंगियां ६० एस×४० एस ४४" चौड़ाई	मद्रास	,,	२.०६	१.९०	१.९३	—	१.९४
सादा गद्दा २० एस ५०" चौ०	,,	,,	८२.५(न.पै.)	७४.०५	७६.०५	०.७९	०.७९
जूट सुतली और बारदाना							
१. कच्चा जूट							
पाक० जाट बौटम्स	कलकत्ता	मन	३१.५०	२६.००	२६.००	२६.५०	२८.००
फर्स्टस (मिल पर)	,,	४०० पौंड की गांठ	२१५.००	२२०.००	२२०.००	२१५.००	२०५.००
डंडी देशी २/३	,,	,,	१६५.००	१७५.००	१८०.००	१८५.००	१७५.००
२. टाट							
७½ औंस×४०"	,,	१०० गज	३३.००	२९.००	३१.८०	३२.३५	३०.४५
१० औंस×४०"	,,	,,	४२.६०	४०.००	४२.६५	४३.३०	४०.७५

† काउन मिल्स—सम्राट के स्थान पर स्वदेशी मिल्स ४४ जी० डी० २०, ४४ इंच×१० गज रु० १०.०८=१३४.३ (सूचक अंक) ९—८—५८ लागू।

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	सितम्बर ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
३. बोरियां							
बी० ट्विल्स २½ पौं० (४४"×२६½" ८"×६")	,,	१०० बोरियां	११७.००	९७.००	९६.५०	१००.००	९७.००
सी० भारी २½ पौं० (४०"×२८")	,,	,,	११६.५०	९७.२५	१०.०००	१०१.००	९८.५०
ए० ट्विल्स २½ पौं० (४"×२६½")	,,	,,	१४१.२५	११७.२५	११९.५०	१२० २५	११९.००
रेशम और रेयन							
१. कच्चा रेशम							
२४०० ताना (सामरू)	मालदा	८० तोले का सेर	६५.००	सूचना नहीं	८०.००	८२.००	७५.००
चरखा बढ़िया किस्म	बंगलौर	१९ तो० प्र पौं०	२७.५०	२५.८७	२६.७५	२७.००	२७.४०
बंगलौरी	बनारस	पौं०	२३.००	—	२२.००	२२.५०	२४.००
२. रेयन का धागा (गुच्छियां)							
१२० चमकीला एन आर.सी. (भारतीय)	,,	,,	४.२५	६.६६	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
३. रेशम और रेयन का माल							
साटिन मिक्स फ्लावर एन० एस० ३२"—२१११	बम्बई	गज	१.८७	२.००	२.०६	२.०६	२ ०६
जार्जेट सादा ४२"—४४" विनिन—२१२१	,,	,,	१.८१	१.९४	२.००	२.००	२.००
टफेटा कोरो २६" बढ़िया किस्म	,,	,,	०.६४	०.७०	०.८०	०.८०	०.८०
साटिन सादा ३१-३२" नेशनल—२५०१	,,	,,	१.४९	१.७५	१.८४	१.८४	१.८४
प्लेट साटिन फ्लावर २६" (न्यू महालक्ष्मी)	,,	,,	१.३०	१.४१	१.४४	१.४७	१.४७
ऊन और ऊनी माल							
१. कच्चा ऊन							
जोड़िया सफेद बढ़िया	बम्बई (रेल पर)	मन	२८२.४८	२१६.००	२४१ ७१	२४७.००	२४१.५६
तिब्बती	कालिम्पोंग	,,	१७७.५०	१७७.५०	१७७.५०	१७७ ५०	१७७.५०
मध्यम चकला सफेद	ब्यावर	,,	सूचना नहीं	१४५ ००	१५०.००	सूचना नहीं	१४०.००
२. निर्मित माल							
आर/६३० सदनी लोई (६०"×४६"×१८ औं.)	बम्बई	प्रति नग	११.८६	११.८१	११ ८१	११.५२	११.५९
आर/६२३ हनुमान लोई (३२ औं० १०८"×५४")	,,	,,	२१.७३	२१.६६	२१.६६	२१.००	२१.००

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	सितम्बर ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
आर/७०१ अलवान							
२५३ ऑ. १०२"×५४"	बम्बई	प्रति नग	२८.७७	३०.१२	३०.१२	३१.४५	३१.४५
आर/१२६० शर्टिंग ५२"	,,	गज	७.६५	७.६३	७.६३	८.७५	८.७५
ब्लेजर-फलालेन डां० सी०							
६५—५६"/५७" चौड़ी	कानपुर	,,	१४.११	१५.६०	१५.६०	१५.६०	१५.६०
स्वेटर—'लाल-इमली'							
सफेद 'एम' साइज	,,	प्रति नग	१४.७५	१४.७५	१४.७५	१५.२५	१५.२५
हिमालय कम्बल ८'×४३'	,,	,,	४६.८१	४५.००	४५.००	४५.००	४५.००
वर्स्टेड—धारीवाल	धारीवाल	गज	१९.६५	२१.७२	२१.७२	२१.७२	२१.७२
ट्वीड धारीवाल	,,	,,	७.७३	७.२५	७.२५	७.२५	७.२५
बुनाई की ऊन धारीवाल	,,	पौं०	११.५०	११.७५	११.७५	११.७५	११.७५
बुनाई का अन्य माल							
१. कच्चा सन							
बनारसी सन खुला	कलकत्ता	मन	२३.००	२३.००	२३.००	२३.००	२३.००
बंगाली सन गांठें	,,	४०० पौण्ड	पूर्ति नहीं	१८५.००	१७५.००	१७५.००	१७५.००
२. नारियल की रस्सी							
असली अलापट	कोचीन	६ हंडरवेट की कैंडी	२६५.००	२४६.१७	२५०.००	२४५.००	२५०.००
अरेटरी बढ़िया	एलेप्पी	,,	२४५.००	२३५.००	२३०.००	२३०.००	२४०.००
चमड़ा और खालें							
१. कच्चा चमड़ा							
नमक लगा गीला गाय का	कलकत्ता	२० पौंड	१५.००	१६.००	१८.००	१५.००	१५.००
नमक लगा गीला गाय का (उत्तरी भारत)	कानपुर	कोड़ी	२२५.००	२१०.०७	२३५.००	२३५.००	२१०.००
नमक लगा गीला भैंस का	कलकत्ता	२० पौंड	८.००	१४.००	१२.००	११.००	११.००
नमक लगा गीला भैंस का (उत्तरी भारत)	कानपुर	,,	११.७२	१२.९५	१२.५०	१२.५०	१२.५०
२. कच्ची खालें							
बकरी की, औसत किस्म	कलकत्ता	१०० खालें	३५०.००	३५०.००	३५०.००	३१०.००	३१०.००
बकरी की सूखी	दिल्ली	,,	२८३.३३	२९१.६७	२९१.६७	२५०.००	२५०.००
३. कमाया हुआ चमड़ा							
भैंस का नं० १ (बड़ा)	कानपुर	पौं०	२.१६	२.१६	२.१६	२.१६	२.१६
भैंस का नं० १ (मझोला)	,,	,,	२.१६	२.१६	२.१६	२.१६	२.१६
भैंस का नं० १ (छोटा)	,,	,,	२.०६	२.०६	२.०६	२.०६	२.०६

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुए/किस्म	बाजार	इकाई	सितम्बर ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
क्रोम से कमाया गाय का	,,	वर्ग फीट	२.१२	२.१२	२.१२	२.१२	२.१२
वनस्पतियों से कमाया हुआ गाय का	,,	पौं०	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००
भेड़ की खालें	मद्रास	,,	६.६३	६.३०	६.३०	६.१५	६.१५
बकरी की खालें	,,	,,	६.४४	६.२०	६.२०	६.१०	६.१०
वन्य उत्पादन							
१. <u>लाख</u>							
चपड़ा शुद्ध टी० एन०	कलकत्ता	मन	८५.००	६५.५०	६५.००	६५.००	६२.००
बटन शुद्ध	,,	,,	९५.००	८२०.००	८०.००	८२.००	८२.००
कच्ची लाख वैशाखी	बलरामपुर	सेर	१.२५	सूचना नहीं	सूचना नहीं	०.९४	०.८१
दाना लाख मानभूमि	कलकत्ता	मन	८४.००	सूचना नहीं	६८.००	७०.००	७०.००
२. <u>लट्ठे और इमारती लकड़ी</u>							
सी. पी. सागवान, ५ फुट और अधिक के गोल लट्ठे	बल्लारशाह	घनफुट	१४.२५	१४.२५	१४.२५	१४.२५	१४.२५
साल (इमारती)	बरेली	,,	७.८१	७.८१	७.८१	७.८१	७.८१
३. <u>चमड़ा कमाने का सामान</u>							
हरड़ बहेड़ा न. १ खुदरा	कलकत्ता	मन	८.५०	भाव नहीं	भाव नहीं	६.५०	६.५०
अवारम की छाल	मद्रास	,,	सूचना नहीं	९९.००	९२.५०	८५.५०	८०.८१
खनिज पदार्थ							
१. <u>खनिज लोहा</u> (६०%)	कलकत्ता जहाज पर	टन	४१.००	४०.००	४०.००	४०.००	४०.००
२. <u>अभ्रक</u>							
न० ६ डी. एस. खण्ड	,,	पौं०	९.००	९.००	९.००	९.००	९.००
न० ६ प्र. श. खुली परतें	,,	,,	१.२५	१.२५	१.२५	१.२५	१.२५
३. <u>खनिज मैंगनीज</u> ४९.२५ प्र.श.	विशाखापत्तनम्	टन	भाव नहीं	भाव नहीं	२३८.९५	भाव नहीं	२४७.१७
लोहा और इस्पात							
१. <u>कच्चा लोहा*</u>							
फाउंड्री न० १	कलकत्ता (रेल पर)	टन	२२५.००	२२५.००	२२५.००	२२५.००	२२५.००
लोहा बेसिक	,,	,,	२०६.००	२०६.००	२०६.००	२०६.००	२०६.००
२. <u>अर्ध शुद्ध</u>							
पुनः गलाने के लिए टुकड़े	कलकत्ता	,,	४७७.००	४७७.००	४७७.००	४७७.००	४७७.००

* नियंत्रित मूल्य ।

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	अगस्त ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
निर्मित माल							
पनाली दार चादरें २४ गेज	,,	हंडरवेट	४३.२५	४३.२१	४३.२५	४३.२५	४३.२५
नरम इस्पात की चादरें ३/८ इंच और ऊपर, अपरीक्षित	,,	,,	३५.७५	३५.७५	३५.७५	३५.७५	३५.७५
इस्पात की छड़ें और सलाखें गोल और चौकोर ३ इंच से कम और चपटी तथा ५ इंच चौड़ी-परीक्षित	,,	,,	३४.००	३४.००	३४.००	३४.००	३४.००
टीन की चादरें आकार २०×१४, शीटेंस ११२ ई०, १०८ पौं० ३० गेज	,,	बक्स	५३.५७	५८.६२	५८.६२	५८.६२	५८.६२
आकार २०×१४ शीटेंस ११२ ई०, ७० पौ. ३४ गेज	,,	,,	४३.६७	४८.१८	४८.१८	४८.१८	४८.१८
गोल पट्टे १"×१८"	,,	हंडरवेट	४०.५०	४०.५०	४०.५०	४०.५०	४०.५०
वर्टीकली ढले लोहे के एस. एण्ड एस. पाइप्स	कुलटी	,,	२३.८५	२३.८६	२३.८५	२३.८५	२३.८५
काली चादरें १०/१४ गेज परीक्षित	कलकत्ता	टन	६७५.००	६७५.००	६७५.००	६७५.००	६७५.००
भारी पटरियां ३० पौंड और अधिक	,,	,,	६३०.००	६३०.००	६३०.००	६३०.००	६३०.००
अन्य-धातुएं							
१. अलुमीनियम							
गोल टुकड़े (भारतीय)	,,	,,	१.८७	२.०६	२.०६	२.०६	२.०६
देगचियां ५ ई. से १० ई.	कलकत्ता	,,	३.७५	३.७५	३.७५	३.७५	३.७५
२. जस्ता स्पेल्टर							
वैद्युत (पिण्ड)	बम्बई	हंडरवेट	७०.००	६०.००	७३.००	६८.००	६७.६७
वैद्युत (मुलायम)	कलकत्ता	,,	६७.००	५८.००	६६.००	६७.००	६७.५०
३. पीतल							
पीली चादरें (४'×४')	,,	,,	१७६.००	१७४.००	१७६.५०	१८४.००	१८५.००
पीतल की चादरें (गिलेएडर्स)	बम्बई	,,	१७४.००	१६३.००	१७८.००	१६३.००	१६०.००
४. तांबा							
वैद्युत (पिंएड)	,,	,,	१६७.००	भाव नहीं	भाव नहीं	भाव नहीं	भाव नहीं
चादरें (४'×४')	मदरास	५०० पौ०	१२७२.००	माल नहीं	माल नहीं	माल नहीं	माल नहीं

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	सितम्बर ५७ रु०	जून ५८ रु०	जुलाई ५८ रु०	अगस्त ५८ रु०	सितम्बर रु०
५. टिन							
सिल्ली (पेनाग)	कलकत्ता	हंडरवेट	५२९.००	५१७.००	५७२.००	५७०.००	५६५.००
६. सीसा							
कच्चा बी० एम० (शुद्ध)	„	„	६७.००	६३.००	६८.००	६९.००	६८.००
कोयला (न)							
चुनाहुआ भेरिया (कोकिंग) (वर्ग ए. और बी.का औसत)	खान की साइडिंग पर	टन	२०.६२	२१.३७	२१.३७	२१.३७	२१.३७
रानीगंज (काजोरा वर्ग अ.)	„	„	१९.०६	१९.८१	१९.८१	१९.८१	१९.८१
मध्यप्रदेश (प्रथम श्रेणी)	„	„	२२.६९	२३.४४	२३.४४	२३.४४	२३.४४
खनिज तेल							
मिट्टी का तेल बढ़िया थोक	कलकत्ता	८ इम्पीरियल गैलन	१०.१८	९.६८	९.६८	९.६८	९.६८
राइजिंग सन बढ़िया थोक	बम्बई	„	९.५९	९.५९	९.५९	९.५९	९.५९
रसायनिक पदार्थ और रंग							
कास्टिक सोडा ठली ९८/९९ प्र० श०	कलकत्ता	हंडरवेट	३६.००	३६.००	३६.००	३६.००	३६.००
सोडियम कार्बोनेट ९९ प्र.श.	„	„	१९.५०	१९.५०	१९.५०	१९.५०	१९.५०
फिटकरी (फेरिक)	„	„	१९.००	२१.००	२१.५०	२४.००	२६.००
गंधक का तेजाब व्यापारिक एस.जी. १.७४० (मयदारपर)	„	टन	१७०.००	१७०.००	१७०.००	१७०.००	१७०.००
नाइट्रिक एसिड व्यापारिक १.४०० एस० जी०	कलकत्ता	पौ०	०.७२	०.७२	०.७२	०.७२	०.७२
हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्यापारिक १.४५ से १.५० एस. जी.	„	„	०.१९	०.१९	०.१९	०.१९	०.१९
ब्लीचिंग पाउडर	पत्तन में रेल पर	हंडरवेट	४१.३६	३७.३०	५७.३०	३६.८०	३६.८०
नेपथलीन (बंगाल केमीकल)	कलकत्ता	„	७८.००	७८.००	७८.००	७८.००	७८.००
नेपथलीन नारंगी जी० एस०	बम्बई	„	२.९५	२.०५	२.९५	२.९५	२.९५
नील ६० प्र० श० दाना	„	„	६.१०	६.१०	६.१०	६.१०	६.१०
लाल सीसा सूखा असली	कलकत्ता	„	१०२.००	९२.००	९२.००	९२.००	९२.००
पाम ट्री कोपल वार्निश (५ गैलन का ड्रम)	„	गैलन (ओ० एस०)	८.००	८.००	८.५०	८.५०	८.५०
नैरो लाम्प वार्निश (५ गैलन का ड्रम)	„	„	२८.२५	२८.२५	२८.२५	२८.२५	२८.२५
अमोनियम सल्फेट (उर्वरक)	गन्तव्य स्थान रेल पर	टन	३५०.००	३५०.००	३५०.००	३५०.००	३५०.००

(न) नियन्त्रित भाव।

२. देश में वस्तुओं के थोक भाव : १९५८

वस्तुएं/किस्म	बाजार	इकाई	सितम्बर ५७	जून ५८	जुलाई ५८	अगस्त ५८	सितम्बर ५८
			रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
रबर के टायर और ट्यूब							
डनलप मोटर ट्यूब्स ५.२५—१६	कलकत्ता	प्रत्येक	१०.०६	१०.०६	१०.०६	१०.०६	१०.०६
डनलप साइकिल कवर्स २८×१½ डब्ल्यू० ओ०	,,	,,	३.६३	३.६३	३.६३	३.६३	३.६३
कागज							
सफेद छपाई का, डिमाई आकार १४ पौ. और ऊपर	कलकत्ता	पौंड	०.८०	८३.५ न. पै०	८३.५ न. पै०	८३.५ न.पै.	८३.५ न.पै.
पैकिंग और रैपिंग क्राफ्ट पेपर-स्वीडन	बम्बई	,,	१.१६	१.३७	—	—	—
सीमेन्ट							
भारतीय (स्वस्तिका) एफ. डब्ल्यू. एल. १६½ से २८ टन (ए. सी. सी. की दरें)	कलकत्ता	टन	११७.५०	११७.५०	११७.५०	११७.५०	११७.००
चीनी के बर्तन							
प्याले और तश्तरियां ६ से १० औं. बी-एफ	ग्वालियर	प्रति नग	०.६५	६.६५	०.६५	०.६५	०.६५
कांच का सामान							
खिड़कियों के शीशे बड़ा आकार ३०″×२४″	कलकत्ता	१०० घनफुट	४५.००	३७.००	३७.००	३७.००	४५.००
गिलास ½ पिन्ट मजबूत पुराना नमूना	ओगेल वाड़ी	ग्रोस	३४.५०	३७.००	३७.००	३७.००	३७.००
चूड़ियां रेशमी लाल पीली आकार नं० २	फीरोजाबाद	दो गुरुस का तोड़ा	१.५०	१.३७	१.५६	१.५६	१.४४‡
चूना							
बिना बुझा हुआ (वर्ग १ और २ का औसत)	सतना	१०० मन	१४७.५०	१४७.५०	१४७.५०	१४७.५०	१४७.५०

‡ आकार नं० १

व्यापारिक और औद्योगिक शब्दावली

प्रस्तुत अंक में व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों के जिन विशिष्ट शब्दों का प्रयोग हुआ है उन्हें तथा उनके अंग्रेजी रूपों को पाठकों की सुविधा के लिये यहां दिया जाता है। ये केवल सुविधा की दृष्टि से दिये गये हैं। प्रामाणिकता की दृष्टि से इन्हें अन्तिम नहीं मान लेना चाहिये। —सम्पादक।

हिन्दी शब्द	अंग्रेजी रूप	हिन्दी शब्द	अंग्रेजी रूप
अतिरिक्त	Additional	परिव्यय	Outlay
अद्वितीय	Unique	पुनर्मूल्यांकन	Reappraisal
अनिवार्यता	Compulsion	पूंजी-उत्पादन-अनुपात	Capital-output Ratio
अनिश्चित तत्व	Uncertain Factors	पूंजी-श्रम-अनुपात	Capital-Labour Ratio
अन्तर	Gap	पूर्वाभास	Prelude
अन्तर्भूत	Inherent	प्रतिजन आय	Per capita income
असमानताएं	Disparities	प्रतिजन खपत	Per capita consumptic
आगे बढ़ी हुई योजनाएं	Schemes in advanced Stage	प्राथमिकता क्रम	Order of priority
		प्रारम्भिक	Elementary
आर्थिक विकास	Economic Growth	प्रासंगिक	Relevant
आदिकालीन	Primitive	प्रोत्साहन	Incentive
आंतरिक साधन	Internal resources	बिजली से पालिश करना	Electroplating
आमोद-प्रमोद की सुविधाएं	Recreation facilities	भौगोलिक निकटता	Geographical Proximit
आवश्यकताएं	Wants	मलवाहक नालियां	Sewerage
आवश्यक प्रायोजनाएं	'Core' Projects	मूल लक्ष्य	Original Targets
उभरती अभिलाषाओं की क्रांति	Revolution of Rising Expectation	मूल्यांकन	Appraisal
		युद्ध से क्षत-विक्षत	War-torn
कर-नीति	Fiscal Policy	योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था	Planned Economy
कर-भार	Tax Burden	रायल्टी	Royalty
काट-छांट	Pruning	राष्ट्रीय आय	National Income
क्षेत्र	Sector	वयस्क मताधिकार	Universal Franchise
खर्च	Outlay	वास्तु शिल्पी	Architect
गंदी बस्ती	Slum	विकास परक अर्थ-व्यवस्था	Developing Economy
चरण	Phase	वितरण न्याय	Distributive Justice
तपाना	Heat treatment	विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration
तुलनात्मक आंकड़े	Comparative figures	विदेशी सहायता	External Assistance
दुहरा कर	Double Taxation	विदेशी साधन	External-Resources
धंधा	Venture	विनियोजन नीति	Investment Policy
नरम छाल	Bast	विलास सामग्रियां	Luxury Products
निजी उद्योगों वाली अर्थ-व्यवस्था	Private Enterprise Economy	समझदार	Prudent
निर्धारण	Allotment	समाज सेवाएं	Social Services
निष्कर्ष	Conclusion	साधन	Resources
परावलम्बन की भावना	Psychology of dependence	सूचक	Indicator
		स्तुत्य	Commendable
परिणाम	Result	स्मरण-पत्र	Memorandum
		स्वस्थ विकास	Healthy Development

परिशिष्ट

१. विदेशों में भारत सरकार के व्यापार-प्रतिनिधि।
२. भारत में विदेशी सरकारों के व्यापार-प्रतिनिधि।

परिशिष्ट—१

विदेशों में भारत सरकार के व्यापार-प्रतिनिधि

नाम और पता	कार्य-क्षेत्र
यूरोप	
(१) लन्दन श्री टी॰ स्वामीनाथन, आई॰ सी॰ एस॰, ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर के मन्त्री (आर्थिक) 'इंडियाहाउस', आल्डविच, लन्दन, डब्ल्यू॰ सी॰ २। तार का पता :—हिकोमिण्ड (HICOMIND) लन्दन।	ब्रिटेन और आयर
(२) पेरिस श्री एच॰ के॰ कोचर, भारतीय दूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), १५, रियू अलफ्रेड, डेहोडेन्क, पेरिस १६ एमे (फ्रांस)। तार का पताः—इण्डाट्रेकम (INDATRACOM), पेरिस।	फ्रांस
(३) रोम भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी, वाया फ्रेन्सेस्को, डेन्ज़ा, ३६, रोम (इटली)। तार का पताः—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), रोम।	इटली, यूनान
(४) बोन डा॰ एस॰ पी॰ छबलानी, जर्मनी में भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), २६२ कोब्लेन्जर स्ट्रासे, बोन (प॰ जर्मनी)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), बोन।	जर्मनी
(५) हम्बर्ग श्री एस॰ बी॰ पटेल, आई॰ एफ॰ एस॰ भारतीय कौंसल-जनरल ६०८/५ थियनकेनाफ, हम्बर्ग-१ (प॰ जर्मनी) तार का पता :—इण्डिया (INDIA) हम्बर्ग।	हम्बर्ग, ब्रमेन और श्लेस्विग हालस्टीन
(६) ब्रसेल्स श्री एच॰सी॰ हाग, बेलजियम में भारतीय राजदूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), ५८५, अवेन्यू लौजि, ब्रसेल्स (बेलजियम)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) ब्रसेल्स।	बेलजियम
(७) श्री एच॰ एस॰ गोपाल राव, वाइस कन्सलेट, ४३, हिन्डेयरस्ट्राट, एन्टवर्प, तार का पताः—कनसिण्डिया (CONSINDIA) एन्टवर्प।	
(८) बर्न श्री एम॰ सी॰ देव, आई॰ ए॰ एस॰, भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), बर्न (स्वीजरलैण्ड)। तार का पताः—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) बर्न।	स्वीजरलैण्ड
(९) स्टाकहोम श्री के॰ सी॰ सहगल, भारतीय राजदूतावास के सेकेन्ड सेक्रेटरी, व्यापारिक स्ट्रण्डवेजेन ४७-४, स्टाकहोम (स्वीडन)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), स्टाकहोम।	स्वीडन, फिनलैण्ड और डेनमार्क
(१०) प्रेग श्री सी॰ शिवराव, चेकोस्लोवाकिया में भारतीय दूतावास के सेकेण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), २२, युनोवास्का, प्रेग-३। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) प्रेग।	चेकोस्लोवाकिया
(११) मास्को श्री पी॰ वैद्यनाथन, रूस में भारतीय दूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), नं॰ ६ और ८, पुश्त्रिस्चा ओबूखा, मास्को। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) मास्को।	रूस

नाम और पता	कार्य-क्षेत्र
(१२) बेलग्रेड भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक) बेलग्रेड (यूगोस्लाविया) तार का पताः—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) बेलग्रेड ।	यूगोस्लाविया, बल्गेरिया और रूमानिया
(१३) वारसा भारतीय राजदूतावास के सेकेण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक) वारसा (पोलैण्ड) ।	पोलैण्ड

अमेरिका

नाम और पता	कार्य-क्षेत्र
(१४) ओटावा श्री एम० के० राय, कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), २००, मेकलेरन स्ट्रीट, ओटावा, ओन्टेरियो (कनाडा) । तार का पताः—हिकोमिण्ड (HICOMIND) ओटावा ।	कनाडा
(१५) वाशिंगटन श्री एस० जी० रामचन्द्रन, आई०एफ०एस०, भारतीय दूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), २१०७, मैसेचुसेट्स एवेन्यू, एन० डब्ल्यू० वाशिंगटन—८ डी० सी० (संयुक्त राज्य अमेरिका) । तार का पता :— इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) वाशिंगटन ।	संयुक्तराज्य अमेरिका और मैक्सिको
(१६) सेन्टीआगो श्री पी० टी० पी० मेनन, भारतीय राजदूतावास के सेकेण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक) । सेन्टीआगो (चिली) । तार का पताः—इण्डम्बेसी (INDEMBASSY) चिली ।	चिली

अफ्रीका

नाम और पता	कार्य-क्षेत्र
(१७) मोम्बासा श्री एफ० एम० दे मैलो कामत, आई० एफ० एस०, भारत सरकार के व्यापार कमिश्नर, युनली इन्श्योरेन्स बिल्डिंग, पो० बा० नं० ६१४, मोम्बासा (केनिया) । तार का पता :—इण्डोकम (INDOCOM), मोम्बासा (केनिया) ।	पूर्वी अफरीका, केनिया, उगाण्डा टांगानीका और जन्जीबार, दक्षिणी रोडेशिया, उत्तरी रोडेशिया, और न्यासालैण्ड
(१८) काहिरा श्री के० आर० एफ० खिलनानी, आई० एफ० एस०, मिस्र में भारतीय दूतावास के कौंसलर (व्यापारिक) सुलीमान पाशा स्ट्रीट, काहिरा (मिस्र) । तार का पताः—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), काहिरा ।	मिस्र, लेबनान, साइप्रस और लीबिया
(१९) खारतूम श्री एम० आर० यडानी, आई० एफ० एस०, भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), खारतूम (सूडान) ।	सूडान

आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड

नाम और पता	कार्य-क्षेत्र
(२०) सिडनी श्री एच०एल०सुजान, भारत सरकार के व्यापार कमिश्नर, काल्टर हाउस, १०वीं मंजिल, १६७—१८७ केन्ट स्ट्रीट, सिडनी (आस्ट्रेलिया) । तार का पताः—आस्ट्रेण्ड (AUSTRAIND) सिडनी ।	आस्ट्रेलिया और उसके समुद्र-पारीय प्रदेश जिनमें नौरफौक तथा नौरू भी शामिल हैं
(२१) वेलिंगटन श्री एस० के० चौधरी, आई० एफ० एस०, न्यूजीलैण्ड में भारत के हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), विगजर बिल्डिंग, ४९, विलिस स्ट्रीट, वेलिंगटन, (न्यूजीलैण्ड) । तार का पता :—ट्रैकोमिण्ड (TRACOMIND) वेलिंगटन न्यूजीलैण्ड ।	न्यूजीलैण्ड

नाम और पता	कार्यक्षेत्र
एशिया	
(२२) टोकियो	
श्री डो॰ हेबमदी, आई॰ एफ॰ एस॰, जापान में भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), एम्पायर हाउस (नाइगाई बिल्डिंग), मारूनौची, टोकियो (जापान)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), टोकियो।	जापान
(२३) कोलम्बो	
श्री वी॰सी॰ विजय राघवन, आई॰ एफ॰ एस॰, लंका में भारत के हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), गफूर बिलडिंग, पो॰ओ॰ बा॰ नं॰ ४७, फोर्ट, कोलम्बो (लंका)। तार का पता:—ट्रेडिण्ड (TRADIND) कोलम्बो।	लंका
(२४) रंगून	
श्री एन॰ केशवन, भारत के राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), स्नडेरिया बिल्डिंग, फायरे स्ट्रीट, पो॰बा॰नं॰ ७५१, रंगून (बर्मा)। तार का पता:—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), रंगून।	बर्मा
(२५) कराची	
श्री एन॰ के॰ निगम, पाकिस्तान में भारत के हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), चार्टर्ड बैंक चेम्बर्स, "वलीका महल," एन॰ जे॰ सेठा रोड, न्यू टाऊन, कराची-५ (पश्चिम पाकिस्तान) तार का पता:—इण्ट्राकम (INTRACOM), कराची।	पाकिस्तान
(२६) ढाका	
श्री बी॰एम॰ घोष, पाकिस्तान में भारत के हाई कमीशन के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), १, रामकृष्ण मिशन रोड, ढाका (पूर्वी पाकिस्तान)। तार का पता:—"गुडविल" (GOODWILL), ढाका।	पूर्वी पाकिस्तान
(२७) सिंगापुर	
श्री ए॰ के॰ दर, आई॰ एफ॰ एस॰, मलाया में भारत सरकार के कमिश्नर के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक), इण्डिया हाउस, ३१—ग्रान्ज रोड, पो॰ बा॰ नं॰ ८३६, सिंगापुर (मलाया)। तार का पता :—रिपीण्डिया (REPINDIA), सिंगापुर।	मलाया और सिंगापुर
(२८) बैंकाक	
श्री एन॰ पी॰ जैन, आई॰ एफ॰ एस॰, भारतीय राजदूतावास के थर्ड सेक्रेटरी, ३७, प्याथाई रोड, बैंकाक (थाइलैण्ड) तार का पता:—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), बैंकाक।	थाइलैण्ड
(२९) मनीला	
व्यापारिक विभाग, भारतीय लीगेशन, २१४-नेबरास्का, मनीला (फिलिपाइन)। तार का पता :—इण्डलीगेशन (INDLEGATION), मनीला।	फिलिपाइन मनीला में भारतीय लीगेशन के मन्त्री के अधीन
(३०) जकार्ता	
श्री बी॰ आर॰ अभयंकर, भारतीय राजदूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक) पो॰ बा॰ १७८, ४४, केबन सिरीह, जकार्ता (इण्डोनेशिया)। तार का पता:—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), जकार्ता।	इण्डोनेशिया
(३१) अदन	
श्री भगत सिंह, अदन में भारत सरकार के कमिश्नर, अदन। तार का पता :—कोमिण्ड (COMIND), अदन।	अदन, ब्रिटिश सोमालीलैण्ड और इटैलियन सोमालीलैण्ड
(३२) तेहरान	
श्री आर॰ अगजेशला, भारतीय राजदूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), अवेन्यू शाह रजा, तेहरान (ईरान)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), तेहरान।	ईरान
(३३) बगदाद	
श्री एस॰ नरसीज, भारतीय राजदूतावास के सेकेण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), ८/८ सफि-उल-दीन-एल हिल्ली स्ट्रीट, वजीरिया, बगदाद (ईराक)। तार का पता:—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), बगदाद।	ईराक, जोर्डन, फारस की खाड़ी कुवेत, बहरीन ग्रीसडम्स बारजाह क्वार्टर और ट्रूशियल अमान।

नाम और पता	कार्यक्षेत्र
(३४) हांगकांग श्री टी० वी० गोपालपति, भारत सरकार के कमिश्नर के सेकिण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक) टावर कोर्ट, ११वीं मंजिल, हिस्यान एवेन्यू, हांगकांग। तार का पता :—कोमइंड (COMIND) हांगकांग।	हांगकांग
(३५) पेकिंग श्री पी० दास गुप्ता, चीन में भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक) ३२, तुंग च्याओमिन, स्यांग, पेकिंग (चीन)। तार का पता :—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY), पेकिंग।	चीन
(३६) कम्बोडिया श्री डी० जे० सेन गुप्ता, भारतीय राजदूतावास के सेकण्ड सेक्रेटरी, फ्नोम पेन्ह। तार का पता:—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) फ्नोम पेन्ह।	कम्बोडिया

सूचना :—(१) तिब्बत में निम्नलिखित अधिकारी भारत के व्यापारिक हितों का ध्यान रखते हैं :—

१. गंगटोक, सिकम में भारतीय पोलिटिकल अफसर के व्यापारिक सेक्रेटरी।

२. भारत के व्यापार एजेण्ट, यातुङ्ग (तिब्बत)।

(२) जिन देशों में अलग व्यापार-प्रतिनिधि नहीं हैं, उनमें भारतीय राजदूत और कन्सलर अफसर भारत के व्यापारिक हितों का ध्यान रखते हैं।

भारत में विदेशी सरकारों के व्यापार-प्रतिनिधि

देश	पद	पता
१. अफ़गानिस्तान	भारत में शाही अफगान राजदूतावास के आर्थिक एटेची।	२४, रैटण्डन रोड, नयी दिल्ली।
२. अमेरिका	(१) भारत में अमेरिकन राजदूतावास के आर्थिक मामलों के कौंसिलर।	बहावलपुर हाउस, सिकन्दरा रोड, नयी दिल्ली।
	(२) भारत में अमेरिका के कौंसल जनरल।	५/१, हैरिंगटन स्ट्रीट, कलकत्ता-१६।
	(३) भारत में अमेरिका के कौंसल जनरल।	कन्स्ट्रक्शन हाउस, निकल रोड, बैलार्ड एस्टे बम्बई—१।
	(४) भारत में अमेरिका के कौंसल जनरल।	१५०-बी०, माउंट रोड, मद्रास—२।
३. आस्ट्रिया	भारत में आस्ट्रिया के व्यापार प्रतिनिधि।	क्वीन्स मैनशन्स, बेस्टियन रोड, फोर्ट, पो० बा० न० १३८५, बम्बई।
४. आस्ट्रेलिया	(१) भारत में आस्ट्रेलिया सरकार के व्यापार कमिश्नर।	मरकैंटाइल बैंक बिल्डिंग, ५२/६६, महात्मा गा. रोड, जनरल पो० आ० बा० नं० २१७, बम्बई।
	(२) भारत में आस्ट्रेलिया सरकार के व्यापार कमिश्नर।	२, फेअरली प्लेस, कलकत्ता।
५. इटली	भारत में इटली के राजदूतावास के व्यापारिक कौंसिलर।	१७, यार्क रोड, नयी दिल्ली।
६. इण्डोनेशिया	भारत में इण्डोनेशियन राजदूतावास के आर्थिक मामलों के मंत्री।	५०ए, चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली।
७. कनाडा	(१) भारत में कनाडा हाई कमीशन के थर्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक)	४, औरंगजेब रोड, नयी दिल्ली।
	(२) भारत में कनाडा का व्यापार कमीशन।	ग्रेशम एश्योरेन्स हाउस, मिंट रोड, पो. आ. बा. ८८६, बम्बई-१।
८. घाना	अशोक होटल, नई दिल्ली।	
९. चीन	(१) भारत में चीनी गणतन्त्र के राजदूतावास के व्यापारिक मामलों के कौंसलर।	चीन हाउस, लिटन रोड, नयी दिल्ली।
	(२) चीनी जन गणराज्य के व्यापारिक एजेन्ट।	कालिम्पौंग।
	(३) ८, कैमक स्ट्रीट, कलकत्ता।	
१०. चेकोस्लोवाकिया	(१) चैकोस्लोवाकिया गणतंत्र के व्यापारिक प्रतिनिधि।	६५, गोल्फ लिंक एरिया, पो० बा० ३११ नयी दिल्ली।
	(२) चैकोस्लोवाक गणतंत्र के व्यापारिक प्रतिनिधि, बम्बई शाखा।	कस्तूरी बिल्डिंग्स, जमशेद जी टाटा रोड, बम्बई-१।
	(३) चैकोस्लोवाक गणतंत्र के व्यापारिक प्रतिनिधि, कलकत्ता शाखा।	पो० ३८, मिशन रो एक्सटेन्शन, कलकत्ता ११।
	(४) चैकोस्लोवाक गणतंत्र के व्यापारिक प्रतिनिधि, मद्रास शाखा।	३५/५, माउंट रोड, मद्रास-२।
११. जापान	भारत में जापानी राजदूतावास के थर्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक)।	प्लाट नं० ४ और ५, ब्लाक ५०-जी, चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली।
१२. डेनमार्क	भारत में डेनमार्क के व्यापार कमिश्नर।	पोलोन्जी मैनशन, न्यू केफे परेड, कोलाबा, बम्बई-५
१३. तुर्की	भारत में तुर्की दूतावास के व्यापारिक एटेची।	होटल अम्बेसेडर, नयी दिल्ली।

देश	पद	पता
१४. नारवे	(१) भारत में नारवे दूतावास के व्यापार कमिश्नर।	इम्पीरियल चेम्बर्स, विलसन रोड, बालार्ड ऐस्टेट पो० आ० बा० नं० २६४, बम्बई-१।
	(२) भारत में नारवे दूतावास के सहायक व्यापार कमिश्नर।	१४, नेताजीसुभाष रोड, पो०बा० २२११, कलक
१५. नीदरलैण्ड	भारत में नीदरलैण्ड राजदूतावास के व्यापारिक एटेची।	२६८, बाजार गेट स्ट्रीट, बम्बई।
१६. न्यूजीलैण्ड	भारत में न्यूजीलैण्ड सरकार के व्यापार कमिश्नर।	मरकैंटाइल बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, महात्म गांधी रोड, बम्बई-१।
१७. प० जर्मनी	(१) भारत में जर्मनी के संघीय गणराज्य दूतावास के व्यापारिक कौंसलर।	८६, सुन्दर नगर, मथुरा रोड, नयी दिल्ली।
	(२) जर्मनी के संघीय गणराज्य के कौंसल जनरल।	रूसी मैन्शन, २६ वुडहाउस रोड, कोलाबा, बम्बई-१५
	(३) जर्मनी के संघीय गणराज्य के कौंसल जनरल।	५६-सी, चौरंगी रोड, कलकत्ता।
	(४) जर्मनी के संघीय गणराज्य के कौंसल जनरल।	बम्बे म्यूचुअल बिल्डिंग, ३७८, नेताजी बोस रोड, मद्रास।
१८. पाकिस्तान	भारत में पाकिस्तान हाई कमीशन के व्यापारिक सेक्रेटरी।	शेरशाह रोड मेस, नयी दिल्ली।
१६. पूर्वी जर्मनी	(१) जर्मनी के प्रजातान्त्रिक गणराज्य के व्यापार प्रतिनिधि।	२३, करजन रोड, नयी दिल्ली।
	(२) जर्मनी के प्रजातान्त्रिक गणराज्य के व्यापार प्रतिनिधि।	मिस्त्री भवन २२, दीनशावाचा रोड, बम्बई रिक्लेमेशन, बम्बई १।
२०. पोलैण्ड	(१) भारत में पोलिश गणतंत्र के राजदूतावास के व्यापारिक कौंसलर।	४२-४४, सुन्दर नगर, नई दिल्ली।
	(२) भारत में पोलिश गणतन्त्र के व्यापार प्रतिनिधि।	४०/ए, पेडर रोड, जुगलकिशोर बिल्डिंग, बम्बई-२
	(३) भारत में पोलिश गणतन्त्र के व्यापार प्रतिनिधि।	२८, स्टीफन कोर्ट, १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता।
२ . फिनलैण्ड	(१) भारत में फिनिश लीगेशन के व्यापारिक कौंसलर।	१, हुमायूँ रोड, नयी दिल्ली।
२२. फ्रांस	(१) भारत में फ्रेंच राजदूतावास के आर्थिक मामलों के कौंसलर।	२, औरंगजेब रोड, नयी दिल्ली।
	(२) भारत में फ्रेंच राजदूतावास के व्यापार कमिश्नर।	'अडेल्फी बिल्डिंग, क्वीन्स रोड, बम्बई १।
	(२) भारत में फ्रेंच राजदूतावास के व्यापार कमिश्नर।	पार्क मेन्शन्स, १३, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता।
	(३) भारत में फ्रेंच राजदूतावास के व्यापार कमिश्नर।	मद्रास क्लब, मद्रास।
२३. बर्मा	(१) भारत में बर्मी राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी (व्यापारिक)।	२, किचनर रोड, नयी दिल्ली।
	(२) सहायक व्यापार कमिश्नर।	१२, डलहौजी स्क्वायर ईस्ट, कलकत्ता।
२४. बलगेरिया	(१) व्यापार प्रतिनिधि।	१६८, गोल्फ लिंक एरिया, नई दिल्ली।
	(२) भारत में बलगेरियन गणतन्त्र के सहायक व्यापार प्रतिनिधि।	"कामनवेल्थ" बिल्डिंग, नारीमन पॉइंट, मरीन ड्राईव, बम्बई-१।
२५. ब्रिटेन	(१) भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर के आर्थिक सलाहकार और भारत में ब्रिटेन के सीनियर व्यापार कमिश्नर।	६, तीस जनवरी मार्ग, नयी दिल्ली।
	(२) बम्बई में ब्रिटेन के मुख्य व्यापार कमिश्नर।	पो० आ० बा० नं० ८१५, महात्मा गांधी रोड, बम्बई-१।
	(३) कलकत्ता में ब्रिटेन के मुख्य व्यापार कमिश्नर।	१, हैरिंगटन स्ट्रीट, कलकत्ता—१६।
	(४) मद्रास में ब्रिटेन के व्यापार कमिश्नर।	पो० बा० नं० १५७५, आरमीनियन स्ट्रीट, मद्रास।

देश	पद	पता
२६. बेलजियम	भारत में बेलजियम राजदूतावास के व्यापारिक कौंसलर।	थियेटर कम्यूनिकेशन बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नयी दिल्ली।
२७. मिस्र	भारत में मिस्री राजदूतावास के व्यापारिक एटेची।	कमरा नं० ३६, स्विस होटल, दिल्ली।
२८. रूमानिया	भारत में रूमानिया के व्यापार प्रतिनिधि।	स्टीलक्रीट हाउस, दीनशावाचा रोड, चर्च गेट रीक्लेमेशन, बम्बई-१।
२९. रूस	(१) भारत में रूस के व्यापार प्रतिनिधि।	ट्रावनकोर हाउस, नयी दिल्ली।
	(२) भारत में रूस के व्यापार प्रतिनिधि।	४, कमैक स्ट्रीट, कलकत्ता और १ विशप लेफ्राय रोड, कलकत्ता।
	(३) भारत में रूस के व्यापार प्रतिनिधि।	वसुन्धरा हाउस, बम्बई-२६।
३०. लङ्का	भारत में लंका के व्यापार कमिश्नर।	सीलोन हाउस, ब्रूस स्ट्रीट, फोर्ट बम्बई-१।
३१. स्पेन	भारत में स्पेन के सहायक व्यापार कमिश्नर।	"मिस्त्री कोर्ट", दीनशा वाचा रोड, चर्च गेट रीक्लेमैशन, बम्बई।
३२. स्विट्जरलैण्ड	(१) भारत में स्विस लीगेशन के व्यापारिक सेक्रेटरी।	थियेटर कम्यूनिकेशन बिल्डिंग नं० १, रैडियल रोड, नयी दिल्ली।
	(२) भारत में स्विस व्यापार कमिश्नर।	प्रादम एश्योरेन्स हाउस, पो. आ. बा. १०१, सर पी० एम० रोड, बम्बई-१।
३३. स्वीडन	स्वीडन के व्यापार कमिश्नर।	इण्डियन मरकैन्टाइल चैम्बर्स, निकल रोड, बैलार्ड इस्टेट, बम्बई।
३४. हंगरी	(१) भारत में हंगेरियन लीगेशन के व्यापारिक कौंसलर और व्यापार प्रतिनिधि।	१०, पूसा रोड, ब्लाक नं० ११, नारदर्न एक्सटेन्शन एरिया, नई देहली।
	(२) भारत में हंगेरियन लीगेशन का व्यापार कमीशन।	रेविएरा ४१, केफे परेड, बम्बई ५.

सूचना :—जिन देशों के अलग व्यापार-प्रतिनिधि नहीं हैं, उनके व्यापार हितों का ध्यान, भारत में स्थित उनके राजनीतिक और/अथवा कौंसलर विभाग रखते हैं।

व्यापार बढ़ाने के लिये

उद्योग-व्यापार पत्रिका

में विज्ञापन दीजिये

उद्योग व्यापार पत्रिका में विज्ञापन प्रकाशित किये जाते हैं। विज्ञापन छपाई का मूल्य अग्रिम लिया जाता है। दरें इस प्रकार हैं :—

	पूरा पृष्ठ	आधा पृष्ठ	चौथाई पृष्ठ
	रु०	रु०	रु०
१२ महीनों के १२ अंक	१,०००	५५०	३००
६ महीने के ६ अंक	५५०	३००	१७५
३ महीने के ३ अंक	३००	१७५	१००
एक बार	१२५	६५	३५

विशेष स्थानों के दर :

टाइटिल का दूसरा पृष्ठ	पूरे पृष्ठ से २० प्रतिशत अधिक।
,, ,, तीसरा पृष्ठ	,, ,, ,, १० ,, ,, ।
,, ,, अन्तिम पृष्ठ	,, ,, ,, ५० ,, ,,

विशेष सूचनायें

१. गृह-उद्योग द्वारा तैयार की गई वस्तुओं के विज्ञापन में २५ प्रतिशत की छूट दी जायगी। इसके लिये अपने राज्य डिरेक्टर आफ इण्डस्ट्रीज से इस आशय का सर्टिफिकेट लेकर साथ में भेजना होगा। विज्ञापन दरों में यह रियायत चाहने वाले सज्जनों इस सम्बन्ध में सम्पादक से सीधा पत्र-व्यवहार करना चाहिये।

२. नियमित विज्ञापन एजेण्टों को विशेष कमीशन दिया जायगा। इसकी दरें भी सम्पादक से पत्र-व्यवहार करके त की जा सकती हैं।

३. किसी भी विज्ञापन को कोई कारण बताये बिना अस्वीकार कर देने का अधिकार सम्पादक को है।

४. छोटे व्यापारियों और औद्योगिकों की सुविधा के लिये पत्रिका में एक वर्गीकृत विज्ञापन स्तम्भ देने की योजना है। उसकी दर १०० रु० वार्षिक होगी।

विशेष विवरण के लिये इस पते पर पत्र लिखिये :—

सम्पादक,

उद्योग-व्यापार पत्रिका,

व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार,

नयी दिल्ली।